

Ref. No.: LIC/SE/2022-23/62 Date: September 01, 2022

To,
The Manager
Listing Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai-400001

BSE Security Code: 543526

The Manager Listing Department, The National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai-400051

NSE Symbol: LICI

Dear Sir/Madam,

Sub: Notice of the 1st Annual General Meeting of the Corporation as required under Regulation 30 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligation and disclosure Requirements), 2015 (SEBI Listing Regulations) and Annual Report for FY 2021-2022.

Pursuant to Regulation 30 read with Para A of Schedule III of the SEBI Listing Regulations, attached herewith is the Notice of the 01st Annual General Meeting of the Corporation to be held on Tuesday, September 27, 2022 at 02:30 PM (IST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means and the Annual Report of 2021-22.

The Notice of AGM and the Annual Report of the Corporation for FY 2021-22 has been sent through electronic mode to all the members of the Corporation at their registered email addresses.

In terms of Regulation 44 of the Listing Regulations, the Corporation is providing the facility to its members to exercise their right to vote by electronic means on the businesses specified in the Notice convening the AGM of the Corporation ("Remote e-voting").

The Corporation is also offering the facility to the Members to cast their vote electronically during the AGM. Accordingly, the Corporation has fixed Tuesday, September 20, 2022 as the cut-off date to determine the eligibility of the members to cast their vote by electronic means and e-voting during the AGM.

The voting rights of Members shall be in the proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Corporation as on the cut-off date of Tuesday, September 20, 2022.

The Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year 2021-22 is also being made available on the website of the Corporation at https://licindia.in/Investor-Relations/Financial-Details/Annual-Report

The calendar of events is as under:

| Sr. No | Particulars | Event Dates |
|--------|---|-----------------------------|
| 1 | Cut-off Date for identifying the eligibility of | Tuesday, September 20, 2022 |
| | Members holding shares in physical or demat form, | |

केंद्रीय कार्यालय, ''योगक्षेम'', जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400 021.



| | for Remote e-voting/voting at the AGM | |
|---|---|------------------------------------|
| 2 | Remote e-voting period will commence on | Friday, September 23, 2022 at 9.30 |
| | | a.m. |
| 3 | Remote e-voting period will end on | Monday, September 26, 2022 at |
| | | 5.00 p.m. |
| 4 | Annual General Meeting | Tuesday, September 27, 2022 at |
| | | 02.30 pm |

This is for your information and record.

Yours faithfully,

For Life Insurance Corporation of India

(Pawan Agrawal)
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a

केंद्रीय कार्यालय, ''योगक्षेम'', जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400 021.



भारतीय जीवन बीमा निगम

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के तहत गठित) आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या 512

केंद्रीय कार्यालय: 'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 021

दुरभाष. नंबर: 022 - 2202 2079

ईमेल: investors@licindia.com; वेबसाइट: www.licindia.in

पहली वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्यों की पहली वार्षिक सामान्य बैठक मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 को 14:30 बजे (आईएसटी), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स (''ओएवीएम'') के माध्यम से निम्नलिखित मदों पर कार्यवाही करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय:

- 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए निगम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों (समेकित वित्तीय विवरणों सिहत) पर विचार करना एवं बोर्ड और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24बी, 24सी और 25बी के तहत अपनाना।
- एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24सी और 27 के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और उसे अपनाना।
- एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28बी(1) के संदर्भ में बोर्ड द्वारा अनुशंसित 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर 1.50 रुपये के अंतिम लाभांश पर विचार करना और घोषित करना।
- एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. रंजन शर्मा (डीआईएन: 09573799)
 की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प पारित
 - ''संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(2) (जी) के साथ पिटत धारा 4(4) के अनुसार, डॉ. रंजन शर्मा को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है, 29 अक्टूबर, 2021 से 28 अप्रैल, 2022 तक 6 (छह) महीने की पहली अविध और 29 अप्रैल, 2022 से 28 अप्रैल, 2026 तक 4(चार) साल की दूसरी अविध के लिए एतद्वारा अनुमोदित है, जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।''
- 5. एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री विनोद कुमार वर्मा (डीआईएन: 09309031) की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना: "संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(2) (जी) के साथ पठित धारा 4(4) के अनुसार, श्री विनोद कुमार वर्मा को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है, 29 अक्टूबर, 2021 से 28 अप्रैल, 2022 तक 6 (छह) महीने की पहली अवधि और 29 अप्रैल, 2022 से 28 अप्रैल, 2026 तक 4(चार) साल की दूसरी अवधि के लिए एतद्वारा अनुमोदित है, जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।"
- 6. एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में प्रो. अनिल कुमार (डीआईएन: 09477565) की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना:
 - ''संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(2) (जी) के साथ पठित धारा 4(4) के अनुसार, प्रो. अनिल कुमार को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके अनुसरण

- में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है, 20 जनवरी, 2022 से 19 जुलाई, 2022 तक 6 (छह) महीने की पहली अवधि और 20 जुलाई, 2022 से 19 जुलाई, 2026 तक 4(चार) साल की दूसरी अवधि के लिए एतद्वारा अनुमोदित है, जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।"
- 7. एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती अंजुली चिब दुगाल (डीआईएन: 05264033) की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना: "संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(2) (जी) के साथ पिठत धारा 4(4) के अनुसार, श्रीमित अंजुली चिब दुगाल को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है, 29 जनवरी, 2022 से 28 जनवरी, 2026 तक 4(चार) साल की पहली अविध के लिए एतद्वारा अनुमोदित है, जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।"
- 8. एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री गुरुमूर्ति महालिंगम (डीआईएन: 09660723) की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना: "'संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(2) (जी) के साथ पित धारा 4(4) के अनुसार, श्री गुरुमूर्ति महालिंगम को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है, 29 जनवरी, 2022 से 28 जनवरी, 2026 तक 4(चार) साल की पहली अविध के लिए एतद्वारा अनुमोदित है, जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।"
- 9. एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री राज कमल (डीआईएन: 07653591) की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना:
 - ''संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनयम, 1956 की धारा 4(2) (जी) के साथ पिठत धारा 4(4) के अनुसार, श्री राज कमल को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है, 29 जनवरी, 2022 से 28 जनवरी, 2026 तक 4(चार) साल की पहली अविध के लिए एतद्वारा अनुमोदित है, जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।''
- 10. एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री वी.एस. पार्थसारथी (डीआईएन: 00125299) की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना: ''संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(2) (जी) के साथ पठित धारा 4(4) के अनुसार, श्री वी.एस. पार्थसारथी को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है, 29 जनवरी, 2022 से 28 जनवरी, 2026 तक 4 (चार) साल की पहली अविध के लिए एतद्वारा अनुमोदित है, जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।''

1

- 11. एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री एम.पी. विजय कुमार (डीआईएन: 05170323) की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना:
 - "संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(2)(जी) के साथ पठित धारा 4(4) के अनुसार, श्री एम.पी. विजय कुमार को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्त के लिए पात्र है, 29 जनवरी, 2022 से 28 जनवरी, 2026 तक 4 (चार) साल की पहली अविध के लिए एतद्वारा अनुमोदित है, जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।"
- 12. एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री संजीव नौटियाल (डीआईएन: 08075972) नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना:
 - "संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(2)(जी) के साथ पठित धारा 4(4) के अनुसार, श्री संजीव नौटियाल को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है, 29 जनवरी, 2022 से 28 जनवरी, 2026 तक 4(चार) साल की पहली अविध के लिए एतद्वारा अनुमोदित है, जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।"
- 13. लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना और उनका पारिश्रमिक तय करना और इस संबंध में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

''संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित भारतीय जीवन बीमा निगम के सामान्य नियम, 1956 के नियम 22, जीवन बीमा निगम सामान्य विनियमनों, 2021 के विनियमन 22 और कुछ समय के लिए लागू अन्य प्रावधानों के अनुसार, निगम निम्नलिखित सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति को लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों और पारिश्रमिक पर अनुमोदित करता है:''

| क्रमांक | लेखा परीक्षक का नाम | सीएजी पैनल संख्या | प्रधान कार्यालय | फर्म पंजीकरण संख्या (एफआरएन) | *शेष कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति (1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी) |
|---------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| 1 | एबीएम एंड एसोसिएट्स एलएलपी | BO1440 | मुंबई | 105016W/ W-100015 | 01 वर्ष |
| 2 | आरजीएन प्राइस एंड कंपनी | MD0018 | चेन्नई | 002785 S | 01 वर्ष |
| 3 | बटलीबोई एंड पुरोहित | BO0004 | मुंबई | 101048 W | 02 वर्ष |
| 4 | एआर एंड कंपनी | CR 3997 | नई दिल्ली | 002744 C | 02 वर्ष |
| 5 | टोडी तुलस्यान एंड कंपनी | ER0043 | पटना | 002180 C | 02 वर्ष |
| 6 | राममूर्ति (एन) एंड कंपनी | HY0008 | हैदराबाद | 002899 S | 03 वर्ष |
| 7 | रे एंड रे | CA 0036 | कोलकाता | 301072E | 03 वर्ष |
| 8 | चोकशी एंड चोकशी एलएलपी | BO 0150 | मुंबई | 101872W/ W100045 | 03 वर्ष |
| 9 | बीसी जैन एंड कंपनी | CR0016 | कानपुर | 001099 C | 04 वर्ष |
| 10 | रमा के गुप्ता एंड कंपनी | CR 0649 | भोपाल | 005005 C | 04 वर्ष |

^{*}नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की अवधि उस वर्ष के लिए एजीएम के समापन की तारीख तक होगी, जिसमें कार्यकल समाप्त हो रहा है।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पिठत भारतीय जीवन बीमा निगम के सामान्य नियम, 1956 के नियम 22 जीवन बीमा निगम सामान्य विनियमनों, 2021 के विनियमन 22 और कुछ समय के लिए लागू अन्य प्रावधानों के अनुसार, निगम के निदेशक मंडल को लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों और पारिश्रमिक के लिए निगम के सांविधिक मंडल लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति के लिए अधिकृत किया जाता है।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निगम के निदेशक मंडल (बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति सहित) को समय-समय पर उन सभी प्रश्नों को निपटाने के लिए अधिकृत किया जाता है जो उपरोक्त प्रस्तावों के संबंध में या प्रासंगिक होने के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं।

विशेष व्यवसाय:

- 14. श्री एम.आर. कुमार (डीआईएन: 03628755) की निगम के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:
 - "संकल्प किया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (ए) के अनुसार, श्री एम.आर. कुमार की नियुक्ति भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी 2022 के तहत यह सूचित करते हुए कि

- गई कि श्री एम.आर. कुमार, निगम के पूर्णकालिक अध्यक्ष का कार्यकाल 13 मार्च, 2023 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया गया है।"
- 15. श्री सुचीन्द्र मिश्र (डीआईएन: 01873568), सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:
 - ''संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (डी) के अनुसार, श्री सुचीन्द्र मिश्र की नियुक्ति भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 04 जुलाई, 2022 के तहत, श्री सुचीन्द्र मिश्र को निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव के साथ और आगे के आदेश तक नियुक्ति की जाती है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया गया है।''
- 16. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री राज कुमार (डीआईएन: 06627311) की नियुक्ति के लिए एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:
 - "संकल्प किया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (सी) के अनुसार, श्री राज कुमार की नियुक्ति भारत सरकार की

अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी, 2022 के तहत यह सूचित करते हुए कि गई कि निगम के प्रबंध निदेशक श्री राज कुमार का कार्यकाल 31 जनवरी, 2023 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया गया है।"

17. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री सिद्धार्थ मोहंती (डीआईएन: 08058830) की नियुक्ति के लिए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (सी) के अनुसार, श्री सिद्धार्थ मोहंती की नियुक्ति भारत सरकार की 20 जनवरी, 2021 की अधिसूचना के तहत, श्री सिद्धार्थ मोहंती को 02 फरवरी, 2021 से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करना और उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक (यानी, 30.06.2023) या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो की गई है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया गया है।"

18. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्रीमती मिनी आईप (डीआईएन: 07791184) की नियुक्ति के लिए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (सी) के अनुसार, श्रीमती मिनी आईप की नियुक्ति भारत सरकार की दिनांक 05 जुलाई, 2021 की अधिसूचना के तहत श्रीमती मिनी आईप को 02 अगस्त, 2021 से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करना और उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि (यानी, 31.08.2023) तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो,की गई है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया गया है।"

19. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री विष्णु चरण पटनायक (डीआईएन: 08384583) की नियुक्ति के लिए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (सी) के अनुसार, श्री बिष्णु चरण पटनायक की नियुक्ति,भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई, 2021 के तहत, श्री बिष्णु चरण पटनायक को 01 अक्टूबर, 2021 से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करना और उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि (यानी, 31.03.2023) तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की गई है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया गया है।"

20. निगम के संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुमोदन के लिए एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमनों, 2015 के विनियमन 23(4) के तहत, कानून के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो और किसी भी संशोधन, संशोधन या पुनर्मूल्यांकन के प्रावधानों के अनुसार हल किया गया (लागू कानून) और भारतीय जीवन बीमा निगम की 'संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने की नीति', जैसा कि समय-समय पर लागू हो, सदस्यों की सहमति, निदेशक मंडल को दी जाती है। (इसके बाद 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसे इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय-समय पर लेखा परीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/ सशक्त किसी भी विधिवत अधिकृत समिति को शामिल करने के लिए समझा जाएगा), में प्रवेश करने और/या अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों को करना और/या जारी रखना (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन या लेनदेन एक साथ या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा), इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान और निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जो पंद्रह महीने से अधिक की अवधि नहीं हैं। ऐसे सभी लेनदेन निगम के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार ₹1,000 करोड़ या वार्षिक समेकित कारोबार का 10% से ज्यादा, जो भी कम हो, या समय-समय पर कानून/विनियमों के तहत लागू होने वाली कोई अन्य भौतिकता सीमा, बशर्ते

कि अनुबंध/व्यवस्था/ लेन-देन एक हाथ की दूरी के आधार पर और निगम के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, अन्य बातों के साथ-साथ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया जाएगा:

| क्र.स. | संबंधित पार्टी का नाम | संबंध की प्रकृति | लेन–देन का प्रकार | लेन–देन का मुल्य (₹ करोड़ में) |
|--------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1 | एलआईसी म्यूचुअल फंड लिमिटेड | एसोसिएट | क्रय | 20,000 |
| 2 | एलआईसी म्यूचुअल फंड लिमिटेड | एसोसिएट | प्रतिदान | 20,000 |

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल, एतट्वारा लागू कानूनों के अनुसार निगम की लेखा परीक्षा समिति और/या निदेशक (ओं) और/या अधिकारी (ओं) को प्रदान की गई अपनी सभी या किसी भी शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत है। ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें और ऐसे दस्तावेजों, लेखों आदि को निष्पादित करना जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे।

बोर्ड के आदेश द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम हेतु

> (पवन अग्रवाल) कंपनी सचिव

सदस्यता संख्याः एफसीएस 7744

केंद्रीय कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम 'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021 दूरभाष. नंबर: 022 – 2202 2079 ईमेल: investors@licindia.com

वेबसाइटः www.licindia.in

नोट:

- 1. कॉपोंरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र (''एमसीए सर्कुलर'') संख्या14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021 और 03/2022 दिनांकित क्रमशः 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 अप्रैल, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 और 5 मई, 2022 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 जारी किए गए परिपत्र (सेबी सर्कुलर) एवं इसके साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियमन, कंपनी अधिनियम, 2013 (लागू सीमा तक), सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमनों, 2015 (सेबी लिस्टिंग विनियमनों) के अनुसरण में निगम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) (इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक साधन के रूप संदर्भित) के माध्यम से अपनी पहली एजीएम आयोजित करने का निर्णय लिया है, अर्थात सदस्यों की शारीरक उपस्थिति के बिना।
- भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के साथ पठित धारा 23ए के अनुसरण में एक व्याख्यात्मक विवरण जो इस नोटिस के मद संख्या 3 से 19 के तहत निर्दिष्ट सामान्य और विशेष व्यवसाय से संबंधित विवरण निर्धारित करता है, इसके साथ संलग्न है।
- अभारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 28 के साथ पढ़े गए एलआईसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक सदस्य को शामिल होने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी को निगम का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह एजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है, सदस्यों की शारीरिक उपस्थित की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए एजीएम स्थल, प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थित पर्ची और रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।
- 4. सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 36(3) के तहत विवरण और निदेशकों के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 28 एवं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक 2 के अनुसार पहली वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की मांग को इस नोटिस के अनुलग्नक-ए के रूप में संलग्न किया गया है जो व्याख्यात्मक विवरण का हिस्सा है। निगम को नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों से प्रासंगिक प्रकटीकरण/सहमित प्राप्त हुई है
- 5. सदस्य एजीएम में वीसी/ओएवीएम मोड में बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक नोटिस में उिल्लखित प्रक्रिया का पालन करके शामिल हो सकते हैं। सदस्य नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर लाइव कार्यवाही देख सकेंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश इस नोटिस की टिप्पणियों का हिस्सा हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थित की गणना एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए के तहत नियमों और विनियमों के साथ पठित और आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक-2 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।
- 6. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा न्यूनतम 1,000 सदस्यों को पहले आओ पहले पाओ के आधार (एफसीएफएस) पर उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम में एफसीएफएस के प्रवेश के कारण बड़े सदस्यों (2% या अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारकों के संबंध में कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। संबंध समिति, लेखा परीक्षक, आदि।
- 7. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों को अपने प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम

- के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत करते हुए बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र, आदि की एक स्कैन की गई प्रमाणित सची प्रति (पीडीएफ प्रारूप) भेजने की आवश्यकता है। उक्त संकल्प/प्राधिकरण संवीक्षक को पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से snaco@snaco.net के साथ evoting@nsdl.co.in पर चिह्नित एक प्रति ईमेल द्वारा भेजा जाए।
- संयुक्त धारकों के मामले में, एक सदस्य जिसका नाम सदस्यों के रिजस्टर के अनुसार उनके नाम के क्रम में प्रथम धारक के रूप में आता है, एजीएम में वोट डालने का हकदार होगा।
- 9. वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते 26 अगस्त, 2022 को कार्य समय की समाप्ति पर निगम/डिपॉजिटरी में पंजीकृत हैं। पहली एजीएम आयोजित करने की सूचना निगम की वेबसाइट www.licindia.in पर अपलोड कर दी गई है और इसे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों के संबंधित अनुभाग से भी देखा जा सकता है। bseindia.com और www.nseindia.com । नोटिस एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

10. लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि:

- ए) एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28 बी और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमनों, 2015 के विनियमन 42 के अनुसार, सदस्य ध्यान दें कि बोर्ड ने 30 मई, 2022 को हुई अपनी बैठक में ₹10 के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹1.50 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश के प्रयोजन के लिए रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 26 अगस्त, 2022 होगी।
- बी) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम लाभांश, एक बार पहली एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, सदस्यों को 26 अक्टूबर, 2022 तक भुगतान किया जाएगा, अर्थात अनुमोदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों/लाभार्थियों को, जिनके सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरी रिकॉर्ड में नाम शुक्रवार, 26 अगस्त, 2022 को कारोबार के घंटों की समाप्ति पर दिखाई देते हैं।
- सी) डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत बैंक विवरण जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते रखते हैं, निगम द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए उपयोग किया जाएगा। बैंक विवरण या बैंक अधिदेश में किसी भी परिवर्तन के लिए डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर निगम कार्रवाई नहीं कर सकता है। अतः डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते और/या बैंक अधिदेश में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को दें और शुक्रवार, 26 अगस्त, 2022 को कार्य समय की समाप्ति के बाद नहीं।
- डी) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे (i) हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति जमा करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) जनादेश को पंजीकृत करें जिसमें सदस्य का नाम, फोलियो नंबर, बैंक विवरण (अर्थात बैंक खाता संख्या) होगा। बैंक और शाखा का नाम और पता, IFSC, MICR विवरण), (ii) पैन कार्ड की एक स्व-सत्यापित प्रति और (iii) निगम के आरटीए को रद्द किया गया चेक पत्ता, einward.ris@kfintech.com पर ईमेल द्वारा।
- ई) जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है, उनके लिए निगम के रिकॉर्ड में दर्ज पते पर निगम किसी अन्य अनुमेय तरीके से (ऐसे सदस्यों को) लाभांश का भुगतान करेगा।

च) वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 से सदस्यों के हाथों में लाभांश आय कर योग्य है और निगम को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, कृपया वित्त अधिनियम, 2020 और उसके संशोधन टेखें।

> एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक और जो आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, उसे पैन के साथ फॉर्म संख्या 15जी/15एच में एक घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

> विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) सहित अनिवासी शेयरधारक भारत और उनके कर निवास वाले देश के बीच कर संधि के तहत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि वे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं अर्थात कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है की घोषणा, लाभकारी स्वामित्व घोषणा, कर निवास प्रमाणपत्र, फॉर्म 10F, कोई अन्य दस्तावेज जो कर संधि लाभों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक हो सकता है

इसके लिए 15 जुलाई, 2022 को उन सदस्यों को एक पत्र भेजा गया था, जिनका ईमेल पता निगम/रजिस्ट्रार/डीपी के पास पंजीकृत था और उनसे शुक्रवार, 26 अगस्त, 2022 को या उससे पहले अपेक्षित जानकारी जमा करने का अनुरोध किया गया था।

- 11. भौतिक शेयरधारिता के संबंध में, कपटपूर्ण लेनदेन को रोकने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी बरतें और अपने पते, टेलीफोन नंबर, ई-मेल आईडी, नामांकित या संयुक्त धारकों में किसी भी परिवर्तन के बारे में रिजस्ट्रार को सूचित करें, जैसा भी मामला हो। शायद। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक भागीदार द्वारा स्थायी खाता संख्या ('पैन') जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी सहभागी को पैन जमा करें, जिसके साथ वे अपने डीमैट खाते का रखरखाव कर रहे हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पैन विवरण रिजस्ट्रार (आरटीए) को प्रस्तुत करे
- 12. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमनों, 2015 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2019 से ट्रांसिमशन या ट्रांसपोजिशन के मामलों को छोड़कर; एक सूचीबद्ध इकाई के शेयरों को केवल डीमैट रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए, शेयरधारकों को अपने हित में शेयरों के हस्तांतरण में परेशानी से बचने और भौतिक शेयरों से जुड़े जोखिमों को खत्म करने के लिए अपनी शेयरधारिता को डीमैटिरियलाइज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सदस्य इस संबंध में रिजस्ट्रार को लिख सकते हैं।
- 13. एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 5ई के साथ पठित जीवन बीमा निगम के सामान्य विनियमनों, 2021 के विनियमन 9 के प्रावधानो, शेयर रखने वाले सदस्य निर्धारित तरीके से एक व्यक्ति को नामित कर सकते हैं, जिसे शेयरों में सभी अधिकार एकमात्र धारक या सभी संयुक्त धारक की मृत्यु की स्थिति में निहित होंगे। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं और भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं।

नोटिस जारी होने की तिथि तक, निगम ने भौतिक रूप में कोई शेयर जारी नहीं किया है।

14. सदस्यों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28सी के तहत, अस्वामिक लाभांश खाते में स्थानांतरण की तारीख से सात साल की अविध के लिए बकाया या दावा न किए गए लाभांश की राशि को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष ('आईईपीएफ') को हस्तांतिरत करना आवश्यक है।

इसके अलावा, सभी शेयर जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए दावा न किए गए/अस्वामिक रहते हैं, उन्हें भी आईईपीएफ प्राधिकरण के नामित डीमैट खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

31 मार्च, 2022 तक आईईपीएफ को हस्तांतरित किए जाने के लिए निगम के पास अस्वामिक या दावा न किए गए लाभांश की कोई राशि नहीं है।

- 15. उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी/आरटीए में पंजीकृत नहीं हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए और इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों की ई-वोटिंग के लिए ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया:
 - (i) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/ mobileemailreg.aspx पर क्लिक करके या फोलियो नंबर के विवरण के साथ पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न कर आरटीए को लिखकर अपने ईमेल पते को einward.ris@ kfintech.com पर पंजीकृत/अपडेट करें।
 - (ii) यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी) einward. ris@kfintech.com पर प्रदान करें। यदि आप एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं जो डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि नीचे बिंदु संख्या 19 चरण 1(ए) में बताई गई लॉगिन विधि देखें। यानी, ई-वोटिंग के लिए लॉगिन और डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्जुअल मीटिंग में शामिल होने की विधि हैं।
 - (iii) वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध कराकर ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
 - (iv) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमित है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।
- 16. एजीएम से पहले/उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग:
 - (i) एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमनों, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा निगम मतदान की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है। एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को 'रिमोट ई-वोटिंग'(एजीएम के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से ई-वोटिंग)। इस उद्देश्य के लिए निगम ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है। एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग का उपयोग कर सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी।
 - (ii) मंगलवार, 20 सितंबर, 2022 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले निगम के सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल जानकरी के उद्देश्य से समझना चाहिए। जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वह व्यक्ति एजीएम से पहले और दौरान रिमोट ई-वोटिंग की

सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। कोई भी गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक या शेयरधारक जो भौतिक रूप में निगम की प्रतिभूतियों को धारण करता है और नोटिस के प्रेषण के बाद निगम का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 20 सितंबर, 2022 को शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

- (iii) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक, जो निगम के शेयरों का अधिग्रहण करते हैं और नोटिस के प्रेषण के बाद निगम के सदस्य बन जाते हैं तथा कट-ऑफ तिथि यानी 20 सितंबर, 2022 को शेयर धारण करते हैं, वे उल्लिखित लॉगिन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं जो नीचे बिंद् 19 में हैं।
- (iv) रिमोट ई-वोटिंग की अविध शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 को 0930 बजे (आईएसटी) पर शुरू होती है और सोमवार, 26 सितंबर, 2022 को 1700 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होती है। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार किसी संकल्प पर सदस्य द्वारा वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तारीख यानी 20 सितंबर, 2022 को निगम की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के हिस्से के अनुमात में होंगे।
- (v) सदस्यों को एजीएम में वीसी कार्यवाही के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे अपने वोट का प्रयोग करने के लिए पात्र होंगे। अध्यक्ष द्वारा घोषणा किए जाने पर ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा के अंत में मतदान का अधिकार होगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा संकल्प (ओं) पर अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, लेकिन ऐसे प्रस्तावों पर अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे। अपेक्षित मतों की प्राप्ति के अधीन, संकल्प बैठक की तिथि अर्थात 27 सितंबर, 2022 को पारित माना जाएगा।
- (vi) एजीएम के दिन रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा बैठक के समापन के 15 मिनट बाद मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- 17. सुश्री अपर्णा गाडगिल (सदस्यता संख्या एसीएस 14713) और उनके विफल होने पर, श्री विश्वनाथन एन.एस. (सदस्यता संख्या एसीएस 61955) मैसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, को निगम के सदस्यों की रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के साथ-साथ एजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। संवीक्षक लागू कानूनों के तहत ई-वोटिंग (एजीएम से पहले/उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोट) की जांच के पूरा होने के बाद, निर्धारित समय के भीतर अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा, जिस पर निगम के शेयर सूचीबद्ध हैं, एवं एनएसडीएल और निगम की वेबसाइट www.licindia.in पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसे निगम के केंद्रीय कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
- 18. सदस्यों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश निम्नानुसार हैं:
 - (i) सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच के लिए बिंदु 19 के तहत नीचे दिए गए चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप निगम के नाम के सामने सामान्य बैठक में शामिल हों मेनू के तहत रखे गए वीसी/ओएवीएम का लिंक

देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि जॉइन जनरल मीटिंग मेन्यू के तहत दिए गए ''वीसी/ओएवीएम लिंक'' पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां निगम का EVEN (121401) प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

- (ii) सदस्य बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट और आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करना होगा। सदस्यों को क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, एमएस एज या फायरफॉक्स के नवीनतम संस्करण की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी गड़बड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
- (iii) सदस्यों को उनके नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/ फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए, अपने पंजीकृत ई-मेल पते से, पहली एजीएम में रखे जाने वाले वितीय विवरणों या किसी अन्य व्यवसाय के संबंध में अपने प्रश्न अग्रिम रूप से licagm_2022@licindia.com पर दिनांक गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 (0930 बजे) से रविवार, 25 सितंबर, 2022 (1700 बजे) तक भेज सकते है। सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्नों का निगम द्वारा उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा
- (iv) सदस्य जो बैठक में एक वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए licagm_2022@licindia.com पर गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 (0930 बजे) से रिववार, 25 सितंबर, 2022 (1700 बजे) के बीच एक अनुरोध भेजकर अपना पूर्वपंजीकरण कर सकते हैं। निगम एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार संरक्षित रखता है।
- (v) जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या भाग लेने के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है, वे श्री संजीव यादव, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल से sanjeevy@nsdl.co.in/ 1800 1020 990 या 1800 224 430 पर संपर्क कर सकते हैं।

19. सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग और वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल होने के निर्देश निम्नानुसार हैं:

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 को 0930 बजे शुरू होती है और सोमवार, 26 सितंबर, 2022 को 1700 बजे समाप्त होती है। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य, जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि (कट-ऑफ तिथि) यानी 20 सितंबर, 2022 को सदस्यों / लाभार्थी मालिकों के रिजस्टर में दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार निगम की चुकता इक्किटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में कट-ऑफ तिथि, 20 सितंबर, 2022 को होगा।

में एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे वोट करूं?

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मत देने के तरीके में दो चरण शामिल हैं जो निम्नानुसार हैं:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच

ए) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्च्अल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

| शेयरधारक का प्रकार | लॉगिन विधि |
|--|--|
| एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | 1. मौजूदा आईडीईएएस उपयोगकर्ता एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट पर जा सकते हैं। https://eservices.nsdl.com या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। ई-सिर्विसेज होम पेज पर ''लॉगिन'' के तहत ''बेनिफिशियल ओनर'' आइकन पर क्लिक करें, जो 'आईडीएएस' सेक्शन के तहत उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के तहत ई-बोटिंग सेवाओं को देख पाएंग। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत एक्सेस टू ई-वोटिंग पर क्लिक करें और अाप ई-वोटिंग पेज देख पाएंग। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अविध के दौरान या क्वुंअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुन: निर्देशित किया जाएगा। 2. यदि आप आईडीई ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। ई-मेल सेवा पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण चुनें या https://eservices.nsdl.com/ SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें: https://www.evoting.nsdl.com/ या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, 'लॉगिन' आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलोगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि रुकेन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायपेक्ट कर दिया जाएगा। 4. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उहिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप ''एनएसडीएल स्पीड' सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। NSDL Mobile App is available on \$\times \text{ App Store} Google Play |
| सीडीएसएल के साथ डीमॅट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक | जिन उपयोगकर्ताओं ने Easi/Easiest का विकल्प चुना है, वे अपने यूजर आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से लॉग-इन कर सकते हैं । ई-वोटिंग पेज तक बिना किसी और प्रमाणीकरण के पहुंचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा । उपयोगकर्ता Easi/Easiest पर लॉग-इन करने के लिए https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login अथवा www.cdslindia.com यूआरएल का उपयोग करें तथा नई प्रणाली Myeasi पर क्लिक करें । Easi/Easiest पर सफल लॉग-इन करने के बाद उपयोगकर्ता ई-वोटिंग मेन्यू का अवलोकन भी कर सकता है। मेन्यू में ई-वोटिंग सेवा प्रदाता, अर्थात् एनएसडीएल की लिंक्स होंगी । अपना वोट देने के लिए एनएसडीएल पर क्लिक करें । यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण के लिए विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है । विकल्पत:, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज में उपलब्ध लिंक से डीमॅट एकाउंट क्रमांक तथा पैन क्रमांक प्रदान कर ई-वोटिंग पेज को सीधे एक्सेस कर सकता है । सिस्टम द्वारा पंजीकृत मोबाईल पर ओटीपी भेजकर तथा डीमॅट एकाउंट में दर्ज किए गए अनुसार ई-मेल भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित किया जाएगा । सफल प्रमाणन के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी, अर्थात् एनएसडीएल के लिए लिंक्स प्रदान की जाएंगी, |

जहां ई-वोटिंग चल रहा है।

व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमॅट रूप में प्रतिभूतियां रखनेवाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉग-इन करते हैं ई-वोटिंग सुविधा के लिए आप एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ अपने पंजीकृत डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमॅट एकाउंट के लॉग-इन प्रत्यय प्रलेखों का उपयोग करते हुए भी लॉग-इन कर सकते हैं। लॉग-इन करने पर आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकते हैं। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साईट को री-डाइरेक्ट किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग चिह्न देख सकेंगे। कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता, अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अविध के दौरान अपना वोट देने के लिए अथवा आभासी बैठक जॉइन करने के लिए अथवा बैठक के दौरान वोट देने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाईट को री-डाइरेक्ट किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी: यूजर आईडी/पासवर्ड रिट्राइव्ह करने में असमर्थ रहे सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त उल्लिखित वेबसाईट पर उपलब्ध फरगेट यूजर आईडी तथा फरगेट पासवर्ड विकल्प का प्रयोग करें ।

डीमॅट रूप में प्रतिभूति रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए डिपॉजिटरी, अर्थात् एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के माध्यम से लॉग-इन संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए सहायता डेस्क

| लॉन-इन प्रकार | सहायता डेस्क विवरण |
|--|---|
| एनएसडीएल के साथ डीमॅट मोड में प्रतिभूतियां | |
| रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक | भेजकर एनएसडीएल सहायता डेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री क्रमांक 1800 1020 990 तथा |
| | 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं । |
| सीडीएसएल के साथ डीमॅट मोड में प्रतिभूतियां | लॉग-इन में किसी तकनीकी कठिनाई का सामना कर रहे सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर |
| रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक | अनुरोध भेजकर सीडीएसएल सहायता डेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री क्रमांक 022-23058738 |
| | अथवा 022-23058542-43 पर कॉल कर सकते हैं । |

बी) डीमॅट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों तथा फिजिकल मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले शेयरधारकों को छोड़कर अन्य शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग तथा आभासी बैठक में सहभाग लेने हेतु लॉग–इन पद्धति

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाईट को कैसे लॉग-इन करें ?

- 1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाईट पर जाएं । पर्सनल कम्प्यूटर अथवा मोबाईल पर निम्न यूआरएल को टाईप करते हुए वेब ब्राउज़र ओपन करें: https://www.evoting.nsdl.com/
- 2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च हो जाने पर, 'शेयरहोल्डर/मेंबर' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध 'लॉग-इन' आयकॉन पर क्लिक करें ।
- 3. एक नई स्क्रीन खुल जाएगी । आपको अपने यूजर आईडी, अपने पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर प्रदर्शित अनुसार वेरिफिकेशन कोड को एन्टर करना होगा ।

विकल्पतः यदि आप एनएसडीएल ई-सर्विसेस, अर्थात् IDEAS के लिए पंजीकृत हैं, आप मौजूदा IDEAS लॉग-इन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं । अपने लॉग-इन क्रेडेन्शियल्स के प्रयोग पश्चात् आपके द्वारा एनएसडीएल ई-सर्विसेस में लॉग-इन करने के बाद, ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप स्टेप 2, अर्थात् 'कास्ट योर वोट इलेक्ट्रॉनिकली' की ओर आगे बढ़ सकते हैं ।

4. आपका यूजर आईडी विवरण नीचे दिया गया है:

| शेयरों को धारण करने का तरीका, अर्थात् डीमॅट (एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल) अथवा फिजिकल | आपका यूजर आईडी है: |
|---|---|
| क) एनएसडीएल के साथ डीमॅट एकाउंट में शेयर्स रखनेवाले सदस्यों के लिए | 8 कॅरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लायन्ट आईडी उदाहरणार्थ: यदि आपका डीपी आईडी IN300*** है और क्लायन्ट आईडी 12***** है, तो आपका यूजर आईडी IN300***12*** है। |
| ख) सीडीएसएल के साथ डीमॅट एकाउंट में शेयर्स रखनेवाले सदस्यों के लिए | 16 डिजिट बेनिफिशियरी आईडी उदाहरणार्थः यदि आपका बेनिफिशियरी आईडी 12******* है, तो आपका यूजर आईडी 12********** है। |
| ग) फिजिकल फॉर्म में शेयर्स रखनेवाले सदस्यों के लिए | इवन नंबर के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरणार्थ: यदि फोलियो नंबर 001*** है और इवन नंबर 101456 है, तो यूजर आईडी 101456001*** |

- 5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों का पासवर्ड विवरण निम्न दिया गया है :
 - क) यदि आप ई-वोटिंग के लिए पहले से पंजीकृत हैं, तो आप अपना मौजूदा पासवर्ड के प्रयोग से लॉग-इन कर सकते हैं और अपना वोट दे सकते हैं।
 - ख) यदि आप एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली का उपयोग पहली बार कर रहे हैं, तो आपको पूर्व में सूचित 'प्रारंभिक पासवर्ड' को रिट्राइव करना आवश्यक होगा । आपके द्वारा 'प्रारंभिक पासवर्ड' रिट्राइव किए जाने के बाद, आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' एन्टर करना आवश्यक होगा और सिस्टम आपको पासवर्ड को बदलने के लिए बाध्य करेगी ।
 - ग) आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे रिट्राइव करें ?
 - (i) यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमॅट एकाउंट में अथवा कंपनी के साथ पंजीकृत है, आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपके ई-मेल आईडी पर सूचित किया जाता है । एनएसडीएल द्वारा आपको भेजा गया ई-मेल अपने मेलबॉक्स से ट्रेस करें । ई-मेल को खोलें

और ॲंटैचमेंट अर्थात्, a.pdf file को खोलें। पीडीएफ फाईल खोलें। एनएसडीएल एकाउंट के लिए .पीडीएफ फाईल को खोलने के लिए पासवर्ड आपका 8 डिजिट क्लायन्ट आईडी, सीडीएसएल एकाउंट के लिए क्लायन्ट आईडी के अंतिम 8 डिजिट अथवा फिजिकल फॉर्म में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो क्रमांक है। पीडीएफ फाईल में आपका 'यूजर आईडी' तथा आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' अंतर्विष्ट है।

- (ii) यदि आपका ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए बनाए गए निम्न उल्लिखित चरणों का पालन करें, जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं।
- 6. यदि आप पासवर्ड को रिट्राइव करने में असमर्थ रहे हैं अथवा आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं हुआ है अथवा आप पासवर्ड भूल गए हैं:
 - क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ऑप्शन 'फॉरगॉट यूजर डिटेल्स / पासवर्ड?' (यदि आपने एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के साथ अपने डीमॅट एकाउंट में शेयर्स रखे हैं) पर क्लिक करें
 - ख) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ऑप्शन 'फिजिकल यूजर रीसेट पासवर्ड?' (यदि आपके पास फिजिकल मोड में शेयर्स हैं) पर क्लिक करें
 - ग) यदि आप उक्त दोनों विकल्पों के द्वारा अभी भी पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो आप अपने डीमॅट एकाउंट क्रमांक/फोलियो क्रमांक, अपने पैन, अपने नाम तथा आपके पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
 - घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट देने के लिए ओटीपी (वन टाईम पासवर्ड) आधारित लॉग-इन का भी प्रयोग कर सकते हैं।
- 7. पासवर्ड एन्टर करने के बाद, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करते हुए 'ॲग्री टू टर्म्स एण्ड कंडिशन्स' पर टिक करें।
- 8. अब, आपको 'लॉग-इन' बटन पर क्लिक करना होगा ।
- 9. 'लॉग-इन' बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा ।

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर जनरल मीटिंग जॉइन करें।

इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर जनरल मीटिंग कैसे जॉइन करें ?

- 1. स्टेप 1 में सफलतापूर्वक लॉग-इन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों के 'इवन' को देख पाएंगे, जिनमें आपके शेयर्स हैं और जिनकी वोटिंग साइकल और जनरल मीटिंग एक्टिव्ह स्टेटस में है।
- 2. उस कंपनी के लिए 'इवन' सिलेक्ट करें, जिसे आप रिमोट ई-बोटिंग अविध के दौरान तथा जनरल मीटिंग के दौरान अपना वोट देना चाहते हैं । आभासी मीटिंग जॉईन करने के लिए, आपको 'जॉईन जनरल मीटिंग' के अंतर्गत दी गई लिंक 'VC/OAVM' पर क्लिक करना होगा ।
- 3. अब जैसे ही वोटिंग पेज खुल जाता है, आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
- 4. आप जिसे वोट देने के इच्छुक हैं, उसे यथोचित विकल्पों, अर्थात् अनुमित अथवा असहमित, जॉचना/संशोधित द नंबर ऑफ शेयर्स को सिलेक्ट करते हुए वोट दें और 'सबिमट' पर क्लिक करें और प्रॉम्प्ट किए जाने पर 'कन्फर्म' भी करें।
- 5. कन्फर्म करने के उपरांत 'वोट कास्ट सक्सेसफुली' का संदेश प्रदर्शित होगा ।
- 6. आप कन्फर्मेशन पेज पर उपलब्ध प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने द्वारा दिए गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के दौरान ई-वोटिंग हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं:

- (i) एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए उक्त उल्लिखित निर्देशों के समान है।
- (ii) केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिनके द्वारा रेजोल्युशन्स पर अपने वोट रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा नहीं दिए गए हैं, और जिन्हें अन्यथा ऐसा करने से नहीं रोका गया है, एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के लिए पात्र होंगे ।
- (iii) वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट दिए हैं, एजीएम में उपस्थित रहने के लिए पात्र होंगे । तथापि, वे एजीएम में वोट देने के लिए पात्र नहीं होंगे ।
- (iv) ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी शिकायत हेतु संपर्क करने-योग्य व्यक्ति का विवरण और रिमोट ई-वोटिंग हेतु उल्लिखित व्यक्ति का विवरण समान होगा ।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश:

- (i) अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करने और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की कडी सलाह दी जाती है। सही पासवर्ड को की-इन करने के पांच असफल प्रयासों के बाद ई-वोटिंग वेबसाईट का लॉग-इन डिसेबल हो जाएगा। ऐसी घटना में, आपको पासवर्ड को रिसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प Forgot User Details/Password? अथवा 'Physical User Reset Password?' पर जाना आवश्यक होगा।
- (ii) कोई भी प्रश्न होने पर, आप www.evoting.nsdl.com के डाऊनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए फ्रीक्वेन्टली आस्वड क्वेश्वन्स (FAQs) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा टोल फ्री क्रमांक: 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं अथवा एनएसडीएल के सहायक प्रबन्धक श्री संजीव यादव को निर्दिष्ट ई-मेल आईडी: sanjeevy@nsdl.co.in तथा/अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध प्रेषित कर सकते हैं ।

भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 28 के अनुसार व्याख्यातमक विवरण:

मद क्र.3

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28बी के अनुसार, निगम के निदेशक मण्डल ने 30 मई, 2022 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में ₹10/- प्रत्येक की फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए ₹1.50 के अंतिम लाभांश की अनुशंसा वार्षिक सामान्य बैठक में निगम के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन की है। यह 15% के लाभांश भुगतान अनुपात में तब्दील हो जाता है। यह 30 मई, 2022 को स्टॉक एक्सचेंज को बताया गया था।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोटिस के मद क्र.3 के अंतर्गत दिए गए प्रस्ताव को अपनाएं ।

मद क्र.4

डॉ. रंजन शर्मा को 29 अक्टूबर 2021 से निगम के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5 के साथ एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 4(2)(जी) व अन्य सभी लागू प्रावधानों के अंतर्गत छह महीने की पहली अविध के लिए नियुक्त किया गया था । निगम के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनका पहला कार्यकाल 28 अप्रैल, 2022 को समाप्त हुआ ।

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5(1) में यह प्रावधान है कि पहले तीन स्वतंत्र निदेशक के अलावा बाकी सभी निदेशक चार साल की अविध के लिए पद धारण करेंगे एवं निगम के सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल के एक और कार्यकाल के लिए पात्र होगें। निगम के पहले तीन स्वतंत्र निदेशकों का पहला कार्यकाल 1956 की धारा 4(2)(जी) के तहत छह महीने के लिए होगा।

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने डॉ. रंजन शर्मा को चार साल के दूसरे कार्यकाल के लिए निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करने की अनुशंसा की। एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, और निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. रंजन शर्मा द्वारा किए गए कौशल, पृष्ठभूमि, अनुभव, ज्ञान और योगदान पर विचार करते हुए और प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, बोर्ड द्वारा डॉ. रंजन शर्मा को निगम में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 अप्रैल, 2022 से प्रभावी लगातार चार वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए पद धारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई। एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए(1) के संदर्भ में, बोर्ड के पास भी उस समय एजीएम का अधिकार था। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा पहली और दूसरी अवधि के लिए डॉ. रंजन शर्मा की नियुक्ति को पहली एजीएम में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

डॉ. रंजन शर्मा एलआईसी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमनों, सेबी लिस्टिंग विनियमनों और आईआरडीएआई दिशानिर्देशों (लागू सीमा तक) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4ए के संदर्भ में अयोग्य नहीं हैं। । उन्होंने एलआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमित प्रदान की है। इसके अलावा, उन्होंने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(5) के संदर्भ में निगम के निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों या प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना के रूप में कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होने की भी घोषणा की है।

सेबी सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 36 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के संदर्भ में डॉ. रंजन शर्मा का संक्षिप्त विवरण इस नोटिस के साथ संलग्न है।

डॉ. रंजन शर्मा और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, अन्य कोई भी निदेशक, निगम के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 4 में निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने से संबंधित रुचि नहीं रखते हैं।

अतः सदस्यों से अनुरोध है कि डॉ. रंजन शर्मा को निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 4 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 5

श्री विनोद कुमार वर्मा को 29 अक्टूबर, 2021 से निगम के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में जीवन बीमा निगम सामान्य नियम , 1956 के नियम 5 के साथ एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 4(2)(जी) व अन्य सभी लागू प्रावधानों के अंतर्गत छह महीने की पहली अविध के लिए नियुक्त किया गया था । निगम के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनका पहला कार्यकाल 28 अप्रैल, 2022 को समाप्त हुआ ।

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5(1) में यह प्रावधान है कि पहले तीन स्वतंत्र निदेशक के अलावा बाकी सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल की अविध के लिए पद धारण करेंगे एवं निगम के सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल के एक और कार्यकाल के लिए पात्र होगें। निगम के पहले तीन स्वतंत्र निदेशकों का पहला कार्यकाल 1956 की धारा 4(2)(जी) के तहत छह महीने के लिए होगा।

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने श्री विनोद कुमार वर्मा को चार साल के दूसरे कार्यकाल के लिए निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करने की अनुशंसा की। एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, और निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री विनोद कुमार वर्मा द्वारा किए गए कौशल, पृष्ठभूमि, अनुभव, ज्ञान और योगदान पर विचार करते हुए और प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, बोर्ड द्वारा श्री विनोद कुमार वर्मा को निगम में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 अप्रैल 2022 से प्रभावी लगातार चार वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए पद धारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई। एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए(1) के संदर्भ में, बोर्ड के पास भी उस समय एजीएम का अधिकार था। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा पहली और दूसरी अवधि के लिए श्री विनोद कुमार वर्मा की नियुक्ति को पहली एजीएम में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

श्री विनोद कुमार वर्मा एलआईसी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमनों, सेबी लिस्टिंग विनियमनों और आईआरडीएआई दिशानिर्दे शों (लागू सीमा तक) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के संदर्भ में अयोग्य नहीं हैं । उन्होंने एलआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। इसके अलावा, उन्होंने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(5) के संदर्भ में निगम के निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों या प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना के रूप में कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होने की भी घोषणा की है।

सेबी सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 36 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के संदर्भ में श्री विनोद कुमार वर्मा का संक्षिप्त विवरण इस नोटिस के साथ संलग्न है।

श्री विनोद कुमार वर्मा और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, अन्य कोई भी निदेशक, निगम के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 5 में निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने से संबंधित रुचि नहीं रखते हैं।

अतः सदस्यों से अनुरोध है कि श्री विनोद कुमार वर्मा को निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 5 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 6

प्रो. अनिल कुमार को 20 जनवरी, 2022 से निगम के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5 के साथ एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 4(2)(जी) व अन्य सभी लागू प्रावधानों के अंतर्गत छह महीने की पहली अविध के लिए नियुक्त किया गया था । निगम के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनका पहला कार्यकाल 19 जुलाई, 2022 को समाप्त हआ।

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5(1) में यह प्रावधान है कि पहले तीन स्वतंत्र निदेशक के अलावा बाकी सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल की अविध के लिए पद धारण करेंगे एवं निगम के सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल के एक और कार्यकाल के लिए पात्र होगें। निगम के पहले तीन स्वतंत्र निदेशकों का पहला कार्यकाल 1956 की धारा 4(2)(जी) के तहत छह महीने के लिए होगा।

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने प्रो. अनिल कुमार को चार साल के दूसरे कार्यकाल के लिए निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करने की अनुशंसा की। एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, और निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में प्रो अनिल कुमार द्वारा किए गए कौशल, पृष्ठभूमि, अनुभव, ज्ञान और योगदान पर विचार करते हुए और प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, बोर्ड द्वारा प्रो. अनिल कुमार को निगम में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 20 जुलाई, 2022 से प्रभावी लगातार चार वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए पद धारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई। एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए(1) के संदर्भ में, बोर्ड के पास भी उस समय एजीएम का अधिकार था। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा पहली और दूसरी अवधि के लिए प्रोफेसर अनिल कुमार की नियुक्ति को पहली एजीएम में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

प्रो. अनिल कुमार एलआईसी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमनों, सेबी लिस्टिंग विनियमनों और आईआरडीएआई दिशानिर्देशों (लागू सीमा तक) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के संदर्भ में अयोग्य नहीं हैं। । उन्होंने एलआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमित प्रदान की है। इसके अलावा, उन्होंने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(5) के संदर्भ में निगम के निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों या प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना के रूप में कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होने की भी घोषणा की है।

सेबी सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 36 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के संदर्भ में प्रो. अनिल कुमार का संक्षिप्त विवरण इस नोटिस के साथ संलग्न है।

प्रो. अनिल कुमार और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, अन्य कोई भी निदेशक, निगम के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 6 में निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने से संबंधित रुचि नहीं रखते हैं।

अतः सदस्यों से अनुरोध है कि प्रो. अनिल कुमार को निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 6 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 7

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक सिमित (एनआरसी) ने श्रीमती अंजुली चिब दुगाल को चार साल के कार्यकाल हेतु निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की। एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, और निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती अंजुली चिब दुगाल द्वारा किए गए कौशल, पृष्ठभूमि, अनुभव, ज्ञान और योगदान पर विचार करते हुए और प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, बोर्ड द्वारा श्रीमती अंजुली चिब दुगाल को निगम में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 से प्रभावी लगातार चार वर्षों के कार्यकाल के लिए पद धारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई। एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए(1) के संदर्भ में, बोर्ड के पास भी उस समय एजीएम का अधिकार था। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा पहली अविध के लिए श्रीमती अंजुली चिब दुगाल की नियुक्ति को पहली एजीएम में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5(1) में यह प्रावधान है कि पहले तीन स्वतंत्र निदेशक के अलावा बाकी सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल की अविध के लिए पद धारण करेंगे एवं निगम के सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल के एक और कार्यकाल के लिए पात्र होगें। निगम के पहले तीन स्वतंत्र निदेशकों का पहला कार्यकाल 1956 की धारा 4(2)(जी) के तहत छह महीने के लिए होगा।

श्रीमती अंजुली चिब दुगल एलआईसी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमनों, सेबी लिस्टिंग विनियमनों और आईआरडीएआई दिशानिर्देशों (लागू सीमा तक) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के सभी मानदंडों को पूरा करती हैं और एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के संदर्भ में अयोग्य नहीं हैं। । उन्होंने एलआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। इसके अलावा, उन्होंने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(5) के संदर्भ में निगम के निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों

या प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना के रूप में कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होने की भी घोषणा की है।

सेबी सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 36 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के संदर्भ में श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल का संक्षिप्त विवरण इस नोटिस के साथ संलग्न है।

श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, अन्य कोई भी निदेशक, निगम के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 7 में निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने से संबंधित रुचि नहीं रखते हैं।

अत: सदस्यों से अनुरोध है कि श्रीमती अंजुली चिब दुगाल को निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 7 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 8

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने श्री गुरुमूर्ति महालिंगम को चार साल के कार्यकाल हेतु निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की। एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, और निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री गुरुमूर्ति महालिंगम द्वारा किए गए कौशल, पृष्ठभूमि, अनुभव, ज्ञान और योगदान पर विचार करते हुए और प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, बोर्ड द्वारा श्री गुरुमूर्ति महालिंगम को निगम में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 से प्रभावी लगातार चार वर्षों के कार्यकाल के लिए पद धारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई। एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए(1) के संदर्भ में, बोर्ड के पास भी उस समय एजीएम का अधिकार था। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा पहली अवधि के लिए श्री गुरुमूर्ति महालिंगम की नियुक्ति को पहली एजीएम में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5(1) में यह प्रावधान है कि पहले तीन स्वतंत्र निदेशक के अलावा बाकी सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल की अविध के लिए पद धारण करेंगे एवं निगम के सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल के एक और कार्यकाल के लिए पात्र होगें। निगम के पहले तीन स्वतंत्र निदेशकों का पहला कार्यकाल 1956 की धारा 4(2)(जी) के तहत छह महीने के लिए होगा।

श्री गुरुमूर्ति महालिंगम एलआईसी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमनों, सेबी लिस्टिंग विनियमनों और आईआरडीएआई दिशानिर्देशों (लागू सीमा तक) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के संदर्भ में अयोग्य नहीं हैं। उन्होंने एलआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। इसके अलावा, उन्होंने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(5) के संदर्भ में निगम के निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों या प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना के रूप में कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होने की भी घोषणा की है।

सेबी सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 36 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के संदर्भ में श्री गुरुमूर्ति महालिंगम का संक्षिप्त विवरण इस नोटिस के साथ संलग्न है।

श्री गुरुमूर्ति महालिंगम और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, अन्य कोई भी निदेशक, निगम के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 8 में निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने से संबंधित रुचि नहीं रखते हैं।

अतः सदस्यों से अनुरोध है कि श्री गुरुमूर्ति महालिंगम को निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 8 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 9

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने श्री राज कमल को चार साल के कार्यकाल हेतु निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की। एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, और निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री राज कमल द्वारा किए गए कौशल, पृष्ठभूमि, अनुभव, ज्ञान और योगदान पर विचार करते हुए और प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, बोर्ड द्वारा श्री राज कमल को निगम में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 से प्रभावी लगातार चार वर्षों के कार्यकाल के लिए पद धारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई। एलआईसी अधिनयम, 1956 की धारा 23ए(1) के संदर्भ में, बोर्ड के पास भी उस समय एजीएम का अधिकार था। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा पहली अविध के लिए श्री राज कमल की नियुक्ति को पहली एजीएम में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5(1) में यह प्रावधान है कि पहले तीन स्वतंत्र निदेशक के अलावा बाकी सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल की अविध के लिए पद धारण करेंगे एवं निगम के सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल के एक और कार्यकाल के लिए पात्र होगें। निगम के पहले तीन स्वतंत्र निदेशकों का पहला कार्यकाल 1956 की धारा 4(2)(जी) के तहत छह महीने के लिए होगा।

श्री राज कमल एलआईसी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमनों, सेबी लिस्टिंग विनियमनों और आईआरडीएआई दिशानिर्देशों (लागू सीमा तक) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के संदर्भ में अयोग्य नहीं हैं। । उन्होंने एलआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमित प्रदान की है। इसके अलावा, उन्होंने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(5) के संदर्भ में निगम के निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों या प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना के रूप में कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होने की भी घोषणा की है।

सेबी सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 36 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के संदर्भ में श्री राज कमल का संक्षिप्त विवरण इस नोटिस के साथ संलग्न है।

श्री राज कमल और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, अन्य कोई भी निदेशक, निगम के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 9 में निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने से संबंधित रुचि नहीं रखते हैं।

अतः सदस्यों से अनुरोध है कि श्री राज कमल को निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 9 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 10

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने श्री वी.एस.पार्थसारथी को चार साल के कार्यकाल हेतु निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की। एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, और निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री वी.एस.पार्थसारथी द्वारा किए गए कौशल, पृष्ठभूमि, अनुभव, ज्ञान और योगदान पर विचार करते हुए और प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, बोर्ड द्वारा श्री वी.एस.पार्थसारथी को निगम में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 से प्रभावी लगातार चार वर्षों के कार्यकाल के लिए पद धारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई। एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए(1) के संदर्भ में, बोर्ड के पास भी उस समय एजीएम का अधिकार था। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा पहली अवधि के लिए श्री वी.एस.पार्थसारथी की नियुक्ति को पहली एजीएम में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5(1) में यह प्रावधान है कि पहले तीन स्वतंत्र निदेशक के अलावा बाकी सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल की अविध के लिए पद धारण करेंगे एवं निगम के सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल के एक और कार्यकाल के लिए पात्र होगें। निगम के पहले तीन स्वतंत्र निदेशकों का पहला कार्यकाल 1956 की धारा 4(2)(जी) के तहत छह महीने के लिए होगा।

श्री वी.एस.पार्थसारथी एलआईसी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमनों, सेबी लिस्टिंग विनियमनों और आईआरडीएआई दिशानिदशों (लागू सीमा तक) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के संदर्भ में अयोग्य नहीं हैं। । उन्होंने एलआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमित प्रदान की है। इसके अलावा, उन्होंने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(5) के संदर्भ में निगम के निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों या प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना के रूप में कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होने की भी घोषणा की है।

सेबी सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 36 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के संदर्भ में श्री वी.एस.पार्थसारथी का संक्षिप्त विवरण इस नोटिस के साथ संलग्न है।

श्री वी.एस.पार्थसारथी और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, अन्य कोई भी निदेशक, निगम के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 10 में निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने से संबंधित रुचि नहीं रखते हैं।

अतः सदस्यों से अनुरोध है कि श्री वी.एस.पार्थसारथी को निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 10 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 11

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने श्री एम.पी. विजय कुमार को चार साल के कार्यकाल हेतु निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की। एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, और निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री एम.पी. विजय कुमार द्वारा किए गए कौशल, पृष्ठभूमि, अनुभव, ज्ञान और योगदान पर विचार करते हुए और प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, बोर्ड द्वारा श्री एम.पी. विजय कुमार को निगम में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 से प्रभावी लगातार चार वर्षों के कार्यकाल के लिए पद धारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई। एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 ए (1) के संदर्भ में, बोर्ड के पास भी उस समय एजीएम का अधिकार था। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा पहली अवधि के लिए श्री एम.पी. विजय कुमार की नियुक्ति को पहली एजीएम में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5(1) में यह प्रावधान है कि पहले तीन स्वतंत्र निदेशक के अलावा बाकी सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल की अविध के लिए पद धारण करेंगे एवं निगम के सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल के एक और कार्यकाल के लिए पात्र होगें। निगम के पहले तीन स्वतंत्र निदेशकों का पहला कार्यकाल 1956 की धारा 4(2)(जी) के तहत छह महीने के लिए होगा।

श्री एम.पी. विजय कुमार एलआईसी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमनों, सेबी लिस्टिंग विनियमनों और आईआरडीएआई दिशानिर्देशों (लागू सीमा तक) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के संदर्भ में अयोग्य नहीं हैं। उन्होंने एलआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। इसके अलावा, उन्होंने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(5) के संदर्भ में निगम के निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों या प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना के रूप में कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होने की भी घोषणा की है।

सेबी सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 36 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के संदर्भ में श्री एम.पी. विजय कुमार का संक्षिप्त विवरण इस नोटिस के साथ संलग्न है।

श्री एम.पी. विजय कुमार और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, अन्य कोई भी निदेशक, निगम के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 11 में निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने से संबंधित रुचि नहीं रखते हैं।

अतः सदस्यों से अनुरोध है कि श्री एम.पी. विजय कुमार को निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 11 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 12

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने श्री संजीव नौटियाल को चार साल के कार्यकाल हेतु निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की। एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, और निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप श्री संजीव नौटियाल द्वारा किए गए कौशल, पृष्ठभूमि, अनुभव, ज्ञान और योगदान पर विचार करते हुए और प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, बोर्ड द्वारा श्री संजीव नौटियाल को निगम में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 से प्रभावी लगातार चार वर्षों के कार्यकाल के लिए पद धारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई। एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 ए (1) के संदर्भ में, बोर्ड के पास भी उस समय एजीएम का अधिकार था। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा पहली अविध के लिए श्री संजीव नौटियाल की नियुक्ति को पहली एजीएम में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5(1) में यह प्रावधान है कि पहले तीन स्वतंत्र निदेशक के अलावा बाकी सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल की अविध के लिए पद धारण करेंगे एवं निगम के सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल के एक और कार्यकाल के लिए पात्र होगें। निगम के पहले तीन स्वतंत्र निदेशकों का पहला कार्यकाल 1956 की धारा 4(2)(जी) के तहत छह महीने के लिए होगा।

श्री संजीव नौटियाल एलआईसी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमनों, सेबी लिस्टिंग विनियमनों और आईआरडीएआई दिशानिर्देशों (लागू सीमा तक) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के संदर्भ में अयोग्य नहीं हैं। । उन्होंने एलआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमित प्रदान की है। इसके अलावा, उन्होंने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(5) के संदर्भ में निगम के निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों या प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना के रूप में कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होने की भी घोषणा की है।

सेबी सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 36 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के संदर्भ में श्री संजीव नौटियाल का संक्षिप्त विवरण इस नोटिस के साथ संलग्न है।

श्री संजीव नौटियाल और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, अन्य कोई भी निदेशक, निगम के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 12 में निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने से संबंधित रुचि नहीं रखते हैं। अत: सदस्यों से अनुरोध है कि श्री संजीव नौटियाल को निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 12 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 13

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 22 और जीवन बीमा निगम सामान्य विनियमनों, 2021 के विनियमन 22 और सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के प्रावधानों के अनुसार व सांविधिक मंडल लेखा परीक्षकों हेतु, निगम के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति को एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। लेखा परीक्षा समिति की अनुशंसा पर सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए नियम और अन्य नियम और शर्तों और पारिश्रमिक को अनुमोदित करने के लिए बोर्ड निदेशकों को अधिकृत करने का प्रस्ताव है। एससीए के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित फमोंं के नाम एजीएम नोटिस के मद संख्या 13 के तहत निहित प्रस्ताव में दिए गए हैं।

इसके अलावा, एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार निगम के सांविधिक मंडल लेखा परीक्षकों (एसडीए) की नियुक्ति और/या पुनर्नियुक्ति के लिए बोर्ड निदेशकों को अधिकृत करने व लेखा परीक्षा समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति के लिए उनके नियम और शर्तों और पारिश्रमिक का अनुमोदन का भी प्रस्ताव है।

निगम का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार उक्त प्रस्ताव में किसी भी तरह से वित्तीय या अन्यथा संबंध या रुचि नहीं रखते हैं।

तदनुसार निगम के बोर्ड निदेशक द्वारा सदस्यों के अनुमोदन हेतु इस नोटिस के मद संख्या 13 के अंतर्गत सामान्य संकल्प को पारित करने की अनुशंसा की जाती है।

मद संख्या 14

भारत सरकार द्वारा 14 मार्च, 2019 को अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री एम. आर. कुमार को अधिवर्षिता प्राप्त होने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

इसके बाद, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 09 जून, 2021 के माध्यम से अध्यक्ष श्री एम.आर. कुमार का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया।

वित्त विधेयक, 2021 के माध्यम से भारत सरकार ने एलआईसी अधिनियम, 1956 में संशोधन किया और संशोधित अधिनियम के प्रावधान 30 जून 2021 से लागू हो गए हैं। एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (ए) के अनुसार, श्री एम.आर. कुमार को निगम के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में फिर से नामित किया गया है। भारत सरकार ने 30 जनवरी, 2022 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से अध्यक्ष के कार्यकाल को एक वर्ष की और अवधि के लिए, अर्थात 13 मार्च, 2023 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया है।

श्री एम.आर. कुमार ने विज्ञान संकाय, मद्रास विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने सितंबर 2015 में भारतीय बीमा संस्थान द्वारा आयोजित लाइसेंसीएट परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। वे वर्ष 1983 में एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में निगम में शामिल हुए व श्री कुमार के पास बीमा क्षेत्र में बहुमूल्य अनुभव है। इससे पहले, यह निगम के दक्षिण, उत्तर-मध्य और उत्तरी क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रबंधक रहे है व कार्मिक और पेंशन एवं समृह योजना विभाग का भी नेतृत्व किया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमनों, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, श्री एम.आर. कुमार की नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति लेने के लिए एजीएम नोटिस के मद संख्या 14 के तहत निहित संकल्प को पारित करना प्रस्तावित है।

श्री एम.आर. कुमार और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कोई अन्य निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 14 के तहत निहित प्रस्ताव से संबंध या इसमें रुचि नहीं रखते हैं।

तदनुसार बोर्ड द्वारा एजीएम नोटिस के मद संख्या 14 के अंतर्गत सामान्य संकल्प को पारित करने की अनुशंसा की जाती है।

मद संख्या 15

भारत सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक 04 जुलाई, 2022 के माध्यम से श्री सुचीन्द्र मिश्र को अगले आदेश तक निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री सुचीन्द्र मिश्र, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में अतिरिक्त सिवव हैं। वह भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 1992 बैच से हैं और उन्होंने रक्षा लेखा विभाग के भीतर विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में उप सिवव / निदेशक के रूप में और व्यय विभाग में और वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सिवव के रूप में भी कार्य किया है। वह दिल्ली विश्वविद्यालय और एक्सएलआरआई–जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जमशेदपुर के पूर्व छात्र हैं।

सेबी (एलओडीआर) विनियमनों, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, श्री सुचीन्द्र मिश्र की नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति लेने हेतु एजीएम नोटिस के मद संख्या 15 के तहत निहित संकल्प को पारित करना प्रस्तावित है।

श्री सुचीन्द्र मिश्र और उनके रिश्तेदारों और भारत सरकार को छोड़कर, जो निगम में एक प्रमुख शेयरधारक हैं, कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 15 के तहत निहित संकल्प में संबंध या रुचि नहीं रखते हैं।

तदनुसार बोर्ड द्वारा एजीएम नोटिस के मद संख्या 15 के अनर्गत सामान्य संकल्प को पारित करने की अनुशंसा की जाती है।

मद संख्या 16

भारत सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक 01 नवंबर, 2019 के माध्यम से श्री राज कुमार को 01 नवंबर, 2019 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

इसके बाद, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी, 2022 के माध्यम से श्री राज कुमार का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि अर्थात 31 जनवरी, 2023 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया। श्री राज कुमार ने डीएवी कॉलेज, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जालंधर, पंजाब से विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वह वर्ष 1984 में एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में निगम में शामिल हुए और उन्हें बीमा क्षेत्र में बहुमूल्य अनुभव है। उन्होंने एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबंधक, मध्य श्रेत्र व कार्यकारी निदेशक (संपत्ति और कार्यालय सेवाएं) मुंबई भी रहे है। श्री राजकुमार ने निगम के गोरखपुर और जयपुर संभागों के विरष्ठ मंडल प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमनों, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, श्री राज कुमार की नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति लेने के लिए एजीएम नोटिस के मद संख्या 16 के तहत निहित संकल्प को पारित करना प्रस्तावित है।

श्री राज कुमार और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कोई अन्य निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 16 के तहत निहित प्रस्ताव से संबंध या इसमें रुचि नहीं रखते हैं।

तदनुसार बोर्ड द्वारा एजीएम नोटिस के मद संख्या 16 के अतंर्गत सामान्य संकल्प को पारित करने की अनुशंसा की जाती है।

मद संख्या 17

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी, 2021 के द्वारा श्री सिद्धार्थ मोहंती को 02 फरवरी, 2021 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया।

श्री सिद्धार्थ मोहंती के पास उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा से कानून में स्नातक की डिग्री और राजनीति विज्ञान में परास्नातक की डिग्री है। उन्होंने जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर, ओडिशा से व्यवसाय प्रबंधन पर स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया है। उन्होंने नवंबर 2002 में भारतीय बीमा संस्थान द्वारा आयोजित लाइसेंसियट परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। उन्होंने पहले एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सीओओ और सीईओ के रूप में कार्य किया है और रायपुर और कटक के विरष्ठ मंडल प्रबंधक, प्रमुख (विधि), प्रमुख (निवेश – निगरानी और लेखा), कार्यकारी निदेशक (विधि), अन्य जैसे कई अन्य पदों पर कार्य किया है। प्रमुख (विधि), मुंबई के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, निगम ने लीगल एरा अवाईस 2013–14 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ बीमा इन–हाउस लीगल टीम पुरूसकार जीता। वह वर्ष 1985 में एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में हमारे निगम में शामिल हुए और उन्हें बीमा क्षेत्र में बहमूल्य अनुभव है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमनों, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, श्री सिद्धार्थ मोहंती की नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति लेने के लिए एजीएम नोटिस में निहित मद संख्या 17 के तहत संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव है

श्री सिद्धार्थ मोहंती और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कोई अन्य निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 17 के तहत निहित संकल्प से संबंध या रुचि नहीं रखते हैं।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 17 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 18

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई, 2021 के द्वारा श्रीमती मिनी आईप को 02 अगस्त, 2021 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया।

श्रीमती मिनी आईप ने वाणिज्य और प्रबंधन अध्ययन संकाय, आंध्र विश्वविद्यालय से वाणिज्य में परास्नातक डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित) से बोर्ड के सदस्यों हेतु आईटी और साइबर सुरक्षा में प्रमाणपत्र कार्यक्रम भी पूरा किया है। वह वर्ष 1986 में एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में निगम में शामिल हुई और उन्हें बीमा क्षेत्र में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त है। इससे पहले, वह एलआईसीएचएफएल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की सीईओ भी थीं और उन्होंने निगम के अंतरराष्ट्रीय संचालन का नेतृत्व किया है। इससे पहले, वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शेयरधारक निदेशक भी थीं। उन्हें एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल वेल्थ मैनेजमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2020 में मवित्त में भारत की शीर्ष 100 महिलाओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमनों, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, श्रीमती मिनी आईप की नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति लेने के लिए एजीएम नोटिस में निहित मद संख्या 18 के तहत संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव है। श्रीमती मिनी आईप और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कोई अन्य निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 18 के तहत निहित संकल्प से संबंध या रुचि नहीं रखते हैं।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 18 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 19

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई, 2021 के द्वारा श्री बिष्णु चरण पटनायक को 01 अक्तूबर, 2021 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया।

श्री बिष्णु चरण पटनायक के पास उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा से राजनीति विज्ञान में स्नातक और परास्नातक डिग्री है। वह भारतीय बीमा संस्थान के फेलो भी हैं। वह बीमा परिषद के शासी निकाय के महासचिव थे। वह वर्ष 1985 में एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में निगम में शामिल हुए और उन्हें बीमा क्षेत्र में बहुमूल्य अनुभव है और उन्होंने निगम में जमशेदपुर और बेरहामपुर मंडलों के विरष्ठ मंडल प्रबंधक, प्रादेशिक प्रबंधक (विपणन, बैंकाश्योरेंस और वैकल्पिक माध्यम), प्रादेशिक प्रबंधक (ग्राहक संबंध प्रबंधन) और आगरा में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक जैसे कई पदों को संभाला है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमनों, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, श्री बिष्णु चरण पटनायक की नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति लेने के लिए एजीएम नोटिस में निहित मद संख्या 19 के तहत संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव है।

श्री बिष्णु चरण पटनायक और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कोई अन्य निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 19 के तहत निहित संकल्प से संबंध या रुचि नहीं रखते हैं।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 19 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 20

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 सी के अनुसार, संबंधित पार्टी लेनदेन जैसे माल या सेवाओं की बिक्री/खरीद, किसी भी प्रकार की संपत्ति का निपटान या पट्टा, किसी भी सामान, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति, लाभ के पद पर नियुक्ति और निगम की प्रतिभूतियों/ डेरिवेटिव के सब्स्क्रिप्शन की हामीदारी, संसाधनों के हस्तांतरण, आदि में यदि लेनदेन निर्धारित राशि से अधिक हो तो उस हेतु सदस्यों की पूर्वानुमित की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, ऐसे लेनदेन जो समान्य व्यवसाय या इससे सीधे तौर पर संबंधित न हो वे सभी सदस्यों के पूर्व अनुमोदन से मुक्त थे। हालांकि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार, संबंधित पक्ष के साथ किसी भी प्रकार के लेन-देन जो वस्तुगत हो तो सदस्यों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है, भले ही ऐसे लेनदेन व्यवसाय के सामान्य क्रम में हों या सीधे तौर पर सबंधित न हों। सेबी लिस्टिंग विनियमों में 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी संशोधन के अनुसार, यदि लेनदेन वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पूर्व में किए गए लेनदेन के साथ दर्ज किया गया हो तथा वह ₹1,000 करोड़ से अधिक या सूचीबद्ध इकाई के नवीनतम लेखांकन के वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार के 10% में से जो भी कम हो तो संबंधित पक्ष के साथ एक लेनदेन को भौतिक माना जाएगा । लेखा परीक्षा समिति ने वित्त वर्ष 2023 हेत् व्यापार के सामान्य व्यवसाय या इससे सीधे तौर पर संबंधित न हो ऐसे व्यवसाय में संबंधित पक्षों के साथ भौतिक लेनदेन के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। तदनुसार, निगम ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान, पार्टियों के बीच लेनदेन की सहमत शर्तों पर संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन करने का प्रस्ताव रखा है, जैसा कि मद संख्या 20 में संकल्प में प्रदान किया गया है। लेखा परीक्षा समिति ने उक्त संबंधित पार्टी लेनदेन को मंजूरी दे दी है और यह नोट किया है कि हालांकि यह समान्य व्यवसाय या इससे सीधे तौर पर संबंधित नहीं हैं, वे सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत सामग्री से संबंधित पार्टी लेनदेन के रूप में योग्य हो सकते हैं। तदनुसार, इसके लिए सदस्यों की स्वीकृति मांगी गई है। 22 नवंबर, 2021 के सेबी परिपत्र के साथ पठित सेबी सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 23(4) के तहत आवश्यक जानकारी यहां दी गई है:

- (i) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृतिः एलआईसी म्यूचुअल फंड लिमिटेड – सहयोगी
- (ii) अन्य सूचना

| | | लेन-देन का प्रकार | | |
|---------|--|---|---|--|
| क्रमांक | विवरण | म्यूचुअल फंड में संबंधित पार्टियों द्वारा प्लेसमेंट | म्यूचुअल फंड में संबंधित पार्टियों द्वारा योजना का मोचन | |
| 1 | लेन-देन का मूल्य | 20,000 करोड़ रुपये | 20,000 करोड़ रुपये | |
| 2 | सामग्री शर्तें | 90 दिन मोचन | 90 दिन मोचन | |
| 3 | चिंता या रुचि की प्रकृति (वित्तीय/अन्यथा) | वित्तीय | वित्तीय | |
| 4 | लेन-देन की अवधि | 90 दिन | 90 दिन | |
| 5 | लेन-देन के मूल्य का%/तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का वार्षिक समेकित कारोबार (वित्त वर्ष 2022 के समेकित कारोबार के आधार पर) | 2.76% | 2.76% | |
| 6 | प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में धन के स्रोत का विवरण | निवेश योग्य अधिशेष | निवेश योग्य अधिशेष | |
| 7 | निवेश के लिए किए गए वित्तीय ऋण का विवरण | लागू नहीं | लागू नहीं | |
| 8 | निवेश की लागू शर्तें जैसे अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर, पुनर्भुगतान अनुसूची, सुरक्षित/असुरक्षित, यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति | लागू नहीं | लागू नहीं | |
| 9 | जिस उद्देश्य के लिए संबंधित पार्टी लेनदेन के अनुसार इस तरह के फंड के अंतिम लाभार्थी द्वारा धन का उपयोग किया जाएगा | निधियों की अस्थायी पार्किंग और आईआरडीएआई मानदंडों का अनुपालन | निधियों की अस्थायी पार्किंग और आईआरडीएआई मानदंडों का अनुपालन | |
| 10 | संबंधित पार्टी लेनदेन सूचीबद्ध इकाई के हित में क्यों है इसका औचित्य | निधियों की अस्थायी पार्किंग और आईआरडीएआई मानदंडों का अनुपालन | निधियों की अस्थायी पार्किंग और आईआरडीएआई मानदंडों का अनुपालन | |
| 11 | मूल्यांकन या अन्य बाहरी पार्टी रिपोर्ट | लागू नहीं | लागू नहीं | |

एक सदस्य जो निगम की संबंधित पक्ष से है, इस नोटिस के मद संख्या 20 में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर मतदान नहीं करेगा, भले ही सदस्य उस विशेष संबंधित पक्ष लेनदेन में एक पार्टी हो या नहीं। कंपनी में और ऊपर उल्लिखित संस्थाओं में, शेयरधारिता / निदेशक के रूप में, यदि कोई हो, को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, उपरोक्त संकल्प में वित्तीय या अन्यथा संबंधित / रुचि नहीं रखता है।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 20 के तहत निर्धारित संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

बोर्ड के आदेश द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम हेतु

> (पवन अग्रवाल) कंपनी सचिव

सदस्यता संख्याः एफसीएस 7744

केंद्रीय कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम 'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021

दूरभाष. नंबर: 022 – 2202 2079 ईमेल: investors@licindia.com वेबसाइट: www.licindia.in सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकतांए) विनियमनों, 2015 के विनियमन 36(3) के तहत और सचिवीय मानक 2 के सदंर्भ में, नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के संबंध मे विवरण

| निदेशक का नाम | डॉ रंजन शर्मा | श्री विनोद कुमार वर्मा | प्रो अनिल कुमार | |
|--|--|---|---|--|
| उम्र | 55 वर्ष | 56 वर्ष | 60 वर्ष | |
| राष्ट्रीयता | भारतीय | भारतीय | भारतीय | |
| योग्यताएँ | एमए, पीएचडी | बीए | बीकॉम (एच), एमकॉम, पीएचडी | |
| निपसं निपसं | 09573799 | 09309031 | 09477565 | |
| संक्षिप्त विवरण | डॉ. रंजन शर्मा श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोंडा, उत्तर प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और 1990 से कॉलेज से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से कला में परास्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से भूगोल में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। उन्हें शिक्षाविदों और निगमित संचालन में अनुभव है। | उन्होंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश से कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वह इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के व्यवसाय में नितांत रूप से शामिल है और व्यापार, बिक्री और विपणन के क्षेत्र में अनुभव और ज्ञान रखते हैं। | प्रो. अनिल कुमार ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में परास्नातक डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से निगमित संचालन के क्षेत्र में डॉक्टरेट (पीएचडी) भी प्राप्त किया है। वह वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वाणिज्य विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने देश के कोने–कोने में वित्तीय साक्षरता का प्रसार करने के लिए वित्तशाला की स्थापना की। उन्होंने अन्य बातों के साथ–साथ निगमित संचालन और कॉपोरेट कानूनों पर विभिन्न पुस्तकें भी लिखी हैं। उन्हें निगमित संचालन और सीएसआर में शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श का 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। | |
| विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता | शैक्षणिक और निगमित संचालन | व्यापार, बिक्री और विपणन | शैक्षणिक और निगमित संचालन | |
| नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शतें | उन्हें एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए 29 अप्रैल, 2022 को 4 वर्ष की अविध हेतु नियुक्त किया गया था। पहला कार्यकाल, जो छह महीने का था, 28 अप्रैल, 2022 को समाप्त हुआ। अन्य नियम और शर्तें निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: https:// licindia.in/getattachment/ Investor-Relations/Policies- and-Code-of-Conduct/ Director-s-Policy.pdf.aspx | उन्हें एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए 29 अप्रैल, 2022 को 4 वर्ष की अविध हेतु नियुक्त किया गया था। पहला कार्यकाल, जो छह महीने का था, 28 अप्रैल, 2022 को समाप्त हुआ। अन्य नियम और शर्तें निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: https:// licindia.in/getattachment/ Investor-Relations/Policies- and-Code-of-Conduct/ Director-s-Policy.pdf.aspx | उन्हें एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए 20 अप्रैल, 2022 को 4 वर्ष की अवधि हेतु नियुक्त किया गया था। पहला कार्यकाल, जो छह महीने का था, 19 जुलाई, 2022 को समाप्त हुआ। अन्य नियम और शर्तें निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy.pdf.aspx | |
| अंतिम आहरित पारिश्रमिक और पारिश्रमिक का विवरण | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न निगरि | मेत संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर | देखें। | |
| जिस दिनांक पर पहली बार बोर्ड में नियुक्त किया गया | अक्तूबर 29, 2021 | अक्तूबर 29, 2021 | जनवरी 20, 2022 | |
| निगम में शेयरधारिता का विवरण | शून्य | शून्य | शून्य | |
| अन्य निदेशकों/ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो) | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं | |
| वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर देखें। | | | |
| अन्य कंपनियों में निदेशकों / समिति अध्यक्षता और सदस्यता का विवरण | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर देखें। | | | |

| निदेशक का नाम | श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल | श्री गुरुमूर्ति महालिंगम | श्री राज कमल |
|--|---|--|---|
| उम्र | 65 वर्ष | 66 वर्ष | 52 वर्ष |
| राष्ट्रीयता | भारतीय | भारतीय | भारतीय |
| योग्यताएँ | एमए | एमएससी(सांख्यिकी), एमबीए | बीटेक (मैकेनिकल इंजीनियरिंग), पीजीपी मैनेजमेंट |
| निपसं | 05264033 | 09660723 | 07653591 |
| संक्षिप्त विवरण | श्रीमती अंजुली चिब दुगल ने पंजाब विश्वविद्यालय से कला में परास्नातक डिग्री प्राप्त की है। वह पंजाब कैडर (1981 के बैच) की एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। इससे पहले, उन्होंने वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव के रूप में और कॉपॉरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव के रूप में भी काम किया है। वह भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड में निदेशक भी थीं। | श्री गुरुमूर्ति महालिंगम ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से विज्ञान (सांख्यिकी) में परास्नातक डिग्री और बर्मिंघम विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और वित्त) में परास्नातक डिग्री प्राप्त की है। इससे पहले वह सेबी के पूर्णकालिक निदेशक थे और भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक भी थे और उन्हें वित्तीय क्षेत्र में कई वर्षों का अनुभव है। | श्री राज कमल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर हैं। इससे पहले, वह ओयो वेकेशन होम्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी थे। |
| विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता | प्रशासन, वित्त और कॉर्पोरेट मामले | बैंकिंग और प्रतिभूति विनियम | प्रशासन और प्रबंधन परामर्श |
| नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें | उन्हें एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 को 4 वर्ष की अविध हेतु नियुक्त किया गया था। | उन्हें एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 को 4 वर्ष की अविध हेतु नियुक्त किया गया था। | उन्हें एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 को 4 वर्ष की अविध हेतु नियुक्त किया गया था। |
| | अन्य नियम और शर्तें निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: | अन्य नियम और शर्तें निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: | अन्य नियम और शर्तें निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: |
| | https://licindia.in/ getattachment/Investor- Relations/Policies-and-Code- of-Conduct/Director-s-Policy. pdf.aspx | https://licindia.in/ getattachment/Investor- Relations/Policies-and-Code- of-Conduct/Director-s-Policy. pdf.aspx | https://licindia.in/ getattachment/Investor- Relations/Policies-and-Code- of-Conduct/Director-s-Policy. pdf.aspx |
| अंतिम आहरित पारिश्रमिक और पारिश्रमिक का विवरण | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न निगरि | मेत संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर | देखें। |
| जिस दिनांक पर पहली बार बोर्ड में नियुक्त किया गया | जनवरी 29, 2022 | जनवरी 29, 2022 | जनवरी 29, 2022 |
| निगम में शेयरधारिता का विवरण | शून्य | शून्य | शून्य |
| अन्य निदेशकों/ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो) | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं |
| वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 675 पर देखें। | | |
| अन्य कंपनियों में निदेशकों / समिति अध्यक्षता और सदस्यता का विवरण | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर देखें। | | |

| निदेशक का नाम | श्री वी एस पार्थसारथी | श्री एम पी विजय कुमार | श्री संजीव नौटियाल | |
|--|---|--|--|--|
| उम्र | 60 वर्ष | 53 वर्ष | 60 वर्ष | |
| राष्ट्रीयता | भारतीय | भारतीय | भारतीय | |
| योग्यताएँ | बीकॉम, एफसीए | बीकॉम, एफसीए, एफसीएस, एफसीएमए | बीए, एमबीए | |
| निपसं | 00125299 | 05170323 | 08075972 | |
| संक्षिप्त विवरण | उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वह भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के एक साथी सदस्य और इंग्लैंड और वेल्स में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के सदस्य हैं। उन्होंने हावर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया है। अन्य बातों के साथ, वह मिहेंद्रा समूह के समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी और समूह मुख्य सूचना अधिकारी भी थे। | श्री एम.पी. विजय कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी हैं। 2007 से, वह एक सूचीबद्ध कंपनी सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। वह दूसरों के बीच, थेजो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की IFRS व्याख्या समिति के सदस्य, IFRS सलाहकार परिषद, लंदन के सदस्य और निदेशक संस्थान के एक साथी भी हैं। उन्होंने पहले सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड की निवेश बैंकिंग सहायक कंपनी के लिए 7 साल से अधिक समय तक काम किया था और 8 साल से अधिक समय तक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट थे। | श्री संजीव नौटियाल एसबीआई के पूर्व उप प्रबंध निदेशक हैं। उनके पास एमबीए की डिग्री है और वे भारतीय बैंकर्स संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोशिएट भी हैं। श्री नौटियाल को एसबीआई के साथ अपने 36 वर्षों में विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं को सौंपा गया था, जिनमें से प्रमुख हैं: अ उप प्रबंध निदेशक (वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म बाजार) अ एमडी और सीईओ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस अ मुख्य महाप्रबंधक अहमदाबाद मंडल उन्हें जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं, जैसे: अ सीईओ, खुदरा शाखा, बहरीन अ बहरीन/दुबई में स्थित मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में एसबीआई परिचालन के प्रादेशिक प्रमुख। श्री नौटियाल को वित्तीय सेवाओं के क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है, जैसे खुदरा ऋण (एसएमई, कृषि, आवास, कार, आदि), मध्य कॉर्पोरेट ऋण, अंतर्राष्ट्रीय बैंकेंग, मानव संसाधन और जीवन बीमा। | |
| विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता | प्रबंधन, वित्त और लेखा | वित्तीय रिपोर्टिंग, लेखा परीक्षा, कॉर्पोरेट कानून और सूचना प्रौद्योगिकी | बैंकिंग एवं जीवन बीमा | |
| नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें | उन्हें एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 को 4 वर्ष की अवधि हेतु नियुक्त किया गया था। अन्य नियम और शर्तें निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: https://licindia.in/ getattachment/Investor- Relations/Policies-and-Code- of-Conduct/Director-s-Policy. pdf.aspx | उन्हें एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 को 4 वर्ष की अवधि हेतु नियुक्त किया गया था। अन्य नियम और शर्तें निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: https://licindia.in/ getattachment/Investor- Relations/Policies-and-Code- of-Conduct/Director-s-Policy. pdf.aspx | उन्हें एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 जनवरी, 2022 को 4 वर्ष की अवधि हेतु नियुक्त किया गया था। अन्य नियम और शर्तें निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: https://licindia.in/ getattachment/Investor- Relations/Policies-and-Code- of-Conduct/Director-s-Policy. pdf.aspx | |
| अंतिम आहरित पारिश्रमिक और पारिश्रमिक का विवरण | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न निर्गा | मेत संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर | देखें। | |
| जिस दिनांक पर पहली बार बोर्ड में नियुक्त किया गया | जनवरी 29, 2022 | जनवरी 29, 2022 | जनवरी 29, 2022 | |
| निगम में शेयरधारिता का विवरण | शून्य | शून्य | शून्य | |
| अन्य निदेशकों/ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो) | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं | |
| वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर देखें। | | | |
| अन्य कंपनियों में निदेशकों / समिति अध्यक्षता और सदस्यता का विवरण | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर देखें। | | | |

| निदेशक का नाम | श्री एम आर कुमार | श्री सुचीन्द्र मिश्र | श्री राज कुमार |
|---|--|--|---|
| उम्र | 61 वर्ष | 54 वर्ष | 60 वर्ष |
| राष्ट्रीयता | भारतीय | भारतीय | भारतीय |
| योग्यताएँ | बीएससी, भारतीय बीमा संस्थान से लाइसेन्सियट | बीएससी (एच) और पीजीबीएम | बीएससी |
| निपसं | 03628755 | 01873568 | 06627311 |
| संक्षिप्त विवरण | वह हमारे निगम के पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने सितंबर 2015 में भारतीय बीमा संस्थान द्वारा आयोजित लाइसेंस परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। वह वर्ष 1983 में एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में निगम में शामिल हुए और उन्हों बीमा क्षेत्र में अनुभव है। पूर्व में, वह हमारे निगम के दक्षिण, उत्तर-मध्य और उत्तरी क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रबंधक थे और उन्होंने निगम के कार्मिक और पेंशन एवं समूह योजना विभाग का भी नेतृत्व किया है। | वह निगम के सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं और 1990 बैच से भारतीय रक्षा लेखा सेवा के एक अधिकारी हैं। वह वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय और एक्सएलआरआई – जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जमशेदपुर के पूर्व छात्र हैं। | वह निगम के प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने डीएवी कॉलेज, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जालंधर, पंजाब से विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वह वर्ष 1984 में एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में हमारे निगम में शामिल हुए और उन्हें बीमा क्षेत्र में अनुभव है। उन्होंने एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया है और मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक भी थे। उन्होंने संपदा और कार्यालय सेवा विभाग का भी नेतृत्व किया है। वह निगम के गोरखपुर और जयपुर मंडलों के विरष्ठ मंडल प्रबंधक भी थे। |
| विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता | प्रशासन, जीवन बीमा और कॉर्पोरेट प्रशासन | प्रशासन, वित्त और कॉर्पोरेट प्रशासन | प्रशासन, जीवन बीमा और कॉर्पोरेट प्रशासन |
| नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें | भारत सरकार की दिनाँक 14 मार्च, 2019, 09 जून, 2021 और 30 जनवरी, 2022 की अधिसूचनाओं के अनुसार | भारत सरकार की दिनाँक 04 जुलाई 2022 की अधिसूचनाओं के अनुसार | भारत सरकार की दिनाँक 01 नवंबर 2019 और 30 जनवरी 2022 की अधिसूचनाओं के अनुसार |
| अंतिम आहरित पारिश्रमिक और पारिश्रमिक का विवरण | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न निगा | मेत संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर | देखें। |
| जिस दिनांक पर पहली बार बोर्ड में नियुक्त किया गया | मार्च 14, 2019 | जुलाई 04, 2022 | नवंबर 01, 2019 |
| निगम में शेयरधारिता का विवरण | शून्य | शून्य | शून्य |
| अन्य निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो) | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं |
| वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर देखें। | | |
| अन्य कंपनियों में निदेशकों / सिमिति अध्यक्षता और सदस्यता का विवरण | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर देखें। | | |

| निदेशक का नाम | श्री सिद्धार्थ मोहंती | श्रीमती मिनी आईप | श्री बिष्णु चरण पटनायक |
|---|---|--|--|
| उम्र | 59 वर्ष | 59 वर्ष | 59 वर्ष |
| राष्ट्रीयता | भारतीय | भारतीय | भारतीय |
| योग्यताएँ | एलएलबी, एमए, पीजीसीबीएम, भारतीय बीमा संस्थान से लाइसेन्सियट | एमकॉम | एमए (राजनीति विज्ञान), फैलोशिप |
| निपसं | 08058830 | 07791184 | 08384583 |
| संक्षिप्त विवरण | वह निगम के प्रबंध निदेशक हैं। उनके पास उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा से कानून में स्नातक की डिग्री और राजनीति विज्ञान में परास्नातक की डिग्री और राजनीति विज्ञान में परास्नातक की डिग्री है। उन्होंने जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर, ओडिशा से व्यवसाय प्रबंधन पर स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया है। उन्होंने नवंबर 2002 में भारतीय बीमा संस्थान द्वारा आयोजित लाइसेंसियट परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। उन्होंने पहले एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सीओओ और सीईओ के रूप में कार्य किया है और रायपुर और कटक के विरष्ठ मंडल प्रबंधक, प्रमुख (विधि), प्रमुख (निवेश – निगरानी और लेखा), कार्यकारी निदेशक (विधि), अन्य जैसे कई अन्य पदों पर कार्य किया है। प्रमुख (विधि), मुंबई के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, निगम ने लीगल एरा अवार्ड्स 2013–14 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ बीमा इन–हाउस लीगल टीम भी जीता। वह वर्ष 1985 में एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में हमारे निगम में शामिल हुए और उन्हें बीमा क्षेत्र में बहुमूल्य अनुभव है। | वह निगम की प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने वाणिज्य और प्रबंधन अध्ययन संकाय, आंध्र विश्वविद्यालय से वाणिज्य में परास्नातक डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित) से बोर्ड के सदस्यों हेतु आईटी और साइबर सुरक्षा में प्रमाणपत्र कार्यक्रम भी पूरा किया है। वह वर्ष 1986 में एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में निगम में शामिल हुईं और उन्हें बीमा क्षेत्र में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त है। इससे पहले, वह एलआईसीएचएफएल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की सीईओ भी थीं और उन्होंने निगम के अंतरराष्ट्रीय संचालन का नेतृत्व किया है। इससे पहले, वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शेयरधारक निदेशक भी थीं। उन्हें एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल वेल्थ मैनेजमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2020 में 'वित्त में भारत की शीर्ष 100 महिलाओं' में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। | वह निगम के प्रबंध निदेशक हैं। उनके पास उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा से राजनीति विज्ञान में स्नातक और परास्नातक डिग्री है। वह भारतीय बीमा संस्थान के फेलो भी हैं। वह बीमा परिषद के शासी निकाय के महासचिव थे। वह वर्ष 1985 में एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में निगम में शामिल हुए और उन्हें बीमा क्षेत्र में बहुमूल्य अनुभव है और उन्होंने निगम में जमशेदपुर और बेरहामपुर मंडलों के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, प्रादेशिक प्रबंधक (विपणन बैंकाश्योरेंस और वैकल्पिक माध्यम), प्रादेशिक प्रबंधक (ग्राहक संबंध प्रबंधन) और आगरा में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक जैसे कई पदों को संभाला है। |
| विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता | प्रशासन, जीवन बीमा, कॉर्पोरेट प्रशासन | प्रशासन, जीवन बीमा, कॉर्पोरेट प्रशासन | प्रशासन, जीवन बीमा, कॉर्पोरेट प्रशासन |
| नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें | भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी, 2021 के अनुसार | भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई, 2021 के अनुसार | भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई, 2021 के अनुसार |
| अंतिम आहरित पारिश्रमिक और पारिश्रमिक का विवरण | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर देखें। | | |
| जिस दिनांक पर पहली बार बोर्ड में नियुक्त किया गया | फरवरी 02, 2021 | अगस्त 02, 2022 | अक्तूबर 01, 2021 |
| निगम में शेयरधारिता का विवरण | शून्य | शून्य | शून्य |
| अन्य निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो) | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं |
| वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर देखें। | | |
| अन्य कंपनियों में निदेशकों / समिति अध्यक्षता और सदस्यता का विवरण | कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित संचालन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 67 पर देखें। | | |



LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

(constituted under the Life Insurance Corporation Act, 1956)
IRDAI Registration No. 512

Central Office: 'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Mumbai, Maharashtra – 400 021

Tel. No.: 022 – 2202 2079

Email: investors@licindia.com; Website: www.licindia.in

NOTICE OF THE FIRST ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE FIRST ANNUAL GENERAL MEETING OF THE MEMBERS OF LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA WILL BE HELD ON TUESDAY, THE 27TH DAY OF SEPTEMBER, 2022, AT 1430 HRS (IST), THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM") TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESSESS:

ORDINARY BUSINESS:

- To consider and adopt the audited financial statements of the Corporation (including the consolidated financial statements) for the financial year ended on March 31, 2022, together with the Reports of Board and Auditors thereon, in terms of Sections 24B, 24C and 25B of the LIC Act, 1956.
- To consider and adopt the Annual Report of the Corporation for the financial year ended March 31, 2022, in terms of Sections 24C and 27 of the LIC Act, 1956.
- To consider and declare Final Dividend of Rs. 1.50 per equity share for the Financial Year ended March 31, 2022 as recommended by the Board in terms of Section 28B(1) of the LIC Act, 1956.
- To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a SPECIAL RESOLUTION for appointment of Dr. Ranjan Sharma (DIN: 09573799) as an Independent Director:
 - "RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(g) read with Section 4(4) of the LIC Act, 1956, the appointment of Dr. Ranjan Sharma as an Independent Director by the Board, pursuant to which he holds office upto the date of this Annual General Meeting of the Corporation and is eligible for appointment, be and is hereby approved for the first term of 6 (six) months from October 29, 2021 till April 28, 2022 and the second term of 4 (four) years from April 29, 2022 till April 28, 2026, as approved and recommended by the Board."
- To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a SPECIAL RESOLUTION for appointment of Mr. Vinod Kumar Verma (DIN: 09309031) as an Independent Director:
 - "RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(g) read with Section 4(4) of the LIC Act, 1956, the appointment of Mr. Vinod Kumar Verma as an Independent Director by the Board, pursuant to which he holds office upto the date of this Annual General Meeting of the Corporation and is eligible for appointment, be and is hereby approved for the first term of 6 (six) months from October 29, 2021 till April 28, 2022 and the second term of 4 (four) years from April 29, 2022 till April 28, 2026, as approved and recommended by the Board."
- To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a SPECIAL RESOLUTION for appointment of Prof. Anil Kumar (DIN: 09477565) as an Independent Director:

- "RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(g) read with Section 4(4) of the LIC Act, 1956, the appointment of Prof. Anil Kumar as an Independent Director by the Board, pursuant to which he holds office upto the date of this Annual General Meeting of the Corporation and is eligible for appointment, be and is hereby approved for the first term of 6 (six) months from January 20, 2022 till July 19, 2022 and the second term of 4 (four) years from July 20, 2022 till July 19, 2026, as approved and recommended by the Board."
- To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a SPECIAL RESOLUTION for appointment of Ms. Anjuly Chib Duggal (DIN: 05264033) as an Independent Director:
 - "RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(g) read with Section 4(4) of the LIC Act, 1956, the appointment of Ms. Anjuly Chib Duggal as an Independent Director by the Board, pursuant to which she holds office upto the date of this Annual General Meeting of the Corporation and is eligible for appointment, be and is hereby approved for the first term of 4 (four) years from January 29, 2022 till January 28, 2026, as approved and recommended by the Board."
- To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a SPECIAL RESOLUTION for appointment of Mr. Gurumoorthy Mahalingam (DIN: 09660723) as an Independent Director:
 - "RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(g) read with Section 4(4) of the LIC Act, 1956, the appointment of Mr. Gurumoorthy Mahalingam as an Independent Director by the Board, pursuant to which he holds office upto the date of this Annual General Meeting of the Corporation and is eligible for appointment, be and is hereby approved for the first term of 4 (four) years from January 29, 2022 till January 28, 2026, as approved and recommended by the Board."
- To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a SPECIAL RESOLUTION for appointment of Mr. Raj Kamal (DIN: 07653591) as an Independent Director:
 - "RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(g) read with Section 4(4) of the LIC Act, 1956, the appointment of Mr. Raj Kamal as an Independent Director by the Board, pursuant to which he holds office upto the date of this Annual General Meeting of the Corporation and is eligible for appointment, be and is hereby approved for the first term of 4 (four) years from January 29, 2022 till January 28, 2026, as approved and recommended by the Board."
- To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a SPECIAL RESOLUTION for appointment of Mr. V.S. Parthasarathy (DIN: 00125299) as an Independent Director:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(g) read with Section 4(4) of the LIC Act, 1956, the appointment of Mr. V. S. Parthasarathy as an Independent Director by the Board, pursuant to which he holds office upto the date of this Annual General Meeting of the Corporation and is eligible for appointment, be and is hereby approved for the first term of 4 (four) years from January 29, 2022 till January 28, 2026, as approved and recommended by the Board."

11. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a SPECIAL RESOLUTION for appointment of Mr. M.P. Vijay Kumar (DIN: 05170323) as an Independent Director:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(g) read with Section 4(4) of the LIC Act, 1956, the appointment of Mr. M.P. Vijay Kumar as an Independent Director by the Board, pursuant to which he holds office upto the date of this Annual General Meeting of the Corporation and is eligible for appointment, be and is hereby approved for the first term of 4 (four) years from January 29, 2022 till January 28, 2026, as approved and recommended by the Board."

12. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a SPECIAL RESOLUTION for appointment of Mr. Sanjeev Nautiyal (DIN: 08075972) as an Independent Director::

"RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(g) read with Section 4(4) of the LIC Act, 1956, the appointment of Mr. Sanjeev Nautiyal as an Independent Director by the Board, pursuant to which he holds office upto the date of this Annual General Meeting of the Corporation and is eligible for appointment, be and is hereby approved for the first term of 4 (four) years from January 29, 2022 till January 28, 2026, as approved and recommended by the Board."

13. To appoint Auditors and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 25 of the LIC Act, 1956 read with Rule 22 of Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956, Regulation 22 of Life Insurance Corporation General Regulations, 2021 and other applicable provisions for the time being in force, the Corporation hereby approves the appointment/re-appointment of following Statutory Central Auditors of the Corporation for the terms and on the other terms and conditions and remuneration as approved by the Board of Directors on the recommendation of the Audit Committee:

| S. No. | Name of Auditor | CAG Empanelment Number | Head Office | Firm Registration Number (FRN) | *Re-appointment for balance tenure (w.e.f., April 1, 2022) |
|-----------|-----------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|
| 1 | ABM & Associates LLP | BO1440 | Mumbai | 105016W/ W-100015 | 01 year |
| 2 | R.G.N. Price & Co. | MD0018 | Chennai | 002785S | 01 year |
| 3 | Batliboi & Purohit | BO0004 | Mumbai | 101048W | 02 years |
| 4 | AR & Co. | CR3997 | New Delhi | 002744C | 02 years |
| 5 | Todi Tulsyan & Co. | ER0043 | Patna | 002180C | 02 years |
| 6 | Ramamoorthy (N) & Co. | HY0008 | Hyderabad | 002899S | 03 years |
| 7 | Ray & Ray | CA0036 | Kolkata | 301072E | 03 years |
| 8 | Chokshi & Chokshi LLP | BO0150 | Mumbai | 101872W/ W100045 | 03 years |
| 9 | B C Jain & Co. | CR0016 | Kanpur | 001099C | 04 years |
| 10 | Rama K Gupta & Co. | CR0649 | Bhopal | 005005C | 04 years |

*the term of appointment/re-appointment shall be upto the date of conclusion of the AGM for the year in which the term is ending

RESOLVED FURTHER THAT pursuant to Section 25 of the LIC Act, 1956 read with Rule 22 of Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956, Regulation 22 of Life Insurance Corporation General Regulations, 2021 and other applicable provisions for the time being in force, the Board of Directors of the Corporation be and is hereby authorized to appoint/re-appoint Statutory Divisional Auditors of the Corporation for the terms and on the other terms and conditions and remuneration as approved by the Board of Directors on the recommendation of the Audit Committee.

RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Corporation, (including the Audit Committee of the Board), be and are hereby authorised from time to time, to settle all questions that may arise in connection with or incidental to give effect to the above resolutions."

SPECIAL BUSINESS:

14. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Mr. M.R. Kumar (DIN: 03628755) as Whole time Chairperson of the Corporation:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(a) of the LIC Act, 1956 read with Rule 3 of the Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956, the appointment of Mr. M.R. Kumar vide Government of India's notification dated January 30, 2022, conveying that the term of Mr. M. R. Kumar, Whole Time Chairperson of the Corporation has been extended till March 13, 2023 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved as recommended by the Board".

15. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Mr. Suchindra Misra (DIN: 01873568) as Government Nominee Director of the Corporation:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(d) of the LIC Act, 1956, the appointment of Mr. Suchindra Misra vide Government of India's notification dated July 04, 2022, appointing Mr. Suchindra Misra as Government Nominee Director of the Corporation with immediate effect and until further orders, be and is hereby approved as recommended by the Board."

16. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Mr. Raj Kumar (DIN: 06627311) as Managing Director of the Corporation:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(c) of the LIC Act, 1956 read with Rule 3 of Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956, the appointment of Mr. Raj Kumar vide Government of India's notification dated January 30, 2022, conveying that the term of Mr. Raj Kumar, Managing Director of the Corporation has been extended till January 31, 2023 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved as recommended by the Board."

17. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Mr. Siddhartha Mohanty (DIN: 08058830) as Managing Director of the Corporation:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(c) of the LIC Act, 1956 read with Rule 3 of Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956, the appointment of Mr. Siddhartha Mohanty vide Government India's notification dated January 20, 2021, appointing Mr. Siddhartha Mohanty as Managing Director of the Corporation w.e.f., February 02, 2021 and up to the date of his attaining superannuation (i.e., 30.06.2023) or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved as recommended by the Board".

18. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Ms. Mini Ipe (DIN: 07791184) as Managing Director of the Corporation:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(c) of the LIC Act, 1956 read with Rule 3 of Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956, the appointment of Ms. Mini Ipe vide Government of India's notification dated July 05, 2021, appointing Ms. Mini Ipe as Managing Director of the Corporation w.e.f., August 02, 2021 and up to the date of her attaining superannuation (i.e., 31.08.2023) or until further orders, whichever is earlier, be and is approved as recommended by the Board".

19. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Mr. Bishnu Charan Patnaik (DIN: 08384583) as Managing Director of the Corporation:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(c) of the LIC Act, 1956 read with Rule 3 of Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956, the appointment of Mr. Bishnu Charan Patnaik vide Government of India's notification dated July 05, 2021, appointing Mr. Bishnu Charan Patnaik as Managing Director of the Corporation w.e.f., October 01, 2021 and up to the date of his attaining superannuation (i.e., 31.03.2023) or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved as recommended by the Board".

20. To consider, and if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for approval of related party transactions of the Corporation:

RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications or re-enactments thereof (applicable laws) and the 'Policy on dealing with Related Party Transactions' of Life Insurance Corporation of India (the Corporation), as may be applicable from time to time, consent of the Members, be and is hereby accorded to the Board of Directors (hereinafter referred

to as 'Board', which term shall be deemed to include any duly authorized Committee constituted/ empowered by the Board including the Audit Committee, from time to time, to exercise its powers conferred by this resolution), for entering into and/or carrying out and/ or continuing with contracts/arrangements/transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), notwithstanding the fact that all such transactions during the financial year 2022-23 and upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, may exceed Rs. 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover as per the Corporation's last audited financial statements, whichever is lower, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time, provided however, that the contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out at an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Corporation, inter alia as per the details provided

| S | | Name of the Related Party | Nature of Relationship | Type of Transaction | Value of Transaction (₹ in crore) |
|---|---|------------------------------------|---------------------------|------------------------|---|
| 1 | | LIC Mutual Fund Limited | Associate | Purchase | 20,000 |
| 2 |) | LIC Mutual Fund Limited | Associate | Redemption | 20,000 |

RESOLVED FURTHER THAT Board of Directors, be and is hereby authorized to delegate all or any of its powers herein conferred, to Audit Committee and/or Director(s) and/or official(s) of the Corporation in accordance with applicable laws to do all such acts, deeds, matters and things and also to execute such documents, writings etc. as the Board may in its absolute discretion deem necessary, desirable or expedient to give effect to this resolution.

By Order of the Board For Life Insurance Corporation of India

(Pawan Agrawal) Company Secretary Membership No.: FCS 7744

Central Office:

Life Insurance Corporation of India 'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Nariman point, Mumbai – 400 021 Tel. No: 022 – 2202 2079

Email: investors@licindia.com
Website: www.licindia.in

Notes:

- Pursuant to the Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, which is in continuation of Ministry's General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with Circular No. 14/ 2020 dated April 8, 2020 and Circular No. 17/ 2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and General Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021 and General Circular No. 3/2022 dated May 05, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and other relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI Circular No. SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and other relevant Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and in compliance with the provisions of the LIC Act, 1956 read with Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956, provisions of Companies Act, 2013 (to the extent applicable) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Corporation has decided to hold its 1st AGM through Video-conference ("VC") or other audio visual means ("OAVM") (hereinafter referred to as "electronic means") i.e. without the physical presence of the members.
- An Explanatory Statement pursuant to Section 23A read with Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956 which sets out details relating to ordinary and special business specified under Item Nos. 3 to 19 of this Notice is annexed hereto.
- PURSUANT TO THE PROVISIONS OF THE LIC ACT, 1956 READ WITH RULE 28 OF LIFE INSURANCE **CORPORATION OF INDIA GENERAL RULES, 1956,** A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE AGM IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON HIS/HER BEHALF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE CORPORATION. SINCE THIS AGM IS BEING HELD THROUGH VC, THE REQUIREMENT OF PHYSICAL ATTENDANCE OF MEMBERS HAS BEEN DISPENSED WITH. ACCORDINGLY, THE FACILITY FOR APPOINTMENT OF PROXIES BY THE MEMBERS WILL NOT BE AVAILABLE FOR THIS AGM AND HENCE THE PROXY FORM, ATTENDANCE SLIP AND ROUTE MAP OF THE AGM VENUE ARE NOT ANNEXED TO THIS NOTICE.
- 4. Details as required under Regulation 36(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Rule 28 of Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956 read with Secretarial Standard 2 issued by ICSI in respect of the Directors seeking appointment/ re-appointment at the 1st AGM are annexed hereto as Annexure A to the Notice which forms part of the Explanatory Statement. The Corporation has received relevant disclosure/consent from the Directors seeking appointment/re-appointment.
- 5. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode during 30 minutes before and upto 15 minutes after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The Members will be able to view the live proceedings on the National Securities Depository Limited ('NSDL') e-Voting website at www.evoting.nsdl.com. The detailed instructions for joining the Meeting through VC/OAVM form part of the Notes to this Notice. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 23A of the LIC Act, 1956 read with rules

- and regulations made thereunder and the Secretarial Standard 2 issued by ICSI.
- 6. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for minimum 1,000 members on first come first served basis (FCFS). No restrictions on account of FCFS entry into AGM will apply in respect of large members (shareholders holding 2% or more shareholding), promoters, institutional investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders' Relationship Committee, Auditors, etc.
- 7. Corporate/Institutional Members are required to send a scanned certified true copy (PDF Format) of the Board Resolution/Authority Letter, etc., authorising their representative to attend the AGM through VC / OAVM on their behalf and to vote through remote e-voting or during the AGM. The said Resolution/Authorisation shall be sent to the Scrutinizer by email through registered email address to snaco@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
- In case of joint holders, a member whose name appears as the first holder in the order of their names as per the Register of Members will be entitled to cast vote at the AGM.
- 9. The Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Corporation/Depositories as at the close of business hours on August 26, 2022. The Notice convening the 1st AGM has been uploaded on the website of the Corporation at www.licindia.in and may also be accessed from the relevant section of the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Notice is also available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

10. Record Date for Dividend:

- a) Pursuant to Section 28B of the LIC Act, 1956 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, members may note that the Board, in its meeting held on May 30, 2022 has recommended a final dividend of Rs. 1.50/- per equity share of face value of Rs. 10 each for the financial year ended March 31, 2022. The Record Date for the purpose of final dividend was Friday, August 26, 2022.
- b) Final Dividend for the financial year 2021-22, once approved by the members in the 1st AGM will be paid to the Members by October 26, 2022, i.e., within 30 days from the date of approval to those Members/ beneficial owners whose names appear in the Register of Members/depository records as at the close of business hours on Friday, August 26, 2022.
- c) Members holding shares in demat form are hereby informed that bank particulars registered with their respective Depository Participants with whom they maintain their demat accounts will be used by the Corporation for payment of dividend. The Corporation cannot act on any request received directly from the Members holding shares in demat form for any change of bank particulars or bank mandates. Members holding shares in demat form are, therefore, requested to intimate any change in their addresses and/or bank mandate immediately to their Depository Participants and not later than at the close of business hours on Friday, August 26, 2022.

- d) Members holding shares in physical form are requested to register their Electronic Clearing Service (ECS) mandate by submitting the (i) scanned copy of the signed request letter which shall contain member's name, folio number, bank details (viz. Bank account number, Bank and Branch Name and address, IFSC, MICR details), (ii) a self-attested copy of the PAN card and (iii) cancelled cheque leaf to the Corporation's RTA, by email at einward.ris@kfintech.com.
- e) For the members who have not updated their bank account details, the Corporation will pay the dividend through any other permissible mode (to such members) at the address registered in Corporation's records.
- f) Pursuant to Finance Act 2020, dividend income is taxable in the hands of the members w.e.f., April 1, 2020 and the Corporation is required to deduct tax at source from dividend paid to the shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, please refer to the Finance Act, 2020 and the amendments thereof.

A resident individual shareholder with PAN and who is not liable to pay income tax is required to submit a declaration in Form No. 15G/ 15H.

Non-resident shareholders including Foreign Institutional Investors (FIIs)/ Foreign Portfolio Investors (FPIs) can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of tax residence, subject to providing necessary documents, i.e., No Permanent Establishment, Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits.

A communication for the same was sent to the members on July 15, 2022 whose email address were registered with the Corporation/Registrar/DPs and were requested to submit requisite information on or before Friday, August 26, 2022.

11. In respect of the physical shareholding, in order to prevent fraudulent transactions, members are advised to exercise due diligence and notify the Registrar of any change in their addresses, telephone numbers, e-mail ids, nominees or joint holders, as the case may be.

The Securities and Exchange Board of India ('SEBI') has mandated submission of Permanent Account Number ('PAN') by every participant in securities market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit the PAN to their Depository Participant with whom they are maintaining their demat accounts. Members holding shares in physical form are requested to submit their PAN details to the Registrar (RTA).

- 12. Pursuant to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, shares of a listed entity can only be transferred in demat form w.e.f., April 1, 2019 except in cases of transmission or transposition. Therefore, shareholders are encouraged in their own interest to dematerialize their shareholding to avoid hassle in transfer of shares and eliminate risks associated with physical shares. Members can write to the Registrar in this regard.
- 13. Pursuant to the provisions of Section 5E of the LIC Act. 1956 read with Regulation 9 of the Life Insurance Corporation General Regulations, 2021, the members holding shares may nominate, in the prescribed manner, a person to whom all the rights in the shares shall vest in the event of death of the sole holder or all the

joint holders. Members holding shares in demat form may contact their respective Depository Participants for availing this facility and the Registrar in respect of shares held in physical form.

As on date of the issue of notice, the Corporation has not issued any shares in the physical form.

14. Members are requested to note that under Section 28C of the LIC Act, 1956, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ('IEPF').

Further, all shares in respect of which dividends remain unclaimed/unpaid for seven consecutive years or more, are also required to be transferred to designated Demat Account of the IEPF Authority.

The Corporation does not have any amount of dividend remaining unpaid or unclaimed to be transferred to IEPF as on March 31, 2022.

- 15. Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories / RTA for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:
 - (i) Shareholders holding shares in physical form, are requested to register/ update their email addresses by clicking on https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx or by writing to the RTA with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at einward.ris@kfintech.com.
 - (ii) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (scanned self attested copy of PAN card), AADHAR (scanned self attested copy of Aadhar Card) to einward.ris@kfintech.com. If you are an individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained below in point no. 19 at step 1 (A) i.e., Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.
 - (iii) Alternatively, shareholders/members may send a request to <u>evoting@nsdl.co.in</u> for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
 - (iv) In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.
- 16. Remote e-voting before/during the AGM:
 - (i) Pursuant to Section 23A of the LIC Act, 1956 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Corporation is pleased to provide the facility of voting by electronic means viz, 'remote e-voting' (e-voting from a place other than venue of the AGM) to its members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Corporation has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means. The facility for

- casting votes by a Member using remote e-Voting system as well as remote e-Voting during the AGM will be provided by NSDL.
- Members of the Corporation holding shares either in physical form or in electronic form as on the cut-off date of Tuesday, September 20, 2022 may cast their vote by remote e-Voting. A person who is not a Member as on the cutoff date should treat this Notice for information purpose only. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before the AGM as well as remote e-Voting during the AGM. Any non individual shareholder or shareholder holding securities in physical mode who acquires shares of the Corporation and becomes a Member of the Corporation after the dispatch of the Notice and holding shares as on the cutoff date i.e. September 20, 2022, may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.
- (iii) Individual shareholders holding securities in demat mode, who acquire shares of the Corporation and become a Member of the Corporation after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e., September 20, 2022 may follow the login process mentioned below in point 19.
- (iv) The remote e-Voting period commences on Friday, September 23, 2022 at 0930 hrs (IST) and ends on Monday, September 26, 2022 at 1700 hrs (IST). The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Corporation as on the cut-off date i.e., September 20, 2022.
- (v) Members will be provided with the facility for voting through remote electronic voting system during the VC proceedings at the AGM and Members participating at the AGM, who have not already cast their vote by remote e-Voting, will be eligible to exercise their right to vote at the end of discussion on such resolutions upon announcement by the Chairperson. Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-Voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s) again. Subject to the receipt of requisite votes, resolutions shall be deemed to be passed on the date of the meeting i.e., September 27, 2022.
- (vi) The remote e-Voting module on the day of the AGM shall be disabled by NSDL for voting 15 minutes after the conclusion of the Meeting.
- 17. Ms. Aparna Gadgil (Membership No. ACS 14713) and failing her, Mr. Viswanathan N.S. (Membership No. ACS 61955) of M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries, has been appointed as the Scrutiniser's for providing facility to the Members of the Corporation to scrutinise remote e-Voting process as well as voting at the AGM in a fair and transparent manner. The Scrutiniser will submit his/her report to the Chairperson or to any other person authorised by the Chairperson after the completion of the scrutiny of the

- e-Voting (votes cast through remote e-Voting before/ during the AGM), within the time stipulated under the applicable laws. The result declared along with the Scrutiniser's report shall be communicated to the Stock Exchanges on which the Corporation's shares are listed, NSDL and will also be displayed on the Corporation's website at www.licindia.in. It shall also be displayed on the Notice Board at the Central Office of the Corporation.
- 18. Instructions for Members for attending the AGM through VC/OAVM are as under:
 - Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned below under point 19 for Access to NSDL e-Voting system. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under "Join General meeting" menu against Corporation name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN (121401) of Corporation will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
 - (ii) Members may join the Meeting through laptops, smartphones, tablets and iPads for better experience. Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the Meeting. Members will need the latest version of Chrome, Safari, Internet Explorer 11, MS Edge or Firefox. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptops connecting via mobile hotspot might experience audio/video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any glitches.
 - (iii) Members are encouraged to submit their questions with regard to the financial statements or any other business to be placed at the 1st AGM, from their registered e-mail address, mentioning their name, DP ID and Client ID/Folio number and mobile number, in advance at licagm_2022@ licindia.com from Thursday, September 22, 2022 (0930 hrs) to Sunday, September 25, 2022 (1700 hrs). Such questions by the Members shall be suitably replied by the Corporation.
 - (iv) Members who would like to express their views/ ask questions as a speaker at the Meeting may pre-register themselves by sending a request from their registered e-mail address mentioning their names, DP ID and Client ID/Folio number, PAN and mobile number at licagm_2022@ licindia.com between Thursday, September 22, 2022 (0930 hrs) to Sunday, September 25, 2022 (1700 hrs). The Corporation reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.
 - (v) Members who need technical assistance before or during the AGM to access and participate in the Meeting may contact Mr. Sanjeev Yadav, Assistant Manager, NSDL at sanjeevy@nsdl.co.in /1800 1020 990 or 1800 224 430.

19. Instructions for members for remote e-voting and joining Annual General meeting are as under:

The remote e-voting period begins on Friday, September 23, 2022 at 0930 hrs and ends on Monday, September 26, 2022 at 1700 hrs. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. September 20, 2022, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Corporation as on the cut-off date, being September 20, 2022.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

| Type of shareholders | Login Method |
|--|--|
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL. | 1. Existing IDeAS user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices. nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section , this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDLand you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. |
| | 2. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS Portal" or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp |
| | 3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/ OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. |
| | 4. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App "NSDL Speede" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience. |
| | NSDL Mobile App is available on |
| | App Store Google Play |
| | |
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL | Users who have opted for Easi / Easiest, can login through their user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com and click on New System Myeasi. |
| | After successful login of Easi/Easiest the user will be also able to see the E Voting Menu. The Menu will have links of e-Voting service provider i.e. NSDL. Click on NSDL to cast your vote. |
| | 3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration |
| | 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat Account Number and PAN No. from a link in www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP i.e. NSDL where the e-Voting is in progress. |

Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

| Login type | Helpdesk details |
|--|--|
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL | Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 |
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL | Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 or 022-23058542-43 |

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

- 1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
- 2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/ Member' section.
- 3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e., Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below:

| Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical | Your User ID is: |
|--|---|
| a) For Members who hold shares in demat account with NSDL. | 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******. |
| b) For Members who hold shares in demat account with CDSL. | 16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12********** then your user ID is 12************************************ |
| c) For Members holding shares in Physical Form. | EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001*** |

- 5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:
 - a) If you are already registered for e-Voting, then you can user your existing password to login and cast your vote.
 - b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
 - c) How to retrieve your 'initial password'?
 - (i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
 - (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders** whose email ids are not registered.

- 6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
 - a) Click on "Forgot User Details/Password?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - b) "Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
 - d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
- 7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
- 8. Now, you will have to click on "Login" button.
- 9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

- 1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
- 2. Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join General Meeting".
- 3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
- 4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
- 5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
- 6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

The instructions for e-Voting during the AGM are as under:

- (i) The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
- (ii) Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
- (iii) Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
- (iv) The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the EGM/AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

General Guidelines for shareholders:

- (i) It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
- (ii) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Mr. Sanjeev Yadav, Assistant Manager from NSDL at the designated e-mail id: sanjeevy@nsdl.co.in and/or evoting@nsdl.co.in.

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO RULE 28 OF LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA GENERAL RULES, 1956

Item No. 3

In terms of Section 28B of the LIC Act, 1956, the Board of Directors of the Corporation, in its Board meeting held on May 30, 2022 has recommended a final dividend of Rs. 1.50 per equity share of the face value of Rs. 10/- each, subject to approval of the members of the Corporation in Annual General Meeting. This translates into a dividend pay-out ratio of 15%. The same was disclosed to the stock exchanges on May 30, 2022.

Accordingly, the members are requested to adopt the proposal contained under item no. 3 set out in the notice.

Item No. 4

Dr. Ranjan Sharma was appointed as an Independent Director on the Board of the Corporation with effect from October 29, 2021, for the first term of six months as per Rule 5 of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 read with Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956 and all other applicable provisions. His first term as an Independent Director of the Corporation ended on April 28, 2022.

Rule 5(1) of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 provides that an Independent Director shall hold office for a term of four years and shall be eligible for one further term of four years other than the first three Independent Directors of the Corporation whose first term will be for six months, in terms of Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956.

The Nomination & Remuneration Committee of the Board (NRC) recommended re-appointment of Dr. Ranjan Sharma as an Independent Director of the Corporation for a second term of four years. Based on the recommendation of NRC, and considering the skills, background, experience, knowledge and contributions made by Dr. Ranjan Sharma as an Independent Director of the Corporation and on the basis of the report of performance evaluation, the Board approved reappointment of Dr. Ranjan Sharma as an Independent Director of the Corporation to hold office for a second term of four consecutive years with effect from April 29, 2022. In terms of Section 23A(1) of the LIC Act, 1956, the Board was also having the authority of AGM at that time. Further, appointment of Dr. Ranjan Sharma for 1st and 2nd term by the Board needs to be formally approved at the 1st AGM.

Dr. Ranjan Sharma meets all the criteria of independence as prescribed under the LIC Act, 1956 and the rules and regulations made thereunder, SEBI Listing Regulations and IRDAI guidelines (to the extent applicable) and is not disqualified in terms of Section 4A of the LIC Act, 1956. He has given his consent to act as Independent Director on the Board of LIC. Further, he has also declared having no financial or other interest as is likely to affect prejudicially the exercise or performance by him of the functions of a Director of the Corporation in terms of Section 4(5) of the LIC Act, 1956.

The brief profile of Dr. Ranjan Sharma, in terms of Regulation 36 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), is annexed to this Notice.

Except Dr. Ranjan Sharma and his relatives, none of the other Directors, Key Managerial Personnel of the Corporation and their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise in the passing of the resolution set out at Item No. 4.

The Members are, therefore, requested to grant their approval by way of a Special Resolution for the appointment of Dr. Ranjan Sharma as an Independent Director of the Corporation.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 4 of the AGM Notice.

Item No. 5

Mr. Vinod Kumar Verma was appointed as an Independent Director on the Board of the Corporation with effect from October 29, 2021, for the first term of six months as per Rule 5 of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 read with Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956 and all other applicable provisions. His first term as an Independent Director of the Corporation ended on April 28, 2022.

Rule 5(1) of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 provides that an Independent Director shall hold office for a term of four years and shall be eligible for one further term of four years other than the first three Independent Directors of the Corporation whose first term will be for six months, in terms of Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956.

The Nomination & Remuneration Committee of the Board (NRC) recommended re-appointment of Mr. Vinod Kumar Verma as an Independent Director of the Corporation for a second term of four years. Based on the recommendation of NRC, and considering the skills, background, experience, knowledge and contributions made by Mr. Vinod Kumar Verma as an Independent Director of the Corporation and on the basis of the report of performance evaluation, the Board approved reappointment of Mr. Vinod Kumar Verma as an Independent Director of the Corporation to hold office for a second term of four consecutive years with effect from April 29, 2022. In terms of Section 23A(1) of the LIC Act, 1956, the Board was also having the authority of AGM at that time. Further, appointment of Mr. Vinod Kumar Verma for 1st and 2nd term by the Board needs to be formally approved at the 1st AGM.

Mr. Vinod Kumar Verma meets all the criteria of independence as prescribed under the LIC Act, 1956 and the rules and regulations made thereunder, SEBI Listing Regulations and IRDAI guidelines (to the extent applicable) and is not disqualified in terms of Section 4A of the LIC Act, 1956. He has given his consent to act as Independent Director on the Board of LIC. Further, he has also declared having no financial or other interest as is likely to affect prejudicially the exercise or performance by him of the functions of a Director of the Corporation in terms of Section 4(5) of the LIC Act, 1956.

The brief profile of Mr. Vinod Kumar Verma, in terms of Regulation 36 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), is annexed to this Notice.

Except Mr. Vinod Kumar Verma and his relatives, none of the other Directors, Key Managerial Personnel of the Corporation and their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise in the passing of the resolution set out at Item No. 5.

The Members are, therefore, requested to grant their approval by way of a Special Resolution for the appointment of Mr. Vinod Kumar Verma as an Independent Director of the Corporation.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 5 of the AGM Notice.

Item No. 6

Prof. Anil Kumar was appointed as an Independent Director on the Board of the Corporation with effect from January 20, 2022, for the first term of six months as per Rule 5 of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 read with Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956 and all other applicable provisions. His first term as an Independent Director of the Corporation ended on July 19, 2022.

Rule 5(1) of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 provides that an Independent Director shall hold office for a term of four years and shall be eligible for one further term of four years other than the first three Independent Directors of the Corporation whose first term will be for six months, in terms of Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956.

The Nomination & Remuneration Committee of the Board (NRC) recommended re-appointment of Prof. Anil Kumar as an Independent Director of the Corporation for a second term of four years. Based on the recommendation of NRC, and considering the skills, background, experience, knowledge and contributions made by Prof. Anil Kumar as an Independent Director of the Corporation and on the basis of the report of performance evaluation, the Board approved reappointment of Prof. Anil Kumar as an Independent Director of the Corporation to hold office for a second term of four consecutive years with effect from July 20, 2022. In terms of Section 23A(1) of the LIC Act, 1956, the Board was also having the authority of AGM at that time. Further, appointment of Prof. Anil Kumar for 1st and 2nd term by the Board needs to be formally approved at the 1st AGM.

Prof. Anil Kumar meets all the criteria of independence as prescribed under the LIC Act, 1956 and the rules and regulations made thereunder, SEBI Listing Regulations and IRDAI guidelines (to the extent applicable) and is not disqualified in terms of Section 4A of the LIC Act, 1956. He has given his consent to act as Independent Director on the Board of LIC. Further, he has also declared having no financial or other interest as is likely to affect prejudicially the exercise or performance by him of the functions of a Director of the Corporation in terms of Section 4(5) of the LIC Act, 1956.

The brief profile of Prof. Anil Kumar, in terms of Regulation 36 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), is annexed to this Notice.

Except Prof. Anil Kumar and his relatives, none of the other Directors, Key Managerial Personnel of the Corporation and their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise in the passing of the resolution set out at Item No. 6.

The Members are, therefore, requested to grant their approval by way of a Special Resolution for the appointment of Prof. Anil Kumar as an Independent Director of the Corporation.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 6 of the AGM Notice.

Item No. 7

The Nomination & Remuneration Committee of the Board (NRC) recommended the appointment of Ms. Anjuly Chib Duggal as an Independent Director of the Corporation for a term of four years. Based on the recommendation of NRC, and considering the skills, background, experience and knowledge, the Board approved the appointment of Ms. Anjuly Chib Duggal as an Independent Director on the Board of the Corporation to hold office for a term of four consecutive years with effect from January 29, 2022, as per Rule 5 of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 read with Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956 and all other applicable provisions. In terms of Section 23A(1) of the LIC Act, 1956, the Board was also having the authority of AGM at that time. Further, appointment of Ms. Anjuly Chib Duggal by the Board needs to be formally approved at the 1st AGM.

Rule 5(1) of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 provides that an Independent Director shall hold office for a term of four years and shall be eligible for one further term of four years other than the first three Independent Directors of the Corporation whose first term will be for six months, in terms of Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956.

Ms. Anjuly Chib Duggal meets all the criteria of independence as prescribed under the LIC Act, 1956 and the rules and regulations made thereunder, SEBI Listing Regulations and IRDAI guidelines (to the extent applicable) and is not disqualified in terms of Section 4A of the LIC Act, 1956. She has given her consent to act as Independent Director on the Board of LIC. Further, she has also declared having no financial or other interest as is likely to affect prejudicially the exercise or performance by her of the functions of a Director of the Corporation in terms of Section 4(5) of the LIC Act, 1956.

The brief profile of Ms. Anjuly Chib Duggal, in terms of Regulation 36 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), is annexed to this Notice.

Except Ms. Anjuly Chib Duggal and her relatives, none of the other Directors, Key Managerial Personnel of the Corporation and their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise in the passing of the resolution set out at Item No. 7.

The Members are, therefore, requested to grant their approval by way of a Special Resolution for the appointment of Ms. Anjuly Chib Duggal as an Independent Director of the Corporation.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 7 of the AGM Notice.

Item No. 8

The Nomination & Remuneration Committee of the Board (NRC) recommended the appointment of Mr. Gurumoorthy Mahalingam as an Independent Director of the Corporation for a term of four years. Based on the recommendation of NRC, and considering the skills, background, experience and knowledge, the Board approved the appointment of Mr. Gurumoorthy Mahalingam as an Independent Director on the Board of the Corporation to hold office for a term of four consecutive years with effect from January 29, 2022, as per Rule 5 of the Life Insurance Corporation General Rule, 1956 read with Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956 and all other applicable provisions. In terms of Section 23A(1) of the LIC Act, 1956, the Board was also having the authority of AGM at that time. Further, appointment of Mr. Gurumoorthy Mahalingam by the Board needs to be formally approved at the 1st AGM.

Rule 5(1) of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 provides that an Independent Director shall hold office for a term of four years and shall be eligible for one further term of four years other than the first three Independent Directors of the Corporation whose first term will be for six months,in terms of Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956.

Mr. Gurumoorthy Mahalingam meets all the criteria of independence as prescribed under the LIC Act, 1956 and the rules and regulations made thereunder, SEBI Listing Regulations and IRDAI guidelines (to the extent applicable) and is not disqualified in terms of Section 4A of the LIC Act, 1956. He has given his consent to act as Independent Director on the Board of LIC. Further, he has also declared having no financial or other interest as is likely to affect prejudicially the exercise or performance by his of the functions of a Director of the Corporation in terms of Section 4(5) of the LIC Act, 1956.

The brief profile of Mr. Gurumoorthy Mahalingam, in terms of Regulation 36 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), is annexed to this Notice.

Except Mr. Gurumoorthy Mahalingam and his relatives, none of the other Directors, Key Managerial Personnel of the Corporation and their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise in the passing of the resolution set out at Item No. 8.

The Members are, therefore, requested to grant their approval by way of a Special Resolution for the appointment of Mr. Gurumoorthy Mahalingam as an Independent Director of the Corporation.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 8 of the AGM Notice.

Item No. 9

The Nomination & Remuneration Committee of the Board (NRC) has recommended the appointment of Mr. Raj Kamal as an Independent Director of the Corporation for a term of four years. Based on the recommendation of NRC, and considering

the skills, background, experience and knowledge, the Board approved the appointment of Mr. Raj Kamal as an Independent Director on the Board of the Corporation to hold office for a term of four consecutive years with effect from January 29, 2022, as per Rule 5 of the Life Insurance Corporation General Rule, 1956 read with Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956 and all other applicable provisions. In terms of Section 23A(1) of the LIC Act, 1956, the Board was also having the authority of AGM at that time. Further, appointment of Mr. Raj Kamal by the Board needs to be formally approved at the 1st AGM.

Rule 5(1) of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 provides that an Independent Director shall hold office for a term of four years and shall be eligible for one further term of four years other than the first three Independent Directors of the Corporation whose first term will be for six months, in terms of Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956.

Mr. Raj Kamal meets all the criteria of independence as prescribed under the LIC Act, 1956 and the rules and regulations made thereunder, SEBI Listing Regulations and IRDAI guidelines (to the extent applicable) and is not disqualified in terms of Section 4A of the LIC Act, 1956. He has given his consent to act as Independent Director on the Board of LIC. Further, he has also declared having no financial or other interest as is likely to affect prejudicially the exercise or performance by his of the functions of a Director of the Corporation in terms of Section 4(5) of the LIC Act, 1956.

The brief profile of Mr. Raj Kamal, in terms of Regulation 36 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), is annexed to this Notice.

Except Mr. Raj Kamal and his relatives, none of the other Directors, Key Managerial Personnel of the Corporation and their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise in the passing of the resolution set out at Item No. 9.

The Members are, therefore, requested to grant their approval by way of a Special Resolution for the appointment of Mr. Raj Kamal as an Independent Director of the Corporation.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 9 of the AGM Notice.

Item No. 10

The Nomination & Remuneration Committee of the Board (NRC) recommended the appointment of Mr. V. S. Parthasarathy as an Independent Director of the Corporation for a term of four years. Based on the recommendation of NRC, and considering the skills, background, experience and knowledge, the Board approved the appointment of Mr. V. S. Parthasarathy as an Independent Director on the Board of the Corporation to hold office for a term of four consecutive years with effect from January 29, 2022, as per Rule 5 of the Life Insurance Corporation General Rule, 1956 read with Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956 and all other applicable provisions. In terms of Section 23A(1) of the LIC Act, 1956, the Board was also having the authority of AGM at that time. Further, appointment of Mr. V. S. Parthasarathy by the Board needs to be formally approved at the 1st AGM.

Rule 5(1) of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 provides that an Independent Director shall hold office for a term of four years and shall be eligible for one further term of four years other than the first three Independent Directors of the Corporation whose first term will be for six months, in terms of Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956.

Mr. V. S. Parthasarathy meets all the criteria of independence as prescribed under the LIC Act, 1956 and the rules and regulations made thereunder, SEBI Listing Regulations and IRDAI guidelines (to the extent applicable) and is not disqualified in terms of Section 4A of the LIC Act, 1956. He has given his consent to act as Independent Director on the Board of LIC. Further, he has

also declared having no financial or other interest as is likely to affect prejudicially the exercise or performance by his of the functions of a Director of the Corporation in terms of Section 4(5) of the LIC Act, 1956.

The brief profile of Mr. V. S. Parthasarathy, in terms of Regulation 36 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), is annexed to this Notice.

Except Mr. V. S. Parthasarathy and his relatives, none of the other Directors, Key Managerial Personnel of the Corporation and their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise in the passing of the resolution set out at Item No. 10.

The Members are, therefore, requested to grant their approval by way of a Special Resolution for the appointment of Mr. V. S. Parthasarathy as an Independent Director of the Corporation.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 10 of the AGM Notice.

Item No. 11

The Nomination & Remuneration Committee of the Board (NRC) recommended the appointment of Mr. M.P. Vijay Kumar as an Independent Director of the Corporation for a term of four years. Based on the recommendation of NRC, and considering the skills, background, experience and knowledge, the Board approved the appointment of Mr. M.P. Vijay Kumar as an Independent Director on the Board of the Corporation to hold office for a term of four consecutive years with effect from January 29, 2022, as per Rule 5 of the Life Insurance Corporation General Rule, 1956 read with Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956 and all other applicable provisions. In terms of Section 23A(1) of the LIC Act, 1956, the Board was also having the authority of AGM at that time. Further, appointment of Mr. M.P. Vijay Kumar by the Board needs to be formally approved at the 1st AGM.

Rule 5(1) of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 provides that an Independent Director shall hold office for a term of four years and shall be eligible for one further term of four years other than the first three Independent Directors of the Corporation whose first term will be for six months, in terms of Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956.

Mr. M.P. Vijay Kumar meets all the criteria of independence as prescribed under the LIC Act, 1956 and the rules and regulations made thereunder, SEBI Listing Regulations and IRDAI guidelines (to the extent applicable) and is not disqualified in terms of Section 4A of the LIC Act, 1956. He has given his consent to act as Independent Director on the Board of LIC. Further, he has also declared having no financial or other interest as is likely to affect prejudicially the exercise or performance by his of the functions of a Director of the Corporation in terms of Section 4(5) of the LIC Act, 1956.

The brief profile of Mr. M.P. Vijay Kumar, in terms of Regulation 36 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), is annexed to this Notice.

Except Mr. M.P. Vijay Kumar and his relatives, none of the other Directors, Key Managerial Personnel of the Corporation and their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise in the passing of the resolution set out at Item No. 11.

The Members are, therefore, requested to grant their approval by way of a Special Resolution for the appointment of Mr. M.P. Vijay Kumar as an Independent Director of the Corporation.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 11 of the AGM Notice.

Item No. 12

The Nomination & Remuneration Committee of the Board (NRC) recommended the appointment of Mr. Sanjeev Nautiyal as an

Independent Director of the Corporation for a term of four years. Based on the recommendation of NRC, and considering the skills, background, experience and knowledge, the Board approved the appointment of Mr. Sanjeev Nautiyal as an Independent Director on the Board of the Corporation to hold office for a term of four consecutive years with effect from January 29, 2022, as per Rule 5 of the Life Insurance Corporation General Rule, 1956 read with Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956 and all other applicable provisions. In terms of Section 23A(1) of the LIC Act, 1956, the Board was also having the authority of AGM at that time. Further, appointment of Mr. Sanjeev Nautiyal by the Board needs to be formally approved at the 1st AGM.

Rule 5(1) of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 provides that an Independent Director shall hold office for a term of four years and shall be eligible for one further term of four years other than the first three Independent Directors of the Corporation whose first term will be for six months, in terms of Section 4(2)(g) of the LIC Act, 1956.

Mr. Sanjeev Nautiyal meets all the criteria of independence as prescribed under the LIC Act, 1956 and the rules and regulations made thereunder, SEBI Listing Regulations and IRDAI guidelines (to the extent applicable) and is not disqualified in terms of Section 4A of the LIC Act, 1956. He has given his consent to act as Independent Director on the Board of LIC. Further, he has also declared having no financial or other interest as is likely to affect prejudicially the exercise or performance by his of the functions of a Director of the Corporation in terms of Section 4(5) of the LIC Act, 1956.

The brief profile of Mr. Sanjeev Nautiyal, in terms of Regulation 36 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), is annexed to this Notice.

Except Mr. Sanjeev Nautiyal and his relatives, none of the other Directors, Key Managerial Personnel of the Corporation and their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise in the passing of the resolution set out at Item No. 12.

The Members are, therefore, requested to grant their approval by way of a Special Resolution for the appointment of Mr. Sanjeev Nautiyal as an Independent Director of the Corporation.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 12 of the AGM Notice.

Item No. 13

In terms of Section 25 of the LIC Act, 1956 read with Rule 22 of Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956 and Regulation 22 of Life Insurance Corporation General Regulations, 2021 and the provisions of the Board approved policy for appointment of Statutory Central Auditors and Statutory Divisional Auditors, the appointment/re-appointment of Statutory Central Auditors of the Corporation needs to be approved by the members in the AGM. It is proposed to authorize the Board of Directors to approve the term and other terms and conditions and remuneration for appointment/reappointment of Statutory Central Auditors (SCAs) on the recommendation of the Audit Committee. The names of firms proposed to be appointed as SCAs are given in the resolution contained under item no. 13 of the AGM notice.

Further, it is also proposed to authorize the Board of Directors for appointment and/or re-appointment of Statutory Divisional Auditors (SDAs) of the Corporation in terms of Section 25 of the LIC Act, 1956 and the rules and regulations made thereunder and to approve their terms and conditions and remuneration for appointment on the recommendation of the Audit Committee.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Corporation or their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise, in the said resolution.

The Board of Directors of the Corporation recommends passing

of the Ordinary Resolution, as set out at item no. 13 of this Notice, for approval of the members.

Item No. 14

The Government of India vide their notification dated March 14, 2019, had appointed Mr. M. R. Kumar as Chairman of the Corporation till attainment of superannuation or until further orders, whichever is earliest.

Subsequently, the Government of India vide its notification dated June 09, 2021 extended the term of Mr. M. R. Kumar, Chairman for a period of one year or until further orders, whichever is earliest.

The Government of India through Finance Bill, 2021 amended the LIC Act, 1956 and the provisions of amended Act have come into force w.e.f., June 30, 2021. Pursuant to Section 4(2)(a) of LIC Act, 1956, Mr. M.R. Kumar has been re-designated as Whole-Time Chairperson of the Corporation. The Government of India vide its notification dated January 30, 2022 has extended the term of Chairperson for a further period of one year, i.e., upto March 13, 2023 or until further orders, whichever is earliest.

Mr. M.R. Kumar holds bachelor's degree in science from the Faculty of Science, University of Madras. He has also passed the licentiate examination conducted by the Insurance Institute of India in September 2015. He joined the Corporation in the year 1983 as an apprentice officer and has valuable experience in the insurance sector. Previously, he was the zonal manager of South, North-Central and North zones of the Corporation and has also headed the personnel and pension & group schemes department.

In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 14 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Mr. M.R. Kumar.

Except Mr. M.R. Kumar and his relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the resolution contained under Item No. 14.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 14 of the AGM Notice.

Item No. 15

The Government of India vide their notification dated July 04, 2022, had appointed Mr. Suchindra Misra as Government Nominee Director of the Corporation until further orders.

Mr. Suchindra Misra is Additional Secretary in the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. He is from the 1992 batch of Indian Defence Accounts Service and has served in various assignments within the Defence Accounts Department. He has also served in the Ministry of Finance, Government of India as Deputy Secretary / Director in the Department of Investment and Public Asset Management and in the Department of Expenditure and as Joint Secretary in the Department of Financial Services. He is an alumnus of Delhi University and XLRI-Xavier School of Management, Jamshedpur.

In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 15 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Mr. Suchindra Misra.

Except Mr. Suchindra Misra and his relatives and the Government of India, who is a major shareholder in the Corporation, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the resolution contained under Item No. 15.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 15 of the AGM Notice.

Item No. 16

The Government of India vide their notification dated November

01, 2019, had appointed Mr. Raj Kumar as Managing Director of the Corporation w.e.f. November 01, 2019 till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earliest.

Subsequently, the Government of India vide their notification dated January 30, 2022, extended the term of Mr. Raj Kumar for the further period of one year. i.e., upto January 31, 2023 or until further orders, whichever is earliest.

Mr. Raj Kumar holds bachelor's degree in science from D.A.V College, Guru Nanak Dev University, Jalandhar, Punjab. He joined the Corporation in the year 1984 as an apprentice officer and has valuable experience in the insurance sector. He has also served as the chief executive officer of LIC Mutual Fund Asset Management Limited and was also the zonal manager, central zone, executive director (estate and office services), Mumbai, amongst others, of the Corporation. He was also the senior divisional manager of Gorakhpur and Jaipur Divisions of the Corporation.

In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 16 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Mr. Raj Kumar.

Except Mr. Raj Kumar and his relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the resolution contained under Item No. 16.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 16 of the AGM Notice.

Item No. 17

The Government of India vide their notification dated January 20, 2021, had appointed Mr. Siddhartha Mohanty as Managing Director of the Corporation w.e.f., February 02, 2021 till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earliest.

Mr. Siddhartha Mohanty holds bachelor's degree in law and a master's degree in arts (political science) from Utkal University, Bhubaneswar, Odisha. He also holds a post graduate certification on business management from the Xavier Institute of Management, Bhubaneshwar, Odisha. He has also passed the licentiate examination conducted by the Insurance Institute of India in November 2002. He previously served as COO and CEO of LIC Housing Finance Limited and has held various other positions, such as, senior divisional manager of Raipur and Cuttack, Chief (legal), chief (investment - monitoring & accounting), executive director (legal), amongst others. During his tenure as Chief (legal), Mumbai, the Corporation also won the "Best Insurance In-House Legal Team of the Year" at the Legal Era Awards 2013-14. He joined our Corporation in the year 1985 as an apprentice officer and has valuable experience in the insurance sector

In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 17 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Mr. Siddhartha Mohanty.

Except Mr. Siddhartha Moahnty and his relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the resolution contained under Item No. 17.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 17 to the AGM Notice.

Item No. 18

The Government of India vide their notification dated July 05, 2021, had appointed Ms. Mini Ipe as Managing Director of the Corporation w.e.f., August 02, 2021 till the date of her superannuation or until further orders, whichever is earliest.

Ms. Mini Ipe holds master's degree in commerce from the Faculty of Commerce and Management Studies, Andhra University. She has also completed the certification programme in IT and Cyber

Security for Board Members from the Institute for Development and Research in Banking Technology (established by the Reserve Bank of India). She joined the Corporation in the year 1986 as an apprentice officer and has valuable experience in the insurance sector. Previously, she was also the CEO of LICHFL Financial Services Limited and has led the international operations of the Corporation. Previously, she was also the shareholder director of Central Bank of India. She has been recognized as one of 'India's top 100 women in finance' in the year 2020 by the Association of International Wealth Management of India.

In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 18 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Ms. Mini Ipe.

Except Ms. Mini Ipe and her relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the resolution contained under Item No. 18.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 18 of the AGM Notice.

Item No. 19

The Government of India vide their notification dated July 05, 2021, had appointed Mr. Bishnu Charan Patnaik as Managing Director of the Corporation w.e.f., October 01, 2021 till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earliest.

Mr. Bishnu Charan Patnaik holds bachelor's and master's degree in arts (political science) from Utkal University, Bhubaneshwar, Odisha. He is also a fellow of the Insurance Institute of India. He was the secretary general of the Governing Body of the Insurance Council. He joined the Corporation in the year 1985 as an apprentice officer and has valuable experience in the insurance sector and has handled several positions in the Corporation such as senior divisional manager of Jamshedpur and Berhampur divisions, regional manager (marketing, bancassurance and alternate channels), regional manager (customer relationship management) and director of Zonal Training Centre in Agra.

In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 19 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Mr. Bishnu Charan Patnaik.

Except Mr. Bishnu Charan Patnaik and his relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the resolution contained under Item No. 19.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 19 to the AGM Notice.

Item No. 20

Pursuant to Section 4C of LIC Act, 1956, related party transactions such as sale/ purchase of goods or services, disposal or lease of property of any kind, appointment of any agent for purchase or sale of any goods, materials, services or property, appointment to an office of profit and underwriting the subscription of securities/ derivatives of the Corporation, transfer of resources, etc., shall require prior approval of Members, if transactions exceeded such sums, as prescribed. Further, such transactions were exempt from the prior approval of Members, if they were in the ordinary course of business and at arms' length. However, as per SEBI Listing Regulations, any type of transaction with a Related Party, if material, requires prior approval of Members, even if such transactions were in ordinary course of business and at arms' length. Pursuant to the amendment in SEBI Listing Regulations, effective April 1, 2022, a transaction with a related party shall be considered material, if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds Rs. 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower. The Audit Committee had accorded their approval for the material

transactions with related parties in the ordinary course of business and at arm's length for FY2023. Accordingly, the Corporation proposes to enter into transactions with related parties as provided in resolution at Item No. 20, during FY2023, at the agreed terms of the transactions between the parties. The Audit Committee has approved the said related party transactions and has noted that although these transactions are in the ordinary course of business and are at arm's length, they may qualify as material related party transactions under the SEBI Listing Regulations. Accordingly, the Members' approval is sought for the same. Information required under Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations read with SEBI Circular dated November 22, 2021 is provided herewith:

- (I) Name of the Related Party and Nature of Relationship: LIC Mutual Fund Ltd ASSOCIATE
- (II) Other Information

| | | Type of Transaction | | |
|--------|---|--|--|--|
| S. No. | Particulars | Placement by related parties in Mutual Fund | Redemption of scheme by related parties in Mutual Fund | |
| 1 | Value of the transaction | ₹ 20,000 Cr | ₹ 20,000 Cr | |
| 2 | Material Terms | 90 days Redemption | 90 days Redemption | |
| 3 | Nature of concern or interest (financial/ otherwise) | financial | financial | |
| 4 | Tenure of the transaction | 90 days | 90 days | |
| 5 | % of value of transaction/ the Company's annual consolidated turnover for immediately preceding financial year (Based on Consolidated turnover of FY2022) | 2.76% | 2.76% | |
| 6 | Details of the source of funds in connection with the proposed transaction | Investible surplus | Investible surplus | |
| 7 | Details of financial indebtedness incurred for investment | N/A | N/A | |
| 8 | Applicable terms of the investment such as covenants, tenure, interest rate, repayment schedule, secured/ unsecured, if secured, nature of security | N/A | N/A | |
| 9 | The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the related party transaction | Temporary parking of funds and compliance of IRDAI norms | Temporary parking of funds and compliance of IRDAI norms | |
| 10 | Justification as to why the Related party transaction is in the interest of the listed entity | Temporary parking of funds and compliance of IRDAI norms | Temporary parking of funds and compliance of IRDAI norms | |
| 11 | Valuation or other external party report | N/A | N/A | |

A member who is a related party to the Corporation, shall not vote on the resolutions specified in Item No. 20 of this Notice, irrespective of whether the member is a party to the particular related party transaction or not. None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, is concerned/interested financially or otherwise in the above resolution, except to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Company and in the entities mentioned above, if any.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 20 of the AGM Notice.

By Order of the Board For Life Insurance Corporation of India

(Pawan Agrawal) Company Secretary Membership No.: FCS 7744

Central Office:

Life Insurance Corporation of India 'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Nariman point, Mumbai – 400 021 Tel. No: 022 – 2202 2079

Email: investors@licindia.com Website: www.licindia.in Details under Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Secretarial Standard 2, in respect of the Directors seeking appointment/re-appointment


| Name of Director | Dr. Ranjan Sharma | Mr. Vinod Kumar Verma | Prof. Anil Kumar |
|--|--|--|--|
| Age | 55 years | 56 years | 60 years |
| Nationality | Indian | Indian | Indian |
| Qualifications | M.A., Phd | B.A. | B.Com (H), M.Com, Phd. |
| DIN | 09573799 | 09309031 | 09477565 |
| Brief Resume | Dr. Ranjan Sharma is Associate Professor at Shri Lal Bahadur Shastri Degree College, Gonda, Uttar Pradesh and has been associated with the college since 1990. He holds master's degree in arts from University of Allahabad, Uttar Pradesh. He holds a Doctorate degree in Geography from Dr Ram Manohar Lohia Avadh University, Ayodhya, Uttar Pradesh. He is experienced in academics and Corporate Governance. | He holds bachelor's degree in Arts from Purvanchal University, Jaunpur, Uttar Pradesh. He is deeply involved in Business of Electronics Goods and is having experience and knowledge in the fields of business, sales and marketing | Prof. Anil Kumar holds a bachelor's degree in commerce from the Shri Ram College of Commerce, University of Delhi and a master's degree in commerce from the Delhi School of Economics, University of Delhi. He also holds a Doctorate (Ph.D) in the area of Corporate Governance from the University of Delhi. He is currently working as Professor in the Department of Commerce of the Shri Ram College of Commerce, University of Delhi. He founded Vittshalla to spread financial literacy across the nooks and corners of the country. He has also authored various books on inter alia corporate governance and corporate laws. He has more than 30 years of experience of teaching, research, training and consultancy in corporate governance and CSR |
| Expertise in specific functional areas | Academics & Corporate Governance | Business, Sales & Marketing | Academics & Corporate Governance |
| Terms and conditions of appointment / reappointment | He was appointed as an Independent Director for second term w.e.f., 29th April, 2022 for a term of 4 years. The First term of six months ended on 28th April, 2022. The other terms and conditions are available on website of the Corporation at https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy.pdf.aspx | He was appointed as an Independent Director for second term w.e.f., 29th April, 2022 for a term of 4 years. The First term of six months ended on 28th April, 2022. The other terms and conditions are available on website of the Corporation at https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy.pdf.aspx | He was appointed as an Independent Director for second term w.e.f., 20th July, 2022 for a term of 4 years. The First term of six months ended on 19th July, 2022. The other terms and conditions are available on website of the Corporation at https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy.pdf.aspx |
| Details of remuneration and remuneration last drawn | Please refer Corporate Governa | ance Report annexed to Annual F | Report at page no. 215 |
| Date on which first appointed on the Board | October 29, 2021 | October 29, 2021 | January 20, 2022 |
| Details of shareholding in the Corporation | Nil | Nil | Nil |
| Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any) | None | None | None |
| Number of Board meetings attended during the year | Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 215 | | |
| Details of Directorships/ Committee chairmanship and memberships in other Companies | Please refer Corporate Governa | ance Report annexed to Annual F | Report at page no. 215 |

| Name of Director | Ms. Anjuly Chib Duggal | Mr. Gurumoorthy Mahalingam | Mr. Raj Kamal |
|--|---|---|--|
| Age | 65 years | 66 years | 52 years |
| Nationality | Indian | Indian | Indian |
| Qualifications | M.A. | M.Sc. (Statistics), MBA | B.Tech (Mech. Engg.), PGP in Management |
| DIN | 05264033 | 09660723 | 07653591 |
| Brief Resume | Ms. Anjuly Chib Duggal holds a master's degree in arts from the Punjab University. She is a retired Indian Administrative Services officer from the Punjab cadre (batch of 1981). Previously, she has also worked, amongst others, as Secretary with the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India and as Secretary with the Ministry of Corporate Affairs. She was also a director on the board of Reserve Bank of India and State Bank of India. | Mr. Gurumoorthy Mahalingam holds a master's degree in science (statistics) from Indian Institute of Technology, Kanpur and a master's degree in business administration (international banking and finance) from the University of Birmingham. Previously, he was, amongst others, the whole-time director of SEBI and was also the executive director of Reserve Bank of India and has numerous years of experience in the financial sector. | Mr. Raj Kamal holds a bachelor's degree of technology in mechanical engineering from the Indian Institute of Technology, Bombay and is a post graduate in management from the Indian School of Business, Hyderabad. Previously, he was also the Chief Executive Officer of OYO Vacation Homes. |
| Expertise in specific functional areas | Administration, Finance and Corporate Affairs | Banking and Securities Regulations | Administration and Management Consultancy |
| Terms and conditions of appointment / reappointment | She was appointed as an Independent Director w.e.f., 29th January, 2022 for a term of 4 years. | He was appointed as an Independent Director w.e.f., 29th January, 2022 for a term of 4 years. | He was appointed as an Independent Director w.e.f., 29th January, 2022 for a term of 4 years. |
| | The other terms and conditions are available on website of the Corporation at https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy.pdf.aspx | The other terms and conditions are available on website of the Corporation at https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy.pdf.aspx | The other terms and conditions are available on website of the Corporation at https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy.pdf.aspx |
| Details of remuneration and remuneration last drawn | Please refer Corporate Governa | ance Report annexed to Annual F | Report at page no. 215 |
| Date on which first appointed on the Board | January 29, 2022 | January 29, 2022 | January 29, 2022 |
| Details of shareholding in the Corporation | Nil | Nil | Nil |
| Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any) | None | None | None |
| Number of Board meetings attended during the year | Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 215 | | |
| Details of Directorships/ Committee chairmanship and memberships in other Companies | Please refer Corporate Governa | ance Report annexed to Annual F | Report at page no. 215 |

| Name of Director | Mr. V. S. Parthasarathy | Mr. M.P. Vijay Kumar | Mr. Sanjeev Nautiyal |
|--|---|---|---|
| Age | 60 years | 53 years | 60 years |
| Nationality | Indian | Indian | Indian |
| Qualifications | B.Com, FCA | B.Com, FCA, FCS, FCMA | BA, MBA |
| DIN | 00125299 | 05170323 | 08075972 |
| Brief Resume | He holds a bachelor's degree in commerce from Gujarat University. He is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India and a member of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. He has also done Advance Management Program from Havard Business School. Previously, inter alia, he was also the group chief financial officer and group chief information officer of the Mahindra Group. | Mr. M.P. Vijay Kumar is a Chartered Accountant, Cost Accountant and Company Secretary. Since 2007, he is the Chief Financial Officer at Sify Technologies Limited, a listed company. He is an independent director on the boards of, amongst others, Thejo Engineering Limited. He is also a member of the IFRS Interpretation Committee of International Accounting Standards Board, member of IFRS Advisory Council, London and a fellow of the Institute of Directors. He had earlier worked for the Investment banking subsidiary of Sundaram Finance Limited for over 7 years and was a Chartered Accountant in practice for over 8 years. | Mr Sanjeev Nautiyal is a former Deputy Managing Director of SBI.He holds an M.B.A Degree and is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). Mr. Nautiyal was entrusted with varied leadership roles in his 36 years with SBI, major ones being: » Dy MD (Financial Inclusion & Micro Markets) » MD & CEO, SBI Life Insurance » Chief General Manager Ahmedabad Circle He was also entrusted with responsibilities, such as: » CEO, Retail Branch, Bahrain » Regional Head of SBI Operations in Middle East, West Asia & North Africa based out of Bahrain/Dubai. Mr. Nautiyal has wide experience in areas of Financial Services viz, Loans to Retail (SME, Agriculture, Housing, Car, etc.), Mid Corporate Lending, International Banking, Human Resources & Life Insurance. |
| Expertise in specific functional areas | Management, Finance and Accounts | Financial Reporting, Audit, Corporate laws and Information Technology | Banking and Life Insurance |
| Terms and conditions of appointment / reappointment | He was appointed as an Independent Director w.e.f., 29th January, 2022 for a term of 4 years. The other terms and conditions are available on website of the Corporation at https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy.pdf.aspx | He was appointed as an Independent Director w.e.f., 29th January, 2022 for a term of 4 years. The other terms and conditions are available on website of the Corporation at https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy.pdf.aspx | He was appointed as an Independent Director w.e.f., 29th January, 2022 for a term of 4 years. The other terms and conditions are available on website of the Corporation at https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy.pdf.aspx |
| Details of remuneration and remuneration last drawn | Please refer Corporate Governa | ance Report annexed to Annual F | Report at page no. 215 |
| Date on which first appointed on the Board | January 29, 2022 | January 29, 2022 | January 29, 2022 |
| Details of shareholding in the Corporation | Nil | Nil | Nil |
| Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any) | None | None | None |
| Number of Board meetings attended during the year | Please refer Corporate Governa | ance Report annexed to Annual R | Report at page no. 215 |
| Details of Directorships/ Committee chairmanship and memberships in other Companies | Please refer Corporate Governa | ance Report annexed to Annual R | Report at page no. 215 |

| Name of Director | Mr. M.R. Kumar | Mr. Suchindra Misra | Mr. Raj Kumar |
|--|--|--|---|
| Age | 61 years | 54 years | 60 years |
| Nationality | Indian | Indian | Indian |
| Qualifications | B.Sc, Licentiate from Insurance Institute of India | B.Sc (Hons) and PGBM | B.Sc |
| DIN | 03628755 | 01873568 | 06627311 |
| Brief Resume | He is the Whole-time Chairperson of the Corporation. He holds bachelor's degree in science from the Faculty of Science, University of Madras. He has also passed the licentiate examination conducted by the Insurance Institute of India in September 2015. He joined the Corporation in the year 1983 as an apprentice officer and has experience in the insurance sector. Previously, he was the zonal manager of South, North- Central and North zones of our Corporation and has also headed the personnel and pension & group schemes department of the Corporation. | He is Government Nominee Director of the Corporation and is an officer of the Indian Defence Accounts Service from the 1990 batch. He is presently serving as Additional Secretary in the Ministry of Finance, Government of India. He is an alumnus of Delhi University and XLRI-Xavier School of Management, Jamshedpur. | He is the Managing Director of the Corporation. He holds bachelor's degree in science from D.A.V College, Guru Nanak Dev University, Jalandhar, Punjab. He joined our Corporation in the year 1984 as an apprentice officer and has experience in the insurance sector. He has also served as the Chief Executive Officer of LIC Mutual Fund Asset Management Limited and was also the Zonal Manager, central zone. He has also headed Estate and Office Services department. He was also the Senior Divisional Manager of Gorakhpur and Jaipur Divisions of the Corporation. |
| Expertise in specific functional areas | Administration, Life Insurance and Corporate Governance | Administration, Finance and Corporate Governance | Administration, Life Insurance and Corporate Governance |
| Terms and conditions of appointment / reappointment | As per Government of India notifications dated March 14, 2019, June 09, 2021 and January 30, 2022 | As per Government of India notification dated July 04, 2022 | As per Government of India notifications dated November 01, 2019 and January 30, 2022 |
| Details of remuneration and remuneration last drawn | Please refer Corporate Governa | ance Report annexed to Annual F | Report at page no. 215 |
| Date on which first appointed on the Board | March 14, 2019 | July 04, 2022 | November 01, 2019 |
| Details of shareholding in the Corporation | Nil | Nil | Nil |
| Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any) | None | None | None |
| Number of Board meetings attended during the year | Please refer Corporate Governa | ance Report annexed to Annual F | Report at page no. 215 |
| Details of Directorships/ Committee chairmanship and memberships in other Companies | Please refer Corporate Governa | ance Report annexed to Annual F | Report at page no. 215 |

| Name of Director | Mr. Siddhartha Mohanty | Ms. Mini Ipe | Mr. Bishnu Charan Patnaik |
|--|---|---|--|
| Age | 59 years | 59 years | 59 years |
| Nationality | Indian | Indian | Indian |
| Qualifications | LL.B, MA, PGCBM, Licentiate from Insurance Institute of India | M.Com | MA (Political Science), FII |
| DIN | 08058830 | 07791184 | 08384583 |
| Brief Resume | He is the Managing Director of the Corporation. He holds bachelor's degree in law and a master's degree in arts (political science) from Utkal University, Bhubaneswar, Odisha. He also holds a post graduate certification on business management from the Xavier Institute of Management, Bhubaneshwar, Odisha. He has also passed the licentiate examination conducted by the Insurance Institute of India in November 2002. He previously served as COO and CEO of LIC Housing Finance Limited and has held various other positions, such as, Senior Divisional Manager of Raipur and Cuttack, Chief (Legal), Chief (investment – Monitoring & Accounting), Executive Director (Legal), amongst others. During his tenure as chief (legal), Mumbai, our Corporation also won the "Best Insurance In-House Legal Team of the Year" at the Legal Era Awards 2013-14. He joined the Corporation in the year 1985 as an apprentice officer and has experience in the insurance sector | She is the Managing Director of the Corporation. She holds master's degree in commerce from the Faculty of Commerce and Management Studies, Andhra University. She has also completed the certification programme in IT and Cyber Security for Board Members from the Institute for Development and Research in Banking Technology (established by the Reserve Bank of India). She joined the Corporation in the year 1986 as an apprentice officer and has experience in the insurance sector. Previously, she was also the CEO of LICHFL Financial Services Limited and has led the international operations of the Corporation. She has been recognized as one of 'India's top 100 women in finance' in the year 2020 by the Association of International Wealth Management of India | He is the Managing Director of the Corporation. He holds bachelor's and master's degree in arts (political science) from Utkal University, Bhubaneshwar, Odisha. He is also a fellow of the Insurance Institute of India. He was the Secretary General of the Governing Body of the Insurance Council. He joined the Corporation in the year 1985 as an apprentice officer and has experience in the insurance sector and has handled several positions in the Corporation such as Senior Divisional Manager of Jamshedpur and Berhampur Divisions, Regional Manager (Marketing, Bancassurance and Alternate Channels), Regional Manager (Customer Relationship Management) and Director of Zonal Training Centre, Agra. |
| Expertise in specific functional areas | Administration, Life Insurance and Corporate Governance | Administration, Life Insurance and Corporate Governance | Administration, Life Insurance and Corporate Governance |
| Terms and conditions of appointment / reappointment | As per Government of India notification dated January 20, 2021 | As per Government of India notification dated July 05, 2021 | As per Government of India notification dated July 05, 2021 |
| Details of remuneration and remuneration last drawn | Please refer Corporate Governa | ance Report annexed to Annual F | Report at page no. 215 |
| Date on which first appointed on the Board | February 02, 2021 | August 02, 2021 | October 01, 2021 |
| Details of shareholding in the Corporation | Nil | Nil | Nil |
| Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any) | None | None | None |
| Number of Board meetings attended during the year | Please refer Corporate Governa | ance Report annexed to Annual F | Report at page no. 215 |
| Details of Directorships/ Committee chairmanship and memberships in other Companies | Please refer Corporate Governa | ance Report annexed to Annual F | Report at page no. 215 |



65 वीं वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2021-22



31.03.2022 को ¦ DIRECTORS OF THE निगम के निदेशक ¦ CORPORATION AS ON 31.03.2022



श्री एम. आर. कुमार, अध्यक्ष Shri M.R. Kumar, Chairperson



श्री पंकज जैन Shri Pankaj Jain



श्री राज कुमार Shri Raj Kumar



श्री सिद्धार्थ महान्ति Shri Siddhartha Mohanty



श्रीमती आईप मिनी Smt Ipe Mini



श्री बी. सी.पटनायक Shri B C Patnaik



श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल Smt. Anjuly Chib Duggal



डॉ. रंजन शर्मा Dr. Ranjan Sharma



श्री विनोद कुमार वर्मा Shri Vinod Kumar Verma



प्रो. अनिल कुमार Prof. Anil Kumar



श्री गुरुमूर्ति महालिंगम Shri Gurumoorthy Mahalingam



श्री राज कमल Shri Raj Kamal



श्री वी.एस.पार्थसारथी Shri V. S. Parthasarathy



श्री एम. पी. विजय कुमार Shri M. P. Vijay Kumar



श्री संजीव नौटियाल Shri Sanjeev Nautiyal





हमारा कल्पना दर्शन

अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतिस्पर्धी, विशाल वित्तीय समूह, जो विभिन्न समाजों के लिए महत्वपूर्ण हो एवं भारत का गौरव हो।

हमारा लक्ष्य

आकांक्षा के अनुरूप उत्पाद एवं सेवाओं के माध्यम से समुचित लाभ के साथ वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सभी के जीवन स्तर को निरापद रखना एवं उन्नत करना तथा आर्थिक विकास के लिए संसाधन सुनिश्चित करना।

हमारे मूल्य

अभिरक्षण व शिष्टाचार अभिक्रम व नवीनता सत्यनिष्ठा व पारदर्शिता गुणवत्ता व लाभ सहभागिता व संबंध विश्वसनीयता व भरोसा

हमारी संस्कृति

दक्षता अनुकूलता सहयोग प्रतिबद्धता अनुशासन अधिकृत करना संवेदनशीलता उत्कृष्ठता

OUR VISION

To transform ourselves into a transnationally competitive financial conglomerate of significance to societies and the Pride of India.

OUR MISSION


To ensure and enhance the quality of life of people through financial security by providing products and services of aspired attributes with competitive returns and by rendering resources for economic development.

OUR VALUES

Caring and courtesy Initiatives and Innovation Integrity and Transparency Quality and Returns Participation and Relationship Trustworthiness and Reliability

OUR CULTURE

Agility
Adaptability
Collaboration
Commitment
Discipline
Empowerment
Sensitivity
Excellence



Total Number of Claims Settled 267.23 lacs

CLAIM SETTLEMENT
PERFORMANCE 2021-22
(Individual Claims Only with IO & MICRO)

Total Amount of 192568.54 Crs.

Percentage of Maturity 90.99
Claims Paid

Percentage of Death Claims Paid 98.76

7,21,102.57

OTHER PERFORMANCE PARAMETERS (Rs.in Crs) F.Y.2021-22

Total Assets 42,30,616.95

Total Premium Income **4,27,419.22**

Payment to Policyholders 3,57,464.90

Total Life Fund 37,35,759.72



PRODUCT DEVELOPMENT

At the end of the financial year 2021-22, we have 33 plans for sale under Individual Business. The products satisfy the different needs of various segments of the society. The various categories being Endowment, Term Assurance, Children, Pension, Micro Insurance, Health Insurance, Unit linked type plans etc







← विषय सूची →

अंतर्वस्तु

निगमित अवलोकन

| | 1 1 1 | | |
|--------|--------|--|-----|
| > | एल | प्राईसी एक नज़र में | |
| > | निर्गा | मेत इतिवृत्त | 9 |
| > | अध्य | क्ष का संदेश | 13 |
| वैधा | नेक र् | रेपोर्ट | |
| > | प्रबंध | न चर्चा और विश्लेषण | 16 |
| > | निदेः | शक रिपोर्ट | 55 |
| > | कॉप | रिट शासन रिपोर्ट | 67 |
| > | सचि | वीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट | 98 |
| > | व्याप | ार जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट | 106 |
| वित्ती | य विव | <u>बरण</u> | |
| > | स्वतं | त्र (स्टैंडअलोन) | |
| | ✓ | स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट और प्रमाण पत्र | 303 |
| | ✓ | तुलन पत्र | 328 |
| | ✓ | राजस्व लेखा | 335 |
| | ✓ | लाभ और हानि लेखा | 344 |
| | ✓ | अनुसूची 1 से 15, 15ए,बी,सी और | 350 |
| | | (अनुलग्नक -1 - खंडीय तुलन पत्र और राजस्व लेखा) | |
| | ✓ | प्राप्ति और भुगतान लेखा | 518 |
| | ✓ | सीआरएसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति | 521 |
| | ✓ | प्रबंधन रिपोर्ट | 537 |








> समेकितः

| ✓ | स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट | 553 |
|---|--|-----|
| ✓ | तुलन पत्र | 570 |
| ✓ | राजस्व लेखा | 573 |
| ✓ | लाभ और हानि लेखा | 576 |
| ✓ | प्राप्ति और भुगतान लेखा | 578 |
| ✓ | अनुसूची 1 से 15, 15ए,बी,सी और | 580 |
| | (अनुलग्नक -1 - खंडीय तुलन पत्र और राजस्व लेखा) | |









Corporate Overview

| > | LIC | at a glance | |
|------------|-------|--|-----|
| > | Coi | porate Chronicle | 155 |
| > | Cha | airperson's Message | 159 |
| <u>Sta</u> | tutor | y Reports | |
| > | Mai | nagement Discussion and Analysis | 163 |
| > | Dir | ectors' Report | 203 |
| > | Coi | porate Governance Report | 215 |
| > | Sec | retarial Audit Report | 246 |
| > | Bus | iness Responsibility & Sustainability Report | 254 |
| FIN | ANC | AL STATEMENTS | |
| > | Sta | ndalone: | |
| | ✓ | Independent auditors Report and certificate | 303 |
| | ✓ | Balance sheet | 328 |
| | ✓ | Revenue Account | 335 |
| | ✓ | Profit & Loss Account | 344 |
| | ✓ | Schedule 1 to 15, 15A, B, C (Annexure -1 - Segmental balance sheet and Revenue Account) | 350 |
| | ✓ | Receipts & Payments Account | 518 |
| | ✓ | Financials of CRAC Business | 521 |
| | ✓ | Management Report | 537 |







> Consolidated:

| ✓ | Independent Auditor's Report | 553 |
|---|--|-----|
| ✓ | Balance Sheet | 570 |
| ✓ | Revenue Account | 573 |
| ✓ | Profit and Loss Account | 576 |
| ✓ | Receipts & Payments Account | 578 |
| ✓ | Schedules 1 to 15, 15A, B, C Significant Accounting Policies and Notes | 580 |

ADDITIONAL INFORMATION

| - | Embedded Value Report | 720 |
|---|-----------------------|-----|
| _ | Glossary of Terms | 728 |









निगमित इतिवृत्त

| 1956 | • | 245 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण भारतीय जीवन बीमा निगम, 1 सितंबर को अस्तित्व में आया। |
|------|---|---|
| | • | फिजी और मॉरीशस में विदेशी शाखाएं प्रारम्भ। |
| 1957 | • | समूह बीमा योजना के अंतर्गत पहली मास्टर पॉलिसी एलआईसी के मुंबई कार्यालय द्वारा जारी की गई थी, जिसमें 122 कर्मचारी तथा ₹ 1,82,000/– की कुल |
| | | बीमा राशि शामिल थी। |
| | • | ₹ 3.5 लाख के एकल प्रीमियम के साथ कुल ₹ 12.5 लाख के लिए 11 कर्मचारियों को कवर करने वाली पहली पेंशन पॉलिसी योजना जारी की गई थी। |
| | • | 'योगक्षेम'कॉर्पोरेट पत्रिका मई में एक त्रैमासिक पत्रिका के रूप में शुरू हुई। |
| | • | वेतन बचत योजना माध्यम शुरू किया गया जिससे लाखों कर्मचारी एलआईसी पॉलिसी लेने में सक्षम। |
| 1958 | • | एलआईसी की पहली निवेश नीति 25 अगस्त को संसद के पटल पर रखी गई। |
| | • | प्रथम बीमा ग्राम – अमरावती ज़िले में तलनी पूर्णा ग्राम को घोषित किया गया। |
| 1959 | • | दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय के आवास के लिए एक 14 मंज़िला स्काई स्क्रैपर भवन का निर्माण किया गया। |
| 1960 | • | नागपुर में 16 मई को अधिकारी प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की गई। |
| | • | यू.के. में विदेशी शाखा आरम्भ की गई । |
| 1961 | • | रोहतक ज़िले में 15 अगस्त को ऑन द स्पॉट पॉलिसियों के लिए प्रथम शिविर का आयोजन किया गया। |
| | • | अधिकारी वर्ग की प्रत्यक्ष भर्ती का पहला बैच निगम में शामिल । |
| 1962 | • | डाकघरों के माध्यम से प्रीमियम संग्रह की पायलट योजना का उदघाटन 25 मार्च, 1962 को ग्राम चंदलाई में किया गया। |
| | | |
| 1963 | • | एलआईसी ने कैलेण्डर वर्ष से वित्तीय वर्ष में कार्य करने के परिवर्तन को अपनाया। |
| | - | भारतीय जीवन बीमा निगम के कॉर्पोरेट कार्यालय 'योगक्षेम' एक स्थापत्य स्थल चित्र का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 दिसंबर को किया। |
| | • | मुंबई और कोलकाता कार्यालयों में पहले कंप्यूटर स्थापित किए गए। |
| 1964 | • | अपना घर बनाएं (ओवाईएच) योजना शुरू की गई। भारतीय जीवन बीमा निगम की गृह पत्रिका 'योगक्षेम' को 1 सितंबर को भारत के उपराष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन द्वारा नौवें राज्य पुरस्कार समारोह में प्रथम पुरस्कार से |
| | • | सम्मानित किया । |
| | • | भारतीय जीवन बीमा निगम ने सामान्य बीमा व्यवसाय शुरु किया । |
| 1005 | • | प्रत्येक मंडल में पॉलिसी धारक परिषद की स्थापना की गई। |
| 1965 | • | खेल के लिए केंद्रीय समन्वय समिति का गठन किया गया था। |
| 1967 | • | मुंबई में आईबीएम 1401/1410 कंप्यूटर स्थापित किए गए। ईडीपी विभाग ने काम करना शुरू कर दिया। |
| | • | अधिकारी प्रशिक्षण कॉलेज को नागपुर से बोरीवली, मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। |
| 1969 | • | भारतीय जीवन बीमा को दर्शाने वाले स्मारक टिकट और पोस्ट कार्ड भारतीय डाक और टेलीग्राफ के माध्यम से जारी किये गए। 1870–1970 (भारत में जीवन |
| 1970 | • | बीमा की एक सदी) |
| 1971 | • | अभिकर्ता क्लब की अवधारणा 1971 में आरम्भ की गई। |
| 1972 | • | पहली कैरियर एजेंटों की शाखाएं 1972 में स्थापित की गई। |
| 1012 | • | भारतीय जीवन बीमा निगम अभिकर्ता विनियम तैयार किए गए हैं। |
| | • | |
| | | पुनर्गठन नीति 1971 से 1978 की अवधि में लागू की गई थी। प्रो. ईश्वरदयाल, एक प्रबंधन सलाहकार, को संचालन के पुनर्गठन के लिए लगाया गया जहां शाखाएं प्राथमिक सेवा केंद्र बन गईं, जो वहां उत्पन्न होने वाले सभी कार्यों |
| | | के 80% को निपटाने में सक्षम थी। |
| | • | कैरियर एजेंसी योजना अस्तित्व में आई। |
| | • | एजेंट क्लबों के चार स्तर – अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रबंधक, मंडल प्रबंधक और शाखा प्रबंधक के क्लब एजेंसी बल को पेशेवर बनाने के लिए गठित किए गए। |
| 1974 | • | तमिलनाडु राज्य सरकार और अर्ध-सरकारी संस्थानों के 4.18 लाख कर्मचारियों को कवर करते हुए ₹ 209 करोड़ की बीमा राशि के लिए सबसे बड़ी समूह बीमा |
| 1974 | Ĭ | मास्टर पॉलिसी मुख्यमंत्री डॉ एम करुणानिधि को तत्कालीन अध्यक्ष श्री के.आर. पुरी द्वारा 30 दिसंबर को प्रदान की गई। |
| 1978 | • | संयुक्त उद्यम कैन इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का आरम्भ। |
| 1370 | • | विकास अधिकारियों हेतु प्रोत्साहन बोनस योजना अस्तित्व में आई। |
| 1979 | • | ग्रामीण कैरियर एजेंसी योजना और शहरी कैरियर एजेंसी योजना अलग से अस्तित्व में आई। |
| 1980 | • | विकास अधिकारियों की सीधी भर्ती प्रारम्भ। |
| | • | साधारण बीमा कम्पनी और इसकी सहायक कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से प्रायोजित राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए) की स्थापना की गई। |
| 1981 | • | जन रक्षा पॉलिसी ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की गई। |
| | • | माइक्रोप्रोसेसरों की स्थापना पहली बार अक्टूबर में शुरू की गई थी। |
| | • | खेल कोटे के तहत भर्ती शुरू। |
| 1982 | • | ईसीआयएल-2958 मेनफ्रेम मुंबई में स्थापित। |
| | | |





| 1986 | • | 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक चांदी का सिक्का जारी किया गया। | | |
|--------------|--|---|--|--|
| | | | | |
| 1987 | • | भूमिहीन कृषि श्रमिक समूह बीमा (LAGLI) अगस्त में शुरू किया गया। | | |
| | • | एलआईसी के प्रतिष्ठित जीवन भारती भवन का उदघाटन 25 नवंबर को तत्कालीन केंद्रीय वित्त और वाणिज्य मंत्री श्री एन.डी. तिवारी ने किया। | | |
| 1988 | • | 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | |
| 1000 | • ₹ 100 करोड़ की राशि के साथ एक सामाजिक सुरक्षा कोष भारत सरकार द्वारा भारत के समाज के कमजोर वर्गों को कवर करने हेतु स्थापित किया ग | | | |
| 1989 | • | भारतीय जीवन बीमा निगम एक वित्तीय समूह में बदल गया। | | |
| | • | एल.आई.सी.हाउसिंग फाइनेंस अस्तित्व में आया। | | |
| | • | एल.आई.सी.म्यूचुअल फंड 20 अप्रैल को ट्रस्ट के रूप में गठित। | | |
| 1002 | • | संयुक्त उद्यम एलआईसी इंटरनेशनल बीएससी(सी) बहरीन का उदघाटन। केंद्रीय कार्यालय में सॉफ्टवेयर विकास केंद्र स्थापित। 17 जुलाई को 17 शाखा कार्यालयों में फ्रंट एंड एप्लीकेशन पैकेज प्रस्तुत किया गया। | | |
| 1993 1994 | | निगम ध्वज और निगम गीत प्रस्तुत किए गए। | | |
| 1994 | | ग्रामीण समूह जीवन बीमा योजना (आरजीएलआईएस) 15 अगस्त को प्रारम्भ की गई। | | |
| 1996 | • | जीवन सुरक्षा पेंशन योजना एलआईसी की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री एच डी देवेगौड़ा द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई। | | |
| 1997 | • | 1997 एलआईसी ने 7 नवंबर को नागरिक चार्टर अपनाया। | | |
| 1991 | • | एलआईसी के पहले मेट्रो एरिया नेटवर्क (MAN) का उदघाटन 22 नवंबर को माननीय वित्त मंत्री श्री चिदंबरम द्वारा मुंबई में किया गया। | | |
| | | | | |
| 1998 | • | पहले आईवीआरएस का उदघाटन 21 अगस्त को मुंबई में किया गया। | | |
| | • | देश भर में 150 टच स्क्रीन आधारित सूचना कियोस्क स्थापित किए गए जिससे ग्राहक पॉलिसियों, नई योजनाओं, बोनस आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। | | |
| 1999 | • | भारतीय जीवन बीमा निगम (अंतर्राष्ट्रीय) ई.सी. ने 28 सितंबर से कतर में अपने परिचालन का विस्तार किया। | | |
| 2000 | 000 • 1 जनवरी को 'रणनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया' पर भारतीय जीवन बीमा निगम को सलाह देने के लिए वित्तीय सेवाओं पर प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय सलाहकार | | | |
| | एलन एंड हैमिल्टन को नियुक्त किया है। | | | |
| | • | वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) का उदघाटन 2 सितंबर को हुआ। | | |
| | • | सूचना के तेजी से प्रसार के लिए एलआईसी ने अपनी वेबसाइट www.licindia.in और इंट्रानेट साइट 'जीवन संचार' लॉन्च की। | | |
| 2001 | • | पहली यूनिट लिंक्ड बीमा योजना (यूलिप) 'बीमा प्लस' 12 फरवरी को शुरू की गई। | | |
| | • | गरतीय जीवन बीमा निगम ने 6 जून को कॉर्पोरेशन बैंक के साथ अपने पहले रणनीतिक गठबंधन पर हस्ताक्षर किए। | | |
| | • | O जून को शुरू की गई कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। | | |
| | • | ंटरनेट के माध्यम से प्रीमियम भुगतान की सुविधा 12 सितंबर को शुरू की गई। | | |
| | • | शिक्षण सहयोग योजना का उदघाटन 31 दिसंबर को किया गया। | | |
| | • | भारतीय जीवन बीमा निगम (नेपाल) लिमिटेड ने 3 दिसंबर को नेपाल में एलआईसी और विशाल समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में उदघाटन किया। | | |
| 2002 | • | एलआईसी के पहले सूचना केंद्र का मुंबई में उदघाटन किया गया। देश भर में 8 स्थानों पर कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं। यूनिफाइड एक्सेस नंबर 1251 के | | |
| | | माध्यम से सुलभ आईवीआरएस को 12 अप्रैल को कॉल सेंटरों के साथ एकीकृत किया गया था। | | |
| | • | कॉर्पोरेट संदेश सेवा समाधान, लागू किया गया। | | |
| | • | एलआईसी के इतिहास में एक और मील का पत्थर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से लिनक्स, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलाव था, जो अधिक मजबूत | | |
| | | और सुविधा संपन्न था। | | |
| | • | बैंकएश्योरेंस के माध्यम से व्यापार शुरू हुआ। कॉर्पोरेशन बैंक के साथ रणनीतिक गठजोड़। | | |
| | • | • संयुक्त उद्यम एलआईसी (लंका) लिमिटेड | | |
| 2003 | • | एलआईसी (लंका) लिमिटेड का उद्घाटन 1 मार्च को एलआईसी और श्रीलंका के बार्टलेट समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में हुआ। | | |
| | • | बीमा स्कूल की अवधारणा प्रस्तुत की गई। | | |
| | • | पुणे मंडल के अंतर्गत राजगुरुनगर 8 मार्च को पहली महिला बीमा ग्राम बनी। | | |
| | • | वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 14 जुलाई को शुरू की गई। | | |
| 0001 | • | 20 दिसंबर को कॉर्पोरेशन बैंक के सहयोग से एटीएम के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम की पहली प्रीमियम भुगतान सुविधा का उदघाटन किया गया। | | |
| 2004 | • | ईसीएस और कियोस्क के माध्यम से प्रीमियम भुगतान शुरू। | | |
| | • | एसएमएस सेवा पहल शुरू की गई। | | |
| | • | सऊदी अरब में 20 दिसंबर को एक संयुक्त स्टॉक कंपनी की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। (एसआईसीसीआई) विद्यानेट (एजेंटों के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल) प्रारम्भ किया गया। | | |
| | • | ापधान ् (९णटा पर ।ल९ ९क आनलाइन प्राराक्षण पाटल) प्रारम्म ।कथा गया। | | |





| 2005 | • | • भारतीय जीवन बीमा निगम के पहले सैटेलाइट संपर्क कार्यालय (जिसे बाद में सैटेलाइट कार्यालय का नाम दिया गया) का उदघाटन 2 सितंबर को राजेंद्र नगर, नई | | | |
|------|---|---|--|--|--|
| | | दिल्ली (दिल्ली म.का. –1), उत्तर क्षेत्र में हुआ। | | | |
| | • | भारतीय जीवन बीमा निगम और इंडसइंड बैंक ने अक्टूबर में बैंक के खाताधारकों को पहली सामूहिक बीमा योजना प्रदान करने के लिए गठजोड़ किया गया। | | | |
| | • | भारतीय जीवन बीमा निगम के वेब पोर्टल का उदघाटन 15 नवंबर को किया गया। | | | |
| | • | एलआईसी की स्वर्ण जयंती प्रदर्शनी, जश्न जिंदगी का 4 फरवरी से 10 फरवरी तक नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स (एनसीपीए), मुंबई में लगाई गई। | | | |
| | • | उद्यम दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (ईडीएमएस) का शुभारंभ। | | | |
| | • | आने वाले वर्षों में सभी ई–बिजनेस पहलों को संभालने के लिए एंटरप्राइज पोर्टल सॉल्यूशंस का शुभारंभ। | | | |
| | • | कॉर्पोरेट सक्रिय डेटा वेयरहाउस का शुभारंभ | | | |
| 2006 | • | विले पार्ले में एलआईसी के डाटा सेंटर का उदघाटन। | | | |
| | • | एलआईसी के गोल्डन जुबली फाउंडेशन की स्थापना जिसने समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति अस्पतालों, स्कूल भवनों, कक्षाओं, वृद्धाश्रमों के निर्माण जैसी विभिन्न परियोजनाओं को सहयोग किया। | | | |
| | _ | भारतीय जीवन बीमा निगम की स्वर्ण जयंती पॉलिसी बीमा गोल्ड प्रारम्भ की गई। | | | |
| | • | भारतीय जीवन बामा निगम का स्वर्ण जयता पालिसा बामा गाल्ड प्रारम्भ का गङ्ग ज़िंदगी एक्सप्रेस – भारतीय जीवन बीमा निगम की रेल पर स्वर्ण यात्रा प्रदर्शनी ने देश भर में यात्रा की। | | | |
| 2007 | • | एलआईसी एचएफएल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 31 अक्टूबर को शामिल हुई। | | | |
| 2007 | • | एलआईसी कार्ड सेवाओं को भारतीय जीवन बीमा निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। | | | |
| 2000 | • | सीएलआईए चैनल शुरू हुआ। | | | |
| | • | एलआईसी पेंशन फंड का शुभारंभ। | | | |
| | • | एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एएमसी) को 14 फरवरी को शामिल किया गया था। | | | |
| | | | | | |
| 2009 | • | प्रीमियम भुगतान के वैकल्पिक चैनल शुरू किए गए। | | | |
| | • | जोखिम प्रबंधन विभाग की स्थापना । | | | |
| | • | सम्बंध नवीनीकरण, सहायता डेस्क, विशेष सी.आर.ई., सहायता पुस्तिका जैसी नई ग्रा.सं.प्र. पहल शुरू हुई । | | | |
| | • | • एलआईसी ने क्रेडिट कार्ड 'एलआईसी कार्ड' प्रारम्भ किया। | | | |
| 2010 | • | ऑनलाइन पेपरलेस बीमांकन प्रस्ताव की स्थिति के लिए एसएमएस पूछताछ सेवा। | | | |
| 2011 | • | एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (निवेश समिति एमएस) शुरू की गई। | | | |
| 2012 | • | एंड्रॉइड आधारित स्मार्टफोन के लिए एलआईसी के आधिकारिक तौर पर विकसित मोबाइल ऐप को 23 मार्च को आम जनता के लिए तैनात किया गया था। | | | |
| | • | जीवन अक्षय VI – एलआईसी की पहली पॉलिसी ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई। | | | |
| | • | पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक LIC (सिंगापुर) पी.टी.ई. लिमिटेड शामिल की गई । | | | |
| 2013 | • | ऑ.डी.एस. तथा ग्राहक एवं मर्चेंट पोर्टल प्रारम्भ। | | | |
| | • | दूरस्थ अंकेक्षण का शुभारंभ। | | | |
| | • | मा.सं.वि.स/ सं. वि. के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज़ प्रणाली का शुभारंभ। | | | |
| | • | कर्मचारी सूचना प्रबंधन का स्वचालन। | | | |
| | • | सिंडिकेट बैंक ने एलआईसी उत्पादों को बेचने के लिए एलआईसी के कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में 27.06.2013 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। | | | |
| 2014 | • | एजेंटों के लिए क्लब गैलेक्सी पेश किया गया। | | | |
| | • | मोबाइल ऐप के माध्यम से सूक्ष्म बीमा प्रीमियम का संग्रह शुरू किया गया। | | | |
| 2015 | • | तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन | | | |
| | | योजना (एपीवाई) का शुभारंभ। | | | |
| | • | ई–एपीएआर की शुरूआत। | | | |
| | • | कानूनी प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन | | | |
| | • | एल आई सी बांग्लादेश लिमिटेड का संयुक्त उद्यम एलआईसी शुरू हुआ। | | | |
| 2010 | • | बीमा डायमंड योजना 1 सितंबर को शुरू की गई। | | | |
| 2016 | • | बामा डायमंड याजना । सितंबर का शुरू का गई। आईआरडीए के विनियमों के अनुरूप एलआईसी की ई–सेवाओं को 1 फरवरी को शुरू किया गया । | | | |
| | | जाइआरडाए के विनियम के अनुरूप एलआइसा का इ—सवाओं का निप्तर्या की शुरू किया गया नि उन पॉलिसीधारकों के लिए एकमुश्त हीरक जयंती विशेष प्रत्यावर्ती बोनस की घोषणा की गई, जिनकी पॉलिसियां 01.09.2016 को चालू थीं। | | | |
| | - | | | | |
| | • | नवीनतम कॉर्पोरेट फिल्म सितंबर में बनाई गई। | | | |





| 2017 | • उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) अवधारणा शुरू। | | |
|------|--|--|--|
| • | • 29 करोड़ ग्राहकों के पॉलिसी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण पूरा हुआ। | | |
| • | • एसएमएस आधारित ग्राहक हेल्पलाइन शुरू। | | |
| | • वॉलेट, भीम, यूपीआई के माध्यम से प्रीमियम भुगतान प्रारम्भ। | | |
| 2018 | • भारतीय जीवन बीमा निगम प्रशिक्षण केंद्र (एमडीसी, ज़ेडटीसी) और के.का. सं.वि. /मा.सं. वि. को आईएसओ 9001:2015 प्रमाणपत्र और बीआईएस मान्यता | | |
| | स्वीकृत। | | |
| • | • एजेंटों के लिए एलआईसी मोबाइल ऐप लॉन्च। | | |
| • | • एलआईसी कॉल सेंटर सेवाएं शुरू की गईं। | | |
| 2019 | • आईडीबीआई बैंक अधिग्रहण। | | |
| • | आईडीबीआई बैंक के सहयोग से मल्टी यूटिलिटी कैश कार्ड 'सुविधा' लॉन्च किया गया। | | |
| • | • एजेंट भर्ती ऐप लॉन्च किया गया। | | |
| • | ● तमिलनाडु सरकार की पेंशन योजना को चेन्नई यूनिट साउथ जोन द्वारा ₹ 23,167 करोड़ के एनबीपीआई के साथ 2019–20 के दौरान खरीदा गया। | | |
| • | • केंद्रीय कार्यालय में गठित ''सहायक कंपनियाँ'' विभाग गठित। | | |
| 2020 | महामारी के दौरान ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों को निर्बाध सेवा। | | |
| • | • लॉकडाउन और पोस्ट लॉकडाउन COVID -19 महामारी की स्थिति में जागरूकता अभियान। | | |
| • | लॉकडाउन के मद्देनजर पॉलिसीधारकों की सेवा के लिए विभिन्न ग्राहक अनुकूल उपाय किए गए। | | |
| • | • कर्मचारियों के लिए घर से कार्य की सुविधा शुरू की गई। | | |
| • | • नवव्यवसाय का डिजिटल एप्लिकेशन आनंद 19 नवंबर को लॉन्च किया गया जो आत्म निर्भर एजेंट के लिए एक संक्षिप्त नाम है जो एजेंट की मदद से पेपरलेस | | |
| | मॉड्यूल के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसी प्रदान करता है। | | |
| • | • केंद्रीय कार्यालय में आईपीओ सेल/पीएमयू विभाग का गठन। | | |
| | • ऑनलाइन एवं पेपर रहित सूक्ष्म बीमा पॉलिसी सम्पूर्ण करने की प्रक्रिया 6 मार्च से चालू की गई। | | |
| • | • हिंदी चैटबॉट 'एलआईसी मित्र' लॉन्च किया गया। | | |
| 2021 | | | |
| | • जमा संग्रह प्रबंधन केंद्र 5 जनवरी को शुरू किया गया। | | |





अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों.

2020 की शुरुआत के बाद से दुनिया ने कोविड और इसकी कई लहरों के आगमन के कारण बहुत ही अशांत समय देखा है। समाज और अर्थव्यवस्था एक साथ प्रभावित हुए हैं और हम सभी को 2019 की सामान्य स्थिति को फिर से महसूस करने में वर्षों लग जायेंगे।

इस किठन समय में आपके निगम ने न केवल व्यवसाय को मजबूती से और दृढ़ता से पकड़ रखा है, बिल्क खुद को सूचीबद्ध करने के महत्वपूर्ण मील के पत्थर को भी पार कर लिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने भारतीय पूंजी बाजार में अब तक के सबसे बड़े आईपीओ को सफलतापूर्वक लॉन्च और पूरा किया है, जिसने बाजारों से ₹ 20,000 करोड़ से अधिक राशी जुटायी है। अब हम बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत की शीर्ष दस सूचीबद्ध कंपनियों में शामिल हैं।

लिस्टिंग के बाद के युग में हमारे प्रदर्शन, लिस्टिंग और हमारी रणनीति पर अपने विचार साझा करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, मैं अपने कई कर्मचारियों और एजेंटों द्वारा किए गए बहुत बड़े योगदान को याद करना चाहता हूं जो महामारी के दुर्भाग्यपूर्ण शिकार बन गए। एलआईसी में हम उन कर्मचारियों और एजेंटों के बहुत ऋणी हैं, जिन्होंने उच्चेटी के दौरान अपनी जान गंवाई। निगम का प्रत्येक कर्मचारी और एजेंट हमारे लिए एक कोरोना योद्धा रहा है क्योंकि उन्होंने न केवल महामारी संकट के दौरान संचालन को जारी रखा तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के ट्रस्ट फैक्टर को जीवित रखा, बल्कि वे प्रत्येक दिन इस ज़स्बे को जारी रखते है।

वित्त वर्ष 2021-22. में समग्र व्यापार परिदृश्य

वित्त वर्ष 2021-22 में कोविड की दूसरी लहर से लेकर रूस-यूक्रेन सीमा पर होने वाली घटनाओं से उत्पन्न होने वाले भू-राजनीतिक तनाव तक कई मुद्दे देखे गए। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा मौद्रिक सख्ती के संकेतों के साथ-साथ, समग्र प्रभाव यह था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। महामारी कोविड -19 की वजह से, एशियाई विकास बैंक के अनुमान के अनुसार, वैश्विक आर्थिक क्षति 5.8 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से 8.8 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बीच होने का अनुमान है। यह मानवीय भावना के लचीलेपन के लिए एक श्रद्धांजिल है, कि मानव जाति कई विश्वसनीय उपलब्धियों के साथ कोविड-19 से उभरी, जैसे रिकॉर्ड समय में टीकों के रोलआउट और इसके साथ रहना सीखना। भारतीय अर्थव्यवस्था ने, असफलताओं के बावजूद, 2021-22 में 8.7 प्रतिशत (पीई) की वास्तविक वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले वर्ष के 6.6 प्रतिशत के संकुचन से ऊपर है। संचालित परीक्षण समय में महामारी के दौरान बदलते परिवेश के अनुकूल होने के लिए एलआईसी का लचीलापन, वित्त वर्ष 2022 की अंतिम तिमाही के दौरान बदल परिवेश के अनुकूल होने के लिए एलआईसी का लचीलापन, वित्त वर्ष की इसी तिमाही की तुलना से 18.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

जीवन और स्वास्थ्य बीमा के साथ—साथ वार्षिकी के महत्व को इन कठिन समय के दौरान कभी भी अधिक गहराई से महसूस नहीं किया गया था। जोखिम के मूल्यांकन में गतिशील परिवर्तन देखे गए, बदलते स्वास्थ्य परिदृश्य के अनुरूप प्रस्ताव प्रपत्रों में परिवर्तन किया गया साथ ही साथ पुनर्बीमा मानदंड, आदि में भी परिवर्तन किया गया। प्रौद्दीगिकी की शक्ति का लाभ उठाते हुए, वर्क फ्रोम होम मापदंड स्थापित किए गए है, जिससे चिकित्सा कर्मियों द्वारा टेली और वीडियो परामर्श, ऑनलाइन फॉर्म भरने आदि स्वीकृत सामान्य बने।

वित्त वर्ष 2021-22. में हमारा प्रदर्शन

एलआयसी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पिछले वर्ष की तुलना में भारित प्राप्त प्रीमियम (WRP) में 6.31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, कुल प्रथम वर्ष के प्रीमियम (FYP) में 7.92 प्रतिशत (₹ 198,759.85 करोड़) की वृद्धि हुई और ग्रुप न्यू बिजनेस प्रीमियम में 12.66 प्रतिशत (₹ 1,43,938.59 करोड़) की वृद्धि देखी गई जबिक नई नीतियों की संख्या में 3.56 प्रतिशत (2.17 करोड़) की वृद्धि हुई। 31.03.2022 तक वित्त वर्ष 21-22 के लिए कुल प्रथम वर्ष के प्रीमियम में एलआईसी की बाजार हिस्सेदारी 63.25 प्रतिशत और नई नीतियों की संख्या में 74.62 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष में क्रमशः 66.18 प्रतिशत और 74.58 प्रतिशत थी ।

वित्तीय प्रदर्शन:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वित्त वर्ष 2021-22 | वित्त वर्ष 2020-21 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| नया व्यापार प्रीमियम | 54959.60 | 56631.67 |
| नवीनीकरण प्रीमियम | 221661.24 | 211302.31 |
| कुल व्यक्तिगत प्रीमियम | 276620.84 | 267933.98 |
| समूह प्रीमियम | 150798.38 | 134910.37 |
| कुल प्रीमियम | 427419.22 | 402844.35 |
| कर पश्चात लाभ (पीएटी) | 4043.12 | 2900.57 |





अन्य प्रमुख मापदंड:

(₹ करोड में)

| विवरण | वित्तीय वर्ष 2021-22 | वित्तीय वर्ष 2020-21 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| व्यक्तिगत एपीई | 35572 | 31523 |
| प्रबंधनाधीन परिसंपत्तिया (एयूएम) | 4084832.7 | 3676178.8 |
| भारतीय एम्बेडेड वैल्यू (आईईवी) | 541492 | 95605 |
| दावा निस्तारण अनुपात (मृत्यु) | 98.74% | 98.62% |

आगे आने वाली चुनौतियाँ — उत्पाद मिश्रण एवं माध्यम मिश्रण का विकास

हमने खुद को सर्वस्वीकृत बीमाकर्ता के रूप में स्थापित किया है और यही कारण है कि हम कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद लगभग 65 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। उदारीकरण के 22 वर्षों के बाद भी वित्त वर्ष 21-22 में प्रथम वर्ष की समग्र प्रीमियम आय में 63.25 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ हमारा संगठन अपनी नेतृत्व की स्थित को बनाए रखना जारी रखे हुए है। कंपनी के पास अपने पोर्टफोलियो में 17 व्यक्तिगत सहभागी उत्पाद, 17 व्यक्तिगत गैर-भाग उत्पाद, 11 समूह उत्पाद (एक क्रेडिट जीवन और एक वार्षिकी उत्पाद सहित) के साथ 7 अनुवृद्धि हितलाभ भी हैं।

यद्यपि हम भारत के जीवन बीमा क्षेत्र में सबसे बड़े व्यवसायी हैं, हमारा एक प्रमुख व्यावसायिक मिश्रण सहभागी व्यवसाय (यानी Par Products) से है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष में, एपीई के संदर्भ में समग्र व्यक्तिगत व्यवसाय के अंतर्गत सममूल्य व्यवसाय की हिस्सेदारी 93 प्रतिशत तक थी। इसी तरह प्रीमियम के मामले में 95 प्रतिशत से अधिक व्यक्तिगत व्यवसाय हमारे अभिकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त होता है तथा 3 प्रतिशत से कम बैंकएश्योरेंस चैनल के माध्यम से होता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे अभिकर्ता हमारे उत्पादों के मुख्य वितरण स्तंभ के रूप में कार्य करे, हम अपने गैर-भाग व्यवसाय के बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाने के साथ—साथ विभिन्न माध्यमों के मिश्रण में विविधता लाने का इरादा रखते हैं।

पिछले दो वर्षों में जीवन बीमा के बारे में जागरूकता बढ़ी है। ग्राहकों के फिजिकल से डिजिटल यानी "फिजिटल" मोड में प्रवास के साथ डिजिटल जुड़ाव और सेवाओं के डिजिटलीकृत वितरण के अवसर व्यापक रूप से देखे जाते हैं। एजिन्स फोर्स को डिजिटल टूल और एनािलिटिक्स के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान करके 'बायोनिक' अभिकर्ताओं को तैनात करने की रणनीित सलाह और जुड़ाव के सर्वोत्तम मानवीय गुणों के साथ निश्चित रूप से मुख्य डिजिटल बिक्री क्षमताओं के निर्माण और एक विन—विन मॉ डल का नवाचार करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी।

एलआईसी के अभिकर्ताओं की संख्या 1.33 मिलियन है, जिसमे से एक बड़ा वर्ग देश के ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहा है, इसने विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर उपस्थिति सुनिश्चित की है। फील्ड फोर्स के लिए आईटी इनेबलर्स पर अधिक ध्यान देने से उच्च दृढ़ता स्तर और ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि होगी। डिजिटल लेनदेन की संख्या में पिछले वर्ष 70 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

भविष्य:

भारत में बीमा बाजार लगातार बढ़ रहा है और जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के अनुरूप है। जीवन की अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए बीमा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। हम अपने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए क्षेत्रों में अन्वेषण एवं विस्तार करना जारी रखेंगे। बदलते समय की क्षमता का लाभ उठाने हेतु डिजिटल हस्तक्षेप, डेटा विश्लेषण और प्रक्रिया प्रवाह में बदलाव, मौजूदा और आकस्मिक जरूरतों के साथ बहुत से भागों के विकल्पों को पूरा करने के लिए शुरू किया जाएगा। हमें विश्वास है कि ग्राहकों की जरूरतों के अनुकूल अधिक गैर-भाग उत्पादों को जोड़कर हमारे आक्रामक विविधीकरण से वांछित परिणाम प्राप्त होंगे। उस ढांचे के अंतर्गत, हम बैंकएश्योरेंस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तािक इसकी मात्रा में लगातार और पर्याप्त वृद्धि हो, जिसके चलते हमारे समग्र व्यवसाय में इसकी हिस्सेदारी बढ़े। बैंकों के साथ हमारे संबंध मजबूत बने हुए हैं। हम सभी सहयोगी बैंकों के साथ काम करने के साथ साथ बैंकों और एलआईसी के बीच आईटी प्रक्रियाओं को भी मजबूत करना चाहते हैं। अपने मूल ग्राहकों के साथ अधिक तालमेल रखना, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को समझकर उन्हें पहचानने योग्य वर्गों में वर्गीकृत करना और तदनुसार उन्हें लक्षित करना भविष्य में व्यापार वृद्धि को परिभाषित करेगा और समान टिकट साइज़ के साथ अधिक संख्या में पॉलिसियां लाएगा। समग्रता में लिया गया इस वर्ष के लिए ध्येय का विषय है, "मूल्यों का निर्माण.... भरोसे का पालन"।

पुरस्कार एवं सम्मानः

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान ग्राहक सेवा, प्रौद्योगिकी, डिजिटल मार्केटिंग, परिचालन उत्कृष्टता पहल, इन्शुरेंस कंपनी ऑफ दी इयर, सर्वश्रेष्ठ ब्रांड, उचित व्यवसाय प्रथायेँ, भारत की सबसे विश्वसनीय ब्रांड आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पुरस्कार और प्रशंसा प्राप्त की है।

पूंजी एवं शेयर

31 मार्च, 2022 तक कंपनी की जारी, अभिदानित और चुकता शेयर पूंजी ₹ 63,24,99,77,010 के अंकित मूल्य ₹ 10/ — प्रत्येक के 6,32,49,97,701 इक्विटी शेयर शामिल हैं।





लाभांश एंव कोष

कंपनी के प्रदर्शन, पूंजी की स्थिति, शोधन क्षमता और तरलता के स्तर का आकलन करने के बाद निदेशक मंडल ने कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन ₹ 10 अंकित मूल्य (फ़ैस वैल्यू) वाले प्रत्येक शेयर पर ₹ 1.50 फ़ाइनल डिविडेंड (लाभांश) देने की सिफारिश की है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान कर देने के बाद कुल ₹ 4043.04 करोड़ , (स्टैंड—अलोन) कोष (रिजर्वस) में जमा किए है, जो पिछले वर्ष कि तुलना में 39.39 प्रतिशत की वृद्धि है।

शोधन-क्षमता (सॉलवंसी)

आईआरडीएआई के अनुसार जीवन बीमाकर्ताओं को न्यूनतम सॉलवेंसी अनुपात को 150 प्रतिशत रखना आवश्यक है। सॉलवेंसी अनुपात की आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की संपत्ति, देनदारियों एंव करदानक्षमता मार्जिन) अधिनियम 2016 के अनुसार गणना की जाती है। 31 मार्च, 2022 को कंपनी का सॉल्वेंसी अनुपात 150 प्रतिशत की न्यूनतम आवश्यकता की तुलना में 185 प्रतिशत था।

निष्कर्ष

अंत में मैं यह दोहराना चाहूंगा कि एलआईसी में हम समय के प्रचलित सिद्धांत योग्यतम उत्तरजीविता से अवगत हैं और दृढ़तापूर्वक से मानते हैं कि हमारे कर्मचारियों और चैनल भागीदारों की टीम के साथ हम 'न्यू नॉर्मल ऑफ आईपीओ' के चुनौतीपूर्ण परिवर्तनों का मिलकर सामना करेंगे तथा प्रदर्शन मापन के नए मेट्रिक्स स्थापित करेंगे । मैं बोर्ड, सहकर्मियों, पॉलिसी—धारकों, शेयर—धारकों एंव सभी स्टेक—होल्डरों का उनके सहयोग हेतु आभारी हूँ।

आपका आभारी

एम. आर. कुमार





प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

आमुख :

भारतीय जीवन बीमा निगम को 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 27 के अन्तर्गत अपनी 65 वी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हर्ष हो रहा है ।

2. आर्थिक परिवेश और जीवन बीमा व्यवसाय पर समष्टि आर्थिक कारक का प्रभाव

भारतीय आर्थिक परिदृश्य

पिछले दो साल कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया के लिए एक किठन दौर रहा है। जबिक भारतीय अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया है, संक्रमण की बार-बार लहरें, आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान और हाल ही में, मुद्रास्फीति ने नीति-निर्माताओं के लिए चुनौतीपूर्ण समय पैदा किया है। कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण हुए नुकसान के प्रभाव को कम करने और अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए, भारत सरकार (जीओआई) ने उत्पादन से जुड़े. प्रोत्साहन (पीलआइ) योजना जैसे कई प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की थी। गरीबों को मुफ्त खाद्यात्र उपलब्ध कराने के अलावा, कई क्षेत्रों का विनियमन, ऋण गारंटी योजनाएं और निर्यात बढ़ाने की पहल। ये राहत उपाय (वर्ष 2021-22 में) मुख्य रूप से कमजोर लोगों और क्षेत्रों को आर्थिक राहत प्रदान करने, स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने, बाजार में तरलता बढ़ाने और निवेश के रास्ते को बढ़ावा देने के लिए लिक्षत थे, जिससे देश में विकास और रोजगार को बढ़ावा मिला।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 7 जनवरी, 2022 को जारी राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान (एफएई) ने भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि को 2021-22 के लिए 9.2 प्रतिशत पर रखा, जो पूर्व-महामारी (2019-20) स्तर को पार कर गया। निजी खपत को छोड़कर, सकल घरेलू उत्पाद के सभी प्रमुख घटक अपने 2019-20 के स्तर को पार कर गए। अपनी 31 जनवरी की विज्ञाप्ति में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने 2020-21 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनंतिम अनुमान (-) 7.3 प्रतिशत से संशोधित किया, जबिक 28 फरवरी, 2022 को 2021-22 के लिए जारी किये गये इसके दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई) को, एनएसओ ने भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 8.9 प्रतिशत, पूर्व-महामारी (2019-20) के स्तर से 1.8 प्रतिशत ऊपर रखा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, टीकाकरण कार्यक्रम में अधिकांश आबादी को शामिल किया गया है और इस प्रक्रिया में आपूर्ति-पक्ष सुधारों के संभावित दीर्घकालिक लाभ शामिल हैं, 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8 से 8.5 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि देखने की अच्छी स्थिति में है। इसी समय, यूक्रेन पर भू-राजनीतिक स्थिति में वृद्धि, वैश्विक वित्तीय स्थितियों का कड़ा होना, आपूर्ति-पक्ष की रुकावटों की दृढता और काफी कमजोर बाहरी मांग की वजह से आर्थिक दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक जोखिम निर्माण हुई है। इसी वजह से वैश्विक वातावरण अभी भी अनिश्चित बना हुआ है।

विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के जनवरी 2022 के अपडेट में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2022 के लिए वैश्विक उत्पादन और व्यापार वृद्धि अनुमानों को संशोधित कर क्रमशः 4.4 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत कर दिया है, जो इसके पहले के पूर्वानुमान 4.9 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत है। यूरोप में चल रही महामारी और चल रहे युद्ध ने दुनिया को वैश्वीकरण की गित में मंदी का अनुभव कराया है। इसका वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों पर असर हुआ है। बढे हुए भू-राजनीतिक संघर्ष और वैश्विक व्यापार प्रतिबंधों पर इसके प्रभाव के कारण, दुनिया नई लेकिन विकट चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे कि प्रमुख वस्तुओं की कमी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में भंगता और वि-वैश्वीकरण की आशंका। वैश्विक अर्थव्यवस्था में विवर्तनिक (टेक्तोनिक) बदलाव, वस्तु और वित्तीय बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता में परिलक्षित होता है।

क) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

वर्ष 2021-22 में स्थिर (2011-12) कीमतों पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के पहले संशोधित अनुमान ₹ 135.58 लाख करोड़ के मुकाबले ₹ 177.36 लाख करोड़ के स्तर को प्राप्त करने का अनुमान है। 2020-21 में 6.6 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 8.7 प्रतिशत वृद्धि रहने का अनुमान है। वर्ष 2021-22 में सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमतों पर ₹ 236.44 लाख करोड़ के स्तर को प्राप्त करने का अनुमान है, जो वर्ष 2020-21 में ₹ 198.01 लाख करोड़ के मुकाबले, 19.5 प्रतिशत की वृद्धि दर दिखा रहा है।





सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि (2011-12 की स्थिर कीमतों पर) (प्रतिशत में):

| वर्ष | % वृद्धि |
|-------------------------------|----------|
| 2017-18 | 6.8 |
| 2018-19 (3 rd आरई) | 6.5 |
| 2019-20 (2 nd आरई) | 3.7 |
| 2020-21(1 st आरई) | (-) 6.6 |
| 2021-22 (पीई) | 8.7 |

आरई - संशोधित अनुमान; पीई - अनंतिम अनुमान; (हाल ही में MOSPI प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार)

ख) सकल बचत (जीएस) और घरेलू बचत:

जहा दूसरा संशोधित अनुमान (एसआरई) के अनुमान के अनुसार 2019-20 में मौजूदा कीमतों पर सकल बचत ₹ 59.96 लाख करोड़ है, वही 2020-21 में मौजूदा कीमतों पर सकल बचत पहला संशोधित अनुमान (एफआरई) के अनुसार ₹ 55.92 लाख करोड़ होने का अनुमान है। सकल घरेलू उत्पाद के % के रूप में क्षेत्रवार बचत (वर्तमान मूल्य)

| वर्ष | घरेलू क्षेत्र | सकल घरेलू बचत |
|----------|---------------|---------------|
| 2020-21@ | 22.17% | 28.24 % |
| 2019-20# | 19.57% | 29.87 % |
| 2018-19* | 20.34% | 31.75 % |
| 2017-18 | 19.29% | 32.07 % |

@-पहला संशोधित अनुमान, #- दूसरा संशोधित अनुमान, *- तीसरा संशोधित अनुमान सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) के प्रतिशत के रूप में घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत

| | मद | 2018-19 | 2019-20 |
|----|------------------------------|---------|---------|
| | क) सकल वित्तीय बचत जिसमें से | 11.0 | 11.0 |
| 1. | मुद्रा | 1.4 | 1.4 |
| 2. | जमा | 4.2 | 4.2 |
| 3. | शेयर और डिबेंचर | 0.4 | 0.4 |
| 4. | सरकार पर दावे | 1.1 | 1.3 |
| 5. | बीमा निधि | 1.9 | 1.5 |
| 6. | भविष्य और पेंशन निधि | 2.1 | 2.2 |
| | ख) वित्तीय देयताएं | 4.1 | 3.2 |
| | ग) नेट वित्तीय बचत (क-ख) | 7.1 | 7.8 |

ग) वित्तीय स्थिति

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा नीचे तालिका में दिया गया है: -

| वर्ष | केंद्र और राज्य (संयुक्त) (%) | केवल केंद्र (%) |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| 2021-22 | 10.2 (बीई) | 6.9 (आरई) |
| 2020-21 | 13.3 (आरई) | 9.2 (पीए) |
| 2019-20 | 7.2 | 4.6 |
| 2018-19 | 5.8 | 3.4 |
| 2017-18 | 5.8 | 3.5 |

बीई- बजट अनुमान; आरई - संशोधित अनुमान; पीए - अनंतिम वास्तविक

कोविड-19 महामारी की दो लहरों के बावजूद 2021-22 के दौरान जीएसटी (GST) ने एक निदर्शनात्मक वृद्धि दर्ज की है। मार्च 2022 के महीने में एकत्र किया गया सकल जीएसटी राजस्व ₹ 1,42,095 करोड़ था जो पिछले वर्ष के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 15 प्रतिशत





अधिक है। वर्ष 2021-22 में 11.7 प्रतिशत का उच्चतम कर-जीडीपी अनुपात भी हासिल किया गया, जिसमें प्रत्यक्ष कर से जीडीपी अनुपात 6.1 प्रतिशत और अप्रत्यक्ष कर से जीडीपी अनुपात 5.6 प्रतिशत था। केंद्रीय बजट अनुमानों के मुकाबले ₹ 22.17 लाख करोड़, पूर्व-वास्तविक आंकडों के अनुसार राजस्व संग्रह ₹ 27.07 लाख करोड़ है, जो बजट अनुमान से लगभग ₹ 5 लाख करोड़ अधिक है, जिससे पिछले साल के ₹ 20.27 लाख करोड़ का राजस्व संग्रह में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह प्रत्यक्ष करों में 49 प्रतिशत की वृद्धि और अप्रत्यक्ष करों में 20 प्रतिशत की वृद्धि द्वारा संभव हुआ है।

नवीनतम केंद्रीय बजट के अनुसार, चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबिक वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 प्रतिशत पर लिक्षत है। 2022-23 के अंत में भारत सरकार का बकाया आंतिरक और बाहरी ऋण और अन्य देनदारियां 2021-22 (आरई)के अंत में ₹135,87,893.16 करोड़ के मुकाबले ₹ 152,17,910.29 करोड़ होने का अनुमान है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बाहरी ऋण-जीडीपी अनुपात 20 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2022-21 के लिए अनंतिम वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.2 प्रतिशत है, जो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण है, जिसके परिणामस्वरूप अनवधानता में अधिक सरकारी खर्च और काफी कम (कर और गैर-कर) प्राप्तियां हुई है।

घ) मौद्रिक स्थितियां

भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के साथ-साथ प्रबल आधार पर आर्थिक विकास को पूर्णोद्धार करने और बनाए रखने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी 'समायोजन' मौद्रिक नीति रुख जारी रखा गया था । इसके परिणामस्वरूप, मौद्रिक सहायता और आपूर्ति एक महत्वपूर्ण राशि में बढ़ गयी, इसके अलावा ब्याज दरों में कमी के कारण, इस अवधि के दौरान ऋण प्राप्त करना अधिक किफायती था। 31.03.2022 को रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्रमशः 4 प्रतिशत और 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहे।

अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता बनाए रखते हुए चलनिधि अधिशेष को पुनर्संतुलित करने की दिशा में एक कदम के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्षित दीर्घकालिक रेपों के तहत प्राप्त धन की बकाया राशि का पूर्व भुगतान करने के लिए बैंकों को एक और विकल्प प्रदान किया। संचालन (टीएलटीआरओ) और 14-दिवसीय वेरिएबल रेट रिवर्स रेपों (वीआरआरआर) नीलामी राशि को पाक्षिक आधार पर बढाने का भी प्रस्ताव है।

भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान महामारी के लिए एक समायोजित राजकोषीय नीति दृष्टिकोण अपनाया था। अर्थव्यवस्था की लचीली रिकवरी के साथ-साथ देश में विकास और रोजगार को गति प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करने के अलावा, केंद्र सरकार ने कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना जैसे अतिरिक्त उपाय किए हैं।

ड़) मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं दोनों के लिए एक वैश्विक मुद्दे के रूप में उभरी है। ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि, गैर-खाद्य वस्तुओं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और बढ़ती माल ढुलाई लागत ने वर्ष के दौरान वैश्विक मुद्रास्फीति को प्रभावित किया। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सामान्य) में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन पिछले वर्ष के 5.52 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 6.95 प्रतिशत था। खाद्य और पेय पदार्थों में वृद्धि, पान, सुपारी, इत्यादि, तंबाकू और नशीले पदार्थ, कपड़े और जूते, ईंधन एवं प्रकाश मुद्रास्फीति दर, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर के आधार पर पिछले वर्ष की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में ग्रामीण मुद्रास्फीति दर 7.66 प्रतिशत और शहरी मुद्रास्फीति दर 6.12 प्रतिशत थी।

अखिल भारतीय थोक मूल्य मुद्रास्फीति की वार्षिक दर मार्च, 2022 में 14.55 प्रतिशत (अनंतिम) है, जबिक मार्च, 2021 में यह 7.89 प्रतिशत थी। मार्च, 2022 में मुद्रास्फीति की उच्च दर मुख्य रूप से निम्न के कारण देखी जाती है। रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खिनज तेल, मूल धातु आदि की कीमतों में वृद्धि। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर ईंधन और बिजली के साथ-साथ प्राथमिक वस्तुओं की मुद्रास्फीति दर में वृद्धि ने थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की बढोतरी में प्रमुख योगदान दिया।

च) व्यापार और विदेशी मुद्रा

भारत में मजबूत पूंजी प्रवाह के साथ, पिछले वर्ष की महामारी से प्रेरित मंदी के बाद वर्ष 2021-22 में बाहरी व्यापार में मजबूत सुधार हुआ। अप्रैल-मार्च 2021-22 में भारत का कुल निर्यात (माल और सेवाएं संयुक्त) 669.65 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 34.50 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल-मार्च 2021-22 में कुल आयात 756.68 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 47.80 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।

25 मार्च, 2022 तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़क़र ₹ 47,07,396 करोड़ (617.65 बिलियन अमरीकी डालर) हो गया, जो पिछले वर्ष के ₹ 42,00,668 करोड़ (579.29 बिलियन अमरीकी डालर) था। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का एक प्रमुख कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफ़पीआई) द्वारा भारतीय शेयर बाजार में निवेश और एफ़डीआई भी है।



अप्रैल-मार्च 2021-22 में विदेशी निवेश प्रवाह घटकर 22.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में दर्ज 80.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना से 72.44 प्रतिशत कम है। इक्विटी निवेश में निष्क्रियता के कारण अप्रैल-मार्च 2021-22 में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 39.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी दर्ज की गई और सकल एफडीआई घटकर 83.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

छ) इक्विटी और ऋण बाजार

निफ्टी 50 और एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स दोनों ने ऊपर की ओर रुझान जारी रखा, जो कि 31 मार्च, 2021 को 49,509 के मुकाबले 31 मार्च, 2022 को एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स के 58,568 से ऊपर बंद होने के साथ कोविड-19 महामारी से भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत पुनरुद्धार का संकेत देता है। 1 अप्रैल, 2021 को निफ्टी 50 के 14,798.40 पर खुलने के मुकाबले, 31 मार्च, 2022 को निफ्टी 17,464.75 पर बंद हुआ। इस अवधि के दौरान निफ्टी 14,151.40 के निचले स्तर से 18,604.45 के उच्च स्तर पर पहुंच गया।

मार्च, 2022 के अंत में, एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 का पी**/**ई अनुपात (मूल्य आय अनुपात) 24.82 और 22.92 है जो पिछले वर्ष में क्रमशः 34.94 और 33.20 था।

अप्रैल-मार्च 2022 की अवधि के लिए आरबीआई द्वारा प्रकाशित अनंतिम आंकडों के अनुसार, वर्ष के दौरान गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा नए पूंजीगत निर्गमों की संख्या 90 से बढ़कर 192 हो गई। जुटाई गई राशि भी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 1,07,868 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹ 1,50,484 करोड़ हो गई।


रूस-यूक्रेन संकट और वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद, निवेशक प्रवाह के मामले में इक्विटी योजनाओं के लिए यह एक मजबूत वर्ष था। वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर, भारत के म्युचुअल फंड उद्योग के प्रबंधन के तहत शुद्ध संपत्ति (एयूएम) में 31 मार्च 2021 ₹ 31,42,763.50 करोड़ की निवेशक संपत्ति मूल्य 19.53 प्रतिशत की वृद्धि दिखाते हुए 31 मार्च 2022 को ₹ 37,56,682.57 करोड़ हो गयी।

च) भारत में बीमा क्षेत्र:

स्विस-रे सिग्मा 03/2021 के अनुसार, भारत वैश्विक बीमा व्यवसाय में 11 वें स्थान पर है। जबिक 2020 के दौरान वैश्विक कुल बीमा बाजार में भारत की हिस्सेदारी 1.72 प्रतिशत थी वही वैश्विक जीवन बीमा बाजार में इसकी हिस्सेदारी 2.90 प्रतिशत थी। भारत में, कुल बीमा प्रीमियम में जीवन बीमा व्यवसाय की हिस्सेदारी 75.24 फीसदी थी, जबिक गैर-जीवन बीमा कारोबार की हिस्सेदारी 24.76 फीसदी थी।


भारत में कुल बीमा पैठ 2019-20 में 3.76 प्रतिशत थी जो 2020-21 में 11.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 4.20 प्रतिशत हो गई। भारत में जीवन बीमा की पैठ में 13.48 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यानी 2019-20 में 82.2 प्रतिशत से यह 2020-21 के दौरान बढ़क़र 3.20 प्रतिशत हो गई है।

भले ही भारत में कुल बीमा घनत्व पिछले 2 वर्षों के दौरान USD 78 के स्तर पर समान रहा हो, लेकिन जीवन बीमा घनत्व 2019-20 के दौरान USD 58 से बढक़र 2020-21 के दौरान USD 59 हो गया है।









स्रोतः स्विस रे, सिग्मा, विभिन्न मुद्दे-2020-21 आईआरडीएआई वार्षिक रिपोर्ट

भारत में नियामक प्राधिकरणों और जीवन बीमा कंपनियों दोनों के संचयी प्रयास के परिणामस्वरूप जीवन बीमा परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव दिखता है। वर्ष 2021-22 के दौरान, बीमा नियामक आईआरडीएआई ने बीमा पैठ को बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठाये, जैसे कि बीमाकर्ताओं को वीडियो-आधारित केवाईसी करने की अनुमित देना, मानकीकृत बीमा उत्पाद लॉन्च करना और बीमाकर्ताओं को कम जोखिम वाले व्यवहार के लिए पुरस्कार देने की अनुमित देना। साथ ही डिजिटल बीमा और ऑनलाइन चैनलों में निरंतर वृद्धि देखी गई है, जिसमें डिजिटल बीमा के भीतर वेब एग्रीगेटर्स की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है।

केंद्र बिंदु के क्षेत्र

(i) ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार बीमा उत्पाद

आज ग्राहक अभिनव जीवन बीमा उत्पादों, व्यक्तिगत विकल्पों और भुगतान में लचीलेपन की तलाश करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, बीमाकर्ता ऐसे उत्पाद बना रहे हैं जो डिजिटल फर्स्ट एप्रोच के साथ लिक्षत ग्राहकों की उभरती जरूरतों को पूरा करते हैं। बीमा खरीदने के पसंदीदा तरीके भी बदल गए हैं, जिसमें न केवल बीमा की बिक्री डिजिटल रूप से की जा रही है, बिल्क एजेंटों, सलाहकारों और सर्विसिंग कार्यालय के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बातचीत करने का एक परेशानी मुक्त तंत्र भी विकसित हो रहा है।

(ii) उपलब्ध बाजार और उद्योग प्लेटफार्मों का लाभ उठाना

बातचीत की आवृत्ति और वैयक्तिकरण का स्तर नाटकीय रूप से बदल गया है, और बीमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे प्रासंगिक बने रहें और वास्तव में व्यक्तिगत, आवश्यकता-आधारित प्रासंगिक अनुभव तैयार कर सकें। यह स्थिति संभवतः इंसुरटेक और अन्य डिजिटल अट्टेक्स के लिए अनुकूलता प्रदान करेगी, जिससे मौजूदा सिस्टम के लिए व्यवधान का खतरा बढ़ सकता है। खतरे से बचने के लिए, बीमाकर्ताओं को अपनी प्रक्रियाओं को डिजिटल और स्वचालित करने की आवश्यकता होगी, जिसमें पहुंच, उत्पाद विविधता और उपयोग में आसानी से बीमा में उपभोक्ताओं को निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अंतिम उपयोगकर्ता सेवा प्रदाताओं के साथ जल्द, प्रभावकारी और यथासंभव सरल बातचीत होने की अपेक्षा करता है।

(iii) शेयरधारकों के लिए मूल्य निर्माण

निजी निवेशकों ने बीमा में सुधार की संभावना और आकर्षक रिटर्न्स की संभावना को देखा है। अंततः इस संदर्भ में बीमा कंपनियों को विकास की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए और हितधारक मूल्य प्रदान करने के लिए अपने व्यवसाय मॉडल को फिर से तैयार करना चाहिए। यह इंसुरटेक में निवेश करके, नए व्यवसायों को बढ़ाने के लिए आकर्षक उत्पाद बनाकर, साइबर सुरक्षा को बढ़ाकर और पूरे संगठन में क्षमताओं का विस्तार करके किया जा सकता है।

(iv) डिजीटल और व्यक्तिगत दोनों तरह की सर्विसिंग की पेशकश करके ग्राहक अनुभव को बढाना

नए ग्राहक व्यवहार के लिए वितरण में बदलाव की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता डिजिटल चैनलों को अपना रहे हैं और प्रमुख तकनीकी कंपनियों के साथ आनंदमय अनुभवों के अभ्यस्त हो गए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बीमा खरीदते समय भी वे यही उम्मीद करते हैं। हर चैनल में एक निर्बाध, सुसंगत "मल्टी एक्सेस" अनुभव अब बीमाकर्ताओं के लिए स्वर्ण मानक है। साथ ही, अधिकांश ग्राहक अभी भी अधिकांश उत्पादों पर किसी न किसी प्रकार की सलाह की अपेक्षा करते हैं।



विस्तारित बाजारों में नए ग्राहकों को प्राप्त करने, मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने और प्रति ग्राहक कम लागत पर नए उत्पादों या सेवाओं को लॉन्च करने के लिए डिजिटल नवाचार महत्वपूर्ण हो गया है। ये बुनियादी यूजर इंटरफेस रिडिजाइन से लेकर उन्नत तकनीकों तक हैं, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता शामिल हैं। कई बीमाकर्ता इन नई उपभोक्ता अपेक्षाओं और मांगों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और उत्पाद पेशकशों को नया स्वरूप देने के लिए इस अवसर का उपयोग करने का विकल्प चुन रहे हैं।

(v) इकोसिस्टम और इंसुरटेक से जुड़ना / कोर तकनीकी प्लेटफॉर्म का आधुनिकीकरण करना

डिजिटलीकरण की ओर चल रहे अभियान ने बीमा उद्योग को भी एक बदलाव के कगार पर ला खड़ा किया है। पारंपिरक उद्योग की सीमाएँ दूर हो रही हैं; पारिस्थितिकी तंत्र बीमाकर्ताओं के भविष्य को बहुत प्रभावित करेगा, साथ ही इंसुरटेक का लक्ष्य मूल्य श्रृंखला के इस पुनर्सरचना में भूमिका निभाना है। बीमाकर्ताओं को कोर सिस्टम को एक तकनीकी प्लेटफॉर्म के साथ बदलने के निर्णय पर विचार करने की आवश्यकता है जो अग्रभाग में ग्राहक की जरूरतों को पूरा करेगा, और कंपनी को उत्पादकता लाभ और पिरचालन प्रदर्शन में मदद करेगा। प्रौद्योगिकी के मामले में कंपनी की भविष्य की जरूरतों का आकलन विकास के अगले स्तर तक पहुंचने के लिए किया जाना है।

चिंता क्षेत्र

(i) विशाल प्रोटेक्शन गैप और अंडर पेनेट्रेटेड मार्केट

प्रोटेक्शन गैप को किसी देश के लिए इप्टतम और मौजूदा बीमा कवरेज के बीच के अंतर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। कई लोगों ने पॉ लिसी लेने के बावजूद, जीवन बीमा के मामले में प्रोटेक्शन गैप 92 प्रतिशत है। जैसे-जैसे प्रोटेक्शन गैप बढ़ता है तो भविष्य में व्यक्ति, परिवार, कंपनियों या राज्य पर इसका भारी वित्तीय और राजकोषीय बोझ पड़ता है। किफायती और सर्वोत्तम बीमा उत्पाद प्रदान करना, यही सही समाधान दिया जा सकता है। साथ ही आज भारी मात्रा में डेटा उत्पन्न होने के साथ, ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरत के मुताबिक बने उत्पाद प्रस्तावों की आवश्यकता है।

बीमा की बात करें तो भारत एक बहुत ही अंडर पेनेट्रेटेड देश है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा की पहुंच बढ़ाने की दृष्टि से, आईआरडीएआई प्रत्येक बीमा कंपनी के एक गांव को अड़ोप्ट करने का विचार लाया है तािक प्रत्येक गांव में 100 प्रतिशत बीमा सुनिश्चित किया जा सके। गांवों को गोद लेने वाली बीमा कंपनियां विशेष लोगों की जरूरतों और मांगों पर शोध कर सकती हैं, उत्पाद को तदनुसार डिजाइन कर सकती हैं और वे ठीक से संवाद कर सकती हैं तािक पॉलिसीधारक बीमा की आवश्यकता को समझ सकें। इससे जमीनी स्तर पर पैठ बढ़ाने में मदद मिलेगी। बीमाकर्ताओं को डिजिटल दावा निपटान और उचित वितरण चैनल सिहत उत्पादों के सरलीकरण के साथ-साथ आय पिरामिड के आधार पर लोगों के लिए लागत प्रभावी समाधान के साथ आना होगा।

(ii) मूल्य लाभप्रदता

उद्योग के विकास को चुनौती देने वाले संरचनात्मक कारक है लगातार कम ब्याज दरें और मूल्य तुलना वेबसाइटों के कारण मूल्य निर्धारण पर बढ़ा हुआ दबाव। हालांकि कई बीमा कंपनियों ने लागत बचत कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन कुल परिणाम बहुत उत्साहजनक नहीं हैं। उद्योग-व्यापी, उत्पादकता सुधार सीमित हैं। सुधार के लिए केवल टुकड़ों में प्रयास करने के बजाय बीमाकर्ताओं को बिक्री और वितरण, उत्पाद विकास, संचालन, प्रौद्योगिकी और कॉर्पोरेट कार्यों सहित - मूल्य श्रृंखला में व्यापार व्यापार के प्रक्षेपवक्र और पूर्ण प्रदर्शन क्षमता को स्थापित करके उत्पादकता में सुधार के लिए हार्ड कोर प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है। केवल परिवर्तनकारी दृष्टिकोण बीमाकर्ता को कोविड-19 दुनिया में जीवित रहने और पनपने की गुंजाइश देगा।

(iii) जोखिम प्रबंधन

पिछले दो वर्षों में कोविड-19 के कारण हुई महामारी ने एक बार फिर से जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और बीमाकर्ताओं की व्यावसायिक निरंतरता योजनाओं पर बहुत जोर दिया है। कोविड-19 के मद्देनजर लगाए गए निरंतर लॉकडाउन के कारण, अधिकांश क्षेत्रों में वर्क-फ्रॉम-होम (डबल्यूएफ़टी) संस्कृति में वृद्धि देखी गई है। इस कारण प्रौद्योगिकी पर निर्भरता बढ़ गई है, विशेष रूप से आउटसोर्सिंग, जिसने उद्योग की साइबर जोखिमों की भेद्यता को बढ़ा दिया है। बड़ी संख्या में घर से काम करने वाले लोगों, केंद्रीय सर्वरों, डेटा आदि तक पहुंच को देखते हुए साइबर जोखिम कई गुना बढ़ गए हैं। अधिकांश गतिविधियां जो मार्केटिंग, पोस्ट सेल्स सर्विसिंग आदि जैसे भौतिक संपर्कों के माध्यम से की जा रही थीं, उन्हें डिजिटल कर दिया गया है। इसने जोखिम प्रबंधन नियंत्रणों की आवश्यकता को और बढ़ा दिया है तािक कदाचार की संवेदनशीलता को शुरुआती बिंदु पर ही रोका जा सके।

कंपनियों को ऐसे परिदृश्य बनाने की जरूरत है जिसमें महत्वपूर्ण व्यावसायिक मापदंडों और शोधन क्षमता पर महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाए और आवश्यक शमन को रणनीतिक और कार्यान्वित किया जाए।





(iv) नए वितरण/बिक्री तंत्र को अपनानाः

बीमा उन व्यवसायों में से एक है जो उत्पाद की बिक्री के लिए ग्राहकों के साथ निकट संपर्क पर बहुत अधिक निर्भर करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद कई कंपनियों द्वारा नए हाइब्रिड वर्किंग मोड को अपनाने के साथ, मजदूर वर्ग के भौगोलिक पदिचहों में बदलाव देखा गया है, यानी लोग छोटे शहरों, उपनगरों और बाहरी इलाकों में चले गए हैं। इसिलये बीमाकर्ताओं को प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रतिस्पर्धी उत्पादों की पेशकश करके उन्नत प्रौद्योगिकी में अतिरिक्त आईटी निवेश करने की आवश्यकता है और जहां भी संभव हो, एजेंसियों, दलालों और डिजिटल बिक्री चैनलों की भूमिकाओं को बदलकर अपने वितरण मॉडल में महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे।

जीवन बीमा उद्योग का प्रदर्शन

जीवन बीमाकर्ताओं का कुल प्रथम वर्ष का प्रीमियम (एफ़वाईपी) वित्त वर्ष 2021-22 में 12.93 प्रतिशत बढक़र ₹ 3,14,263 करोड़ हो गया, जोंकि पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 2,78,277.98 करोड़ था, और बेची गई पॉलिसियों की संख्या वित्त वर्ष 2021-22 में 3.51 प्रतिशत की वृद्धि से 2,31,55,178 हो गयी, जो पिछले वित्त वर्ष में 2,81,67,513 थी ।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का कुल प्रथम वर्ष का प्रीमियम पिछले वित्त वर्ष के ₹ 184,174.57 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में 7.92 प्रतिशत बढ़कर ₹ 198,759.85 करोड़ हो गया, जबिक बेची गई पॉलिसियों की संख्या में 3.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पिछले वित्त वर्ष की 21,007,234 से बढ़कर FY 2021-22 में 21,754,965 हो गयी |

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल प्रथम वर्ष प्रीमियम में एलआईसी की बाजार हिस्सेदारी 63.25 प्रतिशत और 31.03.2022 तक नई पॉ लिसियों की संख्या में हिस्सेदारी 74.62 प्रतिशत थी।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने ग्रुप न्यू बिजनेस प्रीमियम वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 1,27,768.06 करोड़ के मुकाबले वित्त वर्ष 2021-22 में 12.66 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,43,938.59 करोड़ हो गई है।

आईआरडीएआई की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, 31.03.2021 तक जीवन बीमाकर्ताओं का कुल कोष ₹ 44.80 लाख करोड़ था, जिसमें से जीवन निधि ने लगभग 65.05 प्रतिशत अर्थात ₹ 29.14 लाख करोड़ का योगदान दिया।

जीवन बीमा उद्योग से संबंधित आंकड़े (जीवन बीमा परिषद की वेबसाइट से प्राप्त) इस प्रकार हैं:

(आंकडे अनंतिम और अलेखापरीक्षित हैं)

| क्रमांक. | डेटा विवरण | 31.03.2021 | 31.03.2020 | विकास दर (%) |
|----------|--|------------|------------|--------------|
| 1. | पूंजी कुल (सहित) शेयर प्रीमियम, यदि कोई हो (₹ करोड़) | 46,449 | 38,585 | 20.38 |
| 2. | शाखा कार्यालयों की संख्या | 11,045 | 11,080 | -0.32 |
| 3. | एजेंटों की संख्या (व्यक्तिगत) | 24,42,607 | 24,55,042 | -0.51 |
| 4. | प्रत्यक्ष कर्मचारियों की संख्या | 3,54,855 | 3,18,043 | 11.57 |
| 5. | कुल संपत्ति (₹ करोड़) (इक्विटी सहित) | 52,49,271 | 46,56,346 | 12.73 |
| 6. | इक्विटी (बाजार मूल्य पर) | 14,24,551 | 11,25,528 | 26.57 |
| 7. | इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश (₹करोड़) | 4,58,614 | 4,51,475 | 1.58 |
| 8. | नवीनीकरण प्रीमियम (₹ करोड़) | 3,77,398 | 3,50,038 | 7.82 |

i) वैश्विक बीमा दृष्टिकोण:

स्विस-रे सिग्मा 03/2021 शोध प्रकाशन के अनुसार, हाल ही की महामारी ने बीमा के महत्व चाहे वह जीवन हो या गैर-जीवन पर जोर दिया है। सोशल दिस्टंसिंग के वितरण को प्रभावित करने के बावजूद भी वैश्विक स्वास्थ्य और सुरक्षा-प्रकार के बीमा प्रीमियम में 2020 में क्रमशः 1.9 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक जीवन बीमा प्रीमियम में 2021 में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि और 2022 में 4.0 प्रतिशत होने की उम्मीद है। साथ ही जोखिम सुरक्षा बीमा की मांग में वृद्धि, मजबूत वित्तीय बाजारों से लाभ होने और उपभोक्ता आय में लगातार सुधार होने की वजह से जीवन बीमा व्यवसाय को लाभ होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जीवन बीमा व्यवसाय में कमजोरी के कारण वैश्विक बाजार ने 2020 में वास्तविक रूप से 4.4 प्रतिशत से कम हुआ, जो वैश्विक जीवन पोर्टफोलियो का 81 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। स्विस रे विशेषज्ञों द्वारा व्यापार के सभी क्षेत्रों में रिकवरी के साथ पूर्व-महामारी के स्तर तक जीवन क्षेत्र की लाभप्रदता में मामूली सुधार की उम्मीद है।





स्विस-रे के अनुसार, वैश्विक बीमा मांग 2022 में 3.9 प्रतिशत तक बढ.सकती है और 2022 के अंत तक वैश्विक बीमा बाजार को 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक बढ़ा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, गैर पारंपरिक कंपनियाँ जों उपभोक्ता बीमा बाजार में प्रवेश कर रही हैं, बीमाकर्ताओं को नए और साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए सभी स्पर्श बिंदुओं पर डिजिटल जुड़ाव की पेशकश करने की आवश्यकता है।

संदर्भ

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जीवन बीमा परिषद, भारतीय रिजर्व बैंक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय/ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, आईआरडीएआई वार्षिक रिपोर्ट 2020-21, केंद्रीय बजट 2021-22, स्विस रे सिग्मा 03/2021, मूल्य बनाना, ध्यान केंद्रित करना, वैश्विक बीमा - मैकिन्से एंड कंपनी द्वारा, बीमा उद्योग के लिए डिजिटल को क्या अत्यावश्यक बनाता है - E&Y, एनआईए, पुणे, पीआईबी प्रेस विज्ञान्ति

3. कार्य परिणाम

नव व्यवसाय:

क) सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

केंद्र सरकार ने 09 मई, 2015 को वित्तीय समावेशन की कड़ी में ऐतिहासिक बीमा योजना नामतः प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) का शुभारंभ किया था। इस योजना का उद्देश्य, कम लागत पर बैंकों के खाताधारकों को बीमा संरक्षण उपलब्ध कराना है। पीएमजेजेबीवाई योजना के अंतर्गत बीमित को ₹ 2 लाख का जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराया जाता है। सहभागी बैंकों के बचत खाताधारक जिनकी उम्र 18 वर्ष (पूर्ण) और 50 वर्ष (निकटतम जन्म दिन को आयु) के बीच है ₹ 330/- प्रति वर्ष के प्रीमियम पर पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत वीमा सुरक्षा के पात्र हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत प्रीमियम, स्वयं खाताधारकों द्वारा वहन किया जाता है और इसकी प्रीमियम राशि अंशदाता द्वारा दिये गये मेंडेट (स्वघोषणा पत्र) के आधार पर उनके बैंक खाता से काट ली जाती है ।

योजना के शुभारंभ से 31 मार्च 2022 तक कुल 3,49,90,569 खाताधारकों को प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा संरक्षण उपलब्ध कराया गया है, जबिक 1,46,255 मृत्यु दावा के अंतर्गत कुल 2925.01 करोड़ राशि का भुगतान किया गया है।

(ख) प्रथम बीमाः

निगम की नीतियों के तहत अधिक से अधिक लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के परिपेक्ष्य में ऐसे लोगों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है जिनका पूर्व में कोई भी बीमा नहीं है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 164.58 लाख व्यक्तियों का पहली बार बीमा कराया गया, जिनकी कुल बीमा राशि ₹ 4,48,657.84 करोड़ थी जबिक इसके पहले वर्ष 2020-21 में 184.44 लाख पॉलिसीयों के अन्तर्गत कुल बीमा राशि ₹ 4,90,404.08 करोड़ थी। कुल बीमा के अनुपात में प्रथम बीमा का अनुपात पॉलिसी नंबर में 75.80% तथा बीमा राशि में 67.40% है।

(ग) ग्रामीण बीमा पर विशेष प्रयास:

जीवन बीमा का संदेश ग्रामीण क्षेत्र, विशेषतः पिछड़े एवं दूरस्थ क्षेत्रों में प्रसारित करने के निरंतर एवं सचेत प्रयास किए जा रहे है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में नव व्यवसाय में लगातार वृद्धि हो रही है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की अनुमोदित ग्रामीण/ सामाजिक क्षेत्र की परिभाषा के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्रामीण क्षेत्र से कुल 45,02,285 पॉलिसीयां जारी कर कुल ₹ 94,961.64 करोड़ बीमा राशि का व्यवसाय किया गया, जो कुल पॉलिसी संख्या एवं बीमा राशि के क्रमशः 20.73% एवं 14.26% हिस्से को दर्शाता है।

4. पूंजी विमोचन तथा निश्चित वार्षिकी व्यवसाय

31 मार्च 2022 तक 343 निश्चित वार्षिकी पॉलिसियाँ ₹ 98.90 लाख वार्षिक वार्षिकी के लिए चालू थी। 6,764 पूँजी विमोचन पॉलिसियाँ ₹ 15,997.12 लाख बीमा धन के लिए चालू थी।

संगठनजन्य ढांचा

भारत में स्थित कार्यालय:

31 मार्च, 2022 को मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, भोपाल तथा पटना स्थित 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 113 मण्डल कार्यालय तथा 2,048 शाखा कार्यालय 1,564 सैटेलाईट कार्यालय तथा 1,170 मिनी कार्यालय हैं। मण्डल कार्यालय गतिविधियों को मानिटर एवं नियंत्रित करते हैं। शाखा कार्यालय व्यवसाय प्राप्त करते हैं और सभी ग्राहक इन्टरफेस लेन देन के लिए उत्तरदायी होते हैं। सैटेलाईट कार्यालय भी व्यवसाय प्राप्त करते हैं तथा आवश्यक शीघ्र ग्राहक सेवा के लिए उत्तरदायी होते हैं। मिनी कार्यालय बीमा जागरूकता और प्रवेश के प्रसार के उद्देश्य से 10,000 या अधिक की आबादी के साथ भारत के सभी शहरों में वित्तमंत्री के बजट 2013-14 के अनुसार खोले गए हैं। मिनी कार्यालय आवश्यक तत्काल ग्राहक सेवाओं के लिए जिम्मेदार हैं।





6 विपणन गतिविधियां

वित्तीय वर्ष 2021-22 में निगम द्वारा व्यक्तिगत नव व्यवसाय में 2,17,18,695 पॉलिसियों के अंतर्गत ₹ 54,821.27 करोड़ राशि की प्रथम वर्ष प्रीमियम आय पूरित की गई । पॉलिसी संख्या में 94.43% तथा प्रथम वर्ष प्रीमियम आय में 88.22% बजट लक्ष्य की प्राप्ति हुई। प्रधान मंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत 2,32,715 पॉलिसियों पर ₹19,954.10 करोड़ की प्रीमियम अर्जित की गई ।

क) 2021-22 के दौरान चैनल- अनुसार व्यक्तिगत नव व्यवसाय का विवरण

| व्यवसाय | पॉलिसियों की संख्या (लाख में) | प्रथम वर्ष प्रीमियम आय (₹ करोड़ में) |
|------------------------------------|----------------------------------|---|
| पारंपरिक | 171.08 | 44,545.63 |
| बैंकिंग एवं वैकल्पिक माध्यम | 2.64 | 1,599.37 |
| प्रमुख जीवन बीमा सलाहकार (सीएलआईए) | 35.34 | 8,208.48 |
| डिजिटल विपणन | 0.16 | 200.11 |
| सूक्ष्म बीमा | 7.96 | 267.68 |
| कुल | 217.18 | 54,821.27 |

ख) बैंक एश्योरेंश एवं अल्टर्नेट चैनल (वैकल्पिक)

वित्तीय वर्ष 2021-22 में चैनल ने 3,27,412 पॉलिसियां जिनमें 1,21,363 नॉन-पार पॉलिसियाँ भी शामिल हैं, के साथ क्रमशः 32.60% तथा 90.06% की प्रभावी वृद्धि दर अर्जित की है । वर्षांतर्गत एकत्रित प्रथम वर्षीय प्रीमियम आय (प्र.व.प्री.आ.) ₹ 1,601.79 करोड़ रही है। चैनल ने नॉन-सिंगल प्रीमियम में 5.62%, प्रथम वर्षीय परवर्ती प्रीमियम में 55.86% की वृद्धि दर अर्जित की है । प्रथम वर्षीय प्रीमियम आय में वृद्धि दर 15.73 % की रही है । निगम के सकल व्यवसाय (व्यक्तिक बीमा) में पॉलिसी में चैनल की हिस्सेदारी 1.51% एवं प्रथम वर्षीय प्रीमियम आय में 2.93% रही है जबिक यूलिप पॉलिसियों में इस साझेदारी का प्रतिशत क्रमशः 12.17% तथा 13.83% का रहा है। संसाधन वृद्धि में चैनल ने 12 कारपोरेट एजेंट, 72 ब्रोकर्स तथा 41 इंश्योरेंश मार्केटिंग फर्म को जोड़ा है। चैनल ने एक विशेष उद्देश्य वाहन "जन सेवा केंद्र" को भी अपने साथ जोड़ा है। इस प्रकार इन नए संसाधनों के जुड़ने के साथ अब बी.एंड.ए.सी. चैनल में कुल 74 बैंक, 70 अन्य कारपोरेट एजेंटस, 224 ब्रोकर्स, 117 आई.एम.एफ. तथा एक जन सेवा केंद्र के साथ टाई-अप किया हुआ है।

चैनल के नव व्यवसाय में प्रमुख योगदान बैंक पार्टनर्स का रहा है । 2,16,518 पॉलिसियों के अंतर्गत ₹ 1,441 करोड़ की प्रथम वर्षीय प्रीमियम आय अर्जित करते हुये बैंक पार्टनर्स ने पॉलिसी में 66.13% तथा प्रीमियम में 89.96% की हिस्सेदारी दर्ज की है। अन्य कारपोरेट एजेंट्स की साझेदारी पॉलिसी मे 28,360 तथा प्रथम वर्षीय प्रीमियम आय में ₹ 50.67 करोड़ की रही है।

अन्य वैकल्पिक चैनल जैसे ब्रोकर्स एवं आई.एम.एफ़. आदि की साझेदारी पॉलिसी में 33.87% तथा प्रथम वर्षीय प्रीमियम आय में 10.04% की रही है।

ब्रोकर्स ने 1,492 पॉलिसी के अंतर्गत ₹ 28.43 करोड़ प्रथम वर्षीय प्रीमियम आय के रूप में अर्जित करते हुए पॉलिसी संख्या में 0.46% एवं प्रथम वर्षीय प्रीमियम आय में 1.77% का योगदान दिया है। इंश्योरेंश मार्केटिंग फर्म्स ने 17,650 पॉलिसी के अंतर्गत ₹ 79.28 करोड़ प्रथम वर्षीय प्रीमियम आय अर्जित करते हुए पॉलिसी संख्या में 5.39% एवं प्रथम वर्षीय प्रीमियम आय में 4.95% का योगदान दिया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निगम की 446 शाखाओं ने ₹ एक करोड़ या उससे अधिक एवं 448 शाखाओं ने ₹ 50 लाख से ₹ 99 लाख के बीच कुल प्रथम प्रीमियम आय की उपलब्द्धि अर्जित की है।

ग) डिजिटल मार्केटिंग चैनल

डिजिटल मार्केटिंग चैनल की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनर्गिठत रूप में की गई जिसके अंतर्गत इसका सम्पूर्ण संचालन केंद्रीय कार्यालय में केन्द्रित किया गया है। इस चैनल का उद्देश्य अद्यतन संगणकीय एवं तकनीकी आधारित मंच "डू इट यूअरसेल्फ" प्रक्रिया उपलब्ध कराना है जिसके तहत कम से कम हस्तक्षेप हो। इसका उद्देश ग्राहकों विशेषतया तकनीकी रूप से अद्यतन युवा वर्ग के व्यक्तियों को बिना किसी निर्बंध के शुरू से अंत तक बेहतर क्रय अनुभव प्रदान कराना है।

इस वर्ष के दौरान ऑनलाइन मंच के माध्यम से नए पहलुओं को शुरू किया गया जैसे `वीडियो एमएचआर', `टेली एमएचआर', और `ई -कनेक्ट -ग्राहक विशिष्ट चैट बॉक्स ।

वित्त वर्ष 2021-22 में चैनल ने 16,040 पॉलिसियों के अंतर्गत ₹ 191.97 करोड़ प्रथम प्रीमियम आय का व्यवसाय किया जिसमें एनपीएस फंड से प्राप्त 2,107 पॉलिसियाँ तथा ₹ 103.16 करोड़ प्रथम प्रीमियम आय सम्मिलित है ।



वर्तमान में चैनल के अंतर्गत 10 उत्पाद उपलब्ध हैः एलआईसी की टेक-टर्म योजना, सरल जीवन बीमा, कैंसर कव्हर, जीवन शांति, जीवन अक्षय- VII, सरल पेंशन योजना, निवेश प्लस, एसआईआईपी (सीप), बीमा ज्योति एवं धन रेखा। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (विरष्ट नागरिकों के लिए पेंशन योजना) भी इस मंच पर खरीद के लिए उपलब्ध है।

घ) उत्पाद विकास

भारतीय जीवन बीमा निगम उत्पादों में एक व्यापक विविधता प्रदान करता है, जो समाज के विभिन्न ग्राहक वर्गों की जरूरतों को पूरा करता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरानिनगम ने पाँच उत्पाद प्रस्ताव किए। इनमें चार व्यक्तिगत उत्पाद जो कि एलआईसी की सरल जीवन बीमा, एलआईसी की सरल पेंशन, एलआईसी की आरोग्य रक्षक, एलआईसी की धन रेखा हैं और एक समूह उत्पाद जो कि एलआईसी की समूह बीमा योजना हैं।

इसके अलावानिगम ने छः व्यक्तिगत उत्पादों और दो समूह उत्पादों के संशोधित संस्करण भी प्रस्ताव किए जो कि एलआईसी की बीमा ज्योति, एलआईसी की जीवन अक्षय VII, एलआईसी की नई जीवन शांति, एलआईसी की सरल पेंशन, एलआईसी की भाग्य लक्ष्मी, एलआईसी की नई जीवन मंगल, एलआईसी की नई एकल वर्षीय नूतनीकरणीयसमूह अविध बीमा योजना-। और एलआईसी की नई एकल वर्षीय नूतनीकरणीय समूह अविध बीमा योजना-।। हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तकनिगम के पास 33 व्यक्तिगत उत्पाद, 16 समूह उत्पाद और 7 व्यक्तिगत राइडर्स बिक्री के लिए उपलब्ध थी।

झ) वरिष्ठ व्यवसाय सहयोगी (एसबीए)

विरिष्ठ व्यवसाय सहयोगी योजना का शुभारम्भ वर्ष 2009 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विकास अधिकारियों की पहचान करने तथा उन्हे कुछ वित्तीय तथा गैर वित्तीय कार्य हेतु अधिकृत करने के लिए किया गया था । एस बी ए अपने लाइफ प्लस कार्यालय मे नवीकरण प्रीमियम जमा करने तथा नए प्रस्ताव पर जमा लेने के लिए अधिकृत है । वे E2E के माध्यम से नये प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते है तथा पालिसी सेवा संबंधी कुछ मूल सेवाओं को प्रदान कर सकते है।

विगत समाप्त वित्तीय वर्ष 31.03.2022 को एस बी ए की संख्या 4,262 थी तथा उनके संगठन में 3,25,379 अभिकर्ता कार्यरत थे। वरिष्ठ व्यवसाय सहयोगी चैनल का वर्ष 2021-22 का नव व्यवसाय विवरण:-

| | पालिसी | प्रथम वर्ष प्रीमियम आय (करोड़ में) |
|----------------------------|-----------|------------------------------------|
| सकल | 59,79,505 | 15,102.26 |
| कुल व्यवसाय में हिस्सेदारी | 27.53% | 27.61% |
| औसत उत्पादकता | 1,403 | 3.54 |

एस बी ए चैनल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में "लाइफ प्लस" कार्यालय में 2.87 करोड़ लेन देन के तहत ₹ 17,087.65 करोड़ की राशि का संग्रहण किया है। वर्ष 2021-22 में 1,093 एस बी ए ने E2E सुविधा का उपयोग करते हुए 2,33,736 पालिसी पूर्ण किया। एस बी ए संगठन के अंतर्गत 7,398 अभिकर्ताओं ने MDRT (सदस्यता वर्ष 2022) की अहर्ता प्राप्त की जिनकी संख्या सदस्यता वर्ष 2021 में 6,758 थी।

जीवन बीमा निगम सहयोगी योजना (LICA)

जीवन बीमा निगम सहयोगी योजना (LICA) की शुरुआत 01.04.2016 को एक नए विपणन चैनल के रूप में की गयी जिसका मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त एस बी ए के विपणन कौशल का उपयोग कर विभिन्न विपणन स्तंभों को और सशक्त करना तथा सेवानिवृत्त के उपरांत उन्हें आयपरक रोजगार प्रदान करना है। यह योजना दिनांक 01.11.2020 से उन विकास अधिकारियों के लिए भी बढ़ा दी गई है जो एस बी ए नहीं है। जीवन बीमा निगम सहयोगी (LICA) नए अभिकर्ताओं की नियुक्ति तथा विधमान अभिकर्ताओं के उचित मार्गदर्शन और अपने सभी अभिकर्ताओं से नव व्यवसाय की प्राप्ति के लिए भी अधिकृत है। LICA अपने "BIMA CONNECT" कार्यालय पर नवीकरण प्रीमियम और अपने अभिकर्ताओं से नए प्रस्तावों पर जमा राशि लेने के लिए अधिकृत है।

31.03.2022 को समाप्त वर्ष में जीवन बीमा निगम सहयोगी (LICA) की संख्या 473 तथा उनके संगठन में अभिकर्ताओं की संख्या 36,298 थी ।

LICA चैनल का वर्ष 2021-22 का नव व्यवसाय विवरण :-

| | पालिसी प्रथम वर्ष प्रीमियम आय (करोड् | |
|----------------------------|--------------------------------------|----------|
| सकल | 5,79,962 | 1,714.63 |
| कुल व्यवसाय में हिस्सेदारी | 2.67% | 3.14% |
| औसत उत्पादकता | 1226 | 3.63 |





जीवन बीमा निगम सहयोगी (LICA) चैनल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अपने "BIMA CONNECT" कार्यालय पर 33.21 लाख लेन देन के साथ ₹ 1,939.12 करोड़ की राशि का संग्रहण किया ।

विकास अधिकारियों के लिए लाइफ पॉइंट योजना

विकास अधिकारियों के लिए लाइफ पॉइंट योजना की शुरुआत 01.07.2020 से की गई है तथा 31.03.2022 को 1,286 विकास अधिकारी अपने "लाइफ पॉइंट" कार्यालय मे प्रीमियम संग्रहण के लिए अधिकृत है । उन्होंने वित्तीय वर्ष 2021-22 मे 14.29 लाख लेन देन के तहत ₹ 773.32 करोड़ की राशि का संग्रहण किया है ।

॥ अभिकर्ताः

i) अभिकर्ताओं की संख्या:

हमारे कुल अभिकर्ताओं की संख्या 31.03.2022 को 13,26,432 है जो कि गत वर्ष 31.03.2021 को 13,53,808 थी। निगम के 31.03.2022 को सिक्रय अभिकर्ताओं की संख्या 11,32,535 है जिसकी तुलना में गत वर्ष 31.03.2021 को सिक्रय अभिकर्ताओं की संख्या 11,40,540 थी।

ii) अभिकर्ता क्लब सदस्यता:

उच्च स्तर पर कार्य करने वाले अभिकर्ताओं को उत्साहित करने तथा मान्यता प्रदान करने हेतु विभिन्न क्लबों का गठन किया गया है। विभिन्न क्लबों की सदस्यता का विवरण अधोलिखित तालिका में दिया गया है:

| क्लब के नाम | सदस्यता वर्ष | | | | | | |
|-------------------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|
| | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | | | | |
| कॉर्पोरेट | 371 | 331 | 287 | | | | |
| गैलक्सी | 1,582 | 1,484 | 1,124 | | | | |
| अध्यक्ष | 42,614 | 42,444 | 40,932 | | | | |
| क्षेत्रीय प्रबंधक | 33,328 | 33,362 | 32,363 | | | | |
| मण्डल प्रबंधक | 52,021 | 53,688 | 54,358 | | | | |
| शाखा प्रबंधक | 36,672 | 40,377 | 42,524 | | | | |
| विशिष्ट अभिकर्ता | 15,340 | 16,678 | 16,335 | | | | |
| कुल | 1,81,928 | 1,88,364 | 1,87,923 | | | | |

iii) वृत्तिक अभिकर्ता योजना :

निगम में अभिकर्ता बल के व्यवसायीकरण को उन्नत कराने हेतु नगरीय वृत्तिक और ग्रामीण वृत्तिक अभिकर्ता योजना है। व्यवसाय में स्थिरता प्राप्त कराने हेतु करियर की शुरुआत में उन्हें वृत्तिका दी जाती है। 31 मार्च 2022 को निगम में 1,314 नगरीय वृत्तिक अभिकर्ता और 43,551 ग्रामीण वृत्तिक अभिकर्ता है।

सभी विकास अधिकारियों को वृत्तिक अभिकर्ता भर्ती करने का अवसर देने के लिए वर्ष 2010 में शहरी वृत्तिक अभिकर्ता योजना का आरम्भ किया गया था। 31 मार्च 2022 को निगम में 13,637 शहरी वृत्तिक अभिकर्ता है।

मुख्य जीवन बीमा सलाहकार योजना, 2008:

भारतीय जीवन बीमा निगम ने संगठनात्मक वृध्दि हेतु विद्यमान उच्चस्तर का कार्य करनेवाले अभिकर्ताओं की क्षमताओं को उपयोग में लाते हुए अधिकाधिक अभिकर्ताओं को भर्ती कर बाजार में अपने महत्व को वृध्दिंगत करने के उद्देश से दिनांक 12.04.2008 को मुख्य जीवन बीमा सलाहकार योजना, 2008 का आरंभ किया।

हम योजना के 14 वें वर्ष में हैं और चैनल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 14.36% की वृद्धि के साथ, चैनल की शुरुआत से अब तक की सबसे अधिक 35,34,386 पॉलिसियाँ पूर्ण की है और 5.31 की वृद्धि के साथ ₹ 8,208.48 करोड़ की प्रथम वर्ष प्रीमियम आय अर्जित की है। चैनल ने 5 पिल्लर्स पर वार्षिक बजेट हासिल किया हैं। चैनल के 2,37,855 सूचीबद्ध अभिकर्ताओं का मार्गदर्शन 24,367 क्रियाशील मुख्य जीवन बीमा सलाह्कारों द्वारा किया जाता हैं। चैनल का शेयर पॉलिसी में गत वर्ष के 14.73% की तुलना में बढ़कर 16.27% हो गया हैं और प्रथम वर्ष प्रीमियम आय गत वर्ष के 13.85% की तुलना में बढ़कर 15.01% हो गई हैं। इस वर्ष कुल 6976 चीफ़ ऑर्गनाइज़र / डीएसए प्रत्यक्ष विपणन चैनल से इस चैनल में विलय हो गए थे, जिन्होंने 38,608 पॉलिसियाँ और ₹ 298.43 करोड़ का प्रथम वर्ष प्रीमियम आय का व्यवसाय पूरा किया हैं।



मुख्य जीवन बीमा सलाहकारों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए और उनकी व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि लाने के लिए सीएलआईए ब्रिगेड के छः स्तर बनाए गए हैं। सदस्यता वर्ष 2021-22 के लिए 1,735 रजत ब्रिगेड, 1,275 स्वर्ण ब्रिगेड, 1,345 डायमंड ब्रिगेड, 378 प्लैटिनम ब्रिगेड, 15 सुपर प्लेटिनम ब्रिगेड और 2 स्टार प्लेटिनम ब्रिगेड के सदस्य हैं। कुल ब्रिगेड सदस्य 4,750 हैं।

प्राधिकृत अभिकर्ता :

प्रीमियम भुगतान एवं सेवा में अधिक सुविधाओं के लिए ग्राह्कों की बढ़ती हुई अपेक्षाओं के अनुरुप, प्रिमियम पॉईंटस के जिए नवीकरण प्रीमियम संग्रह करने हेतु, निगम ने चुनिन्दा अभिकर्ताओं को प्राधिकृत किया है। 31.03.2022 तक देशभर में ऐसे "प्रिमियम पॉईंटस" की संख्या 38,773 है। इन प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा ₹ 7.99 करोड़ नवीकरण प्रिमियम रसीदें जारी कीं गई और ₹ 45,915.44 करोड़ का प्रीमियम एकित्रत किया गया। इन प्रिमियम पॉईंटस के माध्यम से निगम के कुल संग्रहित प्रिमियम का 21% प्रिमियम संचित किया गया। इस वर्ष चैनल में 4,392 माइक्रो प्रिमियम पॉईंटस जोड़े गए। इन प्रीमियम पॉईंटस द्वारा जमा प्रीमियम 14,35,100 पोर्टल ट्रांजेक्शन्स के तहत ₹ 40.17 करोड़ था। चैनल में 120 चीफ़ ऑर्गनाइज़र के प्रीमियम पॉइंट भी जोड़े गए और उनहोंने ₹ 37.16 करोड़ के प्रीमियम के साथ 49,995 नवीकरण प्रीमियम रसीदें जारी की हैं।

7. विदेशी संचालन

क) विदेश स्थित शाखाएँ:

निगम अपनी विदेश स्थित शाखाओं के माध्यम से फ़िजी (सुवा व लउतोका), मॉरीशस (पोर्ट लुईस) व यूनाइटेड किंगडम (वाटफोर्ड) में संचालन करता है। वर्ष 2021-22 के दौरान विदेश स्थित शाखाओं ने मिलकर पहली प्रीमियम आय ₹120.41 करोड़ के साथ कुल 7,491 पॉलिसियां जारी की।

ख) विदेश स्थित सहायक कंपनियाँ:

एल आई सी (अंतरराष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी),:

एल आई सी (अंतरराष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी), को बहरीन में सहायक कंम्पनी के रूप में स्थापित किया गया है। कंपनी में एलआईसी ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग 99.66% है। 23 जुलाई, 1989 को संचालन की शुरुआत हुई और प्रारंभ में अप्रवासी भारतीयों के जीवन बीमा की जरूरतों को पूरा किया गया तथा बाद में इसे आगे बढ़ाते हुए खाड़ी के स्थानीय निवासियों के लिए जीवन बीमा पॉलिसियों को यू.एस. डॉलर में जारी किया गया। कंपनी पांच गल्फ को-ओपेरेटीव काउंसिल (जीसीसी) देशों - बहरीन, कुवैत, यूएई (दुबई व अबूधाबी), कतर व ओमान में कार्य कर रही है। कंपनी ने 31.12.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान 2,555 पॉलिसियां, ₹ 511.37 करोड़ की प्रथम प्रीमियम आय के साथ जारी की।

एल आई सी (नेपाल) लिमिटेड:

एल आई सी (नेपाल) लिमिटेड, एलआईसी ऑफ इंडिया की विशाल ग्रुप के बीच साझेदारी से सार्वजनिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे 1 सितंबर 2001 को स्थापित किया गया। यह एक सूचीबद्ध कंपनी है जिसके शेयर नेपाल स्टॉक एक्स्चेंज में ट्रेड किए जाते है। कंपनी ने 15.07.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 1,15,167 पॉलिसियाँ, ₹ 222.38 करोड़ की प्रथम प्रीमियम आय के साथ जारी की ।

एल आई सी (लंका) लिमिटेड:

एल आई सी (लंका) लिमिटेड, एलआईसी ऑफ इंडिया व बार्टलीट ट्रांसकैपिटल लिमिटेड के बीच साझेदारी वाली सहायक कंपनी है, जिसे 7 अक्टूबर 2002 को स्थापित किया गया। कंपनी ने 31.12.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 6,263 पॉलिसियाँ, ₹ 14.40 करोड़ की प्रथम प्रीमियम आय के साथ जारी की ।

एल आई सी बांग्लादेश लिमिटेड:

एल आई सी बांग्लादेश लिमिटेड, एलआईसी ऑफ इंडिया व स्ट्रेट्टिजिक इक्विट मेनेजमेंट लिमिटेड व म्यूचुअल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड के बीच साझेदारी वाली सहायक कंपनी है जो 14.12.2015 से बांग्लादेश 1994 कंपनी अधिनियम (अधिनियम XVIII) के अंतर्गत निगमित है। कंपनी ने 31.12.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 3,135 पॉलिसियाँ, ₹ 4.21 करोड़ की प्रथम प्रीमियम आय के साथ जारी की।

ग) विदेशी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनीः

एल आई सी (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड

एल आई सी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 30 अप्रैल 2012 को की गई | कंपनी ने 31.12.2021 की समाप्त वित्तीय वर्ष में 57 पॉलिसियाँ, ₹ 24.25 करोड़ की प्रथम प्रीमियम आय के साथ जारी की |





घ) इक्विटी भागीदारी के माध्यम से विदेश में प्रतिनिधित्व

केनइंडिया एशुरेंस कंपनी लिमिटेड:

केनइंडिया एशुरेंस कंपनी लिमिटेड, एलआईसी ऑफ इंडिया व जनरल इंश्योरन्स कंपनी एवम अन्य के सहभागिता के सयुंक्त बीमा उद्यम से, 6 दिसम्बर 1978 को केनिया में स्थापित की गई । कंपनी लाइफ(जीवन) व नॉन लाइफ (गैर जीवन) दोनों के व्यव्साय में कार्यरत है। कंपनी ने 31.12.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 7,268 पॉलिसियाँ, ₹ 551.32 करोड़ की प्रथम प्रीमियम आय के साथ जारी की।

सऊदी इंडियन कंपनी फॉर को-ओपरेटिव इन्श्रंस

सऊदी इंडियन कंपनी फॉर को-ओपरेटिव इन्शूरंस (एसआईसीसीआई) (वाफा इन्शुरेंस) 7 अगस्त 2007 को स्थापित सऊदी सयुंक्त स्टॉक कंपनी है। एलआईसी ऑफ इंडिया व भारतीय जीवन बीमा निगम (अंतराष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी), बहरीन दोनों के कंपनी में अलग-अलग 4.98% शेयर है व शेष शेयर न्यू इंडिया एशुरेंस कंपनी, अन्य व सऊदी अरब साम्राज्य की जनता के पास है। कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार वित्तीय पुनर्गठन पर विचार कर रही है।

ग्राहक संबंध प्रबंधन (ग्रा.सं.प्र.)

दावों का निपटान

ग्राहक केंद्रीत संगठन होने के नाते, हमारा यह निरंतर प्रयास रहा है कि हम अपने दावा निपटान निष्पादन के स्तर में हमेशा सुधार लायें। निगम द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 2,38,681.36 करोड़ के लिए 272.19 लाख दावों (सूक्ष्म बीमा और पेंशन एवं समूह योजनाओं सहित) का निपटान किया गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान निपटये गए दावों का ब्यौरा निम्नवार है:-

| | निपटाए गए परिपक्वता दावे | | | निपटाए गए मृत्यु दावे | | |
|---------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| वर्ष | नं. (लाख में) | राशि (₹ करोड़ में) | प्रदत्त प्रतिशत (संख्या में) | नं. (लाख में) | राशि (₹ करोड़ में) | प्रदत्त प्रतिशत (संख्या में) |
| 2019-20 | 206.66 | 1,42,350.76 | 87.66 | 9.32 | 17,419.57 | 95.44 |
| 2020-21 | 222.76 | 1,61,031.20 | 89.83 | 11.47 | 24,195.01 | 98.27 |
| 2021-22 | 256.47 | 2,02,083.84 | 91.09 | 15.72 | 36,597.52 | 98.50 |

नेफ्ट के माध्यम से दावों का भुगतान

वर्ष 2021-22 के दौरान एलआईसी ने ₹ 2,38,681.36 करोड़ की धनराशि के लिए 2.72 करोड़ दावों का निपटान नेफ्ट (नेशनल इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांस्फर) के माध्यम से किया है जो कि कुल भुगतान का 100% है।

वार्षिकी भुगतान

वार्षिकी पॉलिसियां, वृद्धावस्था में सुरक्षित एवं गारंटीकृत प्रतिफल के उद्देश्य को पूरा करती हैं। हमारी 43.11 लाख पॉलिसियां हैं जिनमें वार्षिकी का भुगतान किया जा रहा है। समर्पित व्यक्तिगत पेंशन योजना इकाईयों का गठन आठ क्षेत्राय कार्यालयों और 3 मंडल कार्यालयों जैसे कि अहमदाबाद, बैंगलुरू और कोलकाता में वार्षिकी पॉलिसियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। वार्षिकी का भुगतान नेफ्ट/ईसीएस के माध्यम से सीधे वार्षिकीकर्ता के बैंक खाते में किया जाता है।

दावा वाद विवाद निवारण समिति

निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष बडी संख्या में मृत्या दावों का निपटान किया जाता है। महत्वपूर्ण जानकारी के कपटपूर्ण तरीके से छिपाये जाने के मामलों में दावा अस्वीकृत किया जाता है। अस्वीकृत मृत्यु दावों का प्रतिशत बहुत कम है। इन मामलों में भी दावाकर्ता को क्षेत्रीय कर्यालय एवं केंद्रीय कार्यालय के दावा वाद-विवाद निवारण समिति को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर ऐसी समीक्षा के परिमाण स्वरूप उचित निर्णय लिये जाते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय एवं केंद्रीय कार्यालय के दावा वाद विवाद निवारण समिति में अन्य सदस्यों के अलावा सेवानिवृत उच्च न्यायालय कि न्यायाधीश होते हैं।

बीमा लोकपाल

दावा समीक्षा समिति द्वारा दावा अस्वीकृति को अगर बरकरार रखा जाता है ऐसे मामलों में, दावाकर्ता बीमा लोकपाल के कार्यालय को अपने शिकायत के निवारण के लिए संपर्क कर सकता है।





पॉलिसी सर्विसिंग

पॉलिसियों की सर्विसिंग जीवन बीमा मुल्य कड़ी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, विशेषकर दीर्घ कालीन संबंध प्रकृति के लिए। संपूर्ण यात्रा में केवल शुरु में दिए गए वचन अपरिवर्तित रहते है और सब कुछ बदलते है इसमें ग्राहक प्रोफाइल, बीमा उद्योग, विनियामक फ्रेमवर्क, तकनीकी स्पेस इत्यादि बदल सकते हैं। हम नियमित रूप से अपने सिस्टम में सुधार करते हुए ग्राहक निष्ठा में सुधार के लिए उत्कृष्ठ सुविधाएं प्रदान करने के प्रति कटिबद्ध हैं।

अपने ग्राहक सर्विस सुविधा की बुनियादी फ्रेमवर्क हमारे शाखा कार्यालय / सेटलाइट कार्यालय से शुरु होती है जिसके माध्यम से ग्राहक सभी आवश्व्यक सेवा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे नामांकन, अभ्यर्पण, पते में परिवर्तन, ऋण, समर्पण (सरेंडर) इत्व्यादि। हमने समर्पित ग्राहक पोर्टल और मोबाइल ऐप अपने ग्राहको तक पहुंचने के लिए उपलब्ध कराए है। प्रतिवर्ष ग्राहक अनुभव संवर्धन के लिए बदलते तकनीक की सहायता से ग्राहक पोर्टल पर नई-नई सुविधाएं जोड़ रहे हैं।

हमारे ग्राहक सर्विस ढाचे में मुख्य स्तंभ निम्नलिखित है:

- ✔ सिटिजन चार्टर: बदलते समय के अनुसार उचित बेंचमार्किंग के साथ अच्छी तरह से परिभाषित सिटिजन चार्टर।
- 🗸 ग्राहक स्पर्श प्वाइंट: ग्राहक संपर्क कार्यालय जैसे शाखा कार्यालय, सेटलाइट कार्यालय, मिनी कार्यालय, प्रीमियम प्वाइंट इत्यादि।
- अॉनलाइन ग्राहक पोर्टलः ऑनलाइन निष्पादन करने के इच्छुक ग्राहकों के लिए ग्राहक पोर्टल और मोबाइल अप्लिकेशन ।
- ✔ प्रीमियम भुगतानः प्रीमियम भुगतान के वैकल्पिक चैनल जिसमें भुगतान विकल्पों के सभी प्रसिद्ध तरीके शामिल हैं।
- कॉल सेंटर्स / ग्राहक जोंस: ग्राहक क्षेत्र कार्यालव्यों और केंद्रीकृत कॉल सेंटरों का व्यापक नेटवर्क
- 🗸 **डिजिटाइज्ड दस्तावेज:** उद्यम दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (ईडीएमएस)। देश में उपलब्ध एक सबसे बड़ा दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन प्रोग्राम।
- ✔ शिकायत प्रबंधन: अच्छी तरह से परिभाषित शिकायत प्रबंधन प्रणाली

ग्राहक पोर्टल

ग्राहक सेवा के लिए एलआईसी का डिजिटल अभियान वर्ष 2005 में शुरु हुआ। हमारा डिजिटल होना अपने ग्राहकों के लाभ के लिए अद्यतन तकनीक के मुल्यांकन द्वारा एक नियमित प्रक्रिया है। ग्राहकों द्वारा हमारे ग्राहक पोर्टल और मोबाइल अप्लिकेशनों के माध्यम से पॉलिसी संबंधित सेवा जरुरतों के प्रदत्त सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। मोबाइल अप्लिकेशन एंड्रॉयड और आई-ओएस दोनों में उपलब्ध है। बहुत सी हमारी पॉलिसी सेवा संबंधित सुविधाएं स्वयं-सेवा प्रकृति की हैं जिसमे किसी मानवाय सहायता की जरुरत नहीं होती।

| | मोबाइल अप्लिकेशन यूजर्स | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------|--|--|
| पोर्टल पर दर्ज ग्राहक | एंड्रॉयड आई-ओएस | | | |
| 2.19 करोड़ | 42.49 लाख | 8.82 लाख | | |

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक

बुनियादी सर्विस यूजर्स के लिए उपलब्ध ऑनलाइन सेवाएं

| अग्रिम रूप से प्रीमियम का भुगतान | प्रीमियम प्रदत्त प्रमाणपत्र |
|--|---------------------------------------|
| पॉलिसी स्टेटस/ ऋण स्टेटस/ / दावा स्टेटस/ | रिवाइवल कोटेशन |
| ऑनलाइन रसीद प्रिंटिंग | प्रीमियम कैलेंडर/पॉलिसी शेड्यूल देखें |
| पैन दर्ज करने का अनुरोध | नेफ्ट दर्ज करने का अनुरोध |
| प्रीमियम/ऋण व्याज/ऋण पुनर्भुगतान का भुगतान | |

प्रीमियर सेवा यूजर्स के लिए उपलब्ध ऑनलाइन सेवाएं

बुनियादी सेवा यूजर्स के लिए ऊपर उल्लिखित सेवाओं के अतिरिक्त प्रीमियर सेवायूजर्स के लिए निम्न्लिखित सेवाएं भी उपलब्ध हैं:

| पॉलिसी और प्रस्ताव इमेज देखें | दावा इतिहास देखें |
|---|--|
| ऑनलाइन ऋण के लिए अनुरोध दर्ज करना | पते के ऑनलाइन परिवर्तन के लिए अनुरोध दर्ज करना |
| निधि प्रकार की ऑनलाइन बदलाव-यूलिप पॉलिसियां | प्रिमियम भुगतान तरीके का ऑनलाइन परिवर्तन |





सभी ग्राहको के लिए ऑनलाइन सेवा उपलब्ध

हमारे सभी ग्राहकों के लिए पोर्टल पर दर्ज कराए बिना भी निम्न सुविधाएं उपलब्ध हैं:

- प्रीमियम का भुगतान
- ऑफलाइन आधार का उपयोग करके पते में परिवर्तन
- पैन स्टेटस का ऑनलाइन जांच
- पैन का ऑनलाइन पंजीकरण
- ई-नैच मेंडेट्स का पंजीकरण और सत्यापन

सर्वथा सुलभ सेवाएं

दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन और संवर्धित नेटवर्किंग सिस्टम का लाभ उठाते हुए एलआईसी ने अपनी सेवाओं को जहां तक संभव है अपने ग्राहकों के समीप उपलब्ध कराती है। इसके साथ ग्राहक देश में किसी भी कर्याालय से सेवा प्राप्त कर सकते हैं चाहे उनकी मूल सर्विसिंग शाखा कहीं भी हो। ये सेवाएं है:

| प्रीमियम भुगतान | ऋण ब्र्याज का भुगतान | |
|---|------------------------------|--|
| समाप्त पॉलिसियों का पुनर्जीवन (स्पॉट पुनर्जीवन) | पते का परिवर्तन | |
| संपर्क विवरणों का अपडेशन | नामांकन तथा नामांकन परिवर्तन | |
| नेफ्ट लेना | पैन लेना | |
| प्रीमियम भुगतान प्रमाणपत्र देना | लाइफ प्रमाणपत्र जमा करना | |
| ऋण आवेदन देना | सरेंडर आवेदन देना | |
| विभिन्न सेवाओं के लिए फार्म देना | | |
| विभिन्न विकल्पों, दावा भुगतानों के लिए जरुरतों के बारे में सूचना देना | | |
| एलआईसी डाओसीक्यू ऐप का प्रव्रोग करके पॉलिसियो का पुनर्चलन | | |

उद्यम दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (ईडीएमएस)

एलआईसी में दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे वर्ष 2007 में शुरु किया गया। इसका उद्देश्य सभी प्रस्ताव और ग्राहकों के पॉलिसी संबंधित दस्तावेजों को स्कैन और सुरक्षित करना और साथ ही प्रशासनिक एवं एजेंसी दस्तावेजों को सुरक्षित करना था। अब सभी पॉलिसी के बाद की सेवाएं सिस्टम मे उपलब्ध दस्तावेजों के इमेजों के आधार पर दी जाती हैं। सर्विस टच प्वाइंट और डिजिटल अपनाने की बढ़ती संख्या के साथ हमारी ऑनलाइन साथ ही मोबाइल सेवाएं भी ईडीएमएस के साथ एकीकृत हैं। हमारे पोर्टल पर प्रीमियर सेवा यूजर के रूप मे दर्ज ग्राहक अपने पॉलिसियों से संबंधित प्रस्ताव और पॉलिसी दस्तावेजों के इमेजों को देख सकते हैं जो ईडीएमएस मे स्कैन और स्टोर की हुई है।

| | स्कैन किया हुआ दस्तावेज | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | पॉलिसी दस्तावेज | संवर्धित दस्तावेज* | |
| गत वित्तीय वर्ष | 2.93 करोड़ | 2.59 करोड़ | |
| संचित - 31.03.2022 को | 58.55 करोड़ | 33.51 करोड़ | |

^{*}पॉलिसी के बाद सेवाओं के आधार पर तैयार किए गए दस्तावेज

प्रीमियम भुगतान के वैकल्पिक चैनल

एलआईसी विभिन्न चैनलों के माध्यम से विभिन्न तरीकों को जोड़कर प्रीमियम के भुगतान के लिए वैकल्पिक तरीकों को देने के लिए वित्तीय प्रणाली में उभरती हुई तकनीकों का लगातार प्रवास करता है। इन वैकल्पिक चैनलों ने करोना और लॉकडाउन के दौरान प्रीमियम भुगतान के लिए बड़ी भुमिका निभाई है। वर्ष 2021-22 के लिए कार्पोरेशन को प्राप्त कुल रिन्युवल प्रीमियम का 75.08 लेन-देन और 66.04% प्रीमियम राशि वैकल्पिक चैनलों से जमा किए गए।

वैकल्पिक चैनलों में निम्न शामिल हैं:

क. इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनल: इनमें एक्सिस बैंक, यूबीआई, आईसीआईसीआई और फेडरल बैंक के माध्यम से सीधे नेशनल आटोमैटेड क्लियरिंग हाउस (नैच) और इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रजेंटेशन और पेमेंट (ईबीपीपी) शामिल है। अन्य प्रमुख बैंक ग्राहक सेवाप्रदाता के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं: बिल डेस्क और इंजिनको ई-पेमेंट इंडिया प्रा.लि. (टेक प्रोसेस)।





- ख. **ऑनलाइन प्रीमियम भुगतान:** ग्राहकोंद्वारा हमारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रीमियम, पॉलिसी ऋण/ ऋण का ब्याज और अग्रिम प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है। भुगतान के लिए दो तरीके (payment gateways) उपलब्ध हैं। उपलब्ध विकल्पों में नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, ई-वॉ लेट्स, डेबिट कार्ड्स, यूपीआई भीम, फोनपे, गुगल पे, ऐमजॉन पे, मोबीक्विक, जस्ट डायल और फ्री चार्ज शामिल है।
- ग. बैंकों के माध्यम से प्रीमियम लेना: नकद या चेक से एक्सिस बैंक, सिटी यूनियन बैंक और आईडीबीआई बैंक में प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है।
- घ. प्रीमियम लेने के लिए अन्य चैनलों को अधिकार: एस.बी.ए., विकास अधिकारियों, एजेंटों इत्यादि के माध्यम से प्रीमियम भुगतान के लिए 44,900 से अधिक वसूली केंद्र उपलब्ध हैं लाइफ प्लस, लाइफ प्वाइंट, प्रीमियम प्वाइंट और बीमा कनेक्ट। एपीटीऑनलाइन, एमपीऑनलाइन, सुविधा इनफोसर्व प्रा.लि. और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लि. के माध्यम से सीएससी सेंटर्स केंद्रों को नकद में रिन्युवल प्रीमियम वसूलने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

यूनिट लिंक्ड बीमा प्लांस

यूनिट लिंक्ड बीमा प्लानों के प्रबंधन के री-इंजिनियरिंग के लिए वर्ष 2019 में यूलिप केट्रीकृत प्रणाली (यूसीएस) को लागू करके एक बड़ा कदम उठाया गया। अब सिस्टम लगातार सुधारों के साथ काम कर रहा है। सिस्टम के लागू होने के बाद सभी प्लानों का प्रबंधन नए सेट-अप के माध्यम से किया जा रहा है। नए सेट-अप में यूनिट लिंक्ड प्लानों के लिए नेफ्ट के माध्यम से केंट्रीकृत भुगतान प्रणाली मृत्यु दावा, कूलिंग ऑफ, सरेडर और फोरक्लोजर जैसे विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत भुगतान पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करता है। यह स्व-चालित सिस्टम से ग्राहकों के लिए अपने विभिन्न कार्यालयों से त्वरित भुगतान सुनिश्चित करता है।

एलआईसी हेल्प:

एलआईसीहेल्प का यह कदम आजकल बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। पॉलिसीधारक को <policy no> to '9222492224'. पर एक एसएमएस करना होता है। पॉलिसी धारक को संदर्भ संख्या के साथ एक एसएमएस प्राप्त होता है और ग्राहक क्षेत्र का कर्मचारी शिकायत/प्रश्न के समाधान के लिए ग्राहक से संपर्क करता है। वि.व. 2021-22 के लिए कुल 1,78,471 एसएमएस प्राप्त हुए जिनका तत्परता से जबाब दिया गया।

ग्राहक क्षेत्र:

पूरे भारत में कुल 74 ग्राहक क्षेत्र कार्य कर रहे हैं जो "क़्वालिटी अनुभव" पर विशेष बल देते हुए ग्राहकों के सभी सेवा जरुरतों के समाधान के लिए 'वन स्टॉप सेंटर' के रूप में काम करते हैं। कुछ लोकेशनों पर ग्राहक क्षेत्र अपने ऑफ-पीक समय के दौरान ग्राहकों के लिए टच प्वाइंट सेवा सुनिश्चित करने के लिए शिफ्ट में काम करते हैं। ग्राहकक्षेत्र अपने पॉलिसी धारकोंको सभी बुनियादी पॉलिसी संबंधित सूचना और दिशानिर्देश देने के लिए सुविधाओं से सुसज्ज हैं।

कॉल सेंटर सेवाएं:

एलआईसी के पास केंद्रीकृत कॉल सेंटर हैं जो 24X7 कार्य करते हैं। ग्राहक 022-68276827 पर संपर्क कर सकते हैं। कॉल सेंटर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा आठ क्षेत्रीय भाषाओ (बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओरिया, तिमल एवं तेलुगू) से सुसज्ज हैं। 2021-22 के दौरान 59%कॉ ल आईवीआरएस के माध्यम से पूरे हुए और 41% कॉल सेंटर एजेंटों से प्राप्त किया। 31 मार्च 2022 को ग्राहक संतुष्टि 1 (निकृष्ट/ Poor) से 5 (उत्कृष्ट/ Excellent) के स्केल पर 4.56 है। 95% कॉल सेंटर पर ही बंद हो गए जबिक 4.50% को समाधान के लिए आगे बढाया गया।

ग्राहक के लिए संप्रेषण

एसएमएस और ई-मेल एलआईसी द्वारा प्रयुक्त दो प्रमुख चैनल हैं। मोबाइल नम्बर और ई-मेल दर्ज कराने वाले ग्राहक इन संपर्क साधनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। एलआईसी ने वर्ष 2021-22 के दौरान विशेष पुनर्जीवन अभियान सहित विभिन्न सेवाओं और भुगतान संबंधित विषयों पर पॉलिसी धारकों को 140 से अधिक प्रकार के एसएमएस किये। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021-22 में पॉलिसीधारकों को अंग्रेजी और हिंदी में नव-वर्ष, एलआईसीदिवस की बधाई, टीकाकरण जागरूकता, आईपीओ सूचना संबंधित एसएमएस भेजे गए।

ग्राहकों की शिकायतों का समाधान

कार्पोरेशन के पास शाखा / मंडल / क्षेत्र / केंद्रीय कार्यालय में ग्राहको की शिकायतों का समाधान के लिए शिकायत समाधान अधिकारी हैं। उनका नाम और उनकी उपलब्धता का समय, समय-समय पर व्यापक परिचालन वाले समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाता है और हमारे वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सभी टच प्वाइंट पर ग्राहक प्रेरित व्यक्ति को रखने पर जोर देने के साथ हमारे शिकायत समाधान सिस्टम में ग्राहक संबंध और ग्राहक कल्याण निहित है। मानवीय हस्तक्षेप और शिकायत को कम करने के लिए आईटी समर्थित सिस्टम कार्य करता है।

ग्राहको की शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए कार्पोरेशन ने 'एलआईसी के ई-सर्विसेज' के माध्यम से ग्राहक फ्रेंडली ऑनलाइन सिस्टम - 'एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली' स्थापित कि है जो हमारी वेबसाइट http://www.licindia.in पर भी उपलब्ध है, जहां पंजीकृत ग्राहक सीधे अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति देख सकता है। ग्राहक अपनी शिकायत के समाधान के लिए ई-मेल आईडी co_complaints@licindia.com पर संपर्क कर सकता है।





निम्नलिखित स्रोतों से शिकायते प्राप्त होती है

- आईआरडीएआई के आईजीएमएस के साथ एकीकृत आईसीएमएस (एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली)
- भारत-सरकार से सीपीग्राम्स (केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत समाधान एवं निगरानी प्रणाली)
- ई-डाक और ई-मेल के माध्यम से प्राप्त एमओएफ (वित्त मंत्रालय से प्रत्यक्ष शिकायत)
- 🗸 एनसीएच (राष्ट्रीय ग्राहक हेल्प-लाइन) इंग्राम-ग्राहक मामलो के मंत्रालय का कदम एलआईसी 04.10.2017 से शामिल है।.
- ई-डाक के माध्यम से हमारे अध्यक्ष को संबोधित प्रत्यक्ष शिकायत- प्राथमिकता के शिकायत.
- डाक, टेलीफोन इत्व्रादि द्वारा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शिकायतो का आंकड़ा निम्नवत है

| | कुल दर्ज शिकायत | कुल समाधान किए गए | लंबित | 15 दिन मे समाधान किए गए | 15 दिन मे समाधान होने का % |
|-------------|-----------------|----------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|
| आईसीएमएस | 1,14,444 | 1,14,444 | 0 | 1,11,492 | 97.42% |
| सीपीग्राम्स | 17,459 | 17,459 | 0 | 16,963 | 97.16% |
| एनसीएच | 973 | 973 | 0 | 958 | 98.46% |
| एमओएफ | 22 | 22 | 0 | 22 | 100% |
| योग | 1,32,898 | 1,32,898 | 0 | 1,29,435 | 97.39% |

9. निगमित संप्रेषण

वर्ष 2021-22 में, कॉर्पोरेट संचार का उद्देश्य जीवन बीमा कंपनियों के बीच एक वित्तीय समूह और ग्राहक के सबसे पसंदीदा बीमा ब्रांड के रूप में एलआईसी ब्रांड को मजबूत करना है। कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस की रणनीति एलआईसी को बीमा क्षेत्र में 'मिलेनियल्स' के "सबसे पसंदीदा ब्रांड" के रूप में स्थापित करना और अपनी डिजिटल और सोशल मीडिया उपस्थिति को मजबूत करना था।

सभी मीडिया गतिविधियों को विभिन्न मीडिया पर अधिकतम पहुंच और दृश्यता प्राप्त करने के लिए संरेखित किया गया था.

मुद्रण माध्यम

63 अभियान चलाए गए, जिन्हें पूरे भारत में समाचार पत्रों के 794 संस्करणों के साथ 120 से अधिक प्रकाशनों में लगातार स्थान मिला। महत्वपूर्ण पत्रिकाओं, प्रमुख स्मृति चिन्हों और वार्षिक पुस्तकों में एलआईसी की उपस्थिति निरंतर सुनिश्चित की गई।

एलआईसी ने स्वतंत्रता दिवस, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, नया साल और गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसरों को मनाने के लिए विशेष विज्ञापनों द्वारा अपनी ब्रांड छिव को बढ़ाया है। सीआरएम गतिविधियों का समर्थन करने के लिए, पुनर्चलन और दावा निस्तारण के लिए अखिल भारतीय विज्ञापन अभियान चलाए गए। एल.आई.सी के स्थापना दिवस को महत्ता देने के लिए इंडिया टुडे के अंग्रेजी और हिंदी पत्रिकाओं में विशेष फीचर लेख लिखे गए। बिजनेस टुडे और आउटलुक मनी में 8 पेज का गेटफोल्ड एडवर्टोरियल तथा टाइम्स ऑफ इंडिया में भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए फ्रेंच विंडो दिया गया। इंडिया टुडे और बिजनेस टुडे (हिंदी और अंग्रेजी) में 5 पेज का स्टेपर - एनिवर्सरी एडवर्टोरियल (वैल्यू एडिशन के रूप में) दिसंबर 2021 में किया गया। एक विज्ञापन के माध्यम से एल.आई.सी.लोगों के अनाधिकृत उपयोग के विरोध में एक चेतावनी नोटिस जारी किया गया। वर्ष 2021-22 में चार नई योजनाएं जारी की गई जिससे सम्बंधित प्रिंट, बिक्री ब्रोशर, होर्डिग्स, पोस्टर, बैनर, स्टेंडी आदि तैयार किए गए। पूरे वर्ष के दौरान, ब्रांड एलआईसी, 12 फ्री वाणिज्यिक टाइम्स (FCT) अभियान, 42 प्रायोजित कार्यक्रम जिनमें समाचार, सिनेमा, संगीत, जी.ई. सी, खेल जैसी विभिन्न इंफोटेन्मेंट की शैलियों के माध्यम से राष्ट्रीय और प्रावेशिक टी.वी. चैनलों और दूर्दर्शन के माध्यम से दृष्टिगत होता रहा। बजट सन्न जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों को भी कवर किया गया। हमने रेडियों और टेलिविज़न के उन कार्यक्रमों को प्रायोजित किया जिनकी श्रव्यता / दृश्यता काफी अधिक थी। टीवी में भारी दर्शकों को आकर्षित करने से हमें व्यापक प्रचार लाभ मिला। एलआईसी ने स्पेशल दिवसों जैसे मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, स्वतंत्रता दिवस, हिंदी दिवस और हमारे दिन स्थापना दिवस पर विभिन्न टीवी चैनलों पर स्पाट बाय/प्रायोजन के माध्यम से पर अपनी उपस्थित दर्ज कराई।

रेडियो

प्रायोजन, एफसीटी आदि के माध्यम से हमारे द्वारा रेडियो माध्यम का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया । ऑल इंडिया रेडियो के 191 बाजारों और 88 ग्रामीण बाजारों को कवर करते हुए 20 एफएम चैनलों के माध्यम से कईं अभियान चलाये गए । एलआईसी के स्थापना दिवस के अवसर पर, 9 प्रमुख एफएम पर रोडब्लॉक के साथ एक अभिनव अभियान किया गया जिसमें सभी चैनलों पर दिन भर एक साथ हमारे प्रोमो/टीज़र/विज्ञापन प्रसारित किये गए । वित्तीय वर्ष के दौरान 12 क्षेत्रीय भाषाओं में 8 नए जिंगल तैयार किए गए जो हमारे अभियानों के दौरान मौजूदा जिंगल के साथ प्रसारित गए ।





आजादी का अमृत महोत्सव (AKAM)

प्रगतिशील भारत और इसके गौरवशाली इतिहास की उपलब्धियां और इसके लोगों, संस्कृति का स्मरण करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव (AKAM) मनाना भारत सरकार की एक पहल है ।

AKAM की आधिकारिक यात्रा पहले ही हमारी स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ के साथ शुरू हो चुकी है और अगस्त 2023 तक जारी रहेगी।

भारत सरकार द्वारा AKAM के जो पांच स्तम्भ उल्लिखित किए गए वो हैं- (i) स्वतंत्रता संग्राम (ii) 75 वर्षों पर उप्लिब्धियां (iii) 75 वर्ष होने पर सोच (iv) 75 वर्ष होने पर किया-कलाप (v) 75 वर्ष होने पर संकल्प। AKAM से जुड़ी गतिविधियां और संचार जन भागीदारी (साझेदारी) और जनता से जुड़े (लोगों से जुड़े) विषयों पर आधारित होनी चाहिए। अकाम से जुड़ी गतिविधियां प्रतिष्ठित और गैर प्रतिष्ठित आधार पर होनी है। एल.आई.सी. के लिए प्रतिष्ठित महीने, जनवरी 2022, अगस्त 2022 मार्च 2023 और अगस्त 2023 है। प्रतिष्ठित माह जनवरी 2022 की गतिविधियों का शुभारम्भ हमारे अध्यक्ष द्वारा सभी प्रबन्ध निदेशकों और क्षेत्रीय विभागाध्यक्षों की उपास्थिति में वर्चुअलमोड द्वारा 5 जनवरी 2022 को किया गया।

हमारे सभी कार्यालयों ने AKAM के आइडिया को विभिन्न जनभागीदारी गतिविधियों जैसे नुक्कड़ नाटक के मंचन, मोबाइल वैन, के माध्यम से प्रसारित किव्र्या। एक विशेष AKAM बैज भी तैयार कर वितरित किया गया जिसे हमारे सभी कर्मचारियों ने एक साथ पहना। सेल्फी पॉइंट, बैनर, और स्टैंडीज़ के साथ एलआईसी के विभिन्न कार्यालयों में थीम "मैं हूं आजाद" और AKAM लोगो लगाया गया। टीवीसी के माध्यम से प्रचार/पूरे महीने रेडियो जिंगल्स/ सोशल मीडिया हैंडल/ वेबसाइट बैनर लगाए गए। टीवीसी/ रेडियो जिंगल/ सोशल मीडिया / वेबसाइट बैनर्स का पूरे माह प्रसारण हुआ। टी वी विज्ञापनों को सभी प्रमुख चैनलों पर तथा रेडियो जिंगल को अंग्रेजी और हिंदी में 180 चैनलों में प्रसारित किया गया। एलआईसी ने 14 PMJJBY टेस्टीमोनियल वीडियो बनाए हैं जा AKAM माइक्रोसाइट में पोस्ट किए जाएंगे। खुद को राष्ट्र के प्रति पुनः समर्पित करने के संकल्प गीत का वीडियो तथा ट्रांस्फीर्मेशन फ्लैप भी LIC द्वारा बनाए जा रहे है

घर से बाहर (OOH)

लॉकडाउन हटने के बाद ही आउट ऑफ होम (OOH) गतिविधियां संचालित की गईं। ग्राउंड इवेंट स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में उचित देखभाल करने के बाद ही प्रायोजित किए गये।

वर्ष के दौरान स्थानीय रेलवे ट्रेनों/बसों, विमानों और सिनेमा की ब्रांडिंग की गई।

विभिन्न हितधारकों तक पहुंचने के लिए, एलआईसी पीआर गतिविधियों ने पूरक प्रचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । प्रेस विज्ञप्तियां, मीडिया साक्षात्कार ने सुनिश्चित किया कि नए उत्पाद तथा ग्राहक पहल के लॉन्च के संबंध में हमारा संचार लक्षित दर्शकों तक पहुंचे।

लॉकडाउन के दौरान विभिन्न ग्राहक संबंधी पहलों जैसे प्रीमियम भुगतान, दावा निपटान आदि को संप्रेषित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मीडिया साक्षात्कार के ज़रिए प्रभावी ढंग से लाभ उठाया गया ।

देश भर में विशेष पहल की गई जैसे एलआईसी-स्टूडेंट ऑफ द ईयर का आयोजन 4,357 स्कूलों में हुआ, 1,182 कॉलेजों की कॉलेज परिसर गतिविधि के तहत कवर किया गया; 16,276 दिनों के लिए मोबाइल वैन गतिविधियों का आयोजन किया गया। साल के दौरान स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत अभियान के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को भी जारी रखा जिसमें 4,545 पार्कों/ सड़कों/ कार्यालयों में सफाई गतिविधियां की गईं और 3,519 चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए।

इन गतिविधियों का देश के युवाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

एलआईसी ने वर्ष के दौरान 25 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। जीते गए उल्लेखनीय पुरस्कार हैं:

- रीडर्स डाइजेस्ट सबसे भरोसेमंद ब्रांड 2021
- सीएफबीपी जमनालाल बजाज पुरस्कार 2020-21 निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं के लिए
- IAA लीडरशिप अवार्ड्स 2021/मार्केट ऑफ द ईयर-बीमा
- डन एंड ब्रैडस्ट्रीट-पीएसयू अवार्ड्स 2021
- फिक्की बीमा उद्योग पुरस्कार 2021 सर्वश्रेष्ठ बीमा अभियान-जीवन श्रेणी
- मार्कसमेन डेली मोस्ट ट्रस्टेड बीएफएसआई अवार्ड्स
- भारत बीमा शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2022-डिजिटल परिवर्तन में उत्कृष्टता
- वर्ष २०२२ के लिए विश्व बीएफएसआई कांग्रेस-प्रौद्योगिकी पहल
- इकोनॉमिक टाइम्स 2022 के सर्वश्रेष्ठ बीएफएसआई ब्रांड्स में से एक।





डिजिटल डेस्क

सहस्राब्दी आबादी तक पहुंचने के लिए एलआईसी ने डिजिटल स्पेस का काफी प्रभावी ढंग से उपयोग किया। हमने वर्ष के दौरान 150 अभियान डिजिटल स्पेस में निष्पादित किए ।

हमारी डिजिटल गतिविधियों में मीडिया खरीद, अभियान, प्रायोजन आदि शामिल है । पूरे वर्ष हमारी उपस्थिति लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जैसे गूगल एमेज़ोन, क्वोरा जैसे विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों में सुनिश्चित की गई।

हमने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल आदि के माध्यम से मजबूत संचार सुनिश्चित किया है।

सामाजिक महत्व के दिनों में साल भर नियमित रूप से क्रिएटिव पोस्ट किए गए । स्वतन्त्रता दिवस और बीमा सप्ताह के मौके पर एक क्रमिक अभियान चलया गया । विशेष पुनर्चलन अभियान के अंतिम 5 दिनों में काउंट डाउन कैम्पेन भी चलाया गया। सीआरएम से संबंधित सूचना, सार्वजिनक अलर्ट, प्रेस विज्ञिप्त, नोटिस, कोविड -19 एहतियात और टीकाकरण, स्वच्छता पखवाड़ा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, आजादी का अमृत महोत्सव आदि से संबन्धित अन्य क्रिएटिव भी एलआईसी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए।

31.03.2022 तक फेसबुक पर हमारे 63,16,174 फॉलोअर्स हैं, ट्विटर पर 79,300 इंस्टाग्राम पर 48,800 और 54,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पर हैं।

10. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:

कुल केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों की संख्याः 130

कुल अपीलीय प्राधिकारियों की संख्याः 130

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों एवं केंद्रीय अपीलीय प्राधिकारियों का विवरण www.licindia.in

सूचना अधिकार प्रकटीकरणः

भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) का अनुपालना की है एवं केंद्रीय सूचना आयोग ने पारदर्शिता अंकेक्षण में "A" श्रेणी प्रदान की है और वर्ष 2020-21 के लिये मूल्यांकन 100% है ।

आर टी आई ऑनलाइन मॉड्यूल:

भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालयों में सूचना अधिकार के अंतर्गत प्राप्त समस्त आवेदनों एवं अपीलों को भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल में प्रक्रियागत किया जाता है ।

वर्षवार सूचना अधिकार विभाग के आकड़े

| <u> </u> | | | | | | |
|----------|--------|-------|----------|-----------|---------|---------------------------------|
| वर्ष | आवेदन | अपीले | सी आई सी | कारण बताओ | पेनल्टी | क्षतिपूर्ति मामलों की संख्या |
| | | | | | | सख्या |
| 2005-06 | 187 | 1 | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 2006-07 | 1,311 | 9 | 2 | NIL | NIL | NIL |
| 2007-08 | 2,616 | 394 | 96 | 27 | NIL | 4 |
| 2008-09 | 4,555 | 982 | 174 | 13 | 1 | 2 |
| 2009-10 | 6,897 | 1,473 | 108 | 13 | 1 | 3 |
| 2010-11 | 9,553 | 1,919 | 384 | 20 | NIL | 5 |
| 2011-12 | 12,350 | 2,242 | 160 | 14 | 1 | 3 |
| 2012-13 | 13,536 | 2,425 | 619 | 13 | 2 | 6 |
| 2013-14 | 14,665 | 2,474 | 283 | 5 | 3 | 3 |
| 2014-15 | 15,047 | 2,281 | 303 | NIL | NIL | NIL |
| 2015-16 | 16,424 | 2,784 | 462 | NIL | NIL | NIL |
| 2016-17 | 14,358 | 2,479 | 356 | 2 | NIL | NIL |
| 2017-18 | 12,937 | 2,242 | 292 | NIL | NIL | NIL |
| 2018-19 | 12,653 | 2,184 | 347 | NIL | NIL | NIL |
| 2019-20 | 16,605 | 1,987 | 318 | NIL | NIL | NIL |
| 2020-21 | 11,911 | 1,849 | 262 | NIL | NIL | NIL |
| 2021-22 | 11,511 | 1,728 | 228 | NIL | NIL | NIL |





11. कार्मिक/ कर्मचारी संबंध:

क) कर्मचारियों की संख्या:

31.03.2022 को निगम में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या 1,04,036 है जब कि पिछले वित्तीय वर्ष के अंत मे यह 1,08,987 थी।

ख) कर्मचारी संबंध:

निगम एवं निगम के कर्मचारियों के मध्य सदभावपूर्णएवं सामजस्यपूर्ण संबंध रहे तथा बीमा उद्योग के चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कर्मचारियों का मनोबल कायम रहा।

ग) महिलाओं का सशक्तिकरणः

निगम में प्रत्येक स्तर पर महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। विभिन्न श्रेणियों में महिला कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है।

| श्रेणी | कुल | महिलाओं की संख्या |
|----------------------------------|----------|-------------------|
| प्रथम श्रेणी अधिकारी | 31,074 | 7,191 |
| विकास अधिकारी | 20,560 | 1,191 |
| तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 52,402 | 15,712 |
| कुल | 1,04,036 | 24,074 |

निगम के कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न निवारण हेतु समितियाँ केन्द्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं मंडल कार्यालय स्तर पर सक्षमता से कार्यरत है।

घ) आरक्षण- राष्ट्रीय नीति का अनुपालन

1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग

भारत सरकार द्वारा आरक्षण संबंधी निर्देशों के अनुसार ,निगम में अजा / अजजा / अन्य पिछड़े वर्गों के हित में नियुक्त तथा पद्दोनित में आरक्षण, नीति से संबंधित विविध मामलों के विषय में चर्चा करने हेतु तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों का प्रभावी तरीकेसे निवारण करने हेतु निगम के मंडल, क्षेत्रीय तथा केंद्रीय कार्यालयों में कल्याण प्रकोष्ठ सिक्रय रूप से कार्यरत है। निगम में अजा / अजजा / भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगजन कर्मचारियों के लिए एवं अन्य पिछड़े वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय कार्यालय स्तर पर अलग से मुख्य संपर्क अधिकारीयों का चयन किया गया है तथा निगम के सभी आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में अजा / अजजा / भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगजन कर्मचारियों के लिए एवं अन्य पिछड़े वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों के लिए अलग से क्षेत्रीय संपर्क अधिकारीयों को नामित किया गया है। केंद्रीय कार्यालय स्तर पर अजा / अजजा / भूतपूर्व सैनिक / दिव्यांगजन कर्मचारियों के लिए नियुक्त सभी संपर्क अधिकारियों की उपस्थिति में अजा / अजजा कल्याण संघ के आखिल भारतीय पदाधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठके आयोजित की जाती है जिसमे अनुसूचित जाती एवं जनजाति के कर्मचारियों से संबंधित मामलो पर चर्चा की जाती है। केंद्रीय कार्यालय स्तर पर अन्य पिछड़े वर्ग के अखिल भारतीय पदाधिकारियों के साथ भी बैठक आयोजित की जाती है।

आरक्षण से संबंधित कार्य करनेवाले कर्मचारियों/अधिकारियो, सभी संपर्क अधिकारियो एवं अजा / अजजा कल्याण संघ के पदाधिकारियों को आरक्षण संबंधित विषय पर नवीनतम निर्देश / जानकारी देने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया है । अजा / अजजा के उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण कर्याक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ।

2) दिव्यांगजन

भारत सरकार इस विषय में जारी निर्देशों के अनुपालन एवं विकलांग व्यक्तियों के पुनःस्थापन में सहयोग के दृष्टिकोन के साथ निगम ने विकलांग व्यक्ति जिसमे भौतिक, श्रव्य और दृश्य दिव्यांगताओं का, नियुक्ति के लिए पदों की पहचान की है। सीधी भर्ती में, श्रेणी I, III एवं IV में पहचान किये गए पदों से संबंधित सीधी भर्ती की कुल रिक्तियों में से 4% आरक्षण का प्रावधान है। अभिलेख लिपिक तथा उच्च श्रेणी सहायक पदों के लिए पदोन्नित में आरक्षण का प्रावधान है।

दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अनुसार बनायीं गयी एल.आई.सी. की समान अवसर नीति को निगम के बोर्ड ने मंजूरी दी है एवं वह नीति एल. आई .सी.के इंटरनेट और इंट्रानेट साइट पर प्रदर्शित की गयी है ।

भूतपूर्व सैनिक

भारत सरकार के निर्देशनुसार निगम भूतपूर्व सैनिको की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है ।





4) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण (ई. डब्लू. एस.)

जो व्यक्ति अनुसूचित जाति (एस.सी.), अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) और सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) के किसी भी मौजूदा आरक्षण योजना में शामिल नहीं है और जिसके परिवार की कुल सालाना आय ₹ 8.00 लाख से कम है, ऐसे व्यक्ति ई.डब्लू.एस. के अंतर्गत आरक्षण के पात्र है, जिन्हे सीधी भर्ती में, 01.02.2019 या बाद में अधिसूचित, कुल रिक्तियों में 10% आरक्षण लागु है ।

च) अभिकर्ताओं (क्लब सदस्य) को आवासीय ऋण

निगम के अभिकर्ताओं को आवासीय ऋण योजना के अन्तर्गत कुल राशि ₹ 21.19 करोड़ 31.03.2022 तक स्वीकृत किए गए है। निगम के कर्मचारियों के विविध आवासीय ऋण योजनायेँ जीवन बीमा निगम गृह वित्त लिमिटेड़ को स्थानांतरित किये जा चुके है।

छ) कार्यालय सेवा विभाग

भारत सरकार की स्वच्छ भारत पहल को जारी रखते हुए और शाखाओं और मंडलों में स्वच्छता और अच्छे माहौल को प्रोत्साहित करने के लिए, मॉडल शाखा और मॉडल डिवीजन प्रतियोगिता वर्ष 2021-22 के लिए जारी है। इसके अलावा वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशों के अनुसार, इस वर्ष दो बार निगम के सभी कार्यालयों में "स्वच्छ भारत स्वच्छता पखवाड़ा" का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यालयों ने विशेष रूप से चल रही महामारी के संबंध में साफ-सफाई संबंधी अभियान चलाया। हर तिमाही में होने वाले "एंबिएंस पोल" के माध्यम से कार्यालयों में साफ-सफाई पर भी नजर रखी जा रही है और उसमें सुधार किया जा रहा है।

पिछले दो वर्षों में निगम के सभी कार्यालयों में शौचालयों के नवीनीकरण और मरम्मत पर विशेष जोर दिया गया है। चालू वर्ष में हमने सभी कार्यालयों को महिला शौचालयों के निर्माण/ नवीनीकरण के लिए विशेष निर्देश दिये हैं।

निगम के सभी कार्यालय अब "जेम" (GeM) पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर रहे हैं। कार्यालयों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए "जेम" पर मँडलों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के तहत की गई खरीद के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालयों की रैंकिंग की जा रही है।

संशोधित आउटसोर्सिंग नीति और नई खरीद नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और जीवन संचार पर अपलोड किया गया है।

कोविड-19 से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। हमारे सोशल मीडिया फेसबुक और ट्विटर के पेज एलआईसी इंडिया फोरेवर पर कोविड-19 रोकथाम युक्तियों के पोस्टर अपलोड़ किए गए हैं और वही पोस्टर निगम के कर्याालयों के सभी प्रमुख स्थानों पर लगाए गए हैं। निगम के सभी कर्याालयों और गेस्ट हाउसों में मास्क, सैनिटाइजर, हैंडवाश की व्यवस्था जैसे सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। हमारे सभी सुरक्षा गार्ड, हाउसकीपिंग स्टाफ और कैंटीन स्टाफ को उपरोक्त सभी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। सभी कार्यालयों को समय-समय पर परिपत्र जारी किए गए हैं।

12. मानव संसाधन एवं संगठनात्मक विकास विभाग -

उद्देश्य - कर्मचारियों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को उन्नत करके कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे मानव संसाधन की प्रतिभा पूल का निर्माण, पोषण और विकास हो।

मा.सं.वि./ सं.वि. विभाग की रणनीति प्रशिक्षण, शिक्षण एवं विकास को समग्र कॉर्पोरेट उद्देश्यों के साथ संरेखित करने की रही है, जिसमें कार्यक्षेत्र का ज्ञान व सेवा मानकों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, मानव संसाधन एवं संगठनात्मक विकास विभाग द्वारा निम्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

- परिवर्तन का प्रबंधन करना एंव उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- व्यक्ति (प्रारंभ से लेकर अंतिम चरण तक) व निगम का विकास।
- त्विरत और कुशल ग्राहक सेवा के साथ प्रौद्योगिकी सक्षम कार्य संस्कृति।
- कार्यक्षेत्र के वातावरण में शिक्षण के हस्तांतरण की सुगमता।

एलआईसी ज्ञानपीठ पोर्टल/एलएमएस के माध्यम से स्वयं शिक्षण व विकास। कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने हेतु निम्न माध्यमों से प्रशिक्षण गतिविधियां की गई:

आंतरिक प्रशिक्षण केंद्र:

कार्मिको की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु एलआईसी के पास विभिन्न स्थानो पर आंतरिक प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध है। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण अवसंचरना व सुविधाओं जैसे - हॉस्टल कमरे, प्रशिक्षण कक्षाएं, ऑडिटोरियम, कम्प्युटर कमरा, एलसीडी सुविधा, खेल, मनोरंजन सुविधाएं आदि से युक्त है। प्र.वि.के., क्षे.प्र.के., वि.प्र.के., में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा व सुसज्जित पुस्तकालय जिसमें विभिन्न विषयों पर आधारित पुस्तकें निरंतर नवीनतम पुस्तकों के साथ उपलब्ध है।





- प्रबंध विकास केंद्र (प्र.वि.के.) निगम का शीर्ष प्रशिक्षण केंद्र है। प्र.वि.के. निगम के प्रशासनिक एंव विपणन क्षेत्र के मध्यम एंव उच्च अधिकारियों के कौशल को कुशाग्र करने में मुख्य भूमिका निभाता है।
- 2. प्रत्येक क्षेत्र (कुल 8 क्षेत्रीय कार्यालय) में एक **क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (क्षे.प्र.के**.) है। क्षे.प्र.के. प्रशासनिक एंव विपणन के कर्मचारियों का प्रशिक्षण करता है।
- 3. **हमारे 113 मंडलो में मंडल प्रशिक्षण केंद्र/कार्मिक प्रशिक्षण केंद्र (ईटीसी) / कम्प्युटर प्रशिक्षण केंद्र (सीटीसी)** स्थित है जो शाखाओं एंव मंडलो में तैनात कार्मिको की कार्यात्मक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते है। सीटीसी सूचना प्रोद्योगिकी व हैंड्स ऑन मॉड्यूल प्रशिक्षण से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करता है जिससे की ई-फीप (इलेक्ट्रोनिक फ्रंट एंड एप्लिकेशन) उपयोगकर्ता को सर्वोत्तम जानकारी प्राप्त हो सके।

पूर्व में, हमारे प्रशिक्षण केंद्र द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा का उपयोग केवल ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए ही किया जाता था। महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधाओं पर निर्भरता कई गुना बढ़ गई है। तदनुसार, सभी शाखा कार्यालयों, मंडल कार्यालयों और प्रशिक्षण केंद्रों को आवश्यक हार्डवेयर और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। हमारे सभी आंतरिक (इन-हाउस) प्रशिक्षण केंद्रों के साथ-साथ प्रतिष्ठित बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए वेबआरटीसी / एमएस टीम / गूगल मीट और अन्य प्लेटफार्मों का उपयोग करके ई-सत्र / ऑनलाइन प्रशिक्षण का उपयोग किया जा रहा है।

बाहरी प्रशिक्षण

दुनिया भर में उभरती प्रवृत्तियों और नवाचारों के बारे में हमारे अधिकारियों को नई अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण प्रदान करने और संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करने के लिए, उन्हें विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबन्धित बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे, इंस्टिट्यूट ऑफ एक्युअरीज, कॉलेज ऑफ इंश्योरेंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स, एडिमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, भारतीय उद्योग परिसंघ, एएससीआई, हैदराबाद, आदि में नामांकित किया जाता है।

इसके अलावा, वर्ष 2021-22 के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों को शामिल करने के लिए, विभिन्न विषयों जैसे डिजिटल इनोवेशन, साइबर सिक्योरिटीज, उत्पाद मिश्रण और कंपनियों में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के चैनल मिश्रण, मॉर्टेलिटी टेबल्स की अवधारणा, ग्लोबल अंडरराइटिंग प्रैक्टिस आदि पर लघु अवधि के वेबिनार आयोजित किए गए हैं जिसमे लगभग 25,398 कर्मचारियों को कवर किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

| प्रशिक्षण संस्थाएं | प्रशिक्षितों व | प्रशिक्षितों की संख्या | | |
|---|----------------|------------------------|--|--|
| પ્રારાક્ષળ સંસ્થાए | 2020-21 | 2021-22 | | |
| प्रबंध विकास केंद्र मुंबई | 8, 423 | 3, 779 | | |
| क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र | 43,235 | 63, 111 | | |
| मंडल/ कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र | 9, 711 | 31, 564 | | |
| राष्ट्रीय बीमा अकादमी पुणे | 3, 584 | 2, 339 | | |
| केंद्रीय कार्यालय द्वारा (खुले सत्र) | 394 | 395 | | |
| बाहरी प्रशिक्षण संस्थान (केन्द्रीय कार्यालय के लिए अनुकूलित) | 48 | 232 | | |
| बाहरी प्रशिक्षण संस्थान (मानव संसाधन विकास विभाग क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा) | 679 | 1, 095 | | |
| कुल प्रशासनिक कर्मचारी प्रशिक्षित | 66,074 | 1, 02, 515 | | |
| बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण विनियमों पर कार्यशाला | 8, 218 | 22, 932 | | |

नामांकन अनुपात में उपस्थिति 92.87%

एलआईसी ज्ञानपीठ - स्वयं सीखने की प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल

महामारी की स्थिति ने संगठन को डिजिटल मोड के माध्यम से स्व-शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक और प्रेरित किया। इस उद्देश्य के साथ, स्व-शिक्षण/स्व-कौशल, शिक्षण प्रबंधन प्रणाली वाले "एलआईसी ज्ञानपीठ" को वर्ष 2020 के दौरान प्रारम्भ किया गया था। इसमें भौतिक बुनियादी ढांचे और सुविधाकर्ताओं पर निर्भरता के बिना मानकीकृत सामग्री को सक्षम किया गया है। कर्मचारियों के लिए क्रोम/फ़ायरफ़ॉक्स वेब ब्राउज़र पर यह इंट्रानेट/इंटरनेट पर कहीं भी कभी भी उपलब्ध है।

प्रशासन के सभी पहलुओं जैसे नए व्यवसाय, दावे, विपणन, वित्त और लेखा, उत्पाद, कार्यालय सेवाएं, ग्राहक संबंध प्रबंधन, कार्मिक, सतर्कता, पेंशन और समूह योजनाएं, स्वास्थ्य बीमा, एलआईसी अधिनियम, 1956, साथ ही राजभाषा को कवर करने वाले विषयों पर 125 उप-मॉड्यूल के साथ कुल 13 मुख्य मॉड्यूल बनाए गए हैं।





कर्मचारियों को दिए गए समय सीमा के भीतर पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करना आवश्यक है, इसके बाद कुल 6,749 एमसीक्यू के प्रश्न बैंक से स्वयं परीक्षा देनी होगी। 70% अंक प्राप्त करने का एक उच्च मानक निर्धारित किया गया है। परीक्षा में सफलता के पश्चात विशेष उप-मॉड्यूल के लिए जारी स्वतः उत्पन्न प्रमाण पन्न दिया जाता है। "एलआईसी ज्ञानपीठ" को कर्मचारियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। कुल 1,04,074 कर्मचारियों में से लगभग 58,756 (56.45%) कर्मचारियों ने कुल 10,25,366 एलआईसी ज्ञानपीठ प्रमाण पन्न प्राप्त किए है। 'एलआईसी ज्ञानपीठ' को कर्मचारियों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है जिसका विवरण इस प्रकार है -

| विवरण | 31.03.2021 तक | 2021–22 के दौरान | 31.3.2022 तक |
|--|---------------|------------------|--------------|
| कुल जारी किए गए मुख्य मॉड्यूल प्रमाण-पत्रो की संख्या | 24,967 | 80,180 | 1, 05,147 |
| जारी किए गए उप मॉड्यूल प्रमाण-पत्रो की संख्या | 2, 14,491 | 7, 05,728 | 9, 20,219 |
| जारी किए गए कुल प्रमाण-पत्रो की संख्या | 2, 39,458 | 7, 85,908 | 10, 25,366 |

अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन से प्रमाणीकरण (आईएसओ सर्टिफिकेशन)

मानव संसाधन एवं संगठनात्मक विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, प्रबंधन विकास केंद्र, 08 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र आईएस) आईएसओ 9001:2015 आईएसओ प्रमाणित हैं।

पुस्तकालय:

मा.सं.वि./ सं.वि. विभाग, केंद्रीय कार्यालय बड़ी संख्या में पुस्तकों, दैनिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के साथ सुसज्जित पुस्तकालय का रखरखाव कर रहा है। पुस्तकें विभिन्न विषयों जैसे बीमा, कराधान, वित्त, साहित्य, सामान्य ज्ञान, संदर्भित पुस्तकें आदि पर उपलब्ध हैं। पुस्तकालव्र कर्मचारियों के लिए ज्ञान का स्रोत और भंडार गृह है।

खेल:

वित्तीय वर्ष 2021-22 में एलआईसी टीम का बाहरी राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन

- अंतर संस्थागत कैरम प्रतियोगिता-2021-22 नवम्बर माह में पुडुचेरी में आयोजित हुई थी। श्री डी.दिलीबाबू (दिक्षण क्षेत्र) ने पुरुष एकल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता।
- एलआईसी द्वारा अखिल भारतीय सार्वजिनक क्षेत्र खेल नियंत्रण बोर्ड की ओर से अखिल भारतीय सार्वजिनक क्षेत्र प्रतियोगिता का आयोजन जनवरी 2022 में किया गया । प्रदर्शन के मुख्य बिन्दु निम्न है :
- 3. एलआईसी कैरम पुरुष टीम ने टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता
- 4. श्री डी.िदलीबाबू (दिक्षण क्षेत्र) व सुश्री पी. अपूर्वा (द.म.क्षे.) ने एकल स्पर्धाओं में रजत पदक जीता । फरवरी 2022 को पुणे में हुई अंतराष्ट्रीय मैराथन में श्री कालिदास एल. हिरावे (पिश्चम क्षेत्र) ने स्वर्ण पदक जीता।
 श्री कालिदास एल. हिरावे (पिश्चम क्षेत्र) ने मार्च 2022 में हुई नई दिल्ली राष्ट्रीय मैराथन 2022 में एथलेटिक फ़ैडरेशन ऑफ इंडिया के क्वालिफाईंग मानकों को प्राप्त करते हुए हंगजौ एशियन खेलों व बिर्मिंघम कॉमनवैल्थ खेलों में भाग लेने वाले संभावित खिलाड़ियों में से एक बन गए ।
- 5. मार्च 2022 को मुंबई में आयोजित 49 वीं सीनियर कैरम चैंपियनिशप (पुरुष व महिला) में एलआईसी महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। महामारी की स्थिति के कारण अखिल भारतीय खेलों का आयोजन नहीं हुआ।

13. प्रबंध विकास केंद्र

प्रबंध विकास केंद्र निगम का एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान होने के कारण निगम की मानव पूंजी के विकास में प्रभावी रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है। निगम के मध्य स्तर और विरष्ठ स्तर के अधिकारियों को नवीनतम प्रशिक्षण इनपुट प्रदान करने के लिए एमडीसी लगातार प्रयास कर रहा है। विपणन उत्कृष्टता, कार्य जीवन संतुलन, नेतृत्व कौशल, डिजिटलीकरण पर नए मॉड्यूल तैयार करने के एवं मौजूदा मॉड्यूल के उन्नयन करने के लिए नई पहल की गई है। प्रबंध विकास केंद्र एक IS/ISO 9001:2015 प्रमाणित प्रशिक्षण संस्थान के रूप में अपनी छिव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रबंध विकास केंद्र द्वारा बनाई गई एक गैलरी "बीमा दीर्घा" जो भारतीय जीवन बीमा निगम के गठन, पिछले 64 वर्षों के विकास और यात्रा को दर्शाती है, का उद्घाटन भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 02.09.2021 को किया गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 116 (107 ऑनलाइन और 9 भौतिक) सत्र आयोजित किए गए और 3,799 प्रतिभागियों (192 शारीरिक सत्रों के माध्यम से और 3,607 प्रशिक्षण के ऑनलाइन मोड के माध्यम से) को प्रशिक्षण दिया गया।





14. राजभाषा कार्यान्वयन :

- i) निगम को राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु 'आशीर्वाद साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था' द्वारा लगातार सातवीं बार अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- ii) राजभाषा नियम 1976 के उप नियम 10 (4) के तहत निगम के 14 कार्यालयों को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया।
- iii) निगम के 32 कार्यालयों को भारत सरकार, गृह मंत्रालय एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियोंद्वारा विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
- iv) संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा निगम के 8 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। इन सभी निरीक्षणों में समिति द्वारा निगम के राजभाषा कार्यान्वयन की सराहना की गई।
- v) संपूर्ण भारतवर्ष में 799 कार्यशालाएं आयोजित की गयी व कुल 11,960 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

15. इंजीनियरिंग गतिविधियां

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निगम ने 6 शाखा कार्यालयों "Q" ब्लॉक कोलकाता, शिकोहाबाद, गोहाना, गुंटूर, सिद्दीपेट, और तिरुपति और देश भर में 8 आवासीय इकाइयों (शिकोहाबाद और गुंटूर) को पूरा किया है।

6 निवेश भवनों का निर्माण कार्य स्कीम 54 इंदौर, ईएम बायपास कोलकाता, सीपी3-लखनऊ, लुधियाना, लालकोठी जयपुर और गिफ्ट सिटी गांधी नगर में प्रगति पर है।

भुवनेश्वर (पोखरिपुट) में मंडल कार्यालय का निर्माण कार्य और मंडल कार्यालव्य भवन भोपाल के लंबवत विस्तार का कार्य प्रगति पर है।

बि. प्र. कें. वारंगल का निर्माण पूरा हो गया है । भिलाई और बरेली में 2 बि. प्र. कें का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

10 शाखा कार्यालयों का निर्माण कार्य गरबेटा, शिकोहाबाद, सहारनपुर, फतेहगढ़, हुजुराबाद, नीलेश्वरम, कोल्लम, वडक्कनचेरी, कोपरगांव, इस्लामपुर में प्रगति पर है।

31.03.2021 तक छत के ऊपर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापित क्षमता 3,139 KWp थी और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 312Kwp क्षमता को जोड़ा है।

शाखा कार्यालय ॥ अलापुझा (मंडल कार्यालय एर्नाकुलम) को SVAGRIHA २ स्टार ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग से सम्मानित किया गया है।

16. सम्पदा/सा.व्य.ई.:

इस वर्ष दिनांक 31.03.2022 को निगम की सम्पदा से राजस्व ₹ 382.69 करोड़ रहा, जिसमें गत वर्ष के राजस्व की तुलना में 5.76% बढ़ोतरी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, 5 भूखंड एवं 1 निर्मित परिसर खरीदे गए, जिनमें से 1 भूखंड तथा 1 निर्मित परिसर मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, 1 भूखंड उत्तर मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, 2 भूखंड उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय व 1 दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा खरीदे गये। इन भूखंडों का कुल क्षेत्रफल 1,16,268 वर्ग फूट है व कुल लागत ₹ 28.06 करोड़ है।

17. सूचना प्रौद्योगिकी:

एलआईसी ने कदम उठाए हैं:

- i) परिसंपत्तियों के जीवन चक्र प्रबंधन हेतु एसेट मैनेजमेंट टूल (एएमटी) लागू किया।
- ii) आईआरडीएआई द्वारा जारी "बीमाकर्ताओं के लिए सूचना और साइबर सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों" का अनुपालन किया गया।
- iii) सभी कर्मचारियों के लिए सूचना और साइबर सुरक्षा जागरूकता पर आवधिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी।
- iv) सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र में अंतराल की पहचान और निरंतर आधार पर आईआरडीएआई की आवश्यकताओं के अनुरूप कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट, भेद्यता मूल्यांकन, प्रवेश परीक्षण, सुरक्षित नेटवर्क आर्किटेक्चर समीक्षा, एप्लिकेशन सुरक्षा और सुरक्षित कोड की समीक्षा की गयी।

एलआईसी ने लागू किया है:

- i) एमपीएलएस लिंक के माध्यम से व्यापार संचालन हेतु पर्याप्त बैंडविड्थ वाले दो नेटवर्क सेवा प्रदाताओं का रख-रखाव, सभी कार्यालयों और डेटा केंद्रों की इंटरकनेक्टिविटी व नेटवर्क स्तर की अतिरेकता (रिडनडनसी) सुनिश्चित करने हेतु किया गया।
- ii) दो ऑन-प्रिमाइसेस निजी क्लाउड के द्वारा हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन और अनुकूल किया गया जिसमें एक सामान्य प्रयोजन के अनुप्रयोगों हेतु एंव दूसरा विशेष रूप से यूलिप योजनाओं हेतु किया गया।
- iii) आंतरिक और साथ ही बाहरी प्रतिभागियों के लिए वर्चुअल बैठकों और सम्मेलनों के लिए समर्पित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं प्रदान की गई।
- iv) इंटरनेट के माध्यम से वॉल्यूमेट्रिक समस्या का सामना करने के लिए डीडीओएस समाधान के साथ फ़ायरवॉल के माध्यम से इंटरनेट परिधि गेटवे नेटवर्क सुरक्षा प्रदान की गई।
- v) सुरक्षा सूचना और घटना प्रबंधन (एसआईईएम) सुरक्षा लॉग के प्रबंधन और सहसंबंध के लिए समाधान, सुरक्षा घटनाओं से संबंधित अलर्ट को ट्रिगर करना और एसओसी संचालन को सुविधाजनक बनाना।





- vi) अनुप्रयोगों के लिए सुरक्षित पहुंच नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए दो कारक फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली
- vii) व्यापार अंतर्दृष्टि के लिए डेटा वेयरहाउस और नियामक रिपोर्ट के लिए इनपुट
- viii) इंटरनेट पर प्रदर्शित वेबसाइटों के लिए ऑनलाइन वेब स्कैनिंग सेवाएं।

सॉफ्टवेयर विकास

नवोन्मेष (नए-नए प्रयोग) अर्थात इनोवेशन बीमा क्षेत्र में परिवर्तन का एक प्रमुख चालक है और इससे एलआईसी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों/कार्यों में अथाह दक्षता प्राप्त हुई है। भारत का एलआईसी कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में अग्रणी रहा है।

आईटी एसडी विभाग एलआईसी की प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, मार्केटिंग टीम, एजेंटों की अंडरराइटिंग, पॉलिसी खरीद, सर्विसिंग, दावा प्रसंस्करण आदि के लिए नई तकनीकों के माध्यम से नई पहल करने की दिशा में काम कर रहा है।

विगत एक साल में, एलआईसी ने कई नई (गो-ग्रीन / पेपरलेस) पहल की हैं और एजेंटों, संभावनाओं, ग्राहकों, दावेदारों के साथ बातचीत करने के लिए अपनी डिजिटल क्षमताओं को उन्नत किया है और डिजिटल इंडिया मिशन पर अपनी सुदृढ़ पकड़ बनाने के लिए ई-गवर्नेंस (स्वचालित व्यवस्थापक-प्रवाह) की शुरुआत की है। एलआईसी ऑनलाइन पोर्टल, ग्राहकों और एजेंटों के लिए मोबाइल एप्लिकेशन को सेवा अनुरोध सबिमशन और डिजिटल लेनदेन के संदर्भ में अधिक से अधिक ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा के लिए उनके फीचर शामिल किए हैं।

विभाग द्वारा की गई प्रमुख पहल निम्नलिखित हैं:

- 1) एडिमन वर्क फ्लो: न्यू एडिमन फाइल्स वर्कफ्लो सिस्टम पेपरलेस ऑफिस वर्क और एलआईसी के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में एक व्यापक ई-गवर्नेंस समाधान है। कार्यालय नोट और निर्णय कार्य प्रवाह पूर्ण अभिलेखीय सिहत कागज रहित किया गया है।
- 2) **eFeap-नेक्स्ट का कार्यान्वव्रन**: एलआईसी अपने कोर-बीमा एप्लिकेशन को इन-हाउस (जिसे eFeap कहा जाता है) विकसित कर रहा है जो निगम के सभी प्रचालनों का ध्यान रखता है। हाल ही में, eFeap-नेक्स्ट को सफलतापूर्वक लागू किया गया है जो कि मुख्य बीमा समाधान का उन्नयन यानी अपग्रेडेशन है। eFeap-नेक्स्ट में शामिल है; 113 मिनी डेटा सेंटर्स के हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का समेकन और हाइपर-कंवर्जेड इंफ्रास्ट्रक्चर (एचसीआई) आधारित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विभिन्न गैर-डीसी सेटअप और पेशेवर रूप से प्रबंधित चार सह-स्थान डेटा केंद्रों पर निजी-क्लाउड सेटअप्स। eFeap-नेक्स्ट परियोजना कम पूंजी और परिचालन लागत, न्यूनतम या समाप्त डाउनटाइम, बढ़ी हुई आईटी उत्पादकता, दक्षता, चपलता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है और अंत में अधिक से अधिक व्यापार निरंतरता और आपदा वसूली की दिशा में अग्रसर है।
 - इसमें केंद्रीकृत प्रबंधन, केंद्रीकृत बैकअप आदि के माध्यम से निगम के सर्वर/ डेटा-सेंटर से संबंधित डाउनटाइम को कम करने तथा अपने बुनियादी ढांचे को अनुकूलित करने में मदद मिलती है और इस प्रकार शाखाओं और मंडलों को समय बचाने और व्यावसायिक खरीद और सर्विसिंग आदि पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलती है।
- 3) एलआईसी की वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से 11 योजनाओं की ऑनलाइन खरीद को ऑनलाइन डेटा और सूचनाओं के आदान-प्रदान के सहज प्रस्तुतीकरण के साथ सक्षम किया गया था। सूचना मांगे जाने, प्रस्ताव प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने, दस्तावेजों को जमा करने, चिकित्सा परीक्षण के बारे में सूचना (यदि आवश्यक हो), प्रस्ताव जमा की प्राप्ति के साथ एंड-टू-एंड नई-व्यवसाय प्रक्रिया को स्वचालित किया गया है और पुरा करने के लिए एक स्वचालित हामीदारी नियम इंजन का उपयोग करके प्रस्तावों का शुरू से अंत तक प्रसंस्करण।
- 4) सेल्फ़-वीडियो एमएचआर पहली बार पेश किया गया। इसने एलआईसी को एमएचआर को भौतिक रूप से प्रस्तुत करने के कारण से होने वाली देरी को समाप्त किया है और इस प्रकार समय अंतराल और त्विरत निर्णयों को कम किया है जो अंततः त्विरत हामीदारी निर्णयों और नए व्यावसायिक प्रस्तावों को पूरा करने में सहायक है।
- 5) एजेंटों के लिए आनंदा (ANANDA) ऐप आनंदा (ANANDA) से आशय है; आत्मिनर्भर एजेंट न्यू बिजनस एलिकेशन (AtmaNirbhar Agents New Business Digital Application) है, जो ऑनलाइन प्रस्ताव पिरचय और पूर्णता को सक्षम करने के लिए पूरी तरह से डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह एलआईसी द्वारा अपने बिक्री चैनलों (एजेंटों, डीएसए, बैंकों, दलालों, कॉर्पोरेट एजेंटों आदि) के लिए पेश किया गया एक व्यापक डिजिटल नया व्यापार समाधान है, जो ग्राहकों के दरवाजे पर आधार आधारित ईकेवाईसी, ई-साइन से लैस है और ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से ई-साइन और ऑनलाइन बीओसी-सृजन है, 365 x 24 x 7 पूर्ण रूप से कागज रहित है। बिक्री बल गूगल प्ले स्टोरया आनंदावेब पोर्टल पर उपलब्ध आनंदामोबाइल ऐप के माध्यम से आनंदावक पहुँच सकता है। लिंक हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर उपलब्ध है।
 - इससे कार्यभार यानी वर्कलोड घटा है और हमारी शाखाओं के लिए प्रस्ताव डेटा कैप्चर और पूरा करने में तेजी लाने में भी सहायता मिली है।
 - ANANDA ऐप को 'वर्ल्ड & BFSI कांग्रेस एंड अवार्ड्स' द्वारा ऑपरेशंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड और SKOCH अवार्ड & BFSI गोल्ड के रूप में सम्मानित किया गया।
- 6) **ऑनलाइन सूक्ष्मबीमा** प्लेटफॉर्म एक एपीआई आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे ऐसे निगम सूक्ष्मबीमा (कॉरपोरेट माइक्रोइंश्योरेंस) एजेंटों के लिए तैयार किया गया है, जो देश के सबसे दूर के हिस्सों में स्थित अपने कार्यालयों से माइक्रो इंश्योरेंस की पूरी प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं।





- 7) **ऑनलाइन एनपीएस आवेदन:** राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) भारत में एक स्वैच्छिक परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली है। एलआईसी ने एनपीएस ग्राहकों के लिए पंजीकरण और पॉलिसियों को पूरा करने की सुविधा के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ ऑनलाइन एनपीएस एप्लिकेशन को डिजिटल रूप से एकीकृत किया है।
- 8) डिजिटल भुगतान: एलआईसी में हमें विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे यूपीआई भुगतान, ऐप के माध्यम से भुगतान और एलआईसी की वेबसाइटों से लेनदेन में वृद्धि दिखाई दे रही है। हमने भुगतान के NACH मोड में भी वृद्धि देखी है। पे-टीएम, एमाज़ॉन पे, गूगल पे, फोन पे से डिजिटल भुगतान प्रदाताओं के साथ साझेदारी और सीइससी के साथ एकीकरण ने हमें ग्राहकों की सुविधा के लिए और ओमनी-चैनल डिजिटल मोड में अपनी सेवाओं का तेजी से विस्तार करने में सक्षम किया है।
- 9) eNACH (इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट): एक मैंडेट एक मानक निर्देश है जो ग्राहक एलआईसी को अपने बैंक खाते से निर्देश राशि (प्रीमियम) को स्वचालित रूप से डेबिट करने के लिए प्रदान करता है। जनादेश को NACH (NACH का मतलब नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस) के रूप में भी जाना जाता है। पुरानी NACH प्रक्रिया कागज-आधारित थी और इसमें विभिन्न कारकों के आधार पर 7-14 व्यावसायिक दिन लगते थे। eNACH को प्रारंभ किया गया है (जिसे e मैंडेट भी कहा जाता है) जो कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल भुगतान सेवा है; एलआईसी ग्राहकों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मैंडेट प्राप्त करती है। यह ऑनलाइन मैंडेट प्राधिकरण पुष्टिकरण की सुविधा प्रदान करता है जो पहले एक कागजी और मैन्युअल प्रक्रिया थी। ई-मैंडेट एक कागज़-रहित (पेपरलेस) एंड-ट्-एंड ऑनलाइन प्रक्रिवा है।
- 10) एलआईसी का ग्राहक पोर्टल सिस्टम डिजिटल अनुभव को बढ़ाने और ग्राहकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। उत्पाद जानकारी, योजना ब्रोशर, प्रीमियम कैलकुलेटर, पॉलिसी स्थिति, प्रीमियम कैलेंडर, एलआईसी कार्यालय लोकेटर, यूलिप स्टेटमेंट, ऋण और दावा स्थिति जैसी सूचनात्मक सेवाएं पोर्टल पर उपलब्ध हैं। पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रीमियम भुगतान, ऋण चुकौती, ऋण ब्याज भुगतान, ऑनलाइन ऋण अनुरोध, आधार आधारित ऑनलाइन पता परिवर्तन, पैन और एनईएफटी पंजीकरण, अग्रिम प्रीमियम भुगतान, शिकायत पंजीकरण, ऑनलाइन सेवा अनुरोध आदि जैसे स्वयं सेवा विकल्प भी उपलब्ध हैं।
 - एलआईसी कस्टमरपोर्टल को मैसर्स सिनेक्स बिजनेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिजिटल परिवर्तन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत किया गया है।
- 11) एलआईसी प्रगित ऐप: परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लिकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर (प्रदर्शन समीक्षा आवेदन, वृद्धि और प्रवृत्ति संकेतक) का संक्षिप्त रूप है 'प्रगति' यानी 'PRAGATI', यह, एजेंटों के मोबाइल ऐप के उपयोग और एनएसीएच सत्यापन जैसी गितविधियों पर अपनी टीम की निगरानी के अलावा, विकास अधिकारियों के लिए व्यावसायिक प्रदर्शन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे प्रीमियम संग्रह, एजेंसी सिक्रयण, संभावित आउटपरफॉर्मर्स आदि में उनके एजेंसी बल के प्रदर्शन के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने का एक एप्लिकेशन है। ऐप विकास अधिकारियों को उनके लागत अनुपात को मापने के लिए एक कैलकुलेटर भी प्रदान करता है। एलआईसी प्रगति ऐप: परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लिकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर (प्रदर्शन समीक्षा आवेदन, वृद्धि और प्रवृत्ति संकेतक) का संक्षिप्त रूप है 'प्रगति' यानी 'PRAGATI', यह, एजेंटों के मोबाइल ऐप के उपयोग और एनएसीएच सत्यापन जैसी गितिविधियों पर अपनी टीम की निगरानी के अलावा, विकास अधिकारियों के लिए व्यावसायिक प्रदर्शन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे प्रीमियम संग्रह, एजेंसी सिक्रयण, संभावित आउटपरफॉर्मर्स आदि में उनके एजेंसी बल के प्रदर्शन के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने का एक एप्लिकेशन है। ऐप विकास अधिकारियों को उनके लागत अनुपात को मापने के लिए एक कैलकुलेटर भी प्रदान करता है।
- 12) जीवन साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन: वार्षिकी पॉलिसी-धारकों और एलआईसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी एआई आधारित डिजिटल अस्तित्व प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है, जो वार्षिकी/पेंशन भुगतान की प्रक्रिया के लिए ज़रूरी है। मोबाइल एप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर/ एपल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एप्लिकेशन निर्बाध पंजीकरण (एक बार की गतिविधि) की सुविधा प्रदान करता है और उसके बाद एआई आधारित लाइवनेस और आधार डेटा के साथ फेसमैच का उपयोग करके अस्तित्व प्रमाण पत्र सब्मिट करता है। जीवन साक्षी को मिले दो पुरस्कार, अर्थात एआई कैटेगरी में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा डिजिटल पीएसयू सिमट अवार्डस तथा 'वर्ड बीएफएसआई
 - जीवन साक्षी को मिले दो पुरस्कार, अर्थात एआई कैटेगरी में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा डिजिटल पीएसयू समिट अवार्डस तथा 'वर्ड बीएफएसआई कांग्रेस एंड अवार्डस द्वारा टेक्नोंलॉजी इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार।
- 13) एलआईसी प्रतिधि ऐप: एलआईसी प्रतिधि एलआईसी मार्केटिंग अधिकारियों के लिए मोबाइल एमआईएस सिस्टम है। आईटी विभिन्न मापदंडों जैसे दैनिक बीओसी, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले एजेंट, दिन के लिए नया व्यवसाय आदि आंकड़े (देता) उपलब्ध कराता है जिससे शाखा प्रबंधकों को व्यवसायिक मोर्चे पर और अधिक आगे बढ़ने में मदद करता है।
- 14) एआई सक्षम चैटबॉट कन्वर्सेशनल एआई पर आधारित एलआईसी मित्रा, प्रीमियम देय तिथि, एलआईसी के विभिन्न उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक स्टॉप प्लेटफॉर्म है, जिसमें नई लॉन्च की गई योजनाएं और पॉलिसी सर्विसिंग और दावों से संबंधित ग्राहक प्रश्न (एफएक्यू) शामिल हैं। चैटबॉट पांच भाषाओं; अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, मलयालम और तिमल में उपलब्ध है।
- 15) **एलआईसी डिजीजोन:** यह एक कियोस्क केंद्र है जो परिसर में स्थापित कियोस्क के माध्यम से एलआईसी के उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है। डिजी जोन का उपयोग ग्राहक ऑनलाइन पॉलिसियां खरीदने, प्रीमियम का भुगतान करने और अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कर सकते हैं।





- **16**) **प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई)** पॉलिसी विवरण को `उमंग' मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है ताकि पॉ लिसीधारक अपनी पॉलिसी और वार्षिकी विवरण देख सकें।
- 17) डिजी लॉकर: एलआईसी ने पॉलिसी धारकों को वह सुविधा भी प्रदान की है जहां वे भौतिक दस्तावेजों को ले जाने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए डिजी लॉकर से अपने पॉलिसी दस्तावेज की डिजिटल छवि को देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
- 18) एजेंट पोर्टल: निष्पादन पर निगरानी रखने और ग्राहक सेवा की सुविधा के लिए एजेंटों / सीएलआईए को एक सूचना समृद्ध पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन प्रदान किया गया है। एजेंटों को इससे वित्तीय आवश्यकता विश्लेषण करने, भाव बताने और चित्रण और ई-प्रस्ताव का उपयोग करके बिक्री स्वचालन में भी मदद मिलेगी।
- 19) एजेंट पूर्व-भर्ती मोबाइल ऐप: 'एजेंट्स रिक्रूटमेंट (एंड्रॉइड) एप यानी 'एजेंट भर्ती (एंड्रॉइड) ऐप 'एलआईसी के उम्मीदवार एजेंटों को, ऑटो-आकार बदलने के साथ-साथ डॉक्युमेंट अपलोड करने की सुविधा सहित, एजेंसी पंजीकरण की प्रदान करता है। प्रायोजक अपने द्वारा प्रायोजित एजेंटों को सहमति देने के लिए ऐप का उपयोग कर सकते हैं। भारतीय बीमा संस्थान से ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण लिंक प्रदान किया गया है।
- 20) **ऑनलाइन पूर्व-भर्ती प्रशिक्षणः** उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। प्रशिक्षण पोर्टल में लॉग इन करने के लिए ऑनलाइन एजेंट भर्ती पोर्टल में पंजीकृत एक वैध मोबाइल नंबर ज़रूरी है। उम्मीदवार को प्रशिक्षण के लिए भाषा का चयन करना होगा। वर्तमान में हिंदी अंग्रेजी और मराठी भाषाएं प्रदान की जाती हैं। उम्मीदवार को 25 घंटे का प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा।
- 21) बहुभाषी एजेंट मॉक टेस्ट(दिखावटी परीक्षा): पंजीकृत उम्मीदवार जो एलआईसी एजेंट बनने के इच्छुक हैं, वे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में से किसी भी भाषा का चुना जा सकता है। हम शीघ्र ही सभी क्षेत्रीय भाषाओं में यह सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
- 22) आधार आधारित पते में परिवर्तन: यह ग्राहक पोर्टल पर सभी ग्राहकों के लिए एक नया विकल्प है जिसमें ग्राहक आधार केवाईसी के आधार पर अपना पता बदल सकता है। मूल आधार विवरण प्राप्त किए जाते हैं और हमारे पॉलिसी रिकॉर्ड के साथ उनकी तुलना की जाती है। पता परिवर्तन अनुरोध, जिसमें नाम मेल नहीं खा रहा है, या ग्राहक पते को संशोधित करता है, ऐसे अनुरोध को पंजीकृत किया जाता है और सत्यापन के लिए CZee को भेजा जाता है।
- 23) ऑनलाइन पैन पंजीकरण: यह सुविधा एलआईसी इंडिया वेबसाइट पर उपलब्ध है और वहां ऑनलाइन पैन पंजीकरण पर क्लिक करके एलआईसी पॉलिसियों में अपना पैन अपडेट कर सकते हैं और इसमें पॉलिसी रिकॉर्ड में उपलब्धता की जांच करने का विकल्प भी प्रदान किया जाता है। "जेनरेशन-वाई" की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डिजिटल पहल समय की मांग है। इन पहलों ने विभिन्न दिन-प्रतिदिन के संचालन/प्रक्रिया को बढ़ाने में सहायता की है जिसके परिणामस्वरूप अंततः बेहतर ग्राहक संतुष्टि प्राप्त होती है।

18. आंतरिक लेखा परीक्षण

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निगम के शाखा, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय तथा केंद्रीय कार्यालय के विभागों का आंतरिक लेखा परीक्षण 31.03.2022 तक संपन्न हो चुका है ।

वैश्विक महामारी की स्थिति को देखते हुए अधिकतर अंकेक्षण ऑफसाईट (दूरस्थ स्थान से) के माध्यम से किया गया था ।

वित्तीय वर्ष में लेखा परीक्षा प्रश्नों के अनुपालन के लिए एक गहन अनुवर्ती कार्रवाई की गई जिसके परिणामस्वरूप लंबित विशेष रिपोर्टों तथा अतिरिक्त/ गलत भुगतानों में पर्याप्त कमी पाई गई है। लंबित रिकवरीज में 69% तथा लंबित रिपोर्टों में 63% की कमी हुई है।

सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से हमारी प्रणालियो और प्रक्रियाओं में सुधार के हमारी प्रथा को ध्यान में रखते हुए, `ऑफसाईट ऑडिट' के दायरे का विस्तार किया गया है और साथ ही आकस्मिक लेखापरीक्षा के प्रतिशत में वृद्धी की गई है । ऑफसाईट ऑडिट के दौरान मोड्युल एक्सेस में अधिकाधिक सुधार लाकर ऑडिटर्स के टूर्स / आवाजाही कम करने हेतु आईटी/एस डी टीम के साथ निरंतर समन्वय किया जा रहा है ।

19. निरीक्षण विभाग

निरीक्षण का अभ्यास प्रणालीगत खामियों के खिलाफ एक पूर्व-उपाय है।

वर्ष 2021-22 के लिए निगम के शाखा/मंडल/ अंचल कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय विभागों का निरीक्षण 15 मार्च 2022 को पूरा किया गया था। महामारी के बावजूद 2021-22 के दौरान निगम की सभी 3,827 इकाइयों का भौतिक निरीक्षण किया गया।

हमारे सिस्टम और प्रक्रियाओं में सुधार के अभ्यास को ध्यान में रखते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ, रिमोट इंस्पेक्शन पैकेज विकसित किया गया था जिसमें 65% पॉलिसी सर्विसिंग, 79% दावे, 47% नए व्यापार विभाग, 42% सूचना प्रौद्योगिकी, 40% बिक्री का, वित्त और लेखा का 35% शामिल थे, हमारे शाखा कार्यालय के कार्यालय सेवा विभागों का 25% कार्य करता है।

सभी क्षेत्रीय निरीक्षण केंद्रों के निरंतर अभियान के परिणामस्वरूप 2021-22 में खुली निरीक्षण पूछताछ में 98% और बकाया वसूली में 56% की कमी आई है।





20. नव व्यवसाय एवं पुनर्बीमा

उद्देश्य

नव.व्य.एवं पुनर्बीमा विभाग का उद्देश्य नव व्यवसाय प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम डिजिटलीकरण के माध्यम से ग्राहक को ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में सरलता प्रदान करना है। इसी प्रकार नव व्यवसाय एवं पुनर्बीमा विभाग का लक्ष्य और उद्देश्य धैर्य के साथ जोखिम चयन, बीमालेखन के उच्च मानकों को बनाए रखना है जिससे विनियामक फ्रेमवर्क तथा दिशानिर्देशों को ध्यान मे रखते हुए सभी स्तरों पर स्टेकधारकों को सेवा प्रदान की जा सके ।

डिजिटल कदम

नव व्यवसाय एवं पुनर्बीमा विभाग ने व्यवसाय को सरल बनाने, ग्राहकों की सुविधा व तकनीकी प्रगति के साथ बने रहने हेतु अनेक कदम उठाए हैं।

आनंदा

- नवम्बर 19, 2020 को अपना प्रथम डिजिटल एप्लिकेशन आनंदा आत्म निर्भर एजेंट्स न्यु बिजिनेस डिजिटल एप्लिकेशन हेतु एक संक्षिप्त स्वरूप के प्रारंभ होने के पश्चात विभाग द्वारा इसका अनुसरण कर इसे नया आयाम प्रदान करते हुए 24 अगस्त 2021 को आनंदा मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया।
- यह डिजिटल एप्लिकेशन एजेंट/मध्यस्थ की सहायता से पेपर रहित मॉड्यूल के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसी प्राप्त करने हेतु ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया का एक साधन है। यह प्रस्तावित जीवन के आधार कार्ड पर आधारित ई-ऑथेंटिकेशन का प्रयोग करके पेपर रहित केवायसी प्रक्रिया पर आधारित है।
- आनंदा भारत के जीवन बीमा उद्योग में अपने तरह का प्रथम एप्लिकेशन है जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने ही आंतरिक सूचना प्रोद्यौगिकी समर्थित सिस्टम के माध्यम से तैयार किया है।

डी सी एम सी

डीसीएमसी - ऑनलाइन प्रस्ताव डिपोजिट क्रिएशन के लिए जनवरी 2021 में डिपोजिट कलेक्शन एण्ड मैनेजमेंट सेंटर शुरु किया गया है। प्रारंभ में ऐसा ऑनलाइन प्रस्ताव डिपोजिट क्रिएशन केवल आनंदा के माध्यम से ही किया जा रहा था। वर्तमान में नया विकल्प भी जोड़ा गया है जिसमें ऑनलाइन प्रस्ताव डिपोजिट आनंदा प्रस्ताव के अलावा अन्य हेतु भी निर्मित किए जा सकते है। आनंदा के माध्यम से संसाधित सभी यूलिप में प्रेषण की सुविधा ऑनलाइन प्रस्ताव डिपोजिट कलेक्शन के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रदान की जाती है।

एमएसपी

पॉलिसी पूर्व चिकित्सीय जाँच करने के लिए, सितंबर 2020 में 16 चिकित्सीय सेवाएँ प्रदाताओं को पैनल में शामिल किया गया तथा निगम के सभी मंडल कार्यालयों में चालू किया गया था। पॉलिसी पूर्व चिकित्सीय जाँच के संचालन की प्रक्रिया शाखा कार्यालय में नव व्यवसाय विभाग के कोर यूज़र की पहुंच के साथ पूरी तरह से मॉड्यूल द्वारा संचालित है।

एलआईसी के स्टेजिंग सर्वर पर विशेष चिकित्साय रिपोर्टों को ऑनलाइन अपलोड करने के लिए आवश्यक प्रावधानों पर काम किया जा रहा है। आगे की प्रक्रिया के लिए डिजिटल चिकित्सीय रिपोर्टों को शाखा के नव व्यावसाय ई-फीप में देखा जा सकेगा।

प्रिंट टू पोस्ट

केंद्रीकृत पॉलिसी बॉड प्रिंटिंग की अवधारणा को सफलतापूर्वक तरीके से निगम के सभी 109 मण्डल कार्यालयों में कार्यान्वत किया जा चुका है। वेंडर द्वारा तीन केंद्रीकृत लोकेशनों हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली से पॉलिसी द्स्तावेजों और इसके अनुबंधों को प्रिंट करने से लेकर डिस्पैच करने तक, एंड-टू-एंड सॉल्यूशन प्रदान करेगा। प्रत्येक पॉलिसी दस्तावेज़ में एक अनन्य स्पीड पोस्ट बार कोड़ होता है जो स्पीड़ पोस्ट के माध्यम से डिलीवरी की ई-ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। मुद्रण और पॉलिसी की अंतिम डिलीवरी को पूरा करने पर पूछताछ के लिए विकल्प शाखा और मंडल कार्यालय एनबी ई-फीप मॉ ड्यूल में प्रदान किए गए हैं।

पुनर्बीमा

सभी पुनर्बीमा अनुबंधों को पुनर्बीमा विनियमों तथा विभिन्न पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ संधियों के अनुसार प्रशासित किया जाता है। पुनर्बीमा की प्रक्रियाओं को पुनर्बीमा मॉड्यूल के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। पुनर्बीमा की जाने वाली पॉलिसियों की संभावित सूची की नियमित निकासी विभाग द्वारा तैयार की जाती है और निचले कार्यालयों को जारी की जाती है।

अन्य

जेडयूएस (क्षेत्रीय बीमालेखन अनुभाग) को संदर्भित प्रस्तावों के लिए चिकित्सीय राय का एकत्रीकरण। जेडएमआर से मेडिकल राय के लिये सभी जेडयूएस को संदर्भित मामलों को एनयूए में केंद्रीकृत लोकेशन जेडएमआर-पूल में एकत्रित किए जायेंगे जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के सभी जेडएमआर को समान रूप से मामलों का वितरण किया जा सकेगा। इससे टी.ए.टी. में कमी और सभी क्षेत्रों के क्षेत्रीय मेडिकल रेफरियों के बीच समान रूप से मामलों का वितरण करना सुनिश्चित किया जा सकेगा।





क्रेडिट ब्यूरों से वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया को शुरु किया गया है। वित्तीय मुल्यांकन एवं एकल पॉलिसी पश्चात सत्यापन ऐसी सेवाएं हैं जिसे सीआईसीआरए, 2005 के अंतर्गत पंजीकृत क्रेडिट ब्यूरों से लेने का प्रस्ताव किया गया है

गतिशील जोखिम कैलकुलेटर जोखिम स्वीकृति के लिए एक भविष्यसूचक उपकरण है, जो मॉडलिंग तकनीकों पर आधारित है। यह उन जोखिम कारकों की पहचान करने में मदद करता है जिनके कारण हैं:

- बेहतर बीमालेखन मानक
- विशेष समृहों की पहचान करना (आसान ऑन-बोर्डिंग के लिए)
- संभावित धोखाधडी का पता लगाना
- प्रारंभिक दावों के लिए प्रवृत्ति का पता लगाना
 इस प्रक्रिया में "अनुरोध" और "भविष्यिक विश्लेषण की प्राप्ति" के लिए सेवा प्रदाता के साथ हमारे सिस्टम का एकीकरण किया गया है।

बीमालेखन नीति

बीमालेखन वह प्रक्रिया है जिसमें बीमा कंपनी यह निर्धारित करती है कि कोई आवेदक बीमा के लिए पात्र है या नहीं और यदि आवेदक पात्र है तो उसके लिए कितना प्रभार लगाना चाहिए। सरल शब्दों यह तो जोखिम वर्गीकरण की प्रक्रिया है। बीमा व्यवसाय के बीमालेखन का उद्देश्य बीमाधारकों के समूह के बीच जोखिम को इस तरह से फैलाना है कि जो बीमाकर्ता के लिए लाभदायक और ग्राहक के लिए उचित हो। "बीमालेखन, बीमा कंपनी को कुछ आवेदकों को बीमा दायिरे से बाहर निकालने और शेष आवेदकों के समक्ष उनके जोखिम के स्तर के अनुरूप प्रीमियम शुल्क की मांग रखने में सक्षम बनाती है"। बीमालेखन, बोर्ड द्वारा अनुमोदित बीमालेखन नीति में परिकल्पित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, विवेकपूर्ण और ग्राहक अनुकूल तरीके से किया जाता है। निगम के मूल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बीमालेखन नीति में जोखिम का उचित चयन और वर्गीकरण की परिकल्पना की गई है जिससे बीमा की व्यापक उपलब्धता और सामर्थ्यता सुनिश्चित की जा सके।

ज्ञान / कौशल का उन्नत करना

हमारे कार्यालयों में बीमालेखकों के ज्ञान/कौशल को उन्नत करने की दृष्टि से, उन्हें विभिन्न संगोष्टियों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जाता है। केंद्रीय कार्यालय के बीमालेखकों को हमारे पुनर्बीमाकर्ताओं और बीमा बीमालेखकों के संघ द्वारा आयोजित संगोष्टियों हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है तािक वे बीमालेखने के नवीनतम रुझानों से अवगत रह सकें।

बीमालेखन दिशानिर्देशों में संशोधन

पर्यावरण और नियामक; तकनीकी और चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति; बीमित जीवनों के मृत्यिका अनुभवों; उद्योग प्रथाओं और प्रतिक्रिया आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण समय-समय पर बीमालेखन दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाती है; ।

21. सतर्कता विभाग

- इस वर्ष में विशेष रूप से 31.03.2020 तक पंजीकृत एवं दिनांक 31.03.2021 को बकाया सतर्कता मामलों के निपटारे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी।
- सतर्कता मामलों के निपटान में तेजी लाने के अलावा, धोखाधड़ी की आशंका वाले क्षेत्रों में सूचना के प्रसार के माध्यम से निवारक सतर्कता पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह (VAW/ वी.ए.डब्ल्यू.) 2021 केन्द्रीय सतर्कता आयोग की थीम "स्वतंत्र भारत 75: ईमानदारी के साथ आत्मिर्नर्भरता" के साथ ही पी.आई.डी.पी.आई.(जनिहत प्रकटीकरण और सूचनादाता का संरक्षण/पिल्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फोर्मर्स) के तहत शिकायतों के निपटान पर जोर देने के साथ मनाया गया। वी.ए.डब्ल्यू.की थीम से जुड़े एस.एम.एस. भारतीय जीवन बीमा निगम के कुल 9.8 करोड़ कर्मचारियों, अभिकर्ताओं एवं पॉलिसीधारकों को भेजे गए थे। देश भर में भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालयों में विभिन्न आंतरिक प्रतियोगिताएं, कर्मचारी बैठकें, ग्राम-सभाएं, पॉलिसी-धारक बैठकें आयोजित की गई। भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग का संदेश एवं भारतीय जीवन बीमा निगम की शिकायत निवारण प्रणाली का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। पैन इंडिया स्तर पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2021 के दौरान वी.ए.डब्ल्यू.थीम तथा पी.आई.डी.पी.आई. (जनिहत प्रकटीकरण और सूचनादाता का संरक्षण) के विषय में जागरूकता पर 20 एफ.एम.चैनलों पर रेडियो जिंगल बजाया गया।
- पी.आई.डी.पी.आई.सहित वी.ए.डब्ल्यू., 2021 की थीम को बढ़ावा देने हेतु इन-हाउस ऑडियो वीडियो क्लिप तैयार कि गयी थी जिसे दिनांक 26.10.2021 को केवडिया, गुजरात में आयोजित केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो औरप्रमुख सतर्कता अधिकारियों के संयुक्त सम्मेलन के दौरान चलाया गया था।
- यह ऑडियो वीडियो क्लिप मात्र उन दो क्लिपों में से एक थी , जिसे विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तुत कई क्लिपों में सेचयन करके सम्मेलन के दौरान चलाया गया।





- केन्द्रीय सतर्कता आयोगकेदिशा-निर्देशोंकेअनुसार, हमारे संगठन की खरीद प्रक्रियाओं में सत्यिनष्ठा समझौता (आई.पी./ Integrity Pact) लागू किया जा रहा है। भण्डार क्रय एवं भवन ठेकों के संबंध में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।
- चालू वर्ष में, केंद्रीय कार्यालय के दस अधिकारियोंने मुख्य तकनीकी परीक्षक, केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जेम पोर्टल (सरकारीई-मार्केटप्लेस)
 पर जोर देते हुए खरीद पर विशेष सत्र में भाग लिया।
- प्रणालीगत मुद्दों की पहचान करने के लिए सिक्रय और निवारक सतर्कता उपाय किए गए और केंद्रीव्र्य कार्यालय के संबंधित नियंत्रण विभागों को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु सुझाव दिए गए।

22. **IPO:**

माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के अपने बजट के भाषण में घोषणा की थी कि भारत सरकार एक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम (LICI) में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी।

घोषणा को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु दस बुक रिनंग लीड मैनेजर (बीआरएलएम), कानूनी सलाहकार, आईपीओ ऑडिटर, रिजस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, रिपोर्टिंग बीमांकक और विज्ञापन एजेंसी नियुक्त की गई थी।

परिणामस्वरूप निगम ने बीआरएलएम और कानूनी सलाहकारों के परामर्श से, संभावित निवेशकों की जानकारी हेतु एक व्यापक "ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉ स्पेक्टस (डीआरएचपी)" तैयार किया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ जोखिम कारक, वित्तीय जानकारी, उद्योग अवलोकन, हमारा व्यवसाय, प्रमुख विनियम और नीतियां, बकाया मुकदमे, प्रस्ताव संरचना और अंतःस्थापित मूल्य रिपोर्ट शामिल हैं। डीआरएचपी को मार्केट रेगुलेटर अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास 13.02.2022 को पेश किया गया था।

डीआरएचपी के अनुसार, विक्रेता शेयरधारक (भारत के राष्ट्रपित, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए) ने भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी हिस्सेदारी के 316,249,885 इक्विटी शेयरों यानी 5% तक की बिक्री की पेशकश की। इसके अलावा पात्र पॉलिसीधारकों और पात्र कर्मचारियों हेतु शेयरों के लिए आरक्षण होगा।

प्रस्ताव के उद्देश्य हैं (i) स्टॉक एक्सचेंजों पर इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने से लाभ प्राप्त करना; और (ii) विक्रेता शेयरधारक (भारत के राष्ट्रपित, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए) द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी हिस्सेदारी के 316,249,885 इक्विटी शेयरों यानी 5% तक की बिक्री के प्रस्ताव को पूरा करें।

निगम को यह भी उम्मीद है कि उसके इक्विटी शेयरों की प्रस्तावित सूचीबद्धता से हमारी दृश्यता और ब्रांड छवि में वृद्धि होगी और साथ ही भारत में इक्विटी शेयरों का एक सार्वजनिक बाजार उपलब्ध होगा। बिक्री करने वाला शेयरधारक प्रस्ताव के खर्च और उस पर प्रासंगिक करों को काटने के बाद प्रस्ताव की संपूर्ण आय का हकदार होगा। हमारे निगम को प्रस्ताव से कोई आय प्राप्त नहीं होगी।

(यह जानकारी 31/03/2022 तक की अवधि के लिए हैं)

23 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

निवेश और सामाजिक उत्तरदायित्व

31 मार्च, 2022 को निगम के कुल निवेश ₹ 40,84,826.84 करोड़ राशि के थे। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक निगम के निवेश का विस्तृत वर्गीकरण सारणी 6 में दिया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान निगम ने भारत सरकार की प्रतिभूतियों के नये निर्गम और विभिन्न राज्य सरकारो द्वारा जारी किए गए ऋण निर्गमों में (अन्य अनुमोदित प्रतिभूति के साथ) क्रमशः ₹ 1,61,951.90 करोड़ (पुस्तक मूल्य) और ₹ 87,192.81 करोड़ (पुस्तक मूल्य) की राशि का अभिदान किया।

॥ सामाजिक उत्तरदायित्व

अधिकाधिक लोगों को सुरक्षा प्रदान करना एवं संकलित बचतों को जनकल्याण के कार्य में लगाना निगम का निरंतर प्रयास रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निगम निम्नलिखित आधारभूत संरचना और समाजोन्मुखी निवेशों के माध्यम से समाज कल्याण का कार्य कर रहा है।

- बिजली उत्पादन और वितरण की परियोजनाएं / योजनाएं
- ᠵ आवास क्षेत्र
- जलापूर्ति और मलनिस्तारण क्षेत्र / योजनाएं
- ᠵ 🛮 सडक, पुल, सडक परिवहन एवं रेलवे का विकास

वर्ष 2021-22 के दौरान उपर के क्षेत्रों में निवेश की कुल राशि ₹ 29,638.66 करोड़ है वह सारणी 7 में दी गई है। केन्द्रीय, राज्य एवं अन्य सरकारी गारंटीयुक्त विपणन योग्य प्रतिभूतियों और आधारभूत संरचना तथा समाजोन्मुखी क्षेत्रों में शेयर, ऋण और ऋणपत्र के रुप में कुल निवेश 31 मार्च, 2022 को ₹ 28,85,569.04 करोड़ है।





III एल.आई.सी. गोल्डन ज्युबली फाउंडेशन


एल.आई.सी. गोल्डन ज्युबली फाउंडेशन की स्थापना एल.आई.सी की सामुदायिक सेवा पहल के एक भाग के स्वरूप में, वर्ष 2006 में हुई। फाउंडेशन के उद्देश्य गरीबी अथवा पीडा से राहत, शैक्षणिक उन्नति, चिकित्सीय राहत तथा आम जनता के हितार्थ अन्य किसी विषय में सुधार है। दि. 31.03.2022 तक जीवन बीमा निगम ने `एल.आई.सी. गोल्डन ज्युबली फाउंडेशन ट्रस्ट को ₹ 260 करोड़ के कॉर्पस की आपुर्ति की और अर्जित ब्याज को फाउंडेशन द्वारा विभिन्न परोपकारी प्रयोजनों के लिए दान किया गया। स्थापना से अब तक फाउंडशन ने उक्त उद्देश्यों को समर्पित गैर-सरकारी संगठनों को पुरे देशभर में स्थित कुल ₹127.00 करोड़ 646 परियोजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की है। 2021-22 के दौरान फाउंडेशन ने 57 परियोजनाओं के तहत ₹18.31 करोड़ स्वीकृत किए हैं। उक्त क्षेत्रों में उपलब्ध संरचनात्मक सहायता के माध्यम से फाउंडेशन समाज के कई वंचित वर्गों तक पहुंचा है।

एल.आई.सी. गोल्डन ज्युबिली छात्रवृत्ति योजना, फाउंडेशन कि एक और पहल है जो समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के बच्चों को उनके स्नातक/ व्यवसायिक पाठ्यक्रम तक की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रति वर्ष छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। फाउंडेशन ने छात्रवृत्ति योजना को LIC GJF छात्रवृत्ति के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये ₹ 20,000 प्रति छात्र प्रति वर्ष कर दी गई है और साथ ही बालिकाओं के लिए ₹ 10,000 प्रति वर्ष की विशेष छात्रवृत्ति 10+2 शिक्षा के लिए शुरू की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 7.85 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है। इस योजना से, 31.03.2022 तक 22,586 छात्र लाभान्वित हुए है।

24. उद्यम जोखिम प्रबंधन

जीवन बीमा निगम के पास मज़बूत जोखिम प्रबंधन तंत्र है जो निगम के सामने आने वाले जोखिमों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित ढंग से व्यवसाय करता है व परिभाषित जिम्मेदारियों और पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के द्वारा व्यवसाय को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है।

उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) संगठन सरंचना ;



जोखिम नियंत्रण तंत्र :

बोर्ड ने जोख़िम से संबंधित ज़िम्मेदारी को बोर्ड की जोख़िम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को प्रदत्त की है। ईआरएम तंत्र जोखिमों की पहचान, आकलन, प्रबंधन से संबंधित अल्पीकरण व निगरानी हेतु मजबूत व प्रभावी ढांचा है। आरएमसीबी द्वारा सम्पूर्ण निगम में जोख़िम प्रबंधन की निष्पादित क्रियाविधियों की तिमाही में समीक्षा की जाती है।





मुख्य जोख़िम प्रबंधन बिन्दु है ;

जोखिम क्षमता विवरण :

जोख़िम क्षमता एक ऐसा परिमाप व जोख़िम का प्रकार है जो एक निगम स्वयं के रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने हेतु लेने के लिए तैयार है। विभिन्न जोखिमों हेतु विभिन्न प्रकार की क्षमताएं विद्यमान हैं जो समय के साथ परिवर्तित हो सकती हैं। जोख़िम क्षमता विवरणों की जोख़िम प्रबंधन सिमित द्वारा वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है व इसे व्यापक रूप में बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया जाता है जिसमें सहनशीलता/ सीमाएं शामिल हैं। निगम द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार जोखिमों की निगरानी की जाती है और शीर्ष प्रबंधन तथा जोख़िम प्रबंधन सिमिति को इसकी रिपोर्टिंग की जाती है।

2. जोखिम रजिस्टर :

निगम द्वारा प्रत्येक कार्यात्मक स्तर पर जोखिम रजिस्टर को क़ायम रखा जाता है व उस कार्य से संबन्धित जोखिम और नियंत्रण उपायों का दस्तावेजीकरण किया जाता है। यदि कोई कमी पाई जाती है तो समयबध्द कार्ययोजना द्वारा उस कमी को पूरा किया जाता है। उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान सुनिश्चित करने हेतु और उनके उपाय हेतु जोखिम रजिस्टरों की समीक्षा की जाती है।

घटना प्रबंधन तंत्र एवं परिचालन–संबंधी क्षति डेटाबेस

घटना प्रबंधन तंत्र का उद्देश्य निगम के भीतर घटनाओं (धोखाधड़ी सहित) की पहचान, निगरानी, अल्पीकरण हेतु प्रक्रियाओं को लागू करना है। घटना प्रबंधन प्रक्रिया को इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है कि वह किसी भी परिचालन—संबंधी क्षति जैसे— धोखाधड़ी, नियामक/पॉलिसी उल्लंघन व भावी हानि आदि कि व्यवस्थित रूप से पहचान, रिपोर्ट, प्रेषण, जांच और समाधान हो जिससे भविष्य में होने वाली पुनरावर्ती को रोका जा सके।

4. शीर्ष जोखिम व मुख्य जोखिम सूचक

निगम के शीर्ष जोखिमों की पहचान निगम के सम्मुख आए मुख्य जोखिमों के महत्व/प्रभाव के विश्लेषण के बाद की जाती है। सभी परिचालन कार्यालय स्तरों से प्राप्त सूचना व विभागाध्यक्ष के साथ बैठकों के पश्चात शीर्ष जोखिम (केआरआई) तैयार किए जाते हैं।

वर्तमान उद्यम जोखिम प्रबंधन तंत्र में सम्मिलित किए गए विभिन्न जोखिमों हेतु अल्पीकरण की रणनीति :

क) बाजार जोखिम:

बाजार जोखिम से तात्पर्य ब्याज दरों, विनिमय दरों और प्रतिभूतियों के बाजार मूल्यों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भविष्य की आय अनिश्चितता से है। निगम मुख्य रूप से उन प्रतिभूतियों में निवेश करके बाजार जोखिम के प्रभावों को कम करने का प्रयास करता है जो प्रमुख सूचकांकों का हिस्सा हैं।

बाज़ार जोखिम को परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रकार और अवधि के अनुसार मिलान के द्वारा और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य सीमा तक कैश फ्लो का मिलान करके कम किया जाता है । प्रत्येक व्यवसाय प्रणाली के लिए लागू निवेश रणनीति यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है कि परिसंपत्तियों के प्रकार तथा अवधि से देयताओं का उचित रूप से मिलान किया गया है।

ख) तरलता जोखिम:

तरलता जोखिम का अर्थ, नकद रूप में पर्याप्त परिसंपत्तियों के न होने की वजह से, देय भुगतान को चुकता करने में सक्षम न होने के जोखिम से होता है।

देयताओं के स्वरूप और व्यावसायिक संरचना के कारण निगम को सीमित तरलता जोखिम का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः मौजूदा व्यवसाय से अपेक्षित आगामी प्रीमियम के साथ-साथ नकद निवेश, अपेक्षित अदायगी (पे-आउट्स) को समाहित करने के लिए पर्याप्त होते हैं। निगम, परिसंपत्ति-देयता कैश—फ्लो की मिलान स्थिति की त्रैमासिक आधार पर मॉनिटरिंग के द्वारा तरलता जोखिम का प्रबन्धन करता है। विभिन्न तनावपूर्ण परिस्थितियों के अंतर्गत कैश—फ्लो मिलान विश्लेषण की जांच भी की जाती है। एलआईसी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिसंपत्ति देयता प्रबन्धन नीति है।

ग) ऋण जोखिम :

ऋण जोखिम, हमारे बाध्यताधारियों अथवा हमारे प्रतिपक्षों के अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने या समय पर पूरा करने में विफल होने अथवा संबंधित पार्टियों के क्रेडिट प्रोफाईल में अपकर्ष के परिणामतः होनेवाली जोखिम है। ऋण जोखिम को निम्न द्वारा कम किया जाता है:

- (i) निवेशों को घरेलू रेटिंग एजेन्सियों द्वारा मुख्य रूप से एए और ऊपर श्रेणी में रखी गई प्रतिभूतियों तक परिमित करने से, और
- (ii) अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों के तिमाही कार्य संपादन, उनकी श्रेणी और नियत तिथियों को अपने दायित्वों की पूर्ति करने की उनकी पिछली उपलब्धियों की मानिटरिंग करने से





घ) बीमा जोखिम :

व्यवसाय की अपनी अंतर्निहित प्रकृति के कारण, निगम को बड़ी तादाद में जोखिमें उठानी पड़ती हैं। ये जोखिमें व्यवसाय संचालन हेतु उसके द्वारा किए गए खर्चों, मृत्यु और रूग्णता दरों और उसके पॉलिसीधारकों की सततावृत्ति (परिसस्टेन्सी) से जुड़ी हो सकती हैं। व्यय जोखिम, मृत्यु एवं रूग्णता जोखिम तथा परिसस्टेन्सी जोखिम के उचित प्रबन्धन के माध्यम से बीमा जोखिम को मानिटर किया जाता है। निगम अपने उच्चतर बीमा राशि व्यवसाय का पुनर्बीमा करता है और विशिष्ट उत्पादों के लिए पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ अनुबंध करता है। निगम के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनर्बीमा नीति है।

ड) परिचालनात्मक जोखिम:

निगम को विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होनेवाली विभिन्न प्रकार की परिचालनात्मक जोखिमें उठानी पड़ती हैं, जिनमें अभिलेख को अधूरा रखना, सिस्टम्स तथा स्थापित नियंत्रणों की खराबी एवं कर्मचारी त्रुटि तथा आंतरिक/बाहरी धोखाधड़ी का समावेश है। निगम प्रक्रियाओं, तंत्रों और प्रणालियों की नियमित मानिटरिंग, धोखाधड़ी के लिए नियंत्रणों के कार्यान्वयन तथा प्रणालियों एवं डाटा - दोनों के बैक-अप के रखरखाव के सुनिश्चयन के द्वारा परिचालनात्मक जोखिमों के प्रभाव को कम करने की कोशिश करता है। निगम की सभी अभिज्ञात परिचालनात्मक जोखिमों के लिए ली गई आवश्यक बीमा सुरक्षा की समीक्षा भी नियमित अंतराल से की जाती है।

व्यवसाय निरंतरता उपाय (बिजनस कंटिन्यूइटी मेजर्स — बीसीएम) :

व्यावसायिक रूकावट जोखिम भी परिचालनात्मक जोखिम का एक अभिन्न अंग है। निगम को मामूली से लेकर विनाशकारी तक कई आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है, जो दैनंदिन कार्य—संचालन को प्रभावित कर सकती हैं। निगम ऐसी व्यावसायिक रूकावटों का बंदोबस्त करने के लिए यथोचित उपाय करते हुए जोखिम को कम करने की कोशिश करता है।

निगम ने सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों की निरंतरता के लिए प्रणालियों की व्यवस्थित रूप से स्थापना को सुनिश्चित किया है। इस वजह से निगम महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में ग्राहकों को निर्बाध सेवा प्रदान करने में सक्षम रहा। निगम के सभी कर्मचारियों को प्रणाली का रिमोट एक्सेस प्रदान करने के लिए वर्क फ्रॉम होम के विकल्प का अवलंब करते हुए अपने सभी पॉलिसीधारकों और मध्यस्थों की सेवा को सुनिश्चित किया गया।

प्रतिकूल परिस्थितियों में महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए डिजॅस्टर रिकवरी साईट की स्थापना की गई है। महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और व्यावसायिक रूकावट जोखिमों के प्रबन्धन हेतु पार्टनर्स आउटसोर्स करने के लिए बिज़नस कंटिन्यूइटी ड्रिल्स नियमित रूप से किए जाते हैं। निगम के पास एक सुस्पष्ट सूचना सुरक्षा नीति है, जिसमें पूरे संगठन में व्यापक प्रबन्धन प्रक्रियाओं को स्थापित करते हुए सभी सूचना परिसंपत्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करनेवाले साइबर सुरक्षा क्षेत्र का समावेश है।

निगम के पास निवेश कार्यों के लिए बोर्ड द्वारा स्वीकृत बिज़नस कंटिन्यूइटी प्लान है। अब बीमा कंपनियों के पास भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूप में बोर्ड द्वारा स्वीकृत बिज़नस कंटिन्यूइटी प्लान होना आवश्यक है।

एलआईसी भारतीय वित्तीय बाजारों में एक प्रमुख संस्थागत निवेशक है। इसके फंडों को आईआरडीएआई (निवेश) विनियमों, 2016 के अनुरूप पिरसंपत्ति वर्गों में निवेश किया जाता है और बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम, ब्याज दर जोखिम, तरलता जोखिम और प्रतिपक्ष जोखिम जैसे विभिन्न जोखिमों से अवगत कराया जाता है, कुछ नाम देने के लिए। वित्तीय बाजारों में इस तरह के विविध जोखिम से निकलने वाले इन जोखिमों को लगातार मापने और कम करने के लिए एक मजबूत जोखिम प्रबंधन संरचना की आवश्यकता होती है। निवेश जोखिमों की की व्यवस्थित रूप से पहचान की जाती है और इन जोखिमों को दूर करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं को लागू किया गया है तािक न केवल पॉलिसीधारकों के धन की रक्षा की जा सके बल्कि उनकी उचित अपेक्षाएं भी पूरी की जा सकें। निगम जोखिम प्रबंधन पर निरंतर संगठनात्मक ध्यान देने के लिए प्रतिबद्ध है और जोखिम दृष्टि, जोखिम शासन, जोखिम पहचान, जोखिम माप, जोखिम निगरानी और जोखिम रिपोर्टिंग जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाली जोखिम प्रबंधन नीित है।

जोखिम प्रबंधन वास्तुकला का विवरण

जोखिम प्रबंधन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके तहत निगम अपने प्रबंधन के तहत निगम की वित्तीय परिसंपत्तियों से जुड़े. निवेश जोखिमों की पहचान, मापने और ऐसे जोखिमों को कम करके संबोधित करता है। जोखिम प्रबंधन में सभी कारकों की समझ और वे सफलता के लिए किस हद तक खतरा हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में संगठन में जोखिम संस्कृति लाने का भी प्रयास किया जाएगा ताकि कर्मचारी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के महत्व को महसूस करें और प्रत्येक कर्मचारी संबंधित जोखिमों को उचित रूप से संबोधित करने में खुद को शामिल करे।

निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन समारोह पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करता है; जिसमें प्रमुख जोखिमों और उपायों पर आवश्यक निरीक्षण प्रदान करना, जोखिम प्रबंधन नीति और निगम की व्यावसायिक निरंतरता योजना वार्षिक आधार पर शामिल है।

आईआरडीएआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निगम ने बोर्ड की रिस्क मैनेजमेंट कमेटी (आरएमसीबी) का गठन किया है। आरएमसीबी जोखिम प्रबंधन शासन संरचना की देखभाल करता है, जोखिम प्रबंधन ढांचे की समीक्षा करता है, जोखिम भूख और महत्वपूर्ण जोखिमों के लिए जोखिम



शमन योजनाओं, व्यापार वातावरण और विनियमों में परिवर्तन से निकलने वाले रणनीतिक जोखिमों की पहचान करता है, नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन की देखरेख करता है, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों, वार्षिक आधार पर निवेश कार्यों के लिए आईटी सुरक्षा नीति, निगम के व्यापार निरंतरता योजना के अनुरूप व्यापार निरंतरता पर नियमित अपडेट की समीक्षा करता है, निगम की शोधन क्षमता की स्थिति, नियमित आधार पर धोखाधडी की निगरानी आदि। इसके अलावा, सभी महत्वपूर्ण मामले, जिन्हें आरएमसीबी को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड से और रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, को आवधिक आधार पर अपनी बैठक में इसकी जानकारी में लाया जाता है।

जोखिम प्रबंधन पर अधिकारियों की समिति (सीईआरएम) के रूप में नामित एक आंतरिक स्वतंत्र समिति का गठन किया गया है जिसमें निवेश विभाग के तीनों वर्गों यानी फ्रंट ऑफिस (सीआईओ), मिड-ऑफिस (सीआरओ), बैकऑफिस और बीमांकिक विभाग के प्रमुख शामिल हैं। सीईआरएम निवेश विभाग के लिए जोखिम प्रबंधन नीति और एएलएम नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

इसके अलावा, सीईआरएम कुछ प्रमुख कार्यों की निगरानी करके आरएमसीबी का समर्थन करता है, जैसे जोखिम प्रबंधन नीतियां स्थापित करना, निवेश विभागों पर लागू जोखिम रिपोर्टिग/ जोखिम नियंत्रण के लिए एमआईएस, जोखिम प्रबंधन के लिए जवाबदेही और प्राधिकार तैयार करना, रणनीतिक पहलों और व्यावसायिक वातावरण या विनियमों में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले प्रमुख जोखिमों के बारे में बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट करना, महत्वपूर्ण जोखिमों और जोखिम शमन योजनाओं को रेखांकित करने वाली जोखिम आकलन समीक्षा रिपोर्ट प्रदान करना, निगम की व्यावसायिक निरंतरता योजना के अनुरूप व्यापार निरंतरता योजना सिहत परिचालन जोखिम वातावरण की समीक्षा, नियमित आधार पर निगम की शोधन क्षमता की स्थिति की समीक्षा करना, आईटी सुरक्षा से संबंधित जोखिम की समीक्षा।

सीईआरएम की सिफारिशों की सूचना आरएमसीबी को दी जाती है। जोखिम प्रबंधन पर अधिकारियों की सिमित द्वारा चर्चा किए गए विभिन्न मुद्दों पर एक समेकित रिपोर्ट और बैठक की आवृत्ति के साथ उस पर की गई कार्रवाई तिमाही आधार पर आरएमसीबी को सूचित की जाती है

निवेश-संचालन (फ्रंट ऑफिस), निगरानी और लेखा (बैक-ऑफिस) और जोखिम प्रबंधन (मिड-ऑफिस) कार्यों के प्रमुख ध्विन जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, जैसा कि उनके कामकाज के क्षेत्रों पर लागू हो सकता है और साथ ही अन्य वर्गों के साथ समन्वय के लिए जिम्मेदार हो सकता है । वे आंतरिक नियंत्रण की एक ध्विन प्रणाली को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार हैं जो निगम की निवेश नीति में गणना किए गए उद्देश्यों और नीतियों की उपलब्धि का समर्थन करता है।

जोखिम नियंत्रण ढांचे को नीतियों और प्रक्रियाओं, प्रणालियों और संगठन के बावजूद निर्दिष्ट, निगरानी और नियंत्रित किया जाता है।

हर वर्ग एक जोखिम रजिस्टर रखता है, जहां सभी संभावित जोखिम क्षेत्र और नियंत्रण ढांचे को सूचीबद्ध किया जाता है। सभी विभागों के लिए जोखिम रजिस्टर की निवेश जोखिम प्रबंधन (आईईनविआर) विभाग के उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) सेल द्वारा छमाही आधारपर समीक्षा की जाती है।

25 विविध कार्यकलाप गतिविधियां

सहायक कंपनियाँ विभाग

सहायक कंपनियाँ विभाग का गठन अप्रैल 2019 में निगम और उसकी भारत में कार्यरत सहायक और सहयोगी कंपनियों के बीच संपर्क सूत्र के रूप में व उनके बीच तालमेल बनाने हेतु, चिन्हित बिंदुओं पर कार्रवाई करने के लिए किया गया ।

सहायक कंपनियाँ विभाग निम्न दिशा में कार्यरत है,

- एलआईसी को वैश्विक वित्तीय समूह बनाने के मिशन को साकार करने के लिए सभी सहायक/ सहयोगी कंपनियों के बीच एक साझा दृष्टिकोण बनाए रखना ।
- ➤ सहायक/ सहयोगी कंपनियों के साथ समन्वय, सहयोग और तालमेल के लिए एक नोडल बिन्दू के रूप में कार्य करना।
- > डेटा के विश्लेषण और कार्य निष्पादन की समीक्षा करने में निदेशक मंडल की सहायता करना।
- > सहायक/ सहयोगी कंपनियों को एक दूसरे के सामर्थ्य से जागरूक कराना, जिससे वे इसका उपयोग व्यवसाय वृद्धि के लिए करे।
- समीक्षा, आगामी संकेतों और भविष्य में उपयोग के लिए सहायक/ सहयोगी कंपनियों से वित्तीय प्रदर्शन डेटा की मांग और संग्रह के लिए एक नोडल विभाग के रूप में कार्य करना।
- ᠵ 🛮 निगम से जुड़ी सभी नियामक आवश्यकताओं और अनुपालन को समय सीमा में पूरा करना ।
- सहायक/ सहयोगी कंपनियों से लेखा विवरण प्राप्त कर, निगम का समेकित लेखा समय सीमा में प्रस्तुत करने में सहयोगिता।
 भारतीय जीवन बीमा निगम की भारत में निम्नलिखित सहायक और सहयोगी कंपनियाँ हैं:

सहायक कंपनियाँ

- एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
- एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड





सहयोगी कंपनियाँ

- आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
- एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रायवेट लिमिटेड
- एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
- एलआईसी म्यूचुअल फंड परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड
- आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
- एलआईसीएचएफएल परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड

क) एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना 19 जून, 1989 को हुई थी। मुंबई में अपने कॉरपोरेट ऑफिस के साथ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के देश में 9 क्षेत्रीय कार्यालय, 24 बैक ऑफिस, 284 मार्केटिंग ऑफिस और 1 ग्राहक सेवा बिंदु हैं। इसका दुबई में प्रतिनिधि कार्यालय भी हैं। कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इसके ग्लोबल डिपॉजिटरी शेयर (जीडीएस) लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। कंपनी को CRISIL और CARE द्वारा 'AAA Stable' रेट किया गया है। CRISIL द्वारा कंपनी के फिक्सड डिपॉजिट प्रोग्राम को "FAAA Stable" का दर्जा दिया गया है, जो सुरक्षा के उच्चतम स्तर को दर्शाता है।

| | वर्ष 2020-21 के लिए ग्रोथ | CAGR 5 साल | |
|--|---------------------------|------------|--|
| 31.03.2022 को बकाया ऋण - ₹ 2,51,120 करोड़ | +8% | 11% | |
| वर्ष 2021-22 के लिए कुल आय - ₹ 19,953.02 करोड़ | +0.53% | 7% | |
| वर्ष 2021-22 के लिए शुद्ध लाभ - ₹ 2,287.28 करोड़ | -16% | 4% | |
| 31.03.2022 को शुद्ध स्वामी-संपत्ति | 22,832.77 करोड़ | | |
| लाभांश घोषित | 425% | | |

ख) एलआईसी म्युचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड

एलआईसी म्यूचुअल फंड (म्यूचुअल फंड) का 20.04.1989 को एलआईसी ऑफ इंडिया को प्रायोजक रखकर, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, ट्रस्ट के रूप में एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लि. का ट्रस्टी और एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड एलआईसी म्यूचुअल फंड में निवेश प्रबंधक के रूप में गठन किया गया। एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के शेयरधारक एलआईसी ऑफ इंडिया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैं।

31 मार्च 2022 तक, एलआईसी म्यूचुअल फंड 26 योजनाओं का प्रबंधन कर रहा था। वर्ष 2021-22 के दौरान, एएमसी ने सभी लाइव योजनाओं से ₹ 89,485 करोड़ की सकल बिक्री जुटाई। 31.03.2022 को निवेशकों की कुल संख्या 5,49,971 थी। प्रबंधन के तहत 2021-22 को अंतिम तिमाही की औसत संपत्ति (एएयूएम) ₹18,252 करोड़ थी और यह उद्योग में एएयूएम के मामले में 22 वें स्थान पर थी।

181 निवेशक सेवा केंद्रों, 30 क्षेत्रीय कार्यालयों और 152 सेल्स टीम सदस्यों के साथ, एलआईसी एमएफ देश भर में फैले 200 से अधिक स्थानों पर मौजूद है। एलआईसी एमएफ के पास सबसे व्यापक वितरण नेटवर्क में से एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स सहित नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, वेल्थ मैनेजमेंट फ़र्मों, बैंक और प्रमुख बिजनेस पार्टनर्स है।

एलआईसी एमएफ में "एपीपीएस" (ऑटो प्रीमियम भुगतान प्रणाली) नामक अभिनव प्रोडक्ट सुविधा है, जिसके तहत ग्राहक अपने पैसे को तरल या अल्पकालिक योजनाओं में निवेश कर सकते हैं और उनके एलआईसी प्रीमियम का भुगतान म्यूचुअल फंड खाते से किया जाता है। यह एक अनूठी विशेषता है जो उद्योग में केवल एलआईसी एमएफ द्वारा पेश की जाती है। इसी तरह, एलआईसी म्यूचुअल फंड एलआईसी एमएफ जीएसईसी लॉन्ग टर्म एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड्ज के साथ डेब्ट स्पेस में ईटीएफ की पेशकश करने वाले पहले म्यूचुअल फंड में से एक है। यह प्रोडक्ट खुदरा निवेशकों को बहुत ही छोटे आकार के जीएसईसी में बहुत प्रतिस्पर्धी लागत पर निवेश करने देता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, एलआईसी एमएफ ने एक नई योजना, यानी एलआईसी एमएफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड (एलआईसीएमएफ बीएएफ) शुरू की जो एक डायनेमिक परिसंपत्ति आवंटन उत्पाद है जिसे बाजार द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया गया।

एलआईसी एमएफ की योजनाएं लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और एलआईसी एमएफ योजनाओं के प्रदर्शन को रेटिंग एजेंसियों द्वारा अच्छी तरह से कवर किया गया है।





ग) एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड

एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा प्रायोजित कंपनी है जो कि 1 जनवरी 2004 के पश्चात केन्द्र सरकार में भर्ती कर्मचारियों के लिये (सशस्त्र बलों को छोडकर) पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन योजना में कोश प्रबंधन के विशिष्ट उद्देश्य के साथ कार्य करती है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये, यह योजना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनाये जाने पर, लागू होती है।

एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड एक कोष प्रबंधन कंपनी है। एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, राष्ट्रीय पेंशन योजना के पांच सरकारी निवेश योजनाओ जैसे की 02.04.2008 से केन्द्र सरकार योजना, 25.06.2009 से राज्य सरकार योजना, 04.10.2010 से एन.पी.एस लाईट (सरकारी पैटर्न) और कोपीरेट सीजी योजना (जिसे 04.11.2012 को केंद्र सरकार की योजना से अलग कर दिया गया था) और 01.06.2015 से अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का प्रबंधन करती है।

वर्ष 2013-14 में, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड को निजी क्षेत्र के पेंशन कोश के प्रबंधन के लिए लाइसेंस दिया गया था। निजी क्षेत्र के पेंशन कोश के तहत 8 योजनाएं हैं जैसे की ई टियर-I, सी टियर - I, जी टियर - I, ए टियर - I, ई टियर - II, सी टियर - II जी टियर - II और बचत टियर - II | (टियर - I योजनाएं गैर-निकासी पेंशन योजनाएं हैं जबकि टियर - II योजनाओं के तहत निकासी की अनुमित है)। कुल मिलाकर, एनपीएस के तहत एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड 13 योजनाओं का प्रबंधन करता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड को तेरह योजनाओं के तहत ₹ 33,493.23 करोड़ प्राप्त हुए हैं। 31 मार्च 2021 तक प्रबंधन के अंतर्गत कुल संपत्ति (एयूएम) ₹ 1,63,389.50 करोड़ थी जो 31.03.2022 तक बढ़कर ₹ 2,09,386.28 करोड़ हुई। उपरोक्त में से ₹ 2,02,025.50 करोड़ पांच सरकारी निवेश योजनाओं के तहत प्रबंधित किए जाते हैं तथा ₹ 7360.78 करोड़ आठ निजी क्षेत्र की योजनाओं के तहत प्रबंधित किए जाते हैं। एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड की कुल आय एयूएम में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष के ₹ 18.48 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 98.13 करोड़ हुई, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की चुकता पूंजी पर प्रबंधन शुल्क में बढोतरी हुई है। कंपनी ने वर्ष 2021-22 में ₹ 46.31 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है।

31-03-2022 को एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड की योजनाओं का नेट एसेट वैल्यू (Net Asset value) इस प्रकार है।

| क्र. | सरकारी योजनाएं | नेट एसेट वैल्यू | स्थापना के बाद से प्रतिफल की दर (%) (सी ए जी आर) |
|------|----------------------|-----------------|---|
| i) | केन्द्र सरकार योजना | 36.3989 | 9.66% |
| ii) | राज्य सरकार योजना | 32.3897 | 9.64% |
| iii) | एन. पी. एस लाईट | 30.2792 | 10.12% |
| iv) | कोर्पोरेट योजना सीजी | 23.9937 | 9.75% |
| v) | अटल पेंशन योजना | 18.5570 | 9.48% |

| 큙. | निजी क्षेत्र | नेट एसेट वैल्यू | स्थापना के बाद से प्रतिफल की दर (%) (सी ए जी आर) |
|-------|-----------------|-----------------|---|
| i) | ई टियर - । | 28.9780 | 13.02% |
| ii) | सी टियर - । | 22.5008 | 9.78% |
| iii) | जी टियर - । | 23.6743 | 10.42% |
| iv) | ई टियर - ॥ | 24.2270 | 10.79% |
| v) | सी टियर - ॥ | 21.3980 | 9.21% |
| vi) | जी टियर - ॥ | 24.0289 | 10.68% |
| vii) | ए - टियर - । | 15.0663 | 7.79% |
| viii) | कर बचत टियर - ॥ | 10.9396 | 5.68% |

एनपीएस के लिए कर लाभः

एनपीएस में निवेश करने के लिए धारा 80 सीसीडी (1बी) के तहत व्यक्तियों के लिए ₹ 50,000/- के अतिरिक्त कर लाभ की अनुमित दी गई थी। यह धारा 80 सी के तहत अनुमेय ₹1,50,000/- की पूर्व समेकित कर राहत के अतिरिक्त है। इसी तरह, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त निकासी के 40% राशि को कर से छूट दी गई है।





एनपीएस के बारे में जागरूकता जैसे-जैसे बढ़ती है, भविष्य में एनपीएस के तहत कुल एयूएम के और बढ़ने की उम्मीद को जगाती है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 1.4.2019 से प्रभावी, एनपीएस में उनके वृद्धिशील योगदान के लिए निवेश पैटर्न और किसी भी फंड मैनेजर (आठ में से, सार्वजिनक और निजी फंड मैनेजर) को चुनने की अनुमित दी है।। इस निर्णय से पेंशन फंड प्रबंधकों के बीच बेहतर जोखिम समायोजित रिटर्न उत्पन्न करने के लिए प्रतिस्पर्धा में बढोतरी की उम्मीद है।

घ) एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड

एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड, (एलआईसी सीएसएल) को 11 नवंबर 2008 को भारतीय जीवन बीमा निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में, ₹ 1 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी के साथ स्थापित किया गया था। एलआईसी सीएसएल का कॉर्पीरेट कार्यालय दिल्ली में है।

वर्तमान में कंपनी ने एलआईसी के कर्मचारियों, क्लब सदस्य अभिकर्ता, पॉलिसीधारकों और इसकी सहायक कंपनियों/ सहयोगियों और जनता को को-ब्रांडेड/ व्हाइट लेबल समझौते के तहत क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक के साथ करार किया है। एलआईसी सीएसएल बहुत सारे आकर्षक लाभ के साथ आजीवत निशुल्क क्रेडिट कार्ड प्रदान करता है। कार्ड चिप-एंड-पिन संस्करण हैं जो कार्ड धारकों को अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करता हैं। एलआईसी क्रेडिट कार्ड डबल रिवार्ड पॉइंट्स और शून्य सुविधा शुल्क के साथ प्रीमियम भुगतान का एक सुविधाजनक और वैकल्पिक तरीका प्रदान करता है। एलआईसी कार्ड की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- ॰ लाइफ टाइम फ्री यानी कोई ज्वाइनिंग शुल्क, वार्षिक शुल्क और नवीनीकरण शुल्क नहीं है
- मुफ्त दुर्घटना बीमा
- ₹ 100/ के प्रत्येक खर्च पर आकर्षक रिवॉर्ड प्वॉइंट
- बिना किसी सुविधा शुल्क के एलआईसी प्रीमियम के भुगतान पर डबल रिवॉर्ड प्वॉइंट
- ऐक्सिस बैंक द्वारा संचालित एलआईसी सीएसएल सिम्नेचर कार्ड और आईडीबीआई बैंक द्वारा संचालित एलआईसी सीएसएल एक्लाट कार्ड के लिए केवल ₹ 2/ की टोकन राशि के भुगतान पर चयनित हवाई अड्डों पर एयरपोर्ट लाउंज की सुविधा (प्रत्येक तिमाही में दो बार)।
- ब्याज मुक्त ऋण अवधि

एलआईसी सीएसएल, एलआईसी के कर्मचारियों, एजेंटों, सहायक कंपनियों, समूह बीमा मास्टर पॉलिसीधारकों को उपहार कार्ड जारी करने के लिए एक्सिस बैंक और आईडीबीआई के साथ सह-ब्रांडेड भागीदार भी है। एलआईसी सीएसएल कैश कार्ड (सुविधा) जारी करने के लिए आईडीबीआई बैंक के साथ सह-ब्रांडेड भागीदार भी है। कंपनी ने एलआईसी के कर्मचारियों को भोजन कार्ड जारी करने के लिए मैसर्स सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसएसवीसी) के साथ एक समझौता किया है और इसी तरह की व्यवस्था को अन्य सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा, एलआईसी सीएसएल ने आईओसीएल आउटलेट्स से ईंधन की खरीद पर एक्सिस बैंक द्वारा संचालित सह-ब्रांडेड एलआईसी सीएसएल क्रेडिट कार्ड के कार्डधारकों को रिवार्ड पॉइंट देने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के साथ करार किया है।

वर्तमान में एलआईसी सीएसएल अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली (बाहर), दिल्ली (स्थानीय), हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ और पटना में 12 क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत है। 216 शहर बिक्री प्रबंधक, 381 मुख्य कार्ड सेवा सलाहकार और 19442 बिक्री प्रतिनिधि हमारे ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए हैं।

31.03.2022 तक, कुल क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो 3,47,787 से बढ़कर 4,07,957 हो गया है 31.03.2021 की तुलना में। वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने 60,170 क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अर्जित कुल आय ₹ 18.19 करोड़ और कर पूर्व शुद्ध लाभ (अनअंकेक्षित ₹ 3.47 लाख है। कंपनी ने बजटीय आय का 118.35 प्रतिशत हासिल करके सभी मामलों में आय बजट को पार कर लिया है।

च) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

आईडीबीआई बैंक पूर्ण सेवा प्रदान करने वाला एक यूनिवर्सल बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में स्थित है. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) 31 मार्च 2022 तक कुल शेयरधारिता में 49.24% की अधिकांश हिस्सेदारी के साथ बैंक का प्रवर्तक है. भारत सरकार (जीओआई) बैंक का सह-प्रवर्तक है, जिसके पास 31 मार्च 2022 के अनुसार कुल शेयरधारिता में 45.48% हिस्सेदारी है. बैंक में गैर-प्रवर्तक शेयरधारिता 5.28% है.

बैंक अपनी 1,886 शाखाओं (दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी), दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में एक विदेशी शाखा) और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (जीआईएफ़टी), गांधीनगर, गुजरात, भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई (आईबायू) सिहत), 3,403 एटीएम, तथा 58 ई-लाउंज के माध्यम से खुदरा, कृषि, एमएसएमई और कॉरपोरेट्स में फैले ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला को वित्तीय और





निवेश समाधान प्रदान करता है. बैंक के व्यक्ति विशेष और नवोन्मेषी बैंकिंग उत्पादों एवं सेवाओं में बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा, गृह ऋण, ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, वैयक्तिक ऋण, कृषि एवं एमएसएमई ग्राहकों के लिए ऋण उत्पाद, कॉरपोरेट को निधि-आधारित और गैर-निधि आधारित सहायता शामिल हैं. अपने ग्राहकों की सभी वित्तीय जरूरतों के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में अपनी इच्छित स्थिति के अनुरूप, बैंक अपनी पांच सहायक संस्थाओं, अर्थात् (i) आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड (आईसीएमएस) - ब्रोकिंग और वितरण कंपनी; (ii) आईडीबीआई एसएक ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (आईएएमएल) - आईडीबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं का निवेश प्रबंधक; (iii) आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (आईएमटीसीएल) - आईडीबीआई म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी; और (iv) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (आईटीएसएल) - ट्रस्टीशिप और अन्य संबंधित व्यवसाय करने वाली कंपनी और (v) आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड (आईआईएल)- एक आईटी कंपनी, के साथ सहयोग करता है. जीवन बीमा कारोबार करने के लिए बैंक के पास फेडरल बैंक लि. और एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल (एजिस) के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम, अर्थात् एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एजिस फेडरल) (पहले इसे आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) नामक एक संयुक्त उद्यम भी है. इसके अलावा, बैंक ने अपने ग्राहकों के निवेश लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न बीमा कंपनियों और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनिव्रों (एएमसी) के साथ क्रमशः जीवन और सामान्य बीमा उत्पादों और म्यूचुअल फंड की पेशकश करने के लिए समझौता किया है

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आईडीबीआई बैंक के कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें

दिनांक 31 मार्च 2022 को आईडीबीआई बैंक के तुलन पत्र (एकल) का आकार ₹ 3,01,419 करोड़ और कुल कारोबार ₹ 3,78,906 करोड़ था. बैंक की मुख्य वित्तीय विशेषताएँ नीचे दी गई हैं:

| कारोबार विशेषताएँ | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| यथा ३१ मार्च : | यथा 31 मार्च 2022 (₹ करोड़ में) | | | |
| जमाराशियाँ | 2,33,134 | | | |
| - कासा जमाराशियाँ | 1,32,359 | | | |
| - कासा का हिस्सा (%) | 56.77%, | | | |
| अग्रिम | 1,78,207 | | | |
| - कॉरपोरेट | 62,368 | | | |
| - रिटेल | 1,06,839 | | | |
| - कॉरपोरेट : रिटेल (%) | 37:63 | | | |

*इसमें यथा 31 मार्च 2022 को 14 दिन से अधिक का ₹ 9,000 करोड़ का रिजर्व बैंक का मीयादी रिवर्स रेपो शामिल है. #इस अनुपात की गणना यथा 31 मार्च 2022 को 14 दिन से अधिक का ₹ 9,000 करोड़ का रिजर्व बैंक के मीयादी रिवर्स रेपो को घटा कर की गई है.

| लाभ एवं हानि | Ť |
|--------------------------------|---------------|
| | (₹ करोड़ में) |
| अवधि के लिए | 2021-22 |
| कुल आय | 25,295 |
| - ब्याज आय | 20,825 |
| - अन्य आय | 4,470 |
| कुल व्यय (प्रावधानों के अलावा) | 20,183 |
| - ब्याज व्यय | 13,847 |
| - परिचालन व्यय | 6,336 |
| निवल ब्याज आय | 6,978 |
| परिचालनगत लाभ | 5,112 |
| प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय | (17,999) |
| कर पश्चात लाभ/ (हानि) | (12,887) |





| पूंजी 3 | म् प ात | |
|-------------------|----------------|--|
| यथा ३१ मार्च २०२२ | | |
| सीआरएआर | 19.06% | |
| टियर 1 अनुपात | 16.68% | |

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आईडीबीआई-एलआईसी के बीच तालमेल:

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा जनवरी 2019 में बहुसंख्यक हिस्सेदारी हासिल करने और बैंक के प्रमोटर बनने के बाद आईडीबीआई बैंक, बैंकाश्योरेंस चैनल के तहत एलआईसी के कॉरपोरेट एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है. बैंक अपनी शाखाओं, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से एलआईसी के बीमा उत्पादों के वितरण के साथ-साथ प्रीमियम संग्रह की सुविधा प्रदान करता है. वित्त वर्ष 2021-22 में बैंक ने नवीनीकरण प्रीमियम संग्रह के 2.16 लाख लेनदेन संपादित किए और एलआईसी की ओर से 507 करोड़ की बीमा प्रीमियम की राशि जुटाई. एलआईसी के बैंकाश्योरेंस कारोबार में बैंक का सबसे बड़ा योगदान है, जो कि चैनल के कुल कारोबार में 59 फीसदी है. बैंक एलआईसी के विभिन्न कार्यालयों की संग्रह/ भुगतान संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है.

दोनों संस्थाएं भविष्य में बहु-आयामी व्यवसाय विकास प्राप्त करने और सभी संबंधित हितधारकों का मूल्यवर्धन करने के लिए अपने-अपने व्यावसायिक सामर्थ्य का लाभ उठाना जारी रखेंगी.





निदेशक रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण.

भारतीय जीवन बीमा निगम.

भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम/एलआईसीआई/एलआईसी) के 65 वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ—साथ 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए आपके निदेशकों को प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

वित्तीय प्रदर्शन का विवरण:

वित्त वर्ष 2022 के लिए निगम के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वित्त वर्ष 2021-22 | वित्त वर्ष 2020-21 |
|--|--------------------|--------------------|
| नव व्यवसाय प्रीमियम (पुनर्बीमा का कुल) | | |
| प्रथम वर्ष प्रीमियम | 36,615.35 | 33,901.04 |
| एकल वर्ष प्रीमियम | 1,62,282.83 | 1,50,498.69 |
| नवीनीकरण प्रीमियम | 2,28,521.03 | 2,18,444.62 |
| कुल प्रीमियम | 4,27,419.21 | 4,02,844.35 |
| निवेश एवम अन्य आय | 2,93,683.36 | 2,79,360.65 |
| कुल आय | 7,21,102.57 | 6,82,205.00 |
| कर पश्चात लाभ (पीएटी) | 4,043.12 | 2,900.57 |

अन्य प्रमुख मानदंडः

| विवरण | वित्त वर्ष 2021–22 | वित्त वर्ष 2020-21 |
|---|--------------------|--------------------|
| निगम का वार्षिक प्रीमियम समतुल्य (एपीई) (₹ करोड़ में) | 50,390.00 | 42,170.00 |
| प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियाँ | 40,84,600.65 | 36,76,178.77 |
| एम्बेडेड मूल्य (₹ करोड़ में) | 5,41,492.00 | 95,605.00 |
| ऋण शोधन क्षमता मार्जिन | 1.85 | 1.76 |

2. वित्तीय प्रदर्शन की मुख्य झलकियां और निगम के कार्यकलापों की स्थिति:

निगम वित्त वर्ष 2022 में विकास और सतत प्रदर्शन का साक्षी बना। निगम के प्रमुख वित्तीय मानदंड इस प्रकार हैं:

- > कुल प्रीमियम आय वित्त वर्ष 2021 में ₹ 4,02,844.35 करोड़ से 6.10% बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में ₹ 4,27,419.21 करोड़ हो गई है।
- > निवेश से आय एवम अन्य आय वित्त वर्ष 2021 में ₹ 2,79,360.65 करोड़ से 5.13% बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में ₹ 2,93,683.36 करोड़ हो गई है।
- कुल आय वित्त वर्ष 2021 में ₹ 6,82,205.00 करोड़ से 5.70% बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में ₹ 7,21,102.57 करोड़ हो गई है।
- > वित्त वर्ष 2022 के लिए शुद्ध प्रतिधारण अनुपात 99.86% है।
- > वित्त वर्ष 2022 के लिए ऋण शोधन क्षमता अनुपात 1.85 है।
- > वित्त वर्ष 2021 में सकल एनपीए ₹ 35,129.89 करोड़ से 22.89% कम होकर वित्त वर्ष 2022 में ₹ 27,087.11 करोड़ हो गया है। निवल एनपीए वित्त वर्ष 2021 में ₹ 194.92 करोड़ से 9.80% कम होकर वित्त वर्ष 2022 में ₹ 175.81 करोड़ हो गया है।
- > वित्तीय वर्ष 2022 के लिए मूल और द्रवित ईपीएस ₹ 6.39 है।





3. उद्योग और निगम का दृष्टिकोण

रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण हुए भू-राजनीतिक तनाव के साथ-साथ कोविड-19 महामारी विश्व भर के देशों के सामने वास्तविक समय की चुनौतियों को सामने लाई है। 2021 के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि हुई, जो महामारी से संबंधित आपूर्ति और रसद व्यवधानों, वैश्विक कमोडिटी कीमतों में के प्रतिक्षेप और रुकी हुई मांग के पुनर्प्रारंभ को दर्शाती है। इसके अलावा, 2022 की शुरुआत में, गहन भू-राजनीतिक जोखिमों के परिणामस्वरूप, एवं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और इसके स्पिलओवरने वैश्विक दृष्टिकोण को प्रभावित किया, फिच रेटिंग्स ने अपने वैश्विक जीडीपी विकास अनुमान को 2022 में 3.5% और 2023 में विश्व विकास दर को 2.8% किया।

भारत में, पहली महामारी लहर के विपरीत, दूसरी लहर का आर्थिक प्रभाव लॉकडाउन की स्थानीय प्रकृति और महामारी की दूसरी लहर का आर्थिक प्रभाव लॉकडाउन की स्थानीय प्रकृति और महामारी प्रोटोकॉल के बेहतर पालन के कारण निहित था। 202122 के दौरान भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समग्र मांग और संरचनात्मक सुधारों के लिए कैलिब्रेटेड मौद्रिक और राजकोषीय नीति समर्थन ने लोगों के बीच विश्वास बढ़ाने और उपभोग खर्च को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुआ। हालाँकि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण, वैश्विक तेल और कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि, बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटे में वृद्धि का कारण बना। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी अनंतिम अनुमानों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले वर्ष में 6.6 प्रतिशत के संकुचन से 2021–22 में 8.7 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर्ज की है। यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल निधि के कड़े होने और तेल की छंची कीमतों को देखते हुए, उद्योग को उम्मीद है कि आरबीआई एक उदार मौद्रिक नीति को बनाए रखते हुए नीतिगत दरों को बढ़ाएगा। जीवन बीमा उद्योग ने महामारी के बाद की स्थिति के अनुकूल होने में लचीलेपन का प्रदर्शन किया है। जहां 2020 में 4,89,307 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रीमियम संग्रह के साथ जीवन प्रीमियम की मात्रा के मामले में वैश्विक बीमा बाजार में 3.8% की वृद्धि हुई, वहीं भारतीय जीवन बीमा उद्योग ने वर्ष—दर—वर्ष 31.03.2022 तक 3,14,263 रुपये करोड़ के साथ प्रथम वर्ष के प्रीमियम के मामले में 12.93% की वृद्धि देखी। पिछले दो वर्षों में, उद्योग ने अपने ग्राहकों को बेहतर और अधिक व्यक्तिगत डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग में एक आदर्श बदलाव किया है। जहां 2020 में भारतीय जीवन बीमा की पहुंच बढ़कर 3.2% (वैश्विक 3.3%) हो गई है, देश में जीवन बीमा की पैठ बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। भारत सरकार और भारतीय बीमा नियामक दोनों ने लोगों के बीच जीवन बीमा के महत्व के बारे में जागरूकता पैद। करने के लिए इस दिशा में कई कदम उठाए हैं और ग्राहकों को दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की शुरुआत की है।

निगम की रणनीति निम्न लिखित पर केंद्रित है:

31 मार्च 2022 तक कोविड रिजर्व 7,420 करोड रुपये है।

- 1. कोविड-19 के बाद ग्राहक की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं में अत्यधिक परिवर्तन आया है। ग्राहकों को उनकी जरूरतों के लिए उपयुक्त उत्पादों की तुलना करने और चुनने के विकल्प प्रदान करने वाली डिजाइनिंग तकनीक हमारे ग्राहकों के वास्तविक समय के अनुभव में वृद्धि करेगी। इससे अधिक जुड़ाव यानी संलग्नता पैदा होगी और ग्राहक दीर्घाविध तक कायम रहेंगे।
- 2. हर माध्यम में बिक्री क्षमताओं को बढाना और बेहतर बिक्री, सेवा और उत्पाद मिश्रण रणनीतियों के मामले में संगठन की लाभप्रदता को बढाना।
- सतत विकास और प्रमुख बाजार अग्रणी बने रहने के लिए, बिक्री / सेवा दोनों के लिए डेटा एनालिटिक्स आदि के उपयोग का लाभ उठाकर एक ठोस ग्राहक आधार विकसित करना।
- 4. कार्य के सभी परिचालन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ जोखिम प्रबंधन के साथ—साथ साइबर सुरक्षा पर भी बल दिया गया है।

4. कोविड-19:

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिनांक मार्च 11, 2020 को कोविड-19 को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया। भारत सहित दुनिया भर में इसके प्रसार के परिणामस्वरूप वैश्विक और भारत के आर्थिक वातावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। महामारी की शुरुआत के बाद से निगम ने मृत्यु के दावों में वृद्धि का एहसास किया है, जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न होने वाले दावे भी शामिल हैं। तदनुसार, कोविड-19 महामारी के कारण अतिरिक्त मृत्यु तनाव और पॉलिसी देनदारियों और ऋण शोधन क्षमता पर इसके प्रभाव की बारीकी से निगरानी की जाती है और इसके रिजर्व करने पर विचार किया जाता है। सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी निर्णायक रूप से कोविड-19 के कारण अपेक्षित भविष्य की मृत्यु दर में किसी भी दीर्घकालिक परिवर्तन की आवश्यकता का सुझाव नहीं देती है। हालांकि, यह विवेकपूर्ण माना जाता है कि दीर्घकालिक मृत्यु दर धारणाओं को बदलने की आवश्यकता के बिना एक अलग रिजर्व को कोविड-19 रिजर्व के रूप में रखा जाता है। भारतीय जनसंख्या पर भारत सरकार के सांख्यिकीय स्रोतों से उपलब्ध राष्ट्रीय आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, निगम के डेटा और अनुभव पर विधिवत समायोजित और प्रयोजित और विवेक के लिए मार्जिन जोड़ने के पश्चात, कोविड-19 से संबंधित मौतों के लिए एक अलग रिजर्व का अनुमान लगाया गया है और व्यक्तिगत एव समूह बीमा क्षेत्रों के व्यवसायों के तहत प्रदान किया गया है। कोविड-19 रिजर्व पॉलिसी देनदारियों का निर्धारण और प्रावधान करते समय प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाने वाली दीर्घकालिक मृत्यु दर के अतिरिक्त है।





5. लाभांश और आरक्षित निधियां:

निगम के निदेशक मंडल ने वार्षिक सामान्य बैठक में निगम के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 1.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यह 15% के लाभांश भुगतान अनुपात में रूपांतरित हो जाता है।

निगम ने एक 'लाभांश वितरण नीति' तैयार की है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के विनियम 43ए के अनुसार 'लाभांश वितरण नीति' निगम की वेबसाइट पर यह होस्ट की गई है https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Dividend-distribution-policy.pdf.aspx

निगम ने 4,01,726.72 लाख (जीवन व्यवसाय 4,01,433.30 लाख और सीआरएसी व्यवसाय रु. 293.42 लाख) अपने रिजर्व और अधिशेष में जोड़े और 31 मार्च, 2022 तक जमा शेष था 4,01,726.72 लाख (जीवन व्यापार 4,01,433.30 लाख और सीआरएसी व्यवसाय 293.42 लाख)।

6. पूंजी और शेयरधारिता:

निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 25,000 करोड़ रुपये है, जो 10 रुपये के 2,500 करोड़ शेयरों में विभाजित है। वर्ष के दौरान, निगम ने भारत के राष्ट्रपति को 6,324,997,701 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं जिसमें 6,224,997,701 बोनस शेयर शामिल हैं।

31 मार्च, 2022 तक निगम की जारी, सब्सक्राइब्ड और पेड−अप इक्विटी शेयर पूंजी 63,249,977,010 रुपये है, जिसमें प्रत्येक ₹10 के अंकित मूल्य के 6,324,997,701 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

7. पुरस्कार और सम्मान

निगम ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ग्राहक सेवा, दावा सेवा, प्रौद्योगिकी, डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्रों में विभिन्न पुरस्कार और प्रशंसा प्राप्त की है, जिसमें बीमा आदि में सबसे भरोसेमंद ब्रांड के पुरस्कार शामिल हैं। उनमें से कुछ प्रमुख नीचे सूचीबद्ध हैं:

- रीडर्स डाइजेस्ट विश्वसनीय ब्रांड श्रेणी बीमा (जीवन)
- तीन श्रेणियों में बीएफएसआई में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अर्थात् वर्ष की बीमा कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल एडवर्टाइजिंग (विज्ञापन) पुरस्कार और क्लेम सर्विस लीडर (क्लेम सर्विस लीडर)
- दो श्रेणियों में फिक्की बीमा उद्योग पुरस्कार-विशेष जूरी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ बीमा अभियान-जीवन श्रेणी
- विश्व बीएफएसआई कांग्रेस और 5 श्रेणियों में पुरस्कार- इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ द ईयर (वर्ष की बीमा कंपनी), ग्राहक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार, दावा सेवा में उत्कृष्टता, वर्ष की प्रौद्योगिकी पहल 'जीवन साक्ष्य' और वर्ष की संचालन उत्कृष्टता पहल 'आनंदा'
 - इसके अलावा निगम को उनकी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2021 के आधार पर एशिया इंश्योरेंस पोस्ट द्वारा वैश्विक बीमा ब्रांड 2021 में तीसरे सबसे मजबूत ब्रांड और 10वें सबसे मुल्यवान ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई थी।

उत्पादः

एलआईसी उत्पादों की एक विस्तृत विविधता प्रदान करता है, जो समाज के विभिन्न ग्राहक वर्गों की जरूरतों को पूरा करता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निगम ने चार व्यक्तिगत उत्पादों जैसे एलआईसी सरल जीवन बीमा, एलआईसी सरल पेंशन, एलआईसी आरोग्य रक्षक, एलआईसी धन रेखा और एक समृह उत्पाद अर्थात एलआईसी ग्रुप एश्योरेंस योजना सहित पांच नए उत्पाद पेश किए।

इसके अलावा, निगम ने आठ उत्पादों के संशोधित संस्करण भी पेश किए जिनमें छह व्यक्तिगत उत्पाद एलआईसी की बीमा ज्योति, एलआईसी की जीवन अक्षय VII, एलआईसी न्यू जीवन शांति, एलआईसी सरल पेंशन, एलआईसी भाग्य लक्ष्मी, एलआईसी न्यू जीवन मंगल और दो समूह उत्पाद अर्थात, एलआईसी नया एक साल का रिन्यूएबल ग्रुप टर्म एश्योरेंस प्लान - I और एलआईसी का नया एक साल का रिन्यूएबल ग्रुप टर्म एश्योरेंस प्लान - II शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2021—22 के अंत तक, निगम के पास 33 व्यक्तिगत उत्पाद, 16 समूह उत्पाद और 7 व्यक्तिगत हितलाभ बिक्री के लिए उपलब्ध थे।





9. ग्राहक संबंध प्रबंधन:

(क) पॉलिसी सर्विसिंग

पॉलिसी की सर्विसिंग जीवन बीमा मूल्य श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, विशेषकर लंबी अवधि के अनुबंध की प्रकृति के कारण। एलआईसी ने हमारी 'एनीवेयर सर्विस' पहल के हिस्से के रूप में अधिकतर सेवाओं को यथासंभव ग्राहक के करीब पहुंचाया है।

ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए निगम के शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी हैं। मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करने और शिकायतों को कम करने के लिए आईटी सक्षम समर्थन प्रणाली का संचालन किया जाता है। ग्राहक शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु, निगम ने अपनी वेबसाइट www.licindia.in पर उपलब्ध 'एलआईसी की ई-सेवाओं' के माध्यम से ग्राहक अनुकूल ऑनलाइन प्रणाली - 'एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली' (आईसीएमएस) स्थापित की है, जहां एक पंजीकृत पॉलिसीधारक सीधे शिकायत दर्ज कर सकता है और अपनी स्थिति को ट्रैक कर सकता है। ग्राहक किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ई—मेल आईडी co_complaints@licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

इसके साथ-साथ एलआईसी का एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर भी है जिसके माध्यम से सभी ग्राहक 24X7 किसी भी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क कर सकते हैं। यह अंग्रेजी और हिंदी के अलावा आठ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की सुविधाओं से युक्त है।

(ख) दावा संबंधित प्रदर्शन

दावों का निपटान:

वर्ष के दौरान, निगम ने 2,38,681.36 करोड़ रुपये (सूक्ष्म बीमा और पेंशन और समूह योजनाओं सहित) के 272.19 लाख दावों का निपटारा किया और 100% दावों का भुगतान एनईएफटी द्वारा किया गया। विगत तीन वर्षों के दावों के निपटान के संबंध में आंकड़े निम्नलिखित हैं:

| | निप | टाए गए परिपक्वता | दावे | ि | नेपटाए गए मृत्यु दा | वे |
|---------|---------------------|------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| वर्ष | संख्या (लाख में) | राशि (₹ करोड़) | भुगतान किया गया प्रतिशत (संख्या में) | संख्या (लाख में) | राशि (₹ करोड़) | भुगतान किया गया प्रतिशत (संख्या में) |
| 2019-20 | 206.66 | 1,42,350.76 | 87.66 | 9.32 | 17,419.57 | 95.44 |
| 2020-21 | 222.76 | 1,61,031.20 | 89.83 | 11.47 | 24,195.01 | 98.27 |
| 2021-22 | 256.47 | 2,02,083.84 | 91.09 | 15.72 | 36,597.52 | 98.50 |

वार्षिकी भुगतान

एलआईसी के पास व्यक्तिगत पेंशन नीतियों और समूह योजनाओं से वार्षिकी प्राप्त करने वाले 60 लाख से अधिक वार्षिकी हैं। वार्षिकी भुगतान संबंधी सेवाओं के लिए भारत भर में ग्यारह केंद्रों पर व्यक्तिगत पेंशन योजना (आईपीपी) प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं और वार्षिकी भुगतान एनईएफटी/ईसीएस के माध्यम से वार्षिकीदारों के बैंक खाते में सीधे किए जाते हैं।

दावा विवाद निवारण समिति

निगम हर साल बड़ी संख्या में मृत्यु दावों का निपटारा करता है और भौतिक जानकारी को छुपाने से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में दावा खारिज कर दिया जाता है। दावेदार को क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय स्तर पर गठित दावा विवाद निवारण समितियों के समक्ष विचार के लिए एक प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाता है।

10. सूचना प्रौद्योगिकी

प्रौद्योगिकी आज के युग में प्रमुख अवकलन है। बीमा क्षेत्र में तकनीकी नवीनीकरण ने एलआईसी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में अथाह दक्षता हासिल की है। निगम का सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर विकास (आईटी एसडी) वर्टिकल नई पहलों को आत्मसात करने, डिजिटल क्षमताओं को उन्नत करने और एलआईसी की प्रक्रियाओं को स्वचालित करने की दिशा में कार्यरत है। एलआईसी के ऑनलाइन पोर्टल, ग्राहकों और एजेंटों के लिए मोबाइल एप्लिकेशन को सेवा अनुरोध सबिमशन और डिजिटल लेनदेन के संदर्भ में ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा के लिए असंख्य सुविधाओं के साथ उन्नत किया गया है। निगम द्वारा हाल ही में कई प्रमुख पहलें की गई हैं जैसे ई-गवर्नेंस पोर्टल का कार्यान्वयन, दिन-प्रतिदिन के कामकाज का डिजिटलीकरण, मुख्य व्यवसाय

निगम द्वारा हाल ही में कई प्रमुख पहले की गई है जैसे ई-गवर्नेंस पोर्टल का कार्यान्वयन, दिन-प्रतिदिन के कामकाज का डिजिटलीकरण, मुख्य व्यवसाय समाधान के लिए अत्याधुनिक हार्डवेयर, नई पॉलिसी खरीद से लेकर पॉलिसी अविध के दौरान विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने तक ऑनलाइन सेवाओं की श्रृंखला, निर्णय लेने के लिए समय पर डेटा विश्लेषण आदि। निगम ने हमारे ग्राहकों, बिचौलियों और पर्यवेक्षी अधिकारियों के लिए ग्राहकों की बोर्डिंग, एजेंटों के प्रदर्शन की निगरानी, लाइन प्रबंधकों के लिए प्रदर्शन समीक्षा, एजेंटों के लिए पूर्व-भर्ती ऐप, वार्षिक आय प्राप्त करने के लिए जीवन प्रभाग पत्र कृत्रिम बुद्धिमता पॉवरड संचालित ऐप के द्वारा जमा करना। इनके अलावा, निगम हमारे ग्राहकों के लाभ के लिए उमंग, डिजिलॉकर आदि जैसे बाहरी प्लेटफार्मों के साथ सहज एकीकरण को भी सक्षम कर सकता है।





निगम आंतरिक उपयोगकर्ताओं, बिचौलियों से लेकर संभावित ग्राहकों तक विभिन्न हितधारकों के सहयोग करने के लिए कई अतिरिक्त पहल की योजना भी बना रहा है। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी निगम के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में कार्य करेगी जिसके परिणामस्वरूप दक्षता, सुरक्षा और पारदर्शिता आएगी जिससे डिजिटल इंडिया मिशन को प्राप्त किया जा सकेगा।

11. सततावृत्ति

प्रीमियम व्यवसाय 2020-21 के लिए 79% के मुकाबले 2021-22 में 76% है और 2020-21 के लिए 59% के मुकाबले 2021-22 के लिए 61 वें महीने की सततावृत्ति 61% है।

2020-21 क़े लिये 67% सततावृत्ति के मुकाबले 2021-22 हेतु पॉलिसियों की संख्या के हिसाब से व्यक्तिगत नियमित प्रीमियम व्यवसाय की 2020-21, 13 वें महीने की सततावृत्ति 63% है। और 2020-21 के लिए 48% के मुकाबले 2021-22 के लिए 61 वें महीने की निरंतरता 50% है।

12. मानव संसाधनः

31 मार्च, 2022 तक, निगम में कुल 1,04,036 कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें 24,094 महिला कर्मचारी (यह कुल कर्मचारियों का 23% से अधिक का गठन करता है) शामिल हैं । विवरण इस प्रकार हैं:

| | पुरुष | महिला | कुल |
|---------------|--------|--------|----------|
| प्रथम श्रेणी | 23,883 | 7,191 | 31,074 |
| द्वतीय श्रेणी | 19,369 | 1,191 | 20,560 |
| तृतीय श्रेणी | 35,256 | 15,318 | 50,574 |
| चतुर्थ श्रेणी | 1,434 | 394 | 1,828 |
| कुल | 79,942 | 24,094 | 1,04,036 |

13. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन की रोकथाम:

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अनुसार निगम ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम किया है। निगम में हर स्तर पर महिला अधिकारियों/ कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निगम में समितियां केंद्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और मंडल कार्यालय स्तर पर प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

31 मार्च, 2022 तक मामलों का सारांश इस प्रकार है:

| विगत वित्तीय वर्ष के अंत में | वर्ष के दौरान प्राप्त मामलों | कुल मामले | वर्ष के दौरान निपटाए गए | 31.03.2022 तक लंबित |
|------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| लंबित मामलों की संख्या | की संख्या | | मामले | मामलों की संख्या |
| 03 | 06 | 09 | 05 | 04 |

14. उद्यम जोखिम प्रबंधन:

निगम के अनुभव में आए जोखिमों के महेनज़र और परिभाषित जिम्मेदारियों और पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के साथ अपने व्यवसाय को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने तथा व्यवस्थित तरीके से व्यवसाय करने के लिए एलआईसी के पास मजबूत उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचा है। बोर्ड ने जोखिम प्रबंधन से संबंधित जिम्मेदारी बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को सौंप दी है। ईआरएम ढांचे में जोखिमों की पहचान, आकलन, शमन और निगरानी के लिए मजबूत और कुशल तंत्र है। आरएमसीबी तिमाही आधार पर पूरे संगठन में निष्पादित उद्यम जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा करता है। प्रमुख जोखिम प्रबंधन उपकरण जोखिम प्रवृत्ति विवरण, जोखिम रिजस्टर, घटना प्रबंधन ढांचा और परिचालन हानि डेटाबेस, शीर्ष जोखिम और प्रमुख जोखिम संकेतक हैं। ऊधम जोखिम प्रबंधन ढांचे के तहत वर्तमान समन रणनीति में कवर किये गये जोखिम हैं: बाजार जोखिम, तरलता जोखिम, ऋण जोखिम, बीमा जोखिम, परिचालन जोखिम।

15. निरीक्षण:

निरीक्षण की कवायद प्रणालीगत खामियों के खिलाफ एक प्रथम उपाय है। महामारी के बावजूद 2021-22 के दौरान केंद्रीय कार्यालय सिहत निगम की सभी इकाइयों का भौतिक निरीक्षण किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ हमारे सिस्टम और प्रक्रियाओं में सुधार के अभ्यास को ध्यान में रखते हुए, व्यापार निरंतरता योजना के एक भाग के रूप में वित्त वर्ष 2021-22 में दूरस्थ निरीक्षण पैकेज विकसित किया गया था। आवश्यक प्रणालीगत सुधार के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर लगातार प्रमुख अनियमितताओं की एक सूची साझा की गई थी।





16. आंतरिक लेखा परीक्षा और अनुपालन ढांचाः

निगम के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों की देखरेख केंद्रीय कार्यालय (सीओ) में आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षा करने वाले बारह लेखापरीक्षा केंद्र हैं। केंद्रीय कार्यालय लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा केंद्रों के संचालन की निगरानी के अलावा, केंद्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों की लेखापरीक्षा की व्यवस्था करता है।

कार्यालय के प्रत्येक स्तर अर्थात शाखा, मंडल, क्षेत्र और केंद्रीय कार्यालय के संबंध में इस उद्देश्य के लिए विकसित विभाग—वार प्रश्नावली के आधार पर सभी इकाइयों में लेखा परीक्षा की जाती है

लेखापरीक्षित इकाइयां लेखापरीक्षा विभाग के विचारार्थ अपने नियंत्रण कार्यालय के माध्यम से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए प्रश्नों का अनुपालन प्रस्तुत करती हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रकाशन की पूरी प्रक्रिया, उठाए गए प्रश्नों के अनुपालन की पोस्टिंग और उसे बंद करने की पूरी प्रक्रिया ऑडिट पोर्टल के माध्यम से की जाती है।

नियंत्रण प्रणाली की विफलता, नियामक मामले आदि जैसी गंभीर प्रकृति की किसी भी अनियमितता को विशेष रिपोर्ट के माध्यम से केंद्रीय कार्यालय के विभाग प्रमुख के संज्ञान में लाया जाता है।

साथ ही, सतर्कता की दृष्टि से वित्तीय अनियमितता या संदिग्ध धोखाधड़ी के मामलों को तत्काल सूचना सतर्कता विभाग को दी जाती है।

इसके अलावा, हमारे धोखाधड़ी निगरानी ढांचे के अनुसार केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी समिति के माध्यम से एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की धोखाधड़ी की सूचना जोखिम प्रबंधन समिति को दी जाती है।

प्रत्येक लेखापरीक्षित इकाई की हर साल आवधिकता, कार्यदिवस आवंटन, नमूनाकरण और रिपोर्टिंग को ध्यान में रखते हुए लेखा परीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई विचलन या कमजोरियों को विशेष रिपोर्ट और समय—समय पर चर्चा के माध्यम से संबंधित सीओ एचओडी के ध्यान में लाया जाता है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का सारांश वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है।

17. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणः

वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, निगम की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं और (2) उचित आश्वासन प्रदान करता है कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और यह कि निगम की प्राप्तियां और व्यय केवल निगम के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं और (3) जो निगम की परिसंपत्तियों के अनिधकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करता है, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

18. संबंधित पार्टी लेनदेन

एलआईसी ऑफ इंडिया ने एलआईसी इंटरनेशनल बीएससी (सी), एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड, एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड, एलआईसी (लंका) लिमिटेड, एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड और केनइंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को ई—लाइफ पैकेज (सॉफ्टवेयर) प्रदान किया है, जिसमें एलआईसीआई की पूंजी में हिस्सेदारी क्रमशः 99.66%, 83.33%, 55%, 80%, 100% और 10.21% है। एलआईसीआई के पास संबंधित अनुबंधों/ करारों में उल्लिखित तकनीकी शुल्क (वार्षिक रखरखाव शुल्क) के प्रतिफल के बदले ई—लाइफ पैकेज के संबंध में रखरखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए इन संस्थाओं के साथ अनुबंध हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण किए गए लेनदेन को लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

एलआईसी अधिनियम 1956 में संशोधन 30 जून, 2021 से लागू हुए और सूचीबद्ध विनियमों के प्रावधान 31 मार्च, 2022 तक निगम पर लागू नहीं थे। हालांकि, एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (सी) के साथ सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 23, संबंधित पार्टी लेनदेन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू है और निम्न वेबसाइट पर इसे प्रकट किया गया है https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Revised-RPT-Policy-01062022.pdf.aspx

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 423 पर उपलब्ध है।

19. कार्यान्वयन के रूप में IND AS

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिए गए प्रारंभिक रोडमैप के अनुसार, बीमा कंपनियों को अप्रैल 2018 से इंड एएस (INDAS)को लागू करना आवश्यक था। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने इंड एएस के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (आईएएसबी) ने आईएफआरएस 17 में संशोधन करने के लिए विचार किया था। आईएएसबी ने आईएफआरएस 17 में संशोधन किया है और इसे 1 जनवरी 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अविध से प्रभावी किया है। आईएफआरएस 17 के अनुरूप इंड एएस





117 (बीमा अनुबंध) में संशोधन का एक्सपोजर ड्राफ्ट 24 दिसंबर, 2020 को आईसीएआई के लेखा मानक बोर्ड (एएसबी) द्वारा जारी किया गया था। अंतिम रूप देने पर, इंड एएस 117 को एमसीए द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

इंड-एएस के कार्यान्वयन के लिए नए लेखा मानकों की आवश्यकताओं का पता लगाने और मूल्यांकन करने के लिए संबंधित विभागों में कोर टीमों का गठन किया जाता है। आईएफआरएस 17 (इंड एएस 117) के तहत आवश्यक बीमांकिक गणना करने में सक्षम एक अभिन्न बीमांकिक सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रॉफेट मार्च 2021 में खरीदा गया था। सभी उत्पादों को 31 मार्च, 2022 तक मूल्यांकन के लिए आवश्यक प्रॉफेट सॉफ्टवेयर सिस्टम में एकीकृत किया गया है।

निगम इन मानकों के कार्यान्वयन पर आईआरडीएआई और अन्य पेशेवर निकायों के दिशानिर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा है। इन दिशानिर्देशों के लागू होने के बाद प्रणाली और प्रक्रियाओं में उचित बदलाव किए जाएंगे।

20. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार, निगम के बोर्ड में पंद्रह (15) निदेशक शामिल हैं, जिनमें से एक (1) गैर—कार्यकारी निदेशक, नौ (9) स्वतंत्र निदेशक और पांच (5) कार्यकारी निदेशक जिनमें पूर्णकालिक अध्यक्ष और चार प्रबंध निदेशक को मिलाकर 05 कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। 'निदेशक नीति' को निगम की निम्न वेबसाइट पर होस्ट किया गया है https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy.pdf.aspx

क) बोर्ड गठन में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ बोर्ड की संरचना में परिवर्तन, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं।

ख) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और परिवर्तन, यदि कोई हो आईआरडीएआई द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुसार, निगम के निम्नलिखित वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारी 31 मार्च, 2022 तक केएमपी के पदों पर थे:

| अनुक्रमांक | केएमपी का नाम | पद |
|------------|---------------------|--|
| 1 | श्री डी.पी. मोहंती | कार्यकारी निदेशक (लेखा परीक्षा) और मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक |
| 2 | श्री तबलेश पांडेय | कार्यकारी निदेशक (निवेश जोखिम प्रबंधन) और मुख्य जोखिम अधिकारी |
| 3 | श्री ए.के. आनंद | कार्यकारी निदेशक (निवेश संचालन) और मुख्य निवेश अधिकारी |
| 4 | श्री पी. मुरलीधरनी | कार्यकारी निदेशक (विपणन / पीडी) और मुख्य विपणन अधिकारी |
| 5 | श्रीमती एस.एस. सोमण | कार्यकारी निदेशक (वित्त एव् लेखा) और मुख्य वित्त अधिकारी |
| 6 | श्री डी.पी. पटनायक | प्रमुख (प्रभारी) (निगम शासन/जीजेएफ/रजिस्टर्ड कंपनी) और मुख्य अनुपालन अधिकारी |
| 7 | श्री दिनेश पंत | नियुक्त बीमांकक और प्रमुख (प्रभारी) (बीमांकिक) |
| 8 | श्री पवन अग्रवाल | कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी |

बोर्ड और उसकी समितियों का निष्पादन मूल्यांकनः

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 19बी के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति एलआईसी अधिनियम की धारा 4(2), (एफ) और (जी) के तहत नियुक्त निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगी। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन पूरे बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक गैर—स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष और निदेशक मंडल के समग्र प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। चूंकि, अधिकांश स्वतंत्र निदेशकों को केवल 29 जनवरी, 2022 को बोर्ड में नियुक्त किया गया था और उन्होंने वित्त वर्ष 2021—22 में केवल दो महीने और 2 दिनों का कार्यकाल पूरा किया है, वित्त वर्ष 2021—22 के लिए स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्र निदेशकों और अन्य निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन संभव नहीं था।

'फिट और उचित' मानदंड:

निगम के सभी निदेशकों ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित निदेशक नीति के तहत निर्धारित प्रारूप पर 'फिट और उचित' मानदंड के अनुपालन की पुष्टि की है।

निदेशक और अधिकारी देयता बीमा:

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम 2015 के विनियम 25 (10), के अनुसार कंपनियों को अपने सभी स्वतंत्र निदेशकों के लिए निदेशक और अधिकारी देयता बीमा (डी एंड ओ) लेने की आवश्यकता है, निगम ने अपने सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन दल के सदस्यों के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित मात्रा और जोखिमों के लिए डी एंड ओ बीमा लिया है।





उत्तराधिकार योजनाः

उत्तराधिकार योजना पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति केएमपी, वरिष्ठ प्रबंधन और निगम के अन्य प्रमुख अधिकारियों के उत्तराधिकार योजना से संबंधित मामलों की देखरेख करती है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड में ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की भी सिफारिश करती है।

बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकें, विभिन्न समितियों की उपस्थिति और गठनः

वर्ष के दौरान हुई बोर्ड की बैठकों और बोर्ड की समितियों का विवरण, वहां निदेशकों की उपस्थिति और बोर्ड की विभिन्न समितियों का गठन, जोकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का हिस्सा है, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

पारिश्रमिक नीति:

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 19 सी के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड ने बोर्ड की नामांकन और परिश्रमिक समिति द्वारा अनुशंसित परिश्रमिक नीति को मंजूरी दी है। नीति को निगम की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy.pdf.aspx

इसके अलावा, कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट के तहत पूर्णकालिक निदेशकों सहित निदेशकों को पारिश्रमिक के बारे में विवरण प्रदान किया गया है, और इस रिपोर्ट का हिस्सा है, संलग्न है।

सचिवीय मानक:

भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, निगम निदेशक मंडल (एसएस–1) की बैठकों और सामान्य बैठकों (एसएस–2) पर भारतीय कंपनी सचिवों के संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों का पालन करने के लिए बाध्य है।

21. निगम शासनः

निगम अपने हितधारकों को सफलता में भागीदार मानता है, और हितधारकों को मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। निगम का मानना है कि हित धारकों के विश्वास को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए एक सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रशासन तंत्र महत्वपूर्ण है। यह निगम प्रशासन की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप अपने मामलों का प्रबंधन करते हुए, पूरे संगठन में कठोरता और परिश्रम से समग्र दायित्वों के पालन हेतु प्रतिबद्ध है।

निगम अपने सभी हितधारकों के साथ पिरचालन पारदर्शिता, सूचना साझाकरण, जवाबदेही और निरंतर संवाद सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए विभिन्न कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं का पालन करते हुए अपने व्यवसाय का संचालन करता है। निगम के पास मानक संचालन प्रक्रियाएं या नियमावली हैं जो प्रत्येक कार्य के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं का पालन करती हैं। निगम में कई बोर्ड की उप—समितियां हैं जो निगम के कॉर्पोरेट प्रशासन की अनदेखी करती हैं और ब्रांड इिक्वटी को बढ़ाती हैं, शेयरधारकों के हिस्से को मजबूत करती हैं और संगठन के भीतर एक स्वस्थ कार्य वातावरण कायम रखती हैं। निगम शासन प्रतिवेदन इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

22. स्वर्ण जयंती फाउंडेशनः

एलआईसी स्वर्ण जयंती फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2006 में एलआईसी की सामुदायिक सेवा पहल के एक भाग के रूप में की गई थी। फाउंडेशन के उद्देश्य गरीबी या संकट से राहत, शिक्षा की उन्नति, चिकित्सा राहत और सामान्य सार्वजिनक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति हैं। 31.03.2022 तक जीवन बीमा निगम ने 'एल.आई.सी. गोल्डन ज्युबली फाउंडशन ट्रस्ट को 260 करोड़ रुपये के कॉर्पस की आपुर्ति की और अर्जित ब्याज को फाउंडेशन द्वारा विभिन्न परोपकारी प्रयोजनों के लिए दान किया गया। स्थापना के बाद से, फाउंडेशन ने देश भर में स्थित गैर सरकारी संगठनों का सहयोग किया है और 127.00 करोड़ रुपये की 646 परियोजनाओं के माध्यम से उपरोक्त उद्देश्यों के लिए समर्पित किये हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान फाउंडेशन ने 57 परियोजनाओं के लिए 18.31 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। फाउंडेशन ने उपरोक्त क्षेत्रों में प्रदान की गई ढांचागत सहायता के माध्यम से समाज के कई वंचित वर्गों तक पहुंच बनाई है। एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरिशप योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 20,000/ — रुपये प्रति वर्ष और विशेष बालिकाओं को 10+2 शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष 10,000/ — रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करती है। 2021—22 के दौरान 7.60 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई। स्थापना के बाद से, एलआईसी जीजेएफ ने 22,586 छात्रों को 49 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की है।

23. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27A के तहत निवेश का विवरण:

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27A के प्रावधानों के अनुसार, 31 मार्च, 2022 तक के निवेश का उल्लेख तालिका संख्या 6 में किया गया है और वर्ष 2021-2022 के लिए बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र में निवेश का उल्लेख तालिका संख्या 7 में वार्षिक रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 153-154 पर किया गया है।





24. अनुषंगी, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियां:

परिचालन:

| अनुक्रमांक | कंपनी का नाम | संक्षिप्त विवरण |
|------------|--|---|
| 1 | एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड | एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड, (एलआईसी सीएसएल) एलआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। |
| | | 31 मार्च 2022 तक, कुल क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो बढ़कर 4,07,957 हो गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.30% की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल आय 18.19 करोड़ रुपये है जबकि कर पश्चात शुद्ध लाभ 2.60 करोड़ रुपये है। |
| | | एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड एलआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, और एनपीएस की सरकारी पैटर्न योजनाओं जैसे केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना, एनपीएस लाइट योजना, कॉर्पोरेट सीजी और अटल पेंशन योजना के प्रबंधन के लिए पेंशन फंड प्रायोजक के रूप में नियुक्त तीन कंपनियों में से एक है। इसके अलावा, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड निजी क्षेत्र के पेंशन फंड के तहत 8 योजनाओं का प्रबंधन करता है। |
| | | 31 मार्च 2022 तक, प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति (एयूएम) बढ़कर 2,09,386.28 करोड़ रुपये हो गई, जो 28.15% की वृद्धि और 28.43% की बाजार हिस्सेदारी को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी ने 46.32 करोड़ रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ दर्ज किया है। |
| 3 | एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड | एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड एलआईसी का एक सहयोगी है, जिसे एलआईसी ऑफ इंडिया —49%, एलआईसी एचएफएल —35.3% और जीआईसी एचएफएल —15.7% द्वारा संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया गया है। एलआईसी एमएफ ट्रस्टी ने वित्त वर्ष 2021—22 के लिए 4.63 लाख रुपये का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है। |
| 4 | एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड | कंपनी एलआईसी के साथ एक सहयोगी है जिसमें 45% की हिस्सेदारी है; एलआईसी एचएफएल — 39.30% जीआईसी एचएफएल— 11.70% और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया —4%। |
| | | 31 मार्च 2022 तक, एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड में 5,49,971 निवेशक हैं और 31 मार्च 2022 तक एयूएम 18,682 करोड़ रुपये है। कंपनी ने 1.83 करोड़ रुपये के कर पश्चात लाभ की सूचना दी। |
| 5 | एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। | एलआईसी एचएफएल एक सहयोगी कंपनी है, जिसमें एलआईसी की वर्तमान में 45.24% हिस्सेदारी है। |
| | | 31 मार्च 2022 तक, कंपनी की ऋण पुस्तिका 8.24% की वृद्धि दिखाते हुए 2,51,120 करोड़ रुपये थी। पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.95% था जिसमें से टीयर I पूंजी 15.63% थी। एलआईसी एचएफएल ने 2287.28 करोड़ रुपये के कर पश्चात लाभ की सूचना दी। |
| 6 | एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | एलआईसी एचएफएल एएमसी लिमिटेड एलआईसी का एक सहयोगी है, जो संयुक्त रूप से एलआईसी के पास 5.38% हिस्सेदारी के साथ और एलआईसी एचएफएल के पास 94.62% है। |
| | | कंपनी वर्तमान में तीन फंडों का प्रबंधन करती है (i) एलआईसीएचएफएल अर्बन डेवलपमेंट फंड (ii) एलआईसीएचएफएल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (iii) एलआईसीएचएफएल रियल एस्टेट डेट अपॉर्चुनिटीज फंड— II वित्त वर्ष 2021—22 के दौरान एलआईसी एचएफएल एएमसी का कर पश्चात लाभ 6.59 करोड़ रुपये रहा। |
| 7 | आईडीबीआई बैंक | आईडीबीआई बैंक एक सहयोगी कंपनी है और अग्रणी बैंकएश्योरेंस भागीदार भी है. 31 मार्च 2022 तक, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का अग्रिम 1,45,772 करोड़ रुपये था और कुल जमा 2,33,134 करोड़ रुपये था। बैंक ने पिछले वर्ष के 1359 करोड़ रुपये की तुलना में 2439 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ दर्ज किया, जो 79% की वृद्धि दर्शाता है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात 19.06% था जिसमें से टियर। पूंजी 16.68% थी। |
| 8 | आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (आईटीएसएल) | आईटीएसएल एलआईसी का एक सहयोगी है, जिसे आईडीबीआई बैंक लिमिटेड— 54.70%, एलआईसी— 29.84%, जीआईसी—14.92% और अन्य 0.54% द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित किया गया है। यह एक सेबी पंजीकृत मध्यस्थ है जो ज्यादातर कॉरपोरेट्स की ट्रस्टीशिप सेवाओं में लगा हुआ है। कंपनी ने मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान 51.66 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ कमाया, जबिक मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 40.09 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। |

विदेशी परिचालनः

एलआईसी ऑफ इंडिया की अपनी शाखाओं, सहायक कंपनियों और इक्विटी भागीदारी के माध्यम से विदेशी उपस्थिति है जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

शाखाएँ:

(1) लंदन (यूके); (2) सुवा (फिजी); और (3) पोर्ट लुइस (मॉरीशस)।





विदेशी सहायक कंपनियां:

- (1) एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी (सी), बहरीन,
- (2) एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड,
- (3) एलआईसी (लंका) लिमिटेड और
- (4) एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड।

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी: एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड

इक्विटी भागीदारी के माध्यम से उपस्थिति:

- (1) केनइंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- (2) सऊदी इंडियन कंपनी फॉर कॉ-ओपरेटिव इंशोरेंस।

अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगियों का संक्षिप्त विवरण वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 27 एवं 49 पर दिया गया है। सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड ने भारत के भीतर और भारत के बाहर सहायक कंपनियों की भौतिकता का निर्धारण करने के लिए नीति को मंजूरी दी है। नीतिया निगम की निम्न वेबसाइट पर उपलब्ध है

| | https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Policies-determining-Material-Subsidiaries-in-India.pdf.aspx | |
|--------------|--|--|
| भारत के बाहर | https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Policy-on-Material-Subsidiaries-outside-India.pdf.aspx | |

25. समेकित वित्तीय विवरणः

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24बी और सेबी सूचीकरण विनियमों के अनुसार, निगम के समेकित वित्तीय विवरण जिसमें सहायक कंपनियां शामिल हैं, जैसे एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड, एलआईसी सिंगापुर पीटीई लिमिटेड, एलआईसी (इंटरनेशनल) बी.एस.सी. (सी) बहरीन, एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड, एलआईसी (लंका) लिमिटेड और एलआईसी बांग्लादेश लिमिटेड को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया गया है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

26. ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के दायित्व:

नियामक आवश्यकताओं के अनुसार, निगम ने वित्त वर्ष 2022 के लिए अपने ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों को पूरा किया है। 20% की न्यूनतम आवश्यकता के मुकाबले, निगम ने ग्रामीण क्षेत्र में 20.73% पॉलिसियां जारी की हैं जो जीवन बीमा समावेशन के प्रति निगम के दृष्टिकोण की पुष्टि करती हैं। इसके अलावा, निगम द्वारा कवर किए गए 60,45,424 नए जीवन (पूर्ववर्ती वर्ष में कवर किए गए कुल नए जीवन का 11.51%) वंचित सामाजिक क्षेत्र से हैं, जबिक पिछले वर्ष में कवर किए गए कुल जीवन के कम से कम 5% की नियामक आवश्यकता है। नतीजतन, निगम ने आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम सामाजिक और ग्रामीण नियामक मानदंडों को पूरा किया है।

27. प्रबंधन रिपोर्ट:

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण विनियम 2002 (वित्तीय विवरण तैयार करना और बीमा कंपनियों के लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) के विनियम 3 के प्रावधानों के अनुसार, प्रबंधन रिपोर्ट अलग से रखी जाती है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

28. सांविधिक लेखा परीक्षक:

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए निगम के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है, जैसा कि लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड द्वारा अनुशंसित है। सांविधिक लेखापरीक्षकों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 304 पर संलग्न है। वित्तीय वर्ष 2022 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई सांविधिक लेखा परीक्षा और अन्य शुल्क निम्नानुसार है:

| विवरण | राशि (₹ करोड़ में) |
|-------------------------------------|--------------------|
| संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क | 2.34 |
| अन्य प्रमाणन शुल्क | 0.09 |

29. सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट:

सदस्यों को सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (उसके अनुबंध सिहत) में कोई योग्यता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है, इसलिए एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24सी(1)(एफ) के तहत किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किसी धोखाधड़ी की पहचान नहीं की गई थी।





30. सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की धारा 24ए के अनुसरण में, निगम ने मेसर्स एस एन अनंतसुब्रमण्यम एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, मुंबई को कॉरपोरेशन का सेक्रेटेरियल ऑडिटर नियुक्त किया है। ऑडिटर ने वित्त वर्ष 2022 के लिए अपनी रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण नहीं किया है। वित्त वर्ष 2022 के लिए निगम के सचिवीय लेखा परीक्षा पर विस्तृत रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

31. अनुपालन अधिकारी से प्रमाण पत्र (आईआरडीएआई निगम शासन दिशानिर्देशों, 2016 के तहत):

कार्यकारी निदेशक (निगम शासन/नियामक अनुपालन/जीजेएफ) द्वारा जारी आईआर डीएआई कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र, जिसे आईआरडीएआई कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के तहत मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, संलग्न है और यह इस रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में निगम संचालन (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) का हिस्सा है।

32. निगम की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं, परिवर्तन और प्रतिबद्धताः

निगम की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं, जो वित्तीय वर्ष के अंत से हुई हैं, जिससे तुलन—पत्र (बैलेंस शीट) से संबंधित इस रिपोर्ट की तारीख संबंधित है।

33. नियामकों या न्यायालयों या ट्रिब्यूनलों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और अहम आदेश, जो निगम की चिंता की स्थिति और संचालन को प्रभावित कर रहे हैं:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया था, जो भविष्य में निगम की स्थिति एवं संचालन को प्रभावित करता हो । निम्न्लिखत आदेशों को छोड़कर जो वित्तिय वर्ष 2021-22 के दौरान एल आई सी के खिलाफ निर्धारण अधिकारी आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किये गये है जिनके लिये एल आई सी ने अपील दायर की है:

| क्रमांक | आदेश की तिथि | द्वारा आदेश पारित | आकलन वर्ष (AY) | कर प्रभाव (₹ करोड़ में) | को दायर की गई अपील |
|---------|--------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 27.03.2022 | आयकर आयुक्त (अपील) | 2012-13 | 3,460.47 | आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण |
| 2 | 12.03.2022 | आयकर आयुक्त (अपील) | 2018-19 | 1,858.97 | आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण |
| 3 | 10.03.2022 | आयकर आयुक्त (अपील) | 2019-20 | 1,755.34 | आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण |
| | | | कुल | 7,074.78 | |

34 निदेशक का उत्तरदायित्व विवरण:

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24सी (2) और निगम संचालन (कॉरपोरेट गवर्नेंस) दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके निदेशक इसकी पुष्टि करते हैं;

- (क) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, महत्वपूर्ण परिवर्तन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है:
- (ख) उन्होंने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं तािक 31 मार्च, 2022 तक निगम के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निगम का लाभ के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके ;
- (ग) उन्होंने निगम की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के हेतु एलआईसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;
- (घ) उन्होंने चालू वित्त वर्ष के लिए 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले खातों को चालू सभुत्तथान (गोइंग कंसर्न) के आधार पर तैयार किया है;
- (च) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(1)(एच) के तहत संदर्भित सतर्कता प्रशासन केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधीक्षण के तहत निगम में कार्यरत है और इसके अलावा उन्होंने निगम द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे है; तथा
- (छ) उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।





35. निवेशक संबंध:

निगम ने हमेशा अपने ग्राहक संबंधों को महत्व दिया है और हमारा प्रयास है कि सभी हितधारकों को इसकी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो तािक वे अपनी भविष्य की क्षमता का सही आकलन कर सकें। निगम नियमित रूप से अपने कार्यों और पहलों के बारे में जानकारी का प्रसार करता है। निगम की वेबसाइट (www.licindia.in) अपने सभी हितधारकों के लिए एक प्रमुख जागरूकता सुविधा के रूप में कार्य करती है, जिससे वे अपनी सुविधानुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह निगम की रणनीित, वित्तीय प्रदर्शन, परिचालन प्रदर्शन और नवीनतम प्रेस विज्ञाप्तियों पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है।

निगम तिमाही आधार पर वित्तीय परिणाम प्रकाशित करता है। निगम के वित्तीय परिणाम वर्तमान के साथ—साथ पिछले वर्षों के लिए निगम की वेबसाइट पर तैयार और पोस्ट किए जाते हैं।

36. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट और व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्ट:

सेबी लिस्टिंग विनियम, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (एमडी एंड ए) रिपोर्ट और व्यापार उत्तरदायित्व और संवहनीयता (स्थिरता) रिपोर्ट (बीआरएसआर) के विनियमन 34 के अनुसार अलग—अलग अनुभागों में प्रस्तुत किए जाते हैं और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुपालन में, निगम के कॉरपोरेट गवर्नेंस ढांचे पर वार्षिक रिपोर्ट, लागू विनियमों (आईआरडीएआई द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशा—निर्देशों सहित) के तहत प्रमाणन के साथ के रूप में संलग्न है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

37. आईआरडीएआई लाइसेंस:

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआर डीएआई) ने वित्त वर्ष 2022 के लिए जीवन बीमा व्यवसाय जारी रखने के लिए निगम के वार्षिक लाइसेंस का नवीनीकरण किया है।

38. सतर्कता तंत्र / विहसल ब्लोअर नीतिः

निगम व्यावसायिकता, ईमानदारी और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मामलों का संचालन करने में आस्था रखता है और एक ऐसी संस्कृति विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां सभी हितधारकों के लिए किसी भी खराब या अस्वीकार्य प्रथा और कदाचार की किसी भी घटना के बारे में चिंता व्यक्त करना सुरक्षित हो।

एलआईसी अधिनियम, 1956, आईआरडीएआई कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश, 2016 और सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 22 के प्रावधानों के अनुसार, निगम द्वारा निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता तंत्र स्थापित करना आवश्यक है जहाँ निदेशकों, कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रामाणिक समस्या पर रिपोर्ट किए जाने पर उसे पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध हो।निगम की धोखाधड़ी की रोकथाम, पता लगाने और जांच और विहसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए एक नीति है (विहसलब्लोअर नीति), जो अपने कर्मचारियों और विभिन्न हितधारकों को किसी भी प्रकार के प्रतिशोध, भेदभाव, उत्पीड़न या उत्पीड़न के डर के बिना नैतिक मानदंडों, कानूनी या नियामक प्रावधानों, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी आदि से समझौता/उल्लंघन से संबंधित किसी भी मुद्दे को अपने संज्ञान में लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। विहसल ब्लोअर की प्राप्त शिकायतों/चिंताओं का विवरण, यदि कोई हो, और उसके बाद की गई कार्रवाई और विहसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समय—समय पर बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है।

विहसल ब्लोअर नीति निगम की निम्न वेबसाइट पर दी गई https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Whilstblower-policy.pdf.aspx

39. आभार:

निदेशक भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और भारत सरकार (GOI) के उनके निरंतर सहयोग, समर्थन और सलाह के लिए आभारी हैं। निदेशक इस अवसर पर मूल्यवान पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों के प्रति उनके विश्वास और संरक्षण के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहेंगे।

निदेशक, लेखापरीक्षकों और सांविधिक प्राधिकारियों से समय—समय पर प्राप्त सलाह, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए भी अपना आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक सभी कर्मचारियों, एजेंटों, कॉर्पोरेट एजेंटों और दलालों, वितरकों, पुनर्बीमाकर्ताओं, बैंकरों और रजिस्ट्रारों के प्रति अपनी गहरी सराहना व्यक्त करते हैं, जो उत्कृष्ट व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन सदैव जारी रखते हैं जिसके फलस्वरूप संगठन अपने व्यवसाय संचालन में सदैव बाजार अग्रणी की भूमिका में रहता है। निदेशक भी सभी हितधारकों को उनके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(एम आर कुमार) पूर्णकालिक अध्यक्ष (एम पी विजय कुमार) स्वतंत्र निदेशक





कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

1. निगमित शासन पर निगम के सिद्धांत

भारतीय जीवन बीमा निगम ("भारतीय जीवन बीमा निगम" या "निगम") को सुशासन प्रथा, नैतिकता, निष्पक्षता में दृढ़ विश्वास है, और यह पारदर्शी तरीके से निगम के मामलों का नैतिक और कुशल संचालन करता है, विश्वास और आत्मविश्वास का निर्माण करता है और अपने हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करने में मदद करता है।

निगम एलआईसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों सिहत अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार शासन और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन करता है। निगम के पास, अन्य बातों के साथ-साथ, निगमित शासन के कार्यान्वयन के लिए एक सुपरिभाषित नीतिगत ढांचा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- बोर्ड के सदस्यों और विश्व प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता
- एलआईसी की उचित प्रकटीकरण संहिता, वैध उद्देश्यों के निर्धारण के लिए नीति, अनिधकृत व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता और इनसाइंडर ट्रेंडिंग और यूपीएसआई पर नीति
- उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति
- व्हिसल ब्लोअर नीति
- पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण पर नीति।
- संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति (महत्वपूर्ण आरपीटी शामिल है)
- महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति
- दस्तावेजों के संरक्षण के लिए नीति
- विरष्ठ प्रबंधन किमयों के लिए नीति महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और वित्तीय लेनदेन का प्रकटीकरण
- निदेशकों की योग्यता, नामांकन, नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और बोर्ड विविधता नीति के लिए नीति।
- महत्वपूर्णता के निर्धारण और घटनाओं/सूचनाओं के प्रकटीकरण के लिए नीति

2. निदेशक मंडल

क) निदेशक मंडल की संरचना

हमारे निगम के बोर्ड का गठन जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। निगम के बोर्ड में कार्यकारी (पूर्णकालिक) निदेशक, गैर-कार्यकारी सरकारी नामित निदेशक और गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

बोर्ड में नियुक्त निदेशकों का कार्यकाल निम्नानुसार है:

- क) केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति पांच साल की अवधि के लिए की जाती है, और ये पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं।
- ख) सरकार द्वारा नामित निदेशक को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।
- ग) स्वतंत्र निदेशकों को चार साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और वे चार साल की एक और अवधि के लिए पात्र होंगे। यद्यपि, पहले तीन स्वतंत्र निदेशकों को छह महीने से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाता है और वे चार साल के एक और कार्यकाल के लिए नियुक्ति के पात्र होते हैं।

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अनुसार, हमारे निगम के निदेशकों की कुल संख्या 18 निदेशकों (अधिकतम चार प्रबंधकों सिहत) से अधिक नहीं होनी चाहिए। 31 मार्च, 2022 तक, बोर्ड में 15 निदेशक शामिल हैं, जिनमें (i) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष; (ii) एक सरकारी नामित निदेशक; (iii) चार प्रबंध निदेशक; (iv) नौ स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष शामिल हैं। बोर्ड में दो महिला निदेशक भी शामिल हैं, जिनमें एक महिला स्वतंत्र निदेशक भी शामिल है। 31 मार्च, 2022 को बोर्ड की संरचना निम्न प्रकार है:





| अनुक्रमांक | निदेशकों के नाम | श्रेणी | पदनाम | नियुक्ति की तारीख़ | 31 मार्च, 2022 को कार्यकाल (वर्षों में) |
|------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 1 | श्री एम. आर. कुमार | पूर्णकालिक निदेशक | अध्यक्ष | 14.03.2019 | 3 |
| 2 | श्री पंकज जैन | गैर – कार्यकारी निदेशक | सरकार नामित निदेशक | 21.10.2020 | 1.44 |
| 3 | श्री राज कुमार | पूर्णकालिक निदेशक | प्रबंध निदेशक | 01.11.2019 | 2.41 |
| 4 | श्री सिद्धार्थ मोहंती | पूर्णकालिक निदेशक | प्रबंध निदेशक | 02.02.2021 | 1.16 |
| 5 | श्रीमती आईप मिनी | पूर्णकालिक निदेशक | प्रबंध निदेशक | 02.08.2021 | 0.66 |
| 6 | श्री बी सी पटनायक | पूर्णकालिक निदेशक | प्रबंध निदेशक | 01.10.2021 | 0.50 |
| 7 | डॉ. रंजन शर्मा | गैर — कार्यकारी निदेशक | स्वतंत्र निदेशक | 29.10.2021 | 0.42 |
| 8 | श्री विनोद कुमार वर्मा | गैर – कार्यकारी निदेशक | स्वतंत्र निदेशक | 29.10.2021 | 0.42 |
| 9 | प्रो. अनिल कुमार | गैर — कार्यकारी निदेशक | स्वतंत्र निदेशक | 20.01.2022 | 0.19 |
| 10 | श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल | गैर — कार्यकारी निदेशक | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 | 0.17 |
| 11 | श्री गुरुमूर्ति महालिंगम | गैर — कार्यकारी निदेशक | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 | 0.17 |
| 12 | श्री राज कमल | गैर – कार्यकारी निदेशक | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 | 0.17 |
| 13 | श्री वी.एस. पार्थसारथी | गैर – कार्यकारी निदेशक | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 | 0.17 |
| 14 | श्री एम. पी. विजय कुमार | गैर — कार्यकारी निदेशक | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 | 0.17 |
| 15 | श्री संजीव नौटियाल | गैर — कार्यकारी निदेशक | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 | 0.17 |

ख) निगम के वर्तमान निदेशक *

| निदेशकों का नाम | योग्यता | निदेशक पद की स्थिति |
|--|--|---------------------|
| श्री एम. आर. कुमार | बी.एससी | अध्यक्ष |
| श्री सुचीन्द्र मिश्र, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफ़एस) वित्त मंत्रालय | बी. एससी (ऑनर्स) पीजीडीएम | सरकार नामित निदेशक |
| श्री राज कुमार | बी.एससी | प्रबंध निदेशक |
| श्री सिद्धार्थ मोहंती | एमए, एलएलबी, पीजीसीबीएम, लाइसंसियेट | प्रबंध निदेशक |
| श्रीमती आईप मिनी | एम कॉम | प्रबंध निदेशक |
| श्री बी सी पटनायक | एमए (राजनीति विज्ञान), एफआईआईआई | प्रबंध निदेशक |
| डॉ. रंजन शर्मा | एमए, पीएचडी | स्वतंत्र निदेशक |
| श्री विनोद कुमार वर्मा | बीए | स्वतंत्र निदेशक |
| प्रो. अनिल कुमार | बी. कॉम (एच), एम कॉम, पीएचडी | स्वतंत्र निदेशक |
| श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल | एमए | स्वतंत्र निदेशक |
| श्री गुरुमूर्ति महालिंगम | एमएससी (स्टेट), एमबीए | स्वतंत्र निदेशक |
| श्री राज कमल | बी. टेक (मेक इंजीनियरिंग), प्रबंधन में पीजीपी | स्वतंत्र निदेशक |
| श्री वी.एस. पार्थसारथी | सीए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एएमपी के पूर्व छात्र | स्वतंत्र निदेशक |
| श्री एम. पी. विजय कुमार | बी. कॉम, एफसीए, एफसीएमए और एफसीएस | स्वतंत्र निदेशक |
| श्री संजीव नौटियाल | बीए, एमबीए | स्वतंत्र निदेशक |

^{*} वर्तमान स्थिति १२ अगस्त २०२२ को





ग) बोर्ड बैठकें

वित्तीय वर्ष 2021—2022 के दौरान बोर्ड की तेरह (13) बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें मुंबई में हुई थीं. बैठक के एजेंडा पेपर और अन्य सहायक दस्तावेज निदेशकों को अग्निम रूप से परिचालित किए जाते हैं। तथापि, आकस्मिक प्रस्तावों को अध्यक्ष के अनुमोदन और अन्य निदेशकों की सहमति से बोर्ड की बैठक में रखा जाता है। निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी बैठकों में भाग लेने का विकल्प प्रदान किया जाता है। बोर्ड की बैठकों में निर्णय लेने की सुविधा के लिए कार्यसूची मदों के कार्यकारी सारांश प्रदान किए जा रहे हैं। बोर्ड निगम के तिमाही प्रदर्शन और वित्तीय परिणामों, नीतियों और अन्य संबंधित मामलों की समीक्षा करता है। बोर्ड नियमित अंतराल पर अपनी सहायक कंपनियों/ सहयोगी कंपनियों के प्रदर्शन की समीक्षा भी करता है। बोर्ड को विभिन्न लागू नियमों, विनियमों और सभी लागू कानूनों के तहत निर्धारित प्रासंगिक जानकारी प्रदान की गई थी। हरित पहल का समर्थन करने के लिए, कागज रहित बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिसमें कार्यसूची के कागजात और अन्य सहायक दस्तावेज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाते हैं, निदेशकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से आई—पैड पर सुरक्षित तरीके से इनका उपयोग किया जा सकता है। बैठक के तुरंत बाद बोर्ड के कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं और निदेशकों को उनकी अभ्युक्तियों, यदि कोई हो, के लिए उपलब्ध कराया जाता है। अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद, कार्यवृत्त को कार्यान्वयन के लिए संबंधित विभागों को परिचालित किया जाता है। की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है।

वर्ष 2021-2022 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

| | | • | |
|------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| अनुक्रमांक | तारीख | बोर्ड सदस्यों की संख्या | उपस्थित निदेशकों की संख्या |
| 1 | 10.06.2021 | 9 | 8 |
| 2 | 29.06.2021 | 9 | 8 |
| 3 | 26.07.2021 | 7 | 7 |
| 4 | 24.08.2021 | 7 | 7 |
| 5 | 17.09.2021 | 6 | 6 |
| 6 | 29.10.2021 | 6 | 6 |
| 7 | 08.01.2022 | 8 | 8 |
| 8 | 20.01.2022 | 8 | 8 |
| 9 | 29.01.2022 | 9 | 9 |
| 10 | 11.02.2022 | 15 | 15 |
| 11 | 11.02.2022 | 15 | 15 |
| 12 | 13.02.2022 | 15 | 15 |
| 13 | 25.02.2022 | 15 | 15 |





घ) बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है:

| निदेशक का नाम | निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में भाग लेने वाली बोर्ड की बैठकों की संख्या | अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति एक निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी है | 31 मार्च, 2022 तक अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकत्व और निदेशक पद की श्रेणी | 31 मार्च, 2022 तक अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता (केवल एसीबी और एसआरसी में) | 31 मार्च, 2022 तक अन्य कंपनियों में समितियों के अध्यक्ष |
|---|--|--|--|---|--|
| पूर्णकालिक निदेशक | | | | | |
| श्री एम आर कुमार (डीआईएन-03628755) | 13/13 | एसीसी लिमिटेड- गैर-कार्यकारी निदेशक आईडीबीआई बैंक लिमिटेड— गैर—कार्यकारी गैर—पूर्णकालिक अध्यक्ष एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड— नामित निदेशक और अध्यक्ष | 3 | - | - |
| श्री विपिन आनंद (डीआईएन – 05190124) (31 जुलाई, 2021 तक) | 3/3 | - | - | - | - |
| श्री मुकेश कुमार गुप्ता (डीआईएन — 06638754) (30 सितम्बर, 2021 तक) | 5/5 | - | - | - | - |
| श्री राज कुमार (डीआईएन 06627311) | 12/13 | एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड— गैर—कार्यकारी निदेशक ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड— गैर—कार्यकारी निदेशक | 2 | - | - |
| श्री सिद्धार्थ मोहंती (डीआईएन – 08058830) | 13/13 | - | - | - | - |
| श्रीमती आईप मिनी (डीआईएन –07791184) | 10/10 | डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड— नामित निदेशक | 1 | - | - |
| श्री बी सी पटनायक (डीआईएन — 08384583) | 8/8 | - | - | - | - |
| गैर-कार्यकारी निदेशक (सरकारी नामि | त) | | | | |
| श्री राजीव रंजन (डीआईएन – एनए) (29 जून, 2021 तक) | 2/2 | - | - | - | - |
| श्री पंकज जैन (डीआईएन — 00675922) | 13/13 | पेट्रोनेट एलएनजी— अध्यक्ष (गैर—कार्यकारी) पंजाब नेशनल बैंक — सरकारी निदेशक | 2 | 1 | - |
| गैर–कार्यकारी निदेशक (भारत सरकार | द्वारा नामित निदेशक) | • | | | |
| श्रीमती पद्मजा चुंडुरू (डीआईएन — 08058663) (31 अगस्त, 2021 तक) | 3/4 | - | - | - | - |
| पदेन सदस्य | | | | | |
| श्री देवेश श्रीवास्तव (डीआईएन – 0008646006) (29 जून, 2021 तक) | 2/2 | जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड — गैर—कार्यकारी — गैर स्वतंत्र निदेशक, प्रमोटर से संबंधित अध्यक्ष भारतीय साधारण बीमा निगम — कार्यकारी निदेशक, अध्यक्ष, सीईओ—एमडी | 2 | 2 | - |
| गैर–कार्यकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशव | क) | | | | |
| डॉ रंजन शर्मा (डीआईएन -0009573799) | 7/7 | - | - | - | - |



| निदेशक का नाम | निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में भाग लेने वाली बोर्ड की बैठकों की संख्या | अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति एक निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी है | 31 मार्च, 2022 तक अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकत्व और निदेशक पद की श्रेणी | 31 मार्च, 2022 तक अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता (केवल एसीबी और एसआरसी में) | 31 मार्च, 2022 तक अन्य कंपनियों में समितियों के अध्यक्ष |
|--|--|--|--|---|--|
| श्री विनोद कुमार वर्मा (डीआईएन-09309031) | 7/7 | - | - | - | - |
| प्रो. अनिल कुमार (डीआईएन — 09477565) | 5/5 | - | - | - | - |
| श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल (डीआईएन -5264033) | 4/4 | जीलेट इंडिया लिमिटेड — गैर—कार्यकारी— स्वतंत्र निदेशक | 1 | 1 | - |
| श्री गुरुमूर्ति महालिंगम (डीआईएन -09660723) | 4/4 | - | - | - | - |
| श्री राज कमल (डीआईएन — 07653591) | 4/4 | - | - | - | - |
| श्री वी.एस. पार्थसारथी (डीआईएन – 00125299) | 4/4 | ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड— गैर–कार्यकारी – गैर स्वतंत्र निदेशक | 1 | 2 | 1 |
| श्री एम पी विजय कुमार (डीआईएन — 05170323) | 4/4 | हेरिटेज फूड्स लिमिटेड – गैर-कार्यकारी – स्वतंत्र निदेशक थेजो इंजीनियरिंग लिमिटेड गैर-कार्यकारी – स्वतंत्र निदेशक जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड – गैर-कार्यकारी – स्वतंत्र निदेशक | 3 | 3 | 1 |
| श्री संजीव नौटियाल (डीआईएन — 8075972) | 4/4 | - | - | - | - |

ध्यान दें:

- 1. वर्ष 2021–2022 के दौरान कोई वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की आवश्यकता नहीं थी।
- 2. निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पद, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों, प्राइवेट लिमिटेड और विदेशी कंपनियों में निदेशक शामिल हैं, लेकिन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनिया शामिल नहीं हैं। समिति की सदस्यता केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति के लिए है।





ङ) वित्तीय वर्ष 2021–2022 के दौरान निदेशकों द्वारा भाग लिए गए बोर्ड की बैठकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

| | | | | | | | बैठकें | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| निदेशक का नाम | 10.06.2021 | 29.06.2021 | 26.07.2021 | 24.08.2021 | 17.09.2021 | 29.10.2021 | 08.01.2022 | 20.01.2022 | 29.01.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 13.02.2022 | 25.02.2022 |
| श्री एम आर कुमार | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| श्री राजीव रंजन* | ~ | > | | | | | | | | | | | |
| श्री पंकज जैन | > | > | * | ~ | * | ~ | > | ~ | ~ | * | ~ | ~ | > |
| श्रीमती पद्मजा चुंडुरू *** | ~ | × | ~ | ~ | | | | | | | | | |
| श्री विपिन आनंद** | ~ | ~ | ~ | | | | | | | | | | |
| श्री मुकेश कुमार गुप्ता% | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | | | | | |
| श्री राज कुमार | × | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| श्री देवेश श्रीवास्तव* | ~ | ~ | | | | | | | | | | | |
| श्री सिद्धार्थ महंति | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| श्रीमती आईप मिनी | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| श्री बी सी पटनायक | | | | | | ~ | > | ~ | ~ | > | ~ | ~ | > |
| डॉ. रंजन शर्मा | | | | | | | > | ~ | ~ | > | ~ | ~ | > |
| श्री विनोद कुमार वर्मा | | | | | | | > | ~ | ~ | > | ~ | ~ | > |
| प्रो. अनिल कुमार | | | | | | | | | > | > | ~ | ~ | > |
| श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल | | | | | | | | | | > | ~ | ~ | > |
| श्री गुरुमूर्ति महालिंगम | | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | | |
| श्री राज कमल | | | | | | | | | | ~ | ~ | ~ | ~ |
| श्री वी.एस. पार्थसारथी | | | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | |
| श्री एम. पी. विजय कुमार | | | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | |
| श्री संजीव नौटियाल | | | | | | | | | | > | ~ | ~ | > |

^{*29.06.2021} तक सदस्यता

- ** 31.07.2021 को सेवानिवृत्त <u>ह</u>ए
- ***31.08.2021 तक सदस्यता

% 30.09.2021 को सेवानिवृत्त हुए

च) बोर्ड के विचारार्थ विषय

- क) वार्षिक परिचालन योजनाएँ, बजट और कोई भी अद्यतन।
- ख) कैपिटल बजट और कोई अद्यतन।
- ग) निगम और उसके परिचालन प्रभागों या व्यावसायिक क्षेत्रों के तिमाही परिणाम।
- घ) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
- ङ) मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या हटाने सहित निदेशक मंडल के स्तर के ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक की जानकारी।
- च) कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस और दंड नोटिस दिखाएं, जो भौतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- छ) घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई भी भौतिक अपशिष्ट या प्रदूषण की समस्या।
- ज) निगम को और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई महत्वपूर्ण चूक या सूचीबद्ध इकाई द्वारा बेचे गए माल के लिए पर्याप्त भुगतान न करना।
- झ) कोई भी मुद्दा, जिसमें महत्वपूर्ण प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता दावे शामिल हैं, जिसमें कोई भी ऐसा निर्णय या आदेश भी आता है, जिसके तहत निगम के आचरण पर सख्ती लागू हो सकती हो या किसी अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण ले सकता हो जिसके कारण निगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता हो





- ञ) किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग समझौते का विवरण।
- ट) लेन-देन जिसमें सद्भावना, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा के लिए पर्याप्त भुगतान शामिल है।
- त) महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/ औद्योगिक संबंध के विषय पर कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि।
- ड) निवेश, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों की बिक्री जिनकी प्रकृति भौतिक है और जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं।
- ढ़) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का त्रैमासिक विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर आंदोलन के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम, यदि विषय—वस्तु है।
- ण) किसी भी नियामक, वैधानिक या सूचीबद्ध आवश्यकताओं और शेयरधारकों की सेवा जैसे लाभांश का भुगतान न करना, शेयर हस्तांतरण में देरी आदि का गैर—अनुपालन।

छ) अन्य कंपनियों में निदेशक पद

- निगम का कोई भी निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक नहीं है।
- निगम का कोई भी निदेशक यदि वह निगम में पूर्णकालिक निदेशक (किसी भी वैकल्पिक निर्देशकत्व सहित) के रूप में कार्यरत है, सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों या तीन इक्विटी सूचीबद्ध कंपनियों में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करता है।
- इसके अलावा, निगम के बोर्ड में कोई भी निदेशक, किसी भी भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जिसमें कि वह निदेशक है, दस से अधिक समितियों का सदस्य या पांच से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है।
- बोर्ड समितियों की सीमा के निर्धारण के उद्देश्य से, लेखा परीक्षा समिति और हितधारकों की संबंध समिति की अध्यक्षता या सदस्यता पर विचार किया गया है।
- निगम के निदेशकों का आपस में कोई संबंध नहीं है।

ज) आचार संहिता

बोर्ड के सदस्यों और निगम के विरष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता बोर्ड द्वारा रखी गई है, जिसे सभी संबंधितों को पिरचालित किया जाता है और निगम की वेबसाइट पर भी होस्ट किया जाता है। निगम के निदेशकों और विरष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि की है और उनके द्वारा ऐसी किसी भी भौतिक, वित्तीय या वाणिज्यिक लेनदेन की सूचना नहीं दी गई थी, जिसका निगम के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है।

झ) सत्यनिष्ठा समझौताः

एल आई सी ने संविदा देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 05.09.2015 से सत्यनिष्ठा समझौता अपनाया है। माल की खरीद के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नियमावली और परामर्शी सेवाओं (कंसल्टेंसी सर्विसेज) की नियमावली के अनुसार, प्रारंभिक मूल्य ऐसा होना चाहिए जो इसके खरीद व्यय के थोक हिस्से (मूल्य के अनुसार 80— 90%) को कवर करे। सत्यनिष्ठा समझौता अब निविदा दस्तावेजों का हिस्सा बन गया है और केवल उन विक्रेताओं / बोलीदाताओं को बोली प्रक्रिया में विचार किया जाएगा जो सत्यनिष्ठा समझौते का पालन कर रहे हैं। वर्तमान में, सभी निविदाओं में सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दो स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) को नामित किया गया है। 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य की निविदाओं के लिए केंद्रीय कार्यालय के सभी विभागों (इंजीनियरिंग विभाग को छोड़कर) के लिए सत्यनिष्ठा समझौता लागू हो जाता है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर इंजीनियरिंग विभाग के लिए निविदा मूल्य 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक होना चाहिए। क्षेत्रीय और प्रादेशिक कार्यालयों के लिए, सभी विभागों (इंजीनियरिंग विभाग को छोड़कर) के लिए 10 लाख रुपये और उससे अधिक मूल्य की निविदाएं सत्यनिष्ठा समझौते के दायरे में आएंगी। वर्ष के दौरान, आईईएम की 4 बैठकें आयोजित की गईं। उपरोक्त प्रारंभिक मूल्य के आधार पर, वर्ष 2021—2022 के दौरान 124 निविदाएं सत्यनिष्ठा समझौते के दायरे में आई, जिसके खिलाफ 1 शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसे आईईएम को संदर्भित किया गया था और विचार—विमर्श किया गया था। मार्च 2022 तक कोई शिकायत लंबित नहीं है।

ञ) निगम में गैर-कार्यकारी निदेशकों की शेयरधारिताः शून्य

ट) स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम:

स्वतंत्र निदेशकों को निगम में उनकी भूमिकाओं, अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ—साथ प्रवेशन (इंडक्शन) कार्यक्रमों के माध्यम से और समय—समय पर वित्त, बीमांकिक मूल्यांकन, निगमित शासन, विपणन, ग्राहक संबंध प्रबंधन आदि पर प्रस्तुतियों के माध्यम से उद्योग की प्रकृति से परिचित कराया गया है।





ठ) निदेशक मंडल की विशेषज्ञता/कौशल/निपुणता/क्षमता का क्षेत्रः

बोर्ड में योग्य सदस्य शामिल हैं जिनके पास निगम के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता है जो इस प्रकार हैं:

| अनुक्रमांक | निदेशकों के नाम | योग्यता | विशिष | टीकरण | का क्षेत्र/ | कौशल/व | गर्यक्षेत्र/ | क्षमता |
|------------|---------------------------|--|-------|-------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | शासन | विपणन | व्यवसाय प्रबंधन | लेखा और वित | बीमा | जोखिम प्रबंधन |
| 1 | श्री एम.आर. कुमार | बीएससी | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 2 | श्री पंकज जैन | बीकॉम, एमबीए, एआईसी.डब्ल्यूए | ~ | > | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 3 | श्री राज कुमार | बीएससी | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 4 | श्री सिद्धार्थ मोहंती | एमए, एलएलबी, पीजीसीबीएम, लाइसंसियेट | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 5 | श्रीमती आईप मिनी | एम कॉम | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 6 | श्री बी सी पटनायक | एमए (राजनीति विज्ञान), एफआईआईआई | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 7 | डॉ. रंजन शर्मा | एमए, पीएचडी | ~ | - | ~ | > | > | ~ |
| 8 | श्री विनोद कुमार वर्मा | बीए | ~ | > | ~ | - | > | - |
| 9 | प्रो. अनिल कुमार | बी कॉम (एच), एम कॉम, पीएचडी। | ~ | > | ~ | > | > | ~ |
| 10 | श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल | एमए | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 11 | श्री गुरुमूर्ति महालिंगम | एमएससी (स्टेट), एमबीए | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 12 | श्री राज कमल | बी. टेक (मेक इंजीनियरिंग), प्रबंधन में पीजीपी | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 13 | श्री वी.एस. पार्थसारथी | सीए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एएमपी के पूर्व छात्र | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 14 | श्री एम. पी. विजय कुमार | बी कॉम, एफसीए, एफसीएमए और एफसीएस | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 15 | श्री संजीव नौटियाल | बीए, एमबीए | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |

ड) स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणाः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के साथ पिठत एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (3) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों ने पुष्टि की है कि वे ऐसी किसी भी पिरिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं हैं जो मौजूद है या यथोचित रूप से प्रत्याशित हो सकती है जोकि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की उनकी क्षमता को ख़राब करती है या प्रभावित करती हैं। उन्होंने यह भी पुष्टि की है कि वे स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं और योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता के संबंध में नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों को भी पूरा करते हैं। बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक निर्धारित अनिवार्य शर्तों को पूरा करते हैं एवं प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।

3. बोर्ड की समितियां

निगम में 13 बोर्ड स्तर की समितियां हैं, अर्थात; कार्यकारी समिति, निवेश समिति, लेखा परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, पॉलिसीधारक संरक्षण समिति, लाभ समिति के साथ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारकों की निदेशक समिति का चुनाव, आईटी रणनीति समिति, भवन सलाहकार समिति, इरादतन चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टरों) पर समीक्षा समिति, हितधारकों की संबंध समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और आईपीओ समिति (केवल आईपीओ से संबंधित कार्यों के लिए)।

क. कार्यकारी समिति

कार्यकारी समिति का गठन एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 19(1) के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

i. 31 मार्च, 2022 तक कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थेः

| क्रमांक | नाम | श्रेणी | पदनाम |
|---------|-----------------------|---------|--------------------|
| 1. | श्री एम.आर. कुमार | अध्यक्ष | अध्यक्ष |
| 2. | श्री पंकज जैन | सदस्य | सरकार नामित निदेशक |
| 3. | श्री राज कुमार | सदस्य | प्रबंध निदेशक |
| 4. | श्री सिद्धार्थ मोहंती | सदस्य | प्रबंध निदेशक |



| क्रमांक | नाम | श्रेणी | पदनाम |
|---------|---------------------------|--------|-----------------|
| 5. | श्रीमती आईप मिनी | सदस्य | प्रबंध निदेशक |
| 6. | श्री बी सी पटनायक | सदस्य | प्रबंध निदेशक |
| 7. | डॉ. रंजन शर्मा | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |
| 8. | श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |
| 9. | श्री गुरुमूर्ति महालिंगम | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |
| 10. | श्री वी.एस. पार्थसारथी | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |

- ii. कार्यकारी समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:
 - 1. क्षेत्रीय प्रबंधक और उससे ऊपर के संवर्गों और समकक्ष संवर्गों में अधिकारियों की नियुक्ति करना।
 - 2. नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में, भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 में निर्दिष्ट कार्यों को निष्पादित करना।
 - 3. भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 के नियम 39(1) के तहत अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में क्षेत्रीय प्रबंधक और उससे ऊपर और समकक्ष संवर्ग के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना और दंड लगाना
 - 4. भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 के तहत उप क्षेत्रीय प्रबंधक/वरिष्ठ मंडल प्रबंधक/मंडल प्रबंधक और समकक्ष संवर्ग के अधिकारियों से प्राप्त अपीलों पर विचार करना
 - 5. भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 के किसी भी प्रावधान में ढील देना।
 - 6. सक्षम प्राधिकारी के रूप में, भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 में निर्दिष्ट कार्यों को निष्पादित करना।
 - भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 के नियम 48(1) के अनुसार, उस नियम के तहत कोई भी अंतिम आदेश पारित करने से पहले कार्यकारी समिति से परामर्श किया जाएगा।
 - 8. निगम के व्यवसाय के उद्देश्य के लिए किसी भी आश्वासन की नीतियों और किसी भी कार्य या अन्य उपकरणों और किसी भी लेनदेन को अनुदान, जारी करने और दर्ज करने के लिए अधिकृत करना।
 - 9. किसी बीमा या वार्षिकी के समर्पण को स्वीकार करने और किसी बीमा या वार्षिकी को खरीदने या भुनाने के लिए और किसी भी बीमा की जब्ती को माफ करने के लिए अधिकृत करना।
 - 10. निगम द्वारा किए गए जोखिमों को आश्वस्त करने या अन्य बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए जोखिमों को साझा करने की व्यवस्था।
 - 11. निवेश समिति की सलाह से, निगम की किसी अचल या चल संपत्ति, अधिकार या विशेषाधिकार की प्रतिभूति पर गिरवी पर उधार देने की स्वीकृति देना या निगम के लिए खरीदना या अन्यथा अर्जित करना।
 - 12. सभी प्रकार की चल वस्तुओं की खरीद या अन्यथा अधिग्रहण को मंजूरी देना; संपत्ति और चीजें और निगम के कारोबार के दौरान बेचने, निपटाने या अन्यथा उनके साथ सौदा करने के लिए मंजूरी देना;
 - 13. बजट में शामिल करने के प्रस्ताव और बजट का निगम के मामलों पर वित्तीय नियंत्रण रखना और यह सुनिश्चित करना कि किया गया व्यय बोर्ड द्वारा स्वीकृत बजट से अधिक न हो।
 - 14. दिवाला एवं शोधन अक्षमता से संबंधित सभी मामले;
 - 15. योगदान को मंजूरी देना और धर्मार्थ, परोपकारी, धार्मिक, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय या अन्य संस्थानों या विषयों की सदस्यता लेना, जैसा उचित समझा जाए।
 - 16. निगम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को निगम के अटॉर्नी या अटॉनीयों के रूप में नियुक्त करना,
 - 17. बातचीत और अनुबंधों को अधिकृत करना और निगम के नाम पर और सभी कार्यों, डीड्स और चीजों को निष्पादित करना
 - 18. विभिन्न विदेशी परिचालनों को अधिकृत करना।
 - 19. बैंक खातों के संचालन को अधिकृत करना
 - 20. बोर्ड द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य को करना।





वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित कार्यकारी समिति की ग्यारह बैठकों में उपस्थिति नीचे दी गई है:

| निदेशक का नाम | निदेशक पद की प्रकृति | समिति/बोर्ड में पदनाम | 05.04.2021 | 17.05.2021 | 22.06.2021 | 26.07.2021 | 24.08.2021 | 30.09.2021 | 29.10.2021 | 24.12.2021 | 29.01.2022 | 25.02.2022 | 28.03.2022 |
|---|------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| श्री एम आर कुमार | अध्यक्ष | अध्यक्ष | ~ | ~ | > | > | ~ | > | > | × | > | > | ~ |
| श्री पंकज जैन [†] | सरकार नामित निदेशक | सदस्य | | | | > | > | > | > | > | > | × | ~ |
| श्रीमती पद्मजा चुंडुरू *** | गैर - कार्यकारी निदेशक | सदस्य | ~ | ~ | X | > | > | | | | | | |
| श्री विपिन आनंद** | प्रबंध निदेशक | सदस्य | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | | | | |
| श्री मुकेश कुमार गुप्ता% | प्रबंध निदेशक | सदस्य | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | · · | | | | | |
| श्री राज कुमार ^{@#} | प्रबंध निदेशक | सदस्य | ~ | × | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | × | ~ | ~ | ~ |
| श्री देवेश श्रीवास्तव* | पदेन सदस्य | सदस्य | ~ | ~ | > | | | | | | | | |
| श्री सिद्धार्थ मोहंती ^{@#} | प्रबंध निदेशक | सदस्य | ~ | ~ | * | > | ~ | > | > | > | < | < | < |
| श्रीमती आईप मिनी ** | प्रबंध निदेशक | सदस्य | | | | | ~ | ~ | ~ | > | > | > | ~ |
| श्री बी सी पटनायक ^६ | प्रबंध निदेशक | सदस्य | | | | | | | ~ | ~ | > | > | ~ |
| डॉ. रंजन शर्मा ^{@@} | स्वतंत्र निदेशक | सदस्य | | | | | > | ~ | | | | | |
| श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल ^{@@} | स्वतंत्र निदेशक | सदस्य | | | | > | ~ | | | | | | |
| श्री गुरुमूर्ति महालिंगम ^{@@} | स्वतंत्र निदेशक | सदस्य | | | | | > | ~ | | | | | |
| श्री वी.एस. पार्थसारथी ^{@@} | स्वतंत्र निदेशक | सदस्य | | | | | | | | | | > | ~ |

^{@#}05.02.2021 से 01.07.2021 तक विशेष आमंत्रित और 02.07.2021 से सदस्य

ख. निवेश समिति

निवेश समिति का गठन एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 19ए के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

31 मार्च, 2022 को निवेश समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

| क्रमांक | नाम | श्रेणी | पदनाम |
|---------|--------------------------|---------|-----------------|
| 1. | श्री एम.आर. कुमार | अध्यक्ष | अध्यक्ष |
| 2. | श्री राज कुमार | सदस्य | प्रबंध निदेशक |
| 3. | श्री सिद्धार्थ मोहंती | सदस्य | प्रबंध निदेशक |
| 4. | श्रीमती आईप मिनी | सदस्य | प्रबंध निदेशक |
| 5. | श्री बी सी पटनायक | सदस्य | प्रबंध निदेशक |
| 6. | श्री गुरुमूर्ति महालिंगम | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |
| 7. | श्री राज कमल | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |
| 8. | श्री एम पी विजय कुमार | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |

विशेष आमंत्रित व्यक्तिः वित्त, जोखिम, निवेश और कानून से संबंधित कार्यों का नेतृत्व करने वाले निगम के अधिकारी और नियुक्त बीमांकक।

- निवेश समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:
 - 1. निगम की निधियों के निवेश से संबंधित मामलों में निर्णय लेना।
 - 2. तिमाही आधार पर किए गए निवेश के प्रदर्शन की समीक्षा करना।
 - 3. निवेश समिति को प्रस्तुत रिपोर्टिंग मदों पर ध्यान देना

^{*}सदस्य 29.06.2021 तक

^{**31.07.2021} को सेवानिवृत्त

^{***} सदस्य 31.08.2021 तक

[%] 30.09.2021 को सेवानिवृत्त

⁺02.07.2021 से सदस्य

⁺सदस्य 02.08.2021 से

^६सदस्य 01.10.2021 से

^{®#}प्रबंध निदेशक — 24.12.2021 को अध्यक्ष के रूप में ®® सदस्य 07.02.2022 से





- 4. बोर्ड निवेश नीति (आईपी) की समीक्षा करना और सिफारिश करना और निवेश संचालन के लिए परिचालन ढांचा तैयार करना। निवेश नीति की ऐसी समीक्षा अर्धवार्षिक आधार पर या तय किए गए कम अंतराल पर की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि निवेश करते समय एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 43 (2) के तहत सरकार की अधिसूचना द्वारा एलआईसी पर लागू किए गए नियामक मानदंड और बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27 ए का पालन किया जाता है।
- 5. निगम के "मानक संचालन प्रक्रियाओं" को उसके निवेश कार्यों के संबंध में वार्षिक आधार पर और समय—समय पर किसी आवश्यकता आधारित संशोधन का अनुमोदन करना। आर्थिक परिदृश्य, नियामक प्रावधानों और अन्य कारकों के आधार पर एसओपी के प्रावधानों की समय—समय पर समीक्षा की जा सकती है और निवेश समिति के अनुमोदन के बाद इसे बदला जा सकता है।
- 6. विभिन्न निवेश कार्यों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना।
- 7. बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति, निवेश समिति द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।
- 8. क्रेडिट जोखिम और बाजार जोखिम के आकलन के लिए, सिमित के सदस्यों को केवल क्रेडिट रेटिंग से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सिमित को स्वतंत्र रूप से अपने निवेश निर्णयों की सिमीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित निवेश निर्णय लेने में आंतरिक उचित परिश्रम प्रक्रिया द्वारा समर्थन एक इनपुट है।
- 9. समिति निवेश संचालन की निरंतर और निरंतर निगरानी के लिए आंतरिक / समवर्ती लेखा परीक्षा तंत्र के अलावा उसके द्वारा निर्धारित नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी रिपोर्टिंग प्रणाली तैयार करेगी।
- 10. समिति अपनी सुरक्षा और सुदृढ़ता के संबंध में निवेश पोर्टफोलियों के प्रदर्शन पर बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- 11. समिति निवेश की गैर-निष्पादित आस्तियों का तिमाही अवधि में विश्लेषण और समीक्षा करेगी।
- iii. वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित निवेश समिति की पांच बैठको में उपस्थिति नीचे दी गई है।

| निदेशक का नाम | निदेशक पद की प्रकृति | समिति/बोर्ड में पदनाम | 08.06.2021 | 30.09.2021 | 29.10.2021 | 24.12.2021 | 24.03.2022 |
|--|------------------------|-----------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| श्री एम आर कुमार | अध्यक्ष | अध्यक्ष | ~ | ~ | ~ | × | ~ |
| श्री राजीव रंजन [*] | सरकार नामित निदेशक | सदस्य | > | | | | |
| श्री पंकज जैन ^{**} | सरकार नामित निदेशक | सदस्य | | > | > | > | |
| श्रीमती पद्मजा चुंडुरू [®] | गैर - कार्यकारी निदेशक | सदस्य | | ~ | ~ | ~ | ~ |
| श्री विपिन आनंद ^{***} | प्रबंध निदेशक | सदस्य | > | | | | |
| श्री मुकेश कुमार गुप्ता [%] | प्रबंध निदेशक | सदस्य | > | \ | | | |
| श्री राज कुमार | प्रबंध निदेशक | सदस्य | > | \ | > | × | ~ |
| श्री सिद्धार्थ मोहंती | प्रबंध निदेशक | सदस्य | > | > | > | > | ~ |
| श्रीमती आईप मिनी ** | प्रबंध निदेशक | सदस्य | | > | > | > | ~ |
| श्री बी सी पटनायक ^{&} | प्रबंध निदेशक | सदस्य | | | ~ | ~ | ~ |
| श्री देवेश श्रीवास्तव [*] | गैर – कार्यकारी निदेशक | पदेन सदस्य | ~ | | | | |
| श्री गुरूमुर्ति महालिंगम ^{@@} | स्वतंत्र निदेशक | सदस्य | | | | | ~ |
| श्री राज कमल ^{@@} | स्वतंत्र निदेशक | सदस्य | | | | | ~ |
| श्री एम पी विजय कुमार ^{@@} | स्वतंत्र निदेशक | सदस्य | | | | ~ | |
| श्री दिनेश पंत ^६ | - | नियुक्त बीमांकक | ~ | | | | |

^{*}सदस्य 29.06.2021 तक

\$ 01.07.2021 तक सदस्य और 02.07.2021 से विशेष आमंत्रित व्यक्ति

^{**}सदस्य 02.07.2021 से 06.02.2022 तक

[®]सदस्य 02.07.2021 से 31.08.2022 तक

^{***} सेवानिवृत्त पर 31.07.2021 तक

[%]30.09.2021 को सेवानिवृत्त

^{**}सदस्य 02.08.2021 से

[&] सदस्य 01.10.2021 से

^{@@}सदस्य 07.02.2022 से





| विशेष आमंत्रित व्यक्ति का नाम | | 30.09.2021 | 29.10.2021 | 24.12.2021 | 24.03.2022 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| श्री ए के आनंद, कार्यकारी निदेशक (आईएनवीओ) और सीओआई | | \ | > | > | > |
| श्री एस एन मोकाशी, कार्यकारी निदेशक (निवेश / जो.डा.अ.) | | \ | > | > | |
| श्री पी आर मिश्रा, कार्यपालक निदेशक (आईएनवीएम) | | × | > | > | > |
| श्री तबलेश पाण्डेय, अपर कार्यकारी निदेशक (निवेश / जो.डा.अ. एवं सी.आर.ओ.)* | | > | × | > | ~ |
| श्री दिनेश पंत, नियुक्त बीमांकक | | > | ~ | × | ~ |
| थ्रीमती शुभांगी सोमन, कार्यकारी निदेशक (एफएंडए और सीएफओ) | | | > | × | × |
| श्री एमडी. अज़ीज़ुद्दीन, कार्यपालक निदेशक (विधि) | | | × | > | × |

^{*}कार्यकारी निदेशक, (आईएनवीआर) और सीआरओ 01.01.2022 से

ग. लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 19सी, आईआरडीएआई कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश, 2016 के पैरा 7.1 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

i. 31 मार्च, 2022 को लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थेः

| क्रमांक | नाम | श्रेणी | पदनाम |
|---------|-----------------------|---------|--------------------|
| 1. | श्री एम पी विजय कुमार | अध्यक्ष | स्वतंत्र निदेशक |
| 2. | श्री पंकज जैन | सदस्य | सरकार नामित निदेशक |
| 3. | श्री राज कुमार | सदस्य | प्रबंध निदेशक |
| 4. | डॉ रंजन शर्मा | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |
| 5. | श्री वी एस पार्थसारथी | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |
| 6. | प्रो. अनिल कुमार | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |

विशेष आमंत्रितः श्रीमती आईप मिनी, प्रबंध निदेशक

- ii. लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:
 - 1. वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है;
 - 2. सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों के लिए सिफारिश;
 - 3. वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी अन्य सेवाओं के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की स्वीकृति, यदि अधिनियम / नियमों / विनियमों के तहत अनुमति है।
 - 4. बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में:
 - क) एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24सी (2) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले
 - ख) लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण;
 - ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियां;
 - घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
 - ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्ध और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
 - च) किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण;
 - छ) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय;





- अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना;
- 6. किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम, आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/ आवेदन के विवरण की समीक्षा करना, प्रस्ताव दस्तावेज़/ विवरणिका/ सूचना में वर्णित निधियों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई निधियों का विवरण और सार्वजनिक या राइट्स इश्यू की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना;
- 7. लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, और ऑडिट प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;
- 8. संबंधित पक्षों के साथ निगम के लेन—देन का पूर्व अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन;
- अंतर—कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा; यदि कोई हो
- 10. सूचीबद्ध इकाई के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां कहीं आवश्यक हो;
- 11. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
- 12. प्रबंधन के साथ, सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना;
- 13. आंतिरक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टािफंग और विभाग के प्रमुख अधिकारी की विरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतिरक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सिहत आंतिरक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता, यिद कोई हो, की समीक्षा;
- 14. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई;
- 15. आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करें जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना है;
- 16. लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा, लेखा परीक्षा की प्रकृति और दायरे के साथ—साथ चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा के बाद की चर्चा;
- 17. शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की समीक्षा;
- 18. सतर्कता तंत्र के कामकाज की समीक्षा करें;
- 19. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक और मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति की स्वीकृति;
- 20. लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों में उल्लिखित किसी अन्य कार्य को करना।
- 21. सहायक कंपनी में होल्डिंग कंपनी द्वारा ऋण और/या अग्रिम/निवेश के उपयोग की समीक्षा करना, जो 100 करोड़ से अधिक हो या सहायक की संपत्ति के आकार का 10%, (जो भी कम हो), इस प्रावधान के लागू होने की तारीख को मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश सहित।
- 22. सूचीबद्ध इकाई और उसके शेयरधारक पर विलय, डीमर्जर, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत—लाभ और प्रभाव पर विचार करें और टिप्पणी करें।
- 23. वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;
- 24. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र:
- 25. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट: तथा
- 26. मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, हटाने और पारिश्रमिक की शर्तें लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।
- 27. विचलन का विवरणः
 - क) विनियम 32(1) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज (ओं) को प्रस्तुत निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट, यदि लागू हो, सहित विचलन (ओं) का त्रैमासिक विवरण।
 - ख) विनियम 32(7) के अनुसार प्रस्ताव दस्तावेज/प्रोस्पेक्टस/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण।
- 28. समय—समय पर नियामक/ सांविधिक दिशा—निर्देशों के तहत किसी अन्य भूमिका को निभाने के लिए जो इसे अनिवार्य किया जा सकता है।





iii. वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बारह बैठकों में उपस्थिति नीचे दी गई है:

| निदेशक का नाम | निदेशक पद की प्रकृति | समिति/बोर्ड में पदनाम | 10.06.2021 | 29.06.2021 | 13.08.2021 | 17.09.2021 | 30.09.2021 | 29.10.2021 | 08.01.2022 | 20.01.2022 | 11.02.2022 | 13.02.2022 | 25.02.2022 | 25.03.2022 |
|--|------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| श्री पंकज जैन ^{&} | सरकार नामित निदेशक | सदस्य | > | > | > | > | < | \ | > | ~ | > | < | < | ~ |
| श्रीमती पद्मजा चुंडुरू*** | गैर – कार्यकारी निदेशक | सदस्य | ~ | > | \ | | | | | | | | | |
| श्री मुकेश कुमार गुप्ता [%] | कार्यकारी निदेशक | सदस्य | > | | | | | | | | | | | |
| श्री राज कुमार | कार्यकारी निदेशक | सदस्य | х | > | > | > | < | \ | > | ~ | > | < | < | ~ |
| श्री देवेश श्रीवास्तव* | गैर – कार्यकारी निदेशक | पदेन सदस्य | х | × | | | | | | | | | | |
| श्री सिद्धार्थ मोहंती [©] | कार्यकारी निदेशक | सदस्य | | | | > | < | \ | | | | | | |
| डॉ. रंजन शर्मा ^{@@} | स्वतंत्र निदेशक | सदस्य | | | | | | | > | ~ | > | < | < | ~ |
| श्री विनोद कुमार वर्मा ^{\$\$} | स्वतंत्र निदेशक | सदस्य | | | | | | | > | ~ | | | | |
| प्रो. अनिल कुमार^ | स्वतंत्र निदेशक | सदस्य | | | | | | | | | ~ | ~ | ~ | ~ |
| श्री वी. एस. पार्थसारथी^ | स्वतंत्र निदेशक | सदस्य | | | | | | | | | ~ | > | ~ | ~ |
| श्री एम. पी. विजय कुमार^^ | स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष | | | | | | | | | ~ | > | ~ | ~ |
| श्रीमती आईप मिनी [†] | कार्यकारी निदेशक | विशेष आमंत्रित | | | | | | | | | ~ | ~ | ~ | ~ |

[&]अध्यक्ष 05.02.2021 से 06.02.2022 तक और उसके बाद सदस्य

घ. जोखिम प्रबंधन समिति [आरएमसी]

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन आईआरडीएआई कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश, 2016 के पैरा 7.3 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21 के अनुरूप किया गया है।

i. 31 मार्च, 2022 तक आरएमसी में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

| अनुक्रमांक | नाम | श्रेणी | पदनाम |
|------------|--------------------------|---------|---|
| 1. | श्री गुरुमूर्ति महालिंगम | अध्यक्ष | स्वतंत्र निदेशक |
| 2. | श्री राज कुमार | सदस्य | प्रबंध निदेशक |
| 3. | श्री सिद्धार्थ मोहंती | सदस्य | प्रबंध निदेशक |
| 4. | श्री वी एस पार्थसारथी | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |
| 5. | श्री संजीव नौटियाल | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |
| 6. | श्री तबलेश पाण्डेय | सदस्य | कार्यकारी निदेशक (आईएनवीआर/ सीआरओ/ एसीजीसी) |

- ii. आरएमसी के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:
 - एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगेः
 - क. विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य जोखिम सहित निगम द्वारा झेले जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक ढांचा।
 - ख. पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय।
 - ग कारोबार निरंतरता योजना।

[®]सदस्य 01.09.2021 से 09.11.2021 तक 💮 🖓 🖓 🖎 🖎 कि.02.2022 तक 🕏 कि.02.2022 तक





- यह सुनिश्चित करने के लिए कि निगम के संचालन से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं;
- जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सिहत जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देखभाल करना:
- उद्योग की बदलती गतिशीलता और उभरती जिटलता पर विचार करके, जोखिम प्रबंधन नीति की वार्षिक रूप से आविधक समीक्षा करना;
- 5. विदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और विषय—वस्तु के बारे में सूचित करना;
- मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्ते जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।
- जोखिम प्रबंधन समिति अन्य समितियों के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित ढांचे के अनुसार करेगी,
 ऐसे मामलों में जहां ऐसी समितियों की गतिविधियों के साथ कोई ओवरलैप होता है।
- 8. जोखिम प्रबंधन ढांचे की समीक्षा
- धोखाधड़ी रोधी नीति, धन शोधन रोधी नीति, पिरसंपित्त देयता प्रबंधन नीति, जोखिम की क्षमता विवरण आदि की समीक्षा और अनुमोदन के लिए उपरोक्त नीतियों की बोर्ड को अनुशंसा करना।
- 10. जोखिम सहने की सीमा निर्धारित करना और जोखिम एक्सपोजर से जुड़ी लागत और लाभों का आकलन करना।
- 11. समग्र नीतिगत उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के लिए निगम के जोखिम—प्रतिफल प्रदर्शन की समीक्षा करना।
- 12. बाजार में जोखिम प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा और विचार करें और संबंधित कार्यों की सलाह देना:
- 13. विशेष विश्लेषण और गुणवत्ता समीक्षा करके जोखिम प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी संचालन में बोर्ड की सहायता करना;
- 14. बीमा जोखिम, बाजार जोखिम, ऋण जोखिम, चलिनिध जोखिम, पिरचालन जोखिम, अनुपालन जोखिम, कानूनी जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम, आदि सिहत जोखिम की सभी श्रेणियों के लिए निगम के जोखिम प्रोफाइल पर एक समग्र दृष्टिकोण बनाए रखना।
- 15. कॉर्पोरेट रणनीति, विलय और अधिग्रहण और संबंधित मामलों जैसे रणनीतिक और परिचालन मामलों के संबंध में जोखिम प्रबंधन निर्णयों के संबंध में बोर्ड को सलाह देना।
- 16. जोखिम एक्सपोजर पर विवरण और एक्सपोजर के प्रबंधन के लिए की गई कार्रवाई; समीक्षा, निगरानी और चुनौती जहां आवश्यक हो, निगम द्वारा लिए गए जोखिम बोर्ड को रिपोर्ट करना।
- 17. नियमित आधार पर निगम की शोधन क्षमता की स्थिति की समीक्षा करना।
- 18. व्यापार निरंतरता पर नियमित अपडेट की निगरानी और समीक्षा करना।
- 19. धोखाधड़ी के प्रभावी निवारण, रोकथाम, पता लगाने और शमन के लिए धोखाधड़ी—रोधी नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- 20. बीमा धोखाधड़ी निगरानी फ्रेमवर्क आईआरडीए/एसडीडी/एमआईएससी/सीआईआर/009/01/2013 दिनांक 21/01/2013 पर दिशानिर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करना।
- 21. निगम की एएलएम नीति के अनुसार परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) से संबंधित मामलों की निगरानी करना
- 22. जोखिम प्रबंधन समिति को बीमाकर्ता द्वारा की गई आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं के बारे में समय—समय पर अवगत कराया जाएगा और इस बात की पुष्टि भी की जाएगी कि वे शर्तों का अनुपालन करते हैं और साथ ही आंतरिक नीति उनके सामने रखी जाती है।





iii. वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की पांच बैठकों में उपस्थिति नीचे दी गई है:

| निदेशक का नाम | निदेशक पद की प्रकृति | समिति/बोर्ड में पदनाम | 03.06.2021 | 09.09.2021 | 17.12.2021 | 17.01.2022 | 17.03.2022 |
|--|--|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| श्रीमती पद्मजा चुंडुरू *** | गैर – कार्यकारी निदेशक | अध्यक्ष | ~ | | | | |
| श्री राज कुमार [®] | कार्यकारी निदेशक | अध्यक्ष | ~ | > | > | > | ~ |
| श्री देवेश श्रीवास्तव* | पदेन सदस्य | सदस्य | × | | | | |
| श्री सिद्धार्थ मोहंती | कार्यकारी निदेशक | सदस्य | ~ | > | > | > | ~ |
| श्रीमती आईप मिनी ⁺⁺ | कार्यकारी निदेशक | सदस्य | | > | | | |
| डॉ रंजन शर्मा ^{@@} | स्वतंत्र निदेशक | सदस्य | | | ~ | * | |
| श्री गुरुमूर्ति महालिंगम ^{@@@*} | स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष | | | | | ~ |
| श्री वी.एस. पार्थसारथी ^{@@@} | स्वतंत्र निदेशक | सदस्य | | | | | × |
| श्री संजीव नौटियाल ^{@@@} | स्वतंत्र निदेशक | । निदेशक सदस्य | | | | ~ | |
| श्री तबलेश पाण्डेय [%] | कार्यकारी निदेशक (आईएनवीआर/सीआरओ/एसीजीसी) | सदस्य | | | | | ~ |

^{***}अध्यक्ष ३१.०८.२०२१ तक।

ङ. पॉलिसीधारकों की सुरक्षा समिति [पीपीसी]

पॉलिसीधारकों की सुरक्षा समिति पीपीसी का गठन आईआरडीएआई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2016 के पैरा 7.4 के अनुरूप किया गया है।

i. पीपीसी की संरचना में 31 मार्च, 2022 तक निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

| क्रमांक | नाम | श्रेणी | पदनाम |
|---------|---------------------------|---------|-----------------|
| 1. | श्री संजीव नौटियाल | अध्यक्ष | स्वतंत्र निदेशक |
| 2. | श्री सिद्धार्थ मोहंती | सदस्य | प्रबंध निदेशक |
| 3. | श्रीमती आईप मिनी | सदस्य | प्रबंध निदेशक |
| 4. | श्री विनोद कुमार वर्मा | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |
| 5. | श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |
| 6. | डॉ स्नेहलता देशमुख | सदस्य | विशेषज्ञ |

- पीपीसी के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:
 - ग्राहक के साथ उचित व्यवहार करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को अपनाना, जिसमें नीति के लिए समय—सीमा और दावा सेवा मानकों और उसके कार्यान्वयन की निगरानी शामिल है।
 - 2. मध्यस्थकों द्वारा प्रदर्शित गलत बिक्री सहित पॉलिसीधारकों की शिकायतों और शिकायतों का निवारण करने के लिए समीक्षा तंत्र।
 - 3. बीमा लोकपाल/ उपभोक्ता मंचों द्वारा दिए गए पुरस्कारों की समीक्षा।
 - ग्राहक शिकायतों के मूल कारणों का विश्लेषण करें, बाजार के आचरण के मुद्दों की पहचान करना।

^{*}सदस्य 29.06.2021 तक

^{**}सदस्य 01.09.2021 से 09.11.2021 तक

^{@@} सदस्य 10.11.2021 से 06.02.2022 तक

[®]अध्यक्ष 01.09.2021 से 06.02.2022 तक

^{@@®}सदस्य 07.02.2022 से

^{@@@*}सदस्य और अध्यक्ष 07.02.2022 से

[%]07.02.2022 से आरएमसीबी में शामिल किया गया





- 5. व्यवस्थागत मुद्दों, यदि कोई हों, को सुधारने के लिए प्रबंधन को उचित सलाह देना।
- 6. बीमा लोकपाल/उपभोक्ता मंचों द्वारा दिए गए सभी पुरस्कारों की कारणों सहित समीक्षा जो तीन (3) महीने से अधिक समय से अप्रभावित हो और जहां आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए बोर्ड को इसकी रिपोर्ट करना।
- 7. उपायों की समीक्षा करना और समय-समय पर ग्राहकों की शिकायतों को कम करने के लिए कदम उठाना।
- 8. नियामक ढांचे में निर्धारित वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन की समीक्षा करना।
- पॉलिसीधारकों को "भौतिक जानकारी" के प्रकटीकरण की पर्याप्तता सुनिश्चित करना। ये प्रकटीकरण प्राधिकरण द्वारा बिक्री के स्थान पर और आवधिक अंतरालों पर निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।
- 10. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवधिक अंतराल पर शिकायतों का विवरण प्रदान करना।
- 11. सुनिश्चित करना कि पॉलिसीधारकों को बीमा लोकपाल का विवरण प्रदान किया गया है।
- 12. बकाया दावों की उम्र बढ़ने के साथ बकाया दावों की स्थिति सहित दावों की रिपोर्ट की समीक्षा करना।
- 13. कारणों के विश्लेषण के साथ अस्वीकृत दावों की समीक्षा करना।
- 14. समर्पण, ऋण, आंशिक निकासी अनुरोध आदि जैसे अन्य ग्राहक लाभ भुगतान के निपटान की स्थिति की समीक्षा करना।
- 15. प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि की समीक्षा करना।
- 16. निगम के व्यवसाय के स्थान को उसी शहर, कस्बे या गांव के भीतर स्थानांतिरत करने और बाद में पहले के व्यवसाय के स्थान को बंद करने से संबंधित मामलों को पॉलिसीधारक संरक्षण सिमित को सौंप दिया गया था । (28 अक्टूबर, 2015 को आयोजित बोर्ड की 568वीं बैठक का कार्यवृत्त)
- 17. मिनी कार्यालयों को सैटेलाइट कार्यालयों में अपग्रेड करने के परिणामस्वरूप बंद करने की मंजूरी। (17 जुलाई, 2019 को आयोजित बोर्ड की 589वीं बैठक का कार्यवृत्त)
- 18. एक ही शहर, कस्बे या गांव के भीतर व्यवसाय के किसी भी स्थान के स्थानांतरण के लिए अग्रिम स्वीकृति
- iii. वर्ष 2021—22 के दौरान आयोजित पॉलिसीधारकों की सुरक्षा समिति (पीपीसी) की चार बैठकों में उपस्थिति निम्न प्रकार हैः

| निदेशक का नाम | निदेशक पद की प्रकृति | समिति/बोर्ड में पदनाम | 28.05.2021 | 09.09.2021 | 17.12.2021 | 17.03.2022 |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| श्री देवेश श्रीवास्तव* | पदेन सदस्य | अध्यक्ष | > | | | |
| श्रीमती पद्मजा चुंडुरू *** | गैर — कार्यकारी निदेशक | अध्यक्ष | | | | |
| श्री विपिन आनंद** | कार्यकारी निदेशक | सदस्य | > | | | |
| श्री सिद्धार्थ मोहंती ^{®®} | कार्यकारी निदेशक | सदस्य | > | > | > | ~ |
| श्री राज कुमार® | कार्यकारी निदेशक | अध्यक्ष | | > | | |
| श्रीमती आईप मिनी++ | कार्यकारी निदेशक | सदस्य | | > | > | ~ |
| श्री विनोद कुमार वर्मा% | स्वतंत्र निदेशक | सदस्य | | | > | ~ |
| श्री संजीव नौटियाल ^{%%®} | स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष | | | | ~ |
| श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल** | स्वतंत्र निदेशक | सदस्य | | | | ~ |
| डॉ स्रेहलता देशमुख | विशेषज्ञ | सदस्य | | | ~ | ~ |

^{*}अध्यक्ष 29.06.2021 तक

%% सदस्य 07.02.2022 से

%%® अध्यक्ष और सदस्य 07.02.2022 से

**31.07.2021 को सेवानिवृत्त

**सदस्य 02.08.2021 से

^{***}अध्यक्ष 02.07.2021 से 31.08.2021 तक

[®]अध्यक्ष 01.09.2021 से 09.11.2021 तक

^{@@}अध्यक्ष 10.11.2021 से 28.12.2021 तक और उसके बाद सदस्य

^{*10.11.2021} से सदस्य, 29.12.2021 से 06.02.2021 तक अध्यक्ष और उसके बाद सदस्य





च. लाभ - सहित समिति (डब्ल्यूपीसी)

आईआरडीएआई (गैर-संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियमों के अनुसार लाभ - सहित समिति का गठन किया गया है

i. डब्ल्यूपीसी की संरचना में 31 मार्च, 2022 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थेः

| क्रमांक | नाम | श्रेणी | पदनाम |
|---------|------------------------------|---------|------------------------------|
| 1. | श्री एम आर कुमार | अध्यक्ष | अध्यक्ष |
| 2. | श्री राज कमल | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |
| 3. | श्रीमती शुभांगी एस सोमन* | सदस्य | कार्यकारी निदेशक (एफएंडए) और |
| | | | मुख्य वित्तीय अधिकारी |
| 4. | श्री सुब्रमण्यम् कोल्लिमर्ला | सदस्य | स्वतंत्र बीमांकक |
| 5. | श्री दिनेश पंत | सदस्य | नियुक्त बीमांकक |

^{*31/03/2022} को सेवानिवृत्त

- ii. डब्ल्यूपीसी के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार है
 - 1. खर्च के लिए कटौती और परिसंपत्ति शेयर और अन्य संबद्ध तत्वों में निवेश रिटर्न जमा सहित परिसंपत्ति साझा पद्धति (एसेट शेयर मेथडोलॉजी) को मंजूरी देना
 - बीमांकन रिपोर्ट और सार के साथ आईआरडीए को भेजे जाने वाले सिमिति के दृष्टिकोण को सारांशित करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करना।
- iii. वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित सहित—लाभ समिति (विथ—प्रॉफिट कमेटी— डब्ल्यूपीसी) की दो बैठकों में उपस्थिति नीचे दी गई है:

| क्र- मांक | निदेशक का नाम | निदेशक पद की प्रकृति | समिति/बोर्ड में पदनाम | 22.06.2021 | 17.01.2022 |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 1 | श्री एम आर कुमार | कार्यकारी निदेशक | अध्यक्ष | > | ~ |
| 2 | श्रीमती पद्मजा चुंडुरू | भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक | सदस्य | | |
| 3 | श्री विनोद कुमार वर्मा ^{**} | स्वतंत्र निदेशक | सदस्य | | > |
| 4 | श्री राज कमल ^{&} | स्वतंत्र निदेशक | सदस्य | | |
| 5 | श्रीमती शुभांगी सोमन | ईडी (एफएंडए) और सीएफओ | सदस्य | > | > |
| 6 | श्री सुब्रमण्यम् कोल्लिमर्ला | स्वतंत्र बीमांकक | सदस्य | > | > |
| 7 | श्री देवेश श्रीवास्तव* | पदेन सदस्य | सदस्य | > | |
| 8 | श्री दिनेश पंत | नियुक्त बीमांकक | सदस्य | > | > |

^{*}सदस्य 02.07.2021 से 31.08.2021 तक

^{*}सदस्य 29.06.2021 तक

^{**}सदस्य 14.01.2022 से 06.02.2022 तक

[&] सदस्य 07.02.2022 से





छ. पीएसबी में शेयरधारकों की निदेशक समिति का चुनाव।

पत्र संख्या 16/11/2012—बीओ—I दिनांक 03.04.2012 के अनुसार पीएसबी में शेयरधारकों की निदेशक समिति का चुनाव एमओएफ गठित किया गया है।

i. 31 मार्च, 2022 तक पीएसबी में शेयरधारकों की निदेशक समिति के चुनाव की संरचना में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

| क्रमांक | नाम | श्रेणी | पदनाम |
|---------|-------------------|---------|---------------|
| 1. | श्री एम आर कुमार | अध्यक्ष | अध्यक्ष |
| 2. | श्री राज कुमार | सदस्य | प्रबंध निदेशक |
| 3. | श्री बी सी पटनायक | सदस्य | प्रबंध निदेशक |

मीएसबी में शेयरधारकों की निदेशक समिति के चुनाव के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

पीएसबी में शेयरधारक निदेशक के लिए चुनाव के लिए खड़े उम्मीदवारों की बारीक जांच और चयन।

iii. वर्ष 2021—22 के दौरान आयोजित पीएसबी में शेयरधारकों की निदेशक समिति के चुनाव की एक बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार है:

| क्रमांक | निदेशक का नाम | निदेशक पद की प्रकृति | समिति/बोर्ड में पदनाम | 06.09.2021 |
|---------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | श्री एम आर कुमार | अध्यक्ष | अध्यक्ष | > |
| 2 | श्री देवेश श्रीवास्तव® | पदेन सदस्य | सदस्य | |
| 3 | श्री मुकेश कुमार गुप्ता* | प्रबंध निदेशक | सदस्य | ~ |
| 4 | श्री राज कुमार | प्रबंध निदेशक | सदस्य | > |
| 5 | श्री बी सी पटनायक^ | प्रबंध निदेशक | सदस्य | |

aसदस्य 29.06.2021 तक ^सदस्य 01.10.2021 से

ज. सूचना प्रौद्योगिकि रणनीति समिति।

27.03.2018 को आयोजित 580वीं एलआईसी बोर्ड बैठक के निर्देशों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकि यानी आईटी रणनीति समिति का गठन किया गया है।

i. 31 मार्च, 2022 तक सूचना प्रौद्योगिकि रणनीति समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थेः

| क्रमांक | नाम | श्रेणी | पदनाम |
|---------|-----------------------|---------|-----------------|
| 1. | श्री राज कमल | अध्यक्ष | स्वतंत्र निदेशक |
| 2. | श्री सिद्धार्थ मोहंती | सदस्य | प्रबंध निदेशक |
| 3. | श्रीमती आईप मिनी | सदस्य | प्रबंध निदेशक |
| 4. | श्री एम पी विजय कुमार | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |
| 5. | प्रो (डॉ.) ओम दमानी | सदस्य | सलाहकार |

- ii. आईटी रणनीति समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:
 - 1. एलआईसी में सु. प्रो. के लिए एक विजन, दर्शन, सिद्धांतों और रणनीतिक लक्ष्यों का विकास करना।
 - 2. ऐसी नीतियां स्थापित करना जो जीवन चक्र लागत विश्लेषण, भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, प्राधिकरण का प्रतिनिधिमंडल, सुरक्षा पहुंच इत्यादि शामिल करने हेतु दीर्घकालिक सु. प्रो. रणनीति पर कार्यकारी निर्णयों के लिए रूपरेखा के रूप में काम करे।
 - 3. टेबल पर लाए गए सु. प्रो. से संबंधित मामलों में बोर्ड को तकनीकी सलाह प्रदान करना
 - 4. यह सुनिश्चित करना कि सु. प्रो. संगठनात्मक संरचना व्यवसाय मॉडल और उसकी दिशा का पूरक है
 - 5. सु. प्रो. निवेश जोखिम को सुनिश्चित करते हुए संसाधन और जनशक्ति योजना आईटी निवेश जोखिम और लाभों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है और यह कि बजट स्वीकार्य हैं

^{*}सदस्य 30.09.2021 तक





- 6. सु. प्रो. जोखिम के प्रबंधन की निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और आईटी के कुल वित्त पोषण की निगरानी करना।
- 7. सभी स्वीकृत रणनीतिक पहलों की स्थिति की निगरानी करना, विशेष रूप से महत्वपूर्ण समय सीमा के साथ, और महत्वपूर्ण पहलों को समय पर पूरा करने के लिए बाधा को दूर करने में सहायता करना।
- 8. समग्र सु. प्रो. प्रदर्शन माप की समीक्षा करना और व्यवसाय के लिए सु. प्रो. का गठन करना
- 9. सूचना सुरक्षा संचालन समिति द्वारा गतिविधियों की समीक्षा जो पहले जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जा रही थी
- 10.परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन की स्वीकृति।
- iii. वर्ष 2021–22 के दौरान आईटी रणनीति समिति की कोई बैठक आयोजित करने की आवश्यकता नहीं थी।

झ. भवन सलाहकार समिति बीएसी।

भवन सलाहकार समिति का गठन 20.08.2004 को आयोजित 510वीं एलआईसी बोर्ड की बैठक के निर्देशों के अनुसार किया गया है।

i. 31 मार्च, 2022 तक भवन सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थेः

| क्रमांक | नाम | श्रेणी | पदनाम |
|---------|-------------------|---------|-----------------|
| 1. | श्री एम आर कुमार | अध्यक्ष | अध्यक्ष |
| 2. | श्री बी सी पटनायक | सदस्य | प्रबंध निदेशक |
| 3. | श्री राज कमल | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |
| 4. | श्री अंजन मुखर्जी | सदस्य | बाहरी सदस्य |
| 5. | डॉ सौविक बनर्जी | सदस्य | बाहरी सदस्य |

विशेष आमंत्रितः श्री सिद्धार्थ मोहंती, प्रबंध निदेशक

- ii. भवन सलाहकार समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:
 - 1. संपत्तियों की खरीद और बिक्री के प्रस्ताव और भवन के निर्माण और रखरखाव और उससे संबंधित अन्य सभी मामलों और इसे प्रस्तुत किए गए किसी भी अन्य मामलों की जांच करना।
 - 2. समय-समय पर स्वीकृत निगम के वित्तीय शक्तियों के स्थायी आदेश के प्रावधानों के अनुसार मूल्य के ऐसे सभी प्रस्तावों को स्वीकार करना
- iii. वर्ष 2021-22 के दौरान भवन सलाहकार समिति की कोई बैठक आयोजित करने की आवश्यकता नहीं थी।

ञ. इरादतन चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टर) पर समीक्षा समिति

आरबीआई मास्टर परिपत्र दिनांक 01.07.2014 और 01.07.2015 के अनुसार विलफुल डिफॉल्टर पर समीक्षा समिति का गठन किया गया है।

i. इरादतन चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टर) पर समीक्षा समिति में 31 मार्च, 2022 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थेः

| क्रमांक | नाम | श्रेणी | पदनाम |
|---------|------------------------|---------|-----------------|
| 1. | श्री एम आर कुमार | अध्यक्ष | अध्यक्ष |
| 2. | श्री विनोद कुमार वर्मा | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |
| 3. | श्री संजीव नौटियाल | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |

- ii. इरादतन चूककर्ता पर समीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:
 - 1. आंतरिक इरादतन चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टर्स) सिमति के आदेशों/किसी उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के निर्णयों की सिमीक्षा करना;
 - 2. समय—समय पर नियामक/ सांविधिक दिशा—निर्देशों के तहत कोई भी ऐसी अन्य भूमिका निभाना जोकि इसके लिए अनिवार्य हो सकती है।
- iii. वर्ष 2021-22 के दौरान इरादतन चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टर) पर समीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित करने की आवश्यकता नहीं थी।





ट. हितधारक संबंध समिति [एसआरसी]

सेबी (एलओडीआर), विनियम 2015 के विनियम 20 के अनुसार हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया है

i. 31 मार्च, 2022 तक हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थेः

| क्रमांक | नाम | श्रेणी | पदनाम |
|---------|---------------------------|---------|-----------------|
| 1. | डॉ रंजन शर्मा | अध्यक्ष | स्वतंत्र निदेशक |
| 2. | श्री राज कुमार | सदस्य | प्रबंध निदेशक |
| 3. | प्रो. अनिल कुमार | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |
| 4. | श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |
| 5. | श्री एम पी विजय कुमार | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |

- हितधारक संबंध समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:
 - 1. सामान्य बैठक आदि से संबंधित शिकायतों सहित सूचीबद्ध संस्था के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/प्रसारण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होना, नए/ डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करना भी शामिल हैं।
 - 2. शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना।
 - 3. रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में निगम द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा करना।
 - 4. कंपनी के शेयरधारकों द्वारा दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और लाभांश वारंट / वार्षिक रिपोर्ट / वैधानिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा करना।
- iii. वर्ष 2021–22 के दौरान हितधारक संबंध समिति की कोई बैठक आयोजित करने की आवश्यकता नहीं थी।
- iv. श्री पवन अग्रवाल कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी हैं।

ठ. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति [एनआरसी]

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 19बी के तहत नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।

i. 31 मार्च, 2022 तक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थेः

| क्रमांक | नाम | श्रेणी | पदनाम |
|---------|--------------------------|---------|----------------------------------|
| 1. | प्रो. अनिल कुमार | अध्यक्ष | स्वतंत्र निदेशक |
| 2. | श्री पंकज जैन | सदस्य | सरकार नामित निदेशक |
| 3. | श्री एम आर कुमार | सदस्य | कार्पोरेशन के पूर्णकालिक अध्यक्ष |
| 4. | डॉ रंजन शर्मा | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |
| 5. | श्री विनोद कुमार वर्मा | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |
| 6. | श्री गुरुमूर्ति महालिंगम | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |

- ii. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:
 - निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए पारिश्रमिक तैयार करना और निदेशकों,
 प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की अनुशंसा करना;
 - 2. स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक सिमिति बोर्ड पर कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, एक स्वतंत्र निदेशक के लिए आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी। स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति के पास इस तरह के विवरण में पहचानी गई क्षमताएं होंगी।





उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के हेतू, समिति निम्न कर सकती है:

- i. आवश्यक होने पर बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग
- ii. विविधता को ध्यान में रखते हुए, पृष्ठभूमि की एक विस्तृत श्रृंखला से उम्मीदवारों पर विचार; तथा
- उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धताओं पर विचार.
- बोर्ड को एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अनुशंसा करना;
- 4. स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
- 5. बोर्ड विविधता पर नीति तैयार करना:
- उन व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के योग्य हैं या जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार विरष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, बोर्ड को उनकी नियुक्ति और हटाने की अनुशंसा करना;
- स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अविध बढ़ाने या जारी रखने का निर्धारण करना;
- 8. बोर्ड को एलआईसी अधिनियम की धारा 4 की उप—धारा (2) के खंड (ई) या (एफ) या (जी) के तहत नामित या नियुक्त निदेशक को बैठक शुल्क के रूप में देय राशि से संबंधित नीति की सिफारिश करना, बशर्तें ऐसे शुल्क की सीमा उस सीमा से अधिक न हो जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी के निदेशक को देय बैठक शुल्क के संबंध में लागू हो सकती है;
- विरष्ठ प्रबंधन को देय सभी पारिश्रमिक, किसी भी रूप में, बोर्ड को अनुशंसित करना; तथा
- 10. ऐसे अन्य कार्यों को करना जो समय—समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट या एलआईसी अधिनियम या सेबी सूचीबद्ध विनियमों के तहत संशोधित रूप में या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट / प्रदान किए जा सकते हैं
- iii. वर्ष 2021-22 के दौरान हुई नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की चार बैठकों में उपस्थिति नीचे दी गई है:

| क्रमांक | निदेशक का नाम | निदेशक पद की प्रकृति | समिति/बोर्ड में पदनाम | 23.07.2021 | 31.08.2021 | 20.01.2022 | 29.01.2022 |
|---------|---|--|--------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 1 | श्री पंकज जैन ^{\$} | सरकार नामित निदेशक | सदस्य | > | < | ~ | ~ |
| 2 | श्रीमती पद्मजा चुंडुरू *** | गैर – कार्यकारी निदेशक | सदस्य | > | < | | |
| 3 | श्री एम आर कुमार | <mark>। आर कुमार</mark> कार्पोरेशन के पूर्णकालिक अध्यक्ष | | ~ | \ | > | ~ |
| 4 | डॉ रंजन शर्मा ^{@@} | स्वतंत्र निदेशक | सदस्य | | | < | ~ |
| 5 | श्री विनोद कुमार वर्मा®® स्वतंत्र निदेशक सद | | सदस्य | | | ~ | ~ |
| 6 | प्रो अनिल कुमार# | स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष | | | | ~ |
| 7 | श्री गुरुमूर्ति महालिंगम⁺ | स्वतंत्र निदेशक | सदस्य | | | | |

^{\$}अध्यक्ष 02.07.2021 से 06.02.2022 तक

iv. स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंड

बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति ने स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंड निर्धारित किया है और इसका उल्लेख निदेशकों की योग्यता, नामांकन, नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और बोर्ड विविधता नीति के लिए नीति के पैरा 5.2 (v) के तहत किया गया है जिसे निम्न वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है; https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy.pdf.aspx

^{***} सदस्य 31.08.2021 तक

^{@@}10.11.2021 से सदस्य

[#]सदस्य 25.01.2022 से और अध्यक्ष 07.02.2022 से

^{*07.03.2022} से सदस्य





ड. आईपीओ समिति

एलआईसी बोर्ड के दिनांक 20.12.2021 के निर्णय के अनुसार आईपीओ से संबंधित कार्यों के सीमित उद्देश्य के लिए आईपीओ समिति का गठन किया गया था।

i. 31 मार्च, 2022 तक आईपीओ समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थेः

| क्रमांक | नाम | श्रेणी | पदनाम |
|---------|-----------------------|---------|-----------------|
| 1. | श्री एम.आर. कुमार | अध्यक्ष | अध्यक्ष |
| 2. | श्री राज कुमार | सदस्य | प्रबंध निदेशक |
| 3. | श्री सिद्धार्थ मोहंती | सदस्य | प्रबंध निदेशक |
| 4. | श्री बी सी पटनायक | सदस्य | प्रबंध निदेशक |
| 5. | डॉ. रंजन शर्मा | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |

- ii. आईपीओ समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:
 - 1. आवेदन के लिए अनुमोदन देना, स्पष्टीकरण मांगना, विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करना, जहां आवश्यक हो, सेबी, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ("आईआरडीएआई"), आरबीआई और किसी भी अन्य सरकारी या पेशकश के संबंध में आवश्यक वैधानिक प्राधिकरणों से छूट प्राप्त करना, और बोर्ड की ओर से, जब भी आवश्यक हो, ऐसी मंजूरी, अनुमित और संस्वीकृति देते समय ऐसी शर्तों और संशोधनों को स्वीकार करना जो उनमें से किसी के द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं या लगाई जा सकती हैं और ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस और प्रॉस्पेक्टस, जैसा लागू हो, में आवश्यक संशोधनों / संशोधनों को शामिल करना;
 - 2. जहां प्रयोजन हो, ऑफर ("बीआरएलएम") के लिए नियुक्त बुक रिनंग लीड मैनेजर्स के परामर्श से, प्रस्ताव के संबंध में ड्राफर रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, प्रारंभिक और अंतिम अंतरराष्ट्रीय रैप और किसी भी संशोधन, पूरक, नोटिस, पिरिशट या शुद्धिपत्र ("दस्तावेज़ ऑफ़र करें") और प्रॉस्पेक्टस को अंतिम रूप देना, निपटाना, स्वीकृत करना, अपनाना और फाइल करना, और सेबी, आईआरडीएआई, या किसी अन्य प्रासंगिक सरकारी और सांविधिक प्राधिकरणों या लागू कानूनों के अनुसार आवश्यक पिरवर्तन/ सुधार/ संशोधन सिहत इन दस्तावेजों को जमा करने और दाखिल करने के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई करना; और ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस, प्रारंभिक और अंतिम अंतर्राष्ट्रीय रैप, ऑफर एग्रीमेंट, सिंडिकेट एग्रीमेंट, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, शेयर एस्क्रो एग्रीमेंट, केश एस्क्रो एग्रीमेंट, ऑफर के रिजस्ट्रार के साथ एग्रीमेंट और अन्य सभी दस्तावेज, डीड, एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हों प्रस्ताव के रिजस्ट्रार, कानूनी सलाहकार, लेखा परीक्षक, विज्ञापन एजेंसी, स्टॉक एक्सचेंज (एस), बीआरएलएम, और किसी भी अन्य एजेंसियों / मध्यस्थों के साथ प्रस्ताव के संबंध में निगम के एक या एक से अधिक अधिकारियों को सभी को निष्पादित करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति के साथ या उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी या प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक या वांछनीय के रूप में कोई संशोधन; की सुपूर्दगी देना या व्यवस्थित करना;
 - 3. वास्तिवक ऑफ़र आकार, समय, मूल्य निर्धारण, छूट, आरक्षण और ऑफ़र के सभी नियमों और शर्तों पर जिसमें मूल्य बैंड, बोली अविध (एंकर निवेशकों के लिए निर्गम मूल्य सिहत), ऑफ़र मूल्य भी शामिल है, बीआरएलएम के परामर्श से निर्णय लेना, और प्रस्ताव के संबंध में कोई भी संशोधन, आशोधन, बदलाव या रूपांतरण करने सिहत ऐसे सभी कार्य और चीजें करना जो आवश्यक और समीचीन हो सकती हैं, और प्रस्ताव के लिए प्रासंगिक और सहायक हो सकती हैं;
 - 4. बीआरएलएम, प्रस्ताव के हामीदार, प्रस्ताव के सदस्यों को सिंडिकेट, प्रस्ताव के ब्रोकर, प्रस्ताव के एस्क्रो संग्रह बैंकर, प्रस्ताव के वापसी बैंकर, रिजस्ट्रार, प्रायोजक बैंक, कानूनी सलाहकार, लेखा परीक्षक, विज्ञापन एजेंसी और किसी भी अन्य एजेंसियों या व्यक्तियों या मध्यस्थों में प्रस्ताव के संबंध में, नियुक्ति करना और उनके साथ व्यवस्था करना और समापन करना और उनकी नियुक्ति की शर्तों पर बातचीत, अंतिम रूप देना और संशोधन करना, जिसमें बीआरएलएम के साथ जनादेश पत्र के निष्पादन और बातचीत, अंतिम रूप देना, निष्पादन और कमीशन, ब्रोकरेज आदि के भुगतान सिंहत ऐसे सभी मध्यस्थों/ एजेंसियों को मानदेय देना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है:
 - 5. यदि आवश्यक हो, तो उन पार्टियों, भारत में या भारत के बाहर सभी संबंधित सरकार और नियामक प्राधिकरण, की सहमित और/या छूट प्राप्त छूट प्राप्त करना जिनके साथ निगम ने विभिन्न वाणिज्यिक और अन्य समझौते किए हैं, और कोई अन्य सहमित और/या छूट प्राप्त करना जो ऑफ़र या उससे जुड़ी किसी भी कार्रवाई के संबंध में आवश्यक हो सकती है;
 - 6. एस्क्रो समझौते के अनुसार बैंक खाते खोलना और संचालित करना और निगम के एक या एक से अधिक अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक सभी दस्तावेजों / कार्यों को निष्पादित करने के लिए अधिकृत करना;





- 7. प्रस्ताव के संबंध में खर्च करने और शुल्क, कमीशन, दलाली, मानदेय और खर्चों की प्रतिपूर्ति के भुगतान को अधिकृत और अनुमोदित करना;
- लागू कानूनों के अनुसार प्रस्ताव की आय को स्वीकार और उचित करना;
- 9. आईपीओ प्रक्रिया के संबंध में इनसाइडर ट्रेडिंग, व्हिसल ब्लोइंग, जोखिम प्रबंधन सिहत किसी भी निगमित शासन (कॉरपोरेट गवर्नेंस) आवश्यकताओं के कार्यान्वयन को मंजूरी देना, जिसे बोर्ड या आईपीओ सिमित द्वारा आवश्यक माना जा सकता है या लागू कानूनों के तहत आवश्यक हो सकता है या सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, जैसा कि संशोधित किया गया है और निगम द्वारा संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कानून के तहत अनुमत सीमा तक सूचीबद्ध अनुबंध करना;
- 10. भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक मोड में रसीद/ आवंटन पत्र/ आवंटन नोटों पुष्टि को जारी करना, जोकि निगम की पूंजी में अंतर्निहित इक्विटी शेयरों का ऐसी विशेषताओं और विशेषताओं के साथ जो आवश्यक हो सकते हैं, को दर्शाती है और एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध सहित बाजार प्रथाओं और विनियमों के अनुसार व्यापार और निगम के एक या अधिक अधिकारियों को सभी या किसी वनरोपित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति के साथ स्वतंत्र हस्तांतरणीयता प्रदान करना;
- 11. प्रस्ताव के लिए नियुक्त संबंधित मध्यस्थों के परामर्श से प्रस्ताव के संबंध में नोटिस, विज्ञापनों को अधिकृत और अनुमोदित करना;
- 12. ऐसे सभी कार्यों, मामलों और चीजों को करना और ऐसे सभी अन्य दस्तावेजों आदि को निष्पादित करना, जिन्हें इस तरह के उद्देश्य के लिए आवश्यक या वांछनीय समझा जा सकता है, जिसमें निम्न भी शामिल हैं बिना किसी सीमा के, आवंटन के आधार को अंतिम रूप देना और सफल आवंटियों को कानून में अनुमत शेयरों को आवंटित करना, आवंटन पत्र जारी करना/ आबंटन नोटों की पुष्टि, प्रासंगिक नियमों के अनुसार बीआरएलएम के परामर्श से शेयर प्रमाण पत्र जारी करना;
- 13. इस प्रकार के सभी कृत्य, विलेख और चीजें करना जो इक्विटी शेयरों, समझौतों और/या ऐसे अन्य उपर्युक्त दस्तावेजों जो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों और ऐसी अन्य एजेंसियों, प्राधिकरणों या निकायों के लिए आवश्यक हो सकते हैं, को अभौतिकीकृत करना और हस्ताक्षर करना और/या संशोधित करना, जैसा भी मामला हो,
- 14. सूचीबद्धता प्राप्त करने के संबंध में, जिसमें बिना किसी सीमा के, लिस्टिंग समझौतों में प्रवेश करना और जहां आवश्यक हो, निगम की सामान्य मुहर लगाना शामिल है, इिक्वटी शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में इिक्वटी शेयरों की सूची के लिए आवेदन करना और संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को आवश्यक दस्तावेज की डिलीवरी या वितरण करना और व्यवस्थित करना:
- 15. प्रस्ताव के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों, किठनाइयों या शंकाओं का समाधान करना, जिसमें आवंटन, प्रस्ताव की शर्तें, प्रस्ताव की आय का उपयोग और प्रासंगिक मामले शामिल हैं, जैसा उचित हो सकता है;
- 16. आईपीओ प्रक्रिया के संबंध में सेबी, आईआरडीएआई और संबंधित स्टॉक एक्सचेंज (एस) जहां इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किया जाना है, को मंजूरी देने, उपक्रम/प्रमाणपत्र जमा करने या स्पष्टीकरण प्रदान करना;
- 17. किसी भी और सभी दस्तावेजों या लिखतों को अंतिम रूप देना, निपटान करना, निष्पादित करना और किसी भी और इस संकल्प के उद्देश्यों और मंशा को पूरा करने के लिए या प्रस्ताव के संबंध में और किसी भी दस्तावेज या उपकरणों को निष्पादित और वितिरत या कार्य करने के लिए सभी अन्य दस्तावेजों या उपकरणों को वितिरत करना और ऐसा कोई कार्य करना या करवाना जिसे आईपीओ सिनित आवश्यक, उचित या करने योग्य समझती हो और आईपीओ सिनित द्वारा की गई या की जाने वाली चीजें ऐसा करने में आईपीओ सिनित के अधिकार का निर्णायक सबूत होंगी;
- 18. बीआरएलएम के परामर्श से और लागू कानूनों के अनुसार निवेशकों के साथ प्रासंगिक दस्तावेजों के निष्पादन के संबंध में मूल्य निर्धारण और अन्य सभी संबंधित मामलों को तय करना, बातचीत करना और अंतिम रूप देना;
- 19. ज्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को वापस लेने के लिए या लागू कानूनों के अनुसार और बीआरएलएम के परामर्श से किसी भी स्तर पर प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने का निर्णय न लेना; तथा
- 20. निगम के अधिकारियों को लागू कानूनों के तहत आवश्यक और अनुमेय समझी जाने वाली अपनी किसी भी शक्ति को सौंपना।





iii. वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित आईपीओ समिति की एक बैठक में उपस्थिति नीचे दी गई है:

| क्रमांक | निदेशक का नाम* | पदनाम | समिति/ बोर्ड में पदनाम | 11.02.2022 |
|---------|-----------------------|---------|------------------------|------------|
| 1 | श्री एम आर कुमार | अध्यक्ष | अध्यक्ष | ~ |
| 2 | श्री राज कुमार | सदस्य | प्रबंध निदेशक | ~ |
| 3 | श्री सिद्धार्थ मोहंती | सदस्य | प्रबंध निदेशक | ~ |
| 4 | श्री बी सी पटनायक | सदस्य | प्रबंध निदेशक | ~ |
| 5 | डॉ. रंजन शर्मा | सदस्य | स्वतंत्र निदेशक | ~ |

^{*20.12.2021} से सदस्य

निदेशकों के पारिश्रमिक:

i) वर्ष 2021–22 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को दिये गए पारिश्रमिक निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

| निदेशक का नाम | पद | वेतन और भत्ते | प्रदर्शन से जुड़ा प्रोत्साहन | अन्य लाभ और अनुलाभ | पेंशन | कुल मानदेय |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|-------|------------|
| श्री एम आर कुमार | अध्यक्ष | 45.11 | 7.00 | 19.81 | 0.00 | 71.92 |
| श्री विपिन आनंद | प्रबंध निदेशक | 20.80 | 5.50 | 7.16 | 6.94 | 40.39 |
| श्री मुकेश कुमार गुप्ता | प्रबंध निदेशक | 29.81 | 5.50 | 12.74 | 0.00 | 48.05 |
| श्री राज कुमार | प्रबंध निदेशक | 47.18 | 5.50 | 18.05 | 0.00 | 70.73 |
| श्री सिद्धार्थ मोहंती | प्रबंध निदेशक | 56.04 | 0.89 | 18.45 | 0.00 | 75.38 |
| श्रीमती आईप मिनी | प्रबंध निदेशक | 21.93 | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 41.33 |
| श्री बी सी पटनायक | प्रबंध निदेशक | 16.41 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 29.69 |

नोट:

- 1. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निगम के पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन देय हैं।
- 2. वेतन और भत्तों में अगस्त 2017 से मार्च 2021 की अवधि के लिए भुगतान किए गए बकाया शामिल हैं।
- 3. वर्ष के दौरान निगम द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया गया था।
- 4. पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें कर्मचारी नियमों के प्रावधानों के साथ—साथ एलआईसी नियमों और विनियमों द्वारा नियंत्रित होती हैं।
- 5. निगम द्वारा निगम के किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के साथ कोई अन्य आर्थिक संबंध या व्यावसायिक लेनदेन नहीं किया गया है।
- ii) सरकारी नामित निदेशक को कोई पारिश्रमिक, बैठक शुल्क आदि का भुगतान नहीं किया जाता है। हमारे निगम के बोर्ड द्वारा पारित 26 जुलाई, 2021 के संकल्प के अनुसार, जीवन बीमा निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियुक्त हमारे स्वतंत्र निदेशक बोर्ड की बैठक में 80,000 रुपये प्रित बैठक और समितियों की बैठक में रु 60,000 प्रित बैठक शुल्क प्राप्त करने के हकदार हैं तथा बाहरी निदेशकों यदि बैठकों में भाग लेते हैं तो वें यात्रा, ठहरने और परिवहन खर्च की प्रतिपूर्ति के योग्य होते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान हमारे स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण इस प्रकार है:





(₹ लाख में)

| बैठक का विवरण | डॉ. रंजन शर्मा | विनोद कुमार वर्मा | अनिल कुमार | अंजुली चिब दुग्गल | गुरुमूर्ति महालिंगम | राज कमल | वी एस पार्थसारथी | एम पी विजय कुमार | संजीव नौटियाल |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------------|
| बोर्ड | 5.60 | 5.60 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| कार्यकारी समिति | 1.20 | - | - | 1.20 | 1.20 | - | 1.20 | - | - |
| निवेश समिति | - | - | - | - | 0.60 | 0.60 | - | 0.60 | - |
| लेखा परीक्षा समिति | 3.60 | 1.20 | 2.40 | - | - | - | 2.40 | 2.40 | - |
| जोखिम प्रबंधन समिति | 1.20 | - | - | - | 0.60 | - | - | - | 0.60 |
| पॉलिसीधारकों की सुरक्षा समिति | - | 1.20 | - | 0.60 | - | - | - | - | 0.60 |
| सहित—लाभ समिति | - | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - |
| नामांकन और पारिश्रमिक समिति | 1.20 | 1.20 | 0.60 | - | - | - | - | - | - |
| आईपीओ समिति | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| कुल बैठक शुल्क | 13.40 | 9.80 | 7.00 | 5.00 | 5.60 | 3.80 | 6.80 | 6.20 | 4.40 |

साधारण निकाय की बैठकें:

| क. | स्थान एवं समय, जहा पिछली तीन वार्षिक साधारण बैठकें आयोजित की गई। | लागू नहीं |
|----|--|-----------|
| ख. | क्या पिछली तीन वार्षिक साधारण बैठकों में कोई विशेष प्रस्ताव पारित किया गया है; | लागू नहीं |
| ग. | क्या पिछले वर्ष डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था - मतदान पैटर्न का विवरण | लागू नहीं |
| घ. | डाक मतपत्र अभ्यास करने वाले व्यक्तिः; | लागू नहीं |
| ङ. | क्या डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प किए जाने का प्रस्ताव है; | नहीं |
| च. | डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) की प्रक्रिया। | लागू नहीं |

6. संसूचना के माध्यम

वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए निगम के वार्षिक वित्तीय परिणाम 31 मई, 2022 को इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी), महाराष्ट्र टाइम्स (मराठी) और नवभारत टाइम्स (हिंदी) में प्रकाशित किए गए थे और ये निगम की वेबसाइट www.licindia.in पर भी उपलब्ध हैं।

सामान्य शेयरधारक जानकारी:

| 1 | आगामी पहली वार्षिक साधारण बैठक दिन, तिथि, समय और स्थान | मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 को 1430 बजे वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य औडियो विडियो माध्यमों के माध्यम से आयोजित की जाएगी |
|---|---|--|
| 2 | वित्तीय वर्ष | 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 |
| 3 | लाभांश भुगतान तिथि | 26 अक्टुबर 2022 या उससे पहले |
| 4 | स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध | कॉर्पोरेशन के इक्विटी शेयरों को 17 मई 2022 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (BSE) पर किया गया। संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों का पता नीचे दिया गया है: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड: एक्सचेंज प्लाजा, सी–1, ब्लॉक जी, बांद्रा – कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 बीएसई लिमिटेड: फ़िरोज़ जीजी भोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई 400 001 |
| 5 | सूचीबद्ध शुल्क का भुगतान | निगम ने एनएसई और बीएसई को प्रासंगिक अवधि के लिए वार्षिक सूचीबद्ध शुल्क का भुगतान किया है |
| 6 | पूँजी संहिता | बीएसई सुरक्षा कोडः 543526 एनएसई प्रतीकः LICI |



| 7 | बाजार मूल्य डेटा— पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह के दौरान उच्च, निम्न | लागू नहीं | | |
|----|--|--|------------|----------|
| 8 | सेंसेक्स , क्रिसिल इंडेक्स आदि जैसे व्यापक—आधारित सूचकांकों की तुलना में प्रदर्शन | लागू नहीं | | |
| 9 | यदि प्रतिभूतियों को व्यापार से निलंबित कर दिया जाता हैं तो निदेशकों की रिपोर्ट में इसका कारण स्पष्ट करना होगा | लागू नहीं | | |
| 10 | इश्यू का रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स; | केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यूनिटः भारतीय जीवन बीमा निगम, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31—32, गच्चीबौली, वित्तीय जिला, नानकरंगुडा, हैदराबाद — 500 032 ईमेलः einward.ris@kfintech.com | | |
| | | वेबसाइटः www.kfintech.com टोल फ्री नंबरः 1800-309-4001 | | |
| 11 | शेयर ट्रांसफर सिस्टम (शेयर अंतरण) | सभी शेयर डीमैट हैं। | | |
| 12 | शेयरधारिता का वितरण | 31 मार्च 2022 तक, भारत के राष्ट्रपति निगम के एकमात्र शेयरधारक थे। कृपया 17 मई 2022 को शेयरधारिता वितरण के लिए तालिका ६ देखे अर्थात निगम के बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होने की तिथि | | |
| 13 | शेयरों और चलनिधि का अभौतिकीकरण | इक्विटी शेयरों का विवरण | संख्या | % का कुल |
| | | डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखे हुए | 6324997701 | 100 |
| | | फिजिकल मोड में रखे हुए | शून्य | शून्य |
| | | कुल | 6324997701 | 100 |
| 14 | बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, रूपान्तरण की तारीख और इक्विटि पर संभावित प्रभाव; | निगम ने ऐसी कोई प्रतिभूति जारी नहीं की है। | | |
| 15 | कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां | लागू नहीं है, क्योंकि निगम ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है। | | |
| 16 | संयंत्र स्थान | चूंकि निगम जीवन बीमा के व्यवसाय में है, संयंत्र स्थान के संबंध में प्रकटीकरण लागू नहीं है। | | |
| 17 | पत्रव्यवहार हेतु पता | विहार हेतु पता केंद्रीय कार्यालय का पता: भारतीय जीवन बीमा निगम बोर्ड और सिववीय विभाग, योगक्षेम सातवी मंजिल, पूर्वी स्कन्ध जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई — 400 021 ईमेल पता: investors@licindia.com दूरभाष नंबर: 022—6659—9335/ 9334/ 9391/ 9464 वेबसाइट: www.licindia.in रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज लिमेटेड यूनिट: भारतीय जीवन बीमा निगम, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31—32, गच्चीबौली, वित्तीय जीला, नानकरंगुडा, हैदराबाद — 500 032 ईमेल: einward.ris@kfintech.com वेबसाइट: www.kfintech.com टोल फ्री नंबर: 1800-309-4001 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |





18 संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी संशोधन के साथ इकाई द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग की सूची, ऐसी इकाई के सभी ऋण उपकरणों या किसी साविध जमा कार्यक्रम या किसी भी योजना या सूचीबद्ध इकाई के प्रस्ताव जिसमें धन जुटाना शामिल है, चाहे वह भारत में हो या विदेश में

तालिका – । – निगम की शेयरधारिता का विवरण

(क) 17 मई, 2022 को वितरण अनुसूची (शेयरों की सूची की तिथि):

| क्रमांक | श्रेणी (राशि) | शेयरधारकों की संख्या | कुल शेयरधारकों का % | शेयर की संख्या | % से कुल शेयर |
|---------|---------------|-------------------------|------------------------|----------------|---------------|
| 1 | 1-5000 | 3910637 | 99.8762 | 93865132 | 1.48 |
| 2 | 5001- 10000 | 1492 | 0.0381 | 1078192 | 0.02 |
| 3 | 10001- 20000 | 839 | 0.0214 | 1120185 | 0.02 |
| 4 | 20001- 30000 | 533 | 0.0136 | 1223391 | 0.02 |
| 5 | 30001- 40000 | 162 | 0.0041 | 560185 | 0.01 |
| 6 | 40001- 50000 | 975 | 0.0249 | 4339018 | 0.07 |
| 7 | 50001- 100000 | 284 | 0.0073 | 2189160 | 0.03 |
| 8 | और 100001 ऊपर | 563 | 0.0144 | 6220622438 | 98.35 |
| | कुल | 3915485 | 100 | 6324997701 | 100.00 |

(ख) 17 मई, 2022 तक शेयरधारिता पैटर्नः

| क्रमांक | शेयरधारक की श्रेणी | इक्विटी शेयरों की संख्या | % से कुल इक्विटी शेयर |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | भारत के राष्ट्रपति | 6103622781 | 96.5 |
| 2 | निवासी व्यक्ति | 103598610 | 1.6379 |
| 3 | म्यूचुअल फंड्स | 50378435 | 0.7965 |
| 4 | निकाय निगम | 19099923 | 0.302 |
| 5 | विदेशी पोर्टफोलियो — निगम | 14098963 | 0.2229 |
| 6 | योग्य संस्थागत खरीदार | 12675500 | 0.2004 |
| 7 | बैंकों | 12299780 | 0.1945 |
| 8 | समाशोधन सदस्य | 4003811 | 0.0633 |
| 9 | एचयूएफ | 2611212 | 0.0413 |
| 10 | अनिवासी भारतीय | 945103 | 0.0149 |
| 11 | वैकल्पिक निवेश कोष | 546389 | 0.0086 |
| 12 | अनिवासी भारतीय गैर प्रत्यावर्तनीय | 462101 | 0.0073 |
| 13 | भारतीय वित्तीय संस्थान | 271040 | 0.0043 |
| 14 | ट्रस्ट | 202876 | 0.0032 |
| 15 | एनबीएफसी | 181177 | 0.0029 |
| | कुल | 6324997701 | 100 |





अन्य प्रकटीकरण

क. संबंधित पार्टी लेनदेन:

निगम की संबंधित पार्टी लेनदेन (आरपीटी) पर एक नीति है और यह निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसके लिए वेब—लिंक https://licindia.in/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct आरपीटी पर नीति के अनुसार, सभी संबंधित पार्टी लेनदेन लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित हैं। लेखापरीक्षा समिति ने आरपीटी पर नीति के अनुरूप वर्ष 2021-2022 के दौरान संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए सर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान किया है। निगम द्वारा वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया गया है।

- ख. विगत तीन वर्षों की अवधि के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर निगम द्वारा गैर-अनुपालन, स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा निगम पर लगाई गई शास्ति का विवरण: निगम 17 मई, 2022 से पूंजी बाजार नियामक की जांच के दायरे में है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में निगम के विरुद्ध गैर-अनुपालन के मामले नहीं थे।
- ग. सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीतिः ईमानदारी और नैतिक व्यवहार जैसे व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों को अपनाकर निगम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीक से मामलों के संचालन में विश्वास करता है, अतः इसी उद्देश्य के तहत जिम्मेदार और सुरिक्षत विहसल ब्लोअर को बढ़ावा देने के लिए ढांचा तैयार किया है। निगम ने एक व्हिसल—ब्लोअर नीति तैयार की है जिसके अंतर्गत हितधारक अनुबंध के किसी भी उल्लंघन, धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी सहित वित्तीय अनियमितताओं, कानूनों, नियमों, विनियमों और किसी भी अन्य अनैतिक घटना के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। नीति में उल्लंघनों की रिपोर्ट करने वालों की गोपनीयता बनाए रखे जाने का प्रावधान है और इसके तहत रिपोर्ट करने वाले के साथ कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। नीति के तहत प्रकटीकरण दाखिल करने की प्रक्रिया निगम की व्हिसल-ब्लोअर नीति के तहत निगम की वेबसाइट पर होस्ट की गई है। एक व्हिसल-ब्लोअर के पास ऑडिट कमेटी के साथ-साथ ऑडिट कमेटी के अध्यक्ष को किसी भी मामले की रिपोर्ट करने की पूरी पहुंच होती है।

घ. अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने का विवरण:

निगम ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (2) (बी) से 46 (2) (आई) में निर्दिष्ट सभी अनिवार्य आवश्यकताओं और कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित गैर—अनिवार्य आवश्यकताओं को भी, जहां तक संभव हो, निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

| अनु क्रमांक | विवेकाधीन आवश्यकताएं | दर्जा |
|----------------|--|---|
| 1 | एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर एक अध्यक्ष के कार्यालय को बनाए रखने का हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति है। | लागू नहीं |
| 2 | पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय प्रदर्शन की अर्ध—वार्षिक घोषणा शेयरधारकों के प्रत्येक परिवार को भेजी जा सकती है। | त्रैमासिक और अर्ध—वार्षिक वित्तीय परिणाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं और साथ ही शेयरधारकों और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए बोर्ड की मंजूरी के तुरंत बाद स्टॉक एक्सचेंजों में प्रसारित किए जाते हैं। |
| 3 | सूचीबद्ध इकाई असंशोधित लेखापरीक्षा राय के साथ वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर बढ़ सकती है | निगम असंशोधित लेखापरीक्षा राय के शासन में है। |
| 4 | सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर अलग—अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, जैसे कि अध्यक्ष — (क) एक गैर—कार्यकारी निदेशक हो; तथा (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित रिश्तेदार शब्द की परिभाषा के अनुसार प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संबंधित नहीं है | वर्तमान में, एलआईसी के पास एक पूर्णकालिक अध्यक्ष है। एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (ए) (ii) के अनुसार, 3 साल की प्रारंभिक अविध के बाद यानी 29 जून, 2024 के बाद बोर्ड के अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नामित या नामित किए जाने वाले गैर—कार्यकारी निदेशकों में से होंगे।। इसके अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक का अलग—अलग पद भी होगा। |
| 5 | आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकता है | आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है। |

- ङ. वेब लिंक जहां 'महत्वपूर्ण' सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीतिः 'महत्वपूर्ण' सहायक कंपनियों के निर्धारण की नीति का खुलासा निगम की वेबसाइट https://licindia.in/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct पर किया गया है।
- च. कमोडिटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियों का प्रकटीकरणः यह इस पर लागू नहीं है, क्योंकि निगम ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है।
- छ. विनियम 32 (7ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमानी आवंटन या योग्य संस्थानों के स्थापन के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग का विवरणः वित्तीय वर्ष के दौरान, निगम ने अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थानों के स्थापन के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है।
- ज. कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र कि कंपनी के बोर्ड में किसी भी निदेशक को बोर्ड/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है: जैसा कि सेबी (एलओडीआर) के तहत





आवश्यक है, मैसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यम एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ने प्रमाणित किया है कि निगम के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी वैधानिक या अन्य प्राधिकरण द्वारा निगम के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

- झ. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जहां बोर्ड ने बोर्ड की किसी भी समिति की किसी भी संस्तुति को स्वीकार नहीं किया था।
- ञ. सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म/ नेटवर्क इकाई, जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, में सभी संस्थाओं को समेकित आधार पर भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्कः सांविधिक से संबंधित विवरण अनुसूची 3 और वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियों में दिया गया है।
- ट. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

निगम की महिला कर्मचारियों को पुरुष कर्मचारियों के बराबर माना जाता है। हमारे संगठन में महिला कर्मचारियों को एक स्वस्थ और सम्मानजनक कार्य स्थिति प्रदान की जाती है, जहां भी वे तैनात होती हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं। सरकारी प्रावधानों के अनुसार, आंतरिक शिकायत समिति के रूप में जानी जाने वाली एक समिति में एक अध्यक्ष होता है और एनजीओ के एक बाहरी सदस्य सहित तीन सदस्यों का गठन केंद्रीय कार्यालय, आठ क्षेत्रीय कार्यालयों और सभी मंडल कार्यालयों में किया जाता है। समिति की अध्यक्ष हमेशा वरिष्ठ संवर्ग की महिला होती है। इसके अलावा प्रत्येक शाखा/ मंडल/ क्षेत्र और केंद्रीय कार्यालय में संबंधित कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की शिकायतों से निपटने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था है। इस संबंध में हमारे सभी कार्यालयों को व्यापक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निगम में 31.03.2022 तक महिला कर्मचारियों के आंकड़े इस प्रकार हैं:

| श्रेणी | महिला कर्मचारी | कुल कर्मचारी | |
|---------|----------------|--------------|--|
| I | 7191 | 31074 | |
| II | 1191 | 20560 | |
| III &IV | 15712 | 52402 | |
| कुल | 24094 | 104036 | |

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत यौन उत्पीड़न की शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है:

- क. वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या 9. (पूर्व तीन शिकायतों सहित जो निष्कर्ष के लिए लंबित थीं)
- ख. वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या 5
- ग. वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या- 4
- ठ. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम की यह निगमित शासन रिपोर्ट सूचीबद्ध विनियमों के तहत निगमित शासन की आवश्यकताओं के अनुपालन में है, यथा प्रयोजनीय।
- ड. निगम ने सूचीकरण विनियमों के विनियम 46 के उप—विनियम (2) के विनियम 17 से 27 और खंड (बी) से (i) में निर्दिष्ट सभी लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, जहां तक प्रयोजनीय है
- ढ़) डीमैट सस्पेंस खाते**/** अनक्लेम्ड (अदावाकृत) सस्पेंस खाते के संबंध में प्रकटीकरणः लागू नहीं है क्योंकि निगम ने 17 मई, 2022 को स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर सूचीबद्ध किए हैं।





बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा निगम की आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि निगम ने बोर्ड के सदस्यों और निगम के वरिष्ठ प्रबंधन के हेतु आचार संहिता निर्धारित की है और इसे निगम की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निगम के निदेशकों और विष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए उक्त आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

(एम आर कुमार) पूर्णकालिक अध्यक्ष

स्थानः मुंबई

दिनांक: 27 मई, 2022







S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO Company Secretaries

10/25–26, दूसरी मंजिल, बृंदाबन, ठाणे (पश्चिम) – 400 601 दूरभाषः +91 22 25345648 |+91 22 25432704 ईमेलः snaco@snaco.net |W: www.snaco.net

आईसीएसआई यूनिक कोड: P1991MH040400

प्रपत्र संख्या MR-3 सचिवीय समीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च , 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 24ए सहित पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में, सदस्यगण, भारतीय जीवन बीमा निगम योगक्षेम, जीवन मार्ग, मुंबई 400021.

भारत के राष्ट्रपति ने, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2)(बी), संशोधित (एससीआरआर) सह-पठित सेबी के विनियम 31 (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ, विनियम 2018) और उक्त विनियमों के विनियम 6(1) के अनुपालन में, ड्राफ्ट रेड हेरिंग / लेटर ऑफ ऑफर दिनांक 13 फरवरी 2022 के माध्यम से उसी तारीख को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के पास दाखिल किए गए के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम / एलआईसीआई) के प्रत्येक 10 रुपये के 221,374,920 इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए पेशकश की है।

निगम के इक्विटी शेयरों के 31 मार्च 2022 को या उससे पहले स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर विनियम) के लागू होने की प्रत्याशा में, निगम ने हमें एलओडीआर विनियमों के विनियम 24A के तहत प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नियुक्त किया। निगम के इक्विटी शेयरों को 17 मई 2022 को बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टॉक एक्सचेंज) के साथ सूचीबद्ध किया गया था, और उस सीमा तक उक्त विनियम 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निगम पर लागू नहीं था।

हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और भारतीय जीवन बीमा निगम (इसके बाद "निगम" कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित प्रथाओं के पालन की सचिवीय समीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से आयोजित की गई थी जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण / वैधानिक अनुपालन करता है और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का मूल्यांकन के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

निगम की पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, फॉर्म और रिटर्न और निगम द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के सत्यापन और निगम, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, निगम ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और निगम के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र है जो उस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है।

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच की है:

- і. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), और उसके तहत बनाए गए नियम- निगम पर लागू सीमा तक;
- ii. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम-लागू नहीं हैं क्योंकि समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं किया गया था;
- iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपनियम;





- iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तकः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक लागू नहीं;
- v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:
 - a. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;
 - b. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइंडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015; 13 फरवरी 2022 से लागू, इसके इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए बीएसई/एनएसई के साथ डीआरएचपी दाखिल करने की तिथि;
 - c. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), 2018- 13 फरवरी 2022 से लागू, इसके इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए बीएसई/एनएसई के साथ डीआरएचपी दाखिल करने की तिथि;
 - मारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (12 अगस्त, 2021 तक) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और पसीना इक्विटी) विनियम, 2021 (से प्रभावी) 13 अगस्त, 2021) लागू नहीं है क्योंकि इकाई सूचीबद्ध नहीं है / समीक्षाधीन अविध के दौरान उक्त नियमों के तहत निदेशकों / कर्मचारियों को कोई शेयर / विकल्प जारी नहीं किया है;
 - e. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008 (15 अगस्त, 2021 तक) लागू नहीं है क्योंकि इकाई ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान ऋण प्रतिभूतियों को जारी और सूचीबद्ध नहीं किया है;
 - f. कंपनी अधिनियम और क्लाइंट के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993 – लागू नहीं क्योंकि इकाई समीक्षाधीन अवधि के दौरान जारी करने के लिए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में पंजीकृत नहीं है;
 - g. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2009 (9 जून, 2021 तक) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2021 (10 जून, 2021 से प्रभावी) - समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रतिभूतियाँ स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं थी इसलिए लागू नहीं;
 - h. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रतिभूतियाँ स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं थी इसलिए में लागू नहीं;
 - i. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 (16 अगस्त, 2021 से प्रभावी) लागू नहीं है क्योंकि इकाई ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान स्टॉक एक्सचेंजों के साथ ऋण प्रतिभूतियों को जारी नहीं किया है;
 - j. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 लागू नहीं क्योंकि इकाई द्वारा जारी प्रतिभूतियां समीक्षाधीन अविध के दौरान स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं थीं।
- vi. प्रबंधन ने निगम पर विशेष रूप से लागू निम्नलिखित कानूनों की पहचान की है और उनकी पुष्टि की है:
 - i. भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (एलआईसी अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम,
 - ii. बीमा अधिनियम, 1938 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम (उस हद तक जो एलआईसी अधिनियम के अनुरूप हैं)
 - iii. भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम, विनियम और दिशानिर्देश, (उस सीमा तक जो एलआईसी अधिनियम, नियमों और विनियमों के अनुरूप हैं)
 - iv. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और उसके अधीन बनाए गए नियम
 - हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:
 - (i) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (भारत के कंपनी सचिव संस्थान) द्वारा जारी निदेशक मंडल (एसएस -1) और सामान्य बैठक (एसएस -2) की बैठक के संबंध में सचिवीय मानक;
 - (ii) स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग समझौतेः लागू नहीं क्योंकि इकाई द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं शीं।

समीक्षाधीन अविध के दौरान निगम ने ऊपर उल्लिखित अिधनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:





- निगम के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों, कम से कम एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अविध के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन लागू अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।
- सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक/ समिति की बैठकें, कार्यसूची निधारित करने के लिए पर्याप्त सूचना दी जाती है और एजेंडे पर विस्तृत नोट्स बैठक से सात दिन पहले भेजे गए थे, उन मामलों को छोड़कर जिनमें नोटिस, कार्यसूची और नोट्स पर कार्यसूची के परिचालन की सहमित निदेशकों से अल्प सूचना द्वारा प्राप्त कर ली गई थी।
- बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी की एक व्यवस्था उपलब्ध है।
- बोर्ड और सिमिति की बैठक के सभी निर्णय अपेक्षित बहुमत के साथ किए गए।

हम आगे रिपोर्ट करते है कि निगम द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की समीक्षा के आधार पर और कंपनी सचिव द्वारा आईआरडीएआई अनुपालनों के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से जारी किए गए अनुपालन प्रमाणपत्रों के आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठकों में रिकॉर्ड पर आधारित निगम और उसकी सहायक कंपनियों के सभी विभागों द्वारा जारी / प्राप्त किए गए अनुपालन प्रमाण पत्र, के आधार पर हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय है कि निगम में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगम के आकार और संचालन के अनुरूप निगम में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षा अवधि के दौरान उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के अनुसरण में निगम के मामलों पर एक प्रमुख प्रभाव डालने वाली नीचे सूचीबद्ध घटनाओं के अलावा कोई विशिष्ट घटना / कार्रवाई नहीं थी।

- 8 सितंबर 2021 को भारत के राष्ट्रपित (भारत सरकार) को 10,00,00,000 इक्विटी शेयर और 6,22,49,97,701 इक्विटी शेयरों का निर्गम और आवंटन इसके द्वारा वित्त मंत्रालय के माध्यम से किए गए अंशदान और जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के तहत बोनस निर्गम के आधार पर किया गया।
- निगम के इक्विटी शेयरों को भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 10/- रुपये के 221,374,920 इक्विटी शेयरों (निगम की चुकता पूंजी का 3.5% के लिए लेखांकन) की बिक्री के प्रस्ताव के माध्यम से 17 मई 2022 से स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध किया गया है।

इस रिपोर्ट को हमारे सम तिथि पत्र के साथ पढा जाना है जो अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

कृते एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी कंपनी सचिव आईसीएसआई यूनिक कोड: P1991MH040400 सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र क्रमांक: 606/2019

एस एन अनंतसुब्रमण्यन साझेदार एफसीएसः 4206 |कॉप नंबर :1774

आईसीएसआई उडीन: F0042063000357781

20 मई, 2022 | टाणे







अनुलग्नक -A

सेवा में, सदस्यगण, भारतीय जीवन बीमा निगम योगक्षेम , जीवन मार्ग , मुंबई 400021

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सम तिथि की हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढी जानी है।

प्रबंधन का उत्तरदायित्व

1 यह निगम के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है कि वह साचिविक अभिलेखों को बनाये रखें एवं लागू नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और प्रणाली पर्याप्त है एवं समुचित रूप से कार्य कर रही है को सुनिश्चित करने के लिये उचित प्रणाली तैयार करे।

लेखा परिक्षको का उत्तरदायित्व

- 2. हमारी जिम्मेदारी सचिवीय अनुपालन के संबंध में निगम द्वारा अपनाए जाने वाले इन सचिवीय अभिलेखों, मानकों और प्रक्रियाओं पर एक राय व्यक्त करना है।
- 3. हमने भारत के कंपनी सचिव संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज) ऑफ इंडिया द्वारा जारी लागू लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है।
- 4. हम मानते हैं कि निगम के प्रबंधन से प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और जानकारी हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।
- 5. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त किया है कि निगम द्वारा बनाए गए सचिवीय लेखा परीक्षा के संबंध में तैयार किए गए विवरण, दस्तावेज या रिकॉर्ड गलत विवरण से मुक्त हैं या नहीं।
- 6. जहां कहीं आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

अस्वीकरण

- हमने इस रिपोर्ट को जारी करने के उद्देश्य से कोविड 19 महामारी प्रेरित लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण निगम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों और सूचनाओं के आधार पर दूरस्थ रूप से लेखा परीक्षा की है।
- सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो निगम की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही वह प्रभावकारिता या प्रभावशीलता है जिसके साथ प्रबंधन
 ने निगम के मामलों का संचालन किया है।
- 9. हमने निगम के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

कृते एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी के लिएकंपनी सचिव आईसीएसआई यूनिक कोड: P1991MH040400 सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र क्रमांक: 606/2019

एस एन अनंतसुब्रमण्यन साझेदार

एफसीएसः 4206 | कॉप नंबरः 1774

आईसीएसआई उडीन: F0042063000357781

20 मई, 2022 | ठाणे







S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO Company Secretaries

10/25-26, दूसरी मंजिल, बृंदाबन, ठाणे (पश्चिम) - 400 601

दूरभाषः +91 22 25345648 | +91 22 25432704 ईमेलः snaco@snaco.net | W: www.snaco.net आईसीएसआई यूनिक कोडः P1991MH040400

निगमित शासन प्रमाणपत्र

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची v पैरा ई के अनुसार]

1. पृष्ठभूमि

भारत के राष्ट्रपति ने, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2)(बी), संशोधित (एससीआरआर) सह-पठित सेबी के विनियम 31 (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ, विनियम 2018) और उक्त विनियमों के विनियम 6(1) के अनुपालन में, ड्राफ्ट रेड हेरिंग / लेटर ऑफ ऑफर दिनांक 13 फरवरी 2022 के माध्यम से उसी तारीख को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के पास दाखिल किए गए के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम / एलआईसीआई) के प्रत्येक 10 रुपये के 221,374,920 इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए पेशकश की है।

निगम के इक्विटी शेयरों के 31 मार्च 2022 को या उससे पहले स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर विनियम) के लागू होने की प्रत्याशा में, निगम ने हमें एलओडीआर विनियमों के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा ई के अनुसार आवश्यक कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नियुक्त किया है। निगम के इक्विटी शेयरों को 17 मई 2022 को बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टॉक एक्सचेंज) के साथ सूचीबद्ध किया गया था।

2. प्रबंधन का उत्तरदायित्व

सूचीकरण विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन निगम के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। प्रबंधन इसकी निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाएं तैयार करेगा।

हमारा उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी निगम द्वारा अपनाई गई प्रणालियों, आंतरिक नियंत्रणों और प्रक्रियाओं की जांच करने और कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों की निगरानी और शर्तों को सुनिश्चित करने और उस पर रिपोर्ट करने के लिए उसके कार्यान्वयन तक सीमित है।

4. राय

जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमारी जांच के आधार पर, प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी, स्पष्टीकरण और अभ्यावेदन हम प्रमाणित करते हैं कि, निगम एलओडीआर विनियमों में कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रावधानों के अनुपालन में है, जैसा कि 31 मार्च 2022 तक बोर्ड, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और नीतियों के निर्माण सहित अपने प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने के समय निगम द्वारा सेबी





5. अस्वीकरण

- 5.1. हमने निगम के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
- 5.2. यह रिपोर्ट न तो निगम की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में है जिसके साथ प्रबंधन ने निगम के मामलों का संचालन किया है।

कृते एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी के लिए कंपनी सचिव आईसीएसआई यूनिक कोड: P1991MH040400 सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र क्रमांकः 606/2019

एस एन अनंतसुब्रमण्यन साझेदार एफसीएसः ४२०६ | कॉप नंबरः 1774

आईसीएसआई उडीनः F004206**D**000357966

20 मई, 2022|ठाणे







S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO Company Secretaries

10/25-26, दूसरी मंजिल, बृंदाबन, टाणे (पश्चिम) - 400 601

दूरभाषः +91 22 25345648 | +91 22 25432704 ईमेलः snaco@snaco.net | W: www.snaco.net आईसीएसआई यूनिक कोडः P1991MH040400

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i) के अनुसरण में]

सेवा में भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्य योगक्षेम, जीवन मार्ग, मुंबई 400021

भारत के राष्ट्रपति, सेबी के विनियम 31 के साथ पिठत प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957, यथा संशोधित (ठएससीआरआरठ) के नियम 19(2) (बी) (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गमन, विनियम 2018 और उक्त विनियमों के विनियम 6(1) के अनुपालन में, भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम/निगम/ एलआईसीआई) के अनुसार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के माध्यम से कार्य कर रहे हैं ड्राफ्ट रेड हेरिंग लेटर ऑफ ऑफर दिनांक 13 फरवरी 2022 को भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड के पास उसी तारीख को दाखिल किया गया।

निगम के इक्विटी शेयरों के 31 मार्च 2022 को या उससे पहले स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने और सेबी के लागू होने की प्रत्याशा में, निगम ने हमें LODR विनियमों की अनुसूची V के पैरा सी के खंड 10 (ग) के साथ पिठत धारा 34(3) (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर विनियम) के तहत प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नियुक्त किया। निगम के इक्विटी शेयरों को 17 मई 2022 को बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टॉक एक्सचेंज) के साथ सूचीबद्ध किया गया था। निगम के अनुरोध पर, हमने यह प्रमाणपत्र जारी किया है। हमने निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच की है:

- i) जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956, नियमों और विनियमों के तहत आवश्यक गैर-अयोग्यता की घोषणा;
- ii) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और जीवन बीमा निगम नियम, 1956 की आवश्यकता के अनुसार चिंता या हितों का

जैसा कि भारतीय जीवन बीमा निगम ('निगम'/एलआईसी) के निदेशकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है और जिसका पंजीकृत कार्यालय योगक्षेम, जीवन मार्ग मुंबई 400021 में है, वित्तीय वर्ष के लिए निगम के निदेशक मंडल ('बोर्ड') को 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23और निगम द्वारा बनाए गए प्रासंगिक रिजस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म और रिटर्न और जैसा कि अनुसूची इपैरा सी क्लॉज के साथ पढ़े.गए विनियमन 34(3) के अनुसार इस प्रमाण पत्र को जारी करने के उद्देश्य से हमें उपलब्ध कराया गया है सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के 10 (i)। हमने नियामक/ सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा गैर-डिबारमेंट को शामिल करने के लिए गैर-अयोग्यता पर विचार किया है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण और सटीक जानकारी के साथ प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करना निदेशकों का दायित्व है। हमने इस रिपोर्ट को जारी करने के उद्देश्य से कोविड 19 महामारी प्रेरित लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण निगम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों और सूचनाओं के आधार पर दूरस्थ रूप से लेखा परीक्षा संचालित की है।





बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना निगम के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार पर एक राय व्यक्त करना है।

उपरोक्त के रूप में हमारी परीक्षा के आधार पर और हमारे द्वारा आवश्यक और पर्याप्त (जहां भी उपलब्ध हो, www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सिहत) समझे जाने वाले अन्य सत्यापनों के आधार पर, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार और निगम, उसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में, निगम के बोर्ड के किसी भी निदेशक, जैसा कि यहां सूचीबद्ध है, को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड / कॉर्पोरेट मामले या ऐसा कोई वैधानिक या अन्य प्राधिकरण मंत्रालय द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

| अनुक्रमांक | निदेशक का नाम | निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) | नियुक्ति की तिथि |
|------------|----------------------------|------------------------------|------------------|
| 01 | श्री रंजन शर्मा | 09573799 | 29/10/2021 |
| 02 | विनोद वर्मा | 09309031 | 29/10/2021 |
| 03 | अनिल कुमार | 09477565 | 20/01/2022 |
| 04 | सुश्री अंजुली चिब्ब दुग्गल | 05264033 | 29/01/2022 |
| 05 | श्री गुरु मूर्ति महालिंगम | - | 29/01/2022 |
| 06 | मिस्टर राज कमला | 07653591 | 29/01/2022 |
| 07 | श्री वी.एस. पार्थसारथी | 00125299 | 29/01/2022 |
| 08 | श्री एम. पी. विजयकुमार | 05170323 | 29/01/2022 |
| 09 | श्री संजीव नौटियाली | 8075972 | 29/01/2022 |
| 10 | एम. आर. कुमार | 03628755 | 14/03/2019 |
| 11 | पंकज जैन | 00675922 | 21/10/2020 |
| 12 | मिस्टर राज कुमार | 06627311 | 01/11/2019 |
| 13 | सिद्धार्थ मोहंती | 08058830 | 02/02/2021 |
| 14 | सुश्री आईपे मिनी | 07791184 | 02/08/2021 |
| 15 | बीसी पटनायक | 08384583 | 01/10/2021 |

यह प्रमाणपत्र न तो निगम की भविष्य की व्यवहार्यता का और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने निगम के मामलों का संचालन किया है का आश्वासन है ।

यह प्रमाण पत्र निगम के अनुरोध पर 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में प्रकटीकरण करने के लिए जारी किया गया है।

एस. एन. अनंतसुब्रमण्यम एंड कंपनी के लिए कंपनी सचिव आईसीएसआई यूनिक कोड P1991MH040400 सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या 606/2019

एस एन अनंतसुब्रमण्यम साझेदार

एफसीएसः ४२०६ । कॉप नंबरः १७७४

आईसीएसआई यूडिन: F004206D000357933

20 मई, 2022 । थाणे





व्यापार जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट

खंड ए: सामान्यप्रकटीकरण

सूचीबद्ध संस्था का विवरण

- सूचीबद्ध संस्था की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) प्रयोज्य नहीं आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या – 512
- 2. सूचीबद्ध संस्था का नाम- भारतीय जीवन बीमा निगम (जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के तहत गठित)
- निगमन का वर्ष–1956
- 4. पंजीकृत कार्यालय का पता— केंद्रीय कार्यालय— योगक्षेम, जेबी मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई— 400021
- 5. कॉर्पोरेट पता-केंद्रीय कार्यालय- योगक्षेमा, जेबी मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400021
- 6. ई−मेल− investorrelations@licindia.com
- 7. दूरभाष- 022-66599401
- 8. वेबसाइट— www.licindia.in
- 9. वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है— वित्तीय वर्ष 2021—22
- स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं— नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई (पूर्व में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड)।
- 11. प्रदत्तपूंजी— 6324.99 करोड़ ₹ 10 प्रत्येक के 632.49 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित।
- 12. उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के संबंध में संपर्क किया जा सकता है— श्री संजय बजाज (प्रमुख—निवेशक संबंध)
- 13. रिपोर्टिंग सीमा क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकटन स्टैंडअलोन आधार पर (अर्थात केवल संस्था के लिए) या समेकित आधार पर किए गए हैं (अर्थात संस्था और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया). इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकटन स्टैंडअलोन आधार पर किए जाते हैं।

॥. उत्पाद / सेवाएं

जीवन बीमा की बिक्री मुख्य व्यावसायिक गतिविधि है जो निगम के कुल कारोबार का 100 इ है।

एलआईसी बचत, सुरक्षा, सेवानिवृत्ति, पेंशन, स्वास्थ्य, यूलिप आदि जैसी श्रेणियों में बीमा उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। एलआईसी के पास 31.03.2022 तक कुल 44 उत्पाद हैं जिसमें 33 व्यक्तिगत उत्पाद और 11 समूह उत्पाद शामिल हैं।

14. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबारका 90% हिस्सा):

| अनुक्रमांक | मुख्य गतिविधि का विवरण | व्यावसायिक गतिविधि का विवरण | संस्था के कारोबार का % |
|------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1. | बीमा सेवाएं | जीवन बीमा | 100% |

15. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (संस्था के कारोबार का 90% हिस्सा):

| अनुक्रमांक | उत्पाद / सेवा | एनआईसी कोड | योगदानकृत कुल कारोबार का % |
|------------|---------------|------------|----------------------------|
| 1. | जीवन बीमा | 65110 | 100% |

III. संचालन

एलआईसी का एक केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है। देश भर में स्थित 8 क्षेत्रीय कार्यालय, 113 मंडल कार्यालय, 2048 शाखा कार्यालय, 1564 सैटेलाइट कार्यालय, 1170 मिनी कार्यालय, 77पे.एवं स.यो. और 4 वेतन बचत योजना (एसएसएस) इकाइयां (कुल 4985) इसके अलावा कुल 3897 लाइफ प्लस कार्यालय हैं जो वरिष्ठ व्यापारिक सहयोगियों द्वारा चलाए जाते हैं और 38919 प्रीमियम पॉइंट्स हैं जो एलआईसी के अधिकार प्राप्त एजेंटों द्वारा प्रीमियम, प्रस्ताव जमा और सीमित पॉलिसी सेवाओं के संग्रह के लिए चलाए जाते हैं।





16. उन स्थानों की संख्या जहां संस्था के संयंत्र और / या संचालन/कार्यालय स्थित हैं:

| स्थान | संयंत्रों की संख्या | कार्यालयों की संख्या | कुल |
|---------------|---------------------|----------------------|------|
| राष्ट्रीय | लागू नहीं | 4985 | 5405 |
| अंतरराष्ट्रीय | लागू नहीं | 150 | 5135 |

अंतर्राष्ट्रीय संचालन- कार्यालयों की कुल संख्या (अंतर्राष्ट्रीय):

| अनुक्रमांक | संस्था | निगमित | शाखा कार्यालय | | |
|------------|---|--------|---------------|--|--|
| 1 | एलआईसी फिजी | | 3 | | |
| 2 | एलआईसी मॉरीशस | | 2 | | |
| 3 | एलआईसी यूके | | 1 | | |
| 4 | एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी (सी) | 1 | 6 | | |
| 5 | एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड | 1 | 76 | | |
| 6 | एलआईसी (लंका) लिमिटेड | 1 | 28 | | |
| 7 | एलआईसी ऑफ (बांग्लादेश) लिमिटेड | 1 | 12 | | |
| 8 | एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई। लिमिटेड | 1 | 0 | | |
| 9 | केनइंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1 | 15 | | |
| 10 | एसआईसीसीआई (सहकारी बीमा के लिए सऊदी इंडियन कंपनी) | | 1 | | |
| | | 6 | 144 | | |
| | কুল 150 | | | | |

17. संस्था द्वारा सेवित बाजारः

क. स्थानों की संख्या

| स्थान | संख्या |
|--|--------|
| राष्ट्रीय (राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या) | 36 * |
| अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या) | 14 |

^{*28} राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं

ख. संस्था के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है? शून्य

ग. ग्राहकों के प्रकारों का एकसार:

जीवन बीमा निगम का प्राथमिक व्यवसाय है। हालाँकि वित्तीय नियोजन समाधान जो व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं, गंभीर बीमारियों के साथ—साथ मृत्यु जैसी आकस्मिकताओं के मामले में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। जीवन बीमा के साथ—साथ, विभिन्न बीमा उत्पाद परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और व्यक्तियों को परिवार के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हैं।

ग्राहकों में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो स्व-रोजगार के साथ-साथ वेतनभोगी व्यक्ति, उनके आश्रित, प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति आदि हैं। हमारे जीवन बीमा उत्पाद कमाने वाले की असामयिक मृत्यु के प्रति परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हैं, मृत्यु, दुर्घटना, गंभीर बीमारी के मामले में लिए गए ऋण के लिए सुरक्षा कवर। प्रमुख व्यक्ति की असामयिक मृत्यु होने पर बचत, निवेश और बच्चे की शिक्षा, शादी के मामले में दीर्घकालिक योजना का भी एक साधन है। हम जीवन कवर के अलावा ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए संगठन को समूह बीमा उत्पाद भी प्रदान करते हैं।





18. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:

क. कर्मचारी और कर्मी (निःशक्तजनों सहित)ः

| क्रमांक | विवरण | | पुरुष | | महिलाएं | | | | |
|---------|------------------------|-------------|-----------|----------------|------------|-----------|--|--|--|
| | विवरण | कुल (क) | संख्या(ख) | % (ख / क) | संख्या (ग) | % (C / A) | | | |
| | कमर्चारी | | | | | | | | |
| 1. | स्थायी (घ) | 104036 | 79942 | 76.84 % | 24094 | 23.16 | | | |
| 2. | स्थायी के अलावा (च) | 10 | 9 | 90 | 1 | 10 | | | |
| 3. | कुल कर्मचारी (घ + च) | 104046 | 79951 | 76.84 % | 24095 | 23.16 | | | |
| | | कर्मी | | | | | | | |
| 4. | स्थाकााॲ () | | | शून्य | | | | | |
| 5. | स्थाकााॲ वेढृालावा (ज) | | | | | | | | |
| 6. | वुढल वढर्मी (ज) | | | | | | | | |

ख. विकलांग कर्मचारी और कर्मी

| क्रमांक | विवरण | () | पुरुष | | महिलाएं | | | | |
|---------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--|--|--|
| | विवरण | कुल (क) | संख्या(ख) | % (ख / क) | संख्या (ग) | % (C / A) | | | |
| | विकलांग कर्मचारी | | | | | | | | |
| 1. | स्थायी (घ) | 1060 | | | | | | | |
| 2. | स्थायी के अलावा (च) | | | | | | | | |
| 3. | कुल विकलांग कर्मचारी (घ + च) | 1060 | | | | | | | |
| | | विकलांग क | र्मी | | | | | | |
| 4. | स्थायी (छ) | | | | | | | | |
| 5. | स्थायी के अलावा (ज) | | | | | | | | |
| 6. | कुल विकलांग कर्मचारी (छ + ज) | शून्य | | | | | | | |

19. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

| | | पुरुष | | |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|--|
| | कुल (क) | संख्या(ख) | % (ख / क) | |
| निदेशक मंडल | 15 | 2 | 13.33% | |
| प्रमुख प्रबंधन कार्मिक | 8 | 1 | 12.5% | |

20. स्थायी कर्मचारियों और कर्मियों के लिए टर्नओवर दर

(पिछले 3 वर्षों के रुझानों को प्रकट करें)

| | वित्त वर्ष 2021–22 (चालू वित्त वर्ष में विक्रय राशि दर) | | | वित्त वर्ष 2020–21 (चालू वित्त वर्ष में विक्रय राशि दर) | | | वित्त वर्ष 2019–20 (विगत वित्त वर्ष से पूर्वचालू वित्त वर्ष में विक्रय राशि दर) | | |
|-----------------|--|-------|------|--|-------|------|---|-------|------|
| | पुरुष | महिला | कुल | पुरुष | महिला | कुल | पुरुष | महिला | कुल |
| स्थायी कर्मचारी | 6.08 | 4.6 | 5.74 | 5.07 | 4.39 | 4.92 | 3.77 | 2.51 | 3.48 |
| स्थायी कर्मी | | | | | | | | | |





IV. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

21. (क) होल्डिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम

| क्रमांक | होल्डिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों का नाम (क) | होल्डिंग/सहायक/ सहयोगी/संयुक्त उद्यम इंगित करें | सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का % | क्या कॉलम क में इंगित संस्था सूचीबद्ध संस्था की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हां नहीं) |
|---------|--|---|--|---|
| 1 | एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड | सहायक | 100.00 | नहीं |
| 2 | एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड | सहायक | 100.00 | नहीं |
| 3 | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | सहयोगी | 49.24 | नहीं |
| 4 | एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड | सहयोगी | 49.00 | नहीं |
| 5 | एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड | सहयोगी | 45.24 | नहीं |
| 6 | एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | सहयोगी | 45.00 | नहीं |
| 7 | आईडीबीआई बैंक ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड | सहयोगी | 29.84 | नहीं |
| 8 | एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | सहयोगी | 5.38 | नहीं |

v. सीएसआर विवरण

- 22. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: नहीं वर्तमान में, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर लागू नहीं है।
 - (ii) टर्नओवर (रुपये में) -- लागू नहीं।
 - (iii) निवल संपत्ति (रुपये में) ---- लागू नहीं।

VI. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

23. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसीभी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/परिवेदनाएं:

| | शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/नहीं) | | वित्तवर्ष 2021–22 | ! | वित्तवर्ष 2020-21 | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|--|--|
| | | | ण्लहू इर्ग्हहर्म ित प ्रि | | झन् य्हे इर्ग्ह हर्मित भी | | | |
| हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है | (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब–लिंक प्रदान करें) | वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | टिप्पणी | वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | टिप्पणी | |
| समुदाय | - | | | | | | | |
| निवेशक (शेयरधारकों के अलावा) | लागू नहीं * | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |
| शेयरधारक | हाँ सेबी एलओडीआर विनियमों के अनुसार | शून्य | शून्य | | शून्य | शून्य | | |
| कर्मचारी और कर्मी | हाँ। परिपत्र संदर्भः कें.का./कार्मिक / का. स.—प्र./ 285/ 2022 दिनांक 10.02.2022 | 16 | 5 | | 6 | शून्य | | |
| | हाँ pgportal.gov.in | 192 | शून्य | | 63 | शून्य | | |
| ग्राहक | सीआरएम जीआरवी— शिकायत निवारण नीति के लिए वेब लिंक: https://licindia. in getattachment/Bottom-Links Policy-for- protection-of-interests/ Policy-for-protection-of- interests- of-policyholders. pdf.aspx | 114444 | शून्य | आईसीएमएस/ आईजीएमएस के तहत दर्ज शिकायतें | 111382 | श्रून्य | आईसीएमएस/ आईजीएमएस के तहत दर्ज शिकायतें | |
| मूल्य श्रृंखला साझीदार | | | | | | | | |
| अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) | | | | | | | | |

^{*} लागू नहीं = चूंकि निगम को 17 मई 2022 को सूचीबद्ध किया गया था। इसलिए जानकारी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लागू नहीं है (आगे का स्कोर प्लेटफॉर्म 17 मई 2022 से प्रभावी है।)





24. संस्था के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण मुद्दों का अवलोकन

कृपया निम्नलिखित के अनुसार प्रारूप पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित भौतिक जिम्मेदार व्यवसाय आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर पेश करते हैं, और जो कि इसके वित्तीय प्रभावों के साथ—साथ जोखिम को अनुकूलित या कम करने के लिए समान दृष्टिकोण की पहचान का औचित्य हैं।

| क्रमांक | प्रमुख मुद्दे की पहचान की गई | इंगित करें कि क्या जोखिम या अवसर (जो./ अव.) | जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य | जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण | जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव का संकेत दें) |
|---------|---------------------------------|--|---|---|--|
| 1. | पोर्टफोलियो निवेश की स्थिरता | जोखिम और अवसर | पोर्टफोलियो निवेश की स्थिरता निगम के समग्र प्रदर्शन को प्रभावित करती है। निवेश में बेहतर प्रदर्शन से व्यावसायिक परिणामों में सुधार होता है। हालांकि, अगर निगमित अभिशासनऔरकंपनियोंकिअन्यगतिविधियां उम्मीदके मुताबिक नहीं हैं, तोपोर्टफोलियो की स्थिरता जोखिम मेंहो सकती हैं। | कंपनियों में निवेश के लिए निगम के बोर्ड और निवेश समिति द्वारा सुनिर्धारित सिद्धांत हैं। हमारी एक प्रबंधन नीति भी है जो पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ जुड़ाव के सिद्धांतों को निर्धारित करती है। | सकारात्मक। नियामक और निवेशक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बेहतर पोर्टफोलियो बनाने की गुंजाइश है। |

खंड बी : प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण (एनजीआरबीसी) के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश नीचे दिए गए अनुसार झ। — झ9 के रूप में संदर्भित नौ सिद्धांतों का समर्थन करते हैं:

- P1 व्यवसायों को ईमानदारी और नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेह तरीके से संचालित किया जाना चाहिए।
- P2 व्यवसाय को टिकाऊ और सुरक्षित तरीके से सामान और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।
- P3 व्यवसायों को अपनी मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान करना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए।
- P4 व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।
- P5 व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।
- P6 व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान एवं इसकी रक्षा और पुर्स्थापना हेतु प्रयास करना चाहिए।
- P7 जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में व्यवसाय लगे होते हैं, तो उन्हें जिम्मेदारी और पारदर्शकता के साथ कारोबार करना चाहिए।
- P8 व्यवसायों को समावेशी संवृद्धि और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए
- P9 व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़े रहना चाहिए और उन्हें अहमियत प्रदान करनी चाहिए





| प्रकटीकरण प्रश्न | | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | | |
|---|----------------------|---|------------|-----------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------------|--|--|
| नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं | | | | | • | | | • | • | • | | |
| 1. क. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और तत्वों को कवर करती हैं। (हां नहीं) | उसके मूल | नूल हां , निगम के पास एलआईसी अधिनियम , 1956 , आईआरडीएआई और सेबी (एलओडीआर) विनियम , 2015 द्वारा अनिवार्य सभी नीतियां हैं। | | | | | | | | | | |
| ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है ? (हां नहीं) | | हाँ।, नीतियों को बोर्ड/ बोर्ड द्वारा गठित समितियों, सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है | | | | | | | | | | |
| ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो | | www.licindia | india.in | | | | | | | | | |
| 2. क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में रूपांतरित किया है। (हां / नहीं) | | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | | |
| 3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं ? (हां / न | हीं) | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | | |
| 4. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों का नाम (उदाहरण के लिए व परिषद, निष्पक्ष व्यापार, वर्षावन गठबंधन, ट्रस्टी) आपकी संस्था द्वारा अपनाए गए जी एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) और प्रत्येक सिद्धांत के किए गए। | मानक (ई | हां (एलआईसी आचार संहिता) | | | | | | | | | | |
| 5. विशिष्ट समय—सीमा के साथ संस्था द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, गोल और लक्ष्य, यदि कोई हों। | तैयार किए जा रहे हैं | | | | | | | | | | | |
| 6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, गोल और लक्ष्यों के प्रति संस्था का निष्पादन,उन कारणों के साथ जिनसे वे पूरे नहीं होते हैं | | | | | लागू नहीं | | | | | | | |
| अभिशासन, नेतृत्व और निरीक्षण | | | | | | | | | | | | |
| व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा विवरण, ईएसजी से संबं संबंध में लचीलापन है) निदेशक की रिपोर्ट –िनदेशक की रिपोर्ट देखें | धित चुनौति | यों, लक्ष्यों और उप | लब्धियों क | ो उजागर व | करना (सूर्च | गिबद्ध संस्थ | ग के पास | इस प्रकटी | करण की ि | नेयुक्ति के | | |
| 8. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (ओं) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेव उच्चतम प्राधिकारी का विवरण। | 1 | नामः श्री कुमार एम आर पदः अध्यक्ष डीआईएन :03628755 | | | | | | | | | | |
| 9. क्या संस्था के पास बोर्ड/ निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो स्थिरता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है ? (हां नहीं) । यदि हां, तो विवरण दें । जब की निगम के अभिशासन और स्थिरताके आचरण की समग्र ज़िम्मेदारीबोर्ड की है, बोर्डकी व समितिया इ स जी मुद्दों की पहचान और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । इ स जी मुद्दों के लिए बोर्ड समितियोमें शामिल है, लेखा परीक्षा समिति, कार्यकारी समिति, जोखिम समिति और पॉलिसीधारक संरक्षण समिति। इ स जी मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर बोर्ड द्वारा समय समिक्षा की जाती है । | | | | | | , जोखिम प्र | ग्बंधन | | | | | |

सिद्धांतों पर नोट्स

सिद्धांत – 1

व्यवसायों को ईमानदारी से और नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही तरीके से संचालित करना चाहिए। निम्नलिखित नीतियां उसी के लिए प्रभावी हैं:

- शिकायत निवारण प्रणाली
- निवेश नीति
- धोखाधडीरोधी नीति
- उद्यम जोखिम प्रबंधन
- आचारसंहिता
- एएमएल/ सीएफटी नीति
- विहसलब्लोअर नीति
- संबंधित पार्टी लेनदेनसे निपटने के लिए नीति
- कार्यस्थलपर यौन उत्पीडन के खिलाफ नीति
- कर्मचारि नियम 1960
- प्रबंधननीति
- रिकॉर्ड का संरक्षण
- अभिलेखीय नीति
- गोपनीयता नीति





सिद्धांत -2

व्यवसायों को टिकाऊ और सुरक्षित तरीके से सामान और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। निम्नलिखित बिंदु उसी को नियंत्रित कर रहे हैं:

- बीमा जागरूकता और ग्राहक शिक्षा
- पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण पर नीति
- जोखिमांकन नीति

सिद्धांत-3

व्यवसाय को सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें उनकी मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारी भी शामिल हैं। उसी के लिए बिंदु नीचे दिए गए हैं:

- वेतन अग्रिम
- अन्य लाभः अवकाश जैसे विशेषाधिकार अवकाश, चिकित्सा अवकाश, मातृत्व और पितृत्व अवकाश, दत्तक ग्रहण अवकाश।
- स्वास्थ्य जांच
- शिक्षा अग्रिम

सिद्धांत-4

व्यवसाय को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। निम्नलिखित नीतियां उसी को नियंत्रित करती हैं:

- क) ग्राहक
 - सूचना और साइबर सुरक्षा नीति
 - बीमा जागरूकता और ग्राहक शिक्षा
 - पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण पर नीति
 - शिकायत निवारण प्रणाली
- ख) कर्मचारी
 - आचार संहिता
 - कर्मचारी सेवा नियम
 - कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन के खिलाफ नीति
 - व्हिसल ब्लोअर नीति
 - समान अवसर नीति
 - कर्मचारी शिकायत निवारण नियम
- ग) एजेंट
 - कमीशन, पारिश्रमिक, पुरस्कार पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति
- घ) समुदाय
 - जीजेएफ गतिविधियां





सिद्धांत-5

व्यवसाय को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। नीचे दिए गए बिंदु इसे सक्षम करते हैं:

- आचार संहिता नीति
- समान अवसर नीति
- विक्रेता अनुबंध— विक्रेताओं द्वारा देश के वैधानिक और श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खंड हैं।

सिद्धांत-6

व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान एवं इसकी रक्षा और पुर्स्थापना हेतु प्रयास करना चाहिए।

चूंकि हम एक वित्तीय सेवा हैं, इसलिए पर्यावरण पर निगम का प्रभाव अप्रत्यक्ष है। हम ऊर्जा खपत में कमी पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने के साथ आज की गतिविधि में कमी, पुनः उपयोग और रीसाइकल के फ्रेमवर्क का पालन करते हैं हमने अपने कुछ भवनों में सौर पैनल स्थापित किए हैं।

सिद्धांत-7

व्यवसायों, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होते हैं, तो उन्हें ऐसा जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

सिद्धांत-8

व्यवसाय को समावेशी संवृद्धि और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन ट्रस्ट (एलआईसी जीजेएफ) की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी, जो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत चैरिटी कमिश्नर के साथ पंजीकृत है।

फाउंडेशन ने अस्पतालों, स्कूल भवनों और कक्षाओं, पुस्तकालयों, कंप्यूटर केंद्रों, वृद्धाश्रमों, आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के लिए छात्रावास भवनों, विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों, आजीविका सृजन के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण आदि जैसी परियोजनाओं में सहयोग दिया है।

एलआईसी स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना सामुदायिक विकास गतिविधि का एक अनूठा उदाहरण है जिसमें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि उन्हें इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कला / विज्ञान / वाणिज्य और किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम और व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिनमें तत्काल रोजगार मिलता है, के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर प्रदान किया जा सके।

सिद्धांत-9

वयवसाय को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए।

ग्राहकों की शिकायतों का त्विरत निवारण के लिए, निगम ने हमारी वेबसाइट http://www.licindia.in पर उपलब्ध 'एलआईसी की ई—सेवाओं' के माध्यम से ग्राहक अनुकूल ऑनलाइन प्रणाली — 'एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली' (आईसीएमएस) स्थापित की है, जहां एक पंजीकृत पॉलिसीधारक सीधे शिकायत दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति को ट्रैक कर सकता है। ग्राहक किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ई—मेल आईडी co_complaints@licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। एलआईसी अपनी विहसल ब्लोअर पॉलिसी (सतर्क तंत्र नीति) के माध्यम से, निदेशकों, कर्मचारियों को निगम के भीतर किसी भी अस्वीकार्य प्रथा या कदाचार, अनियमितताओं, शासन की कमजोरियों, वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दों के बारे में गंभीर चिंताओं, शिकायतों को उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है और सक्षम बनाता है।

एलआईसी धोखाघड़ी रोधी नीति भारत के अधिकार क्षेत्र में स्थित निगम के सभी कार्यालयों तक विस्तारित है। भारत से बाहर के कार्यालयों के संबंध में, उस देश के धोखाघड़ी रोधी (एंटी फ्रॉड) से संबंधित स्थानीय कानूनों का पालन किया जाएगा।

| 10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरणः | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|--|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| समीक्षा के लिए विषय | क्या र | | | | | ति आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य – कृपया निर्दिष्टः | | | | | | ट करें | | | | | | |
| | P 1 | | | | | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | | | | |
| उपरोक्त नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई | लागू न | ाहीं | | | | | | | | शून्य | | | | | | | | |
| सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी भी गैर—अनुपालन में सुधार | लागू न | नागू नहीं | | | | | शून्य | | | | | | | | | | | |





| 11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/निर्धारण किया है ? (हां / नहीं) । यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं। | P P | | | | | | | P 9 | |
|--|---|--|-------------------|--|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| | नियमें की हैं | ों, विनि । इनर्क स्वतंत्र | यमों औ ो (विभा | विभाग र दिशार्ग ग नीतिय न/निर्धाः | निर्देशों गों) नीर्वि | के अनुर तेयों के | नार नीर्व कामका | तेयां तैय ज का ऐ | गर ऐसा |
| 12. यदि ऊपर दिए गए प्रश्न (1) का उत्तर नहीं है, अर्थात सभी सिद्धांत किसी नीति द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, तो बताए जाने व | । गले कार | .ण: | | 1 | | | | | |
| प्रश्न | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 |
| संस्था अपने व्यवसाय के लिए सिद्धांतों की सामग्री पर विचार नहीं करती है (हां/ नहीं) | नहीं, | सिद्धांत | निगम | के व्यवर | नाय के | लिए मह | त्वपूर्ण | है। | |
| संस्था उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है (हां/ नहीं) | | नहीं, विभाग द्वारा नीतियां तैयार की गई हैं और वे एनजीबीआरसी के नौ सिद्धांतों में से एक में आती हैं। | | | | | | आरसी | |
| संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/ नहीं) | नहीं | नहीं | | | | | | | |
| इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हां/ नहीं) | gĭ | | | | | | | | |
| कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें) | लागू न | नहीं | | | | | | | |

खंड सी : सिद्धांत के अनुसार प्रदर्शन प्रकटीकरण

सिद्धांत 1 व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीकेसे संचालन और नियंत्रण करना चाहिए। आवश्यक संकेतक

वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेजः

| खंड | आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या | प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इसका प्रभाव | जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| निदेशक मंडल | 0 | | |
| प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक— | 70 | नेतृत्व कार्यक्रम, रणनीतिक इरादे और निष्पादन उत्कृष्टता, डिजिटल परिवर्तन, पायथन—प्रोग्रामिंग, साइबर कानून साइबर अपराध जांच, कुल कर्मचारी भागीदारी के माध्यम से व्यवसाय परिवर्तन प्राप्त करना | 46.70% |
| बीओडी और केएमपी के अतिरिक्तअन्य कर्मचारी | 3940 | कार्यात्मक, तकनीकी और प्रबंधकीय और प्रारंभिक प्रशिक्षण | 98.5 |

टिप्पणी:

एलआईसी के अपने कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्थानोंपर इन— हाउस प्रशिक्षणकेंद्र हैं। एमडीसी और क्षे. प्र. प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और छात्रावास के कमरे, प्रशिक्षणकक्षाओं, सभागार, कंप्यूटरकक्ष, एलसीडी सुविधा, खेलऔरमनोरंजनसुविधाओं, योग सत्र आदि जैसी सुविधाओंसे सुसज्जित हैं। फील्डफोर्स, प्रशासनिककर्मचारियों, मध्य और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एलआईसी के निम्नलिखित आंतरिक प्रशिक्षणकेंद्र हैं:

प्रबंधन विकास केंद्र (एमडीसी) निगम का शीर्ष प्रशिक्षण केंद्र है। प्रत्येक क्षेत्र (कुल 08 क्षेत्र) में एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (क्षे.प्र.के.) है। 113 मंडलों के पास कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र (क.प्र.के.) कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र (कं.प्र.के.) हैं।

बाहरी प्रशिक्षणः

दुनियाभरमें उभरती प्रवृत्तियों और नवाचारों के बारेमें हमारे अधिकारियों कोन ई अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए और संचालन के विभिन्न क्षेत्रोंमें सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए, उन्हें हमारे आंतरिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण के अलावा प्रासंगिकता के विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया है। बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यमसे विशिष्ट लिक्षित समूहों के लिए अनुकूल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा संचालित कार्यक्रमों को खोलने के लिए नामांकन भी किए जाते हैं।





प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सांख्यिकी इस प्रकार है :

| प्रशिक्षण संस्थान | प्रशिक्षण संस्थान | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|--|
| प्रशिक्षण संस्थान | 2021-22 | 2020-21 | | | | |
| आंतरिक प्रशिक्षण | 98454 | 61376 | | | | |
| बाहरी प्रशिक्षण | 4061 | 4705 | | | | |
| प्रशिक्षित कुल प्रशासनिक कर्मचारी | 102515 | 66081 | | | | |
| नामांकन अनुपात में उपस्थिति | 89.55% | 92.87% | | | | |

अल्पावधि वेबिनारः

इसके अलावा, बड़ी संख्या में कर्मचारियों को कवर करने के लिए, वर्ष 2021-22 के दौरान, हमने विभिन्न विषयों पर अल्पाविध के वेबिनार भी आयोजित किए हैं जैसे; डिजिटल इनोवेशन, साइबर सिक्योरिटीज, कंपनियों में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का उत्पाद मिश्रणएवं माध्यम मिश्रण, मॉर्टेलिटी टेबल्स की अवधारणा, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, कॉलेज ऑफ इंश्योरेंस और म्यूनिख रे जैसे संस्थानों के माध्यम से ग्लोबल अंडरराइटिंग प्रैक्टिस (लगभग 22, 007 कर्मचारियों को कवर किया गया)। वेबिनार कर्मचारियों के लिए अत्यधिक लाभकारी थे और कर्मचारियों द्वारा इसकी सराहना की गई। एलआईसी ज्ञानपीठ — मॉड्यूल सेल्फ लर्निंग को सक्षम बनाता है।

शिक्षण प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल:

स्व-शिक्षण/स्व-कौशल शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के उद्देश्य से 'एलआईसी ज्ञानपीठ' को वर्ष 2020 में पेश किया गया था। इसने भौतिक बुनियादी ढांचे और सुविधाकर्ताओं पर निर्भरता के बिना मानकीकृत सामग्री को सक्षम किया है और कर्मचारियों के लिए क्रोम/फ़ायरफ़ॉक्स वेब ब्राउज़र पर इंट्रानेट/ इंटरनेट पर कहीं भी उपलब्ध है।

प्रशासन के सभी पहलुओं जैसे न्यू बिजनेस, पॉलिसी सर्विसिंग, दावे, सीआरएम, मार्केटिंग, वित्त और लेखा, कार्मिक, सतर्कता, कार्यालय सर्विसिंग, पी एंड जीएस, एलआईसी अधिनियम, 1956, समूह योजनाएं और राजभाषा (हिंदी) को कवर करने वाले विषयों पर 125 उप—मॉड्यूल के साथ कुल 13 मुख्य—मॉड्यूल बनाए गए हैं।

कर्मचारी को लगभग दी गई समय सीमा में पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करना आवश्यक है। 30 मिनट के बाद स्व—परीक्षा परीक्षण जिसमें उत्तीर्ण मानक निर्धारित किया गया है। स्व—परीक्षा परीक्षण में 70% अंक प्राप्त करने पर स्वतः उत्पन्न प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। 'एलआईसी ज्ञानपीठ' के आंकड़े इस प्रकार हैं:

| ब्यौरे | दिनांक 31.03.2021 तक | दिनांक 31.03.2022तक |
|---|----------------------|---------------------|
| मॉड्यूल का दौरा करने वाले कर्मचारियों की संख्या | 37, 190 | 86, 348 |
| जारी किए गए प्रमाणपत्रों की कुल संख्या | 2, 39, 458 | 10, 25, 366 |

'एलआईसी ज्ञानपीठ' को कर्मचारियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। उल्लेखनीय है कि कुल 1,04,074 कर्मचारियों में से लगभग 58,756 (56.45%) कर्मचारियों ने एलआईसी ज्ञानपीठ प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

 वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (संस्था या निदेशकों / केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माने/दंड/शास्ति/न्यायिक दंड / कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में

(नोटः संस्था सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और संस्था की वेबसाइट पर बताए गए अनुसार अहमियत के आधार पर प्रकटीकरण करेगी):

वित्तीय वर्ष 2021-22 में नियामकों के साथ केएमपी द्वारा कार्यवाही में कोई जुर्माना / दंड / शास्ति / न्यायिक दंड / समझौता शुल्क / निपटान राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए मामलों में से, उन मामलों में अपील/पुनरीक्षण का विवरण जहां मौद्रिक या गैर—मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है। - लागू नहीं





4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है ? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण दें और यदि उपलब्ध हो तो पॉलिसी के लिए एक वेब—लिंक प्रदान करें।

एलआईसी निगमित शासन के क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध है। आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण तंत्र के ढांचे के माध्यम से निगम काम करने पर सख्त नियंत्रण रखता है और लागू कानूनों के लिए व्यावसायिक इकाइयों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

विहसल ब्लोअर नीति जिम्मेदार और सुरक्षित विहसल ब्लोइंग को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। यह एलआईसी के भीतर गंभीर अनियमितताओं के बारे में चिंता व्यक्त करने के इच्छूक कर्मचारियों की सुरक्षा करता है।

नीतियों को निम्न वेबसाइट पर देखा जा सकता है https://licindia.in/Investor-Relations/Policies ~

5. निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कर्मीयों की संख्या जिनके खिलाफ किसी कानून प्रवर्तन द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी।

| | वित्त वर्ष 2021–22 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्त वर्ष 2020–21 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|----------|--|--|
| निदेशक | कोई नहीं | कोई नहीं |
| केएमपी | कोई नहीं | कोई नहीं |
| कर्मचारी | कोई नहीं | कोई नहीं |
| कर्मी | लागू नहीं | लागू नहीं |

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरणः

| | वित्त वर्ष 20 (वर्तमान वि | | वित्त वर्ष 2020-21 (पिछला वित्तीय वर्ष) | | |
|---|------------------------------|------------|--|------------|--|
| | संख्या | टिप्पणियाँ | संख्या | टिप्पणियाँ | |
| निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माना/ जुर्माना/ नियामकों/ कानून प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माना/शास्ति/नियामकों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है या नहीं की जा रही है।

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रमः शून्य

| आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों | प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल | जागरूकता कार्यक्रमों के तहत कवर किए गए (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए |
|-----------------------------|----------------------------|---|
| की कुल संख्या | विषय/सिद्धांत | व्यवसाय की मूल्य श्रृंखला द्वारा) मूल्य श्रृंखला भागीदारों की आयु |
| शून्य | | |

2. बोर्ड सदस्यों के हितों के टकराव की स्थिति से बचने हेतुसंस्थानद्वारा क्या कोई प्रक्रिया अपनाई गई है ?

यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।

हां, हितों के प्रकटीकरण के साथ—साथ हितों के टकराव / निदेशकों की स्वतंत्रता आदि पर घोषणा नियमित रूप से निदेशकों से प्राप्त की जा रही है और बोर्ड को प्रस्तुत की जा रही है।





सिद्धांत 2 व्यवसाय को ऐसे तरीके से सामान और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हों। आवश्यक संकेतक

- संस्था द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश के लिए उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में आरएंडडी और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत।
 - निगम के व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अनुसंधान एवं विकास परिव्यय और पूंजीगत व्यय सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश तक ही सीमित थे। तदनुसार, कंपनी की डिजिटल पहलों को गति देने के लिए उपकरण, सॉफ्टवेयर और संचार नेटवर्क जैसे आईटी बुनियादी ढांचे के रूप में पूंजीगत संपत्ति के अतिरिक्त निवेश किया गया था। भविष्य की क्षमताओं वाले हार्डवेयर की खरीद के लिए लगभग 150 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था।
 - नई प्रौद्योगिकी परिवर्धन ने डिजिटल संचालन के दायरे का विस्तार किया, अधिक प्रक्रिया दक्षता के साथ—साथ पूरे निगम में कागज के उपयोग को कम किया। पर्यावरणीय स्थिरता के लिए, निगम ने ऊर्जा कुशल प्रणालियों में निवेश किया है। ऊर्जा आवश्यकताओं को कम करने और साथ ही साथ सभी प्रणालियों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए निगम ने कोर एप्लिकेशन के समेकन का कार्य भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
- 2. क्या स्थायी सोर्सिंग के लिए संस्था के पास प्रक्रियाएं हैं? —— हाँ।
 - कितने प्रतिशत इनपुट को स्थायी रूप से प्राप्त किया गया था?
 - चूंकि एलआईसी जीवन बीमा के व्यवसाय में है, व्यवसाय की प्रकृति से, संसाधनों की खपत परिचालन स्तर पर सीमित है।
- जीवन के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (क)
 प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई—अपिशष्ट (ग) खतरनाक अपिशष्ट और (घ) अन्य अपिशष्ट।
 - बीमा कंपनी के रूप में, विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए इनपुट के रूप में पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग करने की सीमित गुंजाइश है। हालांकि, हमारे कार्यालयों को अपशिष्ट, कंप्यूटर, कार्ट्रिज, रिबन जैसे ई—अपशिष्ट को रीसाइकल (पुनर्चक्रण) करने के अवसरों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ई—अपशिष्ट सृजित होने वाला प्राथमिक ई—अपशिष्ट है और इसे अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से निपटाया जा रहा है। इसके अलावा, निगम ने हमारे कार्यालयों में एकल उपयोग प्लास्टिक, पेपर के उपयोग को कम करने के लिए पहल की है और कचरे को रीसाइकल (पुनर्चक्रण) करने के अवसरों की तलाश की है।
 - लगभग 3500 किलोग्राम के पुराने सर्वर, स्विच, लोड बैलेंसर, टेप लाइब्रेरी आदि के रूप में ई—अपशिष्ट निगम में उत्पन्न प्राथमिक ई—अपशिष्ट है। सभी 113 मंडल कार्यालयों से ई—अपशिष्ट एकन्न किया गया था। सरकार द्वारा अधिकृत ई—अपशिष्ट पुनर्चक्रण विक्रेता से पुनर्चक्रण प्रमाणपन्न प्राप्त हुआ है। हार्डवेयर आइटम जो कि उपयोग योग्य नहीं रहेंगे, हार्डवेयर विक्रेता को बायबैक के तहत दिए जाते हैं। विक्रेता, बदले में, एक ई—अपशिष्ट निपटान विक्रेता की नियुक्ति करता है, जो सभी स्थानों से हार्डवेयर को हटाने/निकालने के बाद उठाता है। इस आशय का एक प्रमाण पन्न ई—अपशिष्ट निपटान विक्रेता से फॉर्म —2 में लिया जाता है जो एलआईसी द्वारा प्रदान किया जाता है। हमने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 9.374 मीट्रिक टन और 2020-21 में 310.364 मीट्रिक टन ई—कचरे का निपटान किया है।
- 4. क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) संस्था की गतिविधियों पर लागू होता है (हां / नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।
 - लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक –

- क्या संस्था ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र पिरप्रेक्ष्य / आकलन (एलसीए) आयोजित किया है ? यदि हां, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें ? लागू नहीं
- 2. यदि जीवन चक्र पिरप्रेक्ष्य/ आकलन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाने गए आपके उत्पादों/ सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/ या जोखिम हैं, संक्षेप में इसका वर्णन करें और साथ ही इसे कम करने के लिए की गई कार्रवाई का भी उल्लेख करें। लागू नहीं





 उत्पादन (निर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) के लिए पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत। शून्य

| | कुल सामग्री में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| इनपुट सामग्री इंगित करें | वित्त वर्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष | वित्तीय वर्ष पिछला वित्तीय वर्ष | | | | | |
| शून्य | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 4. उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त उत्पादों और पैकेजिंग में से, राशि (मीट्रिक टन में) निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुनः उपयोग की गई, पुनर्नवीनीकरण की गई और सुरक्षित रूप से निपटाई गई: लागू नहीं
- 5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः दावा किए गए उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)। लागू नहीं

सिद्धांत 3 व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान करना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. कर्मचारियों की भलाई के लिए उपायों का विवरणः

| | | निम्न द्वारा कवरिकएगए% कर्मचारी | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|---------------------------------|---------|------------|---------|--------------------------|-------|--------------------------|---------|--------------------------|-----------|--|
|) श्रेणी | () | स्वास्थ | य बीमा | दुर्घटन | ा बीमा | प्रसूति | ा लाभ | पितृत्व | ा लाभ | दिवस देखभ | गल सुविधा | |
| 7-11 | कुल (क) | संख्या (ख) | % (ख/क) | संख्या (ग) | % (ग/क) | संख्या (घ) % (घ/क) | | संख्या (च) | % (च/क) | संख्या (छ) | % (छ/क) | |
| स्थायी कर्मचारी | | | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 79942 | 77281 | 96.67 | 79942 | 100 | डेटा एकत्र नहीं किया गया | | डेटा एकत्र नहीं किया गया | | डेटा एकत्र नहीं किया गया | | |
| महिला | 24094 | 21557 | 89.47 | 24094 | 100 | | | | | | | |
| कुल | 104036 | 98838 | 95 | 104036 | 100 | | | | | | | |
| स्थायी कर्मचारि | यों के अलावा | | | | | | | | | | | |
| पुरुष | | | | | शून्य | | | | | | | |
| महिला | | | | | शून्य | | | | | | · | |
| कुल | | | | | शून्य | | | | | | · | |

- ख. कर्मियों की भलाई के लिए उपायों का विवरणः लागू नहीं
- 2. चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

| | | वित्तीयवर्ष 2021-22 | ! | वित्तीयवर्ष 2020-21 | | | |
|--|--|--------------------------|-----------|--|---|---|--|
| | | वर्तमान वित्तीय वर्ष | | विगत वित्तीय वर्ष | | | |
| लाभ | कुल कर्मचारियों के कुल श्रमिकों के क% प्राधिकरण के पास कर्मचारियों की क्षमचारियों की श्रमिकों की संख्या जनहीं) | | | कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या | कुल श्रमिकों के क% के रूप में शामिल श्रमिकों की संख्या | कटौती करके प्राधिकरण के पास जमा (हां/नहीं/लागू नहीं) | |
| भ.नि.(पीएफ) | 79 % | शून्य | हां | 80% | शून्य | हां | |
| उपदान | 100% | शून्य | हां | 100% | शून्य | हां | |
| ईएसआई | | डेटा एकत्र नहीं किया गया | | | | | |
| अन्य – सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ जैसे जीटीआईएस, समूह स्वास्थ्य बीमा आदि। | 100% | शून्य | लागू नहीं | 100% | शून्य | लागू नहीं | |

- 3. कार्यस्थलों की पहुंच क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, क्या संस्था के पिरसर/कार्यालय अलग—अलग सक्षम कर्मचारियों और किर्मयों के लिए सुलभ हैं ? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में संस्था द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है। हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय, हमारे पास अलग—अलग विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों के अनुरूप रैंप, रेल आदि जैसी विशेष सुविधाएं हैं।
- क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार संस्था के पास समान अवसर नीति है? यदि हां, तो पॉलिसी के लिए एक वेब—लिंक प्रदान करें।

https://licindia.in/Bottom-Links/Equal-Opportunity-Policy-(1)





5. मातृ—पितृअवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कर्मियों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर।

| | स्थायी व | कर्मचारी | स्थायी कर्मचारी | | |
|-------|--------------------------------|----------|-------------------|--------------|--|
| लिंग | कार्य दर पर वापसी प्रतिधारण दर | | कार्य दर पर वापसी | प्रतिधारण दर | |
| पुरुष | 100% | 100% | | | |
| महिला | 100% | 100% | | | |
| कुल | 100% | 100% | | लागू नहीं | |

6. क्या कर्मचारियों और कामगारों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है ? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

| | हां / नहीं (यदि हां, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें) |
|-----------------------------|---|
| स्थायी कर्मचारी | लागू नहीं |
| स्थायी कर्मचारियों के अलावा | लागू नहीं |
| स्थायी कर्मचारी | हां, परिपत्र संदर्भः के.का./ कार्मिक/ का.सं.—प्र/ 285/ 2022 दिनांक 10.02.2022 कर्मचारी अपनी शिकायतें ईमेल पर भेज सकते हैं और विहसल ब्लोअर नीति के दायरे में आने वाले मामलों को तदनुसार नियंत्रित किया जाता है। यौन उत्पीड़न आदि से संबंधित शिकायतों को संभालने वाली समितियां भी हैं। |
| स्थायी कर्मचारियों के अलावा | लागू नहीं |

7. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संघ (एस) या यूनियनों में कर्मचारियों और कर्मी की सदस्यताः

| • | | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|---|--|---------|--|
| | वि | वेत्तीय वर्ष 2021–22 | | वित्तीय वर्ष 2020-21 | | | |
| | | वर्तमान वित्तीय वर्ष | | विगत वित्तीय वर्ष | | | |
| श्रेणी संबंधित श्रेणी कुल कर्मचारी कर्मी | | संबंधित श्रेणी में श्रमिकों की संख्या, जो संघटन या संघ का हिस्सा हैं | % (ख / क) | संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी / कर्मी | संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या, जो संघटन या संघ का हिस्सा हैं | % (घ/ग) | |
| | (ক) | (ख) | % (ख / क) | (刊) | (घ) | % (घ/ग) | |
| कुल स्थायीकर्मचारी | 104036 | निगम किसी संघ को | | | निगम किसी संघ को | | |
| – पुरुष | | मान्यता नहीं देता | | | मान्यता नहीं देता | | |
| – महिला | | है। इसलिए डेटा का | | | है। इसलिए डेटा का | | |
| | | रखरखाव नहीं किया | | | रखरखाव नहीं किया | | |
| | | जाता है। | | | जाता है। | | |
| कुल स्थायी कर्मचारी | | | | | | | |
| – पुरुष | लागू नहीं | | | | | | |
| – महिला | लागू नहीं | | | | | | |





कर्मचारियों और कर्मियों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण :

| | वित्त वर्ष 2021-22 | | | | वित्त वर्ष 2020-21 | | | | | |
|--------|--------------------|-----------------|------------------|------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|
| शेणी | | ą | र्तमान वित्तीय व | र्ष | | | f | पेछला वित्तीय व | र्ष | |
| 기에 | ****(**) | स्वास्थ्य और स् | रक्षा उपायों पर | कौशल उ | ज्ञयन पर | | स्वास्थ्य और स् | पुरक्षा उपायों पर | कौशल उ | उन्नयन पर |
| | कुल (क) | संख्या (ख) | % (ख/क) | संख्या (ग) | %(ग/क) | कुल (घ) | संख्या (च) | % (च/घ) | संख्या (छ) | %(छ/घ) |
| | कर्मचारी | | | | | | | | | |
| पुरुष | 79942 | | | ब्रेक अप ए | कत्रित नहीं | 83795 | | | ब्रेक अप ए | कत्रित नहीं |
| महिला | 24094 | | | ब्रेक अप ए | कत्रित नहीं | 25192 | | | ब्रेक अप ए | कत्रित नहीं |
| कुल | 104036 | लागृ | ्नहीं | 102515 | 98.5 | 108987 | लागृ | ्नहीं | 66081 | 60.63 |
| | कर्मी | | | | | | | | | |
| र्श्त | लागू | ्नहीं | | | | लागृ | ्नहीं | | | |
| इस्ति | लागू | ्नहीं | | | | लागृ | ्नहीं | | | |
| ऊर्दूर | लागू | ्नहीं | | | · | लागृ | ्नहीं | | | |

प्रबंधन विकास केंद्र, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों और मंडल प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित अधिकांश प्रशिक्षण सत्रों में हम योग, कार्य जीवन संतुलन, तनाव प्रबंधन आदि जैसे विषयों को शामिल करते हैं)। हालांकि, स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर कोई विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता है।

9. कर्मचारियों और कर्मचारियों के प्रदर्शन और करियर विकास की समीक्षा का विवरणः

| | | वित्त वर्ष 2021–22 | | वित्त वर्ष 2020-21 | | | | |
|-------|-----------|----------------------|---------|--------------------|------------|---------|--|--|
| शेणी | | वर्तमान वित्तीय वर्ष | | पिछला वित्तीय वर्ष | | | | |
| | कुल (क) | संख्या (ख) | % (ख/क) | संख्या (ग) | संख्या (च) | % (च/घ) | | |
| | रेंजदबो | | | | | | | |
| पुरुष | 79942 | 79942 | 100 | 83795 | 83795 | 100 | | |
| महिला | 24094 | 24094 | 100 | 25192 | 25192 | 100 | | |
| कुल | 104036 | 104036 | 100 | 108987 | 108987 | 100 | | |
| | | | कर्मी | | | | | |
| पुरुष | लागू नहीं | | | | | | | |
| महिला | लागू नहीं | | | | | | | |
| कुल | | | - | | | | | |

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालीः

- क वया संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है ? हाँ
 - हम बीमा उद्योग में हैं और कोई व्यावसायिक जोखिम नहीं हैं। हालांकि, कर्मचारियों और कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगम के पास कड़े दिशानिर्देश हैं। इसमें अग्नि सुरक्षा नीति शामिल है जिसमें अग्निशमन उपकरण, अग्नि अभ्यास और अन्य सुरक्षा मानकों से संबंधित नियम शामिल हैं। बिजली और अग्नि सुरक्षा मानकों पर समय—समय पर जांच की जाती है। निगम के कर्मचारी समूह सावधि बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के अंतर्गत आते हैं।
- ख. कार्य—संबंधी खतरों की पहचान करने और संस्था द्वारा नियमित और गैर—नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं ?
 - बिंदु क के अनुरूप उत्तर दें
- ग. क्या आपके पास काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को दूर करने के लिए श्रमिकों के लिए प्रक्रियाएं हैं। (हाँ/ नहीं) बिंदु क के अनुरूप उत्तर दें
- घ. क्या संस्था के कर्मचारियों/ कर्मियों की गैर—व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है ? हाँ निगम के सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिए निवारक स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध है।





11. निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरणः

| | श्रेणी | वित्तीय वर्ष 2021–22 | वित्तीय वर्ष 2020–21 |
|---|----------|----------------------|----------------------|
| सुरक्षा घटना/संख्या | 경에 | वर्तमान वित्तीय वर्ष | वर्तमान वित्तीय वर्ष |
| विगत समय चोट लगने की आवृति दर (इंजरी फ्रीक्वेंसी | कर्मचारी | एकत्रित नहीं है | एकत्रित नहीं है |
| रेट) (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख—व्यक्ति घंटे काम किया) | कर्मी | लागू नहीं है | लागू नहीं है |
| कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें | कर्मचारी | एकत्रित नहीं है | एकत्रित नहीं है |
| | कर्मी | लागू नहीं है | लागू नहीं है |
| मरने वालों की संख्या | कर्मचारी | एकत्रित नहीं है | एकत्रित नहीं है |
| | कर्मी | लागू नहीं है | लागू नहीं है |
| उच्च परिणाम कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु | कर्मचारी | एकत्रित नहीं है | एकत्रित नहीं है |
| को छोड़कर) | कर्मी | लागू नहीं है | लागू नहीं है |

12. एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

निगम ने कार्यालय परिसर और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड और चौकीदार नियुक्त किए हैं। हमारे केंद्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रवेश द्वारों पर बैगेज स्कैनर लगाए गए हैं। कोविड महामारी के दौरान कार्यालयों के प्रवेश द्वारों पर हैंड्स फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगाए गए थे। सभी कार्यालयों को सप्ताह में दो बार सैनिटाइज किया जाता है। कर्मचारियों और आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। कार्यालयों में कर्मचारी रोस्टर का रखरखाव किया गया और सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन किया गया।

अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं। प्रत्येक कार्यालय में अग्नि सुरक्षा समिति का गठन किया गया है और सदस्यों को अग्नि सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है। निकासी ड्रिल आयोजित की जाती है। कार्यालय परिसरों और कुछ विभागों में सीसीटीवी कैमरे और प्रतिबंधित पहुंच प्रक्रिया में हैं।

टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। हर कर्मचारी को तिमाही एंबियंस पोल में एंबियंस रेटिंग देनी होती है।

13. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्याः

| | | | वित्तीय वर्ष 2021–2 | .2 | वित्तीय वर्ष 2020-21 | | | |
|--|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|--|
| | | वर्तमान वित्तीय वर्ष | | | विगत वित्तीय वर्ष | | | |
| | | वर्ष के दौरान फाइल किया गया | वर्ष के अंत में लंबित संकल्प | अभ्युक्तियाँ | वर्ष के दौरान फाइल किया गया | वर्ष के अंत में लंबित संकल्प | अभ्युक्तियाँ | |
| | काम करने की स्थिति | | शून्य | | | शून्य | | |
| | स्वास्थ्य और सुरक्षा | | शून्य | | | शून्य | | |

14. वर्ष के लिए आकलनः

| | % of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties) |
|-----------------------------|---|
| Health and safety practices | Fire Audit is being done by Third Party whenever required. |
| Working Conditions | No |

15. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

कार्यालय परिसर और कुछ विभागों में सीसीटीवी कैमरे और प्रतिबंधित पहुंच स्थापित हैं और काम प्रगति पर है। कोविड महामारी के दौरान कार्यालयों को सप्ताह में दो बार सेनिटाइज किया जाता था। कर्मचारियों के लिए टीकाकरण शिविर/कार्यक्रम आयोजित किए गए।





नेतृत्व संकेतक

- 1. क्या संस्था (क) कर्मचारियों (हां/ नहीं) (ख) कर्मियों (हां/ नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज देती है।
 - क) कर्मचारी हाँ

हाँ। निम्नलिखित लाभ मृत कर्मचारी के परिवार को मृत्यु की स्थिति में प्रदान किए जाते हैं।

- 1. उपदान
- 2. भविष्य निधि
- पेंशन और फैमिली पेंशन
- 4. PL नकदीकरण
- 5. समूह बचत लिंक्ड बीमा
- 6. समूह बीमा
- 7. समूह सावधि बीमा योजना
- 8. नया समूह बीमा
- 9. 24 घंटे समूह व्यक्तिगत दुर्घटना नीति
- 10. नकद ले जा रहे व्यक्तियों के लिए 10 समूह व्यक्तिगत दुर्घटना नीति।
- 11. योजना के अनुसार परिवार के सदस्यों में से एक की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति।
- ख) कर्मी लागू नहीं
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक देय राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है संस्था द्वारा किए गए उपाय बताएं मेंडिकल सर्विस प्रोवाइडर्स (एमएसपी) हमारे वैल्यू चेन पार्टनर हैं। उन्हें चिकित्सा शुल्क का भुगतान उनके जीएसटी चालान के आधार पर किया जाता है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को वैधानिक कटौतियों के प्रेषण के लिए विक्रेता जिम्मेदार हैं और भुगतान के समय इसकी जांच की जाती है।
- 3. उन कर्मचािरयों/ किर्मियों की संख्या प्रदान करें, जिन्हें काम से संबंधित चोट/बीमारी/मृत्यु का सामना करना पड़ा है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों की Q11 में बताया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया:

| | प्रभावित कर्मचारियों/व | कर्मियों की कुल संख्या | उन कर्मचारियों/कर्मियों की संख्या जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है | | |
|----------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | वित्तीय वर्ष (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्तीय वर्ष (पिछला वित्तीय वर्ष) | वित्तीय वर्ष (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्तीय वर्ष (पिछला वित्तीय वर्ष) | |
| कर्मचारी | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | |
| कर्मी | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | |

4. क्या संस्था निरंतर रोजगार योग्यता और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर के अंत के प्रबंधन की सुविधा के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है ? हाँ

इन—हाउस प्रशिक्षण केंद्रों और बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से सभी कर्मचारियों को उनके प्रबंधकीय, कार्यात्मक और व्यवहार कौशल में उत्कृष्टता के लिए निगम के साथ अपने पूरे करियर में निरंतर सीखने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण मंच प्रदान किए गए हैं। इस तरह के निरंतर प्रशिक्षण से कर्मचारियों को उनके कार्य स्थल पर उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। निगम कर्मचारियों को दीर्घकालिक करियर विकास के अवसर प्रदान करता है जो स्थिरता को सक्षम बनाता है।





मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरणः

| | मूल्य श्रृंखला भागीदारों (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य द्वारा) का% जिनका मूल्यांकन किया गया |
|-----------------------------|--|
| स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास | शून्य |
| काम करने की स्थिति | शून्य |

6. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थिति के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।
लागू नहीं

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। आवश्यक संकेतक

संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

निगम ने अपने व्यवसाय के उचित क्रम में अपने आंति के और बाहरी दोनों हितधारकों का मानचित्रण किया है। यह निगम को रणनीतिक निर्णय लेने और जोखिम को कम करने में मदद करता है। जीवन बीमा के हमारे व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, हमारे जोखिम और अवसर मानव पूंजी के इर्द—गिर्द घूमते हैं। तदनुसार हमारे प्रमुख आंति हितधारक कर्मचारी हैं।बाहरी हितधारकों में आमतौर पर पॉलिसीधारक, ग्राहक, विक्रेता, एजेंट, ऋणदाता, निवेशक, सरकार, नियामक, व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, संस्थान, फर्म आदि शामिल होते हैं, जो व्यवसाय की खरीद और बढ़ाने के लिए निगम के विभिन्न चैनलों में लगे हुए हैं और इस तरह निगम के लिए मूल्य विद्वित करते हैं।

2. अपनी संस्था के लिए कुंजी के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ संलग्नता की आवृत्ति की सूची बनाएं

| | | | | <u> </u> |
|---|--|--|---|--|
| हितधारक समूह | क्या सुभेद्य और अधिकारहीन समूह के रूपमें इसकी पहचान हुई है | संचार के चैनल (ई मेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य | संलग्नता की आवृत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य– कृपया निर्दिष्ट करें) | इस तरह की संलग्नता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा। |
| शेयरधारक | नहीं | आवश्यकता के अनुसारः ईमेल, वार्षिक आम बैठक, तिमाही परिणाम, स्टॉक एक्सचेंजों में फाइलिंग, प्रेस विज्ञप्ति। | त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परिणाम और वार्षिक आम बैठक। स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कॉर्पोरेट घोषणाओं की फाइलिंग। | निगम की रणनीति पर अद्यतन प्रदान करना, विभिन्न नियामक तंत्र के माध्यम से शिकायतों का निवारण। |
| वितरण चैनलः अभिकर्ता, पीओएसपी—एलआई | नहीं | संचार के कई चैनल, भौतिक और डिजिटल | बहुत बार—बार आवश्यकता आधारित और निरंतर संलग्नता | व्यवसाय की खरीद, ग्राहकों तक पहुंचना |
| पॉलिसीधारक जो ऑनलाइन पॉलिसी खरीदते हैं | नहीं | ई—मेल, एसएमएस | आवश्यकता आधारित | प्रस्ताव को नीति में सुचारू रूप से बदलने के लिए ऑन—बोर्° डग प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में ऑनलाइन प्रस्तावकों के साथ संलग्न हुआ जाता है। |
| नियामक अधिकारी | नहीं | ईमेल, व्यक्तिगत बैठकें, कॉल, वीडियो कॉल | जब और जब आवश्यक हो | विनियामक अनुपालन और शिकायत मामलों के लिए |
| वितरण चैनलः मुख्य जीवन बीमा सलाहकार (सीएलआईए), मुख्य आयोजक (सीओ), प्रत्यक्ष बिक्री सलाहकार, सीएलआईए/ सीओ के तहत पर्यवेक्षित एजेंट | नहीं | संचार के कई चैनल, भौतिक और डिजिटल | बहुत बार–बार, आवश्यकता आधारित और निरंतर संलग्रता | व्यवसाय की खरीद, नए ग्राहकों तक पहुंचना। मौजूदा ग्राहकों के सुरक्षा अंतर का आकलन |
| कर्मचारी | नहीं | सीधा संपर्क, ई—मेल, कर्मचारी वेबसाइट, एसएमएस, कॉल, नोटिस बोर्ड | प्रतिदिन | सूचना साझा करना, उन्हें नीतिगत निर्णयों में शामिल करना, कॉर्पोरेट दिशानिर्देशों को प्राप्त करना |





सिद्धांत 5 व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। आवश्यक संकेतक

।. कर्मचारी औरकर्मी जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकार मुद्दों और संस्था की नीति (यों) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है: एकत्रित नहीं ।

| | | वित्तवर्ष 2021-22 | | वित्तवर्ष 2020-21 | | | |
|------------------|----------------------|---|-----------|--------------------|---|-----------|--|
| | वर्तमान वित्तीय वर्ष | | | पिछला वित्तीय वर्ष | | | |
| श्रेणी | कुल (क) | कवर किए गए कर्मचारियों/कर्मियों की संख्या (ख) | % (ख / क) | कुल (ग) | कवर किए गए कर्मचारियों/कर्मियों की संख्या (घ) | % (घ / ग) | |
| कर्मचारी | | | | | | | |
| स्थायी | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |
| स्थायीछोड़करअन्य | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |
| कुल कर्मचारी | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |
| कर्मी | | | | | | | |
| स्थायी | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |
| स्थायीछोड़करअन्य | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |
| कुल कर्मी | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |

2. कर्मचारियों और कर्मियों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण निम्न प्रारूप में:

| | वित्तवर्ष 2021-22 | | | | वित्तवर्ष 2020-21 | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------|------------|----------------|------------|--------------|
| 2-0 | | वर्तमान वित्तीय वर्ष | | | पिछला वित्तीय वर्ष | | | | | |
| श्रेणी | () | न्यूनतम मज | दूरी के बराबर | न्यूनतम मजद् | ्री से अधिक | (_) | न्यूनतम मज | ादूरी के बराबर | न्यूनतम मज | दूरी से अधिक |
| | कुल (क) | संख्या (ख) | % (ख / क) | संख्या | संख्या (ख) | कुल (घ) | संख्या (च) | % (च/घ) | संख्या (छ) | % (छ/घ) |
| | | | | व | र्मचारी व्या | | | | | |
| स्थायी | 104036 | शून्य | शून्य | 104036 | 100 | 108987 | शून्य | शून्य | 108987 | 100 |
| पुरुष | 79942 | शून्य | शून्य | 79942 | 100 | 83795 | शून्य | शून्य | 83795 | 100 |
| महिला | 24094 | शून्य | शून्य | 24094 | 100 | 25192 | शून्य | शून्य | 25192 | 100 |
| स्थायी के अलावा | | | | | | | | | | |
| पुरुष | शून्य | | | | | शून्य | | | | |
| महिला | शून्य | | | | | शून्य | | | | |
| | | | | | कर्मी | | | | | |
| स्थायी | लागू नहीं | | | | | लागू नहीं | | | | |
| पुरुष | लागू नहीं | | | | | लागू नहीं | | | | |
| महिला | लागू नहीं | | | | | लागू नहीं | | | | |
| स्थायी के अलावा | लागू नहीं | | | | | लागू नहीं | | | | |
| पुरुष | लागू नहीं | | | | | लागू नहीं | | | | |
| महिला | लागू नहीं | | | | | लागू नहीं | | | | |





पारिश्रमिक/ वेतन/ मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:

| | | पुरुष | महिला | | |
|---|--------|--|--------|---|--|
| | संख्या | संबंधित श्रेणी का मीडियन पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी | संख्या | संबंधित श्रेणी का मीडियन पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी | |
| निदेशक मंडल (बीओडी) | 6 | 32119245 | 01 | 4310202 | |
| पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक) | 5 | भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना संसद के एक अधिनियम, भारतीय जीवन बीमा निगम, अधिनियम 1956 | | | |
| सरकार नामित निदेशक | 1 | द्वारा की गई थी। | | | |
| गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक | 9 | औसत पारिश्रमिक की अवधारणा निगम पर लागू नहीं होती क्योंकि निगम कंपनी अधिनियम के प्रावधान द्वारा शासित नहीं है इसके अलावा निदेशकों को पारिश्रमिक काविवरण निगमित शासन रिपोर्ट के तहत प्रकट किया गया है | | | |
| कर्मी | - | - | - | - | |
| कर्मचारी BOD और kmps छोड़ कर | 84633 | 114860449967.57 | 25268 | 35629796841.88 | |

01.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान केएमपी को पारिश्रमिक का भुगतान

| अनु. | KMP का नाम | पदनाम | 01.04.2021 से 31.03.2022 तक भुगतान किया गया पारिश्रमिक (ऋ) | 01.04.2021 से 31.03.2022 तक अनुलाभ | कुल | कुल दस लाखों में |
|------|---------------------|---|---|--|-------------|---------------------|
| 1 | श्री डी.पी. महंति | का.नि.(लेखापरीक्षा) और आंतरिक लेखा परीक्षक | 6177158.03 | 1112399 | 7289557.03 | 7.29 |
| 2 | श्री तबलेश पांडेय | का.नि. (निवेश—जोखिम) और प्र.जो.अ. | 6018091.07 | 1244624 | 7262715.07 | 7.26 |
| 3 | श्री ए.के. आनंद | का.नि. (निवेश—प्रचालन) और प्र.नि.अ. | 5924702.43 | 1253773 | 7178475.43 | 7.18 |
| 4 | श्री पी मुरलीधरन | का.नि. (विपणन/ उ.वि.) और प्र.वि.अ. | 5710893.55 | 1514304 | 7225197.55 | 7.23 |
| 5 | श्रीमती एसएस सोमण | का.नि. (एफएंडए) और प्र.वि.अ. | 5809132.78 | 1476720 | 7285852.78 | 7.29 |
| 6 | श्री पवन अग्रवाल | कंपनी सचिव | 3953553.90 | 51761 | 4005314.90 | 4.01 |
| 7 | श्री डी. पी. पटनायक | प्रमुख (आई/सी) (सीजी/जीजेएफ/आरसी) और प्र.अ.अ. | 4766106.28 | 949481 | 5715587.28 | 5.72 |
| 8 | श्री दिनेश पंत | नियुक्त बीमांकक और प्रमुख (प्रभारी) (बीमांकक) | 8727902.92 | 1771851 | 10499753.92 | 10.50 |

4. क्या आपके पास व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार एक केंद्र बिंदु (व्यक्ति/ समिति) है ?

हाँ

मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अनुसार विभाग ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम किया है। निगम की महिला कर्मचारियों को पुरुष कर्मचारियों के बराबर माना जाता है। हमारे संगठन में महिला कर्मचारियों को एक स्वस्थ और सम्मानजनक कार्य स्थिति प्रदान की जाती है, जहां भी वे तैनात होती हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

सरकारी प्रावधानों के अनुसार, आंतरिक शिकायत समिति के रूप में जानी जाने वाली एक समिति में एक अध्यक्ष होता है और एनजीओ के एक बाहरी सदस्य सित तीन सदस्यों का गठन केंद्रीय कार्यालय, आठ क्षेत्रीय कार्यालयों और सभी मंडल कार्यालयों में किया जाता है। समिति की अध्यक्ष हमेशा विरष्ठ संवर्ग की महिला होती है।

एलआईसी ऑफ इंडिया हमेशा एक सुस्थापित प्रणाली के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए कदम उठा रहा है। अपनी नीति को और मजबूत करने और अपने कर्मचारियों, विशेष रूप से आरक्षित श्रेणियों से संबंधित लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए कि उनकी वास्तविक शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा और नियमों और विनियमों के ढांचे के भीतर उनका तुरंत निवारण किया जाएगा, हमने उनके निवारण के लिए आंतरिक तंत्र प्रणाली विकसित की है।

इस प्रणाली के तहत, दो स्तर हैं अर्थात प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर जहां एक कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और उसी का समाधान किया जा सकता है। यदि कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, तो वह उच्च अधिकारी के पास पहली अपील के लिए जा सकता है और आगे एक कर्मचारी के पास बाद के उच्च अधिकारी के पास अंतिम अपील का विकल्प होता है।





कर्मचारियों और कर्मियों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्याः

| | | वित्तवर्ष 2021-22 | | वित्तवर्ष 2020-21 | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|--|
| | | वर्तमान वित्तीय वर्ष | | पिछला वित्तीय वर्ष | | | |
| | वर्ष के दौरान फाइल किया गया | वर्ष के अंत में लंबितसंकल्प | टिप्पणियां | वर्ष के दौरान फाइल किया गया | वर्ष के अंत में लंबित संकल्प | टिप्पणियां | |
| यौन उत्पीड़न | 6 | 5 | 4 * | 8 | 3 | - | |
| कार्यस्थल पर भेदभाव | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| बाल श्रम | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| वेतन | वेतन संरचना में समानता | | | | | | |
| मानवाधिकार से जुड़े अन्य मुद्दे | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |

- * मार्च 2022 तक लंबित 4 शिकायतों में से तीन शिकायतों का समाधान आज की तारीख में किया गया है। (जुलाई)
- 7. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र। कार्यबल के लिए निगम की प्रतिबद्धता निम्न के प्रति है:
 - (i) भागीदारी की भावना को बढावा देना और उन्हें प्रगति में भागीदार बनाना.
 - (ii) उनकी नौकरी से संतुष्टि और गर्व की भावना सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना,
 - (iii) उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए सक्षम करने के लिए एक वातावरण और विकास के अवसर प्रदान करना;
 - (iv) पेशेवर कौशल विकसित करने के लिए कदम उठाना ताकि वे अपने आकलन को अधिक कुशलता से संभाल सकें।

निगम के कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 48 (2) (सीसी) के तहत उनके पास निहित शक्ति के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित हैं।

कर्मचारी संबंधी नीतियां इन नियमों के आधार पर तैयार की जाती हैं जो भेदभाव रहित हैं और सभी व्यक्तियों को उनके लिंग, धर्म, जाति, नस्ल, आयु, समुदाय, शारीरिक क्षमता या यौन अभिविन्यास के बावजूद समान अवसर प्रदान करती हैं। निगम एक सुरक्षित, सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, तािक कर्मचारी बिना किसी भ्रम के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। कंपनी ने कार्यस्थल उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न से संबंधित कर्मचारियों की चिंताओं की जांच के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण प्रक्रिया स्थापित की है और एक आचार संहिता, कर्मचारी सेवा नियम और कार्यस्थल नीित पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम की स्थापना की है जो स्पष्ट रूप से कर्मचारी जिम्मेदारियों और स्वीकार्य कर्मचारी आचरण का वर्णन करती है।

- 8. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यापार समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं ? (हां/ नहीं) हां
- 9. वर्ष के लिए आकलनः

| | आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों द्वारा) |
|----------------------------|---|
| यौन उत्पीड़न | श्रून्य |
| कार्यस्थल पर भेदभाव | शून्य |
| बाल श्रम | श्रून्य |
| जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम | शून्य |
| वेतन | शून्य |
| अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें | शून्य |





10. उपरोक्त प्रश्न 4 में मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

- 1. क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार संस्था का परिसर/कार्यालय अलग—अलग सक्षम आगंतुकों के लिए सुलभ है ? विकलांग व्यक्तियों को प्रतिष्ठान में अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए सुविधाओं और सुविधाओं के प्रावधान किए गए हैं।
 - हाँ, कुछ कार्यालयों में रैम्प, रेल, एलिवेटर स्थापित हैं और लिफ्ट में ब्रेल लिपि उपलब्ध है।
- 2. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरणः

| | मूल्य श्रृंखला भागीदारों (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य द्वारा) का% जिनका मूल्यांकन किया गया था |
|----------------------------|---|
| यौन उत्पीड़न | श्रून्य |
| कार्यस्थल पर भेदभाव | श्रून्य |
| बाल श्रम | श्रून्य |
| जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम | श्रून्य |
| वेतन | श्रून्य |
| अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें | शून्य |

 उपरोक्त प्रश्न 2 में मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें। शून्य

सिद्धांत 6 : व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान एवं इसकी रक्षा और पुर्स्थापना हेतु प्रयास करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

- 1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरणः
 - प्रति वर्ष कुल ऊर्जा खपत लगभग 1536 लाख यूनिट है

| पैरामीटर | वित्तीय वर्ष 2021–22 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्तीय वर्ष 2020-21 पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|---|--|
| कुल बिजली खपत (क) अन्य स्रोतों के माध्यम से(सौर ऊर्जा) | 34,66,173 यूनिट (उपरोक्त इकाइयाँ पूरे भारत में 81 स्थानों पर स्थापित सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित होती हैं) | 29,79,305 यूनिट (संचयी) (उपरोक्त इकाइयाँ पूरे भारत में 72 स्थानों पर स्थापित सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित होती हैं।) |
| कुल ईंधन खपत (ख) | डेटा एकत्र नहीं किया गया | डेटा एकत्र नहीं किया गया |
| अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग) | डेटा एकत्र नहीं किया गया | डेटा एकत्र नहीं किया गया |
| कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग) | लागू नहीं | लागू नहीं |
| टर्नओवर के प्रति रुपया ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/टर्नओवर रुपये में) | लागू नहीं | लागू नहीं |
| ऊर्जा की तीव्रता (वैकल्पिक)— संस्था द्वारा प्रासंगिक मेट्रिक चुनी जा सकती है | लागू नहीं | लागू नहीं |

नोटः बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है ? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

2. क्या संस्था के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचान की गई कोई साइट/ सुविधाएं हैं ? नहीं





3. पानी से संबंधित निम्नलिखित खुलासे का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें: डेटा एकत्रित नहीं किया गया

| पैरामीटर | वित्तीय वर्ष 2021–22 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्तीय वर्ष 2020–21 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|--|--|
| स्रोत से जल निकासी (किलोलीटर में) | | |
| (i) सतही जल | - | - |
| (ii) भूजल | - | - |
| (iii) थर्ड पार्टी वाटर | - | - |
| (iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल | - | - |
| (v) अन्य | - | - |
| जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i+ii+iii+iv+v) | - | - |
| पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में) | - | - |
| पानी की तीव्रता प्रति रुपया टर्नऑवर (पानी की खपत / टर्नऑवर) | - | - |
| पानी की तीव्रता (वैकल्पिक) – संस्था द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक चुनी जा सकती है | - | - - |

नोटः बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है ? (हां/ नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

- क्या संस्था ने शून्य तरल निर्वहन के लिए एक तंत्र लागू किया है? नहीं यदि हां, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का ब्यौरा दें। लागू नहीं
- 5. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें: लागू नहीं

| पैरामीटर | कृपया संस्था निर्दिष्ट करें | वित्तीय वर्ष 2021–22 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्तीय वर्ष 2020-21 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---------------------------------|-----------------------------|--|--|
| NOx | - | - | - |
| SOx | - | - | - |
| पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) | - | - | - |
| लगातार कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी) | - | - | - |
| वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी) | - | - | - |
| खतरनाक वायु प्रदूषक (HAP) | - | - | - |
| अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें | - | - | - |

नोटः बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है ? (हां/ नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम।





निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें: लागू नहीं

| पैरामीटर | संस्था | वित्तीय वर्ष 2021–22 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्तीय वर्ष 2020-21 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|--------|--|--|
| कुल दायरा 1 उत्सर्जन (उप्उ का CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3, यदि उपलब्ध हो तो) | | - | - |
| कुल दायरा 2 उत्सर्जन (उप्उ का CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3, यदि उपलब्ध हो तो) | 1 7 7 | - | - |
| कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन प्रति रुपये टर्नओवर | - | - | - |
| कुल दायरा 1 और दायरा 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक को संस्था द्वारा चुना जा सकता है | - | - | - |

नोटः बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है ? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

- 7. क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है ? यदि हां, तो विवरण दें।
 - 31.03.2022 तक, 3576 KWp सोलर रूफ टॉप पीवी स्थापित किया गया था, जिससे लगभग 2966 टन (संचयी) CO2 उत्सर्जन कम हो गया। 31.03.2021 तक, 3171 KWp (संचयी) सोलर रूफ टॉप पीवी स्थापित किया गया है, जिससे लगभग 2630 टन CO2 उत्सर्जन में कमी आई है।
- 8. संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें: लागू नहीं

| पैरामीटर | वित्तीय वर्ष 2021–22 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्तीय वर्ष 2020-21 (पिछला वित्तीय वर्ष) | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| उत्पन्न कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में) | | | | | |
| प्लास्टिक अपशिष्ट (क) | | | | | |
| ई-अपशिष्ट (ख) | 9.374 मीट्रिक टन | 310.364 मीट्रिक टन | | | |
| जैव चिकित्सा अपशिष्ट (ग) | | | | | |
| निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (घ) | | | | | |
| बैटरी अपशिष्ट (च) | | | | | |
| रेडियोधर्मी अपशिष्ट (छ) | | | | | |
| अन्य खतरनाक अपशिष्ट। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (ज) | | | | | |
| अन्य गैर—खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न (झ)। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। | | | | | |
| कुल (क+ख + ग + घ + च + छ + ज + झ) | | | | | |
| उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उ | पयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से प्र | गप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में) | | | |
| अपशिष्ट की श्रेणी | | | | | |
| (i) पुनर्नवीनीकरण | | | | | |
| (ii) पुनः उपयोग किया गया | | | | | |
| (iii) अन्य पुनर्प्राप्ति संचालन | | | | | |
| कुल | | | | | |





| पैरामीटर | वित्तीय वर्ष 2021–22 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्तीय वर्ष 2020–21 (पिछला वित्तीय वर्ष) | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में) | | | | | |
| अपशिष्ट की श्रेणी | | | | | |
| (i) भस्मीकरण | - | | | | |
| (ii) लैंडफिलिंग | | | | | |
| (iii) अन्य निपटान संचालन | | | | | |
| कुल | | | | | |

नोटः बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/निर्धारण/आश्वासन किया गया है ? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

- 9. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपिशष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए अपनी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें। लागू नहीं
- 10. यदि संस्था के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉ टस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में संचालन / कार्यालय हैं, तो कृपया निर्दिष्ट करें। निम्नलिखित प्रारूप में विवरणः लागू नहीं
- 11. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरणः लागू नहीं
- 12. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (वाई / एन)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर—अनुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें: लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

 नवीकरणीय और गैर—नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (जूल या गुणकों में) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें: डेटा एकत्रित नहीं किया गया

| पैरामीटर | वित्तीय वर्ष 2021-22 | वित्तीय वर्ष 2020-21 | |
|---|----------------------|----------------------|--|
| नवीकरणीय स्रोतों से | | | |
| कुल बिजली खपत (क) | - | - | |
| कुल ईंधन खपत (ख) | - | - | |
| अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग) | - | - | |
| नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (क+ख+ग) | - | - | |
| गैर-नवीकरणीय स्रोतों से | | | |
| कुल बिजली खपत (घ) | - | - | |
| कुल ईंधन खपत (च) | - | - | |
| अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (छ) | - | - | |
| गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (घ+च+छ) | - | - | |

नोटः बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/निर्धारण/आश्वासन किया गया है ? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

- 2. डिस्चार्ज किए गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:लागू नहीं। एकत्रित नहीं किया गया, चूंकि हम बीमा व्यवसाय में हैं।
- पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में)ः
 एकत्रित नहीं किया गया, चूंकि हम बीमा व्यवसाय में हैं।





4. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें: डेटा एकत्रित नहीं है

| पैरामीटर | एकाई | वित्तीय वर्ष 2021–22 | वित्तीय वर्ष 2020–21 |
|---|----------------|----------------------|----------------------|
| कुल दायरा 3 उत्सर्जन (GHG का CO2, | मीट्रिक टन CO2 | | |
| CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3, यदि | समतुल्य | - | - |
| उपलब्ध हो तो) | | | |
| कुल दायरा ३ उत्सर्जन प्रति रुपये टर्नओवर | - | - | - |
| कुल दायरा ३ उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) – | | | |
| संस्था द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया | - | - | - |
| जा सकता है | | | |

नोटः बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/निर्धारण/आश्वासन किया गया है ? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

- 5. उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ—साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर संस्था के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें।
 - एकत्रित नहीं किया गया, चूंकि हम बीमा व्यवसाय में हैं।
- 6. यदि संस्था ने संसाधन दक्षता में सुधार के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधानों का उपयोग किया है, या उत्सर्जन / अपिशष्ट निर्वहन / उत्पन्न अपिशष्ट के प्रभाव को कम किया है, तो कृपया उसका विवरण और साथ ही इस तरह की पहल के परिणाम प्रदान करें। निम्नलिखित प्रारूप:
 - एकत्रित नहीं किया गया, चूंकि हम बीमा व्यवसाय में हैं।
- 7. क्या संस्था के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है ? 100 शब्दों/ वेब लिंक में विवरण दें। व्यापार निरंतरता उपाय (बीसीएम):
 - व्यावसायिक रुकावट जोखिम भी संचालन जोखिम का एक अभिन्न अंग है। निगम को कई आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है जो मामूली से लेकर विनाशकारी तक होती हैं जो दिन—प्रतिदिन के कार्यों को प्रभावित कर सकती हैं। कॉरपोरेशन ऐसे व्यावसायिक व्यवधानों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त उपाय करके जोखिम को कम करने का प्रयास करता है।
 - निगम ने सुनिश्चित किया है कि सभी महत्वपूर्ण कार्यों की निरंतरता के लिए सिस्टम मौजूद हैं। इसने निगम को महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में ग्राहकों को निर्बाध सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाया है। घर से काम करने का विकल्प निगम के सभी कर्मचारियों को सिस्टम तक रिमोट एक्सेस की अनुमित देने के लिए लागू किया गया था ताकि इसके सभी पॉलिसीधारकों और बिचौलियों को सेवा प्रदान की जा सके।
 - प्रतिकूल परिस्थितियों में महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आपदा वसूली स्थल की स्थापना की गई है। व्यापार निरंतरता अभ्यास महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए नियमित आधार पर किए जाते हैं और व्यावसायिक रुकावट जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए भागीदारों को आउटसोर्स करते हैं। निगम की साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों सिहत एक सुपरिभाषित सूचना सुरक्षा नीति है जो सुनिश्चित करती है कि पूरे संगठन में व्यापक प्रबंधन प्रक्रियाओं को स्थापित करके सभी सूचना परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जाती है।
 - निगम के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश कार्यों के लिए व्यवसाय निरंतरता योजना है। बीमाकर्ताओं को अब भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा निर्धारित प्रारूप में बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यवसाय निरंतरता योजना की आवश्यकता है।
- संस्था की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें। इस संबंध में संस्था द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।
 - व्यवसाय की प्रकृति संस्था की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है।
- 9. मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन पर्यावरणीय प्रभावों के लिए किया गया था। शून्य





सिद्धांत 7 व्यवसाय जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होते हैं, तो उन्हें जिम्मेदारी और पारदर्शिता से काम करना चाहिए ।

आवश्यक संकेतक

क. व्यापार और उद्योग मंडलों/ संघों के साथ संबद्धता की संख्या।
 निगम चौदह व्यापार और उद्योग संघों का सदस्य है

ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं, जो संस्था का सदस्य / संबद्ध है।

| अनु. | व्यापार और उद्योग मंडलों/ संगठनों का नाम | व्यापार और उद्योग मंडलों/संगठनों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय) |
|------|---|--|
| 1 | विज्ञापनदाताओं की भारतीय सोसायटी | राष्ट्रीय |
| 2 | मीडिया अनुसंधान उपयोगकर्ता परिषद | राष्ट्रीय |
| 3 | ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन | राष्ट्रीय |
| 4 | भारतीय विज्ञापन मानक परिषद | राष्ट्रीय |
| 5 | भारतीय उद्योग परिसंघ (वार्षिक सदस्य) | राष्ट्रीय |
| 6 | एसोचैम (वार्षिक सदस्य) | राष्ट्रीय |
| 7 | अखिल भारतीय प्रबंधन संघ ((वार्षिक सदस्य) | राष्ट्रीय |
| 8 | भारतीय बीमा संस्थान (वार्षिक सदस्य) | राष्ट्रीय |
| 9 | बॉम्बे उत्पादकता परिषद (जीवन सदस्य) | राज्य |
| 10 | आईएमसी आर्थिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (आजीवन सदस्य) | राष्ट्रीय |
| 11 | इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट (आजीवन सदस्य) | राष्ट्रीय |
| 12 | राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास नेटवर्क (जीवन सदस्य) | राष्ट्रीय |
| 13 | भारत का प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (संरक्षक सदस्य) | राष्ट्रीय |
| 14 | आईआईएम, अहमदाबाद (संरक्षक सदस्य) | राष्ट्रीय |

नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा—विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान हमारे नियामक अनुपालन अनुभाग के लिए IRDAI द्वारा कोई दंड / कार्रवाई नहीं की गई।

नेतृत्व संकेतक

संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरणः
 निगम हर साल अखिल भारतीय स्तर पर बीमा जागरूकता अभियान चलाता है।

सिद्धांत 8 व्यवसाय को समावेशी संवृद्धि और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए। आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्थाद्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) काविवरण। लागू नहीं

| परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण | एसआईए अधिसूचना संख्या | अधिसूचना की तिथि | क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित (हां/नहीं) | सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित परिणाम (हां/नहीं) | प्रासंगिक वेब लिंक |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------|--|---|--------------------|
|---------------------------------------|--------------------------|------------------|--|---|--------------------|

एलआईसी अधिनियम, 1956 में हालिया संशोधनों के बाद भी निगम भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अनिवार्य सीएसआर गतिविधियों के दायरे से बाहर है। हालांकि, निगम 2006 में फाउंडेशन की स्थापना के बाद से एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन के माध्यम से विभिन्न सामुदायिक विकास गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। गरीबी या संकट से राहत, शिक्षा की उन्नति, चिकित्सा राहत और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य परियोजना की उन्नति ही फाउंडेशन के उद्देश्य हैं।

फाउंडेशन ने प्रभाव अध्ययन हेतु किसी बाह्य अभिकरण को नियुक्त नहीं किया है। हालांकि, फाउंडेशन द्वारा की गई पहलों के प्रभाव का आकलन करने के लिए फाउंडेशन हर साल एक आंतरिक प्रभाव अध्ययन करता है। वर्तमान में संबंधित अध्ययन फाइलों को निगम की इंट्रानेट साइट पर रखने पर विचार किया जा रहा है।





 निम्नलिखित प्रारूप में परियोजना (परियोजनाओं) के बारे में जानकारी प्रदान करें जिसके लिए आपकी संस्था द्वारा चल रहे पुनर्वास और स्थानांतरगमन (आर एंड आर) किया जा रहा है:

| क्रमांक | परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर चल रहा है | राज्य | जिला | परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या | द्वारा कवर किए गए PAF का % | वित्तीय वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय ₹ में) |
|-----------|---|-------|------|--|-------------------------------|--|
| लागू नहीं | | | | | | |

समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण हेतु तंत्र का वर्णन करें।
 सीपीजीआरएम पोर्टल, वित्त मंत्रालय, सूचना का अधिकार आदि के माध्यम से।

 आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त निवेश सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल निवेश में निवेश)ः लागू नहीं है, क्योंकि निगम बीमा व्यवसाय में है।

नेतृत्व संकेतक

 सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भः उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1): शून्य

| पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण | सुधारात्मक कार्रवाई की गई |
|--|---|
| उपरोक्त (1) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं है। हालांकि, हम यह जोड़ना चाहेंगे कि | आंतरिक रूप से किए गए प्रभाव आकलन ने कोई नकारात्मक सामाजिक प्रभाव नहीं |
| दिखाया है। | |

2. सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

| क्रमांक. | राज्य | आकांक्षी जिला | खर्च की गई राशि INR में | | |
|----------|--|---------------|-------------------------|--|--|
| आवश्यक | आवश्यक संकेतकों के तहत उपरोक्त (1) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए। | | | | |

- 3. (क) क्या आपके पास अधिमान्य खरीद नीति है जहां आप अधिकारहीन/सुभेद्य समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हां/नहीं) हां
 - (ख) आप किन अधिकारहीन/सुभेद्य समूहों से खरीदते हैं ? सूक्ष्म लघु उद्यम (एमएसई)
 - (ग) यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है ?
 - कुल खरीद में से न्यूनतम 25% एमएसई से किया जाना है (यदि वे निविदा प्रक्रिया में भाग लेते हैं और एल 1 मूल्य से मेल खाते हैं) और इस 25% में से 4% अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए निर्धारित किया गया है।
- पारंपिरक ज्ञान के आधार पर आपकी संस्था (चालू वित्तीय वर्ष में) के स्वामित्व या अधिग्रहित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरणः शून्य
 - निगम ऐसे किसी भी व्यवसाय में नहीं है जिसके लिए बौद्धिक संपदा (IP) मालिकों को राष्ट्रीय घ्इ-कानूनों के तहत कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं
- 5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है— शून्य





6. सी एस आर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरणः

वर्तमानमें, कंपनी अधिनियम 2013 कीधारा 135 के तहत सी एस आर लागू नहीं है। हालां कि एलआईसी का गोल्डन जुबली फाउंडेशन विभिन्न सामुदायिक विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के अलावा, छात्रों को दसवीं से स्नातकतक की शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए शैक्षिक छात्र वृत्ति भी प्रदान करता है।

| क्रमांक | सीएसआर परियोजना | सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या | सुभेद्य और अधिकारहीन समूहों के लाभार्थियों का % |
|---------|-----------------|--|--|
| 1 | 652 परियोजनाएं | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है |
| 2 | छात्रवृत्ति | 22,586 | ₹ 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। |

सिद्धांत 9 व्यवसायों को एक जिम्मेदार तरीके से अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें अहमियत प्रदान करनी चाहिए आवश्यक संकेतक

उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें

निवारण प्रणाली में निहित है, जिसमें ग्राहक उन्मुख कर्मियों को सभी स्पर्श बिंदुओं पर रखने पर जोर दिया गया है। मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करने और शिकायतों को कम करने के लिए आईटी सक्षम समर्थन प्रणाली का संचालन किया जाता है।

ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए निगम के शाखा/मंडल/ अंचल/ केंद्रीय कार्यालय स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी हैं। उनके नाम हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। संबंधित जीआरओ अपने कार्यालयों में ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए सभी सोमवार को दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे के बीच उपलब्ध हैं। ग्राहक पूर्व नियुक्ति के साथ अन्य दिनों में भी ग्रो से मिल सकते हैं। ग्राहक अपनी शिकायतें डाक, ई-मेल आदि के माध्यम से भी संबंधित सर्विसिंग कार्यालयों/जीआरओ को भेज सकते हैं। 'एलआईसी की ई-सेवाओं' के माध्यम से, ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए निगम की वेबसाइट www.licindia.in पर उपलब्ध निगम की एक ऑनलाइन प्रणाली हैं - 'एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली' (आईसीएमएस)। यह ऑनलाइन प्रणाली पॉलिसीधारकों को शिकायत दर्ज करने और उसकी स्थिति को ट्रैक करने की अनुमित देती है। ग्राहक अपनी शिकायत ई—मेल पते co_complaints@licindia.com पर भी भेज सकते हैं। कुल 74 ग्राहक क्षेत्र पूरे भारत में सुबह 8.00 बजे से शाम 8.00 बजे तक सक्रिय हैं जो ग्राहक की सभी सेवा आवश्यकताओं के समाधान के लिए 'गुणवत्ता अनुभव' पर विशेष जोर देने के साथ 'वन—स्टॉप सेंटर' के रूप में काम करता है।

एलआईसी की एकल केंद्रीकृत कॉल सेंटर सेवा 24*7 उपलब्ध है। नंबर 022-68276827 है जिसमें एक व्यापक आईवीआरएस मेनू के साथ—साथ विशिष्ट प्रश्नों और जानकारी के लिए कॉल सेंटर के कार्यकारी के साथ बात करने और शिकायत के लिए सीएस टिकट जुटाने का विकल्प है। ये सेवाएं हिंदी, अंग्रेजी और आठ क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं।

हमारे पास एलआईसीहेल्पनामक एक एसएमएस पहल है, जहां पॉलिसीधारकों को 9222492224 पर एक एसएमएस LICHELP <POLICYNO> भेजना होता है। एक एसएमएस प्राप्त होने पर ग्राहक क्षेत्र के एक अधिकारी को पॉलिसी की सर्विसिंग शाखा में मैप किया जाता है, ग्राहक से उसकी शिकायत या अनुरोध के समाधान के लिए संपर्क करता है। हम पॉलिसी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में ग्राहकों को एसएमएस या ई—मेल के माध्यम से अपडेट करते हैं।

हमने पोर्टल पर एलआईसी की विभिन्न डिजिटल सेवाओं के उपयोगकर्ताओं से संबंधित प्रश्नों को दर्ज करने के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म पेश किया है, लिंक https://csticket.licindia.in/csTicket/index.php है |

अस्वीकृत मृत्यु दावों से संबंधित शिकायतों में भाग लेने के उद्देश्य से, दावा समीक्षा सिमतियां क्षेत्रीय कार्यालय स्तर और केंद्रीय कार्यालय स्तर पर स्थापित की जाती हैं। सिमिति में एलआईसी के दो या अधिक विरष्ठ अधिकारी और जिला न्यायालय/ उच्च न्यायालय के एक माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं।

एलआईसी की सरकार के दो ऑनलाइन प्लेटफार्मों के तहत भूमिका—आधारित पहुंच है। भारत के अर्थात। 1) CPGRAMS (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) और 2) NCH (राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन) — INGRAM मॉड्यूल (एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र) पॉलिसीधारकों को उनकी शिकायतें दर्ज करने के लिए उपलब्ध है. जिनका सीधे जवाब दिया जाता है।

LIC ने IRDAI कॉर्पोरेट के खंड 7.4 के अनुसार पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति का गठन किया है

बीमा कंपनियों के लिए शासन दिशानिर्देश। आईआरडीएआई के पॉलिसीधारक के हितों के संरक्षण विनियम, 2017 के अनुसार, एलआईसी के पास पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा 2017 के लिए एक व्यापक बोर्ड स्वीकृत नीति है।





- 2. उन सभी उत्पादों/सेवाओं से टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उनउत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिनके बारे में जानकारी है: लागू नहीं
- निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्याः

| | वित्तीय वर्ष 2021-22 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | | 4- C : | वित्तीय वर्ष 2020–21 (विगत वित्तीय वर्ष) | | ٥.٠: |
|----------------------------|--|---------------------------------|------------|---|---------------------------------|------------|
| | वर्ष के दौरान प्राप्त | वर्ष के अंत में लंबित संकल्प | टिप्पणियां | वर्ष के दौरान प्राप्त | वर्ष के अंत में लंबित संकल्प | टिप्पणियां |
| डेटा गोपनीयता | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| विज्ञापन देना | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| साइबर सुरक्षा | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| आवश्यक सेवाओं का वितरण | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| अनुचित व्यापार व्यवहार | 3516 | 0 | | 4107 | 0 | |
| अन्य | 110928 | 0 | | 107275 | 0 | |
| | 114444 | 0 | | 111382 | 0 | |

| | | 2021-22 वित्तीय वर्ष) | | वित्तीय वर्ष 2020–21 (विगत वित्तीय वर्ष) | | अभ्युक्तियां वर्ष के अंत में |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|---|--------------------------|---------------------------------|
| | वर्ष के दौरान प्राप्त | वर्ष के अंत में लंबित संकल्प | अभ्युक्तियां | वर्ष के दौरान प्राप्त | वर्ष के दौरान प्राप्त | लंबित संकल्प |
| डेटा गोपनीयता | - | - | - | - | - | - |
| विज्ञापन देना | - | - | - | - | - | - |
| साइबर सुरक्षा | - | - | - | - | - | - |
| आवश्यक सेवाओं का वितरण | - | - | - | - | - | - |
| प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार | - | - | - | - | - | - |
| अनुचित व्यापार व्यवहार | - | - | - | - | - | - |
| अन्य | - | - | - | - | - | - |

- * आईसीएमएस शिकायत प्रकार वर्गीकरण के अनुसार डेटा।
- 4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों का विवरणः लागू नहीं
- क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा/ नीति है? (हां/ नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का वेब—लिंक प्रदान करें।

एलआईसी के पास सूचना और साइबर सुरक्षा से संबंधित 50 बोर्ड अनुमोदित नीतियां हैं। ये नीतियां निगम की इंट्रानेट वेबसाइट के माध्यम से आंतिरक हितधारकों के लिए उपलब्ध हैं। आंतिरक शासन निकाय, सूचना रणनीति सिमिति और सूचना सुरक्षा संचालन सिमिति उपयुक्त नियंत्रणों के माध्यम से इन नीतियों के कार्यान्व्यन की निगरानी और मार्गदर्शन करती है। सूचना सुरक्षा संचालन सिमिति निगम की जोखिम सिमिति को रिपोर्ट करती है और इन मामलों से संबंधित सभी सूचनाओं पर प्रत्येक तिमाही में बोर्ड की जोखिम प्रबंधन सिमिति में चर्चा की जाती है।

इसके अलावा, हमने फ़ायरवॉल, एंटीवायरस, एंटी—मैलवेयर समाधान, घुसपैठ की रोकथाम प्रणाली और गतिशील यूआरएल फ़िल्टिरंग इत्यादि जैसे सुरक्षा समाधान तैनात किए हैं। साइबर सुरक्षा घटनाओं की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों और बुनियादी ढांचे की भेद्यता मूल्यांकन भी किया जाता है। यह निगम को अपने नेटवर्क, अनुप्रयोगों और बुनियादी ढांचे के लिए किसी भी खतरे का पता लगाने और तेजी से प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। हम IRDAI द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा भी कर रहे हैं।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों की पुनः घटना; उत्पादों/ सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा की गई शास्ति/ कार्रवाई। शून्य





नेतृत्व संकेतक

- 1. चैनल/प्लेटफ़ॉर्म जहां संस्थान के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।
 निगम द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी उत्पादों और सेवाओं से संबंधित जानकारी वेबसाइट www.licindia पर उपलब्ध है। इसके अलावा, निगम अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए सक्रिय रूप से विभिन्न सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है।
- 2. उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम। सिक्रिय ग्राहकों को समय—समय पर कृत्रिम कॉल द्वाराशिक्षित करने हेतुसंपर्क किया जाता है। नकली कॉल (फर्जी कॉल) अस्वीकरण भी हमारे ग्राहक संचार का हिस्सा है। हम इन—हाउस डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देते हैं जो ग्राहकों को समय—समय पर विभिन्न ग्राहक सेवाएं प्रदान करते हैं।
- 3. उपभोक्ताओं को आवश्यक सेवाओं के बाधित/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में सूचित करने के लिए तंत्र मौजूद है। हम ग्राहकों को वैकल्पिक सेवा प्रदाता शाखा के विवरण के साथ शाखा के स्थानांतरण के बारे में अग्रिम रूप से सूचित करते हैं। किसी भी प्राकृतिक आपदा के मामले में, ग्राहकों को दावा प्रसंस्करण में सहायता के बारे में सूचित करने के लिए संपर्क किया जाता है जो दावों के तेज और परेशानी मुक्त प्रसंस्करण को सक्षम करने के लिए विभिन्न संपर्क बिंदुओं को भी बढ़ावा देता है।
 - महामारी के दौरान, सेवाओं के डिजिटल तरीकों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतरालों पर संपर्क किया जाताहै। कोविड-19 सावधानियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक संचार भी भेजे गए।
 - प्रीमियम का भुगतान न करने के बारे में विवरण डिफ़ॉल्ट और चूक नोटिस के माध्यम से भेजा जाता है।
- 4. क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य उत्पाद के बारे में उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें। क्या कंपनी ने कंपनी के प्रमुख उत्पादों / सेवाओं, कंपनी या कंपनी के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि पर कोई सर्वेक्षण किया था? संलग्नता के समग्र अनुभव पर ग्राहक की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, ग्राहक बैठकों और भुगतान करने वाले अधिकारियों के दौरे के माध्यम से प्रतिक्रिया मांगी जाती है।
- 5. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: शून्य
 - क) प्रभाव के साथ-साथ डेटा उल्लंघनों के उदाहरणों की संख्या लागू नहीं
 - ख) ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत शून्य

नोट: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए BRSR, भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए अनिवार्य नहीं है। हालांकि अच्छी कॉपोरेट प्रथाओं को अपनाने के लिए हम स्वेच्छा से BRSR को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल कर रहे है।

चूंकि कुछ शीर्षों के अंतर्गत आंकडे अभी तक एकत्रित नहीं है इसलिए BRSR में उसीके अनुसार दिखाया गया है और स्टॉक एक्सचेंज के साथ XBRL Filing में कुछ शीर्षों के तहत शून्य दिखाया गया है, जहाँ सूचना का मिलान नहीं किया गया है।







IRDAI Corporate Governance Guidelines for Insurers in India, 2016 / Annexure-8/FY 2021-22

"Certification for Compliance of the Corporate Governance Guidelines"

I, <u>D.P. PATTANAIK</u>, hereby certify that <u>LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA</u> has complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurance Companies as mentioned from time to time and nothing has been concealed or suppressed.

Signature: 2. P. Pollandi

Full Name:

D.P. PATTANAIK

& Desgn:

Chief (I/C) (Corp. Gov./GJF/Reg. Comp.)

Chief Compliance Officer



केन्द्रीय कार्यालय, "योगक्षेम", जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400 021.

दूरभाष: 66598000

Central office, "Yogakshema", Jeevan Bima Marg, Mumbai - 400 021.

Tel.: 66598000





25. आभार प्रदर्शन

भारतीय जीवन बीमा निगम, अपने कार्यालयों में दौरे पर आयी विभिन्न संसदीय समितियों, केंद्रीय वित्त मंत्री (व्यय, बैकिंग एवं बीमा), केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री, वित्त मंत्रालय के बीमा विभाग, आर्थिक कार्य विभाग एवं भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण को विभिन्न मुद्दों पर उनके सिक्रय समर्थन, सलाह एवं सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम, बोर्ड के सदस्यों, कार्यकारी समिति, निवेश समिति, भवन सलाहकार समिति, लेखा परीक्षण समिति, पॉलिसीधारक संरक्षण समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, शेयरधारक निदेशक चुनाव समिति, विल्फुल डिफाल्टर समीक्षा समिति एवं परिश्रमिक समिति के प्रति कृतज्ञ है, जिन्होंने अमूल्य दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन दिया।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जिन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हुआ है, भारतीय जीवन बीमा निगम उनके योगदान की सराहना करता है और निष्ठापूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम अपने लाखों पालिसीधारकों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता है, जिन्होंने हम पर पुनः भरोसा किया तथा संगठन को अपना समर्थन जारी रखा ।

निगम के समस्त अधिकारिगण, कर्मचारीगण एवं अभिकर्तागण जिन्होंने संस्था के विकास तथा छिब की संवृध्दि में अपना योगदान दिया है, प्रशंसा के पात्र हैं।





परिणामों का सारांश


| नव व्यवसाय वर्ष के दौरान | 2021-22 | 2020-21 |
|---|---------------|---------------|
| व्यक्तिगत बीमा | | |
| बीमा धन/एनसीओ/एम एस बी | (₹ करोड़ में) | (₹ करोड़ में) |
| क) बीमे | 625768.88 | 556997.05 |
| ख) वाषिर्कियाँ* | 12117.88 | 19450.82 |
| ग) पेंशन* | - | - |
| घ) गैर संबद्ध स्वास्थ*** | 32756.79 | 26419.13 |
| ङ) संबद्ध | 7484.04 | 3298.67 |
| पॉलिसीयों की संख्या (लाख में) | | |
| क) बीमे | 211.10 | 203.04 |
| ख) वाषिर्कियाँ | 1.54 | 2.68 |
| ग) पेंशन | - | - |
| घ) गैर संबद्ध स्वास्थ्य | 2.53 | 3.24 |
| ङ) संबद्ध | 2.09 | 0.90 |
| समूह योजनाएँ | | |
| बीमा धन (संबद्ध व्यवसाय सहिता) | 374726.01 | 308,528.04 |
| वाषिर्कियाँ का भुगतान | 980.67 | 798.22 |
| वाषिर्कियों वे लिए प्रतिपल # | 21686.23 | 76667.42 |
| योजनाओं की संख्या | | |
| समूह बीमा (संवाद व्यवसाय संहित) | 35868 | 31322 |
| सामाजिक सुरक्षा समूह योजनाएँ | - | - |
| समूह सेवानिवृत्ति | 402 | 473 |
| जीवनों की संख्या (लाख में) | 740.07 | 744.46 |
| समूह बीमा (संबद्ध व्यवसाय सहित) | 310.97 | 311.46 |
| समूह बीमा सामिजक सुरक्षा समूह योजनाएँ | - 0.77 | - 4.10 |
| समूह सेवानिवृत्ति | 8.33 | 4.19 |
| चालू व्यवसाय वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत बीमा | | |
| बीमा धन एवं बोनस / एपीऐ / एम एस बी | | |
| क) बीमे | 6316252.44 | 5986624.46 |
| ख) वाषिर्कियाँ** | 8253.60 | 7670.30 |
| ग) पेंशन** | 2194.59 | 2167.27 |
| घ) गैर संबद्ध स्वास्थ्य*** | 74618.46 | 60458.25 |
| ङ) संबद्ध | 24078.61 | 21307.37 |
| पॉलिसीयों की संख्या (लाख में) | | |
| क) बीमे | 2744.90 | 2797.13 |
| ख) वाषिर्कियाँ | 23.79 | 22.92 |
| ग) पेंशन | 14.51 | 14.84 |
| घ) गैर संबद्ध स्वास्थ्य | 7.11 | 7.18 |
| ङ) संबद्ध | 18.08 | 21.18 |
| समूह योजनाएँ | | |
| बीमा धन (संबद्ध व्यवसाय सहित) | 1795242.66 | 1577407.78 |
| वाषिर्कियाँ का भुगतान | 10496.27 | 9503.56 |
| वाषिर्कियाँ के लिए प्रतिफल # | 470602.69 | 416691.99 |
| योजनाओं की संख्या | | |
| समूह बीमा (संबध्द व्यवसाय संहित) | 152820 | 143636 |
| समूह सेवानिवृति | 21361 | 20366 |
| जीवनों की संख्या (लाख में) | | |
| समूह बीमा (संबद्ध व्यवसाय सहित) | 693.91 | 835.22 |
| समूह सेवानिवृत्ति | 93.05 | 96.45 |
| . e | 13.00 | |

^{*}एन सी ओ वेल्यू – नोशनल कॅश ऑप्शन, **ए पी ए वेल्यू – प्रतिवर्ष वाषिर्कियाँ, ***एम एस बी – मेजर सर्जिकल बेनिफिट # यह रकम भविष्य वाषिर्कियाँ के लिए उपलब्ध है

^{***}प्लॉन 903,904, 906 के अनंतर्गत बीमाधन के कॉलग में मेजर सर्जिकल भाग दर्शाया गया है। प्लॉन 905 के लिए स्वास्थ लाभ बीमा राशी।









परिणामों का सारांश (जारी)

| 2111 | 2021-22 | 2020-21 |
|---|---------------|---------------|
| आय | (₹ करोड़ में) | (₹ करोड़ में) |
| व्यक्तिगत बीमा | | |
| प्रथम वर्षीय प्रीमियम | 29720.85 | 27576.15 |
| पिछले वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि | 7.78 | -6.06 |
| परवर्ती प्रीमियम | 220391.04 | 210094.39 |
| एकल प्रीमियम एवं मंजूर वाषिर्कियों के लिए प्रतिफल | 22758.13 | 28291.76 |
| व्यक्तिगत पेंशन योजनाएँ | | |
| प्रथम वर्षीय प्रीमियम | 0.58 | 3.96 |
| परवर्ती प्रीमियम | 525.85 | 576.64 |
| मंजूर वाषिर्कियों के लिए प्रतिफल | 0.00 | 0.00 |
| समूह योजनाएँ | | |
| समूह बीमा प्रीमियम | 43477.64 | 39183.96 |
| समूह सेवा - निवृत्ती प्रीमियम | 107318.33 | 95723.58 |
| संबंध्द व्यवसाय प्रीमियम | 3226.79 | 1393.91 |
| कुल प्रिमीयम आय | 427419.21 | 402844.35 |
| पिछले वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि परवर्ती प्रीमियम | 6.10 | 6.27 |
| निवेश से आय | 293007.88 | 272690.16 |
| विविध | 788.90 | 599.51 |
| कुल आय | 721215.99 | 676134.02 |
| उचित मूल्य में बदलाव के चलते अंतर (युनिट फंड) | -113.43 | 6070.98 |
| शुद्ध कुल आय | 721102.56 | 682205.00 |

नोटः *पिछले वर्ष के आँकड़ों को आवश्यकता अनुसार पुनः संग्रहित किया गया है।







परिणामों का सारांश (जारी)

| व्यय | 2021-2022 (₹ करोड़ में) | 2020-2021 (₹ करोड़ में) |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| बीमा धारकों को भुगतान | | |
| परिपक्वता दावे | 209068.50 | 167549.58 |
| मृत्यू दावे | 36205.64 | 23776.74 |
| वार्षिकियाँ (राशि) | 16257.20 | 14571.36 |
| अभ्यंपर्ण आदि (राशि) | 95933.56 | 80986.14 |
| कुल राशि | 357464.90 | 286883.82 |





परिणामों का सारांश (जारी)

| प्रबंधन व्यय | 2021-22 (₹ करोड़ में) | 2020-21 (₹ करोड़ में) |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| अभिकर्ताओं को कमीशन आदि | 23171.46 | 22169.92 |
| कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य लाभ | 30310.58 | 26755.18 |
| अन्य प्रबंधन व्यय | 8580.10 | 8234.34 |
| | | |
| कुल | 62062.14 | 57159.44 |
| अन्य व्यय | | |
| अन्य व्यय (कर, संचय को अन्तरण, आदि) | -1408.59 | 13077.07 |
| भुगतान किया जाने वाला अंतिम लाभांश | 9487.50 | 2889.01 |
| कुल | 8078.91 | 15966.08 |
| कुल व्यय | 42760595 | 360009.34 |

| पॉलिसी देयताएं | 2021-22 (₹ करोड़ में) | 2020-21 (₹ करोड़ में) |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| असंबद्ध व्यवसाय | | |
| वर्ष के प्रारम्भ में पॉलिसी देयताएं | 3403750.97 | 3081998.18 |
| जोड : व्यव से आय का आधिक्य | 306288.49 | 321752.79 |
| वर्ष के अन्त में पॉलिसी देयता | 3710039.46 | 3403750.97 |
| पिछले वर्ष पर प्रतिशत वृद्धी | 9.00% | 9.45% |
| संबद्ध व्यवसाय | | |
| वर्ष के प्रारम्भ में पॉलिसी देयताएं | 32931.96 | 32497.65 |
| जोड : व्यव से आय का आधिक्य | -9046.13 | 434.31 |
| वर्ष के अन्त में पॉलिसी देयता | 23885.83 | 32931.96 |
| पिछले वर्ष पर प्रतिशत वृद्धी | -27.47% | 1.32% |


| वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे | 2021-22 (₹ करोड़ में) | 2020-21 (₹ करोड़ में) |
|---|---------------------------------|--------------------------|
| परिपक्वता | 9040.55 | 9481.53 |
| मृत्यू | 360.15 | 292.42 |
| कुल | 9400.70 | 9773.95 |
| प्रबंधन व्यय का कुल प्रीमियम आय से अनुपात | | |
| अभिकर्ताओं को कमिशन आदि | 5.42% | 6.13% |
| कर्मचारियों का वेतन तथा अन्य लाभ | 7.09% | 6.61% |
| प्रबंधन के अन्य व्यय | 2.01% | 2.50% |
| सकल व्यय अनुपात | 14.52% | 14.19% |
| बकाया दावों का देय दावों से अनुपात | 3.83 | 5.11 |
| औसत जीवन बीमा निधि पर प्राप्त ब्याज की दर | 8.55 | 7.42 |

^{*}पिछले वर्ष के आंकडो को आवश्यकता अनुसार एकत्रित किया गया है।





नव व्यवसाय 2019-20 से 2021-22







नव व्यवसाय (व्यक्तिगत)

सारणी सं 1 ए

| सारणा स । ए | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---|--|------------------------|---|--|------------------------|---|--|--|--|
| | भारत में व्यवसाय | | | भारत के बाहर व्यवसाय | | | कुल नव व्यवसाय | | | | |
| वर्ष | पॉलिसीयों की संख्या | बीमा धन/ एनसीओ/ एपीए (₹ करोड़ में) | प्राप्त वार्षिक प्रीमियम (₹ करोड़ में) | पॉलिसीयों की संख्या | बीमा धन/ एनसीओ/ एपीए (₹ करोड़ में) | प्राप्त वार्षिक प्रीमियम (₹ करोड़ में) | पॉलिसीयों की संख्या | बीमा धन/ एनसीओ/ एपीए (₹ करोड़ में) | प्राप्त वार्षिक प्रीमियम (₹ करोड़ में) | | |
| व्यक्तिगत बीमा | | | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 21349725 | 616751.32 | 32886.65 | 12502 | 907.81 | 46.19 | 21362227 | 617659.13 | 32932.83 | | |
| 2020-2021 | 20294149 | 556255.31 | 29060.56 | 9678 | 741.75 | 39.88 | 20303827 | 556997.05 | 29100.44 | | |
| 2021-2022 | 21102398 | 625186.70 | 32619.00 | 7399 | 582.18 | 26.83 | 21109797 | 625768.88 | 32645.83 | | |
| सामान्य वार्षिकी | | | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 233720 | 14851.18 | - | - | - | - | 233720 | 14851.18 | - | | |
| 2020-2021 | 267556 | 19450.82 | - | - | - | - | 267556 | 19450.82 | - | | |
| 2021-2022 | 153733 | 12117.88 | - | - | - | - | 153733 | 12117.88 | - | | |
| पेन्शन | | | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 6547 | 361.90 | 18.56 | - | - | - | 6547 | 361.90 | 18.56 | | |
| 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2021-2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| गैर-संबद्ध स्वास्थ जी | गैर–संबद्ध स्वास्थ जीवन आरोग्य* | | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 282505 | 26468.61 | 117.78 | - | - | - | 282505 | 26468.61 | 117.78 | | |
| 2020-2021 | 323721 | 26419.13 | 122.07 | - | - | - | 323721 | 26419.13 | 122.07 | | |
| 2021-2022 | 253420 | 32756.79 | 108.70 | - | - | - | 253420 | 32756.79 | 108.70 | | |





नव व्यवसाय (व्यक्तिगत) (जारी)

सारणी सं 1 ए

| | भारत में व्यवसाय | | | भार | भारत के बाहर व्यवसाय | | | कुल नव व्यवसाय | | |
|--------------------------|------------------------|---|--|------------------------|---|--|------------------------|---|--|--|
| वर्ष | पॉलिसीयों की संख्या | बीमा धन/ एनसीओ/ एपीए (₹ करोड़ में) | प्राप्त वार्षिक प्रीमियम (₹ करोड़ में) | पॉलिसीयों की संख्या | बीमा धन/ एनसीओ/ एपीए (₹ करोड़ में) | प्राप्त वार्षिक प्रीमियम (₹ करोड़ में) | पॉलिसीयों की संख्या | बीमा धन/ एनसीओ/ एपीए (₹ करोड़ में) | प्राप्त वार्षिक प्रीमियम (₹ करोड़ में) | |
| युनिट संबंधी नव एंडौ | मेंन्ट प्लस (प्लॉ | न न. 835) | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 17532 | 591.70 | 59.17 | - | - | - | 17532 | 591.70 | 59.17 | |
| 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2021-2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| न्यू एंडोमेंट प्लस (प्लॉ | ॉन न. 935) | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 522 | 19.23 | 1.92 | - | - | - | 522 | 19.23 | 1.92 | |
| 2020-2021 | 13363 | 400.65 | 40.07 | - | - | - | 13363 | 400.65 | 40.07 | |
| 2021-2022 | 14656 | 442.93 | 44.29 | - | - | - | 14656 | 442.93 | 44.29 | |
| निवेश प्लस | | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 2694 | 68.69 | - | - | - | - | 2694 | 68.69 | - | |
| 2020-2021 | 43847 | 1137.73 | - | - | - | - | 43847 | 1137.73 | - | |
| 2021-2022 | 131949 | 3484.22 | - | - | - | - | 131949 | 3484.22 | - | |
| सीप | | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 2975 | 148.00 | 15.00 | - | - | - | 2975 | 148.00 | 15.00 | |
| 2020-2021 | 32803 | 1756.04 | 179.92 | - | - | - | 32803 | 1756.04 | 179.92 | |
| 2021-2022 | 62539 | 3555.61 | 363.16 | - | - | - | 62539 | 3555.61 | 363.16 | |
| यू.के. संबध्द | | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | - | - | - | 10 | 2.09 | - | 10 | 2.09 | - | |
| 2020-2021 | - | - | - | 18 | 4.24 | - | 18 | 4.24 | - | |
| 2021-2022 | - | - | - | 9 | 1.28 | - | 9 | 1.28 | - | |


^{*}प्लॉन 903,904, 906 के अनंतर्गत बीमाधन के कॉलग में मेजर सर्जिकल भाग दर्शाया गया है। प्लॉन 905 के लिए स्वास्थ लाभ बीमा राशी।






नव व्यवसाय समूह बीमा (सामाजिक सुरक्षा सहित)







नव व्यवसाय (समूह)

सारणी सं 1 बी


| वर्ष | योजनाओं की संख्या | सदस्यों की संख्या (लाखों में) | बीमा धन वार्षिकियों का भुगतान (₹ करोंड़ में) | बार्षिकयों के लिए प्रतिफल (₹ करोंड़ में) |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| समूह बीमा (सामाजिक सुरक्षा सहित) | | | | |
| 2019-2020 | 28741 | 390.23 | 186579.95 | - |
| 2020-2021 | 31322 | 311.46 | 308528.04 | - |
| 2021-2022 | 35868 | 310.97 | 374726.01 | - |
| समूह सेवानिवृति | | | | |
| 2019-2020 | 145 | 15.06 | # 78884.50 | 77532.97 |
| 2020-2021 | 473 | 4.19 | 798.22 | 76667.42 |
| 2021-2022 | 402 | 8.33 | 980.67 | 21686.23 |

[#] इस आंकडे में वार्षिकी के लिये प्राप्त प्रीमियम के आंकडे को शामिल किया गया है।






व्यक्तिगत बीमा के अंतर्गत कुल चालू व्यवसाय







| चालू व्यवसाय (व्यक्तिगत) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|---|--|------------------------|---|--|------------------------|---|--|--|
| सारणी सं. 3 ए | | | | | | | | | | |
| | भार | रत में चालू व्यवर | गाय | भारत | के बाहर चालू व्य | वसाय | ą | ्ल चालू व्यवसार | г | |
| वर्ष | पॉलिसीयों की संख्या | बीमा धन/ एनसीओ/एपीए (₹ करोड़ में) | प्राप्त वार्षिक प्रीमियम (₹ करोड़ में) | पॉलिसीयों की संख्या | बीमा धन/ एनसीओ/एपीए (₹ करोड़ में) | प्राप्त वार्षिक प्रीमियम (₹ करोड़ में) | पॉलिसीयों की संख्या | बीमा धन/ एनसीओ/एपीए (₹ करोड़ में) | प्राप्त वार्षिक प्रीमियम (₹ करोड़ में) | |
| व्यक्तिगत बीमा | | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 281658312 | 4803768.44 | 225581.08 | 104207 | 5970.28 | 299.20 | 281762519 | 4809738.72 | 225880.28 | |
| 2020-2021 | 279614060 | 5029944.65 | 235066.75 | 98761 | 6083.34 | 300.07 | 279712821 | 5036027.99 | 235366.82 | |
| 2021-2022 | 274393014 | 5294569.54 | 249991.04 | 96634 | 6013.88 | 286.86 | 274489648 | 5300583.42 | 250277.90 | |
| सामान्य वार्षिकी | | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 2043879 | 6367.13 | 7.91 | 1 | 0.00 | - | 2043880 | 6367.13 | 7.91 | |
| 2020-2021 | 2292119 | 7670.30 | 6.91 | 1 | 0.00 | - | 2292120 | 7670.30 | 6.91 | |
| 2021-2022 | 2379215 | 8253.60 | 4.88 | 1 | 0.00 | - | 2379216 | 8253.60 | 4.88 | |
| पेन्शन | | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 1515607 | 2117.06 | 662.73 | 170 | 1.46 | 0.10 | 1515777 | 2118.52 | 662.83 | |
| 2020-2021 | 1484182 | 2166.61 | 589.78 | 160 | 0.66 | 0.09 | 1484342 | 2167.27 | 589.87 | |
| 2021-2022 | 1450360 | 2193.94 | 524.09 | 161 | 0.65 | 0.07 | 1450521 | 2194.59 | 524.16 | |
| गैर संबद्ध स्वास्थ | य जीवन आरोग्य | * | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 633545 | 51465.02 | 331.72 | - | - | - | 633545 | 51465.02 | 331.72 | |
| 2020-2021 | 717605 | 60458.25 | 359.12 | - | - | - | 717605 | 60458.25 | 359.12 | |
| 2021-2022 | 710823 | 74618.46 | 369.97 | - | - | - | 710823 | 74618.46 | 369.97 | |





| सारणी सं. 3 ए | | | <u></u> | गलू व्यवसाय | । (व्यक्तिगत) | (जारी) | | | |
|----------------------|------------------------|---|--|---------------------------|---|--|------------------------|---|--|
| vii vii vi. o ç | भारत में चालू व्यवसाय | | | भारत के बाहर चालू व्यवसाय | | | कूल चालू व्यवसाय | | |
| वर्ष | पॉलिसीयों की संख्या | बीमा धन/ एनसीओ/एपीए (ह करोड़ में) | प्राप्त वार्षिक प्रीमियम (₹ करोड़ में) | पॉलिसीयों की संख्या | बीमा धन/ एनसीओ/एपीए (र करोड़ में) | प्राप्त वार्षिक प्रीमियम (₹ करोड़ में) | पॉलिसीयों की संख्या | बीमा धन/ एनसीओ/एपीए (₹ करोड़ में) | प्राप्त वार्षिक प्रीमियम (₹ करोड़ में) |
| यूनिट संवधी फ्र | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 53440 | 35.31 | 7.75 | - | - | - | 53440 | 35.31 | 7.75 |
| 2020-2021 | 39757 | 30.30 | 6.48 | - | - | - | 39757 | 30.30 | 6.48 |
| 2021-2022 | 29764 | 27.64 | 5.58 | - | - | - | 29764 | 27.64 | 5.58 |
| जीवन प्लस | | | | | | ' | | | |
| 2019-2020 | 64863 | 1220.43 | 148.89 | _ | - | - | 64863 | 1220.43 | 148.89 |
| 2020-2021 | 60864 | 1146.14 | 146.84 | - | - | - | 60864 | 1146.14 | 146.84 |
| 2021-2022 | 56942 | 1071.59 | 145.71 | - | - | - | 56942 | 1071.59 | 145.71 |
| मनी प्लस | | l l | | | | l | | | |
| 2019-2020 | 163785 | 1750.45 | 138.48 | - | - | - | 163785 | 1750.45 | 138.48 |
| 2020-2021 | 150626 | 1605.96 | 125.57 | - | - | - | 150626 | 1605.96 | 125.57 |
| 2021-2022 | 131505 | 1414.77 | 112.50 | | - | - | 131505 | 1414.77 | 112.50 |
| मार्केट प्लस | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 432559 | 132.47 | 51.43 | - | - | - | 432559 | 132.47 | 51.43 |
| 2020-2021 | 396876 | 120.02 | 47.59 | - | - | - | 396876 | 120.02 | 47.59 |
| 2021-2022 | 333471 | 103.02 | 43.61 | _ | - | - | 333471 | 103.02 | 43.61 |
| फॉर्च्यून प्लस | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 12802 | 359.49 | - | - | - | - | 12802 | 359.49 | - |
| 2020-2021 | 11983 | 336.82 | - | - | - | - | 11983 | 336.82 | - |
| 2021-2022 | 11260 | 318.21 | - | - | - | - | 11260 | 318.21 | - |
| प्रॉफिट प्लस | | | • | | | | | | |
| 2019-2020 | 203239 | 2424.43 | - | - | - | - | 203239 | 2424.43 | - |
| 2020-2021 | 187468 | 2225.16 | - | - | - | - | 187468 | 2225.16 | - |
| 2021-2022 | 172738 | 2052.41 | - | - | - | - | 172738 | 2052.41 | - |
| मनी प्लस-1 | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 14618 | 157.44 | 16.59 | - | - | - | 14618 | 157.44 | 16.59 |
| 2020-2021 | 12808 | 134.64 | 14.80 | - | - | - | 12808 | 134.64 | 14.80 |
| 2021-2022 | 11401 | 116.36 | 13.52 | - | - | - | 11401 | 116.36 | 13.52 |
| चाइल्ड फॉर्च्यून प्ल | ास | | ' | | | ' | | | |
| 2019-2020 | 14083 | 289.31 | 14.66 | - | - | - | 14083 | 289.31 | 14.66 |
| 2020-2021 | 13035 | 270.42 | 13.56 | - | _ | _ | 13035 | 270.42 | 13.56 |
| 2021-2022 | 11936 | 249.69 | 12.59 | - | _ | - | 11936 | 249.69 | 12.59 |
| मार्केट प्लस १ | | · | | | | l | | | |
| 2019-2020 | 649867 | 180.52 | 81.38 | _ | _ | _ [| 649867 | 180.52 | 81.38 |
| 2020-2021 | 475048 | 153.74 | 60.50 | _ | _ | _ | 475048 | 153.74 | 60.50 |
| 2020 2021 | 422506 | 138.32 | 54.11 | _ | _ | _ | 422506 | 138.32 | 54.11 |
| हेल्थ प्लस* | 722500 | 150.52 | 54.11 | | | l | 722300 | 130.32 | 54.11 |
| 2019-2020 | 71721 | 3001.78 | 71.64 | _ | - | - | 71721 | 3001.78 | 71.64 |
| 2020-2021 | 64702 | 2568.03 | 64.65 | _ | _ | _ | 64702 | 2568.03 | 64.65 |
| 2021-2022 | 57710 | 2272.86 | 57.95 | _ | _ | _ | 57710 | 2272.86 | 57.95 |
| हेल्थ प्राटेक्शन प्ल | | | 233 | | | | | 2.00 | 37.00 |
| 2019-2020 | 90206 | 3607.98 | 39.58 | _ | _ | _ [| 90206 | 3607.98 | 39.58 |
| 2020-2021 | 87518 | 3423.24 | 35.80 | _ | | _ | 87518 | 3423.24 | 35.80 |
| 2021-2022 | 84839 | 3288.36 | 31.97 | _ | | _ | 84839 | 3288.36 | 31.97 |
| जीवन साथी प्लस | | 1 2-30.00 | - 2.07 | | | | 2.003 | | 22.07 |
| 2019-2020 | 1632 | 26.63 | 1.88 | - | _ | - | 1632 | 26.63 | 1.88 |
| 2020-2021 | 1532 | 25.21 | 1.75 | - | _ | _ | 1532 | 25.21 | 1.75 |
| 2021-2022 | 1412 | 23.29 | 1.61 | - | _ | _ | 1412 | 23.29 | 1.61 |
| | | | | | | | | _5.23 | |






| सारणी सं. 3 ए | | | ₹ | ग्रालू व्यवसाय | (व्यक्तिगत) | (जारी) | | | | |
|------------------------|------------------------|---|--|------------------------|---|--|------------------------|---|--|--|
| | भार | ——— रत में चालू व्यवस | गाय | भारत | भारत के बाहर चालू व्यवसाय | | | कूल चालू व्यवसाय | | |
| वर्ष | पॉलिसीयों की संख्या | बीमा धन/ एनसीओ/एपीए (₹ करोड़ में) | प्राप्त वार्षिक प्रीमियम (₹ करोड़ में) | पॉलिसीयों की संख्या | बीमा धन/ एनसीओ/एपीए (₹ करोड़ में) | प्राप्त वार्षिक प्रीमियम (₹ करोड़ में) | पॉलिसीयों की संख्या | बीमा धन/ एनसीओ/एपीए (₹ करोड़ में) | प्राप्त वार्षिक प्रीमियम (₹ करोड़ में) | |
| वैल्थ प्लस | | | , | | | | | | | |
| 2019-2020 | 385305 | 3934.59 | - | - | - | - | 385305 | 3934.59 | - | |
| 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2021-2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| एंडोमेट प्लस | | | , | | , | , | | , | | |
| 2019-2020 | 525560 | 4572.12 | 97.17 | - | - | - | 525560 | 4572.12 | 97.17 | |
| 2020-2021 | 239674 | 2268.82 | 44.24 | - | - | - | 239674 | 2268.82 | 44.24 | |
| 2021-2022 | 133507 | 1389.38 | 26.85 | _ | - | - | 133507 | 1389.38 | 26.85 | |
| पेन्शन प्लस | | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 58545 | 0.00 | 66.43 | - | _ | - | 58545 | 0.00 | 66.43 | |
| 2020-2021 | 26305 | 0.00 | 36.28 | _ | _ | _ | 26305 | 0.00 | 36.28 | |
| 2021-2022 | 18231 | 0.00 | 26.43 | _ | _ | _ | 18231 | 0.00 | 26.43 | |
| समृद्धी प्लस | | l l | l. | | | l l | | | | |
| 2019-2020 | 527989 | 4832.43 | 29.03 | | _ | _ | 527989 | 4832.43 | 29.03 | |
| 2020-2021 | 204983 | 1854.74 | 10.35 | _ | _ | _ | 204983 | 1854.74 | 10.35 | |
| 2021-2022 | | - | - | _ | _ | _ | - | - | - | |
| फ्लेक्सी प्लस | | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 889 | 20.31 | 2.03 | | _ | _ | 889 | 20.31 | 2.03 | |
| 2020-2021 | 800 | 18.17 | 1.82 | _ | _ | _ | 800 | 18.17 | 1.82 | |
| 2021-2022 | 741 | 16.71 | 1.67 | _ | _ | _ | 741 | 16.71 | 1.67 | |
| न्यू एंडोमेट प्लस (| | 10.71 | 1.07 | | | l | , | 20.72 | | |
| 2019-2020 | 60133 | 2079.04 | 207.90 | | _ | _ | 60133 | 2079.04 | 207.90 | |
| 2020-2021 | 57072 | 1974.31 | 197.43 | _ | _ | _ | 57072 | 1974.31 | 197.43 | |
| 2021-2022 | 53734 | 1847.02 | 184.70 | _ | _ | _ | 53734 | 1847.02 | 184.70 | |
| न्यू एंडोमेंट प्लस (| | 1047.02 | 104.70 | | | l l | 33734 | 1047.02 | 104.70 | |
| 2019-2020 | 522 | 19.23 | 1.92 | | | | 522 | 19.23 | 1.92 | |
| 2019-2020 | 11102 | 319.10 | 31.91 | _ | - | - | 11102 | 319.10 | 31.91 | |
| 2020-2021 | 20183 | 587.98 | 58.80 | _ | _ | _ | 20183 | 587.98 | 58.80 | |
| निवेश प्लस | 20183 | 367.96 | 36.60 | | _ | _ | 20183 | 367.96 | 36.60 | |
| | 2604 | 68.60 | | | | _ | 2604 | 68.60 | | |
| 2019-2020 2020-2021 | 2694 46498 | 68.69 1204.69 | - | - | - | - | 2694 | 68.69 1204.69 | _ | |
| 2020-2021 | 178030 | 4680.23 | - | - | - | - | 46498 178030 | 4680.23 | - | |
| | 1/6030 | 4000.23 | - | - | - | - | 1/0030 | 4000.23 | - | |
| सीप | | | | | | Г | | | | |
| 2019-2020 | 2975 | 148.00 | 15.00 | - | - | - | 2975 | 148.00 | 15.00 | |
| 2020-2021 | 28789 | 1555.98 | 159.82 | - | - | - | 28789 | 1555.98 | 159.82 | |
| 2021-2022 | 78032 | 4409.62 | 451.77 | - | - | - | 78032 | 4409.62 | 451.77 | |
| यू.के. संबद्ध | | , | | | | - | | | | |
| 2019-2020 | - | - | - | 292 | 56.65 | 3.89 | 292 | 56.65 | 3.89 | |
| 2020-2021 | - | - | - | 287 | 71.88 | 3.80 | 287 | 71.88 | 3.80 | |
| 2021-2022 | - | - | - | 261 | 71.15 | 3.05 | 261 | 71.15 | 3.05 | |
| * प्लॉन 903,90 | 4, 906 के अनंत | गेत बीमाधन के क | ॉलग में मेजर सर्जि | कल भाग दर्शाया | गया है। प्लॉन 90: | 5 के लिए स्वास्थ | लाभ बीमा राशी। | | | |





चालू व्यवसाय (समूह)









सारणी सं 3 बी

चालू व्यवसाय (समूह)

| सारणा स ३ वा | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|--|--|
| वर्ष | योजनाओं की संख्या | सदस्यों की संख्या (लाख में) | बीमा धन/सै. न.वि./ वार्षिकियों का भुगतान (₹ करोड़ में) | वार्षिकियों के लिए प्रतिफल * (₹ करोड़ में) | प्रीमियम आय (₹ करोड़ में) | | | | |
| समूह बीमा (सामाजिक सुरक्षा सहित) | | | | · | | | | | |
| 2019-2020 | 141312 | 1042.90 | 1881026.32 | - | 31833.57 | | | | |
| 2020-2021 | 143607 | 834.93 | 1577183.52 | - | 39184.05 | | | | |
| 2021-2022 | 152791 | 693.64 | 1795242.66 | - | 67077.87 | | | | |
| समूह सेवानिवृति | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 23702 | 92.58 | 8834.55 | 360677.23 | 101711.44 | | | | |
| 2020-2021 | 20366 | 96.45 | 9503.56 | 416691.99 | 95723.57 | | | | |
| 2021-2022 | 21361 | 93.05 | 10496.27 | 470602.69 | 83718.10 | | | | |
| सबंध्द व्यवसाय - जी प्लस | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 31 | 0.29 | 240.10 | - | 7.30 | | | | |
| 2020-2021 | 29 | 0.28 | 224.27 | - | 2.75 | | | | |
| 2021-2022 | 29 | 0.28 | 214.28 | - | 2.41 | | | | |
| *यह रकम भविष्य वार्षिकियों के लिए उपलब्ध है। | | | | | | | | | |





| सारणी सं 4 | | | | д д | ਸ਼ਧਤ ਫੀਫੀ | | | | |
|---|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|--|---|--|
| | | | गॉलि | पॉलिसी के बारे में सांविधिक विवरण | धिक विवरण | | | | |
| | | नव जीवन बीमा व्यवसाय जिसका | | प्रिमीयम 2021-22 वर्ष के दौरान अदा किया गया है | 和 | 31 | 1.03.2022 वर्ष की समा | 31.03.2022 वर्ष की समात्ति पर कुल चालू बीमा व्यवसाय | п |
| | पॉलिसीयाँ की संख्या | बीमा-राशि तथा वार्षिकियों प्रतिफल | वार्षिकियों के लिए प्रतिफल | एकल प्रीमियम | वार्षिक परवर्ती प्रीमियम | पॉलिसीयाँ की संख्या | बोनस सिहत बीमा राशि तथा वार्षिकीयों प्रति वर्ष | वार्षिकियों के लिए प्रतिफल | प्रीमियम आय जो राजस्व लेखे में दिखाई गई है |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (9) | (7) | (8) | (6) | (10) |
| साधारण पॉलिसीयॉं ** | | | | | | | | | |
| भारत में | 21102398 | 6251866968861 | 1 | 94577498561 | 326189963502 | 274393014 | 63092370204190 | • | 2591909121934 |
| भारत के बाहर | 7399 | 5821789219 | - | 1145689624 | 268290210 | 96634 | 70154162029 | ' | 4143074097 |
| कूल | 21109797 | 6257688758080 | - | 95723188185 | 326458253712 | 274489648 | 63162524366218 | ' | 2596052196031 |
| वार्षिकी संविदायें, आदि भारत में | 153733 | 121178844856 | 1 | 131858088843 | ' | 2379215 | 82536017115 | ' | 131910752404 |
| भारत के बाहर | ' | 1 | • | 1 | ı | 1 | 11972 | | 0 |
| कूल | 153733 | 121178844856 | 1 | 131858088843 | 1 | 2379216 | 82536029087 | 1 | 131910752404 |
| गैर-संबध्द स्वास्थ्य –जीवन आरोग्य # भारत में | 253420 | 327567900000 | | ' | 1087033291 | 710823 | 746184640000 | ' | 3656840226 |
| कुल | 253420 | 327567900000 | - | 1 | 1087033291 | 710823 | 746184640000 | ' | 3656840226 |
| लिंक्ड प्लान-फ्यूचर प्लस भारत में | ' | 1 | 1 | ' | 1 | 29764 | 276356360 | ' | 33858000 |
| केल | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29764 | 276356360 | 1 | 33858000 |
| लिंक्ड प्लान-जीवन प्लस भारत में | 1 | | 1 | ' | 1 | 56942 | 10715895000 | ' | 286123430 |
| कुल | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 56942 | 10715895000 | 1 | 286123430 |
| लिंक्ड प्लान-मनी प्लस भारत में | 1 | 1 | 1 | ' | 1 | 131505 | 14147746250 | ' | 1197326540 |
| कुल | 1 | • | • | ı | 1 | 131505 | 14147746250 | | 1197326540 |
| लिंक्ड प्लान-माकेट प्लस भारत में | 1 | 1 | ı | ' | 1 | 333471 | 1030235000 | , | 239403246 |
| कूल | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 333471 | 1030235000 | 1 | 239403246 |
| लिंक्ड प्लान-फॉर्च्यून प्लस भारत में | , | ' | • | ' | , | 11260 | 3182145000 | • | 0 |
| कुल | 1 | 1 | | 1 | 1 | 11260 | 3182145000 | 1 | 0 |
| लिंक्ड प्लान-प्रॉफीट प्लस भारत में | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 172738 | 20524120000 | 1 | 0 |
| कूल | - | 1 | _ | - | - | 172738 | 20524120000 | 1 | 0 |
| लिंक्ड प्लान-मनी प्लस 1 भारत में | , | • | 1 | • | , | 11401 | 1163610000 | • | 147171250 |
| केल | 1 | 1 | | 1 | 1 | 11401 | 1163610000 | ' | 147171250 |
| लिंक्ड प्लान-चाईल्ड फॉर्च्यून प्लस भारत में | 1 | 1 | 1 | ' | 1 | 11936 | 2496925000 | ' | 141972997 |
| कुल | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 11936 | 2496925000 | 1 | 141972997 |
| <mark>लिंकड प्लान-मार्केट प्लस 1</mark> भारत में | 1 | 1 | 1 | ' | ' | 422506 | 1383174750 | ' | 578877398 |
| कूल | ı | 1 | | ı | 1 | 422506 | 1383174750 | 1 | 578877398 |
| लिंक्ड प्लान-फ्लेक्सी प्लस भारत में | , | | • | | • | 741 | 167080000 | • | 12640000 |
| कूल | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 741 | 167080000 | 1 | 12640000 |





| सारणी सं 4 | | | | КРК | प्रपत्र डीडी | | | | |
|---|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|--|---|--|
| | | | पॉलिस् | पॉलिसी के बारे में सांविधिक विवरण | धिक विवरण | | | | |
| | | नव जीवन बीमा व्यवसाय जिसका | जेसका प्रिमीयम 2021-22 ह | प्रिमीयम 2021-22 वर्ष के दौरान अदा किया गया है | 机 | .8 | 1.03.2022 वर्ष की समानि | 31.03.2022 वर्ष की समात्ति पर कुल चालू बीमा व्यवसाय | |
| | पॉलिसीयाँ की संख्या | बीमा-राशि तथा वार्षिकियों प्रतिफल | वार्षिकियों के लिए प्रतिफल | एकल प्रीमियम | वार्षिक परवर्ती प्रीमियम | पॉलिसीयाँ की संख्या | बोनस सिहत बीमा राशि तथा वार्षिकीयों प्रति वर्ष | वार्षिकियों के लिए प्रतिफल | प्रीमियम आय जो राजस्व लेखे में दिखाई गई है |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (9) | (2) | (8) | (6) | (10) |
| लिंक्ड प्लान-हेल्थ प्लस # भारत में | 1 | 1 | 1 | ' | ı | 57710 | 22728630000 | 1 | 601041475 |
| कुल | 1 | • | 1 | • | • | 57710 | 22728630000 | 1 | 601041475 |
| लिंक्ड प्लान-हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस # भारत में | 1 | | 1 | | 1 | 84839 | 32883554000 | 1 | 325256056 |
| कुल | 1 | • | 1 | 1 | 1 | 84839 | 32883554000 | 1 | 325256056 |
| <mark>लिंक्ड प्लान जीवन साथी प्लस</mark> भारत में | 1 | , | 1 | ' | ı | 1412 | 232945000 | 1 | 18055500 |
| कूल | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1412 | 232945000 | - | 18055500 |
| <mark>लिंक्ड प्लान-एन्डोमेंट प्लस</mark> भारत में | 1 | ı | 1 | ' | 1 | 133507 | 13893825000 | 1 | 235332748 |
| कुल | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133507 | 13893825000 | - | 235332748 |
| लिंक्ड्र प्लान-पेन्शन प्लस | | | | | | 77007 | | | 7000 |
| भारत म | ' | • | | • | | 18231 | | - | 222342901 |
| कूल | - | - | 1 | - | - | 18231 | _ | _ | 222342901 |
| लिंक्ड प्लान- न्यू एन्डोमेन्ट प्लस भारत में | 14656 | | • | ' | 442933000 | 73917 | 24349990000 | • | 2712726230 |
| कॅल | 14656 | 4429330000 | 1 | 1 | 442933000 | 73917 | 24349990000 | 1 | 2712726230 |
| लिंक्ड प्लान-निवेश प्लस/सीप भारत में | 194488 | 70398260500 | 1 | 21722000000 | 3631609000 | 256062 | 90898425500 | - | 25564439410 |
| कुल | 194488 | 70398260500 | 1 | 21722000000 | 3631609000 | 256062 | 90898425500 | 1 | 25564439410 |
| यू. के. संबद्ध भारत के बाहर | 6 | 12763588 | 1 | 21401024 | 1 | 261 | 711470984 | 1 | 53910757 |
| कुल | 6 | 12763588 | 1 | 21401024 | 1 | 261 | 711470984 | - | 53910757 |
| पेन्शन भारत में | I | 1 | 1 | ' | 1 | 1450360 | 21939413879 | I | 5259125927 |
| भारत के बाहर | 1 | • | • | • | • | 161 | 6489867 | • | 1 |
| कुल | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1450521 | 21945903747 | 1 | 5259125927 |
| समूह बीमा पॉलिसियॉं (सामाजिक सरक्षा सहित) | 35868 | 3747260114691 | 1 | 370068102299 | 46606179806 | 152791 | 17952426581361 | 1 | 670778675715 |
| कुर कुल | 35868 | 3747260114691 | 1 | 370068102299 | 46606179806 | 152791 | 17952426581361 | • | 670778675715 |
| समूह वार्षिक सविदायें आदि | 402 | 9806737372.64 | 2168623111698.43 | 1003435487413 | 47754134266 | 21361 | 104962739082.20 | 4706026944664.13 | 837180998635 |
| क्रेल | 402 | 9806737372.64 | 2168623111698.43 | 1003435487413 | 47754134266 | 21361 | 104962739082.20 | 4706026944664.13 | 837180998635 |
| संबद्ध व्यवसाय (जी प्लस) | 0 | 0.00 | 1 | 00:00 | 0.00 | 29 | 2142841446 | - | 24113458 |
| कुल | 0 | 00:00 | 1 | 00.0 | 0.00 | 59 | 2142841446 | 1 | 24113458 |
| | 4 | | | | | | | | |

** साधारण पॉलिसीयॉं व्यक्तिगत बीमों का संकेत करती है।


[#] प्लॉन 903,904, 906 के अनंतर्गत बीमाधन के कॉलग में मेजर सर्जिकल भाग दर्शाया गया है। प्लॉन 905 के लिए स्वास्थ लाभ बीमा राशी।

^{*} यह रकम भविष्य वार्षिकियों के लिए उपलब्ध है।









जीवन निधि, कुल अधिशेष, केन्द्र सरकार को प्रदत्त हिस्सा एवं प्रदत्त कर


सारणी सं. 5

| वर्ष | जीवन निधि | मूल्यांकन अधिशेष (जीवन) | रोका गया अधिशेष | केन्द्र सरकार को प्रदत्त 5% हिस्सा जीवन व्यवसाय | 100% हिस्सा पूँजी | सरकार को प्रदत्त कर की राशि सेवा कर / जी. एस.टी. सहित (जीवन) |
|-----------|------------|----------------------------|--------------------|---|-------------------|---|
| 2019-2020 | 3114496.05 | 53954.86 | - | 2697.74 | 1.99 | 10225.24 |
| 2020-2021 | 3436686.27 | 57780.20 | - | 2889.01 | 2.58 | 11003.51* |
| 2021-2022 | 3735759.72 | 54053.31 | - | - | 2.93 | 10743.72 |

^{*} पिछले वर्ष के आँकड़ों का आवश्यकता अनुसार पुनःसंग्रहित किया गया है।









31 मार्च, 2022 को निवेश


| सारणी सं. 6 | (₹ करोड़ में) |
|--|---------------|
| भारत में निवेश | |
| । ऋण * | 120957.48 |
| ॥ प्रतिभूतियां | 3910531.77 |
| ui मुद्रा बाजार निवेश | 47560.64 |
| कुल (भारत मे) | 4079049.88 |
| भारत के बाहर निवेश | |
| । ऋण | 161.73 |
| ॥ प्रतिभूतियां | 5555.55 |
| ॥ मुद्रा बाजार निवेश | 59.67 |
| कुल (भारत के बाहर) | 5776.96 |
| कुल जोड़ (भारत में एवं भारत के बाहर) सकल | 4084826.84 |

^{*} पॉलिसी ऋण और बंधक ऋण सहित





बुनियादीढांचे एवं सामाजिक क्षेत्रों में निवेश 2021-22



आधारभूत संरचना तथा समाजोन्मुख क्षेत्रों की विभिन्न संस्थाओं को अग्रिम दिए गए ऋण, ऋण पत्र और इक्विटी

| सार | णी सं. 7 | |
|---------|---|---------------------------|
| - A- | | 2021-22 वर्ष मे दी गई |
| क्षेत्र | | अग्रिम राशि (₹ करोड़ में) |
| 1. | पावर (विद्युत) | 6980.45 |
| 2. | आवास | |
| | अ) आवास योजनाओं के लिए राज्य सरकारों के दिये गये ऋण | |
| | ब) शिखर सहकारी आवास वित्त समितियाँ और अन्य को दिये गये ऋण | |
| | ख) आवास वित कंपनियों को दिए गये ऋण, ऋण पत्र इत्यादि | 11118.83 |
| 3. | सिंचाई / जलापूर्ति / मलनिकास योजनाए | - |
| 4. | सड़क और पुलों / एस आर टी सी | 3.76 |
| 5. | अन्य बुनियादि सुविधाएं | 11535.62 |
| | कुल | 29638.66 |





CORPORATE CHRONICLE

| 1956 | • | Nationalization of 245 Companies and LIC came into being on 1 st September. |
|------|---|---|
| | • | Foreign branches in Fiji and Mauritius started. |
| 1957 | • | First Master Policy for a Group Insurance Scheme was issued by the Mumbai Office of LIC, covering 122 employees for Total sum assured of ₹ 1,82,000/ |
| | • | First Superannuation Policy covering 11 employees for Total sum ₹ 12.5 Lakh with a Single Premium of ₹ 3.5 Lakh was issued. |
| | • | 'Yogakshema' Corporate Magazine started as a quarterly magazine in May. |
| | • | Salary Savings Scheme mode launched enabling employees to take LIC Policy. |
| 1958 | • | LIC's First Investment Policy placed on the table of Parliament on 25 th August. |
| | • | First Bima Gram- Talni Purna Village in Amravati Distt declared. |
| 1959 | • | A 14 storey Sky scraper building for housing Southern Zonal Office constructed. |
| 1960 | • | Officer's Training College founded at Nagpur on 16 th May. |
| | • | Foreign branch in UK started |
| 1961 | • | First Camp for On the Spot policies was organized on 15 th August in Rohtak District. |
| | • | The first batch of Direct Recruit Officers joined the Corporation. |
| 1962 | • | Pilot scheme of Premium Collection Through Post Offices inaugurated in village Chandlai on 25 th March, 1962. |
| 1963 | • | LIC adopted the Change over from Calendar Year to financial year working. |
| | • | 'Yogakshema', an architectural landmark, Corporate Office of LIC inaugurated by Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru on 26 th December. |
| | • | First Computers were installed – one each in Mumbai and Kolkata Offices. |
| 1964 | • | Own Your Home (OYH) scheme launched. |
| | • | 'Yogakshema', LIC's House Magazine was awarded 1 st prize at the Ninth state Award function on 1 st September by Dr. Zakir Hussain, Vice President of India. |
| | • | LIC started doing General Insurance business. |
| 1965 | • | Policy Holder's Council set up in each Division. |
| | • | The Central Coordination Committee for Sports was formed. |
| 1967 | • | IBM 1401/1410 Computer installed at Mumbai. EDP Department started functioning. |
| 1969 | • | Officer's training college shifted from Nagpur to Borivali, Mumbai. |
| 1970 | • | Commemorative Stamp and Post Card issued through Indian Posts and Telegraphs depicting Indian Life Insurance. 1870-1970.(A Century of Life Insurance in India). |
| 1971 | • | The concept of Agents Clubs was introduced in 1971. |
| 1972 | • | The first Career Agents' Branches were set up in 1972. |
| | • | LIC of India(Agents) Regulations are formulated. |
| | • | The Reorganisation Policy was implemented from the period 1971 to 1978. Prof. Ishwar Dayal, a Management Consultant engaged to restructure the operations where branches became the primary servicing centres equipped to dispose off 80% of all work originated there. |
| | • | Career agency Scheme comes into existence. |
| | • | Four Levels of Agents' Clubs – Chairman's, Zonal Manager's, Divisional Manager's and Branch Manager's Clubs formed to professionalise Agency Force. |
| 1974 | • | Biggest Group Insurance Master Policy for Sum Assured ₹ 209 Crore covering 4.18 lakh employees of Tamil Nadu State Government and Semi- Government institutions handed over to Chief Minister Dr M Karunanidhi by then Chairman Shri K.R. Puri on December 30 th . |
| 1978 | • | Joint Venture Kenindia Assurance Co. Limited started |
| | • | Scheme of Incentive Bonus to Development Officers came into existence. |
| 1979 | ٠ | Rural Career Agency Scheme and Urban Career Agency Scheme came into existence separately. |
| | | <u> </u> |





| 1980 | • | Direct Recruitment of Development Officers began . |
|------|---|---|
| • | • | The National Insurance Academy(NIA) sponsored jointly with GIC and its subsidiaries, was founded. |
| 1981 | • | Jana Raksha Policy launched to cater to the rural masses. |
| • | • | Installation of Microprocessors was first initiated in October. |
| • | • | Recruitment under sports quota started. |
| 1982 | • | ECIL-2958 Mainframe installed at Mumbai |
| 1986 | • | Commemorative Silver Coin issued to mark 30 th Anniversary. |
| 1987 | • | Landless Agricultural Labourers' Group Insurance (LALGI) was introduced in August. |
| • | • | LIC's prestigious Jeevan Bharati Building inaugurated by then Union Finance and Commerce Minister Shri N.D. Tiwari on 25 th November. |
| 1988 | • | Human Resource Development (HRD) policy was introduced. |
| • | • | A Social Security Fund with a corpus of [₹] 100 crore was set up by Govt. Of India covering weaker sections of society. |
| 1989 | • | LIC turns into a financial conglomerate |
| • | • | LIC Housing Finance came into existence |
| • | • | LIC Mutual Fund constituted as a trust on 20 th April |
| • | • | Joint Venture LIC International BSC(c) Bahrain inaugurated |
| 1993 | • | Software Development Centre established at Corporate Office. Front End Applications Package introduced on 17 th July in 17 BOs. |
| 1994 | • | The Corporate Flag and the Corporate Anthem (Nigam Geet) were introduced. |
| 1995 | • | The Rural Group Life Insurance Scheme (RGLIS) was launched on 15 th August. |
| 1996 | • | Jeevan Suraksha Pension Plan dedicated to the nation by then Prime Minister Shri H D DeveGowda on the occasion of LIC's 40 th anniversary. |
| 1997 | • | LIC adopted Citizens' Charter on 7 th November. |
| • | • | LIC's first Metro Area Network(MAN) inaugurated in Mumbai by Mr Chidambaram, Hon'ble Finance Minister on 22 nd November. |
| 1998 | • | First IVRS inaugurated in Mumbai on 21st August. |
| • | • | 150 Touch screen based Information Kiosks were set up across the country enabling Customers to get information about policies, new plans, bonus etc. |
| 1999 | • | LIC(International) EC extended its operations to Qatar with effect from 28 th September. |
| 2000 | • | LIC engages M/s Booz Allen & Hamilton, the renowned international consultants on financial services to advise LIC on 'Process of Strategic Transformation' on 1st January. |
| • | • | Wide Area Network (WAN) inaugurated on 2 nd September. |
| • | • | For faster dissemination of information LIC launched its website www.licindia.in and intranet Site 'Jeevan Sanchar'. All Zonal and Divisional Offices also have their own intranet sites. |
| 2001 | • | The First unit linked Insurance Plan(ULIP) 'Bima Plus' launched on 12 th February. |
| • | • | LIC signs its first strategic alliance with Corporation Bank on 6 th June. |
| • | • | Krishi Shramik Samajik Suraksha Yojana launched on 30 th June. |
| • | • | Premium payment facility through internet introduced on 12 th September. |
| • | | Shikshan Sahyog Yojana inaugurated on 31st December. |
| | | Shikshah Sanyog Tojaha maagaratea on Si December. |



| 2002 | • | LIC's first Info Centre inaugurated in Mumbai. Call Centres Set up at 8 locations across the Country. IVRS accessible through Unified Access Number 1251 was integrated with Call Centres on 12 th April. |
|------|---|--|
| | • | Corporate Messaging Solution. implemented. |
| | • | Another milestone in the History of LIC was the shift from Unix operating System to Linux, an open source Operating System, which was more robust and feature rich. |
| | • | Business through Bancassurance business Started. Strategic Tie-up with Corporation Bank. |
| | • | Joint Venture LIC (Lanka) Ltd. |
| 2003 | • | LIC (Lanka) Ltd inaugurated as a joint venture between LIC and Bartleet Group of Sri Lanka on 1st March. |
| | • | Bima School concept introduced. |
| | • | Rajgurunagar under Pune Division became the first Women Bima Gram on 8 th March. |
| | • | Varishtha Pension Bima Yojana launched on 14 th July. |
| | • | LIC's first ever Premium Payment Facility through ATM inaugurated in collaboration with Corporation Bank on 20 th December. |
| 2004 | • | Premium Payment through ECS and Kiosk started. |
| | • | SMS Service initiative launched. |
| | • | MOU signed for establishing a joint stock company in Saudi Arabia on 20 th December. (SICCI) |
| | • | Vidyanet (an Online training Portal for Agents) launched. |
| 2005 | • | LIC's First Satellite Sampark Office (later renamed as Satellite Office) inaugurated in Rajendra Nagar, New Delhi (Delhi DO-1), NZ on 2 nd September. |
| | • | LIC and IndusInd Bank tie up for providing first ever group insurance scheme to account holders of the bank in October. |
| | • | LIC's Web Portal Inaugurated on 15 th November. |
| | • | LIC's Golden Jubilee Exhibition, Jashn Zindagi Ka put up at National Centre for Performing Arts(NCPA), Mumbai from 4 th Feb to 10 th Feb. |
| | • | Launch of Enterprise Document Management System (EDMS) . |
| | • | Launch of Enterprise Portal Solutions to handle all e-business initiatives in years to come. |
| | • | Launch of Corporate Active Data Warehouse. |
| 2006 | • | Inauguration of LIC's Data Centre at Ville Parle. |
| | • | LIC's Golden Jubilee Foundation established which supported variety of Projects like construction of hospitals, school buildings, class rooms, old age homes and scholarships to meritorious students belonging to weaker sections of the society. |
| | • | LIC's Golden Jubilee Policy Bima Gold Launched. |
| | • | Zindagi Express-LIC's Golden Voyage Exhibition on Rails travelled across length and breadth of the Country. |
| 2007 | • | LIC HFL Financial Services Ltd, wholly owned subsidiary of the Corporation incorporated on 31st October |
| 2008 | • | LIC Card services incorporated as wholly owned subsidiary of LIC |
| | • | CLIA Channel Started. |
| | • | Launch of LIC Pension fund. |
| | • | LIC HFL Asset Management Company Ltd. (AMC) was incorporated on 14 th February |
| 2009 | • | Alternate Channels of premium payment started. |
| | • | Setting up of Risk Management Department |
| | • | New CRM initiatives like Relationship Renewal program, Help desk, Exclusive CRE, Help book started. |
| | • | LIC launched Credit Card 'LIC Card'. |
| 2010 | • | On-line paperless underwriting, SMS Enquiry Service for proposal status |
| 2011 | • | Integrated Complaint Management System (ICMS) launched. |





| 2012 | • | LIC's officially developed mobile app for Android based Smartphones was deployed for general public on 23 rd March. |
|------|---|---|
| | • | Jeevan Akshay VI-first policy of LIC made available for online sale. |
| | • | Wholly owned subsidiary LIC (Singapore) Pte Ltd. incorporated |
| 2013 | • | Launch of ODS and Customer & Merchant Portal |
| | • | Launch of Remote Audit. |
| | • | Launch of the Results Framework Document System for HRD/OD |
| | • | Automation of Employee Information Management. |
| | • | Syndicate Bank signed MOU on 27.06.2013 as Corporate Agent of LIC to sell LIC Products. |
| 2014 | • | Club Galaxy introduced for Agents |
| | • | Collection of Micro Insurance Premium through Mobile App Launched. |
| 2015 | • | Launch of three social security schemes Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and Atal Pension yojana(APY). |
| | • | Introduction of E-APAR. |
| | • | Implementation of Legal management system. |
| | • | Joint Venture LIC of Bangladesh Ltd started |
| 2016 | • | Bima Diamond Plan Launched on 1st September. |
| | • | LIC's eServices, compliant to IRDA regulations was launched on 1st February. |
| | • | One time Diamond Jubilee Special Reversionary bonus announced for policyholders whose policies were in force as on 01.09.2016. |
| | • | Latest Corporate film was made in September |
| 2017 | • | Enterprise Risk Management (ERM) Concept launched |
| | • | Digitization of policy records for 29 Crore customers completed |
| | • | SMS based customer helpline started |
| | • | Premium payment through wallets, BHIM, UPI enabled. |
| 2018 | • | LIC training centres (MDC, ZTCs) and CO OD/HRD awarded ISO9001:2015 certificate and BIS accredition approved |
| | • | LIC mobile app launched for agents |
| | • | LIC call centre services launched |
| 2019 | • | IDBI bank acquisition. |
| | • | Multy utility cash card "SUVIDHA" launched in collaboration with IDBI bank. |
| | • | Agent recruitment app launched. |
| | • | P&GS Largest Scheme ever with Tamil Nadu Government worth ₹ 23,167/- Crore |
| | • | Subsidiaries Department formed at Central Office |
| 2020 | • | Uninterrupted Service to Customers through online services during Pandemic. |
| | • | Awareness campaigns in lockdown and post lockdown COVID-19 epidemic situation. |
| | • | Various Customer friendly measures taken to serve Policyholders in view of lockdown. |
| | • | Work From Home facility for Employees introduced. |
| | • | NB Digital Application ANANDA an acronym for Atma Nirbhar Agent launched on 19 th November which provides for Life Insurance Policy through a Paperless module with the help of Agent. |
| | • | IPO Cell/PMU Department formed at Central Office. |
| | • | Online and Paperless Process of completion of Micro Insurance Policies launched on 6 th March. |
| | • | Hindi Chatbot 'LIC Mitra 'launched. |
| 2021 | • | Deposit Collection Management Centre launched on 5 th January. |
| | • | Dena Bank Building in Bandra Kurla Complex acquired. |
| | | |





Chairperson's Massage

Dear Shareholders,

Since the beginning of 2020 the world has seen some really turbulent times due to arrival of Covid and its multiple waves. The society and the economy has been impacted together and it will take years for all of us to feel the normalcy of 2019 again.

In these trying times your corporation has not only held onto the business strongly and firmly but also crossed the significant milestone of getting itself listed. LIC of India successfully launched and completed the largest IPO ever in the Indian capital markets raising in excess of $\stackrel{?}{\sim}$ 20,000 crore from the markets. We are now amongst the top ten listed companies in India by market capitalization.

Before I proceed further to share my thoughts on our performance, listing and our strategy in the post listing era, I would like to remember the huge contribution made by many of our employees and agents who became unfortunate victims of the pandemic. We at LIC are deeply indebted to the employees and agents who lost their lives in the line of duty. Each and every employee and agent of the corporation has been a corona warrior for us since they kept the operations running through the pandemic and the Trust factor of LIC of India alive during the entire crisis and continue to do so each day.

Overall Business Scenario in FY 2021 - 22

The FY 2021-22 witnessed a range of issues from the COVID second wave to geo political tensions arising from the happenings in the Russia-Ukraine border. Along with the hints of monetary tightening by US authorities, the overall effect was that the global economy weakened. Global economic damage due to pandemic COVID-19 is estimated to be in the range of USD 5.8. trillion to USD 8.8. trillion according to an Asian Development Bank estimate. It is a tribute to the resilience of the human spirit, that mankind emerged from Covid-19 with many creditable achievements like the rollout of vaccines in record time and learning to live with it, and, despite setbacks, the Indian economy has registered a real growth of 8.7 per cent (PE) in 2021-22, up from a contraction of 6.6 per cent in the previous year.

LIC's resilience to adapt to the changing environment during the pandemic driven testing times, reflected in the increased marketing activity during the last quarter of FY 2022, recording a growth of 18.70% in the quarter of January to March 2022 in Individual First Year Premium Income, as compared to the corresponding quarter last year.

The importance of life and health insurance as well as annuity was never felt more profoundly than during these trying times. Dynamic changes were seen in the evaluation of risk, modification of proposal forms to suit the changing health scenario, reinsurance norms, etc. Leveraging the power of technology, we ensured robust work from home parameters being set, with initiatives like tele and video consultation by medical personnel, online form filling, etc becoming the accepted normal.

Our Performance in FY 2021 - 22

LIC registered a growth of 6.31% in Weighted Received Premium (WRP) for the Financial Year ended March 31, 2022, with the total First Year Premium (FYP) increasing by 7.92 per cent ($\frac{7}{198}$,759.85 crore) and Group New Business Premium saw a 12.66 per cent increase ($\frac{7}{1}$, 43,938.59 crore) while number of new policies grew by 3.56 percent (2.17 crore) over last year. The market share of LIC stood at 63.25 per cent in total first year premium for FY21-22 and 74.62 per cent in the Number of New Policies as at 31.03.2022 as against 66.18 per cent and 74.58 per cent respectively in the previous year.

Financial Performance:

(₹in Crore)

| Particulars | F.Y. 2021-22 | FY 2020-21 |
|--------------------------|--------------|------------|
| New Business Premium | 54959.60 | 56631.67 |
| Renewal Premium | 221661.24 | 211302.31 |
| Total Individual Premium | 276620.84 | 267933.98 |
| Group Premium | 150798.38 | 134910.37 |
| Total Premium | 427419.22 | 402844.35 |
| Profit After Tax (PAT) | 4043.12 | 2900.57 |





Other Key Parameters:

(₹in Crore)

| Particulars | F.Y. 2021-22 | FY 2020-21 |
|--------------------------------|--------------|------------|
| Individual APE | 35572 | 31523 |
| Assets Under Management (AUM) | 4084832.7 | 3676178.8 |
| Indian Embedded Value (IEV) | 541492 | 95605 |
| Claim Settlement Ratio (Death) | 98.74% | 98.62% |

Challenges Ahead - Evolution of the Product Mix and Channel Mix

We have positioned ourselves as the insurer of choice and that is the reason we have been maintaining the Market share of around 65% in spite of the fierce competition. Our Organisation continues to sustain its leadership position after 22 years of liberalisation with a 63.25 % market share in composite First Year Premium income in FY22. The company has 17 Individual Participating Products, 17 Individual Non-Participating Products, 11 Group Products (including one credit life and one annuity product) in its portfolio, along with 7 rider benefits.

While we are the largest player in Life Insurance in India, we have a dominant business mix coming from the participating business (i.e. Par products). For the year ended March 31, 2022 the share of par business within the overall Individual business, in terms of APE was as high as 93%. Similarly more than 95% of our individual business in terms of premium is sourced through our agency force and less than 3% is through bancassurance channels. We intend to increase our market share of Non par business as well as diversify the channel mix while ensuring that our agents stay as the main distribution pillars of our products.

The last two years have seen heightened awareness about life insurance. The opportunities of digital engagement and digitised delivery of services with migration of the customers from physical to the digital i.e. "phygital" modes are widely seen. A strategy of deploying 'bionic' agents by extending tech support in the form of digital tools and analytics to the agency force would surely go a long way in building the core digital sales capabilities and exploring a win-win model where there is a convergence of digital along with the best human qualities of advice and engagement.

LIC's agency strength at 1.33 million, a large section of which is working in the rural areas of the country, has ensured a pan India presence across the various socio economic segments. Increased focus on IT enablers for the field force would aid higher persistency levels and enhanced customer satisfaction. Last year saw a 70% growth in the number of digital transactions.

The Future:

Insurance market in India is growing steadily and in tandem with the growth in GDP and per capita income. Awareness of the need for insurance to meet life exigencies is at an all time high. We will continue to explore and expand into newer areas keeping in mind the changing needs of our customers. Digital interventions, data analytics and process flow changes to leverage the potential of the changing times will be embarked upon to cater to the choices of the myriad segments with existing and emergent needs. We believe our aggressive diversification by adding more Non par products suited to customer needs will yield the desired results.

Within that framework, we intend to sharpen the focus on Bancassurance to steadily and considerably increasing its volume and thereby its share in our overall business. Our ties up with banks continues to be robust. We intend to work with all partner banks and at the same time strengthen the IT processes between the banks and LIC. Having more synergy with their base clientele, classifying them into identifiable segments by understanding their specific needs and targeting them accordingly will define the business growth in future and bring in more number of policies with commensurate ticket size. Taken in totality, "Creating Value and Sustaining Trust" is the theme for the year.

Awards and Accolades:

Your Company received various awards and accolades during the year across diverse areas including Customer service, technology, Digital Marketing, Operational Excellence Initiatives, Insurance Company of the year, Best Brand, Fair business practices, Most Trusted Brand of India etc.

Capital and Shares

The issued, Subscribed and paid up share capital of the Company as at March 31, 2022 is ₹ 63,24,99,77,010 comprising 6,32,49,97,701 equity shares of face value of ₹ 10/- each.





Dividend and Reserves

The Board of Directors after assessing the performance, capital position, solvency and liquidity levels of the company, has recommended final dividend of $\stackrel{?}{}$ 1.50 per equity share of face value of $\stackrel{?}{}$ 10/- each, subject to approval of the members of the company.

The Company made a total profit after tax amounting to ₹ 4043.04 crore, (Standalone) during the year to the Reserves which is an increase of 39.39% as compared to previous year.

Solvency

The IRDAI requires life insurers to maintain a minimum Solvency Ratio of 150%. The Solvency Ratio is calculated as specified in the IRDA (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of Insurers) Regulations 2016. As Compared to the minimum requirement of 150%, the Company's Solvency Ratio as at March 31, 2022, was 185%.

Conclusion

Lastly I would like to reiterate that at LIC we are aware of the time honoured principle of survival of the fittest and strongly believe that together with the team of our employees and channel partners we shall march in tandem with the challenging changes of the 'new normal of IPO' and create newer metrics of performance measurement.

I am thankful to the Board, colleagues, policy holders, shareholders and all stake holders for their support.

Yours sincerely,

M.R. Kumar









MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. PREAMBLE

The Life Insurance Corporation of India has pleasure in presenting its 65th Annual Report as per section 27 of the Life Insurance Corporation Act, 1956, for the financial year ending 31.03.2022.

2. ECONOMIC SCENARIO AND MACRO - ECONOMIC FACTORS THAT AFFECTED LIFE INSURANCE BUSINESS

INDIAN ECONOMIC SCENARIO

The last two years have been a difficult period for the world on account of the COVID-19 pandemic. While the Indian economy has shown resilience, repeated waves of infection, supply-chain disruptions and, more recently, inflation have created challenging times for policy-makers. In order to reduce the impact of the shock caused by the second wave of COVID-19 and to support the recovering economy, the Government of India (GoI) had announced a number of stimulus measures such as the Production-linked Incentives (PLI) Scheme, deregulation of numerous sectors, credit guarantee schemes and export boosting initiatives, among others, apart from providing free food grains to the poor. These relief measures (in the year 2021-22) were primarily targeted towards providing economic relief to the vulnerable people and sectors, strengthening the health system, enhancing liquidity in the market and boosting investment avenues, thereby providing impetus to growth and employment in the country.

The First Advance Estimates (FAE) of national income released by the National Statistical Office (NSO) on January 7, 2022 placed India's real Gross Domestic Product (GDP) growth at 9.2 per cent for 2021-22, surpassing the pre-pandemic (2019-20) level. All the major components of the GDP exceeded their 2019-20 levels, barring private consumption. In its January 31 release, the National Statistical Office (NSO) revised the real GDP growth for 2020-21 to (-) 6.6 per cent from the provisional estimates of (-) 7.3 per cent while in its Second Advance Estimates (SAE) for 2021-22 released on February 28, 2022 the NSO placed India's real GDP growth at 8.9 per cent, 1.8 per cent above the pre-pandemic (2019-20) level. As per the Economic Survey 2021-22, with the vaccination programme having covered the bulk of the population and the likely long-term benefits of supply-side reforms in the pipeline, the Indian economy seems to be in a good position to witness GDP growth of 8 to 8.5 per cent in 2022-23. At the same time, the escalation of the geopolitical situation over Ukraine and the accompanying surge in international crude oil and other commodity prices, tightening of global financial conditions, persistence of supply-side disruptions and significantly weaker external demand pose downside risks to the outlook, which is why the global environment still remains uncertain.

In the January 2022 update of the World Economic Outlook, the International Monetary Fund (IMF) has revised global output and trade growth projections for 2022 downward to 4.4 per cent and 6.0 per cent from its earlier forecasts of 4.9 per cent and 6.7 per cent, respectively. The lingering pandemic and the ongoing war in Europe have made the world experience a slowdown in the pace of globalisation. This has ramifications for both the Global and the Indian economy. Due to heightened geopolitical conflict and its impact on global trade sanctions, the world is confronted with new but formidable challenges like shortages in key commodities, fractures in the international financial architecture, and fears of deglobalisation. The tectonic shift in the global economy is reflected in extreme volatility in commodity and financial markets.

a) GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP)

Real GDP or Gross Domestic Product (GDP) at Constant (2011-12) Prices in the year 2021-22 is estimated to attain a level of ₹ 147.36 lakh crore, as against the First Revised Estimate of GDP for the year 2020-21 of ₹ 135.58 lakh crore. The growth in GDP during 2021-22 is estimated at 8.7 percent as compared to a contraction of 6.6 percent in 2020-21.

Nominal GDP or GDP at Current Prices in the year 2021-22 is estimated to attain a level of ₹ 236.44 lakh crore, as against ₹ 198.01 lakh crore in the year 2020-21, showing a growth rate of 19.5 percent.





Growth in GDP (at constant 2011-12 prices) (in per cent):

| Year | % Growth |
|------------------------------|----------|
| 2017-18 | 6.8 |
| 2018-19 (3 rd RE) | 6.5 |
| 2019-20 (2 nd RE) | 3.7 |
| 2020-21(1st RE) | (-) 6.6 |
| 2021-22 (PE) | 8.7 |

RE- Revised Estimates; PE- Provisional Estimates (as per recent MOSPI press release)

b) GROSS SAVINGS (GS) AND HOUSEHOLD SAVINGS:

Gross Savings at current prices in 2020-21 is estimated at ₹ 55.92 lakh crore (1st RE) against ₹ 59.96 lakh crore (2nd RE).

Sector-wise Savings as % of GDP (Current Prices)

| Year | Household Sector | Gross Savings |
|----------|------------------|---------------|
| 2020-21@ | 22.17% | 28.24 % |
| 2019-20# | 19.57% | 29.87 % |
| 2018-19* | 20.34% | 31.75 % |
| 2017-18 | 19.29% | 32.07 % |

@-First Revised Estimate, #- Second Revised Estimate, *- Third Revised Estimate

Financial saving of the Household Sector as Per cent of Gross National Disposable Income (GNDI)

| | Item | 2018-19 | 2019-20 |
|----|------------------------------------|---------|---------|
| | A. Gross Financial Saving of which | 11.0 | 11.0 |
| 1. | Currency | 1.4 | 1.4 |
| 2. | Deposits | 4.2 | 4.2 |
| 3. | Shares and Debentures | 0.4 | 0.4 |
| 4. | Claims on Government | 1.1 | 1.3 |
| 5. | Insurance Funds | 1.9 | 1.5 |
| 6. | Provident and Pension Funds | 2.1 | 2.2 |
| | B. Financial Liabilities | 4.1 | 3.2 |
| | C. Net Financial Saving(A-B) | 7.1 | 7.8 |

c) FISCAL POSITION

Fiscal Deficit as a percentage of GDP is furnished in the table below: -

| Year | Centre and State (combined) (%) | Only Centre (%) |
|---------|---------------------------------|-----------------|
| 2021-22 | 10.2 (BE) | 6.9 (RE) |
| 2020-21 | 13.3 (RE) | 9.2(PA) |
| 2019-20 | 7.2 | 4.6 |
| 2018-19 | 5.8 | 3.4 |
| 2017-18 | 5.8 | 3.5 |

BE --Budget Estimate; RE - Revised Estimate; PA - Provisional Actuals;

The GST has registered an exemplary growth during 2021-22 despite two waves of the COVID-19 pandemic. The gross GST revenue collected in the month of March 2022 was ₹ 1, 42,095 crore which is 15 per cent higher than the GST revenues in the same month last year. The year 2021-22 also marked the highest tax-GDP ratio of 11.7 per cent, with direct tax to GDP ratio at 6.1 per cent and indirect tax to GDP ratio at 5.6 per cent. Against the Union Budget



estimates of ₹ 22.17 lakh crore, the revenue collections as per the pre-actual figures is ₹ 27.07 lakh crore, which is almost ₹ 5 lakh crore above the budget estimates thereby showing a growth of 34 per cent over last year's revenue collection of ₹ 20.27 lakh crore. This was led by a growth of 49 per cent in direct taxes and supported by a 20 per cent growth in indirect taxes.

As per the latest Union Budget, the current year fiscal deficit is estimated at 6.9 per cent of the GDP, while the fiscal deficit for FY 2022-23 is targeted at 6.4 per cent of GDP. The outstanding internal and external debt and other liabilities of the Government of India at the end of 2022-23 is estimated to ₹ 152, 17,910.29 crore, as against ₹ 135, 87,893.16 crore at the end of 2021-22 (RE). As per the RBI Annual Report 2021-22, the external Debt-GDP Ratio for FY 2021-22 is 20 per cent. As per the provisional actuals for FY 2020-21, the fiscal deficit is 9.2 per cent of the GDP, primarily due to the Covid-19 pandemic impact on the economy, which inadvertently resulted in higher Government spending and significantly low (tax and non-tax) receipts.

d) MONETARY CONDITIONS

In order to mitigate the impact of COVID-19 on the Indian economy as also to revive and sustain the economic growth on a durable basis, the 'Accommodative' monetary policy stance was continued by the Reserve Bank of India, in the financial year 2021-22 also. As a result of this, not only were the monetary supports and supply pushed to a significant amount, additionally due to the reduction in the interest rates, availing loans was more affordable during this period. The reportate and the reverse reportate stood unchanged at 4 per cent and 3.35 per cent, respectively, as on 31.3.2022.

As a step towards rebalancing the liquidity surplus while maintaining adequate liquidity to meet the needs of the productive sectors of the economy, the Reserve Bank of India provided one more option to banks to prepay the outstanding amount of funds availed under the Targeted Long-Term Repo Operations (TLTRO) and also proposed to enhance the 14-day Variable Rate Reverse Repo (VRRR) auction amounts on a fortnightly basis.

The Government of India had adopted a calibrated fiscal policy approach to the pandemic during the year 2021-22. In addition to providing support to the resilient recovery of the economy as well as to provide impetus to growth and employment in the country, the Central Government has taken additional measures such as a loan guarantee scheme for COVID-19 affected sectors, Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) and a Credit Guarantee Scheme for Micro Finance institutions.

e) INFLATION

Inflation has emerged as a global issue for both advanced and emerging economies. The surge in energy prices, non-food commodities, disruption of global supply chains and the rising freight cost stoked global inflation during the year. The year-on-year change in the All-India Consumer Price Inflation (General) was 6.95 per cent in the Financial Year 2021-22 as compared to 5.52 per cent in the previous year. Increase in Food and beverages, Betel Leaf, Tobacco and intoxicants, Clothing and footwear Fuel and light Inflation rate, on y-o-y growth rate basis majorly contributed to the spike in the Consumer Price Index (CPI) over the previous year. Rural Inflation rate was 7.66 percent and the Urban Inflation rate stood at 6.12 percent, as at the end of the financial Year 2021-22.

The annual rate of All-India Wholesale Price Inflation is 14.55 per cent (Provisional) for the month of March, 2022 as compared to 7.89 per cent in March, 2021. The high rate of inflation in March, 2022 is primarily seen due to the rise in prices of crude petroleum and natural gas, mineral oils, basic metals, etc owing to disruption in the global supply chain caused by the Russia-Ukraine conflict. The rise in the inflation rate of the Fuel and Power as well as the Primary Articles, on a year-on-year basis, majorly contributed to the spike in the Wholesale Price Index (WPI).

f) TRADE AND FOREX

With strong capital flows into India, external trade recovered strongly in the year 2021-22 after the pandemic-induced slump of the previous year. India's overall exports (Merchandise and Services combined) in April-March 2021-22 are estimated to be USD 669.65 Billion, exhibiting a positive growth of 34.50 per cent over the same period last year. Overall imports in April-March 2021-22 are estimated to be USD 756.68 Billion, exhibiting a positive growth of 47.80 per cent over the same period last year.

The country's Foreign Exchange Reserves increased to $\stackrel{?}{\sim} 47$, 07,396 crores (USD 617.65 billion) as on 25th March, 2022, from the previous year's $\stackrel{?}{\sim} 42$, 00,668 crores (USD 579.29 billion) A major reason for the increase in Indian Foreign Exchange Reserves is investment by Foreign Portfolio Investors (FPIs) in the Indian stock market and also FDI.





The Foreign Investment inflows in April-Mar 2021-22 declined to USD 22.07 billion which is 72.44 per cent less as compared to USD 80.09 billion recorded in the previous year for the same period. Net foreign direct investment recorded a lower inflow of USD 39.29 billion and the gross FDI moderated to USD 83.57 billion in April-Mar 2021-22 due to sluggish equity investment.

q) EQUITY AND DEBT MARKETS

Both the NIFTY 50 and S&P BSE SENSEX continued their upward trend indicating signs of strong revival in the Indian economy from the COVID-19 pandemic with the S&P BSE SENSEX closing above 58,568 as on 31st March, 2022, as against 49,509 as on 31st March, 2021. Against the NIFTY 50 opening at 14,798.40 on 1st April, 2021, the NIFTY closed at 17,464.75 as on 31st March, 2022. During the period the NIFTY fluctuated from a low of 14,151.40 to a high of 18,604.45.

At the end of March, 2022, the P/E Ratio (Price Earnings Ratio) of S&P BSE SENSEX and NIFTY 50 were 24.82 and 22.92, respectively, as compared to 34.94 and 33.20, a year ago.

As per the provisional figures published by the RBI for the period April-March 2022, the number of New Capital Issues by Non-Government Public Limited Companies increased from 90 to 192 during the year. The amount mobilised also increased to $\ref{thm:prop}$ 1, 50,484 crore as compared to $\ref{thm:prop}$ 1, 07,868 crore during the previous Financial Year.


Despite the stock market volatility due to the Russia-Ukraine crisis and the rising crude oil prices in the later part of the financial year, it was a strong year for equity schemes in terms of investor flows. On a year-to-year basis, the net Assets under Management (AUM) of the Mutual Fund Industry of India showed a growth of 19.53 per cent with ₹ 37,56,682.57 crore worth of investor assets as on 31st March, 2022 as against ₹ 31,42,763.50 crore as on 31st March, 2021.

h) INSURANCE SCENARIO IN INDIA:


As per Swiss-re Sigma 03/2021,India is ranked 11th in the global insurance business. While the share of India in the global total insurance market was 1.72 per cent during 2020, its share in the global life insurance market was 2.90 per cent during 2020. In India, the share of life insurance business in the total insurance premium was high at 75.24 per cent while the share of non-life insurance business was 24.76 per cent.

The total Insurance penetration in India increased from 3.76 per cent in 2019-20 to 4.20 per cent in 2020-21, thereby registering a growth of 11.70 per cent. The life insurance penetration in India has shown a remarkable growth of 13.48 per cent i.e. from 2.82 per cent in 2019-20 it has gone up to 3.20 per cent during 2020-21.

Even though the total Insurance density in India has remained same during the last 2 years at the level of USD 78, the life insurance density has inched up to USD 59 during 2020-21 from USD 58 during 2019-20.







Source: Swiss Re, Sigma, Various Issues—IRDAI Annual Report 2020-21

The positive impact, on the life insurance scenario in India is seen as a result of the cumulative effort of both the regulatory authorities and the life insurance companies. During the year 2021-22, the insurance regulator IRDAI has undertaken various initiatives towards boosting the insurance penetration, such as permitting insurers to conduct video-based KYC, launching standardized insurance products and allowing insurers to offer rewards for low-risk behaviour. Also digital issuance and online channels have witnessed continued growth wherein the share of web aggregators within digital insurance is constantly increasing.

Focus Areas:

(i) Product innovation catering to varying customer needs

Customers today look for innovative life insurance products, personalized options, and flexibility in payments. As a result, insurers are creating products that cater to the evolving needs of the target audience with a digital first approach. The preferred methods of buying insurance have changed too, wherein not only is the sale of insurance done digitally, but a hassle free mechanism of interacting with the agents, advisors and the servicing office on digital platforms is evolving as well.

(ii) Leveraging available market and industry platforms

The frequency of interaction and the level of personalisation have dramatically changed, and insurers need to ensure they stay relevant and can craft truly personal, needs-based contextual experiences. This situation will probably provide tailwinds for Insurtechs and other digital attackers, raising the risk of disruption for the existing systems. To fend off the threat, insurers will need to digitalise and automate their processes wherein accessibility, product diversity and ease of use shall drive consumers' decision-making in insurance. The end user expects interactions with service providers to be fast, efficient and as simple as possible.

(iii) Value Creation for the Shareholders

Private investors have spotted the potential for improvement and the not-too-distant prospect of attractive returns in insurance. In this context, the insurance companies must reinvent their business models to fulfill the imperative to grow and, ultimately, to deliver stakeholder value. This can be done by investing in Insurtech, creating attractive products to scale up new businesses, enhancing cyber security, and expanding the capabilities across the organization





(iv) Enhancing Customer experience by offering both digitised and personalised servicing

New customer behaviors require a shift in distribution. Consumers are embracing digital channels and have become used to delightful experiences with leading tech companies. They expect the same when buying insurance both online and offline. A seamless, consistent "multi access" experience in every channel is now the gold standard for insurers. At the same time, most customers still expect some form of advice on most products.

Digital innovation has become critical for acquiring new customers in expanded markets, retaining existing clients and launching new products or services, all at a lower cost per customer. These range from basic user interface redesign to advanced technologies, including the internet of things, augmented reality and virtual reality. Many insurers are also opting to take this opportunity to redesign their business processes and product offerings to better meet these new consumer expectations and demands.

(v) Engage with ecosystems and insurtechs / Modernise core technology platforms

The ongoing drive toward digitalisation has also put the insurance industry on the verge of a paradigm shift. Traditional industry borders fall away; ecosystems will greatly influence the future of insurers, with Insurtechs aiming to play a role in this recomposition of the value chain. The insurers need to consider the decision of replacing the core systems with a tech platform which shall cater to the needs of the customer at the front end, and help the company in productivity gains and operational performance. The future needs of the company in terms of technology have to be assessed to reach to the next level of growth.

Concern Areas

(i) Huge protection gap and under penetrated market

The protection gap can be simply described as the difference between the optimal and the existing insurance coverage for a country. In the case of life insurance, though many people have taken policies, the protection gap is as high as 92 per cent. As the protection gap widens, it has a huge financial and fiscal burden on the individual, family, companies or state in the future. The right solution that can be given is by providing affordable and best insurance products. Also with the enormous amount of data being generated today, tailor made product propositions to meet the customer's needs are required.

Speaking of insurance, India is a highly under-penetrated country. With a view to increasing the penetration of insurance in rural areas, IRDAI has come out with the idea of each insurance company adopting a village so that 100 per cent insurance is ensured in each of the villages. The Insurance companies adopting villages can do the research on the needs and demand of the particular people, design the product accordingly and they can communicate properly so that the policyholders can understand the need for insurance. This shall help in increasing the penetration at the grass root level. Insurers have to come up with cost efficient solutions for the people at the base of the income pyramid, along with simplification of products, including digital claim settlements and proper distribution channel.

(ii) Price Profitability

The structural factors challenging the industry growth are persistent low interest rates and pricing pressures aggravated by price comparison websites. Though many insurers have undertaken cost savings programs, the aggregate results are not very encouraging. Industry-wide, productivity improvements have been limited. Insurers need to begin the hard core process to improve productivity by establishing the trajectory and full performance potential of the business across the value chain-including sales and distribution, product development, operations, technology, and corporate functions- rather than mere piecemeal attempts at improvement. Only a transformative approach will allow an insurer to survive and thrive in a post COVID-19 world.





(iii) Risk Management

The pandemic caused by the COVID-19 has once again laid a larger thrust on the Risk Management practices and the Business Continuity plans of the insurers in the last two years. Due to the continuous lockdown imposed in view of COVID-19, an increase in the Work-From-Home (WFH) culture has been seen across most of the sectors. This has largely increased the dependence on technology, especially outsourcing, which has increased the vulnerability of the industry to Cyber Risks. Cyber Risks have increased manifold given the large number of people working from home, accessing central servers, data, etc. Most of the activities which were being done through physical contacts like marketing, post sales servicing, etc have been digitalised. This has further expedited the need for risk management controls so that the vulnerability to malpractices can be prevented at the starting point itself.

Companies need to build scenarios wherein the impact of pandemic on the important business parameters and solvency is evaluated and necessary mitigation is strategised and implemented.

(iv) Adoption of new Distributing/Sales Mechanism:

Insurance is one of the professions which rely heavily on close contact with customers for sale of the product. With the adoption of new hybrid working modes by many companies during and post COVID-19 pandemic, a shift in geographical footprints of the working class has been observed i.e. people have moved to midsize cities, suburbs and exurbs. Ergo, to survive the competition, insurers are required to make additional IT investments in advanced technology by offering competitive products through online mode and, wherever possible, make significant changes in their distribution models by repositioning the roles of agencies, brokers and digital sales channels

Life Insurance Industry Performance

The Total First Year Premium (FYP) of the life insurers rose by 12.93 per cent in FY 2021-22 to $\stackrel{?}{\sim}$ 3,14,263 crore as compared to $\stackrel{?}{\sim}$ 2,78,277.98 crore in the previous fiscal year, while the number of policies sold increased by 3.51 per cent to 2,91,55,178 in the FY 2021-22 from 2,81,67,513 in the previous financial year.

The Total First Year Premium of Life Insurance Corporation of India (LIC) increased by 7.92 per cent to $\overline{1}$,98,759.85 crore in FY 2021-22 as compared to $\overline{1}$,84,174.57 crore the previous fiscal, while the number of policies sold increased by 3.56 per cent to 21,754,965 in the FY 2021-22 from 21,007,234 in the previous financial year.

The market share of LIC stood at 63.25 per cent in total first year premium for FY 2021-22 and 74.62 per cent in the Number of New Policies as at 31.03.2022.

The Life Insurance Corporation of India (LIC) recorded a 12.66 per cent increase in Group New Business Premium in FY 2021-22 with ₹ 1,43,938.59 crore against ₹ 1,27,768.06 crore for the FY 2020-21.

As per the IRDAI Annual Report 2020-21, the Total Fund of the Life Insurers as on 31.03.2021 was $\stackrel{?}{\sim}$ 44.80 lakh crore of which the Life fund contributed about 65.05 percent i.e. $\stackrel{?}{\sim}$ 29.14 lakh crore.

The statistics pertaining to the Life Insurance Industry (sourced from the website of the Life Insurance Council) are as under:

(Figs. are Provisional & Unaudited)

| Sr. No. | Data Description | 31.03.2022 | 31.03.2021 | Growth Rate (%) |
|---------|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| 1. | Capital Deployed (including | 46,449 | 38,585 | 20.38 |
| | Share Premium*, if any) (₹ Crore) | 40,449 | 40,449 36,363 | 20.36 |
| 2. | No. of Branch Offices | 11,045 | 11,080 | -0.32 |
| 3. | No. of Agents (Individual) | 24,42,607 | 24,55,042 | -0.51 |
| 4. | No. of Direct Employees | 3,54,855 | 3,18,043 | 11.57 |
| 5. | Total Assets (₹ Crore) (incl. Equity) | 52,49,271 | 46,56,346 | 12.73 |
| 6. | Equity (at Market Value) | 14,24,551 | 11,25,528 | 26.57 |
| 7. | Infrastructure Investments (₹ Crore) | 4,58,614 | 4,51,475 | 1.58 |
| 8. | Renewal Premium (₹ Crore) | 3,77,398 | 3,50,038 | 7.82 |





i) GLOBAL INSURANCE OUTLOOK:

According to the Swiss-Re Sigma 03/2021 research publication, the recent pandemic has emphasised the importance of insurance, be it life or non-life. Global health and protection-type insurance premiums grew by 1.9 per cent and 1.7 per cent respectively, in 2020 despite social distancing affecting distribution. As per the report, a strong recovery is expected in global life insurance premiums to an above-trend growth of 3.8 per cent in 2021 and 4.0 per cent in 2022, benefiting from the COVID-19 effect on consumer risk awareness. Also a rise in demand for risk protection insurance, with life savings business benefitting from stronger financial markets and a steady recovery in consumer incomes is foreseen. The report further states that the global market contracted 4.4 per cent in real terms in 2020 due to the weakness in life savings business, which represents 81 per cent of the global life portfolio. A moderate improvement in life sector profitability to pre-pandemic levels with recovery across all lines of business is expected by the Swiss Re experts.

As per Swiss-Re, the global insurance demand may grow by 3.9 per cent in 2022 and lift the global insurance market to more than USD 7 trillion by the end of 2022. As per the report, the Insurers need to offer digital engagement at all touch points while competing with new, non traditional players entering the consumer insurance market.

References

Insurance Regulatory and Development Authority of India, Life Insurance Council, Reserve Bank of India, Ministry of Statistics and Programme Implementation/Central Statistical Office, National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, Economic Survey 2021-22, IRDAI Annual Report 2020-21, Union Budget 2021-22, Swiss Re Sigma 03/2021, Creating Value, finding focus, Global Insurance - by Mckinsey & Company, What makes digital an urgency for the insurance industry – E&Y, NIA, PUNE, PIB Press Releases.

3. WORKING RESULTS

NEW BUSINESS

a) Social Security Schemes

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

The Central Government launched landmark insurance scheme, namely, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) as a part of financial inclusion on the 9^{th} of May 2015. The purpose of this scheme is to provide insurance protection to account holders of the Banks at a very reasonable cost. PMJJBY provides Life Insurance Coverage of 2 lakhs for a premium of ₹ 330/- per annum. The premium under this scheme is borne by account holders themselves and amount for the same is deducted from the bank account of subscribers against an auto debit mandate given by account holder.

Since the launch of scheme we have enrolled 3, 49, 90,569 members and paid claims under 1,46,255 cases amounting to $\stackrel{?}{\sim}$ 2925.01 crores as on 31.03.2022.

b) First Insurance:

In pursuance of the corporate objectives of providing insurance cover to more and more people, greater emphasis is laid on covering individuals who have no previous insurance on their lives. During the financial year 2021-22, 164.58 lakh individuals were insured for the first time for the total Sum Assured of ₹ 4,48,657.84 crores as against the previous year's figures of 184.44 lakh Policies for Sum Assured of ₹ 4,90,404.08 crores. The ratio of First Insurance to total Business completed for the year comes to 75.80% & 67.40 % in respect of Number of Policies and Sum Assured respectively.

c) Rural Thrust:

Sustained and conscious efforts are made to carry the message of Life Insurance to the rural areas, especially the backward and remote areas. As a result, there has been steady growth of New Business from these areas. The New Business from rural areas amounts to Sum Assured of ₹ 94,961.64 crore under 45,02,285 Policies representing 20.73 % and 14.26% share of Policies and Sum Assured respectively completed during the Financial Year 2021-22. The definition of rural/social sector is as approved by Insurance Regulatory and Development Authority of India.





4. CAPITAL REDEMPTION AND ANNUITY CERTAIN BUSINESS

As on March 31, 2022, Annuity Certain Policies numbering 343 were in force for an amount of annuity per annum of $\stackrel{?}{\stackrel{?}{$\sim}}$ 98.90 lakh. There were 6,764 Capital Redemption policies in force for a sum assured of $\stackrel{?}{\stackrel{?}{$\sim}}$ 15997.12 lakh.

5. ORGANIZATIONAL SET UP

Offices in India

As on 31.03.2022, there were 8 Zonal Offices located at Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Hyderabad, Kanpur, Bhopal and Patna. There were 113 Divisional Offices, 2,048 Branch Offices, 1564 Satellite Offices (SOs) and 1,170 Mini Offices.

Divisional Offices monitor and control the operations. Branch Offices procure business and are responsible for all customer interface transactions. Satellite Offices also procure business and are responsible for immediate customer services required. Mini offices are opened as per FM's budget 2013-14 in all towns of India with a population of 10,000 or more with an objective of Spreading Insurance Awareness and penetration. Mini offices are responsible for immediate customer services required.

6. MARKETING ACTIVITIES

During the year 2021-22, the Corporation under Individual New Business, has procured 2,17,18,695 Policies with a First Year Premium Income of ₹ 54,821.27 Crores. The achievement to budget in NOP was 94.43% and in FYPI 88.22 %. ₹ 19,954.10 crore premium earned under 2,32,715 policies of Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana.

a) STATEMENT OF INDIVIDUAL NEW BUSINESS PROCURED DURING 2021-22 CHANNELWISE

| BUSINESS | NUMBER OF POLICIES (IN LAKH) | FIRST YEAR PREMIUM INCOME (₹ IN CRORE) |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| CONVENTIONAL(TIED) | 171.08 | 44,545.63 |
| BANKING & ALTERNATE CHANNELS | 2.64 | 1,599.37 |
| CHIEF LIFE INSURANCE ADVISOR (CLIA) | 35.34 | 8,208.48 |
| DIRECT MARKETING | 0.16 | 200.11 |
| MICRO INSURANCE | 7.96 | 267.68 |
| TOTAL | 217.18 | 54,821.27 |

b) BANCASSURANCE & ALTERNATE CHANNELS

In the financial year 2021-22, B&AC channel has garnered total 3,27,412 numbers of policies including 1,21,363 Non-par policies with an impressive growth rate of 32.60% and 90.06% respectively. First Year Premium Income (FYPI) collected during the year stood at ₹ 1,601.79 crore. The channel achieved a growth rate of 5.62% in Non Single Premium, 55.86% in First Year Renewal Premium. On FYPI count the growth rate stood at -15.73%. Share of channel in Corporation's performance stood at 1.51% in policies and 2.93% in FYPI whereas in case of ULIP policies it stood at 12.17% and 13.83% respectively.

In resource building, the channel has added 12 numbers of Corporate Agents, 72 Brokers and 41 Insurance Marketing Firms (IMFs). It has also partnered with a special purpose vehicle type entity known as "Common Public Service Centre" (CPSC or CSC). With these additions now the B&AC channel has tie up with 74 Banks, 70 Corporate Agents, 224 Brokers, 117 IMFs and a CSC.

Major contributor in B&AC channel are Bank partners as their share stood at 66.13% on policy count and 89.96% on FYPI count by contributing 2,16,518 policies and $\stackrel{?}{\scriptstyle{\sim}}$ 1441.00 crore FYPI to the B&AC kitty. The share of other Corporate Agents stood at 28,360 policies with $\stackrel{?}{\scriptstyle{\sim}}$ 50.67 crore FYPI.

The contribution from other alternate channels like Brokers, IMFs etc. has increased to 33.87% in policy and 10.04% in FYPI.





Brokers' contribution stood at 1,492 in policy and $\stackrel{?}{_{\sim}}$ 28.43 crore in FYPI with a share of 0.46% in policy and 1.77% in FYPI. Contribution from IMFs stood at 17,650 in policy and $\stackrel{?}{_{\sim}}$ 79.28 crore in FYPI representing share of 5.39% in policy and 4.95% in FYPI of the B&AC channel.

446 LIC Branches procured more than ₹1 crore First Premium and 448 Branches procured between ₹50 to ₹99 lakhs during FY 2021-22.

c) DIGITAL MARKETING

The Digital Marketing Channel commenced operations in FY 2021-22 in a restructured format where all operations were centralized at Central Office. The channel was envisaged to provide a digitally smart and technology driven platform with 'Do it Yourself' processes which require minimum intervention. The aim was to provide a seamless end-to-end buying experience to the customer, in tune with expectation of tech savvy millennials.

During the year the online platform introduced innovations like Video MHR of self, tele MHR and e-connect – a one to one chatbox facility with customers.

In the Financial Year 2021-22 the channel procured First Premium of ₹ 191.97 crore under 16,040 policies, including business sourced from NPS funds, which comprised 2,107 policies and ₹ 103.16 crore of First Premium.

At present the channel offers 10 products viz., LIC's Tech Term, Saral Jeevan Bima, Cancer Cover, Jeevan Shanti, Jeevan Akshay-VII, Saral Pension Plan, Nivesh Plus, SIIP, Bima Jyoti Plan, and Dhan Rekha. Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) can also be purchased through this platform.

d) PRODUCT DEVELOPMENT

LIC offers a wide variety of products, which fulfill the needs of different customer segments of the society.

During the financial year 2021-22 the Corporation introduced five new products including four Individual Products viz. LIC's Saral Jeevan Bima, LIC's Saral Pension, LIC's Arogya Rakshak, LIC's Dhan Rekha and 1 Group Product viz. LIC's Group Assurance Plan.

In addition, the Corporation also introduced modified versions of eight products including six Individual Products LIC's Bima Jyoti, LIC's Jeevan Akshay VII, LIC's New Jeevan Shanti, LIC's Saral Pension, LIC's Bhagya Lakshmi, LIC's New Jeevan Mangal and two Group Products viz. LIC's New One Year Renewable Group Term Assurance Plan I and LIC's New One Year Renewable Group Term Assurance Plan II.

As at the end of the financial year 2021-22, the Corporation had 33 Individual Products, 16 Group Products and 7 Individual Riders available for sale.

e) Senior Business Associates (SBA)

The SBA Scheme was introduced in the year 2009 to recognize high performing Development Officers and to empower them with certain financial and non-financial functions. The SBAs are empowered to collect renewal premium and proposal deposit through "LIFE PLUS" office run by them. They can also do completions of new proposals through E2E module and provide basic servicing functions.

The number of SBAs as at 31st March, 2022 is 4,262 with 3, 25,379 agents.

Data of New Business procured through SBAs during 2021-22

| | Number of Policies | First Year Premium Income (in crore) |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Absolute | 59,79,505 | 15,102.26 |
| Share to Total Business | 27.53% | 27.61% |
| Average Productivity | 1403 | 3.54 |

SBAs have collected ₹17,087.65 crore through 2.87 crore transactions in their Life Plus offices during FY 2021-22. 1,093 SBAs have used E2E facility and completed 2,33,736 Policies during FY 2021-22. 7,398 Agents under SBAs have qualified as MDRT in Membership Year 2022 as against 6,758 in membership year 2021.





LIC Associates Scheme (LICA)

The LICA scheme was introduced from 01.04.2016 with an objective to introduce an innovative distribution channel and strengthening the distribution system by gainfully redeploying the valuable marketing talent of retired Senior Business Associates. The Scheme has been extended to Development officers who are non SBAs from 01.11.2020. LICAs are empowered to appoint new agents and monitor the existing agents and procure new business from these agents besides collect renewal premium and proposal deposit through "BIMA CONNECT" offices run by them.

The number of LICAs as at 31st March, 2022 is 473 with 36,298 agents.

Data of New Business procured through LICAs during 2021-22

| | Number of Policies | First Year Premium Income (in crore) |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Absolute | 5,79,962 | ₹ 1,714.63 |
| Share to Total Business | 2.67% | 3.14% |
| Average Productivity | 1,226 | 3.63 |

LICAs have collected ₹ 1939.12 cr. through 33.21 lacs transactions in their Bima Connect offices during FY 2021-22.

Life Point Scheme for Development Officers

Life Point Scheme for Development officers has been introduced with effect from 01.07.2020 and as on 31.03.2022 there are 1,286 Development officers authorised to collect premium in their "LIFE POINT" office. They have collected an amount of $\frac{7}{7}$ 773.32 crore through 14.29 lacs transactions during FY 2021-22.

II AGENTS

i) Agency strength:

The total number of Agents on our Roll is 13,26,432 as at 31.03.2022 as against 13,53,808 as on 31.03.2021. The number of Active Agents is 11,32,535 as at 31.03.2022 as compared to 11,40,540 as on 31.03.2021.

ii) Agent's Club Membership

In order to motivate and recognize high and consistent performers amongst the agency force various Clubs have been formed. The details of membership strength of the Clubs are furnished in the Table below:

MEMBERS OF VARIOUS AGENTS' CLUB

| Name of Club | | Membership Year | ership Year | | | |
|---------------------------|----------|-----------------|-------------|--|--|--|
| Name of Club | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | | | |
| Corporate | 371 | 331 | 287 | | | |
| Galaxy | 1,582 | 1,484 | 1,124 | | | |
| Chairman | 42,614 | 42,444 | 40,932 | | | |
| Zonal Manager | 33,328 | 33,362 | 32,363 | | | |
| Divisional Manager | 52,021 | 53,688 | 54,358 | | | |
| Branch Manager | 36,672 | 40,377 | 42,524 | | | |
| Distinguished Agents Club | 15,340 | 16,678 | 16,335 | | | |
| Total | 1,81,928 | 1,88,364 | 1,87,923 | | | |

iii) Career Agents Scheme

The Corporation has a scheme for Urban Career Agents and Rural Career Agents to promote the cause of professionalizing the Agency force. They are given stipends at the start of their career to enable them to settle down in the profession. As on 31st March 2022 there are 1,314 Urban Career Agents and 43,551 Rural Career Agents.

City Career Agents Scheme was introduced in 2010 to provide all Development officers an opportuning to recruit stipendiary Agents. As on 31st March 2022 their are 13,637 city carees Agents.





CHIEF LIFE INSURANCE ADVISOR SCHEME, 2008:

LIC introduced the CLIA Scheme on 12.04.2008 with the objective of increasing its, market presence by utilizing capabilities of existing high performing agents for organisational growth.

We are in the 14th year of the Scheme and since inception the Channel has completed the highest ever Number of Policies 35,34,386 with a growth of 14.36% & procured a First Year Premium Income of ₹8208.48 crore with a growth of 5.31%. The Channel achieved Annual Budget on 5 pillars. There are 2,37,855 Agents on roll, supervised by 24,367 Active Chief Life Insurance Advisors. The share of the channel in Policies increased to 16.27% as against 14.73% in the previous year and in FYPI the share increased to 15.01% as against 13.85% last year. This year a total of 6,976 Chief Organizers/Direct Sales Agents from Direct Marketing Channel were merged with the channel who have completed a business of 38,608 policies and ₹298.43 crore First Year Premium Income

Six levels of CLIA Brigades were introduced to enhance the status of CLIAs and to bring about professionalism amongst them. For Membership year 2021-22 there were 1,735 Silver Brigades, 1,275 Gold Brigades, 1,345 Diamond Brigades, 378 Platinum Brigades, 15 Super Platinum Brigades and 2 Star Platinum Brigades with the total number of Brigades being 4,750.

AUTHORISED AGENTS:

In view of the increasing customer expectations for more convenience in premium payments and servicing, the Corporation has Empowered select Agents to collect the renewal premium through 'Premium Points'. As on 31.03.2022, number of such 'Premium Points' across the country is 38,773. These Empowered agents have issued ₹7.99 crore Renewal Premium Receipts and collected premium of ₹45,915.44 crore Premium collected through these Premium Points stands at 21% of the Total Collections. In this year 4,392 Micro Premium Points were added to the Channel. The premium collected by these premium points was ₹ 40.17 crore under 14,35,100 portal transactions. There was an addition of 120 Chief Organizer Premium Points to the Channel and they have completed 49,995 transactions with a premium of ₹ 37.16 crore.

7. OVERSEAS OPERATIONS

a) OVERSEAS BRANCHES:

The Corporation directly operates through its branch offices in Fiji (Suva and Lautoka), Mauritius (Port Louis) and United Kingdom (Watford). During the year 2021-22, the Overseas Branches put together issued 7,491 policies with a First Premium Income of ₹ 120.41 crore.

b) OVERSEAS SUBSIDIARIES:

Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c):

Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c), was established in Bahrain as a subsidiary of Life Insurance Corporation of India. Share holding of LIC of India in the Company is 99.66%. The operations commenced on 23rd of July 1989 and initially catered to the life insurance needs of Non-Resident Indians (NRIs) and later extended to the local population in the Gulf by issuing life insurance policies in US Dollars. The Company operates in 5 GCC countries of Bahrain, Kuwait, UAE (Dubai & Abu Dhabi), Qatar and Oman. The Company sold 2,555 policies during Financial Year ending 31.12.2021 with a First Premium Income of ₹511.37 crore.

Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd.:

Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd. is a subsidiary of LIC of India partnering with Vishal Group alongwith public share holding and was established on 1^{st} of Sep 2001. It is a listed Company whose shares are traded on the Nepal Stock Exchange. Share holding of LIC of India in the Company is 55.00%. The Company sold 1,15,167 policies during Financial Year ending on 15.07.2021 with a First Premium Income of ₹ 222.38 crore.

Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd.:

Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd. is a subsidiary of LIC of India partnering with Bartleet Transcapital Ltd. and was established on 7th of Oct. 2002. Share holding of LIC of India in the Company is 80.00%. The Company sold 6,263 policies during Financial Year ending on 31.12.2021 with a First Premium Income of ₹14.40 crore.





Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Limited:

Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Ltd. is a subsidiary of LIC of India partnering with Strategic Equity Management Ltd. and Mutual Trust Bank Ltd. and is incorporated under the Companies Act (Act XVIII) of 1994 of Bangladesh on 14.12.2015. Share holding of LIC of India in the Company is 83.33% The Company sold 3,135 policies during the Financial Year ending 31.12.2021 with a First Premium Income of ₹4.21 crore.

c) FOREIGN WHOLLY OWNED SUBSIDIARY:

Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd.:

Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd., a Wholly Owned Subsidiary was incorporated on 30th of April, 2012 in Singapore. The Company sold 57 policies during the Financial Year ending 31.12.2021 with a First Premium Income of ₹24.25 crore.

d) Overseas presence by way of Equity participation:

Kenindia Assurance Company Ltd.:

Kenindia Assurance Company Ltd, formed with Equity participation by LIC of India, General Insurance Corporation of India and others, was established on 6th of December 1978 in Kenya. Share holding of LIC of India in the Company is 10.21%. The Company transacts both life and non-life business. The Company sold 7,268 Individual Life Insurance policies during Financial Year ending on 31.12.2021 with a First Premium Income of ₹551.32 crore.

Saudi Indian Company for Co-operative Insurance:

Saudi Indian Company for Co-operative Insurance (SICCI) (Wafa Insurance) is a Saudi Joint Stock Company established on 7th of August, 2007. LIC of India and Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c), Bahrain currently hold 4.98 % share each in the Company and the balance is held by New India Assurance Company, others and Public from Kingdom of Saudi Arabia. The Company is considering financial re-organization as per the local laws.

8. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

SETTLEMENT OF CLAIMS:

As a customer centric organization, it has been our constant endeavor to raise the benchmark in our claims settlement performance.

During the year, the Corporation has settled 272.19 lakh claims for ₹ 2, 38, 681.36 Crore (Including Micro Insurance and Pension & Group Schemes). The figures in respect of settlement of claims for the last three years are given below.

| | Maturity Claims Settled | | | D | eath Claims S | ettled |
|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| Year | No. (in Lakhs) | Amount (Crores) | Percentage paid (in number) | No. (in Lakhs) | Amount (Crores) | Percentage paid (in number) |
| 2019-20 | 206.66 | 1,42,350.76 | 87.66 | 9.32 | 17,419.57 | 95.44 |
| 2020-21 | 222.76 | 1,61,031.20 | 89.83 | 11.47 | 24,195.01 | 98.27 |
| 2021-22 | 256.47 | 2,02,083.84 | 91.09 | 15.72 | 36,597.52 | 98.50 |

Claim payments through NEFT

During 2021-22, LIC has settled 2.72 crore claim payments by NEFT (National Electronic Fund Transfer) for an amount of $\stackrel{?}{\stackrel{?}{\stackrel{?}{$}}}$ 2, 38, 681.36 crore which is 100% of the total payment.

Annuity Payments

Annuity policies serve the purpose of secured and guaranteed returns in old age. We have over 43.11 lakh policies where annuities are being paid. Dedicated Individual Pension Plan (IPP) Cells have been set up in 8 Zonal Headquarters and 3 Divisional Offices namely Ahmedabad, Bengaluru & Kolkata to take care of servicing of these annuity policies. Annuity payments are made through NEFT/ ECS - direct to the Bank account of the annuitants.





Claims Dispute Redressal Committee

The Corporation settles a large number of death claims every year. Only in case of fraudulent suppression of material information, the claim is repudiated. The percentage of death claims repudiated is very small. Even in these cases, an opportunity is given to the claimant to make a representation for consideration by the Claims Dispute Redressal Committees at Zonal Office and the Central Office. As a result of such review, depending on the merits of each case, appropriate decisions are taken. The Claims Dispute Redressal Committees at the Central and Zonal Offices have among other members a retired High Court / District Court Judge.

Insurance Ombudsman

If claim repudiation is upheld by Claims Review Committee, claimant can approach the Office of Insurance Ombudsman for redressal of the grievance.

Policy Servicing

Servicing of policies is one of the most important aspects of the life insurance value chain, most especially due to the nature of long term contract. In the entire journey, only the promise made at the outset remains unchanged and everything else, including customer profile, insurance industry, regulatory framework, technology space, etc are subjected to change. We are committed to provide state of the art facilities to improve customer loyalty by revisiting our systems on a continuous basis.

The basic framework of our customer service facilities starts with our Branch Offices/ Satellite Offices through which the customers can avail all the required services, like nomination, assignment, change of address, loan, surrender etc. We have also made available a dedicated customer portal and mobile app to reach out to our customers. Every year new facilities are getting added on the customer portal with the help of changing technologies to enhance customer experience.

Following are the main pillars in our customer service infrastructure:

- ✓ Citizens Charter: Well defined citizen's charter with proper benchmarking on Turn Around Time (TAT).
- ✓ Customer Touch Points: Customer contact Offices, like Branch Offices, Satellite Offices, Mini Offices, Premium Points, etc.
- ✓ Online Customer Portal: Customer portal and mobile applications for those customers who would like to transact online.
- ✔ Premium Payment: Alternate channels for premium payments, which consists of all popular modes of payment options.
- ✓ Call Centers/Customer Zones: Wide network of customer zone offices and a Centralized Call Centre.
- ✓ **Digitized Documents:** Enterprise Document Management System (EDMS). One of the largest programs of digitization of documents witnessed in the country.
- ✓ **Grievance Management:** Well established grievance management system.

Customer Portal

LIC's digital initiatives for customer servicing was started in the year 2005. Our digital adoption has been a continuous process by evaluating the latest technologies for the benefit of our customers. Customers can avail the facilities provided for policy related service requirements through our customer portal and mobile applications. Mobile applications are available in both Android and i-OS platforms. Many of our policy service related facilities are of self service nature, which doesn't require any manual assistance.

| | Mobile Application Users | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|--|--|--|
| Portal registered customers | Android i-OS | | | | |
| 2.19 Crore | 42.49 lacs | 8.82 lacs | | | |

As at the end of financial year 2021-22





Online Services available for Basic Service Users

| Payment of Premium in advance | Premium Paid Certificate |
|---|--|
| Policy Status/Loan Status/Claim Status | Revival Quotation |
| Online Receipt printing | View Premium Calendar/Policy Schedule |
| Register request for PAN Registration | Register request for NEFT Registration |
| Payment of Premium/Loan interest/Loan repayment | |

Online Services available for Premier Service Users

In addition to all the services mentioned above for basic service users, following services are also available for premier service users.

| View Policy and Proposal Images | View Claim History |
|---|---|
| Register request for Online Loan | Register request for Online Change of Address |
| Online Switching of fund type - ULIP policies | Online change of mode |

Online Services available for all customers

Following facilities are available for all our customers without the need for registration on portal.

- Payment of Premium
- Online change of address utilizing offline Aadhaar
- Online checking of PAN status
- Online Registration of PAN
- · Registration and authentication of e-NACH mandates

Anywhere Services

Taking advantage of digitization of documents and advanced networking systems, LIC has made most of our services available as close to the customer as possible. With this, customers can avail such services from any office in the country irrespective of the original servicing branch. These are:

| Premium payment | Loan interest payment | | |
|--|---------------------------------|--|--|
| Revival of lapsed policies (Spot Revival) | Change of Address | | |
| Updation of Contact details | Nomination/Change of Nomination | | |
| NEFT Capture | PAN Capture | | |
| Providing Premium Paid Certificate | Submission of Life Certificate | | |
| Providing Loan quotation | Providing Surrender quotation | | |
| Providing Forms for various services | | | |
| Providing information about requirements for various alterations, Claim payments | | | |
| Revival of policies using LICDocQ App | | | |





Enterprise Document Management System (EDMS)

Digitization of documents, one of the largest projects in LIC was started in the year 2007. The program is intended to scan and secure all proposals and policy related documents of customers, administrative as well as agency documents. Now, all post policy issue services are provided based on the images of documents available in the system. With the increasing number of service touch points and digital adoption, all our online as well as mobile based services are also integrated with EDMS. Customers who are registered as premier service users on our portal also will be able to view images of proposal and policy documents pertaining to their policies which are scanned and stored in EDMS.

| | Documents Scanned | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|--|--|
| | Policy Dockets Incremental Documer | | | |
| Previous Financial Year | 2.93 Crore | 2.59 Crore | | |
| Cumulative – As at 31.03.2022 | 58.55 Crore | 33.51 Crore | | |

^{*} Documents generated based on post policy issue services

Alternate Channels of Premium Payment

LIC has continuously been leveraging emerging technologies in the financial system to provide alternate ways for payment of premium by adding various modes through different channels. These alternate channels played a major role in facilitating premium payment during the days of pandemic and lock down. For the year 2021-22, 75.08 % transactions and 66.04 % premium amount of the total renewal premium received by the Corporation was collected through Alternate Channels.

Alternate Channels comprise

- A. Electronic Payment Channels: These include National Automated Clearing House (NACH) and Electronic Bill Presentation and Payment (EBPP) directly through Axis Bank, UBI, ICICI and Federal Bank. Other major bank customers can register through service providers: Bill Desk and Ingenico ePayments India Pvt. Ltd (Tech Process).
- **B.** Online Premium Payment: Customers can make payment of premium, Policy loan/loan interest and advance premium through our website or through our Mobile Apps. Two different payment gateways are available for making payment. Options available are Net Banking, e-Wallets, Debit cards, Credit Cards, UPI/BHIM, PhonePe, Google Pay, Amazon Pay, Mobikwik, Just Dial and Free Charge.
- **C. Premium Collection through Banks:** Premium can be paid at Axis Bank, City Union Bank and IDBI Bank branches either by cash or cheque.
- D. Other channels empowered for premium collection: There are over 44,900 Collection Centers manned by SBAs, Development Officers, Agents, etc. available to our customers for payment of premium: Life Plus, Life Point, Premium Points and Bima Connect. Centres authorized to collect renewal premium in cash include APTOnline, MPOnline, Suvidhaa Infoserve Pvt. Ltd., and CSC Centers through CSC e-Governance Service India Ltd.

Unit Linked Insurance Plans

Re-engineering the administration of Unit Linked Insurance Plans was a major step taken in the year 2019 with the implementation of Ulip Centralization System (UCS). The system is stabilized now with continuous improvements. Administration of all plans launched post implementation of the system is carried out through the new set up. Centralized payment system through NEFT for Unit Linked Plans in the new set up has given the organization better controls on the payments under various categories like death claim, cooling off, surrender and foreclosure. This ensures prompt settlement of payments originating from our various offices to customers through the automated system.

LICHELP:

This initiative of LICHELP has gained popularity in recent times. The policyholders need to send an SMS by keying "LICHELP" policy no> to '9222492224'. An acknowledgement SMS with a reference number is received by the policyholder and Customer Zone employee contacts the customer for resolution of complaint/query. For F.Y. 2021-22, a total of 1,78,471 SMS were received, and queries were attended to promptly.





CUSTOMER ZONES:

Total 74 Customer zones are operative across India which works as 'one-stop centre' for resolution of all servicing needs of a customer, with special emphasis on 'Quality Experience'. In some locations, these Customer Zones function in shifts to ensure convenience of touch point services to customers during their off-peak work hours. Customer zones are equipped with facilities for providing all basic policy related information and guidance to our policy holders.

Call center services

LIC has a centralized call center which is operational 24X7. Customers can contact us at 022-68276827. This call center is equipped with eight regional languages (Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya, Tamil, and Telugu) apart from English and Hindi. During 2021-22, 59% calls were completed through IVRS and 41% were received by Call Center Agents. Customer Satisfaction Ratings on a scale of 1(Poor) to 5 (Excellent) is at 4.56 as on 31st March, 2022. While 95.50% calls were closed at call center itself, 4.50% calls were escalated for further resolution.

Communication to Customers

SMS and E-mail are two major communication channels used by LIC. Customers who have registered their updated contact details like mobile number and E-mail address are benefited from these modes of communication. LIC has sent more than 140 types of SMSs to policy holders on various servicing and payment aspects including Special Revival Campaigns during the year 2021-22. In addition, New Year, LIC Day greetings, Vaccination awareness and SMS related to IPO information were sent in English and Hindi to policyholders in the financial year 2021-22.

Customers' Grievance Redressal

The Corporation has Grievance Redressal Officers at Branch/ Divisional/ Zonal/ Central Office to redress grievances of customers. Their names and time of availability are published in newspapers with wide circulation from time to time and also available on our website. The spirit of customer relations and customer care has been ingrained in our complaint redressal system with emphasis on placing customer oriented personnel at all touch points. IT enabled support system is operationalized to reduce manual interventions and minimize grievances.

For ensuring quick redressal of customer grievances, the Corporation has in place Customer friendly online system -'Integrated Complaint Management System' (ICMS) through 'LIC's e-services' available on our website http://www.licindia.in, where a registered policyholder can directly register complaint and track its status. Customers can also contact at e-mail id co_complaints@licindia.com for redressal of any grievances.

Complaints are received from the following sources

- ✓ ICMS (Integrated Complaint Management System) integrated with IRDAI's IGMS.
- ✓ CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System) from Government of India.
- ✓ MOF (Physical Complaints from Ministry of Finance) received through EDAK and emails.
- ✓ NCH (National Consumer Helpline) INGRAM- an initiative by Ministry of Consumer Affairs-LIC has joined from 04.10.2017.
- Physical Complaints addressed to our Chairman through EDAK- Priority Complaints.
- ✓ By Dak, Telephone etc.

Portal wise Statistics of Grievances for the F.Y. 2021-22 is as below

| | Total Grievances Registered | Total Resolved | Pending | Resolved within 15 days | % Of Resolved within 15 days |
|---------|--------------------------------|----------------|---------|----------------------------|------------------------------|
| ICMS | 1,14,444 | 1,14,444 | 0 | 1,11,492 | 97.42% |
| CPGRAMS | 17,459 | 17,459 | 0 | 16,963 | 97.16% |
| NCH | 973 | 973 | 0 | 958 | 98.46% |
| MOF | 22 | 22 | 0 | 22 | 100% |
| TOTAL | 1,32,898 | 1,32,898 | 0 | 1,29,435 | 97.39% |





9. CORPORATE COMMUNICATION

In the year 2021-22, the Corporate Communication aimed to strengthen Brand LIC as a Financial Conglomerate and Customer's Most Preferred Insurance Brand' among Life Insurance Companies. The strategy of Corporate Communications was to establish LIC as the 'Millennial's' "Most Preferred Brand" in Insurance Sector and fortify its Digital and Social Media presence.

All the media activities were aligned to achieve maximum outreach and visibility on various media platforms with diversified contents.

Print Media

63 campaigns were carried out, which found a place consistently in more than 120 publications with 794 editions of news papers across India.

LIC's presence was ensured in important magazines, prominent souvenirs and year books on a continuous basis. LIC enhanced its Brand image by exclusive Advertisements to commemorate important occasion like Independence Day, Vigilance Awareness Week, New Year and Republic Day. To support CRM activities, Pan India Advertisement campaigns were done for Revival, Claim Settlement etc. Special features were done in India Today – English & Hindi Magazine, Business Today & Outlook Money – 8 page Gatefold advertorial, French window in Times of India to mark LIC Foundation Day. A 5page stepper -Anniversary Advertorial in India Today (Hindi & English) and Business Today (as value addition) was done in December 2021. A caution notice was issued through an Advertisement against unathorised use of LIC Logo. In the year 2021-22, four new plans were launched and related Artwork for Print, Sales Brochures, hoardings, posters, banners, standees etc. were prepared. During the year, Brand LIC was visible through 12 Free Commercial Time (FCT) Campaigns, 57 spot buys and 42 sponsorships on top rated National and Regional TV Channels in the genre of News, Movies, Music, GEC, Sports and Infotainment and also in Doordarshan. Important events like Budget sessions were also covered. We sponsored highly popular programs in radio and television with sizeable listeners/ viewership. Our participation in events attracting huge viewership in TV gave us wide publicity mileage. LIC marked its presence on Special days like Mother's Day, International Yoga Day, Doctor's Day, Independence Day, Hindi Day and our Foundation Day, through Spot Buys/ Sponsorships on various TV channels.

Radio

Radio Medium was effectively utilized by us through Sponsorship, FCT etc. Several campaigns were done in 20 FM Channels covering 191 markets and 88 rural markets of All India Radio. On the occasion of LIC's Foundation Day, an innovative campaign was done with ROADBLOCK on 9 leading FM channels, broadcasting our promos/teasers/Advertisements simultaneously on all their channels, throughout the day. 8 New Jingles were prepared in 12 Regional Languages during the financial year which were played during our campaigns along with the existing Jingles.

Azadi Ka Amrit Mahotsav (AKAM)

Azadi Ka Amrit Mahotsav (AKAM) is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of progressive India and the glorious history of it's people, culture and achievements. The official journey of AKAM had already started with our 75th anniversary of Independence and will continue till August 2023. The five pillars of AKAM, as outlined by the Government of India, are (i) Freedom Struggle, (ii) Achievements at 75, (iii) Ideas at 75, (iv) Actions at 75 and (v) Resolves at 75. The AKAM activities and communication should be on the theme of Jan Bhagidari (partnership) and Janta Se Jude (connect with people). LIC's Iconic months are January 2022, August 2022, March 2023 & August 2023. The AKAM activities are to be carried out as iconic and non-iconic months. January 2022 Iconic Month activities was launched by our Chairperson on 5th January 2022 through Virtual mode in the presence of all MDs and Zonal HODs. All our offices have actively participated in propagating the idea of AKAM through various Jan Bhagidari activities like conducting Nukkad Nataks in public places, Mobile Van activity etc. A special AKAM Badge was prepared for the occasion and all employees across the country worn the same. Selfie Points, Banners, and Standees with the theme "Mein Hoon Azad" and AKAM logo put up in various LIC offices. Publicity through TVCs/Radio jingles/ Social media handles/ website banners carried out throughout the month. TVC aired in prominent channels, Radio Jingle in English & Hindi aired in 180 channels. LIC has created 14 PMJJBY testimonial videos which will be posted in the AKAM microsite. A Pledge Music video on re-dedicating ourselves to the nation and Transformation Flaps –TVCs are also being prepared by LIC.





Out of Home (OOH) Activities

Out of Home (OOH) activities were conducted only after lockdown was lifted. Ground events were sponsored after taking due care regarding covid protocol issued by the local authorities. Branding of Local Railway trains / buses, aircraft and cinema were undertaken during the year. To reach out to various stakeholders, LIC PR activities played an important role, complementing publicity efforts. Press Releases, Media Interview ensured that our communication regarding launch of new products, customer initiatives reached the targeted audience. Media Interviews by Senior Officials during lockdown were effectively leveraged to communicate various customer related initiatives like premium payment, claim settlement etc.

Country wide Special Initiatives viz. LIC-Student of the Year was conducted at 4,357 Schools, 1,182 colleges were covered under the College Campus Activity; Mobile Van Activities for 16,276 days were organized. We also continued with the Nationwide Movement of Swachh Bharat Swasth Bharat campaign wherein cleaning activities in 4,545 parks/streets/ offices were undertaken and 3,519 Medical camps were conducted during the year. These activities made positive impact on the youth of the country.

LIC received 25 prestigious Awards during the year. The notable Awards won are:

- Reader's Digest Most Trusted Brand 2021
- CFBP Jamanalal Bajaj Award 2020-21 for Fair Business Practices
- IAA Leadership Awards 2021/Marketer of the year-Insurance
- Dun &Bradstreet-PSU Awards 2021
- FICCI Insurance Industry Award 2021 Best Insurance Campaign-Life Category
- Marksmen Daily Most Trusted BFSI Awards
- India Insurance Summit & Awards 2022-Excellence in Digital Transformation
- World BFSI Congress-Technology Initiative for the Year 2022
- Economic Times -one of the Best BFSI Brands 2022.

Digital Desk

LIC used Digital Space quite effectively to reach out to millennial population. We executed 150 campaigns in digital space during the year. Our digital activities included Media Buys, Campaigns, Sponsorships etc. Our presence was ensured throughout the year in various digital platforms like national and Regional Publishers, popular online platforms like Google, Amazon , Quora etc. We ensured strong communication outreach through YouTube, Instagram, Twitter handles etc. Creatives were regularly posted throughout the year on days of social importance. A build up campaign was executed for Independence Day as well as during the Insurance Week. A countdown campaign was executed during last 5 days of Special Revival Campaign period. Other creatives pertaining to CRM, Public Alerts, Press releases, Notices, Covid-19 precaution & vaccination, Swacchata Pakhwada, Vigilance Awareness Week, Aazadi Ka Amrit Mahotsav, etc. were also posted on LIC's social media platforms.

We have 63,16,174 followers on Facebook, 79,300 on Twitter, 48,800 on Instagram & 54,000 subscribers on YouTube as on 31.03.2022.

10. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005-RTI

Total number of CPIOs: 130

Total number of Appellate Authorities: 130

Details of CPIOs and Appellate Authorities Pan India are available in the RTI Centre on www.licindia.in – Bottom Links – RTI Centre – RTI Page – Sr.No.XIII.

RTI disclosures:

LIC is compliant with section 4(1)(b) of the RTI Act, 2005 and CIC has certified LIC as Grade "A", with 100% rating in Transparency Audit.





RTI On-line Module:

All RTI applications and Appeals received by offices of LIC of India are processed through RTI On Line Portal maintained by the Government of India.

RTI Statistics since inception

| Year | Applications | Appeals | CIC | Show cause | Penalty cases | Compensation cases |
|---------|--------------|---------|-----|------------|---------------|--------------------|
| 2005-06 | 187 | 1 | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 2006-07 | 1,311 | 9 | 2 | NIL | NIL | NIL |
| 2007-08 | 2,616 | 394 | 96 | 27 | NIL | 4 |
| 2008-09 | 4,555 | 982 | 174 | 13 | 1 | 2 |
| 2009-10 | 6,897 | 1,473 | 108 | 13 | 1 | 3 |
| 2010-11 | 9,553 | 1,919 | 384 | 20 | NIL | 5 |
| 2011-12 | 12,350 | 2,242 | 160 | 14 | 1 | 3 |
| 2012-13 | 13,536 | 2,425 | 619 | 13 | 2 | 6 |
| 2013-14 | 14,665 | 2,474 | 283 | 5 | 3 | 3 |
| 2014-15 | 15,047 | 2,281 | 303 | NIL | NIL | NIL |
| 2015-16 | 16,424 | 2,784 | 462 | NIL | NIL | NIL |
| 2016-17 | 14,358 | 2,479 | 356 | 2 | NIL | NIL |
| 2017-18 | 12,937 | 2,242 | 292 | NIL | NIL | NIL |
| 2018-19 | 12,653 | 2,184 | 347 | NIL | NIL | NIL |
| 2019-20 | 16,605 | 1,987 | 318 | NIL | NIL | NIL |
| 2020-21 | 11,911 | 1,849 | 262 | NIL | NIL | NIL |
| 2021-22 | 11,511 | 1,728 | 228 | NIL | NIL | NIL |

11. PERSONNEL & EMPLOYEE RELATIONS

a) Staff Strength

The number of employees of the Corporation as on 31.03.2022 is 1,04,036 as against 1,08,987 at the end of the previous financial year.

b) Employees Relations

Cordial and harmonious relations amongst employees were maintained throughout the year and the morale of the work force was sustained to combat the challenges facing the industry.

c) Empowerment of Women

At every stage in the Corporation, women officers/employees have contributed significantly. The strength of women employees in the various categories as on 31.03.2022 is as under:

| Category | Total Number | Female employees |
|------------------------|--------------|------------------|
| Class-I Oficers | 31,074 | 7,191 |
| Development Oficers | 20,560 | 1,191 |
| Class III/IV employees | 52,402 | 15,712 |
| Total | 1.04.036 | 24.094 |

In the Corporation, Committees for prevention of sexual harassment at workplace are functioning effectively at Central Office, Zonal Office and Divisional Office level.

d) Reservation-National Policy Implementation:-

1. Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

It is the endeavor of the Corporation to implement the instructions related to all reservation matters of SCs /STs /OBCs issued by Government of India and to provide reservation in recruitment and promotions in accordance with the provisions.



In order to discuss issues related to reservation policy and to have effective redressal of the grievances of SC/ST/OBC/XSM/PWD employees, Welfare Cells are actively functioning at Central Office, Zonal Office and Divisional Office levels. Chief Liaison officers have been appointed for SC/ST/PWD/XSM employees and separately for OBC/EWS employees at Central Office level. Zonal Liaison Officers for SC/ST/PWD/XSM and OBC/EWS employees separately have been designated in all the eight Zones of the Corporation. Periodical meetings with All India office bearers of SC/ST Welfare Association/s are organized at Central Office levels in presence of all Liaison Officers for SC/ST/XSM/PWD and various issues related to SC/ST employees are being discussed during the said meetings. Periodical meeting with All India office bearers of Welfare Association of OBCs are also held at Central Office.

Training on reservation policies are provided to impart up-to- date knowledge/latest instructions about the reservation related areas to the official dealing with reservation matters, Liaison officers as well as to the office bearers of SC /ST /OBC Welfare Associations. Pre-recruitment training programmes are being conducted at various levels for desirous SC/ST/OBC candidates and pre-promotional training for SC/ST employees.

2. Persons with Disabilities:-

In accordance with the instructions issued by Government of India and with the view to help and support rehabilitation of Persons with Disabilities, the Corporation has identified jobs for recruitment of differently abled (Physically challenged) which include orthopedically, hearing and visually handicapped. In case of Direct recruitment, 4 % (four percent) of the total number of vacancies to be filled up by Direct Recruitment in the Class I, III and IV shall be reserved for persons with Benchmark Disabilities. Reservation in promotion is provided to the cadres of Record Clerk and Higher Grade Assistants.

Board approved, Equal Opportunity Policy of LIC, prepared as per the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 and displayed on internet & intranet site of LIC.

3. Ex-Servicemen:-

The Corporation makes provisions for recruitment of Ex-Servicemen as per Government guidelines.

4. Reservations for Economically Weaker Sections (EWSs):-

Persons who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes (SCs), the Scheduled Tribes (STs) and the Socially and educationally Backward Classes (OBCs) and whose family has gross annual income below $\stackrel{?}{\scriptstyle <}$ 8.00 lakh are identified as EWSs for the benefit of reservation. There is a provision for 10% reservation in direct recruitment in respect of vacancies notified on or after 01.02.2019 for EWSs.

e) Housing Loan to Agents (Club members)

Under the Agents Housing Scheme an amount of ₹21.19 crore was sanctioned as at 31.03.2022 to agents of the Corporation. The various staff housing schemes of the Life Insurance Corporation have been transferred to LIC-HFL.

f) Office Services:

Continuing with the Swachch Bharat Initiative of the Government of India and to encourage cleanliness and good ambience in Branches and Divisions, Model Branch and Model Division Competition has been continued for the year 2021-22. Further in response to the directives of the Department of Financial Services, Swachh Bharat –Swachhata Pakhwada was organised in all the offices of the Corporation, twice this year, wherein offices undertook Cleanliness and Hygiene related activities, especially with regard to the ongoing pandemic. Cleanliness and hygiene in offices is also being monitored and improved through the Ambience Poll which is being held every quarter.

In the last two years, special emphasis has been given for toilet renovation and repair across all offices of the Corporation. In the current year, we have given specific instructions to all offices for construction / renovation of ladies toilets.

All offices of the Corporation are now procuring goods and services on GeM. To encourage the efforts of the offices, Zones are being ranked on the basis of procurement of Divisions under their jurisdiction on GeM .

Revised Outsourcing Policy and new Procurement Policy has been approved by the Board and has been uploaded on Jeevan Sanchar.





Various steps have been taken to ensure safety against COVID-19. Posters of COVID-19 prevention tips have been uploaded on our social media LIC India Forever on Facebook and LIC India Forever on Twitter and the same posters have been pasted in all prominent places of the offices of the Corporation. Safety protocols like provision of mask, sanitizer, handwash have been made in all offices and guesthouses of the Corporation. All our Security Guards, Housekeeping Staff and Canteen Staff have been provided with all the above facilities. Circulars have been issued from time to time to all offices

12. HRD/OD AND TRAINING ACTIVITIES

Purpose: To build, nurture and develop a talent pool of Human Resources by providing need-based training to the employees and upgrading the knowledge, skills, and attitude of the workforce.

The Strategy of HRD/OD Dept. has been to align Training, Learning and Development with the overall Corporate objectives with focus on enhancing domain knowledge and servicing standards. In the Financial Year 2021-22, the focus of HRD/OD Department has been –

- To manage change and achieve excellence.
- Development of the individual (from entry to exit stage) & Organization.
- Technology enabled work culture with speedy and efficient customer service.
- To facilitate transfer of learning to Work Environment
- · Self learning and development through LIC Gyanpeeth Portal /LMS

To achieve the Corporate Objectives, the Training Activities are carried out through:

In-house Training:

LIC has In-house training centers at various locations to take care of the training needs of its employees. Each training center is well equipped with training infrastructure and facilities like Hostel Rooms, Training Classrooms, Auditorium, Computer Room, LCD facility, Sports and Recreation amenities, etc. MDC, ZTCs & STCs are equipped with Video Conferencing facilities along with well-equipped Library with adequate books on various subjects with a constant inflow of latest books.

- Management Development Center (MDC) is the Apex Training Center of the Corporation. MDC plays a leading role in sharpening the skills of the Middle and the Senior Management Officers of the Corporation on the Administrative and Marketing streams.
- 2. There is one **Zonal Training Center (ZTC)** in each Zone (total 08 Zones). ZTC takes care of the training of the Administrative Staff, as well as, Field Force.
- 3. There are 113 Divisions having Divisional Training Centers/Employee Training Center (ETC)/Computer Training Centers (CTC) which cater to the Functional Training Needs of the employees posted in Branches and Divisions. CTCs provide training on Information Technology and hands-on module training to ensure optimum awareness to the e_FEAP (Electronic Front End Application) users.

Previously, our Training Centers were using Video Conference facility only for online training sparingly. Due to the Pandemic, the dependence on Video Conference facilities has increased manifold. Accordingly, all the Branch Offices, Divisional Offices and Training Centers have been provided with the necessary hardware and internet connectivity. E-Sessions / Online training using WebRTC /MS Team/Google Meet and other platforms have been utilized for conducting training by all our In-house Training Centers as well as reputed External Training Institutes.

External Training:

In order to provide new insight and perspectives to our Officials regarding emerging trends and innovations across the globe and to imbibe the best practices in various areas of operations, they are nominated to various external training Programs of relevance through External Training Institutes i.e. National Insurance Academy, Pune, Institute of Actuaries, College of Insurance, Indian Institute of Management, National Institute of Bank Management, Indian Chamber of Commerce, Administrative Staff College of India, Confederation of Indian Industry, ASCI, Hyderabad, etc.





Further, in view to cover large number of employees, during the year 2021-22, various short duration Webinars have been conducted on topics viz; Digital Innovations, Cyber Securities, Product Mix and Channel Mix of Life Insurance Business across companies, Concept of Mortality Tables, Global Underwriting Practices (approx. 25, 398 employees were covered.

Details of the training activities for Administrative Personnel Trained is as follows:

| Tunining Institute | No. T | No. Trained | | |
|---|---------|-------------|--|--|
| Training Institute | 2020-21 | 2021-22 | | |
| Management Development Centre, Mumbai | 8, 423 | 3,779 | | |
| Zonal Training Centre | 43,235 | 63, 111 | | |
| Divisional/Employee Training Center | 9,711 | 31, 564 | | |
| National Insurance Academy, Pune | 3, 584 | 2, 339 | | |
| (Open programs) by Central Office | 394 | 395 | | |
| External Training (Customized programs) by Central Office | 48 | 232 | | |
| External Training by the Zonal HRD Dept. | 679 | 1, 095 | | |
| Total Administrative Staff Trained | 66,074 | 1, 02, 515 | | |
| Workshop on IRDAI Regulations | 8, 218 | 22, 932 | | |

Overall Attendance to Nomination Ratio – 92.87%

LIC Gyanpeeth - Self Learning Management System Module:

During The pandemic situation necessitated and propelled the Organization to move towards Self Learning through Digital Mode. With this aim, the self-learning/self-skilling, Learning Management System, "LIC Gyanpeeth" was introduced during the year 2020. This has enabled standardized content without dependence on physical infrastructure and facilitators and is available anywhere any time on intranet/internet on Chrome/Firefox web browsers to the employees.

Total 13 Main Modules with 125 Sub-Modules have been created on subjects covering all aspects of administration like New Business, Claims, Marketing, Finance & Accounts, Products, Office Services, CRM, Personnel, Vigilance, Pension and Group Schemes, Health Insurance, LIC Act, 1956, as well as राजभाषा.

The employees are required to study the course material within given time frame followed by self examination from question bank of a total of 6,749 MCQs. A high standard of scoring 70% marks has been set. Successful clearance of the test is followed by auto generated certificate issued for the particular sub module. 'LIC Gyanpeeth' has met with tremendous response from employees. Out of total 1,04,074 employees, approximately 58,756 (56.45%) employees have obtained total 10, 25, 366 LIC Gyanpeeth certificate. 'LIC Gyanpeeth' has met with tremendous response from employees which is evident from following statistics.

| Particulars | Up to 31.03.2021 | During the year 2021-22 | Up to 31.03.2022 |
|---|------------------|-------------------------|------------------|
| No. of Main Modules Certificates issued | 24,967 | 80,180 | 1,05,147 |
| No. of Sub Modules Certificates Issued | 2, 14,491 | 7, 05,728 | 9, 20,219 |
| Total Number of Certificates issued | 2, 39,458 | 7, 85,908 | 10, 25,366 |

International Organization for Standardization (ISO) Certification:

HRD/OD Dept. Central Office, Management Development Centre and all 8 Zonal Training Centres are IS/ISO/9001:2015 certified.

Library:

HRD/OD Dept., Central Office is maintaining well-equipped Library with large number of Books, Dailies and periodicals. The books available are on topics of Insurance, Taxation, Finance, Literature, General Knowledge, Reference books, etc. The Library is source and store house of knowledge for employees.





Sports:

Performances of LIC Team at outside National Level Tournaments during F.Y 2021-22

- 1. The Inter Institutional Carrom Championship-2021-22 was held at Puducherry in the month of November, 2021. Shri D. Dillibabu (SZ) won Gold medal in the Men Singles Event.
- 2. All India Public Sector Tournament was conducted by LIC at Jaipur in the month of January, 2022 on behalf of the All India Public Sector Sports Control Board. The highlights of performances are as under:
 - a) LIC Carrom Men Team won the Gold Medal in Team Championship.
 - b) Shri D. Dillibabu (SZ) and Ms. P. Appoorwa (SCZ) won Silver Medals in Singles events.
- 3. Sh Kalidas L Hirave (WZ) won Gold Medal at International Marathon held at Pune in February, 2022.
- 4. Shri Kalidas L Hirave (WZ) breached the Athletic Federation of India's qualifying standard at New Delhi National Marathon 2022 held in the month of March, 2022 and has become one of the probable to participate at Hangzhou Asian Games and Birmingham Commonwealth Games.
- 5. At 49th Senior National Carrom Championship (Men & Women) held at Mumbai in the month of March, 2022, LIC Women Team secured Bronze Medal.

Due to pandemic situation All India Sports could not be held.

13. MANAGEMENT DEVELOPMENT CENTRE

Management Development Centre being a premier training institute of the Corporation has been effectively playing its role in developing the human capital of the Organization. MDC is striving continuously for providing latest training inputs to Middle Level and Senior Level Officers of the Corporation. New initiatives have been undertaken for designing new modules on Marketing Excellence, Work Life Balance, Leadership Skills, Digitization and upgrading the existing modules. The Center is committed to upholding its image as an IS/ISO 9001:2015 certified training institution. "Bima Deergha" a gallery created by MDC which depicts LIC's formation, consolidating growth & journey of last 64 years was inaugurated by LIC Chairperson on 02.09.2021. During the financial year 2021-22, 116 (107 online and 9 physical) sessions were conducted and training was imparted to 3,799 participants (192 through physical sessions and 3,607 through online mode of training).

14. OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

- i The corporation has been awarded the first prize at the All India level for the seventh time in a row by 'Aashirwad Literary, Social and Cultural Organization' for doing excellent work in the field of official language.
- ii Under sub-rule 10(4) of the Official Language Rules, 1976, 14 offices of the Corporation were notified in the Gazette of India.
- iii 32 offices of the Corporation were honored with various awards by the Government of India, Ministry of Home Affairs and Town Official Language Implementation Committees.
- iv Inspection of 8 offices of the corporation was done by the third sub-committee of the parliamentary Committee on Official Language. In all these inspections, the official language implementation of the corporation was appreciated by the committee.
- v 799 workshops were conducted all over India and a total no of 11,960 personnel were trained.





15. ENGINEERING ACTIVITIES

During the FY 2021-22 the Corporation has completed 6 nos Branch Offices at "Q" Block Kolkata, Shikohabad, Gohana, Guntur, Siddipet, & Tirupathi and 8 Nos Residential units across the country, (Shikohabad and Guntur).

Construction works of 6 Nos Investment buildings are in progress at Scheme 54 Indore, EM bypass Kolkata, CP3-Lucknow, Ludhiana, Lalkothi Jaipur & Gift City Gandhi Nagar.

Construction works of Divisional office at Bhubaneswar (Pokhariput) and vertical extension of DO building Bhopal are in progress.

Construction of STC Warangal completed. Construction of 2 Nos of STCs are in progress at Bhilai & Bareilly.

Construction work of 10 Nos Branch offices are in progress at Garbeta, Shikohabad, Saharanpur, Fatehgarh, Huzurabad, Neeleswaram, Kollam, Wadakkancheri, Kopargaon, Islampur.

The Installed capacity of rooftop Solar PV till 31.03.21 was 3,139 KWp and added 312Kwp capacity during the FY 2021-22. SVAGRIHA has awarded 2 star Green building rating for BO-II Alappuzha (DO Ernakulam).

16. STRATEGIC BUSINESS UNIT - ESTATES

The rental income from the Estate portfolio of the Corporation for the year 2021-22 is $\stackrel{?}{\sim}$ 382.69 crore which is an increase of 5.76% over the rental income for the last year.

In the FY. 2021-22, 5 plots and 1 ready built premises were purchased, of which 1 plot and the ready built premises were purchased by the Central Zonal Office, 1 plot was purchased by the North Central Zonal Office, 2 plots were purchased by the Northern Zonal Office and 1 by the Southern Zonal Office. The total area was 1,16,268 sq. ft. and the total cost involved was $\stackrel{?}{\stackrel{?}{$\sim}}$ 28,06 crore.

17. INFORMATION TECHNOLOGY

LIC has taken steps to:

- i Implement Asset Management Tool (AMT) for life cycle management of assets.
- ii Comply with "Guidelines on information and Cyber Security for insurers" issued by IRDAI.
- iii Periodical Trainings are arranged for all employees on Information and Cyber Security Awareness.
- iv Identify and plug the gaps in IT Systems vis-à-vis IRDAI's requirements on a continuous basis and carrying out configuration audit, vulnerability assessment, penetration testing, secure network architecture review, application security and secure code review.

LIC has implemented:

- i Services of two Network Service Providers, to ensure network level redundancy, for inter connectivity of all its offices and Data Centres, having sufficient band-widths for business operations through MPLS Links.
- ii Management and optimisation of hardware resources with two on-premises private clouds, one for general purpose applications and the other exclusively for ULIP Plans.
- iii Dedicated Video Conferencing services for virtual meetings and conferences for Internal as well as external participants.
- iv Internet Perimeter Gateway Network Security through Firewall alongwith DDoS Solution to withstand volumetric attacks through internet.
- v Security Information & Event Management (SIEM) Solution for management and correlation of Security Logs, triggering of alerts pertaining to Security Events and facilitating the SOC operations.
- vi Two Factor Fingerprint Biometric Authentication system to ensure secure access controls for the applications.
- vii Data warehouse for business insights and inputs for regulatory reports.
- viii Online web scanning services for websites exposed over internet.

Software Development

Innovation is a key driver of change in the insurance sector and this has led to immeasurable efficiency gains in LIC's day to day operations. LIC of India has been a pioneer in computerization and using Information technology.

IT SD department is working towards automating LIC's processes and taking new initiatives through new technologies for its Customers, Staff, Marketing team, Agents' underwriting, policy procurement, servicing, claim processing etc.





During the past one year, LIC has taken many new (go-green / paperless)initiatives and upgraded its digital capabilities to interact with agents, prospects, customers, claimants and introduced eGovernance(automated admin-flow) to pave it's stronghold on Digital India Mission. LIC Online Portals, Mobile applications for Customers and Agents have been enhanced with features to facilitate more and more online services in terms of service request submissions and digital transactions.

Following are the major initiatives undertaken by the department:

- Admin Work Flow: New Admin Files Workflow System is a comprehensive eGovernance solution towards paperless
 office work and Digital transformation of LIC. The office note and decision work-flow has been paperless with
 complete archival.
- 2) Implementation of eFeap-Next: LIC has been developing its core-insurance application in-house (called eFeap) which takes care of all operations of the Corporation. Recently, eFeap-Next has been successfully implemented which is an upgradation of the core insurance solution. eFeap-Next involved consolidation of hardware infrastructure of 113 Mini Data Centers and various Non-DC setups using the Hyper-converged infrastructure(HCI) based technologies and setting up private-clouds at four professionally managed Co-location Data Centers. The eFEAP-Next project ensures Reduced Capital and Operating Costs, Minimized or Eliminated Downtime, Increased IT Productivity, Efficiency, Agility and Responsiveness and finally towards Greater Business Continuity and disaster recovery.
 - This is helped the Corporation to reduce server/data-center related downtimes, optimize its infrastructure by way of centralized management, centralized backup etc. and thus help Branches and Divisions to save time and focus more on Business procurement and servicing etc.
- 3) Online purchase of 11 plans was enabled through LIC's website www.licindia.in with seamless submission of online data and exchange of information. The end-to-end new-business process has been automated with calling of information, online submission of proposal form, submission of documents, intimation about medical-test (if required), receipt of proposal deposit and end-to-end processing of proposals using an automated underwriting rule engine for completion.
- 4) Self-Video MHR Introduced for the first time. This has helped LIC overcome the delay due to physical submission of MHR and thus reducing time lag and prompt decisions which ultimately helps in prompt underwriting decisions and completion of new business proposals.
- 5) ANANDA App for Agents ANANDA stands for AtmaNirbhar Agents New Business Digital Application, an end-to-end completely digital online platform to enable online proposal introduction and completion. This is a comprehensive digital new business solution introduced by LIC for its sales channels (Agents, DSAs, Banks, Brokers, Corporate Agents etc), equipped with Aadhar based eKYC at the doorstep of customers, e-Sign and online BOC-creation through online payments, ensuring paperless completion 365 x 24 x 7. The sales force can access ANANDA through ANANDA mobile app available on Google Playstore or through ANANDA web portal. The link is available in our website www.licindia.in.
 - This has also helped in reducing workload and speedup the proposal data capture and completion for our branches.
 - ANANDA App awarded as Operations Excellence Initiative of the Year Award World BFSI Congress and Awards and SKOCH Award BFSI Gold by SKOCH Group.
- 6) Online Micro Insurance platform is an API based platform which has been designed for the Corporate Microinsurance agents who want to complete the entire process of micro insurance from their offices, located in the remotest parts of the country.
- 7) Online NPS application: The National Pension System (NPS) is a voluntary defined contribution pension system in India. LIC has digitally integrated the online NPS application with the National Securities Depository Limited (NSDL) to facilitate registration and completion of policies for NPS subscribers.
- 8) **Digital Payments:** At LIC we are witnessing Increase in the transactions from different Digital Platforms like UPI Payments, Payments via Apps and websites of LIC. We have also seen the increase in NACH mode of Payments. The partnership with the digital payment providers like PayTM, Amazon Pay, Google Pay, PhonePe and the integration with CSC has enabled us to quickly expand our services for customer convenience and in omni-channel digital modes.



- eNACH (Electronic mandate): A mandate is a standard instruction that customer provides to LIC to automatically debit the instructed amount (premium) from their bank account. The mandate is also known as NACH (NACH stands for National Automated Clearing House). The old NACH Process was paper-based mandate and involves between 7-14 business days depending on various factors. eNach has been introduced (also known as eMandate) which is a digital payment service initiated by the Reserve Bank of India (RBI) and the National Payments Corporation of India (NPCI); to obtain the mandates electronically from LIC customers.
 - This facilitates online mandate authorization confirmation which earlier was a paper driven and manual process. e-Mandate is a paperless end-to-end online process.
- 10) The Customer Portal system of LIC is designed to enhance the digital experience and provide online services to the customers. Informational services like Product information, Plan brochures, Premium Calculator, Policy Status, Premium Calendar, LIC Office Locator, ULIP Statement, Loan and Claim Status are available on the Portal. Self service options like Online Premium Payment, Loan Repayment, Loan Interest Payment, Online Loan Request, Aadhar based Online Address Change, PAN and NEFT registration, Advance Premium Payment, Grievance Registration, Online Service Request etc. are also available through the Portal.
 - LIC CustomerPortal is the recipient of the award for Excellence in Digital Transformation by M/S Synex Business Media Pvt. Ltd.
- 11) **LIC PRAGATI App:** PRAGATI Stands for "PerformanceReview Application, Growth And Trend Indicator", an Application for Development Officers to get real-time information about the performance of their agency force in critical areas of business performance like premium collection, agency activisation, prospective outperformers etc; apart from monitoring their team on activities such as usage of agents mobile app and NACH validation. The app also provides development officers with a calculator to measure their cost ratio.
- 12) **Jeevan Saakshya Mobile Application:** Al based Digital Existence Certificate submission has been implemented for annuity policy-holders and also for the Retired employees of LIC which is required for processing annuity/ pension payments. The Mobile application may be downloaded from Google Play Store/Apple Store. The application facilitates seamless registration (one time activity) and thereafter submission of the Existence certificate using Al based Liveness and Facematch with Aadhar Data.
 - Jeevan Saakshya bagged two awards i.e. Digital PSU Summit Awards by Indian Express Group in Al Category and "Technology Initiative of the Year" Award by World BFSI Congress and Awards.
- 13) **LIC PRATIDHI App:** LIC PRATIDHI is mobile MIS system for LIC Marketing Officials. IT gives data on various parameters like Daily BOC, Top performing agents, New Business for the Day Month etc which help the Branch Managers to grow more on business front and also helps in smooth functioning of branch.
- 14) Al enabled Chatbot LIC Mitra, based on Conversational AI, is a one stop platform for providing information regarding premium due date, various products of LIC including newly launched plans and customer queries (FAQs) related to policy servicing and claims. The Chatbot is available in five languages viz. English, Hindi, Marathi, Malayalam and Tamil.
- 15) **LIC DigiZone:** It's a Kiosk Center which offers LIC's Products and Services through Kiosk installed in the premises. Digi Zone can be used by the customers to purchase policies online, pay the premium and avail of other services.
- 16) **Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY)** policy details have been integrated with **"UMANG"** Mobile App platform to facilitate the policyholders to view their policy and annuity details.
- 17) **Digi Locker:** LIC has also offered the facility to the policy holders where they can view and download the digital image of their policy document from the Digi Locker, eliminating the need of carrying physical documents.
- 18) **Agents Portal:** Agents/CLIA have been provided with an Information rich portal and mobile application to facilitate performance monitoring and customer service. Agents are also enabled with Sales Automation using Financial Need Analysis, Quote and Illustration and e-Proposal.
- 19) Agentspre-recruitment Mobile app: Agents Recruitment (Android) App facilitates Candidate Agents of LIC for Agency Registration; including document uploads with auto-resizing options. The Sponsors can use the App to give consent to the Agents they have sponsored. Registration link is provided for online training from Insurance Institute of India.





- 20) Online Pre-recruitment Training: The candidate has to complete the registration process. A valid mobile number registered in the Online Agents Recruitment Portal is required to login into the training portal. The candidate has to select the language for training. At present Hindi English and Marathi languages are provided. The candidate has to complete 25 hours training.
- 21) **Multilingual Agents Mock Test:** Registered candidates who are willing to become LIC Agents can take a Mock test. Choice of language is available between Hindi, English and Marathi. We will be covering all regional languages shortly.
- 22) Aadhar based change of address: This is a new option on Customer portal for all customers wherein the customer can change his address based on Aadhar KYC. The basic Aadhar details are extracted and compared with our policy records. The address change request wherein the name is not matching or the customer modifies the address such request is registered and sent to CZee for validation.
- 23) **Online PAN Registration:** This facility is available on LIC India Website and there click on Online PAN Registration and update his/her PAN in own life LIC policies and option is also provided to check availability in the policy record.

Digital initiatives are the need of the hour to fulfill the requirements and expectations of the "Generation-Y". These initiatives have helped in augmenting various day-to-day operations/process which ultimately results in better customer satisfaction.

18. INTERNAL AUDIT

The Audit of Branch/Divisional /Zonal offices and Central office Departments of the Corporation for the Financial Year 2021-22 has been completed as on 31st March 2022.

In view of the pandemic situation the auditing was mostly done through Offsite (from remote location).

The Financial Year saw an intensive follow up for compliances of the audit queries, which resulted in substantial reduction in the pending special/reports and also excess / wrong payments . There is 69% reduction in o/s recoveries and reduction of 63% in open reports.

Keeping with our practice of improving our systems and procedures through the use of Information Technology, the scope of 'Offsite Audit' has been expanded and also supplemented by increased % of surprise audit. Continuous close coordination with IT/SD team is being done for further improvements in the module access to auditors for conducting 'Offsite audit' to reduce audit tours/movements.

19. INSPECTION DEPARTMENT

The exercise of Inspection is a pre-emptive measure against systemic lapses.

The Inspection of Branch/Divisional/Zonal Offices and Central Office Departments of the Corporation for the year 2021-22 was completed on 15^{th} March 2022.

All the 3,827 units of the Corporation were physically inspected during 2021-22 despite the Pandemic.

Keeping with the practice of improving our systems and procedures, with the use of Information Technology, the Remote Inspection Package was developed covering 65% of Policy Servicing, 79% of Claims, 47% of New Business department, 42% of Information Technology, 40% of Sales, 35% of Finance and Accounts, 25% of Office Services departments of our Branch office functions.

The sustained drive by all the Zonal Inspection Centers has resulted in reduction of open Inspection Queries by 98% and outstanding recovery by 56% in 2021-22.

80.65% of Branch offices and 92.03% of Divisional Offices have been rated in the excellent band i.e. (Super Excellent, Excellent and Upgraded Excellent).

A list of persisting Major Irregularities was shared with HOD's of Corporate Office for necessary systemic improvement.

20. NEW BUSINESS & REINSURANCE DEPARTMENT

Objective

The aim and purpose of New Business & Reinsurance department is to provide ease in the Customer onboarding process through optimal Digitalization of NB processes. Further the department aims to maintain high standards of risk selection underwriting with due diligence, thereby providing service to stakeholders at all levels while keeping in mind the Regulatory framework and guidelines.





Digital Initiatives

New Business and Reinsurance Department has taken up various Digital Initiatives in keeping with the technological advancement, for ease of doing business and customer convenience.

ANANDA

- After launching its first Digital Application, "ANANDA", an acronym for Atma Nirbhar Agents New Business Digital Application, on 19th November 2020, the department followed it up by providing a new dimension with the launch of ANANDA Mobile App on 24th August 2021.
- The Digital application is a tool for the onboarding process to get the Life Insurance policy through a Paperless module
 with the help of the Agent / Intermediary. It is built on paperless KYC process using Aadhaar based e-authentication
 of the Life Proposed.
- ANANDA is a first of its kind in the Indian Life Insurance industry with LIC of India pioneering the process through its in-house IT enabled systems.
- · Additional Development processes have been enabled in the ANANDA viz.,
 - Effective from 07.03.2022, Auto-completion of New policies up to certain pre-specified criteria on SUC / TRSA has been enabled
 - 2. Uploading of Income proof documents

DCMC

DCMC – Deposit Collection & Management Centre was initiated in January 2021 for creation of Online Proposal Deposit. To begin with, such Online Proposal Deposit creation was enabled for ANANDA Proposals only. Now an additional option has been incorporated, wherein, Online Proposal Deposits can be created for other than ANANDA proposals also. Remittances in all ULIPs, processed through ANANDA are compulsorily facilitated through Online Proposal Deposit collections.

MSP

To conduct the Pre-policy Medicals, 16 Medical Service Providers were empanelled in September 2020 and were operationalized across all the Divisions of the Corporation. The process for conduct of Pre-policy Medicals is fully module-driven with access to the Core User of the NB department at the Branch Office.

Provisions for Online uploading of Special Medical reports onto LICs Staging Server through Web Service Integration has been implemented. The Uploaded Digital Medical reports are now viewed in the Branch NB eFEAP module for further processing.

PRINT TO POST

The concept of Centralised Policy Bond Printing has been successfully implemented in all the 109 Divisions of the Corporation. The vendor is providing an end-to-end solution from Printing to Despatch of Policy Document from three centralized printing locations of Hyderabad, Mumbai & Delhi. Each and every Policy Document has a Unique Speed Post Bar Code which facilitates e-tracking of the Delivery through Speed Post. Enquiry options on Policy completion to Printing and final Delivery thereon have been provided in the Branch & Divisional Office NB eFEAP modules.

Reinsurance

All Reinsurance contracts are administered as per the Reinsurance Regulations and treaties with various Reinsurers. The processes of Reinsurance are managed through Reinsurance module. Regular extraction of Probable list of Policies to be reinsured is generated by the department and issued to the lower Offices.

Others

Pooling of Medical Opinion for cases referred to ZUS (Zonal Underwriting Section). All ZUS referred cases involving Medical Opinion from ZMRs are now pooled to a centralized location "ZMR-Pool" in NUA through which the cases are equitably distributed across to all the ZMRs across various zones. This ensures reduction in TAT and equitable distribution among the Zonal Medical Referees across the Zones.

The process to obtain financial services from Credit Bureaus has been initiated. Financial Evaluation & One-time Post Policy verification are the services that are proposed to be obtained from the Credit Bureaus registered under CICRA, 2005.





Dynamic Risk Calculator is a predictive tool for Risk acceptance, which is based on Modelling techniques. It helps in identifying risk factors that could lead to:

- Better Underwriting standards
- Identify Preferred groups (for easy on-boarding)
- Detection of probable Frauds
- Detection of propensity for Early Claims

The process involves the integration of our Systems with the Service Provider for "Requests" & "Receipt of Predictive analysis".

Underwriting Policy

Underwriting is the process in which an insurance company determines if an applicant is eligible for insurance and the rate they should charge if the applicant is eligible. In simpler words, it is a process of risk classification. The purpose of insurance underwriting is to spread risk among a pool of insured in a way that is both profitable for the insurer and fair to the customer. "Underwriting enables the company to weed out certain applicants and to charge the remaining applicants premiums that are commensurate with their level of risk". Underwriting is done in a prudent and customer friendly manner, keeping in mind the objectives envisaged in the Board Approved Underwriting Policy. The policy envisages proper selection and classification of risk to allow widespread availability and affordability of insurance to meet the basic objectives of the Corporation.

Upgrading knowledge/ skills

With a view to upgrading the knowledge/ skills of the Underwriters at our Offices, they are exposed to various seminars, workshops and training sessions. The Underwriters at Central Office are deputed for seminars conducted by our Reinsurers and the Association of Insurance Underwriters to enable them to keep abreast of the latest trends in Underwriting.

Revision in Underwriting Guidelines

Underwriting guidelines are reviewed from time to time on account of various factors such as Environmental and Regulatory; Technological and Medical advances; our Mortality experience of Insured lives; Industry practices and feedback etc.

21. VIGILANCE:

- Disposal of Vigilance cases especially those registered up to 31.03.2020 and outstanding as on 31.03.2021 was accorded top priority in this year.
- Besides expediting disposal of Vigilance cases, focus was on preventive Vigilance through dissemination of information in areas susceptible to fraud.
- Vigilance Awareness Week (VAW) 2021 was observed with the CVC theme "Independent India @75: Self Reliance with Integrity" with emphasis on disposal of complaints under PIDPI (Public interest Disclosure and Protection of Informers). Total 9.8 Crore SMS with the theme of VAW were sent to all the employees of LIC, Agents and policyholders. Various internal Competitions, Staff meetings, Gram Sabhas, Policyholders' meetings were conducted in LIC offices across the country. Advertisement with CVC message and grievance redressal mechanism in LIC was published in all leading newspapers in India. Radio jingle on VAW theme and awareness about Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) was played during the Vigilance Awareness Week on 20 FM channels on PAN India basis.
- An Audio Video clip was prepared in-house to promote the theme of VAW 2021 including PIDPI which was played during the Joint Conference of CVC, CBI & CVOs organized at Kevadia, Gujarat on 26.10.2021. The AV clip was one of the two clips that were played during the conference out of many clips submitted by various organizations.
- As per guidelines of CVC, Integrity Pact (IP) is being implemented in procurement processes of our organization. As regards Stores Purchase and Building Contracts, it is being ensured that CVC guidelines are strictly followed.
- In the current year, ten officials from Central Office attended specialized session on procurement conducted by Chief Technical Examiner (CVC) emphasizing on GeM portal (Government e-Market place).
- Proactive and preventive Vigilance measures were taken in identifying systemic issues and suggestions made for corrective action to the respective Controlling Departments of Central Office.





22. IPO

Honourable Finance Minister Nirmala Sitharaman had announced in her Budget Speech for FY 2020-21 that Government of India shall sell its stake in Life Insurance Corporation of India (LICI) through an Initial Public Offer.

To give effect to the announcement, Ten Book Running Lead Managers (BRLMs), Legal Counsels, IPO Auditors, Registrar and Transfer Agents, Reporting Actuary and Advertising agency were appointed. Accordingly, Corporation, in consultation with BRLMs and Legal Counsels, prepared a comprehensive "Draft Red herring Prospectus (DRHP) for information of potential investors delineating there in, among other things, Risk Factors, Financial Information, Industry overview, our business, Key Regulations and policies, outstanding Litigations, offer structure and Embedded Value reports. The DRHP was filed with Market Regulator viz. Securities & Exchange Board of India on 13.02.2022.

As per DRHP, The Selling Shareholder (President of India acting through the Ministry of Finance, Government of India) offered for sale up to 316,249,885 Equity Shares i.e. upto 5% of its stake in LICI. Further, there would be reservation for shares for eligible policyholders and eligible Employees.

The objects of the Offer are to (i) achieve the benefits of listing the Equity Shares on the Stock Exchanges; and (ii) carry out the Offer for Sale of up to 316,249,885 Equity Shares i.e. upto 5% of its stake in LICI by the Selling Shareholder (President of India, acting through the Ministry of Finance, Government of India."

The Corporation also expects that proposed listing of its equity shares will enhance our visibility and brand image as well as provide a public market of the equity shares in India. The selling shareholder will be entitled to the entire proceeds of the Offer after deducting the Offer expenses and relevant taxes thereon. Our Corporation will not receive any proceeds from the Offer."

23. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

I. INVESTMENT IN SOCIAL SECTOR

The total investments of the Corporation amounted to ₹ 40,84,826.84 crores as at 31st March, 2022. Table 6 depicts a broad classification of the investments of the Corporation as at 31st March, 2022.

The Corporation subscribed an amount of ₹ 1,61,951.90 crore (Book Value) and ₹ 87,192.81 crore (Book Value) to the Securities of the Government of India and the new Ioan issues of the various State Governments (including other approved securities) respectively during 2021-22.

II. SOCIAL RESPONSIBILITIES:

It has been the constant endeavor of the Corporation to provide security to as many people as possible and to channelize the savings mobilized for the welfare of the people at large.

To meet this end, the Corporation has been promoting Social Welfare through investments in Infrastructure and Social Sector which includes:

- * Projects/Schemes for generation and transmission of Power
- * Housing Sector
- * Water Supply and Sewerage Projects/Schemes
- * Development of Roads, Bridges, Road Transport & Railways

The total Investment in these sectors during 2021-22 was ₹29,638.66 crore as indicated in Table 7. The investments as at 31.03.2022 by way of Central, State and Other Government Guaranteed Marketable securities, Loans, Debentures & Equity investments in Infrastructure and Social Sector amounts to ₹28,85,569.04 crore.

III. LIC Golden Jubilee Foundation

"LIC Golden Jubilee Foundation was established in the year 2006 as a part of LIC's Community Service initiatives. The objectives of the Foundation are Relief of Poverty or Distress, Advancement of Education, Medical Relief and Advancement of any other object of General Public Utility. As on 31.03.2022, LIC has provided a corpus of ₹ 260 Crore to the Foundation and the interest earned is utilised for funding various projects for charitable purposes. Since inception, the Foundation has supported NGOs located across the country and dedicated to the above objectives through 646 projects amounting to ₹ 127.00 Crores. During 2021-22 the Foundation has sanctioned ₹ 18.31 Crore for 57 projects. The Foundation has reached out to many deprived sections of society through infrastructural support provided in the above areas.






LIC Golden Jubilee Scholarship Scheme is another initiative of the Foundation, which provides scholarships to children from economically weaker sections of the society to pursue higher education till they complete their graduation professional course. LIC Golden Jubilee scholarship Scheme provides scholarship to children from economically weaker sections of the society amounting to ₹ 20,000/- p.a for regular students for pursuing higher education and ₹ 10,000/- p.a to special girl child for pursuing 10 + 2 education. During 2021-22, scholarship of ₹ 7.60 crore was disbursed. As on 31.03.2022, 22,586 students have benefited from the scheme".

24. Enterprise Risk Management

Life Insurance Corporation has robust Enterprise Risk Management framework to conduct business in an orderly fashion taking into account the risks faced by the Corporation and control its business effectively with defined responsibilities and adequate risk management procedures.

Enterprise Risk Management Organisation structure:



Risk Governance Frame Work:

Board has delegated the responsibility relating to Risk Management to Risk Management Committee of the Board (RMCB). The ERM framework has robust and efficient mechanism for the identification, assessing, mitigation and monitoring the risks. RMCB reviews Enterprise Risk Management activities executed across the organization on quarterly basis.

Key Risk Management Tools are:

1. Risk Appetite Statements:

Risk appetite is the amount and type of risk that Corporation is willing to take in order to meet its strategic objectives. A range of appetites exist for different risks and these may change over time. The Risk appetite statements are reviewed on an annual basis by the Risk Management Committee of the Board (RMCB) and approved by the Board at a broad level which includes the tolerance / thresholds.

The risks are monitored vis a vis the limits set by the Corporation and reporting is done to the Top Management and to the Risk Management Committee of the Board.





2. Risk Registers:

Corporation maintains Risk Register at each functional level wherein risks relating to that function along with the control measures are documented. Gaps if any are also identified and time bound action plan is formulated to fill that gap.

This risk registers are reviewed to ensure that all the emerging risks are being identified and taken care of.

3. Incident Management Framework & Operational Loss database:

The Incident Management Framework aims to implement procedures for identification, monitoring, mitigation and reporting of incidents (including frauds) within the Corporation. Incident Management process is defined to ensure any operational losses including frauds, regulatory / policy breaches and potential losses are systematically identified, reported, escalated, analysed and resolved to prevent recurrence in future.

4. Top Risks and Key Risk Indicators:

The top risks for the Corporation is identified by analysing the materiality / impact of key risks faced by the Corporation. The Top Risks –KRIs are prepared on the basis of the inputs from the all operating office levels and meetings with Head of Departments at Central office.

The mitigation strategy with respect to various risks as covered under the current Enterprise Risk Management framework is:

a) Market Risk:

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, exchange rates and the market prices of securities. Corporation attempts to minimise the effects of market risk by primarily investing in securities that are part of major indices.

Market risk is further mitigated by matching assets and liabilities by type and duration and matching cash flows to the extent commercially practicable. The applicable investment strategy for each line of business is set out clearly to ensure that liabilities are appropriately matched by the nature and duration of assets.

b) Liquidity Risk:

Liquidity risk is the risk of not being able to make payments as they become due because there are insufficient assets in cash form.

Corporation faces limited liquidity risk due to the nature of liabilities and business structure. The cash investments along with expected future premium from existing business are usually sufficient to cover expected pay-outs. Corporation manages liquidity risk by monitoring the asset-liability cash flow matching positions on quarterly basis. The cash flow matching analysis is also analysed under various stressed scenarios. LIC has Board approved Asset Liability Management policy.

c) Credit risk:

Credit risk is the risk resulting from the failure of our obligors or our counterparties to perform or timely perform their contractual obligations or the deterioration in the credit profile of relevant parties. Credit risk is mitigated by

- (i) restricting investments primarily to securities rated AA and above by domestic rating agencies, and
- (ii) monitoring the quarterly performances of our portfolio companies, their ratings and their track record of servicing of their obligations on the due dates

d) Insurance Risk:

Due to its inherent nature of business, the Corporation exposes itself to a large number of risks. The risks may relate to expenses it incurs in carrying on its business, mortality and morbidity rates and persistency of its policyholders. The insurance risk is monitored through proper management of Expenses Risk, Mortality and Morbidity risk and Persistency risk. The Corporation reinsures its higher Sum Assured business and has treaties with reinsurers for specific products. The Corporation has Board approved reinsurance policy in place.





e) Operational Risk:

Corporation is exposed to various types of operational risk, which arise from various sources including inadequate record keeping, failures of systems and established controls, employee error, and internal/external frauds. The Corporation seeks to minimize the impact of the operational risks by regular monitoring of processes, systems and procedures, implementation of controls for frauds and ensuring that back-ups for both systems and data are maintained. Necessary insurance cover taken for all identified operational risk of the Corporation are also reviewed at regular intervals.

Business Continuity Measures (BCM):

Business interruption risk also forms an integral part of operations risk. The Corporation may face a host of disasters that range from minor to catastrophic which can impact day-to-day operations. The Corporation seeks to minimize the risk by taking adequate measures to manage such business interruption.

Corporation has ensured that systems are in place for continuity of all critical operations. This has enabled the Corporation to provide uninterrupted service to the customers at the challenging time of pandemic. The option of work from home was invoked for allowing remote access to the system to all employees of the Corporation ensuring servicing to all its policyholders and intermediaries.

Disaster recovery site has been set up to carry out critical processes in adverse scenario. Business continuity drills are carried on a regular basis for critical processes and outsource partners to manage business interruption risks. The Corporation has a well defined information security policy including areas of cyber security that ensures all information assets are safeguarded by establishing comprehensive management processes throughout the organization.

Corporation has Business Continuity Plan for Investment functions approved by the Board. Insurers are now required to have a Board approved Business Continuity plan in the format prescribed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI).

LIC is a premiere institutional investor in the Indian Financial Markets. Its funds are invested in asset classes in line with the IRDAI (Investment) Regulations, 2016 and are exposed to various risks like market risk, credit risk, interest rate risk, liquidity risk and counterparty risk, to name a few. A robust Risk Management Structure is required to continuously monitor, measure and mitigate these risks emanating from such a diverse exposure in the financial markets. The investment risks are systematically identified and systems and procedures have been implemented to address these risks so that not only are the policyholders' funds protected but also their reasonable expectations are met. The Corporation is committed to having a continuous organizational focus on Risk Management and has a Risk Management Policy covering areas such as Risk Vision, Risk Governance, Risk Identification, Risk Measurement, Risk Monitoring & Risk Reporting.

A description of the risk management architecture

Risk management is defined as the process under which Corporation addresses Investment risks associated with the corporation's financial assets under its management by identifying, measuring and mitigating such risks. Risk Management encompasses understanding of all the factors and the extent to which they can be threats to success. The process will also endeavor to bring about the Risk culture in the organization so that the employees feel the importance of putting Risk management system in place and each employee involves himself in appropriately addressing the concerned risks.

Board of Directors provide the overall guidance on Risk Management function; which includes providing necessary oversight on key risks and measures, approving the Risk Management Policy, Risk Appetite statement, ALM Policy and Business Continuity Plan of the Corporation on an annual basis.

In line with the IRDAI Guidelines, Corporation has constituted the Risk Management Committee of the Board (RMCB). The RMCB looks after the risk management governance structure, reviews the risk management framework, risk appetite and the risk mitigation plans for significant risks, identifies strategic risks emanating from changes in business environment and regulations, oversees the compliance to regulatory requirements, all matters related to Asset Liability Management, IT Security policy for investment functions on annual basis, reviews regular updates on business continuity in line with the Corporation's Business Continuity Plan, solvency position of the Corporation, fraud monitoring, etc. on regular basis. Further, all important matters which, in the view of the RMCB, require further strategic intervention from the Board are brought to its knowledge in its meeting on a periodic basis.



An internal independent Committee, named as Committee of Executives on Risk Management (CERM) has been constituted consisting of Heads from all the three sections of Investment Department i.e. Front office (CIO), Mid-office (CRO), Backoffice and Actuarial Department. CERM monitors the implementation of Risk Management policy and ALM policy for the Investment Department.

Besides, CERM supports the RMCB by supervising some major functions, like, establishing Risk Management Policies, MIS for risk reporting/risk control applicable to Investment Departments, frame accountability and authority for risk management, report to the Risk Management Committee of the Board about key risks arising from strategic initiatives and changes in business environment or regulations, provide risk assessment review reports highlighting significant risks and risk mitigation plans thereof, review of operating risk environment including Business Continuity Plan in line with Corporation's Business Continuity Plan, review the solvency position of the Corporation on a regular basis, review of risk related to IT security and any other issues related to IT and reviews the Fraud Monitoring Report.

Recommendations of the CERM are reported to the RMCB. A consolidated report on various issues discussed by the Committee of Executives on Risk Management and action taken thereon along with frequency of the meeting are reported to the RMCB on quarterly basis.

Heads of Investment-Operations (Front office), Monitoring & Accounting (Back-Office) and Risk Management (Mid-Office) functions are responsible for implementation of the sound Risk Management System as may be applicable to their respective areas of functioning as well as be responsible for coordinating with the other sections. They are also responsible for maintaining a sound system of internal control that supports the achievement of the objectives and policies as enumerated in the Corporation's Investment Policy.

The risk control framework is specified, monitored and controlled though Policies and procedures, Systems and Organization.

Every Department maintains a risk register, where all the potential risk areas and control framework are listed. The risk registers for all the departments are reviewed on a half yearly basis by the Enterprise Risk Management (ERM) Cell of the Investment Risk Management (INVR) Department.





25. DIVERSIFIED ACTIVITIES

SUBSIDIARIES DEPARTMENT

Subsidiaries Department was formed in April 2019, to liaison between the Corporation and its Subsidiaries and Associate Companies within India and to facilitate action on identified points of synergy between them.

Subsidiaries Department is working towards

- Creating a common vision among all the subsidiaries to realise the dream of making LIC a financial conglomerate.
- Working as a nodal point to co-ordinate, support and synergise with the Subsidiaries/Associate Companies.
- Providing support to higher management for analyzing data and reviewing the performance.
- · Creating awareness about each other's strengths to leverage them for Business growth.
- Functioning as a nodal department for requisition and collection of financial performance data to and from Subsidiaries /Associates for review, reference and future use.
- Ensuring that all regulatory requirements and compliances are met within timelines .
- Coordinating with Subsidiaries and Associates to ensure that their accounts are received on time to enable the Corporation to prepare consolidated accounts.

Life Insurance Corporation of India has the following Subsidiaries and Associate Companies operating in India:

Subsidiary Companies

- LIC Pension Fund Limited
- LIC Cards Services Limited

Associate Companies

- IDBI Bank Limited
- LIC Mutual Fund Trustee Private Ltd
- LIC Housing Finance Limited
- LIC Mutual Fund Asset Management Limited
- IDBI Bank Trusteeship Services Ltd.
- LICHFL Asset Management Company Limited

a) LIC HOUSING FINANCE LIMITED

LIC Housing Finance Limited was incorporated in June 19,1989 It has its Corporate Office in Mumbai with 9 Regional Offices, 24 Back Offices, 284 Marketing Offices and 1 Customer Service Point in the country. It also has representative office at Dubai. The Company's shares are listed on the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange and its Global Depository Shares (GDS) listed on the Luxembourg Stock Exchange. The Company is rated 'AAA Stable' by CRISIL & CARE. The Company's Fixed Deposit Program has been rated as 'FAAA Stable' by CRISIL indicating the highest degree of safety.

| | Growth for the year 2021-22 | CAGR - 5 years | |
|---|-----------------------------|----------------|--|
| Outstanding Loan as on 31.03.2022 - ₹ 2,51,120 crore | +8% | 11% | |
| Total Income for the year 2021-22 - ₹ 19,953.02 crore | +0.53% | 7% | |
| Net Profit for the year 2021-22 - ₹ 2,287.28 crore | -16% | 4% | |
| Net worth as on 31.03.2022 | 22,832.77 crore | | |
| Dividend declared | 425% | | |

b) LIC MUTUAL FUND ASSET MANAGEMENT LIMITED.

LIC Mutual Fund (the "Mutual Fund") has been constituted as a trust on 20.04.1989 in accordance with the provisions of the Indian Trusts Act with LIC of India as the Sponsor, the LIC Mutual Fund Trustee Private Ltd. as the Trustee and LIC Mutual Fund Asset Management Ltd as the Investment Manager to LIC Mutual Fund. The shareholders of LIC Mutual Fund Asset Management are LIC of India, LIC Housing Finance Ltd., GIC Housing Finance Ltd., and Union Bank of India.



As of 31st March 2022, LIC Mutual Fund was managing 26 schemes. During the year 2021-22, the AMC has mobilized gross sales of ₹89,485 Crores from all live schemes. The total number of investors as on 31.03.2022 stood at 5,49,971. Average Assets under Management (AAUM) was ₹18,252 Crores for the last quarter of 2021-22 and it ranked 22nd in terms of AAUM amongst Mutual Fund Industry.

With a network of 181 Investor service centers, 30 Area Offices and 152 Sales Team member, LIC MF is present in more than 200 locations spread over length and breadth of the country. LIC MF has one of the widest distribution networks comprising Mutual Fund Distributers, National Distributors, Wealth Management Firms, Banks, and Key Business Partners.

LIC MF has an innovative product feature called "APPS" (Auto Premium Payment System) whereby the customers can invest their money in liquid or short term schemes and their LIC premium is paid from the Mutual Fund account. This is an unique feature offered only by LIC MF in the industry. Similarly, LIC Mutual Fund is among the 1st Mutual Fund to offer Exchange Traded Fund in debt space with LIC MF GSEC Long Term ETF. The product allows retail investors to invest in GSECs with a very small ticket size at a very competitive cost.

During the year 2021-22, LIC MF launched a new scheme i.e. LIC MF Balanced Advantage Fund (LICMF BAF) a dynamic asset allocation product which was well received by the market.

Schemes of LIC MF have been consistently performing well and the performance of LIC MF Schemes have been well covered by Rating Agencies.

c) LIC PENSION FUND LIMITED.

LIC Pension Fund Ltd. has been promoted by LIC of India with a specific purpose of managing pension funds under National Pension System, regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) for employees of Central Govt. (excluding Defence Services) who have joined services w.e.f 1st January, 2004. For State Govt. employees, this scheme is applicable, as and when it is adopted by the respective State Govt.

LIC Pension Fund Ltd. is a pension fund management Company. LIC Pension Fund Ltd. manages five Government pattern schemes of National Pension System i.e. Central Govt. Scheme w.e.f 02.04.2008, State Govt. Scheme w.e.f 25.06.2009, NPS Lite (Govt. pattern) w.e.f 04.10.2010, Corporate CG Scheme (which was bifurcated from Central Government Scheme on 04.11.2012) and Atal Pension Yojana (APY) w.e.f 01.06.2015.

In 2013-14, LIC Pension Fund Ltd. was granted license to manage private sector pension funds. There are eight schemes under the private sector pension funds viz. E Tier-I, C Tier-I, G-Tier I, A-Tier I, E Tier-II, C Tier-II and Tax Saver Tier II (Tier-I Schemes are non-withdrawal pension schemes whereas under Tier-II Schemes withdrawals are permitted. In all, LIC Pension Fund Ltd. manages 13 Schemes under NPS.

During the year 2021-22, LIC Pension Fund Ltd received an amount of $\ref{33,493.23}$ crore under Thirteen Schemes. The total Assets under Management (AUM) was $\ref{1,63,389.50}$ crore as on 31st March 2021 which rose to $\ref{2,09,386.28}$ crore as on 31.03.2022. Of the above $\ref{2,02,025.50}$ crore are managed under five Government Pattern Schemes and $\ref{7,360.78}$ crore are managed under Eight Private Sector Schemes. The total income of LIC Pension Fund Ltd. increased to $\ref{98.13}$ crore in 2021-22 from $\ref{18.48}$ crore in the previous year due to increase in AUM and higher management fees. The Company has recorded a net profit of $\ref{46.32}$ crore for the year 2021-22.

The net asset value of schemes managed by LIC Pension Fund Ltd. as at 31.3.2022 was as under:

| Government Pattern | NAV | Rate of Return since inception (CAGR) |
|-----------------------|---------|---------------------------------------|
| i) Central Government | 36.3989 | 9.66% |
| ii) State Government | 32.3897 | 9.64% |
| iii) NPS Lite | 30.2792 | 10.12% |
| iv) Corporate CG | 23.9937 | 9.75% |
| v) Atal PensionYojana | 18.5570 | 9.48% |





| Private Sector | NAV | Rate of Return since inception (CAGR) |
|-------------------------|---------|---------------------------------------|
| i) E Tier-I | 28.9780 | 13.02% |
| ii) C Tier-I | 22.5008 | 9.78% |
| iii) G Tier-I | 23.6743 | 10.42% |
| iv) E Tier-II | 24.2270 | 10.79% |
| v) C Tier-II | 21.3980 | 9.21% |
| vi) G Tier-II | 24.0289 | 10.68% |
| vii) A Tier I | 15.0663 | 7.79% |
| viii) Tax Saver Tier II | 10.9396 | 5.68% |

Tax Benefits for NPS:

As the awareness about NPS increases, total AUM under NPS is expected to grow further in the future. The Central Govt. has permitted its employees to choose investment pattern and any Fund Manager (out of 7, Public & Private Fund Managers) for their incremental contributions to NPS w.e.f. 1.4.2019. This decision is expected to increase the competition among Pension Fund Managers to generate better risk adjusted returns.

d) LIC CARDS SERVICES LIMITED

LIC Cards Services Ltd., (LIC CSL) was incorporated on 11th November 2008 as a wholly owned subsidiary of LIC of India with paid up capital of ₹ 1 crore. LIC CSL is having its Corporate Office in Delhi.

Presently the Company has tie ups with Axis Bank and IDBI Bank for issuance of Credit Cards under Co-branded / White Label Agreement to Employees, Club Member Agents, Policyholders of LIC and its Subsidiaries/Associates and public at large. LIC CSL offers free Credit Cards with lots of attractive benefits embedded into it. The Cards are of "Chip-and-Pin" variant which ensures maximum security to the Card holders. LIC Credit Card offers a convenient and alternate mode of Premium Payment with Double Reward Points and Nil Convenience Fee. Some of the salient features of LIC Cards are as follows:

- 1. Life Time Free i.e. there is no Joining Fee, Annual Fee and Renewal Fee
- 2. Free Accidental Insurance
- Attractive Reward Points on every spend of ₹ 100/-
- 4. Double Reward Points on payment of LIC premium without charging any convenience fee.
- Airport Lounge facility on selected Airports for LIC CSL Signature Cards powered by Axis Bank and LIC CSL Eclat Cards powered by IDBI Bank on payment of token amount of ₹ 2/- only (Twice in each Quarter)
- 6. Interest Free Credit Period

LIC CSL is also co-branded partner with Axis Bank and IDBI for issuing Gift Cards to the Employees, Agents, Subsidiaries, Group Insurance Master Policyholders of LIC. LIC CSL is also co-branded partner with IDBI Bank for issuing Cash Cards (Suvidha). The Company has also entered into an Agreement with M/s Sodexo SVC India Pvt Ltd (SSVC) for issuing Meal Cards to employees of LIC and proposes to extend similar arrangements to other Public Sector Undertakings and Banks. Further, LIC CSL has tied up with Indian Oil Corporation Limited (IOCL) for offering reward points to the Cardholders of co-branded LIC CSL Credit Card powered by Axis Bank on purchase of fuel from the IOCL Outlets.

Presently LIC CSL has a network of 12 Area Offices at Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Chandigarh, Chennai, Delhi (Outside), Delhi (Local), Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Lucknow and Patna. 216 City Sales Managers, 381 Chief Cards Service Advisor and 19,442 Sales Representatives are engaged in providing Credit Card services to our customers.





As on 31.03.2022, the total Credit Card portfolio has increased to 4,07,957 from 3,47,787 as on 31.03.2021. During the year 2021-22, the Company has issued 60,170 Credit Cards. Total Income earned for the F.Y 2021-22 is $\stackrel{?}{\scriptstyle \sim}$ 18.19 crores and Net Profit before tax (unaudited) is $\stackrel{?}{\scriptstyle \sim}$ 3.47 lacs. The Company has surpassed the income budget on all counts by achieving 118.35 percent of budgeted income.

e) IDBI BANK LIMITED.

IDBI Bank is a full service universal bank with its Head Office in Mumbai, Maharashtra, India. Life Insurance Corporation of India (LIC) is the promoter of the Bank with a majority stake of 49.24% in the total shareholding as at March 31, 2022. The Government of India (GoI) is the co-promoter of the Bank, holding 45.48% stake in the total shareholding as at March 31, 2022. The non-promoter shareholding in the Bank is at 5.28%.

The Bank provides the entire gamut of financial and investment solutions to a wide range of customers, spanning Retail, Agriculture, MSMEs and Corporates, through its 1.886 branches (including one overseas branch in Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai, United Arab Emirates and one International Banking Unit (IBU) in Gujarat International Finance Tec-City (GIFT), Gandhinagar, Gujarat, India), 3,403 ATMs and 58 e-lounges. The Bank's personalized and innovative banking products & services include savings account, current account, term deposits, home loan, auto loan, education loan, personal loan, loan products for Agri & MSME clients, fund-based and non-fund based assistance to corporates. In line with its intended positioning as a one-stop solution for all financial needs of its customers, the Bank collaborates with its five subsidiaries, viz. (i) IDBI Capital Markets & Securities Ltd. (ICMS) - a Broking and Distribution company; (ii) IDBI Asset Management Ltd. (IAML) - the investment manager of schemes launched by IDBI Mutual Fund; (iii) IDBI MF Trustee Company Ltd. (IMTCL) - the Trustee of IDBI Mutual Fund; and (iv) IDBI Trusteeship Services Ltd. (ITSL) – a company to carry out trusteeship and other related business and (v) IDBI Intech Ltd. (IIL) – an IT company. The Bank also has a joint venture, viz. Ageas Federal Life Insurance Company Ltd. (Ageas Federal) (previously known as IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.), with Federal Bank Ltd. and Ageas Insurance International (Ageas) for carrying out life insurance business. Apart from this, the Bank has entered into agreement with various insurance companies and Asset Management Companies (AMCs) to offer life and general insurance products and mutual funds, respectively, to cater to the investment goals of its customers.

Major highlights of IDBI Bank's performance in FY 2021-22 are as under:

As on March 31, 2022, IDBI Bank's (standalone) balance sheet size was at ₹3,01,419 crore and had a total business of ₹3,78,906 crore. The Bank's key financial highlights are presented below:

| Business Highlights | | |
|-------------------------|----------------------|--|
| | (₹ In Crore) | |
| | As on March 31, 2022 | |
| Deposits | 2,33,134 | |
| - CASA Deposits | 1,32,359 | |
| - CASA Share (%) | 56.77%, | |
| Advances (Gross)* | 1,78,207 | |
| - Corporate | 62,368 | |
| - Retail | 1,06,839 | |
| Corporate : Retail (%)# | 37:63 | |

- *- Includes RBI Term Reverse Repo>14 days of ₹ 9,000 crore as on March 31, 2022.
- # The ratio has been calculated after excluding RBI Term Reverse Repo>14 days of ₹ 9,000 crore as on March 31, 2022 from Gross Advances.





| Profit & Loss | | |
|---|--------------|--|
| | (₹ In Crore) | |
| For the period | 2021-22 | |
| Total Income | 22,985 | |
| - Interest Income | 18,295 | |
| - Other Income | 4,690 | |
| Total Expenses (excl. provisions & contingencies) | 15,490 | |
| - Interest Expenses | 9,133 | |
| - Operating Expenses | 6,357 | |
| Net Interest Income | 9,162 | |
| Operating Profit | 7,495 | |
| Provisions & Contingencies | 3,887 | |
| Tax | 1,169 | |
| Profit/ (Loss) After Tax | 2,439 | |

| Capital Ratios | |
|----------------|----------------------|
| | As on March 31, 2022 |
| CRAR | 19.06% |
| Tier 1 Ratio | 16.68% |

IDBI-LIC Synergies during FY 2021-22:

Subsequent to the Life Insurance Corporation of India (LIC) acquiring majority stake and becoming a promoter of the Bank in January 2019, IDBI Bank has been acting as a Corporate Agent of the LIC under the bancassurance channel. The Bank facilitates distribution of LIC's insurance products as well as premium collection through various channels such as branches, ATMs, mobile banking and internet banking. In FY 2021-22, the Bank has processed 2.16 lakh transactions of renewal premium collection and collected insurance premium amounting to Rs. 507 crore on behalf of the LIC. The Bank is the highest contributor in LIC's bancassurance business contributing 59% of the latter's total business from the channel. The Bank also caters to the collection/ payments related requirements of various offices of the LIC.

Going forward, both the entities are likely to continue capitalising on their respective business strengths in order to derive multi-dimensional business growth and further enhance value for all concerned stakeholders.





DIRECTORS' REPORT

To, THE MEMBERS.

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA,

Your Directors are pleased to present the 65th Annual Report of Life Insurance Corporation of India ("the Corporation"/ "LICI"/"LIC"), together with the audited financial statements for the year ended March 31, 2022

1. SUMMARY OF FINANCIAL PERFORMANCE:

The summary of the financial performance of the Corporation for FY 2022 is presented below:

(₹ in crore)

| Particulars | FY 2021-22 | FY 2020-21 |
|---|-------------|-------------|
| New business Premium (Net of Reinsurance) | | |
| First Year Premium | 36,615.35 | 33,901.04 |
| Single Premium | 1,62,282.83 | 1,50,498.69 |
| Renewal Premium | 2,28,521.03 | 2,18,444.62 |
| Total Premium | 4,27,419.21 | 4,02,844.35 |
| Investment & Other income | 2,93,683.36 | 2,79,360.65 |
| Total Income | 7,21,102.57 | 6,82,205.00 |
| Profit after Tax (PAT) | 4,043.12 | 2,900.57 |

Other Key Parameters:

| Particulars | FY 2021-22 | FY 2020-21 |
|--|--------------|--------------|
| Corporation's Annual Premium Equivalent (APE) (₹ in crore) | 50,390.00 | 42,170.00 |
| Assets under Management | 40,84,600.65 | 36,76,178.77 |
| Embedded Value (₹ in crore) | 5,41,492.00 | 95,605.00 |
| Solvency Margin | 1.85 | 1.76 |

2. HIGHLIGHTS OF FINANCIAL PERFORMANCE AND STATE OF AFFAIRS OF THE CORPORATION:

The Corporation witnessed a growth and consistent performance in FY 2022. The key financial parameters of the Corporation are as follows:

- > Total Premium Income has increased by 6.10% from ₹4,02,844.35 Crore in FY 2021 to ₹4,27,419.21 Crore in FY 2022.
- Income from Investment & Other Income has increased by 5.13% from ₹2,79,360.65 Crore in FY 2021 to ₹2,93,683.36 Crore in FY 2022.
- Total Income has increased by 5.70% from ₹ 6,82,205.00 Crore in FY 2021 to ₹ 7,21,102.57 Crore in FY 2022.
- Net retention ratio for the FY 2022 is 99.86%
- > Solvency ratio is 1.85 for the FY 2022
- Gross NPA has reduced by 22.89% from ₹ 35,129.89 Crore in FY 2021 to ₹ 27,087.11 Crore in FY 2022.
- > Net NPA has decreased by 9.80% from ₹ 194.92 Crore in FY 2021 to ₹ 175.81 Crore in FY 2022.
- Basic & Diluted EPS for the FY 2022 is ₹ 6.39

3. INDUSTRY AND CORPORATION OUTLOOK

The COVID-19 pandemic, combined with the geopolitical tension caused by the Russia-Ukraine war has put forth real time challenges before the countries all over the world. Inflation rose sharply across advanced economies (AEs) and emerging market and developing economies (EMDEs) during 2021, reflecting pandemic related supply and logistics disruptions, a rebound in global commodity prices and a release of pent-up demand. Further in early 2022, as a result of intensified geopolitical risks, the global supply chain disruptions and its spillovers affected the global outlook, with Fitch Ratings cutting its world GDP growth forecast for 2022 to 3.5% and world growth in 2023 to 2.8%.





In India, unlike in the first wave, the economic impact of the second wave of the pandemic was contained due to the localised nature of lockdowns and better adherence to pandemic protocols. During 2021-22 the calibrated monetary and fiscal policy support to aggregate demand and structural reforms, both by the Government of India and the RBI, helped shore up confidence and boost consumption spending amongst people. However as a result of the Russia's invasion of Ukraine, rising global oil prices and commodity prices largely contributed to the increase in inflation and a widening in the current account deficit. As per the provisional estimates released by the National Statistical Office (NSO), the Indian economy has registered a real GDP growth of 8.7 per cent in 2021-22, up from a contraction of 6.6 per cent in the previous year. In view of the tightening of the United States federal funds and elevated oil prices, the industry is expecting the RBI to hike the policy rates while maintaining an accommodative monetary policy.

The life Insurance Industry has demonstrated resilience in adapting to the post pandemic situation. While the global insurance market in terms of life premium volume grew by 3.8% in 2020 with premium collection of USD 4, 89,307 million, the Indian life Insurance industry witnessed a growth of 12.93% Y-o-Y in terms of First Year Premium with $\frac{3}{2}$, 14,263 crore as on 31.03.2022. Over the past two years, the Industry has undergone a paradigm shift in the usage of modernised technology to offer better and more personalized digital services to its customers.

While the Indian life Insurance penetration has increased in India to 3.2% (closer to the global 3.3%) in 2020, there is an urgent need to increase the life insurance penetration in the country. Both the Government of India and the Indian Insurance Regulator have taken numerous steps in this direction for creating awareness about the importance of life insurance amongst the people and have introduced various initiatives for enhancing the quality of services being offered to the customers.

The Corporation strategy focuses on the following:

- After COVID-19, there has been a considerable change in the needs and expectations of the customer. Designing
 technology that offers options to the customers to compare and choose products suitable to their needs, would aid
 in enhancing the real-time experience of our customers. This in turn would foster greater engagement as well as
 retention of the customers in the long run.
- 2. Raising the sales capabilities in every channel and bolstering the profitability of the Organisation in terms of better sales, service and product mix strategies.
- 3. For a sustained growth and to remain the dominant market leader, developing a solid customer base by leveraging the use of data analytics, etc. both for sales / service.
- 4. There is an increased thrust on the Risk Management as well as Cyber Security with the advent of technology in all the operational spheres of the work.

4. COVID - 19:

The COVID-19 is an ongoing global pandemic as declared by World Health Organization on March 11, 2020. Its spread across the globe including India has resulted in significant impact on global and India's economic environment. The Corporation since the onset of pandemic has experienced increase in death claims including claims arising due to COVID 19 pandemic. Accordingly, the additional death strain on account of COVID 19 pandemic and its impact on the policy liabilities and solvency is closely monitored and considered in reserving. Available information in public domain does not conclusively suggest need for any long term change in the expected future mortality experience on account of COVID 19. It is however, considered prudent that a separate reserve is kept as COVID-19 reserve without need for changing long term mortality assumptions. Considering the national statistics as available from Government of India statistical sources on Indian Population, duly adjusted and applied on the Corporation's data and experience and after adding margin for prudence, a separate reserve for COVID 19 related deaths has been estimated and provided for under both individual and group insurance lines of businesses.

This COVID 19 reserve is in addition to the long term mortality reserve provided each year while determining and providing for the policy liabilities. The COVID reserve as at 31st March 2022 is ₹ 7420 crores.

5. DIVIDEND AND RESERVES:

The Board of Directors of the Corporation has recommended a final dividend of \mathfrak{T} 1.50 per equity share of the face value of \mathfrak{T} 10/- each, subject to approval of the members of the Corporation in Annual General Meeting. This translates into a dividend pay-out ratio of 15%.



The Corporation has formulated a 'Dividend Distribution Policy', which has been approved by the Board of Directors. In terms of Regulation 43A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations') the 'Dividend Distribution Policy' is hosted on the website of the Corporation at https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Dividend-distribution-policy.pdf.aspx

The Corporation has carried forward $\stackrel{?}{\stackrel{\checkmark}}$ 4,01,726.72 lakhs (Life business $\stackrel{?}{\stackrel{\checkmark}}$ 4,01,433.30 lakhs and CRAC business $\stackrel{?}{\stackrel{\checkmark}}$ 293.42 Lakhs) to its Reserves & Surplus, and had accumulated balance of $\stackrel{?}{\stackrel{\checkmark}}$ 4,01,72 6.72 lakh (Life business $\stackrel{?}{\stackrel{\checkmark}}$ 4,01,433.30 lakhs and CRAC business $\stackrel{?}{\stackrel{\checkmark}}$ 293.42 Lakhs) as at March 31, 2022.

6. CAPITAL AND SHAREHOLDING:

The Authorised Share Capital of the Corporation is ₹25,000 crore divided into 2,500 crore shares of ₹10/- each.

During the year, the Corporation has allotted 6,324,997,701 equity shares to President of India which includes 6,224,997,701 Bonus shares.

The issued, subscribed and paid-up equity share capital of the Corporation as at March 31, 2022 is $\stackrel{?}{\stackrel{\checkmark}}$ 63,249,977,010 comprising of 6,324,997,701 equity shares of the face value of $\stackrel{?}{\stackrel{\checkmark}}$ 10/- each.

7. AWARDS & RECOGNITIONS:

The Corporation has received various awards and accolades during the year under review in areas of Customer Service, Claim Service, technology, digital marketing including the awards for most trusted brand in insurance, etc. Some of the key ones are listed below:

- Reader's Digest Trusted Brand Category Insurance (Life)
- National Awards for Excellence in BFSI in three categories namely Insurance Company of the Year, Digital Marketing
 Digital Advertising Award and Claim Service Leader
- FICCI Insurance Industry Award in two categories-Special Jury Award and Best Insurance Campaign –Life Category
- World BFSI Congress & Awards in 5 categories namely-Insurance Company of the year, Customer Service Excellence Award, Excellence in Claim Service, Technology Initiative of the Year 'Jeevan Sakshya' and Operations excellence Initiative of the year 'ANANDA'

Also Corporation was recognized as the 3rd strongest brand and 10th Most Valuable Brand amongst Global Insurance Brands 2021 by Asia Insurance Post based on their Brand Finance Report 2021.

8. PRODUCTS:

LIC offers a wide variety of products, which fulfill the needs of different customer segments of the society.

During the financial year 2021-22 the Corporation introduced five new products including four Individual Products viz. LIC's Saral Jeevan Bima, LIC's Saral Pension, LIC's Arogya Rakshak, LIC's Dhan Rekha and one Group Product viz. LIC's Group Assurance Plan.

In addition, the Corporation also introduced modified versions of eight products including six Individual Products LIC's Bima Jyoti, LIC's Jeevan Akshay VII, LIC's New Jeevan Shanti, LIC's Saral Pension, LIC's Bhagya Lakshmi, LIC's New Jeevan Mangal and two Group Products, viz., LIC's New One Year Renewable Group Term Assurance Plan I and LIC's New One Year Renewable Group Term Assurance Plan II.

As at the end of the financial year 2021-22, the Corporation had 33 Individual Products, 16 Group Products and 7 Individual Riders available for sale.





9. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT:

(A) Policy Servicing

Servicing of policies is one of the most important aspects in the life insurance value chain, especially due to the nature of long term contract. LIC has made most of the services available as close to the customer as possible as part of our 'Anywhere Service' initiative.

The Corporation has Grievance Redressal Officers at Branch/ Divisional/ Zonal/ Central Office to redress grievances of customers. IT enabled support system is operationalized to reduce manual interventions and minimize grievances. For ensuring quick redressal of customer grievances, the Corporation has in place Customer friendly online system-'Integrated Complaint Management System' (ICMS) through 'LIC's e-services' available on our website: www.licindia.in, where a registered policyholder can directly register complaint and track its status. Customers can also contact at e-mail id co_complaints@licindia.com for redressal of any grievances.

Also LIC has a centralized call center through which all customers can reach out for any kind of services 24X7. This is equipped with eight regional languages in addition to English and Hindi.

(B) Claims Related Performance

Settlement of Claims:

During the year, the Corporation has settled 272.19 lakh claims for $\ref{2}$, 38, 681.36 Crore (Including Micro Insurance and Pension & Group Schemes) and the 100% claims payments were made by NEFT. The figures in respect of settlement of claims for the last three years are given below:

| | Maturity Claims Settled | | | Death Claims Settled | | |
|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Year | No. (in Lakhs) | Amount (₹ Crs.) | Percentage paid (in number) | No. (in Lakhs) | Amount (₹ Crs.) | Percentage paid (in number) |
| 2019-20 | 206.66 | 1,42,350.76 | 87.66 | 9.32 | 17,419.57 | 95.44 |
| 2020-21 | 222.76 | 1,61,031.20 | 89.83 | 11.47 | 24,195.01 | 98.27 |
| 2021-22 | 256.47 | 2,02,083.84 | 91.09 | 15.72 | 36,597.52 | 98.50 |

Annuity Payments

LIC has over 60 lakh annuitants receiving annuity out of Individual Pension Policies and Group schemes. For annuity payment related services Individual Pension Plan (IPP) Cells have been set up at eleven centres across India and annuity payments are made direct to the Bank account of the annuitants through NEFT/ECS.

Claims Dispute Redressal Committee

The Corporation settles a large number of death claims every year and in case of fraudulent suppression of material information the claim is repudiated. The Claimant is given an opportunity to make a representation for consideration before the Claims Dispute Redressal Committees which are formed at Zonal Office and the Central Office level.

10. INFORMATION TECHNOLOGY:

Technology is the key differentiator in today's era. Technological innovation in the insurance sector has led to immeasurable efficiency gains in LIC's day to day operations. Information Technology – Software Development (IT SD) vertical of the Corporation is working towards imbibing new initiatives, upgrading digital capabilities and automating LIC's processes. LIC's online portals, mobile applications for customers and agents have been enhanced with innumerable features to facilitate online services in terms of service request submissions and digital transactions.

Several major initiatives have been undertaken recently by the Corporation like implementation of e-Governance portal digitizing the day to day working, state-of-the-art hardware for the core business solution, range of online services from new policy purchase to availing various services during the course of the policy term, timely data analytics for decision making, etc. The Corporation has also launched customised mobile Applications for our customers, intermediaries and supervisory officials, for on boarding of customers, Agents' performance monitoring, Performance Review for Line Managers, Pre-recruitment App for agents, Artificial Intelligence (AI) Powered App for submission of Existence Certificate for availing annuities. Apart from these, Corporation could also enable seamless integration with outside platforms like UMANG, Digilocker, etc., for the benefit of our customers.



Corporation is also planning many additional initiatives for supporting the different stakeholders ranging from internal users, intermediaries to the prospective customers. Thus, technology would act as a key enabler for the Corporation resulting in efficiency, security and transparency thereby achieving the Digital India mission.

11. PERSISTENCY:

Premium Business by Premium for 2021-22 is 76% as against 79% for 2020-21 and the 61^{st} month persistency of the same is 61% for 2021-22 as against 59% for 2020-21.

The 13th month persistency of Individual Regular Premium Business by number of policies for 2021-22 is 63% as against 67% for 2020-21 and the 61st month persistency of the same is 50% for 2021-22 as against 48% for 2020-21.

12. HUMAN RESOURCE:

As on March 31, 2022, the Corporation has a total of 1,04,036 employees on roll which includes 24,094 female employees (constitutes more than 23% of total employees). The details are as under:

| | Male | Female | Total |
|---------|--------|--------|----------|
| CLASS-1 | 23,883 | 7,191 | 31,074 |
| CLASS-2 | 19,369 | 1,191 | 20,560 |
| CLASS-3 | 35,256 | 15,318 | 50,574 |
| CLASS-4 | 1,434 | 394 | 1,828 |
| Total | 79,942 | 24,094 | 1,04,036 |

13. PREVENTION OF SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT THE WORKPLACE:

In accordance with the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention Prohibition and Redressal) Act 2013, the Corporation has initiated various steps to improve the status of women and worked for their economic empowerment. At every stage in the Corporation, women officers/employees have contributed significantly. In the Corporation, Committees for prevention of sexual harassment at workplace are functioning effectively at Central Office, Zonal Office and Divisional Office level.

THE SUMMARY OF CASES AS AT MARCH 31, 2022 ARE AS UNDER:

| o of cases pending the end of previous Financial Year | No of cases received during the year | Total cases | Cases disposed off during the year | No of pending cases as on 31.03.2022 |
|---|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---|
| 03 | 06 | 09 | 05 | 04 |

14. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT:

LIC has robust Enterprise Risk Management framework to conduct business in an orderly fashion taking into account the risks faced by the Corporation and controlling its business effectively with defined responsibilities and adequate risk management procedures. Board has delegated the responsibility relating to Risk Management to Risk Management Committee of the Board (RMCB). The ERM framework has robust and efficient mechanism for the identification, assessing, mitigation and monitoring the risks. RMCB reviews Enterprise Risk Management activities executed across the organization on quarterly basis.

Key Risk Management Tools are Risk Appetite Statements, Risk Registers, Incident Management Framework & Operational Loss database, Top Risks and Key Risk Indicators. The mitigation strategy with respect to various risks as covered under the current Enterprise Risk Management framework is: Market Risk, Liquidity Risk, Credit risk, Insurance Risk, and Operational Risk.

15. INSPECTION:

The exercise of Inspection is a pre-emptive measure against systemic lapses. All the units of the Corporation including Central Office were physically inspected during 2021-22 despite the Pandemic.

Keeping with the practice of improving our systems and procedures, with the use of Information Technology, the Remote Inspection Package was developed in FY 2021-22 as a part of Business Continuity Plan.

A list of persisting Major Irregularities was shared at Corporate Office level for necessary systemic improvement.





16. INTERNAL AUDIT AND COMPLIANCE FRAMEWORK:

The Internal Audit functions of the Corporation are overseen by the Internal Audit Department at the Central Office (CO). There are twelve Audit Centers which conduct the audit. The CO Audit Department besides monitoring the operations of the Audit Centers, arranges for the audit of various Departments of the Central Office.

Audit is carried out in all the Units based on Department-wise Questionnaires developed for this purpose in respect of each tier of office viz. Branch. Division. Zone and Central Office.

The Auditee units furnish their compliance to the queries raised in the Audit Reports through their Controlling Office for consideration of the Audit Department. The entire process of publication of Audit Reports, the posting of compliances to the queries raised and closure thereof, is done through the Audit portal.

Any irregularity of serious nature like failure of control system, regulatory matter, etc. is brought to the notice of the CO Head of the Department (HOD) by way of special reports.

Also, cases of financial irregularity or suspected fraud having vigilance angle are immediately informed to the Vigilance Department.

Further, as per our fraud monitoring framework the fraud reported for value of more than Rs. one crore is placed to the Risk Management Committee through the Central Fraud Monitoring Committee

Each Auditee Unit is audited every year keeping in view the periodicity, Mandays allocation, sampling and reporting. The deviations or weaknesses noticed during the audit are brought to the notice of concerned CO HOD by way of special reports and periodical discussions.

A summary of the reports of the auditors is placed before the Audit Committee after the close of the financial year.

17. INTERNAL FINANCIAL CONTROLS:

The Corporation's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. The Corporation's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflects the transactions and dispositions of the assets of the Corporation, (2) provides reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Corporation are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Corporation, and (3) provides reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Corporation's assets that could have a material effect on the financial statements.

18. RELATED PARTY TRANSACTIONS:

LIC of India has provided e-life package (software) to LIC International BSC (c), LIC of Bangladesh Ltd, LIC (Nepal) Ltd., LIC (Lanka) Ltd., LIC (Singapore) Pte. Ltd. and Kenindia Assurance Company Ltd., wherein LICI's share in Capital is 99.66%, 83.33%, 55%, 80%, 100% and 10.21% respectively. LICI has contracts with these entities for providing maintenance services in respect of e-life package against consideration of a technical fee (Annual Maintenance Charges) as mentioned in respective contracts/agreements. The transactions completed in FY 2021-22 have been approved by Audit Committee. The amendments in LIC Act 1956 came into effect from June 30, 2021 and the provisions of Listing Regulations were

The amendments in LIC Act 1956 came into effect from June 30, 2021 and the provisions of Listing Regulations were not applicable on the Corporation as on March 31, 2022. However, in terms of Section 4(C) of the LIC Act, 1956 read with Regulation 23 of Listing Regulations, a Board approved policy on Related Party Transactions is in place and is disclosed on the website at https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Revised-RPT-Policy-01062022.pdf.aspx

The details of related party transaction during the FY 2021 - 22 are available at page no. 423 of the Annual Report.

19 IND AS IMPLEMENTATION

As per the initial roadmap given by Ministry of Corporate Affairs (MCA), insurance companies were required to implement Ind AS from April 2018. Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI) deferred the implementation of Ind AS since International Accounting Standard Board (IASB) had taken a considered view to amend IFRS 17. The IASB has amended IFRS 17 and made it effective from annual reporting periods beginning on or after 1st January 2023. Exposure Draft of amendments to Ind AS 117 (Insurance Contracts), consistent with IFRS 17 was issued by the Accounting Standard Board (ASB) of ICAI on 24th December, 2020. On finalization, Ind AS 117 will be notified by MCA.



Core teams to ascertain and evaluate the requirements of new Accounting Standards, for implementation of Ind AS are formed in concerned departments. An integral Actuarial software system "prophet" capable of performing actuarial calculations required under IFRS 17 (Ind AS 117) was purchased in March 2021. All the products have been integrated into prophet software system required for valuation as at 31st March, 2022.

Corporation awaits guidelines from IRDAI and other professional bodies on implementation of these standards. Appropriate changes in the system and processes will be carried out once these guidelines are in place.

20. BOARD OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL:

As on date of this report, the Corporation's Board comprises of fifteen (15) Directors viz., One (1) Non-Executive Director, Nine (9) Independent Directors and five (5) Executive Directors including Whole Time Chairperson and four Managing Directors. The 'Director's Policy' is hosted on the website of the Corporation at https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy.pdf.aspx

A) Changes in Board Composition:

Changes in the Board Composition during FY 2021-22 along with the proposed changes, are furnished in the Corporate Governance Report annexed to this report.

B) Key Managerial Personnel (KMP's) and changes, if any

In terms of the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI, the following senior management employees of the Corporation were holding positions of KMPs as on March 31, 2022:

| S. No. | Name of KMP | Designation |
|-----------|-----------------------|--|
| 1 | Shri D.P. Mohanty | Executive Director (Audit) & Chief Internal Auditor |
| 2 | Shri Tablesh Pandey | Executive Director (Investment RMR) & Chief Risk Officer |
| 3 | Shri A.K. Anand | Executive Director (Investment Operations) & Chief Investment Officer |
| 4 | Shri P. Muraleedharan | Executive Director (Marketing/PD) & Chief Marketing Officer |
| 5 | Smt. S.S. Soman | Executive Director (F&A) & Chief Finance Officer |
| 6 | Shri D.P. Pattanaik | Chief (In-Charge) (Corp.Gov./GJF/Reg.Comp.) & Chief Compliance Officer |
| 7 | Shri Dinesh Pant | Appointed Actuary & Chief (In-Charge) (Actuarial) |
| 8 | Shri Pawan Agrawal | Company Secretary & Compliance Officer |

Performance Evaluation of the Board and its Committees:

In terms of Section 19B of the LIC Act, 1956, Nomination & Remuneration Committee will carry out the evaluation of performance of Directors appointed under section 4(2) (f) and (g) of the LIC Act 1956. In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the evaluation of Independent Directors shall be done by entire Board. Further, in terms of Regulations 25 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Independent Directors shall review the performance of non-Independent Directors, Chairperson and the Board of Directors as a whole. Since, majority of Independent Directors were appointed on the Board only on January 29, 2022 and have completed the tenure of only two months and 2 days in the FY 2021-22, the performance evaluation of Independent Directors and other Directors by Independent Directors for FY 2021-22 was not possible.

'Fit and Proper' criteria:

All the Directors of the Corporation have confirmed compliance with the 'fit and proper' criteria on the format prescribed under the Director's Policy approved by the Board.

Directors & Officers Liability Insurance:

As per Regulation 25 (10) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosures Requirement) Regulations 2015 requiring the Companies to take Directors and Officers Liability Insurance (D&O) for all its Independent Directors, the Corporation has taken D&O Insurance for all its Directors and Members of the Senior Management Team for such quantum and risks as determined by the Board.





Succession Planning:

In terms of the Board approved policy on succession planning, the Nomination & Remuneration Committee of the Board oversees matters related to succession planning of KMPs, Senior Management and other key executives of the Corporation. Nomination & Remuneration Committee also recommends the appointment of Independent Directors to fill such vacancies on the Board

Meetings of the Board and its Committees, attendance and constitution of various Committees:

The details of meetings of the Board and Committees of the Board held during the year, attendance of Directors and constitution of various Committees of the Board, forms part of the Corporate Governance Report, which is annexed to this report.

Remuneration Policy:

Pursuant to the provisions of Section 19C of LIC Act, 1956, the Board has approved the remuneration policy as recommended by the Nomination & Remuneration Committee of the Board. The Policy is placed on the website of the Corporation at https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy.pdf.aspx

Further, details about remuneration to Directors including Whole-time Directors are provided under report on Corporate Governance, which is annexed and forms part of this report.

Secretarial Standards:

The Corporation is obliged to comply with Secretarial Standards on Meetings of the Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) in terms of provisions contained under Life Insurance Corporation of India General Rules, 1956.

21. CORPORATE GOVERNANCE:

The Corporation considers its stakeholders as partners in success, and remains committed to delivering value to stakeholders. The Corporation believes that a sound corporate governance mechanism is critical to retain and enhance stakeholders' trust. It is committed to exercise overall responsibilities rigorously and diligently throughout the organisation, managing its affairs in a manner consistent with corporate governance requirements and expectations.

The Corporation conducts its business while adhering to various corporate governance practices to help ensure that there is operational transparency, information sharing, accountability and continuous dialogue with all our stakeholders. The Corporation has standard operating procedures or manuals in place that detail procedures to be followed for each function. The Corporation has several Board sub-committees that overlook Corporation's corporate governance and enhance brand equity, strengthen the stakes of Shareholders and maintain a healthy working environment within the organisation. The Corporate Governance report is annexed to this report.

22. GOLDEN JUBILEE FOUNDATION:

LIC Golden Jubilee Foundation was established in the year 2006 as a part of LIC's Community Service initiatives. The objectives of the Foundation are Relief of Poverty or Distress, Advancement of Education, Medical Relief and Advancement of any other object of General Public Utility. As on 31.03.2022, LIC has provided a corpus of ₹ 260 Crore to the Foundation and the interest earned is utilised for funding various projects for charitable purposes. Since inception, the Foundation has supported NGOs located across the country and dedicated to the above objectives through 646 projects amounting to ₹ 127 Crores. During 2021-22 the Foundation has sanctioned ₹ 18.31 Crore for 57 projects. The Foundation has reached out to many deprived sections of society through infrastructural support provided in the above areas. LIC Golden Jubilee scholarship Scheme provides scholarship to children from economically weaker sections of the society, amounting to ₹ 20,000/- p.a for regular students for pursuing higher education and ₹ 10,000/- p.a to special girl child for pursuing 10 + 2 education. During 2021-22, scholarship of ₹ 7.60 crore was disbursed. Since inception, LICGJF has disbursed scholarship for ₹ 49 crore to 22,586 students.

23. PARTICULARS OF INVESTMENT IN TERMS OF SECTION 27A OF INSURANCE ACT, 1938:

Pursuant to the provisions of Section 27A of the Insurance Act, 1938, the investments as at March 31, 2022 are mentioned in Table No. 6 and the investments in infrastructure and social sector for the year 2021-2022 are mentioned in Table No. 7 at page no. 301-302 of the Annual Report.





24. SUBSIDIARY, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES:

Indian Operations:

| S. | | |
|-----|---------------------------------------|---|
| NO. | Name of the Company | Brief Detail |
| 1 | LIC Cards Services Ltd. | LIC Cards Services Ltd., (LIC CSL) is a wholly owned subsidiary of LIC. As at 31 st March 2022, the total Credit Card portfolio has increased to 4,07,957 reflecting a growth of 17.30% over last year. The Total Income for F.Y. 2021-22 is ₹ 18.19 crore while Net Profit after tax is ₹ 2.60 crore. |
| 2 | LIC Pension Fund Ltd. | LIC Pension Fund Ltd is a wholly owned subsidiary of LIC, and is one of the three Companies appointed as pension fund sponsor to manage Government pattern schemes of NPS viz Central Govt Scheme, State Govt Scheme, NPS Lite Scheme, Corporate CG and Atal Pension Scheme. Besides, LIC Pension Fund Ltd manages 8 schemes under Private Sector Pension Funds. |
| | | As at 31^{st} March 2022, the total Assets under Management (AUM) rose to $\stackrel{?}{\stackrel{?}{\stackrel{?}{\stackrel{?}{\stackrel{?}{\stackrel{?}{\stackrel{?}{\stackrel{?}$ |
| 3 | LIC Mutual Fund Trustee Pvt Ltd | LIC Mutual Fund Trustee Private Ltd. is an Associate of LIC, jointly promoted by LIC of India-49%, LIC HFL-35.3% and GIC HFL-15.7%. LIC MF Trustee has posted profit after tax of ₹ 4.63 lakhs for FY 2021-22. |
| 4 | LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. | The Company is an Associate with LIC having a stake of 45%; LIC HFL – 39.30%; GIC HFL- 11.70%; and Union Bank of India -4%. |
| | | As at 31 st March 2022, LIC Mutual Fund Asset Management Ltd has 5,49,971 investors and with AUM of $\stackrel{?}{\scriptstyle \leftarrow}$ 18,682 crore as at 31 st March 2022. The company reported a profit after tax of $\stackrel{?}{\scriptstyle \leftarrow}$ 1.83 crore. |
| 5 | LIC Housing Finance Limited | LIC HFL is an Associate company with LIC currently holding a 45.24% stake. |
| | | As at 31 st March 2022, the Company's loan book stood at ₹ 2,51,120 crore showing an increase of 8.24%. The Capital Adequacy ratio stood at 16.95% of which Tier I capital was 15.63%.LIC HFL reported a profit after tax of ₹ 2287.28 crore. |
| 6 | LIC HFL Asset Management Company Ltd | LIC HFL AMC Ltd. is an Associate of LIC, jointly owned by LIC with 5.38% stake and LIC HFL having 94.62%. The Company presently manages three funds (i) LICHFL Urban Development Fund (ii) LICHFL Housing & Infrastructure Fund (iii) LICHFL Real Estate Debt Opportunities Fund-I. The profit after tax of LIC HFL AMC stood at ₹ 6.59 crore during FY 2021-22. |
| 7 | IDBI Bank | IDBI Bank is an Associate Company and also the leading Bancassurance partner. As at 31st March 2022, Advances of IDBI Bank Ltd. stood at ₹ 1,45,772 crore and total Deposits were ₹ 2,33,134 crore. The Bank reported a profit after tax of ₹ 2439 crore as against ₹ 1359 crore in the previous year, showing an increase of 79%. The Capital Adequacy Ratio stood at 19.06% of which Tier I capital was 16.68%. |
| 8 | IDBI Trusteeship Services Ltd (ITSL) | ITSL is an Associate of LIC, jointly promoted by IDBI Bank Ltd- 54.70%, LIC of India-29.84%, GIC of India-14.92% and Others 0.54%. It is a SEBI registered intermediary engaged in trusteeship services mostly to corporates. The Company posted a profit after tax of ₹ 51.66 crore during the financial year ended March 2022 as against ₹ 40.09 crore for the financial year ended March 2021. |

Overseas Operations:

 $LIC\ of\ India\ has\ overseas\ presence\ through\ its\ Branches,\ Subsidiaries\ and\ equity\ participation\ as\ shown\ below:$

Branches:

(1) London (UK); (2) Suva (Fiji); and (3) Port Louis (Mauritius).

Foreign Subsidiaries:

- (1) LIC (International) BSC (c), Bahrain,
- (2) LIC (Nepal) Ltd,
- (3) LIC (Lanka) Ltd and
- (4) LIC of Bangladesh Ltd.





Wholly Owned Subsidiary: LIC (Singapore) Pte Ltd

Presence through equity participation:

- (1) Kenindia Assurance Company Ltd
- (2) Saudi Indian Company for Co-operative Insurance.

The brief description of the subsidiaries/Joint Venture/Wholly Owned Subsidiaries are provided at page no 174 & 198 of the Annual Report.

Pursuant to the provisions of Listing Regulations, the Board has approved the policy for determining the materiality of subsidiaries within India and outside India. The Policies are placed on the website of the Corporation are as under:

| Within India | https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Policy-for-determining-Material-Subsidiaries-in-India.pdf.aspx |
|---------------|--|
| Outside India | https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Policy-on-Material-Subsidiaries-outside-India.pdf.aspx |

25. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:

In accordance with Section 24B of the LIC Act, 1956 and SEBI Listing Regulations, Consolidated Financial Statements of the Corporation consisting subsidiaries viz., LIC Pension Fund Limited, LIC Cards Services Limited, LIC Singapore Pte Ltd., LIC (International) B.S.C. (C) Bahrain, LIC (Nepal) Ltd., LIC (Lanka) Ltd. and LIC Bangladesh Ltd. have been prepared in accordance with the applicable Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI") and forms part of Annual report.

26. RURAL AND SOCIAL SECTOR OBLIGATIONS:

As per the regulatory requirements, the Corporation has met its Rural and Social Sector obligations for FY 2022. As against the minimum requirement of 20%, the Corporation has issued 20.73% policies in the rural sector which affirms the Corporation's approach towards life insurance inclusion. Further, 60,45,424 new lives covered (11.51% of total new lives covered in preceding year) by the Corporation are from the underprivileged social sector as against the regulatory requirement of at least 5% of total lives covered in preceding year. Consequently, the Corporation has met the minimum social and rural regulatory norms laid down by the IRDAI.

27. MANAGEMENT REPORT:

Pursuant to the provisions of Regulation 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations 2002, the Management Report is placed separately and forms part of the Annual Report.

28. STATUTORY AUDITORS:

Pursuant to Section 25 of the LIC Act, 1956, the Ministry of Finance has appointed the Statutory Auditors of the Corporation for the FY 2022, as recommended by the Audit Committee and the Board. The details of the Statutory Auditors are annexed at page no. 305 of the Annual Report.

Statutory Audit and other fees paid to Joint Statutory Auditors for FY 2022 as below:

| Particulars | Amount (₹ In Crore) | | | | | |
|----------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| Joint Statutory Audit Fees | 2.34 | | | | | |
| Other Certification Fees | 0.09 | | | | | |

29. STATUTORY AUDITORS' REPORT:

The Statutory Auditors' Report (including annexure thereof) to the Members does not contain any qualification, reservation, adverse remark, or disclaimer hence do not call for any further comments u/s 24C(1)(f) of the LIC Act, 1956. There were no reportable frauds identified by the statutory auditors during the FY2022.

30. SECRETARIAL AUDITORS' REPORT:

Pursuant to Section 24A of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Corporation has appointed M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretary, Mumbai as the Secretarial Auditor of the Corporation. The Auditor has not made any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer in his report for FY 2022. The detailed report on Secretarial Audit of the Corporation for FY 2022 is annexed as Annexure to the Board report.





31. CERTIFICATE FROM COMPLIANCE OFFICER (UNDER THE IRDAI CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES, 2016):

A Compliance Certificate, for complying with IRDAI Corporate Governance Guidelines, issued by the Executive Director (Corporate Governance/Regulatory Compliance/GJF), designated as the Chief Compliance officer under the IRDAI Corporate Governance Guidelines, is annexed and forms part of the Corporate Governance Report as Annexure to this report.

32. MATERIAL EVENTS, CHANGES AND COMMITMENT AFFECTING FINANCIAL POSITION OF THE CORPORATION:

There have been no material changes and commitments, affecting the financial position of the Corporation, which have occurred from the end of the financial year to which the Balance Sheet relates and the date of this report.

33. SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND OPERATIONS OF THE CORPORATION:

During FY 2021-22, no significant or material orders were passed by the Regulators or Courts or Tribunals which impact the going concern status and Corporation's operations in future except the following orders passed by Commissioner of Income Tax (Appeals) against LIC of India during the FY 2021-22, for which LIC filed appeals:

| Sr. No. | Date of Order | Order Passed by | Assessment Year (AY) | Tax Effect (₹ in Crore) | Appeal filed with |
|------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 27.03.2022 | Commissioner of Income Tax (Appeals) | 2012-13 | 3460.47 | Income Tax Appellate Tribunal |
| 2 | 12.03.2022 | Commissioner of Income Tax (Appeals) | 2018-19 | 1858.97 | Income Tax Appellate Tribunal |
| 3 | 10.03.2022 | Commissioner of Income Tax (Appeals) | 2019-20 | 1755.34 | Income Tax Appellate Tribunal |
| | | | Total | 7074.78 | |

34. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY STATEMENT:

In terms of Section 24C(2) of LIC Act, 1956 and the Corporate Governance Guidelines, your Directors confirm that;

- (a) in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2022, the applicable Accounting Standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Corporation as on March 31, 2022 and of the profit of the Corporation for the year ended on that date;
- (c) they have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the LIC Act, 1956 for safeguarding the assets of the Corporation and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) they have prepared the accounts for the current financial year ended March 31, 2022 on a going concern basis;
- (e) the vigilance administration referred under Section 8(1)(h) of the Central Vigilance Commission Act, 2003 is in operation in the Corporation under the superintendence of the Central Vigilance Commission and in addition they have laid down internal financial controls to be followed by the Corporation and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and
- (f) they have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

35. INVESTOR RELATIONS:

The Corporation has always valued its customer relationships and it is our endeavor that all stakeholders should have access to complete information regarding its position to enable them to accurately assess its future potential. The Corporation disseminates information on its operations and initiatives on a regular basis. The Corporation's website (www.licindia.in) serves as a key awareness facility for all its stakeholders, allowing them to access information at their convenience. It provides comprehensive information on the Corporation's strategy, financial performance, operational performance and the latest press releases.

The Corporation publishes financial results on a quarterly basis. The financial results of the Corporation are prepared and posted on the website of the Corporation for the current as well as previous years.





36. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT, REPORT ON THE CORPORATE GOVERNANCE AND BUSINESS RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY REPORT:

Pursuant to Regulation 34 of the SEBI Listing Regulations, Management Discussion and Analysis (MD&A) Report and Business Responsibility & Sustainability Report (BRSR) are presented in separate sections and form part of Annual report.

In compliance with SEBI Listing Regulations, a Report on the Corporate Governance framework of the Corporation, with certifications as required under applicable Regulations (including guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI) is annexed hereto and forms part of this Annual report.

37. IRDAI LICENSE:

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) have renewed the annual licence of the Corporation to continue the Life Insurance Business for the FY 2022.

38. VIGIL MECHANISM/ WHISTLE BLOWER POLICY:

The Corporation believes to conduct the affairs in a fair and transparent manner by adopting highest standards of professionalism, honesty and ethical behavior and committed to develop a culture where it is safe for all stakeholders to raise concerns about any poor or unacceptable practice and any event of misconduct.

In accordance with the provisions of LIC Act, 1956, IRDAI Corporate Governance Guidelines, 2016 and Regulation 22 of SEBI Listing Regulations, the Corporation is required to establish a Vigil Mechanism for Directors and employees for adequate safeguard against victimization of Directors, Employees or any other person who report genuine concerns. The Corporation has a Policy for Prevention, Detection and Investigation of Frauds and Protection of Whistle Blowers ("the Whistleblower Policy"), which also encourages its employees and various stakeholders to bring to its notice any issue involving compromise/ violation of ethical norms, legal or regulatory provisions, actual or suspected fraud etc., without any fear of reprisal, discrimination, harassment or victimisation of any kind. The details of Whistle Blower complaints/ concerns received, if any, and subsequent actions taken and the functioning of the Whistle Blower Mechanism is reviewed periodically by the Audit Committee of the Board.

The Whistle Blower Policy is hosted on the Corporation's website at https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Whilstblower-policy.pdf.aspx

39. ACKNOWLEDGEMENTS:

The Directors are grateful to the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) and Government of India (GOI) for their continued co-operation, support and advice. The Directors would also like to take this opportunity to express their sincere gratitude to the valued policyholders and shareholders for their trust and patronage.

The Directors also express their gratitude for the advice, guidance and support received from time to time, from the auditors, and statutory authorities. The Directors express their deep sense of appreciation to all the employees, agents, corporate agents and brokers, distributors, re-insurers, bankers and the Registrars who continue to display outstanding professionalism and commitment, enabling the organization to retain market leadership in its business operations. The Directors also wish to express their gratitude to all stakeholders for their continued support and trust.

For and on behalf of the Board of Directors

(M R Kumar)
WHOLE TIME CHAIRPERSON

(Raj Kumar)
MANAGING DIRECTOR

(M P Vijay Kumar)
INDEPENDENT DIRECTOR





CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. Corporation's Philosophy on Corporate Governance

Life Insurance Corporation of India ("LIC of India" or "Corporation") strongly believes in good Governance practices, ethics, fairness and ensures ethical and efficient conduct of the affairs of the Corporation in a transparent manner, builds the trust and confidence and helps in maximizing the value for its Stakeholders.

The Corporation follows governance and disclosure requirements as per the provisions of the LIC Act, 1956 and other applicable provisions including the provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The Corporation has, inter-alia, a well-defined Policy framework for implementation of the Corporate Governance consisting of, inter-alia, the following:

- Code of Conduct for Board Members and Senior Management Personnel
- LIC's Code of Fair Disclosure, Policy for Determination of Legitimate Purposes, Code of Conduct for Prevention of Insider Trading and Policy on Leakage and of UPSI
- Enterprise Risk Management Policy
- Whistle Blower Policy
- Policy on Protection of Policyholders' Interests.
- Policy on Related Party Transactions (includes Material RPT)
- Policy for determining Material Subsidiaries
- Policy for Preservation of Documents
- Policy for Senior Management personnel Disclosure of Material Commercial and Financial Transactions
- Policy for Directors' Qualification, Nomination, Appointment, Remuneration, Evaluation and Board Diversity Policy.
- Policy for Determination of Materiality and Disclosure of Events/Information

2. Board of Directors

a) Composition of Board of Directors

The Board of our Corporation is constituted in accordance with the provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956. The Board of the Corporation comprises of Executive (Whole-time) Directors, Non-Executive Government Nominee Director and Non-Executive Independent Directors.

The tenure of the Directors appointed on the Board is as under:

- a) Whole time Directors are appointed for a period of five years as the Central Government may specify and are eligible for re-appointment.
- b) Government Nominee Director is nominated by the Central Government.
- c) Independent Directors are appointed for a term of four years and shall be eligible for one further term of four years. However, the first three independent Directors are appointed for a term not exceeding six months and are eligible for appointment for one further term, of four years.

In terms of the Life Insurance Corporation Act, 1956, the total number of Directors of our Corporation shall not exceed 18 Directors (including not more than four Managing Directors). As on 31st March, 2022, Board comprises of 15 Directors, which includes (i) one Whole-time Chairperson; (ii) one Government Nominee Director; (iii) four Managing Directors; (iv) nine Independent Directors. Board also comprises of two women Directors, including one woman Independent Director. The composition of the Board as on 31st March, 2022 is given below:





| Sr No | Name of the Directors | Category | Designation | Date of Appointment | Tenure as on March 31, 2022 (in years) |
|----------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| 1 | Shri M. R. Kumar | Whole-time Director | Chairperson | 14.03.2019 | 3 |
| 2 | Shri Pankaj Jain | Non-Executive Director | Government Nominee Director | 21.10.2020 | 1.44 |
| 3 | Shri Raj Kumar | Whole-time Director | Managing Director | 01.11.2019 | 2.41 |
| 4 | Shri Siddhartha Mohanty | Whole-time Director | Managing Director | 02.02.2021 | 1.16 |
| 5 | Smt Ipe Mini | Whole-time Director | Managing Director | 02.08.2021 | 0.66 |
| 6 | Shri B C Patnaik | Whole-time Director | Managing Director | 01.10.2021 | 0.50 |
| 7 | Dr. Ranjan Sharma | Non-Executive Director | Independent Director | 29.10.2021 | 0.42 |
| 8 | Shri Vinod Kumar Verma | Non-Executive Director | Independent Director | 29.10.2021 | 0.42 |
| 9 | Prof. Anil Kumar | Non-Executive Director | Independent Director | 20.01.2022 | 0.19 |
| 10 | Smt. Anjuly Chib Duggal | Non-Executive Director | Independent Director | 29.01.2022 | 0.17 |
| 11 | Shri Gurumoorthy Mahalingam | Non-Executive Director | Independent Director | 29.01.2022 | 0.17 |
| 12 | Shri Raj Kamal | Non-Executive Director | Independent Director | 29.01.2022 | 0.17 |
| 13 | Shri V. S. Parthasarathy | Non-Executive Director | Independent Director | 29.01.2022 | 0.17 |
| 14 | Shri M. P. Vijay Kumar | Non-Executive Director | Independent Director | 29.01.2022 | 0.17 |
| 15 | Shri Sanjeev Nautiyal | Non-Executive Director | Independent Director | 29.01.2022 | 0.17 |

b) Current Directors of the Corporation (As on 12th August, 2022)

| Name of Directors | Qualification | Status of Directorship |
|--|--|--------------------------------|
| Shri M R Kumar | B. Sc | Chairperson |
| Shri Suchindra Misra, Additional Secretary, DFS, MoF, Gol | B.Sc (Hons), PGDM | Government Nominee Director |
| Shri Raj Kumar | B.Sc | Managing Director |
| Shri Siddhartha Mohanty | MA, LLB, PGCBM, Licentiate | Managing Director |
| Smt Ipe Mini | M. Com | Managing Director |
| Shri B C Patnaik | M.A (Political Science), FIII | Managing Director |
| Dr. Ranjan Sharma | MA, Ph.D. | Independent Director |
| Shri Vinod Kumar Verma | BA | Independent Director |
| Prof. Anil Kumar | B. Com (H), M. Com, Ph.D. | Independent Director |
| Smt. Anjuly Chib Duggal | M.A. | Independent Director |
| Shri Gurumoorthy Mahalingam | M.Sc. (Stat), MBA | Independent Director |
| Shri Raj Kamal | B. Tech (Mech. Engg), PGP in Management | Independent Director |
| Shri V. S. Parthasarathy | CA from ICAI and ICAEW, Alumnus of Harvard Business School's AMP | Independent Director |





| Name of Directors | Qualification | Status of Directorship | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------------|--|--|--|
| Shri M. P. Vijay Kumar | B. Com, FCA, FCMA & FCS | Independent Director | | | |
| Shri Sanjeev Nautiyal | BA, MBA | Independent Director | | | |

c) Board Meetings

Thirteen (13) Board Meetings were held during the Financial Year 2021-22. These meetings were held in Mumbai. The agenda papers and other supporting documents of the meetings are circulated to the Directors in advance. However, emergent proposals are tabled at the Board Meeting and are considered with the approval of the Chairperson and consent of other Directors. The Directors are provided with the option to participate in the Meetings through Video Conferencing also. Executive Summaries for the agenda items are being provided to facilitate the decision-making at the Board Meetings. The Board reviews the Corporation's quarterly performance and financial results, policies and other related matters. The Board also reviews the performance of its subsidiary / associate companies at regular intervals. The Board was provided with relevant information as stipulated under various applicable rules, regulations and all applicable laws. In order to support the green initiative, paperless meetings are held wherein the Agenda papers and other supporting documents are uploaded on a digital platform which can be accessed by the Directors electronically on I-pad in a secured manner. The Board Minutes are prepared promptly after the meeting and are circulated to the Directors for their comments, if any. After the approval of Chairperson, the minutes are then circulated to the concerned departments for implementation. The Action taken Reports are also submitted to the Board.

Details of Board Meetings held during the year 2021-22 are as under:

| SI. No | Date | Board Strength | No. of Directors present |
|-----------|------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 10.06.2021 | 9 | 8 |
| 2 | 29.06.2021 | 9 | 8 |
| 3 | 26.07.2021 | 7 | 7 |
| 4 | 24.08.2021 | 7 | 7 |
| 5 | 17.09.2021 | 6 | 6 |
| 6 | 29.10.2021 | 6 | 6 |
| 7 | 08.01.2022 | 8 | 8 |
| 8 | 20.01.2022 | 8 | 8 |
| 9 | 29.01.2022 | 9 | 9 |
| 10 | 11.02.2022 | 15 | 15 |
| 11 | 11.02.2022 | 15 | 15 |
| 12 | 13.02.2022 | 15 | 15 |
| 13 | 25.02.2022 | 15 | 15 |





d) Details of attendance of Directors at the Board Meetings are as per the statement below:

| Name of the Director | No. of Board Meetings attended out of meetings held during the tenure of Director | Names of the other listed entities where the person is a director and the category of directorship | Directorship in other listed entities as on March 31, 2022 & category of Directorship | Membership of Committees in other Companies as on March 31, 2022 (in ACB and SRC only) | Chairperson of Committees in other companies as on March 31, 2022 |
|--|---|---|--|--|--|
| Whole – Time Directors | | | | | |
| Shri M R Kumar (DIN- 03628755) | 13/13 | ACC Limited - Non-Executive Director IDBI Bank Limited - Non- Executive Non-Whole Time Chairman LIC Housing Finance Limited- Nominee Director & Chairman | 3 | - | 1 |
| Shri Vipin Anand (DIN - 05190124) (upto - 31 st July, 2021) | 3/3 | - | - | - | - |
| Shri Mukesh Kumar Gupta (DIN – 06638754) (upto 30 th September, 2021) | 5/5 | - | - | - | - |
| Shri Raj Kumar (DIN – 06627311) | 12/13 | LIC Housing Finance Limited- Non-Executive Director Grasim Industries Ltd- Non-Executive Director | 2 | - | - |
| Shri Siddhartha Mohanty (DIN – 08058830) | 13/13 | - | - | - | - |
| Smt Mini lpe (DIN -07791184) | 10/10 | DCM Shriram Industries Limited- Nominee Director | 1 | - | - |
| Shri B C Patnaik (DIN – 08384583) | 8/8 | - | - | - | - |
| Non-Executive Directors (Gove | ernment Nominee) | | | | |
| Shri Rajeev Ranjan (DIN – NA) (upto – 29 th June, 2021) | 2/2 | - | - | - | - |
| Shri Pankaj Jain (DIN – 00675922) | 13/13 | Petronet LNG- Chairman (Non-Executive) Punjab National Bank – Government Director | 2 | 1 | - |
| Non-Executive Directors (Directors | ctor nominated by G | iol) | | | |
| Smt. Padmaja Chunduru (DIN – 08058663) (upto – 31 st August, 2021) | 3/4 | - | - | - | - |
| Ex-Officio Member | | | | | |
| (DIN - 08646006) (upto - 29 th June, 2021) | | GIC Housing Finance Limited - Non-Executive - Non Independent Director, Chairperson related to Promoter General Insurance Corporation | 2 | 2 | - |
| | | of India - Executive Director, Chairperson, CEO-MD | | | |
| Non-Executive Directors (Inde | pendent Director) | | | | |
| Dr Ranjan Sharma (DIN -0009573799) | 7/7 | - | - | - | - |
| | | n . | 1 | | |



| Name of the Director | No. of Board Meetings attended out of meetings held during the tenure of Director | Names of the other listed entities where the person is a director and the category of directorship | Directorship in other listed entities as on March 31, 2022 & category of Directorship | Membership of Committees in other Companies as on March 31, 2022 (in ACB and SRC only) | Chairperson of Committees in other companies as on March 31, 2022 |
|--|---|--|--|--|--|
| Shri Vinod Kumar Verma (DIN -09309031) | 7/7 | - | - | - | - |
| Prof. Anil Kumar (DIN - 09477565) | 5/5 | - | - | - | - |
| Smt Anjuly Chib Duggal (DIN -5264033) | 4/4 | Gillette India Limited- Non-Executive -Independent Director | 1 | 1 | - |
| Shri Gurumoorthy Mahalingam (DIN – 09660723) | 4/4 | - | - | - | - |
| Shri Raj Kamal (DIN – 07653591) | 4/4 | - | | | - |
| Shri V. S. Parthasarathy (DIN – 00125299) | 4/4 | Allcargo Logistics Limited- Non-Executive - Non Independent Director | 1 | 2 | 1 |
| Shri M P Vijay Kumar (DIN – 05170323) | 4/4 | Heritage Foods Limited - Non-Executive - Independent Director Thejo Engineering Limited Non-Executive - Independent Director Geojit Financial Services Limited - Non-Executive - | 3 | 3 | 1 |
| Shri Sanjeev Nautiyal (DIN - 8075972) | 4/4 | Independent Director | - | - | |

Note:

- 1. No Annual General Meeting was required to be held during the year 2021-22.
- 2. The Directorships held by Directors, as mentioned above, include Directorship in public limited companies, private limited and foreign companies but do not include the companies registered under section 8 of the Companies Act, 2013. The Committee memberships are for Audit Committee and Stakeholder Relationship Committee only.





e) Statement showing Number of Board Meetings attended by the Directors during the Financial Year 2021-22.

| | | | | | | М | eetings | 5 | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Name of the Director | | 29.06.2021 | 26.07.2021 | 24.08.2021 | 17.09.2021 | 29.10.2021 | 08.01.2022 | 20.01.2022 | 29.01.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 13.02.2022 | 25.02.2022 |
| Shri M R Kumar | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Shri Rajeev Ranjan* | ~ | ~ | | | | | | | | | | | |
| Shri Pankaj Jain | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Smt Padmaja Chunduru*** | ~ | × | ~ | ~ | | | | | | | | | |
| Shri Vipin Anand** | ~ | ~ | | | | | | | | | | | |
| Shri Mukesh Kumar Gupta% | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | | | | | |
| Shri Raj Kumar | × | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Shri Devesh Srivastava* | ~ | ~ | | | | | | • | | | • | | |
| Shri Siddhartha Mohanty | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Smt Ipe Mini | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Shri B C Patnaik | | | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Dr. Ranjan Sharma | | | | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Shri Vinod Kumar Verma | | | | | | | > | ~ | ~ | > | ~ | ~ | ~ |
| Prof. Anil Kumar | | | | | | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Smt Anjuly Chib Duggal | | | | | | | | | | ~ | ~ | ~ | > |
| Shri Gurumoorthy Mahalingam | | | | | | | | | | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Shri Raj Kamal | | | | | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | | |
| Shri V. S. Parthasarathy | | | | | | | | > | ~ | ~ | ~ | | |
| Shri M. P. Vijay Kumar | | | | | | | | | | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Shri Sanjeev Nautiyal | | | | | | | | | | ~ | ~ | ~ | ~ |

^{*} Tenure till 29.06.2021

f) Terms of References of Board

- 1) Annual operating plans, budgets and any updates.
- 2) Capital budgets and any updates.
- 3) Quarterly results of the Corporation and its operating divisions or business segments.
- 4) Minutes of meetings of Audit committee and other committees of the board of directors.
- 5) The information on recruitment and remuneration of senior officers just below the level of board of directors, including appointment or removal of Chief Financial Officer and the Company Secretary.
- 6) Show cause, demand, prosecution notices and penalty notices, which are materially important.
- 7) Fatal or serious accidents, dangerous occurrences, any material effluent or pollution problems.
- 8) Any material default in financial obligations to and by the Corporation, or substantial non-payment for goods sold by the listed entity.
- 9) Any issue, which involves possible public or product liability claims of substantial nature, including any judgement or order which, may have passed strictures on the conduct of the Corporation or taken an adverse view regarding another enterprise that may have negative implications on the Corporation.
- 10) Details of any joint venture or collaboration agreement.
- 11) Transactions that involve substantial payment towards goodwill, brand equity, or intellectual property.

^{**} Superannuated on 31.07.2021

^{***}Tenure till 31.08.2021

[%] Superannuated on 30.09.2021





- 12) Significant labour problems and their proposed solutions. Any significant development in Human Resources/ Industrial Relations front like signing of wage agreement, implementation of Voluntary Retirement Scheme etc.
- 13) Sale of investments, subsidiaries, assets which are material in nature and not in normal course of business.
- 14) Quarterly details of foreign exchange exposures and the steps taken by management to limit the risks of adverse exchange rate movement, if material.
- 15) Non-compliance of any regulatory, statutory or listing requirements and shareholders service such as non-payment of dividend, delay in share transfer etc.

g) Directorships in other Companies

- None of the Directors of the Corporation is a director in more than seven listed entities.
- None of the Directors of the Corporation acts as an independent director (including any alternate directorships) in more than seven listed companies or three equity listed companies in case he / she serves as a whole-time director in the Corporation.
- Further, none of the Directors on the Board of the Corporation is a member of more than ten committees or chairperson of more than five committees, across all the Indian public limited companies in which he/ she is a director. For the purpose of determination of limit of the Board Committees, Chairmanship or Membership of Audit Committee & Stakeholders' Relationship Committee has been considered.
- The Directors of the Corporation do not have any relationships inter-se.

h) Code of Conduct

The Code of Conduct for Board Members and Senior Management Personnel of the Corporation has been laid by the Board, which is circulated to all concerned and is also hosted on the website of the Corporation. The Directors and Senior Management Personnel of the Corporation have affirmed compliance with the provisions of the Code of conduct for the year ended March 31, 2022 and no material financial or commercial transactions, which may have a potential conflict with the interest of the Corporation, were reported by them.

i) Integrity Pact:

LIC has adopted Integrity Pact from 05.09.2015 to enhance transparency in the process of awarding contracts. As per Board approved Manual for Procurement of Goods and Manual of Consultancy Services, the threshold value should be such as to cover bulk (80-90% by value) of its procurement expenditure. The Integrity Pact has now become a part of tender documents and only those vendors / bidders who are abiding by the Integrity Pact shall be considered in the bidding process. Presently, two Independent External Monitors (IEM) have been nominated by the Central Vigilance Commission to monitor the implementation of Integrity Pact in all tenders. The Integrity Pact becomes applicable for all Departments (excluding Engineering Department) at Central Office for tenders having value of Rs. 1 crore and above whereas for engineering department at PAN India Level the tender value should be of Rs. 10 crore and above. For Zonal and Divisional Offices, tenders having value of Rs. 10 lakh and above for all Departments (excluding Engineering Department) shall come under purview of the Integrity Pact.

During the year, 4 meetings of IEM's were held. Based on the above threshold value, 124 tenders came under the purview of the Integrity Pact during the year 2021-22 against which the 1 compliant was received which was referred to the IEM's and deliberated. There are no pending complaints as on March 2022.

j) SHAREHOLDING OF NON-EXECUTIVE DIRECTORS IN THE CORPORATION: NIL

k) FAMILIARISATION PROGRAMME FOR INDEPENDENT DIRECTORS:

Independent Directors have been familiarized with their roles, rights and responsibilities in the Corporation as well as with the nature of Industry through induction programs and also through presentations on Finance, Actuarial Valuation, Corporate Governance, Marketing, Customer Relationship Management, etc from time to time.





I) Field of Specialization / Skills / Expertise / Competence of the Board of Directors:

The Board comprises of qualified members with rich Professional experience who possess the relevant skills/expertise / competence to ensure the effective functioning of the Corporation which are as follows:

| Sr No | Name of the Directors | Qualification | Field of Specialization / Skills / Exp Competence | | | | ertise / | |
|----------|-----------------------------|--|--|-----------|------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
| | | | Governance | Marketing | Business Management | Accountancy & Finance | Insurance | Risk Management |
| 1 | Shri M.R. Kumar | B.Sc | ~ | ~ | > | ~ | > | ~ |
| 2 | Shri Pankaj Jain | B.Com, MBA, AICWA | ~ | ~ | > | > | > | ~ |
| 3 | Shri Raj Kumar | B.Sc | ~ | ~ | > | > | > | ~ |
| 4 | Shri Siddhartha Mohanty | MA, LLB, PGCBM, Licentiate | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 5 | Smt Ipe Mini | M. Com | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 6 | Shri B C Patnaik | MA (Political Science), FIII | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 7 | Dr. Ranjan Sharma | MA, Ph.D | ~ | - | ~ | ~ | ~ | _ |
| 8 | Shri Vinod Kumar Verma | ВА | ~ | ~ | ~ | - | ~ | - |
| 9 | Prof. Anil Kumar | B. Com (H), M. Com, PhD. | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 10 | Smt. Anjuly Chib Duggal | MA | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 11 | Shri Gurumoorthy Mahalingam | M.Sc. (Stat), MBA | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 12 | Shri Raj Kamal | B. Tech (Mech Engg), PGP in Management | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 13 | Shri V. S. Parthasarathy | CA, Alumnus of Harvard Business School's AMP | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 14 | Shri M. P. Vijay Kumar | B. Com, FCA, FCMA & FCS | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 15 | Shri Sanjeev Nautiyal | BA, MBA | ~ | ~ | > | > | > | ~ |

m) DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTORS:

Independent Directors, as per Section 4 (3) of the LIC Act, 1956 read with Section 149 (6) of the Companies Act, 2013, have confirmed that they are not aware of any circumstance or situation which exists or may be reasonably anticipated that could impair or impact their ability to discharge their duties. They have also confirmed that they meet the critical of independence and are independent of the management and also satisfy the criteria framed by Nomination & Remuneration Committee regarding qualifications, positive attributes and independence. In the opinion of Board, Independent Directors fulfill the prescribed mandatory conditions and are independent of the management.

3. COMMITTEES OF THE BOARD

The Corporation has 13 Board level Committees, viz. Executive Committee, Investment Committee, Audit Committee, Risk Management Committee, Policyholders' Protection Committee, With – Profit Committee, Election of Shareholders' Directors Committee in PSBs, IT Strategy Committee, Building Advisory Committee, Review Committee on Wilful Defaulters, Stakeholders' Relationship Committee, Nomination & Remuneration Committee and IPO Committee (Only for IPO related functions).

A. EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee has been constituted in line with the provisions of Section 19 (1) of the LIC Act, 1956.

i. The Executive Committee comprised of the following members as on 31st March, 2022:

| Sr No. | Name | Category | Designation |
|-----------|-------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1. | Shri M.R. Kumar | Chairperson | Chairperson |
| 2. | Shri Pankaj Jain | Member | Government Nominee Director |
| 3. | Shri Raj Kumar | Member | Managing Director |
| 4. | Shri Siddhartha Mohanty | Member | Managing Director |
| 5. | Ms. Ipe Mini | Member | Managing Director |



| Sr No. | Name | Category | Designation |
|-----------|-----------------------------|----------|----------------------|
| 6. | Shri B C Patnaik | Member | Managing Director |
| 7. | Dr. Ranjan Sharma | Member | Independent Director |
| 8. | Smt Anjuly Chib Duggal | Member | Independent Director |
| 9. | Shri Gurumoorthy Mahalingam | Member | Independent Director |
| 10. | Shri V. S. Parthasarathy | Member | Independent Director |

- ii. The Terms of Reference of the Executive Committee is as under:
 - 1. To appoint officers in the cadres of Zonal Manager and above and equivalent cadres.
 - 2. As appointing authority, to execute the functions specified in the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960.
 - 3. To take disciplinary action against the officers in the cadres of Zonal Manager and above and equivalent cadres as Disciplinary authority and impose penalty under Rule 39 (1) of Life Insurance Corporation of India (Staff) rules. 1960
 - 4. To consider the appeals received from the officers in the cadre of Deputy Zonal Manager/Senior Divisional Manager / Divisional Manager and equivalent cadres under of Life Insurance Corporation of India (Staff) rules, 1960
 - 5. To relax any of the provisions of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960.
 - 6. As competent authority, to execute the functions specified in the Life Insurance Corporation of India (Employees) Pension Rules, 1995.
 - 7. As per Rule 48 (1) of Life Insurance Corporation of India (Employees) Pension Rules, 1995, Executive Committee shall be consulted before passing any final order under that Rule.
 - 8. To authorize to grant, issue and enter into any Policies of Assurance and any deeds or other instruments and any transactions for the purpose of Corporation's business.
 - 9. To authorize to accept the surrender of any insurance or annuity and to purchase or redeem any insurance or annuity and to waive the forfeiture of any insurance.
 - 10. Arrangements for reassuring risks undertaken by the Corporation or for sharing risks undertaken by other insurers.
 - 11. With the advice of the Investment Committee, to approve lending on mortgage on the security of or to purchase or otherwise acquire for the Corporation any immovable or movable properties, rights or privileges.
 - 12. To approve purchase or otherwise acquisition of all kinds of movable articles; chattels and things and to approve sell, dispose of or otherwise deal with the same in the course of the business of the Corporation;
 - 13. Proposals for inclusion in the budget and to have the budget exercise financial control over the affairs of the Corporation and ensure that the expenditure incurred is not in excess of the budget sanctioned by the Board.
 - 14. All matters relating to bankrupts and insolvents;
 - 15. To approve contributions and subscribe to Charitable, benevolent, religious, scientific, national or other institutions or subjects as deemed appropriate.
 - 16. To appoint any person or persons as Attorney or Attorneys of the Corporation for the purposes of the Corporation,
 - 17. To authorize negotiations and contracts, and execute and do all acts, deeds and things in the name and on behalf of the Corporation
 - 18. To authorize various foreign operations.
 - 19. To authorize operation of Bank Accounts
 - 20. To carry out any other functions assigned by the Board.





iii. The attendance at the eleven meetings of the Executive Committee held during the year 2021-22 is given below:

| Name of the Director | Nature of Directorship | Designation in the Committee / Board | 05.04.2021 | 17.05.2021 | 22.06.2021 | 26.07.2021 | 24.08.2021 | 30.09.2021 | 29.10.2021 | 24.12.2021 | 29.01.2022 | 25.02.2022 | 28.03.2022 |
|---|--------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Shri M R Kumar | Chairperson | Chairperson | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | × | ~ | > | > |
| Shri Pankaj Jain⁺ | Government Nominee Director | Member | | | | ~ | , | , | ~ | ~ | , | × | ~ |
| Smt Padmaja Chunduru*** | Non-Executive Director | Member | ~ | ~ | × | ~ | - | | | | | | |
| Shri Vipin Anand** | Managing Director | Member | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | | | | |
| Shri Mukesh Kumar Gupta [%] | Managing Director | Member | ~ | ~ | ~ | , , , , | | | | | | | |
| Shri Raj Kumar ^{@#} | Managing Director | Member | ~ | × | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | × | ~ | ~ | ~ |
| Shri Devesh Srivastava* | Ex-Officio Member | Member | ~ | ~ | ~ | | | | | | | | |
| Shri Siddhartha Mohanty ^{@#} | Managing Director | Member | ~ | ~ | - | ~ | - | ~ | - | ~ | ~ | > | ~ |
| Smt Ipe Mini** | Managing Director | Member | | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | > | > | > |
| Shri B C Patnaik ^{&} | Managing Director | Member | | | | | | | - | ~ | ~ | > | ~ |
| Dr. Ranjan Sharma ^{@@} | Independent Driector | Member | | | | | | | | | | > | > |
| Smt Anjuly Chib Duggal ^{@@} | Independent Driector | Member | | | | | | | | | | > | > |
| Shri Gurumoorthy Mahalingam ^{@@} | Independent Driector | Member | | | | | | | > | > | | | |
| Shri V. S. Parthasarathy ^{@@} | Independent Driector | Member | | | | | | | | | | ~ | ~ |

^{@#}Special Invitee from 05.02.2021 till 01.07.2021 and Member from 02.07.2021

B. INVESTMENT COMMITTEE

The Investment Committee has been constituted in line with the provisions of Section 19A of the LIC Act, 1956.

i. The Investment Committee comprised of the following members as on 31st March, 2022:

| Sr. No. | Name | Category | Designation |
|------------|-----------------------------|-------------|----------------------|
| 1. | Shri M.R. Kumar | Chairperson | Chairperson |
| 2. | Shri Raj Kumar | Member | Managing Director |
| 3. | Shri Siddhartha Mohanty | Member | Managing Director |
| 4. | Ms. Ipe Mini | Member | Managing Director |
| 5. | Shri B C Patnaik | Member | Managing Director |
| 6. | Shri Gurumoorthy Mahalingam | Member | Independent Director |
| 7. | Shri Raj Kamal | Member | Independent Director |
| 8. | Shri M P Vijay Kumar | Member | Independent Director |

Special Invitees: Officers of the Corporation heading the functions dealing with finance, risk, investment and law and Appointed Actuary.

- ii. The Terms of Reference of the Investment Committee is as under:
 - 1. To take decisions in matters relating to the investment of the funds of the Corporation.
 - 2. To review the performance of Investments made on quarterly basis.
 - 3. To take note of reporting items submitted to the Investment Committee

[%] Superannuated on 30.09.2021 * Member from 02.07.2021 * Member from 02.08.2021

⁶ Member from 01.10.2021 ^{a#} Managing Director in chair on 24/12/2021 ^{aa}Member from 07.02.2022



- 4. To review and recommend to the Board Investment Policy (IP) and lay down the operational framework for the investment operations. Such review of the Investment Policy to be done on a half yearly basis or at such short intervals as may be decided. To ensure that regulatory norms and Section 27A of Insurance Act 1938 as made applicable to LIC by Govt. notification u/s 43(2) of LIC Act 1956 are adhered to while making investments.
- 5. To approve the "Standard Operating Procedures" of the Corporation with respect to its investment functions on an annual basis and any need based modification thereof from time to time. The provisions of SOP may be reviewed from time to time depending on economic scenario, regulatory provisions and other factors, and may be changed after approval of Investment Committee.
- 6. To lay out guidelines for various investment functions.
- 7. The Investment Policy, as approved by the Board, shall be implemented by the Investment Committee.
- 8. For assessment of credit risk and market risk, the members of the Committee should not be influenced only by the credit rating. The committee should independently review their investment decisions and ensure that support by the internal due diligence process is an input in making appropriate investment decisions.
- 9. The Committee shall formulate an effective reporting system to ensure compliance with the policy set out by it apart from Internal /Concurrent Audit mechanisms for a sustained and ongoing monitoring of Investment Operations.
- 10. The Committee shall submit a report to the Board on the performance of the investment portfolio with regard to its safety and soundness.
- 11. The Committee shall analyze and review of non-performing assets of investments on a quarterly periodicity.
- iii. The attendance at the five meetings of the Investment Committee held during the year 2021-22 is given below:

| Name of the Director | Nature of Directorship | Designation in the Committee / Board | 08.06.2021 | 30.09.2021 | 29.10.2021 | 24.12.2021 | 24.03.2022 |
|--|-----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Shri M R Kumar | Chairperson | Chairperson | ~ | ~ | ~ | × | - |
| Shri Rajeev Ranjan* | Government Nominee Director | Member | ~ | | | | |
| Shri Pankaj Jain** | Government Nominee Director | Member | | ~ | ~ | ~ | |
| Smt Padmaja Chunduru [®] | Non-Executive Director | Member | | | | | |
| Shri Vipin Anand*** | Managing Director | Member | ~ | | | | |
| Shri Mukesh Kumar Gupta [%] | Managing Director | Member | ~ | ~ | | | |
| Shri Raj Kumar | Managing Director | Member | ~ | ~ | ~ | × | - |
| Shri Siddhartha Mohanty | Managing Director | Member | ~ | ~ | ~ | ~ | - |
| Smt Ipe Mini** | Managing Director | Member | | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Shri B C Patnaik ^{&} | Managing Director | Member | | | ~ | ~ | - |
| Shri Devesh Srivastava* | Non-Executive Director | Ex-Officio Member | ~ | | | | |
| Shri Gurumoothy Mahalingam ^{@@} | Independent Director | Member | | | | | ~ |
| Shri Raj Kamal ^{aa} | Independent Director | Member | | | | - | |
| Shri M P Vijay Kumar ^{aa} | Independent Director | Member | | | | ~ | |
| Shri Dinesh Pant ^{\$} | - | Appointed Actuary | ~ | | | | |

@Member from 02.07.2021 till 31.08.2022 ***Member till 31.07.2021 % Superannuated on 30.09.2021

++Member from 02.08.2021 & Member from 01.10.2021 @@Member from 07.02.2022

\$Member till 01.07.2021 and Special Invitee from 02.07.2021





| Name of the Special Invitee | 08.06.2021 | 30.09.2021 | 29.10.2021 | 24.12.2021 | 24.03.2022 |
|--|------------|------------|-------------|------------|------------|
| Shri A K Anand, Executive Director (INVO) & COI | | > | ~ | ~ | ~ |
| Shri S N Mokashi, Executive Director (INV./RM&R) | | > | > | ~ | |
| Shri P R Mishra, Executive Director (INVM) | | × | > | ~ | _ |
| Shri Tablesh Pandey, Addl. Executive Director (INV./RM&R & CRO)* | | > | × | ~ | ~ |
| Shri Dinesh Pant, Appointed Actuary | | > | > | × | _ |
| Smt Shubhangi Soman, Executive Director (F&A & CFO) | | | > | × | × |
| Md. Azeezuddin, Executive Director (Legal) | | | × | ~ | × |

^{*}Executive Director, (INVR) & CRO w.e.f. 01.01.2022

C. AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee has been constituted in line with the provisions of Section 19C of the LIC Act, 1956, para 7.1 of IRDAI Corporate Governance Guidelines, 2016 and Regulation 18 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

i. The Audit Committee comprised of the following members as on 31st March, 2022:

| SI No. | Name | Category | Designation |
|-----------|------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1. | Shri M P Vijay Kumar | Chairperson | Independent Director |
| 2. | Shri Pankaj Jain | Member | Government Nominee Director |
| 3. | Shri Raj Kumar | Member | Managing Director |
| 4. | Dr Ranjan Sharma | Member | Independent Director |
| 5. | Shri V S Parthasarathy | Member | Independent Director |
| 6. | Prof. Anil Kumar | Member | Independent Director |

Special Invitee: Smt Ipe Mini, Managing Director

- ii. The Terms of Reference of the Audit Committee is as under:
 - 1. Oversight of financial reporting process and the disclosure of financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible;
 - $2. \, Recommendation \, for \, appointment, \, remuneration \, and \, terms \, of \, appointment \, of \, Statutory \, auditors;$
 - 3. Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors, if permissible under the Act / Rules / Regulations.
 - 4. Reviewing the annual financial statements and auditor's report thereon before submission to the board for approval, with particular reference to:
 - a) Matters required to be included in the director's responsibility statement to be included in the board's report in terms of Section 24C (2) of the LIC Act, 1956
 - b) Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
 - c) Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;
 - d) Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
 - e) Compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements;
 - f) Disclosure of any related party transactions;
 - g) Modified opinion(s) in the draft audit report;



- 5. Reviewing the quarterly financial statements before submission to the board for approval;
- 6. Reviewing the statement of uses / application of funds raised through an issue (public issue, rights issue, preferential issue, etc.), the statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document / prospectus / notice and the report submitted by the monitoring agency monitoring the utilisation of proceeds of a public or rights issue, and making appropriate recommendations to the board to take up steps in this matter;
- 7. Reviewing and monitoring the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process;
- 8. Prior Approval or any subsequent modification of transactions of the Corporation with related parties;
- 9. Scrutiny of inter-corporate loans and investments; if any
- 10. Valuation of undertakings or assets of the listed entity, wherever it is necessary;
- 11. Evaluation of internal financial controls and risk management systems;
- 12. Reviewing, with the management, performance of statutory and internal auditors, adequacy of the internal control systems;
- 13. Review of adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure coverage and frequency of internal audit;
- 14. Discussion with internal auditors of any significant findings and follow up there on;
- 15. Review the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the board;
- 16. Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;
- 17. Review of the reasons for substantial defaults in the payment to the shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors;
- 18. Review the functioning of Vigil Mechanism;
- 19. Approval of appointment of Chief Financial Officer, Chief Internal Auditor and Chief Compliance Officer after assessing the qualifications, experience and background, etc. of the candidate;
- 20. Carrying out any other function as is mentioned in the terms of reference of the audit committee.
- 21. Reviewing the utilization of loans and/ or advances from/investment by the holding company in the subsidiary exceeding Rs. 100 crore or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower including existing loans / advances / investments existing as on the date of coming into force of this provision.
- 22. Consider and comment on rationale, cost-benefits and impact of schemes involving merger, demerger, amalgamation etc., on the listed entity and its shareholder.
- 23. Management discussion and analysis of financial condition and results of operations;
- 24. Management letters / letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditors;
- 25. Internal audit reports relating to internal control weaknesses; and
- 26. The appointment, removal and terms of remuneration of the chief internal auditor shall be subject to review by the audit committee.
- 27. Statement of deviations:
 - a) Quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency, if applicable, submitted to stock exchange(s) in terms of Regulation 32(1).
 - b) Annual statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document/prospectus/notice in terms of Regulation 32(7).
- 28. To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory / statutory guidelines form time to time.





iii. The attendance at the twelve meetings of the Audit Committee held during the year 2021-22 is given below:

| Name of the Director | Nature of Directorship | Designation in the Committee / Board | 10.06.2021 | 29.06.2021 | 13.08.2021 | 17.09.2021 | 30.09.2021 | 29.10.2021 | 08.01.2022 | 20.01.2022 | 11.02.2022 | 13.02.2022 | 25.02.2022 | 25.03.2022 |
|---|--------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Shri Pankaj Jain ^{&} | Government Nominee Director | Member | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | > | > |
| Smt Padmaja Chunduru*** | Non-Executive Director | Member | ~ | - | ~ | | | | | | | | | |
| Shri Mukesh Kumar Gupta [%] | Executive Director | Member | ~ | | | | | | | | | | | |
| Shri Raj Kumar | Executive Director | Member | × | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Shri Devesh Srivastava* | Non-Executive Director | Ex-Officio Member | × | × | | | | | | | | | | |
| Shri Siddhartha Mohanty ^a | Executive Director | Member | | | | ~ | ~ | ~ | | | | | | |
| Dr. Ranjan Sharma ^{®®} | Independent Director | Member | | | | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | > | ~ |
| Shri Vinod Kumar Verma ^{\$\$} | Independent Director | Member | | | | | | | ~ | ~ | | | | |
| Prof. Anil Kumar^ | Independent Director | Member | | | | | | | | | ~ | ~ | > | > |
| Shri V. S. Parthasarathy ^ | Independent Director | Member | | | | | | | | | ~ | ~ | > | ~ |
| Shri M. P. Vijay Kumar ^^ | Independent Director | Chairperson | | | | | | | | | ~ | ~ | > | > |
| Smt Ipe Mini+ | Executive Director | Special Invitee | | | | | | | | | ~ | ~ | ~ | ~ |

& Chairperson from 05.02.2021 till 06.02.2022 and thereafter member

***Member till 31.08.2021 % Special Invitee for 10.06.2021 *Member till 29.06.2021

^^Chairperson from 07.02.2022 +Special Invitee from 07.02.2022

D. RISK MANAGEMENT COMMITTEE [RMC]

The Risk Management Committee has been constituted in line with para 7.3 of IRDAI Corporate Governance Guidelines, 2016 and Regulation 21 of SEBI (LODR) Regulations, 2015

i. The RMC comprised of the following members as on 31st March, 2022:

| SI No. | Name | Category | Designation |
|--------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. | Shri Gurumoorthy Mahalingam | Chairperson | Independent Director |
| 2. | Shri Raj Kumar | Member | Managing Director |
| 3. | Shri Siddhartha Mohanty | Member | Managing Director |
| 4. | Shri V S Parthasarathy | Member | Independent Director |
| 5. | Shri Sanjeev Nautiyal | Member | Independent Director |
| 6. | Shri Tablesh Pandey | Member | Executive Director (INVR/ CRO/ ACGC) |

- ii. The Terms of Reference of the RMC is as under:
 - 1. To formulate a detailed risk management policy which shall include:
 - a. A framework for identification of internal and external risks specifically faced by the Corporation, in particular including financial, operational, sectorial, sustainability (particularly, ESG related risks), information, cyber security risks or any other risk as may be determined by the Committee.
 - b. Measures for risk mitigation including systems and processes for internal control of identified risks.
 - c. Business continuity plan.
 - 2. To ensure that appropriate methodology, processes and systems are in place to monitor and evaluate risks associated with the operations of the Corporation;



- 3. To monitor and oversee implementation of the risk management policy, including evaluating the adequacy of risk management systems;
- 4. To periodically review the risk management policy, annually, including by considering the changing industry dynamics and evolving complexity;
- 5. To keep the board of directors informed about the nature and content of its discussions, recommendations and actions to be taken:
- 6. The appointment, removal and terms of remuneration of the Chief Risk Officer (if any) shall be subject to review by the Risk Management Committee.
- 7. The Risk Management Committee shall coordinate its activities with other committees, in instances where there is any overlap with activities of such committees, as per the framework laid down by the board of directors.
- 8. Review of Risk Management framework
- 9. Review of Anti-Fraud Policy, Anti Money Laundering Policy, Asset Liability Management Policy, Risk Appetite Statement etc and recommendation of the above Policies to the Board for approval.
- 10. Setting of the risk tolerance limits and assess the cost and benefits associated with risk exposure.
- 11. Review of Corporation's risk-reward performance to align with overall policy objectives.
- 12. Discuss and consider best practices in risk management in the market and advise the respective functions;
- 13. Assist the Board in effective operation of the risk management system by performing specialized analyses and quality reviews;
- 14. Maintain an aggregated view on the risk profile of the Corporation for all categories of risk including insurance risk, market risk, credit risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputation risk, etc.
- 15. Advise the Board with regard to risk management decisions in relation to strategic and operational matters such as corporate strategy, mergers and acquisitions and related matters.
- 16. Report to the Board, details on the risk exposures and the actions taken to manage the exposures; review, monitor and challenge where necessary, risks undertaken by the Corporation
- 17. Review the solvency position of the Corporation on a regular basis.
- 18. Monitor and review regular updates on business continuity.
- 19. Monitor implementation of Anti-fraud policy for effective deterrence, prevention, detection and mitigation of frauds.
- 20. Review compliance with the guidelines on Insurance Fraud Monitoring Framework IRDA/SDD/MISC/CIR/009/01/2013 dated 21/01/2013.
- 21. Oversee matters related to Asset Liability Management (ALM) as per the Corporation's ALM Policy
- 22. The Risk Management Committee shall be periodically apprised about the Outsourcing arrangements entered into by the insurer and also confirmation to the effect that they comply with the stipulations as well as the internal policy be placed before them.
- iii. The attendance at the five meetings of the Risk Management Committee (RMC) held during the year 2021-22 is given below:

| Name of the Director | Nature of Directorship | Nature of Directorship Nature of Directorship Designation in the Committee / Board | | 09.09.2021 | 17.12.2021 | 17.01.2022 | 17.03.2022 |
|---------------------------------|------------------------------------|--|----|------------|------------|-------------|------------|
| Smt Padmaja Chunduru*** | Non-Executive Director | Chairperson | ~ | | | | |
| Shri Raj Kumar@ | Executive Director | Chairperson | ~ | > | ~ | > | > |
| Shri Devesh Srivastava* | Ex-Officio Member | Member | × | | | | |
| Shri Siddhartha Mohanty | Executive Director | Member | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Smt Ipe Mini++ | Executive Director | Member | | < | | | |
| Dr Ranjan Sharma@@ | Independent Director | Member | | | ~ | ~ | |
| Shri Gurumoorthy Mahalingam@@@* | Independent Director | Chairperson | | | | | ~ |
| Shri V. S. Parthasarathy@@@ | Independent Director | Member | r | | | × | |
| Shri Sanjeev Nautiyal@@@ | Independent Director | Member | er | | | ~ | |
| Shri Tablesh Pandey% | Executive Director (INVR/CRO/ACGC) | Member | | | | | ~ |

***Chairperson till 31.08.2021. * Member till 29.06.2021 ++Member from 01.09.2021 till 09.11.2021 @@ Member from 10.11.2021 till 06.02.2022 @Chairperson from 01.09.2021 till 06.02.2022

@@@Member from 07.02.2022 @@@*Member and Chairperson from 07.02.2022

% Inducted in RMCB from 07.02.2022





E. POLICYHOLDERS' PROTECTION COMMITTEE [PPC]

The Policyholders' Protection Committee [PPC] has been constituted in line with para 7.4 of IRDAI Corporate Governance Guidelines, 2016

i. The PPC comprised of the following members as on 31st March, 2022:

| SI No. | Name | Category | Designation |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------|
| 1. | Shri Sanjeev Nautiyal | Chairperson | Independent Director |
| 2. | Shri Siddhartha Mohanty | Member | Managing Director |
| 3. | Smt Ipe Mini | Member | Managing Director |
| 4. | Shri Vinod Kumar Verma | Member | Independent Director |
| 5. | Smt Anjuly Chib Duggal | Member | Independent Director |
| 6. | Dr. Snehalata Deshmukh | Member | Expert |

ii. The Terms of Reference of the PPC is as under:

- 1. Adoption of standard operating procedures to treat the customer fairly including time-frames for policy and claims servicing parameters and monitoring implementation thereof.
- 2. Review mechanism to address complaints and grievances of policyholders including mis-selling by intermediaries.
- 3. Review of awards given by Insurance Ombudsman/Consumer Forums.
- 4. Analyze the root cause of customer complaints, identify market conduct issues.
- 5. Advise the management appropriately about rectifying systemic issues, if any.
- 6. Review all the awards given by Insurance Ombudsman/Consumer Forums remaining unimplemented for more than three (3) months with reasons therefor and report the same to the Board for initiating remedial action, where necessary.
- 7. Review the measures and take steps to reduce customer complaints at periodic intervals.
- 8. Review compliance with the statutory requirements as laid down in the regulatory framework.
- 9. Ensure adequacy of disclosure of "material information" to the policyholders. These disclosures shall comply with the requirements laid down by the Authority both at the point of sale and at periodic intervals.
- 10. Provide details of grievances at periodic intervals in such formats as may be prescribed by the Authority.
- 11. Ensure that details of insurance ombudsmen are provided to the policyholders.
- 12. Review of Claims Report, including status of Outstanding Claims with ageing of outstanding claims.
- 13. Reviewing Repudiated claims with analysis of reasons.
- 14. Review status of settlement of other customer benefit payouts like Surrenders, Loan, Partial withdrawal requests etc.
- 15. Review of unclaimed amounts of Policyholders, as required under the Circulars and guidelines issued by the Authority.
- 16. Matters relating to relocation of Place of Business of the Corporation within the same city, town or village and subsequent closure of earlier Place of Business was delegated to the Policyholder Protection Committee. (Minutes of the 568th Meeting of the Board held on 28th October, 2015)
- 17. Approve closure of Mini offices consequent upon their up gradation to Satellite offices. (Minutes of the 589th Meeting of the Board held on 17th July, 2019)
- 18. Approval in advance for relocation of any place of business within the same city, town or Village.





iii. The attendance at the four meetings of the Policyholders' Protection Committee (PPC) held during the year 2021-22 is given below:

| Name of the Director | Nature of Directorship | Designation in the Committee / Board | 28.05.2021 | 09.09.2021 | 17.12.2021 | 17.03.2022 |
|---|-------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| Shri Devesh Srivastava* | Ex-Officio Member | Chairperson | ~ | | | |
| Smt Padmaja Chunduru*** Non-Executive D | | Chairperson | | | | |
| Shri Vipin Anand** | Executive Director | Member | | | | |
| Shri Siddhartha Mohanty ^{@@} | Executive Director | Member | ~ | ~ | ~ | - |
| Shri Raj Kumar [®] | Executive Director | Chairperson | | ~ | | |
| Smt Mini Ipe** | Executive Director | Member | | ~ | ~ | - |
| Shri Vinod Kumar Verma [%] | Independent Director | Member | | | - | - |
| Shri Sanjeev Nautiyal ^{%%®} | Independent Director | Chairperson | | | | ~ |
| Smt Anjuly Chib Duggal ^{%%} | Independent Director | Member | | | | - |
| Dr. Snehlata Deshmukh | Dr. Snehlata Deshmukh Expert Member | | ~ | ~ | ~ | ~ |

@Chairperson from 01.09.2021 till 09.11.2021

@@Chairperson from 10.11.2021 till 28.12.2021 and Member thereafter

% Member from 10.11.2021, Chairperson from 29.12.2021 till 06.02.2022 and Member there after

%% Member from 07.02.2022

%%@ Chairperson & Member from 07.02.2022

- ** Superannuated on 31.07.2021
- ++Member from 02.08.2021

F. WITH-PROFIT COMMITTEE [WPC]

The With – Profit Committee [WPC] has been constituted in line with IRDAI (Non-Linked Insurance Products) Regulations

i. The WPC comprised of the following members as on 31st March, 2022:

| SI No. | Name | Category | Designation | |
|-----------|------------------------------|--------------------------|--|--|
| 1. | Shri M R Kumar | Chairperson | Chairperson | |
| 2. | Shri Raj Kamal | Member | Independent Director | |
| 3. | Smt Shubhangi S Soman* | Member | Executive Director (F&A) & Chief Financial Officer | |
| 4. | Shri Subrahmanyam Kollimarla | Member | Independent Actuary | |
| 5. | Shri Dinesh Pant | Member Appointed Actuary | | |

^{*}Superannuated on 31/03/2022

- ii. The Terms of Reference of the WPC is as under:
 - 1. Approve the asset share methodology including the deductions for expenses and crediting of investment return to the asset share and other associated elements.
 - 2. Prepare a report summarizing the Committee's view to be sent to IRDAI along with Actuarial Report and Abstract.





iii. The attendance at the two meetings of the With – Profit Committee [WPC] held during the year 2021-22 is given below:

| Sr No. | Name of the Director | Nature of Directorship | Designation in the Committee / Board | 22.06.2021 | 17.01.2022 |
|-----------|------------------------------|---------------------------|--|-------------|------------|
| 1 | Shri M R Kumar | Executive Director | Chairperson | > | ~ |
| 2 | Smt Padmaja Chunduru# | Director nominated by Gol | Member | | |
| 3 | Shri Vinod Kumar Verma** | Independent Director | Member | | ~ |
| 4 | Shri Raj Kamal& | Independent Director | Member | | |
| 5 | Smt Shubhangi Soman | ED (F&A) & CFO | Member | ~ | ~ |
| 6 | Shri Subrahmanyam Kollimarla | Independent Actuary | Member | ~ | ~ |
| 7 | Shri Devesh Srivastava* | Ex-Officio Member | Member | ~ | |
| 8 | Shri Dinesh Pant | Appointed Actuary | Member | ~ | ~ |

#Member from 02.07.2021 to 31.08.2021

G. ELECTION OF SHAREHOLDERS' DIRECTORS COMMITTEE IN Public Sector Banks (PSBs).

The Election of Shareholders' Directors Committee in PSBs has been constituted as per MOF Letter no 16.11.2012-BO-I dated 03.04.2012

i. The Election of Shareholders' Directors Committee in PSBs comprised of the following members as on 31st March, 2022:

| SI No. | Name | Category | Designation |
|--------|------------------|-------------|-------------------|
| 1. | Shri M R Kumar | Chairperson | Chairperson |
| 2. | Shri Raj Kumar | Member | Managing Director |
| 3. | Shri B C Patnaik | Member | Managing Director |

ii. The Terms of Reference of the Election of Shareholders' Directors Committee in PSBs is as under:

Scanning and selecting the candidates standing for election for Shareholder Director in Public Sector Banks.

iii. The attendance at the one meeting of the Election of Shareholders' Directors Committee in PSBs held during the year 2021-22 is given below:

| iv. Sr No | Name of the Director | Nature of Directorship | Designation in the Committee / Board | 06.09.2021 |
|--------------|--------------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | Shri M R Kumar | Chairperson | Chairperson | ~ |
| 2 | Shri Devesh Srivastava@ | Ex-Officio Member | Member | |
| 3 | Shri Mukesh Kumar Gupta* | Managing Director | Member | ~ |
| 4 | Shri Raj Kumar | Managing Director | Member | ~ |
| 5 | Shri B C Patnaik^ | Managing Director | Member | |

@Member till 29.06.2021

^{*} Member till 29.06.2021

^{**} Member from 14.01.2022 till 06.02.2022

[&]amp; Member from 07.02.2022

[^]Member from 01.10.2021

^{*} Member till 30.09.2021





H. IT STRATEGY COMMITTEE.

The IT Strategy Committee has been constituted as per directives of 580th LIC Board Meeting held on 27.03.2018.

i. The IT Strategy Committee comprised of the following members as on 31st March, 2022:

| SI No. | Name | Category | Designation |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------|
| 1. | Shri Raj Kamal | Chairperson | Independent Director |
| 2. | Shri Siddhartha Mohanty | Member | Managing Director |
| 3. | Ms. Ipe Mini | Member | Managing Director |
| 4. | Shri M P Vijay Kumar | Member | Independent Director |
| 5. | Prof (Dr) Om Damani | Member | Consultant |

- ii. The Terms of Reference of the IT Strategy Committee is as under:
 - 1. Develop a vision, philosophy, principles and strategic goals for IT in LIC.
 - 2. Establish policies that will serve as framework for executive decisions on long-term IT strategy to include life cycle cost analysis, roles, responsibilities, delegation of authority, security access etc.
 - 3. Providing technical advisory to the board in IT related matters brought to the table
 - 4. Ensuring that the IT organizational structure complements the business model and its direction
 - 5. Resource and manpower planning ensuring IT investments represent a balance of risks and benefits and that budgets are acceptable.
 - Evaluating effectiveness of management's monitoring of IT risk and overseeing the aggregate funding of IT.
 - 7. Monitoring the status of all approved strategic initiatives, especially those with critical deadlines, and assisting in removing obstacle to ensure timely completion of critical initiatives.
 - 8. Reviewing overall IT performance measurement and constitution of IT to business
 - 9. Review of activities by Information Security Steering Committee which was earlier being done by Risk Management Committee
 - 10. Approval of Technical evaluation of projects.
- iii. No meetings of IT Strategy Committee were required to be held during the year 2021-22.

I. BUILDING ADVISORY COMMITTEE [BAC].

The Building Advisory Committee has been constituted as per directives of 510th LIC Board Meeting held on 20.08.2004.

i. The Building Advisory Committee comprised of the following members as on 31st March, 2022:

| SI No. | Name | Category | Designation |
|--------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1. | Shri M R Kumar | Chairperson | Chairperson |
| 2. | Shri B C Patnaik | Member | Managing Director |
| 3. | Shri Raj Kamal | Member | Independent Director |
| 4. | Shri Anjan Mukherjee | Member | External Member |
| 5. | Dr Sauvik Banerjee | Member | External Member |

Special Invitee: Shri Siddhartha Mohanty, Managing Director

- ii. The Terms of Reference of the Building Advisory Committee is as under:
 - 1. To scrutinize proposal for purchase and sale of properties and construction and maintenance of building and all other matters incidental thereto and any other matters submitted to it.
 - 2. To approve all such proposals submitted to it of value as per the provisions of the Financial Powers Standing Order of the Corporation as approved from time to time
- iii. No meetings of Building Advisory Committee were required to be held during the year 2021-22.





J. REVIEW COMMITTEE ON WILFUL DEFAULTER

The Review Committee on Wilful Defaulter has been constituted as per RBI Master Circular dated 01.07.2014 and 01.07.2015.

i. The Review Committee on Wilful Defaulter comprised of the following members as on 31st March, 2022:

| SI No. | Name | Category | Designation |
|--------|------------------------|-------------|----------------------|
| 1. | Shri M R Kumar | Chairperson | Chairperson |
| 2. | Shri Vinod Kumar Verma | Member | Independent Director |
| 3. | Shri Sanjeev Nautiyal | Member | Independent Director |

ii. The Terms of Reference of the Review Committee on Wilful Defaulter is as under:

- 1. To review the internal Wilful Defaulters Committee's orders/ decisions of classifying a borrower as Wilful defaulter;
- 2. To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.
- iii. No meetings of Review Committee on Wilful Defaulter were required to be held during the year 2021-22.

K. STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE [SRC]

The Stakeholders Relationship Committee has been constituted as per Regulation 20 of SEBI (LODR), Regulations 2015

i. The Stakeholders Relationship Committee comprised of the following members as on 31st March, 2022:

| SI No. | Name Category | | Designation |
|-----------|------------------------|-------------|----------------------|
| 1. | Dr Ranjan Sharma | Chairperson | Independent Director |
| 2. | Shri Raj Kumar | Member | Managing Director |
| 3. | Prof. Anil Kumar | Member | Independent Director |
| 4. | Smt Anjuly Chib Duggal | Member | Independent Director |
| 5. | Shri M P Vijay Kumar | Member | Independent Director |

- ii. The Terms of Reference of the Stakeholders Relationship Committee is as under:
 - (1) Resolving the grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.
 - (2) Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
 - (3) Review of adherence to the service standards adopted by the Corporation in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
 - (4) Review of the various measures and initiatives taken by the Corporation for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/ statutory notices by the shareholders of the company
- iii. No meetings of Stakeholders Relationship Committee were required to be held during the year 2021-22.
- iv. Shri Pawan Agrawal is the Company Secretary & Compliance Officer.

L. NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE [NRC]

The Nomination & Remuneration Committee has been constituted as per Section 19B of the LIC Act, 1956 and regulation 19 of SEBI (LODR) regulations, 2015





i. The Nomination & Remuneration Committee comprised of the following members as on 31st March, 2022:

| SI No. | Name | Category | Designation |
|--------|-----------------------------|-------------|---|
| 1. | Prof. Anil Kumar | Chairperson | Independent Director |
| 2. | Shri Pankaj Jain | Member | Government Nominee Director |
| 3. | Shri M R Kumar | Member | Whole Time Chairperson of the Corporation |
| 4. | Dr Ranjan Sharma | Member | Independent Director |
| 5. | Shri Vinod Kumar Verma | Member | Independent Director |
| 6. | Shri Gurumoorthy Mahalingam | Member | Independent Director |

- ii. The Terms of Reference of the Nomination & Remuneration Committee is as under:
 - 1. Formulating the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommending to the Board a policy, relating to the remuneration of the directors, key managerial personnel and other employees;
 - 2. For every appointment of an independent director, the Nomination and Remuneration Committee shall evaluate the balance of skills, knowledge and experience on the Board and on the basis of such evaluation, prepare a description of the role and capabilities required of an independent director. The person recommended to the Board for appointment as an independent director shall have the capabilities identified in such description. For the purpose of identifying suitable candidates, the Committee may:
 - i. use the services of an external agencies, if required;
 - *ii.* consider candidates from a wide range of backgrounds, having due regard to diversity; and *iii.* consider the time commitments of the candidates.
 - 3. To recommend the appointment of an independent director to Board;
 - 4. Formulating of criteria for evaluation of the performance of the independent directors and the Board;
 - 5. Devising a policy on Board diversity;
 - 6. Identifying persons who qualify to become directors or who may be appointed in senior management in accordance with the criteria laid down, recommending to the Board their appointment and removal;
 - 7. Determining whether to extend or continue the term of appointment of the independent director, on the basis of the report of performance evaluation of independent directors;
 - 8. Recommend to the Board a policy relating to the sum payable as sitting fees to a director nominated or appointed under clauses (e) or (f) or (g) of sub-section (2) of section 4 of the LIC Act, subject to such fees not exceeding such limit as may apply in respect of sitting fees payable to a director of a company under the Companies Act, 2013;
 - 9. Recommend to the board, all remuneration, in whatever form, payable to senior management; and
 - 10. Carrying out such other functions as may be specified by the Board from time to time or specified/provided under the LIC Act or the SEBI Listing Regulations, each as amended or by any other regulatory authority





iii. The attendance at the four meetings of the Nomination & Remuneration Committee held during the year 2021-22 is given below:

| Sr No | Name of the Director | Nature of Directorship Nature of Directorship / Board | | 23.07.2021 | 31.08.2021 | 20.01.2022 | 29.01.2022 |
|-------|--|---|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 1 | Shri Pankaj Jain ^{\$} | Government Nominee Director | Member | > | > | > | > |
| 2 | Smt Padmaja Chunduru*** | Non-Executive Director Member | | < | \ | | |
| 3 | Shri M R Kumar | Whole Time Chairperson of Corp. | Member | > | > | ~ | ~ |
| 4 | Dr Ranjan Sharma ^{@@} | Independent Director | Member | | | ~ | ~ |
| 5 | Shri Vinod Kumar Verma ^{@@} | Independent Director | Member | | | ~ | ~ |
| 6 | Prof Anil Kumar# | Independent Director | Chairperson | | | | ~ |
| 7 | Shri Gurumoorthy Mahalingam ⁺ | Independent Director | Member | | | | |

\$Chairperson from 02.07.2021 till 06.02.2022 ***Member till 31.08.2021 @@ Member from 10.11.2021 #Member from 25.01.2022 & Chairperson from 07.02.2022 + Member from 07.03.2022

iv. Performance evaluation criteria for Independent Directors

The Nomination & Remuneration Committee of the Board determined the performance evaluation criteria for Independent Directors and the same has been mentioned under para 5.2 (v) of the Policy for Directors' Qualification, Nomination, Appointment, Remuneration, Evaluation and Board Diversity Policy placed at https://licindia.in/getattachment/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct/Director-s-Policy.pdf.aspx

M. IPO COMMITTEE

The IPO Committee was constituted as per the LIC Board decision dated 20.12.2021 for the limited purpose of IPO related functions

i. The IPO Committee comprised of the following members as on 31st March, 2022:

| | SI No. | Name | Category | Designation |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| | 1. | Shri M.R. Kumar | Chairperson | Chairperson |
| | 2. Shri Raj Kumar | | Member | Managing Director |
| Ī | 3. | Shri Siddhartha Mohanty | Member | Managing Director |
| Ī | 4. Shri B C Patnaik | | Member | Managing Director |
| | 5. Dr. Ranjan Sharma | | Member | Independent Director |

- ii. The Terms of Reference of the IPO Committee was as under:
 - 1. To approve to make applications, seek clarifications, obtain various approvals and seek exemptions from, where necessary, the SEBI, Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI"), the RBI, and any other governmental or statutory authorities as may be required in connection with the Offer and accept on behalf of the Board such conditions and modifications as may be prescribed or imposed by any of them while granting such approvals, permissions and sanctions as may be required and wherever necessary, incorporate such modifications / amendments as may be required in the draft red herring prospectus, the red herring prospectus and the prospectus as applicable;
 - 2. To finalize, settle, approve, adopt and file in consultation with the book running lead managers appointed for the Offer(the "BRLMs") where applicable, the draft red herring prospectus, the red herring prospectus and the prospectus in connection with the Offer, the preliminary and final international wrap and any amendments, supplements, notices, addenda or corrigenda thereto ("Offer Documents"), and take all such actions as may be necessary for the submission and filing of these documents including incorporating such alterations/corrections/ modifications as may be required by SEBI, IRDAI, or any other relevant governmental and statutory authorities or in accordance with Applicable Laws;



And to deliver or arrange the delivery of the draft red herring prospectus, the red herring prospectus, the preliminary and final international wrap, offer agreement, syndicate agreement, underwriting agreement, share escrow agreement, cash escrow agreement, agreements with the registrar to the Offer and all other documents, deeds, agreements and instruments whatsoever with the registrar to the Offer, legal advisors, auditors, advertising agency, stock exchange(s), BRLMs, and any other agencies/intermediaries in connection with the Offer with the power to authorize one or more officers of the Corporation to execute all or any of the aforesaid documents or any amendments thereto as may be required or desirable in relation to the Offer;

- 3. To decide in consultation with the BRLMs on the actual Offer size, timing, pricing, discount, reservation and all the terms and conditions of the Offer, including the price band (including issue price for anchor investors), bid period, Offer price, and to do all such acts and things as may be necessary and expedient for, and incidental and ancillary to the Offer including to make any amendments, modifications, variations or alterations in relation to the Offer;
- 4. To appoint and enter into and terminate arrangements with the BRLMs, underwriters to the Offer, syndicate members to the Offer, brokers to the Offer, escrow collection bankers to the Offer, refund bankers to the Offer, registrars, sponsor bank, legal advisors, auditors, advertising agency and any other agencies or persons or intermediaries in relation to the Offer, including any successors or replacements thereof, and to negotiate, finalise and amend the terms of their appointment, including but not limited to the execution of the mandate letter with the BRLMs and negotiation, finalization, execution and to remunerate all such intermediaries/agencies including the payments of commissions, brokerages, etc.;
- 5. To seek, if required, the consent and/or waiver of the parties with whom the Corporation has entered into various commercial and other agreements, all concerned government and regulatory authorities in India or outside India, and any other consents and/or waivers that may be required in relation to the Offer or any actions connected therewith;
- 6. To open and operate bank accounts in terms of the escrow agreement and to authorize one or more officers of the Corporation to execute all documents/deeds as may be necessary in this regard;
- 7. To authorize and approve incurring of expenditure and payment of fees, commissions, brokerage, remuneration and reimbursement of expenses in connection with the Offer;
- 8. To accept and appropriate the proceeds of the Offer in accordance with the Applicable Laws;
- 9. To approve the implementation of any corporate governance requirements including insider trading, whistle-blowing, risk management in relation to the IPO process, that may be considered necessary by the Board or the IPO Committee or as may be required under the Applicable Laws or the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and listing agreements to be entered into by the Corporation with the relevant stock exchanges, to the extent allowed under law;
- 10. To issue receipts/allotment letters/confirmation of allotment notes either in physical or electronic mode representing the underlying Equity Shares in the capital of the Corporation with such features and attributes as may be required and to provide for the tradability and free transferability thereof as per market practices and regulations, including listing on one or more stock exchange(s), with power to authorize one or more officers of the Corporation to sign all or any of the aforestated documents;
- 11. To authorize and approve notices, advertisements in relation to the Offer in consultation with the relevant intermediaries appointed for the Offer;
- 12. To do all such acts, deeds, matters and things and execute all such other documents, etc., as may be deemed necessary or desirable for such purpose, including without limitation, to finalise the basis of allocation and to allot the shares to the successful allottees as permissible in law, issue of allotment letters/confirmation of allotment notes, share certificates in accordance with the relevant rules, in consultation with the BRLMs;





- 13. To do all such acts, deeds and things as may be required to dematerialise the Equity Shares and to sign and/ or modify, as the case may be, agreements and/or such other documents as may be required with the National Securities Depository Limited, the Central Depository Services (India) Limited, registrar and transfer agents and such other agencies, authorities or bodies as may be required in this connection and to authorize one or more officers of the Corporation to execute all or any of the aforestated documents;
- 14. To make applications for listing of the Equity Shares in one or more stock exchange(s) for listing of the Equity Shares and to execute and to deliver or arrange the delivery of necessary documentation to the concerned stock exchange(s) in connection with obtaining such listing including without limitation, entering into listing agreements and affixing the common seal of the Corporation where necessary;
- 15. To settle all questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the Offer, including allotment, terms of the Offer, utilisation of the Offer proceeds and matters incidental thereto as it may deem fit;
- 16. To approve, submit undertaking/certificates or provide clarifications, in relation to the IPO process, to the SEBI, IRDAI and the relevant stock exchange(s) where the Equity Shares are to be listed;
- 17. To negotiate, finalize, settle, execute and deliver any and all other documents or instruments and to do or cause to be done any and all acts or things as the IPO Committee may deem necessary, appropriate or advisable in order to carry out the purposes and intent of this resolution or in connection with the Offer and any documents or instruments so executed and delivered or acts and things done or caused to be done by the IPO Committee shall be conclusive evidence of the authority of the IPO Committee in so doing;
- 18. Deciding, negotiating and finalising the pricing and all other related matters regarding the execution of the relevant documents with the investors in consultation with the BRLMs and in accordance with Applicable Laws;
- 19. To withdraw the draft red herring prospectus or the red herring prospectus or to decide to not proceed with the Offer at any stage in accordance with Applicable Laws and in consultation with the BRLMs; and
- 20. To delegate any of its powers set out herein above, as may be deemed necessary and permissible under Applicable Laws to the officials of the Corporation."
- iii. The attendance at the one meeting of the IPO Committee held during the year 2021-22 is given below:

| Sr No | Name of the Director * | Nature of Directorship | Designation in the Committee / Board | 11.02.2022 |
|----------|-------------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | Shri M R Kumar | Chairperson | Chairperson | ~ |
| 2 | Shri Raj Kumar | Member | Managing Director | ~ |
| 3 | Shri Siddhartha Mohanty | Member | Managing Director | ~ |
| 4 | Shri B C Patnaik | Member | Managing Director | ~ |
| 5 | Dr. Ranjan Sharma | Member | Independent Director | ~ |

^{*}Members from 20.12.2021





4. REMUNERATION OF DIRECTORS:

a) The remuneration paid to Whole-time Directors during the year 2021-22 is as under:

(₹ in lakhs)

| Name of the Director | Designation | Salaries & Allowances | Performance Linked Incentive | Other Benefits & Perquisites | Pension | Total Remuneration |
|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------|
| Shri M R Kumar | Chairperson | 45.11 | 7.00 | 19.81 | 0 | 71.92 |
| Vipin Anand | Managing Director | 20.80 | 5.50 | 7.16 | 6.94 | 40.39 |
| Mukesh Kumar Gupta | Managing Director | 29.81 | 5.50 | 12.74 | 0 | 48.05 |
| Raj Kumar | Managing Director | 47.18 | 5.50 | 18.05 | 0 | 70.73 |
| Siddhartha Mohanty | Managing Director | 56.04 | 0.89 | 18.45 | 0 | 75.38 |
| Mini Ipe | Managing Director | 21.93 | 0 | 19.40 | 0 | 41.33 |
| B C Patnaik | Managing Director | 16.41 | 0 | 13.28 | 0 | 29.69 |

Note:

- 1. Performance Linked Incentives are payable to the Whole-Time Directors of the Corporation as per the Government of India's guidelines.
- 2. Salaries & Allowances include arrears paid for the period August 2017 to March 2021.
- 3. During the year no stock options were issued by the Corporation to Whole Time Directors.
- 4. The terms of appointment of the Whole-time Directors are regulated by the provisions of the Staff Rules as well as LIC Rules and Regulations.
- 5. There has been no other pecuniary relationship or business transactions, by the Corporation with any of the Non-Executive Directors of the Corporation.
- b) The Government Nominee Director is not paid any remuneration, sitting fees, etc. Pursuant to the resolution dated July 26, 2021 passed by the Board of Directors, Independent Directors appointed under the provisions of the Life Insurance Corporation Act, are entitled to receive sitting fees of ₹80,000 per meeting of the Board and ₹60,000 per meeting of the committees apart hum reimbursement of travel, stay & transport expenses for attending the meeting by outstation directors. The details of sitting fees paid to Independent Directors during the year 2021-22 are as follows:

(₹ in lakhs)

| Details of Meeting | Dr. Ranjan Sharma | Vinod Kumar Verma | Anil Kumar | Anjuly Chib Duggal | Gurumoorthy Mahalingam | Raj Kamal | V S Parthasarathy | M P Vijay Kumar | Sanjeev Nautiyal |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Board | 5.60 | 5.60 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| Executive Committee | 1.20 | - | - | 1.20 | 1.20 | - | 1.20 | - | - |
| Investment Committee | - | ı | - | 1 | 0.60 | 0.60 | - | 0.60 | - |
| Audit Committee | 3.60 | 1.20 | 2.40 | - | - | - | 2.40 | 2.40 | - |
| Risk Management Committee | 1.20 | - | - | - | 0.60 | - | - | - | 0.60 |
| Policyholders' Protection Committee | - | 1.20 | - | 0.60 | - | - | - | - | 0.60 |
| With-Profit Committee | - | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - |





| Details of Meeting | Dr. Ranjan Sharma | Vinod Kumar Verma | Anil Kumar | Anjuly Chib Duggal | Gurumoorthy Mahalingam | Raj Kamal | V S Parthasarathy | M P Vijay Kumar | Sanjeev Nautiyal |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Nomination & Remuneration Committee | 1.20 | 1.20 | 0.60 | - | - | 1 | - | - | - |
| IPO Committee | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Sitting Fees paid | 13.40 | 9.80 | 7.00 | 5.00 | 5.60 | 3.80 | 6.80 | 6.20 | 4.40 |

5. General Body Meetings:

| a) | Location and time, where last three annual general meetings held | Not Applicable |
|----|--|----------------|
| b) | Whether any special resolutions passed in the previous three annual general meetings; | Not Applicable |
| c) | Whether any special resolution passed last year through postal ballot – details of voting pattern; | Not Applicable |
| d) | Person who conducted the postal ballot exercise; | Not Applicable |
| e) | Whether any special resolution is proposed to be conducted through postal ballot; | No |
| f) | Procedure for postal ballot. | Not Applicable |

6. Means of Communication

Annual Financial Results of the Corporation for the Financial Year 2021-22 were published in the Economic Times (English), Maharashtra Times (Marathi) and Navbharat Times (Hindi) on 31st May, 2022 and these are also available on the website of the Corporation at www.licindia.in.

7. General Shareholder Information:

| 1 | Forthcoming 1st Annual General Meeting [Day, Date, Time & Venue] | Tuesday, September 27, 2022 at 1430 hrs Annual General Meeting ("AGM") will be held through video-conferencing or other audio-visual means |
|---|---|--|
| 2 | Financial year | April 01, 2021 to March 31, 2022 |
| 3 | Dividend Payment Date | On or before October 26, 2022 |
| 4 | Listing on Stock Exchanges | The equity shares of the Corporation were listed on May 17, 2022 on National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE). The address of the respective Stock Exchanges is given below: |
| | | 1 |
| | | National Stock Exchange of India Ltd.: |
| | | Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051 |
| | | BSE Limited: |
| | | Phiroze Jeejeebhoy Towers, |
| | | Dalal Street, Mumbai 400 001 |
| 5 | Payment of listing fees | The Corporation has paid the annual listing fees for the relevant periods to NSE and BSE |
| 6 | Stock Code | BSE Security Code: 543526 |
| | | NSE Symbol: LICI |
| 7 | Market price data- high, low during each month in last financial year | Not Applicable |
| 8 | Performance in comparison to broad-based indices such as BSE sensex, CRISIL Index etc | Not Applicable |



| 9 | In case the securities are suspended from trading, the directors report shall explain the reason thereof; | Not Applicable | | | |
|----|---|--|-----------------------|--------------------|--|
| 10 | Registrar to an Issue and share Transfer Agents; | KFin Technologies Limited Unit: Life Insurance Corporation Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 Email: einward.ris@kfintech.com | 0032 | | |
| | | Website: www.kfintech.com Toll Free No.: 1800-309-4001 | ' | | |
| 11 | Share transfer system | All shares are dematted. | | | |
| 12 | Distribution of Shareholding | As on March 31, 2022, the Presidon of the Corporation. Please referas on May 17, 2022, i.e., the date BSE. | Table – I for shareho | lding distribution | |
| 13 | Dematerialization of Shares and Liquidity | Particulars of Equity Shares | Number | % of total | |
| | | Held in electronic mode with Depositories | 6324997701 | 100 | |
| | | Held in Physical mode | Nil | Nil | |
| | | Total | 6324997701 | 100 | |
| 14 | Outstanding Global Depository Receipts or American Depository Receipts or Warrants or any Convertible Instruments, conversion date and likely impact on Equity; | The Corporation has not issued a | nny such securities. | | |
| 15 | Commodity price risk or foreign exchange risk and hedging activities | Not Applicable, since the Corporation is not involved in any such activities. | | | |
| 16 | Plant Locations | Since the Corporation is in the budisclosure with regard to plant lo | | | |
| 17 | Address for correspondence | Central Office Address: Life Insurance Corporation of Ind Board & Secretarial Department, 'Yogakshema', 7th Floor, East Wir Jeevan Bima Marg, Nariman Point Mumbai – 400 021 | ng, | | |
| | | Email address: investors@licindi Tel. Nos.: 022-6659-9335/9334. Website: www.licindia.in | | | |
| | | Registrar and Transfer Agents KFin Technologies Limited Unit: Life Insurance Corporation Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 Email: einward.ris@kfintech.com Website: www.kfintech.com | 0032 | | |
| 10 | that of all and discussions a distribution discussions at the contract of the | Toll Free No.: 1800-309-4001 | | | |
| 18 | list of all credit ratings obtained by the entity along with any revisions thereto during the relevant financial year, for all debt instruments of such entity or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the listed entity involving mobilization of funds, whether in India or abroad. | Not Applicable | | | |





Table – I – Shareholding details of the Corporation

(A) Distribution Schedule as at May 17, 2022 [Date of listing of Shares):

| S. No. | Category (Amount) | Number of Shareholders | % to Total Shareholders | Number of Shares | % to Total Share |
|-----------|-------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 1-5000 | 3910637 | 99.8762 | 93865132 | 1.48 |
| 2 | 5001-10000 | 1492 | 0.0381 | 1078192 | 0.02 |
| 3 | 10001- 20000 | 839 | 0.0214 | 1120185 | 0.02 |
| 4 | 20001-30000 | 533 | 0.0136 | 1223391 | 0.02 |
| 5 | 30001- 40000 | 162 | 0.0041 | 560185 | 0.01 |
| 6 | 40001- 50000 | 975 | 0.0249 | 4339018 | 0.07 |
| 7 | 50001- 100000 | 284 | 0.0073 | 2189160 | 0.03 |
| 8 | 100001& Above | 563 | 0.0144 | 6220622438 | 98.35 |
| | Total | 3915485 | 100 | 6324997701 | 100.00 |

(B) Shareholding Pattern as at May 17, 2022:

| S. No. | Category Of Shareholder | Number of Equity Shares | % to Total Equity Shares |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | PRESIDENT OF INDIA | 6103622781 | 96.5 |
| 2 | RESIDENT INDIVIDUALS | 103598610 | 1.6379 |
| 3 | MUTUAL FUNDS | 50378435 | 0.7965 |
| 4 | BODIES CORPORATES | 19099923 | 0.302 |
| 5 | FOREIGN PORTFOLIO - CORP | 14098963 | 0.2229 |
| 6 | Qualified Institutional Buyer | 12675500 | 0.2004 |
| 7 | BANKS | 12299780 | 0.1945 |
| 8 | CLEARING MEMBERS | 4003811 | 0.0633 |
| 9 | HUF | 2611212 | 0.0413 |
| 10 | NON RESIDENT INDIANS | 945103 | 0.0149 |
| 11 | ALTERNATIVE INVESTMENT FUND | 546389 | 0.0086 |
| 12 | NON RESIDENT INDIAN NON REPATRIABLE | 462101 | 0.0073 |
| 13 | INDIAN FINANCIAL INSTITUTIONS | 271040 | 0.0043 |
| 14 | TRUSTS | 202876 | 0.0032 |
| 15 | NBFC | 181177 | 0.0029 |
| | Total | 6324997701 | 100 |

8. Other Disclosures

a. Related Party Transactions:

The Corporation has a policy on Related Party Transactions (RPTs) and is available on the website of the Corporation and the web-link for the same is https://licindia.in/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct. As per the policy on RPTs, all related party transactions are approved by the Audit Committee. The Audit Committee has granted omnibus approval for related party transactions during the year 2021-22 in line with the policy on RPTs. The Corporation has not entered into any materially significant related party transactions during the year.

- b. Details of non-compliance by the Corporation, penalties, strictures imposed on the Corporation by Stock Exchanges or SEBI or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years: The Corporation is under the scanner of capital market regulator since 17th May, 2022. There were no cases of non-compliance by the Corporation of any matter related to capital markets during the last three years.
- c. Vigil Mechanism/Whistle Blower Policy: The Corporation believes in the conduct of the affairs in a fair and transparent manner by adopting highest standards of professionalism honest and ethical behaviour and hence has provided framework to promote responsible and secure whistle blowing. The Corporation has framed a Whistle –



Blower Policy wherein the Stakeholders are free to report any breach of contract, financial irregularities including fraud or suspected fraud, violation of laws, rules, regulations and any other unethical event. The policy provides that the confidentiality of those reporting the violations shall be maintained and they shall not be subjected to any discriminatory practice. The procedure for filing the disclosure under the policy has been hosted on the website of the Corporation under the Whistle Blower Policy of the Corporation. A whistleblower has full access to report any matter to the Audit Committee as well as to the Chairman of the Audit Committee.

d. Details of compliance with mandatory requirements and adoption of the non-mandatory requirements:

The Corporation has complied with all the mandatory requirements specified in the Regulations 17 to 27 and Regulation 46 (2) (b) to 46 (2)(i) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and also the non-mandatory requirements pertaining to Corporate Governance stipulated therein to the extent possible as under:

| Sr. No | Discretionary Requirements | Status |
|-----------|--|--|
| 1 | A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his / her duties | Not Applicable |
| 2 | A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders | Quarterly and half-yearly financial results are published in newspapers as well as disseminated to the Stock Exchanges immediately after the Board approval for information of shareholders and other stakeholders. |
| 3 | The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion | The Corporation is in the regime of unmodified audit opinion. |
| 4 | The listed entity may appoint separate persons to the post of the Chairperson and the Managing Director or the Chief Executive Officer, such that the Chairperson shall – (a) be a non-executive director; and (b) not be related to the Managing Director or the Chief Executive Officer as per the definition of the term "relative" defined under the Companies Act, 2013 | Presently, LIC has a Whole Time Chariperson. As per Section 4 (2) (a) (ii) of the LIC Act, 1956, after the initial period of 3 years i.e. after 29 th June, 2024, the Chairperson of the Board will be amongst the Non-Executive Directors nominated or to be nominated by the Central Government. Additionally there will also be separate position of CEO & MD. |
| 5 | The internal auditor may report directly to the audit committee | Internal Auditor reports directly to the Audit Committee of the Board. |

- e. Web link where policy for determining 'material' subsidiaries: The policy for determining 'material' subsidiaries is disclosed on the website of the Corporation at https://licindia.in/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct
- f. Disclosure of commodity price risks and commodity hedging activities: Not Applicable, since the Corporation is not involved into any such activities.
- g. Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A): During the financial year, the Corporation has not raised any funds through preferential allotment or Qualified Institutions Placement.
- h. A certificate from a company secretary in practice that none of the Directors on the Board of the Company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Companies by the Board/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority: As required under the SEBI (LODR), M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries, has certified that none of the directors on the Board of the Corporation have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Director of the Companies by the Securities and Exchange Board of India / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory or other authority.
- i. There were no instances where the Board had not accepted any recommendation of any Committees of the Board during the financial year ended March 31, 2022.
- j. Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part Details relating to fees paid to the Statutory Auditors are given in Schedule 3 and related notes to the Financial Statements.





k. Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

The female employees of the Corporation are treated at par with the male employees. The female employees are provided a healthy and dignified working condition in our Organization. Wherever they are posted, it is ensured that the necessary facilities for their convenience and safety are provided. In accordance with the Government Provisions, a Committee known as Internal Complaint Committee consisting of a Chairperson and three members including one outside member from NGO has been constituted in Central Office, eight Zonal Offices and all the Divisional Offices. A Chairperson of the Committee is always a woman of Senior Cadre. Apart from this every Branch/Divisional/Zonal and Central office have a Grievance Redressal Machinery to deal with grievances of all the employees including women employees working in the respective offices. Comprehensive instructions have been issued to all our offices in this regard. The data of female employees in the Corporation as on 31.03.2022 is as under:

| Class | Female Employees | Total Employees |
|---------|------------------|-----------------|
| I | 7191 | 31074 |
| II | 1191 | 20560 |
| III &IV | 15712 | 52402 |
| Total | 24094 | 104036 |

The details of complaints on sexual harassment under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 are mentioned below:

- a. number of complaints filed during the financial year 9. (Including three complaints of prior period which were pending for conclusion)
- b. number of complaints disposed of during the financial year 5
- c. number of complaints pending as on end of the financial year.- 4
- 6. This Corporate Governance Report of the Corporation for the financial year ended March 31, 2022 is in compliance with the requirements of Corporate Governance under the Listing Regulations, as applicable.
- 7. The Corporation has complied with all the applicable requirements specified in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of Regulation 46 of the Listing Regulations, to the extent applicable
- 8. Disclosures with respect to demat suspense account/ unclaimed suspense account: Not Applicable as the Corporation has listed its shares on the Stock Exchange on 17th May, 2022.





DECLARATION REGARDING COMPLIANCE BY BOARD MEMBERS AND SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL WITH THE CORPORATION'S CODE OF CONDUCT

This is to certify that the Corporation has laid down the Code of Conduct for Board Members and Senior Management of the Corporation and the same is uploaded on the website of the Corporation.

It is further certified that the Directors and Senior Management Personnel of the Corporation have affirmed compliance with the said Code of Conduct for the year ended on 31^{st} March, 2022.

(M R Kumar)

Whole Time Chairperson

Place: Mumbai

Date: 27th May, 2022







10/25-26, 2nd Floor, Brindaban, Thane (W) – 400 601 T: +91 22 25345648 | +91 22 25432704 E: snaco@snaco.net | W: www.snaco.net ICSI Unique Code: P1991MH040400

Form No. MR-3 SECRETARIAL REVIEW REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH, 2022

[Pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Life Insurance Corporation of India
Yogakshema, Jeevan Marg,
Mumbai 400021.

President of India, acting through the Ministry of Finance Government of India, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 31 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements, Regulations 2018 and in compliance with Regulation 6(1) of the said Regulations, has offered for sale of upto 221,374,920 Equity Shares of $\stackrel{?}{\stackrel{?}{\stackrel{}}{\stackrel{}}}$ 10/- each of Life Insurance Corporation of India (the Corporation / LICI) vide Draft Red Herring / Letter of Offer dated 13th February 2022 filed with Securities Exchange Board of India on the same date

In anticipation of the equity shares of the Corporation getting listed with the Stock Exchanges on or before 31st March 2022 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations) becoming applicable, the Corporation appointed us as Secretarial Auditors of the Corporation to conduct and issue the Secretarial Audit and issue a Report thereon under Regulation 24A of LODR Regulations. The equity shares of the Corporation were listed with the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited (the Stock Exchanges) on 17th May 2022 and to that extent aforesaid Regulation was not applicable to the Corporation for the year ended 31st March 2022. At the request of the Corporation, we have issued this Report.

We have conducted the Secretarial Review of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Life Insurance Corporation of India** (hereinafter called the "Corporation") for the financial year ended **31**st **March 2022**. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Corporation's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Corporation and also the information provided by the Corporation, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Corporation has, during the audit period covering the financial year ended **31**st **March**, **2022**, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Corporation has proper board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Corporation for the financial year ended on **31**st **March**, **2022** according to the provisions of:

- i. The Companies Act, 2013 ('the Act'), and the rules made thereunder- to the extent applicable to the Corporation;
- ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder- **Non applicable as the securities** were not listed with the Stock Exchanges during the financial year under review;





- iii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings: Not Applicable to the extent of Foreign Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):
 - a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015; **Non applicable with effect** from 13th February 2022, the date of filing DRHP with BSE/NSE for listing its Equity Shares;
 - c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018- Non applicable with effect from 13th February 2022, the date of filing DRHP with BSE/NSE for listing its Equity Shares;
 - d. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (up to 12th August, 2021) and The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 (with effect from 13th August, 2021) **Not Applicable as the entity is not listed / has not issued any shares / options to directors / employees under the said regulations during the period under review;**
 - e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 (up to 15th August, 2021) **Not Applicable as the entity has not issued and listed debt securities during the period under review;**
 - f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client Not Applicable as the entity is not registered as Registrar to Issue and Share Transfer Agent during the period under review;
 - g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 (up to 9th June, 2021) and The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 (with effect from 10th June, 2021)
 Not applicable as the securities were not listed with the Stock Exchanges during the period under review;
 - h. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018 **Not applicable as the securities** were not listed with the Stock Exchanges during the period under review;
 - The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 (with effect from 16th August, 2021)- Not Applicable as the entity has not issued and listed debt securities with the Stock Exchanges during the period under review;
 - j. The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Not Applicable as the securities issued by the entity were not listed with the Stock Exchanges during the period under review.
- vi. The Management has identified and confirmed the following laws as specifically applicable to the Corporation:
 - i. The Life Insurance Corporation of India Act, 1956 (LIC Act) and the Rules & Regulations made there under,
 - ii. The Insurance act, 1938 and the Rules & Regulations made there under (to the extent the same are consistent with LIC Act)
 - iii. Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the Rules, Regulations and Guidelines made there under, (to the extent the same are consistent with the LIC Act, Rules & Regulations)
- iv. Prevention of Money Laundering Act, 2002 and Rules made thereunder

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards with regard to Meeting of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India;
- (ii) Listing Agreement(s) entered into with the Stock Exchanges: **Not applicable as the securities issued by the entity were not listed during the period under review.**

During the period under review the Corporation has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc., mentioned above.

We further report that:

The Board of Directors of the Corporation is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive
Directors, Independent Directors including at least one Women Independent Director. The changes in the composition of
the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of
the applicable Act.





- Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings/Committee Meetings, agenda and detailed notes
 on agenda were sent seven days in advance before the meeting except with the consent of directors was received for
 circulation of the notice, Agenda and notes on Agenda at a shorter notice.
- There exists system for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.
- All decisions of the Board and Committee meeting were carried with requisite majority.

We further report that based on review of compliance mechanism established by the Corporation and on the basis of the Compliance Certificate(s) issued by the Company Secretary jointly with the Chief Compliance Officer for IRDAI Compliances and taken on record by the Board of Directors at their meeting(s) based on the Compliance certificates issued by / obtained from all departments of the Corporation and its subsidiaries, we are of the opinion that there are adequate systems and processes in place in the Corporation which is commensurate with the size and operations of the Corporation to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the review period there were no specific events/actions other than those listed below having a major bearing on Corporation's affairs in pursuance of the above-referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc., referred to above.

- 1. issue and allotment of 10,00,00,000 equity shares and 6,22,49,97,701 equity shares to President of India (Government of India) on 8th September 2021 on account of Subscription made by it through the Ministry of Finance and Bonus Issue respectively under Life Insurance Corporation Act,1956.
- 2. The Equity Shares of the Corporation have been listed with the Stock Exchanges w.e.f., 17th May 2022 through Offer for sale of 221,374,920 Equity Shares (accounting for 3.5 % of the paid up capital of the Corporation) of Rs 10/- each by Government of India.

This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.

For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co.

Company Secretaries

ICSI Unique Code: P1991MH040400 Peer Review Cert. No.: 606/2019

S. N. Ananthasubramanian

Partner

FCS: 4206 | COP No.: 1774

ICSI UDIN: F004206D000357781

20th May, 2022: Thane







Annexure - A

To,
The Members,
The Members,
Life Insurance Corporation of India
Yogakshema, Jeevan Marg,
Mumbai 400021

Our Secretarial Audit Report for tahe financial year ended 31st March 2022 of even date is to be read along with this letter

Management's Responzibility

1. It is the responsibility of the management of the Corporation to maintain secretarial records, devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively.

Auditor's Responsibility

- 2. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the Corporation with respect to secretarial compliances.
- 3. We have conducted the Audit as per the applicable Auditing Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.
- 4. We believe that audit evidence and information obtained from the Corporation's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.
- 5. Wherever required, we have obtained reasonable assurance whether the statements prepared, documents or Records, in relation to Secretarial Audit, maintained by the Corporation, are free from misstatement.
- 6. Wherever required, we have obtained the management's representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

Disclaimer

- 7. We have conducted our Audit remotely based on the records and information made available to us through electronic platform by the Corporation, due to Covid 19 pandemic induced lockdown and restrictions for the purpose of issuing this report.
- 8. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.
- 9. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Corporation.

For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co.

Company Secretaries

ICSI Unique Code: P1991MH040400 Peer Review Cert. No.: 606/2019

S. N. Ananthasubramanian

Partner

FCS: 4206 | COP No.: 1774

ICSI UDIN: F004206D000357781

20th May, 2022: Thane







10/25-26, 2nd Floor, Brindaban, Thane (W) – 400 601 T: +91 22 25345648 | +91 22 25432704 E: snaco@snaco.net | W: www.snaco.net ICSI Unique Code: P1991MH040400

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE

[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para E of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,
The Members,
Life Insurance Corporation of India
Yogakshema, Jeevan Marg,
Mumbai 400021.

1. Background

President of India, acting through the Ministry of Finance Government of India, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 31 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements, Regulations 2018 and in compliance with Regulation 6(1) of the said Regulations, has offered for sale of upto 221,374,920 Equity Shares of Rs. 10/- each of Life Insurance Corporation of India (the Corporation / LICI) vide Draft Red Herring / Letter of Offer dated 13th February 2022 filed with Securities Exchange Board of India on the same date.

In anticipation of the equity shares of the Corporation getting listed with the Stock Exchanges on or before 31st March 2022 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations) becoming applicable, the Corporation has appointed us to issue the Corporate Governance Certificate as required pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para E of LODR Regulations. The equity shares of the Corporation were listed with the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited (Stock Exchanges) on 17th May 2022.

2. Management's Responsibility

The Compliance of conditions of Corporate Governance stipulated in the Listing Regulations is the responsibility of the management of the Corporation. The management shall devise adequate systems, internal controls and processes to monitor and ensure compliance of the same.

3. Our Responsibility

Our responsibility is limited to conduct an examination of the systems, internal controls and processes adopted by the Corporation and implementation thereof to monitor and ensure with the conditions of Corporate Governance and report thereon.

4. Opinion

Based on our examination as aforesaid, the information, explanations and representations provided by the management we certify that, the Corporation is, in Compliance with the provisions of Corporate Governance in LODR Regulations as also reported to SEBI by the Corporation at the time of filing its offer document, including the constitution of Board, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders Relationship Committee, Risk Management Committee and formulation of policies, as on 31st March 2022.





5. Disclaimer

- 5.1. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Corporation.
- 5.2. This report is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co.

Company Secretaries

ICSI Unique Code: P1991MH040400

Peer Review Cert. No.: 606/2019

S. N. Ananthasubramanian

Partner

FCS: 4206 | COP No.: 1774

UDIN: F004206D000357966

20th May, 2022 | Thane







CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C Clause (10) (i) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,
The Members of
Life Insurance Corporation Of India
Yogakshema, Jeevan Marg,
Mumbai 400021

President of India, acting through the Ministry of Finance Government of India, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 31 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements, Regulations 2018 and in compliance with Regulation 6(1) of the said Regulations, has offered for sale of upto 221,374,920 Equity Shares of Rs. 10/- each of Life Insurance Corporation of India (the Corporation / LICI) vide Draft Red Herring Letter of Offer dated 13th February 2022 filed with Securities Exchange Board of India on same date.

In anticipation of the equity shares of the Corporation getting listed with the Stock Exchanges on or before 31st March 2022 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations) becoming applicable, the Corporation appointed us to issue the Certificate under Section 34(3) read with Clause 10 (i) of Para C of Schedule V to LODR Regulations. The equity shares of the Corporation were listed with the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited (Stock Exchanges) on 17th May 2022. At the request of the Corporation, we have issued this Certificate.

We have examined the following documents:

- i) Declaration of non-disqualification as required under the Life Insurance Corporation Act 1956, Rules & Regulations;
- ii) Disclosure of concern or interests as required the Life insurance Corporation Act, 1956 and Life Insurance Corporation Rules . 1956:

as submitted by the Directors of **Life Insurance Corporation of India** ('the Corporation'/ LIC) and having its registered office at Yogakshema, Jeevan Marg Mumbai 400021, to the Board of Directors of the Corporation ('the Board') for the **Financial Year 2021-22 and Financial Year 2022-23** and relevant registers, records, forms and returns maintained by the Corporation and as made available to us for the purpose of issuing this Certificate in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C Clause 10(i) of SEBI (LODR) Regulations, 2015. We have considered non-disqualification to include non-debarment by Regulatory / Statutory Authorities.

It is the responsibility of Directors to submit relevant documents with complete and accurate information in accordance with the provisions of the Act.

We have conducted our Audit remotely based on the records and information made available to us through electronic platform by the Corporation, due to Covid 19 pandemic induced lockdown and restrictions for the purpose of issuing this report.

Ensuring the eligibility for the appointment/continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Corporation. Our responsibility is to express an opinion based on our verification.





Based on our examination as aforesaid and such other verifications carried out by us as deemed necessary and adequate (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in, wherever available), in our opinion and to the best of our information and knowledge and according to the explanations provided by the Corporation, its officers and authorized representatives, we hereby certify that as at the **Financial Year ended 31st March 2022**, none of the Directors on the Board of the Corporation, as listed hereunder have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Companies by Securities and Exchange Board of India / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory or other authority.

| Sr. No. | Name of Director | Director Identification Number (DIN) | Date of Appointment | | |
|------------|----------------------------|---|---------------------|--|--|
| 01 | Mr Ranjan Sharma | 09573799 | 29/10/2021 | | |
| 02 | Vinod Verma | 09309031 | 29/10/2021 | | |
| 03 | Anil Kumar | 09477565 | 20/01/2022 | | |
| 04 | Ms Anjuli Chibb Duggal | 05264033 | 29/01/2022 | | |
| 05 | Mr Guru Moorthy Mahalingam | - | 29/01/2022 | | |
| 06 | Mr Raj Kamal | 07653591 | 29/01/2022 | | |
| 07 | Mr V.S Parthasarathy | 00125299 | 29/01/2022 | | |
| 08 | Mr. M. P. Vijaykumar | 05170323 | 29/01/2022 | | |
| 09 | Mr. Sanjeev Nautiyal | 8075972 | 29/01/2022 | | |
| 10 | M. R. Kumar | 03628755 | 14/03/2019 | | |
| 11 | Pankaj Jain | 00675922 | 21/10/2020 | | |
| 12 | Mr Raj Kumar | 06627311 | 01/11/2019 | | |
| 13 | Siddhartha Mohanty | 08058830 | 02/02/2021 | | |
| 14 | Ms Ipe Mini | 07791184 | 02/08/2021 | | |
| 15 | B.C. Patnaik | 08384583 | 01/10/2021 | | |

This Certificate is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

This Certificate has been issued at the request of the Corporation to make disclosure in its Corporate Governance Report for the **Financial Year ended 31**st **March, 2022.**

For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co. Company Secretaries ICSI Unique Code P1991MH040400 Peer Review Cert. No. 606/2019

S. N. Ananthasubramanian Partner FCS: 4206 | COP No.: 1774 ICSI UDIN: F004206D000357933

20th May, 2022 | Thane





BUSINESS RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY REPORT

SECTION A: GENERAL DISCLOSURES

I. Details of the listed entity

- Corporate Identity Number (CIN) of the Corporation- Not Applicable IRDAI Registration Number- 512
- 2. Name of the Corporation-Life Insurance Corporation of India (Constituted under life insurance Corporation Act 1956)
- 3. Year of incorporation-1956
- 4. Registered office address- Central Office- Yogakshema, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai- 400021
- 5. Corporate address Central Office- Yogakshema, J.B. Marq, Nariman Point, Mumbai 400021
- 6. E-mail-investorrelations@licindia.com
- 7. Telephone 022-66599401
- 8. Website-www.licindia.in
- 9. Financial year for which reporting is being done- Financial Year 2021-22
- 10. Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed- National Stock Exchange of India Limited and BSE (formerly Bombay Stock Exchange Limited).
- 11. Paid-up Capital-
 - ₹ 6324.99 crore divided into 632.49 crore Equity Shares of ₹ 10 each.
- 12. Name and contact details (telephone, email address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report- Mr Sanjay Bajaj (Head –Investor Relations)
- 13. Reporting boundary Are the disclosures under this report made on a standalone basis (i.e. only for the entity) or on a consolidated basis (i.e. for the entity and all the entities which form a part of its consolidated financial statements, taken together). -

The disclosures under this report are made on a standalone basis.

II. Products/services

Selling of Life Insurance is the main Business activity which constitutes 100 % of the turnover of the Corporation.

LIC offers a wide range of Insurance Products across categories like savings, protection, retirement, pension, health, ULIPs etc. LIC has total 44 Products as on 31.03.2022 which includes 33 Individual products and 11 Group products

14. Details of business activities (accounting for 90% of the turnover):

| S. No. | Description of Main Activity | Description of Business Activity | % of Turnover of the entity | | |
|--------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 1. | Insurance Services | Life Insurance | 100 % | | |

15. Products/Services sold by the entity (accounting for 90% of the entity's Turnover):

| | S. No. | Product/Service | NIC Code | % of total Turnover contributed |
|---|--------|-----------------|----------|---------------------------------|
| Г | 1. | Life Insurance | 65110 | 100 % |

III. Operations

LIC has one Central Office situated at Mumbai. 8 Zonal Offices ,113 Divisional Offices,2048 Branch Offices,1564 Satellite Offices,1170 Mini Offices, 77 P&GS and 4 Salary Saving Scheme (SSS) units located across the Country (total 4985)

In addition to this there are total 3897 Life Plus Offices which are run by Senior business Associates and 38919 Premium Points which are run by the empowered Agents of LIC for the collection of premium, proposal deposits & limited policy services.





16. Number of locations where plants and/or operations/offices of the entity are situated:

| Location | Number of plants | Number of offices | Total | |
|---------------|------------------|-------------------|-------|--|
| National | Not Applicable | 4985 | F17F | |
| International | Not Applicable | 150 | 513: | |

International Operations - Total no. of Offices (International):

| Sr.No. | Unit | Corporate | Branch Office | | |
|--------|--|-----------|---------------|--|--|
| 1 | LIC Fiji | | 3 | | |
| 2 | LIC Mauritius | | 2 | | |
| 3 | LICUK | | 1 | | |
| 4 | LIC (International) B.S.C. (c) | 1 | 6 | | |
| 5 | LIC (Nepal) Ltd. | 1 | 76 | | |
| 6 | LIC (Lanka) Ltd. | 1 | 28 | | |
| 7 | LIC of (Bangladesh) Ltd | 1 | 12 | | |
| 8 | LIC (Singapore) Pte. Ltd. | 1 | 0 | | |
| 9 | Kenindia Assurance Co. Ltd. | 1 | 15 | | |
| 10 | SICCI (Saudi Indian Company for Cooperative Insurance) | | 1 | | |
| | | 6 | 144 | | |
| | Total 150 | | | | |

17. Markets served by the entity:

a. Number of locations

| Locations | Number |
|----------------------------------|--------|
| National (No. of States/UT) | 36 * |
| International (No. of Countries) | 14 |

^{*}Includes 28 states and 8 Union Territories

b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity? NIL

c. A brief on types of customers:

Life Insurance is the primary business of the Corporation. However financial planning solutions which are provided to individuals, provides the financial protection in case of exigencies like Critical illnesses as well as Death. Along with the life cover, different insurance products cater to different needs of family and help individuals to secure family's financial future and achieve the long term financial goals.

The customers include individuals who are self employed as well as salaried individuals and their dependents, key management persons etc. Our life insurance products offers a protection to the family against untimely death of the bread winner, a protection cover for the loan taken in case of death, accident, critical illness. Also a tool for savings, investment and long term planning for child's education, marriage, untimely loss of key person in case of company.

We also offer group insurance products to the organizations to cover the needs of managing gratuity, superannuation in addition to the life cover for their employess.





- 18. Details as at the end of Financial Year:
 - a. Employees and workers (including differently abled):

| S. | Particulars | Total | Ma | ale | Female | | |
|-----|--------------------------|--------|---------|-----------|---------|-----------|--|
| No. | Particulars | (A) | No. (B) | % (B / A) | No. (C) | % (C / A) | |
| | EMPLOYEES | | | | | | |
| 1. | Permanent (D) | 104036 | 79942 | 76.84% | 24094 | 23.16 | |
| 2. | Other than Permanent (E) | 10 | 9 | 90 | 1 | 10 | |
| 3. | Total employees (D + E) | 104046 | 79951 | 76.84% | 24095 | 23.16 | |
| | | WORKER | S | | | | |
| 4. | Permanent (F) | | | NIL | | | |
| 5. | Other than Permanent (G) | | | | | | |
| 6. | Total workers (F + G) | | | | | | |

b. Differently abled Employees and workers:

| S. | Particulars | Total | Ma | ale | Female | |
|-----|---|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| No. | rai ticulai S | (A) | No. (B) | % (B / A) | No. (C) | % (C / A) |
| | DIFFEI | RENTLY ABLED | EMPLOYEES | | | |
| 1. | Permanent (D) | 1060 | | | | |
| 2. | Other than Permanent (E) | | | | | |
| 3. | Totaldifferently abled workers (F + G) | 1060 | | | | |
| | DIFFE | RENTLY ABLE | D WORKERS | | | |
| 4. | Permanent (F) | | | | | |
| 5. | Other than Permanent (G) | | | | | |
| 6. | Totaldifferently abled workers (F + G) | NIL | | | | |

19. Participation/Inclusion/Representation of women

| | Total | No. and percentage of Females | | |
|--------------------------|-------|-------------------------------|-----------|--|
| | (A) | No. (B) | % (B / A) | |
| Board of Directors | 15 | 2 | 13.33% | |
| Key Management Personnel | 8 | 1 | 12.5% | |

20. Turnover rate for permanent employees and workers

(Disclose trends for the past 3 years)

| | FY 2021-22 (Turnover rate in current FY) | | FY 2020-21 (Turnover rate in previous FY) | | | FY2019-20 (Turnover rate in the yearprior to the previous FY) | | | |
|---------------------|---|--------|--|------|--------|---|------|--------|-------|
| | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total |
| Permanent Employees | 6.08 | 4.6 | 5.74 | 5.07 | 4.39 | 4.92 | 3.77 | 2.51 | 3.48 |
| Permanent Workers | | | | | | | | | |

IV. Holding, Subsidiary and Associate Companies (including joint ventures)





21. (a) Names of holding / subsidiary / associate companies / joint ventures

| S. No. | Name of the holding / subsidiary/ associate companies/ joint ventures (A) | Indicate whether holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture | % of shares held by Corporation | Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No) |
|-----------|--|---|---------------------------------------|--|
| 1 | LIC Pension Fund Ltd | Subsidiary | 100.00 | NO |
| 2 | LIC Cards Services Ltd | Subsidiary | 100.00 | NO |
| 3 | IDBI Bank Ltd | Associate | 49.24 | NO |
| 4 | LIC Mutual Fund Trustee Private Ltd | Associate | 49.00 | NO |
| 5 | LIC Housing Finance Ltd | Associate | 45.24 | NO |
| 6 | LIC Mutual Fund Asset Management Company Ltd | Associate | 45.00 | NO |
| 7 | IDBI Bank Trusteeship Services Ltd | Associate | 29.84 | NO |
| 8 | LIC HFL Asset Management Company Ltd | Associate | 5.38 | NO |

V. CSR Details

- 22. (i) Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013: No At present, CSR is not applicable under Sec 135 of the Companies Act 2013
 - (ii) Turnover (in Rs.) -- NA
 - (iii) Net worth (in Rs.)--- NA
- VI. Transparency and Disclosures Compliances
- 23. Complaints/Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct:

| | Grievance Redressal Mechanism in Place (Yes/No) | | FY 2021-22 | | FY 2020-21 | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Stakeholder group | | Cu | rrent Financial Ye | ear | Pre | vious Financial Y | ear | |
| from whom complaint is received | (If Yes, then provide web-link for grievance redress policy) | Number of complaints filed during the year | Number of complaints pending resolution at close of the year | Remarks | Number of complaints filed during the year | Number of complaints pending resolution at close of the year | Remarks | |
| Communities | - | | 0 | | | | | |
| Investors (other than shareholders) | NA* | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Shareholders | Yes As per SEBI LODR Regulations | NIL | NIL | | NIL | NIL | | |
| Employees and workers | Yes. Circular Ref: CO/Per/ER- A/285/2022 dated 10.02.2022 | 16 | 5 | | 6 | NIL | | |
| | Yes pgportal.gov.in | 192 | Nil | | 63 | NIL | | |
| Customers | Web link for Grievance Redressal Policy: https://licindia.in/ getattachment/Bottom-Links/ Policy-for- protection-of-interests/ Policy-for-protection-of- interests- of-policyholders. pdf.aspx | 114444 | NIL | Complaints registered under ICMS/ IGMS | 111382 | NIL | Complaints registered under ICMS/ IGMS | |
| Value Chain Partners | | | | | | | | |
| Other (please specify) | | | | | | | | |

^{*}NA = Since Corporation was listed on 17th May 2022. Hence the information is not applicable for financial year 2021-22 Further scores platform is effective from 17th May 2022.





24. Overview of the entity's material responsible business conduct issues

Please indicate material responsible business conduct and sustainability issues pertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to your business, rationale for identifying the same, approach to adapt or mitigate the risk along-with its financial implications, as per the following format

| S. No. | Material issue identified | Indicate whether risk or opportunity (R/O) | Rationale for identifying the risk / opportunity | In case of risk, approach to adapt or mitigate | Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications) |
|-----------|--|--|---|---|--|
| 1. | Sustainability of portfolio Investment | Risk and opportunity | Sustainability of portfolio investments impacts the overall performance of the Corporation. Superior performance in investments leads to improved business outcomes. However, sustainability of the portfolio can be a risk if the corporate governance and other practices of the companies are not as expected. | There are well laid down principles, by the Board and Investment Committee of the Corporation, for investments in companies. We also have a stewardship policy which lays down principles of engagement with portfolio companies. | Positive. There is scope to build a better portfolio to meet regulatory and investor expectations. |

SECTION B: MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

The National Guidelines for Responsible Business Conduct (NGRBCs) as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs advocates nine principles referred as P1-P9 as given below:

- **P1** Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.
- P2 Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe.
- P3 Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains.
- P4 Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders.
- **P5** Businesses should respect and promote human rights.
- P6 Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment.
- **P7** Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent.
- **P8** Businesses should promote inclusive growth and equitable development
- P9 Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner



| Disclosure Questions | | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 |
|---|-------------|--|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Policy and management processes | | | | | | | | | | |
| a. Whether your entity's policy/policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No) | | Yes, Corpora (LODR) Regu | | | olicies m | andated | by LIC A | ct, 1956 | IRDAI aı | nd SEBI |
| b. Has the policy been approved by the Board? (Yes/No) | | Yes. The poli | | | d by Boa | rd/ Board | dconstit | uted Cor | nmittees | 5, |
| c. Web Link of the Policies, if available | | www.licindia | .in | | | | | | | |
| 2. Whether the entity has translated the policy into procedures. (Ye | s / No) | Y | Υ | Y | Y | Y | Y | Υ | Υ | Υ |
| 3. Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes | s/No) | Y | Υ | Υ | Υ | Υ | Υ | Υ | Υ | Υ |
| 4. Name of the national and international codes/ certifications/labe standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fair trade, Rainforest Trustea) standards (e.g. SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by yeard mapped to each principle. | t Alliance, | Y (LIC code of Conduct) | | | | | | | | |
| 5. Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any. | | | | Ве | eing fram | ned | | | | |
| Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met. | | | | No | ot Applica | able | | | | |
| Governance, leadership and oversight | | | | | | | | | | |
| 7. Statement by director responsible for the business responsibility flexibility regarding the placement of this disclosure) Director's F | | | | challeng | es, targe | ts and ac | hieveme | ents (liste | ed entity | has |
| 8. Details of the highest authority responsible for implementation a oversight of the Business Responsibility policy (ies). | | Name: Mr. M R I Designation: C DIN: 03628755 | hairpers | on | | | | | | |
| 9. Does the entity have a specified Committee of the Board/ Direct responsible for decision making on Sustainability related issues? No). If yes, provide details. | (Yes/ | Yes While Board has sustainability p identifying and The Board Com Executive comr Committee. A p | ractices, managin mittees i nittee, Ri | a numbe ig ESG is responsi isk Mana | er of Boa sues. ble for Es gement (| rd comm SG issues Committ | ittees plant include, ee and Po | ay a pivo Audit Co olicyhold | tal role ir mmittee ers Prote | e, ection |

Notes to the Principles

PRINCIPLE - 1

Businesses should conduct and govern themselves with integrity and in a manner that is ethical, transparent and accountable.

The following policies are in force for the same:

- Grievance redressal System
- Investment Policy
- Anti Fraud Policy
- Enterprise Risk Management
- Code of Conduct
- AML/ CFT policy
- Whistle blower policy
- Policy on dealing with related party transactions
- Policy against Sexual Harassment at work place
- Staff Rules 1960
- Stewardship Policy
- Preservation of Record
- Archival Policy
- Privacy Policy





PRINCIPLE - 2

Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe.

The following points are governing the same:

- Insurance Awareness & customer education
- Policy on Protection of policyholders interest
- Underwriting Philosophy

PRINCIPLE - 3

Business should respect and promote the well being of all employees, including those in their value chains.

Points for the same are given below:

- · Salary Advance
- Other Benefits: Leave such as Privilege leave, Sick Leave, Maternity and Paternity Leave, Adoption Leave.
- Health Check up
- Education Advance

PRINCIPLE - 4

Business should respect the interest of and be responsive to all its stakeholders.

The following policies govern the same:

- a) Customers
 - Information and cyber security policy
 - Insurance Awareness & customer education
 - Policy on Protection of policyholders interest
 - Grievance redressal System
- b) Employees
 - Code of Conduct
 - Employee service rules
 - Policy against Sexual Harassment at work place
 - Whistleblower policy
 - Equal opportunity policy
 - Employee grievance redressal rules
- c) Agents
 - Board approved policy on commission, Remuneration, rewards
- d) Community
 - GJF activities

PRINCIPLE - 5

Business should respect and promote human rights.

The points given below enable the same:

- Code of conduct policy
- Equal opportunity policy
- Vendor contracts- have clauses to ensure compliance to statutory and labour laws of the country by vendors.





PRINCIPLE - 6

Businesses should respect and make efforts to protect and restore environment.

As we are a financial service, Corporation's impact on environment is indirect. We follow framework of Reduce, Reuse and Recycle in day today activity with a cautious focus on reduction of energy consumption We have installed solar panels for few of our buildings.

PRINCIPLE - 7

Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent.

PRINCIPLE - 8

Business should promote inclusive growth and equitable development.

LIC Golden Jubilee Foundation Trust (LIC GJF) was established in the year 2006, which is registered with the Charity Commissioner under Bombay Public Trust Act 1950. The Foundation has supported projects ranging over construction of hospitals, school buildings and classrooms, libraries, computer centers, old age homes, hostel buildings for children in tribal areas, vocational training centers for differently abled persons,

Empowerment of women for livelihood generation etc so as to provide infrastructural facilities to needy persons in different pockets of the country.

LIC Golden Jubilee Scholarship Scheme is a unique example of Community Development activity wherein Scholarships are awarded to meritorious students from economically weaker sections of society so as to provide them better opportunities for higher education in the field of Engineering, Medicine, Arts/Science/Commerce, and Diploma Courses in any field and Vocational courses leading to immediate employment.

PRINCIPLE - 9

Business should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner.

For ensuring quick redressal of customer grievances, the Corporation has in place Customer friendly online system—'Integrated Complaint Management System' (ICMS) through 'LIC's e-services' available on our website http://www.licindia.in, where a registered policyholder can directly register complaint and track its status. Customers can also contact at e-mail id co_complaints@licindia.com for redressal of any grievances.

LIC through its Whistle Blower Policy (Vigil Mechanism Policy), encourages and enable directors, employees to raise serious concerns, grievances about any unacceptable practice or any event of misconduct, irregularities, governance weaknesses, financial reporting issues within the Corporation.

LICs Anti Fraud Policy extends to all the offices of the Corporation situated within the jurisdiction of India. In respect of offices outside India, local laws of that country relating to Anti fraud will be followed.

| Subject for Review | | dicate ector | | mitte | | ne Boa | | | • | | (A | | Fr ly/ Ha other | - | rly/ Q | | rly/ | |
|---|--------|-----------------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|------------------------------|--|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|
| | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 |
| Performance against above policies and follow up action | Not A | Not Applicable | | | | | | | Nil | | | | | | | | | |
| Compliance with statutory requirements of relevance to the principles and, rectification of any non-compliances | Not A | Applica | able | | | | | | | Nil | | | | | | | | |
| 11. Has the entity carried out independent assess external agency? (Yes/No). If yes, provide nam | | | | f the v | vorkir | g of it | s polic | ies b | y an | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 |
| | | | | | | | | | | the regu Auti / eva | policie ulatior noritie aluatio | es purs ns and es. No on of t | he woı | to the lines o ndepe | applic of Stat endent | able r utory asses Dept p | ules, ssmen policies | |





| 12. If answer to question (1) above is "No" i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be st | ated: | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|--------|
| Questions | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 |
| The entity does not consider the Principles material to its business (Yes/No) | 1 ' | | rincipl ration | | mate | rial to | the bu | isiness | of |
| The entity is not at a stage where it is in a position to formulate and implement the policies on specified principles (Yes/No) | Dep | artme | | d they | | ormul one of | | • | |
| The entity does not have the financial or/human and technical resources available for the task (Yes/No) | No | | | | | | | | |
| It is planned to be done in the next financial year (Yes/No) | Yes | | | | | | | | |
| Any other reason (please specify) | NA | | | | | | | | |

SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

PRINCIPLE 1 Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

Essential Indicators

1. Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the Principles during the financial year:

| Segment | Total number of training and awareness programmes held Topics/principles covered under the training and its impact | | Segment of training and awareness Topics/principles covered under the training and its impact | | %age of persons in respective category covered by the awareness programmes |
|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| Board of Directors | 0 | | | | |
| Key Managerial Personnel- | 70 | Leadership Programs, Strategic Intent & Execution Excellence, Digital Transformation, Python-programming, Cyber Law Cyber Crime Investigation, Achieving Business Transformation through Total Employee Involvement | 46.70% | | |
| Employees other than BoD and KMPs | 3940 | Functional, Technical and Managerial and Induction training | 98.5 | | |

Note:

LIC has In-house training Centres at various locations to take care of the training needs of its employees. MDC and ZTC's are well equipped with training infrastructure and facilities like Hostel Rooms, Training Classrooms, Auditorium, Computer Room, LCD facility, Sports and Recreation amenities, Yoga Sessions, etc. For catering the Training Needs of Field Force, Administrative Staff, Middle and the Senior Management Officers LIC has following In-House Training Centres:

Management Development Centre (MDC) is the Apex training Centre of the Corporation. There is one Zonal Training Centre (ZTC) in each Zone (total 08 Zones).

There are 113 Divisions having Employee Training Centre (ETC)/Computer Training Centres (CTC).

External Training:

In order to provide new insight and perspectives to our Officers regarding emerging trends and innovations across the globe and to imbibe the best practices in various areas of operations, they are nominated to various external training Programs of relevance, besides training at our internal Training Centres. Customized Programs are conducted for specific target groups through External Training Institutes and nominations are also made to open Programs conducted by Institute of repute.





Training Statistics for Administrative Staff are as follows:

| Training Institute | No. Trained | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---------|--|--|--|--|
| Training Institute | 2021-22 | 2020-21 | | | | |
| In-House Training | 98454 | 61376 | | | | |
| External Training | 4061 | 4705 | | | | |
| Total Administrative Staff Trained | 102515 | 66081 | | | | |
| Attendance to Nomination Ratio | 89.55% | 92.87% | | | | |

Short duration Webinars:

Further, in view to cover large number of employees, during the year 2021-22, we have also conducted various short duration Webinars on topics viz; Digital Innovations, Cyber Securities, Product Mix and Channel Mix of Life Insurance Business across companies, Concept of Mortality Tables, Global Underwriting Practices through Institutes like Computer Society of India, College of Insurance and Munich Re (approx. 22, 007 employees were covered). The Webinars were highly beneficial to the employees and were appreciated by the employees.

LIC Gyanpeeth - self Learning Management System Module:

With the aim of self-learning/self-skilling, Learning Management System, 'LIC Gyanpeeth" was introduced in the year 2020. This has enabled standardized content without dependence on physical infrastructure and facilitators and is available anywhere any time on intranet/internet on Chrome/Firefox web browsers to the employees.

Total 13 Main-modules with 125 Sub-modules have been created on subjects covering all aspects of Administration like New Business, Policy Servicing, Claims, CRM, Marketing, Finance & Accounts, Personnel, Vigilance, Office Servicing, P&GS, LIC Act, 1956 and Group Schemes as well as (Hindi).

Employee is required to study the course material in given time frame of approx. 30 minutes followed by self examination test where in passing standard has been set. An auto generated certificate is issued upon securing 70% marks in self-examination test. The statistics for 'LIC Gyanpeeth' is as follows:

| Particulars | As on 31.03.2021 | As on 31.03.2022 |
|---|------------------|------------------|
| Number of Employees who have visited the Module | 37, 190 | 86, 348 |
| Total Number of Certificates issued | 2, 39, 458 | 10, 25, 366 |

'LIC Gyanpeeth' has met with tremendous response from employees. It may be mentioned that out of total 1, 04,074 employees, approximately 58,756 (56.45%) employees have obtained the LIC Gyanpeeth certificate.

 Details of fines / penalties /punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year, in the following format

(Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

No fines / penalties /punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount is paid in proceedings by KMPs with regulators in the FY 2021-22.

- 3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal/Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed. Not Applicable
- 4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

LIC is committed to the best practices in the areas of Corporate Governance. Through the framework of internal Audit and inspection mechanism the Corporation exercises a stringent control on working and ensures the the compliance of business units to applicable laws. The Whistle blower policy provides a framework to promote responsible and secure whistle blowing. It protects employees wishing to raise a concern about serious irregularities within the LIC.

The policies can be accessed at https://licindia.in/Investor-Relations/Policies.





5. Number of Directors/KMPs/employees/workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement

| | FY_2021-22 (Current Financial Year) | FY_2020-21 (Previous Financial Year) |
|-----------|--|---|
| Directors | None | None |
| KMPs | None | None |
| Employees | None | None |
| Workers | Not Applicable | Not Applicable |

6. Details of complaints with regard to conflict of interest:

| | FY 20 (Current Fin | | FY 2020-21 (Previous Financial Year) | | |
|--|-----------------------|---------|---|---------|--|
| | Number | Remarks | Number | Remarks | |
| Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors | NIL | NIL | NIL | NIL | |
| Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs | NIL | NIL | NIL | NIL | |

7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines / penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies / judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.

No corrective action taken or underway on issues related to fines / penalties / action taken by regulators on cases of corruption and conflicts of interest.

Leadership Indicators

1. Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the Principles during the financial year: Nil

| Total number of awareness programmes held | Topics/principles covered under the training | % age of value chain partners covered (by value chain of business done with such partners) under the awareness programmes |
|---|--|---|
| NIL | | |

2. Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the Board? If Yes, provide details of the same.

Yes, Disclosure of interest as well as declaration on no conflict of interest / Directors' independence, etc is being regularly obtained from Directors and submitted to the Board.





PRINCIPLE 2 Business should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

Essential Indicators

1. Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively.

Considering the corporation's nature of business, R&D outlay and capital expenditure were confined to investments in information technology. Accordingly, investment were made by way of addition to capital assets in the form of IT infrastructure like equipment, software and communication networks to give impetus to Company's digital initiatives. An approximate amount of Rs. 150 Crore was invested for Hardware procurement having futuristic capabilities.

The new technology additions expanded the scope of digital operations, introduced greater process efficiency as well as reducing the usage of paper across the corporation. For environmental sustainability, the corporation has invested in energy efficient systems. The corporation has also successfully completed the task of consolidation of core application so as to reduce the energy requirements and at the same time enhancing the availability of all the systems

- 2. Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing? -- Yes.
 - What percentage of inputs was sourced sustainably?
 - Since LIC is in business of Life Insurance, by nature of the business, the consumption of resources is limited at operational level.
- 3. Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste.

As Insurance Company, there is limited scope for using recycled material as inputs for various processes. However, our offices have been encouraged to seek out opportunities to recycle waste, E-waste, such as computers, cartridges, ribbons are primary e-waste generated and is being disposed off through authorized vendors. Also, the Corporation has taken up initiatives for minimizing use of single use plastic, paper in our offices and seeks out opportunities to recycle waste.

E-waste in the form of old servers, switches, load balancer, tape library etc. of approximate 3500 Kg have been the primary e-waste generated in the corporation. The e-waste was collected from all 113 Divisional offices. Re-cycling certificate has been received from government authorized e-waste recycling vendor.

The hardware items which are end-of-life are given to the hardware vendor under buyback. The vendor, in turn, appoints an e-waste disposal vendor who picks up the hardware from all the locations after dismantling/ degaussing. A certificate to that effect is taken from the e-waste disposal vendor in Form-2 which is provided by LIC. We have disposed 9.374 metric tonnes of e-waste in the financial year 2021-22 and 310.364 metric tonnes in 2020-21.

4. Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same

Not applicable

<u>Leadership Indicators</u> –

- 1. Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes, provide details in the following format? Not Applicable
- If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same. Not Applicable
- 3. Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).--- Nil

| Indicate input material | Recycled or reused input material to total material | | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|
| mulcate input material | FY_ Current Financial Year | FY_Previous Financial Year | | | | | |
| Nil | | | | | | | |
| | | | | | | | |





- 4. Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed, as per the following format: Not Applicable
- Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category. Not Applicable

PRINCIPLE 3 Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains Essential Indicators

1. a. Details of measures for the well-being of employees:

| | | | | | % em | ployees cove | red by | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|---------|---------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| Category | | Health Ir | surance | Accident | Insurance | Maternit | y Benefits | Paternity | Benefits | Day Care | Facilities |
| Category | Total (A) | Number (B) | % (B/A) | Number (C) | % (C/A) | Number (D) | % (D/A) | Number (E) | % (E/A) | Number (F) | % (F/A) |
| Permanent employees | | | | | | | | | | | |
| Male | 79942 | 77281 | 96.67 | 79942 | 100 | Data Not Collated | | Data Not Collated | | Data Not Collated | |
| Female | 24094 | 21557 | 89.47 | 24094 | 100 | | | | | | |
| Total | 104036 | 98838 | 95 | 104036 | 100 | | | | | | |
| Other than | Permanent Er | mployees | | | | | | | | | |
| Male | | | | | NIL | | | | | | |
| Female | | | | | NIL | · | | | | | |
| Total | | | | | NIL | · | | | | | |

b. Details of measures for the well-being of workers: Not Applicable

2. Details of retirement benefits, for Current FY and Previous Financial Year.

| | | FY 2021-22 | | FY 2020-21 | | | |
|---|---|----------------------|---|--|---|---|--|
| | (| Current Financial Ye | ear | Pr | evious Financial Y | ear | |
| Benefits | employees No. of workers deports covered as a % of total workers a % of total of total workers | | Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.) | No. of employees covered as a % of total employees | No. of workers covered as a % of total workers | Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.) | |
| PF | 79% | NIL | Yes | 80% | NIL | Yes | |
| Gratuity | 100% | NIL | Yes | 100% | NIL | Yes | |
| ESI | | Data not collated | | | | | |
| Others – Post retirement benefits such as GTIS, Group Health Insurance etc. | 100% | NIL | Not Applicable | 100% | NIL | Not Applicable | |

3. Accessibility of workplaces

Are the premises / offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

Our Corporate Office, we have special facilities such as Ramps, Rails etc to suit the needs of differently abled persons.

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.

Yes, link: https://licindia.in/Bottom-Links/Equal-Opportunity-Policy-(1)

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.

| | Permanent | Employees | Permanent Worker | | |
|--------|------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|--|
| Gender | Return to work rate Retention rate | | Return to work rate | Retention rate | |
| Male | 100% | 100% | | | |
| Female | 100% | 100% | | | |
| Total | 100% | 100% | | Not Applicable | |





6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and worker? If yes, give details of the mechanism in brief.

| | Yes/No (if Yes, then give details of mechanism in brief) |
|--------------------------------|---|
| Permanent Workers | Not Applicable |
| Other than permanent workers | Not Applicable |
| Permanent Employees | Yes, Circular Ref: CO/Per/ER-A/285/2022 dated 10.02.2022 Employees can send their grievances over email and cases falling under the purview of Whistle Blower Policy are handled accordingly. There are also committees handling grievances pertaining to Sexual Harassment etc. |
| Other than Permanent Employees | Not Applicable |

7. Membership of employees and worker in association(s) or Unions recognised by the listed entity:

| | | FY 2021-22 | | FY 2020-21 | | | |
|------------------------------|--|--|-----------|---|--|---------|--|
| | (Cu | rrent Financial Yea | r) | (Previous Financial Year) | | | |
| Category | Total employees / workers in respective category | No. of workers in respective category, who are part of association(s) or Union | % (B / A) | Total employees/ workers in respective category | No. of employees / workers in respective category, who are part of association(s) or Union | % (D/C) | |
| | (A) | (B) | % (B / A) | (C) | (D) | % (D/C) | |
| Total Permanent Employees | 104036 | Corporation does not | | | Corporation does not | | |
| - Male | | recognize any | | | recognize any | | |
| - Female | | Union. Hence the data is not maintained. | | | Union. Hence the data is not maintained. | | |
| Total Permanent Workers | | | | | | | |
| - Male | Not Applicable | | | | | | |
| - Female | Not Applicable | | | | | | |

8. Details of training given to employees and workers:

| | FY 2021-22 | | | | | | FY 2020-21 | | | | |
|------------------------|------------|---------------|---|---------------|-------------|------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------|--|
| Current Financial Year | | | | | | Prev | ious Financial | Year | | | |
| Category | Tatal(A) | | On Health and safety measures On Skill up-gradation | | -gradation | l me | | and safety sures | On Skill up-gradation | | |
| | Total (A) | Number (B) | % (B/A) | Number (C) | %(C/A) | Total (D) | Number (E) | % (E/D) | Number (F) | %(F/D) | |
| | Employees | | | | | | | | | | |
| Male | 79942 | | | Break up n | ot collated | 83795 | | | Break up n | ot collated | |
| Female | 24094 | | | Break up n | ot collated | 25192 | | | Break up n | ot collated | |
| Total | 104036 | Not Ap | plicable | 102515 | 98.5 | 108987 | Not Ap | plicable | 66081 | 60.63 | |
| Workers | | | | | | | | | | | |
| Male | Not Ap | plicable | | | | Not Applic | | | | | |
| Female | Not Ap | plicable | | | | Not Ap | plicable | | | | |
| Total | Not Ap | plicable | | | | Not Ap | plicable | | | | |





In the Training Sessions conducted at Management Development Centre, Zonal Training Centres and Divisional Training Centres we cover topics like Yoga, Work Life Balance, Stress Management etc. However, no specific Training Program is conducted on Health and safety measures.

9. Details of performance and career development reviews of employees and worker:

| | | FY2021-22 | | FY 2020-21 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------|-------------------------|------------|---------|--|--|
| Category | С | urrent Financial Ye | ar | Previous Financial Year | | | | |
| | Total (A) | Number (B) | % (B/A) | Total (C) | Number (D) | % (D/C) | | |
| | | | Employees | | | | | |
| Male | 79942 | 79942 | 100 | 83795 | 83795 | 100 | | |
| Female | 24094 | 24094 | 100 | 25192 | 25192 | 100 | | |
| Total | 104036 | 104036 | 100 | 108987 | 108987 | 100 | | |
| | Workers | | | | | | | |
| Male | Not Applicable | | | | | | | |
| Female | Not Applicable | | | | | | | |
| Total | | | - | | | | | |

- 10. Health and safety management system:
 - a. Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? Yes
 We are in Insurance Industry and there are no occupational hazards. However, the Corporation has stringent guidelines to ensure the safety of employees and company property. This includes policy for fire safety which covers rules pertaining to Fire Fighting equipments, Fire Drills and other safety parameters. Periodical checks on electric and fire safety parameters are done. Employees of the Corporation are covered under Group Term Insurance and Personal Accident Insurance.
 - b. What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?
 - Reply as in point a
 - c. Whether you have processes for workers to report the work related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/N)
 - Reply as in point a
 - d. Do the employees/ worker of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services? Yes Mediclaim facilities are available to all permanent employees of the Corporation. Further preventive health check up facility is available to all classes of employees aged 45 and above.
- 11. Details of safety related incidents, in the following format:

| Cafatus In aid ant /Number | Catacami | FY 2021-22 | FY 2020-21 |
|---|-----------|------------------------|-------------------------|
| Safety Incident/Number | Category | Current Financial Year | Previous Financial Year |
| Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) | Employees | Do not collated | Do not collated |
| (per one million-person hours worked) | Workers | Not applicable | Not applicable |
| Total recordable work-related injuries | Employees | Do not collated | Do not collated |
| | Workers | Not applicable | Not applicable |
| No. of fatalities | Employees | Do not collated | Not applicable |
| | Workers | Not applicable | Not applicable |
| High consequence work-related injury or | Employees | Do not collated | Do not collated |
| ill-health (excluding fatalities) | Workers | Not applicable | Not applicable |





12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy work place.

The Corporation has appointed Security Guards and Watchmen for the security of office premises and employees. Baggage scanners are installed at entrances in our Central and Zonal Offices. During COVID pandemic hands free sanitizer dispensers were installed at the entrances of the offices. All the offices are sanitised twice a week. Thermal screening of employees and visitors done. Employee Roaster were maintained in the Offices and social distancing norms were followed.

Fire extinguishers are installed. Fire safety Committee has been constituted in each office and training imparted to the members regarding fire safety. Evacuation Drills are conducted. CCTV cameras and restrictive access in the office premises and certain departments are in process. Vaccination programmes were conducted. Every employee has to give the ambiance ratings in the quarterly Ambiance Poll.

13. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

| | | FY 2021-22 | | FY 2020-21 | | | |
|--------------------|--------------------------|---|---------|-----------------------------|---|---------|--|
| | (Current Financial Year) | | | (Previous Financial Year) | | | |
| | Filed during the year | Pending resolution at the end of year | Remarks | Filed during the year | Pending resolution at the end of year | Remarks | |
| Working Conditions | | NIL | | | NIL | | |
| Health & Safety | | NIL | | | NIL | | |

14. Assessments for the year:

| | % of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties) |
|-----------------------------|---|
| Health and safety practices | Fire Audit is being done by Third Party whenever required. |
| Working Conditions | No |

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.

CCTV cameras and restrictive accesses in the office premises and in certain departments are installed and work is in progress. During the COVID pandemic the offices were sanitized twice a week. Vaccination Camps/ Programmes were conducted for employees.

Leadership Indicators

- 1. Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of (A) Employees (Y/N) (B) Workers (Y/N).
 - A) Employees- Yes

Yes. The Following Benefits Are Extended To The Family Of Deceased Employee In The Event Of Death.

- 1 Gratuity
- 2 Provident Fund
- 3 Pension, family pension scheme
- 4 PL Encashment
- 5 Group Savings Linked Insurance
- 6 Group Insurance
- 7 Group Term Insurance Scheme
- 8 New Group Insurance
- 9 24 Hours Group Personal Accident Policy
- 10 Group Personal Accident Policy For Cash Carrying Persons.
- 11 Compassionate Appointment To One Of The Family Members As Per The Scheme.





- B) Workers- Not Applicable
- 2. Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.

(MSPs) Medical Service Providers are our value chain partners. Payment of medical fees is made to them on the basis of their GST Invoice.

As per the terms of contract, the vendors are responsible for remittance of statutory deductions to the concerned Authorities and the same is checked at the time of payment.

3. Provide the number of employees / workers having suffered high consequence work- related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:

| | Total no. of affected | employees/ workers | No. of employees/workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment | | |
|-----------|---|--|--|--|--|
| | FY 2021-22 (Current Financial Year) | FY 2020-21 (Previous Financial Year) | FY 2021-22 (Current Financial Year) | FY 2020-21 (Previous Financial Year) | |
| Employees | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Workers | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |

4. Does the entity provide transition assistance programs to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? Yes

All employees have been provided with various training platforms for continual learning throughout their career with the Corporation for excelling in their Managerial, Functional and Behavioural Skills through In-House Training Centres and External Training Institutes. Such continual trainings helps employees to up skill their performance at their work place. Corporation provides a long term career growth opportunities to employees that enables stability.

5. Details on assessment of value chain partners:

| | % of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed |
|-----------------------------|---|
| Health and safety practices | Nil |
| Working Conditions | Nil |

6. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.

Not Applicable

PRINCIPLE 4: Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

Essential Indicators

1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.

The Corporation in its due course of business has mapped its both internal and external stakeholders. It helps the Corporation to make strategic decisions and minimise the risk.

Based on the nature of our business of Life Insurance, our risks and opportunities revolve around human capital. Accordingly our key internal stake holders are Employees.

External stakeholders typically include, policyholders, customers, vendors, agents, lenders, investors, Government, Regulators, individuals, group of individuals, institutions, firms etc., who are engaged in different channels of the Corporation to procure and enhance the business and thereby add value to the Corporation.





2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group

| Stakeholder Group | Whether identified as Vulnerable & Marginalised Group | Channels of Communication (E mail, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website), Other | Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ Others- Please specify) | Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement. |
|---|---|--|---|--|
| Shareholders | No | As per need: Emails, Annual General Meeting, Quarterly Results, Filings at Stock Exchanges, Press Releases. | Quarterly and half yearly Results and Annual General Meeting. Filings of Corporate Announcements with the Stock Exchanges. | Providing the update on the Corporation's strategy, Redressal of grievances through various regulatory mechanism. |
| Distribution Channels: Agents, POSP-LI | No | Multiple Channel of communication, Physical and Digital | Very frequent need based and continuous engagement | Procurement of Business, reaching the customers |
| Policyholders who purchase policies online | No | E-mail, SMS | Need based | Engagement with online proposers is undertaken at various stages of the on-boarding process to enable smooth conversion of the proposal into policy. |
| Regulatory Authorities | No | Email, Personal Meetings, Calls, Video Calls | As and when required | For Regulatory Compliance & in grievance matters |
| Distribution channels: Chief Life Insurance Advisers(CLIA), Chief Organisers (CO), Direct Sales Advisors, Supervised Agents under CLIA's/CO's | No | Multiple channel of communication, Physical and Digital | Very frequent, need based and continuous engagement | Procurement of Business, reaching out to new customers. Assessing the protection gap of existing customers |
| Employees | No | Direct contact, e-mail, Employee website, SMS, calls, Notice Board | Daily | Information sharing, to involve them in policy decisions, to achieve corporate guidelines |





PRINCIPLE 5 Businesses should respect and promote human rights

Essential Indicators

1. Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy (ies) of the entity, in the following format: date not collated.

| | | FY 2021-22 | | FY 2020-21 | | | |
|----------------------|------------------------|--|-----------|-------------------------|--|-----------|--|
| | Current Financial Year | | | Previous Financial Year | | | |
| Category | Total (A) | No. of employee s/ workers covered (B) | % (B / A) | Total (C) | No. of employee s/ workers covered (D) | % (D / C) | |
| Employees | Employees | | | | | | |
| Permanent | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other than permanent | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Total Employees | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Workers | | | | | | | |
| Permanent | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other than permanent | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Total Workers | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |

2. Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following format:

| | FY 2021-22 | | | | FY 2020-21 | | | | | |
|----------------------|------------------------|---------------|---------|---------------|-------------------------|-----------|-----------------------|---------|---------------------------|--------|
| | Current Financial Year | | | | Previous Financial Year | | | | | |
| Category | w | | | | than m wage | T (D) | Equal to Minimum wage | | More than Minimum wage | |
| | Total (A) | Number (B) | % (B/A) | Number (C) | %(C/A) | Total (D) | Number (E) | % (E/D) | Number (F) | %(F/D) |
| | | | E | mployees | | | | | | |
| Permanent | 104036 | NIL | NIL | 104036 | 100 | 108987 | NIL | NIL | 108987 | 100 |
| Male | 79942 | NIL | NIL | 79942 | 100 | 83795 | NIL | NIL | 83795 | 100 |
| Female | 24094 | NIL | NIL | 24094 | 100 | 25192 | NIL | NIL | 25192 | 100 |
| Other than Permanent | | | | | | | | | | |
| Male | NIL | | | | | NIL | | | | |
| Female | NIL | | | | | NIL | | | | |
| | | | | Workers | | | | | | |
| Permanent | NA | | | | | NA | | | | |
| Male | NA | | | | | NA | | | | |
| Female | NA | | | | | NA | | | | |
| Other than Permanent | NA | | | | | NA | | | | |
| Male | NA | | | | | NA | | | | |
| Female | NA | | | | | NA | | | | |





3. Details of remuneration/salary/wages, in the following format:

| | | Male | Female | | |
|---|--------|--|--------|---|--|
| | Number | Median remuneration/ salary/ wages of respective category | Number | Median remuneration/ salary/ wages of respective category | |
| Board of Directors (BoD) | 6 | 32119245 | 01 | 4310202 | |
| Whole Time Directors (Executive Directors) | 5 | The Life Insurance Corporation of India was established by an Act of Parliament, | | | |
| Government Nominee Director | 1 | The Life Insurance Corporation of India, Act 1956. The concept of median remuneration | | | |
| Non –Executive independent Directors | 9 | is not applicable to the Corporation as Corporation is not governed by the provision of the Companies Act • Further the details of Remuneration to Directors is disclosed under the Corporate Governance Report | | | |
| Workers | - | | | | |
| Employees other then BoD and KMP | 84633 | 114860449967.57 | 25268 | 35629796841.88 | |

Remuneration paid to KMPs during the period 01.04.2021 to 31.03.2022

| Sr. No. | Name of KMP | Designation | Remuneration paid from 01.04.2021 to 31.03.2022 (₹) | Perquisites from 01.04.2021 to 31.03.2022 | Total | Total in Million |
|------------|----------------------|---------------------------------|---|---|-------------|---------------------|
| 1 | Shri D.P. Mohanty | ED (Audit) & Internal Auditor | 6177158.03 | 1112399 | 7289557.03 | 7.29 |
| 2 | Shri Tablesh Pandey | ED (INVR) & CRO | 6018091.07 | 1244624 | 7262715.07 | 7.26 |
| 3 | Shri A.K. Anand | ED (INVO) & CIO | 5924702.43 | 1253773 | 7178475.43 | 7.18 |
| 4 | Shri P Muraleedharan | ED (MKTG/PDEV) & CMO | 5710893.55 | 1514304 | 7225197.55 | 7.23 |
| 5 | Smt. S.S Soman | ED (F&A) & CFO | 5809132.78 | 1476720 | 7285852.78 | 7.29 |
| 6 | Shri Pawan Agrawal | Company Secretary | 3953553.90 | 51761 | 4005314.90 | 4.01 |
| 7 | Shri D. P. Pattanaik | Chief (I/C) (CG/GJF/RC) & CCO | 4766106.28 | 949481 | 5715587.28 | 5.72 |
| 8 | Shri Dinesh Pant | APTD Actuary & Chief(I/C)(Actl) | 8727902.92 | 1771851 | 10499753.92 | 10.50 |

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business?

Yes

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues.

In accordance with The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention Prohibition and Redressal) Act 2013 the department has initiated various steps to improve the status of women and worked for their economic empowerment. The female employees of the Corporation are treated at par with the male employees. The female employees are provided a healthy and dignified working condition in our Organization, wherever they are posted, it is ensured that the necessary facilities for their convenience and safety are provided.

In accordance with the Government Provisions, a Committee known as Internal Complaint Committee consists of a Chairperson and three members including one outside member from NGO has been constituted in Central Office, eight Zonal Offices and all the Divisional Offices. Chairperson of the Committee is always a woman of Senior Cadre.

LIC of India is always taking steps to redress the grievances of the employees belonging to different categories promptly through a well established system. With a view to further reinforcing our policy and instilling confidence in our employees, particularly those belonging to reserved categories that their genuine grievances will be looked into and redressed promptly within the framework of rules and regulations, we have developed the internal mechanism system for redressal of grievance. Under the system, there are two levels i.e. Primary Level and Secondary level where an employee can register his grievance and the same can be addressed. If the employee is not satisfied, he can go for the first appeal to the higher authority and further an employee has the option of Final appeal to the subsequent higher authority.





6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

| | | FY 2021-22 | | FY 2020-21 | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--|---------|--------------------------|--|---------|--|
| | Cu | rrent Financial Y | ear | Pre | vious Financial Y | ear | |
| | Filed during the year | Pending resolution at the end of the year | Remarks | Filed during the year | Pending resolution at the end of the year | Remarks | |
| Sexual Harassment | 6 | 5 | 4* | 8 | 3 | - | |
| Discrimination at workplace | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | |
| Child Labour | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | |
| Forced Labour/ Involuntary Labour | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | |
| Wages | Equality in wage structure | | | | | | |
| Other human rights related issues | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | |

^{*}Out of the 4 complaints pending as on March 2022, three complaints stand resolved as on date (July).

7. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

The Corporation's commitment to workforce is to

- (i) promote a sense of participation and make them partners in progress,
- (ii) work towards ensuring their job satisfaction and sense of pride,
- (iii) provide an environment and the opportunities for growth to enable them to realize their full potential;
- (iv) take steps to develop professional skills to enable them to handle their assessments more efficiently.

The terms and conditions of service of employees of the Corporation are based on the rules framed by Central Government in view of the power vested with them under Section 48(2) (cc) of LIC Act, 1956. Employee related policies are framed based on these rules which are non-discriminatory and offers equal opportunity to all individuals irrespective of their gender, religion, caste, race, age, community, physical ability or sexual orientation. The Corporation endeavours to ensure a safe, secure and congenial work environment, so that employees can deliver their best without confusion. The Company has put in place a robust grievance redressal process for investigation of employee concerns pertaining to workplace harassment and sexual harassment and has instituted a code of conduct, employee service rules and The Prevention of Sexual Harassment at the Workplace policy that clearly describes employee responsibilities and acceptable employee conduct.

- 8. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/No) Yes
- 9. Assessments for the year:

| | % of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties) | |
|-----------------------------|---|--|
| Child labour | NIL | |
| Forced/involuntary labour | NIL | |
| Sexual harassment | NIL | |
| Discrimination at workplace | NIL | |
| Wages | NIL | |
| Others – please specify | NIL | |

10. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / Concerns arising from the assessments at Question 4 above.

NIL





Leadership Indicators

1. Is the premise/office of the entity accessible to differently abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?

Provisions have been made for facilities and amenities to the persons with disabilities to enable them to effectively discharge their duties in the establishment.

Yes, in some offices Ramps, Rails, elevators are installed and Braille Script is available in the elevators.

2. Details on assessment of value chain partners:

| % of value chain partners (by value of bu with such partners) that were asse | |
|---|-----|
| Sexual Harassment | NIL |
| Discrimination at work place | NIL |
| Child labour | NIL |
| Forced labour/Involuntary labour | NIL |
| Wages | NIL |
| Others- please specify | NIL |

3. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question (2) above. NIL

PRINCIPLE 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

Essential Indicators

- 1. Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity, in the following format:
 - The total energy consumption per annum is approx. 1536 lac units.

| Parameter | Parameter FY 2021-22 (Current Financial Year) | |
|---|--|--|
| Total electricity consumption (A) through other sources (Solar Power) | 34,66,173 units (The above units produced through the solar power installed across India in 81 locations) | 29,79,305units (cumulative) (The above units produced through the solar power installed across India in 72 locations.) |
| Total fuel consumption (B) | Data not Collated | Data not Collated |
| Energyconsumption through other sources (C) | Data not Collated | Data not Collated |
| Total energy consumption (A+B+C) | Not Applicable | Not Applicable |
| Energy intensity per rupee of turnover (Totalenergyconsumption/ turnover in rupees) | Not Applicable | Not Applicable |
| Energy intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity | Not Applicable | Not Applicable |

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

2. Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? No





3. Provide details of the following disclosures related to water, in the following format: Data not Collated

| Parameter | FY 2021-22 (Current Financial Year) | FY 2020-21 (Previous Financial Year) |
|---|--|---|
| Water withdrawal by source (in kilolitr | es) | |
| (i) Surface water | - | - |
| (ii) Groundwater | - | - |
| (iii) Third party water | - | - |
| (iv) Seawater / desalinated water | - | - |
| (v) Others | - | - |
| Total volume of water withdrawal (in kilolitres) (i + ii + iii + iv + v) | - | - |
| Total volume of water consumption (in kilolitres) | - | - |
| Waterintensityper rupee of turnover (Water consumed / turnover) | - | - |
| Water intensity (optional)- the relevant metric may be selected by the entity | - | - |

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

- 4. Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? No If yes, provide details of its coverage and implementation. Not Applicable
- 5. Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity, in the following format: Not Applicable

| Parameter | Please specify unit | FY 2021-22 (Current Financial Year) | FY 2020-21 (Previous Financial Year) |
|-------------------------------------|---------------------|--|---|
| NOx | - | - | - |
| SOx | - | - | - |
| Particulate matter (PM) | - | - | - |
| Persistent organic pollutants (POP) | - | - | - |
| Volatile organic compounds (VOC) | - | - | - |
| Hazardous air pollutants (HAP) | - | - | - |
| Others-please specify | - | - | - |

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.





6. Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity, in the following format: Not Applicable

| Parameter | Unit | FY 2021-22 (Current Financial Year) | FY 2020-21 (Previous Financial Year) |
|---|------------------------------------|--|---|
| Total Scope 1 emissions (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available) | Metric tonnes of CO2 equivalent | - | - |
| Total Scope 2 emissions (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available) | Metric tonnes of CO2 equivalent | - | - |
| Total Scope 1 and Scope 2 emissions per rupee of turnover | - | - | - |
| Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity | - | - | - |

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

- 7. Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If Yes, then provide details.
 As on 31.03.2022, 3576 KWp of Solar roof top PV was installed, reducing about 2966 tons (cumulative) of CO2 emissions.
 As on 31.03.2021,3171 KWp (cumulative) of Solar roof top PV is installed, reducing about 2630 tons of CO2 emissions.
- 8. Provide details related to waste management by the entity, in the following format: Not Applicable

| Parameter | FY 2021-22 (Current Financial Year) | FY 2020-21 (Previous Financial Year) | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|
| Total Waste generated (in metric tonnes) | | | | | | |
| Plastic waste (A) | | | | | | |
| E-waste (B) | 9.374 metric tonnes | 310.364 metric tonnes | | | | |
| Bio-medical waste (C) | | - | | | | |
| Construction and demolition waste (D) | | - | | | | |
| Battery waste (E) | | - | | | | |
| Radioactive waste (F) | | - | | | | |
| Other Hazardous waste. Please specify, if any. (G) | | - | | | | |
| Other Non-hazardous waste generated (H) . Please specify, if any. (Break-up by composition i.e. by materials relevant to the sector) | | | | | | |
| Total (A+B + C + D + E + F + G + H) | | | | | | |
| For each category of waste generated, total waste in metric tonnes) | For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes) | | | | | |
| Category of waste | | | | | | |
| (i) Recycled | | | | | | |
| (ii) Re-used | | | | | | |
| (iii) Other recovery operations | | | | | | |
| Total | | | | | | |





| Parameter | FY 2021-22 (Current Financial Year) | FY 2020-21 (Previous Financial Year) | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes) | | | | | |
| Category of waste | | | | | |
| (i) Incineration | | | | | |
| (ii) Landfilling | | | | | |
| (iii) Other disposal operations | | | | | |
| Total | | | | | |

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

- Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your
 company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to
 manage such wastes.
 - Not Applicable
- 10. If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details in the following format:
 - Not Applicable
- 11. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year: Not Applicable
- 12. Is the entity compliant with the applicable environmental law/regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment protection act and rules there under (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances, in the following format: Not Applicable

Leadership Indicators

 Provide break-up of the total energy consumed (in Joules or multiples) from renewable and non-renewable sources, in the following format: -Date not collated / Not Applicable, since we are in the insurance business.

| Parameter | FY 2021-22 (Current Financial Year) | FY 2020-21 (Previous Financial Year) | | |
|--|--|---|--|--|
| From renewable sources | | | | |
| Total electricity consumption (A) | - | - | | |
| Total fuel consumption (B) | - | - | | |
| Energy consumption through other sources (C) | - | - | | |
| Total energy consumed from renewable sources (A+B+C) | - | - | | |
| From non-renewable sources | | | | |
| Total electricity consumption (D) | - | - | | |
| Total fuel consumption (E) | - | - | | |
| Energy consumption through other sources (F) | - | - | | |
| Total energy consumed from non-renewable sources (D+E+F) | - | - | | |

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

- 2. Provide the following details related to water discharged:
 - date not collated / Not Applicable, since we are in the insurance business.
- 3. Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kilolitres): date not collated / Not Applicable, since we are in the insurance business.





4. Please provide details of total Scope 3 emissions & its intensity, in the following format:

date not collated / Not Applicable, since we are in the insurance business.

| Parameter | Unit | FY 2021-22 (Current Financial Year) | FY 2020-21 (Previous Financial Year) |
|---|------------------------------------|--|---|
| Total Scope 3 emissions (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available) | Metric tonnes of CO2 equivalent | - | - |
| Total Scope 3 emissions per rupee of turnover | - | - | - |
| Total Scope 3 emission intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity | - | - | - |

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

- 5. With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 10 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along-with prevention and remediation activities.
 - date not collated / Not Applicable, since we are in the insurance business.
- 6. If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives, as per the following format:
 - date not collated / Not Applicable, since we are in the insurance business.
- 7. Does the entity have a business continuity and disaster management plan? Give details in 100 words/ web link. "Business Continuity Measures (BCM):

Business interruption risk also forms an integral part of operations risk. The Corporation may face a host of disasters that range from minor to catastrophic which can impact day-to-day operations. The Corporation seeks to minimize the risk by taking adequate measures to manage such business interruption.

Corporation has ensured that systems are in place for continuity of all critical operations. This has enabled the Corporation to provide uninterrupted service to the customers at the challenging time of pandemic. The option of work from home was invoked for allowing remote access to the system to all employees of the Corporation ensuring servicing to all its policyholders and intermediaries.

Disaster recovery site has been set up to carry out critical processes in adverse scenario. Business continuity drills are carried on a regular basis for critical processes and outsource partners to manage business interruption risks. The Corporation has a well defined information security policy including areas of cyber security that ensures all information assets are safeguarded by establishing comprehensive management processes throughout the organization.

Corporation has Business Continuity Plan for Investment functions approved by the Board. Insurers are now required to have a Board approved Business Continuity plan in the format prescribed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)."

- 8. Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard.
 - The nature of business entails no significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity.
- 9. Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.

Nil





PRINCIPLE 7 Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent

Essential Indicators

1. a. Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations.

The Corporation is member of fourteen trade and industry chambers.

b. List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to.

| S. No. | Name of the trade and industry chambers/ associations | Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National) | |
|-----------|---|--|--|
| 1 | The Indian Society of Advertisers | National | |
| 2 | Media Research Users Council | National | |
| 3 | Audit Bureau of Circulation | National | |
| 4 | The Advertising Standards Council of India | National | |
| 5 | Confederation of Indian Industry (Annual Member) | National | |
| 6 | ASSOCHAM (Annual Member) | National | |
| 7 | All India Management Association ((Annual Member) | National | |
| 8 | Insurance Institute of India (Annual Member) | National | |
| 9 | Bombay Productivity Council (Life Member) | State | |
| 10 | IMC Economic Research & Training Centre (Life Member) | National | |
| 11 | Indian Society for Training & Development (Life Member) | National | |
| 12 | National HRD Network (Life Member) | National | |
| 13 | Administrative Staff College of India (Patron Member) | National | |
| 14 | IIM , Ahmedabad (Patron Member) | National | |

2. Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anti-competitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.

No penalty / action taken by IRDAI for our Regulatory Compliance section during FY 2021-22.

Leadership Indicators

1. Details of public policy positions advocated by the entity:

Corporation conducts Insurance Awareness Campaign every year on pan India basis.

PRINCIPLE 8 Businesses should promote inclusive growth and equitable development

Essential Indicators

1. Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year. - Not Applicable

| Name and brief SIA N details of project | Notification No. Date of notificat | Whether conducted by independent external agency (Yes/No) | Results communicated in public domain (Yes/No) | Relevant Web link |
|--|------------------------------------|---|---|-------------------|
|--|------------------------------------|---|---|-------------------|

The Corporation is outside the purview of CSR activities mandated under the Indian Companies Act, 2013 even after the recent amendments to the LIC Act, 1956. However, the Corporation has been carrying out various community development activities through the LIC Golden Jubilee Foundation since the inception of the Foundation in 2006. The objectives of the Foundation are Relief of Poverty or Distress, Advancement of Education, Medical Relief and Advancement of any other Project of general public utility.

The Foundation has not engaged any external agency for conducting an impact study. However, the Foundation does an internal Impact Study every year to assess the impact of the initiatives taken by the Foundation. Placing of the relevant study files on the intranet site of the Corporation is at present under consideration.





2. Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity, in the following format: Nil

| S No. | Name of Project for which R& R is ongoing | State | District | No. of Project Affected families (PAFs) | % of PAFs covered by R&R | Amounts paid to PAFs in the FY (In INR) | |
|----------------|---|-------|----------|---|-----------------------------|---|--|
| Not Applicable | | | | | | | |

3. Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.

Through CPGRAM Portal, Ministry of Finance, RTI etc.

4. Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:

Not applicable, since Corporation the is into insurance business.

Leadership Indicators

1. Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above): Nil

| Details of negative social impact identified | Corrective action taken | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|
| Not applicable in view of reply to (1) above. However, we would like to add that Impact Assessments done internally have not shown | | | | | |
| any negative social impact. | | | | | |

2. Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies:

| S. No. | State | Aspirational District | Amount spent in INR | | |
|------------|---|-----------------------|---------------------|--|--|
| Nil in vie | Nil in view of reply to (1) above under Essential Indicators. | | | | |

- 3. (a) Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized /vulnerable groups? (Yes/No) Yes
 - (b) From which marginalized /vulnerable groups do you procure? Micro Small Enterprises (MSEs)
 - (c) What percentage of total procurement (by value) does it constitute?

Minimum 25% out of the total procurement are to be made from MSE's (if they participate in the tender process and match the L1 price) and out of this 25%, 4% is earmarked for MSE's owned by SC/ST Entrepreneurs

4. Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge: Nil

The Corporation is not in any of the businesses for which Intellectual property (IP) owners are granted certain exclusive right under nation IP lows.

- 5. Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved Nil
- 6. Details of beneficiaries of CSR Projects:

At present, CSR is not applicable under Sec 135 of the Companies Act 2013.

However LIC's Golden Jubilee Foundation besides granting financial aid to various community development projects, also grants educational scholarships to students for enhancement of studies from Std X upto graduation

| S. No. | CSR Project | No. of persons benefitted from CSR Projects | % of beneficiaries from vulnerable and marginalized groups |
|--------|--------------|---|--|
| 1 | 652 Projects | Not available | Not available |
| 2 | Scholarships | 22586 | Scholarships are granted to students belonging to the economically weaker sections of the Society with annual income less than ₹2 lakhs. |





PRINCIPLE 9 Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

Essential Indicators

1. Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.

The spirit of customer relations and customer care has been ingrained in our complaint redressal system with emphasis on placing customer oriented personnel at all touch points. IT enabled support system is operationalised to reduce manual interventions and minimize grievances.

The Corporation has Grievance Redressal Officers at Branch/ Divisional/ Zonal/ Central Office levels to redress grievances of customers. Their names are available on our website. The respective GROs are available at their Offices for personal interviews with the customers on all Mondays between 2.30 PM and 4.30 PM. Customers can meet the GROs on other days also with prior appointment. Customers may also send their grievances through post, by e-mail etc to the respective servicing offices / GROs.

Corporation has an online system-the 'Integrated Complaint Management System' ("ICMS") - through 'LIC's e-services' available on Corporation's website www.licindia.in , to ensure a quick redressal of customers' grievances. This online system allows policyholders to register a grievance and track its status. Customers can also send their grievance on e-mail address co_complaints@licindia.com .

Total 74 Customer Zones are operative across India from 8.00 AM to 8.0PM which works as 'one-stop centre' for resolution of all servicing needs of a customer, with special emphasis on 'Quality Experience'.

LIC has a single Centralized Call Centre service available 24*7. The number is 022-68276827 with a comprehensive IVRS menu as well as option to speak with call centre executive for specific queries & information and raise CS Ticket for complaint. These services are available in Hindi, English & eight regional languages.

We have an SMS initiative called LICHELP, where policyholders need to send an SMS LICHELP < POLICYNO > on 9222492224. On receipt of an SMS an official from the Customer Zone mapped to the servicing branch of the policy, contacts the customer for resolution of his complaint or request. We update the customers at each stage of the policy process through an SMS or an e-mail.

We have introduced a one stop platform for registering the queries pertaining to users of various Digital Services of LIC on Portals, the link is https://csticket.licindia.in/csTicket/index.php.

With an objective of attending the grievances related to repudiated death claims, "Claims Review Committees" are set up at Zonal Office level and Central Office level. The committee consists of two or more senior officers of LIC and an Honorable Retired Judge of the District Court/High Court.

LIC has a role-based access under two online platforms of Govt. of India viz. 1) CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System) and 2) NCH (National Consumer Helpline) – INGRAM module (Integrated Grievance Redressal mechanism) available to policyholders to lodge their grievances, which are responded to directly.

LIC has constituted Policyholders' Protection Committee in accordance with Clause 7.4 of the IRDAI's Corporate Governance Guidelines for Insurance Companies.

LIC has a comprehensive Board Approved policy for Protection of Policyholders Interest 2017 as per IRDAIs Protection of Policyholder's Interests Regulations, 2017.

2. Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about: Not Applicable



3. Number of consumer complaints in respect of the following:

| | FY 2023 | | | FY 2 | FY 2020-21 | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---------|--------------------------------|---|---------|
| | Received during the year | Pending resolution at end of year | Remarks | Received during the year | Pending resolution at end of year | Remarks |
| Data privacy | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Advertising | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Cyber-security | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Delivery of essential services | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Restrictive Trade Practices | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Unfair Trade Practices | 3516 | 0 | - | 4107 | 0 | - |
| Other | 110928 | 0 | - | 107275 | 0 | - |
| | 114444 | 0 | - | 111382 | 0 | - |

| | |)21-22 nancial Year) | | FY 2020-21 (Previous Financial Year) | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---------|---|---|---------|
| | Received during the year | Pending resolution at end of year | Remarks | Received during the year | Pending resolution at end of year | Remarks |
| Data privacy | - | - | - | - | - | - |
| Advertising | - | - | - | - | - | - |
| Cyber-security | - | - | - | - | - | - |
| Delivery of essential services | - | - | - | - | - | - |
| Restrictive Trade Practices | - | - | - | - | - | - |
| Unfair Trade Practices | - | - | - | - | - | - |
| Other | - | - | - | - | - | - |

^{*}Data as per ICMS complaint type classification.

- 4. Details of instances of product recalls on account of safety issues: Not Applicable
- 5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.

LIC has in place 50 number of Board approved policies related to information and cyber security. These policies are available to internal stakeholders through intranet website of the Corporation. The internal Governance Body, Information Strategy Committee and Information Security Steering Committee oversee and guides implementation of these policies through suitable controls. The Information Security Steering Committee reports to the Risk Committee of the Corporation and all information related to these matters are discussed at the Risk Management Committee of the Board every quarter.

Further, we have deployed security solutions like firewall, antivirus, antimalware solutions, intrusion prevention system and dynamic URL filtering etc. The vulnerability assessment of critical information technology applications and infrastructure is also put in place to monitor cyber security events. This helps the Corporation to detect and speedily respond to any threats to its network, applications and infrastructure.

We are also conducting Information Security Audit as per guidelines issued by IRDAI.

6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty / action taken by regulatory authorities on safety of products / services.

NIL





Leadership Indicators

- 1. Channels / platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).
 - Information relating to all the products and services provided by the Corporation are available on the website, <u>www.licindia.</u> <u>in.</u> In addition, the Corporation actively uses various social media and digital platforms to disseminate information on its products and services.
- 2. Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.
 - Periodical communication is sent to active customers to educate them on spurious calls. Also spurious call disclaimer forms part of our customer communications. We promote in-house digital platforms that provide various customer services to customers periodically.
- 3. Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services.
 - We inform customers in advance about relocation of branch along with details of the alternate servicing branch. In case of any natural calamity, communication is sent to customers informing them of assistance with claim processing that also promotes various contact points to enable faster and hassle free processing of claims.
 - During pandemic, communications were sent at various intervals to promote digital modes of services. Extensive communications were also dispatched to create awareness about COVID-19 precautions.
 - Details about non-payment of premiums are sent through default and lapse notices.
- 4. Does the Company display product information about the product over and above what is mandated as per local laws? If yes, provide details in brief. Did the Company carry out any survey on consumer satisfaction relating to the major products / services of the Company, significant locations of operation of the Company or the Company as a whole?
 - To capture customer's feedback on the overall experience of the engagement, feedback is sought through customer meets and visits to Paying Authorities.
- 5. Provide the following information relating to data breaches:

Nil

- a) Number of instances of data breaches along-with impact Not Applicable
- b) Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers Nil

Note: BRSR for the FY 2021-22 is not mandatory for Life Insurance Corporation of India. However for adopting good. Corporate practice. are voluntarily including BRSR in the Annual Report.

Since some figures under certain heads are still not collated, the same has been accordingly shown in the BRSR.

Hence in XBRL filing done with the stock Exchanges, under certain heads zero has been shown where information is not collated.







IRDAI Corporate Governance Guidelines for Insurers in India, 2016 / Annexure-8/FY 2021-22

"Certification for Compliance of the Corporate Governance Guidelines"

I, <u>D.P. PATTANAIK</u>, hereby certify that <u>LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA</u> has complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurance Companies as mentioned from time to time and nothing has been concealed or suppressed.

Signature: 2. P. Pollandi

Full Name:

D.P. PATTANAIK

& Desgn:

Chief (I/C) (Corp. Gov./GJF/Reg. Comp.)

Chief Compliance Officer



केन्द्रीय कार्यालय, "योगक्षेम", जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400 021.

दूरभाष: 66598000

Central office, "Yogakshema", Jeevan Bima Marg, Mumbai - 400 021.

Tel.: 66598000





25. ACKNOWLEDGEMENT

The Life Insurance Corporation of India expresses its sincere thanks to the Hon'ble Parliamentary Committees which visited its offices, the Hon'ble Union Finance Minister, Hon'ble Union Minister of State for Finance (Expenditure, Banking and Insurance), the Insurance Division of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs and the Insurance Regulatory and Development Authority of India for their active support, advice and co-operation on various issues.

The Life Insurance Corporation of India thanks its Board Members, Executive Committee, Investment Committee, Building Advisory Committee, Audit Committee, Policyholder Protection Committee, Risk Management Committee, Election of Shareholder Director Committee, Committee on Wilful Defaulter, With Profit Committee and Remuneration Committee for their valuable direction and guidance.

The Life Insurance Corporation of India appreciates the contribution and expresses sincere thanks also to those Board Members whose term came to an end during the FY 2021-22.

The Life Insurance Corporation of India is grateful to the millions of its Policyholders who have reposed their trust, confidence and continued patronage to the Corporation.

The Life Insurance Corporation of India places on record the excellent contribution rendered by its Employees, Officers and Agents.





SUMMARISED RESULTS

| NEW BUSINESS for the year | 2021-22 | 2020-21 |
|---|--------------|--------------|
| INDIVIDUAL ASSURANCE | | |
| Sum Assured/ NCO/ MSB | (₹ in Crore) | (₹ in Crore) |
| a) Assurances | 625768.88 | 556997.05 |
| b) Annuities* | 12117.88 | 19450.82 |
| c) Pension* | - | - |
| d) Non Linked Health*** | 32756.79 | 26419.13 |
| e) Linked*** | 7484.04 | 3298.67 |
| INDIVIDUAL INSURANCE | | |
| a) Assurances | 211.10 | 203.04 |
| b) Annuities | 1.54 | 2.68 |
| c) Pension | 0 . | |
| d) Non Linked Health | 2.53 | 3.24 |
| e) Linked | 2.09 | 0.90 |
| GROUP SCHEMES: | 2.03 | 0.30 |
| Sum Assured (incl Linked Business) | 374726.01 | 308528.04 |
| Annuities in Payment | 980.67 | 798.22 |
| Consideration for Annuities # | 21686.23 | 76667.42 |
| No. of Schemes: | 21000.23 | 70007.42 |
| Group Insurance(incl Linked Business) | 35868 | 31322 |
| Social Security Group Schemes | 33000 | 31322 |
| Group Superannuation | 402 | 477 |
| No. of lives (in Lakh) | 402 | 473 |
| | 710.07 | 711 46 |
| Group Insurance (incl Linked Business) | 310.97 | 311.46 |
| Social Security Group Schemes | - | - |
| Group Superannuation | 8.33 | 4.19 |
| BUSINESS IN FORCE At the end of the year; | | |
| INDIVIDUAL INSURANCE | | |
| Sum Assured & Bonus/ APA/ MSB | 6746050 44 | |
| a) Assurances | 6316252.44 | 5986624.46 |
| b) Annuities** | 8253.60 | 7670.30 |
| c) Pension** | 2194.59 | 2167.27 |
| d) Non Linked Health*** | 74618.46 | 60458.25 |
| e) Linked*** | 24078.61 | 21307.37 |
| No. of Policies (in Lakh) | | |
| a) Assurances | 2744.90 | 2797.13 |
| b) Annuities | 23.79 | 22.92 |
| c) Pension | 14.51 | 14.84 |
| d) Non Linked Health | 7.11 | 7.18 |
| e) Linked | 18.08 | 21.18 |
| GROUP SCHEMES: | | |
| Sum Assured (incl. Linked Business) | 1795242.66 | 1577407.78 |
| Annuities in Payment | 10496.27 | 9503.56 |
| Consideration for Annuities # | 470602.69 | 416691.99 |
| No. of schemes: | | |
| Group Insurance (incl. Linked Business) | 152820 | 143636 |
| Group Superannuation | 21361 | 20366 |
| No of lives (in Lakhs) | | |
| Group Insurance (incl. Linked Business) | 693.91 | 835.22 |
| Group Superannuation | 93.05 | 96.45 |

NCO-Notional Cash Option, APA- Annuity Per Annum, MSB-Major Surgical Benefit


It represents the amount available for future annuitisation

^{*} NCO Value ** APA Value

^{***} Major Surgical Benefit for plans 903, 904 and 906. Health Benefit Sum Assured for plan 905.









SUMMARISED RESULTS (Contd.)

| INCOME | 2021-22 | 2020-21 |
|---|--------------|--------------|
| INCOME | (₹ in Crore) | (₹ in Crore) |
| Individual Assurance | | |
| First Year Premium | 29720.85 | 27576.15 |
| Percentage Increase over Previous Year | 7.78 | -6.06 |
| Renewal Premium | 220391.04 | 210094.39 |
| Single Premium & Consideration for Annuities Granted | 22758.13 | 28291.76 |
| Individual Pension Schemes | | |
| First Year Premium | 0.58 | 3.96 |
| Renewal Premium | 525.85 | 576.64 |
| Consideration for Annuities Granted | 0.00 | 0.00 |
| Group Schemes | | |
| Group Insurance Premium | 43477.64 | 39183.96 |
| Group Superannuation Premium | 107318.33 | 95723.58 |
| LINKED BUSINESS PREMIUM | 3226.79 | 1393.91 |
| Total Premium Income | 427419.21 | 402844.35 |
| Percentage Increase over Previous Year | 6.10 | 6.27 |
| Income from Investments (including capital gain) | 293007.88 | 272690.16 |
| Miscellaneous | 788.90 | 599.51 |
| Total Income | 721215.99 | 676134.02 |
| Variation due to change in Fair Value of linked Business(unit fund) | -113.43 | 6070.98 |
| Net Total Income | 721102.56 | 682205.00 |

^{*}Previous year figures regrouped wherever necessary.







SUMMARISED RESULTS (Contd.)

| 2021-22 | 2020-21 |
|--------------|--|
| (₹ in Crore) | (₹ in Crore) |
| | |
| 209068.50 | 167549.58 |
| 36205.64 | 23776.74 |
| 16257.20 | 14571.36 |
| 95933.56 | 80986.14 |
| 357464.90 | 286883.82 |
| | 2021-22 (₹ in Crore) 209068.50 36205.64 16257.20 95933.56 |





SUMMARISED RESULTS (Contd.)

| Expenses of Management | 2021-22 | 2020-21 | |
|---|--------------|--------------|--|
| Expenses of management | (₹ in Crore) | (₹ in Crore) | |
| Commission etc. to Agents | 23171.46 | 22169.92 | |
| Salary and other Benefits to Employees | 30310.58 | 26755.18 | |
| Other Expenses of Management | 8580.10 | 8234.34 | |
| | | | |
| Total | 62062.14 | 57159.44 | |
| | | | |
| Other Outgo | | | |
| Other Outgo (Taxes, transfers to reserves,etc.) | -1408.59 | 13077.07 | |
| Final Dividend to be paid | 9487.50 | 2889.01 | |
| Total | 8078.91 | 15966.08 | |
| Total Outgo | 427605.95 | 360009.34 | |

| Delicul inhilities | 2021-22 | 2020-21 |
|---|--------------|--------------|
| Policy Liabilities | (₹ in Crore) | (₹ in Crore) |
| Non Linked Business | | |
| Policy Liabilities at the beginning of the year | 3403750.97 | 3081998.18 |
| Add: Excess of Income over Outgo | 306288.49 | 321752.79 |
| Policy liability at the end of the year | 3710039.46 | 3403750.97 |
| Percentage Increase over the previous year | 9.00% | 9.45% |
| Linked Business | | |
| Policy Liabilities at the beginning of the year | 32931.96 | 32497.65 |
| Add : Addition during the year | -9046.13 | 434.31 |
| Policy liability at the end of the year | 23885.83 | 32931.96 |
| Percentage Increase over the previous year | -27.47% | 1.32% |


| Outstanding Claims at the end of the year | 2021-22 | 2020-21 |
|---|--------------|--------------|
| Outstanding Glaims at the end of the year | (₹ in Croer) | (₹ in Crore) |
| Maturity | 9040.55 | 9481.53 |
| Death | 360.15 | 292.42 |
| Total | 9400.70 | 9773.95 |
| Ratio of Expenses of Management To Total Premium Income | | |
| Commission etc. to Agents | 5.42% | 6.13% |
| Salary and other benefits to Employees | 7.09% | 6.61% |
| Other Expenses of Management | 2.01% | 2.50% |
| Overall Expenses Ratio | 14.52% | 14.19% |
| | | |
| Ratio of Outstanding Claims To Claims payable | 3.83 | 5.11 |
| Rate of Interest realised on Mean Life Insurance Fund | 8.55 | 7.42 |


^{*}Previous year figures regrouped wherever necessary.





NEW BUSINESS FIGURE 2019-20 TO 2021-22








Table No. 1 A NEW BUSINESS

| | NE\ | W BUSINESS IN | INDIA | NEW B | USINESS OUT | OF INDIA | тот | TAL NEW BUSI | NESS |
|----------------------|--------------------|--|---|--------------------|--|---|--------------------|--|---|
| Year | No. of Policies | Sum Assured/ NCO (₹ in Crore) | Annual Premium Receivable (₹ in Crore) | No. of Policies | Sum Assured/ NCO (₹ in Crore) | Annual Premium Receivable (₹ in Crore) | No. of Policies | Sum Assured/ NCO (₹ in Crore) | Annual Premium Receivable (₹ in Crore) |
| Individual Assurance | | | | | | ' | | | |
| 2019-2020 | 21349725 | 616751.32 | 32886.65 | 12502 | 907.81 | 46.19 | 21362227 | 617,659.13 | 32932.83 |
| 2020-2021 | 20294149 | 556255.31 | 29060.56 | 9678 | 741.75 | 39.88 | 20303827 | 556997.05 | 29100.44 |
| 2021-2022 | 21102398 | 625186.70 | 32619.00 | 7399 | 582.18 | 26.83 | 21109797 | 625768.88 | 32645.83 |
| General Annuity | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 233720 | 14851.18 | - | - | - | - | 233720 | 14851.18 | - |
| 2020-2021 | 267556 | 19450.82 | - | - | - | - | 267556 | 19450.82 | - |
| 2021-2022 | 153733 | 12117.88 | - | - | - | - | 153733 | 12117.88 | - |
| Pension | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 6547 | 361.90 | 18.56 | - | - | - | 6547 | 361.90 | 18.56 |
| 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non Linked Health* | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 282505 | 26468.61 | 117.78 | - | - | - | 282505 | 26468.61 | 117.78 |
| 2020-2021 | 323721 | 26419.13 | 122.07 | - | - | - | 323721 | 26419.13 | 122.07 |
| 2021-2022 | 253420 | 32756.79 | 108.70 | - | - | - | 253420 | 32756.79 | 108.70 |





Table No. 1 A


NEW BUSINESS (Contd.)

| | NEV | W BUSINESS IN | INDIA | NEW B | USINESS OUT | OFINDIA | тот | TAL NEW BUSI | NESS |
|-------------------------|--------------------|--|---|--------------------|--|---|--------------------|--|---|
| Year | No. of Policies | Sum Assured/ NCO (₹ in Crore) | Annual Premium Receivable (₹ in Crore) | No. of Policies | Sum Assured/ NCO (₹ in Crore) | Annual Premium Receivable (₹ in Crore) | No. of Policies | Sum Assured/ NCO (₹ in Crore) | Annual Premium Receivable (₹ in Crore) |
| Unit Linked | | | | | | | | | |
| New Endowment plus (Pl | an-835) | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 17532 | 591.70 | 59.17 | - | - | - | 17532 | 591.70 | 59.17 |
| 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| New Endowment plus (Pl | an-935) | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 522 | 19.23 | 1.92 | - | - | - | 522 | 19.23 | 1.92 |
| 2020-2021 | 13363 | 400.65 | 40.07 | - | - | - | 13363 | 400.65 | 40.07 |
| 2021-2022 | 14656 | 442.93 | 44.29 | - | - | - | 14656 | 442.93 | 44.29 |
| Nivesh Plus | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 2694 | 68.69 | - | - | - | - | 2694 | 68.69 | - |
| 2020-2021 | 43847 | 1137.73 | - | - | - | - | 43847 | 1137.73 | - |
| 2021-2022 | 131949 | 3484.22 | - | - | - | - | 131949 | 3484.22 | - |
| SIIP | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 2975 | 148.00 | 15.00 | - | - | - | 2,975 | 148.00 | 15.00 |
| 2020-2021 | 32803 | 1756.04 | 179.92 | - | - | - | 32803 | 1756.04 | 179.92 |
| 2021-2022 | 62539 | 3555.61 | 363.16 | - | - | - | 62539 | 3555.61 | 363.16 |
| UK - Linked | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | - | - | - | 10 | 2.09 | - | 10 | 2.09 | - |
| 2020-2021 | - | - | - | 18 | 4.24 | - | 18 | 4.24 | - |
| 2021-2022 | - | - | - | 9 | 1.28 | - | 9 | 1.28 | - |
| *Sum Assured column: Ma | ajor Surgical Be | enefit for plans 9 | 03, 904 and 906. | Health Bene | fit Sum Assure | d for plan 905. | | | |






NEW BUSINESS GROUP INSURANCE (INCLUSIVE OF SOCIAL SECURITY)







NEW BUSINESS (GROUP)

Table No. 1 B


| Year | No. of Schemes | No. of members (in Lakh) | Sum Assured / Annuity per annum (₹ in Crore) | Consideration for Annuities (₹ in Crore) |
|---|----------------|-----------------------------|--|--|
| Group Insurance (incl. Social Security) | | | | |
| 2019-2020 | 28741 | 390.23 | 186579.95 | - |
| 2020-2021 | 31322 | 311.46 | 308528.04 | - |
| 2021-2022 | 35868 | 310.97 | 374726.01 | - |
| Group Superannuation | | | | |
| 2019-2020 | 145 | 15.06 | #78884.50 | 77532.97 |
| 2020-2021 | 473 | 4.19 | 798.22 | 76667.42 |
| 2021-2022 | 402 | 8.33 | 980.67 | 21686.23 |


 $[\]ensuremath{\text{\#}}$ the figure was inclusive of Consideration for Annuities.





TOTAL BUSINESS OF INDIVIDUAL ASSURANCE IN FORCE








Table No. 3 A

IN FORCE BUSINESS

| | BUSIN | ESS IN - FORCE | IN INDIA | BUSINESS | IN - FORCE OL | JT OF INDIA | TOTAL | BUSINESS IN - I | FORCE |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|---|--------------------|--|---|-----------------|-------------------------------------|---|
| Year | No. of Policies | Sum Assured/ APA (₹ in Crore) | Annual Premium Receivable (₹ in Crore) | No. of Policies | Sum Assured/ APA (₹ in Crore) | Annual Premium Receivable (₹ in Crore) | No. of Policies | Sum Assured/ APA (₹ in Crore) | Annual Premium Receivable (₹ in Crore) |
| Individual Ass | urance | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 281658312 | 4803768.44 | 225581.08 | 104207 | 5970.28 | 299.20 | 281762519 | 4809738.72 | 225880.28 |
| 2020-2021 | 279614060 | 5029944.65 | 235066.75 | 98761 | 6083.34 | 300.07 | 279712821 | 5036027.99 | 235366.82 |
| 2021-2022 | 274393014 | 5294569.54 | 249991.04 | 96634 | 6013.88 | 286.86 | 274489648 | 5300583.42 | 250277.90 |
| General Annui | ty | | , | | | | | | |
| 2019-2020 | 2043879 | 6367.13 | 7.91 | - | 0.00 | - | 2043880 | 6367.13 | 7.91 |
| 2020-2021 | 2292119 | 7670.30 | 6.91 | - | 0.00 | - | 2292120 | 7670.30 | 6.91 |
| 2021-2022 | 2379215 | 8253.60 | 4.88 | - | 0.00 | - | 2379216 | 8253.60 | 4.88 |
| Pension | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 1515607 | 2117.06 | 662.73 | 170 | 1.46 | 0.10 | 1515777 | 2118.52 | 662.83 |
| 2020-2021 | 1484182 | 2166.61 | 589.78 | 160 | 0.66 | 0.09 | 1484342 | 2167.27 | 589.87 |
| 2021-2022 | 1450360 | 2193.94 | 524.09 | 161 | 0.65 | 0.07 | 1450521 | 2194.59 | 524.16 |
| Non Linked He | alth* | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 633545 | 51465.02 | 331.72 | - | - | - | 633545 | 51465.02 | 331.72 |
| 2020-2021 | 717605 | 60458.25 | 359.12 | - | - | - | 717605 | 60458.25 | 359.12 |
| 2021-2022 | 710823 | 74618.46 | 369.97 | - | - | - | 710823 | 74618.46 | 369.97 |





Table No. 3 A

IN FORCE BUSINESS

| | BUSIN | IESS IN - FORCE | IN INDIA | BUSINES | S IN - FORCE OU | IT OF INDIA | TOTAL | BUSINESS IN - F | FORCE |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------|---|--------------------|--|---|-----------------|-------------------------------------|---|
| Year | No. of Policies | Sum Assured/ APA (₹ in Crore) | Annual Premium Receivable (₹ in Crore) | No. of Policies | Sum Assured/ APA (₹ in Crore) | Annual Premium Receivable (₹ in Crore) | No. of Policies | Sum Assured/ APA (₹ in Crore) | Annual Premium Receivable (₹ in Crore) |
| Unit Linked | | | • | | | | | | |
| Future Plus | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 53440 | 35.31 | 7.75 | - | - | - | 53440 | 35.31 | 7.7 |
| 2020-2021 | 39757 | 30.30 | 6.48 | - | - | - | 39757 | 30.30 | 6.48 |
| 2021-2022 | 29764 | 27.64 | 5.58 | - | - | | 29764 | 27.64 | 5.58 |
| Jeevan Plus | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 64863 | | 148.89 | - | - | - | 64863 | 1220.43 | 148.89 |
| 2020-2021 | 60864 | 1146.14 | 146.84 | - | - | - | 60864 | 1146.14 | 146.8 |
| 2021-2022 | 56942 | 1071.59 | 145.71 | - | - | | 56942 | 1071.59 | 145.7 |
| Money Plus | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 163785 | 1750.45 | 138.48 | - | - | - | 163785 | 1750.45 | 138.48 |
| 2020-2021 | 150626 | 1605.96 | 125.57 | - | - | - | 150626 | 1605.96 | 125.57 |
| 2021-2022 | 131505 | 1414.77 | 112.50 | - | - | | 131505 | 1414.77 | 112.50 |
| Market Plus | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 432559 | 132.47 | 51.43 | - | - | - | 432559 | 132.47 | 51.43 |
| 2020-2021 | 396876 | 120.02 | 47.59 | - | - | - | 396876 | 120.02 | 47.59 |
| 2021-2022 | 333471 | 103.02 | 43.61 | - | - | - | 333471 | 103.02 | 43.61 |
| Fortune Plus | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 12802 | 359.49 | - | - | - | - | 12802 | 359.49 | |
| 2020-2021 | 11983 | 336.82 | - | - | - | - | 11983 | 336.82 | |
| 2021-2022 | 11260 | 318.21 | - | - | - | - | 11260 | 318.21 | |
| Profit Plus | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 203239 | 2424.43 | - | - | - | - | 203239 | 2424.43 | |
| 2020-2021 | 187468 | 2225.16 | - | - | - | - | 187468 | 2225.16 | |
| 2021-2022 | 172738 | 2052.41 | - | - | - | - | 172738 | 2052.41 | |
| Money Plus-1 | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 14618 | 157.44 | 16.59 | - | | - | 14618 | 157.44 | 16.59 |
| 2020-2021 | 12808 | 134.64 | 14.80 | - | - | - | 12808 | 134.64 | 14.80 |
| 2021-2022 | 11401 | 116.36 | 13.52 | - | - | - | 11401 | 116.36 | 13.52 |
| Child Fortune F | Plus | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 14083 | 289.31 | 14.66 | - | - | - | 14083 | 289.31 | 14.66 |
| 2020-2021 | 13035 | 270.42 | 13.56 | - | - | - | 13035 | 270.42 | 13.56 |
| 2021-2022 | 11936 | 249.69 | 12.59 | - | - | - | 11936 | 249.69 | 12.59 |
| Market Plus-1 | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 649867 | 180.52 | 81.38 | - | | - | 649867 | 180.52 | 81.38 |
| 2020-2021 | 475048 | 153.74 | 60.50 | - | - | - | 475048 | 153.74 | 60.50 |
| 2021-2022 | 422506 | 138.32 | 54.11 | - | - | - | 422506 | 138.32 | 54.11 |
| Health Plus* | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 71721 | 3001.78 | 71.64 | - | | - | 71721 | 3001.78 | 71.64 |
| 2020-2021 | 64702 | 2568.03 | 64.65 | - | - | - | 64702 | 2568.03 | 64.65 |
| 2021-2022 | 57710 | 2272.86 | 57.95 | - | _ | - | 57710 | 2272.86 | 57.95 |
| Health Protect | ion Plus* | | ' | | | | | | |
| 2019-2020 | 90206 | 3607.98 | 39.58 | - | - | - | 90206 | 3607.98 | 39.58 |
| 2020-2021 | 87518 | 3423.24 | 35.80 | - | _ | - | 87518 | 3423.24 | 35.80 |
| 2021-2022 | 84839 | 3288.36 | 31.97 | - | _ | - | 84839 | 3288.36 | 31.97 |





Table No. 3 A

IN FORCE BUSINESS

| Table No. 3 A | | | | 11410 | RCE BUSINI | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|---|--------------------|--|---|-----------------|-------------------------------------|---|
| | BUSIN | IESS IN - FORCE | IN INDIA | BUSINESS | IN - FORCE O | JT OF INDIA | TOTAL | BUSINESS IN - I | FORCE |
| Year | No. of Policies | Sum Assured/ APA (₹ in Crore) | Annual Premium Receivable (₹ in Crore) | No. of Policies | Sum Assured/ APA (₹ in Crore) | Annual Premium Receivable (₹ in Crore) | No. of Policies | Sum Assured/ APA (₹ in Crore) | Annual Premium Receivable (₹ in Crore) |
| Jeevan Sathi P | lus | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 1632 | 26.63 | 1.88 | - | - | - | 1632 | 26.63 | 1.88 |
| 2020-2021 | 1532 | 25.21 | 1.75 | - | - | - | 1532 | 25.21 | 1.75 |
| 2021-2022 | 1412 | 23.29 | 1.61 | - | - | - | 1412 | 23.29 | 1.61 |
| Wealth Plus | | • | , | | | | | | |
| 2019-2020 | 385305 | 3934.59 | - | - | - | - | 385305 | 3934.59 | - |
| 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | - | . - | - | - | - | - | _ | - | - |
| Endowment Pl | us | | | | | | l | | |
| 2019-2020 | 525560 | 4572.12 | 97.17 | - | - | - | 525560 | 4572.12 | 97.17 |
| 2020-2021 | 239674 | 2268.82 | 44.24 | - | - | - | 239674 | 2268.82 | 44.24 |
| 2021-2022 | 133507 | 1389.38 | 26.85 | - | - | - | 133507 | 1389.38 | 26.85 |
| Pension Plus | | | | | | | | <u> </u> | |
| 2019-2020 | 58545 | 0.00 | 66.43 | - | - | - | 58545 | 0.00 | 66.43 |
| 2020-2021 | 26305 | 0.00 | 36.28 | - | - | - | 26305 | | 36.28 |
| 2021-2022 | 18231 | | 26.43 | - | _ | - | 18231 | 0.00 | 26.43 |
| Samridhi Plus | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 527989 | 4832.43 | 29.03 | - | _ | _ | 527989 | 4832.43 | 29.03 |
| 2020-2021 | 204983 | | 10.35 | - | _ | _ | 204983 | | 10.35 |
| 2021-2022 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Flexi Plus | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 889 | 20.31 | 2.03 | - | _ | _ | 889 | 20.31 | 2.03 |
| 2020-2021 | 800 | | 1.82 | _ | _ | _ | 800 | | 1.82 |
| 2021-2022 | 741 | | 1.67 | - | _ | _ | 741 | | 1.67 |
| New Endowme | | | | | | | | - | |
| 2019-2020 | 60133 | | 207.90 | - | _ | _ | 60133 | 2079.04 | 207.90 |
| 2020-2021 | 57072 | | 197.43 | _ | _ | _ | 57072 | | 197.43 |
| 2021-2022 | 53734 | | 184.70 | _ | _ | _ | 53734 | 1847.02 | 184.70 |
| New Endowme | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 522 | - | 1.92 | - | _ | _ | 522 | 19.23 | 1.92 |
| 2020-2021 | 11102 | | 31.91 | - | _ | _ | 11102 | | 31.91 |
| 2021-2022 | 20183 | | 58.80 | - | _ | _ | 20183 | | 58.80 |
| Nivesh Plus | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 2694 | 68.69 | - | - | _ | _ | 2694 | 68.69 | - |
| 2020-2021 | 46498 | | _ | _ | _ | _ | 46498 | | _ |
| 2021-2022 | 178030 | | _ | - | _ | _ | 178030 | | - |
| SIIP | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | 2975 | 148.00 | 15.00 | - | _ | _ | 2975 | 148.00 | 15.00 |
| 2020-2021 | 28789 | | 159.82 | - | _ | _ | 28789 | | 159.82 |
| 2021-2022 | 78032 | | 451.77 | - | _ | _ | 78032 | | 451.77 |
| UK - Linked | . 0032 | | .52/ | | | <u> </u> | . 5552 | 1.00.02 | .02.77 |
| 2019-2020 | _ | | - | 292 | 56.65 | 3.89 | 292 | 56.65 | 3.89 |
| 2020-2021 | _ | . _ | _ | 287 | 71.88 | 3.80 | 287 | | 3.80 |
| 2021-2022 | _ | . _ | _ | 261 | 71.15 | 3.05 | 261 | | 3.05 |
| | l column: Mair | or Surgical Panas | it for plans 903, 9 | | | | | 1 | |
| Sum Assured | i column: Majo | or surgical Benefit | pians 903, 9 | 04 and 906. He | eaitri benent Su | m Assurea for pi | an 905. | | |






BUSINESS IN FORCE (GROUP)









BUSINESS IN FORCE (GROUP)

| Table No. 3 B | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Year | No. of Schemes | No. of members (in Lakh) | Sum Assured/ NCO/ Annuites PA (₹ in Crore) | Consideration for Annuities * (₹ in Crore) | Premium Income (₹ in Crore) |
| Group Insurance (incl. Social Security) | | | | | |
| 2019-2020 | 141312 | 1042.90 | 1881026.32 | - | 31833.57 |
| 2020-2021 | 143607 | 834.93 | 1577183.52 | - | 39184.05 |
| 2021-2022 | 152791 | 693.64 | 1795242.66 | - | 67077.87 |
| Group Superannuation | | | | | |
| 2019-2020 | 23702 | 92.58 | 8834.55 | 360677.23 | 101711.44 |
| 2020-2021 | 20366 | 96.45 | 9503.56 | 416691.99 | 95723.57 |
| 2021-2022 | 21361 | 93.05 | 10496.27 | 470602.69 | 83718.10 |
| Linked Business G Plus | | | | | |
| 2019-2020 | 31 | 0.29 | 240.10 | - | 7.30 |
| 2020-2021 | 29 | 0.28 | 224.27 | - | 2.75 |
| 2021-2022 | 29 | 0.28 | 214.28 | - | 2.41 |
| * It represents the amount available for future | e annuitisation | | | | |





| | | | STATUTORY | STATUTORY STATEMENTS REGARDING POLICIES | DING POLICIES | | | | |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|---|---|--|
| | New Ii | New life insurance business in | respect | respect of which a premium has been paid during the year 2021-2022 | uring the | Total life ins | urance business in fo | Total life insurance business in force at the end of the year 31.3.2022 | year 31.3.2022 |
| | Number of policies | Sum Assured /NCO | Consideration for Annuities | Single Premiums | Yearly Renewal Premium | Number of Policies | Sum insured with Bonuses and Annuities per annum | Consideration for Annuities | Premium income for which credit has been taken in the Revenue Account |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (9) | (7) | (8) | (6) | (10) |
| Ordinary Policies ** In India | 21102398 | 6251866968861 | | 94577498561 | 326189963502 | 274393014 | 63092370204190 | 1 | 2591909121934 |
| OutofIndia | 7399 | 5821789219 | 1 | 1145689624 | 268290210 | 96634 | 70154162029 | 1 | 4143074097 |
| Total | 21109797 | 6257688758080 | ' | 95723188185 | 326458253712 | 274489648 | 63162524366218 | • | 2596052196031 |
| Annuty Contracts etc: In India | 153733 | 121178844856 | ı | 131858088843 | 1 | 2379215 | 82536017115 | ı | 131910752404 |
| Out of India | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 11972 | - | 0 |
| Total | 153733 | 121178844856 | - | 131858088843 | - | 2379216 | 82536029087 | - | 131910752404 |
| Non Linked Health # In India | 253420 | 327567900000 | , | | 1087033291 | 710823 | 746184640000 | | 3656840226 |
| Total | 253420 | 327567900000 | 1 | 1 | 1087033291 | 710823 | 746184640000 | 1 | 3656840226 |
| Linked Plan - Future Plus In India | ' | ' | ' | ' | ' | 29764 | 276356360 | ' | 33858000 |
| Total | 1 | | 1 | | ' | 29764 | 276356360 | | 33858000 |
| Linked Plan - Jeevan Plus | | | | | | | | | |
| In India | • | - | - | - | - | 56942 | 10715895000 | - | 286123430 |
| Total | - | - | _ | - | - | 56942 | 10715895000 | - | 286123430 |
| Linked Plan - Money Plus | | | | | | | | | |
| InIndia | 1 | 1 | 1 | | 1 | 131505 | 14147746250 | ' | 1197326540 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131505 | 14147746250 | 1 | 1197326540 |
| Linked Plan - Market Plus In India | , | , | , | ' | , | 222/71 | 1030335000 | , | 370207620 |
| Total | 1 | ' | ' | 1 | ' | 333471 | 1030235000 | ' | 239403246 |
| Linked Plan - Fortune Plus | | | | | | | | | |
| InIndia | ' | 1 | 1 | ' | 1 | 11260 | 3182145000 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 | 1 | • | 1 | 11260 | 3182145000 | • | 1 |
| Linked Plan - Profit Plus | | | | | | 97767 | 000000000000000000000000000000000000000 | | |
| Total | • | | 1 | ' | 1 | 172738 | 20524120000 | | |
| Linked Plan - Money Plus 1 | | | | | | | | | |
| In India | 1 | 1 | 1 | ' | l | 11401 | 1163610000 | 1 | 147171250 |
| Total | 1 | • | 1 | • | 1 | 11401 | 1163610000 | • | 147171250 |
| Linked Plan - Child Fortune Plus | | | | | | 4 | | | |
| In India | ' | • | ' | ' | ' | 11936 | 7496925000 | ' | 141972997 |
| Total | - | - | - | - | - | 11936 | 2496925000 | _ | 141972997 |
| Linked Plan - Market Plus 1 In India | 1 | ı | , | ' | 1 | 422506 | 1383174750 | • | 578877398 |
| Total | 1 | • | 1 | 1 | 1 | 422506 | 1383174750 | 1 | 578877398 |
| Linked Plan Flexi Plus | 1 | ' | ' | ' | , | 741 | 167080000 | ' | 12640000 |
| Total | 1 | 1 | 1 | | 1 | 741 | 167080000 | | 1264000 |
| IOtal | | | | | | - | | | |

Form DD




| | Man li | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|--|
| | A | fe insurance business ii | New life insurance business in respect of which a premium has been paid during the year 2021-2022 | emium has been paid d | luring the | Total life ins | Total life insurance business in force at the end of the year 31.3.2022 | orce at the end of the | year 31.3.2022 |
| | Number of policies | Sum Assured /NCO | Consideration for Annuities | Single Premiums | Yearly Renewal Premium | Number of Policies | Sum insured with Bonuses and Annuities per annum | Consideration for Annuities | Premium income for which credit has been taken in the Revenue Account |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (9) | (7) | (8) | (6) | (10) |
| Linked Plan - Health Plus # | | | | | | | | | |
| In India | 1 | • | 1 | ' | 1 | 57710 | 22728630000 | 1 | 601041475 |
| Total | _ | - | - | - | - | 57710 | 22728630000 | - | 601041475 |
| Linked Plan - Health Protection Plus# | | | | | | | | | |
| In India | 1 | 1 | • | ı | 1 | 84839 | 32883554000 | ' | 325256056 |
| Total | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 84839 | 32883554000 | 1 | 325256056 |
| Linked Plan -Jeevan Sathi Plus In India | , | • | 1 | • | | 1412 | 232945000 | • | 18055500 |
| Total | 1 | • | 1 | • | 1 | 1412 | 232945000 | 1 | 18055500 |
| Linked Plan - Endowment Plus In India | 1 | 1 | 1 | ' | 1 | 133507 | 13893825000 | 1 | 235332748 |
| Total | 1 | 1 | 1 | • | 1 | 133507 | 13893825000 | 1 | 235332748 |
| Linked Plan - Pension Plus | | | | | | | | | |
| In India | - | - | 1 | - | | 18231 | - | - | 222342901 |
| Total | - | - | - | - | - | 18231 | - | - | 222342901 |
| Linked Plan - New Endowment Plus | 14656 | 0000530000 | 1 | 1 | 000250777 | 73917 | 24349990000 | 1 | 2712726230 |
| | 14656 | 0000220277 | | | 74292200 | 72017 | 27379990000 | | 2712726230 |
| lotal I inked Blan - Nivesh Blus and SIIB | 14030 | 4429330000 | | | 442933000 | /186/ | 24343330000 | | 0.12120230 |
| In India | 194488 | 70398260500 | 1 | 21722000000 | 3631609000 | 256062 | 90898425500 | , | 25564439410 |
| Total | 194488 | 70398260500 | - | 21722000000 | 3631609000 | 256062 | 90898425500 | - | 25564439410 |
| UK - Linked Out of India | 6 | 12763588 | 1 | 21401024 | ı | 261 | 711470984 | , | 53910757 |
| Total | 6 | 12763588 | 1 | 21401024 | 1 | 261 | 711470984 | 1 | 53910757 |
| Pension In India | 1 | 1 | , | - | ' | 1450360 | 21939413879 | 1 | 5259125927 |
| Out of India | 1 | • | • | • | • | 161 | 6489867 | ' | • |
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1450521 | 21945903747 | 1 | 5259125927 |
| Group Insurance Policies (Incl Social Security) | 35868 | 3747260114691 | ' | 370068102299 | 46606179806 | 152791 | 17952426581361 | 1 | 670778675715 |
| Total | 35868 | 3747260114691 | - | 370068102299 | 46606179806 | 152791 | 17952426581361 | | 670778675715 |
| Group Annuity Contracts etc. | 402 | 9806737372.64 | 2168623111698.43 | 1003435487413 | 47754134266 | 21361 | 104962739082.20 | | 837180998635 |
| Total | 402 | 9806737372.64 | 2168623111698.43 | 1003435487413 | 47754134266 | 21361 | 104962739082.20 | 4706026944664.13 | 837180998635 |
| Linked Business (G+) | _ | - | - | _ | - | 53 | 2142841446 | - | 24113458 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | 2142841446 | • | 24113458 |


Sum Assured column: Major Surgical Benefit for plans 903, 904 and 906. Health Benefit Sum Assured for plan 905. # It represents the amount available for future annuitization. ** Ordinary Policies indicate Individual Insurances

299









LIFE FUND, TOTAL SURPLUS, SHARE OF SURPLUS TO GOVT.AND TAXES PAID

Table No. 5

(₹ in Crore)

| Year | Life Fund | Valuation Surplus (Life) | Surplus Retained | 5% Share paid to Central Govt. Life Business | 100% Share paid to Central Govt. CRAC Business | Taxes (incld.G. S.T.) Paid to Government (Life) |
|-----------|------------|--------------------------------|---------------------|--|--|---|
| 2019-2020 | 3114496.05 | 53954.86 | - | 2697.74 | 1.99 | 10225.24 |
| 2020-2021 | 3436686.27 | 57780.20 | - | 2889.01 | 2.58 | 11003.51* |
| 2021-2022 | 3735759.72 | 54053.31 | - | - | 2.93 | 10743.72 |

^{*} Previous year's figures are regrouped wherever necessary





TOTAL INVESTMENTS: 2021-22



INVESTMENTS AS AT 31ST MARCH 2022


| Table No. 6 | |
|------------------------------|--------------|
| | (₹ in Crore) |
| Investment in India | |
| I Loan* | 120957.48 |
| II Securities, etc. | 3910531.77 |
| III Money market investments | 47560.64 |
| TOTAL (in India) | 4079049.88 |
| Investment out of India | |
| I Loan | 161.73 |
| II Securities, etc. | 5555.55 |
| III Money market investments | 59.67 |
| TOTAL (Outside India) | 5776.96 |
| TOTAL | 4084826.84 |

^{*} including Policy Loans & Mortgage Loans





INVESTMENT INFRASTRUCTURE AND SOCIAL SECTOR 2021-2022



INVESTMENTS DURING THE YEAR IN LOANS/DEBENTURES/EQUITY IN VARIOUS ENTITIES FOR INFRASTRUCTURE & SOCIAL PURPOSE

Table No. 7

| Sector | Amount Advanced during 2021-22 (₹ in Crore) |
|---|--|
| 1. Power | 6980.45 |
| 2. Housing | |
| (a) Loans to State Governments for Housing Schemes | |
| (b) Loans to Apex Co-operative Housing Finance Societies & others | |
| (c) Debentures , Bonds etc. to Housing Finance Companies. | 11118.83 |
| 3. Irrigation/ Water Supply /Sewerage Schemes | - |
| 4. Road & bridges/SRTC | 3.76 |
| 5. Other Infrastucture | 11535.62 |
| TOTAL | 29638.66 |





31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण

Financial Statements
For the year ended 31st March, 2022





परिशिष्ट -**।।** वर्ष 2021–22 के लिए निगम के सांविधिक (केन्द्रीय) लेखा परीक्षक

| क्रमांक | फर्म का नाम | पता |
|---------|--|--|
| 1 | मेसर्स टोड़ी तुल्सयान एंड कं . ईआर0043 | 602, लव कुश टॉवर, एग्जीबिशन रोड, पटना 800001, बिहार |
| 2 | मेसर्स ए आर. एंड कं . सी आर 3997 | ए 403, गायत्री अपार्टमेंट प्लाट नं. 27, सेक्टर-10, एयरलाइंस ग्रुप हासिंग सोसाईटी, नई दिल्ली-110075 |
| 3 | मेसर्स रे एण्ड रे सीए 0036 | वेबेल भवन, ब्लॉक ईपीजीपी, बिधान नगर, सेक्टर - 5, साल्ट लेक, कोलकाता- 700091, पश्चिम बंगाल |
| 4 | मेसर्स राममूर्ती (एन) एण्ड कं. एच वाय 0008 | गुलशन मंज़ील, 4-1-1229, बोगुलकुटां हैदराबाद- 500001, तेलंगाना |
| 5 | मैसर्स बी सी जैन एंड कं सीआर 0016 | 16 / 77ए, सिविल लाइंस कानपुर – 208001, उत्तर प्रदेश. |
| 6 | चोकशी और चोकशी एलएलपी बीओ 0150 | ग्राउंड फ्लोर, 15 / 17, राघवजी बिल्डिंग, राघवजी रोड, गोवालिया टैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने, मुंबई - 400036, महाराष्ट्र |
| 7 | मेसर्स बाटलीबॉय एंड पुरोहित बीओ 0004 | दूसरी मंजिल नेशनल इंसोरेन्स बिल्डिंग, 204, दादाभोये नौरोजी रोड, फोर्ट मुंबई-400001 महाराष्ट्र |
| 8 | ए बी एम एंड एसोसिएट्स एलएलपी बीओ 1440 | ऑफिस नं. 210, प्लॉट नं. 9, शाह हेरिटेज, सेक्टर 42-ए, डी-मार्ट के सामने सी-वूड्स वेस्ट, नवी मुंबई-400706, महाराष्ट्र. |
| 9 | मेसर्स रमा के गुप्ता एंड कंपनी सीआर 0649 | दुकान संख्या 11, तीसरी मंजिल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल – 462038, मध्य प्रदेश |
| 10 | मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं एमडी 0018 | सिम्पसन बिल्डिंग 861, अन्ना सलाई, चेन्नई–600002, तमिलनाडु |





APPENDIX - II Statutory (Central) Auditors of the Corporation for 2021-22

| S.no | Name Of The Auditor/Audit Firm | Location |
|------|----------------------------------|---|
| 1 | M/S Todi Tulsyan & Co ER0043 | 602, Luv Kush Tower, Exhibition Road, Patna - 800001, Bihar |
| 2 | M/S A R & Co CR3997 | A, 403, Gayatri Apartments, Plot No.27, Sector - 10, Airlines Group Housing Society, New Delhi - 110075, |
| 3 | M/S Ray & Ray CA0036 | Webel Bhavan, Block - EP GP, Bidhan Nagar Sector - V, Saltlake, Kolkata - 700091, West Bengal |
| 4 | M/S Ramamoorthy (N) & Co. HY0008 | Gulshan Manzil, 4-1-1229, Bogulkunta Hyderabad - 500001, Telangana |
| 5 | M/S B C Jain & Co CR0016 | 16/77A, Civil Lines Kanpur- 208001, Uttar Pradesh |
| 6 | Chokshi & Chokshi LLP BO0150 | Ground Floor, 15/17, Raghavji B Buld, Raghavji Road, Gowalia Tank, Opp Central Bank Of India, Mumbai - 400036, Maharashtra |
| 7 | M/S Batliboi & Purohit BO0004 | 2nd Floor, National Insurance Building, 204, Dadabhoy Naoroji Road, Fort, Mumbai - 400001, Maharashtra |
| 8 | ABM & Associates LLP BO1440 | Office No.210, Plot No. 9, Shah Heritage, Sector 42A, Opposite Dmart, Seawoods West, Navi Mumbai, Mumbai-400706 |
| 9 | M/S Rama K Gupta & Co CR0649 | Shop No.11 ,Third Floor, Metro Plaza ,Bittan Market, Bhopal - 462038, Madhya Pradesh |
| 10 | M/S R G N Price & Co MD0018 | Simpson Building 861, Anna Salai, Chennai-600002, Tamil Nadu |





स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्यों के लिए

स्वचलित (स्टैंड अलोन) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

- हमने भारतीय जीवन बीमा निगम ("निगम") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 को स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, स्टैंडअलोन राजस्व खाता (जिसे "पॉलिसीधारक खाता" या तकनीकी खाता भी कहा जाता है) शामिल है। स्टैंडअलोन लाभ और हानि खाता (जिसे "शेयरधारक खाता" या "गैर—तकनीकी खाता" भी कहा जाता है) और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन प्राप्तियां और भुगतान खाता (जिसे "केश फ्लो स्टेटमेंट" भी कहा जाता है), और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का एक सारांश, जिसमें 3 विदेशी शाखाओं (यूनाइटेड किंगडम, मॉरीशस और फिजी) के लेखा परीक्षित विवरण (ऑडिटेड रिटर्न) शामिल हैं, हमारे द्वारा लेखापरीक्षित पेंशन और समूह योजनाओं की 8 मंडल कार्यालय और 3 इकाइयां, निगम द्वारा नियुक्त अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 105 मंडल कार्यालय और पेंशन और समूह योजनाओं की 68 इकाइयाँ।
- 2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 ("एलआईसी अधिनियम"), संशोधित के रूप में, बीमा अधिनियम, 1938 (बीमा अधिनियम), संशोधित के रूप में, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरण तैयार करना और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) विनियम, 2002 ("विनियम"), जिसमें भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आई आरडीए आई) द्वारा जारी आदेश / निर्देश / परिपत्र शामिल हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों को लागू सीमा तक शामिल किया गया है, के अनुसार तैयार किए जाते हैं और इस तरह से आवश्यक तरीके से और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दें, जैसा कि बीमा कंपनियों पर लागू होता है:
 - i. तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2022 तक निगम के मामलों की स्थिति;
 - ii. राजस्व खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निवल अधिशेष:
 - iii. लाभ और हानि खाते के मामले में. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का: तथा
 - iv. प्राप्तियों और भुगतान खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियों और भुगतानों का।

राय के लिए आधार

3. हमने भारत के सनदी लेखाकार ससंथान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखा परीक्षण पर मानकों ("एसए") के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम एलआईसी अधिनियम के प्रावधानों, संशोधित के रूप में, बीमा अधिनियम, संशोधित के रूप में; आईआरडीए अधिनियम; आईआरडीएआई द्वारा जारी विनियम और आदेश/परिपत्र के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार निगम से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रसंग पर जोर

- 4. हम निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं:
 - क. एकल/एकीकृत पॉलिसीधारकों के फंड को सहभागी और गैर सहभागी पॉलिसीधारकों के फंड में विभाजित करने के बारे में अनुसूची 15ए के नोट नंबर सी (22), निगम के सॉल्वेंसी मार्जिन में भाग लेने वाले और गैर—भाग लेने वाले के बीच संपत्ति का अलगाव और परिसम्पत्तियों के पुनर्संरेखण के लिए निगम के प्रबंधन द्वारा अपनाई गई युक्तिसंगतता।
 - ख. वित्तीय वर्ष 2019-20 में कर्मचारियों को नए विकल्प के कारण उत्पन्न 11,12,466.00 लाख रुपये के अतिरिक्त योगदान के कारण देयता के संबंध में अनुसूची 15-ए की नोट संख्या बी(12)(सी), जो कि आईआरडीएआई द्वारा अपने पत्र संख्या 101/2/एफ एंड ए-लाइफ/एलआईसी/2018-19/208 दिनांक 06-07-2020 द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 से पांच वर्षों की अविध में प्रदान किया जा रहा है। तदनुसार, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते में क्रमशः 2,22,493.00 लाख और शेष राशि 31 मार्च, 2024 तक की अविध में 4,44,986.00 लाख रुपये प्रदान किए जाने हैं।
 - ग. COVID-19 महामारी के प्रकोप से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बारे में अनुसूची 15A की नोट संख्या (सी)(19) और प्रबंधन द्वारा अपने व्यवसाय और वित्तीय विवरणों पर नीतिगत देनदारियों के सिहत मूल्यांकन। उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।





INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To The Members of Life Insurance Corporation of India

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

- 1. We have audited the accompanying standalone financial statements of Life Insurance Corporation of India ("the Corporation"), which comprise of the standalone balance sheet as at March 31, 2022, the standalone revenue account (also called the "Policyholders' Account" or the "Technical Account"), standalone profit and loss account (also called the "Shareholders' Account" or the "Non Technical Account") and the standalone receipts and payments account (also called as the "Cash Flow Statement") for the year ended March 31, 2022, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are included audited returns of 3 foreign branches (United Kingdom, Mauritius and Fiji),8 Divisional Offices and 3 units of Pension & Group Schemes audited by us, 105 Divisional Offices and 68 units of Pension & Group Schemes audited by other auditors appointed by the Corporation.
- 2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements are prepared, in accordance with the Life Insurance Corporation Act 1956 (the "LIC Act"), as amended, the Insurance Act, 1938 (the "Insurance Act"), as amended, Insurance Regulatory and Development Act, 1999 (the "IRDA Act"), Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 (the "Regulations"), including orders/ directions/ circulars issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI"), including the accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013, to the extent applicable and in the manner so required and give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India, as applicable to insurance companies:
 - i. in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Corporation as at March 31, 2022;
 - ii. in the case of the Revenue Account, of the net surplus for the year ended on that date;
 - iii. in the case of the Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date; and
 - iv. in the case of the Receipts and Payments Account, of the receipts and payments for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing ("SA"s) issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Our responsibilities under those standards are further described in the auditors' responsibilities for the audit of Financial Statements section of our report. We are independent of the Corporation in accordance with the code of ethics issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the LIC Act, as amended, the Insurance Act, as amended; the IRDA Act; Regulations and orders / circulars issued by IRDAI and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the standalone financial statements.

Emphasis of Matter

- 4. We invite attention to:
 - a. Note No. C(22) of Schedule 15A regarding bifurcation of Single/Unified Policyholders' fund into Participating and Non-Participating Policyholders' fund, segregation of assets among Participating and Non-Participating, solvency margin of the Corporation and the rational adopted by the management of the Corporation for the realignment of the assets.
 - b. Note No. B(12)(C) of Schedule 15A regarding liability on account of additional contribution of Rs.11,12,466.00 Lakhs, arisen due to fresh option to employees in financial year 2019-20, which is being provided over a period of five years from financial year 2019-20 in accordance with the approval granted by IRDAI vide its letter no. 101/2/F&A-Life/LIC/2018-19/208 dated 06-07-2020. Accordingly, an amount of Rs. 2,22,493.00 Lakhs has been charged to Revenue Account for the year ended March 31, 2022, respectively and balance amount of Rs. 4,44,986.00 Lakhs is to be provided over the period upto March 31, 2024.
 - c. Note No. (C)(19) of Schedule 15A regarding the uncertainties arising out of the outbreak of COVID-19 pandemic and assessment made by the management on its business and financial statements, including valuation of policy liabilities.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.





प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

5. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में नीचे दिए गए मामले को निर्धारित किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन (31.03.2022: 3961531.62 करोड रुपये और 31.03.2021: 3556452.09 करोड रुपये)

(वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8, 8ए और 8बी देखें। लेखा नीति के लिए वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 15ए(ए)6 देखें।)

निगम के निवेश पोर्टफोलियो को संबद्ध और गैर—संबद्ध में विभाजित किया गया है। निवेश पोर्टफोलियो निगम की कुल संपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

जैसा कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ("IRDAI") द्वारा निर्धारित किया गया है, सभी निवेश भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश विनियम, 2016) (निवेश विनियम) और निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियां के अनुसार होने चाहिए।

साथ ही, सभी निवेशों का मूल्यांकन निवेश विनियमों में निर्धारित अनुसार किया जाना चाहिए जो निवेश के प्रत्येक वर्ग के लिए अपनाई जाने वाली मूल्यांकन पद्धति को निर्धारित करते हैं।

गैर—सूचीबद्ध या सक्रिय रूप से वयापार किए गए निवेशों के अलावा, ऐतिहासिक लागत पर कमी/नुकसान के प्रावधान को कम करके मापा जाता है, जिसमें प्रबंधन निर्णय और अनुमान शामिल होता है।

इसके अलावा, निवेशिती कंपनी की रेटिंग के पुनर्मूल्यांकन के कारण, निवेश विनियमों और/या निगम की आंतरिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए निवेश के पुनर्वर्गीकरण और इसके मूल्यांकन/हानि पर परिणामी प्रभाव की आवश्यकता हो सकती है।

इसलिए, निवेशों का मूल्यांकन उन क्षेत्रों में से एक माना जाता था जिन पर हमारे महत्वपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता थी और वित्तीय विवरणों में निवेश के कुल मूल्य की भौतिकता के कारण प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों में से एक था।

हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया

हमने निम्नलिखित प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं की हैं:

- निवेश के उचित वर्गीकरण और मूल्यांकन/ हानि को सुनिश्चित करने के लिए निगम की प्रक्रिया और प्रक्रियाओं और परीक्षण नियंत्रणों को समझा।
- नमूना आधार पर निवेशों की जांच की गई रिकॉर्डिंग और निवेशों का सत्यापित वर्गीकरण और निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश विनियमों और नीतियों का अनुपालन
- प्रतिभूतियों का मूल्यांकन मूल्यांकन यह जांचने के लिए कि क्या यह निवेश विनियमों और निगम की लेखा नीतियों के अनुसार है।
- परीक्षण की गई हानि/ प्रतिभूतियों का प्रावधान (रिवर्सल सहित), जो देखा गया है और निवेश विनियमों और निगम की हानि नीतियों के अनुसार हैं।
- गैर-सूचीबद्ध और सक्रिय रूप से वयापार किए गए निवेशों के अलावा, हमने निगम की मूल्यांकन पद्धित और मान्यताओं का मूल्यांकन किया और इन्हें निवेश विनियमों और निगम की आंतिरक नीतियों के साथ पृष्टि की, जिसमें हानि से संबंधित भी शामिल हैं।
- निवेशिती कंपनी की रेटिंग में किसी भी बदलाव के लिए, हमने निवेश विनियमों के साथ निगम के मूल्यांकन और पुनर्वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए निगम की आंतरिक नीतियों की जांच की।
- हमने निवेश पर उपलब्ध समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्टों का अध्ययन किया है।

किए गए कार्य के आधार पर, हमें ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं मिला जिससे यह पता चलता हो कि निवेशों को उचित रूप से वर्गीकृत या मूल्यांकित नहीं किया गया था।





Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matter below to be the key audit matter to be communicated in our report.

Key audit matters

How our audit addressed the key audit matters

Classification and Valuation of Investments (31.03.2022: ₹ 3961531.62 crore and 31.03.2021: ₹ 3556452.09 crore)

(Refer Schedule 8, 8A and 8B of the financial statements. Refer schedule 15A(A)6 to the financial statements for accounting policy.)

The Corporation's investment portfolio is bifurcated into linked and non-linked. The investment portfolio forms significant portion of the total assets of the Corporation.

As prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority of India (the "IRDAI"), all investments should be in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Investment Regulations, 2016) (the "Investment Regulations") and policies approved by Board of Directors of the Corporation.

Also, all investments should be valued as prescribed in the Investment Regulations which prescribe the valuation methodology to be adopted for each class of investments.

The unlisted or other than actively traded investments are measured at historical cost less provision for diminution/impairment, which involves management judgement and estimate.

Further, due to the reassessment of the investee company's rating, there could be a need for reclassification of investment and consequent impact on its valuation / impairment keeping in view the Investment Regulations and/ or Corporation's internal policies.

Hence, the valuation of investments was considered to be one of the areas which required our significant attention and was one of the key audit matters due to the materiality of total value of investments to the financial statements. We have carried out the following key audit procedures:

- Understood the Corporation's process and procedures and tested controls to ensure proper classification and valuation/impairment of investments.
- Tested recording of investments on sample basis and verified classification of investments and compliance with Investment Regulations and policies approved by Board of Directors of the Corporation.
- Assessed valuation of securities to examine whether the same is in accordance with the Investment Regulations and Corporation's accounting policies.
- Tested impairment/provision of securities (including reversal), which have been observed and are in accordance with the Investment Regulations and Corporation's impairment policies.
- In respect of unlisted and other than actively traded investments, we evaluated the Corporation's valuation methodology and assumptions and corroborated these with Investment Regulations and Corporation's internal policies including those related to impairment.
- For any changes in ratings of the investee company, we examined the Corporation's assessment with the Investment Regulations and Corporation's internal policies for reclassification and valuation.
- We have perused the available concurrent audit reports on investments.

Based on the work carried out, we did not come across any significant matter which suggests that the investments were not properly classified or valued.





प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

उचित अवधि में राजस्व मान्यता के समय की उपयुक्तता

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की अनुसूची 1 देखें।

वर्ष के दौरान, निगम ने 42741921.20 लाख रुपये के शुद्ध प्रीमियम राजस्व को मान्यता दी है।

वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही (बैलेंस शीटडेट पर कट—ऑफ सहित) के दौरान राजस्व की महत्वपूर्ण केंद्रीकरण के कारण हमने इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है।

उद्योग की प्रकृति के कारण, राजस्व बैलेंस शीट की तारीख की ओर झुका हुआ है। इसलिए, संभावना है कि अगले वित्तीय वर्ष की पॉलिसी बिक्री का लेखा वर्तमान अवधि में किया जाए।

आयकर से संबंधित कुछ मामलों से संबंधित आकस्मिकताएं

वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 15(ए) के नोट बी(1) का संदर्भ लें। निगम को आयकर से संबंधित मामलों के संबंध में कर अधिकारियों से विभिन्न मांग नोटिस (ज्यादातर उद्योग विशिष्ट) प्राप्त हुए हैं।

उक्त मामले मुख्य रूप से भौतिक राशियों से संबंधित हैं जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं।

प्रबंधन ने अपने विशेषज्ञ की मदद से, आवश्यकतानुसार, एक दायित्व उत्पन्न होने की संभावना से संबंधित निर्णय लिया है और क्या किसी प्रावधान को पहचानने या आकस्मिक दायित्व का खुलासा करने की आवश्यकता है। हमने इस क्षेत्र पर अनिश्चितता, मूल्यांकन के लिए प्रबंधन के निर्णय के उपयोग और वित्तीय विवरणों पर संभावित सामग्री प्रभाव के परिणामस्वरूप ध्यान केंद्रित किया।

हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया

हमारी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:

- राजस्व की मान्यता से संबंधित प्रक्रिया और नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता को समझा और मूल्यांकन किया।
- प्रमुख नियंत्रणों का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया
 कि राजस्व सही लेखा अविध में अर्जित है या नहीं।
- वर्ष के अंत में नीतियों का नमूना आधार पर परीक्षण किया गया तािक पुष्टि की जा सके कि नीति की शर्तों की स्वीकार्यता के संबंध में संबंधित प्रक्रियात्मक अनुपालन वर्ष के अंत से पहले पूरा किया गया था तािक राजस्व का उचित लेखा—जोखा सुनिश्चित किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी जहां तुलन पत्र (बैलेंस शीट) से पहले जोखिम शुरू हुआ था लेकिन राजस्व को मान्यता नहीं दी गई थी, नमूना आधार पर बिना आवंटित प्रीमियम / प्रस्ताव जमा / प्रीमियम जमा पर परीक्षण किया गया।

किए गए कार्य के आधार पर, हमें ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं मिला जो यह बताता हो कि राजस्व की पहचान सही अवधि में नहीं की गई है।

हमारी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:

- कर मुकदमों के निर्धारण के लिए प्रबंधन की प्रक्रिया और नियंत्रण को समझा और उसका उचित हिसाब—किताब और प्रकटीकरण किया।
- निगम के कानूनी सलाहकार और इन—हाउस टैक्स विशेषज्ञों के साथ लंबित मामलों पर चर्चा की।
- कर मामलों की वर्तमान स्थिति की समझ हासिल करने के लिए प्रबंधन के निष्कर्षों का आकलन किया और यह स्थापित करने के लिए विवादों की निगरानी कि कर प्रावधान नवीनतम बाहरी विकास को दर्शाते हैं।

किए गए कार्य के आधार पर, आयकर से संबंधित कुछ मामलों से संबंधित आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए, हमने 31 मार्च, 2022 को आकस्मिक देनदारियों के प्रावधान और प्रकटीकरण की सीमा को उचित होने के लिए निर्धारित किया।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

6. अन्य जानकारी के लिए निगम का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को वयक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी जब वह उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है।

वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हुए यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई भौतिक गलत कथन है, तो हम इस मामले को संबंधित प्रशासन को अवगत करवाएं।





Key audit matters

How our audit addressed the key audit matters

Appropriateness of the Timing of Revenue Recognition in the proper period

Refer Schedule 1 of the standalone financial statement.

During the year, the Corporation has recognised net premium revenue of Rs 42741921.20Lakhs.

We have focused on this area because of the significant concentration of revenue during the last quarter of financial year (including cut-off at the Balance sheet date). Due to the nature of the industry, revenue is skewed towards the balance sheet date. Hence, there is possibility that policy sales of the next financial year are accounted in the current period.

Our procedures included the following:

- Understood and evaluated the design and operating effectiveness of process and controls relating to recognition of revenue.
- Testing of key controls for ensuring that the revenue has been accrued in the correct accounting period.
- Tested on a sample basis the policies at the year end to confirm if related procedural compliances with regard to acceptability of the terms of policy were completed before the year end to ensure appropriate accounting of revenue.
- Tested on a sample basis unallocated premium / proposal deposit/ premium deposit to ensure that there were no policies where risk commenced prior to balance sheet but revenue was not recognised.

Based on the work carried out, we did not come across any significant matter which suggests that the revenue recognition is not accounted in the correct period.

Contingencies relating to certain matters pertaining to Income Tax

Refer note no. B(1) of schedule 15(A) to the financial statements.

The Corporation has received various demand notices (mostly industry specific) from the tax authorities in respect of matters relating to Income Tax.

The said matters mainly involving material amounts are pending before Supreme Court and High Courts.

The management with the help of its expert, as needed, have made judgments relating to the likelihood of an obligation arising and whether there is a need to recognise a provision or disclose a contingent liability. We focused on this area as a result of uncertainty, use of management's judgement for assessment and potential material impacton the financial statements.

Our procedures included the following:

- Understood Management's process and control for determining tax litigations and its appropriate accounting and disclosure.
- Discussed pending matters with the Corporation's legal counsel and in-house tax experts.
- Assessed management's conclusions to gain an understanding of the current status of the tax cases and monitoring of changes indisputes to establish that the tax provisions reflect the latest external developments.

Based on the work performed, in view of the contingencies relating to certain matters pertaining to Income Tax, we determined the extent of provisioning and disclosure of contingent liabilities as at March 31, 2022 to be reasonable.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Corporation's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we will communicate the matter to those charged with governance.





स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और संबंधित प्रशासन की जिम्मेदारी है

7. निगम का निदेशक मंडल एलआईसी अधिनियम, संशोधन के रूप में, एलआईसी अधिनियम के प्रावधानों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार राजस्व खाता, लाभ और हानि खाता और निगम का प्राप्तियां और भुगतान खाता, जैसा कि संशोधित है, बीमा अधिनियम, संशोधित रूप में आईआरडीए अधिनियम के साथ पिठत, इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी विनियम, आदेश/ निर्देश और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 जिस सीमा तक आवश्यक और लागू हों में निर्दिष्ट लेखा मानक शामिल है के अनुसार इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, तािक वे बैलेंस शीट का सही और निष्पक्ष रूप दे सकें। इस उत्तरदाियत्व में संशोधित एलआईसी अधिनियम, संशोधित बीमा अधिनियम, के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; आईआरडीए अधिनियम; निगम की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए आई आरडीए आई द्वारा जारी किए गए विनियम और आदेश / परिपत्र; उपयुक्त लेखा नीितयों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निषक्ष दृष्टिकोण देते हैं और जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत निवरण से मुक्त होते है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की निगम की क्षमता का आकलन प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों और लेखांकन के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो निगम को समाप्त करने का इरादा नहीं रखता है या संचालन बंद कर दें, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए निगम के निदेशक मंडल भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां।

- 8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, वयक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।
- 9. एसए के अनुसार लेखा परीक्षा (ऑडिट) के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हमः
 - i. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम किसी त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिमों से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
 - i. परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के प्रति समझ पैदा करें।
 - iii. उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
 - iv. लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो निगम की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण निगम निरंतर जारी रहना बंद कर सकता है।
 - v. प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।





Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for Standalone Financial Statements

7. The Corporation's Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these Standalone Financial Statements in terms of the requirements of the LIC Act, as amended, so that they give a true and fair view of the balance sheet, the revenue account, the profit and loss account and the receipts and payments account of the Corporation, in accordance with accounting principles generally accepted in India including the provisions of the LIC Act, as amended, the Insurance Act, as amended read with the IRDA Act, the Regulations, order/ directions issued by the IRDAI in this regard and in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 to the extent applicable and in the manner so required.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the LIC Act, as amended, the Insurance Act, as amended; IRDA Act; Regulations and orders / circulars issued by the IRDA for safeguarding of the assets of the Corporation and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Corporation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Corporation's Board of Directors are also responsible for overseeing the Corporation's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements.

- 8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.
- 9. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
 - i. Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal controls.
 - ii. Obtain an understanding of the internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
 - iii. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
 - iv. Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Corporation to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Corporation to cease to Continue as a going concern.
 - v. Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.





- vi. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर राय वयक्त करने के लिए प्रभागों/ शाखाओं/ इकाइयों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल डिवीजनों/ शाखाओं/ इकाइयों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य प्रभागों/ शाखाओं/ इकाइयों के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षाओं के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।
- 10. हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में प्रत्येक वे महत्वपूर्ण कमियां भी आती शामिल हैं जिनका हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पता लगाते हैं।
- 11. हम शासन के प्रभारी लोगों को भी इस आशय का विवरण प्रदान करते हैं हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों पर संवाद करते है जिन्हें हमारे स्वतंत्रता संबंधी सुरक्षा उपायों, जहाँ भी आवश्यक हो, के लिए उचित माना जा सकता है।
- 12. शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अविध के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को हमें रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जब हमें यह लगे कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य मामले

- 13. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 3 विदेशी शाखाओं (यूनाइटेड किंगडम, मॉरीशस और फिजी) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण/ जानकारी 421209.84 लाख रुपये की कुल संपत्ति, 2411.65 लाख रुपये की शुद्ध संपत्ति, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष तक, 80633.96 लाख रुपये का कुल राजस्व और शुद्ध लाभ 11.94 लाख रुपये दर्शाती है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन 3 विदेशी शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- 14. हमने निगम के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल पेंशन और समूह योजनाओं (पी एंड जीएस) की 68 इकाइयों सिहत 105 मंडल कार्यालयों (डीओ) के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण/सूचना का लेखा—जोखा किया गया है। संभागीय/शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक यह संभागों/शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे संभागीय/शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
 - अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में कुल संपत्ति और कुल राजस्व की जानकारी अलग से संकलित नहीं की जाती है क्योंकि मंडलों को प्रत्येक शाखा का केवल ट्रायल शेष प्राप्त होता है जिसे मंडल स्तर पर और उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर समेकित किया जाता है।
- 15. लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन और जहां प्रीमियम बंद कर दिया गया है, वह निगम के नियुक्त बीमांकक (नियुक्त बीमांकक) की जिम्मेदारी है, उनके द्वारा नियमों के अनुसार प्रमाणित किया गया है, जैसा कि नीचे पैराग्राफ 17 में उल्लेख किया गया है। तदनुसार, हमने निगम के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय बनाने के लिए नियुक्त बीमांकक के प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है।
 - उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट।

- 16. विनियमों के अनुसार, हमने विनियमों की अनुसूची सी के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों को प्रमाणित करते हुए 30 मई, 2022 को एक अलग प्रमाण पत्र जारी किया है।
- 17. लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन और जिन पॉलिसियों के संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता 31 मार्च, 2022 तक मौजूद है, निगम के नियुक्त बीमांकक ('नियुक्त बीमांकिक') का उत्तरदायित्व है। नियुक्त बीमांकक ने देनदारियों के बीमांकिक मूल्यांकन और लागू जीवन नीतियों के लिए भविष्य के विनियोग के लिए निधि और उन नीतियों के संबंध में विधिवत प्रमाणित किया है जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता 31 मार्च, 2022 तक मौजूद है और उनकी राय में इस तरह के मूल्यांकन के लिए धारणाएं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी दिशा—निर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। हमने इस संबंध में नियुक्त बीमांकक के प्रमाणपत्र पर देनदारियों के मूल्यांकन पर अपनी राय बनाने के लिए और जीवन नीतियों के लिए भविष्य के विनियोग के लिए निधि और उन नीतियों के लिए भरोसा किया है जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन निगम के वित्तीय विवरणों में देयता मौजूद है।



- vi. Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the divisions / branches / units to express an opinion on the standalone financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of divisions/ branches/ units included in the standalone financial statements of which we are the independent auditors. For the other divisions/ branches/ units included in the standalone financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.
- 10. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal controls that we identify during our audit.
- 11. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
- 12. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

- 13. As noted above, the audited financial statements/ information of the 3 foreign branches (United Kingdom, Mauritius and Fiji) included in the Standalone Financial Statements reflect total assets of Rs.421209.84Lakhs, net assets of ₹ 2411.65 Lakhs, as at March 31, 2022, total revenue of ₹ 80633.96 Lakhs and net profit of Rs. 11.94 Lakhs for the year ended March 31, 2022. Our opinion on the standalone financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these 3 foreign branches is based solely on report of such other auditors.
- 14. We did not audit the financial statements / information of 105 Divisional Offices (DO) including branches there under and 68 units of Pension & Group Schemes (P&GS) included in the Standalone Financial Statements of the Corporation whose audited financial statements / information, have been audited by the divisional / branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of divisions / branches, is based solely on the report of such divisional / branch auditors.
 - The information of total assets and total revenue in respect of the branches audited by other auditors are not separately compiled as the divisions receive only trial balances of each branch which are consolidated at division level and thereafter at zonal level.
- 15. The actuarial valuation of liabilities for life policies in-force and policies where premium is discontinued is the responsibility of the Corporation's Appointed Actuary (the "Appointed Actuary"), has been certified by them in accordance with the regulations, as mentioned in paragraph 17 below. Accordingly, we have relied upon the Appointed Actuary's certificate for forming our opinion on the standalone financial statements of the Corporation.
 - Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- 16. As required by the Regulations, we have issued a separate certificate dated May 30, 2022 certifying the matters specified in paragraphs 3 and 4 of Schedule C to the Regulations.
- 17. The Actuarial Valuation of liabilities for life policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2022 is the responsibility of the Corporation's appointed actuary ('the Appointed Actuary'). The Appointed Actuary has duly certified the actuarial valuation of liabilities and the fund for future appropriation for life policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2022 and in his opinion the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the Insurance Regulatory and Development Authority of India. We have relied upon the Appointed Actuary's Certificate in this regard for forming our opinion on the valuation of liabilities and the fund for future appropriation for life policies in force and for polices in respect of which premium has been discontinued but liability exists in the financial statements of the Corporation.





- 18. इसके साथ—साथ, उपरोक्त पैराग्राफ 16 में संदर्भित प्रमाण पत्र में हमारी टिप्पणियों के लिए, जैसा कि आईआरडीए विनियमों के विनियम 3 की अनुसूची सी के तहत आवश्यक है और एलआईसी अधिनियम (संशोधित) की धारा 25 बी की उप धारा (3) के तहत भी आवश्यक है, हम इसकी रिपोर्ट करते हैं कि;
 - हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है।
 - ii. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निगम द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों का रखरखाव किया गया है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
 - iii. हमारी राय में मण्डल कार्यालयों और शाखाओं की उचित विवरणियां प्राप्त हुई हैं और उन्हें लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाया गया है;
 - iv. इस रिपोर्ट द्वारा दिये गए तुलन पत्र, राजस्व खाते, लाभ और हानि खाता और प्राप्तियां और भुगतान खाता, लेखा पुस्तकों और विवरणियों के अनुरूप हैं।
 - v. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निवेशों का मूल्यांकन बीमा अधिनियम, विनियमों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है;
 - vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निगम द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियां उपयुक्त हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लागू लेखा मानकों के अनुपालन में हैं, उस सीमा तक जहाँ तक आईआरडीए विनियमों में निर्धारित लेखांकन सिद्धांतों और द्वारा जारी आदेशों / निर्देशों / इस संबंध में आईआरडीए परिपत्रों के साथ ये असंगत नहीं हैं।
 - vii. एलआईसी अधिनियम (संशोधित) की धारा 4ए के खंड (i) के अनुसार कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।
 - viii. खातों के रखरखाव और उससे जुड़े मामलों से संबंधित कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है;
 - ix. निगम के पास वित्तीय विवरणों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वे 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय के लिए हमारी अलग रिपोर्ट अनुलग्नक ए के रूप में देखें।





- 18. Further, to our comments in the Certificate referred to in paragraph 16 above, as required under the Schedule C of Regulation 3 of IRDA Regulations and also as required under sub section (3) of Section 25B to the LIC Act (as amended) we report that;
 - i. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - ii. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, proper books of account as required by law have been maintained by the Corporation so far as it appears from our examination of those books;
 - iii. In our opinion proper returns of Divisional Offices and branches have been received and found them adequate for the purpose of audit;
 - iv. The Balance sheet, Revenue account, Profit and Loss account and the Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;
 - v. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Investments have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act, Regulations and orders / directions issued by IRDA in this behalf:
 - vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accounting policies adopted by the Corporation are appropriate and are in compliance with the applicable accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013, to the extent not inconsistent with the accounting principles prescribed in the IRDA Regulations and orders / directions / circulars issued by IRDA in this regard.
 - vii. No directors are disqualified as per clause (i) of section 4A of the LIC Act (as amended).
 - viii. There are no qualification or adverse remarks relating to maintenance of accounts and matters connected therewith;
 - ix. The Corporation has adequate Internal financial controls over financial statements in place and they are operating effectively as on March 31, 2022. Refer to our separate report as Annexure A for opinion over Internal financial controls over financial statements.





मेसर्स बटलीबॉय एण्ड पुरोहित

चार्टर्ड अकाउंटेंट क.प.सं.: 101048W

सीए रमन हंगेकर

सदस्यता संख्याः 030615

स्थानः मुंबई

UDIN: 22030615AJVRHR7742

मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कंपनी

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट)

क.प.सं.: 002785\$ सीए ए आर पार्थसारथी सदस्यता संख्या: 205702

स्थानः मुंबई

UDIN: 22205702AJVRIQ9444

मेसर्स एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) क.प.सं.: 105016W/W - 100015

सीए अश्विन मोर्चे

सदस्यता संख्याः 104126

स्थानः मुंबई

UDIN: 22104126AJVQZU2508

मेसर्स रे एंड रे,

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट)

क.प.सं.: 301072ई सीए नबनिता घोष सदस्यता संख्या: 058477

स्थानः मुंबई

UDIN: 22058477AJVRFI2834

बी सी जैन एंड कंपनी

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट)

क.प.सं.: 001099सी सीए श्याम जी गुप्ता सदस्यता संख्याः 416155

स्थानः मुंबई

UDIN: 22416155AJVRJF3037

चोकशी एण्ड चोकशी एलएलपी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

क.प.सं.: 101872W/W100045

सीए विनीत सक्सेना

सदस्यता संख्याः 100770

स्थानः मुंबई

UDIN: 22100770AJWGVA7680

मेसर्स ए आर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट)

क.प.सं.: 002744C

सीए प्रियांशु जैन

सदस्यता संख्याः 530262

स्थानः मुंबई

UDIN: 22530262AJVRIS2316

मेसर्स टोडी तुलस्यान एंड कंपनी

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट)

क.प.सं.: 002180सी

सीए सुशील कुमार तुलस्यान सदस्यता संख्याः 075899

स्थानः मुंबई

UDIN: 22075899AJVRTA4538

मेसर्स राममूर्ति (एन) एंड कंपनी

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट)

क.प.सं.: 002899\$ सीए सुरेंद्रनाथ भारती सदस्यता संख्या: 023837

स्थानः मुंबई

UDIN: 22023837AJVRLS5967

रमा के गुप्ता एंड कंपनी

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट)

क.प.सं.: 005005सी सीए रमा कांत गुप्ता सदस्यता संख्या: 073853

स्थानः मुंबई

UDIN: 22073853AJVRMI1037





M/s. Batliboi and Purohit

Chartered Accountants

FRN: 101048W

CA Raman Hangekar

Membership No.: 030615

Place: Mumbai

UDIN: 22030615AJVRHR7742

M/s. R G N Price & Co.

Chartered Accountants

FRN: 002785S

CA A R Parthasarathy

Membership No.: 205702

Place: Mumbai

UDIN: 22205702AJVRIQ9444

M/s. abm & associates LLP

Chartered Accountants

FRN: 105016W/W-100015

CA Ashwin Morche

Membership No.:104126

Place: Mumbai

UDIN: 22104126AJVQZU2508

M/s. Ray & Ray,

Chartered Accountants

FRN: 301072E

CA Nabanita Ghosh

Membership No.: 058477

Place: Mumbai

UDIN: 22058477AJVRFI2834

B C Jain & Co.

Chartered Accountants

FRN: 001099C

CA Shyam Ji Gupta

Membership No.: 416155

Place: Mumbai

UDIN: 22416155AJVRJF3037

Chokshi & Chokshi LLP

Chartered Accountants

FRN: 101872W/W100045

CA Vineet Saxena

Membership No.: 100770

Place: Mumbai

UDIN: 22100770AJWGVA7680

M/s. AR&Co.

Chartered Accountants

FRN: 002744C

CA Priyanshu Jain

Membership No.: 530262

Place: Mumbai

UDIN: 22530262AJVRIS2316

M/s. Todi Tulsyan & Co.

Chartered Accountants

FRN: 002180C

CA Sushil Kumar Tulsyan

Membership No.: 075899

Place: Mumbai

UDIN: 22075899AJVRTA4538

M/s. Ramamoorthy (N) & Co.

Chartered Accountants

FRN: 002899S

CA Surendranath Bharathi

Membership No.: 023837

Place: Mumbai

UDIN: 22023837AJVRLS5967

Rama K Gupta & Co

Chartered Accountants

FRN: 005005C

CA Rama Kant Gupta

Membership No.: 073853

Place: Mumbai

UDIN: 22073853AJVRMI1037





अनुलग्नक – ए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए

एलआईसी अधिनियम 1956 (संशोधित) की धारा 25बी की उप धारा (3) के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन

हमने 31 मार्च 2022 तक, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निगम के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में, भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

निगम का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने वयवसाय के वयवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें निगम की नीतियों का पालन, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और एलआईसी अधिनियम, 1956 (संशोधित) के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय वयक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और लेखा परीक्षा पर मानक, आईसीएआई द्वारा जारी किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित समझे जाने के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑिंडट के लिए लागू सीमा तक अपनी लेखा परीक्षा आयोजित की, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और, दोनों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, निगम की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमित देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और निगम की प्राप्तियां और वयय केवल प्रबंधन और निगम के निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) निगम की परिसंपत्तियों के अनिधकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अविध के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।





Annexure - A to the Auditors' Report

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of sub section (3) of Section 25B to the LIC Act 1956 (as amended)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Life Insurance Corporation of India ("the Corporation") as of 31st March 2022 in conjunction with our audit of the financial statements of the Corporation for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Corporation Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to corporation's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the LIC Act, 1956 (as amended)

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Corporation internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Corporation internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

The Corporation's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. The Corporation's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the corporation; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the corporation are being made only in accordance with authorizations of Management and directors of the corporation; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the corporation's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper Management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.





राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निगम के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2022 तक, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

मेसर्स बटलीबॉय एण्ड पुरोहित

चार्टर्ड अकाउंटेंट क.प.सं.: 101048W

सीए रमन हंगेकर

सदस्यता संख्याः 030615

स्थानः मुंबई

UDIN: 22030615AJVRHR7742

मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कंपनी

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट)

क.प.सं.: 002785S सीए ए आर पार्थसारथी सदस्यता संख्या: 205702

स्थानः मुंबई

UDIN: 22205702AJVRIQ9444

मेसर्स एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) क.प.सं.: 105016W/W - 100015

सीए अश्विन मोर्चे

सदस्यता संख्याः 104126

स्थानः मुंबई

UDIN: 22104126AJVQZU2508

मेसर्स रे एंड रे.

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट)

क.प.सं.: 301072ई

सीए नबनिता घोष

सदस्यता संख्याः 058477

स्थानः मुंबई

UDIN: 22058477AJVRFI2834

बी सी जैन एंड कंपनी

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट)

क.प.सं.: 001099सी सीए श्याम जी गुप्ता सदस्यता संख्या: 416155

स्थानः मुंबई

UDIN: 22416155AJVRJF3037

चोकशी एण्ड चोकशी एलएलपी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

क.प.सं.: 101872W/W100045

सीए विनीत सक्सेना सदस्यता संख्याः 100770

स्थानः मुंबई

UDIN: 22100770AJWGVA7680

मेसर्स ए आर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट)

क.प.सं.: 002744C

सीए प्रियांशु जैन

सदस्यता संख्याः 530262

स्थानः मुंबई

UDIN: 22530262AJVRIS2316

मेसर्स टोडी तुलस्यान एंड कंपनी

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट)

क.प.सं.: 002180सी

सीए सुशील कुमार तुलस्यान सदस्यता संख्याः 075899

स्थानः मुंबई

UDIN: 22075899AJVRTA4538

मेसर्स राममूर्ति (एन) एंड कंपनी

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट)

क.प.सं.: 002899\$ सीए सुरेंद्रनाथ भारती सदस्यता संख्या: 023837

स्थानः मुंबई

UDIN: 22023837AJVRLS5967

रमा के गुप्ता एंड कंपनी

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट)

क.प.सं.: ००५००५सी सीए रमा कांत गुप्ता सदस्यता संख्या: **०७७८५**३

स्थानः मुंबई

UDIN: 22073853AJVRMI1037





Opinion

In our opinion and to the best of our information & according to the explanations give to us, the Corporation has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

M/s. Batliboi and Purohit

Chartered Accountants

FRN: 101048W

CA Raman Hangekar Membership No.: 030615

Place: Mumbai

UDIN: 22030615AJVRHR7742

M/s. R G N Price & Co.

Chartered Accountants

FRN: 002785S

CA A R Parthasarathy Membership No.: 205702

Place: Mumbai

UDIN: 22205702AJVRIQ9444

M/s. abm & associates LLP

Chartered Accountants FRN: 105016W/W-100015

CA Ashwin Morche Membership No.:104126

Place: Mumbai

UDIN: 22104126AJVQZU2508

M/s. Ray & Ray,

Chartered Accountants

FRN: 301072E

CA Nabanita Ghosh Membership No.: 058477

Place: Mumbai

UDIN: 22058477AJVRFI2834

B C Jain & Co.

Chartered Accountants

FRN: 001099C

CA Shyam Ji Gupta Membership No.: 416155

Place: Mumbai

UDIN: 22416155AJVRJF3037

Chokshi & Chokshi LLP

Chartered Accountants FRN: 101872W/W100045

CA Vineet Saxena

Membership No.: 100770

Place: Mumbai

UDIN: 22100770AJWGVA7680

M/s. AR&Co.

Chartered Accountants

FRN: 002744C

CA Priyanshu Jain

Membership No.: 530262

Place: Mumbai

UDIN: 22530262AJVRIS2316

M/s. Todi Tulsyan & Co.

Chartered Accountants

FRN: 002180C

CA Sushil Kumar Tulsyan Membership No.: 075899

Place: Mumbai

UDIN: 22075899AJVRTA4538

M/s. Ramamoorthy (N) & Co.

Chartered Accountants

FRN: 002899S

CA Surendranath Bharathi Membership No.: 023837

Place: Mumbai

UDIN: 22023837AJVRLS5967

Rama K Gupta & Co

Chartered Accountants

FRN: 005005C

CA Rama Kant Gupta Membership No.: 073853

Place: Mumbai

UDIN: 22073853AJVRMI1037





स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

(अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर 30 मई 2022 की हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के भाग अन्य स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुच्छेद 14 (i) में संदर्भित)

भारतीय जीवन बीमा निगम

1 यह प्रमाण पत्र भारतीय जीवन बीमा निगम ("निगम") के साथ हमारे अनुबंध पत्र की शर्तों के अनुसार जारी किया जाता है, जिसमें हमें बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी और बीमा कंपनियों के लेखा परीक्षक रिपोर्ट) विनियम 2002, ("विनियम") की अनुसूची सी के पैराग्राफ
3 और 4 के प्रावधानों एवं विनियमों का विनियमन 3 सिहत के अनुपालन के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

2 निम्निलिखित के पालन करने का उत्तरदायित्व निगम के सदस्य मंडल का है । जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधान, बीमा अधिनियम, 1938 जैसा की बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015 ("अधिनियम") द्वारा संशोधित; बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999; बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम, 2002 ("विनियम")और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ("आईआरडीएआइ") द्वारा जारी किए गए आदेश / परिपत्र जिसमें प्रबंधन रिपोर्ट की तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

- 3 आवश्यकताओं के अनुसार, उचित आश्वासन होने तथा अपनी लेखापरीक्षा और पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के आधार पर यह राय बनाने के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है कि क्या निगम ने विनियमों के विनियमन 3 के साथ अनुच्छेद 3 और 4 के अनुसूची सी में शामिल मामलों का अनुपालन किया है।
- 4 हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लिए निगम के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की, जिस पर हमने 30 मई 2022 को अपनी रिपोर्ट के अनुसार एक असंशोधित लेखापरीक्षा राय जारी की। इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (`आईसीएआई') द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों एवं अन्य प्रयोजनीय लागु आधिकारिक घोषणाओं के अनुसार आयोजित कि गई थी। उन मानकों की आवश्यकता है कि हम लेखा परीक्षा की योजना बनाते और इसे निष्पादित करते हुए इस बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय विवरण मूर्त गलत विवरणों से मुक्त हैं। हमारी लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन किसी भी लेनदेन के संबंध में उन मामलों की जिसके किसी तीसरे पक्ष का संभावित हित हो सकता है, की पहचान करने के लिये नहीं हैं।
- 5 हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा विशेष प्रयोजनों के लिए जारी किए गए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और प्रमाण पत्र पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार आयोजित की हैं। मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम स्वतंत्र आधार पर और आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की अन्य नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें।
- 6 हमने गुणवत्ता नियंत्रण ("एसक्यूसी") 1, ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवाओं की सहभागिताओं का अंकेक्षण और समीक्षा करने वाली फर्मो के लिये गुणवत्ता नियंत्रण पर मानक की प्रासंगिक लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है ।

राय

- 7 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बनाए गए खाते और अन्य अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुरूप तथा अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि:
 - क) हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से जुड़ी प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की है, और हमारी समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों के बीच कोई स्पष्ट त्रुटियाँ या महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं हैं;
 - ख) निगम के अधिकारियों द्वारा बोर्ड के सदस्यों को प्रस्तुत किए गए प्रबंधन अभ्यावेदन और अनुपालन प्रमाण पत्र के आधार पर, और बोर्ड द्वारा नोट किए जाने के आधार पर, ऐसा कुछ हमारे सामने नहीं आया निचे दिए गए नियम के अलावा जो हमें विश्वास दिलाए कि निगम ने आईआरडीए द्वारा निर्धारित पंजीकरण की शर्तें और नियम, का अनुपालन नहीं किया गया है
 - i) जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पण संख्या सी (10) अनुसूची 15A में सूचित किया गया है, 4 खंडों में किये गए प्रबंधन के खर्च, निर्धारित सीमा से अधिक पाये गए है, और इस अतिरिक्त व्यय को लाभ और हानि खाते शेयरधारकों के खाते से वसूले जाना था बजाय इसके राजस्व खाते पॉलिसीधारकों के खाते सेयह व्यय वसूला गया है।
 - ग) हमने, स्टेंड अलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची 15 ए के सी (18) के अतिरिक्त, मामले की आवश्यकताओं के अनुरूप, वास्तविक निरीक्षण द्वारा या कस्टोडियन और / या डिपॉजिट प्रतिभागियों द्वारा, प्राप्त प्रमाण पत्रों / पुष्टियों के आधार पर 31 मार्च, 2022 तक के निगम के ऋणों और निवेशों से संबंधित आवश्यक सीमा तक नकद शेष राशि और प्रतिभूतियों का सत्यापन किया है। 31 मार्च, 2022 तक, निगम के पास पुनरावर्तन और जीवन हित नहीं हैं:





INDEPENDENT AUDITORS' CERTIFICATE

(Referred to in paragraph 14(1) under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" forming part of our Independent Auditors' Report dated May30, 2022)

To Life Insurance Corporation of India

This certificate is issued in accordance with the terms of our engagement letter with Life Insurance Corporation of India (the "Corporation"). This certificate is issued to comply with the provisions of paragraphs 3 and 4 of Schedule C of Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations 2002, (the "Regulations"), read with regulation 3 of the Regulations.

Management's Responsibility

The Corporation's Board of Members is responsible for complying with the provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956, Insurance Act, 1938; the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999; the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 ("the Regulations") and orders/ circulars issued by Insurance Regulatory and Development Authority India ("IRDA") which includes the preparation and maintenance of books of account and the Management Report. This includes collecting, collating and validating data and designing, implementing and monitoring of internal controls suitable for ensuring compliance as aforesaid.

Auditor's Responsibilities

- Pursuant to the requirements of Regulations, it is our responsibility to obtain reasonable assurance and form an opinion based on our audit and examination of books and records as to whether the Corporation has complied with the matters contained in paragraphs 3 and 4 of Schedule C of the Regulations read with regulation 3 of the Regulations.
- We audited financial statements of the Corporation as of and financial year ended March 31, 2022 on which we issued an unmodified audit opinion vide our report dated May 30, 2022. Our audits of these financial statements were conducted in accordance with Standards on Auditing and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. Our audits were not planned and performed in connection with any transactions to identify matters that may be of potential interest to third parties.
- We conducted our examination in accordance with the Guidance Note on Audit Reports and Certificates for Special Purposes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the 'ICAI'). The Guidance Note requires that we comply with the independence and other ethical requirements of the Code of Ethics issued by ICAI.
- We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control ('SQC') 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information and Other Assurance and Related Services engagements.

Opinion

- In accordance with the information and explanations given to us and to the best of our knowledge and belief and based on our examination of the books of account and other records maintained by Life Insurance Corporation of India, for the year ended March 31, 2022, we certify that:
 - a. We have reviewed the Management Report attached to the financial statements for the year ended March 31, 2022, and on the basis of our review, there are no apparent mistakes or material inconsistencies between the Management Report and the standalone financial statements;
 - b. Based on management representations and compliance certificates submitted to the Board of Members by the officers of the Corporation charged with compliance and the same being noted by the Board, nothing has come to our attention that causes us to believe that the Corporation has not complied with the terms and conditions of registration stipulated by IRDA except:
 - i) As stated in note no. C(10) of schedule 15A of the standalone financial statements, the expenses of management incurred in 4 segments have exceeded the prescribed limits and such excess expenditure have been charged to Revenue Account Policyholders' Account as against the requirement of charging the same to Profit and Loss Account Shareholders' Account.





- घ) निगम किसी भी ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य नहीं करता है; तथा
- च) अंतिम व्यावसायिक दिवस पर प्राप्त आवेदनों के मामले में लागू एनएवी आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2016 के अनुसार दिए गए हैं
- छ) पॉलिसीधारकों की निधि का कोई भी हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीमा अधिनियम 1938, जो की बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 के द्वारा संसोधित हैं, का उल्लंघन करके निवेश नहीं किया गया है।

मेसर्स बटलीबॉय एण्ड पुरोहित

चार्टर्ड अकाउंटेंट क.प.सं.: 101048W

सीए रमन हंगेकर

सदस्यता संख्याः 030615

स्थानः मुंबई

UDIN: 22030615AJVRHR7742

मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कंपनी

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट)

क.प.सं.: 002785S सीए ए आर पार्थसारथी सदस्यता संख्या: 205702

स्थानः मुंबई

UDIN: 22205702AJVRIQ9444

मेसर्स एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) क.प.सं.: 105016W/W - 100015

सीए अश्विन मोर्चे

सदस्यता संख्याः 104126

स्थानः मुंबई

UDIN: 22104126AJVQZU2508

मेसर्स रे एंड रे,

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट)

क.प.सं.ः 301072ई सीए नबनिता घोष

सदस्यता संख्याः 058477

स्थानः मुंबई

UDIN: 22058477AJVRFI2834

बी सी जैन एंड कंपनी

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट)

क.प.सं.: 001099सी सीए श्याम जी गुप्ता सदस्यता संख्या: 416155

स्थानः मुंबई

UDIN: 22416155AJVRJF3037

दिनांक: 30 मई 2022

चोकशी एण्ड चोकशी एलएलपी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

क.प.सं.: 101872W/W100045

सीए विनीत सक्सेना सदस्यता संख्याः 100770

स्थानः मुंबई

UDIN: 22100770AJWGVA7680

मेसर्स ए आर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट)

क.प.सं.: 002744C

सीए प्रियांशु जैन

सदस्यता संख्याः 530262

स्थानः मुंबई

UDIN: 22530262AJVRIS2316

मेसर्स टोडी तुलस्यान एंड कंपनी

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट)

क.प.सं.: 002180सी

सीए सुशील कुमार तुलस्यान सदस्यता संख्याः 075899

स्थानः मुंबई

UDIN: 22075899AJVRTA4538

मेसर्स राममूर्ति (एन) एंड कंपनी

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट)

क.प.सं.: 002899\$ सीए सुरेंद्रनाथ भारती सदस्यता संख्या: 023837

स्थानः मुंबई

UDIN: 22023837AJVRLS5967

रमा के गुप्ता एंड कंपनी

सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट)

क.प.सं.: ००५००५सी सीए रमा कांत गुप्ता

सदस्यता संख्याः 073853

स्थानः मुंबई

UDIN: 22073853AJVRMI1037





- c. We have verified the cash balances, to the extent considered necessary, and securities relating to the Corporation's loans and investments as at March 31, 2022, by actual inspection or on the basis of certificates / confirmations received from the Custodian and/or Depository Participants appointed by the Corporation, as the case may be except as stated in note no. C(18) of schedule 15A of the standalone financial statements. As at March 31, 2022, the Corporation does not have reversions and life interests;
- d. The Corporation does not act as a trustee of any trust; and
- e. The NAV applicable in case of applications received on the last business day are as indicated in IRDA (Investment) Regulations, 2016
- f. No part of the assets of the policyholders' funds has been directly or indirectly applied in contravention to the provisions of the Insurance Act, 1938, relating to the application and investment of the Policyholders' Fund.

| M/s. Batliboi and Purohit Chartered Accountants FRN: 101048W | Chokshi & Chokshi LLP Chartered Accountants FRN: 101872W/W100045 |
|--|--|
| CA Raman Hangekar | CA Vineet Saxena |
| Membership No.: 030615 | Membership No.: 100770 |
| Place: Mumbai | Place: Mumbai |
| UDIN: 22030615AJVRHR7742 | UDIN:22100770AJWGVA7680 |
| M/s. R G N Price & Co. | M/s. A R & Co. |
| Chartered Accountants | Chartered Accountants |
| FRN: 002785S | FRN: 002744C |
| CA A R Parthasarathy Membership No.: 205702 Place: Mumbai UDIN: 22205702AJVRIQ9444 | CA Priyanshu Jain Membership No.: 530262 Place: Mumbai UDIN: 22530262AJVRIS2316 |
| M/s. abm & associates LLP | M/s. Todi Tulsyan& Co. |
| Chartered Accountants | Chartered Accountants |
| FRN: 105016W/W-100015 | FRN: 002180C |
| CA Ashwin Morche | CA Sushil Kumar Tulsyan |
| Membership No.:104126 | Membership No.: 075899 |
| Place: Mumbai | Place: Mumbai |
| UDIN: 22104126AJVQZU2508 | UDIN: 22075899AJVRTA4538 |
| M/s. Ray & Ray, | M/s. Ramamoorthy (N) & Co. |
| Chartered Accountants | Chartered Accountants |
| FRN: 301072E | FRN: 002899S |
| CA Nabanita Ghosh | CA Surendranath Bharathi |
| Membership No.: 058477 | Membership No.: 023837 |
| Place: Mumbai | Place: Mumbai |
| UDIN: 22058477AJVRFI2834 | UDIN: 22023837AJVRLS5967 |
| B C Jain & Co. | Rama K Gupta & Co |
| Chartered Accountants | Chartered Accountants |
| FRN: 001099C | FRN: 005005C |
| CA Shyam Ji Gupta | CA Rama Kant Gupta |
| Membership No.: 416155 | Membership No.: 073853 |
| Place: Mumbai | Place:Mumbai |
| UDIN: 22416155AJVRJF3037 | UDIN: 22073853AJVRMI1037 |

Date: May 30, 2022





31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण

Standalone
Financial Statements
For the year ended 31st March, 2022





फार्म ए-बीएस FORM A - BS

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001 Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2022 तक स्टैंडअलोन तुलन पत्र STANDALONE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2022

| | | | (₹ in lakhs) |
|--|---------------------|--|--|
| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | 31 मार्च, 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च, 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
| निधियों का स्त्रोत / SOURCES OF FUNDS | | | |
| शेयरधारकों की निधियाँ: / SHAREHOLDERS' FUNDS: | | | |
| शेयर पूँजी / SHARE CAPITAL | 5 | 632499.77 | 10000.00 |
| आरक्षितनिधि एवं अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS | 6 | 404304.56 | 622499.77 |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा | | | |
| CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | | 4109.56 | 3569.45 |
| उप–योग / Sub-Total | | 1040913.89 | 636069.22 |
| उधारी / BORROWINGS | 7 | - | - |
| पॉलिसीधारकों की निधीयाँ / POLICYHOLDERS' FUNDS: | | - | - |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा | | | |
| CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | | 40023933.61 | 27287079.07 |
| पॉलिसी दायित्व / POLICY LIABILITIES | | 371003945.52 | 340375097.09 |
| बंद पॉलिसियों के लिये निधि | | | |
| FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES | | | |
| प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना | | | |
| Discontinued on account of non payment of premium | | 6633.53 | 3366.00 |
| अन्य / Others | | 1601.02 | 1699.73 |
| बिमा आरक्षितनिधि / INSURANCE RESERVES | 6A | 1285462.99 | 1293403.13 |
| संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान | | | |
| PROVISION FOR LINKED LIABILITIES | | 2388583.06 | 3293196.17 |
| उप–योग / Sub-Total | | 414710159.73 | 372253841.19 |
| भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ | | 400440.04 | 202.00 |
| FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS | | 183443.31 | 333.99 |
| कुल / TOTAL | | 415934516.93 | 372890244.40 |
| निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS | | | |
| निवेश / INVESTMENTS | | - | |
| शेयरधारकों के / Shareholders' | 8 | 641213.63 | 71356.67 |
| पॉलिसीधारकों के / Policyholders' | 8A | 389569349.57 | 348765485.70 |
| संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पतियाँ | 0.0 | 0000000 00 | 000405045 |
| ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES | 8B | 2393863.99 | 3294950.15 |
| 表可 / LOANS | 9 | 10987563.57 | 10778333.76 |
| अचल परिसम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS | 10 | 355202.31 | 345338.62 |
| चालू परिसम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS | | | |
| रोकड़ एवं बैंक में अतिशेष / Cash and Bank Balances | 11 | 3743214.07 | 3029325.45 |
| अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ / Advances and Other Assets | 12 | 15368569.78 | 14890777.50 |
| उप-योग (क) / Sub-Total (A) | | 19111783.85 | 17920102.95 |





| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | 31 मार्च, 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च, 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
|---|---------------------|--|--|
| चालू दायित्व / CURRENT LIABILITIES | 13 | 5630154.39 | 6791017.85 |
| प्रावधान / PROVISIONS | 14 | 1494305.60 | 1494305.60 |
| उप-योग (ख) / Sub-Total (B) | | 7124459.99 | 8285323.45 |
| शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग)= (क - ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B) विविध व्यय (जोबट्टे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted) लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account) | 15 | 11987323.86 - - | 9634779.50 |
| कुल / TOTAL | | 415934516.93 | 372890244.40 |
| आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities महत्त्वपूर्ण लेखनीतियाँ तथा लेखो की टिप्पणियाँ Significant Accounting Policies & Notes to Accounts उपर्युक्त अनुसुचयाँ तुलनपत्र के अभिन्न अंग है. | 15 A (B) 1 15A | | |

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Property to

Chartered Accountants F.R.N.: 002785S

ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर) A. R. Parthasarathy (Partner) स.क्र./M.No. 205702

टोड़ी तुल्सयान एंड कं. के लिए For Todi Tulsyan & Co. Chartered Accountants

F.R.N./002180C सुशील कुमार तुल्सयान (पार्टनर) Sushil Kumar Tulsyan (Partner)

Sushil Kumar Tulsyan (Partner स.क्र./M.No./075899 बी.सी. जैन एंड कं. के लिए

For B.C. Jain & Co. Chartered Accountants F.R.N./001099C श्याम जी गुप्ता (पार्टनर) Shyam ji Gupta (Partner) स.क्र./M.No./416155

ए आर एंड कं. के लिए For A R & Co. Chartered Accountants F.R.N./002744C प्रियांशु जैन (पार्टनर) Priyanshu Jain (Partner) स.क्र. M.No. 530262

रे एंड रे के लिए For Ray & Ray Chartered Accountants F.R.N/ 301072E नबिनता घोष (पार्टनर) Nabanita Ghosh (Partner) स.क्र. M. No. 058477

मुंम्बई : **30 मई, 2022** Mumbai: 30th May, 2022 बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit Chartered Accountants F.R.N./101048W रमन हंगेकर (पार्टनर)

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

Raman Hangekar (Partner) स.क्र. M.No./030615 राममूर्ति (एन) एंड कं.के लिए For Ramamoorthy (N) & Co. Chartered Accountants F R N /002899S

सुरेंद्रनाथ भारती (पार्टनर) Surendranath Bharathi (Partner) स.क्र./M.No./023837

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए For abm & associates LLP Chartered Accountants F.R.N./105016W/W-100015

अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर) Ashwin B. Morche (Partner) स.क्र./ M.No./104126

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP Chartered Accountants F.R.N./101872W/W100045 विनीत सक्सेना (पार्टनर) Vineet Saxena (Partner) स.क्र./ M.No. 100770

रमा के गुप्ता एंड कं. के लिए For Rama K Gupta & Co. Chartered Accountants F.R.N/ 005005C रमाकांत गुप्ता (पार्टनर) Ramakant Gupta (Partner) स.क. M. No. 073853

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS

निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board of Directors

| एम. आर. कुमार M. R. Kumar | अध्यक्ष Chairperson (DIN: 03628755) |
|---------------------------------------|---|
| राज कुमार Raj Kumar | प्रबंध निदेशक Managing Director (DIN: 06627311) |
| एम.पी. विजय कुमार M.P. Vijay Kumar | स्वतंत्र निदेशक Independent Director (DIN: 05170323) |
| | |
| एस. एम. जैन S. M. Jain | कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) Exective Directior (F&A) |
| , , | , , , |
| S. M. Jain पवन अग्रवाल | Exective Directior (F&A) कंपनी सचिव |





फार्म ए-बीएस FORM A - BS

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001 Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

STANDALONE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2022

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

| विवरण | अनुसूची | 31 मार्च, 2022 तक | ्रा मार्च, 2021 तक |
|--|-------------|-------------------|----------------------|
| Particulars | Schedule | • | As at MARCH 31, 2021 |
| निधियों का स्त्रोत / SOURCES OF FUNDS | | , , | , |
| शेयरधारकों की निधियाँ: / SHAREHOLDERS' FUNDS: | | | |
| शेयर पूँजी / SHARE CAPITAL | 5 | 632499.77 | 10000.00 |
| आरक्षितनिधि एवं अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS | 6 | 404236.95 | 594320.24 |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा | - | | |
| CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | | 1702.32 | 896.18 |
| उप–योग / Sub-Total | | 1038439.04 | 605216.42 |
| उधारी / BORROWINGS | 7 | 0.00 | 0.00 |
| पॉलिसीधारकों की निधीयाँ / POLICYHOLDERS' FUNDS: | | 0.00 | 0.00 |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा | | | |
| CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | | 40018898.08 | 27281180.28 |
| पॉलिसी दायित्व / POLICY LIABILITIES | | 370626507.22 | 340032277.16 |
| बंद पॉलिसियों के लिये निधि | | | |
| FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES | | | |
| प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना | | | |
| Discontinued on account of non payment of premium | | 6633.53 | 3366.00 |
| अन्य / Others | | 1601.02 | 1699.73 |
| बिमा आरक्षितनिधि / INSURANCE RESERVES | 6A | 1251092.48 | 1240967.72 |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा | | | |
| PROVISION FOR LINKED LIABILITIES | | 2381042.29 | 3285554.29 |
| उप−योग / Sub-Total | | 414285774.62 | 371845045.18 |
| संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान | | | |
| FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS | | 183443.31 | 333.99 |
| কুল / TOTAL | | 415507656.97 | 372450595.59 |
| निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS | | | |
| निवेश / INVESTMENTS | | | |
| शेयरधारकों के / Shareholders' | 8 | 503154.36 | 21580.12 |
| पॉलिसीधारकों के / Policyholders' | 8A | 389159509.89 | 348378939.29 |
| संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पतियाँ | | | |
| ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES | 8B | 2386323.22 | 3287308.28 |
| 表可 / LOANS | 9 | 10972010.37 | 10762046.22 |
| अचल परिसम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS | 10 | 353356.79 | 343943.93 |
| चालू परिसम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS | | | |
| रोकड़ एवं बैंक में अतिशेष / Cash and Bank Balances | 11 | 3730573.04 | 3016407.29 |
| अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ / Advances and Other Assets | 12 | 15363357.34 | 14886843.39 |
| उप–योग (क) / Sub-Total (A) | | 19093930.38 | 17903250.68 |
| चालू दायित्व / CURRENT LIABILITIES | 13 | 5466322.44 | 6752167.33 |
| Ψ | - | | |





(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | 31 मार्च, 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च, 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
|---|---------------------|---|---|
| प्रावधान / PROVISIONS | 14 | 1494305.60 | 1494305.60 |
| उप-योग (ख) / Sub-Total (B) | | 6960628.04 | 8246472.93 |
| शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग)= (क - ख) | | | |
| NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B) | | 12133302.34 | 9656777.75 |
| विविध व्यय (जोबटटे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) | | | |
| MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted) | 15 | - | - |
| लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) | | | |
| DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account) | | - | - |
| कुल / TOTAL | | 415507656.97 | 372450595.59 |
| आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities | 15 A (B) 1 | | |
| महत्त्वपूर्ण लेखनीतियाँ तथा लेखो की टिप्पणियाँ | | | |
| Significant Accounting Policies & Notes to Accounts | 15A | | |
| | | | |

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

उपर्युक्त अनुसुचयाँ तुलनपत्र के अभिन्न अंग है.

आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Price & Co. Chartered Accountants F.R.N.: 002785S ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर) A. R. Parthasarathy (Partner)

टोड़ी तुल्सयान एंड कं. के लिए For Todi Tulsyan & Co. Chartered Accountants F.R.N./002180C

स.क्र./M.No. 205702

सुशील कुमार तुल्सयान (पार्टनर) Sushil Kumar Tulsyan (Partner) स.क्र./M.No./075899

बी.सी. जैन एंड कं. के लिए For B.C. Jain & Co. Chartered Accountants F.R.N./001099C श्याम जी गुप्ता (पार्टनर) Shyam ji Gupta (Partner) स.क्र./M.No./416155

ए आर एंड कं. के लिए For A R & Co. Chartered Accountants F.R.N./002744C प्रियांशु जैन (पार्टनर) Priyanshu Jain (Partner) स.क्र. M.No. 530262

रे एंड रे के लिए For Ray & Ray Chartered Accountants F.R.N/ 301072E नबनिता घोष (पार्टनर) Nabanita Ghosh (Partner) स.क्र. M. No. 058477

मुंम्बई : **30 मई, 2022** Mumbai: 30th May, 2022 बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit Chartered Accountants F.R.N./101048W रमन हंगेकर (पार्टनर)

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

रमन हगकर (पाटनर) Raman Hangekar (Partner) स.क्र. M.No./030615

राममूर्ति (एन) एंड कं.के लिए For Ramamoorthy (N) & Co. Chartered Accountants F.R.N./002899S सुरेंद्रनाथ भारती (पार्टनर) Surendranath Bharathi (Partner)

स.क्र./M.No./023837

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए For abm & associates LLP Chartered Accountants F.R.N./105016W/W-100015 अश्रिवन बी. मोर्चे (पार्टनर)

अश्विन बी. मोचे (पार्टनर) Ashwin B. Morche (Partner) स.क्र./ M.No./104126

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
Chartered Accountants
F.R.N./101872W/W100045
विनीत सक्सेना (पार्टनर)
Vineet Saxena (Partner)
स.क्र./ M.No. 100770

रमा के गुप्ता एंड कं. के लिए For Rama K Gupta & Co. Chartered Accountants F.R.N/ 005005C रमाकांत गुप्ता (पार्टनर) Ramakant Gupta (Partner) स.क्र. M. No. 073853

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS

निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board of Directors

एम. आर. कुमार अध्यक्ष M. R. Kumar Chairperson (DIN: 03628755) प्रबंध निदेशक राज कुमार Raj Kumar Managing Director (DIN: 06627311) स्वतंत्र निदेशक एम.पी. विजय कुमार M.P. Vijay Kumar Independent Director (DIN: 05170323) कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) एस. एम. जैन Exective Directior (F&A) S. M. Jain पवन अग्रवाल कंपनी सचिव Company Secretary Pawan Agrawal दिनेश पंत नियुक्त बीमांकक Dinesh Pant Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल मुख्य वित्तीय अधिकारी Sunil Agrawal Chief Financial Officer





फार्म ए-बीएस FORM A - BS

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001 Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2022 तक का तुलन-पत्र (भारत के बाहर के संबंध में) BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2022 (IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA)

| | | | (*) |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| विवरण | अनुसूची | 31 मार्च, 2022 तक | 31 मार्च, 2021 तक |
| Particulars | Schedule | As at MARCH 31, 2022 | As at MARCH 31, 2021 |
| निधियों का स्त्रोत / SOURCES OF FUNDS | | | |
| शेयरधारकों की निधियाँ: / SHAREHOLDERS' FUNDS: | | | |
| शेयर पूँजी / SHARE CAPITAL | 5 | - | - |
| आरक्षितनिधि एवं अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS | 6 | 67.61 | 28179.53 |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा | | | |
| CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | | 2407.24 | 2673.27 |
| उप–योग / Sub-Total | | 2474.85 | 30852.80 |
| उधारी / BORROWINGS | 7 | - | - |
| पॉलिसीधारकों की निधीयाँ / POLICYHOLDERS' FUNDS: | | - | - |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा | | | |
| CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | | 5035.53 | 5898.79 |
| पॉलिसी दायित्व / POLICY LIABILITIES | | 377438.30 | 342819.93 |
| बंद पॉलिसियों के लिये निधि | | | |
| FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES | | | |
| प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना | | | |
| Discontinued on account of non payment of premium | | - | - |
| अन्य / Others | | - | - |
| बिमा आरक्षितनिधि / INSURANCE RESERVES | 6A | 34370.51 | 52435.41 |
| संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान | | | |
| PROVISION FOR LINKED LIABILITIES | | 7540.77 | 7641.88 |
| उप–योग / Sub-Total | | 424385.11 | 408796.01 |
| भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ | | | |
| FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS | | - | - |
| কুল / TOTAL | | 426859.96 | 439648.81 |
| निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS | | | |
| निवेश / INVESTMENTS | | - | - |
| शेयरधारकों के / Shareholders' | 8 | 138059.27 | 49776.55 |
| पॉलिसीधारकों के / Policyholders' | 8A | 409839.68 | 386546.41 |
| संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पतियाँ | | | |
| ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES | 8B | 7540.77 | 7641.87 |
| 表可 / LOANS | 9 | 15553.20 | 16287.54 |
| अचल परिसम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS | 10 | 1845.52 | 1394.69 |
| चालू परिसम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS | | | |
| रोकड़ एवं बैंक में अतिशेष / Cash and Bank Balances | 11 | 12641.03 | 12918.16 |
| अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ / Advances and Other Assets | 12 | 5212.44 | 3934.11 |
| उप−योग (क) / Sub-Total (A) | | 17853.47 | 16852.27 |
| V 1/1 V 1 | | | |





| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | 31 मार्च, 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च, 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
|---|---------------------|---|---|
| चालू दायित्व / CURRENT LIABILITIES | 13 | 163831.95 | 38850.52 |
| प्रावधान / PROVISIONS | 14 | - | - |
| उप-योग (ख) / Sub-Total (B) | | 163831.95 | 38850.52 |
| शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग)= (क - ख) | | | |
| NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B) | | (145978.48) | (21998.25) |
| विविध व्यय (जोबटटे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) | | | |
| MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted) | 15 | - | - |
| लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) | | | |
| DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account) | | - | - |
| কুল / TOTAL | | 426859.96 | 439648.81 |
| आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities | 15 A (B) 1 | | |
| महत्त्वपूर्ण लेखनीतियाँ तथा लेखो की टिप्पणियाँ | | | |
| Significant Accounting Policies & Notes to Accounts | 15A | | |
| उपर्युक्त अनुस्चयाँ तुलनपत्र के अभिन्न अंग है. | | | |

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Price & Co. Chartered Accountants F.R.N.: 002785S

ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर) A. R. Parthasarathy (Partner) स.क्र./M.No. 205702

टोड़ी तुल्सयान एंड कं. के लिए For Todi Tulsyan & Co. Chartered Accountants

F.R.N./002180C सुशील कुमार तुल्सयान (पार्टनर) Sushil Kumar Tulsyan (Partner)

स.क्र./M.No./075899 बी.सी. जैन एंड कं. के लिए For B.C. Jain & Co. Chartered Accountants F.R.N./001099C

श्याम जी गुप्ता (पार्टनर) Shyam ji Gupta (Partner) स.क्र./M.No./416155

ए आर एंड कं. के लिए For A R & Co. Chartered Accountants F.R.N./002744C प्रियांशु जैन (पार्टनर) Priyanshu Jain (Partner) स.क्र. M.No. 530262

रे एंड रे के लिए For Ray & Ray Chartered Accountants F.R.N/ 301072E नबनिता घोष (पार्टनर) Nabanita Ghosh (Partner) स.क्र. M. No. 058477

मुंम्बई : **30 मई, 2022** Mumbai: 30th May, 2022 बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit Chartered Accountants F.R.N./101048W रमन हंगेकर (पार्टनर)

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

रमन हंगेकर (पार्टनर) Raman Hangekar (Partner) स.क्र. M.No./030615

राममूर्ति (एन) एंड कं.के लिए For Ramamoorthy (N) & Co. Chartered Accountants F.R.N./002899S सुरेंद्रनाथ भारती (पार्टनर)

सुरद्रनाथ भारता (पाटनर) Surendranath Bharathi (Partner) स.क्र./M.No./023837

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए For abm & associates LLP Chartered Accountants F.R.N./105016W/W-100015

अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर) Ashwin B. Morche (Partner) स.क्र./ M.No./104126

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP Chartered Accountants F.R.N./101872W/W100045 विनीत सक्सेना (पार्टनर) Vineet Saxena (Partner) स.क्र./ M.No. 100770

रमा के गुप्ता एंड कं. के लिए For Rama K Gupta & Co. Chartered Accountants F.R.N/ 005005C रमाकांत गुप्ता (पार्टनर) Ramakant Gupta (Partner) स.क. M. No. 073853

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS

निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board of Directors

सुनील अग्रवाल

Sunil Agrawal

एम. आर. कुमार अध्यक्ष M. R. Kumar Chairperson (DIN: 03628755) प्रबंध निदेशक राज कुमार Managing Director Raj Kumar (DIN: 06627311) एम.पी. विजय कुमार स्वतंत्र निदेशक M.P. Vijay Kumar Independent Director (DIN: 05170323) एस. एम. जैन कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) Exective Directior (F&A) S. M. Jain पवन अग्रवाल कंपनी सचिव Company Secretary Pawan Agrawal दिनेश पंत नियुक्त बीमांकक Dinesh Pant Appointed Actuary

मुख्य वित्तीय अधिकारी

Chief Financial Officer





फॉर्म ए-आरए FORM A - RA

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001 Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन राजस्व खाता पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

STANDALONE REVENUE ACCOUNT FOR YEAR ENDED MARCH 31, 2022

Policyholders' Account (Technical Account)

| MARCH 31, 2022 MARCH 31, 2021 अर्जित शुद्ध प्रीमियम / Premiums earned - net (क) प्रिमियम 1 42802497.15 40328655.4 (ख) पुनर्बीमा अंतरण (60575.94) (44221.0 (ग) पुनर्बीमा स्वीकार |
|---|
| (क) प्रिमियम (a) Premium 1 42802497.15 40328655.4 (ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded (60575.94) |
| (a) Premium 1 42802497.15 40328655.4 (ख) पुनर्बीमा अंतरण (60575.94) (44221.0 |
| (ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded (60575.94) (44221.0) |
| (b) Reinsurance ceded (60575.94) (44221.0 |
| |
| (ग) प्रनर्शीमा स्वीकार |
| (1) 314111 (414) |
| (c) Reinsurance accepted - |
| उप-योग / Sub-Total 42741921.21 40284434.4 |
| निवेश से आय / Income from Investments |
| (क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, कुल |
| (a) Interest, Dividends & Rent - Gross 25260799.36 23446140.7 |
| (ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ |
| (b) Profit on sale/redemption of investments 4977679.23 4453482.7 |
| (ग) (निवेश की विक्री / मोचन पर हानि) |
| (c) (Loss on sale/redemption of investments) (937690.65) (630607.4 |
| (घ) पुनर्मूल्याकंन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ [*] |
| (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value* (11342.60) 607098.4 |
| (ङ) अन्य आय |
| (e) Other Income |
| (i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back 695.87 664.9 |
| (ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts 77252.04 58809.ध |
| अंशधारकों के खाते से अन्य के लिए योगदान |
| Contribution from Shareholders' Account towards others 942.45 475.9 |
| कुल (क)/ TOTAL (A) 72110256.91 68220499.4 |
| कमीशन / Commission 2 2317145.53 2216991.7 |
| बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च |
| Operating Expenses related to Insurance Business 3 3889067.80 3498444.0 |
| निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर |
| GST on Fund Management charges & other charges 9076.44 9322.2 |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान |
| Provisions for Doubtful debts (129895.22) 895853.0 |
| कराधान के लिए प्रावधान |
| Provisions for taxation 787862.94 798776.0 |
| प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) |
| Provisions (other than taxation) |





| विवरण Particulars | अनुसूचि Schedule | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021 |
|---|---------------------|---|---|
| (क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए | | | |
| (a) For diminution in the value of investments (Net) | | (303891.94) | 453177.06 |
| (ख) आवश्यक शोधक्षमता सीमा के लिए प्रावधान | | | |
| (b) Provision for Required Solvency Margin | | - | - |
| (ग) अन्य | | | |
| (c) Others | | (504011.08) | (848913.00) |
| कुल (ख) / TOTAL (B) | - | 6065354.47 | 7023651.18 |
| अदा किया गया लाभ (शुद्ध) / Benefits paid (Net) | 4 | 35343758.47 | 28465473.32 |
| अदा किया गया अंतरिम बोनस / Interim Bonuses Paid | | 402730.55 | 222907.33 |
| जीवन पॉलिसियों के सबंद्ध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन | | | |
| Change in valuation of liability against life policies | | | |
| in force | | | |
| (क) कुलः | | | |
| (a) Gross** | | 30628848.39 | 32175278.88 |
| (ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि | | | |
| (b) Amount ceded in Reinsurance | | - | - |
| (ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि | | | |
| (c) Amount accepted in Reinsurance | | - | - |
| सबंद्ध देयताओं के प्रावधान में अंतरण | | | |
| Transfer to Provision for Linked Liabilities | | (904613.08) | 43431.00 |
| बंद करने निधियों को अंतरण | | | |
| Transfer to Funds for Discontinued Fund | | 3526.95 | 544.13 |
| भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण | | | |
| Transfer to Funds for Future Appropriations | | - | - |
| कुल (ग) / TOTAL (C) | - | 65474251.28 | 60907634.66 |
| अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग) | | | |
| SURPLUS/(DEFICIT)(D) = (A)-(B)-(C) | | 570651.16 | 289213.56 |
| शेयरधारकों के लेखा में अंतरण | | | |
| Transfer to Shareholders' Account | | 387541.84 | 288901.01 |
| अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण | | | |
| Transfer to Other Reserves | | - | - |
| भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण | | | |
| Transfer to Funds for Future Appropriations | | 183109.32 | 312.55 |
| कुल (घ) / TOTAL (D) | _ | 570651.16 | 289213.56 |
| • | - | | 2002.0.00 |





(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021 |
|--|---|---|
| (a) Interim Bonus: (क) अंतरिम बोनस | 402730.55 | 222907.33 |
| (ख) पॉलिसिधारकों को बोनस का आबंटन : (b) Allocation of Bonus to Policyholders: | 4834679.92 | 5489119.16 |
| (ग) राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष (c) Surplus shown in the Revenue accounts: | 570651.16 | 289213.56 |
| (घ) कूल अधिशेष (क+ख+π): (d) Total Surplus [a+b+c]: | 5808061.63 | 6001240.05 |

- प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डो के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।
- ** बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

उपरलिखित अनुसूचियाँ राजस्व लेखा के अंगभूत भाग है।

टिप्पणी : उपरोक्त आकडों में संबद्घ व्यवसाय में गैर-सहभागी योजनाएं है, जैसे फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस, मनी प्लस, मार्केट प्लस, फॉर्च्युन प्लस, प्रॉफिट प्लस, मनी प्लस–1मार्केट प्लस–1 चाईल्ड फॉर्च्युन प्लस, जीवन साथी प्लस, वेल्थ प्लस, पेन्शन प्लस, एन्डोमेन्ट प्लस, समृध्दि प्लस, फ्लेक्सी प्लस, हेल्थ प्लस, हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस, गैचुटी प्लस, न्यू एन्डोमेन्ट प्लस तथा एलआईसी का सीप/निवेश प्लस।

- * Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.
- ** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.
- * Allocation of Bonus to policyholders' is done at the year end

The Schedules referred to above form an integral part of the Revenue Account.

Note: The above figures include Linked business and Linked Business comprises of non-participating plans, viz. Future Plus, Jeevan Plus, Money Plus, Market Plus, Fortune Plus, Profit Plus, Money Plus 1 Market Plus 1 Child Fortune Plus, Jeevan Sathi Plus, Wealth Plus, Pension Plus, Endowment plus, Samriddhi Plus, Health Plus, Health Protection Plus, Flexi Plus, New Endowment Plus, LIC's SIIP/Nivesh Plus, Gratuity Plus.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Price & Co.

Chartered Accountants F.R.N.: 002785S

ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर) A. R. Parthasarathy (Partner)

A. R. Parthasarathy (Parthe स.क्र./M.No. 205702

टोड़ी तुल्सयान एंड कं. के लिए For Todi Tulsyan & Co.

Chartered Accountants F.R.N./002180C

सुशील कुमार तुल्सयान (पार्टनर)

Sushil Kumar Tulsyan (Partner) स.क्र./M.No./075899

बी.सी. जैन एंड कं. के लिए For B.C. Jain & Co. Chartered Accountants

F.R.N./001099C

श्याम जी गुप्ता (पार्टनर) Shyam ji Gupta (Partner) स.क्र./M.No./416155

ए आर एंड कं. के लिए For A R & Co.

Chartered Accountants F.R.N./002744C

प्रियांशु जैन (पार्टनर) Priyanshu Jain (Partner)

स.क्र. M.No. 530262

रे एंड रे के लिए For Ray & Ray Chartered Accountants F.R.N/ 301072E

नबनिता घोष (पार्टनर) Nabanita Ghosh (Partner) स.क्र. M. No. 058477

मुंम्बई : **30 मई, 2022** Mumbai: 30th May, 2022 बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit Chartered Accountants

F.R.N./101048W

रमन हंगेकर (पार्टनर)

Raman Hangekar (Partner) स.क्र. M.No./030615

राममूर्ति (एन) एंड कं.के लिए For Ramamoorthy (N) & Co.

Chartered Accountants F.R.N./002899S

सुरेंद्रनाथ भारती (पार्टनर)

Surendranath Bharathi (Partner) स.क्र./M.No./023837

A. W. MIN. MO. /023037

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए For abm & associates LLP

Chartered Accountants F.R.N./105016W/W-100015

अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर)

Ashwin B. Morche (Partner) स.क्र./ M.No./104126

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP

Chartered Accountants F.R.N./101872W/W100045 विनीत सक्सेना (पार्टनर)

Vineet Saxena (Partner) स.क्र./ M.No. 100770

रमा के गुप्ता एंड कं. के लिए For Rama K Gupta & Co. Chartered Accountants

F.R.N/ 005005C रमाकांत गुप्ता (पार्टनर)

Ramakant Gupta (Partner) स.क्र. M. No. 073853

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS

निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board of Directors

एम. आर. कुमार अध्यक्ष M. R. Kumar Chaire

M. R. Kumar Chairperson (DIN: 03628755)

राज कुमार प्रबंध निदेशक Raj Kumar Managing Director

 (DIN: 06627311)

 एम.पी. विजय कुमार
 स्वतंत्र निदेशक

M.P. Vijay Kumar Independent Director (DIN: 05170323)

एस. एम. जैन **कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा)** S. M. Jain Exective Directior (F&A)

पवन अग्रवाल **कंपनी सचिव**

Pawan Agrawal Company Secretary

दिनेश पंत नियुक्त बीमांकक Dinesh Pant Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल मुख्य वित्तीय अधिकारी Sunil Agrawal Chief Financial Officer





फॉर्म ए-आरए FORM A - RA

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001 Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन राजस्व खाता (भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में) पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

STANDALONE REVENUE ACCOUNT FOR YEAR ENDED MARCH 31, 2022

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS) Policyholders' Account (Technical Account)

| | | | • |
|--|---------------------|---|---|
| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended MARCH 31, 2022 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended MARCH 31, 2021 |
| अर्जित शुद्ध प्रीमियम / Premiums earned - net | | , | |
| (क) प्रिमियम | | | |
| (a) Premium | 1 | 42760527.30 | 40288621.45 |
| (ख) पुनर्बीमा अंतरण | | | |
| (b) Reinsurance ceded | | (60475.92) | (44176.27) |
| (ग) पुनर्बीमा स्वीकार | | | |
| (c) Reinsurance accepted | | - | - |
| उप-योग / Sub-Total | | 42700051.38 | 40244445.18 |
| निवेश से आय / Income from Investments | | | |
| (क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, कुल | | | |
| (a) Interest, Dividends & Rent - Gross | | 25236256.53 | 23423536.34 |
| (ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ | | | |
| (b) Profit on sale/redemption of investments | | 4975348.19 | 4451272.99 |
| (ग) (निवेश की विक्री / मोचन पर हानि) | | | |
| (c) (Loss on sale/redemption of investments) | | (937124.39) | (630057.54) |
| (घ) पुनर्मूल्याकंन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* | | | |
| (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value* | | (24070.60) | 584903.83 |
| (ङ) अन्य आय | | | |
| (e) Other Income | | | |
| (i) वापस लिखी गई राशियाँ / Amounts written back | | 695.87 | 671.35 |
| (ii) विविध प्राप्तियाँ / Sundry Receipts | | 77308.54 | 58859.16 |
| अंशधारकों के खाते से अन्य के लिए योगदान | | | |
| Contribution from Shareholders' Account towards others | | - | - |
| कुल (क)∕ TOTAL (A) | | 72028465.52 | 68133631.31 |
| कमीशन / Commission | 2 | 2315001.51 | 2214789.86 |
| बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च | | | |
| Operating Expenses related to Insurance Business | 3 | 3884070.16 | 3494503.77 |
| निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर | | | |
| GST on Fund Management charges & other charges | | 9076.44 | 9322.22 |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | | | |
| Provisions for Doubtful debts | | (129907.91) | 895800.60 |
| कराधान के लिए प्रावधान | | | |
| Provisions for taxation | | 785799.63 | 794419.53 |
| | | | |



| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended MARCH 31, 2022 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended MARCH 31, 2021 |
|---|---------------------|---|---|
| प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) | | | |
| Provisions (other than taxation) | | | |
| (क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए | | | |
| (a) For diminution in the value of investments (Net) | | (303891.94) | 453177.06 |
| (ख) आवश्यक शोधक्षमता सीमा के लिए प्रावधान | | | |
| (b) Provision for Required Solvency Margin | | - | - |
| (ग) अन्य | | | |
| (c) Others | | (504012.47) | (848918.73) |
| कुल (ख) / TOTAL (B) | | 6056135.42 | 7013094.31 |
| अदा किया गया लाभ (शुद्ध) / Benefits paid (Net) | 4 | 35306364.24 | 28426994.52 |
| अदा किया गया अंतरिम बोनस / Interim Bonuses Paid | | 402470.52 | 222533.05 |
| जीवन पॉलिसियों के सबंद्ध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन | | | |
| Change in valuation of liability against life policies | | | |
| in force | | | |
| (क) कुल** | | | |
| (a) Gross** | | 30594230.02 | 32139931.49 |
| (ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि | | | |
| (b) Amount ceded in Reinsurance | | - | - |
| (ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि | | | |
| (c) Amount accepted in Reinsurance | | | |
| सबंद्ध देयताओं के प्रावधान में अंतरण | | | |
| Transfer to Provision for Linked Liabilities | | (904511.97) | 41661.23 |
| बंद करने निधियों को अंतरण | | | |
| Transfer to Funds for Discontinued Fund | | 3526.95 | 544.13 |
| भविष्य के विनियोजन निधियों में अंतरण | | | |
| Transfer to Funds for Future Appropriations | | | - |
| कुल (ग) / TOTAL (C) | | 65402079.76 | 60831664.42 |
| अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग) | | | |
| SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C) | | 570250.34 | 288872.58 |
| शेयरधारकों के लेखा में अंतरण | 15A | | |
| Transfer to Shareholders' Account | | 387141.02 | 288560.03 |
| अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण | | | |
| Transfer to Other Reserves | | - | - |
| भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण | | | |
| Transfer to Funds for Future Appropriations | | 183109.32 | 312.55 |
| कुल (घ) / TOTAL (D) | | 570250.34 | 288872.58 |
| | | 0.0200.04 | |





(₹ लाखों में)

(₹ in lakhs)

| वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021 |
|--|---|---|
| (a) Interim Bonus: (क) अंतरिम बोनस | 402470.52 | 222533.05 |
| (ख) पॉलिसिधारकों को बोनस का आबंटन : (b) Allocation of Bonus to Policyholders: | 4827064.43 | 5482640.50 |
| (ग) राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष (c) Surplus shown in the Revenue accounts: | 570250.34 | 288872.58 |
| (ঘ) কুল अधिशेष (क+ख+ग): (d) Total Surplus [a+b+c]: | 5799785.29 | 5994046.13 |

- प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डो के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।
- बोनस आंबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दशौँता है।

उपरलिखित अनुसचियाँ राजस्व लेखा के अंगभूत भाग है।

टिप्पणी : उपरोक्त आकडों में संबद्व व्यवसाय में गैर-सहभागी योजनाएं है, जैसे फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस, मनी प्लस, मार्केट प्लस, फॉर्च्यून प्लस, प्रॉफिट प्लस, मनी प्लस-1 मार्केट प्लस-1 चाईल्ड फॉच्यन प्लस. जीवन साथी प्लस. वेल्थ प्लस, पेन्शन प्लस, एन्डोमेन्ट प्लस. समध्दि प्लस, फ्लेक्सी प्लस. हेल्थ प्लस. हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस, गैच्टी प्लस, न्यू एन्डोमेन्ट प्लस तथा एलआईसी का सीप/निवेश प्लस।

- * Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.
- ** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

The Schedules referred to above form an integral part of the Revenue Account.

Note: The above figures include Linked business and Linked Business comprises of non-participating plans, viz, Future Plus, Jeevan Plus, Market Plus, Fortune Plus, Profit Plus, Money Plus 1 Market Plus 1 Child Fortune Plus, Jeevan Sathi Plus, Wealth Plus, Pension Plus, Endowment plus, Samriddhi Plus, Health Plus, Health Protection Plus, Flexi Plus, New Endowment Plus, LIC's SIIP/Nivesh Plus, Gratuity Plus.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Price & Co.

Chartered Accountants F.R.N.: 002785S

ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर) A. R. Parthasarathy (Partner)

स.क्र./M.No. 205702

टोडी तुल्सयान एंड कं. के लिए For Todi Tulsyan & Co.

Chartered Accountants F.R.N./002180C

सशील कमार तुल्सयान (पार्टनर) Sushil Kumar Tulsyan (Partner)

स.क्र./M.No./075899

बी.सी. जैन एंड कं. के लिए For B.C. Jain & Co.

Chartered Accountants F.R.N./001099C

श्याम जी गप्ता (पार्टनर) Shyam ji Gupta (Partner)

स.क्र./M.No./416155 ए आर एंड कं. के लिए

For A R & Co. **Chartered Accountants**

F.R.N./002744C प्रियांश जैन (पार्टनर) Priyanshu Jain (Partner)

स.क्र. M.No. 530262

रे एंड रे के लिए For Ray & Ray Chartered Accountants

F.R.N/ 301072E नबनिता घोष (पार्टनर)

Nabanita Ghosh (Partner) स.क. M. No. 058477

मुंम्बई : 30 मई, 2022 Mumbai: 30th May, 2022 बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit Chartered Accountants

F.R.N./101048W रमन हंगेकर (पार्टनर)

Raman Hangekar (Partner) स.क्र. M.No./030615

राममूर्ति (एन) एंड कं.के लिए For Ramamoorthy (N) & Co.

Chartered Accountants FRN /002899S

सरेंद्रनाथ भारती (पार्टनर) Surendranath Bharathi (Partner)

स.क्र./M.No./023837

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए

For abm & associates LLP **Chartered Accountants** F.R.N./105016W/W-100015

अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर)

Ashwin B. Morche (Partner) स.क्र./ M.No./104126

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP

Chartered Accountants F.R.N./101872W/W100045

विनीत सक्सेना (पार्टनर) Vineet Saxena (Partner) स.क./ M.No. 100770

रमा के गुप्ता एंड कं. के लिए For Rama K Gupta & Co.

Chartered Accountants F.R.N/ 005005C

रमाकांत गुप्ता (पार्टनर) Ramakant Gupta (Partner) स.क्र. M. No. 073853

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS

निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board of Directors

एम. आर. कुमार M R Kumar

अध्यथ Chairperson

(DIN: 03628755)

राज कमार Rai Kumar प्रबंध निदेशक Managing Director

(DIN: 06627311)

एम.पी. विजय कुमार M.P. Vijay Kumar

स्वतंत्र निदेशक Independent Director

(DIN: 05170323)

एस. एम. जैन S. M. Jain

कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा)

Exective Directior (F&A)

पवन अग्रवाल Pawan Agrawal

कंपनी सचिव Company Secretary

दिनेश पंत Dinesh Pant नियुक्त बीमांकक Appointed Actuary

सनील अग्रवाल Sunil Agrawal मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer





फॉर्म ए-आरए FORM A - RA

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001 Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन राजस्व खाता (भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में) पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

STANDALONE REVENUE ACCOUNT FOR YEAR ENDED MARCH 31, 2022 (IN RESPECT OF OUT OF INDIA BUSINESS) Policyholders' Account (Technical Account)

| अर्तिन सुद्ध प्रीपियम / Premiums earned - net (क) प्रिमियम (a) Premium (b) Reinsurance ceded (100.02) (44.78) (7) पुनर्बीमा रंजीरण (b) Reinsurance ceded (100.02) (44.78) (7) पुनर्बीमा रंजीरण (b) Reinsurance accepted (7) पुनर्बीमा रंजीरण (c) Reinsurance accepted (8) पुनर्बीमा रंजीरण (6) Reinsurance accepted (8) पुनर्बीमा रंजीरण (7) पुनर्बीमा रंजीरण (8) अवाज, लाभांश एवं किराया, कुल (8) Interest, Dividends & Rent - Gross (9) बिवेश से आय / Income from Investments (8) ब्याज, लाभांश एवं किराया, कुल (8) Interest, Dividends & Rent - Gross (9) मिवेश की बिक्री / मोचन पर हामि (9) Profit on sale/redemption of investments (9) Profit on sale/redemption of investments (10) पुनर्यूच्यकंत/पूर्खी मृत्य परिवर्तन पर अंतपा/लाभ* (11) पुनर्यूच्यकंत/पूर्खी मृत्य परिवर्तन पर अंतपा/लाभ* (12) पुनर्यूच्यकंत पुर्खी मुंच्य परिवर्तन पर अंतपा/लाभ* (13) पुनर्यूच्यकंत पुर्खी मुंच्य परिवर्तन पर अंतपा/लाभ* (14) पुनर्यूच्यकंत पुर्खी मुंच्य परिवर्तन पर अंतपा/लाभ* (15) पुनर्यूच्यकंत पुर्खी मुंच्य पर प्रवर्धी मुंच्य पर पुर्वि मुंच्य पर पुर्खी मुंच्यकंत पुर्खी मुंच्य पर पुर्खी मुंच्यकंत पुर्खी मुंचय पुर्खी मुंचयंत्र पुर्खी मुंचयंत्र पुर्खी मुंचयंत्र पुर्खी मुंचयंत्र पुर्खी मुंचयंत्र मुंचयंत्र मुंचयंत्र मुंचयंत्र मुंचयंत्र मुंचयंत्र मुंच मुंचयंत्र मुंचयंत्य मुंचयंत्र मुंचयंत्र मुंचयंत्र मुंचयंत्र मुंचयंत्र मुंचयंत्र मुं | विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended MARCH 31, 2022 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended MARCH 31, 2021 |
|---|--|---------------------|---|---|
| (क) प्रिमियम (a) Premium 1 41969.85 40034.03 (ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded (100.02) (44.78) (7) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted 1 6 7 6 7 6 7 6 7 7 7 8 7 7 7 8 7 8 7 8 7 | अर्जित शुद्ध प्रीमियम / Premiums earned - net | | | |
| (ख) पुनर्वीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded (100.02) (144.78) (17) पुनर्वीमा स्वीकार (17) पुनर्वाच से अग्रव / Income from Investments (17) पुनर्वाच से अग्रव / Rent - Gross (17) पुनर्वाच से अग्रव / Rent - Gross (17) पुनर्वाच से विक्री / मोचन पर लाभ (17) पुनर्वाच से विक्री / मोचन पर लाम (17) पुनर्वाच पर अंतरण/लाम (17) पुनर्वाच से विक्री / मोचन पर लाम (17) पुनर्वाच पर अंतरण/लाम (17) पुनर्वाच पर पर विक्राच पर अंतरण/लाम (17) पुनर्वाच पर पर विक्राच पर अंतरण/लाम (17) पुनर्वाच पर पर विक्राच पर विच्य से विक्राच पर विक्राच पर विक्राच पर विक्राच पर विक्राच पर विच्य से विक्राच पर विक्राच पर विक्राच पर विक्राच पर विक्राच पर विच्य से विक्राच पर विक्राच | | | | |
| (b) Reinsurance ceded (100.02) (144.78) (17) पुनर्वीमा स्वीकार (17) पुनर्वामा पुरं किराया, कुल (17) पुनर्वामा पुरं किराया, कुल (17) पुनर्वाम विक्री / पोचन पर लाभ (17) पिनर्वा की बिक्री / पोचन पर लाभ (17) पिरर्वा की पर लाभ (17) पर ला | (a) Premium | 1 | 41969.85 | 40034.03 |
| (त) पुनर्वामा स्वीकार (त) Reinsurance accepted | (ख) पुनर्बीमा अंतरण | | | |
| (c) Reinsurance accepted उप-योग / Sub-Total 41869.83 39989.25 निवेश से आय / Income from Investments 41869.83 39989.25 (क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, कुल 24542.83 22604.39 (a) Interest, Dividends & Rent - Gross 24542.83 22604.78 (a) Grain की बिक्री / मोचन पर लाभ 2331.04 2209.78 (i) Profit on sale/redemption of investments 2331.04 2209.78 (i) (निवेश की बिक्री / मोचन पर हानि) (566.26) (549.93 (ii) (निवेश की बिक्री / मोचन पर हानि) (566.26) (549.93 (ii) प्रनाम्ल्टाक्लिप्ति मुल्य पिर्यर्वन पर अंतरण/लाभ* (6) 7566.26 (549.93 (ii) प्रनाम्ल्टाक्लिप्ति मुल्य पिर्यर्वन पर अंतरण/लाभ* (6) 7566.26 (549.93 (ii) विविध प्राप्ति मुल्य पिर्यर्वन पर अंतरण/लाभ* (6) 7566.26 (6.949.30 (ii) विविध प्राप्ति हिंची मुल्य पिर्यर्वन पर अंतरण/लाभ* (7) 7566.26 (7) 756.26 (7) 756.26 (7) 756.26 (8) 756.26 (8) 756.26 (8) 756.26 (8) 756.26 (8) 756.26 (8) 756.26 (8) 756.26 (8) 756.26 (8) 756.26 (8) 756.26 (8) 756.26 (8) 756.26 (8) 756.26 (8) 756.26 | (b) Reinsurance ceded | | (100.02) | (44.78) |
| जियन योग / Sub-Total 41869.83 39989.25 निवेश से आग / Income from Investments (क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, कुल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross 24542.83 22604.39 (ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments 2331.04 2209.78 (ग) (निवेश की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments) 5(566.26) (549.93) (घ) पुनर्मूल्याकंन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ° (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value* 12728.00 22194.62 (इ) अन्य आय (e) Other Income (i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back 5(56.50) (49.61) अञ्चयारकों के खाते से अन्य के लिए योगदान Contribution from Shareholders' Account towards others 942.45 475.97 कुल (क) / TOTAL (A) 8179.39 8666.09 कमीशन / Commission 2 2144.02 2201.84 बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business 3 4997.64 3940.31 निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार एवं सेवा कर GST on Fund Management charges & charges कराधान के लिए प्रावधान | (ग) पुनर्बीमा स्वीकार | | | |
| निवेश से आय / Income from Investments (क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, कुल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross 24642.83 22604.39 (ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments (c) (Loss on sale/redemption of investments) (c) (Loss on sale/redemption of investments) (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value* (e) Other Income (i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back (ii) विविध प्राप्तियों Sundry Receipts (iii) विविध प्राप्तियों Sundry Receipts (b) Ara अन्य हिल्ल (क) / TOTAL (A) (c) Other Income (i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back (iii) विविध प्राप्तियों Sundry Receipts (b) उस्ति अन्य के लिए योगदान (contribution from Shareholders' Account towards others (iii) विवध प्राप्तियों Sundry Receipts (b) उस्ति अन्य के लिए योगदान (contribution from Shareholders' Account towards others (ii) विवध प्राप्तियों Sundry Receipts (iii) विवध प्राप्तियों Sundry Receipts (b) (56.50) (d) (56.30) (d) (56.50) (d) (50.50) (d) (50.50) (d) (50.50) (d) (50.50) (d) (50.50) (d) (50.50 | (c) Reinsurance accepted | | - | - |
| (क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, कुल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross (ये) निवंश की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments (7) (निवंश की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments) (2331.04) (3549.93) (31) पुनर्मूल्याकंन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value* (ह) अन्य आय (ह) Other Income (ह) अन्य आय (ह) Other Income (ह) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back (ह) वापस लिखी गई राशियाँ Sundry Receipts (ह) विवध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (ह) विवध प्रप्तियाँ Sundry Receipts (ह) विवध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (ह) | उप-योग / Sub-Total | | 41869.83 | 39989.25 |
| (क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, कुल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross (ये) निवंश की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments (7) (निवंश की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments) (2331.04) (3549.93) (31) पुनर्मूल्याकंन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value* (ह) अन्य आय (ह) Other Income (ह) अन्य आय (ह) Other Income (ह) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back (ह) वापस लिखी गई राशियाँ Sundry Receipts (ह) विवध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (ह) विवध प्रप्तियाँ Sundry Receipts (ह) विवध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (ह) | निवेश से आय / Income from Investments | | | |
| (a) Interest, Dividends & Rent - Gross (ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments (7) (निवेश की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments) (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value* (e) Other Income (i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back (ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (iii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (ivi) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (b) Profit on Sale/redemption of investments) (iii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (b) प्राप्तियाँ Sundry Receipts (b) प्राप्तियाँ Sundry Receipts (c) Other Income (c) Other Income (d) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back (iii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (b) प्राप्तियाँ Sundry Receipts (b) प्राप्तियाँ Sundry Receipts (b) प्राप्तियाँ Sundry Receipts (c) Other Income (d) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back (ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value* (e) Other Income (i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back (iii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (d) Transfer/Gain on revaluation/change shelp at the same | | | | |
| (b) Profit on sale/redemption of investments 2331.04 2209.78 (ग) (निवेश की विक्री / मोचन पर हानि) (566.26) (549.93) (c) (Loss on sale/redemption of investments) (566.26) (549.93) (घ) पुनर्मूल्याकंन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* 12728.00 22194.62 (उ) अन्य आय 12728.00 22194.62 (ङ) अन्य आय - (6.38) (i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back - (6.38) (ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (56.50) (49.61) अंशधारकों के खाते से अन्य के लिए योगदान 942.45 475.97 Contribution from Shareholders' Account towards others 942.45 475.97 कुल (क) / TOTAL (A) 81791.39 86868.09 कमीशन / Commission 2 2144.02 2201.84 वीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च 3 4997.64 3940.31 निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार एवं क्वर प्रभार एवं सेवा कर - - GST on Fund Management charges & charges - - संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 12.69 52.49 कराधान के लिए प्रावधान 12.69 52.49 | <u> </u> | | 24542.83 | 22604.39 |
| (ग) (निवेश की विक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments) (d) पुनर्मूल्याकंन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value* (e) Other Income (i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back (ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (iii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (iv) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (iii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (iv) विविध प्राचिध अस्ति से अन्य के लिए प्राचिध ते स्विध परिचालन खर्च (Sontribution from Shareholders' Account towards others (iv) विवध प्राप्तियाँ अस्ति से अन्य अस्ति परिचालन खर्च (Deprating Expenses related to Insurance Business (iv) 2 2144.02 (iv) 495.65 (iv) 495. | (ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ | | | |
| (c) (Loss on sale/redemption of investments)(566.26)(549.93)(घ) पुनर्मूल्याकंन/सही मृल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ*12728.0022194.62(ख) त्रावाकंन/सही मृल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ*12728.0022194.62(ङ) अन्य आय******(6.38)(e) Other Income******(6.38)(ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts(56.50)(49.61)अंशधारकों के खाते से अन्य के लिए योगदान***\$475.97Contribution from Shareholders' Account towards others942.45475.97कुल (क) / TOTAL (A)***81791.3986868.09कमीशन / Commission22144.022201.84बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च**22144.022201.84Operating Expenses related to Insurance Business34997.643940.31निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर****-**GST on Fund Management charges & charges**संदिध ऋणों के लिए प्रावधान12.6952.49कराधान के लिए प्रावधान12.6952.49 | (b) Profit on sale/redemption of investments | | 2331.04 | 2209.78 |
| (ध) पुनर्मूल्याकंन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value* (ह) Other Income (i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back (ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (iii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (iv) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (iv) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (iv) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (iii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (iv) (6.38) (49.61) (49 | (ग) (निवेश की विक्री / मोचन पर हानि) | | | |
| (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value* (इ) अन्य आय (e) Other Income (i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back (ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (iii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (iv) (6.38) (49.61) | (c) (Loss on sale/redemption of investments) | | (566.26) | (549.93) |
| (ङ) अन्य आय (e) Other Income (i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back (ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (iii) विविध | (घ) पुनर्मूल्याकंन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* | | | |
| (e) Other Income (i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back (ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (56.50) (49.61) अंशधारकों के खाते से अन्य के लिए योगदान Contribution from Shareholders' Account towards others कुल (क) / TOTAL (A) कमीशन / Commission 2 2144.02 कमीशन / Commission 2 2144.02 विभा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business 3 4997.64 3940.31 निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर GST on Fund Management charges & charges संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for Doubtful debts 5 2.49 कराधान के लिए प्रावधान | (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value* | | 12728.00 | 22194.62 |
| (i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back (ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (56.50) (49.61) अंशधारकों के खाते से अन्य के लिए योगदान Contribution from Shareholders' Account towards others कुल (क) / TOTAL (A) कमीशन / Commission 2 21144.02 2201.84 बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business 3 4997.64 3940.31 निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर GST on Fund Management charges & charges संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for Doubtful debts 5 2.49 कराधान के लिए प्रावधान | (ङ) अन्य आय | | | |
| (ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts (56.50) (49.61) अंशधारकों के खाते से अन्य के लिए योगदान Contribution from Shareholders' Account towards others 942.45 475.97 | (e) Other Income | | | |
| अंशधारकों के खाते से अन्य के लिए योगदान Contribution from Shareholders' Account towards others | (i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back | | - | (6.38) |
| Contribution from Shareholders' Account towards others कुल (क) / TOTAL (A) कमीशन / Commission कमीशन / Commission वीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business | (ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts | | (56.50) | (49.61) |
| कुल (क) / TOTAL (A) कमीशन / Commission 2 2144.02 2201.84 बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business 3 4997.64 3940.31 निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर GST on Fund Management charges & charges संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for Doubtful debts 12.69 52.49 कराधान के लिए प्रावधान | अंशधारकों के खाते से अन्य के लिए योगदान | | | |
| कमीशन / Commission 2 2144.02 2201.84 बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च 5 2 4997.64 3940.31 निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Contribution from Shareholders' Account towards others | | 942.45 | 475.97 |
| बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business 3 4997.64 3940.31 निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर GST on Fund Management charges & charges संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for Doubtful debts 12.69 52.49 कराधान के लिए प्रावधान | कुल (क) / TOTAL (A) | | 81791.39 | 86868.09 |
| Operating Expenses related to Insurance Business 3 4997.64 3940.31 निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर 5 52.49 कराधान के लिए प्रावधान | कमीशन / Commission | 2 | 2144.02 | 2201.84 |
| निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर GST on Fund Management charges & charges संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for Doubtful debts कराधान के लिए प्रावधान | बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च | | | |
| GST on Fund Management charges & charges संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for Doubtful debts 12.69 52.49 कराधान के लिए प्रावधान | Operating Expenses related to Insurance Business | 3 | 4997.64 | 3940.31 |
| GST on Fund Management charges & charges संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for Doubtful debts 12.69 52.49 कराधान के लिए प्रावधान | निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर | | | |
| Provisions for Doubtful debts 12.69 52.49 कराधान के लिए प्रावधान | <u> </u> | | - | - |
| कराधान के लिए प्रावधान | संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | | | |
| · | Provisions for Doubtful debts | | 12.69 | 52.49 |
| Provisions for taxation 2063.31 4356.50 | कराधान के लिए प्रावधान | | | |
| | Provisions for taxation | | 2063.31 | 4356.50 |





| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended MARCH 31, 2022 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended MARCH 31, 2021 |
|---|---------------------|---|---|
| प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) | | · | <u> </u> |
| Provisions (other than taxation) | | | |
| (क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए | | | |
| (a) For diminution in the value of investments (Net) | | - | - |
| (ख) आवश्यक शोधक्षमता सीमा के लिए प्रावधान | | | |
| (b) Provision for Required Solvency Margin | | - | - |
| (ग) अन्य | | | |
| (c) Others | | 1.39 | 5.73 |
| कुल (ख) / TOTAL (B) | | 9219.05 | 10556.87 |
| अदा किया गया लाभ (शुद्ध) / Benefits paid (Net) | 4 | 37394.23 | 38478.80 |
| अदा किया गया अंतरिम बोनस / Interim Bonuses Paid | | 260.03 | 374.28 |
| जीवन पॉलिसियों के सबंद्ध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन | | | |
| Change in valuation of liability against life policies | | | |
| in force | | | |
| (क) कुल∗∗ | | | |
| (a) Gross** | | 34618.37 | 35347.39 |
| (ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि | | | |
| (b) Amount ceded in Reinsurance | | - | - |
| (ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि | | | |
| (c) Amount accepted in Reinsurance | | - | - |
| सबंद्ध देयताओं के प्रावधान में अंतरण | | | |
| Transfer to Provision for Linked Liabilities | | (101.11) | 1769.77 |
| बंद करने निधियों को अंतरण | | | |
| Transfer to Funds for Discontinued Fund | | | |
| कुल (ग) / TOTAL (C) | | 72171.52 | 75970.24 |
| अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग) | | | |
| SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C) | | 400.82 | 340.98 |
| विनियोजन/APPROPRIATIONS | | | |
| शेयरधारकों के लेखा में अंतरण | | | |
| Transfer to Shareholders' Account | | 400.82 | 340.98 |
| अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण | | | |
| Transfer to Other Reserves | | - | - |
| भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण | | | |
| Transfer to Funds for Future Appropriations | | - | - |
| कुल (घ) / TOTAL (D) | | 400.82 | 340.98 |





(₹ लाखों में)

(₹ in lakhs)

| वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021 |
|--|---|---|
| (a) Interim Bonus: (क) अंतरिम बोनस | 260.03 | 374.28 |
| (ख) पॉलिसिधारकों को बोनस का आबंटन : (b) Allocation of Bonus to Policyholders: | 7615.49 | 6478.66 |
| (ग) राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष (c) Surplus shown in the Revenue accounts: | 400.82 | 340.98 |
| (घ) कूल अधिशेष (क+ख+ग): (d) Total Surplus [a+b+c]: | 8276.34 | 7193.92 |

- प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डो के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।
- ** बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

उपरलिखित अनुसूचियाँ राजस्व लेखा के अंगभूत भाग है।

- * Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.
- ** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

The Schedules referred to above form an integral part of the Revenue Account.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Price & Co.

Chartered Accountants F.R.N.: 002785S

ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर)

A. R. Parthasarathy (Partner) स.क्र./M.No. 205702

टोड़ी तुल्सयान एंड कं. के लिए

For Todi Tulsyan & Co. Chartered Accountants F.R.N./002180C

सुशील कुमार तुल्सयान (पार्टनर)

Sushil Kumar Tulsyan (Partner) स.क्र./M.No./075899

बी.सी. जैन एंड कं. के लिए For B.C. Jain & Co.

Chartered Accountants

F.R.N./001099C श्याम जी गृप्ता (पार्टनर)

Shyam ji Gupta (Partner) स.क्र./M.No./416155

ए आर एंड कं. के लिए

For A R & Co. Chartered Accountants

F.R.N./002744C प्रियांश जैन (पार्टनर)

Priyanshu Jain (Partner) स.क्र. M.No. 530262

रे एंड रे के लिए For Ray & Ray

Chartered Accountants F.R.N/ 301072E नबनिता घोष (पार्टनर)

Nabanita Ghosh (Partner) स.क्र. M. No. 058477

मुंम्बई : **30 मई, 2022** Mumbai: 30th May, 2022 बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit

Chartered Accountants F.R.N./101048W

रमन हंगेकर (पार्टनर) Raman Hangekar (Partner)

स.क्र. M.No./030615 राममूर्ति (एन) एंड कं.के लिए

For Ramamoorthy (N) & Co.

Chartered Accountants F.R.N./002899S

सुरेंद्रनाथ भारती (पार्टनर) Surendranath Bharathi (Partner)

स.क्र./M.No./023837

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए

For abm & associates LLP
Chartered Accountants

F.R.N./105016W/W-100015

अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर)

Ashwin B. Morche (Partner) स.क्र./ M.No./104126

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP

Chartered Accountants F.R.N./101872W/W100045

विनीत सक्सेना (पार्टनर) Vineet Saxena (Partner)

स.क्र./ M.No. 100770 रमा के गप्ता एंड कं. के लिए

For Rama K Gupta & Co. Chartered Accountants

F.R.N/ 005005C रमाकांत गुप्ता (पार्टनर)

Ramakant Gupta (Partner) स.क्र. M. No. 073853

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS

निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board of Directors

एम. आर. कुमार

अध्यक्ष

M. R. Kumar

Chairperson (DIN: 03628755)

राज कुमार Raj Kumar प्रबंध निदेशक Managing Director

(DIN: 06627311)

एम.पी. विजय कुमार

स्वतंत्र निदेशक

M.P. Vijay Kumar

Independent Director

(DIN: 05170323)

एस. एम. जैन

कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा)

S. M. Jain

Exective Directior (F&A)

पवन अग्रवाल

कंपनी सचिव

Pawan Agrawal

Company Secretary

दिनेश पंत

नियुक्त बीमांकक

Dinesh Pant

Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल Sunil Agrawal मुख्य वित्तीय अधिकारी

Chief Financial Officer





फॉर्म ए-पीएल FORM A - PL

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001 Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन लाभ-हानि लेखा शेयरधारकों का लेखा कुल व्यवसाय के संबंध में शेयरधारकों का खाता (गैर-तकनीकी खाता)

STANDALONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022

IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS Shareholders' Account (Non-technical Account)

| | | | (₹ in lakhs |
|---|----------|---|---|
| विवरण | अनुसूचि | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए |
| Particulars | Schedule | FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022 | FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021 |
| पॉलिसिधारकों के लेखा (तकनीकी लेखा) से शेष को अग्रेषित : | | | |
| Amounts transferred from/to the Policyholders Account (Technical Account): | | 387541.84 | 288901.01 |
| निवेश से आय/ Income from Investments | | | |
| (क) ब्याज, लाभांश एवं किराया-कुल | | | |
| (a) Interest, Dividends & Rent - Gross | | 16095.80 | 1777.65 |
| (ख) निवेश की बिक्री/मोचन पर लाभ | | | |
| (b) Profit on sale/redemption of investments | | 4166.57 | 612.15 |
| (ग) निवेश की बिक्री/मोचन पर हानि | | | |
| (c) (Loss on sale/redemption of investments) | | (139.51) | (91.00) |
| अन्य आय (ब्योरा देना है) | | , | , |
| Other Income (To be specified) | | - | - |
| कुल (क)/TOTAL (A) | | 407664.70 | 291199.81 |
| बीमा व्यवसाय से सीधे संबंधित खर्चों के अतिरिक्त अन्य खर्च | | | |
| Expense other than those directly related to the insurance business | | 50.33 | 46.40 |
| पॉलिसीधारकों के खाते में अन्य के प्रति योगदान | | | |
| Contribution to Policyholders' Account towards others | | 942.45 | 475.97 |
| प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) | | | |
| Provisions (Other than taxation) | | - | - |
| (क) निवेश के मूल्य में शुद्ध कमी के लिए | | | |
| (a) For diminution in the value of investments (Net) | | - | - |
| (ख) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लिए | | | |
| (b) Provision for doubtful debts | | - | - |
| (ग) अन्य (ब्योरा देना है) | | | |
| (c) Others (to be specified) | | 992.78 | 522.37 |
| कुल (ख) TOTAL (B) लाभ/हानि कर पूर्व/ Profit/ (Loss) before tax | | | |
| कराधान का प्रावधान/ Provision for Taxation | | 406671.92 | 290677.44 |
| लाभ/(हानि) कर प्रश्चात / Profit/Loss after tax | | 2359.81 404312.11 | 620.76 290056.68 |
| विनियोजन / APPROPRIATIONS | | 404312.11 | 290030.00 |
| (क) वर्ष के प्रारंभ मे शेष | | | |
| (a) Balance at the begining of the year | | - | - |
| (ख) वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश (5% मूल्यांकन अधिशेष केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त) (b) Dividends paid during the year (5% Valuation surplus paid to Central Government) | | - | - |
| (ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश (c) Proposed final dividend | | - | - |
| (घ) लाभांश वितरण पर कर (d) Dividend distribution on tax | | - | - |
| (ङ) आरक्षितनिधि /अन्य खातों में अंतरण (ब्योरा देना है) | | | |
| (e) Transfer to reserves/other accounts (to be specified) | | 2878.81 | 290056.68 |





| विवरण Particulars | अनुसूचि Schedule | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए |
|--|---------------------|---|---|
| | Schedule | FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022 | FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021 |
| तुलन-पत्र को अग्रेषित लाभ Profit carried forward to the Balance Sheet | | 401433.30 | - |
| *प्रति शेयर उपार्जन – मूल (₹) अनुसूची 15ए की टिप्पणी (सी) 24 देखें *Earning per Share- Basics (₹) refer Note (C) 24 of Schedule 15A | | 6.39 | 4.59 |
| *प्रति शेयर उपार्जन – न्यूनीकृत (₹) अनुसूची 15ए की टिप्पणी (सी) 33 देखें *Earning per Share- Diluted (₹) refer Note (C) 24 of Schedule 15A | | 6.39 | 4.59 |
| शेयर का अंकित मूल्य (₹) Nominal Value of Share (₹) | | 10.00 | 10.00 |

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनसार As per our report of even date

आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Price & Co. Chartered Accountants

F.R.N.: 002785S

ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर)

A. R. Parthasarathy (Partner)

स.क्र./M.No. 205702

टोडी तुल्सयान एंड कं. के लिए For Todi Tulsyan & Co.

Chartered Accountants F.R.N./002180C

सुशील कुमार तुल्सयान (पार्टनर)

Sushil Kumar Tulsyan (Partner)

स.क्र./M.No./075899

बी.सी. जैन एंड कं. के लिए For B.C. Jain & Co.

Chartered Accountants F.R.N./001099C

श्याम जी गप्ता (पार्टनर) Shyam ji Gupta (Partner)

स.क्र./M.No./416155

ए आर एंड कं. के लिए For A R & Co.

Chartered Accountants

F.R.N./002744C

प्रियांश जैन (पार्टनर) Priyanshu Jain (Partner)

स.क्र. M.No. 530262

रे एंड रे के लिए

For Ray & Ray Chartered Accountants

F.R.N/ 301072E नबनिता घोष (पार्टनर)

Nabanita Ghosh (Partner)

स.क. M. No. 058477

मुंम्बई : 30 मई, 2022 Mumbai: 30th May, 2022 बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit

Chartered Accountants F.R.N./101048W

रमन हंगेकर (पार्टनर)

Raman Hangekar (Partner) स.क्र. M.No./030615

राममूर्ति (एन) एंड कं.के लिए

For Ramamoorthy (N) & Co.

Chartered Accountants

F.R.N./002899S सरेंद्रनाथ भारती (पार्टनर)

Surendranath Bharathi (Partner)

स.क्र./M.No./023837

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए

For abm & associates LLP **Chartered Accountants**

F.R.N./105016W/W-100015

अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर)

Ashwin B. Morche (Partner)

स.क्र./ M.No./104126

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP

Chartered Accountants

F.R.N./101872W/W100045

विनीत सक्सेना (पार्टनर) Vineet Saxena (Partner)

स.क्र./ M.No. 100770

रमा के गुप्ता एंड कं. के लिए

For Rama K Gupta & Co.

Chartered Accountants

F.R.N/ 005005C

रमाकांत गप्ता (पार्टनर)

Ramakant Gupta (Partner) स.क्र. M. No. 073853

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board of Directors

एम. आर. कुमार अध्यक्ष

M. R. Kumar

Chairperson

(DIN: 03628755)

राज कमार Raj Kumar प्रबंध निदेशक Managing Director

(DIN: 06627311)

एम.पी. विजय कुमार

स्वतंत्र निदेशक

M.P. Vijay Kumar Independent Director

(DIN: 05170323)

एस. एम. जैन

कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा)

S. M. Jain Exective Directior (F&A)

पवन अग्रवाल

कंपनी सचिव

Pawan Agrawal

Company Secretary

दिनेश पंत

नियुक्त बीमांकक Appointed Actuary

Dinesh Pant

सनील अग्रवाल Sunil Agrawal मुख्य वित्तीय अधिकारी

Chief Financial Officer





फॉर्म ए-पीएल FORM A - PL

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001 Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन लाभ-हानि लेखा शेयरधारकों का लेखा (गैर-तकनीकी लेखा) भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में शेयरधारकों का खाता (गैर-तकनीकी खाता)

STANDALONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022

IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS Shareholders' Account (Non-technical Account)

| | | | (₹ in lakhs) |
|--|---------------------|---|---|
| विवरण Particulars | अनुसूचि Schedule | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021 |
| पॉलिसिधारकों के लेखा (तकनीकी लेखा) से शेष को अग्रेषित : | | | |
| Amounts transferred from/to the Policyholders Account (Technical Account): | | 387141.02 | 288560.03 |
| निवेश से आय/ Income from Investments | | | |
| (क) ब्याज, लाभांश एवं किराया-कुल | | | |
| (a) Interest, Dividends & Rent - Gross | | 15720.82 | 1404.90 |
| (ख) निवेश की बिक्री/मोचन पर लाभ | | | |
| (b) Profit on sale/redemption of investments | | 3756.11 | 28.92 |
| (ग) निवेश की बिक्री/मोचन पर हानि | | | |
| (c) (Loss on sale/redemption of investments) | | (21.19) | (11.32) |
| अन्य आय : (ब्योरा देना है) | | (21.10) | (11.52) |
| Other Income (To be specified) | | - | - |
| कुल (क)/TOTAL (A) | | 406596.76 | 289982.53 |
| बीमा व्यवसाय से सीधे संबंधित खर्चों के अतिरिक्त अन्य खर्च | | | 20002:00 |
| Expense other than those directly related to the insurance business | | - | - |
| पॉलिसीधारकों के खाते में अन्य के प्रति योगदान | | | |
| Contribution to Policyholders' Account towards others | | - | |
| प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) | | | |
| Provisions (Other than taxation) | | - | - |
| (क) निवेश के मूल्य में शुद्ध कमी के लिए | | | |
| (a) For diminution in the value of investments (Net) | | - | |
| (ख) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लिए | | | |
| (b) Provision for doubtful debts | | - | |
| (ग) अन्य (ब्योरा देना है) | | | |
| (c) Others (to be specified) | | | |
| कुल (ख) TOTAL (B) | | | · |
| लाभ/हानि कर पूर्व/ Profit/ (Loss) before tax | | 406596.76 | 289982.53 |
| कराधान का प्रावधान/ Provision for Taxation | | 2359.81 | 497.08 |
| लाभ/(हानि) कर प्रश्चात / Profit/Loss after tax | | 404236.95 | 289485.45 |
| विनियोजन / APPROPRIATIONS | | | |
| (क) वर्ष के प्रारंभ मे शेष (a) Balance at the begining of the year | | - | |
| (ख) वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश (5% मूल्यांकन अधिशेष केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त) | | | |
| (b) Dividends paid during the year (5% Valuation surplus paid to Central Government) | | - | |
| (ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश (c) Proposed final dividend | | - | - |
| (घ) लाभांश वितरण पर कर (d) Dividend distribution on tax | | - | |
| (ङ) आरक्षितनिधि / अन्य खातों में अंतरण (ब्योरा देना है) (e) Transfer to reserves/other accounts (to be specified) | | 2803.65 | 289485.45 |
| तुलन-पत्र को अग्रेषित लाभ Profit carried forward to the Balance Sheet | | 401433.30 | |
| | | | |





हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Price & Co.

Chartered Accountants F.R.N.: 002785S

ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर) A. R. Parthasarathy (Partner) स.क्र./M.No. 205702

टोड़ी तुल्सचान एंड कं. के लिए For Todi Tulsyan & Co.

Chartered Accountants F.R.N./002180C

सुशील कुमार तुल्सयान (पार्टनर) Sushil Kumar Tulsyan (Partner) स.क्र./M.No./075899

बी.सी. जैन एंड कं. के लिए For B.C. Jain & Co.

Chartered Accountants F.R.N./001099C

श्याम जी गुप्ता (पार्टनर) Shyam ji Gupta (Partner) स.क्र./M.No./416155

ए आर एंड कं. के लिए For A R & Co. Chartered Accountants F.R.N./002744C प्रियांशु जैन (पार्टनर)

Priyanshu Jain (Partner) स.क्र. M.No. 530262

रे एंड रे के लिए
For Ray & Ray
Chartered Accountants
F.R.N/ 301072E
नबनिता घोष (पार्टनर)
Nabanita Ghosh (Partner)
स.क्र. M. No. 058477

मुंम्बई : **30 मई, 2022** Mumbai: 30th May, 2022 बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit Chartered Accountants

F.R.N./101048W

रमन हंगेकर (पार्टनर)

Raman Hangekar (Partner) स.क्र. M.No./030615

राममूर्ति (एन) एंड कं.के लिए For Ramamoorthy (N) & Co.

Chartered Accountants F.R.N./002899S

सुरेंद्रनाथ भारती (पार्टनर) Surendranath Bharathi (Partner)

स.क्र./M.No./023837

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए For abm & associates LLP

Chartered Accountants F.R.N./105016W/W-100015

अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर) Ashwin B. Morche (Partner) स.क्र./ M.No./104126

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP Chartered Accountants

F.R.N./101872W/W100045 विनीत सक्सेना (पार्टनर) Vineet Saxena (Partner)

स.क्र./ M.No. 100770 रमा के गुप्ता एंड कं. के लिए

For Rama K Gupta & Co. Chartered Accountants F.R.N/ 005005C रमाकांत गुप्ता (पार्टनर) Ramakant Gupta (Partner)

स.क्र. M. No. 073853

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS

निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board of Directors

एम. आर. कुमार M. R. Kumar अध्यक्ष Chairperson (DIN: 03628755)

राज कुमार Raj Kumar प्रबंध निदेशक Managing Director (DIN: 06627311)

एम.पी. विजय कुमार M.P. Vijay Kumar

स्वतंत्र निदेशक Independent Director (DIN: 05170323)

एस. एम. जैन S. M. Jain कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा)

Exective Directior (F&A)

पवन अग्रवाल Pawan Agrawal कंपनी सचिव Company Secretary

दिनेश पंत नियुक्त बीमांकक Dinesh Pant Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल Sunil Agrawal मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer





फॉर्म ए-पीएल FORM A - PL

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001 Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन लाभ-हानि लेखा शेयरधारकों का लेखा भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में शेयरधारकों का खाता (गैर-तकनीकी खाता)

STANDALONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022

IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS Shareholders' Account (Non-technical Account)

| | | | (₹ in lakhs) |
|---|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | 31 मार्च, 2022 को | 31 मार्च, 2021 को |
| विवरण | अनुसूचि | समाप्त वर्ष के लिए | समाप्त वर्ष के लिए |
| Particulars | Schedule | FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022 | FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021 |
| पॉलिसिधारकों के लेखा (तकनीकी लेखा) से शेष को अग्रेषित : | | | |
| Amounts transferred from/to the Policyholders | | 400.00 | 240.00 |
| Account (Technical Account): निवेश से आय/ Income from Investments | | 400.82 | 340.98 |
| | | | |
| (क) ब्याज, लाभांश एवं किराया-कुल | | 27.00 | |
| (a) Interest, Dividends & Rent - Gross | | 374.98 | 372.75 |
| (ख) निवेश की बिक्री/मोचन पर लाभ | | | |
| (b) Profit on sale/redemption of investments | | 410.46 | 583.23 |
| (ग) निवेश की बिक्री/मोचन पर हानि | | | |
| (c) (Loss on sale/redemption of investments) | | (118.32) | (79.68) |
| अन्य आय : (ब्योरा देना है) | | | |
| Other Income (To be specified) | | - | - |
| कुल (क)/TOTAL (A) | | 1067.94 | 1217.28 |
| बीमा व्यवसाय से सीधे संबंधित खर्चों के अतिरिक्त अन्य खर्च | | | |
| Expense other than those directly related to the insurance business | | 50.33 | 46.40 |
| पॉलिसीधारकों के खाते में अन्य के प्रति योगदान | | | |
| Contribution to Policyholders' Account towards others | | - | - |
| प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) | | | |
| Provisions (Other than taxation) | | 942.45 | 475.97 |
| (क) निवेश के मूल्य में शुद्ध कमी के लिए | | | |
| (a) For diminution in the value of investments (Net) | | - | - |
| (ख) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लिए | | | |
| (b) Provision for doubtful debts | | - | - |
| (ग) अन्य (ब्योरा देना है) | | | |
| (c) Others (to be specified) | | <u> </u> | - |
| कुल (ख) TOTAL (B) | | 992.78 | 522.37 |
| लाभ/हानि कर पूर्व/ Profit/ (Loss) before tax | | 75.16 | 694.91 |
| कराधान का प्रावधान/ Provision for Taxation | | - | 123.68 |
| लाभ $/(हानि)$ कर प्रश्चात $/$ Profit/Loss after tax | | 75.16 | 571.23 |
| विनियोजन / APPROPRIATIONS | | | |
| (क) वर्ष के प्रारंभ मे शेष (a) Balance at the begining of the year | | - | - |
| (ख) वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश (5% मूल्यांकन अधिशेष केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त) (b) Dividends paid during the year (5% Valuation surplus paid to Central Government) | | - | - |
| (ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश (c) Proposed final dividend | | - | - |
| (घ) लाभांश वितरण पर कर (d) Dividend distribution on tax | | - | - |
| (ङ) आरक्षितिनिधि / अन्य खातों में अंतरण (ब्योरा देना है)(e) Transfer to reserves/other accounts (to be specified) | | 75.16 | 571.23 |
| तुलन-पत्र को अग्रेषित लाभ | | | |
| Profit carried forward to the Balance Sheet | | 0.00 | 0.00 |
| | | | |



65 वार्षिक रिपोर्ट Annual Report

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Price & Co.

Chartered Accountants F.R.N.: 002785S

ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर) A. R. Parthasarathy (Partner) स.क्र./M.No. 205702

टोड़ी तुल्सयान एंड कं. के लिए For Todi Tulsyan & Co.

Chartered Accountants F.R.N./002180C

सुशील कुमार तुल्सयान (पार्टनर) Sushil Kumar Tulsyan (Partner) स.क्र./M.No./075899

बी.सी. जैन एंड कं. के लिए For B.C. Jain & Co. Chartered Accountants

Chartered Accountants F.R.N./001099C

श्याम जी गुप्ता (पार्टनर) Shyam ji Gupta (Partner) स.क्र./M.No./416155

ए आर एंड कं. के लिए
For A R & Co.
Chartered Accountants
F.R.N./002744C
प्रियांशु जैन (पार्टनर)
Privanshu Jain (Partner)

स.क्र. M.No. 530262

रे एंड रे के लिए For Ray & Ray Chartered Accountants F.R.N/ 301072E नबनिता घोष (पार्टनर) Nabanita Ghosh (Partner) स.क्र. M. No. 058477

मुंम्बई : **30 मई, 2022** Mumbai: 30th May, 2022 बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit Chartered Accountants

F.R.N./101048W

रमन हंगेकर (पार्टनर)

Raman Hangekar (Partner) स.क्र. M.No./030615

राममूर्ति (एन) एंड कं.के लिए For Ramamoorthy (N) & Co.

Chartered Accountants F.R.N./002899S

सुरेंद्रनाथ भारती (पार्टनर) Surendranath Bharathi (Partner)

स.क्र./M.No./023837

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए

For abm & associates LLP Chartered Accountants F.R.N./105016W/W-100015

अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर) Ashwin B. Morche (Partner) स.क्र./ M.No./104126

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP Chartered Accountants F.R.N./101872W/W100045 विनीत सक्सेना (पार्टनर)

Vineet Saxena (Partner) स.क्र./ M.No. 100770

रमा के गुप्ता एंड कं. के लिए For Rama K Gupta & Co. Chartered Accountants

F.R.N/ 005005C रमाकांत गुप्ता (पार्टनर)

Ramakant Gupta (Partner) स.क्र. M. No. 073853

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board of Directors

एम. आर. कुमार M. R. Kumar अध्यक्ष Chairperson (DIN: 03628755)

राज कुमार Raj Kumar प्रबंध निदेशक Managing Director (DIN: 06627311)

एम.पी. विजय कुमार M.P. Vijay Kumar

स्वतंत्र निदेशक Independent Director (DIN: 05170323)

एस. एम. जैन S. M. Jain कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा)

Exective Directior (F&A)

पवन अग्रवाल Pawan Agrawal कंपनी सचिव Company Secretary

दिनेश पंत Dinesh Pant नियुक्त बीमांकक Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल Sunil Agrawal मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer





अनुसूची - 1 SCHEDULE - 1

प्रीमीयम अर्जित (निवल) PREMIUM EARNED (NET)

| | विवरण Particulars | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended MARCH 31, 2022 | (₹ लाखों में) (₹ in lakhs) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended MARCH 31, 2021 |
|---|---|---|--|
| 1 | प्रथम वर्षीय प्रीमियम | 0004004.05 | 2002005 77 |
| | First year Premiums परवर्ती प्रीमियम | 3664934.85 | 3393085.77 |
| 2 | Renewal Premiums | 22909279.62 | 21885700.45 |
| 3 | एकल प्रीमियम और सीएजी Single Premiums & CAG | 16228282.68 | 15049869.26 |
| | कुल प्रीमियम TOTAL PREMIUM | 42802497.15 | 40328655.48 |
| | प्रीमियम आय लिखित व्यवसाय से Premium Income from business written: | | |
| 1 | भारत में In India | 42760527.30 | 40288621.45 |
| 2 | भारत के बाहर Outside India | 41969.85 | 40034.03 |
| | कुल प्रीमियम Total Premium | 42802497.15 | 40328655.48 |





अनुसूची - 2 SCHEDULE - 2

कमीशन व्यय COMMISSION EXPENSES

| | | (< in lakns) |
|---|---|---|
| विवरण Particulars | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended MARCH 31, 2022 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended MARCH 31, 2021 |
| प्रदत्त कमीशन / Commission paid | | |
| सीधा – प्रथम वर्षीय प्रीमियम Direct - First year premiums - परवर्ती प्रीमियम | 973096.67 | 896983.14 |
| - परवता प्रामियम - Renewal premiums - एकल प्रीमियम | 1185064.91 | 1143474.28 |
| - एकल प्रामियम - Single premiums - अन्य कमीशन | 49027.35 | 56467.46 |
| - Other Commission जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीम पर कमीशन Add : Commission on Re-insurance Accepted | - | - |
| घटाएं : अंतरित पुनर्बीम पर कमीशन Less: Commission on Re-insurance Ceded | - | 72.18 |
| शुद्ध कमीशन / Net Commission | 2207188.93 | 2096852.70 |
| बिचौलियो को इनाम और पारिश्रमिक Rewards and remuneration to Intermediaries | 109956.60 | 120139.00 |
| कुल कमीशन Total Commission | 2317145.53 | 2216991.70 |
| लिखित व्यवसाय पर कमीशन Commission on business written: | | |
| भारत में In India | 2315001.51 | 2214789.86 |
| भारत के बाहर Outside India | 2144.02 | 2201.84 |
| कुल कमीशन Total Commission | 2317145.53 | 2216991.70 |
| व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किये गये सकल व्यय का विघटन : Break up of the expenses (Gross) incurred to procure business : | | |
| एजेंट Agents | 2296025.66 | 2196961.20 |
| ब्रोकर Brokers | 316.02 | 270.75 |
| निगमित एजेन्सी Corporate Agency २ | 1738.86 | 1687.30 |
| रिफरल Referral | - | - |
| अन्य : बैंक Others: Banks | 17115.97 | 17392.17 |
| आई.एम.एफ (बीमा विपणन फर्म) IMF (Insurance Marketing Firm) | 1944.95 | 752.46 |
| सार्वजनिक सेवा केन्द्रों पर (विशेष उद्देश्य वाहन) Common Public Service Centres (Special Purpose Vehicle) | 4.07 | - |
| कुल / Total | 2317145.53 | 2217063.88 |





अनुसूची - 3 SCHEDULE - 3

बीमा व्यवसाय से सम्बन्धित परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

| | | | (₹ in lakhs) |
|----------|---|---|---|
| | विवरण Particulars | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended MARCH 31, 2022 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended MARCH 31, 2021 |
| 1 | कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा कल्याण लाभ Employees' remuneration & welfare benefits | 3031057.77 | 2675517.90 |
| 2 | यात्रा, सवारी एवं वाहन चालन व्यय Travel, conveyance and vehicle running expenses | 31358.69 | 19302.48 |
| 3 | प्रशिक्षण व्यय Training Expenses | 1151.40 | 907.24 |
| 4 | किराया, दरें एवं कर Rents, rates & taxes | 66662.48 | 60272.71 |
| 5 | मरम्मत Repairs मुद्रण एवं लेखा सामग्री | 14060.74 | 16552.04 |
| 6 7 | Printing & Stationery संचार व्यय | 14118.07 | 13419.60 |
| 8 | Communication expenses विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार | 26962.80 | 24408.05 |
| 9 | Legal & professional charges चिकित्सा शुल्क | 2953.59 | 939.63 |
| 10 | Medical Fees लेखा परीक्षक शुल्क, व्यय आदि Auditors' fees, expenses etc. | 7500.65 | 5799.26 |
| | (क) लेखा परीक्षक के रूप में (a) as auditor | 781.83 | 565.12 |
| | (ख) सलाहकार के रुप में या निम्न संबंध में किसी भी क्षमता में (b) as adviser or in any other capacity in respect of | 0.00 | 0.00 |
| | (i) कराधान मामले (i) Taxation matters | 1.62 | 1.14 |
| | (ii) बीमा मामले (ii) Insurance matters | 0.00 | 0.00 |
| | (iii) प्रबंधन सेवाएं, तथा (iii) Management services; and | 0.00 | 0.00 |
| | ग) किसी भी अन्य क्षमता में c) in any other capacity | 9.14 | 9.45 |
| 11 | विज्ञापन एवं प्रचार Advertisement and publicity | 74514.37 | 47895.67 |
| 12 13 | ब्याज एवं बैंक प्रभार Interest & bank Charges अन्य | 8530.51 | 11248.90 |
| | Others | | |
| | 1 भत्ते और कमीशन (बीमा एजेंटो के कमीशन के अलावा) Allowances and commission (other than commission to insurance agents) | 168576.87 | 185792.27 |
| | 2 निवेश सम्पत्ति पर व्यय Expense on Investment Property | 12261.82 | 13050.40 |
| | ³ पॉलिसी स्टॉम्प Policy stamps | 29920.14 | 18724.12 |
| | | | |





अनुसूची - 3 SCHEDULE - 3

बीमा व्यवसाय से सम्बन्धित परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

| | | | | (< in lakins) |
|----|-----------|---|---|---|
| | | विवरण | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए |
| | | Particulars Particulars | For the year ended MARCH 31, 2022 | For the year ended MARCH 31, 2021 |
| | 4 | पावती स्टॉम्प Receipt stamps | 1212.20 | 1187.95 |
| | 5 | बिजली प्रभार Electricity charges | 21840.69 | 21830.58 |
| | 6 | मार्गस्थ रोकड़ तथा अन्य बीमा प्रीमियम Cash in transit and other insurance premia | 352.52 | 402.90 |
| | 7 | विविध व्यय Miscellaneous expenses | 54354.90 | 47444.58 |
| | 8 | मुख्य कार्यालय व्यय Head Office expenses | 37.19 | 137.29 |
| | 9 | लेन देन Exchange | 79.45 | (508.21) |
| 14 | | यन्हास preciation | 43336.07 | 41289.87 |
| 15 | | मेयम इत्यादी पर सेवा कर/जी एस टी T on Premium | 277432.29 | 292253.14 |
| | कुल TO | t TAL | 3889067.80 | 3498444.08 |
| | OP | चालन व्यय ERATING EXPENSES | | |
| | In I | त में ndia | 3884070.16 | 3494503.77 |
| | Out | त के बाहर tside India | 4997.64 | 3940.31 |
| | | ा परिचालन व्यय TAL OPERATING EXPENSES | 3889067.80 | 3498444.08 |
| | | | | |





अनुसूची - 4 SCHEDULE - 4

अदा किया गया लाभ (शुद्ध) BENEFITS PAID (NET)

| OOIILDOLL - 4 | DEIGETTIOT AID (IGE | ·' <i>)</i> | |
|---|---------------------|--|--|
| | विवरण | 31 मार्च, 2022 को | (₹ लाखों में) (₹ in lakhs) 31 मार्च, 2021 को |
| | Particulars | समाप्त वर्ष के लिए For the year ended MARCH 31, 2022 | समाप्त वर्ष के लिए For the year ended MARCH 31, 2021 |
| 1 बीमा दावें Insurance Claims | | | |
| (क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death (ख) परिपक्षता दावें | | 3657849.33 | 2387861.97 |
| (b) Claims by Maturity (ग) वार्षिकियाँ/पेन्शन भुगतान | | 20552653.68 | 16565920.43 |
| (c) Annuities/Pensions payme (ঘ) अन्य লাभ | ent | 1625720.61 | 1457136.02 |
| (d) Other benefits (i) अभ्यर्पण | | - | - |
| Surrenders (ii) नकद बोनस | | 9511804.03 | 8010099.90 |
| Bonuses in cash (iii) अस्पताल भर्ती लाभ | | - | - |
| Hospitalisation Benefits | | 1614.51 | 1246.77 |
| Major Surgical Benefits (v) आवासीय उपचार लाभ | 6 . | 1442.16 | 1549.86 |
| Domicilliary Treatment Ben (vi) दिन देखभाल लाभ | etits | 1371.54 | 1161.61 |
| Day Care Benefits (vii) एकमुश्त लाभ/आय लाभ (किस्त द्रू Lump sum Benefit / Incom | | 215.15 | 187.76 |
| (viii) अन्य दावा लागत-दावा न की गई | , | 2270.79 | 1357.87 |
| | - Others | 77013.23 | 85056.37 |
| 2 (पुनर्बीमा में अंतरित राशि): (Amount ceded in reinsurance | | 610.62 | 602.66 |
| (क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death | | (85820.21) | (44057.50) |
| (ख) परिपक्वता दावें (b) Claims by Maturity | | (03020.21) | (44007.00) |
| (ग) वार्षिकियाँ/पेन्श भुगतान (c) Annuities/Pensions payme | ent | _ | _ |
| (घ)अन्य लाभ (d) Other benefits | | (2986.97) | (2650.40) |
| 3 पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि: Amount accepted in reinsuran | ce: | , | , , |
| (क) मृत्यू दावें (a) Claims by Death | | - | - |
| (ख) परिपक्रता दावें (b) Claims by Maturity | | - | - |





अनुसूची - 4 SCHEDULE - 4

अदा किया गया लाभ (शुद्ध) BENEFITS PAID (NET)

| | | (₹ लाखों में) (₹ in lakhs) |
|--|---------------------|-------------------------------|
| विवरण | 31 मार्च, 2022 को | 31 मार्च, 2021 को |
| Particulars | समाप्त वर्ष के लिए | समाप्त वर्ष के लिए |
| | For the year ended | For the year ended |
| (ग) वार्षिकियों/पेन्शन भुगतान (c) Annuities/Pensions in payment | MARCH 31, 2022 - | MARCH 31, 2021 |
| (घ) अन्य लाभ (d) Other benefits | _ | - |
| कुल / TOTAL | | |
| दावेदारों को अदा किया गया लाभ: Benefits paid to claimants: | 35343758.47 | 28465473.32 |
| ¹ भारत में In India | 35306364.24 | 28426994.52 |
| ² भारत के बाहर Outside India | 37394.23 | 38478.80 |
| कुल अदा किया गया लाभ (शुद्ध) Total Benefits paid (Net) | 35343758.47 | 28465473.32 |

अनुसूची - 5 SCHEDULE - 5

अंश पूँजी SHARE CAPITAL

| विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | (₹ लाखों में) (₹ in lakhs) 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
|--|--|--|
| 1 अधिकृत पूंजी Authorised Capital | 2500000.00 | - |
| 2500 करोड़ समता अंश ₹ 10 प्रति अंश 2500 crore Equity Shares of ₹ 10 each 2 निर्गमित पूंजी | - | - |
| lssued Capital 6324997701 समता अंश ₹ 10 प्रति अंश | 632499.77 | - |
| 6324997701 Equity Shares of ₹ 10 each | - | - |
| 3 अभिदत्त पूंजी Subscribed Capital 6324997701 समता अंश ₹ 10 प्रति अंश 6324997701 Equity Shares of ₹ 10 each | 632499.77 | - |
| ⁴ याचित पूँजी Called-up Capital 6324997701 समता अंश ₹ 10 प्रति अंश | 632499.77 | 10000.00 |
| 6324997701 Equity Shares of ₹ 10 each घटाये: अदत्त माँग Less: Calls unpaid | | |
| जोड़ें: जब्त अंश (मूल रूप से भुगतान की गई राशि) Add : Shares forfeited (amount originally paid up) | - | - |
| घटाये: वापस खरीदे गए समता अंश का सममूल्य Less : Par value of Equity Shares bought back | - | - |





अनुसूची - 5 SCHEDULE - 5

अंश पूँजी SHARE CAPITAL

(₹ लाखों में) __(₹ in lakhs)

| | | (₹ in lakhs) |
|---|--|---|
| विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
| घटाये: प्रारंभिक खर्च | | |
| Less : Preliminary Expenses | - | _ |
| जोखिम अंकन या अंशों की सदस्यता पर कमीशन या दलाली के खर्चा सहित। | | |
| Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares. | | |
| कुल TOTAL | 632499.77 | 10000.00 |

Notes

- a) Particulars of the different classes of capital The Corporation holds only one class of capital i.e. Equity Capital
- b) The amount capitalised on account of issue of bonus shares ₹ 622499.77 lakh
- c) Capital held by a holding company N/A

नोट:

- क) पूंजी के विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण निगम के पास पूंजी का केवल एक ही प्रकार है जैसे समता पूंजी
- बी) बोनस शेयर जारी करने के कारण पूंजीकृत राशि ₹ 622499.77 लाख
- ग) धारक कंपनी द्वारा धारित पूंजी लागू नहीं

*The Corporation was established by the act of Parliament with initial paid up capital of ₹ 10.000 Lakh made by the Government of India which was not in the form of equity shares. As such the number of shares are not applicable as at 31.03.2021 as the allotment of 6324997701 equity shares ⓐ₹ 10/- each was done during September 2021 in pursuant to Government of India's approval dated 06th September 2021 and Board Resolution dated 08 September, 2021. Accordingly, paid up capital of ₹ 10000 Lakhs was shown in the year preceding current period ended March 2021.

निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई प्रारंभिक चुकता पूंजी के साथ संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी जो इक्किटी शेयरों के रूप में नहीं थी। जैसे कि शेयरों की संख्या 31.03.2021 को 6324997701 इक्किटी शेयर रुपये 10 प्रत्येक के आवंटन के रूप में लागू नहीं होती है, सितंबर 2021 के दौरान भारत सरकार के अनुमोदन दिनांक 06 सितंबर 2021 और बोर्ड के संकल्प दिनांक 08 सितंबर, 2021 के अनुसरण में किया गया था। तद्नुसार, 10000 लाख रुपये की चुकता पूंजी मार्च 2021 को समाप्त वर्तमान अविध से पहले के वर्ष में दिखाई गई थी।

अनुसूची - 5 अ SCHEDULE 5A अंशधारिता का स्वरूप (जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है) PATTERN OF SHAREHOLDING (As certified by the Management)

| विवरण Particulars | • | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended MARCH 31, 2022 For the year ended MARCH 31, 2022 | | |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|
| | शेयर की संख्या Number of Shares | धारण का प्रतिशत % of Holding | शेयर की संख्या Number of Shares | धारण का प्रतिशत % of Holding |
| प्रवर्तक/ Promoters | | | | |
| भारतीय – भारत के राष्ट्रपति Indian - President of India विदेशी Foreign | 6324997701 | 100 | | 100 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य Others | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल TOTAL | 6324997701 | 100 | NA | 100 |





अनुसूची - 6 SCHEDULE 6

आरक्षित निधि एवं अधिशेष (शेयरधारकों के) RESERVES & SURPLUS (SHAREHOLDERS)

| | विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
|---|---|--|--|
| 1 | पूँजी आरक्षित निधि Capital Reserve | 0.00 | 0.00 |
| 2 | पूँजी मोचन आरक्षित निधि Capital Redemption Reserve | 0.00 | 0.00 |
| 3 | शेयर प्रीमियम Share Premium | 0.00 | 0.00 |
| 4 | पुनर्मुल्यांकन आरक्षित निधि Revaluation Reserve | | |
| | प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान योग | 0.00 | 0.00 |
| | Additions during the year | 0.00 | 0.00 |
| | वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year | 0.00 | 0.00 |
| E | अंतिम शेष Closing Balance | 0.00 | 0.00 |
| 5 | सामान्य आरक्षित निधि General Reserves प्रारंभिक शेष Opening Balance | 622563.10 | 62274.79 |
| | वर्ष के दौरान योग Additions during the year लाभ हानि लेखा से अग्नेषित | | |
| | Transfer from Profit and Loss Account वर्ष के दौरान कटौतियाँ | 2878.81 | 560288.31 |
| | Deductions during the period | 0.00 | 0.00 |
| | बोनस शेयर जारी करने के कारण पूंजीकृत राशि Amount capitalised on account of issue of Bonus Shares अंतिम शेष | 622499.77 | |
| | Closing Balance | 2942.14 | 622563.10 |
| | घटाएं : लाभ हानि लेखे मे नामे अधिशेष. यदि कोई हो Less : Debit balance in Profit and Loss Account, if any घटाएं : पुर्नखरीद के लिए प्रयुक्त राशि | 0.00 | 0.00 |
| 0 | Less: Amount utilized for Buy-back | 0.00 | 0.00 |
| 6 | आपातकालीन आरक्षित निधि Catastrophe Reserve | 0.00 | 0.00 |
| 7 | अन्य आरक्षित निधि Other Reserves | 0.00 | 0.00 |
| | (i) निवेश आरक्षित Investment Reserve | 0.00 | 0.00 |
| | (ii) विनिमय उतार चढाव आरक्षित निधि Exchange Fluctuation Reserve | (70.88) | (63.33) |
| 8 | लाभ-हानि लेखे में शेष लाभ Balance of profit in Profit and Loss Account | 401433.30 | - |
| | कुल / Total | 404304.56 | 622499.77 |
| | भारत में / In India | 404236.95 | 594320.24 |
| | भारत के बाहर / Out of India | 67.61 | 28179.53 |
| | ক ুল / Total | 404304.56 | 622499.77 |





अनुसूची – 6 क SCHEDULE 6A

बीमा आरक्षित निधि (पॉलिसिधारकों के) INSURANCE RESERVES (POLICYHOLDERS)

| | | | (₹ in lakhs) |
|---|---|--|--|
| | विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
| 1 | पूँजी आरक्षित निधि Capital Reserve | 0.00 | 0.00 |
| 2 | पूँजी मोचन आरक्षित निधि Capital Redemption Reserve | 0.00 | 0.00 |
| 3 | शेयर प्रीमियम Share Premium | 0.00 | 0.00 |
| 4 | पुनर्मुल्यांकन आरक्षित निधि Revaluation Reserve | | |
| | प्रारंभिक शेष Opening Balance | 1227864.83 | 1229806.21 |
| | वर्ष के दौरान योग Additions during the period | 2992.78 | - |
| | वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the period | - | 1941.38 |
| 5 | अंतिम शेष Closing Balance सामान्य आरक्षित निधि | 1230857.61 | 1227864.83 |
| | General Reserves प्रारंभिक शेष | | |
| | Opening Balance वर्ष के दौरान योग | 41.74 | 41.74 |
| | Additions during the period वर्ष के दौरान कटौतियाँ | 0.00 | 0.00 |
| | Deductions during the period अंतिम शेष | 0.00 | 0.00 |
| | Closing Balance घटाएं : लाभ हानि लेखे मे नामे अधिशेष. यदि कोई हो | 41.74 | 41.74 |
| | Less : Debit balance in Profit and Loss Account, if any घटाएं : पुर्नखरीद के लिए प्रयुक्त राशि | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Less: Amount utilized for Buy-back समकरण आरक्षित निधि | 0.00 | 0.00 |
| | Equalisation Reserve प्रारंभिक शेष | 0.00 | 0.00 |
| | Opening Balance वर्ष के दौरान योग | 0.00 | 0.00 |
| | Additions during the period वर्ष के दौरान कटौतियाँ | 0.00 | 0.00 |
| | Deductions during the period अंतिम शेष | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Closing Balance आपातकालीन आरक्षित निधि | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Catastrophe Reserve अन्य आरक्षित निधि | - | - |
| | Other Reserves (i) निवेश आरक्षित | | |
| | Investment Reserve | 0.00 | 0.00 |
| | (ii) विनिमय उतार चढाव आरक्षित निधि Exchange Fluctuation Reserve | 54563.64 | 65496.56 |





अनुसूची - 6 क SCHEDULE 6A

बीमा आरक्षित निधि (पॉलिसिधारकों के) (जारी) INSURANCE RESERVES (POLICYHOLDERS) (Contd.)

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| | विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
|------------------------|---------------------------|--|--|
| 9 लाभ-हानि लेखे में शे | ष लाभ | | |
| Balance of profit i | n Profit and Loss Account | - | - |
| | कुल / Total | 1285462.99 | 1293403.13 |
| भारत में / In India | | 1251092.48 | 1240967.72 |
| भारत के बाहर / Out | of India | 34370.51 | 52435.41 |
| | কুল / Total | 1285462.99 | 1293403.13 |

अनुसूची - 7 SCHEDULE 7

उधारी BORROWINGS

| | | विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
|---|------------------------|----------------------|---|---|
| 1 | ऋण पत्र / बन्ध पत्र | | | |
| | Debentures/Bonds | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | बैंक | | | |
| | Banks | | 0.00 | 0.00 |
| 3 | वित्तीय संस्थान | | | |
| | Financial Institutions | | 0.00 | 0.00 |
| 4 | अन्य | | | |
| | Others | | 0.00 | 0.00 |
| | | कुल | | |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| | भारत में | | | |
| | In India | | 0.00 | 0.00 |
| | भारत के बाहर | | | |
| | Outside India | | 0.00 | 0.00 |
| | | कुल | | |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 |





अनुसूची - 8 SCHEDULE 8

निवेश (शेयरधारकों के) INVESTMENTS - SHAREHOLDERS

| | | | (₹ in lakhs) |
|---|---|--|--|
| | विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
| | दीर्घावधि निवेश | | |
| | LONG TERM INVESTMENTS | | |
| 1 | खजाने की बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटित बन्ध पत्र | | |
| | Government securities and Government guaranteed | 264472.42 | 22504.07 |
| 2 | bonds including Treasury Bills | 361472.43 | 23591.97 |
| _ | अन्य अनुमोदिकत प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities | 0.00 | 0.00 |
| 3 | अन्य निवेश | 0.00 | 0.00 |
| | Other Investments | | |
| | (क) शेयर | | |
| | (a) Shares | | |
| | (कक) इक्विटी | | |
| | (aa) Equity | 7637.47 | 7240.77 |
| | (खख) अधिमानी | | |
| | (bb) Preference | 0.00 | 0.00 |
| | (ख) सहयोग निधि | | |
| | (b) Mutual Funds | 0.00 | 0.00 |
| | (ग) व्यप्तन्न प्रपत्र | | |
| | (c) Derivative Instruments | 0.00 | 0.00 |
| | (घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र | | |
| | (d) Debentures/Bonds | 2044.71 | 1836.91 |
| | (ड) अन्य प्रतिभूतियाँ : यू टी आई ।। कैपिटल में प्रारंभिक अंशदान | | |
| | (e) Other Securities :Initial Contribution to UTI II Capital | 0.93 | 0.93 |
| | (च) सहायक/सहभागी/संयुक्त उद्यम | | |
| | (f) Subsidiaries/Associates/Joint Ventures | 130125.49 | 39273.60 |
| | (छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा | 0.00 | 0.00 |
| 4 | (g) Investment Properties - Real Estate | 0.00 | 0.00 |
| 4 | बुनियादी सुविधाओं तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश | 0.00 | 0.00 |
| _ | Investments in Infrastructure and Social Sector | 0.00 | 0.00 |
| 5 | अनुमोदित निवेशो के अतिरिक्त अन्य निवेश | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Other than Approved Investments | 0.00 | 0.00 |
| U | संदिग्ध निवेश के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Investments | (587.51) | (587.51) |
| | Provision for Doubtrul Investments | (367.31) | (367.31) |
| | अल्पाविध निवेश | | |
| | SHORT TERM INVESTMENTS | | |
| 1 | खजाने की बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटित बन्ध-पत्र | | |
| | Government securities and Government | 0.00 | 0.00 |
| | guaranteed bonds including Treasury Bills | | |
| 2 | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities | 0.00 | 0.00 |
| 3 | अन्य निवेश / Other Investments | | |
| | (क) शेयर (a) Shares | | |
| | (क क) इक्रिटी (aa) Equity | 0.00 | 0.00 |
| | (क क) अधिमानी (bb) Preference | | |
| | | 0.00 | 0.00 |
| | (ख) सहयोग निधि / (b) Mutual Funds | 140520.11 | 0.00 |
| | (ग) व्युप्तन्न प्रपन्न) | 2.22 | 2.22 |
| | (c) Derivative Instruments | 0.00 | 0.00 |
| | (घ) ऋण-पत्र/बन्ध पत्र / (d) Debentures/Bonds | 0.00 | 0.00 |
| | | | |





अनुसूची - 8 SCHEDULE 8

निवेश (शेयरधारकों के) (जारी) INVESTMENTS (SHAREHOLDERS) (Contd.)

| | विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
|---|--|--|--|
| | (ड) अन्य प्रतिभूतियाँ | , | • |
| | (e) Other Securities (to be specified) | 0.00 | 0.00 |
| | (च) सहायक / (f) Subsidiaries | 0.00 | 0.00 |
| | (छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा | | |
| | (g) Investment properties - Real Estate | 0.00 | 0.00 |
| 4 | बुनियादी सुविधायों तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश | | |
| | Investments in Infrastructure and Social Sector | 0.00 | 0.00 |
| 5 | अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश | | |
| | Other than Approved Investments | 0.00 | 0.00 |
| 6 | संदिग्ध एवं अवसामान्य संपत्तियो के लिए प्रावधान | | |
| | Provision for Doubtful and Substandard assets | 0.00 | 0.00 |
| | कुल Total | 641213.63 | 71356.67 |
| | निवेश / INVESTMENTS | | |
| 1 | भारत में / In India | 503154.36 | 21580.12 |
| 2 | भारत के बाहर / Outside India | 138059.27 | 49776.55 |
| | कुल Total | 641213.63 | 71356.67 |

| | | (₹ लाखों में) | (₹ in lakhs) |
|--|--|--|--|
| टिप्पणी : सहायक / सहभागी / संयुक्त उपक्रम में निवेश | NOTE: Investments in Subsidiaries/Associates/JV : | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31,2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31,2021 |
| जी.बी.नि. पेन्शन फंड लिमिटेड | LIC Pension Fund Ltd | 5000.00 | 3000.00 |
| जी.बी.नि. कार्ड सर्विसेस लिमिटेड | LIC Card Services Ltd | 100.00 | 100.00 |
| जी.बी.नि. (अंतरराष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी.) बहरीन | Life Insurance Corporation (International) B.S.C $$ (c) , Bahrain | 93969.87 | 5929.27 |
| केनइंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड | Kennindia Assurance Co. Ltd. | 78.15 | 78.15 |
| जी.बी.नि. (नेपाल) लिमिटेड | LIC (Nepal) Ltd. | 1239.69 | 1239.69 |
| जी.बी.नि. (लंका) लिमिटेड | LIC (Lanka) Ltd | 3105.09 | 2293.81 |
| सहकारी बीमा के लिए सऊदी भारतीय कंपनी | Saudi Indian Company for Cooperative Insurance | 587.51 | 587.51 |
| जी.बी.नि. (सिंगापूर) पी.टी.ई. लिमिटेड | LIC Insurance Corporation (Singapore) Pte Ltd | 21666.87 | 21666.87 |
| जी.बी.नि. (बंगलादेश) लिमिटेड | LIC (Bangladesh) Ltd. | 4378.30 | 4378.30 |
| कुल | TOTAL | 130125.48 | 39273.60 |
| टिप्पणी : 31.03.2022 को सकल सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियो# के अलावा | अन्य में एलआईसीके निवेश की राशि और उसका बाजार मुल्य | | |
| NOTE: Aggregate amount of LIC's investment in other than list | ed equity securities# and the market value thereof as at 31.03.2022: | | |
| | | (₹ लाखों में) | (₹ in lakhs) |
| सूचीबद्ध इक्विटी के अलावा अन्य का बही मूल्य | Book value of other than listed equity | 5100.00 | 3100.00 |
| सूचीबद्ध इक्किटी के अलावा अन्य का बाजार मूल्य* | Market value of other than listed equity* | 5100.00 | 3100.00 |
| # कारपोरेट मंत्रालय की साइट पर उपलब्ध स्थिती के आधार पर * कमी के लिए बुक वैल्यू कम प्रावधान | # based on status available on Ministry of Corporate Affairs site. * Book value less provision for diminution | | |





अनुसूची – 8 क SCHEDULE 8A

निवेश (पॉलिसीधारकों के) INVESTMENTS - POLICYHOLDERS

| | विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
|---|---|--|--|
| | दीर्घावधि निवेश | | |
| 4 | LONG TERM INVESTMENTS | | |
| 1 | खजाने की बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटित बन्ध पत्र Government securities and Government guaranteed | | |
| | bonds including Treasury Bills | 245097571.61 | 229334432.39 |
| 2 | अन्य अनुमोदिकत प्रतिभूतियाँ | | |
| | Other Approved Securities | 1867500.76 | 2222556.85 |
| 3 | (क) शेयर | | |
| | (a) Shares | | |
| | (कक) इकिटी | | |
| | (aa) Equity | 76904468.50 | 59369785.10 |
| | (खख) अधिमानी | | |
| | (bb) Preference | 0.00 | 0.00 |
| | (ख) सहयोग निधि | | |
| | (b) Mutual Funds | 703989.56 | 452995.07 |
| | (ग) व्युप्तन्न प्रपत्र | 0.00 | |
| | (c) Derivative Instruments | 0.00 | 0.00 |
| | (घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र | 7050000 00 | 7422204 47 |
| | (d) Debentures/Bonds | 7958802.66 | 7133291.17 |
| | (ड) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities | | |
| | भारत सरकार के साथ विशेष जमा | | |
| | Special Deposit with Government of India | 0.00 | 0.00 |
| | सामाजिक सुरक्षा निधि के साथ जमा | 0.00 | 0.00 |
| | Deposits with Social Security Fund | 0.00 | 0.00 |
| | अन्य प्रतिभृतियाँ तथा बन्ध-पत्र | | |
| | Other Securities & Bonds | 22125.28 | 24158.85 |
| | यू टी आई ॥ कैपिटल में प्रारंभिक अंशदान | | |
| | Initial Contribution to UTI II Capital | 0.00 | 0.00 |
| | (च) सहायक/सहभागी/संयुक्त उद्यम | | |
| | (f) Subsidiaries/ Joint ventures/ Associates | 3225940.92 | 2989563.77 |
| | (छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा | | |
| | (g) Investment Properties - Real Estate | 1439031.66 | 1438800.42 |
| 4 | बुनियादी सुविधाओं तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश | | |
| _ | Investments in Infrastructure and Social Sector | 29916092.52 | 27940254.25 |
| 5 | अनुमोदित निवेशो के अतिरिक्त अन्य निवेश | | |
| 0 | Other than Approved Investments | 13978606.44 | 11575970.54 |
| 6 | संदिग्ध निवेश के लिए प्रावधान | (4202504.24) | (4002507.57) |
| | Provision for Doubtful Investments | (1202591.34) | (1982507.57) |
| | अल्पावधि निवेश | | |
| | SHORT TERM INVESTMENTS | | |
| 1 | खजाने की बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटित बन्ध-पत्र | | |
| | Government securities and Government guaranteed bonds | | |
| 0 | including Treasury Bills | 6385372.95 | 5093530.38 |
| 2 | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities | 354424.57 | 366214.51 |
| 3 | (क) शेयर (a) Shares | | |
| | (क क) इकिटी (aa) Equity | 0.00 | 0.00 |
| | (ख ख) अधिमानी (bb) Preference | 0.00 | 0.00 |
| | | | |





अनुसूची - 8 क SCHEDULE 8A

निवेश (पॉलिसीधारकों के) (जारी) INVESTMENTS - POLICYHOLDERS (Contd.)

| विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
|--|--|--|
| (ख) सहयोग निधि / (b) Mutual Funds | 1659658.02 | 1185264.37 |
| (ग) व्युप्तन्न प्रपत्र) | | |
| (c) Derivative Instruments | 0.00 | 0.00 |
| (घ) ऋण-पत्र/बन्ध पत्र / (d) Debentures/Bonds | 510909.52 | 94016.26 |
| (ड) अन्य प्रतिभूतियाँ | | |
| (e) Other Securities (to be specified) | 0.00 | 0.00 |
| वाणिज्यिक पत्र | | |
| Commercial Papers | 0.00 | 0.00 |
| भारत सरकार के पास विशेष जमा | | |
| Special Deposit with Government of India | 0.00 | 0.00 |
| (च) सहायक / (f) Subsidiaries | 0.00 | 0.00 |
| (छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा | | |
| (g) Investment properties - Real Estate | 0.00 | 0.00 |
| 4 बुनियादी सुविधायों तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश | | |
| Investments in Infrastructure and Social Sector | 624184.50 | 1383875.35 |
| ⁵ अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश | | |
| Other than Approved Investments | 1296556.79 | 1336195.34 |
| 6 संदिग्ध एवं अवसामान्य संपत्तियो के लिए प्रावधान | | |
| Provision for Doubtful and Substandard assets | (1173295.35) | (1192911.35) |
| कुल Total | 389569349.57 | 348765485.70 |
| निवेश / INVESTMENTS | | |
| 1 भारत में / In India | 389159509.89 | 348378939.29 |
| ² भारत के बाहर / Outside India | 409839.68 | 386546.41 |
| কুল Total | 389569349.57 | 348765485.70 |

| | | (₹ लाखों में) | (₹ in lakhs) |
|---|---|---------------------|---------------------|
| टिप्पणी : सहायक / सहभागी / संयुक्त उपक्रम में निवेश | NOTE: Investments in Subsidiaries/Associates/JV: | - | 31 मार्च 2021 तक |
| | | As at MARCH 31,2022 | As at MARCH 31,2021 |
| जी.बी.नि. म्युच्युअल फंड ए एम सी | LIC Mutual Fund AMC Ltd. | 494.30 | 494.30 |
| जी.बी.नि.गृह वित्त लि. | LIC Housing Finance Ltd | 332150.33 | 98599.11 |
| जी.बी.नि. म्युच्युअल फंड प्रारंभिक योगदान | LIC Mutual Fund Initial Contribution | 200.00 | 200.00 |
| जी.बी.नि. म्युच्युअल फंड ट्रस्टी कं. प्रा. लि. | LIC Mutual Fund Trustee Co Pvt Ltd | 0.49 | 0.49 |
| जी.बी.नि. एचएफएल ऐसेट मैनेजमैंट कं. लि. | LIC HFL Asset Management Company Ltd | 49.44 | 49.44 |
| जी.बी.नि. (अंतरराष्ट्रीय) बी.एसी.सी. (सी.) बहरिन | Life Insurance Corporation (International) B.S.C (c), Bahrain | 5577.97 | 5577.97 |
| आईडीबीआई | IDBI Bank Ltd. | 2887438.39 | 2884612.46 |
| आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड | IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | 30.00 | 30.00 |
| कुल TOTAL टिप्पणी : 31.03.2022 को सकल सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियो# के उ | TOTAL मलावा अन्य में एलआईसी के निवेश की राशि और उसका बाजार मुल्य | 3225940.92 | 2989563.77 |
| NOTE: Aggregate amount of LIC's investment in other than list | ed equity securities# and the marketvalue thereof as at 31.03.2022 | | |
| | | (₹ लाखों में) | (₹ in lakhs) |
| सूचीबद्ध इकिटी के अलावा अन्य का बही मूल्य | Book value of other than listed equity | 243895.36 | 235541.72 |
| सूचीबद्ध इक्विटी के अलावा अन्य का बाजार मूल्य* | Market value of other than listed equity* | 100310.81 | 100083.50 |
| # कारपोरेट मंत्रालय की साइट पर उपलब्ध स्थिती के आधार पर | # based on status available on Ministry of Corporate Affairs site. | | |
| * कमी के लिए बुक वैल्यू कम प्रावधान | * Book value less provision for diminution | | |





अनुसूची - 8 ख SCHEDULE 8B

संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसंपत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES

| विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
|--|--|---|
| दीर्घावधि निवेश | | |
| | | |
| | | |
| | 737931.27 | 695324.41 |
| अन्य अनुमोदिकत प्रतिभूतियाँ | | |
| Other Approved Securities | 424.12 | 6781.12 |
| | | |
| | | |
| | 1182272 21 | 1227009.55 |
| | 1102272.21 | 1221003.30 |
| (bb) Preference | 0.00 | 0.00 |
| (ख) सहयोग निधि | | |
| (b) Mutual Funds | 0.00 | 0.00 |
| (ग) व्युप्तन्न प्रपन्न | | |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 15012.84 | 20167.71 |
| | 13912.04 | 20107.7 |
| | 0.00 | 0.00 |
| (च) सहायक | | |
| (f) Subsidiaries | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 182224.81 | 210996.29 |
| | 102324.01 | 210990.23 |
| Other than Approved Investments | 69909.99 | 69234.9 |
| अल्पाविध निवेश | | |
| | | |
| ** | | |
| | 56639.62 | 93480.14 |
| अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities | 1325.52 | |
| (क) शेयर (a) Shares | | |
| (क क) इक्रिटी (aa) Equity | 0.00 | 0.00 |
| (ख ख) अधिमानी (bb) Preference | 0.00 | 0.00 |
| (ख) सहयोग निधि / (b) Mutual Funds | 92594.10 | 130727.47 |
| (ग) व्युप्तन्न प्रपन्न) | | |
| (c) Derivative Instruments | 0.00 | 0.00 |
| (घ) ऋण-पत्र/बन्ध पत्र / (d) Debentures/Bonds | 7.53 | 1219.65 |
| (ड) अन्य प्रतिभृतियाँ | | |
| | | 7500.00 |
| (e) Other Securities | - | |
| | 0.00 | 0.00 |
| | सिर्घावधि निवेश LONG TERM INVESTMENTS खजाने की बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटित बन्ध पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills अन्य अनुमोदिकत प्रतिभृतियाँ Other Approved Securities (क) शेयर (a) Shares (कक) इिकटी (aa) Equity (खख) अधिमानी (bb) Preference (ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds (ग) ट्युसन प्रपत्र (c) Derivative Instruments (ड) अन्य प्रतिभृतियाँ (e) Other Securities (च) सहायक (f) Subsidiaries (छ) निवेश संपत्तियाँ न संपदा (g) Investment Properties - Real Estate बुनियादी सुविधाओं तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector अनुमोदित निवेश के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments अल्पावधि निवेश SHORT TERM INVESTMENTS खजाने की बिलों सहित सरकारी प्रतिभृतियाँ तथा गारंटित बन्ध-पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills अन्य अनुमोदित प्रतिभृतिवाँ / Other Approved Securities (क) शेयर (a) Shares (क क) इिकटी (aa) Equity (ख ख) अधिमानी (bb) Preference (ख) सहयोग निधि / (b) Mutual Funds (ग) ट्युसन प्रपत्र (c) Derivative Instruments | स्पार्वाधि नियेष UNGETEM INVESTMENTS खजाने की बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटित बन्ध पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills जन्म अनुमोदिकत प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities (क) शेयर (a) Shares (कक) इकिटी (a) Equity (ख) अधिमानी (bb) Preference (क) शह्मे (b) Mutual Funds (b) Preference (c) Derivative Instruments (d) Debentures/Bonds (व) अत्रव्याप्तियाँ (व) Unex Requirities (व) अत्रव्यापित्रवर्ष (व) अत्रव्यापित्रवर्ष (व) सहयोग निर्ध (b) Mutual Funds (c) Derivative Instruments (d) Debentures/Bonds (e) Other Securities (e) Other Securities (f) Subsidiaries (f) Subsidiaries (g) Investment Properties - Real Estate (g) Investments in Infrastructure and Social Sector (g) मत्रव्याप्तियाँ नियंश (g) Investment in Infrastructure and Social Sector (g) अत्रव्याप्तियाँ नियंश (g) Hore Team in Infrastructure and Social Sector (g) अत्रव्याप्तियाँ नियंश (g) Investment Properties - Real Estate (g) Investment in Infrastructure and Social Sector (g) मत्रव्याप्तियाँ नियंश (g) Hore Team in Infrastructure and Social Sector (g) अत्रव्याप्तियाँ नियंश (g) Hore Team in Infrastructure and Social Sector (g) अत्रव्याप्तियाँ नियंश (g) Hore Team in Infrastructure and Social Sector (g) अत्रव्याप्तियाँ नियंश (g) Hore Team in Infrastructure and Social Sector (g) अत्रव्याप्तियाँ नियंश (g) Hore Team in Infrastructure and Social Sector (g) अत्रव्याप्तियाँ नियंश (g) Hore Team in Infrastructure and Social Sector (g) अत्रव्याप्तियाँ नियंश (g) Hore Team in Infrastructure and Social Sector (g) अत्रव्याप्तियाँ (g) Hore Approved Securities (क) श्रव्याप्तियाँ (g) Hore Approved Securities (क) श्रव्याप्तियाँ (g) Hore Approved Securities (क) श्रव्याप्तियाँ (b) Preference (क) श्रव्याप्तियाँ (b) Mutual Funds (g) Derivative Instruments (g) De |





अनुसूची - 8 ख SCHEDULE 8B

संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसंपत्तियाँ (जारी) ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES (Contd.)

| | विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
|---|---|--|--|
| 4 | बुनियादी सुविधायों तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector | 24021.81 | 69681.52 |
| 5 | अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments | - | - |
| | चालू परसम्पत्तियाँ Current Assets | | |
| 6 | रोकड़ एवं बैंक में अतिशेष Cash & Bank Balance | | |
| | रोकड़ Cash | 5779.81 | 3269.49 |
| | बैंक में अतिशेष | | |
| | Bank Balance (Deposits) | - | - |
| | (क) जमा (a) Deposits | - | - |
| | (कक) अल्पावधि (aa) Short term | - | - |
| | (평 평) अन्य (bb) Others | - | - |
| | (ख) चालू खाता (b) Current Accounts | 8505.37 | 801.12 |
| | (ग) अन्य (c) Others | _ | _ |
| 7 | अग्रिम Advances | _ | _ |
| | अदा किया गया अग्रिम कर एवं स्त्रोत कर कटौती Advance tax paid and tax deducted at source | - | - |
| | अन्य अग्रिम Other Advances | 2011.00 | 8403.41 |
| | निवेशोपर बकाया / प्रोदभूत आय Income outstanding/accrued on investments | 16921.97 | 35786.27 |
| | बकाया प्रीमियम Outstanding Premium | - | - |
| | कुल (क) – चालू परिसम्पत्तियाँ Total (A)- Current Assets | 33218.15 | 48260.29 |
| 3 | चालू दायित्व Current Liabilities | | |
| | फुटकर लेनदेन Sundry Creditors | 2929.29 | 3110.11 |
| | प्रीमियम प्राप्त लेक्नि आवंटित नही Premium received but not allocated | - | - |
| | बकाया दावा Claims outstanding | - | - |
| | बक्तया क्मीशन Outstanding commission | _ | _ |
| | प्रीमियम एवं अन्य जमा Premium and other deposits | _ | _ |
| | बकाया अदावी राशी/जमा Outstanding unclaimed amounts/deposits | - | - |
| | जीएसटी दायित्व | - | - |
| | GST Liability | - | - |





अनुसूची - 8 ख SCHEDULE 8B

संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसंपत्तियाँ (जारी) ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES (Contd.)

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| | विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
|---|--|--|--|
| | जीवन विभाग चालू खाता | | |
| | Life department current account | (211.31) | (717677.20) |
| 9 | प्रावधानों | | |
| | Provisions | | |
| | शोधन क्षमता मार्जिन के लिए प्रावधान | | |
| | Provision for Required Solvency Margin | - | - |
| | कुल (ख)चालू दायित्व | | |
| | Total (B)- Current Liabilities | 2717.98 | (714567.09) |
| | शुद्ध चालु परिसम्पत्तियाँ (क−ख) | | |
| | Net current assets (A-B) | 30500.17 | 762827.38 |
| | कुल / Total* | 2393863.99 | 3294950.15 |
| | निवेश शेयरधारको के | | |
| | INVESTMENTS | | |
| 1 | भारत मे | | |
| | In India | 2386323.22 | 3287308.28 |
| 2 | भारत के बाहर | | |
| | Outside India | 7540.77 | 7641.87 |
| | कुल Total | 2393863.99 | 3294950.15 |

टिप्पणी: * अस्वामिक निधि ₹ 8100.85/- लाख के सहित

NOTE: * Inclusive of Rs. 8100.85 Lakhs pertaining to Discontinued Fund.

टिप्पणी: 31.3.2022 को सकल सूचीबद्ध इकिटी प्रतिभूतियों # के अलावा अन्य में एलआईसी के निवेश की राशि और उसका बाजार मुल्य NOTE: Aggregate amount of LIC's investment in other than listed equity securities# and the market value thereof as at 31.03.2022

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | - |
|---|--|----------|
| सूचीबद्ध इक्विटी अलावा अन्य का वही मूल्य Book value of other than listed equity | 26944.02 | 27225.23 |
| सूचीबद्ध इक्विटी के अलावा अन्य का बाजार मूल्य* Market value of other than listed equity* | - | - |

कारपोरेट मंत्रालय की साइट पर उपलब्ध स्थिति के आधार पर

[#] based on status available on Ministry of Corporate Affairs site.

^{*}सूचीबद्ध इक्विटी के अलावा अन्य का बही मूल्य *Book value less provision for diminution





अनुसूची – 9 ऋण SCHEDULE 9 LOANS

| Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
|---|--|--|
| प्रतिभूतिवार वर्गीकरण SECURITY - WISE CLASSIFICATION | | , |
| रिक्षत Secured | | |
| (ज्ञ) संपत्ति के बंधक रखने पर (a) On mortgage of property | | |
| (कक) भारत में (aa) In India | 1089893.68 | 1197071.34 |
| (खख) भारत के बाहर (bb) Outside India | 1093.19 | 1246.06 |
| (ख) शेयरों, बंधपत्रो, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि पर (b) On Shares, Bonds, Govt. Securities, etc. | 0.00 | 0.00 |
| (ग) पॉलिसियां पर ऋण (c) Loans against Policies | 10442616.42 | 10103158.25 |
| (ঘ) अन्य (d) Others | | |
| सरकार द्वारा गारंटित Guaranteed by Government | 266430.60 | 370692.04 |
| गिरवी Hypothecation | 87338.78 | 86974.66 |
| एएनएफ अग्रिम ANF Advances | 0.02 | 0.02 |
| अनारक्षित ऋण Unsecured Loans | 225011.01 | 281322.17 |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Loans | (1124820.13) | (1262130.78) |
| कुल / Total | 10987563.57 | 10778333.76 |
| उधारकर्तावार वर्गीकरण BORROWER - WISE CLASSIFICATION | | |
| (क) केंद्र तथा राज्य सरकार (a) Central and State Governments | 187437.49 | 233074.89 |
| (ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थान (b) Banks and Financial Institutions | 0.00 | 0.00 |
| (ग) सहायक (c) Subsidiaries | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 |
| (घ) कंपनियाँ (d) Companies | 1073195.45 | 1162395.06 |
| | | |
| (d) Companies (ड) पॉलिसियो पर ऋण | 1073195.45 | 1162395.06 |
| (d) Companies (ड) पॉलिसियो पर ऋण (e) Loans against policies (च) अन्य | 1073195.45 | 1162395.06 |
| (d) Companies (ड) पॉलिसियो पर ऋण (e) Loans against policies (च) अन्य (f) Others बंधक संपत्ति | 1073195.45 10442616.42 | 1162395.06 10103158.25 |
| (d) Companies (ड) पॉलिसियो पर ऋण (e) Loans against policies (च) अन्य (f) Others बंधक संपत्ति Mortgage Property महानगरपालिकाएँ | 1073195.45 10442616.42 30234.56 | 1162395.06 10103158.25 32978.32 |
| (d) Companies (इ) पॉलिसियो पर ऋण (e) Loans against policies (च) अन्य (f) Others बंधक संपत्ति Mortgage Property महानगरपालिकाएँ Municipalities जिला परिषद | 1073195.45 10442616.42 30234.56 | 1162395.06 10103158.25 32978.32 |
| (d) Companies (इ) पॉलिसियो पर ऋण (e) Loans against policies (च) अन्य (f) Others | 1073195.45 10442616.42 30234.56 4452.50 | 1162395.06 10103158.25 32978.32 5280.53 |
| (d) Companies (इ) पॉलिसियो पर ऋण (e) Loans against policies (च) अन्य (f) Others बंधक संपत्ति Mortgage Property महानगरपालिकाएँ Municipalities जिला परिषद Zilla Parishads राज्य विद्युतमंडल / ऊर्जा उत्पादक State Electricity Boards/ Power Generators राज्य सङ्क परिवहन निगम | 1073195.45 10442616.42 30234.56 4452.50 | 1162395.06 10103158.25 32978.32 5280.53 |
| (d) Companies (इ) पॉलिसियो पर ऋण (e) Loans against policies (च) अन्य (f) Others बंधक संपत्ति Mortgage Property महानगरपालिकाएँ Municipalities जिला परिषद Zilla Parishads राज्य विद्युतमंडल / ऊर्जा उत्पादक State Electricity Boards/ Power Generators राज्य सङ्क परिवहन निगम State Road Transport Corporation सहकारी औद्योगिक संपदा | 1073195.45 10442616.42 30234.56 4452.50 | 1162395.06 10103158.25 32978.32 5280.53 |
| (d) Companies (इ) पॉलिसियो पर ऋण (e) Loans against policies (च) अन्य (f) Others बंधक संपत्ति Mortgage Property महानगरपालिकाएँ Municipalities जिला परिषद Zilla Parishads राज्य विद्युतमंडल / ऊर्जा उत्पादक State Electricity Boards/ Power Generators राज्य सड़क परिवहन निगम State Road Transport Corporation सहकारी औद्योगिक संपदा Co-operative Industrial Estates चीनी सहकारी समितियां | 1073195.45 10442616.42 30234.56 4452.50 | 1162395.06 10103158.25 32978.32 5280.53 |





अनुसूची - 9 SCHEDULE 9

ऋण (जारी) LOANS (Contd.)

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| | विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
|---|---|--|--|
| | डब्ल्यू.एस.बी., एस.एफ.सी. पी.टी.आर. ओ.टी.एच., एल.डी.बी, आदी | | |
| | WSB, SFC, PTR,OTH,LDB Etc. | 259168.41 | 331567.10 |
| | एएनएफ अग्रिम / ANF Advances | 0.02 | 0.02 |
| | व्यक्तिगत सुरक्षा पर ऋण Loans on Personal Security | | |
| | अन्य ऋण / Other Loans | 0.62 | 0.62 |
| | (छ) अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | 0.02 | 0.02 |
| | (g) Provision for bad and doubtful debts | (1124820.13) | (1262130.78) |
| | कुल Total | 10987563.57 | 10778333.76 |
| 3 | निष्पादनवार वर्गीणकर PERFORMANCE - WISE CLASSIFICATION | | |
| | (क) वर्गीकृत मानक ऋण | | |
| | (a) Loans classified as standard | | |
| | (कक) भारत में | | |
| | (aa) In India | 11015087.74 | 10810504.29 |
| | (खख) भारत के बाहर | 45050.40 | 45007.04 |
| | (bb) Outside India मानक ऋण के लिए प्रावधान | 15258.18 | 15907.81 |
| | Provision for Standard Loans | (50600.70) | (11310.53) |
| | (ख) गैर मानक ऋण | (, | (/ |
| | (b) Non-standard loans | | |
| | (aa) भारत में / In India | 1081108.57 | 1212992.67 |
| | (bb) भारत के बाहर /Outside India | 929.21 | 1059.15 |
| | गैर मानक ऋण के लिए प्रावधान | (407404040 | (4050040.00) |
| | Provision for Non Standard Loans | (1074219.43) | (1250819.63) |
| | कुल Total | 10987563.57 | 10778333.76 |
| 4 | परिवचतावार वर्गीकरण MATURITY - WISE CLASSIFICIATION | | |
| | (क) अल्पाविध / (a) Short Term | | |
| | भारत में / In India | 486116.78 | 1017758.66 |
| | भारत के बाहर / Out of India | 46.52 | 54.78 |
| | अल्पावधी के लिए प्रावधान | | |
| | Provision for Short Term | (450845.70) | (441711.59) |
| | (ख) दीर्घावधि (b) Long Term | | |
| | भारत में / In India | 11610079.52 | 11004112.60 |
| | भारत के बाहर / Out of India | 16140.88 | 16912.18 |
| | दीर्घावदि के लिए प्रावधान | | |
| | Provision for Long Term | (673974.43) | (818792.87) |
| | कुल Total | 10987563.57 | 10778333.76 |
| 1 | भारत में / In India | 10972010.37 | 10762046.22 |
| 2 | भारत के बाहर /Outside India | 15553.20 | 16287.54 |
| | कुल TOTAL | 10987563.57 | 10778333.76 |
| | | | |

जल राज्य बोर्ड (डब्ल्यूएसबी), राज्य वित्तीय निगम (एसटीएफ), पोर्ट ट्रस्ट (पीटीआर), अन्य *(ओटीएच), भूमि विकास बैंक (एलडीबी)

**स्वचालित जब्ती (एएनएफ)

WATER STATE BOARD (WSB), STATE FINANCIAL CORPORATION (STF), PORT TRUST (PTR), OTHERS *(OTH), LAND DEVELOPMENT BANK (LDB)
** AUTOMATED FORFEITURE (ANF)



65 वार्षिक रिपोर्ट Annual Report

| अनुसूची – 10 SCHEDULE 10 | | | | 19 | अचल परिसंपत्तियाँ FIXED ASSETS | तेयाँ rs | | | | | | (₹ लाखों में) (₹ in lakhs) |
|--|---|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--|--|------------------------|---|---|--|---|
| | | | | 2 | गैर–संबद्ध व्यवसाय Non-linked Business | ाय Jess | | | | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | कुल शुद्ध ब्लॉक Total Net Block | ब्लॉक Block |
| विवरण | लागत | / कुल ब्लॉक | Cost/Gross Block | 3lock | Deprec | मूल्यऱ्हास परिशोधन और हानि Depreciation/Amortisation & Impairment | धन और हानि ition & Impairm | ent | शुद्ध ब्लॉक Net Block | शुद्ध ब्लॉक Net Block | | |
| Particulars | <mark>प्रारंभिक</mark> Opening 01.04.2021 | जोड़ Additions | कटोतियाँ Deductions* | अंतिम Closing 31.03.2022 | पिछले वर्ष तक Upto Last year | वर्ष के लिए For The year | विक्री / समायोजन पर On Sales/ Adjustment* | तारीख तक Up to Date | 31 ਸਾਥੰ 2022 ਜ਼ਲ As at MARCH 31, 2022 | 2 . | 31 ਸਾਬੰ 2022 ਜਲ As at MARCH 31, r 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
| गुडमिल Goodwill | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| अप्रत्यक्ष Intangibles | 4991.14 | • | | 4991.14 | 2428.36 | | (512.56) | 2940.92 | 2050.22 | | 2050.22 | 2562.78 |
| भूमि-पूर्ण संपदा Land-Freehold | 8496.59 | 7085.80 | 1884.73 | 13697.66 | • | • | • | • | 13697.66 | | 13697.66 | 8496.59 |
| पठ्ड भुमि Land-Leasehold | 8187.58 | 492.45 | 4.15 | 8675.88 | 939.11 | 82.93 | • | 1022.04 | 7653.84 | | 7653.84 | 7248.47 |
| भवन Buildings | 309976.70 | 19899.01 | 4738.63 | 325137.08 | 83354.36 | 7647.23 | 208.44 | 90793.15 | 234343.93 | | 234343.93 | 226622.34 |
| फर्नींचर एवं फिटिंग Furniture & Fittings | 48981.38 | 2169.65 | 477.11 | 50673.92 | 38155.09 | 2453.71 | 505.43 | 40103.37 | 10570.55 | | 10570.55 | 10826.29 |
| सूचना प्राध्योगिकी उपस्कर Information Technology Equipment | 166077.16 | 9705.91 | 3475.47 | 172307.60 | 127387.33 | 19204.37 | 3343.22 | 143248.48 | 29059.12 | | 29059.12 | 38689.83 |
| बाहन Vehicles | 98173.51 | 14731.05 | 4085.83 | 108818.73 | 67394.98 | 11822.89 | 3355.34 | 75862.53 | 32956.20 | | 32956.20 | 30778.53 |
| कार्यालय उपस्कर Office Equipment | 6879.56 | 385.43 | 203.92 | 7061.07 | 6110.31 | 355.35 | 214.39 | 6251.27 | 809.80 | | 809.80 | 769.25 |
| अন्य/ Others | | | | | | | | | | | | |
| टेलिफोन Telephones | 1459.15 | 5.33 | 11.13 | 1453.35 | 1285.84 | 31.33 | 10.35 | 1306.82 | 146.53 | | 146.53 | 173.31 |
| फैक्स/इपीएबीएक्स Fax/EPabx | 253.29 | 0.61 | 10.57 | 243.33 | 251.35 | 0.73 | 10.61 | 241.47 | 1.86 | | 1.86 | 1.94 |
| मोबाईल फोन Mobile Phones | 51.52 | 4.99 | 0.45 | 56.06 | 38.06 | 6.36 | 0.48 | 43.94 | 12.12 | | 12.12 | 13.46 |
| पुस्तकालय की पुस्तके Library books | 30.75 | 0.11 | 0.39 | 30.47 | 29.97 | 0.56 | 0.50 | 30.03 | 0.44 | | 0.44 | 0.78 |
| विविध पूँजी उपस्कर Miscellaneous Capital Equipment | 5847.80 | 202.29 | 35.63 | 6014.46 | 4199.25 | 305.91 | 35.79 | 4469.37 | 1545.09 | | 1545.09 | 1648.55 |
| दुष्यश्राव्य तथा अन्य सम्बन्धित प्रचार | | | | | | | | | | | | |
| उपस्कर Audio visual and other allied publicity equipment | 7791.19 | 502.39 | 75.72 | 8217.86 | 6547.68 | 558.85 | 51.18 | 7055.35 | 1162.51 | | 1162.51 | 1243.51 |
| इंजिनीयरिंग विभाग उपस्कर Engineering Dept. equipment | 6.74 | 15.71 | • | 22.45 | 6.54 | 0.03 | 0.01 | 6.56 | 15.89 | | 15.89 | 0.20 |



(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

अचल परिसंपत्तियाँ (जारी) FIXED ASSETS (Contd.)

| विवस्ण सार्गत / कुल क्लॉक Cost/Gross Block मूल्य-हास परिशोधन और हानि शुद्ध क्लॉक शुद्ध क्लॉक शुद्ध क्लॉक शुद्ध क्लॉक प्रिकार किंदिंग | | | | | | गैर–संबद्ध व्यवसाय Non-linked Business | गय ness | | | | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | कुल शुद्ध ब्लॉक Total Net Block | ब्लॉक t Block |
|--|-------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|--|-----------|--|---|---|---|
| <u>प्रारंभिक जोड़ कटौतियाँ अंतिम पिछले वर्ष ंक वर्ष</u> के लिए विक्री ∕ तारीख तक Opening Additions Deductions* Closing Upto Last year For The year समायोजन पर Up to Date 01.04.2021 On Sales∕ Adjustment* | विवरण | लागत | / कुल ब्लॉक | Cost/Gross | Block | Depre | मूल्य~हास परिशो ciation/Amortis | धन और हानि ation & Impairm | | शुद्ध ब्लॉक Net Block | शुद्ध ब्लॉक Net Block | | |
| | Particulars | प्रारंभिक Opening 01.04.2021 | जोड़ Additions | कटोतियाँ Deductions* | अंतिम Closing 31.03.2022 | पिछले वर्ष तक Upto Last year | वर्ष के लिए For The year | विक्री / समायोजन पर On Sales/ Adjustment* | तक ate | 31 ਸਾਰੰ 2022 ਰਾ As at MARCH 31, 2022 | 31 ਸਾਚੇ 2022 ਰਾक As at MARCH 31, 2022 | 31 ਸਾਚੀ 2022 ਜ਼ਾ As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |

| | | | | | गैर-संबद्ध व्यवसाय | দ্র | | | | स. सबद्ध | कुल शुद्ध ब्लॉक | ब्लॉक |
|--|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|------------------------|---|-------------------------------|---|---|
| | | | | Z | Non-linked Business | less | | | | ञ्चवसाय Linked Business | Total Net | Block |
| विवर्ण | लागत | / कुल ब्लॉक | लागत / कुल ब्लॉक Cost/Gross Block | 3lock | Deprec | मूल्य~हास परिशोधन और हानि :iation/Amortisation & Impa | मूल्य~हास परिशोधन और हानि Depreciation/Amortisation & Impairment | lent | शुद्ध ब्लॉक Net Block | शुद्ध ब्लॉक Net Block | | |
| Particulars | प्रारंभिक Opening 01.04.2021 | जोड़ Additions | कटोतियाँ Deductions* | अंतिम Closing 31.03.2022 | पिछले वर्ष तक Upto Last year | वर्ष के लिए For The year | विक्री / समायोजन पर On Sales/ Adjustment* | तारीख तक Up to Date | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 1 . | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, |
| - न्होलटेज स्टबिलायझर तथा यू.पी.एस. Voltage stabilizers and UPS | 15317.72 | 709.14 | 241.63 | 15785.23 | 13863.12 | 863.39 | 258.42 | 14468.09 | 1317.14 | | 1317.14 | 1454.60 |
| किराए के भवनोपर जनरेटर, डी.जी. सेटस् Generators, DG sets in rented premises | 194.04 | 9.24 | 4.73 | 198.55 | 191.38 | 2.43 | 5.66 | 188.15 | 10.40 | | 10.40 | 2.66 |
| भवनो का नविनीकरण Modernisation of Premises | 0.00 | • | | , | | • | • | • | • | | • | |
| कुल / Total | 682715.82 | 55919.11 | 15250.09 | 723384.84 | 352182.71 | 43336.07 | 7487.26 | 388031.54 | 335353.30 | | 335353.30 | 330533.09 |
| प्रगति पर कार्य Work in Progress | 14805.53 | 15613.59 | 10570.11 | 19849.01 | ' | ' | • | ' | 19849.01 | | 19849.01 | 14805.52 |
| सकल कुल / Grand Total | 697521.35 | 71532.70 | 25820.20 | 743233.85 | 352182.71 | 43336.07 | 7487.26 | 388031.54 | 355202.31 | | 355202.31 | 345338.62 |
| पिछले साल का कुल Previous Year | 618635.38 | 618635.38 107409.61 | 28523.64 | 697521.35 | 317252.98 | 41289.87 | 6360.12 | 352182.73 | 345338.62 | | 345338.62 | 301382.40 |

अनुसूची *–* 10 SCHEDULE 10





अनुसूची - 11 SCHEDULE - 11

रोकड़ एवं बैंक में अतिशेष **CASH AND BANK BALANCES**

| | विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
|---|--|--|--|
| 1 | नकद (चेक, ड्राफ्ट एवं स्टॅम्प सहित) Cash (including cheques, drafts and stamps) | 393601.70 | 333776.56 |
| 2 | बैंक जमा Bank Balances | | |
| | (क) जमा खाता (a) Deposit Accounts | | |
| | (कक) अल्पावधि (तुलन पत्र की तारीख से 12 महिनों के भीतर देय) (aa) Short-term (due within 12 months of the date of Balance Sheet) | 63395.39 | 128017.49 |
| | (खख) अन्य (bb) Others | 104418.77 | 118056.73 |
| | (ख) चालू खाता (b) Current Accounts | 1980160.81 | 1727862.20 |
| | (ग) अन्य (c) Others | 0.00 | 0.00 |
| 3 | मांगने पर और अल्प सूचना पर धन Money at Call and Short Notice | | |
| | (क) बैंक में (a) With Banks | 0.00 | 0.00 |
| | (ख) अन्य संस्थानों में (b) With other Institutions | 0.01 | 0.01 |
| | (ग) अन्य - आर.इ.पी.ओ.एस. (c) Others- Repurchasing Option on Repurchase Agreement (REPOS) | 0.00 | 0.00 |
| | (घ) सी.बी.एल.ओ. (d) Collaterised Borrowing and Lending Obligation (CBLO) | 1155947.49 | 685134.74 |
| 4 | अन्य : मार्गस्त प्रोषस्त धन Others - Remittances in transit | 45689.90 | 36477.72 |
| | कुल Total | 3743214.07 | 3029325.45 |
| | गैर अनुसूचित बैंको की शेष उपरोक्त 2 तथा 3 में सम्मिलित है* Balances with non-scheduled banks included in 2 and 3 above.* | | |
| | रोकड़ एवं बैंक में अतिशेष CASH & BANK BALANCES | | |
| 1 | भारत में In India | 3730573.04 | 3016407.29 |
| 2 | भारत के बाहर | | |
| | Outside India কুল Total | 12641.03 3743214.07 | 12918.16 3029325.45 |

^{*}स्थानीय विधि के अनुसार विदेशी शाखाओं के बैंक खातों के अलावा *Excluding bank accounts of foreign branches which are held as per local laws.





अनुसूची – 12 SCHEDULE - 12

अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ ADVANCES AND OTHER ASSETS

| | | | | (₹ in lakhs) |
|---|---|----------|---|--|
| | विवरण Particulars | | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
| | अग्रिम / ADVANCES | | | |
| 1 | अंतरण कंपनियों में आरक्षित जमा Reserve deposits with ceding companies | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | अंतरण कंपनियों को अग्रिम Advances to ceding companies | | 0.00 | 0.00 |
| 3 | निवेशो के लिए आवेदन धन Application money for investments | | 4999.91 | 22500.00 |
| 4 | पहले भुगतान / पूर्वदत्त खर्च Prepayments/Prepaid Expenditure | | 73460.63 | 56097.51 |
| 5 | अधिकारियों / निदेशकों कों अग्रिम Advances to Officer/Directors | | 0.00 | 0.00 |
| 6 | अदा किया गया अग्रिम कर एवं स्त्रोत कर कटौती Advance tax paid and taxes deducted at source | | 3230326.20 | 3294095.60 |
| 7 | अन्य / Others कर्मचारियों का अग्रिम Advances to employees | | 97496.58 | 107903.65 |
| | अन्य को अग्रिम Advances to others | | 12488.91 | 5586.21 |
| | जमा Deposits | | 6197.55 | 6451.69 |
| | अन्य अग्रिम Other advances | | 115794.32 | 88157.00 |
| | फुटकर देनदार, अग्निम तथा जमा के लिए प्रावधान Provision for sundry debtors, advances and deposits | | (17955.71) | (11837.56) |
| | कुल Total (A) | <u> </u> | 3522808.39 | 3568954.10 |
| | अन्य परिसम्पत्तियाँ OTHER ASSETS | | | |
| 1 | निवेशोपर बकाया / प्रोदभूत आय Income outstanding/accrued on investments | | 6956261.34 | 6768586.33 |
| | संदिग्ध ब्याज तथा लाभांश का प्रावधान Provision for doubtful Interest & Dividends | | (1193440.39) | (1216757.89) |
| 2 | बकाया प्रीमियम Outstanding Premiums | | 1061367.16 | 982435.17 |
| 3 | एजंटो के शेष Agents' Balances | | 268452.99 | 333888.80 |
| | एजंटो के संदिग्ध शेष के लिए प्रावधान Provision for agents doubtful balances | | (40.10) | (29.87) |
| 4 | विदेशी एजिसयों के शेष Foreign Agencies' Balances | | 0.00 | 0.00 |
| | संदिग्ध विदेशी एजिसयो के शेष के लिए प्रावधान Provision for agents doubtful balances | | 0.00 | 0.00 |





अनुसूची - 12 SCHEDULE - 12

अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ (जारी) ADVANCES AND OTHER ASSETS (Contd.)

| | विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
|-----|--|---|--|
| 5 | बीमा व्यवसाय करनेवाली अन्य इंटिटियो से प्राप्त होने वाला Due from other entities carrying on insurance business | 0.00 | 0.00 |
| 6 | सहायक/नियंत्रक कंपनी से प्राप्त होनेवाला Due from subsidiaries/holding company | 176.51 | 176.51 |
| 7 | पुनर्बीमा दावे / शेष प्राप्य Reinsurance claims/balances receivable | 0.00 | 0.00 |
| 8 | भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (बीमा अधिनियम, 1938 की खण्ड 7 के अनुसरण में) Deposit with Reserve Bank of India (Pursuant to Section 7 of Insurance Act, 1938) | 0.00 | 0.00 |
| 9 | अन्य/ Others | | |
| i | बकाया / प्रोढभूत ऋण पर ब्याज Interest on loans outstanding/accrued | 2618551.23 | 2486400.86 |
| ii | स्टॉक हाथ में Stock on hand | 7253.31 | 7338.30 |
| iii | अस्वामिक राशि से संबंधित परिसंपत्तियाँ (पी.एफ.26) Assets pertaining to Unclaimed amount (PF. 26) | 2029511.69 | 1857391.16 |
| iv | अन्य परिसंपत्तियाँ Other assets | 11575.36 | 9140.72 |
| V | (क) निधिक ब्याज (a) Funded interest (ख) निधिक ब्याज के लिए प्रावधान (b) Provision for Funded interest | 0.00 | 0.00 |
| vi | (क) निवेश जिनका आबंटन बाकी है (a) Investments Pending Allotment | 15994.97 | 15994.97 |
| | (ख) विविध देनदार, अग्रिम एवं जमा के लिए प्रावधान (b) Provision for Sundry Debtors,Advances & Deposits | (3454.45) | (3454.45) |
| vii | जी एस टी का जमा शेष GST Unutilized Credit | 73551.77 | 80712.79 |
| | कुल (ख) / Total (B) | 11845761.39 | 11321823.40 |
| | कुल (क +ख) / Total (A + B) | 15368569.78 | 14890777.50 |
| | भारत में / In India | 15363357.34 | 14886843.39 |
| | भारत के बाहर / Out of India | 5212.44 | 3934.11 |
| | कुल / Total | 15368569.78 | 14890777.50 |





अनुसूची - 13 SCHEDULE - 13

चलु देयताएं CURRENT LIABILITIES

| (₹ in lakhs) | | CONNENT LIABLE | |
|--|--|--|-------------|
| 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | विवरण Particulars | |
| 0.00 | 0.00 | एजंटो के शेष / Agents' Balances | 1 |
| (2402.40) | (156151) | अन्य बीमा कंपनियों को देय राशि Balances due to other insurance companies | 2 |
| (3483.48) | (1564.54) | संधि कंपनियों के अग्रिम Advances from Treaty Companies | 3 |
| | | पूनर्बीमा अंतरण पर धारित जमा | 4 |
| 0.00 | 0.00 | Deposits held on re-insurance ceded अग्रिम रूप में प्राप्त प्रीमियम | 5 |
| 3714.31 | 4734.86 | Premiums received in advance फुटकर लेनदार / Sundry creditors | 6 |
| 1618697.68 | 672330.99 | सहायक / नियंत्रक कंपनी को देय | 7 |
| 0.00 | 0.00 | Due to subsidiaries/holding company | 0 |
| 1038808.76 | 1013557.69 | बकाया दार्चे / Claims Outstanding | 8 |
| 42536.04 | 82956.46 | देय वार्षिकियाँ / Annuities Due | 9 |
| 0.00 | 0.00 | बैंक शेष / Bank Balances | 10 |
| 0.00 | 0.00 | अधिकारियों / निदेशको की देय Due to Officers/Directors | 11 |
| | | अन्य / Others | 12 |
| 966943.22 | 1261070.07 | कर्मचारी भविष्य तथा पेन्शन के न्यासियों को देय राशियाँ Amounts due to trustees of staff provident & pension fund | क a |
| 155125.60 | 155213.03 | बकाया कमीशन Outstanding Commission | ख b |
| | | प्रीमियम तथा अन्य जमा राशियाँ | ग |
| 143681.81 | 113304.03 | Premium and other deposits बकाया अस्वामिक राशि / जमा | c घ |
| 1603281.73 | 1727696.05 | Outstanding unclaimed amounts/deposits | d |
| 246205.37 | 289715.74 | वेदावा राशियों पर अर्जित व्याज Interest Accured on Unclaimed amounts | ङ e |
| 240200.01 | 2037 13.74 | प्राप्त प्रीमियम जिनका आवंटन नही हुआ | ट च |
| 4920.15 | 10248.67 | Premium received but not allocated | f |
| 172025.01 | 178172.50 | जी एस टी दायित्व GST Liability | छ g |
| (2383.75) | (2563.85) | पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय चालू खाता Capital Redemption (including annuity certain) business current account | ज h |
| 35662.39 | 40562.78 | वरिष्ठ पेन्शन बीमा योजना चालू खाता (161) Varishtha Pension Bima Yojana Current account (161) | झ i |
| | | वरिष्ठ पेन्शन बीमा योजना चालू खाता (828) | न |
| 4228.49 | 7028.87 | Varishtha Pension Bima Yojana Current account (828) पी.एम. वी.वी.वाय. चालू खाता (842) | j प |
| 14933.07 | 2060.00 | Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (842) | k |
| 59514.82 | 71693.72 | पी.एम. वी.वी.वाय. चालू खाता (842 नया) Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (842 New) | फ । |
| 09314.02 | 71095.72 | सामाजिक सुरक्षा निधि चालू खाता | ब |
| (29158.13) | 4.26 | Social Security Fund Current account | m |
| (0.30) | - | आम आदमी बीमा योजना छात्र वृद्धि चालू खाता Aam Aadmi Bima Yojna Scholarship Current account | भ n |
| 747077.00 | 244.24 | संबद्ध व्यवसाय चालू खाता | म |
| 717677.20 | 211.31 | Linked Business Current account छात्रवृत्ति निधि विपरीत खाते | o य |
| - | 4.70 | Schölarship Fund Contra Accounts | р |
| - | - | पी.एम.जे.डी.वाय. चालू खाता Pradhan Mantri Jan - Dhan Yojana (PMJDY) current account | र q |
| | | प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम) चालू खाता | ल |
| (209.50) | (96.93) | Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan (PMSYM) Current Account प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PMKMDY) चालू खाता | r ਕ |
| (47.48) | (17.83) | प्रधानमंत्रा किसान मान-धन योजना (PMKMDY) चालू खाता Pradhan Mantri Kisan Maan- Dhan Yojana (PMKMDY) Current account प्रधानमंत्री लघु व्यापार मान-धन योजना (PMLVMDY) चालू खाता | व s स |
| (4.39) | (3.12) | Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan-Dhan Yojana (PMLVMDY) current account प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) चालू खाता (856) | t |
| (1650.77) | 3834.93 | प्रधान मत्रा वय वदना याजना (पाएमवावावाइ) चालू खाता (४७७) Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (856) | श u |
| 6791017.85 | 5630154.39 | कुल / Total | |
| 6752167.33 | 5466322.44 | भारत में /In India | |
| 38850.52 | 163831.95 | भारत के बाहर / Out of India | |
| 6791017.85 | 5630154.39 | কুল / Total | |





अनुसूची – 14 प्रावधान SCHEDULE - 14 PROVISIONS

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
|--|--|--|
| ¹ कराधान के लिए (घटाइए भुगतान एवं स्रोत पर कर कटौती) For taxation (less payments and taxes | 0.00 | 0.00 |
| deducted at source) | | |
| प्रस्तावित लाभांश के लिए (5% मूल्यन अधिशेष) For proposed dividends (5% Valuation Surplus) | 0.00 | 0.00 |
| ³ लाभांश वितरण कर के लिए For dividend distribution tax | 0.00 | 0.00 |
| पॉलिसीधारकों को देय बोनस | | |
| Bonus payable to the policyholders | 0.00 | 0.00 |
| ⁴ अन्य Others | | |
| शोधक्षमता सीमा के लिए आरक्षण का प्रावधान Provision for reserve for solvency margin | 1494305.60 | 1494305.60 |
| कुल Total | 1494305.60 | 1494305.60 |
| भारत में | | |
| In India | 1494305.60 | 1494305.60 |
| भारत के बाहर Out of India | 0.00 | 0.00 |
| कुल Total | 1494305.60 | 1494305.60 |
| Iotai | 1494305.00 | 1494305.00 |

अनुसूची - 15 SCHEDULE - 15 विविध व्यय (जो बट्टे खाते में न डाले गए हो या सामायोजित न किए गए हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (To the extent not written off or adjusted)

| विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
|--|--|--|
| 1 शेयर / ऋण-पत्र जारी करने में अनुमत छूट Discount Allowed in issue of shares/debentures | 0.00 | 0.00 |
| ² अन्य Others | 0.00 | 0.00 |
| कुल Total | 0.00 | 0.00 |
| भारत मे In India | 0.00 | 0.00 |
| भारत के बाहर Outside India | 0.00 | 0.00 |
| कुल Total | 0.00 | 0.00 |





अनुसूची 15 A: स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले प्रकटीकरण

(A) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

निगम की जानकारी

भारतीय जीवन बीमा निगम ("निगम") 1 सितंबर, 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 ('शासी अधिनियम') के तहत स्थापित एक वैधानिक निगम है जो भारत में और भारत के बाहर जीवन बीमा के व्यवसाय से जुड़ा है। निगम शासी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित है; यह भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), पंजीकरण संख्या 512 दिनांक 01.01.2001 के साथ भी पंजीकृत है और IRDA अधिनियम, 1999 के यथा संशोधित प्रावधानों और अंतर्निहित विनियमनों के अधीन है, और जो शासी अधिनियम से असंगत नहीं है। निगम व्यक्तिगत और समूह बीमा समाधानों की एक श्रृंखला प्रदान करता है जिसमें व्यवसायों की सहभागी, गैर सहभागी और सम्बध्द लाइन शामिल हैं। पोर्टफोलियो में विभिन्न बीमा और निवेश उत्पाद जैसे सुरक्षा, पेंशन, बचत, निवेश, वार्षिकी, स्वास्थ्य और परिवर्तनीय व्यवसाय शामिल हैं। निगम के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) (17 मई, 2022 से प्रभावी) में सूचीबद्ध हैं।

1. तैयारी का आधारः

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए गए हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, मूलभूत लेखांकन मान्यताओं, निरंतरता और प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किया गया है। निगम की लेखांकन और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं (भारतीय जीएएपी), जिसमें निम्न शामिल हैं; जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (संशोधित) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंड और दिशानिर्देश, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरण तैयार करना और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) विनियम, 2002 (वित्तीय विवरण विनियम), वित्तीय विवरण तैयार करने और जीवन बीमा व्यवसाय के रिटर्न दाखिल करने पर परिपन्न संदर्भ संख्या IRDA/F&A/Cir/232/12/2013 दिनांक 11 दिसंबर 2013 (मास्टर परिपन्न) और IRDAI द्वारा समय—समय पर जारी अन्य परिपन्न बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधान, यथा संशोधित और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुपालन में, और उसमें किए गए संशोधनों और नियमों के अनुसार, लागू सीमा तक।

2. अनुमानों का उपयोगः

वित्तीय विवरणों की तैयारी भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुरूप है, जिसके लिए प्रबंधन को अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो वर्ष के लिए आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा, वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार और परिसंपित्तयों और दायित्वों की रिपोर्ट की शेष राशि और आकस्मिक परिसंपित्त से संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। संलग्न वित्तीय विवरणों में उपयोग किए गए अनुमान और धारणाएं वित्तीय विवरणों की तारीख तक और उसके अनुसार प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को संभावित रूप से हिसाब में लिया जाता है।

3. राजस्व मान्यताः

प्रीमियम आय:-

- क) प्रीमियम को देय होने पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके लिए अनुग्रह अवधि समाप्त नहीं हुई है और पिछली किश्तों का भुगतान किया गया है। संबध्द व्यवसाय के मामले में, भुगतान की नियत तारीख को उस तारीख के रूप में लिया जाता है जब संबद्ध इकाइयां सृजित की जाती हैं।
- ख) संबद्ध निधि से होने वाली आय जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रशासन प्रभार, मृत्युदर शुल्क आदि शामिल हैं, को सबंध्द निधि से नियम और शर्तों के अनुसार वसूल किया जाता है और देय होने पर मान्यता दी जाती है।
- ग) पुनर्बीमा पर दिए गए प्रीमियम का लेखा पुनर्बीमा संधि की शर्तों या पुनर्बीमाकर्ता के साथ सैद्धांतिक व्यवस्था के अनुसार किया जाता है।

निवेश से आय:-

- घ) सभी सरकारी प्रतिभूतियों, ऋण प्रतिभूतियों ऋण सहित, डिबेंचर और बांड, पास थ्रू प्रमाणपत्र, बंधक ऋण के संबंध में ब्याज आय को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व खाते में क्रेडिट किया जाता है।
- ङ) द्वितीयक बाजार से सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के संबंध में, खंडित अवधि के लिए ब्याज का भुगतान/ नकद आधार पर प्राप्त किया जाता है।
- च) ब्याज, लाभांश, किराया आदि का सकल मूल्य (आयकर की कटौती से पहले) पर हिसाब लगाया जाता है





SCHEDULE 15 A: DISCLOSURES FORMING PART OF THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

(A) SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

Corporate Information

Life Insurance corporation of India ("Corporation") is a statutory corporation established on 1st September, 1956 under the Life Insurance Corporation Act, 1956 ('Governing Act') engaged in the business of Life Insurance in and outside India. Corporation is governed by provisions of the governing Act; it is also registered with the Insurance Regulatory and Development Authority of India ('IRDAI'), Registration No. 512 dated 01.01.2001 and is subject to such provisions of IRDA Act, 1999 as amended and regulations there under which are not inconsistent with the governing Act. The Corporation offers a range of individual and group insurance solutions including participating, non-participating and unit linked lines of businesses. The portfolio comprises of various insurance and investment products such as Protection, Pension, Savings, Investment, Annuity, Health and Variable. The equity shares of the Corporation are listed on National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) (w.e.f. 17th May, 2022).

1. Basis of Preparation:

The Financial Statements have been prepared under the historical cost convention, with fundamental accounting assumptions of going concern, consistency and accrual basis, unless otherwise stated. The accounting and reporting policies of the Corporation conform to accounting principles generally accepted in India (Indian GAAP), comprising regulatory norms and guidelines prescribed by the Life Insurance Corporation Act, 1956 (as amended), the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 ("the Financial Statements Regulations"), the Master Circular on Preparation of Financial Statements and Filing of Returns of Life Insurance Business Ref No. IRDA/F&A/Cir/232/12/2013 dated December 11 2013 ("the Master Circular") and other circulars issued by the IRDAI from time to time, provisions of the Insurance Act, 1938 as amended and in compliance with the Accounting Standards and in compliance with the Accounting Standards notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 and amendments and rules made thereto, to the extent applicable.

2. Use of Estimates:

The preparation of Financial Statements is in conformity with generally accepted accounting principles in India (Indian GAAP), which requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of income and expenses for the year, reported balances of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities as on the date of the Financial Statements. The estimates and assumptions used in the accompanying Financial Statements are based upon management's evaluation of the relevant facts and circumstances up to and as on the date of the Financial Statements. Actual results may differ from the estimates. Any revision to the accounting estimates is accounted for prospectively.

3. Revenue Recognition:

Premium Income:-

- a) Premiums are recognized as income when due, for which grace period has not expired and the previous installments have been paid. In case of Linked Business, the due date for payment is taken as the date when the associated units are created.
- b) Income from linked funds which includes fund management charges, policy administration charges, mortality charges, etc. are recovered from linked fund in accordance with terms and conditions and recognized when due.
- c) Premium ceded on re-insurance is accounted in accordance with the terms of the re-insurance treaty or inprinciple arrangement with the re-insurer.

Investment Income:-

- d) Interest income in respect of all government securities, debt securities including loans, debentures and bonds, Pass Through Certificate (PTC), mortgage loans is taken credit to the Revenue Account as per the guidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority.
- e) In respect of purchase or sale of Government and other approved securities from secondary market, interest for the broken period is paid / received on cash basis.
- f) Interest, Dividend, Rent, etc. are accounted at gross value (before deduction of Income Tax)





- छ) ऋण, डिबेंचर और बांड के संबंध में, तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार अर्जित ब्याज की गणना ऋण दस्तावेज़ / सूचना ज्ञापन या ऐसे अन्य दस्तावेज़ में उल्लिखित साधारण ब्याज की गणना की विधि के अनुसार की जाती है। सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और बंधक ऋणों के संबंध में, तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार अर्जित ब्याज की गणना वर्ष में 360 दिनों के आधार पर की जाती है।
- ज) प्रतिभूतियों/ इक्विटी/ म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ या हानि को बिक्री के वर्ष में ही राजस्व में लिया जाता है।
- झ) उद्धृत इक्विटी पर लाभांश जहां इसे प्राप्त करने का अधिकार 31 मार्च (यानी कंपनी द्वारा घोषित लाभांश) को या उससे पहले देय हो गया है, इसे बाद में प्राप्त आय के रूप में लिया जाता है। गैर—उद्धृत इक्विटी पर लाभांश केवल प्राप्ति पर आय के रूप में लिया जाता है।
- ञ) पॉलिसी ऋणों पर ब्याज का हिसाब बीमांकिक के आधार पर किया जाता है।
- त) किराये की आय को आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब वह देय होता है और किराया / लाइसेंस शुल्क जो 6 महीने से अधिक के लिए बकाया है, को आय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। अपफ्रंट प्रीमियम का लेखा नकद आधार पर किया जाता है।
- थ) अधिमानी शेयरों/म्यूचुअल फंड पर लाभांश केवल प्राप्ति पर आय के रूप में लिया जाता है।
- द) डिबेंचर/बांड की खरीद पर आवेदन राशि पर ब्याज को नकद आधार पर आय के रूप मे लिया जाता है।
- ध) उद्यम पूंजी निवेश पर आय का लेखा नकद आधार पर किया जाता है।
- न) जीरो कूपन बांड से होने वाली आय को बीमांकिक आधार पर लेखे में लिया जाता है।
- प) तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार एनपीए पर बकाया ब्याज, ब्याज सस्पेंस के रूप में प्रदान किया जाता है।
- फ) मोचन/परिपक्वता पर प्रीमियम को मोचन/परिपक्वता पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है
- ब) प्रसंस्करण शुल्क प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

अधिग्रहण लागतें:

अधिग्रहण लागत उस अवधि में दिखाई जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं। अधिग्रहण लागत वे लागतें हैं जो अलग—अलग होती हैं और मुख्य रूप से नए और नवीकरण बीमा अनुबंधों के अधिग्रहण से संबंधित होती हैं।

5. भुगतान किया गया लाभः

- क) 🛮 दावा लागत में पॉलिसी लाभ राशि और दावा निपटान लागत, जहां भी लागू हो, शामिल होते हैं।
- ख) दावे की मान्यता की तिथि पॉलिसी धारक द्वारा मृत्यु या समर्पण की सूचना प्राप्त होने की तिथि होगी। परिपक्वता, उत्तरजीविता लाभ, वार्षिकी आदि के मामले में दावों की मान्यता की तिथि पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार होगी।
- ग) न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष विवादित अस्वीकृत दावों को प्रबंधन विवेक के आधार पर आकस्मिक दायित्व माना जाता है
- घ) उन अस्वीकृत दावों से संबंधित विवादित कानूनी मामलों के लिए प्रावधान किया गया है जहां एलआईसी द्वारा दायर अपील/रिट/ संशोधन लंबित रहने तक एलआईसी के खिलाफ फोरम/ कोर्ट द्वारा दी गई संपूर्ण राशि की सीमा तक लोअर फोरम/ कोर्ट द्वारा निगम के खिलाफ निर्णय दिया जाता है।

निवेश:

क] असंबद्ध व्यवसाय

- क) सरकारी प्रतिभूतियों और प्रतिदेय अधिमानी शेयरों सहित ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और मूल्य का खुलासा ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है, जो परिशोधन के अधीन होता है:
 - (i) सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियां, जहां बही मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है, प्रीमियम को होल्डिंग/परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाएगा। जहां अंकित मूल्य बही मूल्य से अधिक होता है, छूट को परिपक्वता पर हिसाब में लिया जाता है।
 - (ii) सूचीबद्ध रिडीमेबल अधिमानी शेयर, जहां बुक वैल्यू अंकित मूल्य से अधिक है, प्रीमियम को होल्डिंग/मैच्योरिटी की बैलेंस अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है और यदि अंतिम उद्धृत मूल्य (मूल्यांकन की तारीख से 30 दिन पहले नहीं) परिशोधन से अधिक है तो परिशोधन लागत पर मूल्यांकित किया जाता है लागत।
 - गैर—सूचीबद्ध रिडीमेबल अधिमानी शेयर जहां बुक वैल्यू अंकित मूल्य से अधिक है, प्रीमियम को होल्डिंग/मैच्योरिटी की शेष अविध के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है और परिशोधन लागत कम करने के लिए प्रावधान कम किया जाता है।



- g) In respect of loans, debentures and bonds, accrued interest as at the date of the balance sheet is calculated as per method of calculation of simple interest mentioned in the loan document/information memorandum or such other document. In respect of Government and other approved securities and mortgage loans, accrued interest as at the date of balance sheet is calculated based on 360 days a year.
- h) Profit or Loss on sale of Securities/Equities/ Mutual Fund is taken to Revenue only in the year of sale.
- i) Dividend on quoted equity where right to receive the same has fallen due on or before 31st March (i.e. dividend declared by the company) is taken as income though received subsequently. Dividend on unquoted equity is taken as income only on receipt.
- j) Interest on policy loans is accounted for on accrual basis.
- k) Rental income is recognized as income when due and rent/license fees which is in arrear for more than 6 months is not recognized as income. Upfront premium is accounted on cash basis.
- I) Dividend on Preference shares/Mutual Fund is taken as income only on receipt.
- m) Interest on application Money on purchase of debentures/bonds is accounted on cash basis.
- n) Income on venture capital investment is accounted on cash basis.
- o) Income from zero coupon bonds is accounted on accrual basis.
- p) Outstanding interest on NPA's as at balance sheet date is provided as interest suspense.
- q) Premium on redemption/maturity is recognized as income on redemption/maturity
- r) Processing fee is accounted on receipt basis.

4. Acquisition Costs:

Acquisition Costs are expensed in the period in which they are incurred. Acquisition costs are those costs that vary with and are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance contracts.

5. Benefits Paid:

- a) Claims costs consist of the policy benefit amount and claims settlement costs, wherever applicable.
- b) The date of recognition of claim shall be the date of receipt of intimation of death or surrender by the policy holder. The date of recognition of claims in case of Maturity, Survival benefits, Annuity etc. shall be as per the terms and condition of the policies.
- c) Repudiated claims disputed before judicial authorities are treated as contingent liability based on management prudence
- d) The provision is made for disputed legal cases pertaining to repudiated claims where decision is given against the Corporation by Lower Forum/Court to the extent of entire amount awarded by the Forum/Court against LIC, pending the Appeal/Writ/Revision filed by LIC.

6. Investments:

A] Non Linked Business

- a) Debt Securities including Government Securities and Redeemable Preference Shares are considered as 'held to maturity' and the value is disclosed at historical cost subject to amortization as follows:
 - (i) Debt Securities including Government Securities, where the book value is more than the face value, the premium will be amortized on straight line basis over the balance period of holding/maturity. Where face value is greater than book value, discount is accounted on maturity.
 - (ii) Listed Redeemable Preference Shares, where the book value is more than the face value, the premium is amortized on a straight line basis over the balance period of holding/maturity and are valued at amortised cost if last quoted price (not later than 30 days prior to valuation date), is higher than amortised cost. Provision for diminution is made if market value is lower than amortised cost.
 - Unlisted Redeemable Preference Shares where the book value is more than the face value, the premium is amortised on a straight line basis over the balance period of holding/maturity and are valued at amortised cost less provision for diminution.





सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों को बुक वैल्यू पर मूल्यांकित किया जाता है यदि अंतिम उद्धृत मूल्य (मूल्यांकन तिथि से 30 दिन पहले नहीं), बुक वैल्यू से अधिक है। यदि अंतिम उद्धृत मूल्य कम है, तो इसका मूल्यह्रास के प्रावधान को घटाकर बही मूल्य पर किया जाता है।

असूचीबद्ध अप्रतिदेय अधिमानी शेयरों का मूल्यह्रास के प्रावधान को घटाकर बुक वैल्यू पर किया जाता है।

- ख) सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का सक्रिय बाजारों में कारोबार होता है, जिन्हें तुलन-पत्र की तारीख पर उचित मूल्य पर मापा जाता है और इक्विटी प्रतिभूतियों की अग्रणीत राशि में परिवर्तन को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है।
- ग) गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों और कम कारोबार वाली इक्विटी प्रतिभूतियों को ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के प्रावधान को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है। इस तरह की कमी का आकलन और हिसाब निगम की हानि नीति के अनुसार किया जाता है। सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित म्युचुअल फंडों को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार एक सुरक्षा को कम कारोबार के रूप में माना जाएगा।
- घ) द्वितीयक बाजार से इक्विटी शेयरों और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को छोड़कर सभी निवेशों का हिसाब नकद आधार पर किया जाता है
- ङ) निवेश संपत्तियों के मूल्य का खुलासा पुनर्मूल्यांकन राशि पर किया जाता है और निवेश संपत्ति की अग्रणीत राशि में परिवर्तन को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में ले जाया जाता है। निवेश संपत्ति का हर तीन साल में कम से कम एक बार पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के लिए अपनाया गया आधार निम्नानुसार है:—
 - (i) निवेश संपत्ति का मूल्यांकन बाजार के किराए पर विचार करते हुए रेंट कैपिटलाइज़ेशन विधि द्वारा किया जाता है।
 - ii) बिना किसी भवन/ संरचना के अकेले भूमि वाली निवेश संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।
- च) म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) निवेश का मूल्यांकन तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार उचित मूल्य के आधार पर किया जाता है और म्यूचुअल फंड/ ईटीएफ की अग्रणीत राशि में परिवर्तन को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है।
- छ) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश का खुलासा लागत पर किया जाता है।
- ज) वेंचर फंड/ वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, जहां एनएवी बुक वैल्यू से अधिक होता है। जहां कहीं भी एनएवी बुक वैल्यू से कम होती है, वहां अंतर को ह्रास के रूप में हिसाब में लिया जाता है।
- झ) मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को बुक वैल्यू पर मापा जाता है।

ब] संबद्ध व्यवसायः

प्रतिभृतियों का मूल्यांकन समय-समय पर जारी आईआरडीएआई के निर्देशों के अनुसार होता है।

7. ऋण:

हानि प्रावधानों के अधीन ऋणों को ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है।

अचल सम्पत्तिः

- क) अचल संपत्तियों के मूल्य मूल्यहास घटाकर लागत (करों सहित) पर बताए गए हैं।
- ख) निर्माणाधीन संपत्ति और कब्जे में ली गई संपत्तियों के लिए भुगतान की गई राशि, लंबित दस्तावेज, 'गृह संपत्ति एवं भूमि' के तहत गिना जाता है।

9. मूल्यह्रास / परिशोधनः

अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास / परिशोधन प्रबंधन द्वारा अनुमानित संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी—रेखा पद्धित का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई संपत्ति के लिए मासिक आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। व्यक्तिगत रूप से 5000 रुपये तक की लागत वाली संपत्ति, कम मूल्य की संपत्ति होने के कारण खरीद के वर्ष में राजस्व खाते में पूरा व्यय के रूप में लिया जाता है। प्रबंधन द्वारा किए गए उपयोगी जीवन मूल्यांकन के आधार पर मूल्यह्रास की दरें इस प्रकार हैं: —



Listed Irredeemable Preference Shares are valued at book value if last quoted price (not later than 30 days prior to valuation date), is higher than book value. In case last quoted price is lower, it is valued at book value less provision for diminution.

Unlisted Irredeemable Preference Shares are valued at book value less provision for diminution.

- b) Listed equity securities that are traded in active Markets are measured at fair value on Balance Sheet date and the change in the carrying amount of equity securities is taken to Fair Value Change Account.
- c) Unlisted equity securities and thinly traded equity securities are measured at historical cost less provision for diminution in the value of such investments. Such diminution is assessed and accounted for in accordance with the Impairment Policy of the Corporation. A security shall be considered as being thinly traded as per quidelines governing mutual funds laid down from time to time by SEBI.
- d) All Investments are accounted on cash basis except for purchase or sale of equity shares & government securities from the secondary market
- e) The value of Investment Properties is disclosed at the Revalued amounts and the change in the carrying amount of the investment property is taken to Revaluation Reserve. Investment property is revalued at least once in every three years. The basis adopted for revaluation of property is as under:-
 - (i) The valuation of investment property is carried out by Rent Capitalization Method considering the market rent.
 - (ii) Investment properties having land alone without any building/structure is revalued as per current market value.
- f) Mutual fund and Exchange Traded Fund (ETF) investments are valued on fair value basis as at the Balance Sheet date and the change in the carrying amount of mutual fund /ETF is taken to Fair Value Change Account.
- q) Investments in subsidiary companies, joint ventures and associates are disclosed at cost.
- h) Investment in venture fund / Alternative Investment Fund (AIF) is valued at cost wherever NAV is greater than the Book Value. Wherever NAV is lower than Book value the difference is accounted as diminution.
- i) Money Market Instruments are measured at book value.

B] Linked Business:

Valuation of Securities is in accordance with IRDAI directives issued from time to time

7. Loans:

Loans are measured at historical cost subject to impairment provisions.

8. Fixed Assets:

- a) Values of the fixed assets are stated at cost (inclusive of taxes) less depreciation.
- b) Property under construction and amounts paid for the properties taken in possession, pending documentation, are accounted under 'House Property and Land'.

9. Depreciation/Amortisation:

Depreciation /amortisation on fixed assets is provided using the straight-line method, based on useful lives of assets as estimated by the management. Depreciation is charged on monthly pro-rata basis for assets purchased/ sold during the year. Assets individually costing up to Rs. 5000 being low value assets are fully charged to revenue in the year of purchase. Based on useful life evaluation carried out by the management, the rates of depreciation are as follows:-





अचल संपत्तियों पर लगाए गए मूल्यह्रास की दरें:

| क्रमांक | परिसंपत्ति | मूल्यहास की दर |
|-------------|--|---------------------------------|
| क | फर्नीचर एवं फिटिंग्स | |
| 1 | फर्नीचर एवं फिटिंग्स | 10% |
| 2 | रेफ्रिजरेटर और वाटर कूलर आदि। | 13.91% |
| 3 | किराए के परिसर में बिजली फिटिंग और छत के पंखे | 10% |
| 4 | किराए/ स्वामित्व वाले परिसर में पंखे (टेबल/पेडेस्टल) | 10% |
| ख | सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण | |
| 1 | इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर/माइक्रोप्रोसेसर प्रिंटर | 30% |
| 2 | माइक्रोप्रोसेसरों के लिए सॉफ्टवेयर | 30% |
| 3 | कार्ट्रिज टेप, कार्ट्रिज डिस्क | 30% |
| ग | वाहन | |
| 1 | साइकिल | 15% |
| 2 | मोबाइल प्रचार वाहन | 20% |
| 3 | स्टाफ कारें | 20% |
| 4 | जीप | 20% |
| 5 | कार्यालय कारें— योजना VI | 20% |
| घ | कार्यालय उपकरण | |
| 1 | कैंटीन उपकरण | 10% |
| 2 | लेखा मशीन | 30% |
| 3 | एड्रेसोग्राफ, एड्रेमा और ब्रेडमा मशीन आदि। | 10% |
| 4 | टाइपराइटर | 10% |
| 5 | अनुलिपित्र | 20% |
| 6 | • | 10% |
| 7 | ्रैंकिंग मशीनें | 10% |
| 8 | तुला मशीन | 10% |
| 9 | कॉम्पटोमीटर, मशीन जोड़ना और गणना करना | 20% |
| | अन्य | |
| 1 | टेलीफोन | 10% |
| 2 | फैक्स/ ई पी बी एक्स | 10% |
| 3 | मोबाइल फोन और अन्य संचार उपकरण | 30% |
| 4 | ुस्तकालय पुस्तकें | 20% |
| 5 | विविध पूंजी उपकरण | 10% |
| 6 | श्रव्य दृश्य और अन्य संबद्ध उपकरण | 30% |
| 7 | नियॉन साइन्स, ग्लो साइन्स, होर्डिंग्स और अन्य प्रचार सामग्री | 20% |
| 8 | 5000/ — से अधिक लागत वाले इंजीनियरिंग विभाग के उपकरण | 12.50% |
| 9 | वोल्टेज स्टेबलाइजर्स और यूपीएस | 30% |
| 10 | किराए के परिसर में जेनरेटर, डीजी सेट | 30% |
| | भूमि और भवन | |
| 1 | गृह संपत्ति और भूमि (बंधन मुक्त) | 2% |
| 2 | गृह संपत्ति और भूमि (पट्टे पर) | लीज की अवधि में अनुपातिक रूप से |
| 3 | सहकारी समितियों में खरीदे गए स्वामित्व फ्लैट | 2% |
| 4 | घरेलू संपत्ति में विद्युत प्रतिष्ठान, पंखे, लिफ्ट और जनरेटर मुक्त कब्ज़ा (बंधन मुक्त) और पट्टे पर (बंधक) | 10% |
| | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | |





Rates of Depreciation charged on Fixed Assets:

| Sr. No. | Asset | Rate of Depreciation |
|---------|---|--------------------------------|
| Α | Furniture and fittings | |
| 1 | Furniture and fittings | 10% |
| 2 | Refrigerators and water coolers, etc. | 13.91% |
| 3 | Electric fittings and ceiling fans in rented premises | 10% |
| 4 | Fans (table/pedestal) in rented/ Owned premises | 10% |
| В | Information Technology Equipment | |
| 1 | Electronic Computers/microprocessors Printers | 30% |
| 2 | Software for microprocessors | 30% |
| 3 | Cartridge tapes, cartridge discs | 30% |
| С | Vehicles | |
| 1 | Cycles | 15% |
| 2 | Mobile Publicity Vans | 20% |
| 3 | Staff Cars | 20% |
| 4 | Jeeps | 20% |
| 5 | Office Cars- Scheme VI | 20% |
| D | Office Equipment | |
| 1 | Canteen Equipment | 10% |
| 2 | Accounting machines | 30% |
| 3 | Addressograph, Adrema and Bradma Machines etc. | 10% |
| 4 | Typewriters | 10% |
| 5 | Duplicators | 20% |
| 6 | Cheque Writers | 10% |
| 7 | Franking machines | 10% |
| 8 | Weighing Machines | 10% |
| 9 | Comptometers, adding and calculating Machines | 20% |
| E | Others | |
| 1 | Telephones | 10% |
| 2 | Fax/Epabx | 10% |
| 3 | Mobile phones and other communication equipment | 30% |
| 4 | Library Books | 20% |
| 5 | Miscellaneous Capital Equipment | 10% |
| 6 | Audio Visual & other Allied equipment | 30% |
| 7 | Neon signs, Glow signs, Hoardings and other publicity materials | 20% |
| 8 | Engineering Department's equipment costing over ₹ 5000/- | 12.50% |
| 9 | Voltage stabilizers and UPS | 30% |
| 10 | Generators, DG sets in rented premises | 30% |
| F | Land and Building | |
| 1 | House Property and Land (Freehold) | 2% |
| 2 | House Property and Land (Leasehold) | Pro rata based on lease period |
| 3 | Ownership Flats purchased in Co-op Societies | 2% |
| 4 | Electrical Installations, fans, lifts and generators in House Property(Freehold & Leasehold) | 10% |





10. परिसंपत्ति की क्षति:

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख में परिसंपत्तियों के वहन मूल्यों की क्षित के लिए समीक्षा की जाती है। यदि इस तरह की क्षित का कोई संकेत मौजूद है, तो उन परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और जहां भी आवश्यक हो, हानि की पहचान की जाती है। जब भी घटनाएँ या परिस्थितियों में परिवर्तन आश्वस्त करता है कि संपत्ति की अग्रणीत राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है, तो हानि के लिए परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है। यदि ऐसी परिसंपत्तियों को बिगड़ा हुआ माना जाता है, तो पहचान की जाने वाली हानि को उस राशि से मापा जाता है जिसके द्वारा परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि संपत्ति के अनुमानित वर्तमान वसूली योग्य मूल्य या उपयोग में मूल्य से अधिक हो जाती है।

निगम की हानि नीति के अनुसार असूचीबद्ध/ कम कारोबार वाले इक्विटी शेयरों, अधिमानी शेयरों और संबद्ध निवेशों के तहत इक्विटी के लिए हानि का आकलन और हिसाब किया गया।

11. जीवन नीतियों के लिए दायित्व:

पॉलिसीधारकों के प्रति देयताएं निगम के जीवन बीमा व्यवसाय की वार्षिक जांच के अनुसार निगम के नियुक्त बीमांकक द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

12. विदेशी मुद्रा संव्यवहारः

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा में मौद्रिक मदों, यदि कोई हो, का वर्ष के अंत की समाप्ति दरों पर रूपांतरित किया जाता है। निपटान/अनुवाद पर होने वाले परिणामी विनिमय लाभ या हानि को लागू होने वाले राजस्व या लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

- क) विदेशी व्यापार से संबंधित लाइफ फंड को संबंधित देशों के वैधानिक नियमों के अनुसार निवेश किया गया है।
- ख) वर्ष के अंत में विदेशों में शाखाओं के वित्तीय विवरण स्थानीय कानूनों के अनुसार तैयार किए जाते हैं और सुवा (फिजी) शाखा को छोड़कर विनिमय की उचित दरों पर रूपांतरण किया जाता है, जिसके लिए वित्तीय से उचित दरों पर रूपांतरण किया जाता है, क्योंकि शाखा के खाते कैलेंडर वर्ष के आधार पर तैयार किए जाते हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक का विवरण।
- ग) ऐसे रूपांतरणों पर उत्पन्न होने वाले विनिमय लाभ या हानियों को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें वे राजस्व खाते में उत्पन्न होते हैं।
- घ) फिजी, मॉरीशस और यू.के. में किए गए संचालन गैर—अभिन्न प्रकृति के हैं। राजस्व खाता मदों को औसत विनिमय दर और तुलन-पत्र मदों को समापन दर पर अनुवादित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन विनिमय अंतर शेयरधारकों या पॉलिसीधारकों के खाते के तहत विदेशी मुद्रा में उतार—चढ़ाव रिजर्व में जमा होता है जैसा भी मामला हो।
- ङ) भारत से भेजे गए प्रेषणों द्वारा भारत के बाहर किए गए निवेशों को मूल रुपये की लागत पर या जल्द से जल्द दर्ज की गई रुपये की लागत पर हिसाब किया जाता है, जहां मूल लागत उपलब्ध नहीं होती है।

13. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान:

- क) गृह संपत्ति पर ऋण, डिबेंचर और बांड और बंधक ऋण का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति को वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर वर्गीकृत किया गया है:
 - i) मानक
 - ii) उप-मानक
 - iii) संदिग्ध और
 - iv) हानि परिसंपत्तियाँ

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा बीमा कंपनियों को जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार।

ख) गैर—निष्पादित ऋण, डिबेंचर और बॉन्ड और हाउस प्रॉपर्टी के खिलाफ बंधक ऋण का प्रावधान भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।





10. Impairment of assets:

The carrying values of assets at each Balance Sheet date are reviewed for impairment. If any indication of such impairment exists, the recoverable amounts of those assets are estimated and impairment is recognized, wherever necessary.

Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use.

The impairment for unlisted/thinly traded equity shares, preference shares and equity under affiliated investments as assessed and accounted for in accordance with the Impairment Policy of the Corporation.

11. Liability for Life Policies:

The liabilities towards Policyholders are determined by the Corporation's Appointed Actuary pursuant to his annual investigation of the Corporation's life insurance business.

12. Foreign Currency Transactions:

Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. Monetary items in foreign currency, if any, are translated at the year-end closing rates. The resultant exchange gain or loss arising on settlement/translation is recognized in the Revenue or Profit and Loss Account as applicable.

- a) Life Fund relating to foreign business has been invested according to the statutory regulations of the respective countries.
- b) Financial Statements of branches in foreign countries as at the year end are prepared in accordance with local laws and are translated at appropriate rates of exchange except for Suva (Fiji) branch, for which the conversion is done at appropriate rates, from the financial statement as at 31st December, each year, since the accounts of the branch are prepared on calendar year basis.
- c) Exchange gains or losses arising on such conversions are recognised in the period in which they arise in the Revenue Account.
- d) Operations carried out in Fiji, Mauritius and U.K. are of non integral nature. The Revenue A/c items are translated at the average exchange rate and Balance Sheet items at closing rate. Revaluation Exchange difference is accumulated in Foreign Exchange fluctuation Reserve under shareholders or policyholders account as the case may be.
- e) Investments made outside India by remittances sent from India are accounted for at original rupee cost or at the earliest recorded rupee cost, where original cost is not available.

13. Asset Classification and Provisioning for Non-Performing Assets:

- a) Assets representing Loans, Debentures and Bonds and Mortgage Loans against House Property are classified based on record of recovery as:
 - i) Standard
 - ii) Sub-standard
 - iii) Doubtful and
 - iv) Loss Assets

As per the guidelines issued to Insurance Companies by Insurance Regulatory and Development Authority of India.

b) Provisioning for Non-Performing loans, debentures and bonds and Mortgage Loans against House Property is made as per the guidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India.





14. कर्मचारियों को लाभ:

- क) निगम द्वारा जारी समूह ग्रेच्युटी बीमा पॉलिसी के माध्यम से कर्मचारियों को उपदान (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर) प्रदान किया जाता है और इस तरह, उसके संबंध में दायित्व, जीवन निधि का हिस्सा बनता है।
- ख) जिन कर्मचारियों ने भविष्य निधि योजना का विकल्प चुना है, उनके संबंध में जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के तहत गठित भविष्य निधि ट्रस्ट में समान अंशदान किया जाता है।
- ग) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के मामले में, योगदान तब किया जाता है जब संबंधित सेवाएं प्रदान की जाने वाली अवधि के दौरान राजस्व खाते में देय और प्रभारित किया जाता है।
 - पेंशन योजना का चयन करने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ योजना के मामले में, भविष्य निधि योजना के बदले में, निगम का योगदान भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन फंड ट्रस्ट में किया जाता है और उक्त योगदान सहित पिछले सेवा योगदान बीमांकिक गणना के आधार पर किया जाता है।
- घ) निगम द्वारा जारी सामूहिक अवकाश नकदीकरण बीमा पॉलिसी के माध्यम से सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर) प्रदान किए जाते हैं और इस प्रकार, इसके संबंध में देयता, जीवन निधि का हिस्सा बनती है।

15. प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक संपत्तियां।

कोई भी प्रावधान एक विश्वसनीय अनुमान के आधार पर किया जाता है जब यह संभव हो कि किसी दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। आकस्मिक दायित्व (पॉलिसियों के अलावा), यदि महत्वपूर्ण हैं, तो टिप्पणियों के माध्यम से प्रकट की जाती हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को पहचाना या प्रकट नहीं किया गया है।

16. प्राप्ति और भुगतान खाताः

प्राप्तियां और भुगतान खाता वित्तीय विवरण तैयार करने और जीवन बीमा व्यवसाय की विवरणियां दाखिल करने संबंधी संदर्भ संख्या IRDA/F&A/ Cir/232/12/2013 दिनांक 11 दिसंबर, 2013 के मास्टर परिपत्र के पैरा 2.2 के अनुसार प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार और रिपोर्ट किया जाता है।

17. कराधानः

- क) प्रत्यक्ष कर: आयकर का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 के प्रावधानों के साथ पहली अनुसूची में निहित नियमों और जीवन बीमा कारोबार के लिए लागू आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
- ब) अप्रत्यक्ष कर: निगम इनपुट सेवाओं पर माल और सेवा कर के क्रेडिट का दावा करता है, जिसे आउटपुट सेवाओं पर माल और सेवा कर के खिलाफ सेट किया जाता है। इनपुट सेवाओं पर माल और सेवा कर के लिए अप्रयुक्त क्रेडिट को तुलन-पत्र में 'अनुसूची 12 अग्रिम और अन्य संपत्ति' के तहत आगे बढ़ाया जाता है, जहां उपयोग की उचित निश्चितता होती है।

18. उधार लेने की लागतः

उधार लेने की लागत में ब्याज, जमा पर कमीशन/ब्रोकरेज और विदेशी मुद्रा उधारों से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर उस सीमा तक शामिल हैं, जिस हद तक उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।

19. प्रति शेयर आयः

प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ या हानि को अविध के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डायल्यूटेड आय की गणना कर के बाद शुद्ध लाभ या हानि को प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या भी जो सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे, से विभाजित करके की जाती है।





14. Benefits to employees:

- a) Gratuity to employees is provided for (on the basis of Actuarial Valuation) through a Group Gratuity Insurance Policy issued by the Corporation and as such, the liability in respect thereof, forms part of the Life Fund.
- b) In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, matching contribution is made to the Provident Fund Trust formed under Life Insurance Corporation Act 1956.
- c) In case of Defined Contribution Pension Scheme, the contributions are made when due and charged to Revenue account during the period when related services are rendered.
 - In case of Defined Benefit Plan for employees who have opted for Pension Scheme, in lieu of Provident Fund Scheme, the Corporation's contribution is made to the Pension Fund Trust, in accordance with the Pension Rules notified by the Government of India and the said contribution including past service contribution is made on the basis of Actuarial calculation.
- d) Leave Encashment Benefits on retirement are provided for (on the basis of Actuarial Valuation) through a Group Leave Encashment Insurance Policy issued by the Corporation and as such, the liability in respect thereof, forms part of the Life Fund.

15. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

A Provision is made based on a reliable estimate when it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle an obligation. Contingent liabilities (other than policies), if material, are disclosed by way of notes. Contingent assets are not recognized or disclosed in the financial statements.

16. Receipts and Payments Account:

Receipts and Payments Account is prepared and reported using the Direct Method in accordance with Para 2.2 of the Master Circular on Preparation of Financial Statements and Filing of Returns of Life Insurance Business Ref No. IRDA/F&A/Cir/232/12/2013 dated December 11 2013.

17. Taxation:

- a) Direct Tax: Provision for income tax is made in accordance with the provisions of Section 44 of the Income Tax Act, 1961 read with Rules contained in the First Schedule and other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961 as applicable for life insurance business.
- **b)** Indirect Tax: The Corporation claims credit of goods and Services tax on input services, which are set off against goods and services tax on output services.

Unutilized credits towards goods and services tax on input services are carried forward under 'Schedule 12 -Advances and Other Assets' in the Balance Sheet, wherever there is reasonable certainty of utilization.

18. Borrowing Costs:

Borrowing costs include interest, commission/brokerage on deposits and exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent they are regarded as adjustment to interest cost.

19. Earnings per share:

Basic earnings per share is computed by dividing the net profit or loss after tax attributable to equity shareholders by weighted average number of equities shares outstanding during the period. Diluted earnings per share is computed by dividing the net profit or loss after tax by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per share and also the weighted average number of equity shares that could have been issued upon conversion of all dilutive potential equity shares.





20. खंडीय रिपोर्टिंग:

क) खंडों की पहचान:

कंपनी अधिनियम 2013 और नियमों की धारा 133 के तहत अधिसूचित खंडीय रिपोर्टिंग पर लेखा मानक 17 के साथ पिठत आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियम 2002 ('विनियम') के तहत पहचाने गए प्राथिमक खंडों के आधार पर और नियम इसके तहत, निगम ने शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के लिए अलग—अलग खंडीय जानकारी को वर्गीकृत और प्रकट किया है। तदनुसार निगम ने प्राथिमक व्यवसाय खंडों के लिए राजस्व खाता और तुलन पत्र तैयार किया है अर्थात पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंडिविजुअल, पार्टिसिपेटिंग एन्युटी इंडिविजुअल, नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ (इंडिविजुअल एंड ग्रुप), नॉन पार्टिसिपेटिंग पेंशन (इंडिविजुअल एंड ग्रुप), नॉन पार्टिसिपेटिंग एन्युटी इंडिविजुअल, नॉन पार्टिसिपेटिंग वेरिएबल इंडिविजुअल, नॉन पार्टिसिपेटिंग हेल्थ इंडिविजुअल, नॉन पार्टिसिपेटिंग यूनिट लिंक्ड। निगम विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य करता है।

ख) व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में व्यय के आवंटन का आधार:

जीवन बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय को गैर—लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग,असंबद्ध गैर—भागीदारी (नॉन—लिंक्ड नॉन—पार्टिसिपेटिंग), सामान्य वार्षिकी, पेंशन, स्वास्थ्य, समूह व्यवसाय और यूनिट संबद्ध (लिंक्ड)व्यवसाय के आधार पर आवंटित किया जाता है:

- क. व्यवसाय की संबंधित लाइनों के लिए सीधे पहचाने जाने योग्य व्यय वास्तविक आधार पर व्यवसाय की इन पंक्तियों को आवंटित किए गए हैं, और
- ख. अन्य व्यय जो व्यवसाय की संबंधित लाइनों के लिए सीधे पहचाने जाने योग्य नहीं हैं, उन्हें निम्नलिखित आधार पर या इनके संयोजन के आधार पर सामान्य पूल से आवंटित किया जाता है:
 - i. पॉलिसी की संख्या
 - ii. कुल प्रीमियम आय
 - iii. आश्वस्त राशि

व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य व्यय का आवंटन निगम की अनुमोदित व्यय नीति पर आधारित है।

21. पट्टे:

- क) परिचालन पट्टाः पट्टों जहां पट्टेदार प्रभावी रूप से पट्टे की अवधि में स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टे रेंटल को स्ट्रेट—लाइन आधार पर लीज अवधि में खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।
 - जहां निगम पट्टेदार है, परिचालन पट्टों के अधीन परिसंपत्तियों को अचल संपत्तियों में शामिल किया जाता है। पट्टे की आय को राजस्व/लाभ और हानि खाते में पट्टे की अविध के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। मूल्यह्रास सहित लागतों को राजस्व / लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- ख) वित्त पट्टाः पट्टों के तहत निगम पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों को मानता है और संपत्ति के स्वामित्व के पुरस्कारों को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अधिग्रहीत ऐसी पट्टे पर दी गई संपत्ति को परिसंपत्ति के उचित मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है या पट्टे की शुरुआत में न्यूनतम पट्टा किराया भुगतान का वर्तमान मूल्य, जो भी कम हो।

22. भविष्य के विनियोगों के लिए निधि:

गैर—लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग बिजनेस के लिए, भविष्य के विनियोग खाते के लिए फंड में शेष राशि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका आवंटन, 'पॉ लिसी धारकों' या 'शेयरधारकों' में भाग लेने के लिए, तुलन-पत्र की तारीख में निर्धारित नहीं किया गया है। निधि में और से स्थानांतरण निगम के 'पॉलिसी धारकों' निधि में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक लेखा अविध में व्यय और विनियोग पर आय की अधिकता या कमी को दर्शाता है। भाग लेने वाली नीतियों के संबंध में पॉलिसीधारक को कोई भी आवंटन भी आवश्यक अनुपात में एक शेयरधारक हस्तांतरण को जन्म देगा।

यूनिट—लिंक्ड फंड में भविष्य के विनियोग के लिए फंड, अधिशेष का प्रतिनिधित्व करता है जो कि व्यपगत नीतियों से उत्पन्न हुआ है, जिन्हें पुनर्जीवित करने की संभावना नहीं है। इस अधिशेष को 'पॉलिसीधारकों' के फंड में तब तक रखना आवश्यक है जब तक कि पॉलिसीधारक अपनी पॉलिसी को पुनर्जीवित नहीं कर सकते।





20. Segmental Reporting:

a) Identification of Segments:

Based on the primary segments identified under IRDA (preparation of Financial statements and auditors' report of insurance Companies) regulations 2002 ('the regulations') read with Accounting Standard 17 on "segmental reporting" notified under section 133 of the Companies act 2013 and rules there under, the Corporation has classified and disclosed segmental information separately for shareholders and policyholders. Accordingly the Corporation has prepared the Revenue Account and the Balance Sheet for the primary business segments namely Participating Life Individual, Participating Pension Individual, Participating Annuity Individual, Non Participating Life (Individual & Group), Non Participating Pension (Individual & Group), Non Participating Unit Linked. The Corporation operates in various geographical segments.

b) Basis of allocation of expenditure to various segments of business:

Operating Expenses relating to life insurance business are allocated to Non-Linked Participating, Non-Linked Non-Participating, General Annuities, Pensions, Health, Group Business and Unit Linked Business on the basis of:

- a. Expenses which are directly identifiable to the respective lines of business have been allocated to these lines of business on actual basis, and
- b. Other expenses which are not directly identifiable to the respective lines of business are allocated out of the common pool on the following basis or a combination of these:
 - i. Number of policies
 - ii. Total premium income
 - iii. Sum assured

Allocation of common expenses among various lines of business is based on the approved expense policy of the Corporation.

21. Leases:

- a) Operating Lease: Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership over the lease term are classified as operating lease. Operating lease rentals are recognized as an expense over the lease period on a straight-line basis.
 - Where the Corporation is the lessor, Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Lease income is recognized in the Revenue/Profit and Loss Account on a straight-line basis over the lease term. Costs, including depreciation are recognised as expenses in the Revenue/Profit and Loss Account.
- b) Finance Lease: Leases under which the Corporation assumes substantially all the risks and the rewards of ownership of the asset are classified as finance lease. Such leased asset acquired are capitalised at fair value of the asset or present value of the minimum lease rental payment at the inception of the lease, whichever is lower.

22. Funds for future appropriations:

For Non-linked Participating business, the balance in the funds for future appropriations account represents funds, the allocation of which, either to participating 'Policy Holders' or to 'Shareholders', has not been determined at the Balance Sheet date. Transfers to and from the fund reflect the excess or deficit of income over expenses and appropriations in each accounting period arising in the Corporation's 'Policy holders' fund. In respect of participating policies any allocation to the policyholder would also give rise to a shareholder transfer in the required proportion.

The fund for future appropriations held in the Unit-Linked funds, represents surplus that has arisen from lapsed policies unlikely to be revived. This surplus is required to be held within the 'policyholders' fund till the point at which the policyholders' can no longer revive their policy.





23. पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि:

पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि के लिए रखी गई संपत्तियां 17 नवंबर, 2020 के परिपन्न संख्या IRDA/F&A/CIR/Misc/282/11/2020 और निवेश विनियम, 2016 के तहत पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि पर मास्टर परिपन्न की आवश्यकता, और समय—समय पर इसका संशोधित रूप, के अनुसार सृजित बनाए रखी जाती हैं:

- क) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशियों की संपत्ति का खुलासा अनुसूची 12 "अग्रिम और अन्य संपत्ति" में किया गया है, जो तुलन-पत्र का हिस्सा है। दावा न की गई संपत्ति पर संबंधित आय को राजस्व खाते में ब्याज, लाभांश और किराया— सकल के तहत दिखाया गया है।
- ख) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि पर अर्जित आय को संबंधित दावा न किए गए फंड में जमा किया जाता है और एक प्रोद्भवन आधार पर हिसाब किया जाता है।
- ग) निधि में सभी संबंधित अभिवृद्धियों के साथ 10 वर्षों की अविध के लिए दावा न की गई राशि को आईआरडीएआई विनियमों की आवश्यकता के अनुसार विरष्ट नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) में जमा किया जाता है।





23. Unclaimed amount of policyholders:

Assets held for unclaimed amount of policyholders are created and maintained in accordance with the requirement of Master circular on Unclaimed amount of Policyholders IRDA/F&A/CIR/Misc/282/ 11/2020 dated November 17 2020 and Investment Regulations, 2016 as amended from time to time:

- a) Assets of unclaimed amounts of policyholders are disclosed in Schedule 12 "Advances and Other Assets", forming part of Balance Sheet. Corresponding income on unclaimed assets is shown under "Interest, Dividend & Rent- Gross" in Revenue Account.
- b) Income earned on unclaimed amount of policyholders is accreted to respective unclaimed fund and is accounted for on an accrual basis.
- c) Amounts remaining unclaimed for a period of 10 years along with all respective accretions to the fund are deposited into the Senior Citizen Welfare Fund (SCWF) as per requirement of IRDAI regulations.





(B) खातों के लिए टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएं:

(₹ लाख में)

| अनु. | विवरण | 31.03.2022 तक | 31.03.2021 तक |
|------|---|---------------|---------------|
| क | आंशिक रूप से चुकता निवेश | 60496.10 | 233695.98 |
| ख | निगम के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया | 952.67 | 1389.49 |
| ग | अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताएं बकाया | शून्य | शून्य |
| घ | निगम द्वारा या उसकी ओर से दी गई गारंटियां | 7.96 | 8.12 |
| ङ | विवाद में वैधानिक मांगें/ दायित्व, जिसके लिए प्रावधान नहीं है* | 2035077.85 | 2476139.44 |
| च | उस सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है | शून्य | शून्य |
| ਬ | अन्य:– | | |
| | मुकदमेबाजी के तहत नीति संबंधी दावे | 47191.51 | 37744.25 |
| | पॉलिसी धारकों के अलावा मुकदमेबाजी के तहत दावा | 25903.42 | 10068.26 |

^{*} इसमें केवल कर मुकदमे शामिल हैं जहां निगम ने एक निर्धारण अधिकारी के प्रतिकूल आदेश के खिलाफ आयकर विभाग के समक्ष अपील दायर की है।

2. ऋण, निवेश और अचल संपत्तियों के लिए की गई प्रतिबद्धताएं और बकाया इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2022 तक | 31.03.2021 तक | | |
|--------------|---------------|---------------|--|--|
| ऋण और निवेश | 697436.01 | 1066824.20 | | |
| अचल सम्पत्ति | 68635.54 | 51049.78 | | |

पॉलिसी देनदारियों के मूल्यांकन के लिए बीमांकिक अनुमानः

निगम के जीवन बीमा व्यवसाय में व्यक्तिगत और समूह अनुबंधों के तहत लिंक्ड और गैर—लिंक्ड व्यवसाय शामिल हैं। गैर—लिंक्ड व्यवसाय में सहभागी आश्वासन/ वार्षिकी/ पेंशन नीतियां और गैर—भागीदारी आश्वासन/ वार्षिकी/ पेंशन/ व्यक्तिगत स्वास्थ्य नीतियां शामिल हैं, जो समूह नीतियों के साथ गैर—भाग लेने वाले आश्वासनों के तहत लिखी गई हैं। लिंक किए गए व्यवसाय में समूह अनुबंधों के तहत लिखे गए लिंक्ड एश्योरेंस व्यवसाय के बहुत कम अनुपात के साथ गैर—भाग लेने वाली आश्वासन/ पेंशन/ व्यक्तिगत स्वास्थ्य नीतियां शामिल हैं। इनमें से कुछ पॉलिसियों में राइडर जुड़े होते हैं जैसे कि गंभीर बीमारी, प्रीमियम छूट लाभ, टर्म एश्योरेंस और दुर्घटना लाभ, जिसमें दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता लाभ शामिल हैं।

लिंक्ड गैर-पारंपरिक व्यवसाय में निम्न शामिल हैं:

- फ्यूचर प्लस प्लान और ग्रेच्युटी प्लस प्लान (समुह व्यवसाय) में से प्रत्येक के लिए 4 कोष अर्थात् बॉन्ड कोष, आयकर कोष, बैलेंस्ड कोष और वृद्धि कोष
- 4 फंड अर्थात् बॉन्ड कोष, सिक्योर्ड कोष, बैलेंस्ड कोष और ग्रोथ फंड फॉर द प्लान्स जीवन प्लस, मनी प्लस, मार्केट प्लस, फॉर्च्यून प्लस, प्रॉफिट प्लस, मनी प्लस— I, मार्केट प्लस I, चाइल्ड फॉर्च्यून प्लस, जीवन साथी प्लस, एंडोमेंट प्लस, निवेश प्लस और एसआईआईपी, न्यू एंडोमेंट प्लस और न्यू एंडोमेंट प्लस संशोधित संस्करण।
- हेल्थ प्लस प्लान के लिए हेल्थ प्लस फंड और हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस प्लान के लिए हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस फंड
- पंशन प्लस प्लान और फ्लेक्सी प्लस प्लान के लिए मिश्रित फंड और डेट फंड।

31 मार्च, 2022 तक हमारी बहियों में व्यक्तिगत और समूह नीतियों के लिए मूल्यांकन दायित्व, मूल्यांकन की संभावित सकल प्रीमियम पद्धित का उपयोग करके प्रत्येक पॉलिसी के लिए बीमांकिक रूप से गणना की गई है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक पॉलिसी के लिए रिजर्व कम से कम गारंटीड सरेंडर मूल्य या विशेष समर्पण मूल्य, जो भी अधिक हो, के बराबर हो। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पॉलिसी के तहत रिजर्व पर पहुंचते समय नकारात्मक रिजर्व शून्य पर सेट हो। लिंक्ड व्यवसाय के संबंध में इकाई देयता को मूल्यांकन की तारीख को इकाइयों के कुल शुद्ध संपत्ति मूल्य के रूप में लिया जाता है। लिंक्ड व्यवसाय के तहत गैर—इकाई देयता की गणना रियायती नकदी प्रवाह पद्धित का उपयोग करके की जाती है। देनदारियों की गणना ब्याज, मृत्यु दर, रुग्णता, निकासी, व्यय, मुद्रास्फीति और बोनस के लिए जहां भी लागू हो, मूल्यांकन मान्यताओं के आधार पर की जाती है। समूह नकद संचय योजनाओं के लिए देयता को 31 मार्च, 2022 तक ऐसी सभी योजनाओं के निधि मूल्य के रूप में लिया गया है। समूह बीमा योजनाओं के संबंध में देयता अगले वार्षिक नवीनीकरण तिथि तक की अविध के आधार पर अनर्जित जोखिम प्रीमियम के रूप में निकाली गई है।





(B) NOTES TO ACCOUNTS

1. Contingent Liabilities:

(₹ in Lakhs)

| S. No. | Particulars | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|-----------|--|------------------|---------------------|
| a. | Partly paid-up investments | 60496.10 | 233695.98 |
| b. | Claims against the Corporation not acknowledged as Debts | 952.67 | 1389.49 |
| c. | Underwriting commitments outstanding | Nil | Nil |
| d. | Guarantees given by or on behalf of the Corporation | 7.96 | 8.12 |
| e. | Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for * | 2035077.85 | 2476139.44 |
| f. | Reinsurance obligations to the extent not provided for | Nil | Nil |
| g. | Others:- | | |
| | Policy related claims under litigation | 47191.51 | 37744.25 |
| | Claims under litigation other than policy holders | 25903.42 | 10068.26 |

^{*}This only includes tax litigations where the Corporation has filed an appeal before the Department of Income Tax against an adverse Order of an Assessing Officer.

2. Commitments made and outstanding for loans, investments and fixed assets aggregate to as follows:

(₹ in Lakhs)

| Particulars | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|--|
| Loans and Investment | 697436.01 | 1066824.20 | | |
| Fixed Assets | 68635.54 | 51049.78 | | |

3. Actuarial Assumptions for valuation of Policy liabilities:

The Corporation's Life Insurance Business consists of linked and non-linked business under Individual and Group contracts. The non-linked business consists of Participating Assurance/Annuity/Pension policies and Non-participating Assurance/ Annuity/Pension/Individual Health policies with Group policies written under non-participating assurances. The linked business consists of Non-participating Assurance/Pension/Individual Health policies with a very small proportion of linked assurance business written under Group contracts. Some of these policies have riders attached to them such as Critical Illness, Premium Waiver Benefit, Term Assurance and Accident Benefit, including Accidental Death & Disability Benefit.

The Linked Non-Par Business consists of:

- 4 funds namely, Bond Fund, Income Fund, Balanced Fund and Growth Fund for each of Future Plus Plan and Gratuity Plus Plan (Group Business)
- 4 funds namely, Bond Fund, Secured Fund, Balanced Fund and Growth Fund for the Plans Jeevan Plus, Money Plus, Market Plus, Fortune Plus, Profit Plus, Money Plus-I, Market Plus-I, Child Fortune Plus, Jeevan Sathi Plus, Endowment Plus, Nivesh Plus & SIIP, New Endowment Plus and New Endowment Plus Modified version.
- Health Plus fund for Health Plus Plan and Health Protection Plus fund for Health Protection Plus Plan
- Mixed Fund and Debt Fund for Pension Plus Plan and Flexi Plus Plan.

The Valuation liability for Individual and Group policies in our books as at March 31, 2022 has been calculated actuarially for each policy by using prospective gross premium method of valuation. It is ensured that the reserve for each policy is at least equal to the guaranteed surrender value or special surrender value, whichever is higher. It is also ensured that negative reserve is set to zero while arriving at the reserve under a policy. The unit liability in respect of Linked business is taken as the total Net Asset Value of the units as on the date of valuation. The non-unit liability under the linked business is calculated using the discounted cash flow method. The liabilities are calculated based on the valuation assumptions for interest, mortality, morbidity, withdrawal, expenses, inflation and bonuses wherever applicable. The liability for Group Cash Accumulation schemes has been taken as the fund value of all such schemes as at March 31, 2022. The liability in respect of Group Insurance schemes has been arrived at as unearned risk premium based on period up to next Annual Renewal Date.





उपयोग की गई ब्याज की मूल्यांकन दरें योजना के प्रकार के अनुसार भिन्न होती हैं और अंतर्निहित परिसंपित्तयों और देनदारियों की प्रकृति और अविध के आधार पर 5.20% से 7.75% प्रति वर्ष तक होती हैं। बोनस दर अनुमानों को ब्याज की मूल्यांकन दरों के अनुरूप बनाया गया है। उपयोग की गई मृत्यु दर प्रकाशित भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2012-14) अंतिम तालिका और भारतीय व्यक्तिगत वार्षिक मृत्यु दर (2012-15) अंतिम तालिका पर आधारित हैं, जो किसी भी प्रतिकूल विचलन के लिए अपेक्षित अनुभव और मार्जिन के लिए भत्ता को दर्शाने के लिए समायोजित की गई हैं। रुग्णता दर गंभीर बीमारी आधार तालिका (सीआईबीटी 93 यूके) / पुनर्बीमाकर्ता की घटना दरों पर आधारित हैं, जो तर्कशुध्दता के लिए शामिल मार्जिन के साथ हमारे उपयोग के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित हैं।

मूल्यांकन के लिए व्यय अनुमान या तो प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में या पॉलिसी के अनुसार या इनके संयोजन के रूप में निकाला गया था। व्यक्तिगत व्यवसाय के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रति पॉलिसी व्यय का नवीनीकरण योजना के प्रकार और पॉलिसी की स्थिति और व्यय मुद्रास्फीति के लिए उपयुक्त धारणा के अनुसार भिन्न होता है। व्यक्तिगत व्यवसाय के संबंध में नवीनीकरण प्रीमियम संबंधी खर्चों में योजना के प्रकार के आधार पर प्रीमियम पर जीएसटी, जहां भी लागू हो, शामिल है।

सहभागी नीतियों का मूल्यांकन करते समय, कराधान के लिए भत्ता और शेयरधारकों को अधिशेष का आवंटन अनुबंध की शेष अविध के लिए आरिक्षत भावी प्रत्यावर्ती बोनसों को उचित रूप से रेटिंग देकर किया गया है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित के संबंध में देयता के लिए आरिक्षत निधियां प्रदान की गई हैं; प्रीमियम छूट लाभ, स्थायी विकलांगता लाभ सिहत दोहरा दुर्घटना लाभ, वापसी योग्य अतिरिक्त प्रीमियम और वापसी योग्य डबल दुर्घटना लाभ प्रीमियम के संबंध में देयता, भुगतान की गई पॉलिसियों का पुनरुद्धार, भुगतान मूल्य प्राप्त नहीं करने वाली पॉलिसियों की बहाली, व्यय में तत्काल वृद्धि के मामले में नए व्यवसाय के लिए कार्यालय बंद है, COVID-19 महामारी, एड्स / एचआईवी के कारण अतिरिक्त मृत्यु तनाव, घटिया जीवन के संबंध में अतिरिक्त जोखिम, हुई लेकिन रिपोर्ट नहीं की गई मौतें (IBNR), तबाही और मृत्यु दर में सुधार। उपर्युक्त मदों के लिए आरिक्षत निधि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली मान्यताओं का निर्धारण किसी प्रतिकूल विचलन के लिए मार्जिन की अनुमित देने वाली मूल्यांकन की तिथि पर पॉलिसियों की बकाया अविधयों के लिए भविष्य के अनुभवों के विवेकपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर किया गया था। इसके अलावा, लिंक्ड योजनाओं के मामले में, जहां परिपक्वता पर गारंटी है, ऐसी गारंटी की लागत स्टोकेस्टिक विधियों का उपयोग करके निकाली गई है। बीमा खाता ॥ के लिए, ब्याज गारंटी की लागत प्रदान की गई है। उन योजनाओं के लिए जहां ऐसे विकल्प हैं जिनका पॉलिसीधारकों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, इन विकल्पों के मूल्यांकन के लिए सबसे कठिन विकल्प लिया गया है। फ्यूचर विनियोग (एफएफए) के लिए फंड नॉन लिंक्ड और लिंक्ड दोनों तरह के बिजनेस के लिए उपलब्ध कराया गया है।

निगम के बोर्ड ने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24 और एलआईसी अधिनियम, 1956 की संशोधित धारा 28 के तहत आवश्यक अधिशेष वितरण नीति के तहत सिंगल फंड को अलग—अलग सहभागी और गैर सहभागी फंड में विभाजित करने की मंजूरी दे दी है। अधिशेष वितरण नीति वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 95:5 वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए 92.5:7.5 और वित्तीय वर्ष 2024-25 से 90:10 के रूप में पार नीतियों के लिए अधिशेष वितरण पैटर्न को अनिवार्य करती है और वित्तीय वर्ष 2021-22 से गैर—पारस्परिक नीतियों के लिए 0:100 |

4. पॉलिसीधारकों के खाते और शेयरधारकों के खाते के बीच निवेश और उस पर आय के आवंटन का आधार:

पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों की निधियों में धारित निवेशों से होने वाली आय को संबंधित निधियों में ले जाया गया है। पॉलिसीधारकों के निवेश पर संचालन और आय से उत्पन्न निवेश योग्य अधिशेष, पॉलिसीधारकों के खाते में निवेश किया गया था। वर्ष के दौरान शेयरधारकों के फंड में की गई अभिवृद्धि को शेयरधारकों के फंड में निवेश किया जाता है।

5. पूर्व अवधि की मदः

आय में निम्नलिखित पूर्व अवधि मद शामिल हैं:

| विवरण | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|--|--|--|
| एलआईसी के पेंशनभोगियों के खरीद मूल्य को सेवानिवृत्ति से वार्षिकी में स्थानांतरित करना | 425519.16 | 277367.91 | |
| कुल | 425519.16 | 277367.91 | |



The valuation rates of interest used vary according to the type of Plan and ranges from 5.20% to 7.75% p.a. depending on the nature and term of the underlying assets and liabilities. Bonus rate assumptions have been aligned to be consistent with the valuation rates of interest. The mortality rates used are based on the published Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Ultimate Table and Indian Individual Annuitant Mortality (2012-15) Ultimate Table adjusted to reflect expected experience and allowance for margin for any adverse deviation. Morbidity rates are based on the Critical Illness Base Table (CIBT 93 UK) /Reinsurer's incidence rates, suitably modified for our use with margins included for prudence.

The expense assumption for valuation was arrived at either as a percentage of premiums or as per policy or a combination of these. The renewal per policy expenses used for valuing individual business vary according to the type of Plan and status of the policy and with an appropriate assumption for expense inflation. Renewal Premium related expenses in respect of individual business include GST on premium, wherever applicable, depending on the type of Plan.

While valuing Participating policies, the allowance for taxation and allocation of surplus to shareholders has been made by appropriately rating up future Reversionary Bonuses reserved for the balance duration of the contract. Additionally, reserves have been provided for liability in respect of Premium Waiver Benefit, Double Accident Benefit including Permanent Disability Benefit, liability in respect of refundable Extra Premium and refundable Double Accident Benefit premium, revival of paid up policies, reinstatement of policies which have not acquired paid up value, immediate increase in expenses in case the office is closed for new business, additional death strain due to COVID-19 pandemic, AIDS/HIV, extra risk in respect of sub-standard lives, Incurred But Not Reported deaths (IBNR), catastrophe and improvement in mortality. The assumptions used for arriving at the reserves for above mentioned items were determined based on a prudent assessment of the future experiences for the outstanding durations of the policies as at the date of valuation allowing for margin for any adverse deviation. Further, in case of Linked Plans, where there is a guarantee at maturity, cost of such guarantee has been arrived at using stochastic methods. For Bima Account II, the cost of interest guarantee has been provided. For Plans where there are options which can be exercised by the policyholders, the most onerous option has been taken for valuing these options. Fund for Future Appropriations (FFA) has been provided for both Non Linked and Linked lines of business.

The Board of the Corporation has approved bifurcation of the Single fund into separate Par and Non-Par funds as mandated under Section 24 of LIC Act, 1956 and the Surplus Distribution Policy required under the amended Section 28 of LIC Act, 1956. The Surplus Distribution Policy mandates the surplus distribution pattern for Par policies as 95:5 for the financial year 2021-22 92.5:7.5 for the financial years 2022-23 and 2023-24 and 90:10 from financial year 2024-25 onwards and 0:100 for Non-Par policies from financial year 2021-22 onwards.

4. Basis of allocation of investments and income thereon between Policyholders' Account and Shareholders' Account:

Income accruing on investments held in Policyholders' and Shareholders' funds have been taken to the respective funds.

The investible surplus, arising out of operations and income on Policyholders' investments, was invested in Policyholders' account. The accretions to shareholders' fund during the year is invested in shareholders' fund.

5. Prior Period Items:

The income includes following prior period items:

(₹ in Lakhs)

| Particulars | For the year ended March 31, 2022 | For the year ended March 31, 2021 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Transfer of LIC's Pensioners purchase price from Superannuation to Annuity | 425519.16 | 277367.91 |
| Total | 425519.16 | 277367.91 |





व्यय में निम्नलिखित पूर्व अवधि मद शामिल हैं:

(₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|--|--|
| एलआईसी के पेंशन खरीद मूल्य को पेंशन कोष से गैर—वित्त पोषित पेंशन में अंतरण करना | 425519.16 | 277367.91 |
| कुल | 425519.16 | 277367.91 |

उपरोक्त उल्लिखित पूर्व अवधि की मदों को राजस्व खाते में अलग से प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

6. दावा

31 मार्च, 2022 (पिछले वर्ष शून्य) की स्थिति के अनुसार, छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई दावा निपटाया नहीं गया है और बकाया नहीं है।

7. क) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशियों का आयु–वार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण:

(₹ लाख में)

| | | | | | आयु अनुसार वि | !श्लेषण | | | |
|--|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| विवरण | कुल राशि | 0-6 महीने | 7-12 'महीने | 13-18 महीने | 19-24 महीने | 25-30 महीने | 31-36 महीने | 36-120 महीने | 120 महीने से अधिक |
| बीमाधारक/पॉलिसीधारकों से मुकदमेबाजी को छोड़कर किसी भी कारण से पॉलिसीधारकों/बीमित को भुगतान नहीं किया गया दावा | 46026.37 (57301.21) | 3119.99 (1753.12) | 6367.35 (4355.44) | 2112.77 (4418.44) | 1547.53 (6975.43) | 2139.57 (1858.20) | 4720.39 (6866.88) | 26018.77 (31073.71) | 0.00 (0.00) |
| बीमित/पॉलिसीधारकों को परिपक्वता पर या अन्यथा देय राशि | 1805487.44 (1628907.80) | 98767.23 (80213.90) | 191202.97 (144447.73) | 90913.07 (151945.19) | 151569.77 (155080.23) | 138589.34 (132507.11) | 142220.72 (154992.38) | 992224.34 (809721.3) | 0.00 (0.00) |
| प्रीमियम/ कर या किसी अन्य शुक्क का कोई अतिरिक्त संग्रह जो पाँ लिसीधारकों को पाँलिसी की शतौं के अनुसार या कानून के अनुसार या कानून के अनुसार या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, लेकिन अब तक वापस नहीं किया गया है | 133395.29 (128690.19) | 8581.43 (7320.48) | 17208.18 (19510.09) | 13520.8 (16552.87) | 13879.28 (12386.02) | 10668.86 (10898.34) | 11070.94 (21540.33) | 57790.51 (40053.50) | 675.29 (428.55) |
| चेक जारी किए लेकिन पॉलिसीधारक /बीमित द्वारा भुनाया नहीं गया | 32502.68 (34587.89) | 4083.03 (3231.53) | 98.17 (78.22) | 179.91 (1418.10) | 214.19 (178.97) | 476.37 (377.36) | 410.96 (317.42) | 27040.05 (28986.28) | 0.00 (0.00) |

नोट: 1. प्रति वर्ष 30 सितंबर को 10 साल से अधिक की अविध के लिए पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि को वित्तीय वर्ष के 1 मार्च को या उससे पहले वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

2. पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक () में दर्शाए गए हैं।

ख) दावा न की गई राशि और निवेश आय का विवरण

प्रपत्र – सी

| | 31 मार्च 2022 को | समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए | | |
|--|------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| विवरण | पॉलिसी देय राशि | अर्जित आय | पॉलिसी देय राशि | अर्जित आय | |
| प्रारंभिक शेष | 1603281.73 | 246205.37 | 1403061.80 | 202183.45 | |
| जोड़ें: दावा न की गई निधि में अंतरित राशि | 854348.09 | 0.00 | 305250.86 | 0.00 | |
| जोड़ें: दावा न की गई राशि से जारी किए गए चेक लेकिन पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए (केवल चेक बेकार होने पर ही शामिल किए जाने के लिए) | 17.59 | 0.00 | 72.21 | 0.00 | |
| जोड़ें: दावा न किए गए फंड पर निवेश आय | 0.00 | 95648.63 | 0.00 | 86105.50 | |
| घटाः वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावों की राशि | 696961.19 | 40176.27 | 79013.42 | 37866.28 | |
| घटाः एण्ड् को हस्तांतरित राशि (पहले हस्तांतरित राशि के संबंध में भुगतान किए गए दावों का निवल) | 32990.17 | 11961.99 | 26089.72 | 4217.30 | |
| दावा न की गई राशि निधि का अंतिम शेष | 1727696.05 | 289715.74 | 1603281.73 | 246205.37 | |





The expenses includes following prior period items:

(₹ in Lakhs)

| Particulars | For the year ended March 31, 2022 | For the year ended March 31, 2021 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Transfer of LIC's pensioners purchase price from pension funded | | |
| to pension non -funded | 425519.16 | 277367.91 |
| Total | 425519.16 | 277367.91 |

The above mentioned prior period items have not been disclosed separately in the Revenue account as the impact of the same is not material.

6. Claims

There are no claims settled and remaining outstanding for a period of more than six months, as at 31st March, 2022 (Previous year NIL).

7. a) Statement showing the Age-wise Analysis of Unclaimed amounts of the Policyholders:

(₹ in Lakhs)

(₹ in Lakhs)

| | | | | | AGE WISE A | NALYSIS | | | |
|--|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Particulars | Total Amount | 0-6 months | 7-12 months | 13-18 months | 19-24 months | 25-30 months | 31-36 months | 36-120 months | Beyond 120 months |
| Claims Settled but not paid to the policyholders/ insured due to any reasons except under litigation from the insured/ policyholders | 46026.37 (57301.21) | 3119.99 (1753.12) | 6367.35 (4355.44) | 2112.77 (4418.44) | 1547.53 (6975.43) | 2139.57 (1858.20) | 4720.39 (6866.88) | 26018.77 (31073.71) | 0.00 (0.00) |
| Sum due to the insured/ policyholders on maturity or otherwise | 1805487.44 (1628907.80) | 98767.23 (80213.90) | 191202.97 (144447.73) | 90913.07 (151945.19) | 151569.77 (155080.23) | 138589.34 (132507.11) | 142220.72 (154992.38) | 992224.34 (809721.3) | 0.00 (0.00) |
| Any excess collection of the premium/ tax or any other charges which is refundable to the policyholders either as terms of conditions of the policy or as per law or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far | 133395.29 (128690.19) | 8581.43 (7320.48) | 17208.18 (19510.09) | 13520.8 (16552.87) | 13879.28 (12386.02) | 10668.86 (10898.34) | 11070.94 (21540.33) | 57790.51 (40053.50) | 675.29 (428.55) |
| Cheques issued but not encashed by the policyholder/insured | 32502.68 (34587.89) | 4083.03 (3231.53) | 98.17 (78.22) | 179.91 (1418.10) | 214.19 (178.97) | 476.37 (377.36) | 410.96 (317.42) | 27040.05 (28986.28) | 0.00 (0.00) |

- **Note:** 1. Unclaimed amounts of policyholders for a period of more than 10 years as on September 30th, every year have been transferred to the Senior Citizens' Welfare Fund (SCWF) on or before 1st March of the financial year.
 - 2. Previous year figures are shown in bracket ().

b) Details of Unclaimed Amount and Investment Income

Form – C

| Particulars | For the year March | | For the year ended 31st March, 2021 | | |
|--|-----------------------|-------------------|--|-------------------|--|
| Par ticular S | Policy Dues | Income Accrued | Policy Dues | Income Accrued | |
| Opening Balance | 1603281.73 | 246205.37 | 1403061.80 | 202183.45 | |
| Add: Amount transferred to Unclaimed Fund | 854348.09 | 0.00 | 305250.86 | 0.00 | |
| Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the policyholders (To be included only when the cheques are stale) | 17.59 | 0.00 | 72.21 | 0.00 | |
| Add: Investment Income on Unclaimed Fund | 0.00 | 95648.63 | 0.00 | 86105.50 | |
| Less: Amount of claims paid during the year | 696961.19 | 40176.27 | 79013.42 | 37866.28 | |
| Less: Amount transferred to SCWF (net of claims paid in respect of amounts transferred earlier) | 32990.17 | 11961.99 | 26089.72 | 4217.30 | |
| Closing Balance of Unclaimed Amount Fund | 1727696.05 | 289715.74 | 1603281.73 | 246205.37 | |





भारत में और भारत के बाहर निगम की परिसंपत्तियों पर भार:

स्थानीय कानूनों के तहत जमा करने के लिए आवश्यक सीमा तक या आरबीआई (एसएलओसी/सीसीआईएल) और संरक्षकों के पास अन्यथा भारग्रस्त प्रतिभूतियों को छोड़कर निगम की संपत्ति किसी भी भार से मुक्त है: ₹ 264236.55 लाख (पिछले वर्ष ₹ 202159.97 लाख)

9. निवेश के संबंध में अनुबंधों का मूल्य:

| | असंबद्ध व | यवसाय | संबद्ध व्यवसाय | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| विवरण | खरीदारी जहां डिलीवरी लंबित है | बिक्री जहां भुगतान अतिदेय हैं | खरीदारी जहां डिलीवरी लंबित है | बिक्री जहां भुगतान अतिदेय हैं | |
| 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 59776.53 | 27539.63 | 29018.54 | 4.17 | |
| 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए | 52488.51 | 33789.38 | 3109.33 | 6289.19 | |

पेंशन व्यवसाय, स्वास्थ्य व्यवसाय और सीआरएसी व्यवसाय के निवेश के संबंध में कोई अनुबंध बकाया नहीं था।

10. अध्यक्ष, प्रबंध निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2022 तक | 31.03.2021 तक |
|----------------------------|---------------|---------------|
| वेतन और भत्ते | 639.46 | 278.23 |
| पेंशन में निगम का योगदान | 63.95 | 35.55 |
| अनुलाभों का कर योग्य मूल्य | 262.48 | 198.22 |

उपरोक्त पारिश्रमिक में अविध के दौरान भुगतान किए गए वेतन का बकाया शामिल है और इसमें सेवानिवृत्ति लाभ जैसे ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण शामिल नहीं है जो किताबों में अर्जित/भुगतान किया गया होगा। प्रबंधकीय किमेयों के पारिश्रमिक पर नियुक्ति और निर्णय जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए गैर-कार्यकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों का पारिश्रमिक:

| अनु. | गैर–कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों का नाम | 31.03.2022 तक | 31.03.2021 तक |
|------|--|------------------|------------------|
| 1. | डॉ रंजन शर्मा, गैर–कार्यकारी, स्वतंत्र निदेशक | 13.4 | - |
| 2. | श्री विनोद कुमार वर्मा, गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र निदेशक | 9.8 | - |
| 3. | श्री अनिल कुमार | 7.0 | - |
| 4. | श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल | 5.0 | - |
| 5. | श्री गुरुमूर्ति महालिंगम | 5.6 | - |
| 6. | श्री राज कमल | 3.8 | - |
| 7. | श्री वी एस पार्थसारथी | 6.8 | - |
| 8. | श्री एम पी विजय कुमार | 6.2 | - |
| 9. | श्री संजीव नौटियाली | 4.4 | - |
| 10. | बिमलेंदु चक्रवर्ती | - | 1.5 |
| 11. | रविंद्र नाथ चतुर्वेदी | - | 1.3 |
| 12. | आर चंद्रशेखरन | - | 1.6 |





8. Encumbrances to assets of the Corporation in and outside India:

The assets of the Corporation are free from any encumbrances except for, to the extent required to be deposited under local laws or otherwise encumbered Securities with RBI (SLOC/CCIL) and Custodians: $\stackrel{?}{\sim}$ 264236.55 Lakh (Previous year $\stackrel{?}{\sim}$ 202159.97 Lakh).

9. Value of contracts in relation to Investments:

| | Non-Linked | Business | Linked Business | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Particulars | Purchases where deliveries are pending | Sales where payments are overdue | Purchases where deliveries are pending | Sales where payments are overdue | |
| For the year ended March 31, 2022 | 59776.53 | 27539.63 | 29018.54 | 4.17 | |
| For the year ended March 31, 2021 | 52488.51 | 33789.38 | 3109.33 | 6289.19 | |

There were no contracts outstanding in relation to investments in respect of Pension business, Health Business and CRAC business.

10. Managerial Remuneration to Chairperson, Managing Directors & Key Managerial persons:

(₹ in Lakhs)

| Particulars | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Salaries & Allowances | 639.46 | 278.23 |
| Corporation's contribution to Pension | 63.95 | 35.55 |
| Taxable Value of Perquisites | 262.48 | 198.22 |

The above remuneration includes arrears of salary paid during the period and excludes retirement benefits such as gratuity and leave encashment which would have accrued/paid in the books. The appointment and decision on remuneration of managerial personnel which includes the Chairperson and Managing Directors are done by the Government of India.

Remuneration to Non-Executive Director and Independent Directors for the year ended March 31, 2022:

(₹ in Lakhs)

| Sr. No. | Name of Non-Executive and Independent Directors | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Dr. Ranjan Sharma, Non-Executive, Independent Director | 13.4 | - |
| 2. | Shri Vinod Kumar Verma, Non-Executive, Independent Director | 9.8 | - |
| 3. | Shri Anil Kumar | 7.0 | - |
| 4. | Smt. Anjuly Chib Duggal | 5.0 | - |
| 5. | Shri Gurumoorthy Mahalingam | 5.6 | - |
| 6. | Shri Raj Kamal | 3.8 | - |
| 7. | Shri V. S. Parthasarthy | 6.8 | - |
| 8. | Shri M.P. Vijay Kumar | 6.2 | - |
| 9. | Shri Sanjeev Nautiyal | 4.4 | - |
| 10. | Bimalendu Chakrabarti | - | 1.5 |
| 11. | Ravindra Nath Chaturvedi | - | 1.3 |
| 12. | R. Chandrasekaran | - | 1.6 |





11. उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित निवेश की ऐतिहासिक लागत नीचे दी गई है:

| | | | (क) असंबद्ध निवेश | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| वित्तीय वर्ष | विवरण | शेयरधारक कोष | जीवन कोष | पेंशन कोष | पी एंड जीएस कोष | यूनिट लिंक्ड (नॉन यूनिट कोष) | (ख) संबद्ध निवेश | |
| 31.03.2022 | बुक वैल्यू | 146393.24 | 51583899.85 | 17.51 | 8604015.36 | 83129.54 | 1853304.40 | |
| तक | रिपोर्ट किया गया मूल्य | 150502.80 | 90640717.51 | 17.51 | 9561197.31 | 93063.55 | 2429012.53 | |
| 31.03.2021 | बुक वैल्यू | 6282.50 | 43528936.00 | 98.00 | 5816529.10 | 480315.90 | 1996296.90 | |
| तक | रिपोर्ट किया गया मूल्य | 9852.00 | 69794012.20 | 11.00 | 6434541.20 | 884393.50 | 2595673.80 | |

पूंजी मोचन और वार्षिकी निश्चित के उचित मूल्य के आधार पर निवेश की ऐतिहासिक लागत 31 मार्च, 2022 तक शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

12. लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुसार कर्मचारी हितलाभ के प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

क) 31.03.2022 के अनुसार कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देयता गणनाः -

दायित्व का वर्तमान मूल्य और वर्तमान सेवा लागत का निर्धारण अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

| | (Velid F | | | | |
|-----|---|---|---|--|--|
| ı | मान्यताएँ | 31.03.2022 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2021 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए | | |
| | रियायती दर | 7.25% | 7.25% | | |
| | योजित परिसंपत्तियों पर लाभ की दर | 7.25 % | 7.25% | | |
| | वेतन वृद्धि | 6.00% | 6.00% | | |
| | कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष) | 11.69 | 11.70 | | |
| | | | | | |
| II | दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:- | | | | |
| | वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 1278132.92 | 1228964.27 | | |
| | अधिग्रहण समायोजन | - | - | | |
| | ब्याज लागत | 92664.64 | 89099.91 | | |
| | पिछली सेवा लागत | 0.00 | 0.00 | | |
| | वर्तमान सेवा लागत | 53316.37 | 33501.67 | | |
| | कटौती लागत/(क्रेडिट) | - | - | | |
| | निपटान लागत/(क्रेडिट) | - | - | | |
| | भुगतान किया गया लाभ | (144198.52) | (87015.06) | | |
| | बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि | (60333.27) | 13582.12 | | |
| | वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 1219582.14 | 1278132.92 | | |
| | | | | | |
| III | योजनागत परिसंपत्तियो के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:- | | | | |
| | वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य | 1278132.92 | 1228964.27 | | |
| | अधिग्रहण समायोजन | | | | |
| | योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ | 92664.64 | 89099.91 | | |
| | योगदान | 13500.00 | 42600.00 | | |
| | भुगतान किया गया लाभ | (144198.52) | (87015.06) | | |
| | योजनागत परिसंपत्तियो पर बीमांकिक लाभ/ (हानि) | (20516.90) | 4483.79 | | |
| | | | | | |





11. Historical cost of investments valued on fair value basis is given below:

| Financial Year | Particulars | Shareholder's Fund | Life Fund | Pension Fund | P&GS Fund | Unit Linked (Non Unit Fund) | (B) Linked Investment |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------|-----------------------------------|--------------------------|
| As at | Book Value | 146393.24 | 51583899.85 | 17.51 | 8604015.36 | 83129.54 | 1853304.40 |
| March 31, 2022 | Reported Value | 150502.80 | 90640717.51 | 17.51 | 9561197.31 | 93063.55 | 2429012.53 |
| As at | Book Value | 6282.50 | 43528936.00 | 98.00 | 5816529.10 | 480315.90 | 1996296.90 |
| March 31, 2021 | Reported Value | 9852.00 | 69794012.20 | 11.00 | 6434541.20 | 884393.50 | 2595673.80 |

Historical cost of investments valued on fair value basis of Capital Redemption & Annuity Certain as at March 31, 2022 is NIL (Previous year NIL).

12. As per Accounting Standard 15 (revised 2005) "Employee Benefits" the disclosures of Employee Benefits are given below:

A) Employees' Gratuity Liability Calculation as at 31.03.2022: -

The present value of the obligation and current service cost is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method. (₹ in lakhs)

| Tojected Onit Great Method. (Villaki | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|
| I | Assumptions:- | For the year ended/ As at 31.03.2022 | For the year ended/ As at 31.03.2021 | | |
| | Discount Rate | 7.25% | 7.25% | | |
| | Rate of return on Plan Assets | 7.25% | 7.25% | | |
| | Salary Escalation | 6.00% | 6.00% | | |
| | Expected Average remaining working lives of employees (years) | 11.69 | 11.70 | | |
| II | Table showing changes in Present Value of Obligations:- | | | | |
| | Present Value of obligation as at the Beginning of the year | 1278132.92 | 1228964.27 | | |
| | Acquisition adjustment | - | - | | |
| | Interest Cost | 92664.64 | 89099.91 | | |
| | Past service Cost | 0.00 | 0.00 | | |
| | Current service Cost | 53316.37 | 33501.67 | | |
| | Curtailment Cost/ (Credit) | - | - | | |
| | Settlement Cost/ (Credit) | - | - | | |
| | Benefits paid | (144198.52) | (87015.06) | | |
| | Actuarial (gain)/loss on obligations | (60333.27) | 13582.12 | | |
| | Present Value of obligation as at the end of the year | 1219582.14 | 1278132.92 | | |
| III | Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:- | | | | |
| | Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year | 1278132.92 | 1228964.27 | | |
| | Acquisition adjustments | | | | |
| | Expected return on Plan Assets | 92664.64 | 89099.91 | | |
| | Contributions | 13500.00 | 42600.00 | | |
| | Benefits paid | (144198.52) | (87015.06) | | |
| | Actuarial gain/(loss) on Plan Assets | (20516.90) | 4483.79 | | |
| | Fair Value of Plan Assets at the end of the year | 1219582.14 | 1278132.92 | | |





| | वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियो का उचित मूल्य | 1219582.14 | 1278132.92 |
|-----|--|-------------|------------|
| | | | |
| IV | योजनागत परिसंपत्तियो का उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका:– | | |
| | वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य | 1278132.92 | 1228964.27 |
| | अधिग्रहण समायोजन | | |
| | प्लान एसेट्स पर वास्तविक रिटर्न | 72147.73 | 93582.55 |
| | योगदान | 13500.00 | 42600.00 |
| | भुगतान किया गया लाभ | (144198.52) | (87015.06) |
| | वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियो का उचित मूल्य | 1219582.14 | 1278132.92 |
| | निधिक स्थिति | 100.00% | 100.00% |
| | योजनागत परिसंपत्तियो पर वास्तविक से अधिक अनुमानित प्रतिलाभ का आधिक्य | (20516.90) | (48249.58) |
| | | | |
| V | बीमांकिक लाभ / हानि मान्यता प्राप्त | | |
| | वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) — दायित्व | 60333.27 | (13582.00) |
| | वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि — योजनागत संपत्ति | 20516.90 | (4484.00) |
| | वर्ष के लिए कुल (लाभ)/ हानि | (39816.37) | 9098.33 |
| | वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि | (39816.37) | 9098.33 |
| | वर्ष के अंत में अपरिचित बीमांकिक (लाभ)/ हानि | - | _ |
| | | | |
| VI | तुलन-पत्र और राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में पहचानी जाने वाली राशि | | |
| | वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 1219582.14 | 1278132.92 |
| | वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियो का उचित मूल्य | 1219582.14 | 1278132.92 |
| | निधिक स्थिती | 100.00% | 100.00% |
| | गैर—मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/ हानि | - | - |
| | तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता) | 0.00 | 0.00 |
| | | | |
| VII | राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय | | |
| | वर्तमान सेवा लागत | 53316.37 | 33501.67 |
| | पिछली सेवा लागत | 0.00 | 0.00 |
| | ब्याज लागत | 92664.64 | 89099.91 |
| | योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ | (92664.64) | (89099.91) |
| | कटौती लागत/(क्रेडिट) | - | - |
| | निपटान लागत/(क्रेडिट) | - | - |
| | वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि | (39816.37) | 9098.33 |
| | राजस्व / लाभ एव हानि के विवरण मे मान्यता प्राप्त व्यय | 13500.00 | 42600.00 |



| IV | Table showing Fair value of Plan Assets:- | | |
|-----|---|-------------|------------|
| | Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year | 1278132.92 | 1228964.27 |
| | Acquisition adjustments | | |
| | Actual return on Plan Assets | 72147.73 | 93582.55 |
| | Contributions | 13500.00 | 42600.00 |
| | Benefits paid | (144198.52) | (87015.06) |
| | Fair Value of Plan Assets at the end of the year | 1219582.14 | 1278132.92 |
| | Funded Status | 100.00% | 100.00% |
| | Excess of actual over estimated return on Plan Assets | (20516.90) | (48249.58) |
| v | Actuarial Gain/Loss Recognized | | |
| | Actuarial gain/(loss) for the year –Obligation | 60333.27 | (13582.00) |
| | Actuarial (gain)/loss for the year – Plan Assets | 20516.90 | (4484.00) |
| | Total (gain)/loss for the year | (39816.37) | 9098.33 |
| | Actuarial (gain)/ loss recognized in the year | (39816.37) | 9098.33 |
| | Unrecognized actuarial (gain)/losses at the end of year | - | - |
| VI | The amounts to be recognised in Balance Sheet and statements of Revenue/Profit and Loss | | |
| | Present Value of obligation as at the end of the year | 1219582.14 | 1278132.92 |
| | Fair value of Plan Assets as at the end of the year | 1219582.14 | 1278132.92 |
| | Funded Status | 100.00% | 100.00% |
| | Unrecognized Actuarial (gains)/losses | - | - |
| | Net Asset/(Liability) recognised in Balance Sheet | 0.00 | 0.00 |
| VII | Expense recognised in the Statement of Revenue/Profit and Loss | | |
| | Current Service Cost | 53316.37 | 33501.67 |
| | Past Service Cost | 0.00 | 0.00 |
| | Interest Cost | 92664.64 | 89099.91 |
| | Expected return on Plan Assets | (92664.64) | (89099.91) |
| | Curtailment Cost/ (Credit) | - | - |
| | Settlement Cost/ (Credit) | - | - |
| | Net actuarial (gain)/loss recognized in the year | (39816.37) | 9098.33 |
| | Expenses recognized in the statement of Revenue/Profit and Loss | 13500.00 | 42600.00 |





ख) समूह अर्जित अवकाश नकदीकरण दायित्वः

कर्मचारी को उपलब्ध अर्जित अवकाश नकदीकरण के लाभों का मूल्यांकन प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धित का उपयोग करके किया गया है। इस पद्धित के तहत मूल्यांकन तिथि तक अर्जित लाभों को भविष्य के वेतन पर विचार करते हुए अनुमानित किया जाता है, जिसे बाद में मूल्यांकन तिथि के अनुसार छूट दी जाती है।

| | (र लाख म) | | |
|-----|---|---|---|
| 1 | मान्यताएँ | 31.03.2022 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2021 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए |
| | रियायती दर | 7.25% | 7.25% |
| | योजित परिसंपत्तियो पर रिटर्न की दर | 7.25% | 7.25% |
| | वेतन वृद्धि | 6.00% | 6.00% |
| | कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष) | 11.69 | 11.70 |
| | | | |
| II | दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:- | | |
| | वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 512431.32 | 467943.85 |
| | अधिग्रहण समायोजन | - | - |
| | ब्याज लागत | 37151.27 | 33925.93 |
| | पिछली सेवा लागत | - | - |
| | वर्तमान सेवा लागत | 7903.28 | 6118.39 |
| | कटौती लागत/(क्रेडिट) | - | - |
| | निपटान लागत/(क्रेडिट) | - | - |
| | भुगतान किया गया लाभ | (63282.20) | (34899.70) |
| | बीमांकिक (लाभ)/ हानि दायित्वों पर | 24966.57 | 39342.85 |
| | वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 519170.24 | 512431.32 |
| | | | |
| III | योजनागत परिसंपत्तियो के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:- | | |
| | वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य | 512431.32 | 467943.85 |
| | अधिग्रहण समायोजन | - | - |
| | योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ | 37151.27 | 33925.93 |
| | योगदान | 40400.00 | 43000.00 |
| | भुगतान किया गया लाभ | (63282.20) | (34899.70) |
| | योजनागत परिसंपत्तियो पर बीमांकिक लाभ/(हानि) | (7530.15) | 2461.24 |
| | वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 519170.24 | 512431.32 |
| | | | |
| IV | योजनागत परिसंपत्तियो का उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका:- | | |
| | वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य | 512431.32 | 467943.85 |
| | अधिग्रहण समायोजन | - | - |
| | प्लान एसेट्स पर वास्तविक रिटर्न | 29621.12 | 36387.17 |
| | योगदान | 40400.00 | 43000.00 |
| | भुगतान किया गया लाभ | (63282.20) | (34899.70) |
| | वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियो का उचित मूल्य | 519170.24 | 512431.32 |
| | निधिक स्थिति | 100.00% | 100.00% |
| | योजनागत परिसंपत्तियो पर वास्तविक से अधिक अनुमानित प्रतिलाभ का आधिक्य | (7530.15) | 2461.24 |





B) Group Privilege Leave Encashment Liability:

The benefits of privilege leave encashment available to employee have been valued using Projected Unit Credit Method. Under this method benefits accrued up to the valuation date are projected considering future salary which is then discounted as at the valuation date.

(₹ in lakhs)

| I | Assumptions:- | For the year ended/ As at 31.03.2022 | For the year ended/ As at 31.03.2021 |
|-----|---|--|--------------------------------------|
| | Discount Rate | 7.25% | 7.25% |
| | Rate of return on Plan Assets | 7.25% | 7.25% |
| | Salary Escalation | 6.00% | 6.00% |
| | Expected Average remaining working lives of employees (years) | 11.69 | 11.70 |
| II | Table showing changes in Present Value of Obligations:- | | |
| | Present Value of obligation as at the Beginning of the year | 512431.32 | 467943.85 |
| | Acquisition adjustment | - | - |
| | Interest Cost | 37151.27 | 33925.93 |
| | Past service Cost | - | - |
| | Current service Cost | 7903.28 | 6118.39 |
| | Curtailment Cost/ (Credit) | - | - |
| | Settlement Cost/ (Credit) | - | - |
| | Benefits paid | (63282.20) | (34899.70) |
| | Actuarial (gain)/loss on obligations | 24966.57 | 39342.85 |
| | Present Value of obligation as at the end of the year | 519170.24 | 512431.32 |
| | | | |
| Ш | Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:- | | |
| | Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year | 512431.32 | 467943.85 |
| | Acquisition adjustments | - | - |
| | Expected return on Plan Assets | 37151.27 | 33925.93 |
| | Contributions | 40400.00 | 43000.00 |
| | Benefits paid | (63282.20) | (34899.70) |
| | Actuarial gain/(loss) on Plan Assets | (7530.15) | 2461.24 |
| | Fair Value of Plan Assets at the end of the year | 519170.24 | 512431.32 |
| IV | Table showing Fair value of Plan Assets:- | | |
| - • | Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year | 512431.32 | 467943.85 |
| | Acquisition adjustments | - | - |
| | Actual return on Plan Assets | 29621.12 | 36387.17 |
| | Contributions | 40400.00 | 43000.00 |
| | Benefits paid | (63282.20) | (34899.70) |
| | Fair Value of Plan Assets at the end of the year | 519170.24 | 512431.32 |
| | · | | |
| | Funded Status | 100.00% | 100.00% |





| V | बीमांकिक लाभ/हानि मान्यता प्राप्तः– | | |
|-----|---|------------|------------|
| | वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) — दायित्व | (24966.57) | (39343.00) |
| | वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि — योजनागत संपत्ति | 7530.15 | (2461.00) |
| | वर्ष के लिए कुल (लाभ)/ हानि | 32496.72 | 36881.61 |
| | वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि | 32496.72 | 36881.61 |
| | वर्ष के अंत में अपरिचित बीमांकिक (लाभ)/हानि | - | - |
| | | | |
| VI | तुलन-पत्र और राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में पहचानी जाने वाली राशिः – | | |
| | वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 519170.24 | 512431.32 |
| | वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियो का उचित मूल्य | 519170.24 | 512431.32 |
| | निधिक स्थिति | 100.00% | 100.00% |
| | वर्ष के अंत में गैर—मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/ हानि | - | - |
| | तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता) | 0.00 | 0.00 |
| | | | |
| VII | राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय | | |
| | वर्तमान सेवा लागत | 7903.28 | 6118.39 |
| | पिछली सेवा लागत | - | - |
| | ब्याज लागत | 37151.27 | 33925.93 |
| | योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ | (37151.27) | (33925.93) |
| | कटौती लागत/(क्रेडिट) | - | - |
| | निपटान लागत/(क्रेडिट) | - | |
| | वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि | 32496.72 | 36881.61 |
| | राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय | 40400.00 | 43000.00 |

ग) कर्मचारी पेंशन योजना 1995 देयताः

प्रस्तावित ईकाई जमा पद्धती जहां मूल्यांकन मूल्यांकन तिथि तक का कार्यकाल तथा निर्गमन तिथी तक की वेतन में होने वाली वृद्धियों को ध्यान में रखते हुए देय हितलाभ मूल्यांकित किए जाते हैं। मूल्यांकन की तारीख को ऐसे लाभों का मूल्य ऐसे अनुमानित लाभों की राशि में छूट देकर निकाला गया है। प्रमुख धारणाएं हैं (1) छूट दर और (2) वेतन वृद्धि।

| 1 | धारणाएं:- | 31.03.2022 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2021 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए |
|----|---|---|---|
| | रियायती दर | 7.75% | 7.75% |
| | वेतन में वृद्धि की दर (बेसिक+डीए) | 6.00% | 6.00% |
| | पेंशन वृद्धि की दर | 5.00% | 5.00% |
| | योजित परिसंपत्तियो पर रिटर्न की दर | 7.80% | 7.70% |
| | कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष) (मूल वेतन द्वारा भारित) | 7.43 | 7.98 |
| | | | |
| II | दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:– | | |
| | वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 8193779.00 | 7056419.00 |
| | अधिग्रहण समायोजन | - | - |
| | ब्याज लागत | 635017.87 | 557457.00 |
| | पिछली सेवा लागत | - | _ |
| | वर्तमान सेवा लागत | 1234207.35 | 910648.00 |



| V | Actuarial Gain/Loss Recognized:- | | |
|-----|---|------------|------------|
| | Actuarial gain/(loss) for the year –Obligation | (24966.57) | (39343.00) |
| | Actuarial (gain)/loss for the year – Plan Assets | 7530.15 | (2461.00) |
| | Total (gain)/loss for the year | 32496.72 | 36881.61 |
| | Actuarial (gain)/ loss recognized in the year | 32496.72 | 36881.61 |
| | Unrecognized actuarial (gain)/losses at the end of year | - | - |
| | | | |
| VI | The amounts to be recognised in Balance Sheet and Statements of Revenue/Profit and Loss:- | | |
| | Present Value of obligation as at the end of the year | 519170.24 | 512431.32 |
| | Fair value of Plan Assets as at the end of the year | 519170.24 | 512431.32 |
| | Funded Status | 100.00% | 100.00% |
| | Unrecognized Actuarial (gains)/losses at the end of the year | ı | - |
| | Net Asset/(Liability) recognized in Balance Sheet | 0.00 | 0.00 |
| | | | |
| VII | Expense recognized in the Statement of Revenue/Profit and Loss | | |
| | Current Service Cost | 7903.28 | 6118.39 |
| | Past Service Cost | ı | - |
| | Interest Cost | 37151.27 | 33925.93 |
| | Expected return on Plan Assets | (37151.27) | (33925.93) |
| | Curtailment Cost/ (Credit) | - | - |
| | Settlement Cost/ (Credit) | - | _ |
| | Net actuarial (gain)/loss recognized in the year | 32496.72 | 36881.61 |
| | Expenses recognized in the statement of Revenue/Profit and Loss | 40400.00 | 43000.00 |

C) Employees Pension Scheme 1995 Liability:

Projected Unit Credit Method where the benefits payable are valued considering the service up to the valuation date and increases in salaries up to the date of exit. The value of such benefits as on the valuation date has been arrived at by discounting the amount of such projected benefits.

The principal assumptions are the (1) discount rate & (2) Salary Increase.

(₹ in lakhs)

| I | Assumptions:- | For the year ended/ As at 31.03.2022 | For the year ended/ As at 31.03.2021 |
|----|--|--|--|
| | Discount Rate | 7.75% | 7.75% |
| | Rate of increase in salary (Basic+DA) | 6.00% | 6.00% |
| | Rate of pension increase | 5.00% | 5.00% |
| | Rate of return on Plan Assets | 7.80% | 7.70% |
| | Expected average remaining working lives of Employees (years) (weighted by basic salary) | 7.43 | 7.98 |
| | | | |
| II | Table showing changes in Present Value of Obligations:- | | |
| | Present Value of Obligation as at the beginning of the year | 8193779.00 | 7056419.00 |
| | Acquisition adjustment | - | - |
| | Interest Cost | 635017.87 | 557457.00 |
| | Past Service Cost | - | - |
| | Current Service Cost | 1234207.35 | 910648.00 |





| | कटौती लागत / (क्रेडिट) | | |
|------------|---|-------------|-------------|
| | निपटान लागत / (क्रेडिट) | _ | |
| | भुगतान किया गया लाभ | (782353.09) | (429857.00) |
| | बीमांकिक (लाभ)/ दायित्वों पर हानि | 158035.31 | 99112.00 |
| | वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 9438686.44 | 8193779.00 |
| | वन के लेता न सामस्य का बताना । दूर न | 3430000.44 | 0100770.00 |
| III | योजनागत परिसंपत्तियो के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:– | | |
| | वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य | 8193779.00 | 7056419.00 |
| | अधिग्रहण समायोजन | - | - |
| | योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ | 635017.87 | 557457.00 |
| | योगदान | 1418475.62 | 1007074.00 |
| | भुगतान किया गया लाभ | (782353.09) | (429857.00) |
| | योजनागत परिसंपत्तियो पर बीमांकिक लाभ/ (हानि) | (26232.96) | 2686.00 |
| | वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 9438686.44 | 8193779.00 |
| | 8 | | |
| IV | योजनागत परिसंपत्तियो का उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका:– | | |
| | वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य | 8193779.00 | 7056419.00 |
| | बीमांकिक लाभ | 339.20 | - |
| | योजनागत परिसंपत्तियो पर वास्तविक प्रतिलाभ | 608445.71 | 560143.00 |
| | योगदान | 1418475.62 | 1007074.00 |
| | भुगतान किया गया लाभ | (782353.09) | (429857.00) |
| | वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 9438686.44 | 8193779.00 |
| | निधिक स्थिति | निधिक | निधिक |
| | योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक से अधिक अनुमानित प्रतिलाभ की अधिकता | (26232.96) | 2686.00 |
| V | A | | |
| _ v | बीमांकिक लाभ/हानि मान्यता प्राप्त:- | 150005.01 | 00110.00 |
| | वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) — दायित्व | 158035.31 | 99112.00 |
| | वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/ हानि — योजनागत संपत्ति | (26232.96) | 2686.00 |
| | वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि | 184268.27 | 96426.00 |
| | वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि | 184268.27 | 96426.00 |
| | अपरिचित बीमांकिक (लाभ) / हानि | 0.00 | 0.00 |
| VI | | | |
| | वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 9438686.44 | 8193779.00 |
| | वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 9438686.44 | 8193779.00 |
| | निधिक स्थिति | निधिक | निधिक |
| | गैर—मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि | 0.00 | 0.00 |
| | शुद्ध संपत्ति / (देयता) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त है | 0.00 | 0.00 |
| | , , , , | | |
| VII | राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय | | |
| | वर्तमान सेवा लागत | 1234207.35 | 910648.00 |
| | पिछली सेवा लागत | - | - |
| | ब्याज लागत | 635017.87 | 557457.00 |
| | योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ | (635017.87) | (557457.00) |
| | सक्षिंप्त लागत / (क्रेडिट) | - | |



| | Curtailment Cost / (Credit) | _ | |
|-----|---|-------------|-------------|
| | Settlement Cost / (Credit) | | |
| | Benefits paid | (782353.09) | (429857.00) |
| | Actuarial (gain)/ loss on obligations | 158035.31 | 99112.00 |
| | | | |
| | Present Value of Obligation as at the end of the year | 9438686.44 | 8193779.00 |
| Ш | Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:- | | |
| | Fair value of plan assets at beginning of the year | 8193779.00 | 7056419.00 |
| | Acquisition Adjustment | - | - |
| | Expected Return on Plan Assets | 635017.87 | 557457.00 |
| | Contributions | 1418475.62 | 1007074.00 |
| | Benefits Paid | (782353.09) | (429857.00) |
| | Actuarial Gain /(Loss) on Plan Assets | (26232.96) | 2686.00 |
| | Fair Value of Plan Assets at end of year | 9438686.44 | 8193779.00 |
| IV | Table showing Fair value of Plan Assets:- | | |
| | Fair value of plan assets at beginning of the year | 8193779.00 | 7056419.00 |
| | Actuarial gain | 339.20 | - |
| | Actual Return on Plan Assets | 608445.71 | 560143.00 |
| | Contributions | 1418475.62 | 1007074.00 |
| | Benefits Paid | (782353.09) | (429857.00) |
| | Fair value of plan assets at the end of year | 9438686.44 | 8193779.00 |
| | Funded Status | Funded | Funded |
| | Excess of actual over estimated return on plan assets | (26232.96) | 2686.00 |
| | | | |
| V | Actuarial Gain/Loss Recognized:- | | |
| | Actuarial gain/(loss) for the year – Obligation | 158035.31 | 99112.00 |
| | Actuarial (gain)/loss for the year – Plan Assets | (26232.96) | 2686.00 |
| | Total (gain) / loss for the year | 184268.27 | 96426.00 |
| | Actuarial (gain) / loss recognized in the year | 184268.27 | 96426.00 |
| | Unrecognized actuarial (gains) / losses | 0.00 | 0.00 |
| VI | The Amounts To Be Recognized In Balance Sheet and Statements of Revenue/Profit and Loss | | |
| | Present Value of Obligation as at the end of the year | 9438686.44 | 8193779.00 |
| | Fair Value of Plan Assets as at the end of the year | 9438686.44 | 8193779.00 |
| | Funded Status | Funded | Funded |
| | Unrecognized Actuarial (gains) / losses | 0.00 | 0.00 |
| | Net Asset / (Liability) Recognized in Balance Sheet | 0.00 | 0.00 |
| VII | Expense recognized in the Statement of Revenue/Profit and Loss | | |
| | Current Service Cost | 1234207.35 | 910648.00 |
| | Past Service Cost | - | - |
| | Interest Cost | 635017.87 | 557457.00 |
| | Expected Return on Plan Assets | (635017.87) | (557457.00) |
| | | , | |





| निपटान लागत / (क्रेडिट) | - | - |
|--|------------|------------|
| वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि | 184268.27 | 96426.00 |
| राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय | 1418475.62 | 1007074.00 |

नोटः कर्मचारियों को नई पेंशन के कारण उत्पन्न होने वाली 1112466.00 लाख की वित्तीय देयता पत्र संदर्भ 101/2/F&A,Life/LIC/2018-19/208 दिनांक 06-07-2020 के अनुसार पांच वर्षों की अवधि में परिशोधित कर दी गई है। 222493.00 लाख की एक किश्त को 31.03.2020 को मूल्यांकन में मान्यता दी गई थी, दूसरी किस्त की राशि 222493.00 लाख को मूल्यांकन में 31.03.2021 के रूप में मान्यता दी गई है, तीसरी किस्त की राशि 222493.00 लाख 31.03.2022 को मूल्यांकन में पहचान की गई है। शेष राशि 444986.00 लाख अगले दो वर्षों में वित्त पोषित की जानी है।

घ) नियमित अंशकालिक कर्मचारी पेंशन योजना 1999 देयताः

प्रमुख धारणाएं हैं (1) रियायती दर और (2) वेतन वृद्धि।

| 1 | धारणाएं:- | 31.03.2022 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2021 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए |
|-----|---|---|---|
| | रियायती दर | 7.75% | 7.75% |
| | वेतन में वृद्धि की दर (बेसिक+डीए) | 6.00% | 6.00% |
| | पेंशन वृद्धि की दर | 5.00% | 5.00% |
| | योजित परिसंपत्ति पर रिटर्न की दर | 7.80% | 7.70% |
| | कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष) (मूल वेतन द्वारा भारित) | 7.91 * | 6.31 |
| II | दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:– | | |
| | वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 940.00 | 789.00 |
| | अधिग्रहण समायोजन | - | - |
| | ब्याज लागत | 72.85 | 62.00 |
| | पिछली सेवा लागत | - | - |
| | वर्तमान सेवा लागत | 18809.82 | 0.00 |
| | कटौती लागत / (क्रेडिट) | - | - |
| | निपटान लागत / (क्रेडिट) | - | - |
| | भुगतान किया गया लाभ | (62.28) | - |
| | बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि ★★ | 1835.03 | 89.00 |
| | वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 21595.42 | 940.00 |
| III | योजनागत परिसंपत्तियो के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:– | | |
| | वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य | 940.00 | 789.00 |
| | अधिग्रहण समायोजन | - | - |
| | योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ | 72.85 | 62.00 |
| | योगदान | 18817.68 | 4.00 |
| | भुगतान किया गया लाभ | (62.28) | 0.00 |
| | योजनागत परिसंपत्तियो पर बीमांकिक लाभ/(हानि) | 2145.62 | 85.00 |
| | वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 21913.87 | 940.00 |
| | | | |





| | Settlement Cost / (Credit) | - | - |
|---|---|------------|------------|
| | Net actuarial (gain)/ loss recognized in the year | 184268.27 | 96426.00 |
| Ī | Expenses Recognized in the statement of Revenue/Profit and Loss | 1418475.62 | 1007074.00 |

Note: Financial liability amounting to ₹ 1112466.00 lakhs arising due to fresh pension to the employees has been amortized over a period of five years in accordance with letter reference 101/2/F&A-Life/LIC/2018-19/208 dated 06-07-2020. An installment amounting to ₹ 222493.00 lakhs was recognized in valuation as at 31.03.2020 the second installment amounting to ₹ 222493.00 lakhs has been recognized in the valuation as at 31.03.2021 the third installment amounting to ₹ 222493 lakhs has been recognized in the valuation as at 31.03.2022. The balance amounting to ₹ 444986.00 lakhs is to be funded in next two years.

D) Regular Part-Time Employees Pension Scheme 1999 Liability:

The principal assumptions are the (1) discount rate & (2) Salary Increase.

(₹ in lakhs)

| I | Assumptions:- | For the year ended/ As at 31.03.2022 | For the year ended/ As at 31.03.2021 |
|-----|--|--|--|
| | Discount Rate | 7.75% | 7.75% |
| | Rate of increase in salary (Basic+DA) | 6.00% | 6.00% |
| | Rate of pension increase | 5.00% | 5.00% |
| | Rate of return on Plan Assets | 7.80% | 7.70% |
| | Expected average remaining working lives of Employees (years) (weighted by basic salary) | 7.91* | 6.31 |
| II | Table showing changes in Present Value of Obligations:- | | |
| | Present Value of Obligation as at the beginning of the year | 940.00 | 789.00 |
| | Acquisition adjustment | - | - |
| | Interest Cost | 72.85 | 62.00 |
| | Past Service Cost | - | - |
| | Current Service Cost | 18809.82 | 0.00 |
| | Curtailment Cost / (Credit) | - | - |
| | Settlement Cost / (Credit) | ı | - |
| | Benefits paid | (62.28) | - |
| | Actuarial (gain)/ loss on obligations ** | 1835.03 | 89.00 |
| | Present Value of Obligation as at the end of the year | 21595.42 | 940.00 |
| III | Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:- | | |
| | Fair value of plan assets at beginning of the year | 940.00 | 789.00 |
| | Acquisition Adjustment | - | - |
| | Expected Return on Plan Assets | 72.85 | 62.00 |
| | Contributions | 18817.68 | 4.00 |
| | Benefits Paid | (62.28) | 0.00 |
| | Actuarial Gain /(Loss) on Plan Assets | 2145.62 | 85.00 |
| | Fair Value of Plan Assets at end of year | 21913.87 | 940.00 |
| | | | |





| IV | योजनागत परिसंपत्तियो का उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका:- | | |
|-----|--|----------|---------|
| | वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य | 940.00 | 789.00 |
| | बीमांकिक लाभ/ हानि | 1935.31 | - |
| | योजनागत परिसंपत्तियो पर वास्तविक प्रतिलाभ | 283.16 | 147.00 |
| | योगदान | 18817.68 | 4.00 |
| | भुगतान किया गया लाभ | (62.28) | - |
| | वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 21913.87 | 940.00 |
| | निधिक स्थिति | निधिक | निधिक |
| | योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक से अधिक अनुमानित प्रतिलाभ की अधिकता | 2145.62 | 85.00 |
| V | बीमांकिक लाभ/हानि मान्यता प्राप्तः— | | |
| - | | 1005.00 | |
| | वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) — दायित्व वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि — योजनागत संपत्ति | 1835.03 | 89.00 |
| | | 1827.17 | 85.00 |
| | वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि | 7.86 | 4.00 |
| | ` ´ | 7.86 | 4.00 |
| | अपरिचित बीमांकिक (लाभ) / हानि | - | _ |
| VI | तुलन-पत्र और राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में पहचानी जाने वाली राशि | | |
| | वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 21595.42 | 940.00 |
| | वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियो का उचित मूल्य | 21913.87 | 940.00 |
| | निधिक स्थिति | निधिक | निधिक |
| | गैर—मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि | - | - |
| | शुद्ध संपत्ति / (देयता) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त है | 318.45 | - |
| \// | 4 0 1 0 1 | | |
| VII | राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय | | |
| | वर्तमान सेवा लागत | 18809.82 | 0.00 |
| | पिछली सेवा लागत | - | |
| | ब्याज लागत | 72.85 | 62.00 |
| | योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ | (72.85) | (62.00) |
| | कटौती लागत / (क्रेडिट) | - | _ |
| | निपटान लागत / (क्रेडिट) | - | - |
| | वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि | 7.86 | 4.00 |
| | राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय | 18817.68 | 4.00 |

^{*} अंशकालिक कर्मचारियों, जिन्हें पूर्णकालिक कर्मचारियों में परिवर्तित किया गया है, के लिए डेटा पहली बार अलग से प्रदान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप औसत शेष सेवा में वृद्धि हुई है।

^{**}बीमांकिक लाभ और हानि में पिछले वर्षों में रिकॉर्ड की कम संख्या के कारण देयता में भिन्नता शामिल है।



| IV | Table showing Fair value of Plan Assets:- | | |
|-----|---|----------|---------|
| | Fair value of plan assets at beginning of the year | 940.00 | 789.00 |
| | Actuarial gain/loss | 1935.31 | - |
| | Actual Return on Plan Assets | 283.16 | 147.00 |
| | Contributions | 18817.68 | 4.00 |
| | Benefits Paid | (62.28) | - |
| | Fair value of plan assets at the end of year | 21913.87 | 940.00 |
| | Funded Status | Funded | Funded |
| | Excess of actual over estimated return on plan assets | 2145.62 | 85.00 |
| V | Actuarial Gain/Loss Recognized:- | | |
| | Actuarial gain/(loss) for the year – Obligation | 1835.03 | 89.00 |
| | Actuarial (gain)/loss for the year – Plan Assets | 1827.17 | 85.00 |
| | Total (gain) / loss for the year | 7.86 | 4.00 |
| | Actuarial (gain) / loss recognized in the year | 7.86 | 4.00 |
| | Unrecognized actuarial (gains) / losses | - | - |
| VI | The Amounts To Be Recognized In Balance Sheet And Statements of Revenue/Profit and Loss | | |
| | Present Value of Obligation as at the end of the year | 21595.42 | 940.00 |
| | Fair Value of Plan Assets as at the end of the year | 21913.87 | 940.00 |
| | Funded Status | Funded | Funded |
| | Unrecognized Actuarial (gains) / losses | - | - |
| | Net Asset / (Liability) Recognized in Balance Sheet | 318.45 | - |
| VII | Expense recognized in the Statement of Revenue/Profit and Loss | | |
| | Current Service Cost | 18809.82 | 0.00 |
| | Past Service Cost | - | |
| | Interest Cost | 72.85 | 62.00 |
| | Expected Return on Plan Assets | (72.85) | (62.00) |
| | Curtailment Cost / (Credit) | - | - |
| | Settlement Cost / (Credit) | - | - |
| | Net actuarial (gain)/ loss recognized in the year | 7.86 | 4.00 |
| | Expenses Recognized in the statement of Revenue/Profit and Loss | 18817.68 | 4.00 |

^{*}The data for part time employees who have been converted into full time employees has been separately provided for the first time that has resulted in increase in average balance service.

^{**}The actuarial gain and loss includes the variation in liability due to lesser number of records in earlier years.





(क) अतिरिक्त प्रकटीकरणः

1) वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए निवेश

(₹ लाख में)

| शाखा | प्रतिभूतियों का प्रकार | 31.03.2022 के अनुसार पुस्तक मूल्य | पुस्तक मूल्य 31.03.2021 तक |
|--------|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| मॉरीशस | बैंक ऑफ बड़ौदा में सावधि जमा 3.50% | 174.83 | 179.20 |
| फ़िजी | एफजीआर स्टॉक 12%, 6.50%, 12.31%, 7.23%, 13% और 5.46% | 5669.17 | 5684.93 |

उपरोक्त निवेश विदेशी मुद्रा में आयोजित किए जाते हैं और समापन विनिमय दर पर परिवर्तित होते हैं।

2) आय की पहचान के उद्देश्य से निष्पादित/गैर–निष्पादित निवेशों में अलगाव।

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2022 तक | 31.03.2021 तक |
|----------------------|---------------|---------------|
| निवेश निष्पादितः | 42220778.31 | 41617341.44 |
| गैर—निष्पादित निवेशः | 2708711.04 | 3512988.88 |

3) पुनर्रचना के अधीन परिसंपत्तिया

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2022 तक | 31.03.2021 तक |
|--|---------------|---------------|
| पुनर्सरचना के अधीन ऋण परिसंपत्तियों की कुल राशि | 24259.88 | 24036.04 |
| पुनर्सरचना के अधीन मानक परिसंपत्तियों की कुल राशि | 969.09 | - |
| पुनर्सरचना के अधीन अवमानक परिसंपत्तियों की कुल राशि | - | 24036.04 |
| पुनर्सरचना के अधीन संदिग्ध और हानि वाली संपत्तियों की कुल राशि | 23290.79 | - |

4) क्षेत्रवार व्यवसाय का प्रतिशत

| विवरण | वर्ष के लिए | | |
|--|-------------|------------|--|
| Iddsol | 31.03.2022 | 31.03.2021 | |
| ग्रामीण व्यवसाय | 20.73% | 21.46% | |
| शहरी व्यवसाय | 79.27% | 78.54% | |
| सामाजिक क्षेत्र (बीमित जीवन की संख्या % में) | 11.51% | 11.84% | |

5) अवधारित और बीमाकृत जोखिम:

(in %)

| | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| विवरण | जोखिम बरकरार | जोखिम बीमित | जोखिम बरकरार | जोखिम बीमित |
| प्रथम वर्ष का प्रीमियम | 99.90 | 0.10 | 99.91 | 0.09 |
| नवीनीकरण प्रीमियम | 99.98 | 0.02 | 99.81 | 0.19 |
| सिंगल प्रीमियम | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |

नोटः उपरोक्त डेटा निगम द्वारा अर्जित कुल प्रीमियम और कुल पुनर्बीमा के आधार पर तैयार किया गया है।





(C) ADDITIONAL DISCLOSURES:

1) Investments made in accordance with the statutory requirements

(₹ in Lakhs)

| Branch | Type of Securities | Book Value As at 31.03.2022 | Book Value As at 31.03.2021 |
|-----------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Mauritius | Fixed Deposit with Bank of Baroda @3.50% | 174.83 | 179.20 |
| Fiji | FGR Stock @12%, 6.50%, 12.31%, 7.23%, 13% and | | |
| | 5.46% | 5669.17 | 5684.93 |

The above investments are held in foreign currency and are converted at the closing exchange rate.

2) Segregation into Performing/Non-performing investments for the purpose of Income recognition.

(₹ in Lakhs)

| Particulars | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Performing investments: | 42220778.31 | 41617341.44 |
| Non-performing investments: | 2708711.04 | 3512988.88 |

3) Assets Subject to Restructuring

(₹ in Lakhs)

| Particulars | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---|------------------|---------------------|
| Total amount of loan assets subject to restructuring | 24259.88 | 24036.04 |
| Total amount of standard assets subject to restructuring | 969.09 | - |
| Total amount of sub standard assets subject to restructuring | - | 24036.04 |
| Total amount of doubtful & loss assets subject to restructuring | 23290.79 | - |

4) Percentage of business sector-wise

| Particulars - | For the year | |
|---|--------------|------------|
| | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
| Rural business | 20.73% | 21.46% |
| Urban business | 79.27% | 78.54% |
| Social Sector (No. of Lives Insured in %) | 11.51% | 11.84% |

5) Risk Retained and Insured:

(in %)

| Particulars | For the year ended 31.03.2022 | | For the year ended 31.03.2021 | |
|--------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Particulars | Risk retained | Risk Insured | Risk retained | Risk Insured |
| First year premium | 99.90 | 0.10 | 99.91 | 0.09 |
| Renewal premium | 99.98 | 0.02 | 99.81 | 0.19 |
| Single premium | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |

Note: The above data has been prepared based on the total premium earned and total premium reinsured by the Corporation.





6) बंद पॉलिसियों से संबंधित प्रकटीकरण:

| | विवरण | 31.03.2022 तक/को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2021 तक/को समाप्त वर्ष के लिए |
|--------|--|---|---|
| | बंद करने की नीतियों के लिए निधि | | |
| | बंद पॉलिसियों के लिए निधि का प्रारंभिक शेष | 5065.73 | 5185.91 |
| जोडेंः | वर्ष के दौरान बंद की गई पॉलिसियों का फंड | 8485.33 | 1821.18 |
| घटायेः | वर्ष के दौरान पुनर्जीवित/ भुगतान की गई पॉलिसियों की निधि | 4875.09 | 2129.35 |
| जोडेंः | निधि के निवेश पर शुद्ध आय/ लाभ | 66.73 | 187.99 |
| घटायेः | वर्ष के दौरान पॉलिसी धारकों को वापस की गई राशि | 508.15 | 0.00 |
| | बंद पॉलिसियों के लिए निधि का अंतिम शेष | 8234.55 | 5065.73 |

अन्य प्रकटीकरणः

| विवरण | न्यू एंडोमेंट प्लस | न्यू एंडोमेंट | एसआईआईपी | निवेश प्लस |
|--|--------------------|---------------|----------|------------|
| | (835) | प्लस (935) | (852) | (849) |
| वर्ष के दौरान बंद की गई पॉलिसियों की संख्या | 340 | 9126 | 31333 | 5 |
| | (297) | (3332) | (9847) | (0) |
| वर्ष के दौरान बंद की गई कुल पॉलिसियों का प्रतिशत | 1.60 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | (1.28) | (100) | (100) | (0) |
| वर्ष के दौरान पुनर्जीवित पॉलिसियों की संख्या | 14 | 3178 | 16262 | 0 |
| | (2) | (464) | (2814) | (0) |
| वर्ष के दौरान पुनर्जीवित पॉलिसियों का प्रतिशत | 4.00 | 35.00 | 52.00 | 0 |
| | (1.00) | (14.00) | (29.00) | (0) |
| बंद पॉलिसियों के कारण लगाए गए शुल्क (लाख में) | 2.23 | 168.26 | 614.91 | 0.09 |
| | (1.86) | (45.70) | (179.10) | (0.00) |
| पॉलिसियों के पुनरुद्धार के कारण पुनः समायोजित प्रभार (लाख में) | 0.38 | 71.88 | 361.19 | 0.00 |
| | (0.37) | (7.07) | (54.32) | (0.00) |

^{*} पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्टक () में दिखाए गए हैं।

7) IRDAI द्वारा निर्धारित अनुपात

| अनुक्रमांक | विवरण | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए |
|------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | नई व्यवसाय प्रीमियम वृद्धि दर (सेगमेंट के अनुसार) | | |
| | (i) लिंक्ड बिजनेस: | | |
| | क) जीवन | 226.42% | 714.71% |
| | ख) पेंशन | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| | ग) स्वास्थ्य | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| | घ) परिवर्तनीय बीमा | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| | (ii) गैर-लिंक्ड व्यवसाय: | | |
| | भागीदारी युक्तः | | |
| | क) जीवन | 10.00% | -1.78% |
| | ख) वार्षिकी | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| | ग) पेंशन | -98.53% | -87.68% |
| | घ) स्वास्थ्य | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| | ङ) परिवर्तनीय बीमा | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |





6) Disclosures relating to discontinued policies

| | Particulars | For the year ended / as at 31.03.2022 | For the year ended / as at 31.03.2021 |
|-------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Fund for Discontinues Policies | | |
| | Opening Balance of Fund for Discontinued Policies | 5065.73 | 5185.91 |
| Add: | Fund of policies discontinued during the Year | 8485.33 | 1821.18 |
| Less: | Fund of policies revived/Paid during the Year | 4875.09 | 2129.35 |
| Add: | Net Income/Gains on Investment of the Fund | 66.73 | 187.99 |
| Less: | Amount refunded to Policy Holders during the Year | 508.15 | 0.00 |
| | Closing Balance of Fund for Discontinued Policies | 8234.55 | 5065.73 |

Other Disclosures:

| Particulars | New Endowment Plus (835) | New Endowment Plus (935) | SIIP (852) | Nivesh Plus (849) |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------|
| Number of policies discontinued during the Year | 340 | 9126 | 31333 | 5 |
| | (297) | (3332) | (9847) | (0) |
| Percentage of discontinued to total policies during the Year | 1.60 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | (1.28) | (100) | (100) | (0) |
| Number of policies revived during the Year | 14 | 3178 | 16262 | 0 |
| | (2) | (464) | (2814) | (0) |
| Percentage of policies revived during the Year | 4.00 | 35.00 | 52.00 | 0 |
| | (1.00) | (14.00) | (29.00) | (0) |
| Charges imposed on account of discontinued policies (₹ in lakhs) | 2.23 | 168.26 | 614.91 | 0.09 |
| | (1.86) | (45.70) | (179.10) | (0.00) |
| Charges readjusted on account of revival of policies (₹ in lakhs) | 0.38 | 71.88 | 361.19 | 0.00 |
| | (0.37) | (7.07) | (54.32) | (0.00) |

^{*} Previous year figures are shown in bracket ().

7) Ratios as prescribed by IRDAI

| SI. No. | Particular | For the year ended 31 st March 2022 | For the year ended 31 st March 2021 |
|------------|---|--|--|
| 1 | New Business Premium Growth Rate (Segment wise) | | |
| | (i) Linked Business: | | |
| | a) Life | 226.42% | 714.71% |
| | b) Pension | NA | NA |
| | c) Health | NA | NA |
| | d) Variable Insurance | NA | NA |
| | (ii) Non-Linked Business: | | |
| | Participating: | | |
| | a) Life | 10.00% | -1.78% |
| | b) Annuity | NA | NA |
| | c) Pension | -98.53% | -87.68% |
| | d) Health | NA | NA |
| | e) Variable Insurance | NA | NA |





| अनुक्रमांक | विवरण | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए |
|------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | गैर–भागीदारी युक्तः | | |
| | क) जीवन | 12.80% | 26.81% |
| | ख) वार्षिकी | -35.02% | 33.17% |
| | ग) पेंशन | 12.79% | -6.30% |
| | घ) स्वास्थ्य | -7.46% | -2.52% |
| | ङ) परिवर्तनीय बीमा | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| 2 | एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) से कुल नए व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) का प्रतिशत | 41.71% | 51.06% |
| 3 | कुल नए व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) से लिंक किए गए नए व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) का प्रतिशत | 1.25% | 0.41% |
| 4 | शुद्ध प्रतिधारण अनुपात | 99.86% | 99.89% |
| 5 | संरक्षण अनुपात (खंड वार) | | |
| | (i) लिंक्ड बिजनेस: | | |
| | क) जीवन (व्यक्तिगत और समूह) | 106.17% | 93.59% |
| | ख) पेंशन | 78.97% | 75.69% |
| | ग) स्वास्थ्य | 86.66% | 98.11% |
| | घ) परिवर्तनीय बीमा | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| | (ii) गैर–लिंक्ड व्यवसायः | | |
| | भागीदारी युक्तः | | |
| | क) जीवन | 92.76% | 94.65% |
| | ख) वार्षिकी | 82.89% | 78.08% |
| | ग) पेंशन | 35.33% | 89.79% |
| | घ) स्वास्थ्य | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| | ङ) परिवर्तनीय बीमा | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| | गैर–भागीदारी युक्तःः | | |
| | क) जीवन (व्यक्तिगत और समूह) | 88.12% | 86.26% |
| | ख) वार्षिकी | 58.98% | 102.26% |
| | ग) पेंशन (व्यक्तिगत और समूह) | 28.19% | 8.48% |
| | घ) स्वास्थ्य | 80.18% | 74.99% |
| | ङ) परिवर्तनीय बीमा | 54.41% | 55.42% |
| 6 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात में प्रबंधन का व्यय | 14.50% | 14.17% |
| 7 | कमीशन अनुपात (सकल प्रीमियम का भुगतान किया गया सकल कमीशन और पुरस्कार) | 5.41% | 5.50% |
| 8 | व्यापार विकास और बिक्री संवर्धन व्यय नए व्यापार प्रीमियम के लिए | | |
| 9 | न्यू बिजनेस प्रीमियम के लिए ब्रांड/ट्रेड मार्क उपयोग शुल्क/शुल्क | | |
| 10 | पॉलिसीधारकों के फंड का शेयरधारकों के फंड से अनुपात | 398.59 | 585.24 |
| 11 | निवल संपत्ति में परिवर्तन (राशि लाख रुपये में) | 404844.67 | 562116.53 |
| 12 | नेटवर्थ में वृद्धि | 71.64% | 760.10% |
| 13 | पॉलिसीधारकों के फंड में अधिशेष का अनुपात | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| 14 | कर पश्चात लाभ/कुल आय | 0.56% | 0.43% |
| 15 | (कुल अचल संपत्ति + ऋण)/(नकद और निवेशित संपत्ति) | 3.20% | 3.52% |
| 16 | कुल निवेश/(पूंजी+आरक्षित और अधिशेष) | 389.24 | 572.57 |



| SI. | Particular | For the year ended | For the year ended |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|
| No. | - | 31 st March 2022 | 31 st March 2021 |
| | Non Participating: | | |
| | a) Life | 12.80% | 26.81% |
| | b) Annuity | -35.02% | 33.17% |
| | c) Pension | 12.79% | -6.30% |
| | d) Health | -7.46% | -2.52% |
| | e) Variable Insurance | NA | NA |
| 2 | Percentage of Single Premium (Individual Business) to Total New Business Premium (Individual Business) | 41.71% | 51.06% |
| 3 | Percentage of Linked New Business Premium (Individual Business) to Total New Business Premium (Individual Business) | 1.25% | 0.41% |
| 4 | Net Retention Ratio | 99.86% | 99.89% |
| 5 | Conservation Ratio (Segment wise) | | |
| | (i) Linked Business: | | |
| | a) Life (Individual and Group) | 106.17% | 93.59% |
| | b) Pension | 78.97% | 75.69% |
| | c) Health | 86.66% | 98.11% |
| | d) Variable Insurance | NA | NA |
| | (ii) Non-Linked Business: | | |
| | Participating: | | |
| | a) Life | 92.76% | 94.65% |
| | b) Annuity | 82.89% | 78.08% |
| | c) Pension | 35.33% | 89.79% |
| | d) Health | NA | NA |
| | e) Variable Insurance | NA | NA |
| | Non Participating: | | |
| | a) Life (Individual and Group) | 88.12% | 86.26% |
| | b) Annuity | 58.98% | 102.26% |
| | c) Pension (Individual and Group) | 28.19% | 8.48% |
| | d) Health | 80.18% | 74.99% |
| | e) Variable Insurance | 54.41% | 55.42% |
| 6 | Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio | 14.50% | 14.17% |
| 7 | Commission Ratio (Gross commission and Rewards paid to Gross Premium) | 5.41% | 5.50% |
| 8 | Business Development and Sales Promotion Expenses to New Business Premium | | |
| 9 | Brand/Trade Mark usage fee/charges to New Business Premium | | |
| 10 | Ratio of Policyholders' Fund to Shareholders' funds | 398.59 | 585.24 |
| 11 | Change in net worth (Amount in Rs. Lakhs) | 404844.67 | 562116.53 |
| 12 | Growth in Networth | 71.64% | 760.10% |
| 13 | Ratio of Surplus to Policyholders' Fund | NA | NA |
| 14 | Profit after tax / Total Income | 0.56% | 0.43% |
| 15 | (Total Real Estate + Loans)/(Cash & Invested Assets) | 3.20% | 3.52% |
| 16 | Total Investments/(Capital + Reserves and Surplus) | 389.24 | 572.57 |





| अनुक्रमांक | विवरण | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए |
|------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 17 | कुल संबद्ध निवेश/(पूंजी+ आरक्षित और अधिशेष) | 5.01 | 7.78 |
| 18 | निवेश प्रतिफल-(सकल और निवल)-फंड वार और प्राप्त लाभ के साथ/बिना * | | |
| | अ अप्राप्त लाभ के बिना | | |
| | पॉलिसीधारक का फंडः नॉन लिंक्ड पार | 8.89% | 8.82% |
| | गैर पार | 7.56% | 8.23% |
| | जुड़े हुए | 13.11% | 10.12% |
| | कुल | 8.55% | 8.69% |
| | शेयरधारक का फंड | 3.00% | 3.35% |
| | बी अवास्तविक लाभ के साथ | | |
| | पॉलिसीधारक का फंडः नॉन लिंक्ड पार | 13.11% | 21.90% |
| | नॉन पार | 45.23% | 9.02% |
| | जुड़े हुए | 30.87% | 30.08% |
| | कुल | 21.84% | 18.52% |
| | शेयरधारक का फंड | 3.64% | 8.78% |
| 19 | दृढ़ता अनुपात – प्रीमियम आधार (व्यक्तिगत श्रेणी के तहत नियमित प्रीमियम/सीमित प्रीमियम भुगतान) ** | | |
| | 13वें महीने के लिए | 75.59% | 78.78% |
| | 25वें महीने के लिए | 73.47% | 70.02% |
| | 37वें महीने के लिए | 66.58% | 66.93% |
| | 49वें महीने के लिए | 63.85% | 63.11% |
| | 61वें महीने के लिए | 61.00% | 58.79% |
| | दृढ़ता अनुपात – प्रीमियम आधार (एकल प्रीमियम/व्यक्तिगत श्रेणी के तहत पूरी तरह से भुगतान किया गया) | | |
| | 13वें महीने के लिए | 99.62% | 99.55% |
| | 25वें महीने के लिए | 98.73% | 98.81% |
| | 37वें महीने के लिए | 97.44% | 97.98% |
| | 49वें महीने के लिए | 96.39% | 97.28% |
| | 61वें महीने के लिए | 95.93% | 95.42% |
| | दृढ़ता अनुपात – पॉलिसी आधार की संख्या (व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत नियमित प्रीमियम/सीमित प्रीमियम भुगतान) | | |
| | 13वें महीने के लिए | 63.45% | 67.46% |
| | 25वें महीने के लिए | 60.70% | 57.91% |
| | 37वें महीने के लिए | 54.09% | 55.05% |
| | 49वें महीने के लिए | 51.90% | 52.06% |
| | 61वें महीने के लिए | 49.86% | 47.93% |
| | दृढ़ता अनुपात – पॉलिसी आधार की संख्या (एकल प्रीमियम/व्यक्तिगत श्रेणी के तहत पूरी तरह से भुगतान किया गया) | | |
| | 13वें महीने के लिए | 99.52% | 99.37% |
| | 25वें महीने के लिए | 98.41% | 98.61% |
| | 37वें महीने के लिए | 97.23% | 97.47% |
| | 49वें महीने के लिए | 95.92% | 96.09% |
| | 61वें महीने के लिए | 94.71% | 94.63% |



| SI. No. | Particular | For the year ended 31st March 2022 | For the year ended 31 st March 2021 |
|------------|---|--|--|
| 17 | Total Affiliated Investments/(Capital+ Reserves and Surplus) | 5.01 | 7.78 |
| 18 | Investment Yield - (Gross and Net) -Fund wise and With/Without realised gain * | 5.01 | 7.76 |
| | A Without unrealized gain | | |
| | Policyholder's Fund:Non linked Par | 8.89% | 8.82% |
| | Non Par | 7.56% | 8.23% |
| | Linked | 13.11% | 10.12% |
| | Total | 8.55% | 8.69% |
| | Shareholder's Fund | 3.00% | 3.35% |
| | B With unrealised gain | | |
| | Policyholder's Fund:Non linked Par | 13.11% | 21.90% |
| | Non Par | 45.23% | 9.02% |
| | Linked | 30.87% | 30.08% |
| | Total | 21.84% | 18.52% |
| | Shareholder's Fund | 3.64% | 8.78% |
| 19 | Persistency Ratio - Premium Basis (Regular Premium/Limited Premium Payment under Individual category) ** | | |
| | For 13th month | 75.59% | 78.78% |
| | For 25th month | 73.47% | 70.02% |
| | For 37th month | 66.58% | 66.93% |
| | For 49th Month | 63.85% | 63.11% |
| | for 61st month | 61.00% | 58.79% |
| | Persistency Ratio - Premium Basis (Single Premium/Fully paid-up under Individual category) | | |
| | For 13th month | 99.62% | 99.55% |
| | For 25th month | 98.73% | 98.81% |
| | For 37th month | 97.44% | 97.98% |
| | For 49th Month | 96.39% | 97.28% |
| | for 61st month | 95.93% | 95.42% |
| | Persistency Ratio - Number of Policy Basis (Regular Premium/ Limited Premium Payment under Individual category) | | |
| | For 13th month | 63.45% | 67.46% |
| | For 25th month | 60.70% | 57.91% |
| | For 37th month | 54.09% | 55.05% |
| | For 49th Month | 51.90% | 52.06% |
| | for 61st month | 49.86% | 47.93% |
| | Persistency Ratio - Number of Policy Basis (Single Premium/Fully paid-up under Individual category) | | |
| | For 13th month | 99.52% | 99.37% |
| | For 25th month | 98.41% | 98.61% |
| | For 37th month | 97.23% | 97.47% |
| | For 49th Month | 95.92% | 96.09% |
| | for 61st month | 94.71% | 94.63% |





| अनुक्रमांक | विवरण | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए |
|------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 20 | एनपीए अनुपात | | |
| | पॉलिसीधारकों की निधि | | |
| | नॉन लिंक्ड पार सकल एनपीए अनुपात | 6.53% | 7.95% |
| | शुद्ध एनपीए अनुपात | 0.06% | 0.06% |
| | नॉन लिंक्ड नॉन पार ग्रॉस एनपीए रेश्यो | 4.31% | 7.19% |
| | शुद्ध एनपीए अनुपात | 0.00% | 0.00% |
| | जुड़ा हुआ सकल एनपीए अनुपात | 13.48% | 10.21% |
| | शुद्ध एनपीए अनुपात | 0.04% | 0.05% |
| | अंशधारी निधि | | |
| | सकल एनपीए अनुपात | 0 | 0 |
| | शुद्ध एनपीए अनुपात | 0 | 0 |
| 21 | सम्पन्नता अनुपात | 1.85 | 1.76 |
| 22 | ऋण इक्विटी अनुपात | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| 23 | कर्ज सेवा कवरेज अनुपात | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| 24 | व्याज सेवा कवरेज अनुपात | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| 25 | औसत टिकट आकार रु. – व्यक्तिगत प्रीमियम (गैर–एकल) | 14491.25 | 13856.52 |

पिछली अवधि के अनुपातों को पुनर्समूहित आंकड़ों पर निकाला जाता है

एनएः उपलब्ध नहीं

** दृढता अनुपात की गणना संशोधित आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है

नोटः नीचे बताए गए अनुपातों को छोड़कर सभी अनुपात प्रतिशत के रूप में हैं

- क) कुल निवेश/(पूंजी+अधिशेष)
- ख) कुल संबद्ध निवेश/(पूंजी+अधिशेष)
- सी) नेट वर्थ में परिवर्तन लाख रुपये में है
- घ) औसत टिकट आकार रुपये में व्यक्तिगत प्रीमियम (गैर–एकल)

8) संबंधित पार्टी प्रकटीकरणः

(संबंधित पार्टी संबंध जैसा कि निगम द्वारा पहचाना गया है)

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित पार्टी डिस्क्लोजर पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस 18) के अनुसार, संबंधित पार्टियां / कॉरपोरेशन के संयुक्त उद्यम इस प्रकार हैं:

क) संयुक्त उद्यमः

सऊदी इंडियन कंपनी फॉर को. ऑप. इंश्योरेन्स

ख) सहयोगी कंपनियां

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड आईडीबीआई बैंक लिमिटेड आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड



| SI. No. | Particular | For the year ended 31st March 2022 | For the year ended 31 st March 2021 |
|------------|---|--|--|
| 20 | NPA Ratio | | |
| | Policyholders' Funds | | |
| | Non linked Par Gross NPA Ratio | 6.53% | 7.95% |
| | Net NPA Ratio | 0.06% | 0.06% |
| | Non linked Non Par Gross NPA Ratio | 4.31% | 7.19% |
| | Net NPA Ratio | 0.00% | 0.00% |
| | Linked Gross NPA Ratio | 13.48% | 10.21% |
| | Net NPA Ratio | 0.04% | 0.05% |
| | Shareholders' Funds | | |
| | Gross NPA Ratio | 0 | 0 |
| | Net NPA Ratio | 0 | 0 |
| 21 | Solvency Ratio | 1.85 | 1.76 |
| 22 | Debt Equity Ratio | NA | NA |
| 23 | Debt Service Coverage Ratio | NA | NA |
| 24 | Interest Service Coverage Ratio | NA | NA |
| 25 | Average ticket size in Rs Individual premium (Non-Single) | 14491.25 | 13856.52 |

Previous Period's Ratios are worked out on regrouped figures

"NA": Not available

Note: All Ratios are in percentage form except the ratios stated below

- a) Total Investments/(Capital+Surplus)
- b) Total affiliated Investments/(Capital+Surplus)
- c) Change in Net Worth is in Rs. Lakhs
- d) Average ticket size in Rs. Individual premium (Non-Single)

8) RELATED PARTY DISCLOSURE:

(Related Party Relationship as identified by the Corporation)

As per the Accounting Standard on Related Party Disclosures (AS 18) issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the related parties/joint ventures of the Corporation are as follows:

A) Joint Ventures:

Saudi Indian Company for Co-operative Insurance.

B) Associate Companies

LIC Housing Finance Ltd.

LICHFL Asset Management Company Ltd.

LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.

LIC Mutual Fund Trustee Company Pvt. Ltd.

IDBI Bank Ltd.

IDBI Trusteeship Services Ltd.

^{**} Persistency Ratios have been calculated as per revised IRDAI guidelines





ग) सहायक कंपनियां:

एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड जीवन बीमा निगम (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड जीवन बीमा निगम (नेपाल) लिमिटेड जीवन बीमा निगम (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी) जीवन बीमा निगम (लंका) लिमिटेड जीवन बीमा निगम (एलआईसी) बांग्लादेश लिमिटेड

घ) निदेशक मंडल और प्रमुख व्यक्ति 31.03.2022

निदेशक मंडल

| श्री एम.आर. कुमार | अध्यक्ष | 14.03.2019 से प्रभावी |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| श्री राज कुमार | प्रबंध निदेशक | 01.11.2019 से प्रभावी |
| श्री सिद्धार्थ मोहंती | प्रबंध निदेशक | 01.02.2021 से प्रभावी |
| श्रीमती मिनी आईप | प्रबंध निदेशक | 02.08.2021 से प्रभावी |
| श्री बिष्णु चरण पटनायक | प्रबंध निदेशक | 01.10.2021 से प्रभावी |
| श्री. पंकज जैन | सरकार द्वारा नामित | 21.10.2020 से प्रभावी |
| डॉ. रंजन शर्मा | स्वतंत्र निदेशक | 29.10.2021 से प्रभावी |
| श्री विनोद कुमार वर्मा | स्वतंत्र निदेशक | 29.10.2021 से प्रभावी |
| प्रो. अनिल कुमार | स्वतंत्र निदेशक | 20.01.2022 से प्रभावी |
| श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 से प्रभावी |
| श्री गुरुमूर्ति महालिंगम | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 से प्रभावी |
| श्री राज कमल | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 से प्रभावी |
| श्री वी.एस. पार्थसारथी | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 से प्रभावी |
| श्री एम.पी. विजय कुमार | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 से प्रभावी |
| श्री संजीव नौटियाल | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 से प्रभावी |

प्रमुख व्यक्ति

| श्री डी.पी.मोहंती | का.नि. लेखा परीक्षा (मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षा) | 02.07.2018 से प्रभावी |
|-------------------------|--|-----------------------|
| श्री तबलेश पाण्डेय | का.नि. निवेश (आरएमआर) (मुख्य जोखिम अधिकारी) | 04.01.2022 से प्रभावी |
| श्री ए.के. आनंद | का.नि. आईएनवी ओपी (मुख्य निवेश अधिकारी) | 08.06.2020 से प्रभावी |
| श्री पी. मुरलीधरन | का.नि. (विपणन/पीडीईवी/एसबीए) (मुख्य विपणन अधिकारी) | 02.11.2020 से प्रभावी |
| श्रीमती शुभांगी एस सोमण | प्रमुख (एफएंडए) (मुख्य वित्त अधिकारी) | 07.05.2018 से |
| | | 31.05.2020 तक |
| | का.नि. (एफ एंड ए) (मुख्य वित्त अधिकारी) | 01.06.2020 से प्रभावी |
| श्री दिनेश पंत | नियुक्त बीमांकक | 17.01.2020 से प्रभावी |
| श्री. डी.पी. पटनायक | प्रमुख (आई/सी) (नि.स./नि.अनु./जी.जे.एफ.) | 03.06.2020 से प्रभावी |

निदेशक मंडल और प्रमुख व्यक्ति 30.05.2022 को

निदेशक मंडल

| श्री एम.आर. कुमार | अध्यक्ष | 14.03.2019 से प्रभावी |
|-----------------------|---------------|-----------------------|
| श्री राज कुमार | प्रबंध संचालक | 01.11.2019 से प्रभावी |
| श्री सिद्धार्थ मोहंती | प्रबंध संचालक | 01.02.2021 से प्रभावी |
| श्रीमती मिनी आईप | प्रबंध संचालक | 02.08.2021 से प्रभावी |





C) Subsidiary Companies:

LIC Pension Fund Ltd.

LIC Card Services Ltd.

Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd.

Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd.

Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c)

Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd

Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Ltd.

D) Board of Directors & Key Persons as at 31.03.2022

| Board | of Director | s |
|--------------|-------------|---|
|--------------|-------------|---|

| Shri M.R. Kumar | Chairperson | w.e.f. 14.03.2019 |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| Shri Raj Kumar | Managing Director | w.e.f. 01.11.2019 |
| Shri Siddhartha Mohanty | Managing Director | w.e.f. 01.02.2021 |
| Mrs. Mini Ipe | Managing Director | w.e.f. 02.08.2021 |
| Shri Bishnu Charan Patnaik | Managing Director | w.e.f. 01.10.2021 |
| Shri. Pankaj Jain | Government Nominee | w.e.f. 21.10.2020 |
| Dr. Ranjan Sharma | Independent Director | w.e.f. 29.10.2021 |
| Shri Vinod Kumar Verma | Independent Director | w.e.f. 29.10.2021 |
| Prof. Anil Kumar | Independent Director | w.e.f. 20.01.2022 |
| Smt. Anjuly Chib Duggal | Independent Director | w.e.f. 29.01.2022 |
| Shri Gurumoorthy Mahalingam | Independent Director | w.e.f. 29.01.2022 |
| Shri Raj Kamal | Independent Director | w.e.f. 29.01.2022 |
| Shri V. S. Parthasarthy | Independent Director | w.e.f. 29.01.2022 |
| Shri M.P. Vijay Kumar | Independent Director | w.e.f. 29.01.2022 |
| Shri Sanjeev Nautiyal | Independent Director | w.e.f. 29.01.2022 |

Key Persons

| key Persons | | |
|-----------------------|---|----------------------------------|
| Shri D.P.Mohanty | ED Audit (Chief Internal Audit) | w.e.f. 02.07.2018 |
| Shri Tablesh Pandey | ED Investment (RMR) (Chief Risk Officer) | w.e.f. 04.01.2022 |
| Shri A.K. Anand | ED INV OP (Chief Investment Officer) | w.e.f. 08.06.2020 |
| Shri P. Muraleedharan | ED (Mktg/PDEV/SBA)(Chief Marketing Officer) | w.e.f. 02.11.2020 |
| Smt.Shubhangi S.Soman | Chief (F&A) (Chief Finance Officer) | from 07.05.2018 to 31.05.2020 |
| | ED (F&A) (Chief Finance Officer) | w.e.f. 01.06.2020 |
| Shri Dinesh Pant | Appointed Actuary | w.e.f. 17.01.2020 |
| Shri. D.P. Pattanaik | Chief (I/C) (Corp. Gov/ RC/GJF) | w.e.f. 03.06.2021 |

Board of Directors & Key Persons as at 30.05.2022

Board of Directors

| Shri M.R. Kumar | Chairperson | w.e.f. 14.03.2019 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Shri Raj Kumar | Managing Director | w.e.f. 01.11.2019 |
| Shri Siddhartha Mohanty | Managing Director | w.e.f. 01.02.2021 |
| Mrs. Mini Ipe | Managing Director | w.e.f. 02.08.2021 |





| श्री बिष्णु चरण पटनायक | प्रबंध संचालक | 01.10.2021 से प्रभावी |
|---------------------------|--|-----------------------|
| श्री. पंकज जैन | सरकार द्वारा नामित | 21.10.2020 से प्रभावी |
| डॉ. रंजन शर्मा | स्वतंत्र निदेशक | 29.10.2021 से प्रभावी |
| श्री विनोद कुमार वर्मा | स्वतंत्र निदेशक | 29.10.2021 से प्रभावी |
| प्रो. अनिल कुमार | स्वतंत्र निदेशक | 20.01.2022 से प्रभावी |
| श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 से प्रभावी |
| श्री गुरुमूर्ति महालिंगम | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 से प्रभावी |
| श्री राज कमल | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 से प्रभावी |
| श्री वी.एस. पार्थसारथी | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 से प्रभावी |
| श्री एम.पी. विजय कुमार | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 से प्रभावी |
| श्री संजीव नौटियाल | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 से प्रभावी |
| | | |
| प्रमुख व्यक्ति | | |
| श्री डी.पी.मोहंती | का.नि. लेखा परीक्षा (मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षा) | 02.07.2018 से प्रभावी |
| श्री तबलेश पाण्डेय | का.नि. निवेश (आरएमआर) (मुख्य जोखिम अधिकारी) | 04.01.2022 से प्रभावी |
| श्री प्रमोद आर. मिश्रा | का.नि. आईएनवी ओपी (मुख्य निवेश अधिकारी) | 02.05.2022 से प्रभावी |
| श्री पी. मुरलीधरन | का.नि. (विपणन/पीडीईवी/एसबीए) (मुख्य विपणन अधिकारी) | 02.11.2020 से प्रभावी |
| श्री दिनेश पंत | नियुक्त बीमांकक | 17.01.2020 से प्रभावी |
| श्री. सत्यव्रत नायक | का.नि. (निनिप्र/ जीजेएफ/ आरसी) एंड सीसीओ | 25.04.2022 से प्रभावी |
| श्री सुनील अग्रवाल | मुख्य वित्तीय अधिकारी | 01.04.2022 से प्रभावी |

ङ) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 11(2) के तहत व्यवसाय के प्रबंधन के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा धारित नाम, विवरण, व्यवसाय और निदेशक पद युक्त विवरण।

| क्रमांक | नाम | विवरण | प्रोफाइल/निर्देशन ३१ मार्च, २०२२ तक आयोजित किया गया |
|---------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 1. | श्री एम आर कुमार | अध्यक्ष | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड एलआईसी काड्स सर्विसेज लिमिटेड एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड जीवन बीमा निगम (नेपाल) लिमिटेड जीवन बीमा निगम (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी) जीवन बीमा निगम (लंका) लिमिटेड केनइंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जीवन बीमा निगम (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड एसीसी लिमिटेड। |
| 2. | श्री राज कुमार | प्रबंध निदेशक, एलआईसी ऑफ इंडिया | एलआईसीएचएफएल लिमिटेड एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जीवन बीमा निगम (लंका) लिमिटेड ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड राष्ट्रीय बीमा अकादमी एलआईसी गोल्डन जुबली फाउन्डेशन |
| 3. | श्री सिद्धार्थ मोहंती | प्रबंध निदेशक, एलआईसी ऑफ इंडिया | एलआईसी गोल्डन जुबली फंड एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे जीवन बीमा निगम (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी) |





| Shri Bishnu Charan Patnaik | Managing Director | w.e.f. 01.10.2021 |
|-----------------------------|---|-------------------|
| Shri. Pankaj Jain | Government Nominee | w.e.f. 21.10.2020 |
| Dr. Ranjan Sharma | Independent Director | w.e.f. 29.10.2021 |
| Shri Vinod Kumar Verma | Independent Director | w.e.f. 29.10.2021 |
| Prof. Anil Kumar | Independent Director | w.e.f. 20.01.2022 |
| Smt. Anjuly Chib Duggal | Independent Director | w.e.f. 29.01.2022 |
| Shri Gurumoorthy Mahalingam | Independent Director | w.e.f. 29.01.2022 |
| Shri Raj Kamal | Independent Director | w.e.f. 29.01.2022 |
| Shri V. S. Parthasarthy | Independent Director | w.e.f. 29.01.2022 |
| Shri M.P. Vijay Kumar | Independent Director | w.e.f. 29.01.2022 |
| Shri Sanjeev Nautiyal | Independent Director | w.e.f. 29.01.2022 |
| | | |
| Key Persons | | |
| Shri D.P.Mohanty | ED Audit (Chief Internal Audit) | w.e.f. 02.07.2018 |
| Shri Tablesh Pandey | ED Investment (RMR) (Chief Risk Officer) | w.e.f. 01.01.2022 |
| Shri Pramoda R. Mishra | ED INV OP (Chief Investment Officer) | w.e.f. 02.05.2022 |
| Shri P. Muraleedharan | ED (Mktg/PDEV/SBA)(Chief Marketing Officer) | w.e.f. 02.11.2020 |
| Shri Dinesh Pant | Appointed Actuary | w.e.f. 17.01.2020 |
| Shri. Satyabrata Nayak | ED (Corp. Gov/GJF/ RC) & CCO | w.e.f. 25.04.2022 |
| Shri Sunil Agrawal | Chief Financial Officer | w.e.f. 01.04.2022 |
| | | |

E) Statement containing names, description, occupations of and directorships held by the persons in charge of management of the business under section 11(2) of the Insurance Act, 1938.

| Sr. No. | Name | Description | Profile/Directorship held as on 31st March, 2022 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. | Shri M R Kumar | Chairperson LIC of India | IDBI Bank Ltd LIC Housing Finance Ltd LIC Pension Fund Ltd LIC Cards Services Ltd LIC Mutual Fund Asset Management Ltd Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c) Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd Kenindia Assurance Company Ltd Life Insurance Corporation (Singapore) Pte Ltd ACC Limited. |
| 2. | Shri Raj Kumar | Managing Director LIC of India | LICHFL Ltd LICHFL Asset Management Co Ltd Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd Grasim Industries Ltd National Insurance Academy LIC Golden Jubilee Foundation |
| 3. | Shri Siddhartha Mohanty | Managing Director LIC of India | LIC Golden Jubilee Fund LIC Cards Services Limited LIC Pension Fund Limited National Insurance Academy, Pune Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c) |





| क्रमांक | नाम | विवरण | प्रोफाइल/निर्देशन ३१ मार्च, २०२२ तक आयोजित किया गया |
|---------|--------------------------|------------------------------------|--|
| 4. | श्रीमती आईप मिनी | प्रबंध निदेशक, एलआईसी ऑफ इंडिया | एलआईसी एचएफएल केयर होम्स लिमिटेड जीवन बीमा निगम (एलआईसी) बांग्लादेश लिमिटेड राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 5. | श्री बिष्णु चरण पटनायक | प्रबंध निदेशक, एलआईसी ऑफ इंडिया | जीवन बीमा निगम (नेपाल) लिमिटेड एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड एलआईसी एमएफ ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भारतीय बीमा संस्थान राष्ट्रीय बीमा अकादमी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड |
| 6. | श्री पंकज जैन | सरकार द्वारा नामित | तेल उद्योग विकास बोर्ड भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एनसीजीटीसी पंजाब नेशनल बैंक नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजवर्स लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र प्राधिकरण |
| 7. | डॉ रंजन शर्मा | स्वतंत्र निदेशक | <u>श</u> ून्य |
| 8. | श्री विनोद कुमार वर्मा | स्वतंत्र निदेशक | <u>श</u> ून्य |
| 9. | प्रो. अनिल कुमार | स्वतंत्र निदेशक | शून्य |
| 10. | श्रीमती अंजुलीचिब दुग्गल | स्वतंत्र निदेशक | जिलेट इंडिया लिमिटेड प्रकृति संरक्षण भारत |
| 11. | श्री गुरुमूर्ति महालिंगम | स्वतंत्र निदेशक | शून्य |
| 12. | श्री राज कमल | स्वतंत्र निदेशक | एसएमआईटी कंसिल्टिंग डीएमसीसी, (यूएई में शामिल) ट्रांस—फाई इंक |
| 13. | श्री वी.एस. पार्थसारथी | स्वतंत्र निदेशक | ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड रूडी मल्टी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ग्रासरूट नेटवर्क (GTNfW) एक धारा 8 कंपनी एकुहोल्ड एन वी ऑलकार्गो बेल्जियम किड्स क्लिनिक इंडिया लिमिटेड इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड जाईएआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान |
| 14. | श्री एम. पी. विजय कुमार | स्वतंत्र निदेशक | थेजो इंजीनियरिंग लिमिटेड सेला इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सिफी डाटा एंड मैनेज्ड सर्विसेज लिमिटेड एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्स.बी.आर.एल) इंडिया हेरिटेज फूड्स लिमिटेड जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड सिफी टेक्नोलॉजीज (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड |
| 15. | श्री संजीव नौटियाल | स्वतंत्र निदेशक | शून्य |



| Sr. No. | Name | Description | Profile/Directorship held as on 31st March, 2022 |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| 4. | Smt Ipe Mini | Managing Director LIC of India | LICHFL Care Homes Ltd Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Ltd National Insurance Academy, Pune LIC Golden Jubilee Foundation DCM Shriram Industries Limited |
| 5. | Shri Bishnu Charan Patnaik | Managing Director LIC of India | Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd LIC Cards Services Ltd LIC MF Trustee Co Pvt Ltd Insurance Institute of India National Insurance Academy India Bulls Housing Finance Limited |
| 6. | Shri Pankaj Jain | Government Nominee | Oil Industry Development Board Small Industries Development Bank of India [SIDBI] National Credit Guarantee Trustee Company Ltd [NCGTC] Punjab National Bank National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) Petronet LNG Limited Indian Strategic Petroleum Reserves Limited International Financial Services Centres Authority |
| 7. | Dr Ranjan Sharma | Independent Director | NIL |
| 8. | Shri Vinod Kumar Verma | Independent Director | NIL |
| 9. | Prof. Anil Kumar | Independent Director | NIL |
| 10. | Smt. AnjulyChib Duggal | Independent Director | Gillette India Ltd The Nature Conservancy India |
| 11. | Shri Gurumoorthy Mahalingam | Independent Director | NIL |
| 12. | Shri Raj Kamal | Independent Director | SMIT Consulting DMCC, (incorporated in UAE) Trans-Fi Inc |
| 13. | Shri V. S. Parthasarathy | Independent Director | Allcargo Logistics Limited RUDI Multi Trading Company Limited Grassroot Network (GTNfW) a Section 8 company Ecuhold N V AllCargo Belgium Kids Clinic India Limited Imperial Auto Industries Limited IAI Industries Limited National Institute of Industrial Engineering |
| 14. | Shri M. P. Vijay Kumar | Independent Director | Thejo Engineering Limited Sella India Software Services Private Limited Sify Data and ManagedServices Limited Extensible Business Reporting Language (XBRL) India Heritage Foods Limited Geojit Financial Services Limited Sify Technologies (Singapore) Pte Limited |
| 15. | Shri Sanjeev Nautiyal | Independent Director | NIL |





| | Г | T - | T |
|---------|--------------------------|---------------------------------------|--|
| क्रमांक | नाम | विवरण | प्रोफाइल/निर्देशन 30 मई, 2022 तक आयोजित किया गया |
| 1. | श्री एम आर कुमार | अध्यक्ष | एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड जीवन बीमा निगम (नेपाल) लिमिटेड जीवन बीमा निगम (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी) जीवन बीमा निगम (लंका) लिमिटेड केनइंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जीवन बीमा निगम (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड एसीसी लिमिटेड। |
| 2. | श्री राज कुमार | प्रबंध निदेशक, एलआईसी ऑफ इंडिया | एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जीवन बीमा निगम (लंका) लिमिटेड ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईडीबीआई बैंक लिमिटेड राष्ट्रीय बीमा अकादमी एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन |
| 3. | श्री सिद्धार्थ मोहंती | प्रबंध निदेशक, एलआईसी ऑफ इंडिया | एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड जीवन बीमा निगम (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी) महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड |
| 4 | श्रीमती आईप मिनी | प्रबंध निदेशक, एलआईसी ऑफ इंडिया | एलआईसी एचएफएल केयर होम्स लिमिटेड बांग्लादेश लिमिटेड का जीवन बीमा निगम (एलआईसी) राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 5 | श्री बिष्णु चरण पटनायक | प्रबंध निदेशक, एलआईसी ऑफ इंडिया | जीवन बीमा निगम (नेपाल) लिमिटेड एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड एलआईसी एमएफ ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भारतीय बीमा संस्थान राष्ट्रीय बीमा अकादमी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड |
| 6. | श्री पंकज जैन | सरकार द्वारा नामित | तेल उद्योग विकास बोर्ड नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एनसीजीटीसी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजवर्स लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण |
| 7. | डॉ रंजन शर्मा | स्वतंत्र निदेशक | शून्य |
| 8. | श्री विनोद कुमार वर्मा | स्वतंत्र निदेशक | शून्य |
| 9. | प्रो. अनिल कुमार | स्वतंत्र निदेशक | <u>श</u> ून्य |
| 10. | श्रीमती अंजुलीचिब दुग्गल | स्वतंत्र निदेशक | जिलेट इंडिया लिमिटेड प्रकृति संरक्षण भारत |
| 11. | श्री गुरुमूर्ति महालिंगम | स्वतंत्र निदेशक | शून्य |
| 12. | श्री राज कमल | स्वतंत्र निदेशक | एसएमआईटी कंसल्टिंग डीएमसीसी, (यूएई में शामिल) ट्रांस—फाई इंक |



| Sr. No. | Name | Description | Profile/Directorship held as on 30th May, 2022 |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. | Shri M.R. Kumar | Chairman LIC of India | LIC Housing Finance Ltd LIC Pension Fund Ltd LIC Cards Services Ltd LIC Mutual Fund Asset Management Ltd Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c) Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd Kenindia Assurance Company Ltd Life Insurance Corporation (Singapore) Pte Ltd ACC Limited. |
| 2. | Shri Raj Kumar | Managing Director LIC of India | LIC Housing Finance Ltd LICHFL Asset Management Co Ltd Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd Grasim Industries Ltd IDBI Bank Ltd. National Insurance Academy LIC Golden Jubilee Foundation |
| 3. | Shri Siddhartha Mohanty | Managing Director LIC of India | LIC Golden Jubilee Fund LIC Cards Services Limited LIC Pension Fund Limited Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c) Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. |
| 4 | Smt Ipe Mini | Managing Director LIC of India | LICHFL Care Homes Ltd Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Ltd National Insurance Academy, Pune LIC Golden Jubilee Foundation DCM Shriram Industries Limited |
| 5 | Shri Bishnu Charan Patnaik | Managing Director LIC of India | Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd LIC Cards Services Ltd LIC MF Trustee Co Pvt Ltd Insurance Institute of India National Insurance Academy India Bulls Housing Finance Limited |
| 6. | Shri Pankaj Jain | Government Nominee | Oil Industry Development Board National Credit Guarantee Trustee Company Ltd [NCGTC] National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) Petronet LNG Limited Indian Strategic Petroleum Reserves Limited International Financial Services Centres Authority |
| 7. | Dr Ranjan Sharma | Independent Director | NIL |
| 8. | Shri Vinod Kumar Verma | Independent Director | NIL |
| 9. | Prof. Anil Kumar | Independent Director | NIL |
| 10. | Smt. AnjulyChib Duggal | Independent Director | Gillette India Ltd The Nature Conservancy India |
| 11. | Shri Gurumoorthy Mahalingam | Independent Director | NIL |
| 12. | Shri Raj Kamal | Independent Director | SMIT Consulting DMCC, (incorporated in UAE) Trans-Fi Inc |





| 13. | श्री वी.एस. पार्थसारथी | स्वतंत्र निदेशक | ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड रूडी मल्टी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ग्रासरूट नेटवर्क (GTNfW) एक धारा 8 कंपनी एकुहोल्ड एन वी ऑलकार्गो बेल्जियम किड्स क्लिनिक इंडिया लिमिटेड इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईएआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्रीनसेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान |
|-----|-------------------------|-----------------|--|
| 14. | श्री एम. पी. विजय कुमार | स्वतंत्र निदेशक | थेजो इंजीनियरिंग लिमिटेड सेला इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सिफी डाटा एंड मैनेज्ड सर्विसेज लिमिटेड एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्स.बी.आर.एल) इंडिया हेरिटेज फूड्स लिमिटेड जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड सिफी टेक्नोलॉजीज (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड |
| 15. | श्री संजीव नौटियाल | स्वतंत्र निदेशक | शून्य |

ङ) उपरोक्त संबंधित पार्टियों के साथ 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान निगम के लेन—देन की प्रकृति और मात्रा निम्नानुसार थीः

i) सहयोगी और प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति

(₹ लाख में)

| | | | सहयोगी | | | , , |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| | | | | | | |
| विवरण | एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड | एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी | एलआईसी म्यूचुअल फंड एएम लिमिटेड | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड | प्रमुख प्रबंधन कार्मिक |
| इक्विटी, ऋण, बांड और म्यूचुअल फंड की खरीद | 233551.22 (0.00) | - | 1435423.00 (1028020.17) | - | - | - |
| म्यूचुअल फंड की बिक्री | - | - | 1324175.23 (1065200.93) | - | - | - |
| ऋणों और बांडों / ऋणों पर मोचन | 150000.00 (200000.00) | - | - | 155000.00 (4000.00) | - | - |
| आय प्राप्त करें | - | - | 4883.68 (7505.30) | 1 | | - |
| आवेदन धन | - | - | 0.00 (22500.00) | - | - | - |
| निवेश से आय | 144968.56 (157908.30) | 13.60 (13.60) | 49.50 (0.00) | 27875.93 (28217.38) | 540.00 (450.00) | - |
| किराया | 824.21 (843.53) | - | 268.89 (209.73) | 132.50 (113.84) | ı | - |
| अन्य प्रशासनिक के प्रति प्रतिपूर्ति / भुगतान खर्च | 240.63 (181.21) | 18.80 (10.29) | 239.86 (192.34) | 1738.41 (15.07) | - | - |
| कमीशन का भुगतान किया गया | - | - | - | 6866.00 | - | - |
| प्रबंधकीय पारिश्रमिक | - | - | - | - | - | 965.89 (512.00) |
| कुल | 529584.62 (358933.04) | 32.40 (23.89) | 2765050.16 (2123628.47) | 191612.84 (32346.29) | 540.00 (450.00) | 965.89 (512.00) |

^{*} पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक () में दिखाए गए हैं।





| 13. | Shri V. S. Parthasarathy | Independent Director | Allcargo Logistics Limited RUDI Multi Trading Company Limited Grassroot Network (GTNfW) a Section 8 company Ecuhold N V AllCargo Belgium Kids Clinic India Limited Imperial Auto Industries Limited IAI Industries Limited Greencell Mobility Private Limited Girnar Software Private Limited National Institute of Industrial Engineering |
|-----|-----------------------------|-------------------------|--|
| 14. | Shri M. P. Vijay Kumar | Independent Director | Thejo Engineering Limited Sella India Software Services Private Limited Sify Data and Managed Services Limited Extensible Business Reporting Language (XBRL) India Heritage Foods Limited Geojit Financial Services Limited Sify Technologies (Singapore) Pte Limited |
| 15. | Shri Sanjeev Nautiyal | Independent Director | NIL |

F) The nature and volume of transactions of the Corporation during the year ended on 31st March, 2022 with the above related parties were as follows:

i) Associates and Key Management Personals

(₹ in Lakhs)

| | | Vau | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Particulars | LIC Housing Finance Ltd. | LIC HFL Asset Management Co. | LIC Mutual Fund AM Ltd. | IDBI Bank Ltd. | IDBI Trusteeship Services Ltd. | Key Management Personnel |
| Purchase of Equity, Debts, bonds and Mutual Fund | 233551.22 (0.00) | - | 1435423.00 (1028020.17) | - | - | - |
| Sale of Mutual Fund | - | - | 1324175.23 (1065200.93) | - | - | - |
| Redemption on Debts & bonds / Loans | 150000.00 (200000.00) | - | - | 155000.00 (4000.00) | - | - |
| Gain Income | - | - | 4883.68 (7505.30) | - | | - |
| Application Money | - | - | 0.00 (22500.00) | - | - | - |
| Income from Investment | 144968.56 (157908.30) | 13.60 (13.60) | 49.50 (0.00) | 27875.93 (28217.38) | 540.00 (450.00) | - |
| Rent | 824.21 (843.53) | - | 268.89 (209.73) | 132.50 (113.84) | - | - |
| Reimbursement / payment towards other administrative Expenses | 240.63 (181.21) | 18.80 (10.29) | 239.86 (192.34) | 1738.41 (15.07) | - | - |
| Commission paid | - | - | - | 6866.00 | - | - |
| Managerial Remuneration | - | - | - | - | - | 965.89 (512.00) |
| TOTAL | 529584.62 (358933.04) | 32.40 (23.89) | 2765050.16 (2123628.47) | 191612.84 (32346.29) | 540.00 (450.00) | 965.89 (512.00) |

^{*} Previous year figures are shown in bracket ().





ii) **सहायक कंपनियां** (₹ लाख में)

| | सहायक कंपनियां | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| विवरण | एलआईसी पेंशन फंड | एलआईसी कार्ड सेवाएं | एलआईसी नेपाल लिमिटेड | एलआईसी बांग्लादेश | एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी (सी) बहरीन | एलआईसी (लंका) लिमिटेड | एलआईसी सिंगापुर पीटीई लिमिटेड |
| इक्विटी, ऋण, बांड और म्यूचुअल फंड की खरीद | 2000.00 (0.00) | - | - | - | 88040.60 (0.00) | 811.28 (0.00) | 0.00 (0.00) |
| वार्षिक तकनीकी / आई.टी. समाधान शुल्क प्राप्त | - | ı | 20.00 (20.00) | 16.38 (16.97) | 53.98 (0.00) | - | - |
| किराया | - | 5.28 (4.05) | - | - | - | - | - |
| अन्य प्रशासनिक खर्चों की प्रतिपूर्ति/ भुगतान | 2427.93 (1345.85) | 2.73 (2.54) | - | - | - | - | - |
| कुल | 4427.93 (1345.85) | 8.01 (6.59) | 20.00 (20.00) | 16.38 (16.97) | 88094.58 (0.00) | 811.28 (0.00) | 0.00 (0.00) |

^{*} पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक () में दर्शाए गए हैं।

iii) संबंधित पक्षों के पास बकाया राशि 31.03.2022

| क्रमांक | संबंधित पार्टी का नाम संबंधों की प्रकृति | | प्रतिबद्धताओं सहित् राशि (लाख | क्या देय / प्राप्य है | |
|---------|---|--------|----------------------------------|--------------------------|---------|
| | | | 2021-22 | 2020-21 | - |
| 1 | एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड | सहयोगी | 1334341.03 | 1495061.30 | प्राप्य |
| 2 | एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड | सहयोगी | 85.95 | 7.20 | देय |
| 3 | एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | सहयोगी | 0.08 | 0.07 | प्राप्य |
| 4 | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | सहयोगी | 598408.14 | 690000.00 | प्राप्य |
| 5 | एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड | सहायक | 1287.79 | 1439.20 | प्राप्य |
| 6 | एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड | सहायक | 247.66 | 1345.80 | प्राप्य |
| 7 | एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड | सहायक | 131.82 | 129.40 | प्राप्य |
| 8 | जीवन बीमा निगम (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी) | सहायक | 173.77 | 35.00 | प्राप्य |

9) प्रावधानों का संचलनः

(₹ लाख में)

| | विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|--|------------|------------|
| 1 | घोषित लाभांश के लिए | | |
| | (5% मूल्यांकन अधिशेष) | | |
| | प्रारंभिक जमा | 0.00 | 269774.28 |
| | वर्ष के दौरान वृद्धि | 0.00 | 288901.01 |
| | भारत सरकार को भुगतान की गई राशि | 0.00 | 0.00 |
| | रखी गई राशि और आरक्षित और अधिशेष में अंतरण | 0.00 | 558675.29 |
| | जमा शेष | 0.00 | 0.00 |
| 2 | सॉर्ल्वेसी मार्जिन के लिए रिजर्व का प्रावधान | | |
| | प्रारंभिक जमा | 1494305.60 | 1494305.60 |
| | वर्ष के दौरान वृद्धि | 0.00 | 0.00 |
| | वर्ष के दौरान कटौती | 0.00 | 0.00 |
| | जमा शेष | 1494305.60 | 1494305.60 |





ii) Subsidiaries

(₹ in Lakhs)

| | Subsidiaries | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|------------------------|-----------------------------|--|
| Particulars | LIC Pension Fund | LIC Card Services | LIC Nepal Ltd. | LIC Bangladesh | LIC (International) B.S.C.(c) Bahrain | LIC (Lanka) Ltd. | LIC Singapore Pte Ltd | |
| Purchase of Equity, Debts, bonds and Mutual Fund | 2000.00 (0.00) | - | - | - | 88040.60 (0.00) | 811.28 (0.00) | 0.00 (0.00) | |
| Annual Technical/ I.T. Solution fees received | - | - | 20.00 (20.00) | 16.38 (16.97) | 53.98 (0.00) | - | - | |
| Rent | - | 5.28 (4.05) | ı | - | - | ı | - | |
| Reimbursement / payment towards other administrative expenses | 2427.93 (1345.85) | 2.73 (2.54) | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | 4427.93 (1345.85) | 8.01 (6.59) | 20.00 (20.00) | 16.38 (16.97) | 88094.58 (0.00) | 811.28 (0.00) | 0.00 (0.00) | |

^{*} Previous year figures are shown in bracket ().

iii) Outstanding balances with related parties as at 31.03.2022.

| SI. No. | Name of the Related Party | Nature of Relationship with the | Amount of C Balances i Commitment | Whether Payable / Receivable | |
|------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------|------------|
| | | Company | 2021-22 | 2020-21 | Receivable |
| 1 | LIC Housing Finance Ltd. | Associate | 1334341.03 | 1495061.30 | Receivable |
| 2 | LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. | Associate | 85.95 | 7.20 | Payable |
| 3 | LICHFL Asset Management Co. Ltd. | Associate | 0.08 | 0.07 | Receivable |
| 4 | IDBI Bank Ltd. | Associate | 598408.14 | 690000.00 | Receivable |
| 5 | LIC Cards Services Ltd. | Subsidiary | 1287.79 | 1439.20 | Receivable |
| 6 | LIC Pension Fund Ltd. | Subsidiary | 247.66 | 1345.80 | Receivable |
| 7 | LIC of Bangladesh Ltd. | Subsidiary | 131.82 | 129.40 | Receivable |
| 8 | Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c) | Subsidiary | 173.77 | 35.00 | Receivable |

9) Movement of Provisions:

(₹ in Lakhs)

| | Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|--|--------------|---------------|
| 1 | For Proposed Dividend | | |
| | (5% Valuation Surplus) | | |
| | Opening Balance | 0.00 | 269774.28 |
| | Addition during the year | 0.00 | 288901.01 |
| | Amount paid to Government of India | 0.00 | 0.00 |
| | Amount retained and transfer to Reserves & Surplus | 0.00 | 558675.29 |
| | Closing Balance | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Provision for reserve for solvency margin | | |
| | Opening Balance | 1494305.60 | 1494305.60 |
| | Addition during the year | 0.00 | 0.00 |
| | Deduction during the year | 0.00 | 0.00 |
| | Closing Balance | 1494305.60 | 1494305.60 |





10) प्रबंधन का खर्च:

प्रबंधन के खर्च चार खंडों को छोड़कर IRDAI (बीमाकर्ता के जीवन बीमा कारोबार के प्रबंधन के खर्च) विनियमन 2016 के नियमन के अनुसार हैं, जिसके लिए निगम IRDAI से सहनशीलता की मांग करेगा। हालांकि समग्र आधार पर प्रबंधन के वास्तविक खर्च सभी खंडों के लिए स्वीकार्य कुल खर्च की सीमा के भीतर हैं।

11) खंडीय रिपोर्टिंग की प्रस्तुति पर प्रकटीकरणः

कंपनी अधिनियम 2013 और नियमों की धारा 133 के तहत अधिसूचित "सेगमेंटल रिपोर्टिंग" पर लेखा मानक 17 के साथ पित आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियम 2002 ('विनियम') के तहत पहचाने गए प्राथमिक खंडों के आधार पर और नियम इसके तहत, निगम ने शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के लिए अलग—अलग खंडीय जानकारी को वर्गीकृत और प्रकट किया है। तदनुसार, निगम ने प्राथमिक व्यवसाय खंडों के लिए राजस्व खाता और तुलन-पत्र तैयार की है, जैसे कि भाग लेने वाला जीवन व्यक्ति, भाग लेने वाला पेंशन व्यक्ति, भाग लेने वाला वार्षिकी व्यक्ति, गैर—भागीदार जीवन (व्यक्तिगत और समूह), गैर—भागीदारी पेंशन (व्यक्तिगत और समूह), गैर—भागीदारी वार्षिकी व्यक्तिगत, गैर—भागीदारी परिवर्तनीय व्यक्तिगत, गैर—भागीदारी स्वास्थ्य व्यक्तिगत, गैर—भागीदारी यूनिट लिंक्ड। निगम विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य करता है। (अनुबंध—। खंडीय रिपोर्टिंग पर)

12) विदेशी मुद्रा भंडारः

फिजी, मॉरीशस और यूनाइटेड किंगडम में किए गए परिचालन गैर अभिन्न प्रकृति के हैं। राजस्व खाता मदों का अनुवाद औसत विनिमय दर और तुलन पत्र मदों को समापन दर पर किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन विनिमय अंतर जो वर्ष 2010-11 तक राजस्व खाते में प्रभारित किया गया था, अब अनुसूची 6ए: बीमा भंडार (पॉलिसीधारक) और अनुसूची 6ः आरक्षित और अधिशेष (शेयरधारक) के तहत विदेशी मुद्रा भंडार में जमा हो गया है।

एक्सचेंज में उतार-चढ़ाव रिजर्व इस प्रकार है: -

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2022 तक | 31.03.2021 तक |
|--|---------------|---------------|
| आरक्षित और अधिशेष (शेयरधारक) अनुसूची 6 | (70.88) | (63.33) |
| बीमा आरक्षित (पॉलिसीधारक) अनुसूची 6ए | 54563.63 | 65496.56 |

13) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006:

प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED ACT) के तहत आपूर्तिकर्ताओं से उनकी स्थिति के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर, निगम के पास उक्त के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों की राशि है। निम्नानुसार है:-

| | | | ((()) |
|------|--|------------------|------------------|
| अनु. | विवरण | 31.03.2022 तक | 31.03.2021 तक |
| 1 | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बकाया मूलधन राशि। | 189.57 | Nil |
| 2 | उपरोक्त 1 के अनुसार बकाया मूलधन पर अर्जित ब्याज। | Nil | Nil |
| 3 | सेवाओं की सुपुदर्मी की तारीख से 15 दिन या सहमत समय के पश्चात वर्ष के दौरान मूलधन की धनराशी एवं भुगतान की गई ब्याज की धनराशी | Nil | Nil |
| 4 | वर्ष के दौरान मूलधन पर देय ब्याज लेकिन अभी तक भुगतान किया जाना है। | Nil | Nil |
| 5 | बाद के वर्षों में भी देय और देय शेष ब्याज की राशि, जब तक कि कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए, जब तक उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं की जाती है। | Nil | Nil |





10) Expenses of Management:

The Expenses of Management are in accordance with the Regulation of IRDAI (Expenses of Management of Insurer transacting life insurance business) Regulation 2016 except in four segments, for which the Corporation shall seek forbearance from IRDAI. However on an overall basis the actual expenses of management are within the limit of aggregate expenses allowable for all the segments.

11) Disclosure on presentation of segmental Reporting:

Based on the primary segments identified under IRDA (preparation of Financial statements and auditors' report of insurance Companies) regulations 2002 ('the regulations') read with Accounting Standard 17 on "segmental reporting" notified under section 133 of the Companies act 2013 and rules there under, the Corporation has classified and disclosed segmental information separately for shareholders and policyholders. Accordingly the Corporation has prepared the Revenue Account and the Balance Sheet for the primary business segments namely Participating Life Individual, Participating Pension Individual, Participating Annuity Individual, Non Participating Life (Individual & Group), Non Participating Pension (Individual & Group), Non Participating Annuity Individual, Non Participating Variable individual, Non Participating Health individual, Non Participating Unit Linked. The Corporation operates in various geographical segments. (Annexure –I on segmental reporting).

12) Foreign Exchange Reserve:

Operations carried out in Fiji, Mauritius and United Kingdom are of non integral nature. The Revenue Account items are translated at the average exchange rate and Balance Sheet items at closing rate. Revaluation Exchange difference which was charged to Revenue Account till the year i.e. 2010-11 is now accumulated in Foreign Exchange Reserve under Schedule 6A: Insurance Reserves (Policyholders) and Schedule 6: Reserve and surplus (shareholders).

The Exchange fluctuation reserve is as follows:-

(₹ in Lakhs)

| Particulars | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|--|------------------|------------------|
| Reserve and surplus (shareholders)Schedule 6 | (70.88) | (63.33) |
| Insurance Reserves (Policyholders) Schedule 6A | 54563.63 | 65496.56 |

13) The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006:

According to information available with the management, on the basis of intimation received from suppliers, regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED ACT), the corporation has amounts due to Micro and Small Enterprises under the said Act as follows:

(₹ in Lakhs)

| Sr. No. | Particulars | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|------------|--|------------------|------------------|
| 1 | Principal amount remaining unpaid to Micro, small & medium enterprise. | 189.57 | Nil |
| 2 | Interest accrued on principal amount remaining unpaid as per 1 above. | Nil | Nil |
| 3 | Amount of interest paid during the year along with the payment of principal amount made beyond 15 days or agreed time from the date of delivery /rendering of services. | Nil | Nil |
| 4 | Interest due but yet to be paid on principal during the year. | Nil | Nil |
| 5 | Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as deductible expenditure. | Nil | Nil |





14) परिचालन व्यय प्रकटीकरणः

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| आउटसोर्सिंग व्यय | 59593.14 | 48563.74 |
| व्यापार विकास | 129514.44 | 149999.75 |
| विपणन समर्थन | 53964.78 | 48660.40 |

15) 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई

(₹ लाख में)

| | | 2 | 2021-202 | 2 | | 2020-21 | |
|------|--|----------|--------------------|--------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------|
| अनु. | प्राधिकरण | जुर्माना | जुर्माना भुगतान | जुर्माना माफ/कम किया गया | जुर्माना | जुर्माना भुगतान | जुर्माना माफ/कम किया गया |
| 1 | बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | जीएसटी/ सेवा कर प्राधिकरण | 670.94 | 50.51 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 3 | आयकर अधिकारी | 374.27 | 16.82 | 0.00 | 6.43 | 6.43 | 0.00 |
| 4 | कोई अन्य कर प्राधिकरण | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 5 | प्रवर्तन निदेशालय / निर्णायक प्राधिकरण / न्यायाधिकरण या फेमा के तहत कोई प्राधिकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार/एनसीएलटी/ सीएलबी/कॉर्पोरेट मामलों के विभाग या कोई प्राधिकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | दावा निपटान सहित किसी भी मामले के लिए किसी भी न्यायालय/ अधिकरण द्वारा दिया गया दंड लेकिन मुआवजे को छोड़कर | 36.58 | 36.58 | 0.00 | 3.71 | 3.71 | 0.00 |
| 8 | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | कोई अन्य केंद्र / राज्य / स्थानीय सरकार / सांविधिक प्राधिकरण | 11.63 | 5.73 | 0.00 | 888.78 | 0.10 | 0.00 |
| | कुल | 1104.18 | 110.40 | 0.00 | 899.17 | 10.49 | 0.00 |

गैर अनुपालन/उल्लंघन का विवरण:

| विवरण | 2021-22 | 2020-21 |
|--|---------|---------|
| रिटर्न भरने में देरी और कर के देर से भुगतान | 374.27 | 6.43 |
| पेशेवर कर का देर से प्रेषण | 0.76 | 0.23 |
| पॉलिसीधारकों के पक्ष में न्यायालय द्वारा दिया गया जुर्माना | 36.41 | 3.71 |
| सरकार द्वारा दिया गया जुर्माना पॉलिसीधारक के अलावा अन्य प्राधिकरण से | 21.80 | 888.78 |
| जीएसटी / सेवा कर प्राधिकरण | 670.94 | 0.02 |
| कुल | 1104.18 | 899.17 |

16) फ्री-लुक अवधि के लिए प्रावधान:

वर्ष के अंत में 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 को फ्री—लुक अवधि का प्रावधान क्रमशः अप्रैल 2022 और अप्रैल 2021 के महीने के दौरान वापस किए गए वास्तविक प्रीमियम के आधार पर किया गया है। यह प्रावधान इस धारणा के साथ किया गया है कि अप्रैल 2022 और अप्रैल 2021 के दौरान प्रीमियम की सभी वापसी क्रमशः 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 को या उससे पहले पूरी की गई पॉलिसियों से संबंधित है।

17) इंड-एएस के कार्यान्वयन की प्रगतिः

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिए गए प्रारंभिक रोडमैप के अनुसार, बीमा कंपनियों को अप्रैल 2018 से इंड-एएस को लागू करना आवश्यक था। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने इंड ए एस के कार्यान्वयन को स्थिगत कर दिया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (IASB) ने IFRS 17 में संशोधन करने के लिए विचार किया था। IFRS 17 में संशोधन किया है और इसे 1 जनवरी 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अविध से प्रभावी बना दिया





14) Operating Expenses Disclosure:

(₹ in Lakhs)

| Particular | For the year ended 31.03.2022 | For the year ended 31.03.2021 |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Outsourcing Expenses | 59593.14 | 48563.74 |
| Business Development | 129514.44 | 149999.75 |
| Marketing Support | 53964.78 | 48660.40 |

15) Penal action taken by various Government Authorities for the year ended 31.03.2022

(₹ in Lakhs)

| | | | 2021-202 | 2 | | 2020-21 | |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------|
| SI No. | Authority | Penalty | Penalty Paid | Penalty Waived/ Reduced | Penalty | Penalty Paid | Penalty Waived/ Reduced |
| 1 | Insurance Regulatory and Development Authority | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | GST/Service Tax Authorities | 670.94 | 50.51 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 3 | Income Tax Authorities | 374.27 | 16.82 | 0.00 | 6.43 | 6.43 | 0.00 |
| 4 | Any other Tax Authorities | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 5 | Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Registrar of Companies/ NCLT/CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation | 36.58 | 36.58 | 0.00 | 3.71 | 3.71 | 0.00 |
| 8 | Securities and Exchange Board of India | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Competition Commission of India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Any other Central/State/Local Government / Statutory Authority | 11.63 | 5.73 | 0.00 | 888.78 | 0.10 | 0.00 |
| | Total | 1104.18 | 110.40 | 0.00 | 899.17 | 10.49 | 0.00 |

Details of non compliance/Violation:

| Particulars | 2021-22 | 2020-21 |
|---|---------|---------|
| Delay In return filling & late remittance of tax | 374.27 | 6.43 |
| Late remittance of professional tax | 0.76 | 0.23 |
| Penalty awarded by Court in favor of policyholders | 36.41 | 3.71 |
| Penalty awarded by Govt. Authority other than the policyholder matters. | 21.80 | 888.78 |
| GST/ Service Tax Authority | 670.94 | 0.02 |
| Total | 1104.18 | 899.17 |

16) Provision for free-look period:

Provision for free-look period as at year end March 31, 2022 and March 31, 2021 has been made on the basis of actual premium refunded during the month of April 2022 and April 2021 respectively. The provision is made with an assumption that all refund of premium during the month of April 2022 and April 2021 pertained to the policies completed on or before March 31, 2022 and March 31, 2021 respectively.

17) Progress of implementation of Ind AS:

As per the initial roadmap given by Ministry of Corporate Affairs (MCA), insurance companies were required to implement Ind AS from April 2018. Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI) deferred the implementation of Ind AS since International Accounting Standard Board (IASB) had taken a considered view to amend IFRS 17. The IASB has amended IFRS 17 and made it effective from annual reporting periods





है। आईएफआरएस 17 के अनुरूप इंड एएस 117 (बीमा अनुबंध) में संशोधन का एक्सपोजर ड्राफ्ट 24 दिसंबर, 2020 को आईसीएआई के लेखा मानक बोर्ड (एएसबी) द्वारा जारी किया गया था। अंतिम रूप देने पर, इंड एएस 117 को एमसीए द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

इंड—एएस के कार्यान्वयन के लिए नए लेखा मानकों की आवश्यकताओं का पता लगाने और मूल्यांकन करने के लिए संबंधित विभागों में कोर टीमों का गठन किया गया है। आईएफआरएस 17 (इंड एएस 117) के तहत आवश्यक बीमांकिक गणना करने में सक्षम एक अभिन्न बीमांकिक सॉफ्टवेयर सिस्टम (प्राफेट) मार्च 2021 में खरीदा गया था। सभी उत्पादों को 31 मार्च, 2022 तक मूल्यांकन के लिए आवश्यक भविष्यवक्ता सॉफ्टवेयर सिस्टम में एकीकृत किया गया है।

हम इन मानकों के कार्यान्वयन पर IRDAI और अन्य पेशेवर निकायों के दिशानिर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन दिशानिर्देशों के लागू होने के बाद प्रणाली और प्रक्रियाओं में उचित बदलाव किए जाएंगे।

- 18) छह कंपनियों को दी गई ऋण के तहत जमानत 269656.00 लाख की राशि आंशिक रूप से निष्पादित की गई है और नियत प्रक्रिया के तहत है (पिछले वर्ष सात कंपनियों के तहत, 300583 लाख की राशि)।
- 19) 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित COVID-19 चल रही एक वैश्विक महामारी है। मारत सहित दुनिया भर में इसके फैलने से वैश्विक और भारत के आर्थिक वातावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। महामारी की शुरुआत के बाद से निगम ने मृत्यु के दावों में वृद्धि का अनुभव किया है, जिसमें COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न होने वाले दावे भी शामिल हैं। तदनुसार, COVID-19 महामारी के कारण अतिरिक्त मृत्यु तनाव और पॉलिसी देनदारियों और सॉल्वेंसी पर इसके प्रभाव की बारीकी से निगरानी की जाती है और इसे आरक्षित करने पर विचार किया जाता है। सार्वजिनक डोमेन में उपलब्ध जानकारी निर्णायक रूप से COVID-19 के कारण अपेक्षित भविष्य की मृत्यु दर में किसी भी दीर्घकालिक परिवर्तन की आवश्यकता का सुझाव नहीं देती है। हालांकि, यह विवेकपूर्ण माना जाता है कि एक अलग रिजर्व को COVID-19 रिजर्व के रूप में लंबे समय तक बदलने की आवश्यकता के बिना रखा जाता है। भारतीय जनसंख्या पर भारत सरकार के सांख्यिकीय स्रोतों से उपलब्ध राष्ट्रीय आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, निगम के डेटा और अनुभव पर विधिवत समायोजित और लागू किया गया और विवेक के लिए मार्जिन जोड़ने के बाद, COVID-19 से संबंधित मौतों के लिए एक अलग रिजर्व का अनुमान लगाया गया है और दोनों व्यक्तिगत एवं समुह बीमा लाइनो के तहत प्रदान किया गया है।

यह COVID-19 रिजर्व पॉलिसी देनदारियों का निर्धारण और प्रदान करते समय प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाने वाली दीर्घकालिक मृत्यु दर के अतिरिक्त है

20) 1000 लाख इक्विटी शेयर रु. 10 प्रत्येक का निर्गम और आवंटन, एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 5(2) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा समय—समय पर प्रदान की गई पेड—अप इक्विटी पूंजी के खिलाफ किया गया तथा, 6224997701 बोनस शेयर रु. 10 प्रत्येक एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 5(4) के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध मुफ्त रिजर्व के खिलाफ जारी और आवंटित किये गये, इस प्रकार निगम की कुल जारी और अभिदत्त की गई इक्विटी पूंजी 632499.77 लाख रुपये थी।

21) 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन

| विवरण | वर्ष के दौरान | वर्ष के दौरान | वर्ष के दौरान दैनिक | 31 मार्च 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| | न्यूनतम बकाया | अधिकतम बकाया | औसत बकाया | तक बकाया |
| रेपो (REPO) के तहत बेची गई प्रतिभूतियां 1. सरकारी प्रतिभूतियां 2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां | 106335 | 2050783 | 630554 | 1277987 |
| 1. सरकारी प्रतिभूतियां | (53440) | (1988861) | (743487) | (741825) |
| 2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

^{*} पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक () में दर्शाए गए हैं।

22) वित्त विधेयक 2021 ने एलआईसी अधिनियम, 1956 ('अधिनियम') में विभिन्न संशोधनों का प्रस्ताव रखा। ये संशोधन 30 जून, 2021 से राजपत्र अधिसूचना संदर्भ एसओ 2616 (ई) दिनांक 29 जून, 2021 के तहत लागू हुए। संशोधित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24 के तहत दिए गए आदेश का प्रयोग करते हुए और इस आदेश के निर्वहन में, बोर्ड ने 24.08.2021 को आयोजित अपनी बैठक में, 30 सितंबर, 2021 से पॉलिसी धारक की उचित अपेक्षाओं (PRE) को बनाए रखने सहित विभिन्न हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एकल/एकीकृत पॉलिसी धारक निधि को सहभागी पॉलिसीहोल्डर्स फंड और गैर-सहभागी पॉलिसीहोल्डर्स फंड में विभाजित किया (अधिनियम के अनुसार प्रयोज्यता 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी है)





beginning on or after 1^{st} January 2023. Exposure Draft of amendments to Ind AS 117 (Insurance Contracts), consistent with IFRS 17 was issued by the Accounting Standard Board (ASB) of ICAI on 24^{th} December, 2020. On finalization, Ind AS 117 will be notified by MCA.

Core teams to ascertain and evaluate the requirements of new Accounting Standards, for implementation of Ind AS are formed in concerned departments. An integral Actuarial software system "prophet" capable of performing actuarial calculations required under IFRS 17 (Ind AS 117) was purchased in March 2021. All the products have been integrated into prophet software system required for valuation as at 31st March, 2022.

We await guidelines from IRDAI and other professional bodies on implementation of these standards. Appropriate changes in the system and processes will be carried out once these guidelines are in place.

- **18)** Security under debt extended to six companies amounting to ₹ 269656.00 Lakh is executed partially and is under due process (Previous Year under seven companies, amounting to ₹ 300583 lakh).
- 19) The COVID-19 is an ongoing global pandemic as declared by World Health Organization on March 11 2020. Its spread across the globe including India has resulted in significant impact on global and India's economic environment. The Corporation since the onset of pandemic has experienced increase in death claims including claims arising due to COVID 19 pandemic. Accordingly, the additional death strain on account of COVID 19 pandemic and its impact on the policy liabilities and solvency is closely monitored and considered in reserving. Available information in public domain does not conclusively suggest need for any long term change in the expected future mortality experience on account of COVID 19. It is however, considered prudent that a separate reserve is kept as COVID-19 reserve without need for changing long term mortality assumptions. Considering the national statistics as available from Government of India statistical sources on Indian Population, duly adjusted and applied on the Corporation's data and experience and after adding margin for prudence, a separate reserve for COVID 19 related deaths has been estimated and provided for under both individual and group insurance lines of businesses.

This COVID 19 reserve is in addition to the long term mortality reserve provided each year while determining and providing for the policy liabilities

20) Issue and allotment of 1000 lakhs Equity Shares of Rs. 10 each in terms of provisions of Section 5(2) of LIC Act 1956 as amended, against Paid-up equity Capital provided by Central Government from time to time, 6224997701 bonus shares of Rs. 10 each were issued and allotted against the available free Reserves, in terms of provisions of section 5(4) of LIC Act 1956 as amended thus the total issued and subscribed equity capital of the Corporation being Rs. 632499.77 Lakhs.

21) Repo/Reverse Repo transactions for the year ended 31.03.2022

(₹ in Lakhs)

| | Minimum | Maximum | Daily average | Outstanding |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | outstanding | outstanding | outstanding | as on March |
| | during the year | during the year | during the year | 31,st 2022 |
| Securities sold under REPO 1. Government Securities 2. Corporate Debt securities | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Securities Purchased under reversed Repo 1. Government Securities 2. Corporate Debt securities | 106335 | 2050783 | 630554 | 1277987 |
| | (53440) | (1988861) | (743487) | (741825) |
| | NIL | NIL | NIL | NIL |

^{*} Previous year figures are shown in bracket ().

22) The Finance Bill 2021 proposed various amendments to the LIC Act, 1956 ('the Act'). These amendments came into effect from 30th June, 2021 vide Gazette Notification ref. S. O. 2616(e) dated 29th June, 2021. In exercise of the mandate given under section 24 of the amended LIC Act, 1956 and in discharge of this mandate, the Board has approved in principle, in its meeting held on 24.08.2021 bifurcation of Single/Unified Policy Holder fund into Participating Policyholders' fund and Non-Participating Policyholders' fund w.e.f 30th September, 2021 (applicability as per the Act is w.e.f. 1st April 2022) taking into account the interest of the various stakeholders including maintaining Policy Holder Reasonable Expectations (PRE).





पॉलिसी देयता को 30.09.2021 को व्यवसाय वार बीमांकिक रूप से निर्धारित देयता (जीवन के साथ—साथ पी एंड जीएस सिहत सहभागी और गैर सहभागी) के साथ संरेखित किया गया है। बोर्ड ने 31 मार्च, 2021 तक उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन और संबंधित पिरसंपित्तयों को गैर सहभागी फंड में रखने का निर्णय लिया है जो निगम के सभी पॉलिसीधारकों की सॉल्वेंसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपलब्ध होगा।

सभी हितधारकों की सॉल्वेंसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, निगम ने परिसंपत्तियों के पुनर्सरेखण के लिए तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाया है और उन परिसंपत्तियों पर विचार किया है जो आसानी से विपणन योग्य हैं, जिनका बाजार मूल्य अच्छा है और उनके बुक वैल्यू और लंबी अवधि की प्रकृति में तरलता और जोखिम कम है।

23) निवेश की हानि:

अस्थायी ह्रास के अलावा अन्य निवेशों के मूल्य में हानि का आकलन अवधि के लिए किया गया है और तदनुसार हानि प्रावधान प्रदान किए गए हैं।

निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान (निवल) शीर्षक के तहत राजस्व खाते में मान्यता प्राप्त नुकसान में हानि के लिए प्रावधान/प्रत्यावर्तन।

24) प्रति शेयर आय (ईपीएस):-

| विवरण | 31.03.2022 तक | 31.03.2021 तक |
|--|---------------|---------------|
| शेयरधारकों के लिए निश्चित की गई आय (₹ लाख में) | 404312.11 | 290056.68 |
| ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की संख्या | 6324997701 | 6324997701 |
| मूल ईपीएस (₹) | 6.39 | 4.59 |
| डायल्यूटेड ईपीएस (₹) | 6.39 | 4.59 |

25) पट्टे:- निगम ने अपने कार्यालयों के लिए और स्टाफ क्वार्टर के रूप में कुछ संपत्तियों को किराए पर लिया है। 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए 37700.00 लाख (पिछले वर्ष 36007.60 लाख) का पट्टा किराया राजस्व खाते में डेबिट किया गया।

26) आय पर कर के लिए लेखांकन:-31 मार्च, 2022 तक आयकर के लिए प्रावधान नीचे दिया गया है: –

(₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|--|--|
| राजस्व खाते में प्रभारित | 787862.93 | 798776.03 |
| लाभ और हानि खाते में प्रभारित | 2359.81 | 620.76 |
| जीवन बीमा व्यवसाय के लिए लागू प्रभावी कर दर | 14.56% | 14.56% |

नोटः – कराधान का प्रावधान पूर्व के वर्षों से संबंधित अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते किया गया है।

27) गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ:- ऋण पोर्टफोलियो

(₹ लाख में)

| आस्तियां | 31 मार्च 2 | 2022 तक | 31 मार्च 2022 तक | | |
|-----------------|-------------|------------|------------------|------------|--|
| आस्तिया | संपत्ति | प्रावधान | संपत्ति | प्रावधान | |
| उप मानक | 23820.27 | 6310.32 | 25436.50 | 6043.14 | |
| संदिग्ध संपत्ति | 724630.22 | 724559.51 | 2036917.42 | 2036819.02 | |
| हानि संपत्ति | 1960260.55 | 1960260.55 | 1450634.96 | 1450634.96 | |
| कुल | 2708711.04 | 2691130.38 | 3512988.88 | 3493497.12 | |
| मानक | 42220778.31 | 175038.31 | 41617341.44 | 240662.63 | |
| कुल योग | 44929489.35 | 2866168.69 | 45130330.32 | 3734159.75 | |
| | निवेश | एनपीए | निवेश | एनपीए | |
| कुल | 44929489.35 | 2708711.04 | 45130330.32 | 3512988.88 | |
| एनपीए प्रावधान | 2691130.39 | 2691130.39 | 3493497.12 | 3493497.12 | |
| सटीक स्थिति | 42238358.96 | 17580.65 | 41636833.19 | 19491.75 | |
| सकल एनपीए% | 6.03 | | 7.78 | | |
| शुद्ध एनपीए% | 0.04 | | 0.05 | | |





The policy liability has been aligned with the line of business wise actuarially assessed liability (Life as well as P&GS including Par and Non par) as at 30.09.2021. The Board has decided to keep the available solvency margin as at 31st March, 2021 and the corresponding assets in the Non-Par fund which would be available to meet the solvency requirement of all the policyholders of the Corporation.

In order to meet the solvency requirement of all the stakeholders, the Corporation has adopted rational approach for realignment of assets and considered those assets which are easily marketable, have good market value and appreciation over their book value and long term in nature with liquidity and lower risk.

23) Impairment of Investments:

The impairment in value of investments other than temporary diminution has been assessed for the period and accordingly impairment provisions have been provided.

Provision/(reversal) for impairment loss recognized in the Revenue Account under the head Provision for diminution in the value of investments (net).

24) Earnings per Share (EPS):-

| Particulars | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|--|---------------------|------------------|
| Earnings attributable to Shareholders (₹ in Lakhs) | 404312.11 | 290056.68 |
| No. Of equity shares for calculation of EPS | 6324997701 | 6324997701 |
| Basic EPS (₹) | 6.39 | 4.59 |
| Diluted EPS (₹) | 6.39 | 4.59 |

- **25)** Leases: The Corporation has hired some properties for its offices and as staff quarters. The lease rentals amounting to ₹ 37700.00 lakh (Previous year ₹ 36007.60 Lakh) debited to the Revenue Account for the year ended 31.03.2022.
- 26) Accounting for Taxes on Income: Provision for Income tax as at 31st March, 2022 is given below:-

(₹ in Lakhs)

| Particulars | For the year ended March. 31 2022 | For the year ended March. 31 2021 |
|---|---|---|
| Charged to Revenue Account | 787862.93 | 798776.03 |
| Charged to Profit & loss Account | 2359.81 | 620.76 |
| Effective Tax Rate applicable for Life Insurance Business | 14.56% | 14.56% |

Note: - Provision for taxation is net of excess provision pertaining to earlier years written back.

27) Non - Performing Assets: - Debt Portfolio

(₹ in Lakhs)

| Assets | As at 31 M | larch 2022 | As at 31 March 2021 | | |
|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|------------|--|
| Assets | Asset | Asset Provision | | Provision | |
| Sub Standard | 23820.27 | 6310.32 | 25436.50 | 6043.14 | |
| Doubtful Assets | 724630.22 | 724559.51 | 2036917.42 | 2036819.02 | |
| Loss assets | 1960260.55 | 1960260.55 | 1450634.96 | 1450634.96 | |
| Total | 2708711.04 | 2691130.38 | 3512988.88 | 3493497.12 | |
| Standard | 42220778.31 | 175038.31 | 41617341.44 | 240662.63 | |
| Grand Total | 44929489.35 | 2866168.69 | 45130330.32 | 3734159.75 | |
| | Investment | NPA | Investment | NPA | |
| Gross | 44929489.35 | 2708711.04 | 45130330.32 | 3512988.88 | |
| NPA Provision | 2691130.39 | 2691130.39 | 3493497.12 | 3493497.12 | |
| Net position | 42238358.96 | 17580.65 | 41636833.19 | 19491.75 | |
| Gross NPA% | 6.03 | | 7.78 | | |
| Net NPA% | 0.04 | | 0.05 | | |





नोट-1. वित्त वर्ष 2020 में 'संदिग्ध निवेश और अन्य प्रावधानों के प्रावधान' के आंकड़ों को निवेश के तहत वित्त पोषित फोलियों के पुनर्समूहीकरण के कारण पुनर्गठित किया गया है (पहले अन्य अग्रिमों के तहत दिखाया गया था)। वित्त वर्ष 2020 से संबंधित वित्त पोषित फोलियों पर प्रावधान की राशि को प्रचलित लेखांकन प्रथा के अनुसार ब्याज खाते में वापस कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2021 के लिए राजस्व खाते में उचित प्रस्तुति के लिए वर्ष वित्त वर्ष 2021 के प्रावधान को ब्याज के विरुद्ध एक बार समायोजित किया गया है।

2. ऊपर दर्शाई गई परिसंपत्तियां आईआरडीए द्वारा अनुसूची ८ए, ८बी और ९ में निर्धारित प्रारूपों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रस्तुत की जाती हैं।

28) पुनर्समूहन या पुनर्वर्गीकरणः

चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है। पुनर्समूहन का विवरण इस प्रकार है:—

| अनु | के लिए पुनर्समूहित | से पुनर्समूहित | राशि (₹ लाख में) | कारण |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. | अनुसूची संख्या ८ए (जीवन) | अनुसूची संख्या ८ए (जीवन) | | आईडीबीआई ट्रस्टीशिप |
| | A. लंबी अवधि के निवेश | A.लंबी अवधि के निवेश | 00.00 | सर्विसेज लिमिटेड को |
| | 3. अन्य स्वीकृत निवेश | 5. स्वीकृत निवेश के अलावा अन्य | 30.00 | सहयोगी कंपनी माना |
| | (f) सहायक/ सहायोगी/ संयुक्त उद्यम | | | जाता है |
| 2. | अनुसूची संख्या 3. | राजस्व खाता | | जैसा कि सांविधिक |
| | 13 अन्य: | अन्य व्ययः विनिमय | 79.45 | केंद्रीय लेखापरीक्षक |
| | विनिमय | | | द्वारा सुझाया गया है। |

29) वेतन संशोधनः

निगम के कर्मचारियों का वेतन संशोधन हर पांच साल में किया जाता है और अंतिम वेतन संशोधन जो 01 अगस्त, 2017 को देय हो गया था, जिसे चालु वर्ष 2021-22 में सेटल्ड किया गया था। उसी के लिए प्रावधान 31 मार्च, 2021 को अनुमानित आधार पर किया गया है।

30) कमाई का प्रतिधारण:

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार के अधिशेष (258.18 लाख के सीआरएसी व्यवसाय के अधिशेष सहित) की राशि 290314.86 लाख को भारत सरकार और आईआरडीएआई से अनुमोदन के अनुसार आरक्षित के रूप में रखा गया है।

31) निदेशक मंडल ने 30 मई 2022 को हुई अपनी बैठक में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य के साथ प्रत्येक 1.50 रुपये के लाभांश का प्रस्ताव दिया है, जो एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

32) कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं

i) जोखिम प्रबंधन संरचना का विवरण:

जोखिम प्रबंधन को उस प्रक्रिया के रूप में पिरभाषित किया जाता है जिसके तहत निगम अपने प्रबंधन के तहत निगम की वित्तीय पिरसंपितयों से जुड़े निवेश जोखिमों को पहचानने, मापने और ऐसे जोखिमों को कम करने के द्वारा संबोधित करता है। जोखिम प्रबंधन में सभी कारकों की समझ शामिल है और वे किस हद तक सफलता के लिए खतरा हो सकते हैं। यह प्रक्रिया संगठन में जोखिम संस्कृति लाने का भी प्रयास करेगी तािक कर्मचारी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के महत्व को महसूस करें और प्रत्येक कर्मचारी संबंधित जोखिमों को उचित रूप से संबोधित करने में स्वयं को शामिल करे।

निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन कार्य पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करता है; जिसमें वार्षिक आधार पर प्रमुख जोखिमों और उपायों पर आवश्यक निरीक्षण प्रदान करना, जोखिम प्रबंधन नीति का अनुमोदन, जोखिम प्रवृत्ति विवरण, एएलएम नीति और निगम की व्यावसायिक निरंतरता योजना शामिल है।

आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुरूप, निगम ने बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन किया है। आरएमसीबी जोखिम प्रबंधन शासन संरचना की देखभाल करता है, जोखिम प्रबंधन ढांचे की समीक्षा करता है, जोखिम की प्रवृत्ति और महत्वपूर्ण जोखिमों के लिए जोखिम शमन योजनाओं की समीक्षा करता है, कारोबारी माहौल और विनियमों में परिवर्तन से उत्पन्न रणनीतिक जोखिमों की पहचान करता है, नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी करता है,



Note -1. The figures for 'provisions for doubtful investments and other provisions' in FY2020 have been recast due to regrouping of funded folios under Investments (earlier shown under other advances). The amount of provision on funded folios pertaining to FY2020 was reversed to Interest account as per the prevailing accounting practice. The provision for the year FY2021 has been adjusted one time against Interest for proper presentation in Revenue Account for FY2021.

2. The assets shown above are presented under various categories in accordance with the formats prescribed by IRDA in Schedule 8A, 8B and 9.

28) Regroupings or reclassification:

Figures of the previous year have been re-grouped whenever necessary, to confirm to current year's classification. The details for regrouping are as follows:-

| Sr. No. | Regrouped to | Regrouped from | Amount (₹ in Lakhs) | Reason |
|------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| 1. | Schedule No. 8A (Life) | Schedule No. 8A (Life) | | IDBI Trusteeship |
| | A. long Term Investments | A. long Term Investments | | Services Ltd. |
| | 3. Other Approved Investments | 5. Other Than Approved | 30.00 | considered as |
| | (f) Subsidiaries/Asso/Joint | Investments | | associate company |
| | Ventures | | | |
| 2. | Schedule No. 3. | Revenue Account | | As suggested by |
| | 13 Others: | Other Expenses: Exchange | 79.45 | Statutory Central |
| | Exchange | | | Auditor. |

29) Wage Revision:

Wage revision of the employees of the Corporation is done every five years and the last wage revision, which was Settled in Current Financial year 2021-22 However, Provision for the Same have been made on the estimated cue during all relevant financial year. due on August 01 2017.

30) Retention of earnings:

Government's share of surplus (including surplus of CRAC business of ₹258.18 lakhs) for the F.Y. 2020-21 amounting to ₹290314.86 lakhs have been retained as reserves, in accordance with approval from Government of India and IRDAI.

31) The Board of Directors in its meeting held on 30th May 2022 have proposed Dividend of ₹ 1.50 per equity Share with face value of ₹ 10/- each for the Year ended March 31, 2022 which is subject to approval of Shareholders in AGM.

32) Disclosure requirements as per Corporate Governance Guidelines

i) A description of the risk management architecture:

Risk management is defined as the process under which Corporation addresses Investment risks associated with the corporation's financial assets under its management by identifying, measuring and mitigating such risks. Risk Management encompasses understanding of all the factors and the extent to which they can be threats to success. The process will also endeavor to bring about the Risk culture in the organization so that the employees feel the importance of putting Risk management system in place and each employee involves himself in appropriately addressing the concerned risks.

Board of Directors provide the overall guidance on Risk Management function; which includes providing necessary oversight on key risks and measures, approving the Risk Management Policy, Risk Appetite statement, ALM Policy and Business Continuity Plan of the Corporation on an annual basis.

In line with the IRDAI Guidelines, Corporation has constituted the Risk Management Committee of the Board (RMCB). The RMCB looks after the risk management governance structure, reviews the risk management framework, risk appetite and the risk mitigation plans for significant risks, identifies strategic risks emanating from changes in business environment and regulations, oversees the compliance to regulatory requirements, all matters related to Asset Liability Management, IT Security





इससे संबंधित सभी मामले पिरसंपत्ति देयता प्रबंधन, वार्षिक आधार पर निवेश कार्यों के लिए आईटी सुरक्षा नीति, निगम की व्यवसाय निरंतरता योजना, निगम की शोधन क्षमता की स्थिति, धोखाधड़ी की निगरानी आदि के अनुरूप व्यापार निरंतरता पर नियमित अपडेट की नियमित आधार पर समीक्षा करता है। इसके अलावा, सभी महत्वपूर्ण मामले, जिन्हें आरएमसीबी की दृष्टि में, बोर्ड से आगे रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, को समय—समय पर इसकी बैठक में इसकी जानकारी में लाया जाता है।

एक आंतरिक स्वतंत्र सिमिति, जिसे जोखिम प्रबंधन पर कार्यकारी सिमिति (सीईआरएम) के रूप में नामित किया गया है, का गठन किया गया है, जिसमें निवेश विभाग के सभी तीन वर्गों यानी फ्रंट ऑफिस (सीआईओ), मिड—ऑफिस (सीआरओ), बैक ऑफिस और बीमांकिक विभाग के प्रमुख शामिल हैं। सीईआरएम निवेश विभाग के लिए जोखिम प्रबंधन नीति और एएलएम नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

इसके अलावा, सीईआरएम कुछ प्रमुख कार्यों का पर्यवेक्षण करके आरएमसीबी का समर्थन करता है, जैसे जोखिम प्रबंधन नीतियां स्थापित करना, निवेश विभागों पर लागू जोखिम रिपोर्टिंग/ जोखिम नियंत्रण के लिए एमआईएस, जोखिम प्रबंधन के लिए जवाबदेही और प्राधिकरण तैयार करना, प्रमुख के बारे में बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट करना, रणनीतिक पहलों और कारोबारी माहौल या विनियमों में बदलाव से उत्पन्न जोखिम, महत्वपूर्ण जोखिमों और जोखिम शमन योजनाओं को उजागर करने वाली जोखिम मूल्यांकन समीक्षा रिपोर्ट प्रदान करना, निगम की व्यवसाय निरंतरता योजना के अनुरूप व्यवसाय निरंतरता योजना सहित परिचालन जोखिम वातावरण की समीक्षा करना, नियमित आधार पर निगम की सॉल्वेंसी स्थिति की समीक्षा करना, आईटी सुरक्षा से संबंधित जोखिम की समीक्षा करना और आईटी से संबंधित किसी भी अन्य मुद्दे की समीक्षा करना और धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट की समीक्षा करना।

सीईआरएम की सिफारिशें आरएमसीबी को सूचित की जाती हैं। जोखिम प्रबंधन पर कार्यकारी सिमिति द्वारा चर्चा किए गए विभिन्न मुद्दों पर एक समेकित रिपोर्ट और बैठक की आवृत्ति के साथ उन पर की गई कार्रवाई को तिमाही आधार पर आरएमसीबी को सूचित किया जाता है।

निवेश—संचालन (फ्रंट ऑफिस), मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग (बैक—ऑफिस) और जोखिम प्रबंधन (मिड—ऑफिस) के प्रमुख, ध्विन जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, जो उनके कामकाज के संबंधित क्षेत्रों के साथ—साथ लागू हो सकते हैं। अन्य वर्गों के साथ समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगे। वे आंतरिक नियंत्रण की एक सुदृढ़ प्रणाली को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार हैं जो निगम की निवेश नीति में उल्लिखित उद्देश्यों और नीतियों की उपलब्धि का समर्थन करता है।

नीतियों और प्रक्रियाओं, प्रणालियों और संगठन के माध्यम से जोखिम नियंत्रण ढांचा निर्दिष्ट, निगरानी और नियंत्रित किया जाता है।

प्रत्येक विभाग एक जोखिम रजिस्टर रखता है, जहां सभी संभावित जोखिम क्षेत्रों और नियंत्रण ढांचे को सूचीबद्ध किया जाता है। निवेश जोखिम प्रबंधन (आईएनवीआर) विभाग के उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) प्रकोष्ठ द्वारा छमाही आधार पर सभी विभागों के जोखिम रजिस्टरों की समीक्षा की जाती है।

एलआईसी में सूचना सुरक्षा संचालन सिमित (आईएसएससी) है जिसमें प्रबंध निदेशक, केंद्रीय कार्यालय के कुछ विभाग प्रमुख और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) शामिल हैं। यह सभी सूचनाओं और साइबर सुरक्षा संबंधी नीतियों और प्रक्रियाओं की देखरेख करता है। आईएसएससी की बैठकों के कार्यवृत्त सूचना के लिए जोखिम प्रबंधन सिमित (आरएमसी) के सामने रखे जाते हैं। वर्तमान में, केंद्रीय कार्यालय में निम्नलिखित विभागों के प्रमुख ISSC में प्रतिनिधित्व करते हैं: CRM, इंजीनियरिंग, IT-SD (मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में भी नामित), IT-BPR, RMR (मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में भी नामित), PGS, E&OS, M&A और एफ एंड ए (मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में भी नामित)।

डेटा सुरक्षा प्रणालियाँ मौजूद हैं और धोखाधड़ी को रोकने के लिए उनकी प्रायः समीक्षा की जाती है।



policy for investment functions on annual basis, reviews regular updates on business continuity in line with the Corporation's Business Continuity Plan, solvency position of the Corporation, fraud monitoring, etc. on regular basis. Further, all important matters which, in the view of the RMCB, require further strategic intervention from the Board are brought to its knowledge in its meeting on a periodic basis.

An internal independent Committee, named as Committee of Executives on Risk Management (CERM) has been constituted consisting of Heads from all the three sections of Investment Department i.e. Front office (CIO), Mid-office (CRO), Back office and Actuarial Department. CERM monitors the implementation of Risk Management policy and ALM policy for the Investment Department.

Besides, CERM supports the RMCB by supervising some major functions, like, establishing Risk Management Policies, MIS for risk reporting/risk control applicable to Investment Departments, frame accountability and authority for risk management, report to the Risk Management Committee of the Board about key risks arising from strategic initiatives and changes in business environment or regulations, provide risk assessment review reports highlighting significant risks and risk mitigation plans thereof, review of operating risk environment including Business Continuity Plan in line with Corporation's Business Continuity Plan, review the solvency position of the Corporation on a regular basis, review of risk related to IT security and any other issues related to IT and reviews the Fraud Monitoring Report.

Recommendations of the CERM are reported to the RMCB. A consolidated report on various issues discussed by the Committee of Executives on Risk Management and action taken thereon along with frequency of the meeting are reported to the RMCB on quarterly basis.

Heads of Investment-Operations (Front office), Monitoring & Accounting (Back-Office) and Risk Management (Mid-Office) functions are responsible for implementation of the sound Risk Management System as may be applicable to their respective areas of functioning as well as be responsible for coordinating with the other sections. They are also responsible for maintaining a sound system of internal control that supports the achievement of the objectives and policies as enumerated in the Corporation's Investment Policy.

The risk control framework is specified, monitored and controlled though Policies and procedures, Systems and Organization.

Every Department maintains a risk register, where all the potential risk areas and control framework are listed. The risk registers for all the departments are reviewed on a half yearly basis by the Enterprise Risk Management (ERM) Cell of the Investment Risk Management (INVR) Department.

LIC has Information Security Steering Committee (ISSC) consisting of Managing Director, some heads of departments at central office and Chief Information Security Officer (CISO). It oversees all information and cyber security related policies and procedures. Minutes of the ISSC meetings are put up to Risk Management Committee (RMC) for information. At present, heads of following departments at central office are represented in ISSC: CRM, Engineering, IT-SD (also designated as Chief Information Officer), IT-BPR, RMR (also designated as Chief Risk Officer), P&GS, E&OS, M&A and F&A (also designated as Chief Finance Officer).

The data security systems are in place and are reviewed frequently to prevent frauds.





ii) व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए अवधि के विवरण के साथ सूचित, निपटाए गए और लंबित मृत्यु दावों की संख्या का विवरणः

| | 31.03. | 2022 तक | 31.03.2021 तक | | |
|--|-----------------|------------|-----------------|------------|--|
| विवरण | दावों की संख्या | लाख में | दावों की संख्या | लाख में | |
| वर्ष की शुरुआत में बकाया दावों की संख्या | 1725 | 29242.00 | 5875 | 34969.00 | |
| जोड़ें: | | | | | |
| वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए दावों की संख्या | 1365379 | 2929344.85 | 941101 | 1875565.00 | |
| घटाएं: | | | | | |
| वर्ष के दौरान निपटाए गए दावों की संख्या | 1349865 | 2840837.28 | 933889 | 1829558.00 | |
| वर्ष के दौरान अस्वीकृत दावों की संख्या | 8713 | 34718.94 | 6531 | 27693.00 | |
| वर्ष के दौरान खारिज किए गए दावों की संख्या | 3619 | 849.75 | 2934 | 392.00 | |
| वापस लिखे गए दावों की संख्या | 2625 | 46165.62 | 1897 | 23649.00 | |
| अवधि के अंत में बकाया दावों की संख्या | 2282 | 36015.26 | 1725 | 29242.00 | |
| | | | | | |
| बकाया दावों की अवधि का विवरण | | | | | |
| 3 महीने से कम | 1211 | 20754.03 | 792 | 13426.00 | |
| 3 महीने से 6 महीने | 1071 | 15261.23 | 933 | 15816.00 | |
| 6 महीने से 1 साल | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 वर्ष और उससे अधिक | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| कुल | 2282 | 36015.26 | 1725 | 29242.00 | |

निगम दावों के निपटान के लिए विभिन्न आईआरडीएआई दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है और दावों की समय पर रिकॉर्डिंग और निपटान के लिए दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में सुधार करने की प्रक्रिया में है।

iii) पॉलिसीधारक निधि से समूह संस्थाओं को किया गया भुगतानः

संदर्भ नोट नं. ८ एफ) भाग के तहत (सी) अतिरिक्त प्रकटीकरणः संबंधित पार्टी प्रकटीकरण।

iv) लेखापरीक्षकों को दिए गए अतिरिक्त कार्यों पर प्रकटीकरण

आईआरडीएआई द्वारा 18 मई 2016 को जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के खंड 7.1 के अनुसार, लेखा परीक्षकों को दिए गए अतिरिक्त कार्य (सांविधिक/ आंतरिक लेखा परीक्षा के अलावा) और शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) नीचे दिए गए हैं:

(₹ लाख में)

| | 31.03.20 |)22 तक | 31.03.2021 तक | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| लेखा परीक्षक का नाम | जीएसटी प्रमाणन / लेखा परीक्षा शुल्क | अन्य प्रमाणन शुल्क | जीएसटी प्रमाणन / लेखा परीक्षा शुल्क | अन्य प्रमाणन शुल्क | |
| खंडेलवाल जैन एंड कंपनी | - | 1.81 | 0.20 | 0.75 | |
| बटलीबोई और पुरोहित | - | 2.15 | 0.40 | - | |
| एस.एल. छाजेद एंड कंपनी एलएलपी | - | - | 0.80 | 0.00 | |
| एस.के. कपूर एंड कंपनी | - | - | 0.80 | 0.00 | |
| टोडी तुलस्यान एंड कंपनी | - | - | 0.40 | 0.00 | |
| आर.जी.एन. मूल्य और कंपनी | - | - | 0.40 | 0.00 | |
| एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी | - | - | 1.80 | 0.00 | |
| उमामहेश्वर राव एंड कंपनी | - | - | 0.40 | 0.00 | |
| ए आर एंड कंपनी | - | - | 0.40 | 0.00 | |
| डी के छाजेर एंड कंपनी | - | - | 1.15 | 0.00 | |
| बी गुप्ता एंड कंपनी | - | - | 0.40 | 0.00 | |
| ए एस ए एंड एसोसिएट्स एलएलपी | - | - | 0.40 | 0.00 | |
| वी. सिंघी एंड एसोसिएट्स | - | - | 1.15 | 0.00 | |





ii) Details of number of Death claims intimated, disposed off and pending with details of duration for Individual Business:

| | As at 31 | .03.2022 | As at 31.03.2021 | | |
|--|--------------|------------|------------------|------------|--|
| Particulars | no of claims | ₹ In Lakhs | No. of claims | ₹ In Lakhs | |
| No. of claims outstanding at the beginning of the year | 1725 | 29242.00 | 5875 | 34969.00 | |
| Add: | | | | | |
| No. of claims reported during the year | 1365379 | 2929344.85 | 941101 | 1875565.00 | |
| Less: | | | | | |
| No. of claims settled during the year | 1349865 | 2840837.28 | 933889 | 1829558.00 | |
| No. of claims repudiated during the year | 8713 | 34718.94 | 6531 | 27693.00 | |
| No. of Claims rejected during the year | 3619 | 849.75 | 2934 | 392.00 | |
| No. of claims written back | 2625 | 46165.62 | 1897 | 23649.00 | |
| No. of claims outstanding at the end of the period | 2282 | 36015.26 | 1725 | 29242.00 | |
| Details of duration of outstanding claims | | | | | |
| Less than 3 months | 1211 | 20754.03 | 792 | 13426.00 | |
| 3 months to 6 months | 1071 | 15261.23 | 933 | 15816.00 | |
| 6 months to 1 year | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 year and above | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Total | 2282 | 36015.26 | 1725 | 29242.00 | |

The Corporation is adhering various IRDAI guidelines for settlement of claims and is in the process of improving the claim submission process for timely recording and settlement of claims.

iii) Payments made to group entities from Policyholders Funds:

Refer Note no. 8 F) under part (c) Additional Disclosures: Related party disclosure.

iv) Disclosure on additional works given to auditors

Pursuant to clause 7.1 of Corporate Governance guidelines issued by IRDAI dated May 18 2016 the additional works (other than statutory/ internal audit) given to the auditors and the fees (excluding GST) are detailed below:

(₹ In Lakhs)

| | As at 31 | .03.2022 | As at 31.03.2021 | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| Name of Auditor | GST Certification/ Audit Fees | Other Certification Fees | GST Certification/ Audit Fees | Other Certification Fees | |
| Khandelwal Jain & Co. | - | 1.81 | 0.20 | 0.75 | |
| Batliboi & Purohit | - | 2.15 | 0.40 | - | |
| S.L. Chhajed & Co. LLP | - | - | 0.80 | 0.00 | |
| S.K. Kapoor & Co. | - | - | 0.80 | 0.00 | |
| Todi Tulsyan & Co. | - | - | 0.40 | 0.00 | |
| R.G.N. Price & Co. | - | - | 0.40 | 0.00 | |
| abm & associates LLP | - | - | 1.80 | 0.00 | |
| Umamaheswara Rao & Co. | - | - | 0.40 | 0.00 | |
| AR&Co. | - | - | 0.40 | 0.00 | |
| D K Chhajer & Co. | - | - | 1.15 | 0.00 | |
| B. Gupta & Co. | - | - | 0.40 | 0.00 | |
| A S A & Associates LLP | - | - | 0.40 | 0.00 | |
| V. Singhi & Associates | - | - | 1.15 | 0.00 | |





| | 31.03.20 |)22 तक | 31.03.2021 तक | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| लेखा परीक्षक का नाम | जीएसटी प्रमाणन / लेखा परीक्षा शुल्क | अन्य प्रमाणन शुल्क | जीएसटी प्रमाणन / लेखा परीक्षा शुल्क | अन्य प्रमाणन शुल्क | |
| पी.के. बर्मन एंड कंपनी | 0.50 | - | 0.00 | 0.00 | |
| आर एम लाल एंड कंपनी | 0.20 | - | 0.00 | 0.00 | |
| डी.के. छाजेर एंड कंपनी | 0.95 | - | 0.00 | 0.00 | |
| पीवीएआर एंड एसोसिएट्स | 0.50 | - | 0.00 | 0.00 | |
| सन्सवीजी एंड एसोसिएट्स | 0.30* | - | 0.00 | 0.00 | |
| एल.एस. नलवाया | 0.24* | - | 0.00 | 0.00 | |
| छाजेद और दोशियो | 0.59* | - | 0.00 | 0.00 | |
| अखिलेश पांडे एंड कंपनी | 0.24* | - | 0.00 | 0.00 | |
| कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी | 0.83* | - | 0.00 | 0.00 | |
| गर्ग अशोक एंड कंपनी | 0.24* | | 0.00 | 0.00 | |
| ग्रोवर दिनेश एंड एसोसिएट्स | 0.59* | - | 0.00 | 0.00 | |
| कुल | 5.18 | 3.96 | 8.70 | 0.75 | |

^{*} जीएसटी सहित

v) वित्तीय विवरणों का सारांश

(₹ लाख में)

| अनु. | विवरण | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
|------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | पॉलिसीधारकों का खाता | | | | | |
| 1 | सकल प्रीमियम आय | 42802497.15 | 40328655.48 | 37938959.90 | 33750507.11 | 31822320.56 |
| 2 | शुद्ध प्रीमियम आय | 42741921.21 | 40284434.43 | 37906255.71 | 33718539.65 | 31785098.87 |
| 3 | निवेश से आय (शुद्ध) | 29289445.34 | 27876114.48 | 23535140.27 | 22275773.53 | 20495899.68 |
| 4 | अन्य आय | 78890.36 | 59950.49 | 146897.73 | 84126.20 | 80112.77 |
| 5 | कुल आय | 72110256.91 | 68220499.40 | 61588293.71 | 56078439.38 | 52361111.32 |
| 6 | आयोगों | 2317145.53 | 2216991.70 | 2102713.68 | 1931119.38 | 1822681.87 |
| 7 | दलाली | | | | | |
| 8 | परिचालन व्यय संबंधित | 3889067.80 | 3498952.29 | 3456803.66 | 2918201.68 | 3014239.54 |
| | बीमा व्यवसाय | | | | | |
| 9 | कराधान और अन्य के लिए प्रावधान | -140858.86 | 1307707.19 | 1718836.52 | 1485325.13 | 1401518.94 |
| 10 | कुल खर्च | 6065354.47 | 7023651.18 | 7278353.86 | 6334646.19 | 6238440.35 |
| 11 | पॉलिसीधारकों को भुगतान * | 35746489.02 | 28688380.65 | 25422226.47 | 25093623.15 | 19811983.14 |
| 12 | बीमांकिक देयता में वृद्धि | 30632375.34 | 32175823.01 | 29528968.90 | 25315329.14 | 27027707.03 |
| 13 | लिंक्ड देयताओं के लिए प्रावधान | -904613.08 | 43431.00 | -911033.96 | -931228.14 | -959205.98 |
| 14 | संचालन से अधिशेष/घाटा | 570651.16 | 289213.56 | 269778.44 | 266069.04 | 242186.78 |
| | | | | | | |
| | शेयरधारकों का खाता | | | | | |
| 15 | शेयरधारकों के खातों के तहत कुल आय | 407664.70 | 291199.81 | 272707.18 | 270390.40 | 245981.33 |
| 16 | शेयरधारक के खाते के तहत कुल खर्च | 992.78 | 522.37 | 632.55 | 42.06 | 39.77 |
| 17 | कर पूर्व लाभ/ (हानि) | 406671.92 | 290677.44 | 272074.63 | 270348.34 | 245941.56 |
| 18 | कर के प्रावधान | 2359.81 | 620.76 | 803.83 | 1498.68 | 1301.02 |
| 19 | कर पश्चात लाभ/हानि | 404312.11 | 290056.68 | 271270.80 | 268849.66 | 244640.54 |
| 20 | लाभ/ हानि को तुलन-पत्र में ले जाया गया | 401433.30 | - | ** 269774.29 | ** 266059.54 | ** 242182.26 |
| | | | | | | |
| | कई तरह का | | | | | |



| | As at 31.03.2022 | | As at 31. | 03.2021 |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Name of Auditor | GST Certification/ Audit Fees | Other Certification Fees | GST Certification/ Audit Fees | Other Certification Fees |
| P.K. Barman & Co. | 0.50 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| R M Lall & Co. | 0.20 | - | 0.00 | 0.00 |
| D.K. Chhajer & Co. | 0.95 | - | 0.00 | 0.00 |
| PVAR & Associates | 0.50 | - | 0.00 | 0.00 |
| SUNSVG & Associates | 0.30* | - | 0.00 | 0.00 |
| L.S. Nalwaya | 0.24* | - | 0.00 | 0.00 |
| Chhajed & Doshi | 0.59* | - | 0.00 | 0.00 |
| Akilesh Pandey & Co. | 0.24* | - | 0.00 | 0.00 |
| Kumar Vijay Gupta & Co. | 0.83* | - | 0.00 | 0.00 |
| Garg Ashok & Co. | 0.24* | - | 0.00 | 0.00 |
| Grover Dinesh & Associates | 0.59* | - | 0.00 | 0.00 |
| Total | 5.18 | 3.96 | 8.70 | 0.75 |

^{*} Inclusive of GST

v) Summary of Financial Statements

(₹ In Lakhs)

| | | | | | | (< in Lakns) |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| SI. No. | Particulars | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| | POLICYHOLDERS' A/C | | | | | |
| 1 | Gross Premium Income | 42802497.15 | 40328655.48 | 37938959.90 | 33750507.11 | 31822320.56 |
| 2 | Net Premium Income ^ | 42741921.21 | 40284434.43 | 37906255.71 | 33718539.65 | 31785098.87 |
| 3 | Income from Investments (Net) @ | 29289445.34 | 27876114.48 | 23535140.27 | 22275773.53 | 20495899.68 |
| 4 | Other Income | 78890.36 | 59950.49 | 146897.73 | 84126.20 | 80112.77 |
| 5 | Total Income | 72110256.91 | 68220499.40 | 61588293.71 | 56078439.38 | 52361111.32 |
| 6 | Commissions | 2317145.53 | 2216991.70 | 2102713.68 | 1931119.38 | 1822681.87 |
| 7 | Brokerage | | | | | |
| 8 | Operating Expenses related | 3889067.80 | 3498952.29 | 3456803.66 | 2918201.68 | 3014239.54 |
| | insurance business | | | | | |
| 9 | Provision for Taxation and Others | -140858.86 | 1307707.19 | 1718836.52 | 1485325.13 | 1401518.94 |
| 10 | Total Expenses | 6065354.47 | 7023651.18 | 7278353.86 | 6334646.19 | 6238440.35 |
| 11 | Payment to policyholders * | 35746489.02 | 28688380.65 | 25422226.47 | 25093623.15 | 19811983.14 |
| 12 | Increase in actuarial liability | 30632375.34 | 32175823.01 | 29528968.90 | 25315329.14 | 27027707.03 |
| 13 | Provision for Linked Liabilities | -904613.08 | 43431.00 | -911033.96 | -931228.14 | -959205.98 |
| 14 | Surplus/Deficit from operations | 570651.16 | 289213.56 | 269778.44 | 266069.04 | 242186.78 |
| | SHAREHOLDERS' A/C | | | | | |
| 15 | Total income under shareholders' Accounts | 407664.70 | 291199.81 | 272707.18 | 270390.40 | 245981.33 |
| 16 | Total Expenses under Shareholder's Account | 992.78 | 522.37 | 632.55 | 42.06 | 39.77 |
| 17 | Profit/(loss) before tax | 406671.92 | 290677.44 | 272074.63 | 270348.34 | 245941.56 |
| 18 | Provisions for tax | 2359.81 | 620.76 | 803.83 | 1498.68 | 1301.02 |
| 19 | Profit/loss after tax | 404312.11 | 290056.68 | 271270.80 | 268849.66 | 244640.54 |
| 20 | Profit/loss carried to Balance Sheet | 401433.30 | - | **269774.29 | **266059.54 | **242182.26 |
| | | | | | | |
| | MISCELLANEOUS | | | | | |





| अनु. | विवरण | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 21 | (ए) पॉलिसीधारकों का खाता | | | | | |
| | कुल फंड | 414885368.49 | 372249109.45 | 312294109.58 | 305488219.49 | 279091639.39 |
| | कुल निवेश | 402920276.96 | 362075942.23 | 301984104.08 | 293265282.57 | 270557972.06 |
| | निवेश पर प्रतिफल% | 8.55 | 8.69 | # 7.54 | # 7.59 | # 7.71 |
| | (बी) शेयरधारकों का खाताः | | | | | |
| | कुल फंड | 1040913.89 | 636069.22 | 73952.69 | 67868.36 | 65037.25 |
| | कुल निवेश | 641213.63 | 71356.67 | 67941.76 | 63661.93 | 58579.75 |
| | *निवेश पर प्रतिफल% | 3.00 | 3.35 | #5.25 | #6.01 | #5.90 |
| 22 | *कुल निवेश पर प्रतिफल% | 8.54 | 8.69 | # 7.54 | # 7.59 | # 7.71 |
| 23 | चुकता इक्विटी पूंजी | 632499.77 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 24 | कुल मूल्य | 1040913.89 | 636069.22 | 73952.69 | 67868.36 | 65037.25 |
| 25 | कुल संपत्ति | 423061694.90 | 380461000.76 | 319621480.59 | 311184727.79 | 284504182.01 |
| 26 | प्रति शेयर आय | 6.39 | 4.59 | 4.29 | 4.25 | 3.87 |
| 27 | प्रति शेयर पुस्तक मूल्य | 10.00 | 10.00 | 10.00 | N.A. | 10.00 |

पिछली अवधियों के आंकड़े जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहित किए जाते हैं।

- ^ निवल पुर्नबीमा
- शुद्ध हानि
- * अंतरिम बोनस सहित, यदि कोई हो
- # प्रतिफल की गणना मीन फंड पर की जाती है
- ** भारत सरकार को लाभांश

vii) नियंत्रित निधि को दर्शाने वाला विवरण

क) तुलन-पत्र के अनुसार नियंत्रित फंड की गणना (भारत में व्यापार के संबंध में)

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2021-22 | 2020-21 |
|---|------------|------------|
| पॉलिसीधारक निधि (जीवन निधि) | | |
| इसमें भाग लेने वाले | | |
| व्यक्तिगत बीमा | 2476594.93 | 2432648.46 |
| वार्षिकी व्यवसाय | 5257.09 | 1236.34 |
| पेंशन व्यवसाय | 41776.17 | 28038.77 |
| ग्रुप एश्योरेंस | 0.00 | 43936.75 |
| <u>गैर-भागीदारी</u> | | |
| व्यक्तिगत बीमा (जीवन सहित, लिंक्ड— गैर यूनिट फंड) | 186712.53 | 50211.42 |
| वार्षिकी व्यवसाय | 123752.55 | 95503.33 |
| ग्रुप एश्योरेंस | 871858.87 | 748217.35 |
| स्वास्थ्य व्यवसाय | 312.94 | 530.37 |
| जुडे हुए | | |
| व्यक्तिगत बीमा | 14751.54 | 22554.74 |
| समूह बीमा | 0.00 | 0.00 |
| व्यक्तिगत पेंशन | 7099.50 | 8413.12 |
| समूह सेवानिवृत्ति | 0.00 | 0.00 |
| ग्रुप ग्रेच्युटी | 127.78 | 119.28 |
| स्वास्थ्य व्यवसाय | 1831.60 | 1768.40 |
| भविष्य के विनियोगों के लिए निधि | 1834.43 | 3.34 |
| बंद निधि (इकाई) | 52.81 | 17.54 |
| कुल (क) | 3731962.74 | 3433199.19 |





| SI. No. | Particulars | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
|------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 21 | (A) Policyholders' account | | | | | |
| | Total funds | 414885368.49 | 372249109.45 | 312294109.58 | 305488219.49 | 279091639.39 |
| | Total Investments | 402920276.96 | 362075942.23 | 301984104.08 | 293265282.57 | 270557972.06 |
| | Yield on investments % | 8.55 | 8.69 | #7.54 | #7.59 | #7.71 |
| | (B) Shareholders' account: | | | | | |
| | Total funds | 1040913.89 | 636069.22 | 73952.69 | 67868.36 | 65037.25 |
| | Total Investments | 641213.63 | 71356.67 | 67941.76 | 63661.93 | 58579.75 |
| | *Yield on investments % | 3.00 | 3.35 | #5.25 | #6.01 | #5.90 |
| 22 | *Yield on total investments % | 8.54 | 8.69 | #7.54 | #7.59 | #7.71 |
| 23 | Paid up equity capital | 632499.77 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 24 | Net worth | 1040913.89 | 636069.22 | 73952.69 | 67868.36 | 65037.25 |
| 25 | Total Assets | 423061694.90 | 380461000.76 | 319621480.59 | 311184727.79 | 284504182.01 |
| 26 | Earnings per share | 6.39 | 4.59 | 4.29 | 4.25 | 3.87 |
| 27 | Book value per share | 10.00 | 10.00 | 10.00 | N.A. | 10.00 |

Previous Periods's figures are regrouped wherever necessary.

- ^ Net of reinsurance
- a Net of losses
- * Inclusive of interim bonuses, if any
- # Yield is calculated on Mean Fund
- ** Dividend to Government of India

vii) Statement showing the Controlled Fund

a) Computation of Controlled fund as per the Balance Sheet (In respect of Business In India) ${\sf Computation}$

(₹ In crores)

| | | (< in crores |
|---|------------|--------------|
| Particulars | 2021-22 | 2020-21 |
| Policyholders' Fund (Life Fund) | | |
| Participating | | |
| Individual Assurance | 2476594.93 | 2432648.46 |
| Annuity Business | 5257.09 | 1236.34 |
| Pension Business | 41776.17 | 28038.77 |
| Group Assurance | 0.00 | 43936.75 |
| Non Participating | | |
| Individual Assurance (Includes Life, Linked- Non Unit Fund) | 186712.53 | 50211.42 |
| Annuity Business | 123752.55 | 95503.33 |
| Group Assurance | 871858.87 | 748217.35 |
| Health Business | 312.94 | 530.37 |
| Linked | | |
| Individual Assurance | 14751.54 | 22554.74 |
| Group Assurance | 0.00 | 0.00 |
| Individual Pension | 7099.50 | 8413.12 |
| Group Superannuation | 0.00 | 0.00 |
| Group Gratuity | 127.78 | 119.28 |
| Health Business | 1831.60 | 1768.40 |
| Funds for Future Appropriations | 1834.43 | 3.34 |
| Discontinued Fund (Unit) | 52.81 | 17.54 |
| Total (A) | 3731962.74 | 3433199.19 |





| विवरण | 2021-22 | 2020-21 |
|---|------------|------------|
| शेयरधारकों का कोष | | |
| प्रदत्त पूंजी | 6325.00 | 100.00 |
| भंडार और अधिशेष | 4042.37 | 5943.20 |
| उचित मूल्य परिवर्तन | 17.02 | 8.96 |
| कुल (ख) | 10384.39 | 6052.16 |
| विविध खर्चे बट्टे खाते में नहीं डाले गए | 0.00 | 0.00 |
| पी एंड एल खाते से क्रेडिट / (डेबिट) | 0.00 | 0.00 |
| कुल (ग) | 0.00 | 0.00 |
| कुल शेयरधारकों की निधि (क+ख) | 10384.39 | 6052.16 |
| नियंत्रित निधि [कुल (क+ख-ग)] | 3742347.13 | 3439251.35 |

ख) राजस्व और लाभ और हानि खाते से नियंत्रित निधि का समाधान (भारत में व्यापार के संबंध में)

(₹ करोड़ में)

| | | ((1, (1, 0, 1) |
|---|---------------------|-----------------|
| विवरण | 2021-22 | 2020-21 |
| नियंत्रित निधि का प्रारंभिक शेष | 3439251.35 | 3111817.32 |
| जोड़ें: अंतर्वाह | | |
| आय | | |
| प्रीमियम आय | 427605.27 | 402886.21 |
| घटाः पुनर्बीमा सौंप दिया गया | 604.76 | 441.76 |
| शुद्ध प्रीमियम | 427000.51 | 402444.45 |
| निवेश आय* | 292504.10 | 278296.56 |
| अन्य आय | 780.05 | 595.31 |
| शेयरधारकों के खातों से धन हस्तांतरित | 0.00 | 0.00 |
| कुल आय | 720284.66 | 681336.32 |
| कमः आउटगो | | |
| (i) भुगतान किए गए लाभ (शुद्ध) | 353063.64 | 284269.95 |
| (ii) भुगतान किया गया अंतरिम बोनस | 4024.71 | 2225.33 |
| (iii) दायित्व के मूल्यांकन में परिवर्तन** | 298763.55 | 321824.49 |
| (iv) कमीशन | 23150.01 | 22147.90 |
| (v) परिचालन व्यय | 38840.70 | 34945.19 |
| (vi) कराधान के लिए प्रावधान आई.टी. | 7858.00 | 7944.20 |
| (vii) कराधान के अलावा अन्य प्रावधान *** | (9378.12) | 5000.59 |
| (vii) अन्य *** | 90.76 | 93.07 |
| कुल व्यय | 716413.25 | 678450.72 |
| पॉलिसीधारकों के कोष का अधिशेष | 3871.41 | 2885.60 |
| कमः शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरित | 3871.41 | 2885.60 |
| पॉलिसीधारकों के खाते में शुद्ध प्रवाह | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ें: शेयरधारकों के कोष में शुद्ध आय/(व्यय) | **** 4324.17 | 2894.85 |
| प्रवाह / बहिर्वाह में शुद्ध | 4324.17 | 2894.85 |
| जोड़ें: मूल्यांकन देयताओं में परिवर्तन** | 298763.55 | 321824.49 |





| Particulars | 2021-22 | 2020-21 |
|---------------------------------|------------|------------|
| Shareholders" Fund | | |
| Paid up Capital | 6325.00 | 100.00 |
| Reserves & Surpluses | 4042.37 | 5943.20 |
| Fair Value Change | 17.02 | 8.96 |
| Total (B) | 10384.39 | 6052.16 |
| Misc. expenses not written off | 0.00 | 0.00 |
| Credit / (Debit) from P&L A/c. | 0.00 | 0.00 |
| Total (C) | 0.00 | 0.00 |
| Total shareholders' funds (B+C) | 10384.39 | 6052.16 |
| Controlled Fund [Total (A+B-C)] | 3742347.13 | 3439251.35 |

b) Reconciliation of the Controlled Fund from Revenue and Profit & Loss Account (In respect of Business In India)

(₹ In Lakhs)

| Particulars | 2021-22 | 2020-21 |
|---|-------------|------------|
| Opening Balance of Controlled Fund | 3439251.35 | 3111817.32 |
| Add: Inflow | | |
| Income | | |
| Premium Income | 427605.27 | 402886.21 |
| Less: Reinsurance ceded | 604.76 | 441.76 |
| Net Premium | 427000.51 | 402444.45 |
| Investment Income* | 292504.10 | 278296.56 |
| Other Income | 780.05 | 595.31 |
| Funds transferred from Shareholders' Accounts | 0.00 | 0.00 |
| Total Income | 720284.66 | 681336.32 |
| Less: Outgo | | |
| (i) Benefits paid (Net) | 353063.64 | 284269.95 |
| (ii) Interim Bonus Paid | 4024.71 | 2225.33 |
| (iii) Change in Valuation of Liability** | 298763.55 | 321824.49 |
| (iv) Commission | 23150.01 | 22147.90 |
| (v) Operating Expenses | 38840.70 | 34945.19 |
| (vi) Provision for Taxation I.T. | 7858.00 | 7944.20 |
| (vii) Provision other than Taxation *** | (9378.12) | 5000.59 |
| (vii) Others*** | 90.76 | 93.07 |
| Total Outgo | 716413.25 | 678450.72 |
| Surplus of the Policyholders' Fund | 3871.41 | 2885.60 |
| Less: transferred to Shareholders' Account | 3871.41 | 2885.60 |
| Net Flow in Policyholders' account | 0.00 | 0.00 |
| Add: Net income/(expense) in Shareholders' Fund | ****4324.17 | 2894.85 |
| Net In Flow / Outflow | 4324.17 | 2894.85 |
| Add: change in valuation Liabilities** | 298763.55 | 321824.49 |





| जोड़ें: वर्ष 2019-2020 के लिए अधिशेष की सरकारी हिस्सेदारी और वर्ष 2019-2020 और 2020—2021 के लिए सीआरएसी | | |
|--|------------|------------|
| व्यवसाय का प्रतिधारण | | 2705.73 |
| जोड़ें: उचित मूल्य परिवर्तन | 8.06 | 8.96 |
| नियंत्रित निधि का अंतिम संतुलन | 3742347.13 | 3439251.35 |
| तुलन पत्र के अनुसार | 3742347.13 | 3439251.35 |
| अंतर, यदि कोई हो | 0.00 | 0.00 |

^{*}लिंक्ड व्यवसाय के निवेश आय में पुनर्मूल्यांकन पर स्थानांतरण/लाभ/यूनिट फंड के उचित मूल्य में परिवर्तन शामिल है

अन्य व्यय और फंड प्रबंधन शुल्क और लिंक्ड व्यवसाय के अन्य शुल्क पर सेवा कर

**** बोनस शेयर जारी करने के लिए पूंजीकृत राशि शामिल है

ग) शेयरधारकों और पॉलिसीधारक निधि के साथ समाधान (भारत में व्यापार के संबंध में)

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2021-22 | 2020-21 |
|---|-------------------|------------|
| पॉलिसीधारकों की निधि | | |
| पॉलिसीधारकों के फंड — पारंपरिक—PAR और गैर-PAR | | |
| पॉलिसीधारकों के फंड की प्रारंभिक शेष राशि | 3400326.11 | 3078923.67 |
| जोड़ें: राजस्व खाते का अधिशेष | | |
| जोड़ें: मूल्यांकन देयताओं में परिवर्तन | 307773.40 | 321402.44 |
| कुल | 3708099.51 | 3400326.11 |
| तुलन-पत्र के अनुसार | 3708099.51 | 3400326.11 |
| अंतर, यदि कोई हो | 0.00 | 0.00 |
| पॉलिसीधारकों के फंड – लिंक्ड | | |
| पॉलिसीधारकों के फंड की प्रारंभिक शेष राशि | 32873.08 | 32451.03 |
| जोड़ें: राजस्व खाते का अधिशेष | | |
| जोड़ें: मूल्यांकन देयताओं में परिवर्तन | (9009.85) | 422.05 |
| कुल | 23863.23 | 32873.08 |
| तुलन-पत्र के अनुसार* | 23863.23 | 32873.08 |
| अंतर, यदि कोई हो | 0.00 | 0.00 |
| अंशधारी निधि | | |
| शेयरहोल्डर्स फंड का ओपनिंग बैलेंस | 6052.16 | 442.62 |
| जोड़ें: शेयरधारकों के कोष में शुद्ध आय/(व्यय) | ** 4324.17 | 2894.85 |
| जोड़ें: वर्ष 2019-2020 के लिए अधिशेष की सरकारी हिस्सेदारी और वर्ष | | |
| 2019-2020 और 2020-2021 के लिए सीआरएसी व्यवसाय का प्रतिधारण | 0.00 | 2705.73 |
| जोड़ेंः उचित मूल्य परिवर्तन | 8.06 | 8.96 |
| शेयरधारकों की निधि का अंतिम शेष | 10384.39 | 6052.16 |
| तुलन-पत्र के अनुसार | 10384.39 | 6052.16 |
| अंतर, यदि कोई हो | (0.00) | 0.00 |

^{*} बंद निधि (इकाई) शामिल है

^{**}देयताओं के मूल्यांकन में परिवर्तन में संबद्ध देयताओं के प्रावधान में स्थानांतरण, भविष्य के विनियोगों के लिए निधि और बंद निधि शामिल हैं

^{*** &}quot;कराधान के अलावा अन्य प्रावधान" और "अन्य" को अलग—अलग पंक्ति वस्तुओं के रूप में शामिल किया गया है। अन्य में शामिल हैं

^{**}बोनस शेयर जारी करने के लिए पूंजीकृत राशि शामिल है





| Add: Retention of Government Share of Surplus for year 2019-2020 and CRAC business for the year 2019-2020 | | |
|---|------------|------------|
| and 2020-2021 | | 2705.73 |
| Add: Fair Value Change | 8.06 | 8.96 |
| Closing Balance of Controlled Fund | 3742347.13 | 3439251.35 |
| As Per Balance Sheet | 3742347.13 | 3439251.35 |
| Difference, if any | 0.00 | 0.00 |

^{*}Investment Income includes transfer/gain on revaluation/change in fair value of unit fund of Linked business

Other Expenses and Service Tax on Fund Management Charges & Other Charges of Linked Business
****Includes amount capitalised for issue of Bonus Shares

c) Reconciliation with Shareholders' and Policyholders' Fund (In respect of Business In India) (₹ In Lakhs)

| Particulars | 2021-22 | 2020-21 | |
|---|------------|------------|--|
| Policyholders' Funds | | | |
| Policyholders' Funds - Traditional-PAR and NON-PAR | | | |
| Opening Balance of the Policyholders' Fund | 3400326.11 | 3078923.67 | |
| Add: Surplus of the Revenue Account | | | |
| Add: Change in valuation Liabilities | 307773.40 | 321402.44 | |
| Total | 3708099.51 | 3400326.11 | |
| As per Balance Sheet | 3708099.51 | 3400326.11 | |
| Difference, if any | 0.00 | 0.00 | |
| <u>Policyholders' Funds - Linked</u> | | | |
| Opening Balance of the Policyholders' Fund | 32873.08 | 32451.03 | |
| Add: Surplus of the Revenue Account | | | |
| Add: Change in valuation Liabilities | (9009.85) | 422.05 | |
| Total | 23863.23 | 32873.08 | |
| As per Balance Sheet* | 23863.23 | 32873.08 | |
| Difference, if any | 0.00 | 0.00 | |
| <u>Shareholders" Funds</u> | | | |
| Opening Balance of Shareholders' Fund | 6052.16 | 442.62 | |
| Add: Net income/(expense) in Shareholders' Fund | **4324.17 | 2894.85 | |
| Add: Retention of Government Share of Surplus for | | | |
| year 2019-2020 and CRAC business for the year 2019- | | | |
| 2020 and 2020-2021 | 0.00 | 2705.73 | |
| Add: fair Value Change | 8.06 | 8.96 | |
| Closing Balance of the Shareholders" fund | 10384.39 | 6052.16 | |
| As per Balance Sheet | 10384.39 | 6052.16 | |
| Difference, if any | (0.00) | 0.00 | |

^{*} Includes Discontinued Fund (Unit)

^{**}Change invaluation of liabilities includes transfer to provision for Linked Liabilities, Funds for Future Appropriations and Discontinued fund

^{***&}quot;Provision other than taxation" and "Others" have been included as separate row items.

"Others" include

^{**}Includes amount capitalised for issue of Bonus Shares





अनुबंध - I फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख: 01.01.2001

31 मार्च, 2022 तक का तुलन-पत्र (कुल व्यवसाय के संबंध में)

| | | (कुल व्यवसाय के संबंध में) | | | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | गैर−संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Business | | | | | | |
| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | जीवन व्यवसाय Life Business | | पेन्शन व्यवसाय Pension Business | | वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business | | |
| | | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | |
| निधियों का स्त्रोत SOURCES OF FUNDS | | | | | | | | |
| शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS: | | | | | | | | |
| शेयर पूँजी SHARE CAPITAL | 5 | - | | | | | | |
| आरक्षित निधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | | - | - | - | - | - | - | |
| उप-योग / Sub-Total | | | | | | | | |
| उधारी BORROWINGS | 7 | | | | | | | |
| पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS: | | | | | | | | |
| जमा / (नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | | 9302807.89 | 30088379.04 | - | 622812.68 | - | - | |
| पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES | | 248032596.28 | 45485611.71 | 4177616.86 | 60338526.26 | 525708.74 | 12376832.10 | |
| बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES | | | | | | | | |
| प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना Discontinued on account of non payment of premium | | - | - | - | - | - | - | |
| अन्य others | | - | - | - | - | - | | |
| बीमा आरक्षित निधि INSURANCE RESERVES | | 1285826.18 | (363.91) | - | - | - | (26.34) | |
| संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES | | - | - | - | - | - | - | |
| उप-योग / Sub-Total | | 258621230.35 | 75573626.84 | 4177616.86 | 60961338.94 | 525708.74 | 12376805.76 | |
| भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS | | 451561.92 | - | (287470.08) | - | 18433.52 | - | |
| कुल/ TOTAL | | 259072792.27 | 75573626.84 | 3890146.78 | 60961338.94 | 544142.26 | 12376805.76 | |
| निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS | | | | | | | | |
| निवेश / INVESTMENTS | | | | | | | | |
| शेयरधारकों के / Shareholders' | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| पॉलिसीधारकों के /Policyholders' | 8A | 238474185.51 | 75551766.63 | 3809651.31 | 59372479.12 | 547631.23 | 11423575.91 | |
| संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पतियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES | 8B | - | - | - | - | - | - | |
| 来可 / LOANS | 9 | 10949440.23 | 13434.07 | - | - | - | 23829.13 | |
| अचल परिसम्पत्तियाँ FIXED ASSETS | 10 | 348566.71 | 6635.60 | - | - | - | - | |
| चालु परिसम्पत्तियाँ CURRENT ASSETS | | | | | | | | |
| रोकड़ एवं बैंक में अतिशेष Cash and Bank Balances | 11 | 2379250.29 | 847590.29 | 169.12 | 491460.83 | 1.31 | 14289.39 | |





Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No.: 512 Dated 01.01.2001

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31,, 2022
(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| | गैर–संबद्ध Non-Linked | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business | स्वास्थ्य Health | गैर–संबद्ध व्यवसार Non-Linked B (Currer | usiness Total | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | | कुल (चालू वर्ष) Total (Current Year) | | | कुल Total |
| गैर−सहभागी Non- Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds | Unallocated Fund अनाबंटित निधि | |
| | | | | | | | | | |
| | | - | - | | - | - | 632499.77 | | 632499.7 |
| - | - | - | - | - | - | - | 404304.56 | | 404304.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | 4109.56 | | 4109.5 |
| | | | | | | | 1040913.89 | | 1040913.8 |
| | | | | | | | | | |
| - | - | 9302807.89 | 30711191.72 | 9934.00 | 9302807.89 | 30721125.72 | | | 40023933.6 |
| 12550.35 | 31293.60 | 252735921.88 | 118244814.02 | 23209.62 | 252735921.88 | 118268023.64 | | | 371003945.5 |
| - | - | - | - | 6633.53 | - | 6633.53 | | | 6633.5 |
| - | - | - | - | 1601.02 | - | 1601.02 | | | 1601.0 |
| - | - | 1285826.18 | (390.25) | 27.06 | 1285826.18 | (363.19) | | | 1285462.9 |
| - | - | - | - | 2388583.06 | - | 2388583.06 | | | 2388583.0 |
| 12550.35 | 31293.60 | 263324555.95 | 148955615.49 | 2429988.29 | 263324555.95 | 151385603.78 | | | 414710159.7 |
| - | - | 182525.36 | - | 917.95 | 182525.36 | 917.95 | | | 183443.3 |
| 12550.35 | 31293.60 | 263507081.31 | 148955615.49 | 2430906.24 | 263507081.31 | 151386521.73 | 1040913.89 | | 415934516.9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | _ | - | - | - | 641213.63 | | 641213.6 |
| - | - | - | | | | | | | |
| 15455.01 | - 49911.25 | 242831468.05 | 146413187.92 | 324693.60 | 242831468.05 | 146737881.52 | | | 389569349.5 |
| - 15455.01 - | - 49911.25 - | - 242831468.05 - | | 324693.60 2393863.99 | | 146737881.52 2393863.99 | | | |
| | - | - | - | | - | | | | 2393863.9 |
| - | - | - | - 37675.24 | 2393863.99 448.10 | - | 2393863.99 38123.34 | | | 389569349.5 2393863.9 10987563.5 355202.3 |





फार्म ए-बीएस 31 मार्च, 2022 तक का तुलन-पत्र (कल व्यवसाय के संबंध में)

| | अनुसूची Schedule | गैर−संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Business | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| विवरण Particulars | | जीवन व्यवसाय Life Business | | पेन्शन व्यवसाय Pension Business | | वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business | | |
| | | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non- Participating | |
| अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ Advances and Other Assets | 12 | 7964338.44 | 2724211.34 | 71575.12 | 1092338.48 | 4708.05 | 261545.89 | |
| उप–योग (क) Sub-Total (A) | | 10343588.73 | 3571801.63 | 71744.24 | 1583799.31 | 4709.36 | 275835.28 | |
| चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES | 13 | 4021979.17 | 1853561.69 | (9684.23) | (472973.70) | 8192.67 | 178238.57 | |
| प्रावधान PROVISIONS | 14 | - | 1494305.60 | - | - | - | - | |
| उप-योग (ख)/Sub-Total (B) | | 4021979.17 | 3347867.29 | (9684.23) | (472973.70) | 8192.67 | 178238.57 | |
| शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ ग), (क – ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B) | | 6321609.56 | 223934.34 | 81428.47 | 2056773.01 | (3483.31) | 97596.71 | |
| विविध व्यय (जो बट्टे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted) | 15 | | | | | | | |
| लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account) | | | | | | | | |
| कुल / Total | | 256093802.01 | 75795770.64 | 3891079.78 | 61429252.13 | 544147.92 | 11545001.75 | |
| महत्त्वपर्ण लेखनीतियाँ तथा लेखो की टिप्पणियाँ | 15A | | | | | | | |

Significant Accounting Policies & Notes to Accounts

उपर्युक्त अनुसूचयाँ एवं नोटस टू अकाउंट तुलनपत्र के अभिन्न

अंग है. / The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

नोट: लेखा मानक 17 के अनुसार- कर संपत्ति आवंटित नहीं की जा सकती है। हालांकि, एलआईसी के मामले में, फंड को 30.09.2021 को अलग किए जाने तक एकीकृत किया गया था और यूनिफाइड फंड के तहत कर व्यय के साथ-साथ संपत्ति को लाइफ पार से संबंधित माना गया था।

एलआईसी अधिनियम में संशोधन के परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष के आंकडे तुलनीय नहीं हैं। निगम के निदेशक मंडल ने 30/09/2021 से प्रभावी एकल एकीकृत पॉलिसीधारक फंड को सहभागी और गेर - सहभागी फंड में विभाजित करने की मंजूरी दी। तदनुसार खंड रिपोर्टिंग जीवन, सामान्य वार्षिकी, पेंशन, परीवर्तनीय एवं हेल्थ चाल वित्त वर्ष 2021-22 से किया गया है।

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Price & Co. **Chartered Accountants** F.R.N.: 002785S ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर)

A. R. Parthasarathy (Partner)

स.क्र./M.No. 205702 बी सी जैन एंड कं. के लिए

For B.C. Jain & Co. Chartered Accountants

F.R.N./001099C श्याम जी गुप्ता (पार्टनर)

Shyam ji Gupta (Partner) स.क्र./M.No./416155

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP **Chartered Accountants** F.R.N./101872W/W100045 विनीत सक्सेना (पार्टनर) Vineet Saxena (Partner) स.क्र./ M.No. 100770

मुंम्बई : 30 मई, 2022 Mumbai: 30th May, 2022

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit Chartered Accountants F.R.N./101048W रमन हंगेकर (पार्टनर) Raman Hangekar (Partner) स.क्र. M.No./030615

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए For abm & associates LLP Chartered Accountants F.R.N./105016W/W-100015

अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर) Ashwin B. Morche (Partner) स.क्र./ M.No./104126

रमा के गुप्ता एंड कं. के लिए For Rama K Gupta & Co. Chartered Accountants F.R.N/ 005005C रमा कांत गप्ता (पार्टनर) Ramakant Gupta (Partner) स.क्र. M. No. 073853

टोडी तुल्सयान एंड कं. के लिए For Todi Tulsyan & Co. Chartered Accountants F.R.N./002180C सशील कमार तुल्सयान (पार्टनर) Sushil Kumar Tulsyan (Partner) स.क्र./M.No./075899

ए आर एंड कं. के लिए For A R & Co. Chartered Accountants F.R.N./002744C प्रियांश जैन (पार्टनर) Priyanshu Jain (Partner) स.क्र. M.No. 530262

राममूर्ति (एन) एंड कं. के लिए For Ramamoorthy (N) & Co. Chartered Accountants F.R.N./002899S सरेंद्रनाथ भारती (पार्टनर) Surendranath Bharathi (Partner) स.क्र./M.No./023837 रे एंड रे के लिए For Ray & Ray **Chartered Accountants** F.R.N/ 301072E नबनिता घोष (पार्टनर) Nabanita Ghosh (Partner) स.क्र. M. No. 058477





BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2022 (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| | गैर–संबद्ध Non-Linked | | | <u> </u> | ग्रद्ध व्यवसाय कुल (चालू वर्ष) Linked Total (Current Year) | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|
| परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business | स्वास्थ्य Health | गैर-संबद्ध व्यवसार Non-Linked B (Currer | usiness Total | | | | | कुल Total | |
| गैर-सहभागी Non- Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds | Unallocated Fund अनाबंटित निधि | |
| 554.17 | 3994.24 | 8040621.61 | 4082644.12 | 8982.83 | 8040621.61 | 4091626.95 | 5995.02 | 3230326.20 | 15368569.78 |
| 554.17 | 4450.04 | 10420042.33 | 5436440.43 | 10634.23 | 10420042.33 | 5447074.66 | 14340.66 | 3230326.20 | 19111783.85 |
| (596.44) | (77552.86) | 4020487.61 | 1480677.26 | 128989.52 | 4020487.61 | 1609666.78 | | | 5630154.39 |
| - | - | - | 1494305.60 | - | - | 1494305.60 | | | 1494305.60 |
| (596.44) | (77552.86) | 4020487.61 | 2974982.86 | 128989.52 | 4020487.61 | 3103972.38 | | | 7124459.99 |
| 1150.61 | 82002.90 | 6399554.72 | 2461457.57 | (118355.29) | 6399554.72 | 2343102.28 | 14340.66 | 3230326.20 | 11987323.86 |
| 17017.66 | 131914.15 | 260529029.71 | 148918956.33 | 2600650.40 | 260529029.71 | 151519606.73 | 655554.29 | 3230326.20 | 415934516.93 |

Note: As per Accounting Standard 17- Tax assets cannot be allocated. However, in case of LIC, fund was unified till it was segregated on 30.09.2021 and tax expenditure as well as assets under Unified Fund were deemed pertaining to Life Par

Last year figures are not comparable in consequence of amendment in LIC Act. Board of Directors of the Corporation approved bifurcation of single unified policyholder fund into Participating and Non Participating fund with effect from 30/09/2021. Accordingly the segment reporting for Life, General Annuity, Pension, Variable & health has been done from current financial year 2021-22.

निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board of Directors

एम. आर. कुमार अध्यक्ष M. R. Kumar Chairperson (DIN: 03628755) प्रबंध निदेशक राज कुमार Raj Kumar Managing Director (DIN: 06627311) एम.पी. विजय कुमार स्वतंत्र निदेशक M.P. Vijay Kumar Independent Director (DIN: 05170323) कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) एस. एम. जैन S. M. Jain Exective Directior (F&A)

पवन अग्रवाल **कंपनी सचिव** Pawan Agrawal Company Secretary

दिनेश पंत नियुक्त बीमांकक Dinesh Pant Appointed Actuary सुनील अग्रवाल मुख्य वित्तीय अधिकारी Sunil Agrawal Chief Financial Officer





फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख: 01.01.2001

31 मार्च, 2021 तक का तुलन-पत्र (कुल व्यवसाय के संबंध में)

| | | चालू वर्ष Current Year | | | |
|---|---------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | गैर−संबद्ध व्यवसाय Non-linked Business | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | | |
| निधियों का स्त्रोत SOURCES OF FUNDS | | | | | |
| शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS: | | | | | |
| शेयर पूँजी SHARE CAPITAL | 5 | 10000.00 | 0.00 | | |
| आरक्षित निधि एवं अधिशेष | | | | | |
| RESERVES AND SURPLUS | 6 | 622499.77 | 0.00 | | |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा | | | | | |
| CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | | 3569.45 | 0.00 | | |
| उप–योग / Sub-Total | | 636069.22 | 0.00 | | |
| उधारी BORROWINGS | 7 | 0.00 | 0.00 | | |
| पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS: | | | | | |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा | | | | | |
| CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | | 26883001.44 | 404077.63 | | |
| पॉलिसी दायित्व | | | | | |
| POLICY LIABILITIES | | 336511924.66 | 3863172.43 | | |
| बंद पॉलिसियों के लिये निधि | | | | | |
| FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES | | | | | |
| प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना | | | | | |
| Discontinued on account of non payment of premium | | 0.00 | 3366.00 | | |
| अन्य others | | 0.00 | 1699.73 | | |
| बिमा आरक्षित निधि | | | | | |
| INSURANCE RESERVES | 6A | 1293376.55 | 26.58 | | |
| संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान | | | | | |
| PROVISION FOR LINKED LIABILITIES | | 0.00 | 3293196.17 | | |
| उप–योग / Sub-Total | | 364688302.65 | 7565538.54 | | |
| भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ | | | | | |
| FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS | | 0.00 | 333.99 | | |
| कुल/ TOTAL | | 365324371.87 | 7565872.53 | | |
| निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS | | | | | |
| निवेश / INVESTMENTS | | | | | |
| शेयरधारकों के / Shareholders' | 8 | 71356.67 | 0.00 | | |
| पॉलिसीधारकों के /Policyholders' | 8A | 344372156.60 | 4393329.10 | | |
| संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पतियाँ | | | | | |
| ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES | 8B | 0.00 | 3294950.15 | | |
| 表明 / LOANS | 9 | 10777508.22 | 825.54 | | |
| अचल परिसम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS | 10 | 345338.62 | 0.00 | | |





Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No.: 512 Dated 01.01.2001

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2021
(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

| | पिछले वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | |
|--------------|-----------------------------------|---|--------------|
| कुल Total | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-linked Business | कुल Total |
| | | | |
| 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 62200.10 | 0.00 | 62200.10 | 622499.77 |
| 1752.59 | 0.00 | 1752.59 | 3569.45 |
| 73952.69 | 0.00 | 73952.69 | 636069.22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (434053.72) | 126083.98 | (560137.70) | 27287079.07 |
| 308199818.21 | 3541270.37 | 304658547.84 | 340375097.09 |
| | | | |
| 3334.22 | 3334.22 | 0.00 | 3366.00 |
| 1851.68 | 1851.68 | 0.00 | 1699.73 |
| 1278558.45 | 21.67 | 1278536.78 | 1293403.13 |
| 3249765.17 | 3249765.17 | 0.00 | 3293196.17 |
| 312299274.01 | 6922327.09 | 305376946.92 | 372253841.19 |
| 21.44 | 21.44 | 0.00 | 333.99 |
| 312373248.14 | 6922348.53 | 305450899.61 | 372890244.40 |
| 312373240.14 | 0922340.33 | 303430639.01 | 372090244.40 |
| 67941.76 | 0.00 | 67941.76 | 71356.67 |
| 288730913.35 | 3802206.00 | 284928707.35 | 348765485.70 |
| 3250975.02 | 3250975.02 | 0.00 | 3294950.15 |
| 10782267.23 | 1452.79 | 10780814.44 | 10778333.76 |
| 301382.40 | 0.00 | 301382.40 | 345338.62 |
| | | | |





फार्म ए-बीएस

31 मार्च, 2021 तक का तुलन-पत्र (कुल व्यवसाय के संबंध में)

| | | चालू वर्ष Current Year | | |
|--|----------------------|---|-----------------------------------|--|
| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-linked Business | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | |
| चालू परिसम्पत्तियाँ CURRENT ASSETS | | | | |
| रोकड़ एवं बैंक में अतिशेष Cash and Bank Balances | 11 | 3026167.23 | 3158.22 | |
| अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ Advances and Other Assets | 12 | 14820376.34 | 70401.16 | |
| उप-योग (क) Sub-Total (A) | | 17846543.57 | 73559.38 | |
| चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES | 13 | 6594226.21 | 196791.64 | |
| प्रावधान PROVISIONS | 14 | 1494305.60 | 0.00 | |
| उप-योग (ख)/Sub-Total (B) | | 8088531.81 | 196791.64 | |
| शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग)=(क - ख) | | | | |
| NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B) | | 9758011.76 | (123232.26) | |
| विविध व्यय (जोबटटे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) | | | | |
| MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted) | 15 | 0.00 | 0.00 | |
| लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) | | | | |
| DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account) | | 0.00 | 0.00 | |
| कुल / Total | | 365324371.87 | 7565872.53 | |
| Contingent Liabilities (आकस्मिक देयताएं) | 15 A (B) 1 | | | |
| महत्त्वपूर्ण लेखनीतियाँ तथा लेखो की टिप्पणियाँ | 15 क | | | |
| Significant Accounting Policies & Notes to Accounts | 15A | | | |
| उपर्युक्त अनुसुचयाँ एवं नोटस टू अकाउंट तुलनपत्र के अभिन्न अंग है. | | | | |
| Schedules referred to above and the Notes to the Accounts form an integral part of | of the Balance-sheet | | | |

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Price & Co. Chartered Accountants F.R.N.: 002785S

ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर) A. R. Parthasarathy (Partner)

स.क्र./M.No. 205702 बी सी जैन एंड कं. के लिए

For B.C. Jain & Co.
Chartered Accountants

F.R.N./001099C

श्याम जी गुप्ता (पार्टनर) Shyam ji Gupta (Partner) स.क्र./M.No./416155

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP Chartered Accountants F.R.N./101872W/W100045

विनीत सक्सेना (पार्टनर) Vineet Saxena (Partner) स.क्र./ M.No. 100770

मुंम्बई : **30 मई, 2022** Mumbai: 30th May, 2022 बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit Chartered Accountants F.R.N./101048W रमन हंगेकर (पार्टनर) Raman Hangekar (Partner)

स्रका Hangekar (Partner) स.क्र. M.No./030615

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए For abm & associates LLP Chartered Accountants

F.R.N./105016W/W-100015 अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर) Ashwin B. Morche (Partner)

स.क्र./ M.No./104126

रमा के गुप्ता एंड कं. के लिए For Rama K Gupta & Co. Chartered Accountants F.R.N/ 005005C

रमा कांत गुप्ता (पार्टनर) Ramakant Gupta (Partner) स.क्र. M. No. 073853

> सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS

टोड़ी तुल्सयान एंड कं. के लिए For Todi Tulsyan & Co. Chartered Accountants F.R.N./002180C

सुशील कुमार तुल्सयान (पार्टनर) Sushil Kumar Tulsyan (Partner) स.क्र./M.No./075899

ए आर एंड कं. के लिए For A R & Co. Chartered Accountants F.R.N./002744C

प्रियांशु जैन (पार्टनर) Priyanshu Jain (Partner) स.क्र. M.No. 530262 राममूर्ति (एन) एंड कं. के लिए For Ramamoorthy (N) & Co.

Chartered Accountants F.R.N./002899S

सुरेंद्रनाथ भारती (पार्टनर) Surendranath Bharathi (Partner)

स.क्र./M.No./023837 रे एंड रे के लिए For Ray & Ray Chartered Accountants

F.R.N/ 301072E नबनिता घोष (पार्टनर)

Nabanita Ghosh (Partner) स.क्र. M. No. 058477





BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2021 (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| | पिछले वर्ष Previous Year | चालू वर्ष Current Year | |
|--------------|-----------------------------------|---|--------------|
| कुल Total | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-linked Business | कुल Total |
| 2858123.24 | 8772.77 | 2849350.47 | 3029325.45 |
| 14358398.51 | 77189.98 | 14281208.53 | 14890777.50 |
| 17216521.75 | 85962.75 | 17130559.00 | 17920102.95 |
| 6212673.48 | 218248.03 | 5994425.45 | 6791017.85 |
| 1764079.89 | 0.00 | 1764079.89 | 1494305.60 |
| 7976753.37 | 218248.03 | 7758505.34 | 8285323.45 |
| 9239768.38 | (132285.28) | 9372053.66 | 9634779.50 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312373248.14 | 6922348.53 | 305450899.61 | 372890244.40 |

निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board of Directors

| एम. आर. कुमार M. R. Kumar | স ঘ্য ধ Chairperson (DIN: 03628755) |
|---------------------------------------|---|
| राज कुमार Raj Kumar | प्रबंध निदेशक Managing Director (DIN: 06627311) |
| एम.पी. विजय कुमार M.P. Vijay Kumar | स्वतंत्र निदेशक Independent Director (DIN: 05170323) |
| | |
| एस. एम. जैन S. M. Jain | कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) Exective Directior (F&A) |
| , , | , , |
| S. M. Jain पवन अग्रवाल | Exective Directior (F&A) कंपनी सचिव |





फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2022 तक का तुलन-पत्र (भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में

| | | | | | ट्र व्यवसाय d Business | | |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | | | पेन्शन व्यवसाय Pension Business | | वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business | |
| Particulars | | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर-सहभागी Non- Participating |
| निधियों का स्त्रोत SOURCES OF FUNDS | | | | | | | |
| शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS: | | | | | | | |
| शेयर पूँजी SHARE CAPITAL | 5 | - | - | - | - | - | |
| आरक्षित निधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS | 6 | - | - | - | - | - | |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | | - | - | - | - | - | - |
| उप−योग / Sub-Total | | | | | | | |
| उधारी BORROWINGS | 7 | | | - | - | - | |
| पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS: | | | | | | | |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | | 9297772.36 | 30088379.04 | - | 622812.68 | - | |
| पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES | | 247659493.32 | 45482796.02 | 4177616.86 | 60338526.26 | 525708.74 | 12375254.62 |
| बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES | | | | | | | |
| प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना Discontinued on account of non payment of premium | | - | - | - | - | - | |
| अन्य others | | | | | | | |
| बिमा आरक्षित निधि INSURANCE RESERVES | 6A | 1251092.48 | - | - | - | - | |
| संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES | | | - | - | - | - | |
| उप–योग / Sub-Total | | 258208358.16 | 75571175.06 | 4177616.86 | 60961338.94 | 525708.74 | 12375254.6 |
| भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS | | 451561.92 | - | (287470.08) - | - | 18433.52 | |
| कुल/ TOTAL | | 258659920.08 | 75571175.06 | 3890146.78 | 60961338.94 | 544142.26 | 12375254.6 |
| निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS | | | | | | | |
| निवेश / INVESTMENTS | | | | | | | |
| शेयरधारकों के / Shareholders' | 8 | - | - | - | - | - | |
| पॉलिसीधारकों के /Policyholders' | 8A | 238067647.24 | 75549633.58 | 3809651.31 | 59372479.12 | 547631.23 | 11422407.55 |
| संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पतियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES | 8B | - | - | - | - | - | |
| ऋण / LOANS | 9 | 10933901.14 | 13419.96 | - | - | - | 23829.13 |
| अचल परिसम्पत्तियाँ FIXED ASSETS | 10 | 346721.19 | 6635.60 | - | - | - | |
| चालु परिसम्पत्तियाँ CURRENT ASSETS | | | | | | | |
| रोकड़ एवं बैंक में अतिशेष Cash and Bank Balances | 11 | 2367056.44 | 847568.33 | 169.12 | 491460.83 | 1.31 | 14181.33 |
| अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ Advances and Other Assets | 12 | 7953391.87 | 2724205.12 | 71575.12 | 1092338.48 | 4708.05 | 261545.78 |
| | | | | | | | |
| उप−योग (क) Sub-Total (A) | | 10320448.31 | 3571773.45 | 71744.24 | 1583799.31 | 4709.36 | 275727.10 |





Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No.: 512 Dated 01.01.2001

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2022
(IN RESPECT OF BUSINESS IN INDIA)

| (₹ in lakhs) | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| | | ल वर्ष) | कुल (चा | | संबद्ध | | व्यवसाय Business | गैर–संबद्ध Non-Linked | |
| कुल Total | Total (Current Year) | | व्यवसाय Linked Business | iness Total (Cur- | गैर-संबद्ध व्यवसार Non-Linked Bus rent | स्वास्थ्य Health | परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business | | |
| Total | अनाबंटित निधि Unallocated Fund | शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | गैर–सहभागी Non-Participating |
| | | | | | | | | | |
| 632499.77 | - | 632499.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 404236.95 | - | 404236.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1702.32 | - | 1702.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1038439.04 | | 1038439.04 | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40018898.08 | - | - | 30721125.72 | 9297772.36 | 9934.00 | 30711191.72 | 9297772.36 | - | - |
| 370626507.22 | - | - | 118263688.30 | 252362818.92 | 23267.45 | 118240420.85 | 252362818.92 | 31293.60 | 12550.35 |
| | | | | | | | | | |
| 6633.53 | - | - | 6633.53 | - | 6633.53 | - | - | - | - |
| 1601.02 | - | - | 1601.02 | - | 1601.02 | - | - | - | - |
| 1251092.48 | - | - | - | 1251092.48 | - | - | 1251092.48 | - | - |
| 2381042.29 | - | - | 2381042.29 | - | 2381042.29 | - | - | - | - |
| 414285774.6 | | | 151374090.86 | 262911683.76 | 2422478.29 | 148951612.57 | 262911683.76 | 31293.60 | 12550.35 |
| 183443.31 | | | 917.95 | 182525.36 | 917.95 | - | 182525.36 | - | - |
| 415507656.93 | | 1038439.04 | 151375008.81 | 263094209.12 | 2423396.24 | 148951612.57 | 263094209.12 | 31293.60 | 12550.35 |
| | | | | | | | | | |
| 503154.36 | - | 503154.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 389159509.89 | - | - | 146734580.11 | 242424929.78 | 324693.60 | 146409886.51 | 242424929.78 | 49911.25 | 15455.01 |
| 2386323.22 | - | - | 2386323.22 | - | 2386323.22 | - | - | - | - |
| 10972010.37 | - | - | 38109.23 | 10933901.14 | 448.10 | 37661.13 | 10933901.14 | - | 412.04 |
| 353356.79 | - | - | 6635.60 | 346721.19 | - | 6635.60 | 346721.19 | - | - |
| 3730573.04 | - | 8028.49 | 1355317.68 | 2367226.87 | 1651.40 | 1353666.28 | 2367226.87 | 455.80 | - |
| 15363357.34 | 3236158.39 | 5903.29 | 4091620.62 | 8029675.04 | 8982.83 | 4082637.79 | 8029675.04 | 3994.24 | 554.17 |
| 19093930.38 | 3236158.39 | 13931.78 | 5446938.30 | 10396901.91 | 10634.23 | 5436304.07 | 10396901.91 | 4450.04 | 554.17 |
| | | | | | | | | | |





फार्म ए-बीएस

31 मार्च, 2022 तक का तुलन-पत्र (भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में

| | | गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Business | | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | जीवन व्यवसाय Life Business | | पेन्शन व्यवसाय Pension Business | | वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business | | |
| rantenais | | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | |
| चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES | 13 | 3857626.95 | 1853838.13 | (9684.23) | (472973.70) | 8192.67 | 178513.17 | |
| प्रावधान PROVISIONS | 14 | - | 1494305.60 | - | - | - | - | |
| उप-योग (ख)/Sub-Total (B) | | 3857626.95 | 3348143.73 | (9684.23) | (472973.70) | 8192.67 | 178513.17 | |
| शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क − ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B) | | 6462821.36 | 223629.72 | 81428.47 | 2056773.01 | (3483.31) | 97213.93 | |
| विविध व्यय (जोबटटे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted) | 15 | | | | | | | |
| लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account) | | | | | | | | |
| कुल / Total | | 255811090.93 | 75793318.86 | 3891079.78 | 61429252.13 | 544147.92 | 11543450.61 | |
| Contingent Liabilities (आकस्मिक देयताएं) | 15 A (B) 1 | | | | | | | |

Contingent Liabilities (आकास्मक दयताए) 15 A (B)
महत्त्वपूर्ण लेखनीतियाँ तथा लेखो की टिप्पणियाँ 15 क

Significant Accounting Policies & Notes to Accounts 15A

उपर्युक्त अनुसूचयाँ एवं नोटस टू अकाउंट तुलनपत्र के अभिन्न अंग है.

Schedules referred to above and the Notes to the Accounts form an integral part of the Balance-sheet

नोट: लेखा मानक 17 के अनुसार- कर संपत्ति आवंटित नहीं की जा सकती है। हालांकि, एलआईसी के मामले में, फंड को 30.09.2021 को अलग किए जाने तक एकीकृत किया गया था और यूनिफाइड फंड के तहत कर व्यय के साथ-साथ संपत्ति को लाइफ पार से संबंधित माना गया था।

एलआईसी अधिनियम में संशोधन के परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष के आंकडे.तुलनीय नहीं हैं। निगम के निदेशक मंडल ने 30/09/2021 से प्रभावी एकल एकीकृत पॉलिसीधारक फंड को सहभागी और नैर – सहभागी फंड में विभाजित करने की मंजूरी दी। तदनुसार खंड रिपोर्टिंग जीवन, सामान्य वार्षिकी, पेंशन, परीवर्तनीय एवं हेल्थ चालू वित्त वर्ष 2021-22 से किया गया है।

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Price & Co.

Chartered Accountants F.R.N.: 002785S

ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर)

A. R. Parthasarathy (Partner) स.क्र./M.No. 205702

बी सी जैन एंड कं. के लिए For B.C. Jain & Co. Chartered Accountants

F.R.N./001099C श्याम जी गुप्ता (पार्टनर) Shyam ii Gunta (Partner

Shyam ji Gupta (Partner) स.क्र./M.No./416155

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP Chartered Accountants

F.R.N./101872W/W100045 विनीत सक्सेना (पार्टनर) Vineet Saxena (Partner)

स.क्र./ M.No. 100770 मुंम्बई : 30 मई, 2022

Mumbai: 30th May, 2022

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit Chartered Accountants F.R.N./101048W

रमन हंगेकर (पार्टनर) Raman Hangekar (Partner)

स्त्राम्बा Hangekar (Par स.क्र. M.No./030615

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए For abm & associates LLP

Chartered Accountants F.R.N./105016W/W-100015

अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर) Ashwin B. Morche (Partner) स.क्र./ M.No./104126

रमा के गुप्ता एंड कं. के लिए For Rama K Gupta & Co. Chartered Accountants F.R.N/ 005005C रमा कांत गुप्ता (पार्टनर) Ramakant Gupta (Partner)

स.क्र. M. No. 073853

टोड़ी तुल्सयान एंड कं. के लिए For Todi Tulsyan & Co. Chartered Accountants F.R.N./002180C

सुशील कुमार तुल्सयान (पार्टनर) Sushil Kumar Tulsyan (Partner) स.क्र./M.No./075899

ए आर एंड कं. के लिए For A R & Co. Chartered Accountants F.R.N./002744C प्रियांशु जैन (पार्टनर) Priyanshu Jain (Partner) स.क्र. M.No. 530262 राममूर्ति (एन) एंड कं. के लिए For Ramamoorthy (N) & Co. Chartered Accountants

F.R.N./002899S सुरेंद्रनाथ भारती (पार्टनर)

Surendranath Bharathi (Partner) स.क्र./M.No./023837

रे एंड रे के लिए For Ray & Ray Chartered Accountants F.R.N/ 301072E नबनिता घोष (पार्टनर) Nabanita Ghosh (Partner) स.क्र. M. No. 058477

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS





BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2022 (IN RESPECT OF BUSINESS IN INDIA)

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business | गैर–संबद्ध Non-Linked स्वास्थ्य Health | | iness Total (Cur- | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | कुल (चालू वर्ष) Total (Current Year) | | કુ ભ | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|
| गैर–सहभागी Non-Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds | अनाबंटित निधि Unallocated Fund | Total |
| (596.44) | (77552.86) | 3856135.39 | 1481228.30 | 128958.75 | 3856135.39 | 1610187.05 | | | 5466322.44 |
| - | - | - | 1494305.60 | - | - | 1494305.60 | | | 1494305.60 |
| (596.44) | (77552.86) | 3856135.39 | 2975533.90 | 128958.75 | 3856135.39 | 3104492.65 | | | 6960628.04 |
| 1150.61 | 82002.90 | 6540766.52 | 2460770.17 | (118324.52) | 6540766.52 | 2342445.65 | 13931.78 | 3236158.39 | 12133302.34 |
| | | - | - | | - | - | | | - |
| | | | | | | | | | |
| 17017.66 | 131914.15 | 260246318.63 | 148914953.41 | 2593140.40 | 260246318.63 | 151508093.81 | 517086.14 | 3236158.39 | 415507656.97 |

Note: As per Accounting Standard 17- Tax assets cannot be allocated. However, in case of LIC, fund was unified till it was segregated on 30.09.2021 and tax expenditure as well as assets under Unified Fund were deemed pertaining to Life Par

Last year figures are not comparable in consequence of amendment in LIC Act. Board of Directors of the Corporation approved bifurcation of single unified policyholder fund into Participating and Non Participating fund with effect from 30/09/2021. Accordingly the segment reporting for Life, General Annuity, Pension, Variable & health has been done from current financial year 2021-22.

निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board of Directors

एम. आर. कुमार अध्यक्ष M. R. Kumar Chairperson (DIN: 03628755) प्रबंध निदेशक राज कुमार Managing Director Raj Kumar (DIN: 06627311) एम.पी. विजय कुमार स्वतंत्र निदेशक M.P. Vijay Kumar Independent Director (DIN: 05170323) एस. एम. जैन कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) S. M. Jain Exective Directior (F&A) कंपनी सचिव पवन अग्रवाल Pawan Agrawal Company Secretary

दिनेश पंत नियुक्त बीमांकक Dinesh Pant Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल मुख्य वित्तीय अधिकारी Sunil Agrawal Chief Financial Officer





फार्म ए-बीएस बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख: 01.01.2001

31 मार्च, 2021 तक का तुलन-पत्र

(भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में

| | | चालू वर्ष Current Year | | | |
|---|---------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | गैर–संबद्ध व्यवसाय Non-linked Business | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | | |
| निधियों का स्त्रोत SOURCES OF FUNDS | | | | | |
| शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS: | | | | | |
| शेयर पूँजी SHARE CAPITAL | 5 | 10000.00 | 0.00 | | |
| आरक्षित निधि एवं अधिशेष | | | | | |
| RESERVES AND SURPLUS | 6 | 594320.24 | 0.00 | | |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा | | | | | |
| CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | | 896.18 | 0.00 | | |
| उप–योग / Sub-Total | | 605216.42 | 0.00 | | |
| उधारी BORROWINGS | 7 | 0.00 | 0.00 | | |
| पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS: | | | | | |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा | | | | | |
| CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | | 26877102.65 | 404077.63 | | |
| पॉलिसी दायित्व | | | | | |
| POLICY LIABILITIES | | 336169130.35 | 3863146.81 | | |
| बंद पॉलिसियों के लिये निधि | | | | | |
| FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES | | | | | |
| प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना | | | | | |
| Discontinued on account of non payment of premium | | 0.00 | 3366.00 | | |
| अन्य others | | 0.00 | 1699.73 | | |
| बीमा आरक्षित निधि | | | | | |
| INSURANCE RESERVES | 6A | 1240967.72 | 0.00 | | |
| संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान | | | | | |
| PROVISION FOR LINKED LIABILITIES | | 0.00 | 3285554.29 | | |
| उप-द्योग / Sub-Total | | 364287200.72 | 7557844.46 | | |
| भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ | | | | | |
| FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS | | 0.00 | 333.99 | | |
| कुल/ TOTAL | | 364892417.14 | 7558178.45 | | |
| निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS | | | | | |
| निवेश / INVESTMENTS | | | | | |
| शेयरधारकों के / Shareholders' | 8 | 21580.12 | 0.00 | | |
| पॉलिसीधारकों के /Policyholders' | 8A | 343985610.19 | 4393329.10 | | |
| संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पतियाँ | | | | | |
| ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES | 8B | 0.00 | 3287308.28 | | |
| ऋण / LOANS | 9 | 10761220.68 | 825.54 | | |
| अचल परिसम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS | 10 | 343943.93 | 0.00 | | |





Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No.: 512 Dated 01.01.2001

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2021 (IN RESPECT OF BUSINESS IN INDIA)

| चालू वर्ष | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|--------------------|
| Current Year | | | |
| कुल Total | गैर–संबद्ध व्यवसाय Non-linked Business | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | कुल Total |
| | | | |
| 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 594320.24 | 34262.18 | 0.00 | 34262.18 |
| 896.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 605216.42 | 44262.18 | 0.00 | 44262.18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27281180.28 | (562620.81) | 126083.98 | (436536.83) |
| 340032277.16 | 304351138.60 | 3541207.07 | 307892345.67 |
| 3366.00 | 0.00 | 3334.22 | 3334.22 |
| 1699.73 | 0.00 | 1851.68 | 1851.68 |
| 1240967.72 | 1238479.61 | 0.00 | 1238479.61 |
| 3285554.29 | 0.00 | 3243893.06 | 3243893.06 |
| 371845045.18 | 305026997.40 | 6916370.01 | 311943367.41 |
| | | | |
| 333.99 | 0.00 | 21.44 | 21.44 |
| 372450595.59 | 305071259.58 | 6916391.45 | 311987651.03 |
| | | | |
| 21580.12 | 20696.02 | 0.00 | 20696.02 |
| 348378939.29 | 284595913.39 | 3802206.00 | 288398119.39 |
| 3287308.28 | 0.00 | 3245102.92 | 3245102.92 |
| 10762046.22 | 10763278.33 | 1452.79 | 10764731.12 |
| 343943.93 | 299909.98 | 0.00 | 299909.98 |
| J4J743.73 | ۷۶۶۶۵۶.۶۵ | 0.00 | ∠ 77707. 78 |





फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख: 01.01.2001

> 31 मार्च, 2021 तक का तुलन-पत्र (भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में

| चालू | वर्ष |
|-------|-------|
| urren | t Yea |

| | | चालू वर्ष Current Year | |
|--|---------------------|---|-----------------------------------|
| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-linked Business | संबद्ध व्यवसाय Linked Business |
| चालू परिसम्पत्तियाँ CURRENT ASSETS | | | |
| रोकड़ एवं बैंक में अतिशेष Cash and Bank Balances | 11 | 3013249.07 | 3158.22 |
| अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ Advances and Other Assets | 12 | 14816442.23 | 70401.16 |
| उप-योग (क) Sub-Total (A) | | 17829691.30 | 73559.38 |
| चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES | 13 | 6555323.48 | 196843.85 |
| प्रावधान PROVISIONS | 14 | 1494305.60 | 0.00 |
| उप-योग (ख)/Sub-Total (B) | | 8049629.08 | 196843.85 |
| शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क - ख) | | | |
| NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B) | | 9780062.22 | (123284.47) |
| विविध व्यय (जो बट्टे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) | | | |
| MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted) | 15 | 0.00 | 0.00 |
| लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) | | | |
| DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल / Total | | 364892417.14 | 7558178.45 |
| Contingent Liabilities (आकस्मिक देयताएं) | 15 A (B) 1 | | |
| महत्त्वपूर्ण लेखनीतियाँ तथा लेखो की टिप्पणियाँ | 15 क | | |
| Significant Accounting Policies & Notes to Accounts | 15A | | |
| उपर्युक्त अनुसुचयाँ एवं नोटस टू अकाउंट तुलनपत्र के अभिन्न अंग है. | | | |
| Schedules referred to above and the Notes to the Accounts form an integral part of | the Balance-sheet | | |

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Price & Co. **Chartered Accountants** F.R.N.: 002785S ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर)

A. R. Parthasarathy (Partner) स.क्र./M.No. 205702 बी सी जैन एंड कं. के लिए

For B.C. Jain & Co. **Chartered Accountants** F.R.N./001099C श्याम जी गुप्ता (पार्टनर) Shyam ji Gupta (Partner) स.क्र./M.No./416155

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP **Chartered Accountants** F.R.N./101872W/W100045 विनीत सक्सेना (पार्टनर) Vineet Saxena (Partner)

मुंम्बई : 30 मई, 2022 Mumbai: 30th May, 2022

स.क्र./ M.No. 100770

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit Chartered Accountants F.R.N./101048W

रमन हंगेकर (पार्टनर) Raman Hangekar (Partner) स.क्र. M.No./030615

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए For abm & associates LLP Chartered Accountants F.R.N./105016W/W-100015 अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर)

रमा के गुप्ता एंड कं. के लिए For Rama K Gupta & Co. **Chartered Accountants** F.R.N/ 005005C रमा कांत गप्ता (पार्टनर) Ramakant Gupta (Partner)

Ashwin B. Morche (Partner)

स.क्र./ M.No./104126

स.क्र. M. No. 073853

टोड़ी तुल्सयान एंड कं. के लिए For Todi Tulsyan & Co. Chartered Accountants F.R.N./002180C सुशील कुमार तुल्सवान (पार्टनर)

Sushil Kumar Tulsyan (Partner) स.क्र./M.No./075899 ए आर एंड कं. के लिए For A R & Co.

Chartered Accountants F.R.N./002744C प्रियांशु जैन (पार्टनर) Priyanshu Jain (Partner) स.क्र. M.No. 530262

राममूर्ति (एन) एंड कं. के लिए For Ramamoorthy (N) & Co.

Chartered Accountants F.R.N./002899S सुरेंद्रनाथ भारती (पार्टनर) Surendranath Bharathi (Partner) स.क्र./M.No./023837

रे एंड रे के लिए For Ray & Ray **Chartered Accountants** F.R.N/ 301072E नबनिता घोष (पार्टनर) Nabanita Ghosh (Partner) स.क्र. M. No. 058477

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS





Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No.: 512 Dated 01.01.2001

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2021 (IN RESPECT OF BUSINESS IN INDIA)

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| | पिछले वर्ष Previous Year | | चालू वर्ष Current Year |
|--------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| कुल Total | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | गैर–संबद्ध व्यवसाय Non-linked Business | कुल Total |
| 2849872.83 | 8772.77 | 2841100.06 | 3016407.29 |
| 14351293.95 | 77189.98 | 14274103.97 | 14886843.39 |
| 17201166.78 | 85962.75 | 17115204.03 | 17903250.68 |
| 6178320.13 | 218333.01 | 5959987.12 | 6752167.33 |
| 1763755.05 | 0.00 | 1763755.05 | 1494305.60 |
| 7942075.18 | 218333.01 | 7723742.17 | 8246472.93 |
| 9259091.60 | (132370.26) | 9391461.86 | 9656777.75 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311987651.03 | 6916391.45 | 305071259.58 | 372450595.59 |

निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board of Directors

एम. आर. कुमार

अध्यक्ष

M. R. Kumar

Chairperson

(DIN: 03628755)

राज कुमार

प्रबंध निदेशक

Raj Kumar

Managing Director

(DIN: 06627311)

एम.पी. विजय कुमार

स्वतंत्र निदेशक

M.P. Vijay Kumar

Independent Director

(DIN: 05170323)

एस. एम. जैन

कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा)

S. M. Jain

Exective Directior (F&A)

पवन अग्रवाल

कंपनी सचिव

Pawan Agrawal

Company Secretary

दिनेश पंत Dinesh Pant नियुक्त बीमांकक

Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल

मुख्य वित्तीय अधिकारी

Sunil Agrawal

Chief Financial Officer





फार्म ए-बीएस बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001 **31 मार्च, 2022 तक का तुलन-पत्र**

(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

| | 1 | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | ये गए व्यवसाय | - ना राजज म |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | द्ग व्यवसाय d Business | | |
| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | जीवन व Life Bu | व्यवसाय usiness | 1 | व्यवसाय Business | | व्यवसाय Business |
| Particulars | Concado | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating |
| निधियों का स्त्रोत SOURCES OF FUNDS | | | | | | | |
| शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS: | | | | | | | |
| शेयर पूँजी SHARE CAPITAL | 5 | | | | | | |
| आरक्षित निधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उप-योग / Sub-Total | | | | | | | |
| उधारी BORROWINGS | 7 | | | | | | |
| पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS: | | | | | | | |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | | 5035.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <mark>पॉलिसी दायित्व</mark> POLICY LIABILITIES | | 373102.96 | 2815.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1577.48 |
| बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES | | | | | | | |
| प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना Discontinued on account of non payment of premium | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य others | | | | | | | |
| बिमा आरक्षित निधि INSURANCE RESERVES | 6A | 34733.70 | (363.91) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (26.34) |
| संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उप–योग / Sub-Total | | 412872.19 | 2451.78 | | | | 1551.14 |
| भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS | | - | - | - | - | - | - |
| कुल/ TOTAL | | 412872.19 | 2451.78 | | | | 1551.14 |
| निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS | | | | | | | |
| निवेश / INVESTMENTS | | | | | | | |
| शेयरधारकों के / Shareholders' | 8 | - | - | - | - | - | - |
| पॉलिसीधारकों के /Policyholders' | 8A | 406538.27 | 2133.05 | - | - | - | 1168.36 |
| संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पतियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES | 8B | - | - | - | - | - | - |
| ऋण / LOANS | 9 | 15539.09 | 14.11 | - | - | - | - |
| अचल परिसम्पत्तियाँ FIXED ASSETS | 10 | 1845.52 | - | - | - | - | - |
| चालू परिसम्पत्तियाँ CURRENT ASSETS | | | | | | | |
| रोकड़ एवं बैंक में अतिशेष Cash and Bank Balances | 11 | 12193.85 | 21.96 | - | - | - | 108.07 |
| अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ Advances and Other Assets | 12 | 10946.57 | 6.22 | - | - | _ | 0.11 |
| | 12 | 10710.37 | 0.22 | | | | 0.11 |





Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No.: 512 Dated 01.01.2001

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2022
(IN RESPECT OF BUSINESS OUT OF INDIA)

| | | | | | | | | | (₹ in lakhs) |
|---|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|
| | गैर–संबद्ध Non-Linked | व्यवसाय I Business | | संबद्ध व्यवसाय | | asm (s | वालू वर्ष) | | |
| परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business | स्वास्थ्य Health | गैर-संबद्ध व्यवसार Non-Linked E (Curre | य कुल (चालू वर्ष) Business Total nt Year) | Linked Business | | Total (Cu | irrent Year) | | कुल Total |
| गैर−सहभागी Non- Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds | अनाबंटित निधि Unallocated Fund | |
| | | | | | | | | | |
| | | - | - | | - | - | | | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 67.61 | | 67.61 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2407.24 | | 2407.24 |
| | | | | | | | 2474.85 | | 2474.85 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - | - | 5035.53 | - | - | 5035.53 | - | | | 5035.53 |
| - | - | 373102.96 | 4393.17 | (57.83) | 373102.96 | 4335.34 | | | 377438.30 |
| | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | | | | | | | | | |
| - | - | 34733.70 | (390.25) | 27.06 | 34733.70 | (363.19) | | | 34370.51 |
| - | - | - | - | 7540.77 | - | 7540.77 | | | 7540.77 |
| | | 412872.19 | 4002.92 | 7510.00 | 412872.19 | 11512.92 | | | 424385.11 |
| | - | - | | | | | | | |
| | - | 412872.19 | 4002.92 | 7510.00 | 412872.19 | 11512.92 | 2474.85 | | 426859.96 |
| | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 138059.27 | | 138059.27 |
| - | - | 406538.27 | 3301.41 | - | 406538.27 | 3301.41 | | | 409839.68 |
| - | - | - | - | 7540.77 | - | 7540.77 | | | 7540.77 |
| - | | 15539.09 | | | | | | | 15553.20 |
| - | - | 1845.52 | - | - | 1845.52 | - | | | 1845.52 |
| - | - | 12193.85 | 130.03 | - | 12193.85 | 130.03 | 317.15 | | 12641.03 |
| - | - | 10946.57 | 6.33 | - | 10946.57 | 6.33 | 91.73 | (5832.19) | 5212.44 |
| | | | | | | | | | |





फार्म ए-बीएस

31 मार्च, 2022 तक का तुलन-पत्र (भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

| | | | | | द्र व्यवसाय d Business | | |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | जीवन व Life Bu | | | व्यवसाय Business | वार्षिकी Annuity | व्यवसाय Business |
| i articulais | 0.104410 | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non- Participating |
| उप-योग (क) Sub-Total (A) | | 23140.42 | 28.18 | | | | 108.18 |
| चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES | 13 | 164352.22 | (276.44) | - | - | - | (274.60) |
| प्रावधान PROVISIONS | 14 | - | - | - | - | - | - |
| उप-योग (ख) /Sub-Total (B) | | 164352.22 | (276.44) | | | | (274.60) |
| शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ ग), (क – ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B) | | (141211.80) | 304.62 | - | - | - | 382.78 |
| विविध व्यय (जो बट्टे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted) | 15 | | | | | | |
| लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account) | | | | | | | |
| कुल / Total | | 282711.08 | 2451.78 | | | | 1551.14 |
| Contingent Liabilities (आकस्मिक देयताएं) | 15क | | | | | | |
| महत्त्वपूर्ण लेखनीतियाँ तथा लेखो की टिप्पणियाँ | 15A | | | | | | |

Significant Accounting Policies & Notes to Accounts उपर्युक्त अनुसूचयाँ एवं नोटस टू अकाउंट तुलनपत्र के अभिन्न

अंग है. / The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

नोट: लेखा मानक 17 के अनुसार- कर संपत्ति आवंटित नहीं की जा सकती है। हालांकि, एलआईसी के मामले में, फंड को 30.09.2021 को अलग किए जाने तक एकीकृत किया गया था और यूनिफाइड फंड के तहत कर व्यय के साथ-साथ संपत्ति को लाइफ पार से संबंधित माना गया था।

एलआईसी अधिनियम में संशोधन के परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष के आंकडे तुलनीय नहीं हैं। निगम के निदेशक मंडल ने 30/09/2021 से प्रभावी एकल एकीकृत पॉलिसीधारक फंड को सहभागी और - सहभागी फंड में विभाजित करने की मंजूरी दी। तदनुसार खंड रिपोर्टिंग जीवन, सामान्य वार्षिकी, पेंशन, परीवर्तनीय एवं हेल्थ चालू वित्त वर्ष 2021-22 से किया गया है।

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Price & Co. Chartered Accountants

Chartered Accountants F.R.N.: 002785S

ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर)

A. R. Parthasarathy (Partner) स.क्र./M.No. 205702

बी सी जैन एंड कं. के लिए For B.C. Jain & Co.

Chartered Accountants F.R.N./001099C

श्याम जी गुप्ता (पार्टनर) Shvam ii Gupta (Partner

Shyam ji Gupta (Partner) स.क्र./M.No./416155

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP Chartered Accountants

F.R.N./101872W/W100045 विनीत सक्सेना (पार्टनर)

Vineet Saxena (Partner) स.क्र./ M.No. 100770

मुंम्बई : **30 मई, 2022** Mumbai: 30th May, 2022 बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit

Chartered Accountants F.R.N./101048W

रमन हंगेकर (पार्टनर)

Raman Hangekar (Partner) स.क्र. M.No./030615

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए For abm & associates LLP

Chartered Accountants F.R.N./105016W/W-100015

अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर) Ashwin B. Morche (Partner) स.क्र./ M.No./104126

रमा के गुप्ता एंड कं. के लिए For Rama K Gupta & Co. Chartered Accountants

F.R.N/ 005005C रमा कांत गुप्ता (पार्टनर) Ramakant Gupta (Partner)

स्त्रान्य स.क. M. No. 073853

टोड़ी तुल्सयान एंड कं. के लिए For Todi Tulsyan & Co.

Chartered Accountants F.R.N./002180C

सुशील कुमार तुल्सयान (पार्टनर) Sushil Kumar Tulsyan (Partner) स.क्र./M.No./075899

ए आर एंड कं. के लिए For A R & Co. Chartered Accountants F.R.N./002744C प्रियांशु जैन (पार्टनर) Priyanshu Jain (Partner)

स.क्र. M.No. 530262

राममूर्ति (एन) एंड कं. के लिए For Ramamoorthy (N) & Co.

Chartered Accountants F.R.N./002899S

सुरेंद्रनाथ भारती (पार्टनर)

Surendranath Bharathi (Partner) स.क्र./M.No./023837

रे एंड रे के लिए For Ray & Ray Chartered Accountants F.R.N/ 301072E

F.R.N/ 301072E नबनिता घोष (पार्टनर) Nabanita Ghosh (Partner) स.क्र. M. No. 058477

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS





BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2022 (IN RESPECT OF BUSINESS OUT OF INDIA)

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| | गैर−संबद्ध Non-Linked | व्यवसाय Business | | संबद्ध व्यवसाय | | | ग्रालू वर्ष) | | |
|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|
| परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business | स्वास्थ्य Health | गैर-संबद्ध व्यवसार Non-Linked B (Currer | ম কুল (चाলু বর্ष) Jusiness Total nt Year) | Linked Business | | | rrent Year) | | कुल Total |
| गैर–सहभागी Non- Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds | अनाबंटित निधि Unallocated Fund | |
| | | 23140.42 | 136.36 | | 23140.42 | 136.36 | 408.88 | (5832.19) | 17853.47 |
| - | | 164352.22 | (551.04) | 30.77 | 164352.22 | (520.27) | | | 163831.95 |
| - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | | 164352.22 | (551.04) | 30.77 | 164352.22 | (520.27) | | | 163831.95 |
| - | - | (141211.80) | 687.40 | (30.77) | (141211.80) | 656.63 | 408.88 | (5832.19) | (145978.48) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 282711.08 | 4002.92 | 7510.00 | 282711.08 | 11512.92 | 138468.15 | (5832.19) | 426859.96 |

Note: As per Accounting Standard 17- Tax assets cannot be allocated. However, in case of LIC, fund was unified till it was segregated on 30.09.2021 and tax expenditure as well as assets under Unified Fund were deemed pertaining to Life Par

Last year figures are not comparable in consequence of amendment in LIC Act. Board of Directors of the Corporation approved bifurcation of single unified policyholder fund into Participating and Non Participating fund with effect from 30/09/2021. Accordingly the segment reporting for Life, General Annuity, Pension, Variable & health has been done from current financial year 2021-22.

निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board of Directors

सुनील अग्रवाल

Sunil Agrawal

| एम. आर. कुमार M. R. Kumar | अध्यक्ष Chairperson (DIN: 03628755) |
|---------------------------------------|--|
| राज कुमार Raj Kumar | प्रबंध निदेशक Managing Director (DIN: 06627311) |
| एम.पी. विजय कुमार M.P. Vijay Kumar | स्वतंत्र निदेशक Independent Director (DIN: 05170323) |
| एस. एम. जैन | कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) |
| S. M. Jain | Exective Directior (F&A) |
| पवन अग्रवाल | कंपनी सचिव |
| Pawan Agrawal | Company Secretary |
| दिनेश पंत | नियुक्त बीमांकक |
| Dinesh Pant | Appointed Actuary |

मुख्य वित्तीय अधिकारी

Chief Financial Officer





फार्म ए-बीएस बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख: 01.01.2001

31 मार्च, 2021 तक का तुलन-पत्र

(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

| | | चालू वर्ष Current Year | |
|---|---------------------|---|-----------------------------------|
| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | गैर–संबद्ध व्यवसाय Non-linked Business | संबद्ध व्यवसाय Linked Business |
| निधियों का स्त्रोत SOURCES OF FUNDS | | | |
| शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS: | | | |
| शेयर पूँजी SHARE CAPITAL | 5 | 0.00 | 0.00 |
| आरक्षित निधि एवं अधिशेष | | | |
| RESERVES AND SURPLUS | 6 | 28179.53 | 0.00 |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा | | | |
| CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | | 2673.27 | 0.00 |
| उप–योग / Sub-Total | _ | 30852.80 | 0.00 |
| उधारी BORROWINGS | 7 | 0.00 | 0.00 |
| पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS: | | | |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा | | | |
| CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | | 5898.79 | 0.00 |
| पॉलिसी दायित्व | | | |
| POLICY LIABILITIES | | 342794.31 | 25.62 |
| बंद पॉलिसियों के लिये निधि | | | |
| FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES | | | |
| प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना | | | |
| Discontinued on account of non payment of premium | | 0.00 | 0.00 |
| अन्य others | | 0.00 | 0.00 |
| बिमा आरक्षित निधि | | | |
| INSURANCE RESERVES | 6A | 52408.83 | 26.58 |
| संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान | | | |
| PROVISION FOR LINKED LIABILITIES | | 0.00 | 7641.88 |
| उप–योग / Sub-Total | | 401101.93 | 7694.08 |
| भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ | | | |
| FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS | | 0.00 | 0.00 |
| कुल/ TOTAL | | 431954.73 | 7694.08 |
| निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS | | | |
| निवेश / INVESTMENTS | | | |
| शेयरधारकों के / Shareholders' | 8 | 49776.55 | 0.00 |
| पॉलिसीधारकों के /Policyholders' | 8A | 386546.41 | 0.00 |
| संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पतियाँ | | | |
| ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES | 8B | 0.00 | 7641.87 |
| 表明 / LOANS | 9 | 16287.54 | 0.00 |
| अचल परिसम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS | 10 | 1394.69 | 0.00 |





Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No.: 512 Dated 01.01.2001

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2021 (IN RESPECT OF BUSINESS OUT OF INDIA)

(₹ लाखों में)

| | पिछले वर्ष | | चालू वर्ष |
|--------------|-----------------------------------|---|--------------|
| | Previous Year | Current Year | |
| कुल Total | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | गैर–संबद्ध व्यवसाय Non-linked Business | कुल Total |
| | | | |
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27937.9 | 0.00 | 27937.92 | 28179.53 |
| 1752.5 | 0.00 | 1752.59 | 2673.27 |
| 29690.5 | 0.00 | 29690.51 | 30852.80 |
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2483.1 | 0.00 | 2483.11 | 5898.79 |
| 307472.5 | 63.30 | 307409.24 | 342819.93 |
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40078.8 | 21.67 | 40057.17 | 52435.41 |
| 5872.1 | 5872.11 | 0.00 | 7641.88 |
| 355906.6 | 5957.08 | 349949.52 | 408796.01 |
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 385597.1 | 5957.08 | 379640.03 | 439648.81 |
| | | | |
| 47245.7 | 0.00 | 47245.74 | 49776.55 |
| 332793.9 | 0.00 | 332793.96 | 386546.41 |
| 5872.1 | 5872.10 | 0.00 | 7641.87 |
| | 0.00 | 17536.11 | 16287.54 |
| 17536.1 | 0.00 | 17.550.11 | 10207.34 |





फार्म ए-बीएस 31 मार्च, 2021 तक का तुलन-पत्र

(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

| | | चालू वर्ष Current Year | |
|--|----------------------|---|-----------------------------------|
| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | गैर–संबद्ध व्यवसाय Non-linked Business | संबद्ध व्यवसाय Linked Business |
| चालू परिसम्पत्तियाँ CURRENT ASSETS | | | |
| रोकड़ एवं बैंक में अतिशेष Cash and Bank Balances | 11 | 12918.16 | 0.00 |
| अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ Advances and Other Assets | 12 | 3934.11 | 0.00 |
| उप-योग (क) चालू परिसम्पत्तियाँ Sub-Total (A) CURRENT ASSETS | <u> </u> | 16852.27 | 0.00 |
| चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES | 13 | 38902.73 | (52.21) |
| प्रावधान PROVISIONS | 14 | 0.00 | 0.00 |
| उप-योग (ख) चालू दायित्व/Sub-Total (B) CURRENT LIABILITIES | | 38902.73 | (52.21) |
| शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ ग), (क – ख) | | | |
| NET CURRENT ASSETS (C) = ($A - B$) | | (22050.46) | 52.21 |
| विविध व्यय (जो बट्टे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) | | | |
| MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted) | 15 | 0.00 | 0.00 |
| लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) | | | |
| DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account) | | 0.00 | 0.00 |
| कुल / Total | | 431954.73 | 7694.08 |
| Contingent Liabilities (आकस्मिक देयताएं) | 15 A (B) 1 | | |
| महत्त्वपूर्ण लेखनीतियाँ तथा लेखो की टिप्पणियाँ | 15 क | | |
| Significant Accounting Policies & Notes to Accounts | 15A | | |
| उपर्युक्त अनुसुचयाँ एवं नोटस टू अकाउंट तुलनपत्र के अभिन्न अंग है. | | | |
| Schedules referred to above and the Notes to the Accounts form an integral part of | of the Balance-sheet | | |

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Price & Co. Chartered Accountants F.R.N.: 002785S ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर) A. R. Parthasarathy (Partner) स.क्र./M.No. 205702 बी सी जैन एंड कं. के लिए

For B.C. Jain & Co. Chartered Accountants F.R.N./001099C श्याम जी गुप्ता (पार्टनर)

Shyam ji Gupta (Partner) स.क्र./M.No./416155

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP **Chartered Accountants** F.R.N./101872W/W100045 विनीत सक्सेना (पार्टनर) Vineet Saxena (Partner) स.क्र./ M.No. 100770

मुंम्बई : 30 मई, 2022 Mumbai: 30th May, 2022

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit Chartered Accountants F.R.N./101048W रमन हंगेकर (पार्टनर) Raman Hangekar (Partner) स.क्र. M.No./030615

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए For abm & associates LLP Chartered Accountants F.R.N./105016W/W-100015

अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर) Ashwin B. Morche (Partner) स.क्र./ M.No./104126

रमा के गुप्ता एंड कं. के लिए For Rama K Gupta & Co. Chartered Accountants F.R.N/ 005005C रमा कांत गप्ता (पार्टनर) Ramakant Gupta (Partner) स.क्र. M. No. 073853

टोडी तुल्सयान एंड कं. के लिए For Todi Tulsyan & Co. Chartered Accountants F.R.N./002180C सुशील कुमार तुल्सयान (पार्टनर) Sushil Kumar Tulsyan (Partner) स.क्र./M.No./075899

ए आर एंड कं. के लिए For A R & Co. Chartered Accountants F.R.N./002744C प्रियांशु जैन (पार्टनर) Privanshu Jain (Partner) स.क्र. M.No. 530262

राममूर्ति (एन) एंड कं. के लिए For Ramamoorthy (N) & Co. Chartered Accountants F.R.N./002899S सुरेंद्रनाथ भारती (पार्टनर) Surendranath Bharathi (Partner) स.क्र./M.No./023837

रे एंड रे के लिए For Ray & Ray **Chartered Accountants** F.R.N/ 301072E नबनिता घोष (पार्टनर) Nabanita Ghosh (Partner) स.क. M. No. 058477

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS





BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2021 (IN RESPECT OF BUSINESS OUT OF INDIA)

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| | पिछले वर्ष | | चालू वर्ष |
|--------------|--|---|------------------------------|
| कुल Total | Previous Year संबद्ध व्यवसाय Linked Business | गैर–संबद्ध व्यवसाय Non-linked Business | Current Year कुल Total |
| 8250.41 | 0.00 | 8250.41 | 12918.16 |
| 7104.56 | 0.00 | 7104.56 | 3934.11 |
| 15354.97 | 0.00 | 15354.97 | 16852.27 |
| 34353.35 | (84.98) | 34438.33 | 38850.52 |
| 324.84 | 0.00 | 324.84 | 0.00 |
| 34678.19 | (84.98) | 34763.17 | 38850.52 |
| (19323.22) | 84.98 | (19408.20) | (21998.25) |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 385597.11 | 5957.08 | 379640.03 | 439648.81 |

निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board of Directors

| On behalf of the Board of | Directors |
|---------------------------------------|--|
| एम. आर. कुमार M. R. Kumar | সध्यक्ष Chairperson (DIN: 03628755) |
| राज कुमार Raj Kumar | प्रबंध निदेशक Managing Director (DIN: 06627311) |
| एम.पी. विजय कुमार M.P. Vijay Kumar | स्वतंत्र निदेशक Independent Director (DIN: 05170323) |
| एस. एम. जैन | कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) |
| S. M. Jain | Exective Directior (F&A) |
| पवन अग्रवाल | कंपनी सचिव |
| Pawan Agrawal | Company Secretary |
| दिनेश पंत | नियुक्त बीमांकक |
| Dinesh Pant | Appointed Actuary |
| सुनील अग्रवाल | मुख्य वित्तीय अधिकारी |
| Sunil Agrawal | Chief Financial Officer |





फॉर्म ए-आरए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022 कुल व्यवसाय के संबंध में / IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS

| | अनुसूची Schedule | | गैर−संबद्ध Non-Linked | व्यवसाय Business | | | |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| विवरण | - | जीवन ठ Life Bu | | पेन्शन ठ Pension E | | वार्षिकी Annuity I | |
| Particulars | - | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating |
| अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net | | - | | | | | |
| (क) प्रिमियम | | | | | | | |
| (a) Premium | 1 | 25789210.85 | 4548104.89 | 52591.26 | 10731832.86 | 290.62 | 1318816.90 |
| (ख) पुनर्बीमा अंतरण | | | | | | | |
| (b) Reinsurance ceded | | (10692.29) | (41465.93) | (12.82) | - | - | - |
| (ग) पुनर्बीमा स्वीकार | | | | | | | |
| (c) Reinsurance accepted | | - | - | - | - | - | - |
| उप–योग / Sub-Total | | 25778518.56 | 4506638.96 | 52578.44 | 10731832.86 | 290.62 | 1318816.90 |
| निवेश से आय/ Income from Investments | | | | | | | |
| (क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, कुल | | | | | | | |
| (a) Interest, Dividends & Rent - Gross | | 17280533.55 | 2555183.67 | 244899.65 | 4143637.92 | 11803.84 | 757250.45 |
| (ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ | | | | | | | |
| (b) Profit on sale/redemption of investments | | 4165961.36 | 192278.02 | 538.45 | 317947.50 | 1857.37 | 29.19 |
| (ग) (निवेश की विक्री / मोचन पर हानि) | | | | | | | |
| (c) (Loss on sale/redemption of investments) | | (479348.59) | (158067.46) | (9538.78) | (183987.43) | (2241.41) | (59221.45) |
| (घ) पुनर्मूल्याकंन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* | | | | | | | |
| (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value* | | 12528.38 | - | - | - | - | - |
| (ङ) अन्य आय (e) Other Income | | | | | | | |
| (i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back | | 697.06 | (0.64) | - | (0.55) | - | - |
| (ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts | | 15789.90 | 45319.61 | (0.06) | 16305.63 | (1.88) | 0.22 |
| (iii) अंशधारकों के खाते से अन्य के लिए योगदान Contribution from Shareholders' Account | | 942.45 | - | - | - | - | - |
| कुल (क) TOTAL (A) | | 46775622.67 | 7141352.16 | 288477.70 | 15025735.93 | 11708.54 | 2016875.31 |
| कमीशन Commission | 2 | 2251373.45 | 18742.78 | 1247.40 | 8.15 | 6.73 | 32213.02 |
| बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च | | | | | | | |
| Operating Expenses related to Insurance Business | 3 | 3663558.76 | 116791.88 | 6719.90 | 27671.97 | 600.48 | 28833.79 |

टिप्पणी : उपरोक्त आकडों में संबद्ध व्यवसाय में गैर-सहभागी योजनाएं है, जैसे फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस, मनी प्लस, मार्केट प्लस, फॉर्च्युन प्लस, प्रॉफिट प्लस, मनी प्लस-1मार्केट प्लस-1 चाईल्ड फॉच्युन प्लस, जीवन साथी प्लस, वेल्थ प्लस, पेन्शन प्लस, एल्डोमेन्ट प्लस, समृध्दि प्लस, फ्लेक्सी प्लस, हेल्थ प्लस, हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस, गैचुटी प्लस, न्यू एन्डोमेन्ट प्लस तथा एलआईसी का सीप/निवेश प्लस

Note: The above figures include Linked business and Linked Business comprises of non-participating plans, viz. Future Plus, Jeevan Plus, Money Plus, Market Plus, Fortune Plus, Profit Plus, Money Plus Market Plus 1 Child Fortune Plus, Jeevan Sathi Plus, Wealth Plus, Pension Plus, Endowment Plus, Samriddhi Plus, Flexi Plus, Health Plus, Health Protection Plus, New Endowment Plus, LIC's SIIP/Nivesh Plus and Gratuity Plus.





FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. : 512 Dated 01.01.2001

पॉलिसिधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा) Policyholders' Account (Technical Account)

| | गैर-संबद्ध व्र Non-Linked B | ग्वसाय Jusiness | | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | | कुल (चालू वर्ष) Total (Current Year) | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|---|--------------|
| परिवर्तनीय व्यवसाय Variable | हेल्थ व्यवसाय Health Business | गैर-संबद्ध व्यवस Non-Linked To | ाय कुल (चालू वर्ष) tal (Current Year) | | | | |
| गैर−सहभागी Non-Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | कुल Total |
| 1135.45 | 36568.40 | 25842092.73 | 16636458.50 | 323945.92 | 25842092.73 | 16960404.42 | 42802497.15 |
| - | (7138.05) | (10705.11) | (48603.98) | (1266.85) | (10705.11) | (49870.83) | (60575.94) |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1135.45 | 29430.35 | 25831387.62 | 16587854.52 | 322679.07 | 25831387.62 | 16910533.59 | 42741921.21 |
| 2836.73 | 4876.33 | 17537237.04 | 7463785.10 | 259777.22 | 17537237.04 | 7723562.32 | 25260799.36 |
| 561.31 | 0.53 | 4168357.18 | 510816.55 | 298505.50 | 4168357.18 | 809322.05 | 4977679.23 |
| (542.77) | (1119.88) | (491128.78) | (402938.99) | (43622.88) | (491128.78) | (446561.87) | (937690.65) |
| - | - | 12528.38 | - | (23870.98) | 12528.38 | (23870.98) | (11342.60) |
| - | - | 697.06 | (1.19) | - | 697.06 | (1.19) | 695.87 |
| (35.46) | (0.09) | 15787.96 | 61589.91 | (125.83) | 15787.96 | 61464.08 | 77252.04 |
| - | - | 942.45 | - | - | 942.45 | - | 942.45 |
| 3955.26 | 33187.24 | 47075808.91 | 24221105.90 | 813342.10 | 47075808.91 | 25034448.00 | 72110256.91 |
| 32.60 | 4832.79 | 2252627.58 | 55829.34 | 8688.61 | 2252627.58 | 64517.95 | 2317145.53 |
| 25.15 | 18327.42 | 3670879.14 | 191650.21 | 26538.45 | 3670879.14 | 218188.66 | 3889067.80 |





मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022 कुल व्यवसाय के संबंध में / IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS

| | अनुसूची Schedule | | गैर–संबद्ध Non-Linked | व्यवसाय Business | | | |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| विवरण Portioulors | | | व्यवसाय usiness | पेन्शन व Pension | | | व्यवसाय Business |
| Particulars | | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating |
| निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर GST on Fund Management charges & other charges | | - | - | - | - | - | - |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for Doubtful debts | | (131185.24) | 21.17 | - | (1.03) | - | 1293.47 |
| कराधान के लिए प्रावधान Provisions for taxation | | 765848.79 | 6749.68 | - | 7955.60 | 2569.32 | - |
| प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation) | | | | | | | |
| (क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net) | | (68632.42) | (129506.81) | - | (100020.09) | - | - |
| (ख) आवश्यक शोधक्षमता सीमा के लिए प्रावधान (b) Provision for Required Solvency Margin | | - | - | - | - | - | - |
| (ग) अन्य (c) Others | | (400207.41) | 60.01 | (8421.05) | - | (11.90) | (94463.72) |
| कुल (ख)/ TOTAL (B) | | 6080755.93 | 12858.71 | (453.75) | (64385.40) | 3164.63 | (32123.44) |
| अदा किया गया लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net) | 4 | 21899307.58 | 4324052.57 | 232522.93 | 7387281.00 | 41626.65 | 709312.98 |
| अदा किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid | | 402639.51 | - | 91.04 | - | - | - |
| जीवन पॉलिसियों के सबंद्ध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies | | | | | | | |
| (क) कुल** (a) Gross**(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि | | 17687839.55 | 2582297.08 | 342854.57 | 7234927.14 | (51521.92) | 2171489.78 |
| (b) Amount ceded in Reinsurance | | - | - | - | - | - | - |
| (ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance | | - | - | - | _ | _ | - |
| सबंद्ध देयताओं के प्रावधान में अंतरण | | | | | | | |
| Transfer to provision for Linked Liabilities | | - | - | - | - | - | - |
| बंद करने निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Discontinued Fund | | - | - | - | - | - | - |
| कुल (ग)/TOTAL (C) | | 39989786.64 | 6906349.65 | 575468.54 | 14622208.14 | (9895.27) | 2880802.76 |
| अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग) | | | | | | | |
| SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C) | | 705080.10 | 222143.80 | (286537.09) | 467913.19 | 18439.18 | (831804.01) |
| शेयरधारकों के लेखा में अंतरण | | | | | | | |
| Transfer to Shareholders' Account | | 253518.18 | 222143.80 | 933.00 | 467913.19 | 5.66 | (831804.01) |
| अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves | | - | - | - | - | - | - |
| भविष्य के विनियोजन हेतु निधियों का अंतरण | | | | | | | |
| Transfer to Funds for Future Appropriations | | 451561.92 | - | (287470.09) | - | 18433.52 | - |
| कुल (घ)/TOTAL (D) | | 705080.10 | 222143.80 | (286537.09) | 467913.19 | 18439.18 | (831804.01) |





पॉलिसिधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा) Policyholders' Account (Technical Account)

| | कुल (चालू वर्ष) Total (Current Year) | | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | | वसाय usiness | गैर−संबद्ध व्य Non-Linked B | |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | य कुल (चालू वर्ष) al (Current Year) | | हेल्थ व्यवसाय Health Business | परिवर्तनीय व्यवसाय Variable |
| कुल Total | गैर−सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | गैर–सहभागी Non-Participating |
| 9076.44 | 9076.44 | - | 9076.44 | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| (129895.22) | 1290.02 | (131185.24) | (26.00) | 1316.02 | (131185.24) | 2.41 | - |
| 787862.94 | 19444.83 | 768418.11 | 2952.81 | 16492.02 | 768418.11 | 1710.78 | 75.96 |
| (303891.94) | (235259.52) | (68632.42) | (5732.62) | (229526.90) | (68632.42) | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| (504011.08) | (95370.72) | (408640.36) | - | (95370.72) | (408640.36) | 33.20 | (1000.21) |
| 6065354.47 | (18112.34) | 6083466.81 | 41497.69 | (59610.03) | 6083466.81 | 24906.60 | (866.50) |
| 35343758.47 | 13170301.31 | 22173457.16 | 737492.67 | 12432808.64 | 22173457.16 | 2687.31 | 9474.78 |
| 402730.55 | - | 402730.55 | - | - | 402730.55 | - | - |
| 30628848.39 | 12649676.19 | 17979172.20 | 765109.74 | 11884566.45 | 17979172.20 | (95027.22) | (9120.33) |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| (904613.08) | (904613.08) | - | (904613.08) | - | - | - | - |
| 3526.95 | 3526.95 | - | 3526.95 | - | - | - | - |
| 65474251.28 | 24918891.37 | 40555359.91 | 601516.28 | 24317375.09 | 40555359.91 | (92339.91) | 354.45 |
| 570651.16 | 133668.97 | 436982.19 | 170328.13 | (36659.16) | 436982.19 | 100620.55 | 4467.31 |
| 387541.84 | 133085.00 | 254456.84 | 169744.16 | (36659.16) | 254456.84 | 100620.55 | 4467.31 |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| 183109.32 | 583.97 | 182525.35 | 583.97 | - | 182525.35 | - | - |
| 570651.16 | 133668.97 | 436982.19 | 170328.13 | (36659.16) | 436982.19 | 100620.55 | 4467.31 |





| | | गैर–संबद्ध Non-Linked | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year | | ा व्यवसाय Business | | व्यवसाय n Business | | ती व्यवसाय sy Business |
| | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non-Participating |
| (क) अंतरिम बोनस | | | | | | |
| (a) Interim Bonus: | 402639.51 | - | 91.04 | - | - | - |
| (ख) पॉलिसिधारकों को बोनस का आबंटन : | | | | | | |
| (b) Allocation of Bonus to Policyholders: | 4816845.33 | - | 17727.00 | - | 107.59 | - |
| (ग) राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष | | | | | | |
| (c) Surplus shown in the Revenue accounts: | 705080.10 | 222143.80 | (286537.09) | 467913.19 | 18439.18 | (831804.01) |
| (घ) कूल अधिशेष (क+ख+ग): (d) Total Surplus [a+b+c]: | 5924564.94 | 222143.80 | (268719.05) | 467913.19 | 18546.77 | (831804.01) |

- प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डो के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।
- बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

उपरलिखित अनुसूचियाँ राजस्व लेखा के अंगभूत भाग है।

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनसार As per our report of even date

आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Price & Co.

Chartered Accountants F.R.N.: 002785S

ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर)

A. R. Parthasarathy (Partner)

स.क्र./M.No. 205702

बी सी जैन एंड कं. के लिए For B.C. Jain & Co.

Chartered Accountants

F.R.N./001099C

श्याम जी गुप्ता (पार्टनर)

Shyam ji Gupta (Partner)

स.क्र./M.No./416155

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP Chartered Accountants

F.R.N./101872W/W100045 विनीत सक्सेना (पार्टनर)

Vineet Saxena (Partner)

स.क्र./ M.No. 100770

मुंम्बई : 30 मई, 2022 Mumbai: 30th May, 2022

बाटलीबॉय एंड परोहित के लिए For Batliboi & Purohit

Chartered Accountants F.R.N./101048W

रमन हंगेकर (पार्टनर)

Raman Hangekar (Partner) स.क्र. M.No./030615

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए For abm & associates LLP

Chartered Accountants

F.R.N./105016W/W-100015 अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर)

Ashwin B. Morche (Partner)

स.क्र./ M.No./104126

रमा के गुप्ता एंड कं. के लिए For Rama K Gupta & Co.

Chartered Accountants

F.R.N/ 005005C

रमा कांत गुप्ता (पार्टनर)

स.क्र. M. No. 073853

Ramakant Gupta (Partner)

टोडी तुल्सयान एंड कं. के लिए For Todi Tulsyan & Co.

Chartered Accountants F.R.N./002180C

सुशील कुमार तुल्सयान (पार्टनर)

Sushil Kumar Tulsyan (Partner) स.क्र./M.No./075899

ए एंड एंड कं. के लिए For A R & Co.

Chartered Accountants F.R.N./002744C

प्रियांशु जैन (पार्टनर)

Priyanshu Jain (Partner)

स.क्र. M.No. 530262

राममूर्ति (एन) एंड कं. के लिए For Ramamoorthy (N) & Co.

Chartered Accountants F.R.N./002899S

सरेंद्रनाथ भारती (पार्टनर)

Surendranath Bharathi (Partner)

स.क्र./M.No./023837

रे एंड रे के लिए

For Ray & Ray

Chartered Accountants

F.R.N/ 301072E

नबनिता घोष (पार्टनर)

Nabanita Ghosh (Partner)

स.क. M. No. 058477

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS





(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| | गैर-संबद्ध ठ Non-Linked E | | | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | | कुल (चालू वर्ष) Total (Current Year) | |
|---|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|---|--------------|
| परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business | हेल्थ व्यवसाय Health Business | | ाय कुल (चालू वर्ष) tal (Current Year) | | | | |
| गैर–सहभागी Non-Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | कुल Total |
| - | - | 402730.55 | - | - | 402730.55 | - | 402730.55 |
| - | - | 4834679.92 | - | | 4834679.92 | - | 4834679.92 |
| 4467.31 | 100620.55 | 436982.19 | (36659.16) | 170328.13 | 436982.19 | 133668.97 | 570651.16 |
| 4467.31 | 100620.55 | 5674392.66 | (36659.16) | 170328.13 | 5674392.66 | 133668.97 | 5808061.63 |

^{*} Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.

The Schedules referred to above form an integral part of the Revenue Account.

निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board of Directors

अध्यक्ष एम. आर. कुमार M. R. Kumar Chairperson

(DIN: 03628755)

राज कुमार प्रबंध निदेशक Raj Kumar Managing Director (DIN: 06627311)

स्वतंत्र निदेशक एम.पी. विजय कुमार M.P. Vijay Kumar Independent Director (DIN: 05170323)

कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) एस. एम. जैन

S. M. Jain Exective Directior (F&A)

पवन अग्रवाल कंपनी सचिव Company Secretary Pawan Agrawal

दिनेश पंत नियुक्त बीमांकक Dinesh Pant Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल मुख्य वित्तीय अधिकारी Sunil Agrawal Chief Financial Officer

^{**} Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.





फॉर्म ए-आरए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31⁵¹ MARCH, 2021 कुल व्यवसाय के संबंध में / IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS

| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | | गैर–संबद्ध Non-Linked | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | जीवन व Life Bu | व्यवसाय usiness | • | व्यवसाय Business | | व्यवसाय Business |
| | | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non- Participating |
| अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net | | | | | | | |
| (क) प्रिमियम | | | | | | | |
| (a) Premium | 1 | 24419537.86 | 4072191.25 | 58060.16 | 9572357.27 | 350.63 | 2029532.01 |
| (ख) पुनर्बीमा अंतरण | | | | | | | |
| (b) Reinsurance ceded | | (10111.14) | (26759.44) | (13.82) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ग) पुनर्बीमा स्वीकार | | | | | | | |
| (c) Reinsurance accepted | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उप-योग / Sub-Total | | 24409426.72 | 4045431.81 | 58046.34 | 9572357.27 | 350.63 | 2029532.01 |
| निवेश से आय/ Income from Investments | | | | | | | |
| (क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, कुल | | | | | | | |
| (a) Interest, Dividends & Rent - Gross | | 16420718.70 | 2009617.75 | 226813.12 | 3694930.53 | 13658.84 | 636727.51 |
| (ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ | | | | | | | |
| (b) Profit on sale/redemption of investments | | 3518962.09 | 200704.51 | 78.98 | 425536.78 | 2047.63 | 46.40 |
| (ग) (निवेश की विक्री / मोचन पर हानि) | | | | | | | |
| (c) (Loss on sale/redemption of investments) | | (213445.66) | (100846.85) | (1819.04) | (169919.48) | (945.82) | (4976.82) |
| (घ) पुनर्मूल्याकंन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* | | | | | | | |
| (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value* | | 21189.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ङ) अन्य आय (e) Other Income | | | | | | | |
| (i) वापस लिखी गयी राशियाँ Amounts written back | | 669.58 | (0.15) | (3.22) | (1.24) | 0.00 | 0.00 |
| (ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts | | (2726.93) | 49318.68 | 0.02 | 12404.95 | 5.88 | 0.04 |
| (iii) अंशधारको के खाते से अन्य के लिए योगदान Contribution from Shareholders' Account | | | | | | | |
| towards others" | | 475.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल (क) TOTAL (A) | | 44155270.17 | 6204225.75 | 283116.20 | 13535308.81 | 15117.16 | 2661329.14 |
| कमीशन Commission | 2 | 2149395.95 | 11809.23 | 887.55 | 17.08 | 8.69 | 45593.51 |
| बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च | | | | | | | |
| Operating Expenses related to Insurance Business | 3 | 3299969.03 | 89651.00 | 6476.87 | 24531.32 | 570.08 | 42832.85 |

टिप्पणी : उपरोक्त आकडों में संबद्ग व्यवसाय में गैर-सहभागी योजनाएं है, जैसे फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस, मनी प्लस, मार्केट प्लस, फॉच्युंन प्लस, प्रॉफिट प्लस, मनी प्लस, मनी प्लस, नेल्थ प्लस, पेन्शन प्लस, पेन्शन प्लस, समुध्द प्लस, फ्लंब्सी प्लस, हेल्थ प्लस, केल्थ प्लस, पेन्शन प्लस, एल्डोमेन्ट प्लस, समुध्द प्लस, फ्लंबसी प्लस, हेल्थ प्लस, केल्थ प्लस, न्यू एन्डोमेन्ट प्लस तथा एल आई सी का सीप/निवेश प्लस।

Note: The above figures include Linked business and Linked Business comprises of non-participating plans, viz. Future Plus, Jeevan Plus, Money Plus, Market Plus, Fortune Plus, Fortune Plus, Profit Plus, Money Plus 1 Market Plus 1 Child Fortune Plus, Jeevan Sathi Plus, Wealth Plus, Pension Plus, Endowment Plus, Samriddhi Plus, Flexi Plus, Health Plus, Health Protection Plus, New Endowment Plus, LIC's SIIP/Nivesh Plus and Gratuity Plus.





FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. : 512 Dated 01.01.2001

पॉलिसिधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा) Policyholders' Account (Technical Account)

| | गैर–संबद्ध ठ्यट Non-Linked Bu | त्रसाय siness | | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | कुल (च Total (Cur | ालू वर्ष) rent Year) |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business | हेल्थ व्यवसाय Health Business | गैर−संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Tota | | | | |
| गैर–सहभागी Non-Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non-Participating |
| 2086.73 | 33823.76 | 24477948.65 | 15709991.02 | 140715.81 | 24477948.65 | 15850706.8 |
| 0.00 | (6004.49) | (10124.96) | (32763.93) | (1332.16) | (10124.96) | (34096.0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2086.73 | 27819.27 | 24467823.69 | 15677227.09 | 139383.65 | 24467823.69 | 15816610.7 |
| 4707.61 | 4049.65 | 16661190.66 | 6350033.05 | 434917.02 | 16661190.66 | 6784950.0 |
| 1390.50 | 0.58 | 3521088.70 | 627678.77 | 304715.30 | 3521088.70 | 932394.(|
| (55.17) | (27.47) | (216210.52) | (275825.79) | (138571.16) | (216210.52) | (414396.9 |
| 0.00 | 0.00 | 21189.70 | 0.00 | 585908.75 | 21189.70 | 585908.2 |
| 0.00 | 0.00 | 666.36 | (1.39) | 0.00 | 666.36 | (1.3 |
| (78.30) | 0.81 | (2721.03) | 61646.18 | (115.60) | (2721.03) | 61530. |
| 0.00 | 0.00 | 475.97 | 0.00 | 0.00 | 475.97 | 0. |
| 8051.37 | 31842.84 | 44453503.53 | 22440757.91 | 1326237.96 | 44453503.53 | 23766995.8 |
| 61.95 | 5151.02 | 2150292.19 | 62632.79 | 4066.72 | 2150292.19 | 66699 |
| 50.93 | 17062.54 | 3307015.98 | 174128.64 | 17807.67 | 3307015.98 | 191936. |





31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021 कुल व्यवसाय के संबंध में/ IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS

| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | | गैर–संबद्ध Non-Linked | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | जीवन व्य Life Bu | | | व्यवसाय Business | | व्यवसाय Business |
| | | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating |
| अन्य व्यय : विनियम Other Expenses: Exchange | | (14.96) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर | | | | | | | |
| GST on Fund Management charges & other charges | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | | | | | | | |
| Provisions for Doubtful debts | | 890396.92 | (3.51) | 0.00 | (1.43) | (75.00) | 0.00 |
| कराधान के लिए प्रावधान Provisions for taxation | | 798753.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) | | | | | | | |
| Provisions (other than taxation) | | | | | | | |
| (क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए | | | | | | | |
| (a) For diminution in the value of investments (Net) | | 457986.48 | 331.87 | 0.00 | 458.10 | 0.00 | 0.00 |
| (ख) आवश्यक शोधक्षमता सीमा के लिए प्रावधान | | | | | | | |
| (b) Provision for Required Solvency Margin | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ग) अन्य (c) Others | | (911316.44) | 57110.62 | (683.70) | 6084.04 | (1127.33) | 1033.25 |
| कुल (ख)/ TOTAL (B) | | 6685170.09 | 158899.21 | 6680.72 | 31089.11 | (623.56) | 89459.61 |
| अदा किया गया लाभ (शुद्ध) | | | | | | | |
| Benefits paid (Net) | 4 | 16954515.13 | 3901415.17 | 220271.23 | 5826293.28 | 37728.79 | 570161.04 |
| अदा किया गया अंतरिम बोनस | | | | | | | |
| Interim Bonuses Paid | | 222847.19 | 0.00 | 60.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जीवन पॉलिसियों के सबंद्ध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन | | | | | | | |
| Change in valuation of liability in respect of life policies | | | | | | | |
| (क) कुल** (a) Gross** | | 20003836.75 | 2143911.37 | 56104.11 | 7677926.42 | (21988.07) | 2001708.49 |
| (ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि | | | | | | | |
| (b) Amount ceded in Reinsurance | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि | | | | | | | |
| (c) Amount accepted in Reinsurance | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सबंद्ध देयताओं के प्रावधान में अंतरण | | | | | | | |
| Transfer to provision for Linked Liabilities | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| भविष्य के विनियोजन निधियों में अंतरण | | | | | | | |
| Transfer to Funds for Future Appropriations | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बंद करने निधियों को अंतरण | | | | | | | |
| Transfer to Funds for Discontinued Fund | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल (ग)/TOTAL (C) | | 37181199.07 | 6045326.54 | 276435.48 | 13504219.70 | 15740.72 | 2571869.53 |
| अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग) | | | | | | | |
| SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C) | | 288901.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| विनियोजन/APPROPRIATIONS | | | | | | | |
| शेयरधारकों के लेखा में अंतरण Transfer to Shareholders' Account | | 288901.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण | | | | | | | |
| Transfer to Other Reserves | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण | | | | | | | |
| Balance being Funds for Future Appropriations | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल (घ)/TOTAL (D) | | 288901.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





पॉलिसिधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा) Policyholders' Account (Technical Account)

| ्वर्ष) nt Year) | कुल (चार Total (Curr | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | | यवसाय Business | गैर–संबद्ध ठ Non-Linked E | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | कुल (चालू वर्ष) (Current Year) | गैर−संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Total | हेल्थ व्यवसाय Health Business | गरिवर्तनीय व्यवसाय /ariable Business |
| गैर−सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | गैर−सहभागी Non-Participating |
| (493.25 | (14.96) | (493.25) | 0.00 | (14.96) | 0.00 | 0.00 |
| 9322.2 | 0.00 | 9322.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5531.1 | 890321.92 | 5536.11 | (4.94) | 890321.92 | 0.00 | 0.00 |
| 22.9 | 798753.11 | 22.92 | 0.00 | 798753.11 | 0.00 | 0.00 |
| (4809.42 | 457986.48 | (5599.39) | 789.97 | 457986.48 | 0.00 | 0.00 |
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64214.4 | (913127.47) | 0.00 | 64214.47 | (913127.47) | 4.56 | (18.00) |
| 332423.9 | 6691227.25 | 30663.00 | 301760.93 | 6691227.25 | 22218.12 | 94.88 |
| 11252958.1 | 17212515.15 | 929385.22 | 10323572.95 | 17212515.15 | 1913.10 | 23790.36 |
| 0.0 | 222907.33 | 0.00 | 0.00 | 222907.33 | 0.00 | 0.00 |
| 12137326.0 | 20037952.79 | 321902.06 | 11815424.03 | 20037952.79 | 7711.62 | (15833.87) |
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43431.0 | 0.00 | 43431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312.5 | 0.00 | 312.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 544.1 | 0.00 | 544.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23434571.9 | 37473375.27 | 1295574.96 | 22138996.98 | 37473375.27 | 9624.72 | 7956.49 |
| 0.0 | 200001 01 | 0.00 | 0.00 | 288004 04 | | 0.00 |
| 0.0 | 288901.01 | 0.00 | 0.00 | 288901.01 | 0.00 | 0.00 |
| 0.0 | 288901.01 | 0.00 | 0.00 | 288901.01 | 0.00 | 0.00 |
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



LIC

WITCHIZ OHEN BUNGANCE CORPORATION OF NOM.

(₹ लाखों में)

| वर्ष के दौरान कुल अधिशेष | जीवन व्यवसाय | यवसाय | पेन्शन व्यवसाय | यवसाय | वार्षिकी | वार्षिकी व्यवसाय | परिवर्तनीय | हेलथ | गैर-संबद्ध घ्यवसाय कुल | वसाय कुल |
|---|--------------|-------------------|----------------|------------|----------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| | सहभागी | सहभागी गैर-सहभागी | सहभागी | गैर–सहभागी | सहभागी | गैर – सहभागी | ज्यवसाय गैर-सहभागी | ्यवसाय गैर-सहभागी | (चालू वष) सहभागी गै | वष <i>)</i> गैर–सहभागी |
| (क) अंतरिम बोनस | 222847.19 | 0.00 | 60.14 | 00:00 | 00.00 | 00:00 | 0.00 | 00.00 | 222907.33 | 0.00 |
| (ख) पॉलिसिधारकों को बोनस का आबंटन: | 5470881.51 | 0.00 | 18120.66 | 0.00 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5489119.16 | 0.00 |
| (ग) राजस्व लेखा में दर्शांया गया अधिशेष | 288901.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 00.00 | 288901.01 | 0.00 |
| (घ) कूल अधिशेष (क+ख+ग): | 5982629.71 | 0.00 | 18180.80 | 00.00 | 116.99 | 00:00 | 00:00 | 00.00 | 6000927.50 | 0.00 |

प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डो के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।

बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

जैसा कि बीमा अधिनियम 1938 कि धारा 40-ख (4) के अनुसार वांधित है, हम प्रमाणित करते है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार तथा हमें ही दी गई सूचना और स्वीकरण के अनुसार और जैसा कि हमें निगम कि खाता बाहियों के परीक्षण से लगाता है।

निगम द्वारा संपादित जीवन बीमा व्यवसाय से संबंधित सभी प्रबन्ध व्यय राजस्व खाते में - सहभागी / गैर-सहभागी पूरी तरह व्यवयक्त नामे किए है। (8

(ख) निमग द्वारा संपादित तथा संबद्ध व्यवसाय तथा असंबद्ध व्यवसाय से संबंधित समस्त प्रभार, संबंधित राजस्व खातों में पूरी तरह नामें किए गए है।

उपरिलखित अनुसूचियाँ राजस्व लेखा के अंगभूत भाग है।

(₹ in lakhs)

| Total Surplus during the year | Life Business | ısiness | Pension Business | Susiness | Annuity Business | Business | Variable Business Health Business | Health Business | Non-Linked Total | ked Total |
|--|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | Participating | Non- Participating | Participating | Non- Participating | Participating | Non- Participating | Non- Participating | Non- Participating | Participating | Non- Participating |
| a) Interim Bonus: | 222847.19 | 00.00 | 60.14 | 00.00 | 00.00 | 00.0 | 00.00 | 00.00 | 222907.33 | 0.00 |
| (b) Allocation of Bonus to Policyholders: | 5470881.51 | 0.00 | 18120.66 | 0.00 | 116.99 | 00:00 | 00.00 | 00.00 | 5489119.16 | 0.00 |
| (c) Surplus shown in the Revenue accounts: | 288901.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:00 | 00.00 | 00.00 | 288901.01 | 0.00 |
| (d) Total Surplus [a+b+c]: | 5982629.71 | 0.00 | 18180.80 | 0.00 | 116.99 | 0.00 | 00.0 | 0.00 | 6000927.50 | 0.00 |

* Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

As required by Section 40-B(4) of the Insurance Act, 1938 we certify that to the best of our knowledge and belief and according to the information and explanations given to us and so far as appears from our examination of the Corporation's books of accounts

(b) all charges incurred in respect of the Life Insurance Business transacted by the Corporation in respect of Non-Linked and Linked Business have been fully debited by the Corporation in the respective Revenue Accounts. (a) all expenses of management in respect of life insurance business transacted by the Corporation have been fully debited to the Revenue Account-Participating/Non-Participating as expenses. The Schedules referred to above form an integral part of the Revenue Account.





हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Price & Co. Chartered Accountants

F.R.N.: 002785S ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर)

A. R. Parthasarathy (Partner) स.क्र./M.No. 205702

टोड़ी तुल्सयान एंड कं. के लिए For Todi Tulsyan & Co. Chartered Accountants F.R.N./002180C

सुशील कुमार तुल्सयान (पार्टनर) Sushil Kumar Tulsyan (Partner) स.क्र./M.No./075899

बी.सी. जैन एंड कं. के लिए For B.C. Jain & Co. Chartered Accountants F.R.N./001099C ज्याम जी गुप्ता (पार्टनर) Shyam ji Gupta (Partner) स.क्र./M.No./416155

ए आर एंड कं. के लिए For A R & Co. Chartered Accountants F.R.N./002744C प्रियांशु जैन (पार्टनर) Priyanshu Jain (Partner) स.क्र. M.No. 530262

रे एंड रे के लिए For Ray & Ray Chartered Accountants F.R.N/ 301072E नबनिता घोष (पार्टनर) Nabanita Ghosh (Partner) स.क्र. M. No. 058477

मुंम्बई : **30 मई, 2022** Mumbai: 30th May, 2022 बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit Chartered Accountants F.R.N./101048W

रमन हंगेकर (पार्टनर) Raman Hangekar (Partner) स.क्र. M.No./030615

राममूर्ति (एन) एंड कं.के लिए For Ramamoorthy (N) & Co. Chartered Accountants

F.R.N./002899S स्रेंद्रनाथ भारती (पार्टनर)

स.क्र./ M.No./104126

Surendranath Bharathi (Partner) स.क्र./M.No./023837

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए For abm & associates LLP Chartered Accountants F.R.N./105016W/W-100015 अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर) Ashwin B. Morche (Partner)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP Chartered Accountants F.R.N./101872W/W100045 विनीत सक्सेना (पार्टनर) Vineet Saxena (Partner) स.क्र./ M.No. 100770

रमा के गुप्ता एंड कं. के लिए For Rama K Gupta & Co. Chartered Accountants F.R.N/ 005005C रमाकांत गुप्ता (पार्टनर) Ramakant Gupta (Partner) स.क. M. No. 073853

> सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS

निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board of Directors

एम. आर. कुमार M. R. Kumar अध्यक्ष Chairperson (DIN: 03628755)

राज कुमार Raj Kumar प्रबंध निदेशक Managing Director (DIN: 06627311)

एम.पी. विजय कुमार M.P. Vijay Kumar

स्वतंत्र निदेशक Independent Director (DIN: 05170323)

एस. एम. जैन S. M. Jain कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) Exective Directior (F&A)

पवन अग्रवाल Pawan Agrawal कंपनी सचिव Company Secretary

दिनेश पंत Dinesh Pant नियुक्त बीमांकक Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल Sunil Agrawal मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer





फॉर्म ए-आरए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022 भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में / IN RESPECT OF BUSINESS IN INDIA

| विवरण | - अनुसूची Schedule - | जीवन ठ Life Bu | | पेन्शन व्यवसाय Pension Business | | वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business | |
|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Particulars | | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating |
| अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net | | | | | | | |
| (क) प्रिमियम | | | | | | | |
| (a) Premium | 1 | 25747866.36 | 4548018.64 | 52591.26 | 10731832.86 | 290.62 | 1318816.90 |
| (ख) पुनर्बीमा अंतरण | | | | | | | |
| (b) Reinsurance ceded | | (10592.27) | (41465.93) | (12.82) | - | - | - |
| (ग) पुनर्बीमा स्वीकार | | | | | | | |
| (c) Reinsurance accepted | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उप–योग / Sub-Total | | 25737274.09 | 4506552.71 | 52578.44 | 10731832.86 | 290.62 | 1318816.90 |
| निवेश से आय/ Income from Investments | | | | | | | |
| (क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, कुल | | | | | | | |
| (a) Interest, Dividends & Rent - Gross | | 17256177.02 | 2555165.78 | 244899.65 | 4143637.92 | 11803.84 | 757250.45 |
| (ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ | | | | | | | |
| (b) Profit on sale/redemption of investments | | 4163910.48 | 192278.02 | 538.45 | 317947.50 | 1857.37 | 29.19 |
| (ग) (निवेश की विक्री / मोचन पर हानि) | | | | | | | |
| (c) (Loss on sale/redemption of investments) | | (478807.59) | (158067.46) | (9538.78) | (183987.43) | (2241.41) | (59221.45) |
| (घ) पुनर्मूल्याकंन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ [*] | | | | | | | |
| (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value* | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ङ) अन्य आय (e) Other Income | | | | | | | |
| (i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back | | 697.06 | (0.64) | - | (0.55) | - | - |
| (ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts | | 15737.66 | 45319.61 | (0.06) | 16305.63 | (1.88) | 0.22 |
| (iii) अंशधारकों के खाते से अन्य के लिए योगदान Contribution from Shareholders' Account | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल (क) TOTAL (A) | | 46694988.72 | 7141248.02 | 288477.70 | 15025735.93 | 11708.54 | 2016875.31 |
| कमीशन Commission | 2 | 2249229.43 | 18742.78 | 1247.40 | 8.15 | 6.73 | 32213.02 |
| बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च | | | | | | | |
| Operating Expenses related to Insurance Business | 3 | 3658646.67 | 116789.11 | 6719.90 | 27671.97 | 600.48 | 28833.79 |

टिप्पणी : उपरोक्त आकडों में संबद्घ व्यवसाय में गैर-सहभागी योजनाएं है, जैसे फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस, मनी प्लस, मार्केट प्लस, फॉर्च्युन प्लस, प्रॉफिट प्लस, मनी प्लस–1मार्केट प्लस–1 चाईल्ड फॉच्युन प्लस, जीवन साथी प्लस, वेल्थ प्लस, पेन्शन प्लस, एन्डोमेन्ट प्लस, समृध्दि प्लस, फ्लेक्सी प्लस, हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस, गैचुटी प्लस, न्यू एन्डोमेन्ट प्लस तथा एल आई सी का सीप/निवेश प्लस।

Note: The above figures include Linked business and Linked Business comprises of non-participating plans, viz. Future Plus, Jeevan Plus, Money Plus, Market Plus, Fortune Plus, Profit Plus, Money Plus 1 Market Plus 1 Child Fortune Plus, Jeevan Sathi Plus, Wealth Plus, Pension Plus, Endowment Plus, Samriddhi Plus, Flexi Plus, Health Plus, Health Protection Plus, New Endowment Plus, LIC's SIIP/Nivesh Plus and Gratuity Plus.





FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. : 512 Dated 01.01.2001

पॉलिसिधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा) Policyholders' Account (Technical Account)

| | गैर–संबद्ध व्र Non-Linked B | यवसाय Business | प संबद्ध व्यवसाय ess Linked Business | | | कुल (चालू वर्ष) Total (Current Year) | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|---|----------------|--|--|
| परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business | हेल्थ व्यवसाय Health Business | | ाय कुल (चालू वर्ष) tal (Current Year) | | | | | | |
| गैर−सहभागी Non-Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | ন্ধুল Total | | |
| 1135.45 | 36568.40 | 25800748.24 | 16636372.25 | 323406.81 | 25800748.24 | 16959779.06 | 42760527.30 | | |
| - | (7138.05) | (10605.09) | (48603.98) | (1266.85) | (10605.09) | (49870.83) | (60475.92) | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1135.45 | 29430.35 | 25790143.15 | 16587768.27 | 322139.96 | 25790143.15 | 16909908.23 | 42700051.38 | | |
| 2836.73 | 4876.33 | 17512880.51 | 7463767.21 | 259608.81 | 17512880.51 | 7723376.02 | 25236256.53 | | |
| 561.31 | 0.53 | 4166306.30 | 510816.55 | 298225.34 | 4166306.30 | 809041.89 | 4975348.19 | | |
| (542.77) | (1119.88) | (490587.78) | (402938.99) | (43597.62) | (490587.78) | (446536.61) | (937124.39) | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (24070.60) | 0.00 | (24070.60) | 24070.60 | | |
| - | - | 697.06 | (1.19) | - | 697.06 | (1.19) | 695.87 | | |
| (35.46) | (0.09) | 15735.72 | 61589.91 | (17.09) | 15735.72 | 61572.82 | 77308.54 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3955.26 | 33187.24 | 46995174.96 | 24221001.76 | 812288.80 | 46995174.96 | 25033290.56 | 72028465.52 | | |
| 32.60 | 4832.79 | 2250483.56 | 55829.34 | 8688.61 | 2250483.56 | 64517.95 | 2315001.51 | | |
| 25.15 | 18327.42 | 3665967.05 | 191647.44 | 26455.67 | 3665967.05 | 218103.11 | 3884070.16 | | |





मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022 भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में / IN RESPECT OF BUSINESS IN INDIA

| | | | गैर–संबद्ध Non-Linked | व्यवसाय I Business | | | |
|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| विवरण | अनुसूची Schedule | जीवन व्यवसाय Life Business | | पेन्शन व्यवसाय Pension Business | | वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business | |
| Particulars | | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non- Participating |
| निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर GST on Fund Management charges & other charges | | - | - | - | - | - | - |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | | | | | | | |
| Provisions for Doubtful debts | | (131197.93) | 21.17 | - | (1.03) | - | 1293.47 |
| कराधान के लिए प्रावधान Provisions for taxation | | 763852.25 | 6749.68 | - | 7955.60 | 2569.32 | - |
| प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation) | | | | | | | |
| (क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए | | | | | | | |
| (a) For diminution in the value of investments (Net) | | (68632.42) | (129506.81) | - | (100020.09) | - | - |
| (ख) आवश्यक शोधक्षमता सीमा के लिए प्रावधान (b) Provision for Required Solvency Margin | | - | - | - | - | - | - |
| (ग) अन्य (c) Others | | (400208.80) | 60.01 | (8421.05) | - | (11.90) | (94463.72) |
| कुल (ख)/ TOTAL (B) | | 6071689.20 | 12855.94 | (453.75) | (64385.40) | 3164.63 | (32123.44) |
| अदा किया गया लाभ (शुद्ध) | | | | | | | |
| Benefits paid (Net) | 4 | 21863074.22 | 4324047.18 | 232522.93 | 7387281.00 | 41626.65 | 709245.82 |
| अदा किया गया अंतरिम बोनस | | | | | | | |
| Interim Bonuses Paid | | 402379.48 | - | 91.04 | - | - | - |
| जीवन पॉलिसियों के सबंद्ध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies | | | | | | | |
| (ক) কুল** (a) Gross** | | 17653166.54 | 2582201.10 | 342854.57 | 7234927.14 | (51521.92) | 2171556.94 |
| (ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि | | | | | | | |
| (b) Amount ceded in Reinsurance | | - | - | - | - | - | - |
| (ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि | | | | | | | |
| (c) Amount accepted in Reinsurance | | - | - | - | - | - | - |
| सबंद्ध देयताओं के प्रावधान में अंतरण | | | | | | | |
| Transfer to provision for Linked Liabilities | | - | - | - | - | - | - |
| बंद करने निधियों को अंतरण | | | | | | | |
| Transfer to Funds for Discontinued Fund | | 20040000 04 | | | 4400000044 | (0005.07) | |
| कुल (ग)/TOTAL (C) | | 39918620.24 | 6906248.28 | 575468.54 | 14622208.14 | (9895.27) | 2880802.76 |
| अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग) SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C) | | 704679.28 | 222143.80 | (286537.09) | 467913.19 | 18439.18 | (831804.01) |
| शेयरधारकों के लेखा में अंतरण | | 704073.20 | 222143.00 | (200337.03) | 407313.13 | 10433.10 | (031004.01) |
| Transfer to Shareholders' Account | | 253117.36 | 222143.80 | 933.00 | 467913.19 | 5.66 | (831804.01) |
| अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण | | 233117.30 | 222113.00 | 755.00 | 10/713.17 | 5.00 | (031001.01) |
| अन्य आरक्षित ।नाधया म अंतरण Transfer to Other Reserves | | - | - | - | - | - | - |
| भविष्य के विनियोजन हेतु निधियों का अंतरण | | | | | | | |
| Transfer to Funds for Future Appropriations | | 451561.92 | - | (287470.09) | - | 18433.52 | - |
| कुल (घ)/TOTAL (D) | | 704679.28 | 222143.80 | (286537.09) | 467913.19 | 18439.18 | (831804.01) |
| 3 11 - 11 | | | | | | | |





पॉलिसिधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा) Policyholders' Account (Technical Account)

| (₹ in lakhs | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| | कुल (चालू वर्ष) Total (Current Year) | | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | | ावसाय usiness | गैर–संबद्ध व्य Non-Linked B | |
| | | | | य कुल (चालू वर्ष) tal (Current Year) | | हेल्थ व्यवसाय Health Business | परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business |
| कुल Total | गैर−सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | गैर–सहभागी Non-Participating |
| | | | | | | | |
| 9076.44 | 9076.44 | - | 9076.44 | - | - | - | - |
| (129907.91) | 1290.02 | (131197.93) | (26.00) | 1316.02 | (131197.93) | 2.41 | - |
| 785799.63 | 19378.06 | 766421.57 | 2886.04 | 16492.02 | 766421.57 | 1710.78 | 75.96 |
| | | | | | | | |
| (303891.94) | (235259.52) | (68632.42) | (5732.62) | (229526.90) | (68632.42) | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| (504012.47) | (95370.72) | (408641.75) | 41240.14 | (95370.72) | (408641.75) | 33.20 | (1000.21) |
| 6056135.42 | (18264.66) | 6074400.08 | 41348.14 | (59612.80) | 6074400.08 | 24906.60 | (866.50) |
| 35306364.24 | 13169140.44 | 22137223.80 | 736404.35 | 12432736.09 | 22137223.80 | 2687.31 | 9474.78 |
| 402470.52 | - | 402470.52 | - | - | 402470.52 | - | - |
| 30594230.02 | 12649730.83 | 17944499.19 | 765193.20 | 11884537.63 | 17944499.19 | (95027.22) | (9120.33) |
| 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| (904511.97) | (904511.97) | - | (904511.97) | - | - | - | - |
| 3526.95 | 3526.95 | - | 3526.95 | - | - | - | - |
| 65402079.76 | 24917886.25 | 40484193.51 | 600612.53 | 24317273.72 | 40484193.51 | (92339.91) | 354.45 |
| | | | | | | | |
| 570250.34 | 133668.97 | 436581.37 | 170328.13 | (36659.16) | 436581.37 | 100620.55 | 4467.31 |
| 387141.02 | 133085.00 | 254056.02 | 169744.16 | (36659.16) | 254056.02 | 100620.55 | 4467.31 |
| 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 183109.32 | 583.97 | 182525.35 | 583.97 | - | 182525.35 | - | - |
| 570250.34 | 133668.97 | 436581.37 | 170328.13 | (36659.16) | 436581.37 | 100620.55 | 4467.31 |





| | | गैर–संबद्ध Non-Linked | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year | | न व्यवसाय Business | • | व्यवसाय n Business | | ती व्यवसाय y Business |
| | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non-Participating |
| (क) अंतरिम बोनस | | | | | | |
| (a) Interim Bonus: | 402379.48 | - | 91.04 | - | - | - |
| (ख) पॉलिसिधारकों को बोनस का आबंटन : (b) Allocation of Bonus to Policyholders: | 4809229.84 | _ | 17727.00 | _ | 107.59 | <u>-</u> |
| (ग) राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष | | | | | | |
| (c) Surplus shown in the Revenue accounts: | 704679.28 | 222143.80 | (286537.09) | 467913.19 | 18439.18 | (831804.01) |
| (घ) कूल अधिशेष (क+ख+ग): (d) Total Surplus [a+b+c]: | 5916288.60 | 222143.80 | (268719.05) | 467913.19 | 18546.77 | (831804.01) |

- प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डो के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।
- ** बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

उपरलिखित अनुसूचियाँ राजस्व लेखा के अंगभूत भाग है।

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Price & Co.

Chartered Accountants F.R.N.: 002785S

ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर) A. R. Parthasarathy (Partner)

स.क्र./M.No. 205702

बी सी जैन एंड कं. के लिए For B.C. Jain & Co. Chartered Accountants

F.R.N./001099C श्याम जी गुप्ता (पार्टनर)

Shyam ji Gupta (Partner) स.क्र./M.No./416155

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP Chartered Accountants F.R.N./101872W/W100045 विनीत सक्सेना (पार्टनर) Vineet Saxena (Partner)

मुंम्बई : **30 मई, 2022** Mumbai: 30th May, 2022

स.क्र./ M.No. 100770

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit Chartered Accountants F.R.N./101048W रमन हंगेकर (पार्टनर)

Raman Hangekar (Partner)

स.क्र. M.No./030615 एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए For abm & associates LLP

Chartered Accountants F.R.N./105016W/W-100015

अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर) Ashwin B. Morche (Partner) स.क्र./ M.No./104126

रमा के गुप्ता एंड कं. के लिए For Rama K Gupta & Co. Chartered Accountants F.R.N/ 005005C रमा कांत गुप्ता (पार्टनर) Ramakant Gupta (Partner) स.क्र. M. No. 073853 टोड़ी तुल्सयान एंड कं. के लिए For Todi Tulsyan & Co. Chartered Accountants F.R.N./002180C सुशील कुमार तुल्सयान (पार्टनर)

सुशील कुमार तुल्सयान (पार्टनर) Sushil Kumar Tulsyan (Partner) स.क्र./M.No./075899

ए आर एंड कं. के लिए For A R & Co. Chartered Accountants F.R.N./002744C प्रियांशु जैन (पार्टनर) Priyanshu Jain (Partner) स.क्र. M.No. 530262 राममूर्ति (एन) एंड कं. के लिए For Ramamoorthy (N) & Co. Chartered Accountants F.R.N./002899S सुरेंद्रनाथ भारती (पार्टनर)

Surendranath Bharathi (Partner) स.क्र./M.No./023837

रे एंड रे के लिए For Ray & Ray Chartered Accountants F.R.N/ 301072E नबनिता घोष (पार्टनर) Nabanita Ghosh (Partner) स.क्र. M. No. 058477

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS





(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| | | | | | | | (1111111111) |
|---|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|---|--------------|
| | गैर-संबद्ध व्र Non-Linked E | | | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | | कुल (चालू वर्ष) Total (Current Year) | |
| परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business | हेल्थ व्यवसाय Health Business | | ाय कुल (चालू वर्ष) tal (Current Year) | | | | |
| गैर–सहभागी Non-Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | कुल Total |
| - | - | 402470.52 | - | - | 402470.52 | - | 402470.52 |
| - | - | 4827064.43 | - | - | 4827064.43 | - | 4827064.43 |
| 4467.31 | 100620.55 | 436581.37 | (36659.16) | 170328.13 | 436581.37 | 133668.97 | 570250.34 |
| 4467.31 | 100620.55 | 5666116.32 | (36659.16) | 170328.13 | 5666116.32 | 133668.97 | 5799785.29 |

 $[\]mbox{*}$ Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.

The Schedules referred to above form an integral part of the Revenue Account.

निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board of Directors

| एम. आर. कुमार M. R. Kumar | अध्यक्ष Chairperson (DIN: 03628755) |
|---------------------------------------|--|
| राज कुमार Raj Kumar | प्रबंध निदेशक Managing Director (DIN: 06627311) |
| एम.पी. विजय कुमार M.P. Vijay Kumar | स्वतंत्र निदेशक Independent Director (DIN: 05170323) |
| एस. एम. जैन | कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) |
| S. M. Jain | Exective Directior (F&A) |
| पवन अग्रवाल | कंपनी सचिव |
| Pawan Agrawal | Company Secretary |
| दिनेश पंत | नियुक्त बीमांकक |
| Dinesh Pant | Appointed Actuary |
| सुनील अग्रवाल | मुख्य वित्तीय अधिकारी |
| Sunil Agrawal | Chief Financial Officer |

^{**} Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.





फॉर्म ए-आरए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED $31^{\rm st}$ MARCH, 2021 भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में / IN RESPECT OF BUSINESS IN INDIA

| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | | गैर–संबद्ध Non-Linked | व्यवसाय I Business | | | |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | जीवन व Life Bu | व्यवसाय usiness | • | व्यवसाय Business | | व्यवसाय Business |
| | | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating |
| अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net | | | | | | | |
| (क) प्रिमियम | | | | | | | |
| (a) Premium | 1 | 24381484.46 | 4070971.93 | 58060.16 | 9572357.27 | 350.63 | 2029532.01 |
| (ख) पुनर्बीमा अंतरण | | | | | | | |
| (b) Reinsurance ceded | | (10066.36) | (26759.44) | (13.82) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ग) पुनर्बीमा स्वीकार | | | | | | | |
| (c) Reinsurance accepted | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उप-योग / Sub-Total | | 24371418.10 | 4044212.49 | 58046.34 | 9572357.27 | 350.63 | 2029532.01 |
| निवेश से आय/ Income from Investments | | | | | | | |
| (क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, कुल | | | | | | | |
| (a) Interest, Dividends & Rent - Gross | | 16398266.30 | 2009601.96 | 226813.12 | 3694930.53 | 13658.84 | 636727.51 |
| (ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ | | | | | | | |
| (b) Profit on sale/redemption of investments | | 3516902.87 | 200704.51 | 78.98 | 425536.78 | 2047.63 | 46.40 |
| (ग) (निवेश की विक्री / मोचन पर हानि) | | | | | | | |
| (c) (Loss on sale/redemption of investments) | | (212957.72) | (100846.85) | (1819.04) | (169919.48) | (945.82) | (4976.82) |
| (घ) पुनर्मूल्याकंन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* | | | | | | | |
| (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value* | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ङ) अन्य आय (e) Other Income | | | | | | | |
| (i) वापस लिखी गयी राशियाँ Amounts written back | | 675.96 | (0.15) | (3.22) | (1.24) | 0.00 | 0.00 |
| (ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts | | (2775.89) | 49318.68 | 0.02 | 12404.95 | 5.88 | 0.04 |
| (iii) अंशधारको के खाते से अन्य के लिए योगदान Contribution from Shareholders' Account | | | | | | | |
| towards others" | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल (क) TOTAL (A) | | 44071529.62 | 6202990.64 | 283116.20 | 13535308.81 | 15117.16 | 2661329.14 |
| कमीशन Commission | 2 | 2147194.11 | 11809.23 | 887.55 | 17.08 | 8.69 | 45593.51 |
| बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च | | | | | | | |
| Operating Expenses related to Insurance Business | 3 | 3295550.28 | 89636.60 | 6476.87 | 24531.32 | 570.08 | 42832.85 |

टिप्पणी : उपरोक्त आकडों में संबद्व व्यवसाय में गैर-सहभागी योजनाएं है, जैसे फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस, मनी प्लस, मार्केट प्लस, फॉच्युन प्लस, प्रॉफिट प्लस, मनी प्लस-1मार्केट प्लस-1 चाईल्ड फॉच्युन प्लस, जीवन साथी प्लस, वेल्थ प्लस, ऐन्शन प्लस, एन्डोमेन्ट प्लस, समृद्धि प्लस, फ्लेक्सी प्लस, हेल्थ प्लस, हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस, गेचुटी प्लस, न्यू एन्डोमेन्ट प्लस तथा एल आई सी क सीप/निवेश प्लस।

Note: The above figures include Linked business and Linked Business comprises of non-participating plans, viz. Future Plus, Jeevan Plus, Money Plus, Market Plus, Fortune Plus, Profit Plus, Money Plus 1 Market Plus 1 Child Fortune Plus, Jeevan Sathi Plus, Wealth Plus, Pension Plus, Endowment Plus, Samriddhi Plus, Flexi Plus, Health Plus, Health Protection Plus, New Endowment Plus, LIC's SIIP/Nivesh Plus, and Gratuity Plus.





FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. : 512 Dated 01.01.2001

पॉलिसिधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा) Policyholders' Account (Technical Account)

| लू वर्ष) ent Year) | कुल (चा Total (Curr | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | | साय siness | गैर-संबद्ध व्यव Non-Linked Bu | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Total | हेल्थ व्यवसाय Health Business | परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business |
| गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | गैर–सहभागी Non-Participating |
| 15848726.2 | 24439895.25 | 139954.50 | 15708771.70 | 24439895.25 | 33823.76 | 2086.73 |
| (34096.09 | (10080.18) | (1332.16) | (32763.93) | (10080.18) | (6004.49) | 0.00 |
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15814630.1 | 24429815.07 | 138622.34 | 15676007.77 | 24429815.07 | 27819.27 | 2086.73 |
| 6784798.0 | 16638738.26 | 434780.82 | 6350017.26 | 16638738.26 | 4049.65 | 4707.61 |
| 932243.5 | 3519029.48 | 304564.74 | 627678.77 | 3519029.48 | 0.58 | 1390.50 |
| (414334.96 | (215722.58) | (138509.17) | (275825.79) | (215722.58) | (27.47) | (55.17) |
| 584903.8 | 0.00 | 584903.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1.39 | 672.74 | 0.00 | (1.39) | 672.74 | 0.00 | 0.00 |
| 61629.1 | (2769.99) | (17.03) | 61646.18 | (2769.99) | 0.81 | (78.30) |
| 0.0 23763868.3 | 0.00 44369762.98 | 0.00 1324345.53 | 0.00 22439522.80 | 0.00 44369762.98 | 0.00 31842.84 | 0.00 8051.37 |
| 66699.5 | 2148090.35 | 4066.72 | 62632.79 | 2148090.35 | 5151.02 | 61.95 |
| 191921.9 | 3302597.23 | 17807.66 | 174114.24 | 3302597.23 | 17062.54 | 50.93 |





मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED $31^{\rm ST}$ MARCH, 2021 भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में / IN RESPECT OF BUSINESS IN INDIA

| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | | गैर−संबद्ध Non-Linked | | | | |
|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | - | जीवन व्यवसाय Life Business | | | त्र्यवसाय Business | | व्यवसाय Business |
| | - | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating |
| अन्य व्यय : विनियम Other Expenses: Exchange | | (15.36) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर | | | | | | | |
| GST on Fund Management charges & other charges | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | | | | | | | |
| Provisions for Doubtful debts | | 890344.43 | (3.51) | 0.00 | (1.43) | (75.00) | 0.00 |
| कराधान के लिए प्रावधान Provisions for taxation | | 794419.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) | | | | | | | |
| Provisions (other than taxation) | | | | | | | |
| (क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए | | | | | | | |
| (a) For diminution in the value of investments (Net) | | 457986.48 | 331.87 | 0.00 | 458.10 | 0.00 | 0.00 |
| (ख) आवश्यक शोधक्षमता सीमा के लिए प्रावधान | | | | | | | |
| (b) Provision for Required Solvency Margin | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ग) अन्य (c) Others | | (911322.17) | 57110.62 | (683.70) | 6084.04 | (1127.33) | 1033.25 |
| कुल (ख)/ TOTAL (B) | | 6674157.30 | 158884.81 | 6680.72 | 31089.11 | (623.56) | 89459.61 |
| अदा किया गया लाभ (शुद्ध) | | | | | | | |
| Benefits paid (Net) | 4 | 16916742.18 | 3901408.97 | 220271.23 | 5826293.28 | 37728.79 | 570092.05 |
| अदा किया गया अंतरिम बोनस | | | | | | | |
| Interim Bonuses Paid | | 222472.91 | 0.00 | 60.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जीवन पॉलिसियों के सबंद्ध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies | | | | | | | |
| (화) 화면** (a) Gross** | | 19969597.20 | 2142696.86 | 56104.11 | 7677926.42 | (21988.07) | 2001777.48 |
| (ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि | | | | | | | |
| (b) Amount ceded in Reinsurance | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि | | | | | | | |
| (c) Amount accepted in Reinsurance | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सबंद्ध देयताओं के प्रावधान में अंतरण | | | | | | | |
| Transfer to provision for Linked Liabilities | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| भविष्य के विनियोजन निधियों में अंतरण | | | | | | | |
| Transfer to Funds for Future Appropriations | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बंद करने निधियों को अंतरण | | | | | | | |
| Transfer to Funds for Discontinued Fund | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल (ग)/TOTAL (C) | | 37108812.29 | 6044105.83 | 276435.48 | 13504219.70 | 15740.72 | 2571869.53 |
| अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)−(ख)−(ग) | | | | | | | |
| SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C) | | 288560.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| विनियोजन/APPROPRIATIONS | | | | | | | |
| शेयरधारकों के लेखा में अंतरण | | | | | | | |
| Transfer to Shareholders' Account | | 288560.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण | | | | | | | |
| Transfer to Other Reserves | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण | | | | | | | |
| Balance being Funds for Future Appropriations | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल (घ)/TOTAL (D) | | 288560.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





पॉलिसिधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा) Policyholders' Account (Technical Account)

| ्वर्ष) nt Year) | कुल (चार Total (Curre | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | | Business | गैर-संबद्ध ठ Non-Linked E | |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | कुल (चालू वर्ष) (Current Year) | गैर−संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Total | हेल्थ व्यवसाय Health Business | गरिवर्तनीय व्यवसाय /ariable Business |
| गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | गैर−सहभागी Non-Participating |
| 0.0 | (15.36) | 0.00 | 0.00 | (15.36) | 0.00 | 0.00 |
| 9322 | 0.00 | 9322.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5531. | 890269.43 | 5536.11 | (4.94) | 890269.43 | 0.00 | 0.00 |
| 0.0 | 794419.53 | 0.00 | 0.00 | 794419.53 | 0.00 | 0.00 |
| (4809.4 | 457986.48 | (5599.39) | 789.97 | 457986.48 | 0.00 | 0.00 |
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64214. | (913133.20) | 0.00 | 64214.47 | (913133.20) | 4.56 | (18.00) |
| 332879.8 | 6680214.46 | 31133.32 | 301746.53 | 6680214.46 | 22218.12 | 94.88 |
| 11252252 | 17174742.20 | 928754.56 | 10323497.76 | 17174742.20 | 1913.10 | 23790.36 |
| 0.0 | 222533.05 | 0.00 | 0.00 | 222533.05 | 0.00 | 0.00 |
| 12136218. | 20003713.24 | 321939.74 | 11814278.51 | 20003713.24 | 7711.62 | (15833.87) |
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41661.2 | 0.00 | 41661.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312. | 0.00 | 312.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 544. | 0.00 | 544.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23430988.4 | 37400988.49 | 1293212.21 | 22137776.27 | 37400988.49 | 9624.72 | 7956.49 |
| 0.0 | 288560.03 | 0.00 | 0.00 | 288560.03 | 0.00 | 0.00 |
| 0.0 | 288560.03 | 0.00 | 0.00 | 288560.03 | 0.00 | 0.00 |
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.0 | 288560.03 | 0.00 | 0.00 | 288560.03 | 0.00 | 0.00 |





(₹ लाखों में)

| वर्ष के दौरान कुल अधिशेष | जीवन व्यवसाय | यवसाय | पेन्शन व्यवसाय | यवसाय | वार्षिकी व्यवसाय | व्यवसाय | परिवर्तनीय व्यवसाय | हेलथ व्यवसाय | गैर-संबद्ध व्यवसाय कुल (चाल वर्ष) | वसाय कुल वर्ष) |
|--|--------------|------------|----------------|------------|------------------|------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| | सहभागी | गैर-सहभागी | सहभागी | गैर-सहभागी | सहभागी | गैर-सहभागी | गैर–सहभागी | गैर–सहभागी | सहभागी | न '' गैर–सहभागी |
| (क) अंतरिम बोनस | 222472.91 | 0.00 | 60.14 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 00.00 | 00:00 | 222533.05 | 0.00 |
| (ख) पॉलिसिधारकों को बोनस का आबंटन: | 5464402.85 | 0.00 | 18120.66 | 0.00 | 116.99 | 0.00 | 00.00 | 00.00 | 5482640.50 | 0.00 |
| (ग) राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष | 288560.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 00.00 | 00.00 | 288560.03 | 0.00 |
| (ঘ) কুল अधिशेष (क+ख+ग): | 5975435.79 | 0.00 | 18180.80 | 00.00 | 116.99 | 00:00 | 0.00 | 00.00 | 5993733.58 | 0.00 |

प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डो के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।

बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

जैसा कि बीमा अधिनियम 1938 कि धारा 40-ख (4) के अनुसार वांधित है, हम प्रमाणित करते है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार तथा हमें ही दी गई सूचना और स्वीकरण के अनुसार और जैसा कि हमें निगम कि खाता बाहियों के परीक्षण से लगाता है।

निगम द्वारा संपादित जीवन बीमा व्यवसाय से संबंधित सभी प्रबन्ध व्यय राजस्व खाते में - सहभागी / गैर-सहभागी पूरी तरह व्यवयक्त नामे किए है। (8)

निगम द्वारा संपादित तथा संबद्ध व्यवसाय तथा असंबद्ध व्यवसाय से संबंधित समस्त प्रभार, संबंधित राजस्व खातों में पूरी तरह नामें किए गए है। (<u>ख</u>

उपरलिखित अनुसूचियाँ राजस्व लेखा के अंगभूत भाग है।

| Total Surplus during the year | Life Business | siness | Pension | Pension Business | Annuity I | Annuity Business | Variable Business Health Business | Health Business | Non-Linked Total | d Total |
|--|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | Participating | Non- Participating | Participating | Non- Participating | Participating | Non- Participating | Non- Participating | Non- Participating | Participating | Non- Participating |
| (a) Interim Bonus: | 222472.91 | 00:00 | 60.14 | 00:00 | 00.00 | 00.0 | 00:00 | 00.00 | 222533.05 | 0.00 |
| (b) Allocation of Bonus to Policyholders: | 5464402.85 | 0.00 | 18120.66 | 00:00 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 00.00 | 5482640.50 | 00.00 |
| (c) Surplus shown in the Revenue accounts: | 288560.03 | 0.00 | 0.00 | 00:00 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 00.00 | 288560.03 | 00.00 |
| (d) Total Surplus [a+b+c]: | 5975435.79 | 0.00 | 18180.80 | 00:00 | 116.99 | 00:00 | 0.00 | 00.00 | 5993733.58 | 0.00 |

(₹ in lakhs)

* Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

As required by Section 40-B(4) of the Insurance Act, 1938 we certify that to the best of our knowledge and belief and according to the information and explanations given to us and so far as appears from our examination of the Corporation's books of accounts

(b) all charges incurred in respect of the Life Insurance Business transacted by the Corporation in respect of Non-Linked and Linked Business have been fully debited by the Corporation in the respective Revenue Accounts. (a) all expenses of management in respect of life insurance business transacted by the Corporation have been fully debited to the Revenue Account- Participating/Non-Participating as expenses.

The Schedules referred to above form an integral part of the Revenue Account.



F.R.N.: 002785S



हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Price & Co. Chartered Accountants

ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर) A. R. Parthasarathy (Partner) स.क्र./M.No. 205702

टोड़ी तुल्सयान एंड कं. के लिए For Todi Tulsyan & Co. Chartered Accountants F.R.N./002180C सुशील कुमार तुल्सयान (पार्टनर)

पुशाल कुमार तुल्सवान (पाटनर) Sushil Kumar Tulsyan (Partner) स.क्र./M.No./075899

बी.सी. जैन एंड कं. के लिए For B.C. Jain & Co. Chartered Accountants F.R.N./001099C ज्याम जी गुप्ता (पार्टनर) Shyam ji Gupta (Partner) स.क्र./M.No./416155

ए आर एंड कं. के लिए For A R & Co. Chartered Accountants F.R.N./002744C प्रियांशु जैन (पार्टनर) Priyanshu Jain (Partner) स.क्र. M.No. 530262

रे एंड रे के लिए For Ray & Ray Chartered Accountants F.R.N/ 301072E नबनिता घोष (पार्टनर) Nabanita Ghosh (Partner) स.क्र. M. No. 058477

मुंम्बई : **30 मई, 2022** Mumbai: 30th May, 2022 बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit Chartered Accountants F.R.N./101048W

रमन हंगेकर (पार्टनर) Raman Hangekar (Partner) स.क्र. M.No./030615

राममूर्ति (एन) एंड कं.के लिए

For Ramamoorthy (N) & Co. Chartered Accountants F.R.N./002899S सुरेंद्रनाथ भारती (पार्टनर) Surendranath Bharathi (Partner)

स.क्र./M.No./023837

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए For abm & associates LLP Chartered Accountants F.R.N./105016W/W-100015

अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर) Ashwin B. Morche (Partner) स.क्र./ M.No./104126

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP Chartered Accountants F.R.N./101872W/W100045 विनीत सक्सेना (पार्टनर) Vineet Saxena (Partner) स.क्र./ M.No. 100770

रमा के गुप्ता एंड कं. के लिए For Rama K Gupta & Co. Chartered Accountants F.R.N/ 005005C रमाकांत गुप्ता (पार्टनर) Ramakant Gupta (Partner) स.क. M. No. 073853

> सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS

निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board of Directors

एम. आर. कुमार अध्यक्ष M. R. Kumar Chairperson (DIN: 03628755)

राज कुमार प्रबंध निदेशक Raj Kumar Managing Director (DIN: 06627311)

एम.पी. विजय कुमार स्वतंत्र निदेशक M.P. Vijay Kumar Independent Director (DIN: 05170323)

एस. एम. जैन **कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा)** S. M. Jain Exective Directior (F&A)

पवन अग्रवाल **कंपनी सचिव** Pawan Agrawal Company Secretary

दिनेश पंत नियुक्त बीमांकक Dinesh Pant Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल मुख्य वित्तीय अधिकारी Sunil Agrawal Chief Financial Officer





फॉर्म ए-आरए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31~ मार्च 2022~ को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022 भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में / IN RESPECT OF BUSINESS OUT OF INDIA

| | Schedule | | गैर–संबद्ध Non-Linked | व्यवसाय Business | | | |
|--|----------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| विवरण | | जीवन ठ Life Bu | | पेन्शन व Pension | | | व्यवसाय Business |
| Particulars | | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating |
| अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net | | | | | | | |
| (क) प्रिमियम | | | | | | | |
| (a) Premium | 1 | 41344.49 | 86.25 | - | - | - | - |
| (ख) पुनर्बीमा अंतरण | | | | | | | |
| (b) Reinsurance ceded | | (100.02) | - | - | - | - | - |
| (ग) पुनर्बीमा स्वीकार | | | | | | | |
| (c) Reinsurance accepted | | - | - | - | - | - | - |
| उप-योग / Sub-Total | | 41244.47 | 86.25 | | | | |
| निवेश से आय/ Income from Investments | | | | | | | |
| (क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, कुल | | | | | | | |
| (a) Interest, Dividends & Rent - Gross | | 24356.53 | 17.89 | - | - | - | - |
| (ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ | | | | | | | |
| (b) Profit on sale/redemption of investments | | 2050.88 | - | - | - | - | - |
| (ग) (निवेश की विक्री / मोचन पर हानि) | | | | | | | |
| (c) (Loss on sale/redemption of investments) | | (541.00) | - | - | - | - | - |
| (घ) पुनर्मूल्याकंन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* | | | | | | | |
| (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value* | | 12528.38 | - | - | - | - | - |
| (ङ) अन्य आय (e) Other Income | | | | | | | |
| (i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back | | - | - | - | - | - | - |
| (ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts | | 52.24 | - | - | - | - | - |
| (iii) अंशधारकों के खाते से अन्य के लिए योगदान Contribution from Shareholders' Account towards others | | 942.45 | - | - | - | - | - |
| कुल (क) TOTAL (A) | | 80633.95 | 104.14 | | | | |
| | | | | | | | |
| कमीशन Commission | 2 | 2144.02 | - | - | - | - | - |
| बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च | | | | | | | |
| Operating Expenses related to Insurance Business | 3 | 4912.09 | 2.77 | - | - | - | - |

टिप्पणी : उपरोक्त आकडों में संबद्घ व्यवसाय में गैर-सहभागी योजनाएं है, जैसे फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस, मनी प्लस, मार्केट प्लस, फॉर्च्युन प्लस, फॉर्च्युन प्लस, प्रॉफिट प्लस, मनी प्लस–1मार्केट प्लस–1 चाईल्ड फॉच्युन प्लस, जीवन साथी प्लस, वेल्थ प्लस, पेन्शन प्लस, एन्डोमेन्ट प्लस, समृध्दि प्लस, फ्लेक्सी प्लस, हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस, गैचुटी प्लस, न्यू एन्डोमेन्ट प्लस तथा एल आई सी का सीप/निवेश प्लस।

Note: The above figures include Linked business and Linked Business comprises of non-participating plans, viz. Future Plus, Jeevan Plus, Money Plus, Market Plus, Fortune Plus, Profit Plus, Money Plus 1 Market Plus 1 Child Fortune Plus, Jeevan Sathi Plus, Wealth Plus, Pension Plus, Endowment Plus, Samriddhi Plus, Flexi Plus, Health Plus, Health Protection Plus, New Endowment Plus, LIC's SIIP/Nivesh Plus, Gratuity Plus.





FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. : 512 Dated 01.01.2001

पॉलिसिधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा) Policyholders' Account (Technical Account)

| | गैर-संबद्ध व्र Non-Linked B | यवसाय Business | | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | | कुल (चालू वर्ष) Total (Current Year) | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|---|--------------|
| परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business | हेल्थ व्यवसाय Health Business | गैर-संबद्ध व्यवस Non-Linked To | ाय कुल (चालू वर्ष) tal (Current Year) | | | | |
| गैर−सहभागी Non-Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | कुल Total |
| | | | | | | | |
| - | - | 41344.49 | 86.25 | 539.11 | 41344.49 | 625.36 | 41969.85 |
| - | - | (100.02) | - | - | (100.02) | - | (100.02) |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | | 41244.47 | 86.25 | 539.11 | 41244.47 | 625.36 | 41869.83 |
| | | | | | | | |
| - | - | 24356.53 | 17.89 | 168.41 | 24356.53 | 186.30 | 24542.83 |
| - | - | 2050.88 | - | 280.16 | 2050.88 | 280.16 | 2331.04 |
| - | - | (541.00) | - | (25.26) | (541.00) | (25.26) | (566.26) |
| - | - | 12528.38 | - | 199.62 | 12528.38 | 199.62 | 12728.00 |
| | | | | | | | |
| - | - | 52.24 | - | (108.74) | 52.24 | (108.74) | (56.50) |
| - | - | 942.45 | - | - | 942.45 | - | 942.45 |
| - | | 80633.95 | 104.14 | 1053.30 | 80633.95 | 1157.44 | 81791.39 |
| - | - | 2144.02 | - | - | 2144.02 | - | 2144.02 |
| - | - | 4912.09 | 2.77 | 82.78 | 4912.09 | 85.55 | 4997.64 |





31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022 भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में / IN RESPECT OF BUSINESS OUT OF INDIA

| | अनुसूची Schedule | | गैर−संबद्ध Non-Linked | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| विवरण | | | ञ्यवसाय usiness | | व्यवसाय Business | | व्यवसाय Business |
| Particulars | | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating |
| निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर GST on Fund Management charges & other charges | | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | | | | | | | |
| Provisions for Doubtful debts | | 12.69 | - | - | - | - | - |
| कराधान के लिए प्रावधान Provisions for taxation | | 1996.54 | - | - | - | - | - |
| प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation) | | | | | | | |
| (क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए | | | | | | | |
| (a) For diminution in the value of investments (Net) | | - | - | - | - | - | - |
| (ख) आवश्यक शोधक्षमता सीमा के लिए प्रावधान | | | | | | | |
| (b) Provision for Required Solvency Margin | | - | - | - | - | - | - |
| (刊) अन्य (c) Others | | 1.39 | | | | | |
| कुल (ख)/ TOTAL (B) | | 9066.73 | 2.77 | | | | |
| अदा किया गया लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net) | 4 | 36233.36 | 5.39 | - | - | - | 67.16 |
| अदा किया गया अंतरिम बोनस | | 260.02 | | | | | |
| Interim Bonuses Paid जीवन पॉलिसियों के सबंद्ध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies | | 260.03 | - | - | - | - | - |
| (क) कुल** (a) Gross** | | 34673.01 | 95.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (67.16) |
| (ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि | | | | | | | |
| (b) Amount ceded in Reinsurance | | - | - | - | - | - | - |
| (ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि | | | | | | | |
| (c) Amount accepted in Reinsurance | | - | - | - | - | - | - |
| सबंद्ध देयताओं के प्रावधान में अंतरण | | | | | | | |
| Transfer to provision for Linked Liabilities बंद करने निधियों को अंतरण | | - | - | - | - | - | - |
| बद् करन ।नाथया का अंतरण Transfer to Funds for Discontinued Fund | | - | - | - | - | - | - |
| कुल (ग)/TOTAL (C) | | 71166.40 | 101.37 | | | | |
| अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग) | | | | | | | |
| SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C) | | 400.82 | | | | | |
| शेयरधारकों के लेखा में अंतरण | | | | | | | |
| Transfer to Shareholders' Account | | 400.82 | - | - | - | - | - |
| अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण | | | | | | | |
| Transfer to Other Reserves | | - | - | - | - | - | - |
| भविष्य के विनियोजन हेतु निधियों का अंतरण Balance being Funds for Future Appropriations | | | | | | | |
| ** * | | 400.82 | | | | | |
| कुल (घ)/TOTAL (D) | | | | | | | |





पॉलिसिधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा) Policyholders' Account (Technical Account)

| (₹ in lakhs | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|---|
| | कुल (चालू वर्ष) Total (Current Year) | | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | | ग्वसाय Jusiness | गैर–संबद्ध व्य Non-Linked B | |
| | | | | य कुल (चालू वर्ष) tal (Current Year) | गैर-संबद्ध व्यवसा Non-Linked To | हेल्थ व्यवसाय Health Business | परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business |
| कुल Total | गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | गैर–सहभागी Non-Participating |
| | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.69 | - | 12.69 | - | - | 12.69 | - | - |
| 2063.31 | 66.77 | 1996.54 | 66.77 | - | 1996.54 | - | - |
| | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| 1.39 | - | 1.39 | - | - | 1.39 | - | - |
| 9219.05 | 152.32 | 9066.73 | 149.55 | 2.77 | 9066.73 | | |
| | | | | | | | |
| 37394.23 | 1160.87 | 36233.36 | 1088.32 | 72.55 | 36233.36 | - | - |
| 260.03 | - | 260.03 | - | - | 260.03 | - | - |
| 34618.37 | (54.64) | 34673.01 | (83.46) | 28.82 | 34673.01 | 0.00 | 0.00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| (101.11) | (101.11) | - | (101.11) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72171.52 | 1005.12 | 71166.40 | 903.75 | 101.37 | 71166.40 | | |
| | | | | | | | |
| 400.82 | | 400.82 | | | 400.82 | | |
| 400.82 | - | 400.82 | - | - | 400.82 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | | | | | | | |
| 400.82 | | 400.82 | | | 400.82 | | |





| | | गैर–संबद्ध Non-Linked | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year | | ा व्यवसाय Business | • | व्यवसाय n Business | | ही व्यवसाय ty Business |
| | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non-Participating |
| (क) अंतरिम बोनस | | | | | | |
| (a) Interim Bonus: | 260.03 | - | - | - | - | - |
| (ख) पॉलिसिधारकों को बोनस का आबंटन : | | | | | | |
| (b) Allocation of Bonus to Policyholders: | 7615.49 | - | - | - | - | - |
| (ग) राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष | | | | | | |
| (c) Surplus shown in the Revenue accounts: | 400.82 | - | - | - | - | - |
| (घ) कूल अधिशेष (क+ख+ग): (d) Total Surplus [a+b+c]: | 8276.34 | - | - | - | - | - |

- प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डो के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।
- बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

उपरलिखित अनुसूचियाँ राजस्व लेखा के अंगभूत भाग है।

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Price & Co.

Chartered Accountants F.R.N.: 002785S

ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर) A. R. Parthasarathy (Partner)

स.क्र./M.No. 205702

बी सी जैन एंड कं. के लिए For B.C. Jain & Co. **Chartered Accountants**

F.R.N./001099C

श्याम जी गुप्ता (पार्टनर) Shyam ji Gupta (Partner)

स.क्र./M.No./416155

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP Chartered Accountants F.R.N./101872W/W100045 विनीत सक्सेना (पार्टनर)

Vineet Saxena (Partner) स.क्र./ M.No. 100770

मुंम्बई : **30 मई, 2022** Mumbai: 30th May, 2022

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit Chartered Accountants

F.R.N./101048W

रमन हंगेकर (पार्टनर) Raman Hangekar (Partner) स.क्र. M.No./030615

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए For abm & associates LLP

Chartered Accountants F.R.N./105016W/W-100015

अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर) Ashwin B. Morche (Partner) स.क्र./ M.No./104126

रमा के गप्ता एंड कं. के लिए For Rama K Gupta & Co. Chartered Accountants

F.R.N/ 005005C

रमा कांत गुप्ता (पार्टनर) Ramakant Gupta (Partner)

स.क्र. M. No. 073853

टोडी तुल्सयान एंड कं. के लिए For Todi Tulsyan & Co. Chartered Accountants F.R.N./002180C

सशील कमार तुल्सयान (पार्टनर) Sushil Kumar Tulsyan (Partner) स.क्र./M.No./075899

ए आर एंड कं. के लिए For A R & Co. **Chartered Accountants**

F.R.N./002744C प्रियांशु जैन (पार्टनर) Priyanshu Jain (Partner)

स.क्र. M.No. 530262

राममूर्ति (एन) एंड कं. के लिए For Ramamoorthy (N) & Co.

Chartered Accountants F.R.N./002899S

सरेंद्रनाथ भारती (पार्टनर)

Surendranath Bharathi (Partner) स.क्र./M.No./023837

रे एंड रे के लिए For Ray & Ray

Chartered Accountants F.R.N/ 301072E

नबनिता घोष (पार्टनर) Nabanita Ghosh (Partner)

स.क्र. M. No. 058477

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS





(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| | गैर-संबद्ध ठ Non-Linked E | | | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | | कुल (चालू वर्ष) Total (Current Year) | |
|---|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|---|--------------|
| परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business | हेल्थ व्यवसाय Health Business | | ाय कुल (चालू वर्ष) tal (Current Year) | | | | |
| गैर–सहभागी Non-Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | कुल Total |
| - | - | 260.03 | - | - | 260.03 | - | 260.03 |
| - | - | 7615.49 | - | - | 7615.49 | - | 7615.49 |
| - | - | 400.82 | - | - | 400.82 | - | 400.82 |
| - | - | 8276.34 | - | - | 8276.34 | - | 8276.34 |

^{*} Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.

The Schedules referred to above form an integral part of the Revenue Account.

निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board of Directors

| एम. आर. कुमार M. R. Kumar | अध्यक्ष Chairperson (DIN: 03628755) |
|--|--|
| राज कुमार Raj Kumar | प्रबंध निदेशक Managing Director (DIN: 06627311) |
| एम.पी. विजय कुमार M.P. Vijay Kumar | स्वतंत्र निदेशक Independent Director (DIN: 05170323) |
| एस. एम. जैन | कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) |
| S. M. Jain | Exective Directior (F&A) |
| S. M. Jain पवन अग्रवाल Pawan Agrawal | , , , |
| पवन अग्रवाल | Exective Directior (F&A) कंपनी सचिव |
| पवन अग्रवाल Pawan Agrawal दिनेश पंत | Exective Directior (F&A) कंपनी सचिव Company Secretary नियुक्त बीमांकक |

^{**} Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.





फॉर्म ए-आरए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31⁵⁷ MARCH, 2021 भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में / IN RESPECT OF BUSINESS OUT OF INDIA

| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | | गैर–संबद्ध Non-Linked | | | | |
|--|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | ————— जीवन व Life Bu | व्यवसाय usiness | | व्यवसाय Business | | व्यवसाय Business |
| | | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non- Participating |
| अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net | | | | | | | |
| (क) प्रिमियम | | | | | | | |
| (a) Premium | 1 | 38053.40 | 1219.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ख) पुनर्बीमा अंतरण | | | | | | | |
| (b) Reinsurance ceded | | (44.78) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ग) पुनर्बीमा स्वीकार | | | | | | | |
| (c) Reinsurance accepted | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उप-योग / Sub-Total | | 38008.62 | 1219.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| निवेश से आय/ Income from Investments | | | | | | | |
| (क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, कुल | | | | | | | |
| (a) Interest, Dividends & Rent - Gross | | 22452.40 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ | | | | | | | |
| (b) Profit on sale/redemption of investments | | 2059.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ग) (निवेश की विक्री / मोचन पर हानि) | | | | | | | |
| (c) (Loss on sale/redemption of investments) | | (487.94) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (घ) पुनर्मूल्याकंन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* | | | | | | | |
| (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value* | | 21189.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ङ) अन्य आय (e) Other Income | | | | | | | |
| (i) वापस लिखी गयी रा शियाँ Amounts written back | | (6.38) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts | | 48.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) अंशधारको के खाते से अन्य के लिए योगदान Contribution from Shareholders' Account towards others" | | 475.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल (क) TOTAL (A) | | 83740.55 | 1235.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कमीशन Commission | 2 | 2201.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च | | | | | | | |
| Operating Expenses related to Insurance Business | 3 | 4418.75 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

टिप्पणी : उपरोक्त आकडों में संबद्घ व्यवसाय में गैर-सहभागी योजनाएं है, जैसे फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस, मनी प्लस, मार्केट प्लस, फॉच्युन प्लस, प्रॉफिट प्लस, मनी प्लस-1मार्केट प्लस-1 चाईल्ड फॉच्युन प्लस, जीवन साथी प्लस, वेल्थ प्लस, ऐन्शन प्लस, एन्डोमेन्ट प्लस, समध्दि प्लस, फ्लेक्सी प्लस, हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस, गैच्टी प्लस, न्यू एन्डोमेन्ट प्लस तथा एल आई सी क सीप/निवेश प्लस।

Note: The above figures include Linked business and Linked Business comprises of non-participating plans, viz. Future Plus, Jeevan Plus, Money Plus, Market Plus, Fortune Plus, Fortune Plus, Profit Plus, Money Plus 1 Market Plus 1 Child Fortune Plus, Jeevan Sathi Plus, Wealth Plus, Pension Plus, Endowment Plus, Samriddhi Plus, Flexi Plus, Health Plus, Health Protection Plus, New Endowment Plus, LIC's SIIP/Nivesh Plus and Gratuity Plus.





FORM A-RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. : 512 Dated 01.01.2001

पॉलिसिधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा) Policyholders' Account (Technical Account)

| | गैर-संबद्ध व्यव Non-Linked Bu | त्रसाय siness | | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | कुल (च Total (Cur | (₹ in lakhs ालू वर्ष) rent Year) |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business | हेल्थ व्यवसाय Health Business | गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Tota | | | | |
| गैर–सहभागी Non-Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non-Participating |
| 0.00 | 0.00 | 38053.40 | 1219.32 | 761.31 | 38053.40 | 1980.63 |
| 0.00 | 0.00 | (44.78) | 0.00 | 0.00 | (44.78) | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 38008.62 | 1219.32 | 761.31 | 38008.62 | 1980.63 |
| 0.00 | 0.00 | 22452.40 | 15.79 | 136.20 | 22452.40 | 151.99 |
| 0.00 | 0.00 | 2059.22 | 0.00 | 150.56 | 2059.22 | 150.50 |
| 0.00 | 0.00 | (487.94) | 0.00 | (61.99) | (487.94) | (61.99 |
| 0.00 | 0.00 | 21189.70 | 0.00 | 1004.92 | 21189.70 | 1004.92 |
| 0.00 | 0.00 | (6.38) | 0.00 | 0.00 | (6.38) | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 48.96 | 0.00 | (98.57) | 48.96 | (98.57) |
| 0.00 | 0.00 | 475.97 | 0.00 | 0.00 | 475.97 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 83740.55 | 1235.11 | 1892.43 | 83740.55 | 3127.54 |
| 0.00 | 0.00 | 2201.84 | 0.00 | 0.00 | 2201.84 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 4418.75 | 14.40 | 0.01 | 4418.75 | 14.41 |





31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31⁵¹ MARCH, 2021 भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में / IN RESPECT OF BUSINESS OUT OF INDIA

| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | | गैर–संबद्ध Non-Linked | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | • | जीवन व्य Life Bu | | | त्र्यवसाय Business | | व्यवसाय Business |
| | | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating |
| अन्य व्यय : विनियम Other Expenses: Exchange निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर | | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| GST on Fund Management charges & other charges | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Provisions for Doubtful debts | | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| कराधान के लिए प्रावधान Provisions for taxation | | 4333.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation) | | 4333.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | | | | | | |
| (क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 |
| (ख) आवश्यक शोधक्षमता सीमा के लिए प्रावधान (b) Provision for Required Solvency Margin | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| (ग) अन्य (c) Others | | 11012.79 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| कुल (ख)/ TOTAL (B) | | 11012.73 | 14.40 | | | | |
| अदा किया गया लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net) | 4 | 37772.95 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.9 |
| अदा किया गया अंतरिम बोनस | | | | | | | |
| Interim Bonuses Paid | | 374.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0. |
| जीवन पॉलिसियों के सबंद्ध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन | | | | | | | |
| Change in valuation of liability in respect of life policies | | | | | | | |
| (क) कुल** (a) Gross** | | 34239.55 | 1214.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (68.9 |
| (ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि | | | | | | | |
| (b) Amount ceded in Reinsurance | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| (ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि | | | | | | | |
| (c) Amount accepted in Reinsurance | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0. |
| सबंद्ध देयताओं के प्रावधान में अंतरण | | | | | | | |
| Transfer to provision for Linked Liabilities | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| भविष्य के विनियोजन निधियों में अंतरण | | | | | | | |
| Transfer to Funds for Future Appropriations | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| बंद करने निधियों को अंतरण | | | | | | | |
| Transfer to Funds for Discontinued Fund | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| कुल (ग)/TOTAL (C) | | 72386.78 | 1220.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग) | | | | | | | |
| SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C) | | 340.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| विनियोजन/APPROPRIATIONS | | | | | | | |
| शेयरधारकों के लेखा में अंतरण | | | | | | | |
| Transfer to Shareholders' Account | | 340.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण | | | | | | | |
| Transfer to Other Reserves | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0. |
| भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण | | | | | | | |
| Balance being Funds for Future Appropriations | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0. |
| कुल (घ)/TOTAL (D) | | 340.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |





पॉलिसिधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा) Policyholders' Account (Technical Account)

| वर्ष) t Year) | कुल (चार Total (Curre | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | | यवसाय Business | गैर–संबद्ध ठ Non-Linked E | |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | कुल (चालू वर्ष) (Current Year) | गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Total | हेल्थ व्यवसाय Health Business | परिवर्तनीय व्यवसाय /ariable Business |
| गैर−सहभागी Ion-Participatine | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | गैर−सहभागी Non-Participating |
| (493.2 | 0.40 | (493.25) | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 52.49 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 4333.58 | 22.92 | 0.00 | 4333.58 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00 |
| (455.9 | 11012.79 | (470.32) | 14.40 | 11012.79 | 0.00 | 0.00 |
| 705 | 37772.95 | 630.66 | 75.19 | 37772.95 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 374.28 | 0.00 | 0.00 | 374.28 | 0.00 | 0.00 |
| 1107 | 34239.55 | (37.68) | 1145.52 | 34239.55 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1769 | 0.00 | 1769.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3583. | 72386.78 | 2362.75 | 1220.71 | 72386.78 | 0.00 | 0.00 |
| 0. | 340.98 | 0.00 | 0.00 | 340.98 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 0 | 340.98 | 0.00 | 0.00 | 340.98 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 0 . | 340.98 | 0.00 | 0.00 | 340.98 | 0.00 0.00 | 0.00 |





(₹ लाखों में)

| वर्ष के दौरान कुल अधिशेष | जीवन व्यवसाय | गवसाय | पेन्शन व्यवसाय | यवसाय | वार्षिकी व्यवसाय | ञ्चवसाय | परिवर्तनीय | हेलथ व्यवसाय | गैर-संबद्ध व्यवसाय कुल | त्रसाय कुल |
|---|--------------|------------|----------------|------------|------------------|------------|------------|--------------|------------------------|------------|
| | | | | | | | व्यवसाय | | (चालू वर्ष) | त्रर्ष) |
| | सहभागी | गैर–सहभागी | सहभागी | गैर–सहभागी | सहभागी | गैर–सहभागी | गैर–सहभागी | गैर–सहभागी | सहभागी | गैर–सहभागी |
| (क) अंतरिम बोनस | 374.28 | 00:00 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00.00 | 374.28 | 0.00 |
| (ख) पॉलिसिधारकों को बोनस का आबंटन: | 6478.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6478.66 | 00:00 |
| (ग) राजस्व लेखा में दर्शांचा गया अधिशेष | 340.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.98 | 00:00 |
| (ঘ) कूल अधिशेष (क+ख-ग): | 7193.92 | 00.00 | 00.00 | 00:00 | 00.00 | 00.00 | 0.00 | 00.00 | 7193.92 | 0.00 |

प्राधिकरण द्वारा विनिर्देष्ट मानदण्डो के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।

बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

जैसा कि बीमा अधिनियम 1938 कि धारा 40-ख (4) के अनुसार वांधित है, हम प्रमाणित करते है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार तथा हमें ही दी गई सूचना और स्वीकरण के अनुसार और जैसा कि हमें निगम कि खाता बाहियों के परीक्षण से लगाता है।

निगम द्वारा संपादित जीवन बीमा व्यवसाय से संबंधित सभी प्रबन्ध व्यय राजस्व खाते में - सहभागी / गैर-सहभागी पूरी तरह व्यवयक्त नामे किए है। (8

निमग द्वारा संपादित तथा संबद्ध व्यवसाय तथा असंबद्ध व्यवसाय से संबंधित समस्त प्रभार, संबंधित राजस्व खातों में पूरी तरह नामें किए गए है। (<u>a</u>

उपरिलखित अनुसूचियाँ राजस्व लेखा के अंगभूत भाग है।

(₹ in lakhs)

| Total Surplus during the year | Life Bu | Life Business | Pension Business | Susiness | Annuity Business | Business | Variable Business Health Business | Health Business | Non-Linked Total | ced Total |
|--|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | Participating | Non- Participating | Participating | Non- Participating | Participating | Non- Participating | Non- Participating | Non- Participating | Participating | Non- Participating |
| (a) Interim Bonus: | 374.28 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00:00 | 00.0 | 00.00 | 00.00 | 374.28 | 0.00 |
| (b) Allocation of Bonus to Policyholders: | 6478.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 6478.66 | 0.00 |
| (c) Surplus shown in the Revenue accounts: | 340.98 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 340.98 | 0.00 |
| (d) Total Surplus [a+b+c]: | 7193.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00.0 | 00.00 | 00.0 | 7193.92 | 0.00 |

* Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

As required by Section 40-B(4) of the Insurance Act, 1938 we certify that to the best of our knowledge and belief and according to the information and explanations given to us and so far as appears from our examination of the Corporation's books of accounts

(b) all charges incurred in respect of the Life Insurance Business transacted by the Corporation in respect of Non-Linked and Linked Business have been fully debited by the Corporation in the respective Revenue Accounts. (a) all expenses of management in respect of life insurance business transacted by the Corporation have been fully debited to the Revenue Account-Participating/Non-Participating as expenses.

The Schedules referred to above form an integral part of the Revenue Account.





हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Price & Co. Chartered Accountants

Chartered Accountants F.R.N.: 002785S

ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर) A. R. Parthasarathy (Partner) स.क्र./M.No. 205702

टोड़ी तुल्सयान एंड कं. के लिए For Todi Tulsyan & Co. Chartered Accountants F.R.N./002180C

सुशील कुमार तुल्सयान (पार्टनर) Sushil Kumar Tulsyan (Partner) स.क्र./M.No./075899

बी.सी. जैन एंड कं. के लिए For B.C. Jain & Co. Chartered Accountants F.R.N./001099C ज्याम जी गुप्ता (पार्टनर) Shyam ji Gupta (Partner) स.क्र./M.No./416155

ए आर एंड कं. के लिए For A R & Co. Chartered Accountants F.R.N./002744C प्रियांशु जैन (पार्टनर) Priyanshu Jain (Partner) स.क्र. M.No. 530262

रे एंड रे के लिए For Ray & Ray Chartered Accountants F.R.N/ 301072E नबनिता घोष (पार्टनर) Nabanita Ghosh (Partner) स.क्र. M. No. 058477

मुंम्बई : **30 मई, 2022** Mumbai: 30th May, 2022 बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit Chartered Accountants F.R.N./101048W

रमन हंगेकर (पार्टनर) Raman Hangekar (Partner) स.क्र. M.No./030615

राममूर्ति (एन) एंड कं.के लिए For Ramamoorthy (N) & Co. Chartered Accountants

Chartered Accountants F.R.N./002899S स्रेंद्रनाथ भारती (पार्टनर)

Surendranath Bharathi (Partner) स.क्र./M.No./023837

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए For abm & associates LLP Chartered Accountants F.R.N./105016W/W-100015 अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर) Ashwin B. Morche (Partner) स.क्र./ M.No./104126

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP Chartered Accountants F.R.N./101872W/W100045 विनीत सक्सेना (पार्टनर) Vineet Saxena (Partner) स.क्र./ M.No. 100770

रमा के गुप्ता एंड कं. के लिए For Rama K Gupta & Co. Chartered Accountants F.R.N/ 005005C रमाकांत गुप्ता (पार्टनर) Ramakant Gupta (Partner) स.क्र. M. No. 073853

> सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS

निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board of Directors

<mark>एम. आर. कुमार</mark> M. R. Kumar সংযক্ষ Chairperson (DIN: 03628755)

राज कुमार Raj Kumar प्रबंध निदेशक Managing Director (DIN: 06627311)

एम.पी. विजय कुमार M.P. Vijay Kumar स्वतंत्र निदेशक Independent Director (DIN: 05170323)

एस. एम. जैन S. M. Jain कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) Exective Directior (F&A)

पवन अग्रवाल Pawan Agrawal कंपनी सचिव Company Secretary

दिनेश पंत Dinesh Pant नियुक्त बीमांकक Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल Sunil Agrawal मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer





बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख: 01.01.2001 Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

स्टैंडअलोन प्राप्ति एवं भुगतान खाता STANDALONE RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT

31 मार्च, 2022 को कुल व्यवसाय से संबंधित नकद प्रवाह विवरण CASH FLOW STATEMENT AS AT 31 MARCH 2022 IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS

| | रण ticulars | कुल चालू वर्ष TOTAL CURRENT YEAR | कुल पिछले वर्ष TOTAL PREVIOUS YEAR |
|-----|--|---|--|
| परि | चालन गतिविधियों से नकद प्रवाह: | | |
| Cas | sh Flows from the operating activities: | | |
| 1 | पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम, जिसमे अग्रिम प्राप्तियाँ शामिल हें | | |
| | Premium received from policyholders, including advance receipts | 42699536.44 | 40753470.81 |
| 2 | अन्य प्राप्तियाँ | | |
| | Other receipts | 77947.91 | 59950.49 |
| 3 | पुन:बीमाकर्ताओं को भुगतान, कमिशन एवं दावों से शुध्द | | |
| | Payments to the re-insurers, net of commissions and claims/ Benefits | 30150.18 | (4904.62) |
| 4 | दावों/लाभ का भुगतान | | |
| | Payments of claims/benefits | (35652202.16) | (28529648.07) |
| 5 | कमिशन और दलाली का भुगतान | | |
| | Payments of commission and brokerage | (2317058.08) | (2184439.10) |
| 6 | अन्य परिचालन व्ययों का भुगतान | (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | (|
| 7 | Payments of other operating expenses | (4228257.71) | (2872522.32) |
| 7 | जमा, अग्रिम और स्टाफऋण | 75000 40 | (470444.04) |
| 0 | Deposits, advances and staff loans | 75988.10 | (470441.84) |
| 8 | आयकर का भुगतान (शुध्द) Income taxes paid (Net) | (726453.34) | (943002.75) |
| 9 | | (720433.34) | (943002.73) |
| J | सेवाकर/जीसटी का भुगतान Service tax/ GST paid | (273200.22) | (236155.65) |
| 10 | असाधारण मदों से पुर्व नकद प्रवाह | (210200.22) | (230133.03) |
| . • | Cash flows before extraordinary items | (313548.87) | 5572306.96 |
| 11 | असाधारण संचालन से नकद प्रवाह (विवरण दे) | (0.00.0.0.) | 00.200.00 |
| | Cash flow from extraordinary operations (give break-up) | 0.00 | 0.00 |
| | परिचालन गतिविधियों से शुध्द नकद प्रवाह: | | |
| | Net cash flow from operating activities: | (313548.87) | 5572306.96 |
| | निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह: | | |
| | Cash flows from investing activities: | | |
| 12 | अचल संपत्तियों की खरीद | | |
| | Purchase of fixed assets | (71532.70) | (107409.61) |
| 13 | अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियाँ | | |
| | Proceeds from sale of fixed assets | 25820.20 | 28523.64 |
| | | | |





| र्ष के प्रांरभ में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the beginning of the year र्ष के अतं में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the end of the year cash and cash equivalents at the end of the year cash and cash equivalents at the end of the year cash and cash equivalents of Cash and Cash Equivalent at the end of the period cash and cheques in hand cash and cheques in hand cash and cheques in hand cash Balances can equivalent at the end of the period cash and cheques in hand cash and cheques in hand cash and cheques in hand cash equivalent at the end of the period cash and cheques in hand cash equivalent at the end of the period cash and cheques in hand cash equivalent at the end of the period cash and cheques in hand cash equivalent at the end of the period cash and cheques in hand cash equivalent at the end of the period cash and cheques in hand cash equivalent at the end of the period cash and cheques in hand cash equivalent at the end of the period cash and cheques in hand cash equivalent at the end of the period cash and cheques in hand cash equivalent at the end of the period cash equivalent at the end of the period cash and cheques in hand cash equivalent at the end of the period cash and cheques in hand cash equivalent at the end of the period cash equivalent at the end of | 3033396.06 3757499.24 399381.51 1988666.18 167814.15 1155947.49 45689.91 | 2862370.70 3033396.06 337046.05 1728663.33 246074.22 685134.74 |
|---|--|--|
| पर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the beginning of the year पर्ष के अतं में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the end of the year प्रोट: अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य के घटक Note: Components of Cash and Cash Equivalent at the end of the period प्राथ में नकद और चेक Cash and cheques in hand कि जमा Bank Balances प्रावधि जमा Fixed Deposits प्राय बाज़ार विलेख Money Market Instruments | 3757499.24 399381.51 1988666.18 167814.15 | 2862370.70 3033396.06 337046.05 1728663.33 246074.22 |
| पर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the beginning of the year पर्ष के अतं में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the end of the year Mic: अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य के घटक Note: Components of Cash and Cash Equivalent at the end of the period प्रथ में नकद और चेक Cash and cheques in hand कि जमा Bank Balances प्रविध जमा Fixed Deposits प्रदा बाज़ार विलेख | 3757499.24 399381.51 1988666.18 167814.15 | 2862370.70 3033396.00 337046.00 1728663.33 246074.23 |
| पर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the beginning of the year of के अतं में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the end of the year of the | 3757499.24 399381.51 1988666.18 | 2862370.7 3033396.0 337046.0 1728663.3 |
| र्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the beginning of the year र्ष के अतं में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the end of the year रोट: अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य के घटक Note: Components of Cash and Cash Equivalent at the end of the period राथ में नकद और चेक Cash and cheques in hand रोक जमा Sank Balances रावधि जमा | 3757499.24 399381.51 1988666.18 | 2862370.7 3033396.0 337046.0 1728663.3 |
| र्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the beginning of the year र्ष के अतं में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the end of the year शोट: अविध के अंत में नकद और नकद समतुल्य के घटक Note: Components of Cash and Cash Equivalent at the end of the period शिथ में नकद और चेक Cash and cheques in hand | 3757499.24 399381.51 | 2862370.7 30333396.0 337046.0 |
| र्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the beginning of the year र्ष के अतं में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the end of the year रोट: अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य के घटक Note: Components of Cash and Cash Equivalent at the end of the period राथ में नकद और चेक Cash and cheques in hand | 3757499.24 | 2862370.7 3033396.0 |
| र्षि के प्रांरभ में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the beginning of the year र्षि के अतं में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the end of the year शोट: अविध के अंत में नकद और नकद समतुल्य के घटक Note: Components of Cash and Cash Equivalent at the end of the period | 3757499.24 | 2862370.7 3033396.0 |
| र्षि के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the beginning of the year र्षि के अतं में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the end of the year शोट: अविध के अंत में नकद और नकद समतुल्य के घटक Note: Components of Cash and Cash Equivalent at the end of the period | | 2862370.7 |
| ार्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the beginning of the year ार्ष के अतं में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the end of the year | | 2862370.7 |
| ार्ष के प्रांरभ में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the beginning of the year ार्ष के अतं में नकद एवं नकद समतुल्य | | 2862370.7 |
| ार्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the beginning of the year | 3033396.06 | |
| र्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य | 3033396.06 | |
| | | 17 1020.0 |
| | | |
| let Increase in cash & cash equivalents | 724103.18 | 171025.3 |
| कद और नकद के समतुल्य में निवल वृध्दि | (10070.71) | 17303.0 |
| | (10940 47) | 17305.6 |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | - 0.0 |
| | 0.00 | 0.0 |
| · | 0.00 | 0.0 |
| <u> </u> | 0.00 | 0.0 |
| | 0.00 | 0.0 |
| S . | 0.00 | 0.4 |
| | 0.00 | 0.0 |
| | 0.00 | 0.4 |
| - | | |
| | | |
| · | 1048592.53 | (5418587.2 |
| नेवेश गतिविधियों से शुध्द नकद प्रवाह: | | |
| Rents/Interests/ Dividends received | 24952616.58 | 23213886. |
| केतया/ब्याज/लाभांश प्राप्त | | |
| Sales of investments | 18960902.69 | 23137157. |
| नेवशों की बिक्री | | |
| oans disbursed (Net of Repayments) | (79334.59) | (891919.6 |
| वेतरित ऋण (भुगतान से शुध्द) | | |
| Purchases of investments | (42739879.65) | (50798824.9 |
| | वेतरित ऋण (भुगतान से शुध्द) oans disbursed (Net of Repayments) नेवशों की बिक्री sales of investments केतया/ब्याज/लाभांश प्राप्त Rents/Interests/ Dividends received | rurchases of investments (42739879.65) वितरित ऋण (भुगतान से शुध्द) coans disbursed (Net of Repayments) (79334.59) केत्यों की बिक्री cales of investments 18960902.69 केत्यों/ब्याज/लाभांश प्राप्त cents/Interests/ Dividends received 24952616.58 केत्येश गतिविधियों से शुध्द नकद प्रवाह: clet cash flow from investing activities 1048592.53 केत्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह: cash flows from financing activities: कर्ज लेने से प्राप्तियाँ rroceeds from borrowing 0.00 कर्ज का भुगतान clepayments of borrowing 0.00 व्याज/लाभांश का भुगतान nterest/dividends paid 0.00 केत्तिय गतिविधियों से शुध्द नकद प्रवाह: clet cash flow from financing activities 0.00 कर्ज का भुगतान therest/dividends paid 0.00 कर्ज का भुगतान there of the financing activities 0.00 कर्ज का भुगतान the cash flow from financing activities 0.00 कर्ज का भुगतान the cash flow from financing activities 0.00 |





हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Price & Co. Chartered Accountants F.R.N.: 002785S ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर)

A. R. Parthasarathy (Partner) स.क्र./M.No. 205702 टोडी तल्सयान एंड कं. के लिए

For Todi Tulsyan & Co.
Chartered Accountants
F.R.N./002180C

सुशील कुमार तुल्सयान (पार्टनर) Sushil Kumar Tulsyan (Partner) स.क्र./M.No./075899

बी.सी. जैन एंड कं. के लिए For B.C. Jain & Co. Chartered Accountants F.R.N./001099C श्याम जी गुप्ता (पार्टनर) Shyam ji Gupta (Partner) स.क्र./M.No./416155

ए आर एंड कं. के लिए For A R & Co. Chartered Accountants F.R.N./002744C प्रियांशु जैन (पार्टनर) Priyanshu Jain (Partner) स.क्र. M.No. 530262

रे एंड रे के लिए For Ray & Ray Chartered Accountants F.R.N/ 301072E नबनिता घोष (पार्टनर) Nabanita Ghosh (Partner) स.क्र. M. No. 058477

मुंम्बई : **30 मई, 2022** Mumbai: 30th May, 2022 बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit Chartered Accountants F.R.N./101048W रमन हंगेकर (पार्टनर) Raman Hangekar (Partner) स.क. M.No./030615

राममूर्ति (एन) एंड कं.के लिए
For Ramamoorthy (N) & Co.
Chartered Accountants
F.R.N./002899S
सुरेंद्रनाथ भारती (पार्टनर)
Surendranath Bharathi (Partner)
स.क्र./M.No./023837

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए For abm & associates LLP Chartered Accountants F.R.N./105016W/W-100015 अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर) Ashwin B. Morche (Partner) स.क्र./ M.No./104126

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP Chartered Accountants F.R.N./101872W/W100045 विनीत सक्सेना (पार्टनर) Vineet Saxena (Partner) स.क्र./ M.No. 100770

रमा के गुप्ता एंड कं. के लिए For Rama K Gupta & Co. Chartered Accountants F.R.N/ 005005C रमाकांत गुप्ता (पार्टनर) Ramakant Gupta (Partner) स.क्र. M. No. 073853

> सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS

निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board of Directors

एम. आर. कुमार अध्यक्ष M. R. Kumar Chairperson (DIN: 03628755)

राज कुमार प्रबंध निदेशक Raj Kumar Managing Director (DIN: 06627311)

एम.पी. विजय कुमार स्वतंत्र निदेशक M.P. Vijay Kumar Independent Director (DIN: 05170323)

एस. एम. जैन **कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा)** S. M. Jain Exective Directior (F&A)

पवन अग्रवाल **कंपनी सचिव** Pawan Agrawal Company Secretary

दिनेश पंत नियुक्त बीमांकक Dinesh Pant Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल मुख्य वित्तीय अधिकारी Sunil Agrawal Chief Financial Officer





LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA FINANCE & ACCOUNTS DEPARTMENT

फार्म बी-बीएस FORM B - BS

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001 Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

31 मार्च, 2022 तक पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय (गैर सहभागी) से संबंधित तुलन पत्र BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2022

Capital Redemption (Including Annuity Certain) Business (Non Participating)

(₹ लाखों में)

| | | | (₹ in lakhs) |
|----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| विवरण | अनुसूचि | 31 मार्च 2022 तक | 31 मार्च 2021 तक |
| Particulars | Schedule | As at MARCH 31, | As at MARCH 31, |
| | | 2022 | 2021 |
| निधियों का स्त्रोत | | | |
| SOURCES OF FUNDS | | | |
| शेयर पूँजी | | | |
| SHARE CAPITAL | 5 | 0.00 | 0.00 |
| पॉलिसी दायित्व | | | |
| POLICY LIABILITY | | 20699.60 | 19808.56 |
| आरक्षितनिधि एवं अधिशेष | | | |
| RESERVES AND SURPLUS | 6 | 328.98 | 35.56 |
| सही मूल्य परिवर्तन लेखा | | | |
| FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | | 0.00 | 0.00 |
| उधारी | | | |
| BORROWINGS | 7 | 0.00 | 0.00 |
| भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ | | | |
| FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS | | 0.00 | 0.00 |
| কুল/TOTAL | | 21028.58 | 19844.12 |
| निधियों का प्रयोग | | | |
| APPLICATION OF FUNDS | | | |
| निवेश | | | |
| INVESTMENTS | 8 | 23157.01 | 21854.05 |
| 港 切 | | | |
| LOANS | 9 | 0.00 | 0.00 |
| अचल परिसम्पत्तियाँ | | | |
| FIXED ASSETS | 10 | 0.00 | 0.00 |
| चालू परिसम्पत्तियाँ | | | |
| CURRENT ASSETS | | | |
| रोकड़ एवं बैंक में अतिशेष | | | |
| Cash and Bank Balances | 11 | 0.00 | 0.00 |
| अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ | | | |
| Advances and Other Assets | 12 | 469.33 | 422.33 |
| उप-योग (क) | | | |
| Sub-Total (A) | | 469.33 | 422.33 |
| चालू दायित्व | | | |
| CURRENT LIABILITIES | 13 | 2597.76 | 2432.26 |
| | .5 | 2007.110 | 32.20 |





(₹ लाखों में)

| | | | (₹ in lakhs) |
|---|-------------|--|------------------|
| | अनुसूचि | 31 मार्च 2022 तक | 31 मार्च 2021 तक |
| Particulars | Schedule | As at MARCH 31, | As at MARCH 31, |
| | | 2022 | 2021 |
| प्रावधान | | | |
| PROVISIONS | 14 | 0.00 | 0.00 |
| उप-योग (ख) | | | |
| Sub-Total (B) | | 2597.76 | 2432.26 |
| शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग)= (क – ख) | | | |
| NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B) | | (2128.43) | (2009.93) |
| विविध व्यय | | | |
| (जोबट्टे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) | | | |
| MISCELLANEOUS EXPENDITURE | | | |
| (to the extent not written off or adjusted) | 15 | 0.00 | 0.00 |
| लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) | | | |
| DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS | | | |
| ACCOUNT (Shareholders' Account) | | 0.00 | 0.00 |
| कुल TOTAL | | 21028.58 | 19844.12 |
| हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date | | देशक मंडल की ओर से 1 behalf of the Board of Directo | rs |
| आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए बाटलीबॉय एंड परोहित के लिए | | | |

आर. जी. एन. प्राईस एंड के. के लिए For R. G. N. Price & Co.

Chartered Accountants F.R.N.: 002785S ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर) A. R. Parthasarathy (Partner) स.क्र./M.No. 205702

टोड़ी तुल्सयान एंड कं. के लिए For Todi Tulsyan & Co. **Chartered Accountants** F.R.N./002180C सुशील कुमार तुल्सयान (पार्टनर) Sushil Kumar Tulsyan (Partner)

बी.सी. जैन एंड कं. के लिए For B.C. Jain & Co. Chartered Accountants F.R.N./001099C श्याम जी गुप्ता (पार्टनर) Shyam ji Gupta (Partner) स.क्र./M.No./416155

स.क्र./M.No./075899

ए आर एंड कं. के लिए For AR & Co. Chartered Accountants F.R.N./002744C प्रियांशु जैन (पार्टनर) Priyanshu Jain (Partner) स.क्र. M.No. 530262

रे एंड रे के लिए For Ray & Ray **Chartered Accountants** F.R.N/ 301072E नबनिता घोष (पार्टनर) Nabanita Ghosh (Partner) स.क्र. M. No. 058477

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit Chartered Accountants F.R.N./101048W रमन हंगेकर (पार्टनर) Raman Hangekar (Partner) स.क्र. M.No./030615

राममूर्ति (एन) एंड कं.के लिए For Ramamoorthy (N) & Co. **Chartered Accountants** F.R.N./002899S सरेंद्रनाथ भारती (पार्टनर) Surendranath Bharathi (Partner) स.क्र./M.No./023837

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए For abm & associates LLP Chartered Accountants FR N /105016W/W-100015 अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर) Ashwin B. Morche (Partner)

स.क्र./ M.No./104126

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP **Chartered Accountants** F.R.N./101872W/W100045 विनीत सक्सेना (पार्टनर) Vineet Saxena (Partner) स.क्र./ M.No. 100770

रमा के गुप्ता एंड कं. के लिए For Rama K Gupta & Co. **Chartered Accountants** F.R.N/ 005005C रमाकांत गप्ता (पार्टनर) Ramakant Gupta (Partner) स.क्र. M. No. 073853

एम. आर. कुमार अध्यक्ष M. R. Kumar Chairperson (DIN: 03628755) राज कुमार प्रबंध निदेशक Managing Director Raj Kumar (DIN: 06627311) स्वतंत्र निदेशक एम.पी. विजय कुमार Independent Director M.P. Vijay Kumar (DIN: 05170323) एस. एम. जैन कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) Exective Directior (F&A) S. M. Jain पवन अग्रवाल कंपनी सचिव

दिनेश पंत नियुक्त बीमांकक Dinesh Pant Appointed Actuary

Pawan Agrawal

Company Secretary

सनील अग्रवाल मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer Sunil Agrawal





LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA FINANCE & ACCOUNTS DEPARTMENT

फार्म बी-आरए FORM B-RA

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001 Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

31 मार्च, 2022 तक पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय (गैर सहभागी) से संबंधित राजस्व लेखा REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2022

In respect of Capital Redemption (Including Annuity Certain) Business (Non Participating)

| | | | | (₹ in lakhs) |
|----|--|---------------------|---|---|
| | विवरण Particulars | अनुसूचि Schedule | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended MARCH 31, 2022 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended MARCH 31, 2021 |
| 1. | अर्जिद (शुद्ध) प्रीमीयम | | | |
| 0 | Premiums earned (Net) | 1 | 186.11 | 192.12 |
| 2. | क. निवेशों की बिक्री / मोचन से लाभ | | 0.00 | 0.00 |
| | A. Profit on sale/redemption of investments ख. निवेशों की बिक्री / मोचन से हानि | | 0.00 | 0.00 |
| | ও. নিবং।। কা । প্রচা / माचन स ह।।न B. Loss on sale /redemption of investments | | (70.35) | (70.39) |
| 3. | पॉलिसी दायित्व में परिवर्तन | | (10.00) | (10100) |
| | Change in Policy Liability | | 0.00 | 0.00 |
| 4. | अन्य | | | |
| | Others | | | |
| | ब्याज (फुटकर) प्राप्त | | | |
| | Interest (Sundry) received | | 0.00 | 0.00 |
| | प्रीमियम पर ब्याज Interest on premium | | 0.92 | 0.72 |
| 5. | ब्याज एवं लाभांश – कुल | | 0.92 | 0.72 |
| 0. | Interest & Dividends - Gross | | 1808.57 | 1767.57 |
| | कुल (क) TOTAL (A) | | 1925.25 | 1890.02 |
| 1. | प्रदत्त दावे (शुद्ध) | | | |
| | Claims incurred (Net) | 2 | 469.28 | 779.45 |
| 2. | कमीशन | | | |
| | Commission | 3 | 2.01 | 1.90 |
| 3. | बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च | | | |
| 4. | Operating Expenses related to Insurance Business | 4 | 111.89 | 104.56 |
| ٦. | अन्य - Others | | | |
| | संदिग्ध तथा अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान Provision for Bad & Doubtful Debts | | 0.00 | (5.60) |
| | कराधान के लिए प्रावधान | | 0.00 | (3.00) |
| | Provision for Taxation | | 157.61 | 138.68 |
| | पॉलीसी दायित्व में परिवर्तन | | | |
| | Change in Policy Liabilities | | 891.04 | 612.86 |
| | पुनरांकीत कराधान के लिए प्रावधान | | | |
| | Provision for taxation written back | | 0.00 | 0.00 |
| | কুল (ख) TOTAL (B) | | 1631.83 | 1631.85 |
| | | | | |





(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| | | | (* 111 1411110) |
|---|---------------------|---|---|
| विवरण Particulars | अनुसूचि Schedule | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended MARCH 31, 2022 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended MARCH 31, 2021 |
| पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय से | | | |
| परिचालन लाभ/(हानि) (क)-(ख) | | | |
| Operating Profit/(Loss) from Capital Redemption | | | |
| (including Annuity Certain) Business (A) - (B) | | 293.42 | 258.17 |
| विनियोजन Appropriations | | | |
| शेयरधारकों के खाते में अंतरण | | | |
| Transfer to shareholders' Account | | 293.42 | 258.17 |
| आपातकालिन आरक्षित निधियों में अंतरण | | | |
| Transfer to Catastrophe Reserve | | 0.00 | 0.00 |
| अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण | | | |
| Transfer to Other Reserves (to be specified) | | 0.00 | 0.00 |
| कुल (ग) TOTAL (C) | | 293.42 | 258.17 |

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Price & Co. Chartered Accountants F.R.N.: 002785S ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर) A. R. Parthasarathy (Partner) स.क्र./M.No. 205702

टोड़ी तुल्सयान एंड कं. के लिए For Todi Tulsyan & Co. Chartered Accountants F.R.N./002180C

सुशील कुमार तुल्सयान (पार्टनर) Sushil Kumar Tulsyan (Partner) स.क्र./M.No./075899

बी.सी. जैन एंड कं. के लिए For B.C. Jain & Co. Chartered Accountants F.R.N./001099C श्याम जी गुप्ता (पार्टनर) Shyam ji Gupta (Partner) स.क्र./M.No./416155

ए आर एंड कं. के लिए For A R & Co. Chartered Accountants F.R.N./002744C प्रियांशु जैन (पार्टनर) Priyanshu Jain (Partner) स.क्र. M.No. 530262

रे एंड रे के लिए For Ray & Ray Chartered Accountants F.R.N/ 301072E नबनिता घोष (पार्टनर) Nabanita Ghosh (Partner) स.क्र. M. No. 058477

मुंम्बई : 30 मई, 2022

Mumbai: 30th May, 2022

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit Chartered Accountants F.R.N./101048W रमन हंगेकर (पार्टनर) Raman Hangekar (Partner) स.क्र. M.No./030615

राममूर्ति (एन) एंड कं.के लिए
For Ramamoorthy (N) & Co.
Chartered Accountants
F.R.N./002899S
सुरेंद्रनाथ भारती (पार्टनर)
Surendranath Bharathi (Partner)
स.क्र./M.No./023837

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी के लिए For abm & associates LLP Chartered Accountants F.R.N./105016W/W-100015 अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर) Ashwin B. Morche (Partner) स.क्र./ M.No./104126

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए
For Chokshi & Chokshi LLP
Chartered Accountants
F.R.N./101872W/W100045
विनीत सक्सेना (पार्टनर)
Vineet Saxena (Partner)
स.क्र./ M.No. 100770

रमा के गुजा एंड कं. के लिए For Rama K Gupta & Co. Chartered Accountants F.R.N/ 005005C रमाकांत गुजा (पार्टनर) Ramakant Gupta (Partner) निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board of Directors

एम. आर. कुमार अध्यक्ष M. R. Kumar Chairperson (DIN: 03628755)

राज कुमार प्रबंध निदेशक Raj Kumar Managing Director (DIN: 06627311)

एम.पी. विजय कुमार स्वतंत्र निदेशक M.P. Vijay Kumar Independent Director (DIN: 05170323)

एस. एम. जैन **कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा)** S. M. Jain Exective Directior (F&A)

कंपनी सचिव

नियुक्त बीमांकक

Pawan Agrawal Company Secretary

पवन अग्रवाल

दिनेश पंत

Dinesh Pant Appointed Actuary
सुनील अग्रवाल मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal Chief Financial Officer

Ramakant Gupta (Partner) स.क्र. M. No. 073853

> सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS





LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA FINANCE & ACCOUNTS DEPARTMENT फार्म बी-पीएल FORM B- PL

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001 Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय (गैर सहभागी) का लाभ हानि लेखा PROFIT & LOSS ACCOUNT for the year ended MARCH 31, 2022

In Respect Of Capital Redemption (Including Annuity Certain) Business (Non Participating) (₹ लाखों में)

(₹ in lakhs)

| | विवरण Particulars | अनुसूचि Schedule | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended MARCH 31, 2022 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended MARCH 31, 2021 |
|----|--|---------------------|---|---|
| 1. | परिचालन लाभ/(हानि) Operating Profit/(Loss) | | | |
| | (क) अग्नि बीमा | | | |
| | (a) Fire Insurance | | 0.00 | 0.00 |
| | (ख) समुद्रिय बीमा | | | |
| | (b) Marine Insurance | | 0.00 | 0.00 |
| | (ग) विविध बीमा (पूँजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित)व्यवसाय वर्ष के लिए लाभ / हानि | | | |
| | (c) Miscellaneous Insurance (Capital Redemption | | 293.42 | 258.17 |
| | including Annuity Certain) Business | | | |
| | Profit / Loss for the year | | | |
| 2. | निवेश से आय Income from Investments | | | |
| | (क) ब्याज एवं लाभांश - कुल | | | |
| | (a) Interest, Dividends & Rent-Gross | | 0.00 | 0.00 |
| | (ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ | | | |
| | (b) Profit on sale/redemption of Investment | | 0.00 | 0.00 |
| | घटाएं : निवेश की बिक्री पर हानि | | | |
| | Less: Loss on sale of Investments | | 0.00 | 0.00 |
| 3. | अन्य आय Other Income | | 0.00 | 0.00 |
| | कुल (क) TOTAL (A) | | 293.42 | 258.17 |
| 4. | प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त)/Provisions (Other than taxation) | | | |
| | (क) निवेश के मूल्य में (शुद्ध) कमी के लिए | | | |
| | (a) For diminution in the value of investments (Net) | | 0.00 | 0.00 |
| | (ख) संदिग्ध ऋणों के लिए | | | |
| | (b) For doubtful debts | | 0.00 | 0.00 |
| | (ग) अन्य | | | |
| | (c) Others | | 0.00 | 0.00 |
| 5. | अन्य व्यय - Other expenses | | | |
| | (क) बीमा व्यवसाय के सीधे संबंधित खर्चों के अतिरिक्त अन्य खर्च | | | |
| | (a) Expenses other than those related to Insurance Business | | | |
| | (Non participating) | | 0.00 | 0.00 |
| | (ख) बट्टे खाते में डाले गये डूबे ऋण (b) Bad debts written off | | 0.00 | 0.00 |
| | (ग) अन्य | | | |
| | (c)Others | | 0.00 | 0.00 |
| | कुल (ख) TOTAL (B) | | 0.00 | 0.00 |
| | कर पूर्व लाभ Profit before tax | | 293.42 | 258.17 |





| | | | | | (₹ लाखों में) (₹ in lakhs) |
|---|--|---------------------|--|---|--|
| | विवरण rticulars | अनुसूचि Schedule | 31 मार्च, 2022 समाप्त वर्ष के ति For the year en MARCH 31, 20 | नए सम nded For t | मार्च, 2021 को गाप्त वर्ष के लिए he year ended RCH 31, 2021 |
| कराधान के लिए प्रावधान Prov | ision for Taxation | | | 0.00 | 0.00 |
| कर बाद लाभ Profit after tax | | | 2 | 93.42 | 258.17 |
| विनियोजन – APPROPRIAT | IONS | | | | |
| (क) वर्ष के दौरान प्रदत्त अन्ति | म लाभांश | | | | |
| (a) Interium Dividends paid | during the year | | | 0.00 | 0.00 |
| (ख) प्रस्तावित अंतिम लाभांश | | | | | |
| (b) Proposed final dividend | | | | 0.00 | 0.00 |
| (ग) लाभांश आंबटन पर कर | | | | | |
| (c) Dividend distribution tax | | | | 0.00 | 0.00 |
| (घ) आरक्षण / अन्य लेखा को | | | | | |
| (d) Transfer to any reserves | | | | 0.00 | 258.17 |
| पिछले वर्ष के अग्रेषित लाभ / | | | | | |
| Balance of profit/loss brough | it forward from last year | | | | |
| तुलन पत्र को अग्रेषित लाभ / हानि* Profit/Loss carried forward to | the Balance Sheet* | | 2 | 93.42 | 0.00 |
| हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date | o in Balance Grissi | | - निदेशक मंडल की ओर से On behalf of the Board | 1 | 0.00 |
| आर. जी. एन. प्राईस एंड कं. के लिए For R. G. N. Price & Co. Chartered Accountants F.R.N.: 002785S ए. आर. पार्थसारथी (पार्टनर) A. R. Parthasarathy (Partner) स.क्र./M.No. 205702 टोडी तुल्सयान एंड कं. के लिए | बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए For Batliboi & Purohit Chartered Accountants F.R.N./101048W रमन हंगेकर (पार्टनर) Raman Hangekar (Partner) स.क्र. M.No./030615 राममूर्ति (एन) एंड कं.के लिए | | एम. आर. कुमार M. R. Kumar राज कुमार Raj Kumar | अध्यक्ष Chairperson (DIN: 03628' प्रबंध निदेशक Managing Di (DIN: 06627 | rector |

For Todi Tulsyan & Co. Chartered Accountants F.R.N./002180C

सुशील कुमार तुल्सवान (पार्टनर) Sushil Kumar Tulsyan (Partner) स.क्र./M.No./075899

बी.सी. जैन एंड कं. के लिए For B.C. Jain & Co. **Chartered Accountants** F.R.N./001099C श्याम जी गुप्ता (पार्टनर) Shyam ji Gupta (Partner)

ए आर एंड कं. के लिए For A R & Co. **Chartered Accountants** F.R.N./002744C प्रियांशु जैन (पार्टनर) Priyanshu Jain (Partner) स.क्र. M.No. 530262 रे एंड रे के लिए For Ray & Ray Chartered Accountants F.R.N/ 301072E नबनिता घोष (पार्टनर)

स.क्र./M.No./416155 Nabanita Ghosh (Partner) स.क्र. M. No. 058477

For Ramamoorthy (N) & Co. Chartered Accountants F.R.N./002899S सुरेंद्रनाथ भारती (पार्टनर) Surendranath Bharathi (Partner) स.क्र./M.No./023837 एबीएम एंड असोसिएटस एलएलपी के लिए For abm & associates LLP Chartered Accountants F.R.N./105016W/W-100015 अश्विन बी. मोर्चे (पार्टनर) Ashwin B. Morche (Partner) स.क्र./ M.No./104126 चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए For Chokshi & Chokshi LLP Chartered Accountants F.R.N./101872W/W100045 विनीत सक्सेना (पार्टनर) Vineet Saxena (Partner) स.क्र./ M.No. 100770 रमा के गुप्ता एंड कं. के लिए For Rama K Gupta & Co. Chartered Accountants F.R.N/ 005005C रमाकांत गुप्ता (पार्टनर) Ramakant Gupta (Partner) स.क्र. M. No. 073853

स्वतंत्र निदेशक एम.पी. विजय कुमार M.P. Vijay Kumar Independent Director (DIN: 05170323) एस. एम. जैन कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) S. M. Jain Exective Directior (F&A) कंपनी सचिव पवन अग्रवाल Company Secretary Pawan Agrawal दिनेश पंत नियुक्त बीमांकक Dinesh Pant Appointed Actuary मुख्य वित्तीय अधिकारी सुनील अग्रवाल Sunil Agrawal Chief Financial Officer

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS





| बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम | Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India |
|--|---|
| पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001 | Registration No. 512 Dated: 01.01.2001 |
| (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय (गैर सहभागी) पूँजी मोचन समाप्त वर्ष 31.03.2022 के लिए | Capital Redemption (including Annuity Certain) Business (Non Participating) for the year ended 31.03.2022 |

अनुसूची - 1 SCHEDULE - 1

प्रीमीयम अर्जित (निवल) PREMIUM EARNED (NET)

| | | | (< in takns) |
|---|--|---|---|
| | विवरण | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए |
| | Particulars Particulars Particulars | For the year ended MARCH 31, 2022 | For the year ended MARCH 31, 2021 |
| 1 | प्रत्यक्ष प्रीमीयम लिखित व्यापार से | | |
| | Premium from direct business written | 186.11 | 192.12 |
| | जोडे : पुनर्बीमा पर प्रीमीयम स्वीकार किए जाते है | | |
| | Add:Premium on reinsurance accepted | 0.00 | 0.00 |
| | घटाएं : पुनर्बीमा पर प्रीमीयम अंतरित | | |
| | Less:Premium on reinsurance ceded | 0.00 | 0.00 |
| | निवल प्रीमीयम - Net Premium | 186.11 | 192.12 |
| | कुल प्रीमीयम अर्जित (निवल) | | |
| | Total Premium Earned (Net) | 186.11 | 192.12 |
| | प्रीमीयम आय लिखित व्यवसाय से | | |
| | Premium Income from business effected | | |
| 1 | भारत में | | |
| | In India | 186.11 | 192.12 |
| 2 | भारत के बाहर | | |
| | Outside India | 0.00 | 0.00 |
| | कुल प्रीमीयम (निवल) | | |
| | Total Premium (Net) | 186.11 | 192.12 |





अनुसूची - 2 SCHEDULE -2

दावा खर्च (निवल) CLAIMS INCURRED (NET)

(₹ लाखों में) **(**₹ in lakhs)

| विवरण Particulars | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended MARCH 31, 2022 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended MARCH 31, 2021 |
|---|---|---|
| दावे का भुगतान – Claims Paid | | |
| सीधा – Direct | 0.00 | 0.00 |
| मृत्यु – Death | 10.00 | 8.00 |
| परिपक्तता – Maturity | 426.64 | 725.67 |
| वार्षीकी – Annuity | 28.18 | 39.99 |
| अभ्यर्पण – Surrender | 3.76 | 4.28 |
| दावा न किए गए और बकाया दावों पर ब्याज interest on unclaimed & o/s claims | 0.70 | 1.51 |
| जोडे : स्वीकृत पुनर्बीमा Add:Reinsurance accepted | 0.00 | 0.00 |
| घटाएं : पुनर्बीमा अंतरित Less:Reinsurance Ceded | 0.00 | 0.00 |
| निवल दावे का भुगतान – Net Claims paid | 469.28 | 779.45 |
| कुल दावे खर्च - Total Claims Incurred | 469.28 | 779.45 |
| दावेदारकों को भुगतान किए गए दावे – Claims paid to claimants: | | |
| भारत में – In India | 469.28 | 779.45 |
| भारत के बाहर - Outside India | 0.00 | 0.00 |
| कुल दावे खर्च- Total Claims Incurred | 469.28 | 779.45 |

अनुसूची - 3 SCHEDULE -3

कमीशन COMMISSION

| विवरण Particulars | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended MARCH 31, 2022 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended MARCH 31, 2021 |
|---|---|---|
| प्रदत्त कमीशन - Commission paid | | |
| सीधा - Direct | 2.01 | 1.90 |
| जोडे : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन | | |
| Add : Commission on Re-insurance Accepted | 0.00 | 0.00 |
| घटाएं : अंतरित पुनर्बीमा पर कमीशन | | |
| Less: Commission on Re-insurance Ceded | 0.00 | 0.00 |
| निवल कमीशन | | |
| Net Commission | 2.01 | 1.90 |





अनुसूची - 4 SCHEDULE -4

बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

| | विवरण Particulars | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended MARCH 31, 2022 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended MARCH 31, 2021 |
|----|---|---|---|
| 1 | कर्मचारियों का परिश्रमिक तथा कल्याण लाभ Employees'remuneration & welfare benefits | 86.25 | 82.06 |
| 2 | यात्रा, सवारी एवं वाहन चालन व्यय Travel,conveyance and vehicle running expenses | 1.59 | 1.48 |
| 3 | प्रशिक्षण व्यय - Training expenses | 0.00 | 0.00 |
| 4 | किरायां, दरें एवं कर – Rents,rates & Taxes | 2.71 | 2.53 |
| 5 | मरम्मत - Repairs | 0.93 | 0.87 |
| 6 | मुद्रण एवं लेखा सामग्री - Printing & stationery | 1.06 | 0.99 |
| 7 | संसार व्यय – Communication | 2.73 | 2.55 |
| 8 | विविध एवं व्यावसायिक प्रभार Legal & professional charges | 0.06 | 0.05 |
| 9 | लेखा परिक्षक शुल्क, व्यय आदि Auditors' fees,expenses etc | | |
| | (क) लेखा परिक्षक के रूप में (a) as auditor | 0.23 | 0.21 |
| | (ख) सलाहकार के रूप में या निम्न संबंध में किसी भी क्षमता में (b) as adviser or in any other capacity,in respect of | | |
| | (i) कराधान मामलें - Taxation Matters | 0.00 | 0.00 |
| | (ii) बीमा मामले - Insurance matters | 0.00 | 0.00 |
| | (iii) प्रंवधन सेवांए, तथा - Management services; and | 0.00 | 0.00 |
| | (ग) किसी भी अन्य क्षमता में (c) in any other capacity | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Advertisement and publicity | 0.00 | 0.00 |
| 11 | ब्याज एवं बैंक प्रभार Interest & bank Charges | 0.79 | 0.69 |
| 12 | विविध व्यय - Miscellaneous Expenses | 12.88 | 11.34 |
| | चिकित्सा शुल्क - Medical Fees | 0.00 | 0.00 |
| | बीमा स्टॅप/रसीद स्टॅप - Policy Stamps/Receipt Stamps | 0.07 | 0.06 |
| | बिजली शुल्क -Electricity Charges | 1.88 | 1.66 |
| | नवीकरण और व्यापार लाइसेंस के पंजीकरण के लिए शुल्क | 1.00 | 1.00 |
| | Fees for renewal and registration of trade licences | 0.00 | 0.00 |
| | प्रीमियम पर जी.एस.टी. / GST on premium | 0.71 | 0.07 |
| 13 | मूल्यऱ्हास - Depreciation | 0.00 | 0.00 |
| | कुल - TOTAL | 111.89 | 104.56 |





अनुसूची - 6 SCHEDULE 6

आरक्षित निधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS

| | विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
|---|--|--|--|
| 1 | पूँजी आरक्षित निधि Capital Reserve | 0.00 | 0.00 |
| 2 | पूँजी मोचन आरक्षित निधि Capital Redemption Reserve | 0.00 | 0.00 |
| 3 | शेयर प्रीमियम Share Premium | 0.00 | 0.00 |
| 4 | सामान्य आरक्षित निधि General Reserves | | |
| | प्रारंभिक शेष Opening Balance | 35.56 | 35.56 |
| | वर्ष के दौरान योग Additions during the year | 0.00 | 0.00 |
| | अंतिम शेष Closing balance | 35.56 | 35.56 |
| | घटाएं : लाभ-हानि लेखे में नामें अधिशेष Less: Debit Balance in Profit & Loss Account | 0.00 | 0.00 |
| | घटाएं : पुर्नखरीद के लिए प्रयुक्त राशि Less: Amount utilised for Buy-back | 0.00 | 0.00 |
| 5 | आपातकालिन आरक्षित निधि Catastrophe Reserve | 0.00 | 0.00 |
| 6 | अन्य आरक्षित निधि Other Reserves | 0.00 | 0.00 |
| 7 | लाभ-हानि लेखे में शेष लाभ Balance of profit in Profit and Loss Account | 293.42 | 0.00 |
| | कुल / Total | 328.98 | 35.56 |





अनुसूची - 8 SCHEDULE - 8

निवेश INVESTMENTS

| | | | (₹ in lakhs) |
|---|---|---|---|
| | विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
| | दीर्घावधि निवेश LONG TERM INVESTMENTS | | |
| 1 | खजाने की बिलों सहीत सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटित बन्ध-पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills | 8563.54 | 12485.65 |
| 2 | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities | 0.00 | 0.00 |
| 3 | अन्य निवेश Other Investments | | |
| | (क) शेयर (a) Shares | | |
| | (कक) इक्विटी (aa) Equity | 0.00 | 0.00 |
| | घटाएं : गैर–सूचीबद्ध शेयरों में कमी के लिए प्रावधान Less: Provision for diminution in unlisted shares | 0.00 | 0.00 |
| | (खख) अधिमानी (bb) Preference | 0.00 | 0.00 |
| | (ख) सहयोगी निधि (b) Mutual Funds | 0.00 | 0.00 |
| | (ग) व्युत्पन्न प्रपन्न (c) Derivative Instruments | 0.00 | 0.00 |
| | (घ) ऋण-पत्र/बंध-पत्र (d) Debentures/Bonds | 1100.00 | 1100.00 |
| | (इ) अन्य प्रतिभूतियाँ (सीबीएलओ) (e) Other Securities (CBLO) | 0.00 | 0.00 |
| | (च) सहायक (f) Subsidiaries | 0.00 | 0.00 |
| | (छ) निवेश संपत्तियाँ-संपदा (g) Investment Properties - Real Estate | 0.00 | 0.00 |
| 4 | बुनियादी सुविधायों तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector | 7100.00 | 7100.00 |
| 5 | अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments | 19.57 | 19.57 |
| 6 | घटाएं : संदिग्ध निवेश के लिए प्रावधान Less:Provision for doubtful Investments | (32.80) | (32.80) |
| | घटाएं : शेयरों में कमी के लिए प्रावधान Less: Provision for dimunition in value of shares | (19.57) | (19.57) |
| | अल्पावधि निवेश SHORT TERM INVESTMENTS | | |
| 1 | खजाने की बिलों सहीत सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटित बन्ध-पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills | 6426.27 | 1201.20 |
| | | | |





अनुसूची - 8 जारी SCHEDULE - 8 (Contd.)

निवेश INVESTMENTS

| | | (₹ in lakhs) | | |
|---|---|---|---|--|
| | विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 | |
| 2 | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | अन्य निवेश Other Investments | | | |
| | (क) शेयर (a) Shares | | | |
| | (कक) इक्विटी (aa) Equity | 0.00 | 0.00 | |
| | (खख) अधिमानी (bb) Preference | 0.00 | 0.00 | |
| | (ख) सहयोगी निधि (b) Mutual Funds | 0.00 | 0.00 | |
| | (ग) व्युत्पन्न प्रपन्न (c) Derivative Instruments | 0.00 | 0.00 | |
| | (घ) ऋण-पत्र/बंध-पत्र (d) Debentures/Bonds | 0.00 | 0.00 | |
| | (इ) अन्य प्रतिभूतियाँ (सीबीएलओ) (e) Other Securities | 0.00 | 0.00 | |
| | (च) सहायक (f) Subsidiaries | 0.00 | 0.00 | |
| | (छ) निवेश संपत्तियाँ-संपदा (g) Investment Properties - Real Estate | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | बुनियादी सुविधायों तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector | 0.00 | 0.00 | |
| | घटाएं : प्रावधान - Less Provisions | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | अनमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments | 0.00 | 0.00 | |
| | घटाएं : प्रावधान - Less: Provisions | 0.00 | 0.00 | |
| | कुल TOTAL | 23157.01 | 21854.05 | |
| | निवेश - INVESTMENTS | | | |
| 1 | भारत में – In India | 23157.01 | 21854.05 | |
| 2 | भारत के बाहर Outside India | 0.00 | 0.00 | |
| | कुल TOTAL | 23157.01 | 21854.05 | |
| | | | | |





अनुसूची - 11 SCHEDULE - 11

रोकड एवं बैंक में अतिशेष CASH AND BANK BALANCES

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| | | | (₹ in lakhs) |
|---|---|--|--|
| | विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
| 1 | नकद (चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाँप सहित) स्टाँप Cash (including cheques, drafts and stamps) | 0.00 | 0.00 |
| 2 | बैंक जमा Bank Balances | | |
| | (क) जमा खाता | | |
| | (a) Deposit Accounts | 0.00 | 0.00 |
| | (कक) अल्पावधी (तुलन-पत्र की तारिख से 12 महीनों के भीतर देय) | | |
| | (aa) Short-term (due within 12 months) | 0.00 | 0.00 |
| | (खख) अन्य | | |
| | (bb) Others | 0.00 | 0.00 |
| | (ख) चालू खाता | | |
| | (b) Current Accounts | 0.00 | 0.00 |
| | (ख) अन्य | | |
| | (c) Others | 0.00 | 0.00 |
| 3 | मांगने पर और अल्प सूचना पर धन Money at Call and Short Notice | | |
| | (क) बैंक में | | |
| | (a) With Banks | 0.00 | 0.00 |
| | (ख) अन्य संस्थानों में | | |
| | (b) With other Institutions | 0.00 | 0.00 |
| | (ग) सी.बी.एल.ओ | | |
| | (c) CBLO/TREPS | 0.00 | 0.00 |
| 4 | अन्य | | |
| | Others | 0.00 | 0.00 |
| | कुल | | |
| | TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| | गैर अनुसूचित बैंको की शेष उपरोक्त 2 तथा 3 में सम्मिलित है Balances with non-scheduled banks included in 2 and 3 above. | | |
| | रोकड एवं बैंक में अतिशेष | | |
| | CASH & BANK BALANCES | | |
| 1 | भारत में – In India | 0.00 | 0.00 |
| 2 | भारत के बाहर Outside India | 0.00 | 0.00 |
| | कुल TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | |





अनुसूची - 12 SCHEDULE - 12

अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ ADVANCES AND OTHER ASSETS

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| Sr | विवरण | 31 मार्च 2022 तक | 31 मार्च 2021 तक |
|-----|--|----------------------|----------------------|
| No. | Particulars | As at MARCH 31, 2022 | As at MARCH 31, 2021 |
| | अग्रिम - Advances | | |
| 1 | अंतरण कंपनियों में आरक्षित जमा | | |
| | Reserve deposits with ceding companies | 0.00 | 0.00 |
| 2 | निवेशों के लिए आवेदन धन | | |
| | Application money for investments | 0.00 | 0.00 |
| 3 | अग्रिम भुगदान | | |
| | Prepayments | 0.00 | 0.00 |
| 4 | अधिकारियों / निदेशकों को अग्रिम | | |
| | Advances to Officers/Directors | 0.00 | 0.00 |
| 5 | अदा किया गया अग्रिम कर एवं स्रोत पर कर कटौती | | |
| | Advance Tax paid and taxes deducted at source | 262.80 | 237.30 |
| 6 | अन्य अग्रिम | | |
| | Other Advances | 0.00 | 0.00 |
| | कुल (क) - Total (A) | 262.80 | 237.30 |
| | | | |
| | अन्य परिसम्पत्तियाँ - Other Assets | | |
| 1 | निवेशों पर बकाया / प्रोदभुत आय | | |
| | Income outstanding / accrued on investments | 203.92 | 184.28 |
| 2 | संदिग्ध ब्याज वसूली का प्रावधान | | |
| | Provision for interest doubtful of recovery | 0.00 | 0.00 |
| 3 | बकाया प्रीमीयम् | | |
| 4 | Outstanding Premiums | 2.61 | 0.75 |
| 4 | एजंटो के शेष | 0.00 | 0.00 |
| _ | Agents' Balances | 0.00 | 0.00 |
| 5 | विदेशी एजंसियों के शेष | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Foreign Agencies' Balances | 0.00 | 0.00 |
| 6 | बीमा व्यवसाय करने वाली अन्य संस्थाओं से प्राप्त होने वाला | | |
| | (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) Due from other insurance entities carrying on | 0.00 | 0.00 |
| | insurance business (including reinsurers) | 0.00 | 0.00 |
| 7 | सहायक / नियंत्रक कंपनी से प्राप्त होने वाला | | |
| 1 | Due from subsidiaries/holding company | 0.00 | 0.00 |
| 8 | भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (बीमा अधिनियम, 1938 की खण्ड 7 के अनुसरण में) | | |
| 0 | Deposit with Reserve Bank of India | 0.00 | 0.00 |
| | [Pursuant to section 7 of Insurance Act,1938] | | |
| 9 | अन्य (अन्य विविध डेबिट)/ व्याज उपार्जित किंतु देय नही | | |
| | Others (Other Miscellaneous Debits) / Interest accrued but not due | 0.00 | 0.00 |
| 10 | जीवन व्यवसाय से देय राशि - Amount due from Life Business | 0.00 | 0.00 |
| | कुल (ख) – Total (B) | 206.53 | 185.03 |
| | कुल (क+ख) Total (A+B) | | 422.33 |
| | JULI (MTG) IULAI (A+D) | 469.33 | 422.33 |





अनुसूची - 13 SCHEDULE - 13

चालू देयताएं CURRENT LIABILITIES

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| | विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
|----|---|---|---|
| 1 | एंजटों के शेष/Agents Balances | 0.00 | 0.00 |
| 2 | अन्य बीमा कंपनियों को देय राशि | | |
| | Balances due to other insurance companies | 0.00 | 0.00 |
| 3 | पुनर्बीमा अंतरण पर धारित जमा | | |
| | Deposits held on reinsurance ceded | 0.00 | 0.00 |
| 4 | अग्रिम रूप में प्राप्त प्रीमीयम Premiums received in advance | 0.00 | 0.00 |
| 5 | आवंटित नही की गई प्रीमियम - Unallocated Premium | 0.00 | 0.00 |
| 6 | फुटकर लेनदार - Sundry Creditors | 0.00 | 0.00 |
| 7 | सहायक/नियंत्रक कंपनी को देय | | |
| | Due to subsidiaries/holding company | 0.00 | 0.00 |
| 8 | बकाया दावें Claims Outstanding | 11.53 | 13.00 |
| 9 | बकाया अस्वामिक राशि / जमा | | |
| | O/S Unclaimed Amount / Deposits | 20.26 | 32.01 |
| 10 | अधिकारियों / निदेशकों को देय Due to Officers/Directors | 0.00 | 0.00 |
| 11 | अन्य (अन्य विविध क्रेडिट्स) Others (Other Misc. Credits) | 0.00 | 0.00 |
| | i) बकाया कमिशन / Outstanding Commission | 0.05 | 0.01 |
| | ii) बकाया अस्वामिक राशि पर अर्जित ब्याज | | |
| | Interest accrued on Unclaimed Amount | 1.18 | 2.57 |
| | iii) जीवन व्यवसाय (चालू खाता) Life Business (current Account) | 2563.85 | 2383.76 |
| | iv) जीवन व्यवसाय चालू खाता | | |
| | Life Business Current Account (Year end Block) | 0.00 | 0.00 |
| | v) जीवन व्यवसाय (इंटर निधि) Life Business (Inter fund) | 0.00 | 0.00 |
| | vi) निवेश नियंत्रण खाता/ Investment control Account | 0.00 | 0.00 |
| | vii) अन्य देयताएं / Other Liabilities | 0.89 | 0.91 |
| | कुल / TOTAL | 2597.76 | 2432.26 |
| | - | | |

अनुसूची - 14 SCHEDULE - 14

प्रावधान PROVISIONS

> (₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| | विवरण Particulars | 31 मार्च 2022 तक As at MARCH 31, 2022 | 31 मार्च 2021 तक As at MARCH 31, 2021 |
|---|---|--|---|
| 1 | असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित | | |
| | Reserve for unexpired Risk | 0.00 | 0.00 |
| 2 | कराधान के लिए (घटाइए भुगतान एवं स्त्रोत पर कर कटौती) | | |
| | For taxation (less payments and taxes deducted at source) | 0.00 | 0.00 |
| 3 | प्रस्ताविक लाभांश के लिए | | |
| | For proposed dividends | 0.00 | 0.00 |
| 4 | लाभांश वितरण कर के लिए | | |
| | For dividend distribution tax | 0.00 | 0.00 |
| 5 | अन्य (निर्दिष्ट किया जाएगा) | | |
| | Others (to be specified) | 0.00 | 0.00 |
| | कुल / TOTAL | 0.00 | 0.00 |







31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रबंधन रिपोर्ट Management Report For the year ended 31st March, 2022





भारतीय जीवन बीमा निगम 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष की प्रबंधन रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के संचालन के संबंध में, निगम का प्रबंधन निम्नानुसार पुष्टि, प्रमाणित और घोषणा करता है:

1 पंजीकरण प्रमाण पत्र

निगम ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से पंजीकरण के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है और यह अभी भी वैध है। निगम ने प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पंजीकरण के नियमों और शर्तों का अनुपालन किया है।

2 सांविधिक बकाया

निगम इस बात की पुष्टि करता है कि वैधानिक प्राधिकारियों को देय सभी देय राशियों का भुगतान नियत तारीखों के भीतर कर दिया गया है, केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले खातों की टिप्पणियों में आकस्मिक देनदारियों के तहत विरोध हो रहा है या खुलासा किया जा रहा है।

शेयरधारिता पैटर्न

भारत सरकार के अनुमोदन दिनांक 6 सितंबर, 2021 के अनुसरण में, पेड—अप के विरुद्ध, संशोधित रूप में जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के प्रावधानों के अनुसार 10 रुपये के 1000 लाख इक्विटी शेयरों का निर्गम और आवंटन किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा समय—समय पर प्रदान की गई इक्विटी पूंजी, एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 5(4) के प्रावधानों के अनुसार, संशोधित रूप में उपलब्ध निशुल्क रिजर्व के विरुद्ध 10 रुपये के 6224997701 बोनस शेयर जारी और आवंटित किए गए थे, इस प्रकार निगम की कुल चुकता इक्विटी पूंजी 632499.77 लाख रुपये है।

निधियों का निवेश

प्रबंधन ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी (सी) में 5577.97 लाख रुपये की राशि को छोड़कर, भारत में जारी पॉलिसी धारकों के फंड से भारत के बाहर निवेश नहीं किया है, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

5. शोधन क्षमता मार्जिन (सॉल्वेंसी मार्जिन)

प्रबंधन पुष्टि करता है कि आईआरडीएआई विनियमों के अनुसार आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन बनाए रखा गया है।

6 आस्तियों का मूल्यांकन

किसी भी संभावित हानि प्रावधान/ गैर—निष्पादित पिरसंपत्ति के प्रावधान के लिए बैलेंस शीट की तारीख को सभी पिरसंपत्तियों के मूल्यों की समीक्षा की गई है और प्रबंधन की राय में, बैलेंस—शीट में निर्धारित संपत्ति को कुल राशि में निम्नलिखित शीर्षकों के तहत दिखाया गया है जो उनकी वसूली योग्य या बाजार मूल्य से अधिक नहीं है; ऋण, निवेश, एजेंट शेष, बकाया प्रीमियम, ब्याज, लाभांश और किराए बकाया, ब्याज, लाभांश और किराए पर उपार्जित लेकिन बकाया नहीं, अन्य व्यक्तियों या बीमा करने वाले निकायों से देय राशि व्यवसाय, प्राप्य बिल, विविध देनदार, नकद और अन्य खाते के तहत निर्दिष्ट कई आइटम

7. जीवन बीमा कोष का आवेदन और निवेश

जीवन बीमा निधि के किसी भी भाग को बीमा अधिनियम, 1938 (4 of 1938) के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं किया गया है, जैसा कि बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित किया गया है, जो जीवन बीमा निधि के आवेदन और निवेश से संबंधित है।

समग्र जोखिम के दायरे में और शमन रणनीतियाँ

जीवन बीमा निगम के पास निगम के सामने आने वाले जोखिमों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित ढंग से व्यवसाय करने और परिभाषित जिम्मेदारियों और पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के साथ अपने व्यवसाय को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए मजबूत उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचा है।

जोखिम नियंत्रण ढांचा:

बोर्ड ने जोखिम प्रबंधन से संबंधित जिम्मेदारी बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को सौंप दी है। ईआरएम ढांचे में जोखिमों की पहचान, आकलन, शमन और निगरानी के लिए मजबूत और कुशल तंत्र है। आरएमसीबी तिमाही आधार पर पूरे संगठन में निष्पादित उद्यम जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा करता है।





LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA MANAGEMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

With respect to the operations of the Corporation for the Financial Year ended 31st March, 2022 the Management of the Corporation confirms, certifies and declares as below:

1. Certificate of Registration

The Corporation has obtained the Certificate of Renewal of Registration from the Insurance Regulatory and Development Authority of India and the same continues to be valid. The Corporation has complied with the terms and conditions of the registration stipulated by the Authority.

2. Statutory Dues

The Corporation confirms that all the dues payable to the statutory authorities have been duly paid within due dates, except those which are being contested or disclosed under contingent liabilities in the notes to accounts forming part of the financial statements.

3. Shareholding Pattern

Pursuant to Government of India's approval dated 6th September, 2021 issue and allotment of 1000 lakhs Equity Shares of Rs. 10 each was made in terms of provisions of Section 5(2) of Life Insurance Corporation Act, 1956 as amended, against Paid-up equity Capital provided by Central Government from time to time, 6224997701 bonus shares of Rs. 10 each were issued and allotted against the available free Reserves, in terms of provisions of section 5(4) of LIC Act 1956 as amended, thus the total paid up equity capital of the Corporation being Rs. 632499.77 Lakhs.

4. Investment of Funds

The Management has not, directly or indirectly, invested outside India from the funds of the holders of policies, issued in India except an amount of Rs. 5577.97 Lakhs in LIC (International) B.S.C.(C), which has been approved by the Competent Authority.

5. Solvency Margin

The Management confirms that the required solvency margin has been maintained as per IRDAI Regulations.

6 Valuation of Assets

The values of all the assets have been reviewed on the date of Balance-Sheet for any possible impairment provision/ provision for non performing asset and that in the opinion of the Management, the assets set forth in the Balance-Sheet are shown in the aggregate at amounts not exceeding their realizable or market value under the headings "Loans", "Investments", "Agents balances", "Outstanding Premiums", "Interest, Dividends and Rents outstanding", "Interest, Dividends and Rents accruing but not due", "Amounts due from other persons or Bodies carrying on insurance business", Bills Receivable, "Sundry Debtors", "Cash" and the several items specified under "Other Accounts"

7 Application and Investments of Life Insurance Funds

No part of the life insurance fund has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act 2015 relating to the application and investment of the Life Insurance Funds.

8 Overall Risk Exposure and Mitigation Strategies

Life Insurance Corporation has robust Enterprise Risk Management framework to conduct business in an orderly fashion taking into account the risks faced by the Corporation and control its business effectively with defined responsibilities and adequate risk management procedures.

Risk Governance Frame Work:

Board has delegated the responsibility relating to Risk Management to Risk Management Committee of the Board (RMCB). The ERM framework has robust and efficient mechanism for the identification, assessing, mitigation and monitoring the risks. RMCB reviews Enterprise Risk Management activities executed across the organization on quarterly basis.





प्रमुख जोखिम प्रबंधन साधन हैं:

1. जोखिम प्रवृत्ति विवरण :

जोखिम की प्रवृत्ति वह राशि और प्रकार का जोखिम है जिसे निगम अपने रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लेने को तैयार है। विभिन्न जोखिमों के लिए प्रवृत्ति की एक श्रृंखला मौजूद है और ये समय के साथ बदल सकती हैं। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) द्वारा वार्षिक आधार पर जोखिम प्रवृत्ति विवरणों की समीक्षा की जाती है और बोर्ड द्वारा व्यापक स्तर पर अनुमोदित किया जाता है जिसमें सहनशीलता/सीमाएं शामिल होती हैं। निगम द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार जोखिमों की निगरानी की जाती है और रिपोर्ट शीर्ष प्रबंधन और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को की जाती है।

2. जोखिम पंजीयक :

निगम प्रत्येक कार्यात्मक स्तर पर जोखिम रजिस्टर रखता है जिसमें नियंत्रण उपायों के साथ उस कार्य से संबंधित जोखिमों का दस्तावेजीकरण किया जाता है। अंतराल यदि कोई हो, की भी पहचान की जाती है और उस अंतराल को भरने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए इस जोखिम रजिस्टर की समीक्षा की जाती है कि सभी उभरते जोखिमों की पहचान की जा रही है और उनका ध्यान रखा जा रहा है

3. घटना प्रबंधन ढांचा और परिचालन हानि डेटाबेस:

घटना प्रबंधन ढांचे का उद्देश्य निगम के भीतर घटनाओं की पहचान, निगरानी, शमन और रिपोर्टिंग (धोखाधड़ी सहित) के लिए प्रक्रियाओं को लागू करना है। घटना प्रबंधन प्रक्रिया को यह सुनिश्चित करने के लिए परिभाषित किया गया है कि भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए धोखाधड़ी, नियामक / नीति उल्लंघनों और संभावित नुकसानों सहित किसी भी परिचालन नुकसान को व्यवस्थित रूप से पहचाना, रिपोर्ट किया, बढ़ाया, विश्लेषण और हल किया गया है।

4. शीर्ष जोखिम और प्रमुख जोखिम संकेतक:

निगम के लिए शीर्ष जोखिमों की पहचान निगम द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख जोखिमों की भौतिकत्व/ प्रभाव का विश्लेषण करके की जाती है। शीर्ष जोखिम—केआरआई सभी परिचालन कार्यालय स्तरों के इनपुट और केंद्रीय कार्यालय में विभागाध्यक्षों के साथ बैठकों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। वर्तमान उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे के तहत कवर किए गए विभिन्न जोखिमों के संबंध में शमन रणनीति है:

a) बाजार जोखिम:

बाजार जोखिम से तात्पर्य ब्याज दरों, विनिमय दरों और प्रतिभूतियों के बाजार मूल्यों में बदलाव के परिणामस्वरूप भविष्य की कमाई की अनिश्चितता से है। निगम मुख्य रूप से उन प्रतिभूतियों में निवेश करके बाजार जोखिम के प्रभावों को कम करने का प्रयास करता है जो प्रमुख सूचकांकों का हिस्सा हैं।

बाजार जोखिम को आस्तियों और देनदारियों के प्रकार और अवधि के अनुसार मिलान करके और वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक सीमा तक नकदी प्रवाह का मिलान करके कम किया जाता है। व्यवसाय की प्रत्येक पंक्ति के लिए लागू निवेश रणनीति यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है कि देनदारियां संपत्ति की प्रकृति और अवधि से उचित रूप से मेल खाती हैं।

b) चलनिधि जोखिम:

चलनिधि जोखिम भुगतान करने में सक्षम नहीं होने का जोखिम है क्योंकि वे देय हो जाते हैं क्योंकि नकद रूप में अपर्याप्त संपत्ति होती है। देनदारियों की प्रकृति और व्यावसायिक संरचना के कारण निगम को सीमित तरलता जोखिम का सामना करना पड़ता है। मौजूदा व्यवसाय से अपेक्षित भविष्य के प्रीमियम के साथ नकद निवेश आमतौर पर अपेक्षित भुगतान को कवर करने के लिए पर्याप्त होते हैं। निगम तिमाही आधार पर परिसंपत्ति—देयता नकदी प्रवाह मिलान स्थिति की निगरानी करके चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करता है। विभिन्न तनावग्रस्त परिदृश्यों के तहत नकदी प्रवाह मिलान विश्लेषण का भी विश्लेषण किया जाता है। एलआईसी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिसंपत्ति देयता प्रबंधन पॉलिसी है।

c) ऋण जोखिमः

ऋण जोखिम वह जोखिम है जो हमारे दायित्वों या हमारे प्रतिपक्षों द्वारा अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने या समय पर पूरा करने में विफलता या संबंधित पार्टियों के क्रेडिट प्रोफाइल में गिरावट के परिणामस्वरूप होता है। ऋण जोखिम को कम किया जाता है

- (i) घरेलू रेटिंग एजेंसियों द्वारा मुख्य रूप से एए और उससे ऊपर की रेटिंग वाली प्रतिभूतियों तक निवेश को प्रतिबंधित करना, और
- (ii) हमारी पोर्टफोलियो कंपनियों के तिमाही प्रदर्शन, उनकी रेटिंग और नियत तारीखों पर उनके दायित्वों की पूर्ति के उनके ट्रैक रिकॉर्ड की निगरानी करना





Key Risk Management Tools are:

1. Risk Appetite Statements:

Risk appetite is the amount and type of risk that Corporation is willing to take in order to meet its strategic objectives. A range of appetites exist for different risks and these may change over time. The Risk appetite statements are reviewed on an annual basis by the Risk Management Committee of the Board (RMCB) and approved by the Board at a broad level which includes the tolerance / thresholds.

The risks are monitored vis a vis the limits set by the Corporation and reporting is done to the Top Management and to the Risk Management Committee of the Board.

2. Risk Registers:

Corporation maintains Risk Register at each functional level wherein risks relating to that function along with the control measures are documented. Gaps if any are also identified and time bound action plan is formulated to fill that gap.

This risk registers are reviewed to ensure that all the emerging risks are being identified and taken care of.

3. Incident Management Framework & Operational Loss database:

The Incident Management Framework aims to implement procedures for identification, monitoring, mitigation and reporting of incidents (including frauds) within the Corporation. Incident Management process is defined to ensure any operational losses including frauds, regulatory / policy breaches and potential losses are systematically identified, reported, escalated, analyzed and resolved to prevent recurrence in future.

4. Top Risks and Key Risk Indicators:

The top risks for the Corporation is identified by analyzing the materiality / impact of key risks faced by the Corporation. The Top Risks –KRIs are prepared on the basis of the inputs from the all operating office levels and meetings with Head of Departments at Central office.

The mitigation strategy with respect to various risks as covered under the current Enterprise Risk Management framework is:

a) Market Risk:

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, exchange rates and the market prices of securities. Corporation attempts to minimize the effects of market risk by primarily investing in securities that are part of major indices.

Market risk is further mitigated by matching assets and liabilities by type and duration and matching cash flows to the extent commercially practicable. The applicable investment strategy for each line of business is set out clearly to ensure that liabilities are appropriately matched by the nature and duration of assets.

b) Liquidity Risk:

Liquidity risk is the risk of not being able to make payments as they become due because there are insufficient assets in cash form.

Corporation faces limited liquidity risk due to the nature of liabilities and business structure. The cash investments along with expected future premium from existing business are usually sufficient to cover expected pay-outs. Corporation manages liquidity risk by monitoring the asset-liability cash flow matching positions on quarterly basis. The cash flow matching analysis is also analysed under various stressed scenarios. LIC has Board approved Asset Liability Management policy.

c) Credit risk:

Credit risk is the risk resulting from the failure of our obligors or our counterparties to perform or timely perform their contractual obligations or the deterioration in the credit profile of relevant parties. Credit risk is mitigated by

- (i) restricting investments primarily to securities rated AA and above by domestic rating agencies, and
- (ii) monitoring the quarterly performances of our portfolio companies, their ratings and their track record of servicing of their obligations on the due dates





d) बीमा जोखिम:

व्यवसाय की अपनी अंतर्निहित प्रकृति के कारण, निगम खुद को बड़ी संख्या में जोखिमों के लिए उजागर करता है। जोखिम अपने व्यवसाय, मृत्यु दर और रुग्णता दर और अपने पॉलिसीधारकों की दृढ़ता को चलाने में किए गए खर्चों से संबंधित हो सकते हैं। बीमा जोखिम की निगरानी व्यय जोखिम, मृत्यु दर और रुग्णता जोखिम और दृढ़ता जोखिम के उचित प्रबंधन के माध्यम से की जाती है। कॉर्पोरेशन अपने उच्च सम एश्योर्ड व्यवसाय का पुनर्बीमा करता है और विशिष्ट उत्पादों के लिए पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ संधियाँ करता है। निगम के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनर्बीमा नीति है।

e) परिचालन जोखिम:

निगम विभिन्न प्रकार के परिचालन जोखिम के संपर्क में है, जो अपर्याप्त रिकॉर्ड रखने, सिस्टम की विफलता और स्थापित नियंत्रण, कर्मचारी त्रुटि, और आंतरिक / बाहरी धोखाधड़ी सहित विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होता है। निगम प्रक्रियाओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की नियमित निगरानी, धोखाधड़ी के लिए नियंत्रणों के कार्यान्वयन और सिस्टम और डेटा दोनों के लिए बैकअप बनाए रखना सुनिश्चित करके परिचालन जोखिमों के प्रभाव को कम करना चाहता है। निगम के सभी पहचाने गए परिचालन जोखिमों के लिए आवश्यक बीमा कवर की भी नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाती है।

व्यापार निरंतरता उपाय (बीसीएम):

व्यावसायिक रुकावट जोखिम भी परिचालन जोखिम का एक अभिन्न अंग है। निगम को कई आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है जो मामूली से लेकर विनाशकारी तक होती हैं जो दिन—प्रतिदिन के कार्यों को प्रभावित कर सकती हैं। कॉरपोरेशन ऐसे व्यावसायिक व्यवधानों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त उपाय करके जोखिम को कम करने का प्रयास करता है।

निगम ने सुनिश्चित किया है कि सभी महत्वपूर्ण कार्यों की निरंतरता के लिए सिस्टम मौजूद हैं। इसने निगम को महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में ग्राहकों को निर्बाध सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाया है। घर से काम करने का विकल्प निगम के सभी कर्मचारियों को सिस्टम तक रिमोट एक्सेस की अनुमित देने के लिए लागू किया गया था तािक इसके सभी पॉलिसीधारकों और बिचौलियों को सेवा प्रदान की जा सके।

प्रतिकूल परिस्थितियों में महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आपदा वसूली स्थल की स्थापना की गई है। व्यापार निरंतरता अभ्यास महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए नियमित आधार पर किए जाते हैं और व्यावसायिक रुकावट जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए भागीदारों को आउटसोर्स करते हैं। निगम की साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों सहित एक सुपरिभाषित सूचना सुरक्षा नीति है जो सुनिश्चित करती है कि पूरे संगठन में व्यापक प्रबंधन प्रक्रियाओं को स्थापित करके सभी सूचना परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जाती है।

निगम के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश कार्यों के लिए व्यवसाय निरंतरता योजना है। बीमाकर्ताओं को अब भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा निर्धारित प्रारूप में बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यवसाय निरंतरता योजना की आवश्यकता है।

9. अन्य देशों में परिचालन

कॉरपोरेशन के तीन देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, फिजी और मॉरीशस में विदेशी शाखा कार्यालय हैं। निगम के पास कोई देश जोखिम नहीं है क्योंकि इन देशों में नीतियां केवल संबंधित देश की मुद्रा में पेश की जाती हैं और देश में प्राप्त आय को भी उसी देश में निवेश किया जाता है, सिवाय यूनाइटेड किंगडम के शाखा कार्यालय द्वारा गैर यूनाइटेड किंगडम कंपनियों के इक्विटी में एक मामूली निवेश को छोड़कर।

10. पिछले 5 वर्षों के लिए पंजीकृत और अनिर्धारित डेटा (मृत्यु और परिपक्वता) के दावों की उम्र है: –

पारंपरिक व्यवसायः

| | 20 | 2021-22 | | 2020-21 | | 2019-20 | | 2018-19 | |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| अवधि | दावों की संख्या | राशि (₹ लाख में) | |
| 4-4- | | , | | , | | , | | , | |
| तीस दिन | 817305 | 585138 | 606889 | 380552 | 995398 | 617972 | 321861 | 184715 | |
| 30 दिन से 6 महीने | 720413 | 301947 | 676970 | 495958 | 871012 | 378602 | 375634 | 215580 | |
| 6 महीने से 1 साल | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 112 | 993 | 558 | |
| 1 साल से 5 साल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 424 | |
| 5 वर्ष और उससे अधिक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |





d) Insurance Risk:

Due to its inherent nature of business, the Corporation exposes itself to a large number of risks. The risks may relate to expenses it incurs in carrying on its business, mortality and morbidity rates and persistency of its policyholders. The insurance risk is monitored through proper management of Expenses Risk, Mortality and Morbidity risk and Persistency risk. The Corporation reinsures its higher Sum Assured business and has treaties with reinsurers for specific products. The Corporation has Board approved reinsurance policy in place.

e) Operational Risk:

Corporation is exposed to various types of operational risk, which arise from various sources including inadequate record keeping, failures of systems and established controls, employee error, and internal/external frauds. The Corporation seeks to minimize the impact of the operational risks by regular monitoring of processes, systems and procedures, implementation of controls for frauds and ensuring that back-ups for both systems and data are maintained. Necessary insurance cover taken for all identified operational risk of the Corporation are also reviewed at regular intervals.

Business Continuity Measures (BCM):

Business interruption risk also forms an integral part of operations risk. The Corporation may face a host of disasters that range from minor to catastrophic which can impact day-to-day operations. The Corporation seeks to minimize the risk by taking adequate measures to manage such business interruption.

Corporation has ensured that systems are in place for continuity of all critical operations. This has enabled the Corporation to provide uninterrupted service to the customers at the challenging time of pandemic. The option of work from home was invoked for allowing remote access to the system to all employees of the Corporation ensuring servicing to all its policyholders and intermediaries.

Disaster recovery site has been set up to carry out critical processes in adverse scenario. Business continuity drills are carried on a regular basis for critical processes and outsource partners to manage business interruption risks. The Corporation has a well defined information security policy including areas of cyber security that ensures all information assets are safeguarded by establishing comprehensive management processes throughout the organization.

Corporation has Business Continuity Plan for Investment functions approved by the Board. Insurers are now required to have a Board approved Business Continuity plan in the format prescribed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI).

9 Operations in other Countries

The Corporation has overseas branch offices in three countries viz. United Kingdom., Fiji and Mauritius. The Corporation does not have any country risk as the policies in these countries are offered in the respective country currency only and income received in the country is also invested in the same country except a meager investment by United Kingdom branch office in equities of non United Kingdom Entities.

10. Ageing of claims registered and not settled data (death and maturity) for the preceding 5 years is:-

Traditional Business:

| | 2021-22 | | 2020-21 | | 2019-20 | | 2018-19 | |
|---------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Period | No. of | Amount | No. of | Amount | No. of | Amount | No. of | Amount |
| | claims | (₹in Lakhs) | claims | (₹ in Lakhs) | claims | (₹ in Lakhs) | claims | (₹ in Lakhs) |
| 30 days | 817305 | 585138 | 606889 | 380552 | 995398 | 617972 | 321861 | 184715 |
| 30 days to 6 months | 720413 | 301947 | 676970 | 495958 | 871012 | 378602 | 375634 | 215580 |
| 6 months to 1 year | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 112 | 993 | 558 |
| 1 year to 5 years | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 424 |
| 5 years and above | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| | 2017 | ′-18 |
|---------------------|-----------------|---------------------|
| अवधि | दावों की संख्या | राशि (₹ लाख में) |
| 30 दिन | 82737 | 50436 |
| 30 दिन से 6 महीने | 46284 | 44465 |
| 6 महीने से 1 साल | 4597 | 3633 |
| 1 साल से 5 साल | 14203 | 8036 |
| 5 वर्ष और उससे अधिक | 0 | 0 |

संबद्ध कारोबार (लिंक्ड बिजनेस):

| | 2021 | I-22 | 2020 |)-21 | 2019-20 | |
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| अवधि | दावों की संख्या | राशि (₹ लाख में) | दावों की संख्या | राशि (₹ लाख में) | दावों की संख्या | राशि (₹ लाख में) |
| तीस दिन | 41718 | 41519 | 111186 | 48002 | 40588 | 31399 |
| 30 दिन से 6 महीने | 18990 | 15395 | 63008 | 63151 | 55335 | 26842 |
| 6 महीने से 1 साल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 साल से 5 साल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 वर्ष और उससे अधिक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2018 | 3-19 | 2017-18 | | |
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--|
| अवधि | दावों की संख्या | राशि (₹ लाख में) | दावों की संख्या | राशि (₹ लाख में) | |
| तीस दिन | 16778 | 11836 | 190855 | 148753 | |
| 30 दिन से 6 महीने | 21682 | 15296 | 73382 | 48870 | |
| 6 महीने से 1 साल | 4733 | 3339 | 8667 | 6293 | |
| 1 साल से 5 साल | 14265 | 10064 | 13593 | 12706 | |
| 5 वर्ष और उससे अधिक | 0 | 0 | 0 | 0 | |

11. निवेश का मूल्यांकन

(A) असंबद्ध कारोबार (गैर-लिंक्ड बिजनेस) तुलन-पत्र में दर्शाए अनुसार असंबद्ध व्यवसाय के निवेश का मूल्य और उसका बाजार मूल्य निम्नानुसार निकाला गया है:

| निवेश | मूल्यांकन की विधि |
|---|--|
| 1. ऋण प्रतिभूतियां | a) सरकारी प्रतिभूतियों और प्रतिदेय वरीयता शेयरों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधन के अधीन |
| | ऐतिहासिक लागत पर मूल्यांकित किया गया था। |
| | b) गैर-निष्पादित ऋणों के लिए खातों की पुस्तकों में आईआरडीएआई/आरबीआई दिशानिर्देशों के |
| | अनुसार प्रावधान किया गया है। |
| 2. सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी | एनएसई में अंतिम उद्धृत समापन कीमतों पर मूल्यांकित। बंद होने की तिथि पर एनएसई पर सूचीबद्ध नहीं/ |
| शेयर | व्यापार न होने की स्थिति में, बीएसई दर। |
| 3. असूचीबद्ध और सक्रिय रूप से कारोबार | निगम की हानि नीति के अनुसार इस तरह के निवेश के मूल्य में कमी के लिए ऐतिहासिक लागत कम प्रावधान |
| किए गए इक्विटी शेयरों के अलावा | पर मापा गया। कोलंबो ऑपरेशन के मामले में असूचीबद्ध शेयरों का मूल्य शून्य मूल्य पर होता है। |
| 4. म्युचुअल फंड और वेंचर कैपिटल निवेश | म्यूचुअल फंड में निवेश का मूल्यांकन संबंधित म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित अंतिम उद्धृत एनएवी पर किया |
| | जाता है। वेंचर कैपिटल इनवेस्टमेंट्स को बुक वैल्यू घटाकर कम करने का प्रावधान किया गया है। |
| 5. ऋण | गैर—निष्पादित परिसंपत्तियां के लिए ऐतिहासिक लागत कम प्रावधान पर मूल्यांकित। |
| 6. सावधि जमा | लागत पर मूल्यांकित। |





| | 2017-18 | | |
|---------------------|-----------------|--------------|--|
| Period | No. of claims | Amount | |
| | NO. OI CIAIIIIS | (₹ in Lakhs) | |
| 30 days | 82737 | 50436 | |
| 30 days to 6 months | 46284 | 44465 | |
| 6 months to 1 year | 4597 | 3633 | |
| 1 year to 5 years | 14203 | 8036 | |
| 5 years and above | 0 | 0 | |

Linked Business:

| | 2021-22 | | 2020-21 | | 2019-20 | |
|---------------------|---------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Period | No. of claims | Amount | No. of | Amount | No. of | Amount |
| | | (₹ in Lakhs) | claims | (₹ in Lakhs) | claims | (₹ in Lakhs) |
| 30 days | 41718 | 41519 | 111186 | 48002 | 40588 | 31399 |
| 30 days to 6 months | 18990 | 15395 | 63008 | 63151 | 55335 | 26842 |
| 6 months to 1 year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 year to 5 years | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 years and above | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2018 | 3-19 | 2017 | '-18 | |
|---------------------|-----------------|--------------|--------|--------------|--|
| Period | No. of claims | Amount | No. of | Amount | |
| | NO. OI Claiilis | (₹ in Lakhs) | claims | (₹ in Lakhs) | |
| 30 days | 16778 | 11836 | 190855 | 148753 | |
| 30 days to 6 months | 21682 | 15296 | 73382 | 48870 | |
| 6 months to 1 year | 4733 | 3339 | 8667 | 6293 | |
| 1 year to 5 years | 14265 | 10064 | 13593 | 12706 | |
| 5 years and above | 0 | 0 | 0 | 0 | |

11. Valuation of Investments

(A) Non Linked Business

The values of Investments of Non Linked Business, as shown in the Balance Sheet and the market value thereof, have been arrived at as follows:

| INVESTMENT | METHOD OF VALUATION | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 1. Debt Securities | a) All debt securities, including Govt. Securities and Redeemable Preference shares were valued at historical cost subject to amortization. | | | | |
| | b) Provision, as per IRDAI/RBI guidelines, has been made in the books of accounts towards non-performing debts. | | | | |
| 2. Actively traded Equity shares | Valued at the last quoted closing prices at the NSE. In case not listed/ not traded on NSE on closing date, then BSE rate. | | | | |
| 3. Unlisted and other than actively traded equity shares | Measured at historical cost less provision for diminution in value of such investments in accordance with the impairment Policy of the Corporation. In case of Colombo operation unlisted shares are valued at NIL value. | | | | |
| 4. Mutual Fund and Venture Capital Investments | Investments in Mutual Fund are valued at last quoted NAV declared by the respective Mutual funds. Venture Capital Investments are valued at book value less provision for diminution. | | | | |
| 5. Loans | Valued at historical cost less provision towards non-performing assets. | | | | |
| 6. Fixed Deposits | Valued at cost. | | | | |





(B) संबद्ध व्यवसाय

संबद्ध बिजनेस के निवेश के मूल्य, जैसा कि तुलन पत्र और उसके बाजार मूल्य में दिखाया गया है, निम्नानुसार निकाला गया है:

| निवेश | मूल्यांकन की विधि |
|--------------------|--|
| 1. ऋण प्रतिभूतियां | केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां, राज्य सरकार प्रतिभूतियां, अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां, डिबेंचर और बांड इकाई निधियों का मूल्यांकन अंतिम उपलब्ध बाजार दरों पर किया गया था FIMMDA और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों द्वारा घोषित, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां, गैर—इकाई निधियों के डिबेंचर और बांड का मूल्यांकन किया गयाः कर्ज़ चुकाने की लागत। IRDAI/RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर—निष्पादित ऋणों के लिए खातों की पुस्तकों में प्रावधान किया गया है। |
| 2. इक्विटी शेयर | इनका मूल्यांकन एनएसई में अंतिम उद्धृत समापन कीमतों पर किया गया था जहां वे सूचीबद्ध हैं। एनएसई पर सूचीबद्ध नहीं होने की स्थिति में, बीएसई पर समापन मूल्य लिया गया है। इंटरनेशनल ऑपरेशंस (I.O.) के मामले में इनका मूल्यांकन स्टॉक एक्सचेंजों में अंतिम उद्धृत समापन मूल्य के न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है, जहां वे सूचीबद्ध हैं। |
| 3. सावधि जमा | लागत पर मूल्यवान। |
| 4. म्यूचुअल फंड | म्यूचुअल फंड में निवेश का मूल्यांकन म्यूचुअल फंड द्वारा अंतिम घोषित एनएवी पर किया जाता है। |

12. 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान संपत्ति की गुणवत्ता और निवेश के प्रदर्शन की समीक्षा निम्नानुसार है:-

| क्रमांक | ब्यौरे | राशि (लाख रुपये में) |
|---------|---|----------------------|
| 1 | शेयरधारकों का फंड | |
| | ब्याज | 15689.29 |
| | लाभांश | 244.03 |
| | शुद्ध लाभ | 4027.06 |
| | शेयरहोल्डर्स फंड पर प्राप्तिः अवास्तविक लाभ के बिना | 3.00% |
| | अवास्तविक लाभ के साथ | 3.64% |
| 2 | पॉलिसीधारक निधि (ए) गैर लिंक्ड | |
| | ब्याज | 21676180 |
| | लाभांश | 1763505 |
| | पैदावार | 7.19% |
| | निवेश संपत्ति से किराया | 46507 |
| | पॉलिसी ऋण पर ब्याज | 1212193 |
| | गिरवी पर ऋण पर ब्याज | 1913 |
| | इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य प्रतिभूतियों की बिक्री से शुद्ध लाभ (परिशोधन सहित) | 3781138 |
| | (बी) संबद्ध (लिंक्ड) | |
| | ब्याज | 203207 |
| | लाभांश | 45572 |
| | निवेश की बिक्री/मोचन से निवल लाभ (परिशोधन सहित) | 253274 |
| | पॉलिसीधारकों के फंड पर यील्डः अवास्तविक लाभ के बिना | 8.55% |
| | अवास्तविक लाभ के साथ | 21.84% |
| 3 | सीआरएसी व्यवसाय | |
| | लाभांश | 1738 |
| | पैदावार | 8.01% |





(B) Linked Business

The values of Investments of Linked Business, as shown in the Balance Sheet and the market value thereof, have been arrived at as follows:

| INVESTMENT | METHOD OF VALUATION |
|--------------------|--|
| 1. Debt Securities | Central Government securities, State Government securities, Other Approved Securities, Debentures & Bonds of unit funds were valued at last available market rates declared by FIMMDA and Central Government Securities, State Government Securities, Other Approved securities, Debentures & Bonds of non unit funds were valued at amortized cost. Provision, as per IRDAI/RBI guidelines, has been made in the books of accounts towards non-performing debts. |
| 2. Equity shares | These were valued at last quoted closing prices at the NSE, where they are listed. In case of the scrips not listed on the NSE, the closing prices on the BSE have been taken. In case of International Operations (I.O.) these are valued at lowest of the last quoted closing price at the stock exchanges where they are listed. |
| 3. Fixed Deposit | Valued at cost. |
| 4. Mutual Fund | Investments in Mutual Funds are valued at last declared NAV by the Mutual Funds. |

12. Review of assets quality and performance of the Investments, during the year ended 31.03.2022 is as under:-

| Sr.No. | Particulars | Amount (₹In lakhs) |
|--------|---|--------------------|
| 1 | Shareholders Fund | |
| | Interest | 15689.29 |
| | Dividend | 244.03 |
| | Net Profit | 4027.06 |
| | Yield on Shareholders Fund: without unrealized gain | 3.00% |
| | with unrealized gain | 3.64% |
| 2 | Policyholders Fund (a) Non liniked | |
| | Interest | 21676180 |
| | Dividend | 1763505 |
| | Yield | 7.19% |
| | Rent from Investment Property | 46507 |
| | Interest on Policy Loan | 1212193 |
| | Interest on loan on mortgages | 1913 |
| | Net profit from the sale of equities, Government securities and other securities (including amortization) | 3781138 |
| | (b) Linked | |
| | Interest | 203207 |
| | Dividend | 45572 |
| | Net profit from sale/redemption of investments (including amortization) | 253274 |
| | Yield on Policyholders Fund: without unrealized gain | 8.55% |
| | with unrealized gain | 21.84% |
| 3 | CRAC Business | |
| | Net income | 1738 |
| | Yield | 8.01% |





13. प्रबंधन एतद्वारा एक जिम्मेदारी विवरण देता है जो दर्शाता है कि:

- a. वित्तीय विवरणों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों, सिद्धांतों और नीतियों का पालन किया गया है, साथ ही सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण, यदि कोई हो;
- b. प्रबंधन ने लेखांकन नीतियों को अपनाया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं तािक वित्तीय वर्ष के अंत में निगम के मामलों की स्थिति और वर्ष के लिए निगम के अधिशेष/ लाभ की सही और निष्पक्ष जानकारी दी जा सके:
- c. बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4)/एलआईसी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों के अनुसार प्रबंधन ने पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है। निगम की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए;
- d. प्रबंधन ने वित्तीय विवरणों को चालू व्यपार की अवधारणा के आधार पर तैयार किया है;
- e. प्रबंधन ने यह सुनिश्चित किया है कि संगठन के आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद है और प्रभावी ढंग से काम कर रही है।
- 14. भुगतान की एक अनुसूची, जो व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों और संगठनों को दी गई है, जिसमें बीमाकर्ता के निदेशक रुचि रखते हैं, निम्नानुसार है।

i) सहयोगी और प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति

(₹ लाखो में)

| | सहयोगी (एसोसिएट्स) | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| ब्यौरे | एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड | एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी | एलआईसी म्यूचुअल फंड एएम लिमिटेड | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड | प्रमुख प्रबंधन कार्मिक |
| कमीशन का भुगतान किया गया क्ष्भुगतान किया गया कमीशन | - | - | - | 6866.00 | - | - |
| कुल | - | - | - | 6866.00 | - | - |
| इक्विटी, ऋण, बांड और म्यूचुअल फंड की खरीद | 233551.22 (0.00) | - | 1435423.00 (1028020.17) | - | - | - |
| म्यूचुअल फंड की बिक्री | - | - | 1324175.23 (1065200.93) | - | - | - |
| ऋण और बांड / ऋण पर मोचन | 150000.00 (200000.00) | - | - | 155000.00 (4000.00) | - | - |
| आय प्राप्त करें | - | - | 4883.68 (7505.30) | - | - | - |
| आवेदन धन | - | - | 0.00 (22500.00) | - | - | - |
| निवेश से आय | 144968.56 (157908.30) | 13.60 (13.60) | 49.50 (0.00) | 27875.93 (28217.38) | 540.00 (450.00) | - |
| किराया | 824.21 (843.53) | - | 268.89 (209.73) | 132.50 | - | - |
| अन्य प्रशासनिक के प्रति प्रतिपूर्ति / भुगतान | 240.63 (181.21) | 18.80 (10.29) | 239.86 (192.34) | 1738.41 (128.91) | - | - |
| प्रबंधकीय पारिश्रमिक | | | - | | - | 965.89 (512.00) |
| कुल | 529584.62 (358933.04) | 32.40 (23.89) | 2765050.16 (2123628.47) | 184746.84 (32346.29) | 540.00 (450.00) | 965.89 (512.00) |





- 13. The Management hereby gives a responsibility statement indicating that:
 - a. In the preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any;
 - b. The management has adopted accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true & fair view of the state of affairs of the Corporation at the end of the Financial Year and of Surplus/ profit of the Corporation for the year;
 - c. The management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)/LIC Act,1956 as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act 2015 for safeguarding the assets of the Corporation and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
 - d. The Management has prepared the financial statements on a going concern basis;
 - e. The Management, has ensured that an Internal Audit System commensurate with the size of the organization and nature of business exists and is operating effectively.
- **14.** A schedule of payments, which have been made to individuals, firms, companies and Organizations, in which Directors of the insurer are interested, is as under.

i) Associates and Key Management Personals

(₹ in Lakhs)

| | Associates | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Particulars | LIC Housing Finance Ltd. | LIC HFL Asset Management Co. | LIC Mutual Fund AM Ltd. | IDBI Bank Ltd. | IDBI Trusteeship Services Ltd. | Key Management Personnel |
| Commission Paid | - | - | - | 6866.00 | - | - |
| Total | - | - | - | 6866.00 | - | - |
| Purchase of Equity, Debts, bonds and Mutual Fund | 233551.22 (0.00) | - | 1435423.00 (1028020.17) | - | - | - |
| Sale of Mutual Fund | - | - | 1324175.23 (1065200.93) | - | - | - |
| Redemption on Debts & bonds / Loans | 150000.00 (200000.00) | - | - | 155000.00 (4000.00) | - | - |
| Gain Income | - | - | 4883.68 (7505.30) | - | - | - |
| Application Money | - | - | 0.00 (22500.00) | - | - | - |
| Income from Investment | 144968.56 (157908.30) | 13.60 (13.60) | 49.50 (0.00) | 27875.93 (28217.38) | 540.00 (450.00) | - |
| Rent | 824.21 (843.53) | - | 268.89 (209.73) | 132.50 | - | - |
| Reimbursement / payment towards other administrative Expenses | 240.63 (181.21) | 18.80 (10.29) | 239.86 (192.34) | 1738.41 (128.91) | - | - |
| Managerial Remuneration | - | - | - | - | - | 965.89 (512.00) |
| TOTAL | 529584.62 (358933.04) | 32.40 (23.89) | 2765050.16 (2123628.47) | 184746.84 (32346.29) | 540.00 (450.00) | 965.89 (512.00) |





ii) सहायक कंपनियां

(₹ लाखो में)

| | सहायक | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|--|-----------------------------|--|
| ब्यौरे | एलआईसी पेंशन कोष | एलआईसी कार्ड सेवाएं | एलआईसी नेपाल लिमिटेड | एलआईसी बांग्लादेश | एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी (सी) बहरीन | एलआईसी (लंका) लिमिटेड | एलआईसी सिंगापुर पीटीई लिमिटेड |
| इक्विटी, ऋण, बांड और म्यूचुअल फंड की खरीद | 2000.00 (0.00) | - | - | - | 88040.60 (0.00) | 811.28 | 0.00 (0.00) |
| आवेदन धन | - | - | - | - | - | - | - |
| वार्षिक तकनीकी / आई.टी. समाधान शुल्क प्राप्त | - | - | 20.00 (20.00) | 16.38 (16.97) | 53.98 (0.00) | - | - |
| किराया | - | 5.28 (4.05) | - | - | - | - | - |
| अन्य प्रशासनिक खर्चों की प्रतिपूर्ति/ भुगतान | 2427.93 (1345.85) | 2.73 (2.54) | - | - | - | - | - |
| कुल | 4427.93 (1345.85) | 8.01 (6.59) | 20.00 (20.00) | 16.38 (16.97) | 88094.58 (0.00) | 811.28 (0.00) | 0.00 (0.00) |

अध्यक्ष प्रबंध निदेशक

कार्यकारी निदेशक कार्यकारी निदेशक नियुक्त बीमांकक (निवेश प्रचालन) और सीआईओ (वित्त एवं लेखा)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थानः मुंबई

दिनांकः 30.05.2022





ii) Subsidiaries

(₹ in Lakhs)

| | Subsidiaries | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|------------------------|-----------------------------|
| Particulars | LIC Pension Fund | LIC Card Services | LIC Nepal Ltd. | LIC Bangladesh | LIC (International) B.S.C.(c) Bahrain | LIC (Lanka) Ltd. | LIC Singapore Pte Ltd |
| Purchase of Equity, Debts, bonds and Mutual Fund | 2000.00 (0.00) | - | - | - | 88040.60 (0.00) | 811.28 | 0.00 (0.00) |
| Application Money | - | - | - | - | - | - | - |
| Annual Technical/ I.T. Solution fees received | - | - | 20.00 (20.00) | 16.38 (16.97) | 53.98 (0.00) | - | - |
| Rent | - | 5.28 (4.05) | - | - | - | - | - |
| Reimbursement /payment towards other administrative expenses | 2427.93 (1345.85) | 2.73 (2.54) | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 4427.93 (1345.85) | 8.01 (6.59) | 20.00 (20.00) | 16.38 (16.97) | 88094.58 (0.00) | 811.28 (0.00) | 0.00 (0.00) |

CHAIRPERSON

MANAGING DIRECTOR

EXECUTIVE DIRECTOR (INVO) & CIO

EXECUTIVE DIRECTOR (F&A)

APPOINTED ACTUARY

CHIEF FINANCIAL OFFICER

Place: Mumbai Date: 30.05.2022





31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संबद्ध व्यवसाय (योजना अनुसार) से संबंधित वित्तीय विवरण एवं प्रकटीकरण

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संबद्ध व्यवसाय (योजना अनुसार) से संबंधित निम्नलिखित जानकारी हमारी वेबसाइट www.licindia.in/AnnualRepoert पर ई-प्रारूप में उपलब्ध है:

- 1. अनुसूचियों के साथ वित्तीय विवरण (योजना अनुसार)।
- 2. संबद्ध व्यवसाय से संबंधित प्रकटीकरण

Financial Statements and Disclosures in respect of Linked Business (Plan wise) for the year ended 31st March, 2022.

Following information related to Linked Business (Plan wise) for the year ended 31st March, 2022 is available in e-format on our website www.licindia.in/AnnualReport:

- 1. Financial Statements along with the Schedules (Plan wise).
- 2. Disclosures in respect of Linked Business



31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण

Consolidated Financial Statements For the year ended 31st March, 2022





स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

के सदस्यों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

- 1. हमने भारतीय जीवन बीमा निगम (इसके बाद निगम के रूप में संदर्भित), इसकी सहायक कंपिनयों और इसके सहयोगियों (निगम, इसकी सहायक कंपिनयों और इसके सहयोगियों को एक साथ समूह के रूप में संदर्भित) के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा—जोखा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक समेकित तुलन-पत्र, समेकित राजस्व खाता (जिसे "पॉलिसीधारक खाता" या "तकनीकी खाता" भी कहा जाता है), समेकित लाभ और हानि खाता (जिसे "शेयरधारक खाता" या "गैर—तकनीकी खाता") और उस वर्ष के लिए समेकित प्राप्तियां और भुगतान खाता (जिसे "नकदी प्रवाह विवरण" भी कहा जाता है), और समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ, इसके साथ महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एंव अन्य व्याख्यात्मक सूचना का एक सारांश संलग्न है। (इसके बाद उसे "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) किया जाएगा, जिसमें निम्न शामिल हैं:
 - क. निगम के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, जिनकी सभी 10 सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है; जिसमें हमारे साथ—साथ, संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित मॉरीशस, यूनाइटेड किंगडम और फिजी शाखाओं के रिटर्न शामिल हैं; 8 मंडल कार्यालय, पेंशन और समूह योजनाओं की 3 इकाइयां और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 42 शाखाएं, साथ ही 105 मंडल कार्यालय, पेंशन और समूह योजनाओं की 68 इकाइयां और निगम द्वारा नियुक्त अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 648 शाखाएं शामिल हैं।
 - ख. दो भारतीय सहायक, पांच विदेशी सहायकों और चार सहयोगियों का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा— परीक्षा की गई है।
 - ग. दो सहयोगियों का अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण जिन्हें प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है। राय के लिए आधार

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और निगम के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर, सहायक कंपनियों और सहयोगियों के अलग-अलग लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर, समेकित वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते है - जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 ("एलआईसी अधिनियम"), संशोधित, बीमा अधिनियम, 1938 ("बीमा अधिनियम"), बीमा नियामक और विकास अधिनियम, 1999 ("आईआरडीए अधिनियम"), बीमा नियामक और विकास की आवश्यकताएं प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) विनियम, 2002 ("विनियम"), जिसमें भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ("आईआरडीएआई"), और कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") द्वारा जारी आदेश / निर्देश / परिपत्र शामिल हैं। लागू सीमा तक और आवश्यक तरीके से, और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित के सम्बन्ध एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते है

- i. समेकित तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2022 तक निगम के मामलों की स्थिति;
- ii. समेकित राजस्व खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध अधिशेष;
- iii. समेकित लाभ और हानि खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का; तथा
- iv. समेकित प्राप्तियों और भुगतान खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियों और भुगतानों का।

राय के लिए आधार

2. हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ("एसएएस") के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदािरयों को आगे हमारी िरपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदािरयों में वर्णित किया गया है। हम नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं जो आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में भारत में समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और इन आवश्यकताओं के अनुसार अन्य नैतिक उत्तरदायित्व हमने अपना पूरा किया है । हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रसंग पर जोर

- हम निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं:
 - क. एकल/एकीकृत पॉलिसीधारकों के फंड को सहभागी और गैर सहभागी पॉलिसीधारको फंड में विभाजित करने के बारे में अनुसूची 15ए के नोट नंबर बी (46), निगम के शोधक्षमता सीमा में भाग सहभागी और गैर सहभागी के बीच संपत्ति का विभाजन और परिसम्पत्तियों के पुनर्सरेखण के लिए निगम के प्रबंधन द्वारा अपनाई गई युक्तिसंगतता।





Independent Auditors' Report on Consolidated Financial Statements of Life Insurance Corporation of India

To The Members of Life Insurance Corporation of India

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

- 1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Life Insurance Corporation of India (hereinafter referred as "the Corporation"), its subsidiaries and its associates (the Corporation, its subsidiaries and its associates together referred to as "the Group") which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2022 the Consolidated Revenue Account (also called the "Policyholders' Account" or the "Technical Account"), Consolidated Profit and Loss Account (also called the "Shareholders' Account" or the "Non Technical Account") and the Consolidated Receipts and Payments Account (also called as the "Cash Flow Statement") for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements, including significant accounting policies and other explanatory information annexed thereto (hereafter referred to as "Consolidated Financial Statements"), which includes:
 - The audited standalone financial statements of the Corporation, which have been audited by all the 10 statutory central auditors; including us, in which are included the returns of Mauritius, United Kingdom and Fiji branches, audited by respective local auditors; 8 Divisional Offices, 3 units of Pension & Group Schemes and 42 branches audited by statutory central auditors of standalone financial statements, as well as 105 Divisional Offices, 68 units of Pension and Group Schemes and 648 Branches audited by other auditors appointed by the Corporation.
 - b) The audited financial statement of two Indian subsidiaries, five foreign subsidiaries and four associates, which have been audited by other auditors.
 - c) The unaudited financial statement of two associates which have been certified by the management.
 - In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on the audited standalone financial statements of the Corporation, separate audited financial statements of the subsidiaries and associates, the Consolidated Financial Statements are prepared in accordance with the requirements of Life Insurance Corporation Act 1956 ("LIC Act"), as amended, the Insurance Act, 1938 (the "Insurance Act"), Insurance Regulatory and Development Act, 1999 (the "IRDA Act"), Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 (the "Regulations"), including orders/directions/circulars issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI"), and the Companies Act, 2013 ("the Act") to the extent applicable and in the manner so required, and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, as applicable to insurance companies:
 - a) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at March 31, 2022;
 - b) in the case of the Consolidated Revenue Account, of the net surplus for the year ended on that date;
 - c) in the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date; and
 - d) in the case of the Consolidated Receipts and Payments Account, of the receipts and payments for the year ended on that date.

Basis of Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements in India in terms of the Code of Ethics issued by ICAI and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

- 3. We invite attention to:
 - Note No. B(46) of Schedule 15A regarding bifurcation of Single/Unified Policyholders' fund into Participating and Non-Participating Policyholders' fund, segregation of assets among Participating and Non-Participating, solvency margin of the Corporation and the rational adopted by the management of the Corporation for the realignment of the assets.





- ख. वित्तीय वर्ष 2019-20 में कर्मचारियों को नए विकल्प के कारण उत्पन्न 1112466.00 लाख रुपये के अतिरिक्त योगदान के कारण देयता के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची 15-ए की नोट संख्या बी (16)(सी), जो कि आईआरडीएआई द्वारा अपने पन्न संख्या 101/2/एफ एंड ए-लाइफ/एलआईसी/2018-19/208 दिनांक 06-07-2020 द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 से पांच वर्षों की अवधि में प्रदान किया जा रहा है। तदनुसार, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते में क्रमशः 222493.00 लाख और शेष राशि 31 मार्च, 2024 तक की अवधि में 444986.00 लाख रुपये प्रदान किए जाने हैं।
- ग. कोविड-19 महामारी के प्रकोप से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बारे में समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची 15A की नोट संख्या (B)(39) और प्रबंधन द्वारा अपने व्यवसाय और वित्तीय विवरणों पर नीतिगत देनदारियों के सिहत मूल्यांकन। उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

4. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में नीचे दिए गए मामले को निर्धारित किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन (31.03.2022: 3961531.62 करोड़ रुपये और 31.03.2021: 3556452.09 करोड़ रुपये)

(वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 8ए और 8बी देखें। लेखा नीति के लिए वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 15ए(ए)6 देखें।)

निगम के निवेश पोर्टफोलियो को संबद्ध और गैर—संबद्ध (लिंक्ड और नॉन—लिंक्ड) में विभाजित किया गया है। निवेश पोर्टफोलियो निगम की कुल संपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

जैसा कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा निर्धारित किया गया है, सभी निवेश भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश विनियम, 2016) (निवेश विनियम) और निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियां के अनुसार होने चाहिए।

साथ ही, सभी निवेशों का मूल्यांकन निवेश विनियमों में निर्धारित अनुसार किया जाना चाहिए जो निवेश के प्रत्येक वर्ग के लिए अपनाई जाने वाली मूल्यांकन पद्धित को निर्धारित करते हैं।

गैर—संबंद्ध या सक्रिय रूप से व्यापार किए गए निवेशों के अलावा, ऐतिहासिक लागत पर कमी/नुकसान के प्रावधान को कम करके मापा जाता है, जिसमें प्रबंधन निर्णय और अनुमान शामिल होता है।

इसके अलावा, निवेशिती कंपनी की रेटिंग के पुनर्मूल्यांकन के कारण, निवेश विनियमों और/या निगम की आंतरिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए निवेश के पुनर्वर्गीकरण और इसके मूल्यांकन/हानि पर परिणामी प्रभाव की आवश्यकता हो सकती है।

इसलिए, निवेशों का मूल्यांकन उन क्षेत्रों में से एक माना जाता था जिन पर हमारे महत्वपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता थी और वित्तीय विवरणों में निवेश के कुल मूल्य की भौतिकता के कारण प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों में से एक था।

हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया

हमने निम्नलिखित प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं की हैं:

- निवेश के उचित वर्गीकरण और मूल्यांकन/ हानि को सुनिश्चित करने के लिए निगम की प्रक्रिया और प्रक्रियाओं और परीक्षण नियंत्रणों को समझा।
- नमूना आधार पर निवेशों की जांच की गई रिकॉर्डिंग और निवेशों का सत्यापित वर्गीकरण और निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश विनियमों और नीतियों का अनुपालन
- प्रतिभूतियों का मूल्यांकन मूल्यांकन यह जांचने के लिए कि क्या यह निवेश विनियमों और निगम की लेखा नीतियों के अनुसार है।
- परीक्षण की गई हानि/ प्रतिभूतियों का प्रावधान (रिवर्सल सहित), जो देखा गया है और निवेश विनियमों और निगम की हानि नीतियों के अनुसार हैं।
- गैर-सूचीबद्ध और सक्रिय रूप से वयापार किए गए निवेशों के अलावा, हमने निगम की मूल्यांकन पद्धित और मान्यताओं का मूल्यांकन किया और इन्हें निवेश विनियमों और निगम की आंतरिक नीतियों के साथ पृष्टि की, जिसमें हानि से संबंधित भी शामिल हैं।
- निवेशिती कंपनी की रेटिंग में किसी भी बदलाव के लिए, हमने निवेश विनियमों के साथ निगम के मूल्यांकन और पुनर्वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए निगम की आंतरिक नीतियों की जांच की।
- हमने निवेश पर उपलब्ध समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्टों का अध्ययन किया है।

किए गए कार्य के आधार पर, हमें ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं मिला जिससे यह पता चलता हो कि निवेशों को उचित रूप से वर्गीकृत या मूल्यांकित नहीं किया गया था।



- b) Note No.B(16)(C)of Schedule 15A to the Consolidated Financial Statements regarding liability on account of additional contribution of Rs. 1112466.00 Lakhs arisen due to fresh pension option to employees in financial year 2019-20 which is being provided over a period of five years from financial year 2019-20 in accordance with the approval granted by IRDAI vide its letter no. 101/2/F&A-Life/LIC/2018-19/208 dated 06-07-2020. Accordingly, an amount of Rs. 222493.00 Lakhs has been charged to Revenue account for the year then ended March 31, 2022 respectively and balance amount of Rs. 444986.00 Lakhs is to be provided over a period up to March 31, 2024.
- c) Note No. B(39) of Schedule 15A to the Consolidated Financial Statements regarding the uncertainties arising out of the outbreak of COVID-19 pandemic and assessment made by the management on its business and financial statements, including valuation of policy liability.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matter below to be the key audit matter to be communicated in our report.

Key audit matters

Classification and Valuation of Investments (31.03.2022: ₹3961531.62 crore and 31.03.2021: ₹3556452.09 crore) (as reproduced from the report on the audit of the Standalone Financial Statements)

(Refer Schedule 8 8A and 8B of the standalone financial statements. Refer schedule 15A(A)6 to the standalone financial statements for accounting policy.)

The Corporation's investment portfolio is bifurcated into linked and non-linked. The investment portfolio forms significant portion of the total assets of the Corporation.

As prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority of India (the "IRDAI"), all investments should be in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Investment Regulations, 2016) (the "Investment Regulations") and policies approved by Board of Directors of the Corporation.

Also, all investments should be valued as prescribed in the Investment Regulations which prescribe the valuation methodology to be adopted for each class of investments.

The unlisted or other than actively traded investments are measured at historical cost less provision for diminution/impairment, which involves management judgement and estimate.

Further, due to the reassessment of the investee company's rating, there could be a need for reclassification of investment and consequent impact on its valuation / impairment keeping in view the Investment Regulations and/ or Corporation's internal policies.

Hence, the valuation of investments was considered to be one of the areas which required our significant attention and was one of the key audit matters due to the materiality of total value of investments to the financial statements.

How our audit addressed the key audit matters

We have carried out the following key audit procedures:

- Understood the Corporation's process and procedures and tested controls to ensure proper classification and valuation/impairment of investments.
- Tested recording of investments on sample basis and verified classification of investments and compliance with Investment Regulations and policies approved by Board of Directors of the Corporation.
- Assessed valuation of securities to examine whether the same is in accordance with the Investment Regulations and Corporation's accounting policies.
- Tested impairment/provision of securities (including reversal), which have been observed and are in accordance with the Investment Regulations and Corporation's impairment policies.
- In respect of unlisted and other than actively traded investments, we evaluated the Corporation's valuation methodology and assumptions and corroborated these with Investment Regulations and Corporation's internal policies including those related to impairment.
- For any changes in ratings of the investee company, we examined the Corporation's assessment with the Investment Regulations and Corporation's internal policies for reclassification and valuation.
- We have perused the available concurrent audit reports on investments.

Based on the work carried out, we did not come across any significant matter which suggests that the investments were not properly classified or valued.





प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

उचित अवधि में राजस्व मान्यता के समय की उपयुक्तता

समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची 1 देखें।

वर्ष के दौरान, निगम ने 42741921.20 लाख रुपये के शुद्ध प्रीमियम राजस्व को मान्यता दी है।

वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही (तुलन-पत्रडेट पर कट—ऑफ सहित) के दौरान राजस्व की महत्वपूर्ण केंद्रीकरण के कारण हमने इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है।

उद्योग की प्रकृति के कारण, राजस्व तुलन-पत्र की तारीख की ओर झुका हुआ है। इसलिए, संभावना है कि अगले वित्तीय वर्ष की पॉलिसी बिक्री का लेखा वर्तमान अवधि में किया जाए।

हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया

हमारी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:

- राजस्व की मान्यता से संबंधित प्रक्रिया और नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता को समझा और मूल्यांकन किया।
- प्रमुख नियंत्रणों का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया
 कि राजस्व सही लेखा अविध में अर्जित है या नहीं।
- वर्ष के अंत में नीतियों का नमूना आधार पर परीक्षण किया गया तािक पुष्टि की जा सके कि नीति की शर्तों की स्वीकार्यता के संबंध में संबंधित प्रक्रियात्मक अनुपालन वर्ष के अंत से पहले पूरा किया गया था तािक राजस्व का उचित लेखा—जोखा सुनिश्चित किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी जहां तुलन पत्र (तुलन-पत्र) से पहले जोखिम शुरू हुआ था लेकिन राजस्व को मान्यता नहीं दी गई थी, नमूना आधार पर बिना आवंटित प्रीमियम / प्रस्ताव जमा / प्रीमियम जमा पर परीक्षण किया गया।

किए गए कार्य के आधार पर, हमें ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं मिला जो यह बताता हो कि राजस्व की पहचान सही अवधि में नहीं की गई है।

आयकर से संबंधित कुछ मामलों से संबंधित आकस्मिकताएं

वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 15(ए) के नोट बी(1) का संदर्भ लें। निगम को आयकर से संबंधित मामलों के संबंध में कर अधिकारियों से विभिन्न मांग नोटिस (ज्यादातर उद्योग विशिष्ट) प्राप्त हुए हैं।

उक्त मामले मुख्य रूप से भौतिक राशियों से संबंधित हैं जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं।

प्रबंधन ने अपने विशेषज्ञ की मदद से, आवश्यकतानुसार, एक दायित्व उत्पन्न होने की संभावना से संबंधित निर्णय लिया है और क्या किसी प्रावधान को पहचानने या आकस्मिक दायित्व का खुलासा करने की आवश्यकता है। हमने इस क्षेत्र पर अनिश्चितता, मूल्यांकन के लिए प्रबंधन के निर्णय के उपयोग और वित्तीय विवरणों पर संभावित सामग्री प्रभाव के परिणामस्वरूप ध्यान केंद्रित किया।

हमारी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:

- कर मुकदमों के निर्धारण के लिए प्रबंधन की प्रक्रिया और नियंत्रण को समझा और उसका उचित हिसाब—िकताब और प्रकटीकरण किया।
- निगम के कानूनी सलाहकार और इन—हाउस टैक्स विशेषज्ञों के साथ लंबित मामलों पर चर्चा की।
- कर मामलों की वर्तमान स्थिति की समझ हासिल करने के लिए प्रबंधन के निष्कर्षों का आकलन किया और यह स्थापित करने के लिए विवादों की निगरानी कि कर प्रावधान नवीनतम बाहरी विकास को दर्शाते हैं।

किए गए कार्य के आधार पर, आयकर से संबंधित कुछ मामलों से संबंधित आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए, हमने 31 मार्च, 2022 को आकस्मिक देनदारियों के प्रावधान और प्रकटीकरण की सीमा को उचित होने के लिए निर्धारित किया।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

5. अन्य जानकारी के लिए निगम का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को वयक्त नहीं करते हैं। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी जब वह उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है।

वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हुए यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई भौतिक गलत कथन है, तो हम इस मामले को संबंधित प्रशासन को अवगत करवाएं।





Key audit matters

How our audit addressed the key audit matters

Appropriateness of the Timing of Revenue Recognition in the proper period

(as reproduced from the report on the audit of the Standalone Financial Statements)

Refer Schedule 1 of the standalone financial statement.

During the year, the Corporation has recognised net premium revenue of Rs 42741921.20 Lakhs.

We have focused on this area because of the significant concentration of revenue during the last quarter of financial year (including cut-off at the Balance sheet date). Due to the nature of the industry, revenue is skewed towards the balance sheet date. Hence, there is possibility that policy sales of the next financial year are accounted in the current period.

Our procedures included the following:

- Understood and evaluated the design and operating effectiveness of process and controls relating to recognition of revenue.
- Testing of key controls for ensuring that the revenue has been accrued in the correct accounting period.
- Tested on a sample basis the policies at the year end to confirm if related procedural compliances with regard to acceptability of the terms of policy were completed before the year end to ensure appropriate accounting of revenue.
- Tested on a sample basis unallocated premium / proposal deposit / premium deposit to ensure that there were no policies where risk commenced prior to balance sheet but revenue was not recognised.

Based on the work carried out, we did not come across any significant matter which suggests that the revenue recognition is not accounted in the correct period.

Contingencies relating to certain matters pertaining to Income Tax

(as reproduced from the report on the audit of the Standalone Financial Statements)

Refer note no. B(1) of schedule 15(A) to the standalone financial statements.

The Corporation has received various demand notices (mostly industry specific) from the tax authorities in respect of matters relating to Income Tax.

The said matters mainly involving material amounts are pending before Supreme Court and High Courts.

The management with the help of its expert, as needed, have made judgments relating to the likelihood of an obligation arising and whether there is a need to recognise a provision or disclose a contingent liability. We focused on this area as a result of uncertainty, use of management's judgement for assessment and potential material impact on the financial statements.

Our procedures included the following:

- Understood Management's process and control for determining tax litigations and its appropriate accounting and disclosure.
- Discussed pending matters with the Corporation's legal counsel and in-house tax experts.
- Assessed management's conclusions to gain an understanding of the current status of the tax cases and monitoring of changes in disputes to establish that the tax provisions reflect the latest external developments.

Based on the work performed, in view of the contingencies relating to certain matters pertaining to Income Tax, we determined the extent of provisioning and disclosure of contingent liabilities as at March 31, 2022 to be reasonable.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

5. In The Corporation's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we will communicate the matter to those charged with governance.





समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी और उन पर शासन का आरोप लगाया गया है

- 6. निगम के सदस्यों का बोर्ड एलआईसी अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, तािक वे समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन का एक सही और निष्पक्ष दृश्य दे सकें। और समूह की समेकित प्राप्तियां और भुगतान, भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, एलआईसी अधिनियम के प्रावधानों सिहत, संशोधित बीमा अधिनियम, आईआरडीए अधिनियम के साथ पिठत बीमा अधिनियम, इस में आईआरडीएआई द्वारा जारी विनियम, आदेश/निर्देश कंपनी अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सिहत, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, लागू सीमा तक और आवश्यक तरीके से। समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधडी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं , चाहे वह धोखाधडी या त्रुटि के कारण हो, जिसका उपयोग निगम के सदस्यों के बोर्ड द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है, जैसा कि पूर्वोक्त है।
- 7. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की निगम की क्षमता का आकलन करने, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, चालू प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों और चालू प्रतिष्ठान के आधार पर लेखांकन का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो निगम को समाप्त करने का इरादा नहीं रखता है या संचालन बंद कर दें, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।
- 8. समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल ऐसी प्रत्येक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां।

- 9. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, वयक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।
- 10. एसए के अनुसार लेखा परीक्षा (ऑडिट) के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हमः
 - i. समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिमिकसी त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिमों से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, याआंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
 - ii. परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के प्रति समझ पैदा करें।
 - iii. उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
 - iv. लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो निगम की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण निगम एक चालू चिंता के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।
 - v. प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
 - vi. समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए प्रभागों/शाखाओं/इकाइयों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल डिवीजनों/शाखाओं/इकाइयों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण





Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

- 6. The Corporation's Board of Members is responsible for the preparation and presentation of these Consolidated Financial Statements in terms of the requirements of the LIC Act, as amended, so that they give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated receipts and payments of the Group, in accordance with accounting principles generally accepted in India including the provisions of the LIC Act, as amended, the Insurance Act read with the IRDA Act, the Regulations, order/ directions issued by the IRDAI in this regard and in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act to the extent applicable and in the manner so required. The respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for maintenance of adequate accounting records for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements by the Board of Members of the Corporation, as aforesaid.
- 7. In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for assessing the ability of each such company to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate such company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
- 8. The respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for overseeing the financial reporting process of each such company.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

- 9. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.
- 10. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
 - Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due
 to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that
 is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement
 resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
 omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
 - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
 - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
 - Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.





और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य प्रभागों/शाखाओं/इकाइयों के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षाओं के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। हम समेकित वित्तीय विवरण पर अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

- 11. हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में प्रत्येक वे महत्वपूर्ण कमियां भी आती शामिल हैं जिनका हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पता लगाते हैं।
- 12. हम शासन के प्रभारी लोगों को भी इस आशय का विवरण प्रदान करते हैं हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों पर संवाद करते है जिन्हें हमारे स्वतंत्रता संबंधी सुरक्षा उपायों, जहाँ भी आवश्यक हो, के लिए उचित माना जा सकता है।
- 13. शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अविध के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इन मामले के बारे में सार्वजिनक प्रकटीकरण को हमें रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जब हमें यह लगे कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सार्वजिनक हित के लाभों से अधिक प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य मामले

- 14. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हमारे सहित निगम के 10 सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों ने समेकित वित्तीय तैयार करने के लिए उपयोग किए गए निगम के स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों में शामिल 105 मंडल कार्यालयों (डीओ) (उसके अंतर्गत शाखाओं सहित) और पंशन और समूह योजनाओं (पी एंड जीएस) की 68 इकाइयों के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं और समेकित वित्तीय परिणामों की तैयारी के लिए उपयोग किए जाने वाले निगम के समेकित वित्तीय परिणामों में शामिल पंशन और समूह योजनाओं की 68 इकाइयां, जिनके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/ सूचना, मंडलीय/ शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा—परीक्षित की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत कर दी गई है, की लेखापरीक्षा नहीं की, और जहां तक यह संभागों/ शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित हमारी राय है, यह पूरी तरह से ऐसे मंडलीय/ शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में कुल संपत्ति और कुल राजस्व की जानकारी अलग से संकलित नहीं की जाती है क्योंकि डिवीजनों को प्रत्येक शाखा का केवल ट्रायल बैलेंस प्राप्त होता है जिसे मंडल स्तर पर और उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर समेकित किया जाता है।
- 15. लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन और जहां प्रीमियम बंद कर दिया गया है, वह निगम के नियुक्त बीमांकक (नियुक्त बीमांकक) की जिम्मेदारी है, उनके द्वारा नियमों के अनुसार प्रमाणित किया गया है, जैसा कि नीचे पैराग्राफ 18 में उल्लेख किया गया है। तदनुसार, हमने निगम के समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय बनाने के लिए नियुक्त बीमांकक के प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है।
- 16. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में शामिल और समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली 3 विदेशी शाखाओं (यूनाइटेड किंगडम, मॉरीशस और फिजी) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/सूचना, 31 मार्च, 2022 तक कुल 421209.84 लाख रुपये की कुल संपत्ति, 2411.65 लाख रुपये की कुल संपत्ति, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 80633.96 लाख रुपये का राजस्व और 11.94 लाख रुपये का कुल लाभ दर्शाती है। समेकित वित्तीय परिणामों पर हमारी राय, जहां तक यह इन 3 विदेशी शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- 17. समेकित वित्तीय विवरणों में 2 भारतीय सहायकी, 5 विदेशी सहायकी, 4 सहयोगियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/ सूचना और 2 सहयोगी कंपनियों की अलेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी शामिल की गई है। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी सहायक कंपनियों की वित्तीय जानकारी/ वित्तीय विवरण कुल संपत्ति, शुद्ध संपत्ति, कुल राजस्व और शुद्ध लाभ को दर्शाते हैं जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है और सहयोगियों के मामले में, समेकित में शामिल कुल शुद्ध लाभ में समूह का हिस्सा वित्तीय विवरण नीचे तालिका में सारणीबद्ध हैं। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, जिनका लेखा—परीक्षा की जाती है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है और सहयोगी कंपनियों के 2 अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के संबंध में आधारित हैं पूरी तरह से ऐसी वित्तीय जानकारी पर जो हमें प्रदान की गई है और निगम के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, यह वित्तीय विवरण / गैर—लेखापरीक्षित सहयोगियों की जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

| विवरण | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (लाख रुपये में) |
|--|--|
| कुल राजस्व | 348295.98 |
| कुल संपत्ति | 2265638.03 |
| शुद्ध संपत्ति | 473858.79 |
| शुद्ध लाभ | 8484.06 |
| अपने सहयोगियों में लाभ/(हानि) में हिस्सा | 420257.48 |





- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the Consolidated Financial Statements. For all the entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion on Consolidated financial Statement.
- 11. We communicate with those charged with governance of the Corporation regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
- 12. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
- 13. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

- 14. As noted above, the 10 statutory central auditors of the Corporation, including us did not audit the financial statements / information of 105 Divisional Offices (DO) (including branches thereunder) and 68 units of Pension & Group Schemes (P&GS) included in the Standalone Financial Results of the Corporation used for preparation of consolidated financial results whose audited financial statements / information, have been audited by the divisional / branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of divisions / branches, is based solely on the report of such divisional / branch auditors.
 - The information of total assets and total revenue in respect of the branches audited by other auditors are not separately compiled as the divisions receive only trial balances of each branch which are consolidated at division level and thereafter at zonal level.
- 15. The actuarial valuation of liabilities for life policies in-force and policies where premium is discontinued is the responsibility of the Corporation's Appointed Actuary (the "Appointed Actuary"), which has been certified by the Appointed Actuary in accordance with the regulations, as mentioned in paragraph 18 below. Accordingly, we have relied upon the Appointed Actuary's certificate for forming our opinion on the consolidated financial statements of the Corporation.
- 16. The audited financial statements/ information of the 3 foreign branches (United Kingdom, Mauritius and Fiji) included in the Standalone Financial statement and used for preparation of consolidated financial statement reflect total assets of Rs.421209.84 Lakhs, net assets of Rs.2411.65 Lakhs, as at March 31, 2022 total revenue of Rs. 80633.96 Lakhs and net profit of Rs. 11.94 Lakhs for the year ended March 31, 2022. Our opinion on the consolidated financial results, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these 3 foreign branches is based solely on report of such other auditors.
- 17. The audited financial statements/ information of 2 Indian subsidiaries, 5 foreign subsidiaries, 4 associates and unaudited financial information of 2 associate companies have been included in the consolidated financial statements. The financial information/ financial statements of such subsidiaries included in the consolidated financial statements reflect total assets, net assets, total revenue and net profit as tabulated in Table below and in case of associates, the Group's share of total net profit as included in the Consolidated Financial Statements is tabulated in Table below. Our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and associates which are audited is based on report of such other auditors and in respect of 2 unaudited financial statement of associate companies are based solely on such financial information as furnished to us and certified by the management of the Corporation. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the management, this financial statements /information of unaudited associates are not material to the Group.

| Particulars | For year ended March 31, 2022 (Rs. In Lakhs) |
|--|--|
| Total Revenues | 348295.98 |
| Total Assets | 2265638.03 |
| Net Assets | 473858.79 |
| Net Profit | 8484.06 |
| Share in Profit/(Loss) in its Associates | 420257.48 |





अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट।

- 18. लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन और जिन पॉलिसियों के संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता 31 मार्च, 2022 तक मौजूद है, निगम के नियुक्त बीमांकक ('नियुक्त बीमांकिक') का उत्तरदायित्व है। नियुक्त बीमांकक ने देनदारियों के बीमांकिक मूल्यांकन और लागू जीवन नीतियों के लिए भविष्य के विनियोग के लिए निधि और उन नीतियों के संबंध में विधिवत प्रमाणित किया है जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता 31 मार्च, 2022 तक मौजूद है और उनकी राय में इस तरह के मूल्यांकन के लिए धारणाएं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की सहमति से भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। हमने इस संबंध में नियुक्त बीमांकक के प्रमाणपत्र पर देनदारियों के मूल्यांकन पर अपनी राय बनाने के लिए और जीवन नीतियों के लिए भविष्य के विनियोग के लिए निधि और उन नीतियों के लिए भरोसा किया है जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन निगम के वित्तीय विवरणों में देयता मौजूद है।
- 19. इसके अलावा, जैसा कि आईआरडीए विनियमों के विनियम 3 की अनुसूची सी के तहत आवश्यक है और एलआईसी अधिनियम (संशोधित) की धारा 25 बी की उप धारा (3) के तहत भी आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि;
 - हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है।
 - हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निगम द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों का रखरखाव किया गया है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
 - हमारी राय में मण्डल कार्यालयों और शाखाओं की उचित विवरणियां प्राप्त हुई हैं और उन्हें लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाया गया है;
 - इस रिपोर्ट द्वारा दिये गए तुलन पत्र, राजस्व खाते, लाभ और हानि खाता और प्राप्तियां और भुगतान खाता, लेखा पुस्तकों और विवरणियों के अनुरूप हैं।
 - हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निवेशों का मूल्यांकन बीमा अधिनियम, विनियमों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है;
 - vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निगम द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियां उपयुक्त हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लागू लेखा मानकों के अनुपालन में हैं, उस सीमा तक जहाँ तक आईआरडीए विनियमों में निर्धारित लेखांकन सिद्धांतों और द्वारा जारी आदेशों / निर्देशों / इस संबंध में आईआरडीए परिपत्रों के साथ ये असंगत नहीं हैं।
 - vii. एलआईसी अधिनियम (संशोधित) की धारा 4ए के खंड (i) के अनुसार कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।
 - viii. खातों के रखरखाव और उससे जुड़े मामलों से संबंधित कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है;
 - निगम के पास वित्तीय विवरणों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वे 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय के लिए हमारी अलग रिपोर्ट अनुलग्नक ए के रूप में देखें।

मेसर्स बटलीबोई और पुरोहित चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 101048W

रमन हंगेकर साझेदार

सदस्यता संख्या: 030615 दिनांक: 30-05-2022

जगहः मुंबई

यूडीआईएनः 22030615 एजेवीआरएचआर 2530





Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- 18. The Actuarial Valuation of liabilities for life policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2022 is the responsibility of the Corporation's appointed actuary ('the Appointed Actuary'). The Appointed Actuary has duly certified the actuarial valuation of liabilities and the fund for future appropriation for life policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31 2022 and in his opinion the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the Insurance Regulatory and Development Authority of India. We have relied upon the Appointed Actuary's Certificate in this regard for forming our opinion on the valuation of liabilities and the fund for future appropriation for life policies in force and for polices in respect of which premium has been discontinued but liability exists in the financial statements of the Corporation.
- 19. Further, as required under the Schedule C of Regulation 3 of IRDA Regulations and also as required under sub section (3) of Section 25B to the LIC Act (as amended) we report that;
 - i. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - ii. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, proper books of account as required by law have been maintained by the Corporation so far as it appears from our examination of those books;
 - iii. In our opinion proper returns of Divisional Offices and branches have been received and found them adequate for the purpose of audit;
 - iv. The Balance sheet, Revenue account, Profit and Loss account and the Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;
 - v. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Investments have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act, Regulations and orders / directions issued by IRDA in this behalf;
 - vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accounting policies adopted by the Corporation are appropriate and are in compliance with the applicable accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 to the extent not inconsistent with the accounting principles prescribed in the IRDA Regulations and orders / directions / circulars issued by IRDA in this regard.
 - vii. No directors are disqualified as per clause (i) of section 4A of the LIC Act (as amended).
 - viii. There are no qualification or adverse remarks relating to maintenance of accounts and matters connected therewith;
 - ix. The Corporation has adequate Internal financial controls over financial statements in place and they are operating effectively as on March 31, 2022. Refer to our separate report as Annexure A for opinion over Internal financial controls over financial statements.

For Batliboi & Purohit Chartered Accountants

FRN: 101048W

Raman Hangekar Partner

Membership No: 030615

Date: 30-05-2022

Place: Mumbai

UDIN: 22030615AJVRJD2530





अनुलग्नक - ए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए

एलआईसी अधिनियम 1956 (संशोधित) की धारा 25बी की उप धारा (3) के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन हमने 31 मार्च 2022 तक, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निगम के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में, भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ('आईसीएआई') संस्थान के द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतिरक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतिरक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतिरिक नियंत्रण के आधार पर आंतिरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए निगम प्रबंधन जिम्मेदार है। । इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतिरक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो निगम की नीतियों के पालन, इसकी सुरक्षा सिहत अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। संपत्ति, धोखाधडी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि एलआईसी अधिनियम, 1956 (संशोधित) के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय वयक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और लेखा परीक्षा पर मानक, आईसीएआई द्वारा जारी किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित समझे जाने के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑिंडट के लिए लागू सीमा तक अपनी लेखा परीक्षा आयोजित की, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और, दोनों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, निगम की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और निगम की प्राप्तियां और वयय केवल प्रबंधन और निगम के निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) निगम की परिसंपत्तियों के अनिधकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अविध के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।





Annexure - A to the Auditors' Report

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of sub section (3) of Section 25B to the LIC Act 1956 (as amended)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Life Insurance Corporation of India ("the Corporation") as of 31 March 2022 in conjunction with our audit of the consolidated financial statements of the Corporation for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Corporation Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to corporation's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the LIC Act, 1956 (as amended)

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Corporation internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013 to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Corporation internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

The Corporation's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. The Corporation's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the corporation; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the corporation are being made only in accordance with authorizations of Management and directors of the corporation; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the corporation's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper Management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.





राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निगम के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2022 तक, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

मेसर्स बटलीबोई और पुरोहित चार्टर्ड अकाउंटेंट एफआरएन: 101048**W**

रमन हंगेकर साझेदार

सदस्यता संख्याः 030615

दिनांक: 30-05-2022

जगहः मुंबई

यूडीआईएनः 22030615एजेवीआरएचआर2530





Opinion

In our opinion and to the best of our information & according to the explanations give to us, the Corporation has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 March 2022 based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For Batliboi & Purohit Chartered Accountants FRN: 101048W

Raman Hangekar Partner Membership No: 030615

Date: 30-05-2022 Place: Mumbai

UDIN: 22030615AJVRJD2530





31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण

Consolidated
Financial Statements
For the year ended 31st March, 2022





फार्म ए-बीएस FORM A - BS

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001 Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2022 तक भारतीय जीवन बीमा निगम का समेकित तुलन पत्र CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF LICI AS AT MARCH 31, 2022

| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|--|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| निधियों का स्त्रोत / SOURCES OF FUNDS | | | |
| शेयरधारकों की निधियाँ: / SHAREHOLDERS' FUNDS: | | | |
| शेयर पूँजी / SHARE CAPITAL | 5 | 632499.77 | 10000.00 |
| आरक्षितनिधि एवं अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS | 6 | 492054.01 | 670547.04 |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा | | | |
| CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | | 9278.85 | 7849.74 |
| अल्पसंख्यक हित (शेयरधारक) | | | |
| MINORITY INTEREST (Shareholders) | | 12034.30 | 9927.61 |
| उप–योग / Sub-Total | _ | 1145866.93 | 698324.39 |
| उधारी / BORROWINGS | 7 | 128.85 | 366.50 |
| पॉलिसीधारकों की निधियाँ / POLICYHOLDERS' FUNDS: | | | |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा | | | |
| CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | | 40027447.38 | 27294498.85 |
| पॉलिसी दायित्व / POLICY LIABILITIES | | 372788500.26 | 342072700.28 |
| अल्पसंख्यक हित (पॉलिसीधारक) | | | |
| MINORITY INTEREST (Policyholders) | | (127.90) | 2094.86 |
| बंद पॉलिसियों के लिये निधि | | | |
| FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES | | | |
| प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना | | | |
| Discontinued on account of non payment of premium | | 6633.53 | 3366.00 |
| अन्य / Others | | 1601.02 | 1699.74 |
| बीमा आरक्षितनिधि / INSURANCE RESERVES | 6A | 1709282.72 | 1271145.41 |
| संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES | | 2390861.68 | 3295916.81 |
| उप-योग / Sub-Total | - | 416924327.54 | 373941788.45 |
| भविष्य के विनियोगों के लिए निधियाँ | - | | |
| FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS | | 183443.30 | 333.99 |
| कुल / TOTAL | - | 418253637.77 | 374640446.83 |
| निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS | | | |
| निवेश / INVESTMENTS | | | |
| शेयरधारकों के / Shareholders' | 8 | 522905.84 | 42640.32 |
| पॉलिसीधारकों के / Policyholders' | 8A | 391142274.56 | 349844073.68 |
| संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पतियाँ | | | |
| ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES | 8B | 2395871.74 | 3297495.68 |
| ऋ呵 / LOANS | 9 | 11103387.72 | 10876366.52 |
| अचल परिसम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS | 10 | 357067.95 | 347402.59 |
| चालू परिसम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS | | | |
| रोकड़ एवं बैंक में अतिशेष / Cash and Bank Balances | 11 | 4472434.49 | 3607831.86 |
| अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ / Advances and Other Assets | 12 | 15411951.09 | 14936610.01 |
| , | | | |





(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| | | | (\ III lakiis) |
|---|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
| उप-योग (क) / Sub-Total (A) | _ | 19884385.58 | 18544441.87 |
| चालू दायित्व / CURRENT LIABILITIES | 13 | 5657448.73 | 6817145.54 |
| प्रावधान / PROVISIONS | 14 | 1494806.89 | 1494828.29 |
| उप-योग (ख) / Sub-Total (B) | _ | 7152255.62 | 8311973.83 |
| शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग)= (क - ख) | _ | | |
| NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B) | | 12732129.96 | 10232468.04 |
| विविध व्यय (जो बट्टे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted) | 15 | 0.00 | 0.00 |
| लाभ–हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account) | | 0.00 | 0.00 |
| कुल / TOTAL | _ | 418253637.77 | 374640446.83 |
| आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities | 15 A (B) 2 | | |
| महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा लेखो की टिप्पणियाँ | | | |
| Significant Accounting Policies & Notes to Accounts | 15A (A) & (B) | | |
| उपर्युक्त अनुसूचियाँ तुलनपत्र के अभिन्न अंग है. | | | |
| The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet. | | | |

| हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date | बोर्ड की ओर से On behalf of the Board | | |
|--|--|---|--|
| बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए सनदी लेखाकार For Batliboi & Purohit Chartered Accountants (FRN: 101048W) | अध्यक्ष Chairperson | | प्रबंध निदेशक Managing Director |
| रमन हंगेकर (पार्टनर) Raman Hangekar (Partner) | स्वतंत्र निदेशक Independent Director | कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) Exective Directors (F&A) | मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer |
| स. क्र. 030615 | नियुक्त बीमांकक Appointed Actuary | | कंपनी सचिव Company Secretary |

मुंम्बई : **30 मई, 2022** Mumbai: 30th May, 2022





फॉर्म ए-आरए FORM A - RA

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001 Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का समेकित राजस्व खाता पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT OF LICI FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022

Policyholders' Account (Technical Account)

| | | | (\ III lakiis) |
|--|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
| अर्जित शुद्ध प्रीमियम / Premiums earned - net | | | |
| (क) प्रीमियम | | | |
| (a) Premium | 1 | 43011680.72 | 40585080.15 |
| (ख) पुनर्बीमा अंतरण | | | |
| (b) Reinsurance ceded | | (61604.12) | (45230.38) |
| (ग) पुनर्बीमा स्वीकार | | | |
| (c) Reinsurance accepted | | 0.00 | 0.00 |
| उप-योग / Sub-Total | | 42950076.60 | 40539849.77 |
| निवेश से आय / Income from Investments | _ | | |
| (क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, कुल | | | |
| (a) Interest, Dividends & Rent - Gross | | 25367179.46 | 23955995.24 |
| (ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ | | | |
| (b) Profit on sale/redemption of investments | | 5010533.40 | 4618673.22 |
| (ग) (निवेश की विक्री / मोचन पर हानि) | | | |
| (c) (Loss on sale/redemption of investments) | | (947032.27) | (637712.02) |
| (घ) पुनर्मूल्याकंन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* | | | |
| (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value* | | (20128.62) | 614576.91 |
| (ङ) अन्य आय | | | |
| (e) Other Income | | | |
| (i) वापस लिखी गई राशि Amounts written back | | 695.86 | 28548.67 |
| (ii) अर्जित ब्याज intrest earbed | | 0.00 | 1020003.66 |
| (iii) कमीशन, विनिमय और दलाली | | | |
| Commission, exchange and brokerage | | 0.00 | 129509.61 |
| (iv) विविध प्राप्तियां Sundry Receipts | | 80270.25 | 97986.82 |
| (v) अंशधारकों के खाते से अन्य के लिए योगदान | | | |
| Contribution from Shareholders' Account | | | |
| towards others" | | 942.45 | 475.97 |
| कुल (क)/ TOTAL (A) | _ | 72442537.13 | 70367907.85 |
| कमीशन / Commission | 2 | 2330579.82 | 2235816.05 |
| बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च | | | |
| Operating Expenses related to Insurance Business | 3 | 3902018.55 | 4859684.13 |
| निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर | | | |
| GST on Fund Management charges & other charges | | 9076.44 | 9322.22 |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | | | |
| Provisions for Doubtful debts | | (129895.21) | 1018190.95 |
| | | | |





| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|--|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| कराधान के लिए प्रावधान | | | |
| Provisions for taxation | | 797329.79 | 916816.39 |
| प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) | | | |
| Provisions (other than taxation) | | | |
| (क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए | | | |
| (a) For diminution in the value of investments (Net) | | (303822.64) | 566203.60 |
| (ख) अन्य (b) Others | | (503023.51) | (853165.42) |
| कुल (ख) / TOTAL (B) | | 6102263.24 | 8752867.92 |
| अदा किया गया लाभ (शुद्ध) / Benefits paid (Net) | 4 | 35548634.64 | 28848905.09 |
| अदा किया गया अंतरिम बोनस / Interim Bonuses Paid | | 402730.55 | 222907.32 |
| जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन | | | |
| Change in valuation of liability against life policies | | | |
| in force | | | |
| (क) कुल** (a) Gross** | | 30717875.50 | 32113404.81 |
| (ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि | | | |
| (b) Amount ceded in Reinsurance | | 0.00 | 0.00 |
| (ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि | | | |
| (c) Amount accepted in Reinsurance | | 0.00 | 0.00 |
| (घ) संबद्ध पॉलिसियों के लिए आरक्षित निधि | | | |
| (d) Fund Reserve for Linked Policies | | (904613.08) | 43431.01 |
| (ङ) बंद पॉलिसियों के लिए निधि | | | |
| (e) Fund for Discountinued Policies | | 3526.95 | 544.13 |
| कुल (ग) / TOTAL (C) | <u> </u> | 65768154.56 | 61229192.36 |
| अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)–(ख)–(ग) | | | |
| SURPLUS (DEFICIT) (D) = $(A)-(B)-(C)$ | _ | 572119.33 | 385847.57 |
| जोड़ें: सहयोगी संस्थाओं में लाभ का हिस्सा | | | |
| Add: Share of Profit in Associates | | 420257.48 | 116335.36 |
| (हटाएँ)/जोड़ें: अल्पसंख्यक हित | | | |
| (Less)/Add: Minority Interest | | (618.81) | (44652.53) |
| कुल अधिशेष/(घाटा) (च) | | | |
| TOTAL SURPLUS/(DEFICIT) (E) | | 991758.00 | 457530.40 |
| विनियोजन APPROPRIATIONS | | | |
| शेयरधारकों के लेखा में अंतरण Transfer to Shareholders' Account | | 388382.82 | 295611.45 |
| अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves | | 420265.86 | 161606.40 |
| भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण Balance being Funds for Future Appropriations | | 183109.32 | 312.55 |
| कुल (च) / TOTAL (E) | _ | 991758.00 | 457530.40 |
| 3 () / (-/ | _ | 991730.00 | 457 330.40 |





(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31 2022 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31 2021 |
|---|--|--|
| (क) अंतरिम बोनस (a) Interim Bonus | 402730.55 | 222907.32 |
| (ख) पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन# (b) Allocation of Bonus to Policyholders# | 4827064.43 | 5489119.16 |
| (ग) राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष (c) Surplus shown in the Revenue accounts | 991758.00 | 457530.40 |
| (घ) कूल अधिशेष (क+ख+ग) (d) Total Surplus [a+b+c] | 6221552.98 | 6169556.88 |

- * प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डो के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।
- ** बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

#पॉलिसीधारकों को बोनस के आवंटन का विवरण केवल एलआईसीआई से संबंधित है और इसमें विदेशी सहायक बीमा कंपनियों का विवरण शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें अपने स्थानीय कानूनों या विनियमों के अनुसार इस तरह के विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

- $\ensuremath{^{*}}$ Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.
- ** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

#The details of Allocation of Bonus to policyholders pertains only to LICI and does not include the details of the foreign subsidiary insurance companies as they are not required to provide such details as per their local laws or regulations.

| हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date | बोर्ड की ओर से On behalf of the Board | | |
|---|--|---|--|
| बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए सनदी लेखाकार | | | |
| For Batliboi & Purohit Chartered Accountants (FRN: 101048W) | अध्यक्ष Chairperson | | प्रबंध निदेशक Managing Director |
| रमन हंगेकर (पार्टनर) Raman Hangekar (Partner) | स्वतंत्र निदेशक Independent Director | कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) Exective Directors (F&A) | मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer |
| स. क्र. 030615 | नियुक्त बीमांकक Appointed Actuary | | कंपनी सचिव Company Secretary |

मुंम्बई : **30 मई, 2022** Mumbai: 30th May, 2022





फॉर्म ए-पीएल FORM A - PL

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख: 01.01.2001 Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का समेकित लाभ हानि लेखा शेयरधारकों का लेखा (गैर-तकनीकी खाता)

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT OF LICI FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022

Shareholders' Account (Non-technical Account)

| विवरण Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| पॉलिसीधारकों के लेखा (तकनीकी लेखा) से शेष को अग्रेषित : | | |
| Amounts transferred from/to the Policyholders Account (Technical Account): | 388382.82 | 295611.45 |
| निवेश से आय/ Income from Investments | | |
| (क) ब्याज, लाभांश एवं किराया-कुल | | |
| (a) Interest, Dividends & Rent - Gross | 16655.79 | 2284.21 |
| (ख) निवेश की बिक्री/मोचन पर लाभ | | |
| (b) Profit on sale/redemption of investments | 4175.96 | 614.06 |
| (ग) निवेश की बिक्री/मोचन पर हानि | | |
| (c) (Loss on sale/redemption of investments) | (139.51) | (91.00) |
| (घ) अन्य आय | , | , |
| (d) Other Income | 11063.07 | 2528.21 |
| कुल (क)/TOTAL (A) | 420138.13 | 300946.93 |
| बीमा व्यवसाय से सीधे संबंधित खर्चों के अतिरिक्त अन्य खर्च | · | |
| Expense other than those directly related to the insurance business | 2737.86 | 2200.26 |
| पॉलिसीधारकों के खाते में अन्य के प्रति योगदान | | |
| Contribution to Policyholders' Account towards others | 942.45 | 475.97 |
| प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) | | |
| Provisions (Other than taxation) | | |
| (क) निवेश के मूल्य में शुद्ध कमी के लिए | | |
| (a) For diminution in the value of investments (Net) | 0.00 | 0.00 |
| (ख) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लिए | | |
| (b) Provision for doubtful debts | 0.00 | 0.00 |
| (ग) अन्य | | |
| (c) Others | 0.00 | 0.00 |
| कुल (ख) TOTAL (B) | 3680.31 | 2676.23 |
| लाभ/हानि कर पूर्व/ Profit/ (Loss) before tax | 416457.82 | 298270.70 |
| कराधान का प्रावधान/ Provision for Taxation | 3987.00 | 856.84 |
| लाभ/(हानि) कर पश्चात / Profit/Loss after tax | 412470.82 | 297413.86 |
| विनियोजन / APPROPRIATIONS | | |
| (क) वर्ष के प्रारंभ मे शेष (a) Balance at the begining of the year | 11285.42 | 6325.68 |
| (ख) वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश (5% मूल्यांकन अधिशेष केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त) (b) Dividends paid during the year (5% Valuation surplus paid to Central Government) | 0.00 | 0.00 |
| (ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश / बोनस शेयर (c) Proposed final dividend / Bonus Share | 2763.75 | 1256.25 |
| (घ) लाभांश वितरण पर कर (d) Dividend distribution on tax | 145.46 | 66.12 |
| (ङ) आरक्षितनिधि/अन्य खातों में अंतरण (ब्योरा देना है) (e) Transfer to reserves/other accounts (to be specified) | 2878.81 | 290056.69 |
| (च) अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण (f) Transfer to other / reserves | 454.47 | 1075.06 |
| | | |





कंपनी सचिव Company Secretary

| विवरण Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| तुलन-पत्र को अग्रेषित लाभ Profit carried forward to the Balance Sheet | 417513.75 | 11285.42 |
| *प्रति शेयर उपार्जन - मूल (₹) अनुसूची 15ए की टिप्पणी (बी) 33 देखें *Earning per Share- Basics (₹) refer Note (B) 33 of Schedule 15A | 6.52 | 4.70 |
| *प्रति शेयर उपार्जन – न्यूनीकृत (₹) अनुसूची 15ए की टिप्पणी (बी) 33 देखें *Earning per Share- Diluted (₹) refer Note (C) 24 of Schedule 15A | 6.52 | 4.70 |
| शेयर का अंकित मूल्य (₹) Nominal Value of Share (₹) | 10.00 | 10.00 |

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date बोर्ड की ओर से On behalf of the Board बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए सनदी लेखाकार For Batliboi & Purohit प्रबंध निदेशक अध्यक्ष **Chartered Accountants** Chairperson Managing Director (FRN: 101048W) मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer स्वतंत्र निदेशक कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) Independent Director Exective Directors (F&A)

नियुक्त बीमांकक

Appointed Actuary

रमन हंगेकर (पार्टनर) Raman Hangekar (Partner) स. क्र. 030615

मुंम्बई : **30 मई, 2022** Mumbai: 30th May, 2022





बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख: 01.01.2001 Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का समेकित नकद प्रवाह विवरण CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT OF LICI FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022

| | | (₹ in lakhs) |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| विवरण Particulars | चालू वर्ष CURRENT YEAR | पिछले वर्ष PREVIOUS YEAR |
| परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह: Cash Flows from the operating activities: | | |
| पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम, जिसमे अग्रिम प्राप्तियाँ शामिल हें Premium received from policyholders, including advance receipts | 42904655.44 | 40677459.86 |
| अन्य प्राप्तियाँ Other receipts | 92971.63 | 259046.00 |
| पुनः बीमाकर्ताओं को भुगतान, कमीशन एवं दावों/लाभ से शुध्द Payments to the reinsurers, net of commission and claims / benefit | 29821.43 | (8379.32) |
| दावों/लाभों का भुगतान Payments of claims/benefits | (35855746.28) | (29182121.42) |
| कमिशन और दलाली का भुगतान Payments of commission and brokerage | (2330631.04) | (2203335.38) |
| अन्य परिचालन व्ययों का भुगतान Payments of other operating expenses | (4279890.80) | (4212343.68) |
| जमा, अग्रिम और स्टाफ ऋण Deposits, advances and staff loans | 71392.74 | 1853606.11 |
| आयकर का भुगतान (शुध्द) Income taxes paid (Net) | (737432.84) | 1117550.88 |
| सेवाकर/जीसटी का भुगतान Service tax/ GST paid | (273393.80) | (241279.23) |
| असाधारण मदों से पुर्व नकद प्रवाह Cash flows before extraordinary items | (378253.58) | 8060203.82 |
| असाधारण संचालन से नकद प्रवाह (विवरण दे) Cash flow from extraordinary operations (give break-up) | 0.00 | 0.00 |
| परिचालन गतिविधियों से शुध्द नकद प्रवाह: Net cash flow from operating activities: | (378253.58) | 8060203.82 |
| निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह: Cash flows from investing activities: | | |
| अचल संपत्तियों की खरीद Purchase of fixed assets | (71693.87) | (107606.55) |
| अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियाँ Proceeds from sale of fixed assets | 62028.51 | 723899.30 |
| निवशों की खरीद Purchases of investments | (42778114.95) | (49955544.84) |
| वितरित ऋण (भुगतान से शुध्द) Loans disbursed (Net of Repayments) | (97125.99) | 11848912.38 |
| | | |





| निवशों की बिक्री Sales of investments | | | 19038811.20 | 27480732.25 |
|--|--|--|-------------|--|
| किराया/ब्याज/लाभांश प्राप्त Rents/Interests/ Dividends received | | | 25055974.87 | 7 24888838.57 |
| निवेश गतिविधियों से शुध्द नकद प्रवाह: Net cash flow from investing activities | | _ | 1209879.77 | 14879231.11 |
| वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह: Cash flows from financing activities: | | | | |
| कर्ज का भुगतान Repayments of borrowing | | | 0.00 |) (25340993.31) |
| ब्याज/लाभांश का भुगतान Interest/dividends paid | | | 0.00 | (271553.44) |
| वित्तीय गतिविधियों से शुध्द नकद प्रवाह: Net cash flow from financing activities | | | 0.00 | (25612546.75) |
| नकद और नकद के समतुल्य शुध्द पर विदेशी मुद्रा व Effect of foreign exchange rates on cash and | | | 43210.63 | 3 (34554.02) |
| नकद और नकद के समतुल्य में निवल वृध्दि Net Increase in cash & cash equivalents | | | 874836.82 | 2 (2707665.84) |
| वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the beginning o | f the year | | 3611767.85 | 6319433.69 |
| वर्ष के अतं में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the end of the y | /ear | | 4486604.67 | 3611767.85 |
| नोट: अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य के घ Note: Components of Cash and Cash Equi | | eriod | | |
| हाथ में नकद और चेक Cash and cheques in hand | | | 399522.27 | 7 337249.76 |
| बैंक जमा Bank Balances | | | 2080179.57 | 7 1797798.10 |
| सावधि जमा Fixed Deposits | | | 803338.55 | 746091.58 |
| मुद्रा बाज़ार विलेख Money Market Instruments | | | 1157874.38 | 694010.69 |
| मार्ग प्रोषस्त धन और अन्य Remittance in Transit and others | | | 45689.90 | 36617.72 |
| कुल नकद और नकद समतुल्य Total Cash and Cash Equivalents | | _ | 4486604.67 | 3611767.85 |
| · | | | 1100001101 | |
| हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date | बोर्ड की ओर से On behalf of the Board | | | |
| बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए सनदी लेखाकार For Batliboi & Purohit | अध्यक्ष Chairperson | | | प्रबंध निदेशक Managing Director |
| Chartered Accountants (FRN: 101048W) | स्वतंत्र निदेशक Independent Director | कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं ले Exective Directors (F&A) | खा) | मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer |
| रमन हंगेकर (पार्टनर) Raman Hangekar (Partner) स. क्र. 030615 | नियुक्त बीमांकक Appointed Actuary | | | कंपनी सचिव Company Secretary |

मुंम्बई : **30 मई, 2022** Mumbai: 30th May, 2022





अनुसूची - 1 SCHEDULE - 1

प्रीमियम अर्जित (निवल) PREMIUM EARNED (NET)

| | विवरण Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|---|---|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | प्रथम वर्षीय प्रीमियम First year Premiums | 3687852.36 | 3434099.52 |
| | परवर्ती प्रीमियम | 3007032.30 | 3434099.32 |
| 2 | Renewal Premiums | 23042499.04 | 22032758.63 |
| 3 | एकल प्रीमियम और सीएजी Single Premiums & CAG | 16281329.32 | 15118222.00 |
| | कुल प्रीमियम TOTAL PREMIUM | 43011680.72 | 40585080.15 |
| | प्रीमियम आय लिखित व्यवसाय से Premium Income from business written: | | |
| 1 | भारत में In India | 42760777.87 | 40288813.57 |
| 2 | भारत के बाहर Outside India | 250902.85 | 296266.58 |
| | कुल प्रीमियम Total Premium | 43011680.72 | 40585080.15 |





अनुसूची - 2 SCHEDULE - 2

कमीशन व्यय COMMISSION EXPENSES

| विवरण Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| प्रदत्त कमीशन / Commission paid | Carrone Tour | 11001000 1001 |
| सीधा - प्रथम वर्षीय प्रीमियम | | |
| Direct - First year premiums | 978148.76 | 906147.32 |
| - प्रवर्ती प्रीमियम | | |
| - Renewal premiums | 1192199.50 | 1151438.95 |
| - एकल प्रीमियम - Single premiums | 50286.01 | 58303.85 |
| - अन्य कमीशन | 00200.01 | 00000.00 |
| - Other Commission | 57.82 | 56.20 |
| जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन | | |
| Add : Commission on Re-insurance Accepted | 0.00 | 0.00 |
| घटाएं : अंतरित पुनर्बीमा पर कमीशन | 00.40 | 077.00 |
| Less: Commission on Re-insurance Ceded | 80.48 | 277.26 |
| शुद्ध कमीशन / Net Commission | 2220611.61 | 2115669.06 |
| बिचौलियो को इनाम और पारिश्रमिक Rewards and remuneration to Intermediaries | 109968.21 | 120146.99 |
| कुल कमीशन Total Commission | 2330579.82 | 2235816.05 |
| व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किये गये (सकल) व्यय का विघटन : Break up of the expenses (Gross) incurred to procure business : | | |
| एजेंट | | |
| Agents | 2309177.26 | 2214313.26 |
| ब्रोकर्स | | |
| Brokers | 556.89 | 1065.66 |
| निगमित एजेन्सी Corporate Agency | 1738.86 | 2035.21 |
| रिफरल | 1730.00 | 2000.21 |
| Referral | 0.00 | 0.00 |
| अन्य : बैंक | | |
| Others: Banks | 17238.27 | 17926.72 |
| आई.एम.एफ (बीमा विपणन फर्म) | 404: | === |
| IMF (Insurance Marketing Firm) | 1944.95 | 752.46 |
| सार्वजनिक सेवा केन्द्रों पर (विशेष उद्देश्य वाहन) Common Public Service Centres (Special Purpose Vehicle) | 4.07 | 0.00 |
| कुल / Total | 2330660.30 | 2236093.31 |





अनुसूची - 3 SCHEDULE - 3

बीमा व्यवसाय से सम्बन्धित परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

| | | | (₹ in lakhs) |
|----|---|---------------------------|-----------------------------|
| | विवरण Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
| 1 | कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा कल्याण लाभ Employees' remuneration & welfare benefits | 3034668.41 | 2678738.99 |
| 2 | यात्रा, सवारी एवं वाहन चालन व्यय Travel, conveyance and vehicle running expenses | 31508.95 | 19468.66 |
| 3 | प्रशिक्षण व्यय Training Expenses | 1191.01 | 954.13 |
| 4 | किराया, दरें एवं कर Rents, rates & taxes | 67310.24 | 60904.51 |
| 5 | मरम्मत Repairs | 14099.69 | 16586.72 |
| 6 | मुद्रण एवं लेखा सामग्री Printing & Stationery | 14295.18 | 13556.42 |
| 7 | संचार व्यय Communication expenses | 27342.02 | 24717.61 |
| 8 | विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार Legal & professional charges | 3461.67 | 1487.63 |
| 9 | चिकित्सा गुल्क Medical Fees | 7571.89 | 5900.61 |
| 10 | लेखा परीक्षक शुल्क, व्यय आदि Auditors' fees, expenses etc. | | |
| | (क) लेखा परीक्षक के रूप में (a) as auditor | 947.82 | 735.96 |
| | (ख) सलाहकार के रुप में या निम्न संबंध में किसी भी क्षमता में (b) as adviser or in any other capacity in respect of | | |
| | (i) कराधान मामले (i) Taxation matters | 12.69 | 13.80 |
| | (ii) बीमा मामले (ii) Insurance matters | 0.00 | 0.00 |
| | (iii) प्रबंधन सेवाएं, तथा (iii) Management services; and | 13.46 | 0.00 |
| | ग) किसी भी अन्य क्षमता में c) in any other capacity | 9.63 | 0.49 |
| 11 | विज्ञापन एवं प्रचार Advertisement and publicity | 74829.75 | 48328.66 |
| 12 | ब्याज एवं बैंक प्रभार Interest & bank Charges | 8669.96 | 11361.95 |
| 13 | Others | | |
| | 1 भत्ते और कमीशन (बीमा एजेंटो के कमीशन के अलावा) Allowances and commission (other than commission to insurance agents) | 172507.10 | 192481.82 |
| | 2 निवेश सम्पत्ति पर व्यय Expense on Investment Property | 12265.01 | 13052.31 |
| | ³ पॉलिसी स्टॉम्प Policy stamps | 29934.77 | 18742.32 |





अनुसूची - 3 SCHEDULE - 3

बीमा व्यवसाय से सम्बन्धित परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

| | | विवरण Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|----|------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| | 4 | पावती स्टॉम्प Receipt stamps | 1218.30 | 1192.59 |
| | 5 | बिजली प्रभार Electricity charges | 21905.35 | 21894.38 |
| | 6 | मार्गस्थ रोकड़ तथा अन्य बीमा प्रीमियम Cash in transit and other insurance premia | 394.52 | 439.86 |
| | 7 | विविध च्यय Miscellaneous expenses | 56287.78 | 49252.21 |
| | 8 | मुख्य कार्यालय व्यय Head Office expenses | 78.11 | 171.70 |
| | 9 | विनिमय (लाभ) / हानि Exchange (Gain) / Loss | 117.13 | (497.38) |
| | 10 | गैर बीमा सहायक कंपनी के खर्चे Expenses of non insurance subsidiary company | 0.00 | 1346113.90 |
| 14 | | ऱ्हास reciation | 43618.58 | 41663.34 |
| 15 | | यम इत्यादी पर जी एस टी 「on Premium | 277759.53 | 292420.94 |
| | कुल TOI | TAL . | 3902018.55 | 4859684.13 |





0.00

0.00

अनुसूची - 4 **SCHEDULE - 4**

अदा किया गया लाभ (शुद्ध) **BENEFITS PAID (NET)**

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs) विवरण चालू वर्ष पिछला वर्ष **Particulars Previous Year Current Year** 1 बीमा दावें **Insurance Claims** (क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death 3663719.42 2392689.38 (ख) परिपक्कता दावें (b) Claims by Maturity 20726271.52 16917639.69 (ग) वार्षिकियाँ/पेन्शन भुगतान (c) Annuities/Pensions payment 1458040.00 1627842.54 (घ) अन्य लाभ (d) Other benefits (i) अभ्यर्पण Surrenders 9534866.03 8034755.10 (ii) नकद बोनस Bonuses in cash 0.00 0.00 (iii) अस्पताल भर्ती लाभ Hospitalisation Benefits 1615.37 1246.76 (iv) बडे शल्य लाभ Major Surgical Benefits 1442.16 1549.86 (v) आवासीय उपचार लाभ **Domicilliary Treatment Benefits** 1371.54 1161.61 (vi) दिन देखभाल लाभ Day Care Benefits 248.58 216.65 (vii) एकमुश्त लाभ/आय लाभ (किस्त द्वारा) Lump sum Benefit / Income Benefit (by installment) 2311.21 1379.89 (viii) अन्य दावा लागत-दावा न की गई राशि पर ब्याज Other Claims Cost- Interest on Unclaimed Amount 77013.94 85057.88 - अन्य / - Other 2174.60 1745.74 2 (पुनर्बीमा में अंतरित राशि): (Amount ceded in reinsurance): (क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death (86826.44)(44355.94)(ख) परिपक्वता दावें (b) Claims by Maturity 0.00 0.00 (ग) वार्षिकियाँ/पेंशन भ्गतान (c) Annuities/Pensions payment 0.00 0.00 (घ) अन्य लाभ (d) Other benefits (2986.97)(2650.39)3 पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि: Amount accepted in reinsurance: (क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death 0.00 0.00 (ख) परिपक्कता दावें (b) Claims by Maturity





अनुसूची - 4 SCHEDULE - 4

अदा किया गया लाभ (शुद्ध) BENEFITS PAID (NET)

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| विवरण | चालू वर्ष | पछला वर्ष |
|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Particulars | Current Year | Previous Year |
| (ग) वार्षिकियों/पेन्शन भुगतान | | |
| (c) Annuities/Pensions in payment | 0.00 | 0.00 |
| (घ) अन्य लाभ | | |
| (d) Other benefits | 0.00 | 0.00 |
| कुल / TOTAL | 35548634.64 | 28848905.09 |

अनुसूची - 5 SCHEDULE - 5

अंश पूँजी SHARE CAPITAL

| | | (₹ in lakhs) |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| विवरण Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
| 1 अ <mark>धिकृत पूंजी</mark> Authorised Capital समता अंश ₹ 10 प्रति अंश | 2500000.00 | N.A. |
| Equity Shares of ₹ 10 each 2 निर्गमित पूंजी Issued Capital | 632499.77 | N.A. |
| समता अंश ₹ 10 प्रति अंश Equity Shares of ₹ 10 each | 032499.77 | N.A. |
| 3 अभिदत्त पूंजी Subscribed Capital | 632499.77 | N.A. |
| समता अंश ₹ 10 प्रति अंश Equity Shares of ₹ 10 each | | |
| 4 प्रदत्त समत्ता पूंजी * Paid up Equity capital * | 0.00 | 10000.00 |
| जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के खंड 5 के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त (Provided by the Government of India in terms of Section 5 of the Life Insurance Corporation Act, 1956) | 0.00 | 10000.00 |
| 5 याचित पूँजी Called-up Capital | 632499.77 | N.A. |
| समता अंश ₹ 10 प्रति अंश Equity Shares of ₹ 10 each | | |
| घटाये: अदत्त माँग Less: Calls unpaid | - | - |
| जोड़ें: जब्त अंश (मूल रूप से भुगतान की गई राशि) Add : Shares forfeited (amount originally paid up) | - | - |
| घटाये : वापस खरीदे गए समता अंश का सममूल्य Less : Par value of Equity Shares bought back | - | - |
| घटाये : प्रारंभिक खर्च Less : Preliminary Expenses | - | - |





अनुसूची - 5 **SCHEDULE - 5**

अंश पँजी SHARE CAPITAL

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

विवरण चालू वर्ष पिछला वर्ष **Particulars Current Year Previous Year** जोखिम अंकन या अंशों की सदस्यता पर कमीशन या दलाली के खर्चा सहित । Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares. 632499.77 10000.00 कुल TOTAL

Notes:

- a) Particulars of the different classes of capital The Corporation holds only one class of capital i.e. Equity Capital
- b) The amount capitalised on account of issue of bonus shares ₹ 622499.77 lakh
- c) Capital held by a holding company N/A

नोट:

- क) पूंजी के विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण निगम के पास पूंजी का केवल एक ही प्रकार है जैसे समता पूंजी
- ख) बोनस शेयर जारी करने के कारण पूंजीकृत राशि ₹ 622499.77 लाख
- ग) धारक कंपनी द्वारा धारित पूंजी लागू नहीं
- *The Corporation was established by the act of Parliament with initial paid up capital of ₹ 10.000 Lakh made by the Government of India which was not in the form of equity shares. As such the number of shares are not applicable as at 31.03.2021 as the allotment of 6324997701 equity shares @₹10/- each was done during September 2021 in pursuant to Government of India's approval dated 06th September 2021 and Board Resolution dated 08 September, 2021. Accordingly, paid up capital of ₹ 10000 Lakhs was shown in the year preceding current period ended March 2021.
- * निगम की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा भारत सरकार द्वारा बनाई गई प्रारंभिक चुकता पूंजी के साथ की गई थी जो इक्विटी शेयरों के रूप में नहीं थी। जैसे कि शेयरों की संख्या 31.03.2021 को लागू नहीं होती है क्योंकि 6324997701 इक्विटी शेयरों का आवंटन @ ₹ 10 / - प्रत्येक सितंबर 2021 में भारत सरकार के अनुमोदन दिनांक 06 सितंबर 2021 और बोर्ड के संकल्प दिनांक 08 सितंबर 2021 के अनुसार किया गया था। तदनुसार, ₹ 10000 लाख की चुकता पूंजी मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष में दिखाई गई।

अनुसूची - 5 अ **SCHEDULE 5A**

अंशधारिता का स्वरूप (जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है) PATTERN OF SHAREHOLDING (As certified by the Management)

| विवरण Particulars | | चालू वर्ष Current Year | | वर्ष s Year |
|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | शेयर की संख्या Number of Shares | धारण का प्रतिशत % of Holding | शेयर की संख्या Number of Shares | धारण का प्रतिशत % of Holding |
| प्रवर्तक/ Promoters | | | | |
| · भारतीय – भारत के राष्ट्रपति · Indian - President of India · विदेशी | 6324997701 | 100.00 | N.A. | 100.00 |
| · Foreign | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| अन्य Others | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| कुल TOTAL | 6324997701 | 100.00 | | 100.00 |





अनुसूची - 6 SCHEDULE 6

आरक्षित निधि एवं अधिशेष (शेयरधारकों के) RESERVES & SURPLUS (SHAREHOLDERS)

| विवरण Particulars | चालू वर्ष Current Year | (₹ in lakhs पिछला वर्ष Previous Year |
|---|---------------------------|--|
| पूँजी आरक्षित निधि Capital Reserve | 46497.54 | 17439.49 |
| पूँजी मोचन आरक्षित निधि | | |
| Capital Redemption Reserve शेयर प्रीमियम | 0.00 | 0.00 |
| शेयर प्रीमियम Share Premium | 210.21 | 210.21 |
| पुनर्मुल्यांकन आरक्षित निधि Revaluation Reserve | | |
| प्रारंभिक शेष | 400.50 | 400.50 |
| Opening Balance | 196.56 | 196.56 |
| वर्ष के दौरान योग Additions during the year | 0.00 | 0.00 |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ | 0.00 | 0.00 |
| Deductions during the year | 0.00 | 0.00 |
| अंतिम शेष / Closing Balance | 196.56 | 196.56 |
| सामान्य आरक्षित निधि | 130.30 | 130.30 |
| General Reserves | | |
| प्रारंभिक शेष | | |
| Opening Balance | 622563.10 | 62274.79 |
| वर्ष के दौरान योग | | |
| Additions during the year | | |
| लाभ हानि लेखा से अग्नेषित Transfer from Profit and Loss Account | 2878.81 | 200056 69 |
| | 2878.81 | 290056.68 |
| अधिशेष के सरकारी हिस्सेदारी Retention of Government Share of Surplus | 0.00 | 270231.63 |
| एलआईसी (सिंगापुर) में प्रदत्त अंश पूंजी | | |
| Capital Infusion to LIC (Singapore) Pte. Ltd. | 0.00 | 0.00 |
| वर्ष के दौरान कटौती | | |
| Deductions during the period | | |
| बोनस शेयर जारी करने के कारण पूंजीकृत राशि Amount capitalised on account of issue of Bonus Shares | 622499.77 | 0.00 |
| अंतिम शेष / Closing Balance | 2942.14 | 622563.10 |
| घटाएं : लाभ हानि लेखे मे नामे अधिशेष. यदि कोई हो | 2942.14 | 622563.10 |
| Less : Debit balance in Profit and Loss Account, if any | 0.00 | 0.00 |
| घटाएं : पुर्नखरीद के लिए प्रयुक्त राशि | | |
| Less: Amount utilized for Buy-back | 0.00 | 0.00 |
| आपातकालीन आरक्षित निधि | | |
| Catastrophe Reserve | 1234.89 | 992.03 |
| अन्य आरक्षित निधि | | |
| Other Reserves | | |
| क) विनिमय उतार-चढाव आरक्षित निधि | 10054 14 | 44.440.50 |
| a) Exchange Fluctuation Reserve | 16951.44 | 11446.59 |
| ख) अन्य b) Others | 6507.48 | 6413.64 |
| | 0007.48 | 0413.04 |
| | | 44005 40 |
| Balance of profit in Profit and Loss Account | 417513.75 | 11285.42 |





अनुसूची – 6 क SCHEDULE 6A

बीमा आरक्षित निधि (पॉलिसीधारकों के) INSURANCE RESERVES (POLICYHOLDERS)

| विवरण Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|--|---|-----------------------------|
| | 2642.72 | 2644.45 |
| Capital Redemption Reserve | 0.00 | 0.00 |
| Share Premium | 0.00 | 0.00 |
| Revaluation Reserve | | |
| Opening Balance | 1227864.83 | 1318567.66 |
| Additions during the period | 2992.78 | 0.00 |
| · | 0.00 | 90702.83 |
| Closing Balance | 1230857.61 | 1227864.83 |
| General Reserves | | |
| Opening Balance | 77.30 | 18755.81 |
| Additions during the period | 0.00 | 0.00 |
| Deductions during the period | 0.00 | 18678.51 |
| Closing Balance | 77.30 | 77.30 |
| Less : Debit balance in Profit and Loss Account, if any | 0.00 | 0.00 |
| Less: Amount utilized for Buy-back | 0.00 | 0.00 |
| Equalisation Reserve | 0.00 | 0.00 |
| Opening Balance | 0.00 | 0.00 |
| Additions during the period | 0.00 | 0.00 |
| Deductions during the period | 0.00 | 0.00 |
| Closing Balance | 0.00 | 0.00 |
| Catastrophe Reserve | 0.00 | 0.00 |
| Other Reserves | | |
| Investment Reserve | 0.00 | 0.00 |
| (ii) विनिमय उतार चढाव आरक्षित निधि Exchange Fluctuation Reserve | 272609.45 | 234666.01 |
| | पूँजी आरक्षित निधि Capital Reserve पूँजी मोचन आरक्षित निधि Capital Redemption Reserve शेयर प्रीमियम Share Premium पुनर्पुल्यांकन आरक्षित निधि Revaluation Reserve प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान योग Additions during the period वर्ष के दौरान करौतियाँ Deductions during the period अंतिम शेष Closing Balance सामान्य आरक्षित निधि General Reserves प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान करौतियाँ Deductions during the period अंतिम शेष Closing Balance वर्ष के दौरान करौतियाँ Deductions during the period वर्ष के दौरान करौतियाँ Deductions during the period अंतिम शेष Closing Balance घटाएं : लाभ हानि लेखे मे नामे अधिशेष. यदि कोई हो Less: Debit balance in Profit and Loss Account, if any घटाएं : पुनंखरीद के लिए प्रयुक्त राशि Less: Amount utilized for Buy-back आपातकालीन आरक्षित निधि Equalisation Reserve प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान करौतियाँ Deductions during the period अंतिम शेष Closing Balance आपातकालीन आरक्षित निधि Catastrophe Reserve आन्य आरक्षित निधि Catastrophe Reserve आन्य आरक्षित निधि Cher Reserves (i) निवेश आरक्षित । | स्त अगरिक्षत निषि |





अनुसूची – 6 क SCHEDULE 6A

बीमा आरक्षित निधि (पॉलिसीधारकों के) (जारी) INSURANCE RESERVES (POLICYHOLDERS) (Contd.)

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| विवरण Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| (iii) अन्य | | |
| Others | 1964.94 | 7454.39 |
| 9 लाभ-हानि लेखे में शेष लाभ | | |
| Balance of profit in Profit and Loss Account | - | - |
| प्रारंभिक शेष | | |
| Opening balance | (201561.57) | (489944.35) |
| वर्ष के दौरान योग | | |
| Additions during the period | 420265.86 | (592883.14) |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ | | |
| Deductions during the period | (17573.59) | 881265.92 |
| अंतिम शेष | , | |
| Closing balance | 201130.70 | (201561.57) |
| कुल / Total | 1709282.72 | 1271145.41 |

अनुसूची - 7 SCHEDULE 7

उधारी BORROWINGS

| | विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | Particulars | Current Year | Previous Year |
| 1 ऋण पत्र / बन्ध पत्र | | | |
| Debentures/Bonds | | 0.00 | 0.00 |
| 2 बैंक | | | |
| Banks | | 0.00 | 0.00 |
| 3 वित्तीय संस्थान | | | |
| Financial Institutions | | 0.00 | 0.00 |
| 4 अन्य | | | |
| Others | | 128.85 | 366.50 |
| | कुल | | |
| | TOTAL | 128.85 | 366.50 |





अनुसूची - 8 SCHEDULE 8

निवेश (शेयरधारकों के) INVESTMENTS - SHAREHOLDERS

| | विवरण Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|---|--|---------------------------|-----------------------------|
| | दीर्घवधि निवेश LONG TERM INVESTMENTS | | |
| 1 | खजाने की बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटित बन्ध पत्र | | |
| • | Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills | 363800.57 | 29405.16 |
| 2 | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ | | |
| | Other Approved Securities | 0.00 | 380.16 |
| 3 | अन्य निवेश | | |
| | Other Investments | | |
| | (क) शेयर | | |
| | (a) Shares | | |
| | (कक) इक्किटी | | |
| | (aa) Equity | 8412.71 | 7248.51 |
| | (खख) अधिमानी | | |
| | (bb) Preference | 0.00 | 0.00 |
| | (ख) सहयोग निधि | 0.00 | 2.22 |
| | (b) Mutual Funds | 0.00 | 0.00 |
| | (ग) व्युप्तन्न प्रपन्न | 0.00 | 0.00 |
| | (c) Derivative Instruments | 0.00 | 0.00 |
| | (되) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र | 0720.00 | F000 00 |
| | (d) Debentures/Bonds | 9739.86 | 5269.90 |
| | (ड) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities | 0.93 | 0.93 |
| | • • | 0.93 | 0.93 |
| | (च) सहायक/सहभागी/संयुक्त उद्यम (f) Subsidiaries/Associates/Joint Ventures | 781.46 | 665.66 |
| | (छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा | 701.40 | 000.00 |
| | (g) Investment Properties - Real Estate | 135.74 | 164.92 |
| 4 | बुनियादी सुविधाओं तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश | 100.71 | 101.02 |
| 4 | Investments in Infrastructure and Social Sector | 0.00 | 0.00 |
| 5 | अनुमोदित निवेशो के अतिरिक्त अन्य निवेश | | |
| J | Other than Approved Investments | 0.00 | 0.00 |
| 6 | संदिग्ध निवेश के लिए प्रावधान | | |
| Ü | Provision for Doubtful Investments | (587.51) | (587.51) |
| | अल्पावधि निवेश | | |
| | SHORT TERM INVESTMENTS | | |
| | | | |
| 1 | खजाने की बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटित बन्ध-पत्र | | |
| | Government securities and Government guaranteed bonds including | | |
| | Treasury Bills | 0.00 | 0.00 |
| 2 | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities | 0.00 | 0.00 |
| 3 | अन्य निवेश/ Other Investments | | |
| | (क) शेयर | | |
| | (a) Shares | | |
| | (क क) इकिटी | | |
| | (a a) Equity | 0.00 | 0.00 |
| | (ख ख) अधिमानी | | |
| | (b b) Preference | 0.00 | 0.00 |
| | | | |



| | विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|--|--------------|---------------|
| | Particulars | Current Year | Previous Year |
| | (ख) सहयोग निधि | | |
| | (b) Mutual Funds | 140622.08 | 92.59 |
| | (ग) व्युप्तन्न प्रपत्र | | |
| | (c) Derivative Instruments | 0.00 | 0.00 |
| | (घ) ऋण-पत्र/बन्ध पत्र | | |
| | (d) Debentures/Bonds | 0.00 | 0.00 |
| | (ड) अन्य प्रतिभूतियाँ | | |
| | (e) Other Securities (to be specified) | 0.00 | 0.00 |
| | (च) सहायक | | |
| | (f) Subsidiaries | 0.00 | 0.00 |
| | (छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा | | |
| | (g) Investment properties - Real Estate | 0.00 | 0.00 |
| 4 | बुनियादी सुविधायों तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश | | |
| | Investments in Infrastructure and Social Sector | 0.00 | 0.00 |
| 5 | अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश | | |
| | Other than Approved Investments | 0.00 | 0.00 |
| 6 | संदिग्ध एवं अवसामान्य संपत्तियो के लिए प्रावधान | | |
| | Provision for Doubtful and Substandard assets | 0.00 | 0.00 |
| | कुल Total | 522905.84 | 42640.32 |





अनुसूची – 8 क SCHEDULE 8A

निवेश (शेयरधारकों के) INVESTMENTS - POLICYHOLDERS

| | विवरण Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|---|--|---------------------------|-----------------------------|
| | दीर्घवधि निवेश LONG TERM INVESTMENTS | | |
| 1 | खजाने की बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटित बन्ध पत्र | | |
| | Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills | 245619528.12 | 229745618.30 |
| 2 | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities | 1869160.56 | 2225141.06 |
| 3 | (क) शेयर (a) Shares | | |
| | (कक) इक्विटी | | |
| | (aa) Equity | 76938467.40 | 59428793.23 |
| | (खख) अधिमानी | | |
| | (bb) Preference | 0.00 | 0.00 |
| | (ख) सहयोग निधि | | |
| | (b) Mutual Funds | 736526.79 | 494418.43 |
| | (ग) व्युप्तन्न प्रपत्र | 0.00 | 0.00 |
| | (c) Derivative Instruments | 0.00 | 0.00 |
| | (घ) ऋण−पत्र ∕बन्ध−पत्र (d) Debentures / Bonds | 8661996.64 | 7886956.50 |
| | (द) अन्य प्रतिभृतियाँ | 0001990.04 | 7000930.30 |
| | (७) Other Securities | | |
| | भारत सरकार के साथ विशेष जमा | | |
| | Special Deposit with Government of India | 0.00 | 0.00 |
| | सामाजिक सुरक्षा निधि के साथ जमा | | |
| | Deposits with Social Security Fund | 0.00 | 0.00 |
| | अन्य प्रतिभूतियाँ तथा बन्ध-पत्र | | |
| | Other Securities & Bonds | 22125.28 | 24158.85 |
| | यू टी आई II कैपिटल में प्रारंभिक अंशदान Initial Contribution to UTI II Capital | 0.00 | 0.00 |
| | (च) सहायक/सहभागी/संयुक्त उद्यम | | |
| | (f) Subsidiaries / Joint ventures/ Associates | 3415782.94 | 2759113.13 |
| | (छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा | | |
| | (g) Investment Properties - Real Estate | 1439669.02 | 1439515.10 |
| 4 | बुनियादी सुविधाओं तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector | 29923192.53 | 27947354.25 |
| 5 | अनुमोदित निवेशो के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments | 13978626.01 | 11575990.11 |
| 6 | संदिग्ध निवेश के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Investments | (1203977.17) | (1997083.64) |
| | अल्पावधि निवेश SHORT TERM INVESTMENTS | | |
| 1 | खजाने की बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटित बन्ध-पत्र | | |
| | Government securities and Government guaranteed bonds | | |
| | including Treasury Bills | 6395455.72 | 5105570.98 |
| 2 | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ | 25,4000,00 | 000044.54 |
| | Other Approved Securities | 354906.28 | 366214.51 |





| | विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|--|--------------|---------------|
| | Particulars | Current Year | Previous Year |
| 3 | अन्य निवेश | | |
| | Other Investments: | | |
| | (क) शेयर | | |
| | (a) Shares | | |
| | (क क) इक्विटी | | |
| | (aa) Equity | 0.00 | 0.00 |
| | (ख ख) अधिमानी | | |
| | (bb) Preference | 0.00 | 0.00 |
| | (ख) सहयोग निधि | | |
| | (b) Mutual Funds | 1659658.02 | 1185264.37 |
| | (ग) व्युप्तन्न प्रपत्र | | |
| | (c) Derivative Instruments | 0.00 | 0.00 |
| | (घ) ऋण-पत्र/बन्ध पत्र | | |
| | (d) Debentures/Bonds | 610157.33 | 154613.29 |
| | (ड) अन्य प्रतिभूतियाँ | | |
| | (e) Other Securities | | |
| | वाणिज्यिक पत्र | | |
| | Commercial Papers | 0.00 | 0.00 |
| | भारत सरकार के पास विशेष जमा | | |
| | Special Deposit with Government of India | 0.00 | 0.00 |
| | (च) सहायक | | |
| | (f) Subsidiaries | 0.00 | 0.00 |
| | (छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा | | |
| | (g) Investment properties - Real Estate | 0.00 | 0.00 |
| 4 | बुनियादी सुविधायों तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश | | |
| | Investments in Infrastructure and Social Sector | 624184.50 | 1383875.35 |
| 5 | अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश | | |
| | Other than Approved Investments | 1296556.79 | 1336195.34 |
| 6 | संदिग्ध एवं अवसामान्य संपत्तियो के लिए प्रावधान | | |
| | Provision for Doubtful and Substandard assets | (1199742.20) | (1217635.48) |
| | कुल/ Total | 391142274.56 | 349844073.68 |





अनुसूची - 8 ख SCHEDULE 8B

संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसंपत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES

| | विवरण Particulars | चालू वर्ष Current Year | (₹ in lakhs) पिछला वर्ष Previous Year |
|---|---|---------------------------|---|
| | दीर्घवधि निवेश LONG TERM INVESTMENTS | | |
| 1 | खजाने की बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटित बन्ध पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills | 737931.27 | 695324.41 |
| 2 | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ | | |
| 3 | Other Approved Securities (क) शेयर (a) Shares | 424.12 | 6781.12 |
| | (कक) इक्किटी (aa) Equity (खख) अधिमानी | 1182272.21 | 1227009.55 |
| | (bb) Preference (ख) सहयोग निधि | 0.00 | 0.00 |
| | (b) Mutual Funds (ग) व्युप्तन्न प्रपत्र | 2155.16 | 2729.20 |
| | (c) Derivative Instruments (ঘ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र | 0.00 | 0.00 |
| | (d) Debentures / Bonds (ड) अन्य प्रतिभृतियाँ | 15912.84 | 20167.71 |
| | (e) Other Securities | 0.00 | 0.00 |
| | (च) सहायक (f) Subsidiaries | 0.00 | 0.00 |
| 4 | (छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment Properties - Real Estate | 0.00 | 0.00 |
| 5 | बुनियादी सुविधाओं तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector | 182324.81 | 210996.29 |
| Ü | अनुमोदित निवेशो के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments अल्पावधि निवेश SHORT TERM INVESTMENTS | 69909.99 | 69234.91 |
| 1 | खजाने की बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटित बन्ध-पत्र Government securities and Government guaranteed bonds | | |
| 2 | including Treasury Bills अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ | 56639.62 | 93480.14 |
| 3 | Other Approved Securities (क) शेयर (a) Shares | 1325.52 | 0.00 |
| | (क क) इक्रिटी (aa) Equity | 0.00 | 0.00 |
| | (ख ख) अधिमानी (bb) Preference | 0.00 | 0.00 |
| | (ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds | 92594.10 | 130727.47 |
| | (ग) व्युप्तन्न प्रपत्र) (c) Derivative Instruments | 0.00 | 0.00 |
| | (घ) ऋण-पत्र/बन्ध पत्र (d) Debentures/Bonds | 7.53 | 1219.66 |
| | (इ) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities | 0.00 | 7500.00 |



| | विवरण Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|---|---|---------------------------|-----------------------------|
| | (च) सहायक | | |
| | (f) Subsidiaries | 0.00 | 0.00 |
| | (छ) निवेश संपत्तियाँ – संपदा | | |
| | (g) Investment properties - Real Estate | 0.00 | 0.00 |
| 4 | बुनियादी सुविधायों तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश | | |
| | Investments in Infrastructure and Social Sector | 24021.81 | 69681.52 |
| 5 | अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश | | |
| | Other than Approved Investments | 0.00 | 0.00 |
| | चालू परसम्पत्तियाँ | | |
| • | Current Assets | | |
| 6 | रोकड़ एवं बैंक में अतिशेष | | |
| | Cash & Bank Balance | | |
| | रोकड़ | 5770.04 | 0000 40 |
| | Cash (including cheques, drafts and stamps) | 5779.81 | 3269.48 |
| | बैंक में अतिशेष | | |
| | Bank Balance (Deposits) | | |
| | (क) जमा (a) Deposits | | |
| | | | |
| | (कक) अल्पावधि (aa) Short term | 0.00 | 0.00 |
| | (ख ख) अन्य | 0.00 | 0.00 |
| | (৬ ৬) সন্দ (bb) Others | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| | (ख) चालू खाता (b) Current Accounts | 8505.37 | 801.12 |
| | (ग) अन्य | | |
| _ | (c) Others | 0.00 | 0.00 |
| 7 | अग्रिम Advances | | |
| | अन्य अग्रिम | | |
| | Other Advances | 2011.00 | 8403.42 |
| | निवेशो पर बकाया / अर्जित आय | | |
| | Income outstanding/accrued on investments | 16921.97 | 35786.27 |
| | कुल (क) – चालू परिसम्पत्तियाँ | | |
| | Total (A)- Current Assets | 33218.15 | 48260.29 |
| 8 | चालू दायित्व | | |
| | Current Liabilities | | |
| | फुटकर लेनदेन | | |
| | Sundry Creditors | 2929.29 | 3110.12 |
| | बकाया दावा | 4.45.00 | 404.70 |
| | Claims outstanding | 145.68 | 181.76 |
| | प्रीमियम एवं अन्य जमा | 4.70 | 1.01 |
| | Premium and other deposits | 1.73 | 1.91 |
| | जीवन विभाग चालू खाता | (211 21) | (717677 20) |
| | Life department current account | (211.31) | (717677.20) |
| | कुल (ख) चालू दायित्व Total (B)- Current Liabilities | 2865.39 | (714383.41) |
| | | 2003.39 | (114303.41) |
| | शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (क-ख) Net current assets (A-B) | 30352.76 | 762643.70 |
| | | 2395871.74 | 3297495.68 |
| | कुल / Total | 23938/1./4 | 3297495.68 |





अनुसूची - 9 SCHEDULE 9

ऋण LOANS

| | | (₹ in lakhs) |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| विवरण Particulars | चालू वर्ष Current Year | पিछला वर्ष Previous Year |
| प्रतिभूतिवार वर्गीकरण SECURITY - WISE CLASSIFICATION | | |
| रिक्षत / Secured | | |
| (क) संपत्ति के बंधक रखने पर (a) On mortgage of property | | |
| (कक) भारत में (aa) In India | 1089893.68 | 1197071.34 |
| (खख) भारत के बाहर (bb) Outside India | 1093.19 | 3133.07 |
| (ख) शेयरों, बंधपत्रो, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि पर (b) On Shares, Bonds, Govt. Securities, etc. | 0.00 | 0.00 |
| (ग) पॉलिसियों पर ऋण (c) Loans against Policies | 10558440.56 | 10201233.44 |
| (घ) अन्य (d) Others | | |
| सरकार द्वारा गारंटित Guaranteed by Government | 266430.60 | 370692.04 |
| गिरवी Hypothecation | 87338.79 | 86974.66 |
| एएनएफ अग्रिम** ANF Advances** | 0.02 | 0.02 |
| अनारक्षित ऋण Unsecured Loans | 225011.01 | 281322.17 |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Loans | (1124820.13) | (1264060.22) |
| कुल / Total | 11103387.72 | 10876366.52 |
| उधारकर्तावार वर्गीकरण BORROWER - WISE CLASSIFICATION (क) केंद्र तथा राज्य सरकार | | |
| (a) Central and State Governments | 187437.49 | 233074.89 |
| (ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थान (b) Banks and Financial Institutions | 0.00 | 0.00 |
| (ग) सहायक (c) Subsidiaries | 0.00 | 0.00 |
| (घ) कंपनियाँ (d) Companies | 1073195.45 | 1164282.07 |
| (ड) पॉलिसियो पर ऋण (e) Loans against policies | 10558440.56 | 10201233.44 |
| (회) अन्य (f) Others | | |
| बंधक संपत्ति Mortgage Property | 30234.57 | 32978.32 |
| महानगरपालिकाएँ Municipalities | 4452.50 | 5280.53 |
| राज्य विद्युतमंडल / ऊर्जा उत्पादक State Electricity Boards/ Power Generators | 86090.19 | 130493.47 |
| राज्य सड़क परिवहन निगम State Road Transport Corporation | 616.00 | 616.00 |
| सहकारी आवास संस्थाएँ Housing Co-op Societies | 26572.06 | 38233.64 |
| सिंचन क्षेत्र Irrigation Sector | 1999.98 | 2666.64 |
| डब्ल्यू.एस.बी., एस.एफ.सी. पी.टी.आर. ओ.टी.एच., एल.डी.बी, आदी* WSB, SFC, PTR,OTH,LDB Etc.* | 259168.41 | 331567.10 |
| एएनएफ अग्रिम** ANF Advances** | 0.02 | 0.02 |
| अन्य ऋण Other Loans | 0.62 | 0.62 |
| | | |





अनुसूची - 9 SCHEDULE 9

ऋण (जारी) LOANS (Contd.)

| | विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|--|---------------|---------------|
| | Particulars | Current Year | Previous Year |
| | (छ) अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (g) Provision for bad and doubtful debts | (1124820.13) | (1264060.22) |
| | कुल Total | 11103387.72 | 10876366.52 |
| 3 | निष्पादनवार वर्गीणकर PERFORMANCE - WISE CLASSIFICATION (क) वर्गीकृत मानक ऋण | | |
| | (a) Loans classified as standard (करु) भारत में (aa) In India | 11015087.73 | 10810504.91 |
| | (खख) भारत के बाहर (bb) Outside India | 131082.34 | 113983.00 |
| | मानक ऋण के लिए प्रावधान Provision for Standard Loans (ख) गैर मानक ऋण | (50600.70) | (11353.58) |
| | (b) Non-standard loans | | |
| | (aa) भारत में / In India | 1081108.57 | 1212992.67 |
| | (bb) भारत के बाहर /Outside India | 929.21 | 2946.16 |
| | गैर मानक ऋण के लिए प्रावधान Provision for Non Standard Loans | (1074219.43) | (1252706.64) |
| | कुल Total | 11103387.72 | 10876366.52 |
| 4 | परिपक्कता – वार वर्गीकरण MATURITY - WISE CLASSIFICIATION (क) अल्पावधि / (a) Short Term | | |
| | भारत में / In India | 486116.78 | 1017758.66 |
| | भारत के बाहर / Out of India | 1060.94 | 1744.04 |
| | अल्पाविध के लिए प्रावधान Provision for Short Term | (450845.70) | (441711.58) |
| | (ख) दीर्घाविध (b) Long Term | (1888-18.179) | (111711.00) |
| | भारत में / In India | 11610079.51 | 11005738.92 |
| | भारत के बाहर / Out of India | 130950.62 | 115185.12 |
| | दीर्घावधि के लिए प्रावधान | 10000.02 | |
| | Provision for Long Term | (673974.43) | (822348.64) |
| | कुल Total | 11103387.72 | 10876366.52 |

^{*} जल राज्य बोर्ड (डब्ल्यूएसबी), राज्य वित्तीय निगम (एसटीएफ), पोर्ट टर्स्ट (पीटीआर), अन्य (एस टी एफ), भूमि विकास बैंक (एलडीबी)

^{**} स्वचालित गैर जब्ती (ए एन एफ)

^{*}Water State Board (Wsb), State Financial Corporation (Stf), Port Turst (Ptr), Others (Oth), Land Development Bank (Ldb)

^{**}Automated Non Forfeiture (Anf)



LIC

WITCH Z STICE AFTH FOUR

HISTORANCE CORPORATION OF INDIA

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

अचल परिसंपत्तियाँ FIXED ASSETS

| | | | सकल ब्लॉक | | | | म्लयन्द्रास | मूल्य-हास परिशोधन और हानि | हानि | | कुल शुद्ध ब्लॉक | (< in lakins) ब्लॉक |
|---|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|---|------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| - विवस्ण Particulars | प्रारंभिक Opening | <u>म</u> | Gross Block Gross Block Brothař | विनिमय लाभ / हानि समायोजन | अंतिम Closing | D पिछले वर्ष तक | epreciation/A वर्ष के लिए | ×8 | Impairment विनिमय लाभ / हानि समायोजन | तारीख तक | lotal Net वर्ष के अंत में As at | Block पिछला वर्ष Previous |
| | 01.04.2021 | Additions | Deductions | Adjustment Exchange Gain/Loss | 31.03.2022 | Upto Last year | For The year | On Sales/ Adjustment* | Adjustment Exchange Gain/Loss | Up to Date | March 31 2022 | Year |
| ख्याति Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00.00 | 00:00 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 0.00 |
| अमूर्त Intangibles | 6543.88 | 0.00 | 0.00 | (54.48) | 6489.40 | 3803.99 | 79.78 | (512.55) | (26.68) | 4369.64 | 2119.76 | 2739.89 |
| भूमि-पूर्ण संपदा Land-Freehold | 9644.67 | 7085.80 | 1884.74 | 0.00 | 14845.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14845.73 | 9644.67 |
| पट्टा-भूमि Land-Leasehold | 8187.58 | 492.45 | 4.15 | 00.00 | 8675.88 | 939.11 | 82.93 | 0.00 | 0.00 | 1022.04 | 7653.84 | 7248.47 |
| भवन Buildings | 309983.80 | 19899.00 | 4738.62 | 00.00 | 325144.18 | 83356.85 | 7647.45 | 208.43 | 0.00 | 90795.87 | 234348.31 | 226626.95 |
| फनींचर एवं फिटिंग Furniture & Fittings | 49659.27 | 2218.48 | 506.52 | (25.23) | 51346.00 | 38546.75 | 2516.71 | 528.34 | (18.24) | 40516.88 | 10829.12 | 11112.52 |
| सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर Information Technology Equipment | 166885.43 | 9751.04 | 3483.87 | 1.58 | 173154.18 | 128062.85 | 19264.53 | 3350.76 | 2.58 | 143979.20 | 29174.98 | 38822.58 |
| बाहन Vehicles | 98657.15 | 14771.87 | 4108.56 | (28.28) | 109292.18 | 67694.68 | 11873.68 | 3366.71 | (22.32) | 76179.33 | 33112.85 | 30962.47 |
| कार्यालय उपस्कर Office Equipment | 7069.28 | 395.50 | 218.95 | (15.96) | 7229.87 | 6216.60 | 377.92 | 227.50 | (10.60) | 6356.42 | 873.45 | 852.68 |
| अন्य/ Others | | | | | | | | | | | | |
| टेलिफोन Telephones | 1467.97 | 5.34 | 11.13 | 0.25 | 1462.43 | 1294.03 | 31.37 | 10.36 | 0.24 | 1315.28 | 147.15 | 173.94 |
| फैक्स/इपीएबीएक्स Fax/ EPabx | 253.29 | 0.61 | 10.57 | 00.00 | 243.33 | 251.36 | 0.73 | 10.62 | 0.00 | 241.47 | 1.86 | 1.93 |
| मोबाईल फोन Mobile Phones | 51.53 | 4.98 | 0.45 | 00.00 | 56.06 | 38.07 | 6.36 | 0.49 | 0.00 | 43.94 | 12.12 | 13.46 |
| पुस्तकालय की पुस्तके Library books | 30.75 | 0.12 | 0.40 | 0.00 | 30.47 | 29.96 | 0.56 | 0.49 | 0.00 | 30.03 | 0.44 | 0.79 |
| विविध पूँजी उपस्कर Miscellaneous Capital Equipment | 6169.32 | 216.78 | 35.62 | 8.58 | 6359.06 | 4505.77 | 316.92 | 35.77 | 8.40 | 4795.32 | 1563.74 | 1663.55 |
| दुष्यश्राच्य तथा अन्य सम्बन्धित प्रचार उपस्कर Audio visual and other allied publicity equipment | 7816.22 | 504.09 | 80.29 | (3.21) | 8236.81 | 6567.05 | 562.17 | 55.45 | (2.65) | 7071.12 | 1165.69 | 1249.17 |
| इंजीनीयरिंग विभाग उपस्कर Engineering Dept. equipment | 6.74 | 15.71 | 0.00 | 00.00 | 22.45 | 6.54 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 6.56 | 15.89 | 0.20 |
| वोल्टेज स्टेबलाइजर तथा यू.पी.एस. Voltage stabilizers and UPS | 15319.43 | 709.14 | 241.63 | 0.03 | 15786.97 | 13864.58 | 863.59 | 258.43 | 0.02 | 14469.76 | 1317.21 | 1454.85 |

अनुसूची – 10 SCHEDULE 10



65^{वीं} वार्षिक रिपोर्ट Annual Report

अचल परिसंपत्तियाँ (जारी)

अनुसूची *–* 10 SCHEDULE 10

| ट्रिस्टा – 10 CHEDULE 10 | | | E ZI | FIXED ASSETS (Contd.) | (Contd.) | | | | | | (₹ लाखों में) (₹ in lakhs) |
|-----------------------------|---|-----------------------------|--|--------------------------------|--|---|--|--|------------------------|--|---------------------------------|
| | | सकल ब्लॉक Gross Block | 15 X | | | मूल्य-हास परिशोधन और हानि Depreciation/Amortisation & Impairment | मूल्य-हास परिशोधन और हानि :iation/Amortisation & Impa | र हानि Impairment | | कुल शुद्ध ब्लॉक Total Net Block | ब्लॉक Block |
| तिवरण Particulars | प्रारंभिक जोड् Opening Additions 01.04.2021 | इ कटौतयाँ ons Deductions | विनिमय लाभ / हानि समायोजन Adjustment Exchange Gain/Loss | अंतिम Closing 31.03.2022 | पिछले वर्ष तक वर्ष के लिए Upto Last year For The year | वर्ष के लिए For The year | विक्री / समायोजन पर On Sales/ Adjustment* | विनिमय लाभ समायोजन Adjustment Exchange Gain/Loss | तारीख तक Up to Date | वर्ष के अंत में As at March 31 2022 | पिछ्ला वर्ष Previous Year |

| | | | सकल ब्लाक Gross Block | | | | मूल्य-हा Depreciation// | मूल्य-हास पारशाधन आर हाान Depreciation/Amortisation & Impairment | र हानि Impairment | | कुल शुद्ध ब्लाक Total Net Block | ब्लाक Block |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|--|------------------------|--|--------------------------------|
| विवस्या Particulars | प्रारंभिक Opening 01.04.2021 | जोड़ Additions | कटौतियाँ Deductions | विनिमय लाभ / हानि समायोजन Adjustment Exchange Gain/Loss | अंतिम Closing 31.03.2022 | पिछले वर्ष तक Upto Last year | वर्ष के लिए For The year | विक्री / समायोजन पर On Sales/ Adjustment* | विनिमय लाभ मायोजन समायोजन Adjustment Exchange Gain/Loss | तारीख तक Up to Date | वर्ष के अंत में As at March 31 2022 | पिछला वर्ष Previous Year |
| क्सिए के भवनोपर जनरेटर, डी.जी. सेटस् Generators, DG sets in rented premises | 194.04 | 9.25 | 4.74 | 00:00 | 198.55 | 191.37 | 2.43 | 5.65 | 0.00 | 188.15 | 10.40 | 2.67 |
| कुल / Total | 687940.35 | 56080.16 | 15330.24 | (116.72) | 728573.55 | 355369.56 | 43627.16 | 7546.46 | (69.25) | 391381.01 | 337192.54 | 332570.79 |
| प्रगति पर कार्य Work in Progress | 14831.80 | 14831.80 15613.71 | 10570.10 | 0.00 | 19875.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19875.41 | 14831.80 |
| सकल कुल / Grand Total | 702772.15 | 71693.87 | 25900.34 | (116.72) | 748448.96 | 355369.56 | 43627.16 | 7546.46 | (69.25) | 391381.01 | 357067.95 | 347402.59 |





अनुसूची - 11 SCHEDULE - 11

रोकड़ एवं बैंक में अतिशेष **CASH AND BANK BALANCES**

| | | | (K III laktis |
|---|---|---------------------------|-----------------------------|
| | विवरण Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
| नकद (चेक, ड्राफ्ट एवं र Cash (including cheque) | न्टॉम्प सहित) ues, drafts and stamps) | 393742.46 | 333980.28 |
| 2 बैंक जमा Bank Balances | | | |
| (क) जमा खाता (a) Deposit Accounts | | | |
| (कक) अल्पावधि (र (aa) Short-term (d | ुलन पत्र की तारीख से १२ महिनों केभीतर देय) ue within 12 months of the date of Balance Sheet) | 382110.54 | 328978.24 |
| (खख) अन्य (bb) Others | | 421228.01 | 417113.34 |
| (ख) चालू खाता (b) Current Accounts | | 2071789.19 | 1797131.59 |
| (ग) अन्य (c) Others | | 0.00 | 140.00 |
| 3 मांगने पर और अल्प सूच Money at Call and Sh | ना पर धन ort Notice | | |
| (क) बैंक में (a) With Banks | | 1926.89 | 8875.94 |
| (ख) अन्य संस्थानों में (b) With other Institut | ions | 0.01 | 0.01 |
| (c) Others- Repurchas | ामझौते पर पुनर्खरीद विकल्प (आर.इ.पी.ओ.एस.) sing Option on Repurchase Agreement (REPOS) ा उधार लेनदेन संबंधी दायित्व (सीबीएलओ) | 0.00 | 0.00 |
| (d) Collaterised Borro | wing and Lending Obligation (CBLO) | 1155947.49 | 685134.74 |
| 4 अन्य : मार्गस्त प्रोषस्त ध Others - Remittances | | 45689.90 | 36477.72 |
| | कुल Total | 4472434.49 | 3607831.86 |
| गैर अनुसूचित बैंको की : Balances with non-scl 2 and 3 above.* | शेष उपरोक्त 2 तथा 3 में सम्मिलित है ⊹ neduled banks included in | | |
| रोकड़ एवं बैंक में अति CASH & BANK BAL | शेष ANCES | | |
| 1 भारत में In India | | 3742483.82 | 3023207.02 |
| 2 भारत के बाहर | | 700050.07 | E04004.04 |
| Outside India | | 729950.67 | 584624.84 |

^{*}स्थानीय विधि के अनुसार विदेशी शाखाओं के बैंक खातों के अलावा *Excluding bank accounts of foreign branches which are held as per local laws.





अनुसूची - 12 SCHEDULE - 12

अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ ADVANCES AND OTHER ASSETS

| | विवरण Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|---|---|---------------------------|-----------------------------|
| | अग्रिम / ADVANCES | | |
| 1 | अंतरण कंपनियों में आरक्षित जमा Reserve deposits with ceding companies | 0.00 | 0.00 |
| 2 | अंतरण कंपनियों को अग्रिम Advances to ceding companies | 0.00 | 0.00 |
| 3 | निवेशो के लिए आवेदन धन Application money for investments | 4999.91 | 29235.75 |
| 4 | पहले भुगतान / पूर्वदत्त खर्च Prepayments/Prepaid Expenditure | 73555.56 | 56221.39 |
| 5 | अधिकारियों / निदेशकों को अग्रिम Advances to Officer/Directors | 134.35 | 108.61 |
| 6 | अदा किया गया अग्रिम कर एवं स्त्रोत कर कटौती Advance tax paid and taxes deducted at source | 3229367.10 | 3293396.51 |
| 7 | अन्य / Others कर्मचारियों को अग्रिम Advances to employees | 97962.48 | 108362.63 |
| | अन्य को अग्रिम Advances to others | 12533.13 | 5656.01 |
| | जमा Deposits | 6640.03 | 6822.42 |
| | अन्य अग्रिम Other advances | 114188.97 | 85395.24 |
| | फुटकर देनदार, अग्रिम तथा जमा के लिए ग्रावधान Provision for sundry debtors, advances and deposits | (17955.72) | (11837.56) |
| | कुल / Total (A) | 3521425.81 | 3573361.00 |
| | अन्य परिसम्पत्तियाँ OTHER ASSETS | | |
| 1 | निवेशो पर बकाया / अर्जित आय Income outstanding/accrued on investments | 6979778.54 | 6790713.90 |
| | संदिग्ध ब्याज तथा लाभांश का प्रावधान Provision for doubtful Interest & Dividends | (1193440.39) | (1216757.89) |
| 2 | बकाया प्रीमियम Outstanding Premiums | 1064029.58 | 985576.08 |
| 3 | एजेंटो के शेष Agents' Balances | 269270.34 | 336802.85 |
| | एजेंटो के संदिग्ध शेष के लिए प्रावधान Provision for agents doubtful balances | (136.86) | (34.30) |
| 4 | विदेशी एजेंसियों के शेष Foreign Agencies' Balances | 0.00 | 0.00 |
| | संदिग्ध विदेशी एजेंसियों के शेष के लिए प्रावधान Provision for agents doubtful balances | 0.00 | 0.00 |





अनुसूची - 12 SCHEDULE - 12

अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ (जारी) ADVANCES AND OTHER ASSETS (Contd.)

| | विवरण Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|-----|--|---------------------------|-----------------------------|
| 5 | बीमा व्यवसाय करनेवाली अन्य संस्थाओं से प्राप्त होने वाला Due from other entities carrying on insurance business | 2.26 | 2.19 |
| 6 | सहायक/नियंत्रक कंपनी से प्राप्त होनेवाला Due from subsidiaries/holding company | 0.00 | 0.00 |
| 7 | पुनर्बीमा दावे / शेष प्राप्य Reinsurance claims/balances receivable | 525.16 | 56.53 |
| 8 | भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (बीमा अधिनियम, 1938 की खण्ड 7 के अनुसरण में) Deposit with Reserve Bank of India (Pursuant to Section 7 of Insurance Act, 1938) | 0.00 | 0.00 |
| 9 | अन्य/ Others | | |
| i | बकाया / प्रोढभूत ऋण पर ब्याज Interest on loans outstanding/accrued | 2632127.50 | 2497784.96 |
| ii | स्टेशनरी की स्टॉक, आदि हाथ में Stock of stationery, etc. on hand | 7253.31 | 7338.29 |
| iii | अस्वामिक राशि से संबधित परिसंपत्तियाँ Assets pertaining to Unclaimed amount | 2029542.80 | 1857422.27 |
| iv | अन्य परिसंपत्तियाँ Other assets | 15476.54 | 11086.41 |
| ٧ | (क) निधिक ब्याज (a) Investments Pending Allotment (ख) निधिक ब्याज के लिए प्रावधान | 15994.97 | 15994.97 |
| | (এ) নিষক জ্বাজ ক লিए प्रावधान (b) Provision for Sundry Debtors, Advances & Deposits | (3454.45) | (3454.45) |
| vi | जी. एस. टी. का जमा शेष GST Unutilized Credit | 73555.98 | 80717.20 |
| | कुल (ख) / Total (B) | 11890525.28 | 11363249.01 |
| | कुल (क +ख) / Total (A + B) | 15411951.09 | 14936610.01 |





अनुसूची - 13 SCHEDULE - 13

चालू देयताएं CURRENT LIABILITIES

| | विवरण Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|--------|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | एजेंटो के शेष / Agents' Balances | 1248.57 | 1486.87 |
| 2 | अन्य बीमा कंपनियों को देय राशि | | |
| 3 | Balances due to other insurance companies संधि कंपनियों के अग्रिम | (1265.10) | (3265.46) |
| 3 | Advances from Treaty Companies | 3.09 | 0.00 |
| 4 | पुनर्बीमा अंतरण पर धारित जमा Deposits held on re-insurance ceded | 0.00 | 0.00 |
| 5 | अग्रिम रूप में प्राप्त प्रीमियम Premiums received in advance | 7056.73 | 7869.32 |
| 6 | फुटकर लेनदार / Sundry creditors | 676349.60 | 1622487.07 |
| 7 | सहायक / नियंत्रक कंपनी को देय | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Due to subsidiaries / holding company बकाया दावें / Claims Outstanding | 0.00 | 0.00 |
| 9 | देय वार्षिकियाँ / Annuities Due | 1027392.84 | 1050266.61 |
| 10 | बैंक शेष / Bank Balances | 82956.79 | 42536.04 |
| 11 | अधिकारियों / निदेशको की देय / Due to Officers / Directors | 114.99 | 134.61 |
| 12 | अन्य / Others | 160.65 | 135.56 |
| न क | कर्मचारी भविष्य तथा पेन्शन के न्यासियों को देय राशियाँ | | |
| а | Amounts due to trustees of staff provident & pension fund | 1262024.95 | 967658.12 |
| ख b | बकाया कमीशन Outstanding Commission | 155294.74 | 155265.48 |
| ग | प्रीमियम तथा अन्य जमा राशियाँ | | |
| c घ | Premium and other deposits बकाया अस्वामिक राशि / जमा | 114396.53 | 144608.34 |
| d | Outstanding unclaimed amounts/deposits | 1727736.40 | 1603323.97 |
| ङ e | दावा न किए गई राशि पर अर्जित ब्याज Interest Accured on Unclaimed amounts | 289716.92 | 246207.93 |
| च | प्राप्त प्रीमियम जिनका आवंटन नही हुआ | 2007 10.02 | 210201.00 |
| f छ | Premium received but not allocated जी. एस. टी. दायित्व | 10248.67 | 4920.15 |
| g | GST Liability | 178369.53 | 172088.64 |
| ज : | वरिष्ठ पेन्शन बीमा योजना चालू खाता (161) | 40562.70 | 25002.20 |
| i झ | Varishtha Pension Bima Yojana Current account (161) वरिष्ठ पेन्शन बीमा योजना चालू खाता (828) | 40562.78 | 35662.39 |
| j | Varishtha Pension Bima Yojana Current account (828) | 7028.87 | 4228.49 |
| न k | प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) चालू खाता (842) Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (842) | 2060.00 | 14933.07 |
| प | प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) चाल खाता (842 नया) | | |
| । फ | Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (842 New) सामाजिक सुरक्षा निधि चालू खाता | 71693.73 | 59514.82 |
| m | Social Security Fund Current account | 4.26 | (29158.12) |
| ब n | आम आदमी बीमा योजना छात्र वृद्धि चालू खाता Aam Aadmi Bima Yojna Scholarship Current account | 4.69 | (0.30) |
| भ | संबद्ध व्यवसाय चालू खाता | 4.09 | (0.50) |
| 0 | Unit Linked Current a/c | 211.31 | 717677.20 |
| म u | प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) चालू खाता (856) Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (856) | 3834.93 | (1650.77) |
| स | प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम) चालू खाता | (00,00) | (000 50) |
| r र | Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan (PMSYM) Current Account प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PMKMDY) चालू खाता | (96.93) | (209.50) |
| S | Pradhan Mantri Kisan Maan- Dhan Yojana (PMKMDY) Current account | (17.83) | (47.48) |
| ल t | प्रधानमंत्री लघु व्यापार मान-धन योजना (PMLVMDY) चालू खाता Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan-Dhan Yojana (PMLVMDY) Current account | (3.12) | (4.39) |
| व s | अन्य Others | 360.14 | 476.88 |
| | कुल / Total | 5657448.73 | 6817145.54 |





अनुसूची - 14 SCHEDULE - 14

प्रावधान PROVISIONS

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| | विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|--|--------------|---------------|
| | Particulars | Current Year | Previous Year |
| 1 | कराधान के लिए (घटाइए भुगतान एवं स्त्रोत पर कर कटौती) For taxation (less payments and taxes deducted at source) | 0.00 | 0.00 |
| 2 | प्रस्तावित लाभांश के लिए (5% मूल्यन अधिशेष) For proposed dividends (5% Valuation Surplus) | 0.00 | 0.00 |
| 3 | लाभांश वितरण कर के लिए For dividend distribution tax | 143.54 | 66.12 |
| 4 | पॉलिसीधारकों को देय बोनस Bonus payable to the policyholders | 0.00 | 0.00 |
| 5 | अन्य Others | | |
| | शोधक्षमता सीमा के लिए आरक्षण का प्रावधान Provision for reserve for solvency margin | 1494305.59 | 1494305.59 |
| | अन्य प्रावधान Other Provisions | 357.76 | 456.58 |
| | कुल Total | 1494806.89 | 1494828.29 |

अनुसूची - 15 SCHEDULE - 15

विविध व्यय (जो बट्टे खाते में न डाले गए हो या सामायोजित न किए गए हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (To the extent not written off or adjusted)

| विवरण Particulars | चालू वर्ष Current Year | पिछला वर्ष Previous Year |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1 शेयर / ऋण-पत्र जारी करने में अनुमत छूट Discount Allowed in issue of shares/debentures | 0.00 | 0.00 |
| 2 अन्य Others | 0.00 | 0.00 |
| कुल Total | 0.00 | 0.00 |









अनुसूची 15 A: समेकित वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले प्रकटीकरण

(A) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

क. निगम की जानकारी

भारतीय जीवन बीमा निगम ("निगम") 1 सितंबर, 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 ('शासी अधिनियम') के तहत स्थापित एक वैधानिक निगम है जो भारत में और भारत के बाहर जीवन बीमा के व्यवसाय से जुड़ा है। निगम शासी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित है; यह भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), पंजीकरण संख्या 512 दिनांक 01.01.2001 के साथ भी पंजीकृत है और IRDA अधिनियम, 1999 के यथा संशोधित प्रावधानों और अंतर्निहित विनियमनों के अधीन है, और जो शासी अधिनियम से असंगत नहीं है। निगम व्यक्तिगत और समूह बीमा समाधानों की एक श्रृंखला प्रदान करता है जिसमें व्यवसायों की सहभागी, गैर सहभागी और असम्बध्द लेने वाली और यूनिट लिंक्ड लाइन शामिल हैं। पोर्टफोलियो में विभिन्न बीमा और निवेश उत्पाद जैसे सुरक्षा, पेंशन, बचत, निवेश, वार्षिकी, स्वास्थ्य, परिवर्तनीय और पूंजी मोचन और वार्षिकी निश्चित (सीआरएसी) व्यवसाय शामिल हैं। निगम के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) (17 मई, 2022 से प्रभावी) में सूचीबद्ध हैं।

समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) निगम और उसकी सहायक कंपनियों और निगम की सहयोगी कंपनियों में लाभ/हानि के हिस्से से संबंधित है (एक साथ समूह के रूप में संदर्भित)।

ख. तैयारी का आधार

समूह के लिए ये समेकित वित्तीय विवरण लेखा मानक (एएस) 21, "समेकित वित्तीय विवरण" के तहत निधारित समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं और उसी प्रकार के प्रारूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जिस प्रकार से निगम के प्रस्तुत किए जाते हैं।

समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपराके तहत तैयार किए गए हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, मूलभूत लेखांकन मान्यताओं, निरंतरता और प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किया गया है। समूह की लेखांकन और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं (भारतीय जीएएपी), जिसमें निम्न शामिल हैं; जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (संशोधित) द्वारा निधारित नियामक मानदंड और दिशानिर्देश, बीमानियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरण तैयार करना और बीमाकंपनियों की लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) विनियम, 2002 (वित्तीय विवरण विनियम), वित्तीय विवरण तैयार करने और जीवनबीमा व्यवसाय के रिटर्न दाखिल करने पर परिपन्न संदर्भ संख्या IRDA/F&A/Cir/232/12/2013 दिनांक 11 दिसंबर 2013 ("मास्टर परिपन्न") और IRDAI द्वारा समय-समयपर जारी अन्य परिपन्नसमय, बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधान, यथा संशोधित, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निधारित मानदंड और दिशानिर्देश (आरबीआई), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और लेखामानकों के अनुपालन में और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखामानकोंक अनुपालनमें, और उसमें किएगए संशोधनों और नियमोंकेअनुसार, लागू सीमातक, नीचे लिखित अपवदोको छोड़कर, आवशक तरीके से लागू किया गया है।

निगम की भारतीय सहायक/ सहयोगियों कंपनिया विभिन्न व्यवसायोमें है एवं विभिन्न लेखा विनियमों द्वारा शासित की जाती है और उनमें व्यवसाय की एकरूपता की कमी होती है, इसलिए समेकन के समय लेखांकन नीतियों में स्थिरता लाने के लिए सहायक कंपनियों/ सहयोगियों के वित्तीय विवरणों में, जिस सीमा तक व्यवहार्य है, केवल महत्वपूर्ण समायोजन किये गये है। जहां समायोजन करना व्यावहारिक नहीं है और परिणामस्वरूप लेखांकन नीतियां भिन्न होती हैं, निगम और उसकी सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों के बीच इस तरह के अंतर का खुलासा किया गया है।

समूह के लिए इन समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों का उद्देश्य सूचनात्मक प्रकटीकरण के साधन के रूप में कार्य करना और समूह की समेकित स्थिति की बेहतर समझ की दिशा में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना है। समूह ने निगम और उसकी सहायक कंपनियों के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से ऐसे नोटों को प्रकट किया है जो समेकित वित्तीय विवरणों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं। केवल महत्वपूर्ण नोटों का खुलासा किया जाता है। समेकित वित्तीय विवरणों में निहित जानकारी के आधार पर महत्वपूर्ण मदोका मूल्यांकन किया जाता है। सहायक कंपनियों और/या निगम के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त वैधानिक जानकारी जो कि समेकित वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं डालती है, समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं की जाती है।

निगम की लेखांकन नीतियों, टिप्पणियों और प्रकटीकरण को इसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में सर्वोत्तम रूप से देखा जा सकता है जिनके साथ ये समेकित वित्तीय विवरण संलग्न हैं।

निगम ने अन्य कंपनियों में इक्विटी शेयरों और प्रतिभूतियों के विभिन्न अन्य वर्गों में कुछ निवेश किए हैं जिनका लेखा मानक 13 — निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार हिसाब लगाया गया है। इसमें नीचे दिए गए श्रेणीवार कारणों के अनुसार कंपनियों में कुछ निवेश शामिल हैं, जिन्हें समेकन के लिए नहीं माना गया है:

-जहां निगम को प्रमोटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

इनमें से कुछ कंपनियों के बोर्ड में निगम के नामित निदेशक हैं। हालांकि, इन कंपनियों पर निगम का कोई नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। इन निवेशितियों में निगम की बोर्ड सीट 6 से 15 तक संबंधित निवेशी कंपनियों के बोर्ड की कुल संख्या में से 1 है। निगमद्वारा इन कंपनियों के गठन के समय निवेश के कारण, प्रमोटर/शेयरधारक की स्थिति हुई है।





SCHEDULE 15 A: Significant Accounting Policies and Notes to the Consolidated Financial Statements

A. Significant Accounting Policies

A. Corporate Information

Life Insurance Corporation of India ("Corporation") is a statutory corporation established on 1st September, 1956 under the Life Insurance Corporation Act, 1956 ('Governing Act') engaged in the business of Life Insurance in and outside India. Corporation is governed by provisions of the governing Act; it is also registered with the Insurance Regulatory and Development Authority of India ('IRDAI') Registration No. 512 dated 01.01.2001 and is subject to such provisions of IRDA Act,1999 as amended and regulations there under which are not inconsistent with the governing Act. The Corporation offers a range of individual and group insurance solutions including participating, non-participating and unit linked lines of businesses. The portfolio comprises of various insurance and investment products such as Protection, Pension, Savings, Investment, Annuity, Health, Variable and Capital Redemption and Annuity Certain (CRAC). The equity shares of the Corporation are listed on National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) (w.e.f. 17th May, 2022).

The Consolidated Financial Statements (CFS) relate to Corporation and its subsidiary companies and the Corporation's share of profit/loss in its associate companies (together referred as "the group").

B. Basis of preparation

These consolidated financial statements for the Group are prepared in accordance with the principles and procedures for preparation and presentation of consolidated financial statements as laid down under the Accounting Standard (AS) 21 "Consolidated Financial Statements" and are presented in the same format as that of the Corporation.

These Consolidated Financial Statements are prepared under the historical cost convention, with fundamental accounting assumptions of going concern, consistency and accrual, unless otherwise stated. The accounting and reporting policies of the Group conform to accounting principles generally accepted in India (Indian GAAP), comprising of regulatory norms and guidelines prescribed by the Life Insurance Corporation Act, 1956 (as amended), the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 ('the Financial Statements Regulations'), the Master Circular on Preparation of Financial Statements and Filing of Returns of Life Insurance Business Ref No. IRDA/F&A/Cir/232/12/2013 dated December 11 2013 ('the Master Circular') and other circulars issued by the IRDAI from time to time, provisions of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time, norms & guidelines prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), the Banking Regulations Act, 1949 Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) and in compliance with the Accounting Standards notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 and amendments and rules made thereto, to the extent applicable Accounting policies have been consistently applied to the extent applicable and in the manner so required except to the extent specified below.

Indian Subsidiaries/Associates of the Corporation are governed by different operations and accounting regulations and lack homogeneity of business, hence only material adjustments have been made to the financial statements of the subsidiaries/associates to bring consistency in accounting policies at the time of consolidation to the extent it is practicable to do so. Where it is not practicable to make adjustments and as a result the accounting policies differ, such differences between accounting policies of the Corporation and its subsidiaries have been disclosed.

The notes to these consolidated financial statements for the Group are intended to serve as a means of informative disclosure and a guide towards better understanding of the consolidated position of the Group. The Group has disclosed such notes from the standalone financial statements of the Corporation and its subsidiaries which are necessary for presenting a true and fair view of the consolidated financial statements. Only the notes involving items which are material are disclosed. Materiality for this purpose is assessed in relation to the information contained in the consolidated financial statements. Additional statutory information disclosed in separate financial statements of the subsidiaries and/or the Corporation having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements are not disclosed in the consolidated financial statements.

The accounting policies, notes and disclosures made by the Corporation are best viewed in its standalone financial statements to which these consolidated financial statements are attached.

The Corporation has made certain investments in equity shares and various other classes of securities in other companies which have been accounted for as per Accounting Standard 13 - Accounting for Investments. This includes certain investments in companies, not considered for Consolidation, as per category wise reasons given hereunder:

-Where the corporation is categorized as Promoter:

The Corporation has nominee directors on Board of some of these companies. However, Corporation does not have any control or significant influence on these companies. The Board seat of the Corporation in these investees is 1 out of total strength of the respective Board of Investee Companies ranging from 6 to 15. The Promoter/ Shareholder status is by way of investment at the time of formation of these companies.





-निगम की शेयरधारिता 20% से अधिक है:

निगम द्वारा बिना किसी बोर्ड के प्रतिनिधित्व और/या निवेशिती कंपनियों के प्रबंधन/प्रशासन में किसी भी तरह की भागीदारी के बिना लीगेसी निवेश। अतः,इन संस्थाओं में निगम का कोई प्रबंधन नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

-निगम के पास समझौते या नामित निदेशकों के माध्यम से बोर्ड मे प्रतिनिधित्व है:

ऐसे मामलों में निगम की शेयरधारिता 20% से कम होती है और निगम के पास इन निवेशिती कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक होते हैं। इन कंपनियों में निवेश अन्य कंपनियों मे निवेश के समान है और शेयर बाजार की स्थितियों के आधार पर खरीदे और बेचे जाते हैं। बोर्ड की सीट 6 से 15 के बीच संबंधित निवेशी कंपनियों के बोर्ड की कुल संख्या में से 1 है। इस तरह निगम का इन कंपनियों पर कोई नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

ग. समेकन का आधार

- क) निगम और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को समूह के भीतर शेष राशि, लेन-देन और परिणामी अप्राप्त लाभ या हानि को निकालने के बाद (जब तक लागत वसूल नहीं की जा सकती) परीसंपत्ति, दायित्वों, आय और व्यय की समान मदों को एक साथ लाइन-दरलाइन आधार पर जोड़ा गया है । विशेष रूप से आईआरडीएआई विनियमों द्वारा शासित प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय से संबंधित पॉलिसीधारकों के खाते ने इन समेकित वित्तीय विवरणों में अपना विशिष्ट स्वतंत्र रूप बरकरार रखा है। चूंकि विदेशी सहायक कंपनियां बीमा व्यवसाय में लगी हुई हैं, सहायक कंपनियों के बीमा व्यवसाय से संबंधित राजस्व/व्यय को राजस्व खाता- पॉलिसीधारकों के खाते (तकनीकी खाता) के तहत प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय सहायक कंपनियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, बीमा व्यवसाय में नहीं होने के कारण, लाभ और हानि-शेयरधारक खाते (गैर-तकनीकी खाता) में प्रस्तुत की जाती हैं।
- ख) सहायक कंपनियों में निवेश की तारीखों पर सहायक कंपनियों की इक्विटी में अपने हिस्से पर निगम की लागत की अधिकता को समेकित वित्तीय विवरणों में एक संपत्ति की तरह मानते हुये 'गुडविल' के रूप में दिखाया जाता है। वैकल्पिक रूप से, जहां निवेश की तिथि पर सहायक कंपनियों में इक्विटी का हिस्सा निगम के निवेश की लागत से अधिक है, इसे 'पूंजी आरक्षित निधि' के रूप में माना जाता है और समेकित वित्तीय विवरण में शीर्षक 'आरक्षित और अधिशेष' के तहत दिखाया जाता है। प्रत्येक सहायक कंपनी के लिए 'गुडविल'/ 'पूंजी आरक्षित निधि' अलग से निधारित किया जाता है।
- ग) समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कंपिनयों के लाभ / हािन का हिस्सा शािमल है, जिसका लेखा लेखांकन मानक (एएस) 23 समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक कंपिनयों में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार 'इक्विटी विधि' का उपयोग करके दिया गया है और तदनुसार, प्रत्येक सहयोगी कंपिनी के लाभ/हािन के हिस्से (हािन को निवेश की लागत तक सीिमत किया जा रहा है) को निवेश की लागत में जोडां/ घटाया गया है। सहयोगियों से प्राप्त वितरण के लिए वहन मूल्य कम कर दिया गया है।
- घ) निगम अधिग्रहण के बाद, सहयोगीयोकी निवल संपत्तियों में परिवर्तन में अपने हिस्से को निगम व सहयोगीयोके लेनदेन के परिणामस्वरूप अप्राप्त लाभ और हानि को समाप्त करने के बाद, लाभ और हानि (गैर-तकनीकी खाता) / राजस्व खाता- पॉलिसीधारक खाता (तकनीकी खाता) के अपने विवरण के माध्यम से अपने हिस्से की उस हद तक जिस हद तक इस तरह का परिवर्तन सहयोगियों के लाभ और हानि के विवरण के कारण होता है, शामिल करता है।
- ङ) अल्पांश हित समेकित सहायक कंपनियो की निवल परिसंपत्तियों में निवेश तथा उसके बाद के पारिणामोमे अल्पांश शेयरधारकों का हिस्सा है।
- च) समेकन में प्रयुक्त विदेशी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण निगम की रेपोर्टिंग तिथि 31 मार्च तक तैयार किए जाते है या 31 दिसम्बर तक, जहां सहायक या सहयोगी उस तारीख को अपना वित्तीय वर्ष बंद करते हैं। विदेशी सहायक कंपनियों ने संबंधित देश के आवश्यक स्थानीय कानूनों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (IFRS) / आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (GAAP) के अनुसार अपने खाते तैयार किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय GAAP की तुलना में निगम द्वारा अनुसरित कुछ भिन्नताएं हैं। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से, इन संस्थाओं के खातों को निगम द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन नीतियों के साथ पुष्टि करने के लिए लेखांकन समायोजन नहीं किया गया है। लेखांकन नीति में अंतर का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होगा।
- छ) विदेशी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण, गैर-अभिन्न संचालन होने के कारण, निम्नलिखित विनिमय दरों पर भारतीय रुपये में परिवर्तित कर दिए गए हैं: राजस्व और व्ययः वर्ष के औसत पर, संपत्ति और देनदारियां: वित्तीय वर्ष के अंत में समापन दरपर। परिणामी रूपातंरण "फॉरेन करेंसी ट्रांस्लेशन रिज़र्व" में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- ज) सहायक/ सहयोगी कंपनियों का शुद्ध अधिशेष/ घाटा जहां पॉलिसीधारक निधि से निवेश किया जाता है, पॉलिसीधारकों की आरक्षित निधि में ले जाया जाता है और सहायक/ सहयोगी कंपनियों का शुद्ध अधिशेष/ घाटा जहां शेयरधारकों की निधि से निवेश किया जाता है, लाभ और हानि खाते के माध्यम से किया जाता है और उसके बाद शेयरधारकों के भंडार को अग्रेषित किया जाता है।





-Shareholding of Corporation is more than 20%:

Legacy investments by the corporation without any Board representation and/or any involvement in the management/administration of the investee Companies. As such, Corporation does not have any management control or significant influence in these entities.

-Corporation has Board position through agreement or nominee directors:

In such cases the shareholding of the corporation is below 20% and corporation has nominee directors on the Board of these investee companies. The investments in these companies are at par with other companies and shares are bought and sold depending upon market conditions. The Board seat is 1 out of total strength of the respective Board of Investee Companies ranging from 6 to 15. As such Corporation does not have control or significant influence on these companies.

C. Basis of Consolidation

- a) The financial statements of the Corporation and its subsidiaries have been combined on a line-by-line basis by adding together similar items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group balances, transactions and resulting unrealized profits or losses (unless cost cannot be recovered). The Policyholders' account specifically dealing with direct insurance business governed by IRDAI regulations has retained its distinct independent form in these consolidated financial statements. As foreign subsidiaries are engaged in the insurance business, revenue/expenses pertaining to the insurance business of the subsidiaries are presented under Revenue Account- Policyholders' Account (Technical Account). However, the activities carried by the Indian Subsidiaries, not being in insurance business, are presented in the Profit and loss- Shareholders Account (Non-Technical Account).
- b) The excess of costs to the Corporation of its investment in the subsidiaries over its share of equity of the subsidiaries at the dates on which the investments in subsidiaries are made, is recognised as 'Goodwill' being an asset in the consolidated financial statements. Alternatively, where the share of equity in the subsidiaries as on the date of investment is in excess of cost of investment of the Corporation, it is recognised as 'Capital Reserve' and shown under the head 'Reserves and Surplus', in the consolidated financial statements. The 'Goodwill' / 'Capital Reserve' is determined separately for each subsidiary.
- c) The consolidated financial statements include the share of profit / loss of the associate companies which have been accounted for using 'Equity Method' in accordance with Accounting Standard (AS) 23 "Accounting for Investments in Associates in consolidated financial statements" and accordingly, the share of profit/ loss of each of the associate companies (the loss being restricted to the cost of investment) has been added to/ deducted from the cost of investments. The carrying value is reduced for the distributions received from the associates.
- d) The Corporation accounts for its share in the change in the net assets of the associate, post-acquisition, after eliminating unrealised profits and losses resulting from the transaction between the Corporation and its associate to the extent of its share, through its statement of Profit and loss (Non-Technical Account) / Revenue Account-Policyholders' Account (Technical Account) to the extent such change is attributable to the associates' Statement of Profit and Loss.
- e) Minority interest in the net assets of consolidated subsidiaries consists of the amount of equity attributable to the minority shareholders at the dates on which investments are made by the Corporation in the subsidiaries and further movements in their share in the equity, subsequent to the dates of investments as stated above.
- f) The financial statements of the Foreign Subsidiaries used in the consolidation are drawn up to the same reporting date as that of the Corporation i.e., 31st March or up to 31st December, in case where the subsidiaries or associates close their financial year on that date. The foreign subsidiaries have prepared their accounts in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) / Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) as per the required local laws of the respective country, resulting in some variations as compared to Indian GAAP followed by the Corporation. For the purpose of preparing the CFS, accounting adjustments have not been made to align the accounts of these entities to confirm with the accounting polices followed by the Corporation. The impact of difference in accounting policy will not be material.
- g) Financial Statements of Foreign Subsidiaries, being non-integral operations, have been converted into Indian Rupees at following exchange rates:Revenue and Expenses: At the average of the year Assets and Liabilities: Closing rate at the end of the financial year. The resultant translation exchange difference is transferred to "Foreign Currency Translation Reserve".
- h) The net Surplus/deficit of the subsidiary/associate companies where investment is made from Policyholder Funds is carried forward to Policyholders Reserves and the net Surplus/deficit of the subsidiary/associate companies where investment is made from Shareholders Funds is routed through P&L Account and thereafter carried forward to Shareholders Reserves.





घ) अनुमानों का उपयोगः

समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुरूप है, जिसके लिए प्रबंधन को अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो वर्ष के लिए आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा, समेकित वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार परिसम्पत्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की शेष राशि और आकस्मिक दायित्वों से संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में उपयोग किए गए अनुमान और धारणाएं समेकित वित्तीय विवरणों की तारीख तक और उसके अनुसार प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को संभावित रूप से हिसाब में लिया जाता है।

ङ) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

राजस्व मान्यताः

1.1 जीवन बीमा कारोबार के लिए:

प्रीमियम आय:-

- क) प्रीमियम को देय होने पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके लिए अनुग्रह अवधि समाप्त नहीं हुई है और पिछली किश्तों का भुगतान किया गया है। संबध्द व्यवसाय के मामले में, भुगतान की नियत तारीख को उस तारीख के रूप में लिया जाता है जब संबद्ध इकाइयां सृजित की जाती हैं।
- ख) संबद्ध निधि से होने वाली आय जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रशासन प्रभार, मृत्युदर शुल्क आदि शामिल हैं, को सबंध्द निधि से नियम और शर्तों के अनुसार वसूल किया जाता है और देय होने पर मान्यता दी जाती है।
- ग) पुनर्बीमा पर दिए गए प्रीमियम का लेखा पुनर्बीमा संधि की शर्तों या पुनर्बीमाकर्ता के साथ सैद्धांतिक व्यवस्था के अनुसार किया जाता है।

निवेश से आय:-

- घ) सभी सरकारी प्रतिभूतियों, ऋण प्रतिभूतियों ऋण सहित, डिबेंचर और बांड, पास थ्रू प्रमाणपत्र, बंधक ऋण के संबंध में ब्याज आय को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व खाते में क्रेडिट किया जाता है।
- ङ) द्वितीयक बाजार से सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के संबंध में, खंडित अवधि के लिए ब्याज का भुगतान/ नकद आधार पर प्राप्त किया जाता है।
- च) ब्याज, लाभांश, किराया आदि का सकल मूल्य (आयकर की कटौती से पहले) पर हिसाब लगाया जाता है
- छ) ऋण, डिबेंचर और बांड के संबंध में, तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार अर्जित ब्याज की गणना ऋण दस्तावेज़ / सूचना ज्ञापन या ऐसे अन्य दस्तावेज़ में उल्लिखित साधारण ब्याज की गणना की विधि के अनुसार की जाती है। सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और बंधक ऋणों के संबंध में, तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार अर्जित ब्याज की गणना वर्ष में 360 दिनों के आधार पर की जाती है।
- ज) प्रतिभूतियों/ इक्विटी/म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ या हानि को बिक्री के वर्ष में ही राजस्व में लिया जाता है।
- झ) उद्धृत इक्विटी पर लाभांश जहां इसे प्राप्त करने का अधिकार 31 मार्च (यानी कंपनी द्वारा घोषित लाभांश) को या उससे पहले देय हो गया है, इसे बाद में प्राप्त आय के रूप में लिया जाता है। गैर—उद्धृत इक्विटी पर लाभांश केवल प्राप्ति पर आय के रूप में लिया जाता है।
- ञ) पॉलिसी ऋणों पर ब्याज का हिसाब बीमांकिक के आधार पर किया जाता है।
- त) किराये की आय को आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब वह देय होता है और किराया / लाइसेंस शुल्क जो 6 महीने से अधिक के लिए बकाया है, को आय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। अपफ्रंट प्रीमियम का लेखा नकद आधार पर किया जाता है।
- थ) अधिमानी शेयरों/म्यूचुअल फंड पर लाभांश केवल प्राप्ति पर आय के रूप में लिया जाता है।
- द) डिबेंचर/बांड की खरीद पर आवेदन राशि पर ब्याज को नकद आधार पर आय के रूप मे लिया जाता है।
- ध) उद्यम पूंजी निवेश पर आय का लेखा नकद आधार पर किया जाता है।
- न) जीरो कूपन बांड से होने वाली आय को बीमांकिक आधार पर लेखे में लिया जाता है।
- प) तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार एनपीए पर बकाया ब्याज, ब्याज सस्पेंस के रूप में प्रदान किया जाता है।
- फ) मोचन/परिपक्वता पर प्रीमियम को मोचन/परिपक्वता पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है
- ब) प्रसंस्करण शुल्क प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।





D. Use of Estimates

The preparation of consolidated financial statements is in conformity with generally accepted accounting principles in India ('Indian GAAP') requires that the Group's management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of income and expenses for the year, reported balances of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities as on the date of the consolidated financial statements. The estimates and assumptions used in the accompanying consolidated financial statements are based upon management's evaluation of the relevant facts and circumstances upto and as on the date of the consolidated financial statements. Actual results could differ from the estimates. Any revision to the accounting estimates is accounted for prospectively.

E. Significant Accounting Policies:

1. Revenue Recognition:

1.1 For Life Insurance Business

Premium Income:-

- a) Premiums are recognized as income when due, for which grace period has not expired and the previous installments have been paid. In case of Linked Business, the due date for payment is taken as the date when the associated units are created.
- b) Income from linked funds which includes fund management charges, policy administration charges, mortality charges, etc. are recovered from linked fund in accordance with terms and conditions and recognized when due.
- c) Premium ceded on re-insurance is accounted in accordance with the terms of the re-insurance treaty or in-principle arrangement with the re-insurer.

Investment Income:-

- d) Interest income in respect of all government securities, debt securities including loans, debentures and bonds, Pass Through Certificate (PTC), mortgage loans is taken credit to the Revenue Account as per the quidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority.
- e) In respect of purchase or sale of Government and other approved securities from secondary market, interest for the broken period is paid / received on cash basis.
- f) Interest, Dividend, Rent, etc. are accounted at gross value (before deduction of Income Tax)
- g) In respect of loans, debentures and bonds, accrued interest as at the date of the balance sheet is calculated as per method of calculation of simple interest mentioned in the loan document/information memorandum or such other document. In respect of Government and other approved securities and mortgage loans, accrued interest as at the date of balance sheet is calculated based on 360 days a year.
- h) Profit or Loss on sale of Securities/Equities/ Mutual Fund is taken to Revenue only in the year of sale.
- i) Dividend on quoted equity where right to receive the same has fallen due on or before 31st March (i.e. dividend declared by the company) is taken as income though received subsequently. Dividend on unquoted equity is taken as income only on receipt.
- j) Interest on policy loans is accounted for on accrual basis.
- k) Rental income is recognized as income when due and rent/license fees which is in arrear for more than 6 months is not recognized as income. Upfront premium is accounted on cash basis.
- I) Dividend on Preference shares/Mutual Fund is taken as income only on receipt.
- m) Interest on application Money on purchase of debentures/bonds is accounted on cash basis.
- n) Income on venture capital investment is accounted on cash basis.
- o) Income from zero coupon bonds is accounted on accrual basis.
- p) Outstanding interest on NPA's as at balance sheet date is provided as interest suspense.
- q) Premium on redemption/maturity is recognized as income on redemption/maturity
- r) Processing fee is accounted on receipt basis.





1.2 बैंकिंग कारोबार के लिए

- क) ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, जबकि अनर्जक परिसंपत्तियों के मामले में रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद गणना की जाती है।
- ख) साख पत्र (एलसी)/बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/बैंक गारंटी की अवधि के दौरान उपचित होता है।
- ग) शुल्क आधारित आय प्राप्ति की सुनिश्चितता के अधार पर उपचित किया जाती है तथा यह ग्राहक के साथ करार की शर्तों के अनुसार कार्य की प्रगति पर आधारित होता है।
- घ) रियायती लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
- ङ) सूचीबद्ध कंपनियों के लिए लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश की गणना उपचय आधार पर की जाती है। असूचिबद्ध कंपनियों के लिए लाभांश को प्राप्त होने पर दर्ज किया जाता है।
- च) गैर-निष्पादित अग्रिमों के मामले में वसूली का विनियोजन बैंक की नीति के अनुसार किया जाता है।

2. निवेशः

2.1 जीवन बीमा कारोबार के लिए

क] असंबद्ध व्यवसाय

- क) सरकारी प्रतिभूतियों और प्रतिदेय अधिमानी शेयरों सहित ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और मूल्य का खुलासा ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है, जो परिशोधन के अधीन होता है:
 - (i) सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियां, जहां बही मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है, प्रीमियम को होल्डिंग/परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाएगा। जहां अंकित मूल्य बही मूल्य से अधिक होता है, छूट को परिपक्वता पर हिसाब में लिया जाता है।
 - (ii) सूचीबद्ध रिडीमेबल अधिमानी शेयर, जहां बुक वैल्यू अंकित मूल्य से अधिक है, प्रीमियम को होल्डिंग/मैच्योरिटी की बैलेंस अविध में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है और यदि अंतिम उद्धृत मूल्य (मूल्यांकन की तारीख से 30 दिन पहले नहीं) परिशोधन से अधिक है तो परिशोधन लागत पर मूल्यांकित किया जाता है लागत।

गैर—सूचीबद्ध रिडीमेबल अधिमानी शेयर जहां बुक वैल्यू अंकित मूल्य से अधिक है, प्रीमियम को होल्डिंग/ मैच्योरिटी की शेष अविध के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है और परिशोधन लागत कम करने के लिए प्रावधान कम किया जाता है।

सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों को बुक वैल्यू पर मूल्यांकित किया जाता है यदि अंतिम उद्धृत मूल्य (मूल्यांकन तिथि से 30 दिन पहले नहीं), बुक वैल्यू से अधिक है। यदि अंतिम उद्धृत मूल्य कम है, तो इसका मूल्यह्रास के प्रावधान को घटाकर बही मूल्य पर किया जाता है।

असूचीबद्ध अप्रतिदेय अधिमानी शेयरों का मूल्यह्रास के प्रावधान को घटाकर बुक वैल्यू पर किया जाता है।

- ख) सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का सक्रिय बाजारों में कारोबार होता है, जिन्हें तुलन-पत्र की तारीख पर उचित मूल्य पर मापा जाता है और इक्विटी प्रतिभूतियों की अग्रणीत राशि में परिवर्तन को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है।
- ग) गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों और कम कारोबार वाली इक्विटी प्रतिभूतियों को ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के प्रावधान को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है। इस तरह की कमी का आकलन और हिसाब निगम की हानि नीति के अनुसार किया जाता है। सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित म्युचुअल फंडों को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार एक सुरक्षा को कम कारोबार के रूप में माना जाएगा।
- घ) द्वितीयक बाजार से इक्विटी शेयरों और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को छोड़कर सभी निवेशों का हिसाब नकद आधार पर किया जाता है
- ड) निवेश संपत्तियों के मूल्य का खुलासा पुनर्मूल्यांकन राशि पर किया जाता है और निवेश संपत्ति की अग्रणीत राशि में परिवर्तन को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में ले जाया जाता है। निवेश संपत्ति का हर तीन साल में कम से कम एक बार पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के लिए अपनाया गया आधार निम्नानुसार है:—
 - (i) निवेश संपत्ति का मूल्यांकन बाजार के किराए पर विचार करते हुए रेंट कैपिटलाइज़ेशन विधि द्वारा किया जाता है।
 - (ii) बिना किसी भवन/ संरचना के अकेले भूमि वाली निवेश संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।





1.2 For Banking Business

- a) Interest income is recognized on accrual basis except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of the Reserve Bank of India (RBI).
- b) Commissions on Letter of Credit (LC)/ Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG.
- Fee based income is accrued on certainty of receipt and is based on milestones achieved as per terms of agreement with the client.
- d) Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.
- e) For listed companies, dividend is booked on accrual basis when the right to receive is established. For unlisted companies dividend is booked as and when received.
- f) In case of non-performing advances, recovery is appropriated as per the policy of the Bank

2. Investments:

2.1 For life Insurance Business

A] Non Linked Business

- a) Debt Securities including Government Securities and Redeemable Preference Shares are considered as 'held to maturity' and the value is disclosed at historical cost subject to amortization as follows:
 - (i) Debt Securities including Government Securities, where the book value is more than the face value, the premium will be amortized on straight line basis over the balance period of holding/ maturity. Where face value is greater than book value, discount is accounted on maturity.
 - (ii) Listed Redeemable Preference Shares, where the book value is more than the face value, the premium is amortized on a straight line basis over the balance period of holding/maturity and are valued at amortised cost if last quoted price (not later than 30 days prior to valuation date), is higher than amortised cost. Provision for diminution is made if market value is lower than amortised cost.

Unlisted Redeemable Preference Shares where the book value is more than the face value, the premium is amortised on a straight line basis over the balance period of holding/maturity and are valued at amortised cost less provision for diminution.

Listed Irredeemable Preference Shares are valued at book value if last quoted price (not later than 30 days prior to valuation date), is higher than book value. In case last quoted price is lower, it is valued at book value less provision for diminution.

Unlisted Irredeemable Preference Shares are valued at book value less provision for diminution.

- b) Listed equity securities that are traded in active Markets are measured at fair value on Balance Sheet date and the change in the carrying amount of equity securities is taken to Fair Value Change Account.
- c) Unlisted equity securities and thinly traded equity securities are measured at historical cost less provision for diminution in the value of such investments. Such diminution is assessed and accounted for in accordance with the Impairment Policy of the Corporation. A security shall be considered as being thinly traded as per guidelines governing mutual funds laid down from time to time by SEBI.
- d) All Investments are accounted on cash basis except for purchase or sale of equity shares & government securities from the secondary market
- e) The value of Investment Properties is disclosed at the Revalued amounts and the change in the carrying amount of the investment property is taken to Revaluation Reserve. Investment property is revalued at least once in every three years. The basis adopted for revaluation of property is as under:-
 - (i) The valuation of investment property is carried out by Rent Capitalization Method considering the market rent.
 - (ii) Investment properties having land alone without any building/structure is revalued as per current market value.





- च) म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) निवेश का मूल्यांकन तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार उचित मूल्य के आधार पर किया जाता है और म्यूचुअल फंड/ ईटीएफ की अग्रणीत राशि में परिवर्तन को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है।
- छ) वेंचर फंड/ वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, जहां एनएवी बुक वैल्यू से अधिक होता है। जहां कहीं भी एनएवी बुक वैल्यू से कम होती है, वहां अंतर को ह्रास के रूप में हिसाब में लिया जाता है।
- ज) मनी मार्केट इंस्ट्रमेंट्स को बुक वैल्यू पर मापा जाता है।

B] संबद्ध व्यवसाय:

प्रतिभूतियों का मूल्यांकन समय-समय पर जारी आईआरडीएआई के निर्देशों के अनुसार होता है।

2.2 बैंकिंग कारोबार के लिए

क वर्गीकरण:

निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और ट्रेडिंग के लिए धारित में वर्गीकृत किया गया है।

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

- क) सरकारी प्रतिभूतियां
- ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- ग) शेयर
- घ) डिबेंचर तथा बांड
- ङ) सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम
- च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, पास थ्रू प्रमाणपत्र)

ख. वर्गीकरण का आधार:

- क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
- ख) खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर मूलतः फिर से बिक्री के लिए धारित रखे गए निवेशों को `क्रय–विक्रय के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
- ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें `बिक्री के लिए उपलब्ध' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
- घ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय `परिपक्वता तक धारित', `बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा `क्रय—विक्रय के लिए धारित' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के बीच में इनकी अदला—बदली रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाता है।
- ङ) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेशों को सामान्यतः `परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, किंतु इसमें ऐसे मामले शामिल नहीं हैं, जिनकी आवश्यकता आधारित समीक्षा कर आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार `बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में अंतरित किया जाता है। सहयोगी कंपनियों में निवेश का वर्गीकरण इसके अधिग्रहण के समय किया जाता है।

ग. मूल्यांकन:

- क) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में:
 - i. सेकंडरी बाजार से खरीदे गए इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों
 को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबिक ट्रेजरी निवेशों सिहत अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ—हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।
 - ii. खंडित अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज / प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत/ बिक्री में से घटाया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है।
 - iii. लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है।





- f) Mutual fund and Exchange Traded Fund (ETF) investments are valued on fair value basis as at the Balance Sheet date and the change in the carrying amount of mutual fund /ETF is taken to Fair Value Change Account.
- g) Investment in venture fund / Alternative Investment Fund (AIF) is valued at cost wherever NAV is greater than the Book Value. Wherever NAV is lower than Book value the difference is accounted as diminution.
- h) Money Market Instruments are measured at book value.

B] Linked Business:

Valuation of Securities is in accordance with IRDAI directives issued from time to time

2.2 For Banking Business

A. Classification:

In terms of extant guidelines of the RBI on Investment classification and Valuation, the entire investment portfolio is categorized into Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading. Investments under each category are further classified as:

- a) Government Securities
- b) Other Approved Securities
- c) Shares
- d) Debentures and Bonds
- e) Subsidiaries/ Joint Ventures
- f) Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, Security Receipts, Pass through Certificate).

B. Basis of Classification:

- a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity.'
- b) Investments that are held principally for sale within 90 days from the date of purchase are classified as 'Held for Trading.'
- c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available for Sale.'
- d) An investment is classified as 'Held to Maturity,' 'Available for Sale' or 'Held for Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.
- e) Investment in subsidiaries and joint venture are normally classified as 'Held To Maturity' except in case, on need based reviews, which are shifted to 'Available for Sale' category as per RBI guidelines. The classification of investment in associates is done at the time of its acquisition.

C. Investment Valuation:

- a) In determining the acquisition cost of an investment:
 - i. Brokerage, commission, stamp duty, and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.
 - ii. Broken period interest paid/ received is excluded from the cost of acquisition/ sale and treated as interest expense/ income.
 - iii. Cost is determined on the weighted average cost method.





- ख) 'परिपक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हों, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। ऐसे मामलों में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष बची अवधि में सीधी रेखा पद्धित से परिशोधित किया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप की कमी के अलावा होने वाली अन्य कमी के संबंध में प्रत्येक निवेश के लिए अलग—अलग प्रावधान किया जाता है।
- ग) 'ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' निवेशों के स्क्रिप—वार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ—हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबिक किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है।
- घ) ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन बट्टाकृत लिखत होने के कारण रखाव लागत पर किया जाता है।
- ङ) क्रय–विक्रय/ उद्धृत किए गए निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध क्रय–विक्रय/ भाव–सूची से लिया जाता है।
- च) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों को मूल्य बाजार कीमत पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / क्रय–विक्रय न की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रायवेट लि. (एफबीआईएल) द्वारा घोषित कीमत पर किया जाता है।
- छ) अनुद्धृत शेयरों का मूल्य अलग—अलग मूल्य या अद्यतन तुलन—पत्र उपलब्ध होने पर निवल आस्ति मूल्य पर, अन्यथा 1/— रुपए प्रति कंपनी के आधार पर निकाला जाता है और म्यूचुअल फंडों की यूनिटों का मूल्य रिज़र्व बैंक के सुसंगत दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्खरीद मूल्य पर निकाला जाता है।
- ज) नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को श्रेड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है। ऐसे मूल्य वृद्धि अंतर व वाईटीएम दरों को एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों के आधार पर लागू किया जाता है।
- झ) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक द्वारा समय—समय पर जारी किए गए तथा ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तद्नुसार ऐसे मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों से नकदी प्रवाह, संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहाँ बैंक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय—समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के निवेशों के मुल्यांकन के लिए निवल आस्ति मुल्य को हिसाब में लेता है।
- ञ) उद्धृत अधिमान्य शेयरों को बाजार दरों पर मूल्यांिकत किया जाता है तथा अनुद्धृत / गैर-ट्रेडेड अधिमान्य शेयरों को पिरपक्वता पर उचित प्रतिफल द्वारा मूल्यांिकत किया जाता है जो रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अधिक नहीं होगा.
- ट) तनावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) में किए गए निवेश को परिपक्वता पर धारित श्रेणी में वर्गीकृत कर लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। सितंबर 2024 तक अंतिम वसूली में अनुमानित कमी के लिए प्रावधान रखा गया है।
- ठ) एचटीएम श्रेणी में धारित वीसीएफ निवेश का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है तथा जो एएफएस श्रेणी में धारित हैं, उन्हें निधि गृहों से प्राप्त एनएवी के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।
- ड) पीटीसी निवेश वर्तमान में केवल एएफएस श्रेणी में धारित किए गए हैं तथा इनका मूल्यांकन परिपक्वता प्रतिफल (वहायटीएम) आधार पर केंद्र सरकार की समतुल्य परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों की वहायटीएम दरों पर उचित कीमत—लागत अंतर प्रभावी कर एवं एनबीएफसी बॉन्ड पर लागू कीमत—लागत अंतर के साथ किया जाता है। इस प्रकार के कीमत—लागत अंतर तथा वहायटीएम दरें स्थिर आय मुद्रा बाजार तथा `निर्धारित आय मुद्रा बाजार और वयुत्पन्न (डेरिवेटिवस) संघ' (एफआईएमएमडीए)/ एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित प्रासंगिक दरों के आधार पर लागू की जाती हैं.
- ढ) निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ–हानि लेखे में जमा/ नामे किया जाता है। तथापि, `परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से लाभ को पहले लाभ–हानि लेखे में जमा किया जाता है और उसके बाद वर्ष/ अविध की समाप्ति पर लागू करों को घटाकर पूंजी रिज़र्व खाते में समायोजित किया जाता है। बिक्री से हानि को लाभ–हानि लेखे में दर्शाया जाता है।
- ण) निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शाई जाती है।



- b) Investments 'Held To Maturity' are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized on straight line basis over the remaining period of maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments, including those in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates, under this category is provided for each investment individually.
- c) Investments 'Held for Trading' and 'Available for Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognised in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.
- d) Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit being discounted instruments are valued at carrying cost.
- e) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges.
- f) The quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are valued at prices declared by Financial Benchmark India Pvt Ltd (FBIL)
- g) The unquoted shares are valued at break-up value or at Net Asset Value if the latest Balance Sheet is available, else, at Rs 1/- per company and units of mutual fund are valued at repurchase price as per relevant RBI quidelines.
- h) The unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)/ FBIL
- i) Security receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at the end of each reporting period.
- j) Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non- traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per RBI guidelines
- k) Investment in Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF) is categorized as Held To Maturity and valued at cost. Provision is made for estimated shortfall in eventual recovery by September 2024
- VCF investments held in HTM category are valued at Carrying Cost and those held in AFS category are valued on NAVs received from Fund Houses.
- m) PTC investments are presently held only under AFS category and are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity and the spreads applicable are that of NBFC bonds. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)/ FBIL. MTM Provision is done on monthly basis.
- n) Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in 'Held to Maturity' category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated, net of applicable taxes to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account
- o) Investments are stated net of provisions





त) रेपो एवं रिवर्स रेपो लेन—देनः रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) व सीमांत आपाती सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से किए गए लेन—देनों सहित) रेपो व रिवर्स रेपो के लेन—देन क्रमशः ऋण लेने व ऋण देने वाले लेन—देन के रूप में दर्शाए जाते हैं. रेपो लेन—देन पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन—देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

अधिग्रहण लागतें:

अधिग्रहण लागत उस अवधि में दिखाई जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं। अधिग्रहण लागत वे लागतें हैं जो अलग—अलग होती हैं और मुख्य रूप से नए और नवीकरण बीमा अनुबंधों के अधिग्रहण से संबंधित होती हैं।

4. भुगतान किया गया लाभ:

- क) दावा लागत में पॉलिसी लाभ राशि और दावा निपटान लागत, जहां भी लागू हो, शामिल होते हैं।
- ख) दावे की मान्यता की तिथि पॉलिसी धारक द्वारा मृत्यु या समर्पण की सूचना प्राप्त होने की तिथि होगी। परिपक्वता, उत्तरजीविता लाभ, वार्षिकी आदि के मामले में दावों की मान्यता की तिथि पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार होगी।
- ग) न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष विवादित अस्वीकृत दावों को प्रबंधन विवेक के आधार पर आकस्मिक दायित्व माना जाता है।
- घ) उन अस्वीकृत दावों से संबंधित विवादित कानूनी मामलों के लिए प्रावधान किया गया है जहां एलआईसी द्वारा दायर अपील/रिट/ संशोधन लंबित रहने तक एलआईसी के खिलाफ फोरम/ कोर्ट द्वारा दी गई संपूर्ण राशि की सीमा तक लोअर फोरम/ कोर्ट द्वारा निगम के खिलाफ निर्णय दिया जाता है।

ऋण और प्रावधान

5.1 जीवन बीमा कारोबार के लिए

हानि प्रावधानों के अधीन ऋणों को ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है। गैर—निष्पादित आस्तियों के लिए परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान निम्नानुसार हैं:

- क) भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा बीमा कंपनियों को जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार, गृह संपत्ति पर ऋण, डिबेंचर और बांड और बंधक ऋण का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति को वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर वर्गीकृत किया गया है:
 - i. मानक
 - ii. उप-मानक
 - iii. संदिग्ध और
 - iv. हानि परिसंपत्तियाँ
- ख) गैर—निष्पादित ऋण, डिबेंचर और बॉन्ड और हाउस प्रॉपर्टी के खिलाफ बंधक ऋण का प्रावधान भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

5.2 बैकिंग कारोबार के लिए

- क) अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है।
- ख) जहाँ बही ऋणों सिहत मूर्त प्रतिभूति पर अग्रिमों का न्यूनतम 10% भाग विनिर्दिष्ट/ सृजित किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभूति को 'मूर्त आस्तियां' नहीं माना जाता है।
- ग) विगत वर्षों में बट्टे खाते डाले गए ऋणों में की गई वसूलियों तथा उधारकर्ता की मौजूदा स्थिति में आवश्यक न समझे गए प्रावधानों की राशि को लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।
- घ) बैंक अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों तथा निवेशों के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं करता है।



p) Repo and reverse repo transactions: In accordance with the RBI guidelines repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (including transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income

3. Acquisition Costs

Acquisition Costs are expensed in the period in which they are incurred. Acquisition costs are those costs that vary with and are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance contracts.

4. Benefits Paid

- a) Claims costs consist of the policy benefit amount and claims settlement costs, wherever applicable.
- b) The date of recognition of claim shall be the date of receipt of intimation of death or surrender by the policy holder. The date of recognition of claims in case of Maturity, Survival benefits, Annuity etc. shall be as per the terms and condition of the policies.
- c) Repudiated claims disputed before judicial authorities are treated as contingent liability based on management prudence.
- d) The provision is made for disputed legal cases pertaining to repudiated claims where decision is given against the Corporation by Lower Forum/Court to the extent of entire amount awarded by the Forum/Court against LIC, pending the Appeal/Writ/Revision filed by LIC.

5. Loans and Provisions

5.1 For Life Insurance Business

Loans are measured at historical cost subject to impairment provisions. Asset Classification and Provisioning for Non-Performing Assets are as follows:

- a) As per the guidelines issued to Insurance Companies by Insurance Regulatory and Development Authority of India. Assets representing Loans, Debentures and Bonds and Mortgage Loans against House Property are classified based on record of recovery as:
 - i. Standard
 - ii. Sub-standard
 - iii. Doubtful and
 - iv. Loss Assets
- b) Provisioning for Non-Performing loans, debentures and bonds and Mortgage Loans against House Property is made as per the guidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India.

5.2 For Banking Business

- a) Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances.
- b) Advances are classified as `Secured by Tangible Assets' when security of at least 10% of the advance has been stipulated/ created against tangible security including book debts. Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright, etc. are not considered as `Tangible Assets.'
- c) Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized as income in the Profit and Loss Account.
- d) The Bank does not make any floating provision for bad and doubtful advances and investments.





- ङ) पुनर्संरचित/ पुनःनिर्धारण ऋणों और अग्रिमों का बैंकों द्वारा ऋणों और अग्रिमों की पुनर्संरचना पर लागू रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
- च) बैंक, बोर्ड के अनुमोदन से प्रावधानीकरण पर संशोधित रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा यथा अपेक्षित प्रति—चक्रीय बफर बनाता है और इसका उपयोग सीमाओं और रिज़र्व बैंक(आरबीआई) द्वारा अनुमत परिस्थितियों के भीतर करता है।

अचल सम्पत्तिः

6.1 जीवन बीमा कारोबार के लिए

अचल संपत्तियों के मूल्य मूल्यह्रास घटाकर लागत (करों सहित) पर बताए गए हैं। निर्माणाधीन संपत्ति और कब्जे में ली गई संपत्तियों के लिए भुगतान की गई राशि, लंबित दस्तावेज, 'गृह संपत्ति एवं भूमि' के तहत गिना जाता है।

6.2 मूल्यह्रास / परिशोधनः

6.2.1 जीवन बीमा कारोबार के लिए

अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास / परिशोधन प्रबंधन द्वारा अनुमानित संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी—रेखा पद्धित का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई संपत्ति के लिए मासिक आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। व्यक्तिगत रूप से 5000 रुपये तक की लागत वाली संपत्ति, कम मूल्य की संपत्ति होने के कारण खरीद के वर्ष में राजस्व खाते में पूरा व्यय के रूप में लिया जाता है। प्रबंधन द्वारा किए गए उपयोगी जीवन मूल्यांकन के आधार पर मूल्यह्रास की दरें इस प्रकार हैं: —

| परिसंपत्ति | मूल्यह्रास की दर |
|--|------------------|
| फर्नीचर एवं फिटिंग्स | |
| फर्नीचर एवं फिटिंग्स | 10% |
| रेफ्रिजरेटर और वाटर कूलर आदि। | 13.91% |
| किराए के परिसर में बिजली फिटिंग और छत के पंखे | 10% |
| किराए/ स्वामित्व वाले परिसर में पंखे (टेबल/पेडेस्टल) | 10% |
| सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण | |
| इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर/माइक्रोप्रोसेसर प्रिंटर | 30% |
| माइक्रोप्रोसेसरों के लिए सॉफ्टवेयर | 30% |
| कार्ट्रिज टेप, कार्ट्रिज डिस्क | 30% |
| वाहन | |
| साइकिल | 15% |
| मोबाइल प्रचार वाहन | 20% |
| स्टाफ कारें | 20% |
| जीप | 20% |
| कार्यालय कारें– योजना VI | 20% |
| कार्यालय उपकरण | |
| केंटीन उपकरण | 10% |
| लेखा मशीन | 30% |
| एड्रेसोग्राफ, एड्रेमा और ब्रेडमा मशीन आदि। | 10% |
| टाइपराइटर | 10% |
| अनुलिपित्र | 20% |
| चेक राइटर्स | 10% |
| फ्रैंकिंग मशीनें | 10% |
| तुला मशीन | 10% |
| कॉम्पटोमीटर, मशीन जोड़ना और गणना करना | 20% |





- e) Provision on loans and advances restructured/rescheduled is made in accordance with the applicable RBI quidelines on restructuring of loans and advances by Banks.
- f) The Bank had made countercyclical provisioning buffer as required by RBI guidelines, in earlier years, with the approval of the Board, which can be utilized within the limits and in the circumstances permitted by Reserve Bank of India (RBI).

6. Fixed Assets:

6.1 For Life Insurance Business

Values of the fixed assets are stated at cost (inclusive of taxes) less depreciation. Property under construction and amounts paid for the properties taken in possession, pending documentation, are accounted under 'House Property and Land.

6.2 Depreciation / Amortisation:

6.2.1 For Life Insurance Business

Depreciation / amortisation on fixed assets is provided using the straight-line method, based on useful lives of assets as estimated by the management. Depreciation is charged on monthly pro-rata basis for assets purchased/sold during the year. Assets individually costing up to Rs. 5000 being low value assets are fully charged to revenue in the year of purchase. Based on useful life evaluation carried out by the management the rates of depreciation are as follows:

| Asset | Rate of Depreciation |
|---|----------------------|
| Furniture and fittings | |
| Furniture and fittings | 10% |
| Refrigerators and water coolers, etc. | 13.91% |
| Electric fittings and ceiling fans in rented premises | 10% |
| Fans(table/pedestal) in rented/ owned premises | 10% |
| Information Technology Equipment | |
| Electronic Computers/ microprocessors Printers | 30% |
| Software for microprocessors | 30% |
| Cartridge tapes, cartridge discs | 30% |
| Vehicles | |
| Cycles | 15% |
| Mobile Publicity Vans | 20% |
| Staff Cars | 20% |
| Jeeps | 20% |
| Office Cars-Scheme VI | 20% |
| Office Equipment | |
| Canteen Equipment | 10% |
| Accounting machines | 30% |
| Addressograph, Adrema and Bradma Machines, etc. | 10% |
| Typewriters | 10% |
| Duplicators | 20% |
| Cheque Writers | 10% |
| Franking machines | 10% |
| Weighing Machines | 10% |
| Comptometers, adding and calculating Machines | 20% |





| परिसंपत्ति | मूल्यहास की दर |
|--|---------------------------------|
| अन्य | |
| टेलीफोन | 10% |
| फैक्स/ई पी बी एक्स | 10% |
| मोबाइल फोन और अन्य संचार उपकरण | 30% |
| पुस्तकालय पुस्तकें | 20% |
| विविध पूंजी उपकरण | 10% |
| श्रव्य दृश्य और अन्य संबद्ध उपकरण | 30% |
| नियॉन साइन्स, ग्लो साइन्स, होर्डिंग्स और अन्य प्रचार सामग्री | 20% |
| 5000/ — से अधिक लागत वाले इंजीनियरिंग विभाग के उपकरण | 12.50% |
| वोल्टेज स्टेबलाइजर्स और यूपीएस | 30% |
| किराए के परिसर में जेनरेटर, डीजी सेट | 30% |
| भूमि और भवन | |
| गृह संपत्ति और भूमि (बंधन मुक्त) | 2% |
| गृह संपत्ति और भूमि (पट्टे पर) | लीज की अवधि में अनुपातिक रूप से |
| सहकारी समितियों में खरीदे गए स्वामित्व फ्लैट | 2% |
| घरेलू संपत्ति में विद्युत प्रतिष्ठान, पंखे, लिफ्ट और जनरेटर मुक्त कब्ज़ा (बंधन मुक्त) और पट्टे पर (बंधक) | 10% |

6.2.2 बैकिंग कारोबार के लिए

- क) अचल आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर उल्लिखित किया जाता है। परिसर का मूल्यांकन बैंक की नीति तथा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उसे संचित मूल्यह्रास घटाकर पुनर्मूल्यांकित राशि के रूप में दर्शाया जाता है।
- ख) अस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं. उपयोग में लाये जाने पर आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है।
- ग) पुनर्मूल्यन, यदि कोई हो, पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यन रिज़र्व में शामिल किया जाता है।
- घ) अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना लागत अथवा आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन की स्थिति में पुनर्मूल्यांकित राशियों के संदर्भ में सीधी रेखा पद्धति पर की जाती है।
- ङ) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यह्नास को तुलन—पत्र में पुनर्मूल्यन रिज़र्व से सामान्य रि. जर्व में अंतरित किया जाता है।
- च) 5000 रुपए से कम लागत की अलग—अलग अचल आस्तियों को उनके अर्जन के वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।
- छ) मूर्त आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ॥ के भाग इ में उपबंधित अनुसार आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया जाता है। उपयोगी जीवन और शेष मूल्यों की आविधिक समीक्षा की जाती है। यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किसी अचल आस्ति को अर्जित करते समय उस अचल अस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है।
- ज) वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यह्रास आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अविध के लिए लगाया जाता है।
- झ) लीज वाली भूमि को लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- ञ)
 2.50 लाख रुपए से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (नॉन-इंटिग्रल) को पूंजीकृत किया जाता है और इसे इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रासित किया जाता है जिसकी अवधि अधिकतम 6 वर्ष होती है।
- ट) अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:



| Asset | Rate of Depreciation |
|--|-------------------------------|
| Others | |
| Telephones | 10% |
| Fax/Epabx | 10% |
| Mobile phones and other communication equipment | 30% |
| Library Books | 20% |
| Miscellaneous Capital Equipment | 10% |
| Audio Visual & other Allied equipment | 30% |
| Neon signs, Glow signs, Hoardings and other publicity materials | 20% |
| Engineering Department's equipment costing over Rs.5000/- | 12.50% |
| Voltage stabilizers and UPS | 30% |
| Generators, DG sets in rented premises | 30% |
| LANDAND BUILDING | |
| House Property and Land (Freehold) | 2% |
| House Property and Land (Leasehold) | Prorata based on lease period |
| Ownership Flats purchased in Co-op Societies | 2% |
| Electrical Installations, fans, lifts and generators in House Property (Freehold& Leasehold) | 10% |

6.2.2 For Banking Business

- a) Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.
- b) Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets which have been put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- c) The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.
- d) Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued.
- e) In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation Reserve to General Reserve in the Balance Sheet.
- f) Fixed assets individually costing less than Rs.5000 are fully depreciated in the year of addition.
- g) Depreciation on tangible assets is allocated over useful life of the asset as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. The useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management estimate of the useful life of an asset at the time of acquisition of the asset or of remaining useful life on subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on the management's estimate of useful life / remaining useful life.
- h) Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets are actually held.
- i) Leasehold land is amortized over the period of lease.
- j) Computer Software individually costing more than Rs.2.50 Lacs is Capitalized and depreciated over its useful life, not exceeding 6 years.
- k) The useful lives of Fixed assets are as follows:





| परिसंपत्ति | अनुमानित उपयोगी जीवनकाल |
|---|-------------------------|
| स्वामित्व वाले परिसर | 60 |
| फर्नीचर एवं फिक्सचर्स | 10 |
| बिजली संस्थापना एवं मशीनरी | 10 |
| मोटर वाहन | 8 |
| कंप्यूटर (आंतरिक सॉफ्टवेयर सहित) | 3 |
| स्वचालित टेलर मशीन | 8 |
| वी—सैट उपकरण | 6 |
| कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं: फर्नीचर और फिक्सचर्स | 10 |
| कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं: पर्सनल कंप्यूटर | 3 |

परिसंपत्ति की क्षतिः

- क) प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में परिसंपत्तियों के वहन मूल्यों की क्षित के लिए समीक्षा की जाती है। यदि इस तरह की क्षित का कोई संकेत मौजूद है, तो उन परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और जहां भी आवश्यक हो, हानि की पहचान की जाती है।
- ख) जब भी घटनाएँ या परिस्थितियों में परिवर्तन आश्वस्त करता है कि संपत्ति की अग्रणीत राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है, तो हानि के लिए परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है। यदि ऐसी परिसंपत्तियों को बिगड़ा हुआ माना जाता है, तो पहचान की जाने वाली हानि को उस राशि से मापा जाता है जिसके द्वारा परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि संपत्ति के अनुमानित वर्तमान वसूली योग्य मूल्य या उपयोग में मूल्य से अधिक हो जाती है।
- ग) निगम की हानि नीति के अनुसार असूचीबद्ध/ कम कारोबार वाले इक्विटी शेयरों, अधिमानी शेयरों और संबद्ध निवेशों के तहत इक्विटी के लिए हानि का आकलन और हिसाब किया गया।

जीवन नीतियों के लिए दायित्वः

पॉलिसीधारकों के प्रति देयताएं निगम के जीवन बीमा व्यवसाय की वार्षिक जांच के अनुसार निगम के नियुक्त बीमांकक द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

9. विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव

9.1 जीवन बीमा कारोबार के लिए

i. विदेशी मुद्रा संव्यवहारः

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा में मौद्रिक मदों, यदि कोई हो, का वर्ष के अंत की समाप्ति दरों पर रूपांतिरत किया जाता है। निपटान/अनुवाद पर होने वाले परिणामी विनिमय लाभ या हानि को लागू होने वाले राजस्व या लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

गं. गैर-अभिन्न विदेशी संचालन

- क) विदेशी व्यापार / विदेशी सहायक कंपनी से संबंधित लाइफ फंड को संबंधित देशों के वैधानिक नियमों के अनुसार निवेश किया गया है।
- ख) वर्ष के अंत में विदेशों में शाखाओं के वित्तीय विवरण स्थानीय कानूनों के अनुसार तैयार किए जाते हैं और सुवा (फिजी) शाखा को छोड़कर विनिमय की उचित दरों पर रूपांतरण किया जाता है, जिसके लिए वित्तीय से उचित दरों पर रूपांतरण किया जाता है, क्योंकि शाखा के खाते कैलेंडर वर्ष के आधार पर तैयार किए जाते हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक का विवरण।
- ग) ऐसे रूपांतरणों पर उत्पन्न होने वाले विनिमय लाभ या हानियों को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें वे राजस्व खाते में उत्पन्न होते हैं।
- घ) फिजी, मॉरीशस और यू.के. में किए गए संचालन गैर—अभिन्न प्रकृति के हैं। राजस्व खाता मदों को औसत विनिमय दर और तुलन-पत्र मदों को समापन दर पर अनुवादित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन विनिमय अंतर शेयरधारकों या पॉलिसीधारकों के खाते के तहत विदेशी मुद्रा में उतार—चढ़ाव रिजर्व में जमा होता है जैसा भी मामला हो।
- ङ) भारत से भेजे गए प्रेषणों द्वारा भारत के बाहर किए गए निवेशों को मूल रुपये की लागत पर या जल्द से जल्द दर्ज की गई रुपये की लागत पर हिसाब किया जाता है, जहां मूल लागत उपलब्ध नहीं होती है।



| Asset | Useful Life (in Years) |
|---|------------------------|
| Owned Premises | 60 |
| Furniture and Fixtures | 10 |
| Electrical Installation and Machinery | 10 |
| Motor Vehicles | 8 |
| Computers (Including Integral Software) | 3 |
| Automated Teller Machine | 8 |
| VSAT Equipment | 6 |
| Consumer Durable with Employees- Furniture and Fixtures | 10 |
| Consumer Durable with Employees- Personal Computers | 3 |

7. Impairment of assets:

- a) The carrying values of assets at each Balance Sheet date are reviewed for impairment. If any indication of such impairment exists, the recoverable amounts of those assets are estimated and impairment is recognised, wherever necessary.
- b) Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use.
- c) The impairment for unlisted/thinly traded equity shares, preference shares and equity under affiliated investments as assessed and accounted for in accordance with the Impairment Policy of the Corporation.

8. Liability for Life Policies:

The liabilities towards Policyholders are determined by the Corporation's Appointed Actuary pursuant to his annual investigation of the Corporation's life insurance business.

9. Effect of changes in the foreign exchange rate

9.1 For Life Insurance Business

i. Foreign Currency Transactions

Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. Monetary items in foreign currency, if any, are translated at the year-end closing rates. The resultant exchange gain or loss arising on settlement/translation is recognized in the Revenue or Profit and Loss Account as applicable.

ii. Non-Integral Foreign Operations

- a) Life Fund relating to foreign business/foreign subsidiary has been invested according to the statutory regulations of the respective countries.
- b) Financial Statements of branches in foreign countries as at the year end are prepared in accordance with local laws and are translated at appropriate rates of exchange except for Suva (Fiji) branch, for which the conversion is done at appropriate rates, from the financial statement as at 31st December, each year, since the accounts of the branch are prepared on calendar year basis.
- c) Exchange gains or losses arising on such conversions are recognised in the period in which they arise in the Revenue Account.
- d) Operations carried out in Fiji, Mauritius and U.K. are of non integral nature. The Revenue A/c items are translated at the average exchange rate and Balance Sheet items at closing rate. Revaluation Exchange difference is accumulated in Foreign Exchange fluctuation Reserve under shareholders or policyholders account as the case may be.
- e) Investments made outside India by remittances sent from India are accounted for at original rupee cost or at the earliest recorded rupee cost, where original cost is not available.





9.2 बैकिंग कारोबार के लिए

- क) विदेशी मुद्रा लेन—देन को आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर लेन—देन की तारीख के प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ—हानि लेखे में दर्शाया जाता है। मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अविध की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।
- ख) ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार के लिए नहीं की गई हैं, की शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है। अन्य वायदा विनिमय संविदाएं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है।
- ग) ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार के लिए नहीं हैं, का अंतिम फेडाई दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है। अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा विनिदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है। इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ–हानि लेखे में शामिल किया जाता है।
- घ) वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/ हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर हिसाब में लिया जाता है।
- ङ) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की अंतिम दरों पर की जाती है।
- च) विदेशी शाखा के परिचालनों को `एकीकृत विदेशी परिचालनों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आस्तियों व देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित औसत तिमाही बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है। इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ—हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

10. कर्मचारियों को लाभ:

10.1 जीवन बीमा कारोबार के लिए

- क) निगम द्वारा जारी समूह ग्रेच्युटी बीमा पॉलिसी के माध्यम से कर्मचारियों को उपदान (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर) प्रदान किया जाता है और इस तरह, उसके संबंध में दायित्व, जीवन निधि का हिस्सा बनता है।
- ख) जिन कर्मचारियों ने भविष्य निधि योजना का विकल्प चुना है, उनके संबंध में जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के तहत गठित भविष्य निधि ट्रस्ट में समान अंशदान किया जाता है।
- ग) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के मामले में, योगदान तब किया जाता है जब संबंधित सेवाएं प्रदान की जाने वाली अवधि के दौरान राजस्व खाते में देय और प्रभारित किया जाता है।
- घ) पेंशन योजना का चयन करने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ योजना के मामले में, भविष्य निधि योजना के बदले
 में, निगम का योगदान भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन फंड ट्रस्ट में किया जाता है और उक्त योगदान सिहत पिछले सेवा योगदान बीमांकिक गणना के आधार पर किया जाता है।
- ड) निगम द्वारा जारी सामूहिक अवकाश नकदीकरण बीमा पॉलिसी के माध्यम से सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर) प्रदान किए जाते हैं और इस प्रकार, इसके संबंध में देयता, जीवन निधि का हिस्सा बनती है।

10.2 बैकिंग कारोबार के लिए

- क) अंशदान के देय होने पर निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं में किए गए भुगतान को वर्ष के लाभ–हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।
- ख) निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण पूर्वलिक्षत इकाई ऋण पद्धित का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक तुलन—पत्र की तारीख को किया जाता है। बीमांकिक लाभ या हानि को उस अविध के लाभ—हानि लेखे में दिखाया जाता है जिसमें लाभ या हानि होती है।
- ग) कर्मचारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बदले अदा किये जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अबट्टाकृत राशि को उस अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है।





9.2 For Banking Business

- a) Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.
- b) Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognized.
- c) Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profits/losses are recognized in the Profit and Loss Account.
- d) Profits/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, are recognized on the date of termination.
- e) Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts are calculated at the contracted rates of exchange and those in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.
- f) Operations of foreign branch are classified as `Integral Foreign Operations'. Assets and Liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) Income and Expenditure items are translated at quarterly average rates. The resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss Account.

10. Employee benefits

10.1 For Life Insurance Business

- a) Gratuity to employees is provided for (on the basis of Actuarial Valuation) through a Group Gratuity Insurance Policy issued by the Corporation and as such, the liability in respect thereof, forms part of the Life Fund.
- b) In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, matching contribution is made to the Provident Fund Trust formed under Life Insurance Corporation Act 1956.
- c) In case of Defined Contribution Pension Scheme, the contributions are made when due and charged to Revenue account during the period when related services are rendered.
- d) In case of Defined Benefit Plan for employees who have opted for Pension Scheme, in lieu of Provident Fund Scheme, the Corporation's contribution is made to the Pension Fund Trust, in accordance with the Pension Rules notified by the Government of India and the said contribution including past service contribution is made on the basis of Actuarial calculation.
- Leave Encashment Benefits on retirement are provided for (on the basis of Actuarial Valuation) through a
 Group Leave Encashment Insurance Policy issued by the Corporation and as such, the liability in respect
 thereof, forms part of the Life Fund.

10.2 For Banking Business

- a) Payments to defined contribution schemes are charged to Profit and Loss Account of the year when contribution are due.
- b) For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognized in the Profit and Loss Account for the period in which they occur.
- c) The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.





11. प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक संपत्तियां।

- क) कोई भी प्रावधान एक विश्वसनीय अनुमान के आधार पर किया जाता है जब यह संभव हो कि किसी दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। आकस्मिक दायित्व (पॉलिसियों के अलावा), यदि महत्वपूर्ण हैं, तो टिप्पणियों के माध्यम से प्रकट की जाती हैं।
- ख) वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को पहचाना या प्रकट नहीं किया गया है।

12. प्राप्ति और भुगतान खाताः

प्राप्तियां और भुगतान खाता वित्तीय विवरण तैयार करने और जीवन बीमा व्यवसाय की विवरणियां दाखिल करने संबंधी संदर्भ संख्या IRDA/F&A/Cir/232/12/2013 दिनांक 11 दिसंबर, 2013 के मास्टर परिपत्र के पैरा 2.2 के अनुसार प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार और रिपोर्ट किया जाता है।

13. कराधानः

13.1 जीवन बीमा कारोबार के लिए

- क) प्रत्यक्ष कर: आयकर का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 के प्रावधानों के साथ पहली अनुसूची में निहित नियमों और जीवन बीमा कारोबार के लिए लागू आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
- ख) अप्रत्यक्ष कर: निगम इनपुट सेवाओं पर माल और सेवा कर के क्रेडिट का दावा करता है, जिसे आउटपुट सेवाओं पर माल और सेवा कर के खिलाफ सेट किया जाता है। इनपुट सेवाओं पर माल और सेवा कर के लिए अप्रयुक्त क्रेडिट को तुलन-पत्र में 'अनुसूची 12 अग्रिम और अन्य संपत्ति' के तहत आगे बढ़ाया जाता है, जहां उपयोग की उचित निश्चितता होती है।
- ग) समेकित वित्तीय विवरण में, आयकर व्यय मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के अलग—अलग वित्तीय विवरणों में उनके लागू कानूनों के अनुसार प्रदर्शित होने वाले कर व्यय की कुल राशि है।

13.2 .. बैकिंग कारोबार के लिए

- क) चालू कर आय कर की वह निर्धारित राशि है जो किसी अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है. इसकी गणना आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा आय परिकलन और प्रकटन मानकों (आईसीडीएस) के अनुसार की जाती है.
- ख) वर्ष के बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थिगत कर को उन कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है जो तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये हों. समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थिगित कर आस्तियों को इनकी भविष्य में वसूली की पर्याप्त निश्चितता की सीमा तक हिसाब में लिया जाता है.
- ग) अनवशोषित हानियों के मामले में आस्थिगत कर आस्तियां तभी मानी जाती हैं जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थिगित कर आस्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती हैं.
- विभागीय अपीलों सहित जिन विवादित करों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है.
- ड) न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के संबंध में कर जमा का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेएए के प्रावधानों के अनुसार युक्तियुक्त साक्ष्य के आधार पर इस शर्त के साथ किया जाता है कि कंपनी सांविधानिक समय—सीमा के अंतर सामान्य आय कर का भुगतान करेगी तथा प्रत्येक तुलन—पत्र की तारीख को इसकी समीक्षा की जाती है.
- च) आईडीबीआई बैंक ने कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के अनुसार कम कर दर का विकल्प चुना है, जो अन्य बातों के साथ—साथ यह प्रावधान करता है कि एमएटी कम कर का विकल्प चुनने वाली देशी कंपनियों के लिए लागू नहीं होगा.
- छ) समेकित वित्तीय विवरणों में, आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों की गणना एकल इकाई स्तर पर की जाती है और समेकित रिपोर्टिंग के लिए एकत्रित की जाती है.

14. पट्टे:

क) परिचालन पट्टा: पट्टों जहां पट्टेदार प्रभावी रूप से पट्टे की अवधि में स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टे रेंटल को स्ट्रेट—लाइन आधार पर लीज अवधि में खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

जहां निगम पट्टेदार है, परिचालन पट्टों के अधीन परिसंपत्तियों को अचल संपत्तियों में शामिल किया जाता है। पट्टे की आय को राजस्व/ लाभ और हानि खाते में पट्टे की अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। मूल्यह्रास सहित लागतों को राजस्व/ लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।





11. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

- a) A Provision is made based on a reliable estimate when it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle an obligation. Contingent liabilities (other than policies), if material, are disclosed by way of notes.
- b) Contingent assets are not recognized or disclosed in the financial statements

12. Receipts and Payments Account:

Receipts and Payments Account is prepared and reported using the Direct Method in accordance with Para 2.2 of the Master Circular on Preparation of Financial Statements and Filing of Returns of Life Insurance Business Ref No. IRDA/F&A/Cir/232/12/2013 dated December 11 2013.

13. Taxation:

13.1 For Life Insurance Business

- a) Direct Taxation: Provision for income tax is made in accordance with the provisions of Section 44 of the Income Tax Act, 1961 read with Rules contained in the First Schedule and other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961 as applicable for life insurance business
- b) Indirect Taxation: The Corporation claims credit of goods and Services tax on input services, which are set off against goods and services tax on output services. Unutilised credits towards goods and services tax on input services are carried forward under 'Schedule 12 -Advances and Other Assets' in the Balance Sheet, wherever there is reasonable certainty of utilization.
- c) In Consolidated Financial Statement, income tax expenses are the aggregate of the amounts of tax expense appearing in the separate financial statements of the parent and its subsidiaries, as per their applicable laws.

13.2 In case of Banking Business

- a) Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).
- b) Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the Balance Sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.
- c) Deferred tax assets in case of unabsorbed depreciation/ losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.
- d) Disputed taxes not provided for including departmental appeals are included under Contingent Liabilities.
- e) In respect of certain subsidiaries, tax credit is recognized in respect of Minimum Alternate Tax (MAT) as per the provisions of Section 115JAA of the Income tax Act, 1961 based on convincing evidence that it will pay normal income tax within the statutory time frame and is reviewed at each balance sheet date.
- f) IDBI Bank has opted for the lower tax rate as per Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 through Taxation Laws (Amendments) Act, 2019 which provides, inter alia, that MAT would not be applicable for the domestic companies opting for the lower tax.
- g) In the consolidated financial statements, deferred tax assets and liabilities are computed at an individual entity level and aggregated for consolidated reporting.

14. Leases

i. Operating Lease: Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership over the lease term are classified as operating leases. Operating lease rentals are recognised as an expense over the lease period on a straight-line basis.

Where the Corporation is the lessor, Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Lease income is recognised in the Revenue/Profit and Loss Account on a straight-line basis over the lease term. Costs, including depreciation are recognised as expense in the Revenue/Profit and Loss Account





ख) वित्त पट्टा: पट्टों के तहत निगम पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों को मानता है और संपत्ति के स्वामित्व के पुरस्कारों को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अधिग्रहीत ऐसी पट्टे पर दी गई संपत्ति को परिसंपत्ति के उचित मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है या पट्टे की शुरुआत में न्यूनतम पट्टा किराया भुगतान का वर्तमान मूल्य, जो भी कम हो।

15. उधार लेने की लागतः

उधार लेने की लागत में ब्याज, जमा पर कमीशन/ब्रोकरेज और विदेशी मुद्रा उधारों से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर उस सीमा तक शामिल हैं. जिस हद तक उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।

16. प्रति शेयर आयः

प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ या हानि को अविध के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डायल्यूटेड आय की गणना कर के बाद शुद्ध लाभ या हानि को प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या भी जो सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे, से विभाजित करके की जाती है।

17. प्रतिभूतीकरण लेन-देनः

बैकिंग कारोबार के लिए

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतीकरण से इन परिसंपत्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं (एसपीवी) को बिक्री की जाती है, जो इसके बदले में निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं। प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है। बैंक खातों को बिक्री के समय ही होने वाली किसी भी हानि के लिए और बिक्री से होने वाले लाभ/प्रीमियम को एसपीवी द्वारा, जिन्हें परिसंपत्तियां बेची गयी हैं, जारी की गयी या जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है।

कंपनी की बहियों में प्रतिभूतीकृत परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना, प्रतिभूतिकरण पर होने वाले लाभ या हानि की मान्यता और कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋण वृद्धि के लिए लेखांकन, इनस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों पर आधारित है।

संपत्ति पर नियंत्रण के आत्मसमर्पण के सिद्धांत के आधार पर कंपनी की पुस्तकों में प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों को अमान्य कर दिया गया है।

18. प्रतिभूतीकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री:

- क) प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/पुनर्सरचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्रतिभूति रसीद (एसआर)/ प्रभाव अंतरण प्रमाणपत्र (पीटीसी) के भुनाई मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति के निवल बही मूल्य में से निम्नतर आधार पर की गई है।
- ख) पूरी तरह से प्रावधान की गई परिसंपत्तियों अर्थात संदिग्ध परिसंपत्तियों की बिक्री और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए मामलों में प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की बैंक की निवेश बही में एक रुपए के रूप में गणना की जाती है।
- ग) यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य(एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य धारित प्रावधान हटाकर) से कम मूल्य पर किया जाता है तो कमी को उस वर्ष के लाभ—हानि खाते में डेबिट किया जाता है बैंक अनर्जक पिरसंपितयों की बिक्री में किसी भी कमी अर्थात् जब बिक्री एनबीवी से कम हो, को पूरा करने के लिए प्रतिचक्रीय/ अस्थायी प्रावधानों का प्रयोग कर सकते हैं।
- घ) यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर किया जाता है तो अतिरिक्त प्रावधान को राशि के प्राप्त होने वाले वर्ष में ही प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है। तथापि, आधिक्य प्रावधान का ऐसा प्रत्यावर्तन परिसंपत्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकद राशि तक सीमित है।

19. वयुत्पन्न लेनदेन (बैकिंग कारोबार के लिए)

हेज के रूप में नामित लेन-देनों में :

- क) डेरिवेटिव लेन-देन पर भुगतान योग्य/ प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है।
- ख) हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/ हानि को स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर दर्शाया जाता है।
- ग) अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुनः अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है।





ii. Finance Lease: Leases under which the Corporation assumes substantially all the risk and rewards of ownership of the asset are classified as finance leases. Such leased asset acquired are capitalised at fair value of the asset or present value of the minimum lease rental payments at the inception of the lease, whichever is lower.

15. Borrowing Costs:

Borrowing costs include interest, commission/brokerage on deposits and exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent they are regarded as adjustment to interest cost.

16. Earnings per share:

Basic earnings per share is computed by dividing the net profit or loss after tax attributable to equity shareholders by weighted average number of equities shares outstanding during the period. Diluted earnings per share is computed by dividing the net profit or loss after tax by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per share and also the weighted average number of equity shares that could have been issued upon conversion of all dilutive potential equity shares

17. Securitisation Transactions

For Banking Business

Securitisation of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognised when the control over the contractual rights in the securitised assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortised over the life of the securities issued/ to be issued by the SPV to which the assets are sold.

De-recognition of Securitized assets in the books of the Company, recognition of gain or loss arising on Securitization and accounting for credit enhancement provided by the company is based on the extant guidelines issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Securitized Assets are derecognized in the books of the Company based on the principle of surrender of control over the assets

18. Sale of financial assets to Securitization Companies/Reconstruction Companies

- a) Sale of financial assets to Securitisation Companies (SCs) / Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs) / Pass Through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset.
- b) In case of sale of assets which are fully provided and Technically Written off, the Security Receipts (SRs) are reckoned at Rupee one in the investment book of the Bank.
- c) In case the sale value is at a price below the Net Book Value(NBV) (i.e., book value less provision held), the shortfall is be debited to the profit and loss account of that year. The Bank also uses, with permission of RBI, countercyclical/floating provisions for meeting any shortfall on sale of NPAs i.e. when the sale is at a price below the NBV.
- d) In case, sale value is higher than the NBV, the excess provision is reversed to the profit and loss account in the year in which cash amounts are received. However, such reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

19. Derivative Transactions (In case of the Banking Business)

i. In Transactions designated as 'Hedge'

- a) Net interest payable/receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.
- b) On premature termination of Hedge swaps, any profit/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.
- c) Re designation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.





घ) हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता. बाजार के लिए अंकित हेज करारों के संबंध में बाजार मूल्य में पिरवर्तनों को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

हेडिंग' के रूप में नामित लेन-देनों में:

- क) 'ट्रेडिंग के लिए' नामित बकाया डेरिवेटिव लेन—देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ—हानि लेखें में शामिल किया जाता है। विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन—पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ—हानि लेखें में अंतरित कर दिया जाता है।
- ख) एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ़) खंड में ट्रेडिंग के लिए नामित डेरिवेटिव लेन—देनों मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शन और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और उनका नकदी निपटान टी+1 आधार पर किया जाता है। इन लेन—देनों से हुए लाभ/ हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित की गई माह के अंत की निपटान तारीख को लाभ— हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. वायदा सौदों एवं विकल्प संविदा में लेन-देन

- क) भावी संविदा करने / विकल्पों की बिक्री के समय देय प्रारंभिक मार्जिन को सावधि जमा, नकद जमा और प्रतिभूतियों के रूप में एक्सचेंजों के साथ जमा के साथ समायोजित किया जाता है।
- ख) भावी संविदा में लेन—देन को संविदा के कल्पित व्यापार मूल्य पर खरीद और बिक्री के रूप में माना जाता है। तुलन पत्र की तिथि के अनुसार फ्यूचर्स में अस्थिर ब्याज को इसके कल्पित मूल्य से घटाया जाता है।
- ग) पिछले दिन के निपटान मूल्य या एक्सचेंज क्लोजिंग मूल्य और बाद के दिन के एक्सचेंज क्लोजिंग मूल्य में एक्सचेंज को किए गए या प्राप्त भुगतान अंतर को मार्क टू मार्केट मार्जिन के रूप में माना जाता है। मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट में बैलेंस, तुलन पत्र की तारीख तक भावी संविदा में अस्थिर ब्याज की कीमतों में बदलाव के आधार पर भुगतान या प्राप्त की गई निवल राशि को दर्शाता है। मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट में निवल नामे बैलेंस को राजस्व से प्रभारित किया जाता है जबिक निवल जमा बैलेंस को चालू देनदारियों के तहत दिखाया जाता है।
- घ) विकल्पों की खरीद और बिक्री पर भुगतान या प्राप्त प्रीमियम और विकल्पों के प्रयोग पर भुगतान या प्राप्त अंतर को खरीद या बिक्री के रूप में गिना जाता है। तुलन पत्र की तारीख को बेचे गए विकल्पों में खुले ब्याज के मामले में, उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके द्वारा तुलन पत्र की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम उन विकल्पों के लिए प्राप्त प्रीमियम से अधिक हो जाता है। तुलन पत्र की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम से अधिक प्राप्त प्रीमियम को मान्यता नहीं दी जाती है। इसी तरह, खरीदे गए विकल्पों के मामले में, उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके द्वारा विकल्प के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम तुलन पत्र की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम से अधिक हो जाता है और भुगतान किए गए प्रीमियम पर तुलन पत्र की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम की अधिकता को उपेक्षित कर दिया जाता है। कई खुली स्थितियों के मामले में, खरीद और बिक्री की स्थिति में शेष राशि को घटाने के बाद प्रावधान किया जाता है या अतिरिक्त प्रीमियम को उपेक्षित कर दिया जाता है।

20. खंडीय रिपोर्टिंगः

क) खंडों की पहचान:

कंपनी अधिनियम 2013 और नियमों की धारा 133 के तहत अधिसूचित खंडीय रिपोर्टिंग पर लेखा मानक 17 के साथ पित आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियम 2002 ('विनियम') के तहत पहचाने गए प्राथमिक खंडों के आधार पर और नियम इसके तहत, निगम ने शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के लिए अलग—अलग खंडीय जानकारी को वर्गीकृत और प्रकट किया है। तदनुसार निगम ने प्राथमिक व्यवसाय खंडों के लिए राजस्व खाता और तुलन पत्र तैयार किया है अर्थात पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंडिविजुअल, पार्टिसिपेटिंग पेंशन इंडिविजुअल, पार्टिसिपेटिंग एन्युटी इंडिविजुअल, नॉन पार्टिसिपेटिंग पेंशन (इंडिविजुअल एंड ग्रुप), नॉन पार्टिसिपेटिंग पेंशन (इंडिविजुअल, नॉन पार्टिसिपेटिंग पेंशन (इंडिविजुअल, नॉन पार्टिसिपेटिंग वेरिएबल इंडिविजुअल, नॉन पार्टिसिपेटिंग हेल्थ इंडिविजुअल, नॉन पार्टिसिपेटिंग यूनिट लिंक्ड, पूंजी मोचन और वार्षिकी निश्चित व्यवसाय (सीआरएसी)। निगम विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य करता है।

ख) व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में व्यय के आवंटन का आधार:

जीवन बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय को गैर-लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग, असंबद्ध गैर-भागीदारी (नॉन-लिंक्ड नॉन-पार्टिसिपेटिंग), सामान्य वार्षिकी, पेंशन, स्वास्थ्य, समूह व्यवसाय, यूनिट संबद्ध (लिंक्ड) और सीआरएसी व्यवसाय के आधार पर आवंटित किया जाता है:



d) Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognised in the Profit and Loss Account.

ii. In Transactions designated as 'Trading':

- Outstanding derivative transactions designated as 'Trading,' which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the Profit and Loss Account. Premium on options is recorded as a Balance Sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.
- b) Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit and Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.

iii. Transactions in Futures and Options:

- a) Initial Margin payable at the time of entering into futures contract / sale of options is adjusted against the deposits with the exchanges in the form of fixed deposits, cash deposits and securities.
- b) Transactions in Future contracts are accounted as Purchase and Sales at the notional trade value of the contract. The open interest in futures as at the Balance Sheet date is netted by its notional value.
- c) The difference in the settlement price or exchange closing price of the previous day and exchange closing price of the subsequent day, paid to or received from the exchange is treated as Mark to Market Margin. The balance in the Mark to Market Margin Account represents the net amount paid or received on the basis of movement in the prices of open interest in futures contracts till the balance sheet date. Net debit balance in the Mark to Market Margin Account is charged off to revenue whereas net credit balance is shown under current liabilities.
- d) Premium paid or received on purchase and sale of options and the difference paid or received on exercise of options is accounted as Purchases or Sales. In case of open interest in options sold as on the balance sheet date, provision is made for the amount by which premium prevailing on the Balance Sheet date exceeds the premium received for those options. The excess of premium received over the premium prevailing on the Balance Sheet date is not recognized. Similarly, in case of options bought, provision is made for the amount by which the premium paid for the option exceeds the premium prevailing on the Balance Sheet date and the excess of premium prevailing on the Balance Sheet date over the premium paid is ignored. In case of multiple open positions, provision is made or excess premiums are ignored after netting off the balances in buy as well as sell positions.

20. Segmental Reporting:

a) Identification of Segments: Based on the primary segments identified under IRDA (preparation of Financial statements and auditors' report of insurance Companies) regulations 2002 ('the regulations') read with Accounting Standard 17 on "segmental reporting" notified under section 133 of the Companies act 2013 and rules there under, the corporation has classified and disclosed segmental information separately for shareholders and policyholders. Accordingly the Corporation has prepared the Revenue Account and the Balance Sheet for the primary business segments namely Participating Life Individual, Participating Pension Individual, Participating Annuity Individual, Non Participating Life (Individual & Group), Non Participating Pension (Individual & Group), Non Participating Annuity Individual, Non Participating individual Variable, Non Participating individual Health, Non Participating Unit Linked and Capital Redemption and Annuity Certain Business (CRAC). The Corporation operates in various geographical segments.

b) Basis of allocation of expenditure to various segments of business:

Operating expenses relating to life insurance business are allocated to Non-Linked Participating, Non-Linked Non-Participating, General Annuities, Pensions, Health, Group Business, Unit Linked Business and CRAC business on the basis of:





- क. व्यवसाय की संबंधित लाइनों के लिए सीधे पहचाने जाने योग्य व्यय वास्तविक आधार पर व्यवसाय की इन पंक्तियों को आवंटित किए गए हैं, और
- ख. अन्य व्यय जो व्यवसाय की संबंधित लाइनों के लिए सीधे पहचाने जाने योग्य नहीं हैं, उन्हें निम्नलिखित आधार पर या इनके संयोजन के आधार पर सामान्य पूल से आवंटित किया जाता है:
 - i. पॉलिसी की संख्या
 - ii. कुल प्रीमियम आय
 - iii. आश्वस्त राशि

व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य व्यय का आवंटन निगम की अनुमोदित व्यय नीति पर आधारित है।

21. भविष्य के विनियोगों के लिए निधि:

गैर—लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग बिजनेस के लिए, भविष्य के विनियोग खाते के लिए फंड में शेष राशि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका आवंटन, 'पॉलिसी धारकों' या 'शेयरधारकों' में भाग लेने के लिए, तुलन-पत्र की तारीख में निर्धारित नहीं किया गया है। निधि में और से स्थानांतरण निगम के 'पॉलिसी धारकों' निधि में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक लेखा अविध में व्यय और विनियोग पर आय की अधिकता या कमी को दर्शाता है। भाग लेने वाली नीतियों के संबंध में पॉलिसीधारक को कोई भी आवंटन भी आवश्यक अनुपात में एक शेयरधारक हस्तांतरण को जन्म देगा।

यूनिट—लिंक्ड फंड में भविष्य के विनियोग के लिए फंड, अधिशेष का प्रतिनिधित्व करता है जो कि व्यपगत नीतियों से उत्पन्न हुआ है, जिन्हें पुनर्जीवित करने की संभावना नहीं है। इस अधिशेष को 'पॉलिसीधारकों' के फंड में तब तक रखना आवश्यक है जब तक कि पॉलिसीधारक अपनी पॉलिसी को पुनर्जीवित नहीं कर सकते।

22. पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि:

पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि के लिए रखी गई संपत्तियां 17 नवंबर, 2020 के परिपत्र संख्या IRDA/F&A/CIR/Misc/282/11/2020 और निवेश विनियम, 2016 के तहत पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि पर मास्टर परिपत्र की आवश्यकता, और समय—समय पर इसका संशोधित रूप, के अनुसार सृजित बनाए रखी जाती हैं:

- क) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशियों की संपत्ति का खुलासा अनुसूची 12 "अग्रिम और अन्य संपत्ति" में किया गया है, जो तुलन-पत्र का हिस्सा है। दावा न की गई संपत्ति पर संबंधित आय को राजस्व खाते में ब्याज, लाभांश और किराया— सकल के तहत दिखाया गया है।
- ख) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि पर अर्जित आय को संबंधित दावा न किए गए फंड में जमा किया जाता है और एक प्रोद्भवन आधार पर हिसाब किया जाता है।
- ग) निधि में सभी संबंधित अभिवृद्धियों के साथ 10 वर्षों की अविध के लिए दावा न की गई राशि को आईआरडीएआई विनियमों की आवश्यकता के अनुसार विरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) में जमा किया जाता है।





- a. Expenses which are directly identifiable to the respective lines of business have been allocated to these lines of business on actual basis, and
- b. Other expenses which are not directly identifiable to the respective lines of business are allocated out of the common pool on the following basis or a combination of these:
 - i. Number of policies
 - ii. Total premium income
 - iii. Sum assured

Allocation of common expenses among various lines of business is based on the approved expense policy of the Corporation.

21. Funds for future appropriations:

For Non- linked Participating business, the balance in the funds for future appropriations account represents funds, the allocation of which, either to participating 'Policy Holders' or to 'Shareholders', has not been determined at the Balance Sheet date. Transfers to and from the fund reflect the excess or deficit of income over expenses and appropriations in each accounting period arising in the Corporation's 'Policy holders' fund. In respect of participating policies any allocation to the policyholder would also give rise to a shareholder transfer in the required proportion.

The fund for future appropriations held in the Unit-Linked funds, represents surplus that has arisen from lapsed policies unlikely to be revived. This surplus is required to be held within the 'policyholders' fund till the point at which the policyholders' can no longer revive their policy.

22. Unclaimed amount of policyholders:

Assets held for unclaimed amount of policyholders are created and maintained in accordance with the requirement of Master circular on Unclaimed amount of Policyholders IRDA/F&A/CIR/Misc/282/11/2020 dated November 17 2020 and Investment Regulations, 2016 as amended from time to time:

- a) Assets of unclaimed amounts of policyholders are disclosed in Schedule 12 "Advances and Other Assets", forming part of Balance Sheet. Corresponding income on unclaimed assets is shown under "Interest, Dividend & Rent- Gross" in Revenue Account.
- b) Income earned on unclaimed amount of policyholders is accreted to respective unclaimed fund and is accounted for on an accrual basis.
- c) Amounts remaining unclaimed for a period of 10 years along with all respective accretions to the fund are deposited into the Senior Citizen Welfare Fund (SCWF) as per requirement of IRDAI regulations





2. समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए विचार की गई सहायक/सहयोगियों की सूची।

(क) सहायक कंपनियां

| | क्र. सहायक कंपनी का नाम | देश जहाँ निगमित | एलआईसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी | |
|------|--|-----------------------|----------------------------------|---------|
| क्र. | | दश जहां निगामत हुई | 31 मार्च तक, | |
| | | | 2022 | 2021 |
| 1 | एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड | भारत | 100.00% | 100.00% |
| 2 | एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड | भारत | 100.00% | 100.00% |
| 3 | जीवन बीमा निगम (सिंगापुर) पीटीई. लिमिटेड | सिंगापुर | 100.00% | 100.00% |
| 4 | जीवन बीमा निगम (एलआईसी) बांग्लादेश लिमिटेड | बांग्लादेश | 83.33% | 83.33% |
| 5 | जीवन बीमा निगम (नेपाल) लिमिटेड | नेपाल | 55.00% | 55.00% |
| 6 | जीवन बीमा निगम (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी) | बहरीन | 99.66% | 98.90% |
| 7 | जीवन बीमा निगम (लंका) लिमिटेड | श्री लंका | 80.00% | 80.00% |

(ख) सहयोगी कंपनियां

| | क्र. सहयोगी कंपनी का नाम | देश जहाँ निगमित | एलआईसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी | |
|------|--|---------------------|----------------------------------|---------|
| क्र. | | सहयोगी कंपनी का नाम | 31 मार्च तक, | |
| | | | 2022 | 2021 |
| 1 | एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड | भारत | 45.24% | 40.31% |
| 2 | एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | भारत | 5.38%** | 5.38%** |
| 3 | एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड | भारत | 45.00% | 45.00% |
| 4 | एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्रा. लिमिटेड | भारत | 49.00% | 49.00% |
| 5 | आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड | भारत | 29.84% | 29.84% |
| 6 | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (1) | भारत | 49.24% | 49.24% |

नोट्सः-

- आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में, एलआईसीआई द्वारा धारित मतदान शक्ति का अनुपात 31 मार्च, 2022 31 मार्च, 2021 को 26% है।
- 2. LICI द्वारा आईडीबीआई बैंक में 51% हिस्सेदारी के अधिग्रहण पर जनवरी 2019 में आईडीबीआई बैंक हमारी सहायक कंपनी बन गई। आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड आईडीबीआई बैंक की सहायक कंपनी है, जिसमें आईडीबीआई बैंक के पास बकाया शेयरों का 54.70% हिस्सा है। LICI के पास IDBI ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड में बकाया शेयरों का 29.84% सीधे तौर पर हिस्सा है, इसलिए एक सहयोगी से, यह जनवरी 2019 में LICI की सहायक कंपनी बन गई, जिसमें LICI का आईडीबीआई बैंक ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हित बकाया शेयरों का 57.74% हिस्सा था। दिसंबर 2020 में, आईडीबीआई बैंक को एक योग्य संस्थान प्लेसमेंट के माध्यम से आईडीबीआई बैंक द्वारा अतिरिक्त इिक्टी शेयर जारी करने के बाद आईडीबीआई बैंक में एलआईसीआई की हिस्सेदारी घटाकर 49.24% करने के कारण एक सहयोगी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था। फलस्वरूप, आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड को भी ऐसी तारीख में एक सहायक कंपनी से एक सहयोगी कंपनी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था। इस प्रकार, आईडीबीआई हैक और अईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त नौ महीनों के लिए हमारी सहायक कंपनीयों के रूप में और 31 मार्च, 2021 को समाप्त तीन महीनों के लिए हमारी सहयोगी कंपनी के रूप में समेकित किया गया था।
- 3. **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में बकाया शेयरों का 94.62% हिस्सा है। इसलिए, एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में एलआईसीआई का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हित बकाया शेयरों का 48.19% है।
- (ग) कंपनियों में निवेश, समेकन के लिए विचार नहीं किया गया: निगम ने अन्य कंपनियों में इक्विटी शेयरों और विभिन्न अन्य वर्गों की प्रतिभूतियों में कुछ निवेश किए हैं जिनका लेखा मानक 13 निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार किया गया है। इसमें नीचे दिए गए श्रेणीवार कारणों के अनुसार कंपनियों में कुछ निवेश शामिल हैं, जिन्हें समेकन के लिए नहीं माना गया है:
 - जहां निगम को प्रमोटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है: निगम में इनमें से कुछ कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक हैं। हालांकि, इन कंपनियों पर निगम का कोई नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। इन निवेशितियों में निगम की बोर्ड सीट 6 से 15 तक संबंधित निवेशी कंपनियों के बोर्ड की कुल संख्या में से 1 है। निगम द्वारा इन कंपनियों के गठन के समय निवेश के कारण प्रमोटर/शेयरधारक की स्थिति हुई है।





B. Notes to Consolidated Financial Statements

1. List of Subsidiaries/ Associates considered for preparation of Consolidated Financial Statements.

(A) Subsidiary Companies

| | Sr. Name of Subsidiary Country of Incorporation | | | LICI's Direct Stake | |
|------------|---|---------------|----------|---------------------|--|
| Sr. No. | | As at Ma | arch 31, | | |
| 140. | | licorporation | 2022 | 2021 | |
| 1 | LIC Pension Fund Ltd | India | 100.00% | 100.00% | |
| 2 | LIC Cards Services Ltd. | India | 100.00% | 100.00% | |
| 3 | Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd | Singapore | 100.00% | 100.00% | |
| 4 | Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Ltd. | Bangladesh | 83.33% | 83.33% | |
| 5 | Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd. | Nepal | 55.00% | 55.00% | |
| 6 | Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c) | Bahrain | 99.66% | 98.90% | |
| 7 | Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd. | Sri Lanka | 80.00% | 80.00% | |

(B) Associates Companies

| | | | LICI's Direct Stake | |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|
| Sr. No. | Name of Subsidiary | diary Country of Incorporation | As at March 31, | |
| 1101 | | | 2022 | 2021 |
| 1 | LIC Housing Finance Ltd. | India | 45.24% | 40.31% |
| 2 | LICHFL Asset Management Company Ltd. | India | 5.38%** | 5.38%** |
| 3 | LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. | India | 45.00% | 45.00% |
| 4 | LIC Mutual Fund Trustee Pvt. Ltd. | India | 49.00% | 49.00% |
| 5 | IDBI Trusteeship Services Ltd. | India | 29.84% | 29.84% |
| 6 | IDBI Bank Ltd.(1) | India | 49.24% | 49.24% |

Notes:-

- 1. In case of IDBI Bank Limited, the proportion of voting power held by LICI is 26% as at March 31, 2022 March 31, 2021.
- 2. IDBI Bank became our subsidiary in January 2019 on LICI's acquisition of 51% shareholding in IDBI Bank. IDBI Trusteeship Services Ltd. is a subsidiary of IDBI Bank, with IDBI Bank holding 54.70% of the outstanding shares. LICI also holds 29.84% of the outstanding shares in IDBI Trusteeship Services Ltd. directly, so from an associate, it became a subsidiary of LICI in January 2019 with LICI's direct and indirect interest in IDBI Trusteeship Services Ltd. being 57.74% of the outstanding shares. In December 2020 IDBI Bank was reclassified as an Associate due to the reduction of LICI's shareholding in IDBI Bank to 49.24% following the issuance of additional equity shares by IDBI Bank through a qualified institutions placement. Consequently, IDBI Trusteeship Services Ltd. was also reclassified from a Subsidiary to an Associate on such date. Thus, the financial statements of IDBI Bank and IDBI Trusteeship Services Ltd were consolidated as our subsidiaries for the nine months ended December 31 2020 and as our associate company for the three months ended March 31, 2021.
- 3. **LIC Housing Finance Ltd. holds 94.62% of the outstanding shares in LICHFL Asset Management Company Ltd. Therefore, LICI's direct and indirect interest in LICHFL Asset Management Company Ltd, is 48.19% of the outstanding shares.
- (C) <u>Investments in companies, not considered for consolidation:</u> The Corporation has made certain investments in equity shares and various other classes of securities in other companies which have been accounted for as per Accounting Standard 13 Accounting for Investments. This includes certain investments in companies, not considered for consolidation, as per category wise reasons given hereunder:
 - i. Where the corporation is categorized as Promoter: The Corporation has nominee directors on Board of some of these companies. However, Corporation does not have any control or significant influence on these companies. The Board seat of the Corporation in these investees is 1 out of total strength of the respective Board of Investee Companies ranging from 6 to 15. The Promoter/ Shareholder status is by way of investment at the time of formation of these companies.





(₹ लाख में, अन्यथा बताए गए को छोड़कर)

| | 31 मार्च तक, | | | |
|---|---|------------|---|------------|
| | 2022 | | 2021 | |
| कंपनी का नाम | एलआईसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी% | बुक वैल्यू | एलआईसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी% | बुक वैल्यू |
| यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एलआईसीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक प्रायोजक है) | 9.98 | 12538.23 | 9.99 | 12538.23 |
| यूटीआई ट्रस्टी कंपनी (पी) लिमिटेड (एलआईसीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक प्रायोजक है) | 9.99 | 0.91 | 9.99 | 0.91 |
| नेशनल ई—गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड | 6 | 450 | 6 | 450 |
| उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड | 15 | 1500 | 15 | 1500 |
| स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 14.96 | 393.75 | 14.96 | 393.75 |
| जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड | 12.50 | 1000 | 12.5 | 1000 |
| क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 10 | 500 | 10 | 500 |
| एएसआरईसी (आई) लिमिटेड | 9.18 | 900 | 9.18 | 900 |
| ऐक्सिस बैंक | 7.98 | 492188.02 | 7.99 | 489901.93 |
| टूरिज्म फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया | 3.28 | 663.28 | 3.67 | 663.28 |
| गुजरात राज्य वित्तीय निगम लिमिटेड | 0.11 | 9.4 | 0.1 | 9.4 |
| इन्वेस्टर सर्विसेस ऑफ इंडिया (परिसमापन के तहत) | 12.50 | 0.00 | 12.5 | 0 |
| ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (परिसमापन के तहत) | 8 | 80 | 8 | 80 |
| बुराकुर कोल कंपनी लिमिटेड (परिसमापन के तहत) | 28.78 | 44.52 | 28.78 | 44.52 |

ii. निगम की शेयरधारिता 20% से अधिक है: निगम द्वारा बिना किसी बोर्ड के प्रतिनिधित्व और/या निवेशिती कंपनियों के प्रबंधन/प्रशासन में किसी भी तरह की भागीदारी के बिना लीगेसी निवेश। इस प्रकार, इन संस्थाओं में निगम का कोई प्रबंधन नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।
(₹ लाख में, अन्यथा बताए गए को छोड़कर)

| 31 मार्च तक, | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|------------|
| | 2022 | | 2021 | |
| कंपनी का नाम | एलआईसीआई | | एलआईसीआई | |
| | की प्रत्यक्ष | बुक वैल्यू | की प्रत्यक्ष | बुक वैल्यू |
| | हिस्सेदारी% | | हिस्सेदारी% | |
| बोरिया कोल कंपनी लिमिटेड | 20.03 | 4.48 | 20.03 | 4.48 |
| ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड | 28.29 | 24.75 | 28.29 | 24.75 |
| बुराकुर कोल कंपनी लिमिटेड | 28.78 | 44.52 | 28.78 | 44.52 |
| ईआर टेक्सटाइल्स लिमिटेड | 23.23 | 116.14 | 23.23 | 116.14 |
| एच जी आई इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 25.29 | 317.88 | 25.29 | 317.88 |
| हनुमान टी कंपनी लिमिटेड | 22.02 | 432 | 22.02 | 432 |
| इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड | 25.34 | 82917.16 | 25.34 | 82917.16 |
| कटखल लाला बाजार रेलवे कंपनी | 23.47 | 1.9 | 23.47 | 1.9 |
| मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड | 23.44 | 86.26 | 23.44 | 86.26 |
| पटना इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड | 30.66 | 6.02 | 30.66 | 6.02 |
| स्टैंडर्ड बैटरीज लिमिटेड | लागू नही* | लागू नही* | 20.8 | 468.22 |
| टी सी एम लिमिटेड | 23.47 | 67.82 | 23.62 | 68.28 |

लागू नही* एलआईसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी% वित्त वर्ष 2022 के दौरान 20% से कम कर दी गई है।

iii. निगम के पास अनुबंधों या नामित निदेशकों के माध्यम से बोर्ड में प्रतिनिधित्व: ऐसे मामलों में निगम की हिस्सेदारी 20% से कम है और निगम के पास इन निवेशित कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक हैं। इन कंपनियों में निवेश अन्य कंपनियों के बराबर है और शेयर बाजार की स्थितियों के आधार पर खरीदे और बेचे जाते हैं। बोर्ड की सीट 6 से 15 के बीच संबंधित निवेशी कंपनियों के बोर्ड की कुल संख्या में से 1 या 2 है। इस प्रकार इन कंपनियों पर निगम का कोई नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।



(Amount in ₹ lakhs, except as otherwise stated)

| | As at March 31, | | | | |
|---|-------------------------|------------|-------------------------|------------|--|
| Name of the company | 202 | 22 | 2021 | | |
| Name of the company | LICI's Direct Stake% | Book Value | LICI's Direct Stake% | Book Value | |
| UTI Asset Management Co. Ltd. (LICI is a sponsor along with State Bank of India, Bank of Baroda & Punjab National Bank) | 9.98 | 12538.23 | 9.99 | 12538.23 | |
| UTI Trustee Co(P) Ltd. (LICI is a sponsor along with State Bank of India, Bank of Baroda & Punjab National Bank) | 9.99 | 9.99 0.91 | | 0.91 | |
| National E-Governance Services Ltd. | 6 | 450 | 6 | 450 | |
| North Eastern Development Finance Corporation Ltd. | 15 | 1500 | 15 | 1500 | |
| Stock Holding Corporation of India Limited | 14.96 | 393.75 | 14.96 | 393.75 | |
| J&K Development Finance Corporation Ltd. | 12.50 | 1000 | 12.5 | 1000 | |
| Clearing Corporation of India Ltd. | 10 | 500 | 10 | 500 | |
| ASREC (I) Ltd. | 9.18 | 900 | 9.18 | 900 | |
| Axis Bank | 7.98 | 492188.02 | 7.99 | 489901.93 | |
| Tourism Finance Corporation of India | 3.28 | 663.28 | 3.67 | 663.28 | |
| Gujarat State Financial Corporation Ltd. | 0.11 | 9.4 | 0.1 | 9.4 | |
| Investor Services of India (under Liquidation) | 12.50 | 0.00 | 12.5 | 0 | |
| OTC Exchange of India (under liquidation) | 8 | 80 | 8 | 80 | |
| Burrakur Coal Co Ltd(Under Liquidation) | 28.78 | 44.52 | 28.78 | 44.52 | |

ii. Shareholding of Corporation is more than 20%: Legacy investments by the corporation without any Board representation and/or any involvement in the management/administration of the investee Companies. As such, Corporation does not have any management control or significant influence in these entities.

(Amount in ₹ lakhs, except as otherwise stated)

| Name of the company | As at March 31, | | | | |
|--|-------------------------|------------|-------------------------|------------|--|
| | 2022 | | 2021 | | |
| Traine of the company | LICI's Direct Stake% | Book Value | LICI's Direct Stake% | Book Value | |
| Borrea Coal Co Ltd | 20.03 | 4.48 | 20.03 | 4.48 | |
| Braithwaite & Co. Ltd. | 28.29 | 24.75 | 28.29 | 24.75 | |
| Burrakur Coal Co Ltd. | 28.78 | 44.52 | 28.78 | 44.52 | |
| Er Textiles Limited | 23.23 | 116.14 | 23.23 | 116.14 | |
| H G I Industries Ltd. | 25.29 | 317.88 | 25.29 | 317.88 | |
| Hanuman Tea Co. Ltd. | 22.02 | 432 | 22.02 | 432 | |
| Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd. | 25.34 | 82917.16 | 25.34 | 82917.16 | |
| Katakhal Lala Bazar Railway Co | 23.47 | 1.9 | 23.47 | 1.9 | |
| Modi Spinning &Weaving Mills Co. Ltd. | 23.44 | 86.26 | 23.44 | 86.26 | |
| Patna Electric Supply Co Ltd. | 30.66 | 6.02 | 30.66 | 6.02 | |
| Standard Batteries Ltd. | NA* | NA* | 20.8 | 468.22 | |
| TCMLtd. | 23.47 | 67.82 | 23.62 | 68.28 | |

NA* LICI's Direct Stake% has been reduced below 20% during FY 2022.

iii. Corporation has Board position through agreement or nominee directors: In such cases the shareholding of the Corporation is below 20% and the Corporation has nominee directors on the Board of these investee companies. The investments in these companies are at par with other companies and shares are bought and sold depending upon market conditions. The Board seat is 1 or 2 out of total strength of the respective Board of Investee companies ranging from 6 to 15. As such the Corporation does not have control or significant influence on these companies.





(₹ लाख में, अन्यथा बताए गए को छोड़कर)

| | (र लाख म, अन्यथा बताए गए का छाड़व | | | | | | |
|------|--|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--|--|
| | | एलआईसीआई प्रत्यक्ष | | एलआईसीआई का प्रतिनिधित्व करने | | | |
| क्र. | कंपनियां जहां एलआईसीआई के अधिकारी | हिस्सेदारी% | | वाले बोर्ड के सदस्यों की संख्या | | | |
| | नामित निदेशक हैं | | 31 मार्च तक, | | 31 मार्च तक, | | |
| | -0.0.00\ | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | | |
| 1 | एसीसी लिमिटेड | 5.77 | 5.86 | 1 | 1 | | |
| 2 | अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड | एन ए | 4.62 | कोई भी नहीं | 1 | | |
| 3 | एक्सिस बैंक लिमिटेड | 7.98 | 7.99 | 1 | 1 | | |
| 4 | भारत बिजली लिमिटेड | 4.91 | 6.23 | 1 | 1 | | |
| 5 | बीएसई लिमिटेड | 5.61 | 5.61 | 1 | 1 | | |
| 6 | केयर लिमिटेड | 9.79 | 9.85 | 1 | 1 | | |
| 7 | सीडीएसएल | 4.4 | 4.4 | 1 | 1 | | |
| 8 | क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 10 | 10 | 1 | 1 | | |
| 9 | डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 4.84 | 6.68 | 1 | 1 | | |
| 10 | डीसीएम श्रीराम लिमिटेड | 6.74 | 6.74 | 1 | 1 | | |
| 11 | एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 7.03 | 7.07 | 1 | 1 | | |
| 12 | ग्लोस्टर लिमिटेड | 12.85 | 13.1 | 1 | 1 | | |
| 13 | ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 9.11 | 10.27 | 1 | 1 | | |
| 14 | हाई एनर्जी बैटरीज (आई) लिमिटेड | एन ए | 7.08 | कोई भी नहीं | 1 | | |
| 15 | आईएफसीआई लिमिटेड | 2.89 | 3.12 | 1 | 1 | | |
| 16 | इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड | 4.42 | 4.42 | 1 | 1 | | |
| 17 | इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंन्ट ट्रस्ट लिमिटेड | 5.07 | 5.07 | 1 | 1 | | |
| 18 | आईटीसी लिमिटेड | 15.83 | 16.23 | 1 | 1 | | |
| 19 | लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड | 5.15 | 5.89 | 1 | 1 | | |
| 20 | लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड | 11.89 | 13.7 | 1 | 2 | | |
| 21 | महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड | 6.88 | 8.22 | 1 | 1 | | |
| 22 | नेशनल सीओ—ओपी हाउसिंग भारत की फेड* | एन ए | एन ए | 1 | 1 | | |
| 23 | नेशनल ईंगवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड | 6 | 6 | 1 | 1 | | |
| 24 | नेशनल स्टॉक एक्सचेंज | 10.72 | 10.72 | 1 | 1 | | |
| 25 | एनसीडीईएक्स लिमिटेड | 11.1 | 11.1 | 1 | 1 | | |
| 26 | एनईडीएफआई | 15 | 15 | 1 | 1 | | |
| 27 | ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड | 2.82 | 2.82 | 1 | 1 | | |
| 28 | उड़ीसा खनिज विकास निगम लिमिटेड | 8.68 | 10.68 | 1 | 1 | | |
| 29 | सिडबी | 14.25 | 14.25 | 1 | 1 | | |
| 30 | सिम्प्लेक्स रियल्टी लिमिटेड | 12.52 | 13.9 | 1 | 1 | | |
| 31 | स्टॉकहोल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 14.96 | 14.96 | 1 | 1 | | |
| 32 | तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड | 6.29 | 7.09 | 1 | 1 | | |
| 33 | टाटा पावर कंपनी लिमिटेड | 6.75 | 5.14 | 1 | 1 | | |
| 34 | टाटा स्टील लिमिटेड** | 6.47 | 8.37 | 1 | 1 | | |
| 35 | टाइडल पार्क लिमिटेड | 6.25 | 6.25 | 1 | 1 | | |
| 36 | टीआईएल लिमिटेड | 10.10 | 10.38 | 1 | 1 | | |
| 37 | टूरिज्म फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया | 3.28 | 3.67 | 1 | 1 | | |
| 38 | वक्रांगी लिमिटेड | 6.22 | 6.22 | 1 | 1 | | |
| 39 | वोल्टास लिमिटेड | एन ए | 4.82 | कोई भी नहीं | 1 | | |
| 40 | जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड | 12.5 | 12.5 | 1 | 1 | | |
| 41 | केनइंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 10.21 | 10.21 | 1 | 1 | | |



(Amount in ₹ lakhs, except as otherwise stated)

| Sr. | Companies where LICI officials are Nominee Director | LICI Direct Stake % | | No. of Board Members representing LICI | |
|-----|--|---------------------|-------|--|------|
| JI. | Companies where Lici officials are Norflinee Director | As at March 31, | | As at March 31, | |
| | | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 1 | ACC Limited | 5.77 | 5.86 | 1 | 1 |
| 2 | Ambuja Cements Limited | NA | 4.62 | None | 1 |
| 3 | Axis Bank Limited | 7.98 | 7.99 | 1 | 1 |
| 4 | Bharat Bijlee Limited | 4.91 | 6.23 | 1 | 1 |
| 5 | BSE Limited | 5.61 | 5.61 | 1 | 1 |
| 6 | CARE Limited | 9.79 | 9.85 | 1 | 1 |
| 7 | CDSL | 4.4 | 4.4 | 1 | 1 |
| 8 | Clearing Corporation of India Limited | 10 | 10 | 1 | 1 |
| 9 | DCM Shriram industries Limited | 4.84 | 6.68 | 1 | 1 |
| 10 | DCM Shriram Limited | 6.74 | 6.74 | 1 | 1 |
| 11 | Excel Industries Limited | 7.03 | 7.07 | 1 | 1 |
| 12 | Gloster Limited | 12.85 | 13.1 | 1 | 1 |
| 13 | Grasim Industries Limited | 9.11 | 10.27 | 1 | 1 |
| 14 | High Energy Batteries(I) Limited | NA | 7.08 | None | 1 |
| 15 | IFCI Limited | 2.89 | 3.12 | 1 | 1 |
| 16 | India Cements Limited | 4.42 | 4.42 | 1 | 1 |
| 17 | Industrial Investment Trust Limited | 5.07 | 5.07 | 1 | 1 |
| 18 | ITC Limited | 15.83 | 16.23 | 1 | 1 |
| 19 | Lakshmi Machine Works Limited | 5.15 | 5.89 | 1 | 1 |
| 20 | Larsen & Toubro Limited | 11.89 | 13.7 | 1 | 2 |
| 21 | Mahindra & Mahindra Limited | 6.88 | 8.22 | 1 | 1 |
| 22 | National CO-OP housing Fed. Of India* | NA | NA | 1 | 1 |
| 23 | National Egovernance Services Limited | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 24 | National Stock Exchange | 10.72 | 10.72 | 1 | 1 |
| 25 | NCDEX Limited | 11.1 | 11.1 | 1 | 1 |
| 26 | NEDFI | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 27 | Oriental Carbon & Chemicals Limited | 2.82 | 2.82 | 1 | 1 |
| 28 | Orissa Mineral Development Corporation Limited | 8.68 | 10.68 | 1 | 1 |
| 29 | SIDBI | 14.25 | 14.25 | 1 | 1 |
| 30 | Simplex Realty Limited | 12.52 | 13.9 | 1 | 1 |
| 31 | Stockholding Corporation of India Limited | 14.96 | 14.96 | 1 | 1 |
| 32 | Tamilnadu Newsprint & Papers Limited | 6.29 | 7.09 | 1 | 1 |
| 33 | Tata Power Company Limited | 6.75 | 5.14 | 1 | 1 |
| 34 | Tata Steel Limited** | 6.47 | 8.37 | 1 | 1 |
| 35 | Tidel Park Limited | 6.25 | 6.25 | 1 | 1 |
| 36 | TII Limited | 10.10 | 10.38 | 1 | 1 |
| 37 | Tourism Finance Corpn of India | 3.28 | 3.67 | 1 | 1 |
| 38 | Vakrangee Limited | 6.22 | 6.22 | 1 | 1 |
| 39 | Voltas Limited | NA | 4.82 | None | |
| 40 | Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Ltd. | 12.5 | | 1 | 1 |
| | | | 12.5 | | 1 |
| 41 | KenIndia Assurance Company Ltd | 10.21 | 10.21 | 1 | 1 |





| | पीएसयू बैंक जहां एलआईसीआई अधिकारी शेयरधारक निदेशक हैं | | | | |
|----|---|------|------|---|-------------|
| 42 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 3.07 | 1.85 | 1 | 1 |
| 43 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 2.62 | 3.86 | 1 | 1 |
| 44 | इंडियन ओवरसीज बैंक | 1.21 | 1.39 | 1 | 1 |
| 45 | पंजाब एंड सिंध बैंक | 1.04 | एन ए | 1 | कोई भी नहीं |
| 46 | भारतीय स्टेट बैंक | 8.31 | 9.14 | 1 | 1 |
| 47 | यूको बैंक | 1.24 | 1.54 | 1 | 1 |
| 48 | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 5.63 | 3.09 | 1 | 1 |

नोट्सः-

- 1 *ऋण जोखिम के लिए नामित निदेशक नियुक्त।
- 2 प्रतिशत धारिता की गणना के प्रयोजन के लिए कैपिटल लाईन/प्रोवेस में उपलब्ध प्रदत्त पूंजी आंकड़ों पर विचार किया गया है।
- उ एलआईसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के सदस्यों की संख्या के कॉलम में, `कोई भी नहीं' यह इंगित करता हे कि निगम का कोई भी प्रतिनिधित्व कम्पनी के बोर्ड में नही है।
- 4 एलआईसीआई डायरेक्ट स्टेक% कंपनी में एलआईसी डायरेक्ट होल्डिंग का अनुपात है जो कंपनी के कुल बकाया शेयरों में अंतर्निहित डिपॉजिटरी रसीदों की संख्या सिहत है।
- 5 **कंपनी की वेबसाइट के अनुसार हमारा एनडी स्वतंत्र निदेशक के रूप में प्रकट होता है।
- iv. जहां निगम का नियंत्रण है लेकिन निगम को कोई आर्थिक लाभ उपलब्ध नहीं है: एएस 21 के पैरा 10 के अनुसार जहां संस्थाओं पर नियंत्रण का उद्देश्य उनकी गतिविधियों से आर्थिक लाभ प्राप्त करना नहीं है, उन्हें समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से नहीं माना जाता है। चूंकि निगम एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन और भारतीय जीवन बीमा निगम भविष्य निधि ट्रस्ट से कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं करता है, इसलिए इसे आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 21 के प्रावधानों के अनुसार समेकन से बाहर रखा गया है।
- v. जहां निगम का नियंत्रण है लेकिन दीर्घकालिक प्रतिबंध मौजूद है:— एएस 27 के पैरा 38 के अनुसार, ऐसी संस्थाएं जो गंभीर दीर्घकालिक प्रतिबंधों के तहत काम करती हैं, जो मूल रूप से धन हस्तांतिरत करने की क्षमता को कम करती हैं, उन्हें समेकन से बाहर रखा जाना चाहिए। सऊदी इंडियन कंपनी फॉर को—ऑपरेटिव इंश्योरेंस (SICCI) या वफ़ा इंश्योरेंस 7 अगस्त 2007 को स्थापित एक सऊदी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। एलआईसी ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (इंटरनेशनल) बीएससी (सी), बहरीन के पास वर्तमान में सिक्की में 4.98% शेयर हैं, और शेष न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, अन्य और सऊदी अरब साम्राज्य की जनता के पास है। अपने व्यवसाय संचालन में अव्यवहार्यता के कारण, SICCI स्थानीय कानूनों के अनुसार वित्तीय पुनर्गठन पर विचार कर रहा है और पिछले कई वर्षों के वित्तीय विवरण भी निगम के पास उपलब्ध नहीं हैं। सॉल्वेंसी मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने के कारण SICCI को बीमा पॉलिसी जारी करने से निलंबित कर दिया गया है। तदनुसार, निवेश के मूल्य में स्थायी कमी का प्रावधान निगमों की लेखा पुस्तकों में किया गया है, इसलिए समेकन से बाहर रखा गया है।
- (घ) जिन सहायक कंपनीयों की रिपोर्टिंग तिथि एलआईसीआई से भिन्न है और रिपोर्टिंग तिथियों में अंतर है निम्नलिखित प्रकार है:

| 豖. | संस्था का नाम | सहायक रिपोर्टिंग तिथि | एलआईसीआई रिपोर्टिंग तिथि |
|----|--|-----------------------|--------------------------|
| 1 | जीवन बीमा निगम (एलआईसी) बांग्लादेश लिमिटेड | 31 दिसंबर तक | 31 मार्च तक |
| 2 | जीवन बीमा निगम (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड | 31 दिसंबर तक | 31 मार्च तक |
| 3 | जीवन बीमा निगम (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी) | 31 दिसंबर तक | 31 मार्च तक |
| 4 | जीवन बीमा निगम (लंका) लिमिटेड | 31 दिसंबर तक | 31 मार्च तक |

नोटः उपरोक्त सहायक कंपनीयों के नवीनतम उपलब्ध लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को समेकन के लिए माना गया है और रिपोर्टिंग तिथि और समेकन तिथि के बीच महत्वपूर्ण लेनदेन के लिए समेकन और समायोजन किया गया है।



| | PSU Banks where LICI Officials are Shareholders Director | | | | |
|----|--|------|------|---|------|
| 42 | Bank of Maharashtra | 3.07 | 1.85 | 1 | 1 |
| 43 | Central Bank of India | 2.62 | 3.86 | 1 | 1 |
| 44 | Indian Overseas Bank | 1.21 | 1.39 | 1 | 1 |
| 45 | Punjab & Sind Bank | 1.04 | NA | 1 | None |
| 46 | State Bank of India | 8.31 | 9.14 | 1 | 1 |
| 47 | UCO Bank | 1.24 | 1.54 | 1 | 1 |
| 48 | Union Bank of India | 5.63 | 3.09 | 1 | 1 |

Note:-

- * Nominee Director appointed for Debt Exposure.
- 2 Paid up capital data available in capital line/prowess have been considered for purpose of calculation of percentage holding.
- 3 In column of "No. of Board Members representing LICI", None indicates there is no representative of LIC on Board of Company.
- 4 LICI Direct Stake % is ratio of LIC direct holding in company to total outstanding shares of the company as on date including number of shares underlying depository receipts.
- 5 ** As per Company's website our ND is appears as Independent Director.
- iv. Where the corporation has control but no economic benefits are available to the corporation:

 As per the Para 10 of AS 21 where the objective of control over entities is not to obtain economic benefits from their activities, these are not considered for the purpose of preparation of consolidated financial statements. As the Corporation does not obtain any economic benefits from LIC Golden Jubilee Foundation and Life Insurance Corporation of India Provident Fund Trust hence the same has been excluded from consolidation as per the provisions of Accounting Standard 21 issued by ICAI.
- v. Where the corporation has control but there exists long term restriction:— As per para 38 of AS 27 entities that operate under severe long-term restrictions which significantly impair its ability to transfer funds to the parent should be excluded from consolidation. Saudi Indian Company for Cooperative Insurance (SICCI) or Wafa Insurance is a Saudi Joint Stock Company established on 7th August 2007. LIC of India and Life Insurance Corporation (International) B.S.C.(c), Bahrain currently holds 4.98% share each in SICCI, and the balance is held by New India Assurance Company, others, and the public from the Kingdom of Saudi Arabia. Due to non-viability in its business operations, SICCI is considering financial re-organization as per the local laws and the financial statements for the past several years are also not available with Corporation. SICCI has been suspended from issuing insurance policies as it has failed to meet the solvency margin requirements. Accordingly, the provision for permanent diminution in value of investment has been made in the Corporations books of accounts hence excluded from consolidation.
- (D) Subsidiaries of which reporting date is different from that of LICI and the difference in reporting dates are as follows:

| Sr. No. | Name of Entity | Subsidiary Reporting Date | LICI Reporting Date |
|------------|---|------------------------------|---------------------|
| 1 | Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Ltd. | As at December 31 | As at March 31 |
| 2 | Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd | As at December 31 | As at March 31 |
| 3 | Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c) | As at December 31 | As at March 31 |
| 4 | Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd. | As at December 31 | As at March 31 |

Note: Latest available audited financial statements of the above subsidiaries have been considered for consolidation and adjustment for significant transaction between reporting date and consolidation date.





(ङ) एलआईसीआई ने निम्नलिखित संस्थाओं में निम्नानुसार अतिरिक्त पूंजी डाली हैः

(₹ लाख में, अन्यथा बताए गए को छोड़कर)

| विवरण | 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए, | | |
|--|---------------------------------|------|--|
| | 2022 | 2021 | |
| एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड | 2000.00 | - | |
| एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड | 233551.22 | - | |
| जीवन बीमा निगम (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी) | 88040.60 | - | |
| जीवन बीमा निगम (लंका) लिमिटेड – क्लास ए प्रेफरेंस शेयर | 811.28 | - | |
| कुल | 324403.11 | _ | |

(च) गुडविल /(पूंजीगत आरक्षित):

सहयोगी कंपनियों में निवेश की अग्रणी राशि में शामिल एलआईसीआई द्वारा सहयोगी कंपनियों के अधिग्रहण पर उत्पन्न होने वाली गुडविल /(पूंजीगत आरक्षित) का उल्लेख नीचे किया गया है:

(₹ लाख में, अन्यथा बताए गए को छोड़कर)

| सहयोगी कंपनी का नाम | गुडविल /(पूंजीगत आरक्षित) 31 मार्च को, | | |
|--|---|-------------|--|
| | 2022 | 2021 | |
| एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड | (0.70) | (0.26) | |
| एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड | 727.35 | (130450.59) | |
| एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | 44.38 | 44.38 | |
| आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड | (156.39) | (156.39) | |
| आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | 340063.32 | 340063.30 | |

आईआरडीएआई विनियमों और लागू लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण।

2. आकस्मिक देयताएं (एलआईसीआई):

(₹ लाख में, अन्यथा बताए गए को छोड़कर)

| अनु. | विवरण | 31.03.2022 तक | 31.03.2021 तक |
|------|---|---------------|---------------|
| क | आंशिक रूप से चुकता निवेश | 60496.10 | 233695.98 |
| ख | निगम के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया | 952.67 | 1389.49 |
| ग | अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताएं बकाया | शून्य | शून्य |
| घ | निगम द्वारा या उसकी ओर से दी गई गारंटियां | 7.96 | 8.12 |
| ङ | विवाद में वैधानिक मांगें/ दायित्व, जिसके लिए प्रावधान नहीं है* | 2035077.85 | 2476139.44 |
| च | उस सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है | शून्य | शून्य |
| ਬ | अन्य:– | | |
| | मुकदमेबाजी के तहत नीति संबंधी दावे | 47191.51 | 37744.25 |
| | पॉलिसी धारकों के अलावा मुकदमेबाजी के तहत दावा | 25903.42 | 10068.26 |

^{*} इसमें केवल कर मुकदमे शामिल हैं जहां निगम ने एक निर्धारण अधिकारी के प्रतिकूल आदेश के खिलाफ आयकर विभाग के समक्ष अपील दायर की है।

3. ऋण, निवेश और अचल संपत्तियों के लिए की गई प्रतिबद्धताएं और बकाया इस प्रकार हैं (एलआईसीआई):

(₹ लाख में, अन्यथा बताए गए को छोड़कर)

| विवरण | 31.03.2022 तक | 31.03.2021 तक |
|--------------|---------------|---------------|
| ऋण और निवेश | 697436.01 | 1066824.20 |
| अचल सम्पत्ति | 68635.54 | 51049.78 |





(E) LICI has infused additional capital in the following entities as under:

(Amount in ₹ Lakhs, except as otherwise stated)

| Particulars - | For the year ended March 31, | | |
|---|------------------------------|------|--|
| | 2022 | 2021 | |
| LIC Pension Fund Ltd | 2000.00 | - | |
| LIC Housing Finance Limited | 233551.22 | - | |
| Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c) | 88040.60 | - | |
| Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd. – Class A Preference Shares | 811.28 | - | |
| Total | 324403.11 | - | |

(F) Goodwill/ (Capital Reserve):

Goodwill/ (Capital Reserve) arising on acquisition of the associate companies by LICI included in the carrying amount of investment in associates companies is mentioned below:

(Amount in ₹ Lakhs, except as otherwise stated)

| Name of the Associates Company | Goodwill/ (Capital Reserve) as at March 31, | | |
|---------------------------------------|---|-------------|--|
| | 2022 | 2021 | |
| LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. | (0.70) | (0.26) | |
| LIC Housing Finance Ltd. | 727.35 | (130450.59) | |
| LICHFL Asset Management Company Ltd. | 44.38 | 44.38 | |
| IDBI Trusteeship Services Ltd. | (156.39) | (156.39) | |
| IDBI Bank Limited | 340063.32 | 340063.30 | |

Disclosures as per IRDAI Regulations & applicable Accounting Standards.

2. Contingent Liabilities (LICI):

(Amount in₹ Lakhs, except as otherwise stated)

| S. No. | Particulars | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| A. | Partly paid-up investments | 60496.10 | 233695.98 |
| B. | Claims against the Corporation not acknowledged as Debts | 952.67 | 1389.49 |
| C. | Underwriting commitments outstanding | 0 | 0 |
| D. | Guarantees given by or on behalf of the Corporation | 7.96 | 8.12 |
| E. | Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for * | 2035077.85 | 2476139.44 |
| F. | Reinsurance obligations to the extent not provided for | 0 | 0 |
| G. | Others:- | | |
| | - Policy related claims under litigation | 47191.51 | 37744.25 |
| | - Claims under litigation other than policy holders | 25903.42 | 10068.26 |

^{*}This only includes tax litigations where the Corporation has filed an appeal before the Department of Income Tax against an adverse Order of an Assessing Officer.

3. Commitments made and outstanding for loans, investments and fixed assets aggregate to as follows:

(Amount in ₹ Lakhs, except as otherwise stated)

| Particulars | As at March 31, 2022 | As at March 31, 2021 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Loans and Investment | 697436.01 | 1066824.20 |
| Fixed Assets | 68635.54 | 51049.78 |





पॉलिसी देनदारियों के मूल्यांकन के लिए बीमांकिक अनुमान (एलआईसीआई):

निगम के जीवन बीमा व्यवसाय में व्यक्तिगत और समूह अनुबंधों के तहत लिंक्ड और गैर—लिंक्ड व्यवसाय शामिल हैं। गैर—लिंक्ड व्यवसाय में सहभागी आश्वासन/ वार्षिकी/ पेंशन नीतियां और गैर—भागीदारी आश्वासन/ वार्षिकी/ पेंशन/ व्यक्तिगत स्वास्थ्य नीतियां शामिल हैं, जो समूह नीतियों के साथ गैर—भाग लेने वाले आश्वासनों के तहत लिखी गई हैं। लिंक किए गए व्यवसाय में समूह अनुबंधों के तहत लिखे गए लिंक्ड एश्योरेंस व्यवसाय के बहुत कम अनुपात के साथ गैर—भाग लेने वाली आश्वासन/ पेंशन/ व्यक्तिगत स्वास्थ्य नीतियां शामिल हैं। इनमें से कुछ पॉलिसियों में राइडर जुड़े होते हैं जैसे कि गंभीर बीमारी, प्रीमियम छूट लाभ, टर्म एश्योरेंस और दुर्घटना लाभ, जिसमें दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता लाभ शामिल हैं।

लिंक्ड गैर-पारंपरिक व्यवसाय में निम्न शामिल हैं:

- फ्यूचर प्लस प्लान और ग्रेच्युटी प्लस प्लान (समुह व्यवसाय) में से प्रत्येक के लिए 4 कोष अर्थात् बॉन्ड कोष, आयकर कोष, बैलेंस्ड कोष और वृद्धि कोष
- 4 फंड अर्थात् बॉन्ड कोष, सिक्योर्ड कोष, बैलेंस्ड कोष और ग्रोथ फंड फॉर द प्लान्स जीवन प्लस, मनी प्लस, मार्केट प्लस, फॉर्च्यून प्लस, प्रॉफिट प्लस, मनी प्लस— I, मार्केट प्लस I, चाइल्ड फॉर्च्यून प्लस, जीवन साथी प्लस, एंडोमेंट प्लस, निवेश प्लस और एसआईआईपी, न्यू एंडोमेंट प्लस और न्यू एंडोमेंट प्लस संशोधित संस्करण I
- हेल्थ प्लस प्लान के लिए हेल्थ प्लस फंड और हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस प्लान के लिए हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस फंड
- पंशन प्लस प्लान और फ्लेक्सी प्लस प्लान के लिए मिश्रित फंड और डेट फंड।

31 मार्च, 2022 तक हमारी बिहयों में व्यक्तिगत और समूह नीतियों के लिए मूल्यांकन दायित्व, मूल्यांकन की संभावित सकल प्रीमियम पद्धित का उपयोग करके प्रत्येक पॉलिसी के लिए बीमांकिक रूप से गणना की गई है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक पॉलिसी के लिए रिजर्व कम से कम गारंटीड सरेंडर मूल्य या विशेष समर्पण मूल्य, जो भी अधिक हो, के बराबर हो। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पॉलिसी के तहत रिजर्व पर पहुंचते समय नकारात्मक रिजर्व शून्य पर सेट हो। लिंक्ड व्यवसाय के संबंध में इकाई देयता को मूल्यांकन की तारीख को इकाइयों के कुल शुद्ध संपत्ति मूल्य के रूप में लिया जाता है। लिंक्ड व्यवसाय के तहत गैर—इकाई देयता की गणना रियायती नकदी प्रवाह पद्धित का उपयोग करके की जाती है। देनदारियों की गणना ब्याज, मृत्यु दर, रुग्णता, निकासी, व्यय, मुद्रास्फीति और बोनस के लिए जहां भी लागू हो, मूल्यांकन मान्यताओं के आधार पर की जाती है। समूह नकद संचय योजनाओं के लिए देयता को 31 मार्च, 2022 तक ऐसी सभी योजनाओं के निधि मूल्य के रूप में लिया गया है। समूह बीमा योजनाओं के संबंध में देयता अगले वार्षिक नवीनीकरण तिथि तक की अवधि के आधार पर अनर्जित जोखिम प्रीमियम के रूप में निकाली गई है।

उपयोग की गई ब्याज की मूल्यांकन दरें योजना के प्रकार के अनुसार भिन्न होती हैं और अंतर्निहित पिरसंपितयों और देनदारियों की प्रकृति और अविध के आधार पर 5.20% से 7.75% प्रति वर्ष तक होती हैं। बोनस दर अनुमानों को ब्याज की मूल्यांकन दरों के अनुरूप बनाया गया है। उपयोग की गई मृत्यु दर प्रकाशित भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2012-14) अंतिम तालिका और भारतीय व्यक्तिगत वार्षिक मृत्यु दर (2012-15) अंतिम तालिका पर आधारित हैं, जो किसी भी प्रतिकूल विचलन के लिए अपेक्षित अनुभव और मार्जिन के लिए भत्ता को दर्शाने के लिए समायोजित की गई हैं। रुग्णता दर गंभीर बीमारी आधार तालिका (सीआईबीटी 93 यूके) / पुनर्बीमाकर्ता की घटना दरों पर आधारित हैं, जो तर्कशुध्दता के लिए शामिल मार्जिन के साथ हमारे उपयोग के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित हैं।

मूल्यांकन के लिए व्यय अनुमान या तो प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में या पॉलिसी के अनुसार या इनके संयोजन के रूप में निकाला गया था। व्यक्तिगत व्यवसाय के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रति पॉलिसी व्यय का नवीनीकरण योजना के प्रकार और पॉलिसी की स्थिति और व्यय मुद्रास्फीति के लिए उपयुक्त धारणा के अनुसार भिन्न होता है। व्यक्तिगत व्यवसाय के संबंध में नवीनीकरण प्रीमियम संबंधी खर्चों में योजना के प्रकार के आधार पर प्रीमियम पर जीएसटी, जहां भी लागू हो, शामिल है।

सहभागी नीतियों का मूल्यांकन करते समय, कराधान के लिए भत्ता और शेयरधारकों को अधिशेष का आवंटन अनुबंध की शेष अविध के लिए आरिक्षत भावी प्रत्यावर्ती बोनसों को उचित रूप से रेटिंग देकर किया गया है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित के संबंध में देयता के लिए आरिक्षत निधियां प्रदान की गई हैं; प्रीमियम छूट लाभ, स्थायी विकलांगता लाभ सिहत दोहरा दुर्घटना लाभ, वापसी योग्य अतिरिक्त प्रीमियम और वापसी योग्य डबल दुर्घटना लाभ प्रीमियम के संबंध में देयता, भुगतान की गई पॉलिसियों का पुनरुद्धार, भुगतान मूल्य प्राप्त नहीं करने वाली पॉलिसियों की बहाली, व्यय में तत्काल वृद्धि के मामले में नए व्यवसाय के लिए कार्यालय बंद है, COVID-19 महामारी, एड्स / एचआईवी के कारण अतिरिक्त मृत्यु तनाव, घटिया जीवन के संबंध में अतिरिक्त जोखिम, हुई लेकिन रिपोर्ट नहीं की गई मौतें (IBNR), तबाही और मृत्यु दर में सुधार। उपर्युक्त मदों के लिए आरिक्षत निधि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली मान्यताओं का निर्धारण किसी प्रतिकूल विचलन के लिए मार्जिन की अनुमित देने वाली मूल्यांकन की तिथि पर पॉलिसियों की बकाया अविधयों के लिए भविष्य के अनुभवों के विवेकपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर किया गया था। इसके अलावा, लिंक्ड योजनाओं के मामले में, जहां परिपक्वता पर गारंटी है, ऐसी गारंटी की लागत स्टोकेस्टिक विधियों का उपयोग करके निकाली गई है। बीमा खाता ॥ के लिए, ब्याज गारंटी की लागत प्रदान की गई है। उन योजनाओं के लिए जहां ऐसे विकल्प हैं जिनका पॉलिसीधारकों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, इन विकल्पों के मूल्यांकन के लिए सबसे कठिन विकल्प लिया गया है। प्रयूचर विनियोग (एफएफए) के लिए फंड नॉन लिंक्ड और लिंक्ड दोनों तरह के बिजनेस के लिए उपलब्ध कराया गया है।





4. Actuarial Assumptions for valuation of policy liabilities of LICI:

The Corporation's Life Insurance Business consists of linked and non-linked business under Individual and Group contracts. The non-linked business consists of Participating Assurance/Annuity/Pension policies and Non-participating Assurance/ Annuity/Pension/Individual Health policies with Group policies written under non-participating assurances. The linked business consists of Non-participating Assurance/Pension/Individual Health policies with a very small proportion of linked assurance business written under Group contracts. Some of these policies have riders attached to them such as Critical Illness, Premium Waiver Benefit, Term Assurance and Accident Benefit, including Accidental Death & Disability Benefit.

The Linked Non-Par Business consists of:

- 4 funds namely, Bond Fund, Income Fund, Balanced Fund and Growth Fund for each of Future Plus Plan and Gratuity Plus Plan (Group Business)
- 4 funds namely, Bond Fund, Secured Fund, Balanced Fund and Growth Fund for the Plans Jeevan Plus, Money Plus, Market Plus, Fortune Plus, Profit Plus, Money Plus-I, Market Plus-I, Child Fortune Plus, Jeevan Sathi Plus, Endowment Plus, Nivesh Plus & SIIP, New Endowment Plus and New Endowment Plus Modified version.
- Health Plus fund for Health Plus Plan and Health Protection Plus fund for Health Protection Plus Plan
- Mixed Fund and Debt Fund for Pension Plus Plan and Flexi Plus Plan.

The Valuation liability for Individual and Group policies in our books as at March 31, 2022 has been calculated actuarially for each policy by using prospective gross premium method of valuation. It is ensured that the reserve for each policy is at least equal to the guaranteed surrender value or special surrender value, whichever is higher. It is also ensured that negative reserve is set to zero while arriving at the reserve under a policy. The unit liability in respect of Linked business is taken as the total Net Asset Value of the units as on the date of valuation. The non-unit liability under the linked business is calculated using the discounted cash flow method. The liabilities are calculated based on the valuation assumptions for interest, mortality, morbidity, withdrawal, expenses, inflation and bonuses wherever applicable. The liability for Group Cash Accumulation schemes has been taken as the fund value of all such schemes as at March 31, 2022. The liability in respect of Group Insurance schemes has been arrived at as unearned risk premium based on period up to next Annual Renewal Date.

The valuation rates of interest used vary according to the type of Plan and ranges from 5.20% to 7.75% p.a. depending on the nature and term of the underlying assets and liabilities. Bonus rate assumptions have been aligned to be consistent with the valuation rates of interest. The mortality rates used are based on the published Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Ultimate Table and Indian Individual Annuitant Mortality (2012-15) Ultimate Table adjusted to reflect expected experience and allowance for margin for any adverse deviation. Morbidity rates are based on the Critical Illness Base Table (CIBT 93 UK) /Reinsurer's incidence rates, suitably modified for our use with margins included for prudence.

The expense assumption for valuation was arrived at either as a percentage of premiums or as per policy or a combination of these. The renewal per policy expenses used for valuing individual business vary according to the type of Plan and status of the policy and with an appropriate assumption for expense inflation. Renewal Premium related expenses in respect of individual business include GST on premium, wherever applicable, depending on the type of Plan.

While valuing Participating policies, the allowance for taxation and allocation of surplus to shareholders has been made by appropriately rating up future Reversionary Bonuses reserved for the balance duration of the contract. Additionally, reserves have been provided for liability in respect of Premium Waiver Benefit, Double Accident Benefit including Permanent Disability Benefit, liability in respect of refundable Extra Premium and refundable Double Accident Benefit premium, revival of paid up policies, reinstatement of policies which have not acquired paid up value, immediate increase in expenses in case the office is closed for new business, additional death strain due to COVID-19 pandemic, AIDS/HIV, extra risk in respect of sub-standard lives, Incurred But Not Reported deaths (IBNR), catastrophe and improvement in mortality. The assumptions used for arriving at the reserves for above mentioned items were determined based on a prudent assessment of the future experiences for the outstanding durations of the policies as at the date of valuation allowing for margin for any adverse deviation. Further, in case of Linked Plans, where there is a guarantee at maturity, cost of such guarantee has been arrived at using stochastic methods. For Bima Account II, the cost of interest guarantee has been provided. For Plans where there are options which can be exercised by the policyholders, the most onerous option has been taken for valuing these options. Fund for Future Appropriations (FFA) has been provided for both Non Linked and Linked lines of business.





निगम के बोर्ड ने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24 और एलआईसी अधिनियम, 1956 की संशोधित धारा 28 के तहत आवश्यक अधिशेष वितरण नीति के तहत सिंगल फंड को अलग—अलग सहभागी और गैर सहभागी फंड में विभाजित करने की मंजूरी दे दी है। अधिशेष वितरण नीति वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 95:5 वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए 92.5:7.5 और वित्तीय वर्ष 2024-25 से 90:10 के रूप में पार नीतियों के लिए अधिशेष वितरण पैटर्न को अनिवार्य करती है और वित्तीय वर्ष 2021-22 से गैर—पारस्परिक नीतियों के लिए 0:100।

5. पॉलिसीधारकों के खाते और शेयरधारकों के खाते के बीच निवेश और उस पर आय के आवंटन का आधार:

पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों की निधियों में धारित निवेशों से होने वाली आय को संबंधित निधियों में ले जाया गया है। पॉलिसीधारकों के निवेश पर संचालन और आय से उत्पन्न निवेश योग्य अधिशेष, पॉलिसीधारकों के खाते में निवेश किया गया था। वर्ष के दौरान शेयरधारकों के फंड में की गई अभिवृद्धि को शेयरधारकों के फंड में निवेश किया जाता है।

6. एलआईसीआई के परिशोधन का आधार:

- i. ऋण प्रतिभूतियांः सरकारी प्रतिभूतियों सिहत सभी ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में, जहां बुक वैल्यू अंकित मूल्य से अधिक है, यूनिट लिंक्ड बिजनेस को छोड़कर व्यवसाय के सभी वर्गों में होल्डिंग/पिरिपक्वता की शेष अविध में प्रीमियम को सीधी रेखा के आधार पर पिरशोधित किया गया है। जहां सभी ऋण प्रतिभूतियों को आईआरडीए दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य पर दिखाया गया है।
- ां. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरः जहां बुक वैल्यू अंकित मूल्य से अधिक है, प्रीमियम को व्यवसाय के सभी वर्गों में होल्डिंग/परिपक्वता की शेष अविध के लिए सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया गया है।

7. निवेश संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन का आधार

क. एलआईसीआई:

निवेश (किराए पर) संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार तीन साल में एक बार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्षेत्रिय कार्यालया द्वारा संपत्तियों (निवेश) का अंतिम पुनर्मूल्यांकन किया गया था। अगला पुनर्मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2022-23 पर होने वाला है। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के लिए अपनाया गया आधार निम्नानुसार है:

- निवेश संपत्ति का मूल्यांकन बाजार के किराए को ध्यान में रखते हुए किराया पूंजीकरण विधि द्वारा किया गया है।
- बिना किसी भवन/संरचना के अकेले भूमि वाली निवेश संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया गया है।
- 31 मार्च, 2022 को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व की राशि 1230857.61 लाख और 31 मार्च, 2021 को 1227864.8 लाख थी।

ख. आईडीबीआई बैंक (बैंक):

आवासीय/ कार्यालय भवन और अन्य संपत्तियों की बिक्री से होने वाली शुद्ध हानि निम्नानुसार है।

(₹ लाख में)

| विवरण | वित्तीय वर्ष 2021* |
|---|--------------------|
| भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि) (निवल) | -48.2 |

* 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त नौ महीनों के लिए, जिस अवधि के लिए आईडीबीआई बैंक को वित्तीय 2021 में सहायक के रूप में समेकित किया गया था।

पूर्व अविध की मदः

आय में निम्नलिखित पूर्व अवधि मद शामिल हैं:

(₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|--|--|
| एलआईसी के पेंशनभोगियों के खरीद मूल्य को सेवानिवृत्ति से वार्षिकी में स्थानांतरित करना | 425519.16 | 277367.91 |
| कुल | 425519.16 | 277367.91 |





The Board of the Corporation has approved bifurcation of the Single fund into separate Par and Non-Par funds as mandated under Section 24 of LIC Act, 1956 and the Surplus Distribution Policy required under the amended Section 28 of LIC Act, 1956. The Surplus Distribution Policy mandates the surplus distribution pattern for Par policies as 95:5 for the financial year 2021-22 92.5:7.5 for the financial years 2022-23 and 2023-24 and 90:10 from financial year 2024-25 onwards and 0:100 for Non-Par policies from financial year 2021-22 onwards.

5. Basis of allocation of investments and income thereon between Policyholders' Account and Shareholders' Account of LICI:

Income accruing on investments held in Policyholders' and Shareholders' funds have been taken to the respective funds. The investible surplus, arising out of operations and income on Policyholders' investments, was invested in Policyholders' account. The accretions to shareholders' fund during the year is invested in shareholders' fund.

6. Basis of Amortisation of LICI:

- i. Debt securities: In respect of all debt securities including Government securities, where the book value is more than the face value, the premium has been amortised on straight line basis over the balance period of holding/ maturity in all classes of business except Unit Linked Business where all the debt securities have been shown at market value in terms of the IRDA guidelines.
- ii. Redeemable Preference Shares: Where the book value is more than the face value, the premium has been amortised on the straight line basis over the balance period of holding/ maturity in all classes of business.

7. Basis of revaluation of investment property

A. LICI:

Revaluation of investment (rented out) properties is being carried out once in three years as per IRDAI guidelines. The last revaluation of properties (investment) was carried out by the Zones in the financial year 2019-20. The next revaluation falls due on financial year 2022-23. The basis adopted for revaluation of property is as under:

- The valuation of investment property has been carried out by Rent Capitalization Method considering the market rent.
- Revaluation of investment properties having land alone without any building/structure has been revalued as per current market value.
- The Revaluation Reserve as at March 31, 2022 amounts to ₹ 1230857.61 Lakhs and as at March 31, 2021 amounts to ₹1227864.8 lakhs.

B. IDBI Bank (the Bank):

Net Loss arised on account of sale of Residential/Office Buildings and other assets are as under.

(₹in Lakhs)

| Particulars | Financial Year 2021* |
|---|----------------------|
| Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net) | -48.2 |

^{*} For the nine months ended December 31 2020 being the period for which IDBI Bank was consolidated as Subsidiary in Fiscal 2021.

8. Prior Period Items:

The income includes following prior period items:

(₹ in Lakhs)

| Particulars | For the year ended March 31, 2022 | For the year ended March 31, 2021 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Transfer of LIC's Pensioners purchase price from Superannuation to Annuity | 425519.16 | 277367.91 |
| Total | 425519.16 | 277367.91 |





व्यय में निम्नलिखित पूर्व अवधि मद शामिल हैं:

(₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|--|--|--|
| एलआईसी के पेंशन खरीद मूल्य को पेंशन कोष से गैर—वित्त पोषित पेंशन में अंतरण करना | 425519.16 | 277367.91 | |
| कुल | 425519.16 | 277367.91 | |

उपरोक्त उल्लिखित पूर्व अवधि की मदों को राजस्व खाते में अलग से प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

9. दावा

31 मार्च, 2022 (पिछले वर्ष शून्य) की स्थिति के अनुसार, छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई दावा निपटाया नहीं गया है और बकाया नहीं है।

10. क) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशियों का आयु-वार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण (एलआईसीआई):

(₹ लाख में, अन्यथा बताए गए को छोड़कर)

| | 31 | | | | | आयु अनुसार | : विश्लेषण | | | |
|---|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| विवरण | उ। मार्च तक | कुल राशि | 0-6 महीने | 7-12 'महीने | 13-18 महीने | 19-24 महीने | 25-30 महीने | 31-36 महीने | 36-120 महीने | 120 महीने से अधिक |
| बीमाधारक/पॉलिसीधारकों से मुकदमेबाजी को छोड़कर किसी भी | 2022 | 46026.37 | 3119.99 | 6367.35 | 2112.77 | 1547.53 | 2139.57 | 4720.39 | 26018.77 | 0 |
| कारण से पॉलिसीधारकों/बीमित को भुगतान नहीं किया गया दावा | 2021 | 57301.21 | 1753.12 | 4355.44 | 4418.44 | 6975.43 | 1858.20 | 6866.88 | 31073.71 | 0 |
| बीमित/पॉलिसीधारकों को | 2022 | 1805487.44 | 98767.23 | 191202.97 | 90913.07 | 151569.77 | 138589.34 | 142220.72 | 992224.34 | 0 |
| परिपक्वता पर या अन्यथा देय राशि 2021 | 1628907.8 | 80213.90 | 144447.73 | 151945.19 | 155080.23 | 132507.11 | 154992.38 | 809721.3 | 0 | |
| प्रीमियम/ कर या किसी अन्य शुक्क का कोई अतिरिक्त संग्रह जो पॉ लिसीधारकों को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार या कानून के अनुसार | 2022 | 133395.29 | 8581.43 | 17208.18 | 13520.8 | 13879.28 | 10668.86 | 11070.94 | 57790.51 | 675.29 |
| या कानून के अनुसार या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, लेकिन अब तक वापस नहीं किया गया है | 2021 | 128690.19 | 7320.48 | 19510.09 | 16552.87 | 12386.02 | 10898.34 | 21540.33 | 40053.50 | 428.55 |
| चेक जारी किए लेकिन पॉ | 2022 | 32502.68 | 4083.03 | 98.17 | 179.91 | 214.19 | 476.37 | 410.96 | 27040.05 | 0 |
| लिसीधारक /बीमित द्वारा भुनाया नहीं गया | 2021 | 34587.89 | 3231.53 | 78.22 | 1418.10 | 178.97 | 377.36 | 317.42 | 28986.28 | 0 |

नोट: हर साल 30 सितंबर को 10 साल से अधिक की अविध के लिए पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि को वित्तीय वर्ष के 1 मार्च को या उससे पहले विरष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

ख) दावा न की गई राशि और निवेश आय का विवरण (एलआईसीआई):

(₹ लाख में, अन्यथा बताए गए को छोड़कर)

| विवरण | 31 मार्च 2022 को | समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2021 के | ो समाप्त वर्ष के लिए |
|--|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| الطهرا | पॉलिसी देय राशि | अर्जित आय | पॉलिसी देय राशि | अर्जित आय |
| प्रारंभिक शेष | 1603281.73 | 246205.37 | 1403061.80 | 202183.45 |
| जोड़ें: दावा न की गई निधि में अंतरित राशि | 854348.09 | 0.00 | 305250.86 | 0.00 |
| जोड़ें: दावा न की गई राशि से जारी किए गए चेक लेकिन पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए (केवल चेक बेकार होने पर ही शामिल किए जाने के लिए) | 17.59 | 0.00 | 72.21 | 0.00 |
| जोड़ें: दावा न किए गए फंड पर निवेश आय | 0.00 | 95648.63 | 0.00 | 86105.50 |
| घटाः वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावों की राशि | 696961.19 | 40176.27 | 79013.42 | 37866.28 |
| घटाः SCWF को हस्तांतरित राशि (पहले हस्तांतरित राशि के संबंध में भुगतान किए गए दावों का निवल) | 32990.17 | 11961.99 | 26089.72 | 4217.30 |
| दावा न की गई राशि निधि का अंतिम शेष | 1727696.05 | 289715.74 | 1603281.73 | 246205.37 |





The expenses includes following prior period items:

(₹ in Lakhs)

| Particulars | For the year ended March 31, 2022 | For the year ended March 31, 2021 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Transfer of LIC's pensioners purchase price from pension | | |
| funded to pension non -funded | 425519.16 | 277367.91 |
| Total | 425519.16 | 277367.91 |

The above mentioned prior period items have not been disclosed separately in the Revenue account as the impact of the same is not material.

9. Claims for LICI:

There are no claims settled and remaining outstanding for a period of more than six months, as at 31st March, 2022 (Previous year NIL).

10. a) Statement showing the Age-wise Analysis of Unclaimed amounts of the Policyholders of LICI:

(Amount in ₹ Lakhs, except as otherwise stated)]

| | | | | | | AGE WISE A | ANALYSIS | • | | |
|--|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| Particulars | As at March 31, | Total Amount | 0-6 months | 7-12 months | 13-18 months | 19-24 months | 25-30 months | 31-36 months | 36-120 months | Beyond 120 months |
| Claims Settled but not paid to the policyholders/ insured due to any reasons | 2022 | 46026.37 | 3119.99 | 6367.35 | 2112.77 | 1547.53 | 2139.57 | 4720.39 | 26018.77 | 0 |
| except under litigation from the insured/ policyholders | 2021 | 57301.21 | 1753.12 | 4355.44 | 4418.44 | 6975.43 | 1858.20 | 6866.88 | 31073.71 | 0 |
| Sum due to the insured/ policyholders on maturity | 2022 | 1805487.44 | 98767.23 | 191202.97 | 90913.07 | 151569.77 | 138589.34 | 142220.72 | 992224.34 | 0 |
| l' , i | 2021 | 1628907.8 | 80213.90 | 144447.73 | 151945.19 | 155080.23 | 132507.11 | 154992.38 | 809721.3 | 0 |
| Any excess collection of the premium/ tax or any other charges which is refundable to the policyholders either as terms of conditions of | 2022 | 133395.29 | 8581.43 | 17208.18 | 13520.8 | 13879.28 | 10668.86 | 11070.94 | 57790.51 | 675.29 |
| the policy or as per law or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far | 2021 | 128690.19 | 7320.48 | 19510.09 | 16552.87 | 12386.02 | 10898.34 | 21540.33 | 40053.50 | 428.55 |
| Cheques issued but | 2022 | 32502.68 | 4083.03 | 98.17 | 179.91 | 214.19 | 476.37 | 410.96 | 27040.05 | 0 |
| not encashed by the policyholder/insured | 2021 | 34587.89 | 3231.53 | 78.22 | 1418.10 | 178.97 | 377.36 | 317.42 | 28986.28 | 0 |

Note: Unclaimed amounts of policyholders for a period of more than 10 years as on September 30th, every year have been transferred to the Senior Citizens' Welfare Fund (SCWF) on or before 1st March of the financial year.

b) Details of outstanding Unclaimed Amount and interest accrued on unclaimed amount (LICI):

(Amount in ₹ Lakhs, except as otherwise stated)

| Particulars | For the year March | | For the year ended 31 st March, 2021 | | |
|--|-----------------------|-------------------|--|-------------------|--|
| Particulars | Policy Dues | Income Accrued | Policy Dues | Income Accrued | |
| Opening Balance | 1603281.73 | 246205.37 | 1403061.80 | 202183.45 | |
| Add: Amount transferred to Unclaimed Fund | 854348.09 | 0.00 | 305250.86 | 0.00 | |
| Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the policyholders (To be included only when the cheques are stale) | 17.59 | 0.00 | 72.21 | 0.00 | |
| Add: Investment Income on Unclaimed Fund | 0.00 | 95648.63 | 0.00 | 86105.50 | |
| Less: Amount of claims paid during the year | 696961.19 | 40176.27 | 79013.42 | 37866.28 | |
| Less: Amount transferred to SCWF (net of claims paid in respect of amounts transferred earlier) | 32990.17 | 11961.99 | 26089.72 | 4217.30 | |
| Closing Balance of Unclaimed Amount Fund | 1727696.05 | 289715.74 | 1603281.73 | 246205.37 | |





11. भारत में और भारत के बाहर निगम की परिसंपत्तियों पर भार (एलआईसीआई):

स्थानीय कानूनों के तहत जमा करने के लिए आवश्यक सीमा तक या आरबीआई (एसएलओसी/सीसीआईएल) और संरक्षकों के पास अन्यथा भारग्रस्त प्रतिभूतियों को छोड़कर निगम की संपत्ति किसी भी भार से मुक्त है: ₹ 264236.55 लाख (पिछले वर्ष ₹ 202159.97 लाख)

12. निवेश के संबंध में अनुबंधों का मूल्य (एलआईसीआई):

(₹ लाख में, अन्यथा बताए गए को छोड़कर)

| | असंबद्ध | व्यवसाय | संबद्ध व्यवसाय | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| विवरण | खरीदारी जहां डिलीवरी लंबित है | बिक्री जहां भुगतान अतिदेय हैं | खरीदारी जहां डिलीवरी लंबित है | बिक्री जहां भुगतान अतिदेय हैं | |
| 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 59776.53 | 27539.63 | 29018.54 | 4.17 | |
| 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए | 52488.51 | 33789.38 | 3109.33 | 6289.19 | |

पेंशन व्यवसाय, स्वास्थ्य व्यवसाय और सीआरएसी व्यवसाय के निवेश के संबंध में कोई अनुबंध बकाया नहीं था।

13. अध्यक्ष, प्रबंध निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को प्रबंधकीय पारिश्रमिक (एलआईसीआई):

क. एलआईसीआई

(₹ लाख में, अन्यथा बताए गए को छोड़कर)

| विवरण | 31.03.2022 तक | 31.03.2021 तक |
|----------------------------|---------------|---------------|
| वेतन और भत्ते | 639.46* | 278.23 |
| पेंशन में निगम का योगदान | 63.95 | 35.55 |
| अनुलाभों का कर योग्य मूल्य | 262.48 | 198.22 |

^{*}वेतन की बकाया राशि सहित

उपरोक्त पारिश्रमिक में सेवानिवृत्ति लाभ जैसे ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण शामिल नहीं है जो किताबों में अर्जित / भुगतान किया गया होगा। प्रबंधकीय कर्मियों के पारिश्रमिक पर नियुक्ति और निर्णय जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए गैर-कार्यकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों का पारिश्रमिक:

(₹ लाख में, अन्यथा बताए गए को छोड़कर)

| अनु. | गैर–कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों का नाम | 31.03.2022 तक | 31.03.2021 तक |
|------|--|------------------|------------------|
| 1. | डॉ रंजन शर्मा, गैर–कार्यकारी, स्वतंत्र निदेशक | 13.4 | - |
| 2. | श्री विनोद कुमार वर्मा, गैर–कार्यकारी, स्वतंत्र निदेशक | 9.8 | ı |
| 3. | श्री अनिल कुमार | 7.0 | - |
| 4. | श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल | 5.0 | - |
| 5. | श्री गुरुमूर्ति महालिंगम | 5.6 | - |
| 6. | श्री राज कमल | 3.8 | - |
| 7. | श्री वी एस पार्थसारथी | 6.8 | - |
| 8. | श्री एम पी विजय कुमार | 6.2 | - |
| 9. | श्री संजीव नौटियाली | 4.4 | - |
| 10. | बिमलेंदु चक्रवर्ती | ı | 1.5 |
| 11. | रविंद्र नाथ चतुर्वेदी | _ | 1.3 |
| 12. | आर चंद्रशेखरन | _ | 1.6 |





11. Encumbrances to assets of LICI in and outside India:

The assets of the Corporation are free from any encumbrances except for, to the extent required to be deposited under local laws or otherwise encumbered Securities with RBI (SLOC/CCIL) and Custodians: ₹ 264236.55 Lakh (Previous year ₹ 202159.97 Lakh).

12. Value of contracts in relation to Investments of LICI:

(Amount in ₹ Lakhs, except as otherwise stated)

| | Non-Linked | Business | Linked Business | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Particulars | Purchases where deliveries are pending | Sales where payments are overdue | Purchases where deliveries are pending | Sales where payments are overdue | |
| For the year ended March 31, 2022 | 59776.53 | 27539.63 | 29018.54 | 4.17 | |
| For the year ended March 31, 2021 | 52488.51 | 33789.38 | 3109.33 | 6289.19 | |

There were no contracts outstanding in relation to investments in respect of Pension business, Health Business and CRAC business.

13. Managerial Remuneration to Chairperson, Managing Directors & Key Managerial persons:

A. LICI

(Amount in ₹ Lakhs, except as otherwise stated)

| Particulars | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Salaries & Allowances | 639.46* | 278.23 |
| Corporation's contribution to Pension | 63.95 | 35.55 |
| Taxable Value of Perquisites | 262.48 | 198.22 |

^{*} Including arrears of salary

The above remuneration excludes retirement benefits such as gratuity and leave encashment, which would have accrued/paid in the books. The appointment and decision on remuneration of managerial personnel which includes the Chairperson and Managing Directors are done by the Government of India.

Remuneration to Non-Executive Director and Independent Directors:

(Amount in ₹ Lakhs, except as otherwise stated)

| Sr. No. | Name of Non-Executive and Independent Directors | As at 31.03.2022 | As at 31.03.2021 |
|------------|---|------------------|---------------------|
| 1. | Dr. Ranjan Sharma, Non-Executive, Independent Director | 13.4 | - |
| 2. | Shri Vinod Kumar Verma, Non-Executive, Independent Director | 9.8 | - |
| 3. | Shri Anil Kumar | 7.0 | - |
| 4. | Smt. Anjuly Chib Duggal | 5.0 | - |
| 5. | Shri Gurumoorthy Mahalingam | 5.6 | - |
| 6. | Shri Raj Kamal | 3.8 | - |
| 7. | Shri V. S. Parthasarthy | 6.8 | - |
| 8. | Shri M.P. Vijay Kumar | 6.2 | - |
| 9. | Shri Sanjeev Nautiyal | 4.4 | - |
| 10. | Bimalendu Chakrabarti | - | 1.5 |
| 11. | Ravindra Nath Chaturvedi | - | 1.3 |
| 12. | R. Chandrasekaran | - | 1.6 |





ख. आईडीबीआई बैंक:

वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रदत पारिश्रमिक

(₹ लाख में, अन्यथा बताए गए को छोड़कर)

| प्रमुख प्रबंधन कार्मिक | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए* |
|--|---|
| श्री राकेश शर्मा, एमडी और सीईओ | 27.77 |
| श्री जी.एम. यादवाडकर, डीएमडी | - |
| श्री के पी. नायर, डीएमडी | - |
| श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी | 24.12 |
| श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी | 22.68 |
| श्री अजय शर्मा, ईडी और सीएफओ | 27.67 |
| श्री पवन अग्रवाल, महाप्रबंधक एवं सी एस | 23.58 |
| कुल | 125.82 |

नोटः

- गंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51)(v) के अनुसार, आईडीबीआई बैंक के बोर्ड ने 21 मार्च, 2018 को निदेशकों से एक स्तर किनष्ठ अधिकारियों को केएमपी के रूप में नामित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। आईडीबीआई बैंक ने 19 अप्रैल, 2018 को उक्त अधिकारियों को केएमपी के रूप में रिपोर्टिंग/पंजीकरण करने हेतु एमसीए से फॉर्म भरवाया था। उक्त अधिकारियों को एमसीए साइट के तहत केएमपी के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है और इसलिए तकनीकी रूप से केएमपी नहीं माना जा सकता है। इसलिए, उक्त केएमपी विवरणों में निदेशकों से एक स्तर किनष्ठ अधिकारी को केएमपी के रूप में नामित अधिकारी को शामिल नहीं किया गया है।
- *31 दिसंबर, 2020 को समाप्त नौ महीनों के लिए, जिस अविध के लिए आईडीबीआई बैंक को वित्तीय 2021 में सहायक के रूप में समेकित किया गया था।

14. परिचालन व्यय प्रकटीकरण (एलआईसीआई):

(₹ लाख में, अन्यथा बताए गए को छोड़कर)

| विवरण | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| आउटसोर्सिंग व्यय | 59593.14 | 48563.74 | |
| व्यापार विकास | 129514.44 | 149999.75 | |
| विपणन समर्थन | 53964.78 | 48660.40 | |

15. उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित निवेश की ऐतिहासिक लागत नीचे दी गई है (एलआईसीआई):

(₹ लाख में, अन्यथा बताए गए को छोड़कर)

| | | | (क) असंबद्ध निवेश | | | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|------------------------------------|---------------------|--|--|
| वित्तीय वर्ष | विवरण | शेयरधारक कोष | जीवन कोष | पेंशन कोष | पी एंड जीएस कोष | यूनिट लिंक्ड (नॉन यूनिट कोष) | (ख) संबद्ध निवेश | | |
| 31.03.2022 | बुक वैल्यू | 146393.24 | 51583899.85 | 17.51 | 8604015.36 | 83129.54 | 1853304.40 | | |
| तक | रिपोर्ट किया गया मूल्य | 150502.80 | 90640717.51 | 17.51 | 9561197.31 | 93063.55 | 2429012.53 | | |
| 31.03.2021 | बुक वैल्यू | 6282.50 | 43528936.00 | 98.00 | 5816529.10 | 480315.90 | 1996296.90 | | |
| तक | रिपोर्ट किया गया मूल्य | 9852.00 | 69794012.20 | 11.00 | 6434541.20 | 884393.50 | 2595673.80 | | |

पूंजी मोचन और वार्षिकी निश्चित के उचित मूल्य के आधार पर निवेश की ऐतिहासिक लागत 31 मार्च, 2022 तक शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।





B. IDBI Bank:

Remuneration Paid To Key Management Personnel:-

(Amount in ₹ Lakhs, except as otherwise stated)

| Key Management Personnel | For the Financial Year ended March 31, 2021* |
|---------------------------------|--|
| Shri.Rakesh Sharma ,MD & CEO | 27.77 |
| Shri G.M Yadwadkar , DMD | - |
| Shri.K P.Nair , DMD | - |
| Shri.Samuel Joseph Jebaraj, DMD | 24.12 |
| Shri.Suresh Khatanhar,DMD | 22.68 |
| Shri.Ajay Sharma , ED & CFO | 27.67 |
| Shri.Pawan Agrawal, GM & CS | 23.58 |
| Total | 125.82 |

Note:

- 1) In terms of Section 2(51)(v) of the companies Act, 2013 IDBI Bank's Board had approved the proposal to designate officers one level below the Directors as KMP on March 21 2018. The IDBI Bank had filled the form with MCA for reporting/ registering the said officers as KMPs on April 19 2018. Till now the said officers have not been registered as KMPs under the Ministry of Corporate Affairs (MCA) site and hence cannot be technically deemed to be KMPs. Hence, the above KMPs details does not include the designated officers one level below the Directors as KMP.
- * For the nine months ended December 31 2020 being the period for which IDBI Bank was consolidated as Subsidiary in Fiscal 2021.

14. Operating Expense Disclosure of LICI

(Amount in ₹ Lakhs, except as otherwise stated)

| Particular | For the Financial Year ended March 31, | | | |
|----------------------|--|-----------|--|--|
| Fai ticulai | 2022 | 2021 | | |
| Outsourcing Expenses | 59593.14 48563. | | | |
| Business Development | 129514.44 | 149999.75 | | |
| Marketing Support | 53964.78 | 48660.40 | | |

15. The historical cost of investments of LICI, whose reported value is based on fair value, is as given below:

(Amount in ₹ Lakhs, except as otherwise stated)

| | | (A) Non-Linked Investments | | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-----------------|------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Financial Year | Particulars | Shareholder's Fund | Life Fund | Pension Fund | P&GS Fund | Unit Linked (Non Unit Fund) | (B) Linked Investment |
| As at | Book Value | 146393.24 | 51583899.85 | 17.51 | 8604015.36 | 83129.54 | 1853304.40 |
| March 31, 2022 | Reported Value | 150502.80 | 90640717.51 | 17.51 | 9561197.31 | 93063.55 | 2429012.53 |
| As at | Book Value | 6282.50 | 43528936.00 | 98.00 | 5816529.10 | 480315.90 | 1996296.90 |
| March 31, 2021 | Reported Value | 9852.00 | 69794012.20 | 11.00 | 6434541.20 | 884393.50 | 2595673.80 |

Historical cost of investments valued on fair value basis of Capital Redemption & Annuity Certain as at March 31, 2022 is NIL (Previous year NIL).





16. लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुसार कर्मचारी लाभ कर्मचारी लाभ के प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

एलआईसीआई:

- क) 31.03.2022 के अनुसार कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देयता गणनाः दायित्व का वर्तमान मूल्य और वर्तमान सेवा लागत का निर्धारण अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धित का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- ख) समूह अर्जित अवकाश नकदीकरण दायित्व: कर्मचारी को उपलब्ध अर्जित अवकाश नकदीकरण के लाभों का मूल्यांकन प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धित का उपयोग करके किया गया है। इस पद्धित के तहत मूल्यांकन तिथि तक अर्जित लाभों को भविष्य के वेतन पर विचार करते हुए अनुमानित किया जाता है, जिसे बाद में मूल्यांकन तिथि के अनुसार छूट दी जाती है।

(₹ लाख में, अन्यथा बताए गए को छोड़कर)

| ı | मान्यताएँ | कर्मचारियों र्क | ार् प्राचित्वर ति अवकाश ण दायित्व | | | |
|-----|--|-----------------|---|--------------------------------------|------------|--|
| | | | p/को समाप्त p लिए | 31 मार्च तक/को समाप्त वर्ष के लिए | | |
| | | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| | रियायती दर | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 7.25% | |
| | योजित परिसंपत्तियों पर लाभ की दर | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 7.25% | |
| | वेतन वृद्धि | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | |
| | कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष) | 11.69 | 11.7 | 11.69 | 11.7 | |
| II | दायित्चों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:– | | | | | |
| | वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 1278132.92 | 1228964.27 | 512431.32 | 467943.85 | |
| | अधिग्रहण समायोजन | - | - | - | - | |
| | ब्याज लागत | 92664.64 | 89099.91 | 37151.27 | 33925.93 | |
| | पिछली सेवा लागत | 0 | 0 | - | - | |
| | वर्तमान सेवा लागत | 53316.37 | 33501.67 | 7903.28 | 6118.39 | |
| | कटौती लागत/(क्रेडिट) | - | - | - | - | |
| | निपटान लागत/(क्रेडिट) | - | - | - | - | |
| | भुगतान किया गया लाभ | (144198.52) | (87015.06) | (63282.20) | (34899.70) | |
| | बीमांकिक (लाभ)/ हानि दायित्वों पर | (60333.27) | 13582.12 | 24966.57 | 39342.85 | |
| | वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 1219582.14 | 1278132.92 | 519170.24 | 512431.32 | |
| | | | | | | |
| III | योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:– | | | | | |
| | वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य | 1278132.92 | 1228964.27 | 512431.32 | 467943.85 | |
| | अधिग्रहण समायोजन | | | - | - | |
| | योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ | 92664.64 | 89099.91 | 37151.27 | 33925.93 | |
| | योगदान | 13500.00 | 42600.00 | 40400.00 | 43000.00 | |
| | भुगतान किया गया लाभ | (144198.52) | (87015.06) | (63282.20) | (34899.70) | |
| | योजनागत परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि) | (20516.90) | 4483.79 | (7530.15) | 2461.24 | |
| | वर्ष के अंत में योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य | 1219582.14 | 1278132.92 | 519170.24 | 512431.32 | |
| IV | योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका:– | | | | | |
| | वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य | 1278132.92 | 1228964.27 | 512431.32 | 467943.85 | |
| | अधिग्रहण समायोजन | | | - | - | |
| | प्लान एसेट्स पर वास्तविक रिटर्न | 72147.73 | 93582.55 | 29621.12 | 36387.17 | |
| | योगदान | 13500.00 | | | 43000.00 | |
| | भुगतान किया गया लाभ | (144198.52) | (87015.06) | 40400.00 (63282.20) | (34899.70) | |
| | वर्ष के अंत में योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य | 1219582.14 | 1278132.92 | 519170.24 | 512431.32 | |
| | निधिक स्थिति | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| | योजनागत परिसम्पत्तियों पर वास्तविक से अधिक अनुमानित प्रतिलाभ का आधिक्य | (20516.90) | (48249.58) | (7530.15) | 2461.24 | |
| | | , | , | | | |





16. As per Accounting Standard 15 (revised 2005) "Employee Benefits" the disclosures of Employee Benefits are given below:

LICI:

- A) Employees' Gratuity Liability Calculation: The present value of the obligation and current service cost is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method.
- **B)** Group Privilege Leave Encashment Liability: The benefits of privilege leave encashment available to employee have been valued using Projected Unit Credit Method. Under this method benefits accrued up to the valuation date are projected considering future salary which is then discounted as at the valuation date.

(Amount in ₹ lakhs, except percentages)

| ı | Assumptions:- | Employees' Gratuity Liability | | Group Privi Encashme | - |
|-----|---|----------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | For the yea | | For the ye | |
| | | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| | Discount Rate | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 7.25% |
| | Rate of return on Plan Assets | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 7.25% |
| | Salary Escalation | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| | Expected Average remaining working lives of employees (years) | 11.69 | 11.7 | 11.69 | 11.7 |
| II | Table showing changes in Present Value of Obligations:- | | | | |
| | Present Value of obligation as at the Beginning of the year | 1278132.92 | 1228964.27 | 512431.32 | 467943.85 |
| | Acquisition adjustment | - | - | - | - |
| | Interest Cost | 92664.64 | 89099.91 | 37151.27 | 33925.93 |
| | Past service Cost | 0 | 0 | - | - |
| | Current service Cost | 53316.37 | 33501.67 | 7903.28 | 6118.39 |
| | Curtailment Cost/ (Credit) | - | - | - | - |
| | Settlement Cost/ (Credit) | - | - | - | - |
| | Benefits paid | (144198.52) | (87015.06) | (63282.20) | (34899.70) |
| | Actuarial (gain)/loss on obligations | (60333.27) | 13582.12 | 24966.57 | 39342.85 |
| | Present Value of obligation as at the end of the year | 1219582.14 | 1278132.92 | 519170.24 | 512431.32 |
| III | Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:- | | | | |
| | Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year | 1278132.92 | 1228964.27 | 512431.32 | 467943.85 |
| | Acquisition adjustments | | | - | - |
| | Expected return on Plan Assets | 92664.64 | 89099.91 | 37151.27 | 33925.93 |
| | Contributions | 13500.00 | 42600.00 | 40400.00 | 43000.00 |
| | Benefits paid | (144198.52) | (87015.06) | (63282.20) | (34899.70) |
| | Actuarial gain/(loss) on Plan Assets | (20516.90) | 4483.79 | (7530.15) | 2461.24 |
| | Fair Value of Plan Assets at the end of the year | 1219582.14 | 1278132.92 | 519170.24 | 512431.32 |
| IV | Table showing Fair value of Plan Assets:- | | | | |
| | Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year | 1278132.92 | 1228964.27 | 512431.32 | 467943.85 |
| | Acquisition adjustments | | | - | - |
| | Actual return on Plan Assets | 72147.73 | 93582.55 | 29621.12 | 36387.17 |
| | Contributions | 13500.00 | 42600.00 | 40400.00 | 43000.00 |
| | Benefits paid | (144198.52) | (87015.06) | (63282.20) | (34899.70) |
| | Fair Value of Plan Assets at the end of the year | 1219582.14 | 1278132.92 | 519170.24 | 512431.32 |
| | Funded Status | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| | Excess of actual over estimated return on Plan Assets | (20516.90) | (48249.58) | (7530.15) | 2461.24 |
| | | | | | |





| ٧ | बीमांकिक लाभ/हानि मान्यता प्राप्त:– | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|
| | वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) — दायित्व | 60333.27 | (13582.00) | (24966.57) | (39343.00) |
| | वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि — योजनागत संपत्ति | 20516.90 | (4484.00) | 7530.15 | (2461.00) |
| | वर्ष के लिए कुल (लाभ)/ हानि | (39816.37) | 9098.33 | 32496.72 | 36882.00 |
| | वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि | (39816.37) | 9098.33 | 32496.72 | 36882.00 |
| | वर्ष के अंत में अपरिचित बीमांकिक (लाभ)/ हानि | - | - | - | - |
| | | | | | |
| VI | बैलेंस शीट और राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में पहचानी जाने वाली राशि: – | | | | |
| | वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 1219582.14 | 1278132.92 | 519170.24 | 512431.32 |
| | वर्ष के अंत में योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य | 1219582.14 | 1278132.92 | 519170.24 | 512431.32 |
| | निधिक स्थिति | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| | वर्ष के अंत में गैर—मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/ हानि | - | - | - | - |
| | बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| VII | राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय | | | | |
| | वर्तमान सेवा लागत | 53316.37 | 33501.67 | 7903.28 | 6118.39 |
| | पिछली सेवा लागत | 0 | 0 | - | - |
| | ब्याज लागत | 92664.64 | 89099.91 | 37151.27 | 33925.93 |
| | योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ | (92664.64) | (89099.91) | (37151.27) | (33925.93) |
| | कटौती लागत/(क्रेडिट) | - | - | - | - |
| | निपटान लागत/(क्रेडिट) | - | _ | - | - |
| | वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि | (39816.37) | 9098.33 | 32496.72 | 36881.61 |
| | राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय | 13500.00 | 42600.00 | 40400.00 | 43000.00 |

ग) कर्मचारी पेंशन योजना 1995 देयताः

प्रस्तावित ईकाई जमा पद्धती जहां मूल्यांकन मूल्यांकन तिथि तक का कार्यकाल तथा निर्गमन तिथी तक की वेतन मे होने वाली वृद्धियों को ध्यान में रखते हुए देय हितलाभ मूल्यांकित किए जाते है। मूल्यांकन की तारीख को ऐसे लाभों का मूल्य ऐसे अनुमानित लाभों की राशि में छूट देकर निकाला गया है।

प्रमुख धारणाएं हैं (1) रियायती दर और (2) वेतन वृद्धि।

घ) नियमित अंशकालिक कर्मचारी पेंशन योजना 1999 देयताः

प्रमुख धारणाएं हैं (1) रियायती दर और (2) वेतन वृद्धि।

(₹ लाख में, अन्यथा बताए गए को छोड़कर)

| I | मान्यताएँ:- | कर्मचारी पेंशन योजना 1995 देयता 31 मार्च तक/को समाप्त वर्ष के लिए | | नियमित अं कर्मचारी पेंश 1999 वे 31 मार्च तक/ वर्ष के | ान योजना देयता को समाप्त |
|----|---|--|------------|--|--------------------------------|
| | | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| | रियायती दर | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% |
| | वेतन में वृद्धि की दर (बेसिक+डीए) | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| | पेंशन वृद्धि की दर | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| | योजित परिसंपत्तियो पर रिटर्न की दर | 7.80% | 7.70% | 7.80% | 7.70% |
| | कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष) (मूल वेतन द्वारा भारित) | 7.43 | 7.98 | 7.91* | 6.31 |
| | | | | | |
| II | दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:- | | | | |
| | वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 8193779.00 | 7056419.00 | 940.00 | 789.00 |
| | अधिग्रहण समायोजन | - | - | - | - |
| | ब्याज लागत | 635017.87 | 557457.00 | 72.85 | 62.00 |
| | पिछली सेवा लागत | - | - | - | - |



| V | Actuarial Gain/Loss Recognized:- | | | | |
|-----|---|------------|---|-----------------|------------|
| _ | Actuarial gain/(loss) for the year –Obligation | 60333.27 | (13582.00) | (24966.57) | (39343.00) |
| | | | , | · · · · · · · · | |
| | Actuarial (gain)/loss for the year – Plan Assets | 20516.90 | (4484.00) | 7530.15 | (2461.00) |
| | Total (gain)/loss for the year | (39816.37) | 9098.33 | 32496.72 | 36882.00 |
| | Actuarial (gain)/ loss recognized in the year | (39816.37) | 9098.33 | 32496.72 | 36882.00 |
| | Unrecognized actuarial (gain)/losses at the end of year | - | - | - | - |
| VI | The amounts to be recognised in Balance Sheet and statements | | | | |
| | of Revenue/Profit and Loss:- | | | | |
| | Present Value of obligation as at the end of the year | 1219582.14 | 1278132.92 | 519170.24 | 512431.32 |
| | Fair value of Plan Assets as at the end of the year | 1219582.14 | 1278132.92 | 519170.24 | 512431.32 |
| | Funded Status | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| | Unrecognized Actuarial (gains)/losses | - | - | - | - |
| | Net Asset/(Liability) recognised in Balance Sheet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | Expense recognised in the Statement of Revenue/Profit and Loss | | | | |
| | Current Service Cost | 53316.37 | 33501.67 | 7903.28 | 6118.39 |
| | Past Service Cost | 0 | 0 | - | - |
| | Interest Cost | 92664.64 | 89099.91 | 37151.27 | 33925.93 |
| | Expected return on Plan Assets | (92664.64) | (89099.91) | (37151.27) | (33925.93) |
| | Curtailment Cost/ (Credit) | - | - | - | - |
| | Settlement Cost/ (Credit) | - | - | - | - |
| | Net actuarial (gain)/loss recognized in the year | (39816.37) | 9098.33 | 32496.72 | 36881.61 |
| | Expenses recognized in the statement of Revenue/Profit and Loss | 13500.00 | 42600.00 | 40400.00 | 43000.00 |

C) Employees Pension Scheme 1995 Liability:

Projected Unit Credit Method where the benefits payable are valued considering the service up to the valuation date and increases in salaries up to the date of exit. The value of such benefits as on the valuation date has been arrived at by discounting the amount of such projected benefits.

The principal assumptions are the (1) discount rate & (2) Salary Increase.

D) Regular Part-Time Employees Pension Scheme 1999 Liability:

The principal assumptions are the (1) discount rate & (2) Salary Increase.

(Amount in ₹ lakhs, except percentages)

| ı | Assumptions:- | Employees' Pension Scheme 1995 Liability | | Employees Pensi | | | |
|----|--|---|------------|-----------------|--------|-------------------------|--|
| | | For the year ended/ As at March 31, | | - | | For the yea As at Ma | |
| | | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | | |
| | Discount Rate | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | | |
| | Rate of increase in salary (Basic+DA) | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | | |
| | Rate of pension increase | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | | |
| | Rate of return on Plan Assets | 7.80% | 7.70% | 7.80% | 7.70% | | |
| | Expected average remaining working lives of Employees (years) (weighted by basic salary) | 7.43 | 7.98 | 7.91* | 6.31 | | |
| | | | | | | | |
| II | Table showing changes in Present Value of Obligations:- | | | | | | |
| | Present Value of Obligation as at the beginning of the year | 8193779.00 | 7056419.00 | 940.00 | 789.00 | | |
| | Acquisition adjustment | _ | - | - | - | | |
| | Interest Cost | 635017.87 | 557457.00 | 72.85 | 62.00 | | |
| | Past Service Cost | - | - | - | - | | |





| वर्तमान सेवा लागत 1234207.35 910648 | 3.00 18809.82 | 0.00 |
|---|-------------------------------------|-------------------------|
| कटौती लागत / (क्रेडिट) | | |
| निपटान लागत / (क्रीडिट) | | - |
| भूगतान किया गया लाभ (782353.09) (429857. | .00) (62.28) | - |
| बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि 158035.31 99112 | | 89.00 |
| वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य 9438686.44 8193779 | | 940.00 |
| | | |
| योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:- | | |
| वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य 8193779.00 7056419 | 9.00 940.00 | 789.00 |
| अधिग्रहण समायोजन - | | - |
| योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ 635017.87 557457 | 7.00 72.85 | 62.00 |
| योगदान 1418475.62 1007074 | 1.00 18817.68 | 4.00 |
| भुगतान किया गया लाभ (782353.09) (429857. | .00) (62.28) | 0.00 |
| योजनागत परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/ (हानि) (26232.96) 2686 | 5.00 2145.62 | 85.00 |
| वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य 9438686.44 8193779 | 9.00 21913.87 | 940.00 |
| | | |
| योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका:- | | |
| वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य 8193779.00 7056419 | 9.00 940.00 | 789.00 |
| बीमांकिक लाभ 339.20 | - 1935.31 | - |
| योजनागत परिसम्पत्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ 608445.71 560143 | 3.00 283.16 | 147.00 |
| योगदान 1418475.62 1007074 | | 4.00 |
| भुगतान किया गया लाभ (782353.09) (429857. | | - |
| वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य 9438686.44 8193779 | | 940.00 |
| | धिक निधिक | निधिक |
| योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक से अधिक अनुमानित प्रतिलाभ की अधिकता (26232.96) 2686 | 5.00 2145.62 | 85.00 |
| V बीमांकिक लाभ/हानि मान्यता प्राप्त:- | | - |
| वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि) — दायित्व 158035.31 99112 | 2.00 1835.03 | 89.00 |
| वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि — योजनागत संपत्ति (26232.96) 2686 | | 85.00 |
| वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि 184268.27 96426 | | 4.00 |
| वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि 184268.27 96426 | | 4.00 |
| | 0.00 | - |
| 911(4)(4)(1) 7 (1) 1) 7 (1) 1 | | |
| VI बैलेंस शीट और राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त धनराशियाँ | | |
| वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य 9438686.44 8193779 | 9.00 21595.42 | 940.00 |
| वर्ष के अंत में योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य 9438686.44 8193779 | 9.00 21913.87 | 940.00 |
| | धिक निधिक | निधिक |
| 1 11947 (1910) | | |
| | 000 - | |
| गैर—मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि | 0.00 - | - |
| गैर—मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि | 0.00 - | - |
| गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि 0.00 0 शुद्ध संपत्ति / (देयता) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है 0.00 0 | | - |
| गैर—मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि 0.00 0 शुद्ध संपत्ति / (देयता) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है 0.00 0 VII राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय | 0.00 318.45 | - |
| गैर—मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि 0.00 0 शुद्ध संपत्ति / (देयता) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है 0.00 0 VII राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय वर्तमान सेवा लागत 1234207.35 910648 | 0.00 318.45 | 0.00 |
| गैर—मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि 0.00 0 शुद्ध संपत्ति / (देयता) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है 0.00 0 VII राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय वर्तमान सेवा लागत 1234207.35 910648 पिछली सेवा लागत - | 3.00 318.45 3.00 18809.82 | |
| गैर—मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि 0.00 0 शुद्ध संपत्ति / (देयता) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है 0.00 0 VII राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय वर्तमान सेवा लागत 1234207.35 910648 पिछली सेवा लागत - ब्याज लागत 635017.87 557457 | 3.00 18809.82 7.00 72.85 | 62.00 |
| गैर—मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि 0.00 0 ए। शुद्ध संपत्ति / (देयता) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है 0.00 0 VII राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय वर्तमान सेवा लागत 1234207.35 910648 पिछली सेवा लागत - ब्याज लागत 635017.87 557457 योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ (635017.87) (557457) | 3.00 18809.82 7.00 72.85 | 62.00 |
| गैर—मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि 0.00 0 शुद्ध संपत्ति / (देयता) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है 0.00 0 VII राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय वर्तमान सेवा लागत 1234207.35 910648 पिछली सेवा लागत - ब्याज लागत 635017.87 557457 | 3.00 18809.82 7.00 72.85 | 62.00 |
| गैर—मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि 0.00 0 ए। शुद्ध संपत्ति / (देयता) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है 0.00 0 VII राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय वर्तमान सेवा लागत 1234207.35 910648 पिछली सेवा लागत - ब्याज लागत 635017.87 557457 योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ (635017.87) (557457) | 3.00 18809.82 7.00 72.85 | 62.00 |
| गैर—मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि 0.00 0 शृद्ध संपत्ति / (देयता) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है 0.00 0 VII राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय वर्तमान सेवा लागत 1234207.35 910648 पिछली सेवा लागत - ब्याज लागत 635017.87 557457 योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ (635017.87) (557457) संक्षिप्त लागत / (क्रेडिट) - | 3.00 18809.82 7.00 72.85 | 0.00 62.00 -62.00 |



| | Current Service Cost | 1234207.35 | 910648.00 | 18809.82 | 0.00 |
|-----|---|-------------|-------------|-----------|--------|
| | Curtailment Cost / (Credit) | - | - | - | - |
| | Settlement Cost / (Credit) | - | - | - | - |
| | Benefits paid | (782353.09) | (429857.00) | (62.28) | - |
| | Actuarial (gain)/ loss on obligations | 158035.31 | 99112.00 | 1835.03** | 89.00 |
| | Present Value of Obligation as at the end of the year | 9438686.44 | 8193779.00 | 21595.42 | 940.00 |
| | | | | | |
| III | Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:- | | | | |
| | Fair value of plan assets at beginning of the year | 8193779.00 | 7056419.00 | 940.00 | 789.00 |
| | Acquisition Adjustment | - | - | - | - |
| | Expected Return on Plan Assets | 635017.87 | 557457.00 | 72.85 | 62.00 |
| | Contributions | 1418475.62 | 1007074.00 | 18817.68 | 4.00 |
| | Benefits Paid | (782353.09) | (429857.00) | (62.28) | 0.00 |
| | Actuarial Gain /(Loss) on Plan Assets | (26232.96) | 2686.00 | 2145.62 | 85.00 |
| | Fair Value of Plan Assets at end of year | 9438686.44 | 8193779.00 | 21913.87 | 940.00 |
| | | | | | |
| IV | Table showing Fair value of Plan Assets:- | | | | |
| | Fair value of plan assets at beginning of the year | 8193779.00 | 7056419.00 | 940.00 | 789.00 |
| | Actuarial gain | 339.20 | - | 1935.31 | - |
| | Actual Return on Plan Assets | 608445.71 | 560143.00 | 283.16 | 147.00 |
| | Contributions | 1418475.62 | 1007074.00 | 18817.68 | 4.00 |
| | Benefits Paid | (782353.09) | (429857.00) | (62.28) | - |
| | Fair value of plan assets at the end of year | 9438686.44 | 8193779.00 | 21913.87 | 940.00 |
| | Funded Status | Funded | Funded | Funded | Funded |
| | Excess of actual over estimated return on plan assets | (26232.96) | 2686.00 | 2145.62 | 85.00 |
| | | | | | |
| V | Actuarial Gain/Loss Recognized:- | | | | |
| | Actuarial gain/(loss) for the year – Obligation | 158035.31 | 99112.00 | 1835.03 | 89.00 |
| | Actuarial (gain)/loss for the year – Plan Assets | (26232.96) | 2686.00 | 1827.17 | 85.00 |
| | Total (gain) / loss for the year | 184268.27 | 96426.00 | 7.86 | 4.00 |
| | Actuarial (gain) / loss recognized in the year | 184268.27 | 96426.00 | 7.86 | 4.00 |
| | Unrecognized actuarial (gains) / losses | 0.00 | 0.00 | - | - |
| | | | | | |
| VI | The Amounts To Be Recognized In Balance Sheet and Statements of Revenue/Profit and Loss | | | | |
| | Present Value of Obligation as at the end of the year | 9438686.44 | 8193779.00 | 21595.42 | 940.00 |
| | Fair Value of Plan Assets as at the end of the year | 9438686.44 | 8193779.00 | 21913.87 | 940.00 |
| | Funded Status | Funded | Funded | Funded | Funded |
| | Unrecognized Actuarial (gains) / losses | 0.00 | 0.00 | - | - |
| | Net Asset / (Liability) Recognized in Balance Sheet | 0.00 | 0.00 | 318.45 | |
| | Net Asset / (Liability) Netogrilized in Balance Sheet | 0.00 | 0.00 | 310.43 | |
| VII | Expense recognized in the Statement of Revenue/Profit and Loss | | | | |
| VII | Current Service Cost | 1234207.35 | 910648.00 | 18809.82 | 0.00 |
| | Past Service Cost | 1234207.33 | 310040.00 | 10003.02 | 0.00 |
| | Interest Cost | 675017 07 | 557457.00 | 72.05 | 62.00 |
| | | 635017.87 | 557457.00 | 72.85 | 62.00 |
| | Expected Return on Plan Assets | (635017.87) | (557457.00) | -72.85 | -62.00 |
| | Curtailment Cost / (Credit) | - | - | - | - |
| | Settlement Cost / (Credit) | 1040000 | - 00/00 00 | | - |
| | Net actuarial (gain)/ loss recognized in the year | 184268.27 | 96426.00 | 7.86 | 4.00 |
| | Expenses Recognized in the statement of Revenue/Profit and Loss | 1418475.62 | 1007074.00 | 18817.68 | 4.00 |





नोटः कर्मचारियों को नई पेंशन के कारण उत्पन्न होने वाली 1112466.00 लाख की वित्तीय देयता पत्र संदर्भ 101/2/F&A,Life/LIC/2018-19/208 दिनांक 06-07-2020 के अनुसार पांच वर्षों की अविध में परिशोधित कर दी गई है। 222493.00 लाख की एक किश्त को 31.03.2020 को मूल्यांकन में मान्यता दी गई थी, दूसरी किस्त की राशि 222493.00 लाख को मूल्यांकन में 31.03.2021 के रूप में मान्यता दी गई है, तीसरी किस्त की राशि 222493.00 लाख 31.03.2022 को मूल्यांकन पहचान की गई है। शेष राशि 444986.00 लाख अगले दो वर्षों में वित्त पोषित की जानी है।

*अंशकालिक कर्मचारियों, जिन्हें पूर्णकालिक कर्मचारियों में परिवर्तित किया गया है, के लिए डेटा पहली बार अलग से प्रदान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप औसत शेष सेवा में वृद्धि हुई है।

**बीमांकिक लाभ और हानि में पिछले वर्षों में रिकॉर्ड की कम संख्या के कारण देयता में भिन्नता शामिल है।

आईडीबीआई बैंक (बैंक):

क. कर्मचारी लाभ योजना

i. निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं

- क. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में पेंशन का विकल्प चुनने वाले तथा 31 मार्च 2008 से पूर्व बैंक में सेवा ग्रहण करने वाले कर्मचारियों को छोड़कर बैंक के अन्य कर्मचारियों को भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है। बैंक मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भविष्य निधि योजना में निर्दिष्ट अंशदान करता है। भविष्य निधि योजना को आईडीबीआई बैंक कर्मचारियों की न्यासी बोर्ड भविष्य निधि न्यास (न्यास) द्वारा संचालित किया जाता है। आईडीबीआई होम फ़ाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) और आईडीबीआई गिल्टस लिमिटेड (आईजीएल) के कर्मचारियों के संदर्भ में मई 2011 तक भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किए गए और उसके बाद अंशदान ऊपर उल्लिखित निधि में किए गए। वित्त वर्ष 2020-21 लाभ-हानि खाते में भविष्य निधि अंशदान के लिए रूपये 555 लाख शामिल राशि है।
- ख. 1 अप्रैल 2008 के बाद बैंक में नियुक्त कर्मचारियों को आईडीबीआई बैंक की नयी पेंशन योजना (आईबीएलएनपीएस) के अंतर्गत कवर किया गया है जिसमें बैंक वेतन और महंगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप मे अंशदान करता है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आईबीएलएनपीएस में रूपये 10024 लाख का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि खाते में डाला गया।

निर्दिष्ट लाभ योजनाएं

बैंक `आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट' में कर्मचारियों के ग्रेच्युटी दायित्व के लिए अंशदान करता है।

- क. बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के लिए भी पात्र हैं जो `आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा संचालित है।
- ख. इन निर्दिष्ट लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागतों की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट जमा पद्धित का उपयोग करते हुए की जाती है।

ख. अन्य दीर्घावधि लाभ

- मार्च 30 2021 अखेर छुट्टी नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य रूपये 54530 लाख ।
- वित्तीय वर्ष 20–21 में लाभ–हानी लेखे में प्रभारित छुट्टी नकदीकरण रूपये 16625 लाख डाला है।
- आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में, बैंक के अधिकारी अधिकतम 240 दिन और अन्य स्टाफ अधिकतम 300 दिन तक अपनी अर्जित/ विशेष छुट्टी को संचित करने के लिए पात्र हैं। प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 15 दिन की छुट्टी का नकदीकरण कराया जा सकता है।
- बैक के कुछ कर्मचारी स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना सहायता के लिए पात्र हैं जिसे देयता की घटना होने पर बैंक द्वारा वहन किया जाता है।
- बैंक के कर्मचारी अपंगता सहायता के लिए पात्र हैं जिसे अपंगता की घटना घटित होने पर बैंक द्वारा वहन किया जाता है।



Note: Financial liability amounting to ₹ 1112466.00 lakhs arising due to fresh pension to the employees has been amortized over a period of five years in accordance with letter reference 101/2/F&A-Life/LIC/2018-19/208 dated 06-07-2020. An installment amounting to ₹ 222493.00 lakhs was recognized in valuation as at 31.03.2020 the second installment amounting to ₹ 222493.00 lakhs has been recognized in the valuation as at 31.03.2021 the third installment amounting to ₹ 222493 lakhs has been recognized in the valuation as at 31.03.2022. The balance amounting to ₹ 444986.00 lakhs is to be funded in next two years.

*The data for part time employees who have been converted into full time employees has been separately provided for the first time that has resulted in increase in average balance service.

**The actuarial gain and loss includes the variation in liability due to lesser number of records in earlier years.

IDBI Bank (the bank):

A. Employee Benefit Scheme

i. Defined Contribution Schemes

- a. In case of IDBI Bank Limited, the Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is managed by "The Board of Trustees of IDBI Bank Employees' Provident Fund Trust (Trust)". In respect of employees of IDBI Home Finance Limited (IHFL) and IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned Fund. During the year ended March 31, 2021 Rs.555 lakhs has been contributed to PFS and charged to profit and loss account.
- b. The Bank's employees who have joined after April1 2008 are covered by IDBI Bank Ltd. New Pension Scheme (IBLNPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the year ended March 31, 2021 Rs. 10024 lakhs has been contributed to IBLNPS and charged to profit and loss account.

ii. Defined Benefit Schemes

The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.

- a. Some of the employees of the Bank are also eligible for pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.
- b. The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

B. Other Long-Term Benefits

- Present value of Leave Encashment obligation as at March 30 2021 was Rs. 54530 lakhs.
- Leave Encashment charged to profit and loss account for the year ended March 31, 2021 was Rs. 16625 lakhs.
- In case of IDBI Bank Ltd., employees of the Bank are entitled to accumulate their earned/privilege leave upto a maximum of 240 days for officers and 300 days for other staff. A maximum of 15 days leave is eligible for encashment in each year.
- Some employees of the Bank are eligible for Voluntary Health Scheme which is borne by the Bank as and when the liability events occur.
- Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.





ग. तालिका परिभाषित लाभ योजनाओं की स्थिति निर्धारित करती है।

(राशि लाख रुपये में, प्रतिशत को छोड़कर)

| | ्रा मार्च, 2021 को समाप्त | | |
|------|---|-----------|-----------|
| क्र. | विवरण | पेंशन | उपदान |
| क) | लाभ दायित्वों में परिवर्तनः | | 57.11. |
| , | वर्ष की शुरुआत में अनुमानित लाभ दायित्व | 299301 | 94426 |
| | ब्याज लागत | 20323 | 6496.9 |
| | वर्तमान सेवा लागत | 3646 | 4241.1 |
| | वर्ष के दौरान सीमा में वृद्धि के कारण उपगत पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) | 0 | 0 |
| | अंतरित देयता आगम/(बाहर) | - | - |
| | प्रदत्त लाभ | (16818) | (6797) |
| | बीमांकिक (लाभ)/ हानि | 20768 | (4391.2) |
| | वित्तीय अवधारणाओं में बदलाव के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि | (6650) | (106.3) |
| | अनुभव के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि | (1523) | 1330.3 |
| | वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ/दायित्व | 319047 | 95200 |
| ख) | योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तनः | | |
| | वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 269821.00 | 89184 |
| | योजना संपत्ति में परिवर्तनः | 18321 | 6139.9 |
| | नियोक्ता का अंशदान | 33766 | 13200 |
| | अन्य कंपनी से अंतरण | - | - |
| | प्रदत्त लाभ | (16818) | (6797) |
| | बीमांकिक (लाभ)/ हानि | 4111 | (18.3) |
| | वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 309201 | 101709 |
| ग) | दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का समाधान | | |
| | वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य | 319047 | 94949 |
| | भविष्य में अभिनिधारित / उपबंधित की जाएगी संक्रमणकालीन (दायित्व) | - | - |
| | वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य | 319047 | 94949 |
| | वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 309201 | 101560.00 |
| | अधिशेष / (कमी) | (9846) | 6610.7 |
| ਬ) | वर्ष के लिए निवल लागत | | |
| | सेवा लागत | 3646 | 4241.1 |
| | ब्याज लागत | 20323 | 6446.2 |
| | योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल | (18321) | (6089.1) |
| | निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि | 8484 | (3149) |
| | सीमा में वृद्धि के कारण अवधि के दौरान स्वीकार की गई पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) | 0 | 0 |
| | वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त संक्रमणकालीन दायित्व | 0 | 0 |
| | उपरोक्तानुसार निवल लागत | 14132 | 1449.2 |
| | पुनरांकित न की गयी बीमांकिक देयता की तुलना में निधि मूल्य की अधिकता | 0 | 0 |
| | वर्तमान वर्ष में समायोजित पिछले वर्ष की बीमांकिक देयता की तुलना में निधि मूल्या की अधिकता | 0 | 0 |
| | वर्तमान वर्ष में समायोजित निवेशों पर एलआईसी द्वारा ऑफर ब्याज दर में बढोतरी के कारण उपदान निधि मूल्य में वृद्धि | 0 | 0 |
| | वर्ष की निवल लागत | 14132 | 1449.2 |





C. Table sets out the status of the defined benefit schemes

(Amount in ₹ lakhs, except percentages)

| C. N. | For the year ended/ As at March 3 | | |
|---------|--|-----------|-----------|
| Sr. No. | Particulars | Pension | Gratuity |
| a) | Change in benefit obligations: | | |
| | Projected benefit obligation, beginning of the year | 299301 | 94426 |
| | Interest cost | 20323 | 6496.9 |
| | Current Service cost | 3646 | 4241.1 |
| | Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit | 0 | 0 |
| | Liability Transferred In/ (Out) | - | - |
| | Benefits paid | (16818) | (6797) |
| | Actuarial (Gains)/Losses | 20768 | (4391.2) |
| | Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions | (6650) | (106.3) |
| | Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience | (1523) | 1330.3 |
| | Projected benefit / obligation, end of the year | 319047 | 95200 |
| b) | Change in plan assets: | | |
| | Fair value of plan assets, beginning of the year | 269821.00 | 89184 |
| | Expected return on plan assets | 18321 | 6139.9 |
| | Employer's contributions | 33766 | 13200 |
| | Transfer from other company | - | - |
| | Benefits paid | (16818) | (6797) |
| | Actuarial gain / (loss) | 4111 | (18.3) |
| | Fair value of plan assets at the end of the year | 309201 | 101709 |
| c) | Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets | | |
| | Present value of benefit obligation at the end of the year | 319047 | 94949 |
| | Transitional (Liability) to be recognized/provided in future | - | - |
| | Net Present value of benefit obligation at the end of the year | 319047 | 94949 |
| | Fair Value of Plan assets at the end of the year | 309201 | 101560.00 |
| | Surplus/ (Deficit) | (9846) | 6610.7 |
| d) | Net cost for the year | | |
| | Service cost | 3646 | 4241.1 |
| | Interest cost | 20323 | 6446.2 |
| | Expected return on plan assets | (18321) | (6089.1) |
| | Net Actuarial (gain)/ loss | 8484 | (3149) |
| | Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit | 0 | 0 |
| | Transitional liability recognized during the year | 0 | 0 |
| | Net cost as per above | 14132 | 1449.2 |
| | Excess of fund value over actuarial liability not written back | 0 | 0 |
| | Excess of fund value over actuarial liability of previous year adjusted in current year | 0 | 0 |
| | Increase in Gratuity Fund Value due to increase in rate of interest offered by LIC on investments adjusted in current year | 0 | 0 |
| | Net cost of the year | 14132 | 1449.2 |





| ভ) | परिसंपत्ति की श्रेणी | | |
|----|-----------------------------------|--|---|
| | भारत सरकार की परिसंपत्तियां | - | - |
| | राज्य सरकार की प्रतिभूतियां | 19584 | 26 |
| | कॉरपोरेट बांड | 97602 | 0 |
| | विशेष जमा योजना | 3962 | 0 |
| | बीमाकर्ता प्रबंधित निधि | 173672 | 101576 |
| | अन्य | 14381 | 3.9 |
| | कुल | 309201 | 101606 |
| च) | लेखांकन में प्रयुक्त मान्यताएँ: | | |
| | रियायती दर | 6.97% | 5.45 %- 6.96% |
| | योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल दर | 6.97% | 5.00%- 6.96% |
| | वेतन बढोतरी दर | 5.75% | 5.00%- 12.00% |
| | पलायन दर | 5 साल से कम की सेवा के लिए 3.60% और उसके बाद 2.49% | 5 साल से कम की सेवा के लिए 3.60% और उसके बाद 2.49% |
| | मृत्यु दर | भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) रोजगार के दौरान। भारतीय व्यक्ति वार्षिक मृत्यु दर तालिका (2012-15) रोजगार पश्चात | भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) |

अनुभव समायोजन 31.03.2021:

| विवरण | पेंशन | उपदान |
|---|--------|--------|
| निर्दिष्ट लाभ दायित्व | 319047 | 95075 |
| योजना परिसंपत्तिया | 309201 | 101634 |
| अधिशेष/(घाटा) | (9846) | 6560 |
| योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (लाभ/हानि) | 1523 | (1356) |
| योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन (लाभ/हानि) | 4111 | (18) |

नोटः आईडीबीआई बैंक के मामले में, कर्मचारी लाभ के लिए दिया गया स्पष्टीकरण और 31 मार्च, 2021 को तालिका में दी गई जानकारी पूरे वित्तीय वर्ष के लिए दी गई है। हालांकि, 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त नौ महीनों के लिए राशि, जिस अवधि के लिए आईडीबीआई बैंक को वित्तीय 2021 में सहायक के रूप में समेकित किया गया था।

अतिरिक्त प्रकटीकरणः

17. वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए निवेश (एलआईसीआई)

(₹ लाख में)

| शाखा | प्रतिभूतियों का प्रकार | 31.03.2022 के अनुसार पुस्तक मूल्य | पुस्तक मूल्य 31.03.2021 तक |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| मॉरीशस | बैंक ऑफ बड़ौदा में सावधि जमा 3.50% | 174.83 | 179.20 |
| फ़िजी | एफजीआर स्टॉक 12%, 6.50%, 12.31%, 7.23%, 13% और 5.46% | 5669.17 | 5684.93 |

उपरोक्त निवेश विदेशी मुद्रा में आयोजित किए जाते हैं और समापन विनिमय दर पर परिवर्तित होते हैं।



| e) | Category of Assets | | |
|----|---------------------------------|---|----------------------|
| | State Government securities | 19584 | 26 |
| | Corporate Bonds | 97602 | 0 |
| | Special Deposits Scheme | 3962 | 0 |
| | Insurer Managed Funds | 173672 | 101576 |
| | Others | 14381 | 3.9 |
| | Total | 309201 | 101606 |
| f) | Assumptions used in accounting: | | |
| | Discount rate | 6.97% | From 5.45 % to 6.96% |
| | Rate of return on plan assets | 6.97% | From 5.00% to 6.96% |
| | Salary escalation rate | 5.75% | From 5 % to 12% |
| | Attrition Rate | 3.60% for service less than 5 years and 2.49% thereafter | |
| | Mortality Rate | Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ult During employment. Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ult. | |

Experience Adjustments 31.03.2021:

| Particulars | Pension Plan | Gratuity Plan |
|--|--------------|---------------|
| Defined benefit obligation | 319047 | 95075 |
| Plan assets | 309201 | 101634 |
| Surplus/(deficit) | (9846) | 6560 |
| Experience adjustments On plan liabilities [Gain / (Loss)] | 1523 | (1356) |
| Experience adjustments On plan assets [Gain / (Loss)] | 4111 | (18) |

Note: In case of IDBI Bank, the explanation given for Employees Benefits and information given in the tables as at March 31, 2021 is given for the full financial year. However, the amount for the nine months ended December 31 2020 is considered in consolidated financial Statements, being the period for which IDBI Bank was consolidated as Subsidiary in Fiscal 2021.

ADDITIONAL DISCLOSURES:

17. Investments made by LICI in accordance with the statutory requirements:

(₹ in Lakhs)

| Branch | Type of Securities | As at March 31, | | |
|-----------|---|-----------------|---------|--|
| Branch | Type of Securities | 2022 | 2021 | |
| Mauritius | Fixed Deposit with Bank of Baroda @3.50% | 174.83 | 179.20 | |
| Fiji | FGR Stock @12%, 6.50%, 12.31%, 7.23%, 13% and 5.46% | 5669.17 | 5684.93 | |

The above investments are held in foreign currency and are converted at the closing exchange rate.





18. आय की पहचान के उद्देश्य से निष्पादित/गैर-निष्पादित निवेशों में अलगाव। (एलआईसीआई)

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2022 तक | 31.03.2021 तक |
|----------------------|---------------|---------------|
| जीवन व्यवसाय | | |
| निष्पादित निवेशः | 42220778.31 | 41617341.44 |
| गैर—निष्पादित निवेशः | 2708711.04 | 3512988.88 |
| सीआरएसी व्यवसाय | | |
| निवेश प्रदर्शनः | 8200.00 | 8200.00 |
| गैर—निष्पादित निवेशः | - | - |

19. पुनर्सरचना के अधीन परिसंपत्ति (एलआईसीआई)

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2022 तक | 31.03.2021 तक |
|--|---------------|---------------|
| पुनर्सरचना के अधीन ऋण परिसम्पत्तियों की कुल राशि | 24259.88 | 24036.04 |
| पुनर्सरचना के अधीन मानक परिसम्पत्तियों की कुल राशि | 969.09 | - |
| पुनर्सरचना के अधीन अवमानक परिसम्पत्तियों की कुल राशि | - | 24036.04 |
| पुनर्सरचना के अधीन संदिग्ध और हानि वाली संपत्तियों की कुल राशि | 23290.79 | - |

20. क्षेत्रवार व्यवसाय का प्रतिशत (एलआईसीआई)

| Davin | वर्ष के लिए | |
|--|-------------|------------|
| विवरण | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
| ग्रामीण व्यवसाय | 20.73% | 21.46% |
| शहरी व्यवसाय | 79.27% | 78.54% |
| सामाजिक क्षेत्र (बीमित जीवन की संख्या % में) | 11.51% | 11.84% |

21. अवधारित और बीमाकृत जोखिम (एलआईसीआई):

(in %)

| 0 | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| विवरण | जोखिम बरकरार | जोखिम बीमित | जोखिम बरकरार | जोखिम बीमित |
| प्रथम वर्ष का प्रीमियम | 99.90 | 0.10 | 99.91 | 0.09 |
| नवीनीकरण प्रीमियम | 99.98 | 0.02 | 99.81 | 0.19 |
| सिंगल प्रीमियम | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |

नोटः उपरोक्त डेटा निगम द्वारा अर्जित कुल प्रीमियम और कुल पुनर्बीमा के आधार पर तैयार किया गया है।

22. बंद पॉलिसियों से संबंधित खुलासे

(₹ लाख में)

| | विवरण | 31.03.2022 तक/को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2021 तक/को समाप्त वर्ष के लिए |
|--------|--|--|--|
| | बंद करने की नीतियों के लिए निधि | | |
| | बंद पॉलिसियों के लिए निधि का प्रारंभिक शेष | 5065.73 | 5185.91 |
| जोडेंः | वर्ष के दौरान बंद की गई पॉलिसियों का फंड | 8485.33 | 1821.18 |
| घटायेः | वर्ष के दौरान पुनर्जीवित/ भुगतान की गई पॉलिसियों की निधि | 4875.09 | 2129.35 |
| जोडेंः | निधि के निवेश पर शुद्ध आय/ लाभ | 66.73 | 187.99 |
| घटायेः | वर्ष के दौरान पॉलिसी धारकों को वापस की गई राशि | 508.15 | 0.00 |
| | बंद पॉलिसियों के लिए निधि का अंतिम शेष | 8234.55 | 5065.73 |





18. Segregation into Performing/Non-performing investments for the purpose of Income recognition of LICI:

(₹ in Lakhs)

| Particulars | As at March 31, | |
|----------------------------|-----------------|-------------|
| | 2022 2021 | |
| Life Business | | |
| Performing investments | 42220778.31 | 41617341.44 |
| Non Performing investments | 2708711.04 | 3512988.88 |
| CRAC Business | | |
| Performing investments | 8200.00 | 8200.00 |
| Non Performing investments | - | - |

19. Assets Subject to Restructuring of LICI:

(₹ in Lakhs)

| Particulars | For the Financial Year ended | | |
|---|------------------------------|----------|--|
| rai ticulai S | 2022 | 2021 | |
| Total amount of loan assets subject to restructuring | 24259.88 | 24036.04 | |
| Total amount of standard assets subject to restructuring | 969.09 | - | |
| Total amount of sub standard assets subject to restructuring | - | 24036.04 | |
| Total amount of doubtful & loss assets subject to restructuring | 23290.79 | - | |

20. Percentage of business sector-wise of LICI:

| Particulars – | As at March 31, | | |
|---|-----------------|------------|--|
| Fai ticulai S | 31.03.2022 | 31.03.2021 | |
| Rural business | 20.73% | 21.46% | |
| Urban business | 79.27% | 78.54% | |
| Social Sector (No. of Lives Insured in %) | 11.51% | 11.84% | |

21. Risk Retained and Insured for LICI:

(in %)

| Particulars | FY 2021-2022 | | FY 2020-2021 | |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| rai ticulai s | Risk retained % | Risk Insured % | Risk retained % | Risk Insured % |
| First year premium | 99.90 | 0.10 | 99.91 | 0.09 |
| Renewal premium | 99.98 | 0.02 | 99.81 | 0.19 |
| Single premium | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |

Note: The above data has been prepared based on the total premium earned and total premium reinsured by the Corporation.

22. Disclosures relating to discontinued policies

(₹ in Lakhs

| | Particulars | For the year ended / as at 31.03.2022 | For the year ended / as at 31.03.2021 |
|-------|---|---|---|
| | Fund for Discontinues Policies | | |
| | Opening Balance of Fund for Discontinued Policies | 5065.73 | 5185.91 |
| Add: | Fund of policies discontinued during the Year | 8485.33 | 1821.18 |
| Less: | Fund of policies revived/Paid during the Year | 4875.09 | 2129.35 |
| Add: | Net Income/Gains on Investment of the Fund | 66.73 | 187.99 |
| Less: | Amount refunded to Policy Holders during the Year | 508.15 | 0.00 |
| | Closing Balance of Fund for Discontinued Policies | 8234.55 | 5065.73 |





अन्य प्रकटीकरण (एलआईसीआई):

(₹ लाख में, अन्यथा बताए गए को छोडकर)

| विवरण | वित्तीय वर्ष | न्यू एंडोमेंट प्लस (835) | न्यू एंडोमेंट प्लस (935) | एसआईआईपी (852) | निवेश प्लस (849) |
|--|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| वर्ष के दौरान बंद की गई पॉलिसियों की संख्या | 2021-22 | 340 | 9126 | 31333 | 5 |
| वर्ष के दौरान बंद का गई पालिसिया का संख्या | 2020-21 | 297 | 3332 | 9847 | 0 |
| वर्ष के दौरान बंद की गई कुल पॉलिसियों का प्रतिशत | 2021-22 | 1.60 | 100 | 100 | 100 |
| वर्ष के दौरान बंद का गई कुल पालिसया का प्रातशत | 2020-21 | 1.28 | 100 | 100 | 0 |
| वर्ष के दौरान पुनर्जीवित पॉलिसियों की संख्या | 2021-22 | 14 | 3178 | 16262 | 0 |
| पर्व के दौरान युग्जावित पालिस्वा का संख्या | 2020-21 | 2 | 464 | 2814 | 0 |
| वर्ष के दौरान पुनर्जीवित पॉलिसियों का प्रतिशत | 2021-22 | 4 | 35 | 52 | 0 |
| वर्ष के दौरान पुनेजावित पालिसवा का प्रातशत | 2020-21 | 1 | 14 | 29 | 0 |
| बंद पॉलिसियों के कारण लगाए गए शुल्क (₹ लाख में) | 2021-22 | 2.23 | 168.26 | 614.91 | 0.09 |
| बद पालासया के कारण लगाएं गए शुल्क (र लाख म) | 2020-21 | 1.86 | 45.7 | 179.1 | 0 |
| पॉलिसियों के पुनरुद्धार के कारण पुनः समायोजित प्रभार | 2021-22 | 0.38 | 71.88 | 361.19 | 0 |
| (₹ लाख में) | 2020-21 | 0.37 | 7.07 | 54.32 | 0 |

23. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण:

(संबंधित पार्टी संबंध जैसा कि निगम द्वारा पहचाना गया है)

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित पार्टी डिस्क्लोजर पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस 18) के अनुसार, संबंधित पार्टियां / कॉरपोरेशन के संयुक्त उद्यम इस प्रकार हैं:

क) संयुक्त उद्यमः

सऊदी इंडियन कंपनी फॉर को. ऑप इन्सोरेन्स

ख) सहयोगी कंपनियां

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड आईडीबीआई बैंक लिमिटेड* आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड*

ग) सहायक कंपनियां:

एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड जीवन बीमा निगम (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड जीवन बीमा निगम (नेपाल) लिमिटेड जीवन बीमा निगम (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी) जीवन बीमा निगम (लंका) लिमिटेड जीवन बीमा निगम (एलआईसी) बांग्लादेश

*LICI द्वारा आईडीबीआई बैंक में 51% हिस्सेदारी के अधिग्रहण पर जनवरी 2019 में आईडीबीआई बैंक हमारी सहायक कंपनी बन गई। आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड आईडीबीआई बैंक की सहायक कंपनी है, जिसमें आईडीबीआई बैंक के पास बकाया शेयरों का 54.70% हिस्सा है। LICI के पास IDBI ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड में बकाया शेयरों का 29.84% सीधे तौर पर हिस्सा है, इसलिए एक सहयोगी से, यह जनवरी 2019 में LICI की सहायक कंपनी बन गई, जिसमें LICI का आईडीबीआई बैंक ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हित बकाया शेयरों का 57.74% हिस्सा था। दिसंबर 2020 में, आईडीबीआई बैंक को एक योग्य संस्थान प्लेसमेंट के माध्यम से आईडीबीआई बैंक द्वारा अतिरिक्त इक्विटी शेयर जारी करने के बाद आईडीबीआई बैंक में एलआईसीआई की हिस्सेदारी घटाकर 49.24% करने के कारण एक सहयोगी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था। फलस्वरूप, आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड को भी ऐसी तारीख में एक सहायक कंपनी से एक सहयोगी कंपनी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था। इस प्रकार, आईडीबीआई बैंक और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त नौ महीनों के लिए हमारी सहायक कंपनीयों के रूप में और 31 मार्च, 2021 को समाप्त तीन महीनों के लिए हमारी सहयोगी कंपनी के रूप में समेकित किया गया था।





Other Disclosure (LICI):

(Amount in ₹ lakhs, except percentages)

| Particulars | Financial Year | New Endowment Plus (835) | New Endowment Plus (935) | SIIP (852) | Nivesh Plus (849) |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------|
| Number of policies discontinued during | 2021-22 | 340 | 9126 | 31333 | 5 |
| the Year | 2020-21 | 297 | 3332 | 9847 | 0 |
| Percentage of discontinued to total policies | 2021-22 | 1.60 | 100 | 100 | 100 |
| during the Year | 2020-21 | 1.28 | 100 | 100 | 0 |
| Number of policies verying decrine the Very | 2021-22 | 14 | 3178 | 16262 | 0 |
| Number of policies revived during the Year | 2020-21 | 2 | 464 | 2814 | 0 |
| Percentage of policies revived during the | 2021-22 | 4 | 35 | 52 | 0 |
| Year | 2020-21 | 1 | 14 | 29 | 0 |
| Charges imposed on account of | 2021-22 | 2.23 | 168.26 | 614.91 | 0.09 |
| discontinued policies (₹ in lakhs) | 2020-21 | 1.86 | 45.7 | 179.1 | 0 |
| Charges readjusted on account of revival of | 2021-22 | 0.38 | 71.88 | 361.19 | 0 |
| policies (₹ in lakhs) | 2020-21 | 0.37 | 7.07 | 54.32 | 0 |

23. RELATED PARTY DISCLOSURE:

(Related Party Relationship as identified by the Corporation)

As per the Accounting Standard on Related Party Disclosures (AS 18) issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the related parties/joint ventures of the Corporation are as follows:

A) Joint Ventures:

Saudi Indian Company for Co-operative Insurance.

B) Associate Companies

LIC Housing Finance Ltd.

LICHFL Asset Management Company Ltd.

LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.

LIC Mutual Fund Trustee Company Pvt. Ltd.

IDBI Bank Ltd.*

IDBI Trusteeship Services Ltd. *

C) Subsidiary Companies:

LIC Pension Fund Ltd.

LIC Card Services Ltd.

Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd.

Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd.

Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c)

Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd

Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Ltd.

*IDBI Bank became our subsidiary in January 2019 on LICI's acquisition of 51% shareholding in IDBI Bank. IDBI Trusteeship Services Ltd. is a subsidiary of IDBI Bank, with IDBI Bank holding 54.70% of the outstanding shares. LICI also holds 29.84% of the outstanding shares in IDBI Trusteeship Services Ltd. directly, so from an associate, it became a subsidiary of LICI in January 2019 with LICI's direct and indirect interest in IDBI Trusteeship Services Ltd. being 57.74% of the outstanding shares. In December 2020 IDBI Bank was reclassified as an Associate due to the reduction of LICI's shareholding in IDBI Bank to 49.24% following the issuance of additional equity shares by IDBI Bank through a qualified institutions placement. Consequently, IDBI Trusteeship Services Ltd. was also reclassified from a Subsidiary to an Associate on such date





घ) निदेशक मंडल और प्रमुख व्यक्ति 31.03.2022

| निदेशक मंडल | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|
| श्री एम.आर. कुमार | अध्यक्ष | 14.03.2019 से प्रभावी |
| श्री राज कुमार | प्रबंध निदेशक | 01.11.2019 से प्रभावी |
| श्री सिद्धार्थ मोहंती | प्रबंध निदेशक | 01.02.2021 से प्रभावी |
| श्रीमती मिनी आईप | प्रबंध निदेशक | 02.08.2021 से प्रभावी |
| श्री बिष्णु चरण पटनायक | प्रबंध निदेशक | 01.10.2021 से प्रभावी |
| श्री. पंकज जैन | सरकार द्वारा नामित | 21.10.2020 से प्रभावी |
| डॉ. रंजन शर्मा | स्वतंत्र निदेशक | 29.10.2021 से प्रभावी |
| श्री विनोद कुमार वर्मा | स्वतंत्र निदेशक | 29.10.2021 से प्रभावी |
| प्रो. अनिल कुमार | स्वतंत्र निदेशक | 20.01.2022 से प्रभावी |
| श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 से प्रभावी |
| श्री गुरुमूर्ति महालिंगम | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 से प्रभावी |
| श्री राज कमल | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 से प्रभावी |
| श्री वी.एस. पार्थसारथी | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 से प्रभावी |
| श्री एम.पी. विजय कुमार | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 से प्रभावी |
| श्री संजीव नौटियाल | स्वतंत्र निदेशक | 29.01.2022 से प्रभावी |
| प्रमुख व्यक्ति | | |
| श्री डी.पी.मोहंती | ईडी लेखा परीक्षा (मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षा) | 02.07.2018 से प्रभावी |
| श्री तबलेश पाण्डेय | ईडी निवेश (आरएमआर) (मुख्य जोखिम अधिकारी) | 04.01.2022 से प्रभावी |
| श्री ए.के. आनंद | ईडी आईएनवी ओपी (मुख्य निवेश अधिकारी) | 08.06.2020 से प्रभावी |
| श्री पी. मुरलीधरन | ईडी (विपणन/पीडीईवी/एसबीए) (मुख्य विपणन अधिकारी) | 02.11.2020 से प्रभावी |
| श्रीमती शुभांगी एस सोमण | प्रमुख (एफएंडए) (मुख्य वित्त अधिकारी) | 07.05.2018 से 31.05.2020 तक |
| | ईडी (एफ एंड ए) (मुख्य वित्त अधिकारी) | 01.06.2020 से प्रभावी |
| श्री दिनेश पंत | नियुक्त बीमांकक | 17.01.2020 से प्रभावी |
| श्री. डी.पी. पटनायक | प्रमुख (आई/सी) (नि.स./नि.अनु./जी.जे.एफ.) | 03.06.2020 से प्रभावी |

ङ) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 11(2) के तहत व्यवसाय के प्रबंधन के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा धारित नाम, विवरण, व्यवसाय और निदेशक पद युक्त विवरण।

| क्रमांक | नाम | विवरण | प्रोफाइल/निर्देशन 31 मार्च, 2022 तक आयोजित किया गया |
|---------|------------------|------------------------------------|---|
| 1. | श्री एम आर कुमार | अध्यक्ष एलआईसी ऑफ इंडिया | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड जीवन बीमा निगम (नेपाल) लिमिटेड जीवन बीमा निगम (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी) जीवन बीमा निगम (लंका) लिमिटेड केनइंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जीवन बीमा निगम (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड एसीसी लिमिटेड। |
| 2. | श्री राज कुमार | प्रबंध निदेशक, एलआईसी ऑफ इंडिया | एलआईसीएचएफएल लिमिटेड एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जीवन बीमा निगम (लंका) लिमिटेड ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड राष्ट्रीय बीमा अकादमी एलआईसी गोल्डन जुबली फाउन्डेशन |





D) Board of Directors & Key Persons as at 31.03.2022

| Board of Directors | | |
|-----------------------------|---|---|
| Shri M.R. Kumar | Chairperson | w.e.f. 14.03.2019 |
| Shri Raj Kumar | Managing Director | w.e.f. 01.11.2019 |
| Shri Siddhartha Mohanty | Managing Director | w.e.f. 01.02.2021 |
| Mrs. Mini Ipe | Managing Director | w.e.f. 02.08.2021 |
| Shri Bishnu Charan Patnaik | Managing Director | w.e.f. 01.10.2021 |
| Shri. Pankaj Jain | Government Nominee | w.e.f. 21.10.2020 |
| Dr. Ranjan Sharma | Independent Director | w.e.f. 29.10.2021 |
| Shri Vinod Kumar Verma | Independent Director | w.e.f. 29.10.2021 |
| Prof. Anil Kumar | Independent Director | w.e.f. 20.01.2022 |
| Smt. Anjuly Chib Duggal | Independent Director | w.e.f. 29.01.2022 |
| Shri Gurumoorthy Mahalingam | Independent Director | w.e.f. 29.01.2022 |
| Shri Raj Kamal | Independent Director | w.e.f. 29.01.2022 |
| Shri V. S. Parthasarthy | Independent Director | w.e.f. 29.01.2022 |
| Shri M.P. Vijay Kumar | Independent Director | w.e.f. 29.01.2022 |
| Shri Sanjeev Nautiyal | Independent Director | w.e.f. 29.01.2022 |
| | | |
| Key Persons | | |
| Shri D.P.Mohanty | ED Audit (Chief Internal Audit) | w.e.f. 02.07.2018 |
| Shri Tablesh Pandey | ED Investment (RMR) (Chief Risk Officer) | w.e.f. 04.01.2022 |
| Shri A.K. Anand | ED INV OP (Chief Investment Officer) | w.e.f. 08.06.2020 |
| Shri P. Muraleedharan | ED (Mktg/PDEV/SBA)(Chief Marketing Officer) | w.e.f. 02.11.2020 |
| Smt.Shubhangi S.Soman | Chief (F&A) (Chief Finance Officer) ED (F&A) (Chief Finance Officer) | from 07.05.2018 to 31.05.2020 w.e.f. 01.06.2020 |
| Shri Dinesh Pant | Appointed Actuary | w.e.f. 17.01.2020 |
| Shri. D.P. Pattanaik | Chief (I/C) (Corp. Gov/RC/GJF) | w.e.f. 03.06.2021 |

E) Statement containing names, description, occupations of and directorships held by the persons in charge of management of the business under section 11(2) of the Insurance Act, 1938.

| Sr. No. | Name | Description | Profile/Directorship held as on 31st March, 2022 |
|------------|----------------|-----------------------------------|---|
| 1. | Shri M R Kumar | Chairperson LIC of India | IDBI Bank Ltd LIC Housing Finance Ltd LIC Pension Fund Ltd LIC Cards Services Ltd LIC Mutual Fund Asset Management Ltd Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c) Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd Kenindia Assurance Company Ltd Life Insurance Corporation (Singapore) Pte Ltd ACC Limited. |
| 2. | Shri Raj Kumar | Managing Director LIC of India | LICHFL Ltd LICHFL Asset Management Co Ltd Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd Grasim Industries Ltd National Insurance Academy LIC Golden Jubilee Foundation |





| | Т | Ι _ | |
|---------|--------------------------|------------------------------------|---|
| क्रमांक | नाम | विवरण | प्रोफाइल/निर्देशन 31 मार्च, 2022 तक आयोजित किया गया |
| 3. | श्री सिद्धार्थ मोहंती | प्रबंध निदेशक, एलआईसी ऑफ इंडिया | एलआईसी गोल्डन जुबली फंड एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे जीवन बीमा निगम (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी) |
| 4. | श्रीमती आईप मिनी | प्रबंध निदेशक, एलआईसी ऑफ इंडिया | एलआईसी एचएफएल केयर होम्स लिमिटेड बांग्लादेश लि. का जीवन बीमा निगम (एलआईसी) राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 5. | श्री बिष्णु चरण पटनायक | प्रबंध निदेशक, एलआईसी ऑफ इंडिया | जीवन बीमा निगम (नेपाल) लिमिटेड एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड एलआईसी एमएफ ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भारतीय बीमा संस्थान राष्ट्रीय बीमा अकादमी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड |
| 6. | श्री पंकज जैन | सरकार द्वारा नामित | तेल उद्योग विकास बोर्ड भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एनसीजीटीसी पंजाब नेशनल बैंक नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजवर्स लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण |
| 7. | डॉ रंजन शर्मा | स्वतंत्र निदेशक | <u>श</u> ून्य |
| 8. | श्री विनोद कुमार वर्मा | स्वतंत्र निदेशक | शून्य |
| 9. | प्रो. अनिल कुमार | स्वतंत्र निदेशक | <u>श</u> ून्य |
| 10. | श्रीमती अंजुलीचिब दुग्गल | स्वतंत्र निदेशक | जिलेट इंडिया लिमिटेड प्रकृति संरक्षण भारत |
| 11. | श्री गुरुमूर्ति महालिंगम | स्वतंत्र निदेशक | शून्य |
| 12. | श्री राज कमल | स्वतंत्र निदेशक | एसएमआईटी कंसिल्टंग डीएमसीसी, (यूएई में शामिल) ट्रांस—फाई इंक |
| 13. | श्री वी.एस. पार्थसारथी | स्वतंत्र निदेशक | ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड रूडी मल्टी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ग्रासरूट नेटवर्क (GTNfW) एक धारा 8 कंपनी एकुहोल्ड एन वी ऑलकार्गो बेल्जियम किड्स क्लिनिक इंडिया लिमिटेड इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईएआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान |
| 14. | श्री एम. पी. विजय कुमार | स्वतंत्र निदेशक | थेजो इंजीनियरिंग लिमिटेड सेला इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सिफी डाटा एंड मैनेज्ड सर्विसेज लिमिटेड एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्स.बी.आर.एल) इंडिया हेरिटेज फूड्स लिमिटेड जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड सिफी टेक्नोलॉजीज (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड |
| 15. | श्री संजीव नौटियाल | स्वतंत्र निदेशक | शून्य |



| Sr. No. | Name | Description | Profile/Directorship held as on 31st March, 2022 |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| 3. | Shri Siddhartha Mohanty | Managing Director LIC of India | LIC Golden Jubilee Fund LIC Cards Services Limited LIC Pension Fund Limited National Insurance Academy, Pune Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c) |
| 4. | Smt Ipe Mini | Managing Director LIC of India | LICHFL Care Homes Ltd Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Ltd National Insurance Academy, Pune LIC Golden Jubilee Foundation DCM Shriram Industries Limited |
| 5. | Shri Bishnu Charan Patnaik | Managing Director LIC of India | Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd LIC Cards Services Ltd LIC MF Trustee Co Pvt Ltd Insurance Institute of India National Insurance Academy India Bulls Housing Finance Limited |
| 6. | Shri Pankaj Jain | Government Nominee | Oil Industry Development Board Small Industries Development Bank of India [SIDBI] National Credit Guarantee Trustee Company Ltd [NCGTC] Punjab National Bank National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) Petronet LNG Limited Indian Strategic Petroleum Reserves Limited International Financial Services Centres Authority |
| 7. | Dr Ranjan Sharma | Independent Director | NIL |
| 8. | Shri Vinod Kumar Verma | Independent Director | NIL |
| 9. | Prof. Anil Kumar | Independent Director | NIL |
| 10. | Smt. AnjulyChib Duggal | Independent Director | Gillette India Ltd The Nature Conservancy India |
| 11. | Shri Gurumoorthy Mahalingam | Independent Director | NIL |
| 12. | Shri Raj Kamal | Independent Director | SMIT Consulting DMCC, (incorporated in UAE) Trans-Fi Inc |
| 13. | Shri V. S. Parthasarathy | Independent Director | Allcargo Logistics Limited RUDI Multi Trading Company Limited Grassroot Network (GTNfW) a Section 8 company Ecuhold N V AllCargo Belgium Kids Clinic India Limited Imperial Auto Industries Limited IAI Industries Limited National Institute of Industrial Engineering |
| 14. | Shri M. P. Vijay Kumar | Independent Director | Thejo Engineering Limited Sella India Software Services Private Limited Sify Data and ManagedServices Limited Extensible Business Reporting Language (XBRL) India Heritage Foods Limited Geojit Financial Services Limited Sify Technologies (Singapore) Pte Limited |
| 15. | Shri Sanjeev Nautiyal | Independent Director | NIL |





च) उपरोक्त संबंधित पार्टियों के साथ 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान निगम के लेन-देन की प्रकृति और मात्रा निम्नानुसार थी:

i) सहयोगी और प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति

(₹ लाख में)

| | | | | सहयोगी | | | |
|-----------------------------|--------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| विवरण | वित्तीय वर्ष | एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड | एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी | एलआईसी म्यूचुअल फंड एएम लिमिटेड | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड | प्रमुख प्रबंधन कार्मिक |
| इक्विटी, ऋण, बांड | 2021-22 | 233551.22 | - | 1435423.00 | - | - | - |
| और म्यूचुअल फंड की खरीद | 2020-21 | - | - | 1028020.17 | - | - | - |
| म्यूचुअल फंड की बिक्री | 2021-22 | - | - | 1324175.23 | - | - | - |
| म्यूयुअल फंड का बिक्रा | 2020-21 | | | 1065200.93 | - | - | - |
| ऋणों और बांडों / ऋणों | 2021-22 | 150000.00 | - | - | 155000.00 | - | - |
| पर मोचन | 2020-21 | 200000.00 | - | - | 4000.00 | - | - |
| आय प्राप्त करें | 2021-22 | - | - | 4883.68 | - | - | - |
| आप प्राप्त कर | 2020-21 | - | - | 7505.30 | - | - | - |
| आवेदन धन | 2021-22 | - | - | - | - | - | - |
| जापपग यग | 2020-21 | - | - | 22500.00 | - | - | - |
| निवेश से आय | 2021-22 | 144968.56 | 13.60 | 49.50 | 27875.93 | 540.00 | - |
| ापरा रा जाव | 2020-21 | 157908.30 | 13.60 | - | 28217.38 | 450.00 | - |
| किराया | 2021-22 | 824.21 | - | 268.89 | 132.50 | - | - |
| 1477141 | 2020-21 | 843.53 | - | 209.73 | 113.84 | - | - |
| अन्य प्रशासनिक के प्रति | 2021-22 | 240.63 | 18.80 | 239.86 | 1738.41 | - | - |
| प्रतिपूर्ति / भुगतान खर्च | 2020-21 | 181.21 | 10.29 | 192.34 | 15.07 | - | - |
| कमीशन का भुगतान किया गया | 2021-22 | - | - | - | 6866.00 | - | - |
| प्रबंधकीय पारिश्रमिक | 2021-22 | - | _ | - | _ | - | 965.89 |
| अवधकाय पारिशामक | 2020-21 | - | - | - | - | - | 512.00 |
| 45-2 | 2021-22 | 529584.62 | 32.40 | 2765050.16 | 191612.84 | 540.00 | 965.89 |
| कुल | 2020-21 | 358933.04 | 23.89 | 2123628.47 | 32346.29 | 450.00 | 512.00 |

ii) सहायक कंपनियां (₹ लाख में)

| | | | | | सहायक कंपनि | यां | | |
|--------------------------|--------------|---------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|--|-----------------------------|--|
| विवरण | वित्तीय वर्ष | एलआईसी पेंशन फंड | एलआईसी कार्ड सेवाएं | एलआईसी नेपाल लिमिटेड | एलआईसी बांग्लादेश | एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी (सी) बहरीन | एलआईसी (लंका) लिमिटेड | एलआईसी सिंगापुर पीटीई लिमिटेड |
| इक्विटी, ऋण, बांड और | 2021-22 | 2000.00 | - | - | - | 88040.60 | 811.28 | - |
| म्यूचुअल फंड की खरीद | 2020-21 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| वार्षिक तकनीकी / आई. | 2021-22 | - | - | 20.00 | 16.38 | 53.98 | - | - |
| टी. समाधान शुल्क प्राप्त | 2020-21 | - | - | 20.00 | 16.97 | - | - | - |
| किराया | 2021-22 | - | 5.28 | - | - | - | - | - |
| | 2020-21 | - | 4.05 | - | - | - | - | - |
| अन्य प्रशासनिक खर्चों की | 2021-22 | 2427.93 | 2.73 | - | - | - | - | - |
| प्रतिपूर्ति/ भुगतान | 2020-21 | 1345.85 | 2.54 | - | - | - | - | - |
| *** | 2021-22 | 4427.93 | 8.01 | 20.00 | 16.38 | 88094.58 | 811.28 | _ |
| कुल | 2020-21 | 1345.85 | 6.59 | 20.00 | 16.97 | _ | _ | _ |





F) The nature and volume of transactions of LICI with the related parties:

i) Associates and Key Management Personals

(₹ in Lakhs)

| | | | Associates | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Particulars | For the F.Y. | LIC Housing Finance Ltd. | LIC HFL Asset Management Co. | LIC Mutual Fund AM Ltd. | IDBI Bank Ltd. | IDBI Trusteeship Services Ltd. | Key Management Personnel | |
| Purchase of Equity, Debts, bonds and | 2021-22 | 233551.22 | - | 1435423.00 | - | - | - | |
| Mutual Fund | 2020-21 | - | - | 1028020.17 | - | - | - | |
| Sale of Mutual Fund | 2021-22 | - | - | 1324175.23 | - | - | - | |
| Sale of Mutual Fund | 2020-21 | | | 1065200.93 | - | - | - | |
| Redemption on | 2021-22 | 150000.00 | - | - | 155000.00 | - | - | |
| Debts & bonds / Loans | 2020-21 | 200000.00 | - | - | 4000.00 | - | - | |
| Catalana | 2021-22 | - | - | 4883.68 | - | - | - | |
| Gain Income | 2020-21 | - | - | 7505.30 | - | - | - | |
| A li ti M | 2021-22 | - | - | - | - | - | - | |
| Application Money | 2020-21 | - | - | 22500.00 | - | - | - | |
| Income from | 2021-22 | 144968.56 | 13.60 | 49.50 | 27875.93 | 540.00 | - | |
| Investment | 2020-21 | 157908.30 | 13.60 | - | 28217.38 | 450.00 | - | |
| Rent | 2021-22 | 824.21 | - | 268.89 | 132.50 | - | - | |
| Rent | 2020-21 | 843.53 | - | 209.73 | 113.84 | - | - | |
| Reimbursement / payment towards | 2021-22 | 240.63 | 18.80 | 239.86 | 1738.41 | - | - | |
| other administrative Expenses | 2020-21 | 181.21 | 10.29 | 192.34 | 15.07 | - | - | |
| Commission paid | 2021-22 | - | - | - | 6866.00 | - | - | |
| Managerial | 2021-22 | - | - | - | - | - | 965.89 | |
| Remuneration | 2020-21 | - | - | - | - | = | 512.00 | |
| TOTAL | 2021-22 | 529584.62 | 32.40 | 2765050.16 | 191612.84 | 540.00 | 965.89 | |
| IOIAL | 2020-21 | 358933.04 | 23.89 | 2123628.47 | 32346.29 | 450.00 | 512.00 | |

ii) Subsidiaries

(₹ in Lakhs)

| | | Subsidiaries | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|-------------------------------|--|
| Particulars | For the F.Y. | LIC Pen- sion Fund | LIC Card Services | LIC Ne- pal Ltd. | LIC Bangla- desh | LIC (Inter- national) B.S.C.(c) Bahrain | LIC (Lanka) Ltd. | LIC Singa- pore Pte Ltd | |
| Purchase of Equity, Debts, bonds and | 2021-22 | 2000.00 | - | - | - | 88040.60 | 811.28 | - | |
| Mutual Fund | 2020-21 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Annual Technical/ | 2021-22 | - | - | 20.00 | 16.38 | 53.98 | - | - | |
| I.T. Solution fees received | 2020-21 | - | - | 20.00 | 16.97 | - | - | - | |
| Rent | 2021-22 | - | 5.28 | - | - | - | - | - | |
| | 2020-21 | - | 4.05 | - | - | - | - | - | |
| Reimbursement / payment towards | 2021-22 | 2427.93 | 2.73 | - | - | - | - | - | |
| other administrative expenses | 2020-21 | 1345.85 | 2.54 | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | 2021-22 | 4427.93 | 8.01 | 20.00 | 16.38 | 88094.58 | 811.28 | - | |
| TOTAL | 2020-21 | 1345.85 | 6.59 | 20.00 | 16.97 | - | - | - | |





iii) संबंधित पक्षों के पास बकाया राशि 31.03.2022

| क्रमांक | संबंधित पार्टी का नाम | कंपनी के साथ संबंधों की प्रकृति | प्रतिबद्धताओं सहित राशि (लाख | क्या देय / प्राप्य है | |
|---------|---|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|
| | | सबधा का प्रकृति | 2021-22 | 2020-21 | प्राप्य ह |
| 1 | एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड | सहयोगी | 1334341.03 | 1495061.30 | प्राप्य |
| 2 | एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड | सहयोगी | 85.95 | 7.20 | देय |
| 3 | एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | सहयोगी | 0.08 | 0.07 | प्राप्य |
| 4 | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | सहयोगी | 598408.14 | 690000.00 | प्राप्य |
| 5 | एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड | सहायक | 1287.79 | 1439.20 | प्राप्य |
| 6 | एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड | सहायक | 247.66 | 1345.80 | प्राप्य |
| 7 | एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड | सहायक | 131.82 | 129.40 | प्राप्य |
| 8 | जीवन बीमा निगम (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी) | सहायक | 173.77 | 35.00 | प्राप्य |

24. प्रावधानों का संचलन: (₹ लाख में)

| | विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|------------|------------|
| 1 | घोषित लाभांश के लिए | | |
| | (5% मूल्यांकन अधिशेष) | | |
| | प्रारंभिक जमा | - | 269973.40 |
| | वर्ष के दौरान वृद्धि | - | 288901.01 |
| | भारत सरकार को भुगतान की गई राशि | - | - |
| | रखी गई राशि और आरक्षित और अधिशेष में अंतरण | - | 558874.40 |
| | जमा शेष | - | - |
| 2 | सॉल्वेंसी मार्जिन के लिए रिजर्व का प्रावधान | | |
| | प्रारंभिक जमा | 1494305.60 | 1494305.60 |
| | वर्ष के दौरान वृद्धि | 0.00 | 0.00 |
| | वर्ष के दौरान कटौती | 0.00 | 0.00 |
| | जमा शेष | 1494305.60 | 1494305.60 |

25. प्रबंधन का खर्च (एलआईसीआई):

प्रबंधन के खर्च चार खंडों को छोड़कर IRDAI (बीमाकर्ता के जीवन बीमा कारोबार के प्रबंधन के खर्च) विनियमन 2016 के नियमन के अनुसार हैं, जिसके लिए निगम IRDAI से सहनशीलता की मांग करेगा। हालांकि समग्र आधार पर प्रबंधन के वास्तविक खर्च सभी खंडों के लिए स्वीकार्य कुल खर्च की सीमा के भीतर हैं।

26. विदेशी मुद्रा भंडारः

फिजी, मॉरीशस और यूनाइटेड किंगडम में किए गए परिचालन गैर अभिन्न प्रकृति के हैं। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, जिसमें विदेशी बीमा सहायक कंपनियां शामिल हैं, राजस्व खाता मदों का औसत दर पर अनुवाद किया जाता है और तुलन-पत्र आइटमों को समापन विनिमय दरों पर अनुवादित किया जाता है।





iii) Outstanding balances with related parties as at 31.03.2022.

| SI. No. | Name of the Related Party | Nature of Relationship with the Company | Amount of C Balances i Commit (₹ In L | Whether Payable / Receivable | |
|------------|--|--|--|------------------------------------|------------|
| | | Company | 2021-22 | 2020-21 | |
| 1 | LIC Housing Finance Ltd. | Associate | 1334341.03 | 1495061.30 | Receivable |
| 2 | LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. | Associate | 85.95 | 7.20 | Payable |
| 3 | LICHFL Asset Management Co. Ltd. | Associate | 0.08 | 0.07 | Receivable |
| 4 | IDBI Bank Ltd. | Associate | 598408.14 | 690000.00 | Receivable |
| 5 | LIC Cards Services Ltd. | Subsidiary | 1287.79 | 1439.20 | Receivable |
| 6 | LIC Pension Fund Ltd. | Subsidiary | 247.66 | 1345.80 | Receivable |
| 7 | LIC of Bangladesh Ltd. | Subsidiary | 131.82 | 129.40 | Receivable |
| 8 | Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c) | Subsidiary | 173.77 | 35.00 | Receivable |

24. Movement of Provisions:

(₹ in Lakhs)

| | Current Year | Previous Year |
|--|--------------|---------------|
| For Proposed Dividend | | |
| (5% Valuation Surplus) | | |
| Opening Balance | - | 269973.40 |
| Addition during the year | - | 288901.01 |
| Amount paid to Government of India | - | - |
| Amount retained and transfer to Reserves & Surplus | - | 558874.40 |
| Closing Balance | - | - |
| Provision for reserve for solvency margin | | |
| Opening Balance | 1494305.60 | 1494305.60 |
| Addition during the year | - | - |
| Deduction during the year | - | - |
| Closing Balance | 1494305.60 | 1494305.60 |

25. Expenses of Management of LICI:

The Expenses of Management are in accordance with the Regulation of IRDAI (Expenses of Management of Insurer transacting life insurance business) Regulation 2016 except in four segments, for which the Corporation shall seek forbearance from IRDAI. However on an overall basis the actual expenses of management are within the limit of aggregate expenses allowable for all the segments.

26. Foreign Exchange Reserve:

Operations carried out in Fiji, Mauritius and U.K. are of non-integral nature. While preparing consolidated financial Statements, which includes foreign insurance subsidiaries, revenue account items are translated at average rate and balance sheet items are translated at closing exchange rates.





समेकित वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाले विनिमय उतार—चढ़ाव आरक्षित का उल्लेख निम्न है: —

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2022 तक | 31.03.2021 तक |
|--|---------------|---------------|
| अनुसूची 6 के अनुसार आरक्षित और अधिशेष (शेयरधारकों) का समेकित विवरण | 16951.44 | 11446.60 |
| अनुसूची ६ए के अनुसारः बीमा आरक्षित का समेकित विवरण (पॉलिसीधारक) | 272609.45 | 234666.00 |

27. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एलआईसीआई):

प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED ACT) के तहत आपूर्तिकर्ताओं से उनकी स्थिति के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर, निगम के पास उक्त के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों की राशि है। निम्नानुसार है:-

| अनु. | विवरण | 31.03.2022 तक | 31.03.2021 तक |
|------|--|------------------|------------------|
| 1 | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बकाया मूलधन राशि। | 189.57 | Nil |
| 2 | उपरोक्त 1 के अनुसार बकाया मूलधन पर अर्जित ब्याज। | Nil | Nil |
| 3 | सेवाओं की सुपुदर्मी की तारीख से 15 दिन या सहमत समय के पश्चात वर्ष के दौरान मूलधन की धनराशी एवं भुगतान की गई ब्याज की धनराशी | Nil | Nil |
| 4 | वर्ष के दौरान मूलधन पर देय ब्याज लेकिन अभी तक भुगतान किया जाना है। | Nil | Nil |
| 5 | बाद के वर्षों में भी देय और देय शेष ब्याज की राशि, जब तक कि कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए, जब तक उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं की जाती है। | Nil | Nil |

28. 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई

क. **एलआईसीआई** (₹ लाख में)

| | | : | 2021-202 | 2 | 2020-21 | | |
|------|--|---------|--------------------|--------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------|
| अनु. | प्राधिकरण | | जुर्माना भुगतान | जुर्माना माफ/कम किया गया | जुर्माना | जुर्माना भुगतान | जुर्माना माफ/कम किया गया |
| 1 | बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण | - | - | - | - | - | - |
| 2 | जीएसटी/ सेवा कर प्राधिकरण | 670.94 | 50.51 | - | 0.02 | 0.02 | - |
| 3 | आयकर अधिकारी | 374.27 | 16.82 | - | 6.43 | 6.43 | - |
| 4 | कोई अन्य कर प्राधिकरण | 0.76 | 0.76 | - | 0.23 | 0.23 | - |
| 5 | प्रवर्तन निदेशालय / निर्णायक प्राधिकरण / न्यायाधिकरण या फेमा के तहत कोई प्राधिकरण | - | - | ı | ı | - | - |
| 6 | कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार/एनसीएलटी/सीएलबी/ कॉर्पोरेट मामलों के विभाग या कोई प्राधिकरण | - | - | ı | ı | - | - |
| 7 | दावा निपटान सहित किसी भी मामले के लिए किसी भी न्यायालय/ अधिकरण द्वारा दिया गया दंड लेकिन मुआवजे को छोड़कर | 36.58 | 36.58 | ı | 3.71 | 3.71 | - |
| 8 | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड | 10.00 | - | - | ı | - | - |
| 9 | भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग | - | - | - | - | - | - |
| 10 | कोई अन्य केंद्र / राज्य / स्थानीय सरकार / सांविधिक प्राधिकरण | 11.63 | 5.73 | - | 888.78 | 0.10 | - |
| | कुल | 1104.18 | 110.40 | - | 899.17 | 10.49 | |





The exchange fluctuation reserve appearing in consolidated financial statements is mentioned below:-

(₹ in Lakhs)

| Particulars | As at March 31, | | |
|--|-----------------|-----------|--|
| Particulars | | 2021 | |
| As per Schedule 6 Consolidated Statement of Reserves and Surplus (Shareholders) | 16951.44 | 11446.60 | |
| As per Schedule 6A: Consolidated Statement of Insurance Reserves (Policyholders) | 272609.45 | 234666.00 | |

27. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 of LICI:-

According to information available with the management, on the basis of intimation received from suppliers, regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED ACT), the corporation has amounts due to Micro and Small Enterprises under the said Act as follows:

(₹ in Lakhs)

| Sr. No. | Particulars | As at March 31, 2022 | As at March 31, 2021 |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Principal amount remaining unpaid to Micro, small & medium enterprise. | 189.57 | Nil |
| 2 | Interest accrued on principal amount remaining unpaid as per 1 above. | Nil | Nil |
| 3 | Amount of interest paid during the year along with the payment of principal amount made beyond 15 days or agreed time from the date of delivery / rendering of services. | Nil | Nil |
| 4 | Interest due but yet to be paid on principal during the year. | Nil | Nil |
| 5 | Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as deductible expenditure. | Nil | Nil |

28) Penal action taken by various Government Authorities for the year ended 31.03.2022

A. LICI (₹ in Lakhs)

| | | | 2021-2022 | 2 | 2020-21 | | | |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------|--|
| SI No. | Authority | Penalty | Penalty Paid | Penalty Waived/ Reduced | Penalty | Penalty Paid | Penalty Waived/ Reduced | |
| 1 | Insurance Regulatory and Development Authority | - | ı | - | - | - | - | |
| 2 | GST/Service Tax Authorities | 670.94 | 50.51 | - | 0.02 | 0.02 | | |
| 3 | Income Tax Authorities | 374.27 | 16.82 | - | 6.43 | 6.43 | - | |
| 4 | Any other Tax Authorities | 0.76 | 0.76 | - | 0.23 | 0.23 | - | |
| 5 | Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Registrar of Companies/ NCLT/CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 2013 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation | 36.58 | 36.58 | - | 3.71 | 3.71 | - | |
| 8 | Securities and Exchange Board of India | 10 | - | - | - | - | - | |
| 9 | Competition Commission of India | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Any other Central/State/Local Government / Statutory Authority | 11.63 | 5.73 | - | 888.78 | 0.10 | - | |
| | Total | 1104.18 | 110.4 | - | 899.17 | 10.49 | - | |





गैर अनुपालन/उल्लंघन का विवरण:

| विवरण | 2021-22 | 2020-21 |
|---|---------|---------|
| रिटर्न भरने में देरी और कर के देर से भुगतान | 374.27 | 6.43 |
| पेशेवर कर का देर से प्रेषण | 0.76 | 0.23 |
| पॉलिसीधारकों के पक्ष में न्यायालय द्वारा दिया गया जुर्माना | 36.41 | 3.71 |
| सरकार द्वारा दिया गया जुर्माना पॉलिसीधारक के अलावा अन्य प्राधिकरण | 21.80 | 888.78 |
| जीएसटी / सेवा कर प्राधिकरण | 670.94 | 0.02 |
| कुल | 1104.18 | 899.17 |

ख. आईडीबीआई बैंकः वर्ष के दौरान आरबीआई द्वारा निम्नलिखित जुर्माने लगाए गएः

(₹ लाख में)

| क्र. | विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए* |
|------|---|--|
| 1 | चेक संग्रहण प्रक्रिया पर दिशा—निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना । | - |
| 2 | ग्राहक सेवा पर दिशा—निर्देशों, सिक्कों और छोटे मूल्यवर्ग के नोटों और कटे—फटे नोटों के आदान—प्रदान के संबंध में दिशा—निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना | - |
| 3 | भारतीय रिज़र्व बैंक को मुद्रा तिजोरी द्वारा किए गए विप्रेषण के मामलों में मुद्रा तिजोरी पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया गया जुर्माना | - |
| 4 | करेंसी चेस्ट पर अवधि के दौरान आरबीआई द्वारा लगाए गए सभी जुर्मानों की कुल राशि | 0.39 |
| 5 | अवधि के दौरान आरबीआई/ बैंकिंग ओंबुड्समन द्वारा लगाए गए सभी जुर्माने/ मुआवजे की कुल राशि | 18.85 |
| 6 | अन्य कारणों से दंड | - |
| | कुल | 19.24 |

^{* 31} दिसंबर, 2020 को समाप्त नौ महीनों के लिए, जिस अवधि के लिए आईडीबीआई बैंक को वित्तीय 2021 में अनुषंगी के रूप में समेकित किया गया था।

29. गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां:– एलआईसीआई ऋण पोर्टफोलियो

(₹ लाख में)

| ~~ ~ | 31 मार्च 2022 तक | | 31 मार्च 2021 तक | |
|-----------------|------------------|------------|------------------|------------|
| आस्तियां | संपत्ति | प्रावधान | संपत्ति | प्रावधान |
| उप मानक | 23820.27 | 6310.32 | 25436.50 | 6043.14 |
| संदिग्ध संपत्ति | 724630.22 | 724559.51 | 2036917.42 | 2036819.02 |
| हानि संपत्ति | 1960260.55 | 1960260.55 | 1450634.96 | 1450634.96 |
| कुल | 2708711.04 | 2691130.38 | 3512988.88 | 3493497.12 |
| मानक | 42220778.31 | 175038.31 | 41617341.44 | 240662.63 |
| कुल योग | 44929489.35 | 2866168.69 | 45130330.32 | 3734159.75 |
| | निवेश | एनपीए | निवेश | एनपीए |
| कुल | 44929489.35 | 2708711.04 | 45130330.32 | 3512988.88 |
| एनपीए प्रावधान | 2691130.39 | 2691130.39 | 3493497.12 | 3493497.12 |
| सटीक स्थिति | 42238358.96 | 17580.65 | 41636833.19 | 19491.75 |
| सकल एनपीए% | 6.03 | | 7.78 | |
| शुद्ध एनपीए% | 0.04 | | 0.05 | |

नोट:

1. वित्त वर्ष 2020 में 'संदिग्ध निवेश और अन्य प्रावधानों के प्रावधान' के आंकड़ों को निवेश के तहत वित्त पोषित फोलियों के पुनर्समूहीकरण के कारण पुनर्गठित किया गया है (पहले अन्य अग्रिमों के तहत दिखाया गया था)। वित्त वर्ष 2020 से संबंधित वित्त पोषित फोलियों पर प्रावधान की राशि को प्रचलित लेखांकन प्रथा के अनुसार ब्याज खाते में वापस कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2021 के लिए राजस्व खाते में उचित प्रस्तुति के लिए वर्ष वित्त वर्ष 2021 के प्रावधान को ब्याज के विरुद्ध एक बार समायोजित किया गया है।





Details of non compliance/Violation:

| Particulars | 2021-22 | 2020-21 |
|---|---------|---------|
| Delay In return filling & late remittance of tax | 374.27 | 6.43 |
| Late remittance of professional tax | 0.76 | 0.23 |
| Penalty awarded by Court in favor of policyholders | 36.41 | 3.71 |
| Penalty awarded by Govt. Authority other than the policyholder matters. | 21.80 | 888.78 |
| GST/ Service Tax Authority | 670.94 | 0.02 |
| Total | 1104.18 | 899.17 |

B. IDBI Bank: During the year following penalties were imposed by RBI

(₹ in Lakhs)

| Sr. No. | Particulars | For the year ended March 31, 2021* |
|------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Penalty for non-compliance of guidelines on cheque collection process. | - |
| 2 | Penalty for non-compliance of guidelines on customer service, guidelines in respect of exchange of coins and small denomination notes and mutilated notes | - |
| 3 | Penalties imposed by RBI on currency chest in cases of remittances, made by currency chests to RBI | - |
| 4 | Total amount of all penalties levied by RBI during the period on currency chests | 0.39 |
| 5 | Total amount of all penalties/compensation levied by RBI / Banking Ombudsman during the period | 18.85 |
| 6 | Penalties for other reasons | - |
| | Total | 19.24 |

^{*} For the nine months ended December 31 2020 being the period for which IDBI Bank was consolidated as Subsidiary in Fiscal 2021.

29) Non - Performing Assets:- LICI Debt Portfolio

(₹ in Lakhs)

| Acceto | As at 31 Ma | As at 31 March 2022 | | As at 31 March 2021 | |
|-----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| Assets | Asset | Provision | Asset | Provision | |
| Sub Standard | 23820.27 | 6310.32 | 25436.50 | 6043.14 | |
| Doubtful Assets | 724630.22 | 724559.51 | 2036917.42 | 2036819.02 | |
| Loss assets | 1960260.55 | 1960260.55 | 1450634.96 | 1450634.96 | |
| Total | 2708711.04 | 2691130.38 | 3512988.88 | 3493497.12 | |
| Standard | 42220778.31 | 175038.31 | 41617341.44 | 240662.63 | |
| Grand Total | 44929489.35 | 2866168.69 | 45130330.32 | 3734159.75 | |
| | Investment | NPA | Investment | NPA | |
| Gross | 44929489.35 | 2708711.04 | 45130330.32 | 3512988.88 | |
| NPA Provision | 2691130.39 | 2691130.39 | 3493497.12 | 3493497.12 | |
| Net position | 42238358.96 | 17580.65 | 41636833.19 | 19491.75 | |
| Gross NPA% | 6.03 | | 7.78 | | |
| Net NPA% | 0.04 | | 0.05 | | |

Note:

The figures for 'provisions for doubtful investments and other provisions' in FY2020 have been recast due to regrouping of funded folios under Investments (earlier shown under other advances). The amount of provision on funded folios pertaining to FY2020 was reversed to Interest account as per the prevailing accounting practice. The provision for the year FY2021 has been adjusted one time against Interest for proper presentation in Consolidated Revenue Account for FY2021.





- 2. ऊपर दिखाई गई परिसंपत्तियां अनुसूची 8 ए में आईआरडीए द्वारा निर्धारित प्रारूपों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रस्तुत की जाती हैं: निवेश का समेकित विवरण — पॉलिसीधारक अनुसूची, अनुसूची 8 बी: संबंध्द दायित्व रिक्षत करने के लिए परिसंपत्तियों का समेकित विवरण और अनुसूची 9: का समेकित विवरण ऋण।
- **30**. छह कंपनियों को दी गई ऋण के तहत जमानत 269656.00 लाख की राशि आंशिक रूप से निष्पादित की गई है और नियत प्रक्रिया के तहत है (पिछले वर्ष सात कंपनियों के तहत, 300583 लाख की राशि)।

31. निवेश की हानिः

अस्थायी ह्रास के अलावा अन्य निवेशों के मूल्य में हानि का आकलन अवधि के लिए किया गया है और तदनुसार हानि प्रावधान प्रदान किए गए हैं। निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान (निवल) शीर्षक के तहत समेकित राजस्व खाते में मान्यता प्राप्त नुकसान में हानि के लिए प्रावधान/प्रत्यावर्तन।

32. प्रति शेयर लाभांश (डीपीएस):

निदेशक मंडल ने 30 मई 2022 को हुई अपनी बैठक में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य के साथ प्रत्येक 1.50 रुपये के लाभांश का प्रस्ताव दिया है, जो एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

33. प्रति शेयर आय (ईपीएस):

| विवरण | समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च, | |
|--|------------------------------|------------|
| | 2022 | 2021 |
| शेयरधारकों के लिए निश्चित की गई आय (₹ लाख में) | 412470.82 | 297413.90 |
| ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की संख्या | 6324997701 | 6324997701 |
| मूल ईपीएस (₹) | 6.52 | 4.70 |
| डायल्यूटेड ईपीएस (₹) | 6.52 | 4.70 |

- 1. 1000 लाख इक्विटी शेयर रु. 10 प्रत्येक का निर्गम और आवंटन, एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 5(2) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा समय—समय पर प्रदान की गई पेड—अप इक्विटी पूंजी के खिलाफ किया गया तथा, 6224997701 बोनस शेयर रु. 10 प्रत्येक एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 5(4) के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध मुफ्त रिजर्व के खिलाफ जारी और आवंटित किये गये, इस प्रकार निगम की कुल जारी और अभिदत्त की गई इक्विटी पूंजी 632499.77 लाख रुपये थी।
- 2. 08 सितंबर, 2021 को निगम के संसाधनों में वृद्धि के बिना शेयरों की संख्या में वृद्धि हुई थी, इसिलए पिछले वर्षके प्रारंभकी इक्विटी शेयरों की संख्या वर्ष के प्रारंभमे जारी किया गया मानते हुये समायोजित किया गया है । तदनुसार वित्त वर्ष 2021 के लिए प्रति शेयर आय की गणना 08 सितंबर. 2021 को जारी किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गई है।

34. पट्टे

क. एलआईसीआई:

निगम ने अपने कार्यालयों और स्टाफ क्वार्टरों के लिए कुछ संपत्तियों को किराए पर लिया है। समेकित राजस्व खाते में डेबिट किए गए पट्टा किराया नीचे दिए गए हैं:

(₹ लाख में)

| A | समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च, | |
|--------------|------------------------------|----------|
| विवरण | 2022 | 2021 |
| पट्टा किराया | 37700.00 | 36007.60 |

क. आईडीबीआई बैंक:

- क) पट्टा/ किराये पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/ रद्द करने योग्य होती हैं।
- ख) बैंक द्वारा किए गए लीज़ सहमत अवधि के लिए होते हैं जिसमें लीज़ अवधि के दौरान भी पारस्परिक रूप से सहमत कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देकर लीज को समाप्त करने का विकल्प होता है।
- ग) तुलन—पत्र की तारीख को गैर—निरसनीय परिचालनात्मक पट्टों के संबंध में सहायक/ संयुक्त उद्यमों के लिए भावी न्यूनतम पट्टा भुगतानों





- 2. The assets shown above are presented under various categories in accordance with the formats prescribed by IRDA in Schedule 8A: Consolidated Statement Of Investments - Policyholders Schedule, Schedule 8B: Consolidated Statement Of Assets Held To Cover Linked Liabilities and Schedule 9: Consolidated Statement Of Loan.
- **30.** Security under debt extended to six companies amounting to ₹ 269656.00 lakhs is executed partially and is under due process (FY 2021: under seven companies ₹ 300583 lakhs).

31. Impairment of Investments:

The impairment in value of investments other than temporary diminution has been assessed for the year and accordingly impairment provisions have been provided. A provision/(reversal) for impairment loss recognized in the Consolidated Revenue Account under the head Provision for diminution in the value of investments (net).

32. Dividend Per Share (DPS):-

The Board of Directors in its meeting held on 30th May 2022 have proposed Dividend of ₹ 1.50 per equity Share with face value of ₹ 10/- each for the Year ended March 31, 2022 which is subject to approval of Shareholders in AGM.

33. Earnings Per Share (EPS):-

| Particulars - | For the year ended March 31, | |
|---|------------------------------|------------|
| | 2022 | 2021 |
| Profit for the Year attributable to Shareholders (in ₹ Lakhs) | 412470.82 | 297413.90 |
| No. Of equity shares for calculation of EPS (Refer Note) | 6324997701 | 6324997701 |
| Basic EPS (₹) | 6.52 | 4.70 |
| Diluted EPS (₹) | 6.52 | 4.70 |

- Issue and allotment of 1000 lakhs Equity Shares of Rs. 10 each in terms of provisions of Section 5(2) of LIC Act 1956 as amended, against Paid-up equity Capital provided by Central Government from time to time, 6224997701 bonus shares of Rs. 10 each were issued and allotted against the available free Reserves, in terms of provisions of section 5(4) of LIC Act 1956 as amended thus the total paid up equity capital of the Corporation being Rs. 632499.77 Lakhs now.
- 2. The number of shares was increased without an increase in resources of the corporation, hence the number of equity shares outstanding before September 08 2021 is adjusted for proportionate change in the number of equity shares outstanding as if the issue of shares has been occurred at the beginning of the earliest period reported and accordingly the earning per share for FY 2021 is calculated on the basis of the number of equity shares issued on September 08 2021.

34. Leases

A. LICI:

The Corporation has hired some properties for its offices and as staff quarters. The lease rentals debited to the Consolidated Revenue Account are as given below:

(₹ in Lakhs)

| Particulars - | For the year ended March 31, | |
|---------------|------------------------------|----------|
| | 2022 | 2021 |
| Lease Rentals | 37700.00 | 36007.60 |

B. IDBI Bank:

- The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank.
- b) The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing.
- c) Lease rent paid for operating leases are recognised as an expense in the Consolidated Revenue Account in the year to which it relates. The lease rent recognised is as follows:





का सारांश निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

| विवरण | समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च, 2021 |
|--------------|-----------------------------------|
| पट्टा किराया | 27486.00 |

^{*31} दिसंबर, 2020 को समाप्त नौ महीनों के लिए, जिस अवधि के लिए आईडीबीआई बैंक को वित्तीय 2021 में सहायक के रूप में समेकित किया गया था।

35. आय पर कर के लिए लेखांकन

31 मार्च, 2022 तक समेकित विवरण पत्र मे आयकर के लिए प्रावधान नीचे दिया गया है:

कराधान के लिए प्रावधानः

(₹ लाख में)

| विवरण | समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च, | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------|
| | 2022 | 2021 |
| समेकित राजस्व खाते में प्रभारित | 797329.79 | 916816.39 |
| समेकित लाभ और हानि खाते में प्रभारित | 3987.00 | 856.84 |

क. एलआईसीआई: एलआईसीआई के लिए ऊपर में शामिल कर के लिए कुल प्रावधान नीचे दिया गया है:

| 0 | समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च, | | |
|---|------------------------------|-----------|--|
| विवरण | 2022 | 2021 | |
| समेकित राजस्व खाते में प्रभारित | 787862.93 | 798776.03 | |
| समेकित लाभ और हानि खाते में प्रभारित | 2359.81 | 620.76 | |
| जीवन बीमा व्यवसाय के लिए लागू प्रभावी कर दरें | 14.56% | 14.56% | |

ख. आईडीबीआई बैंक: बैंक के लिए कर का कुल प्रावधान नीचे दिया गया है:

| विवरण | समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च,2021* |
|---|-----------------------------------|
| समेकित राजस्व खाते में प्रभारित | 111688.69 |
| आईडीबीआई बैंक के लिए लागू प्रभावी कर दरें | 25.17% |

^{*31} दिसंबर, 2020 को समाप्त नौ महीनों के लिए, जिस अवधि के लिए आईडीबीआई बैंक को वित्तीय 2021 में सहायक के रूप में समेकित किया गया था।

36. फ्री-लुक अवधि के लिए प्रावधान (एलआईसीआई):

वर्ष के अंत में 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 को फ्री—लुक अवधि का प्रावधान क्रमशः अप्रैल 2022 और अप्रैल 2021 के महीने के दौरान वापस किए गए वास्तविक प्रीमियम के आधार पर किया गया है। यह प्रावधान इस धारणा के साथ किया गया है कि अप्रैल 2022 और अप्रैल 2021 के दौरान प्रीमियम की सभी वापसी क्रमशः 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 को या उससे पहले पूरी की गई पॉलिसियों से संबंधित है।

37. इंड-एएस के कार्यान्वयन की प्रगति (एलआईसीआई):

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिए गए प्रारंभिक रोडमैप के अनुसार, बीमा कंपनियों को अप्रैल 2018 से इंड-एएस को लागू करना आवश्यक था। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने इंड ए एस के कार्यान्वयन को स्थिगत कर दिया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (IASB) ने IFRS 17 में संशोधन करने के लिए विचार किया था। IFRS 17 में संशोधन किया है और इसे 1 जनवरी 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि से प्रभावी बना दिया है। आईएफआरएस 17 के अनुरूप इंड एएस 117 (बीमा अनुबंध) में संशोधन का एक्सपोजर ड्राफ्ट 24 दिसंबर, 2020 को आईसीएआई के लेखा मानक बोर्ड (एएसबी) द्वारा जारी किया गया था। अंतिम रूप देने पर, इंड एएस 117 को एमसीए द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

इंड-एएस के कार्यान्वयन के लिए नए लेखा मानकों की आवश्यकताओं का पता लगाने और मूल्यांकन करने के लिए संबंधित विभागों में कोर टीमों का गठन किया गया है। आईएफआरएस 17 (इंड एएस 117) के तहत आवश्यक बीमांकिक गणना करने में सक्षम एक अभिन्न बीमांकिक सॉफ्टवेयर सिस्टम (प्राफेट) मार्च 2021 में खरीदा गया था। सभी उत्पादों को 31 मार्च, 2022 तक मूल्यांकन के लिए आवश्यक भविष्यवक्ता सॉफ्टवेयर सिस्टम में एकीकृत किया गया है।

हम इन मानकों के कार्यान्वयन पर IRDAI और अन्य पेशेवर निकायों के दिशानिर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन दिशानिर्देशों के लागू होने के बाद प्रणाली और प्रक्रियाओं में उचित बदलाव किए जाएंगे।





(₹ in Lakhs)

| Particulars | For the year ended March 31, 2021 | |
|---------------|-----------------------------------|--|
| Lease Rentals | 27486.00 | |

^{*} For the nine months ended December 31 2020 being the period for which IDBI Bank was consolidated as Subsidiary in Fiscal 2021.

35. Accounting for Taxes on Income

Income tax charged to Consolidated Revenue Account and Consolidated Profit & loss Account are as below:

Provision for Taxation:-

(₹ in Lakhs)

| Particulars - | For the year ended March 31, | | |
|---|------------------------------|-----------|--|
| | 2022 | 2021 | |
| Charged to Consolidated Revenue Account | 797329.79 | 916816.39 | |
| Charged to Consolidated Profit & loss Account | 3987.00 | 856.84 | |

A. LICI: Total Provision for Tax for the LICI as included in above is given below:

| Particulars | For the year ended March 31, | | |
|--|------------------------------|-----------|--|
| Particulars | 2022 | 2021 | |
| Charged to Consolidated Revenue Account | 787862.93 | 798776.03 | |
| Charged to Consolidated Profit & loss Account | 2359.81 | 620.76 | |
| Effective Tax Rates applicable for Life Insurance Business | 14.56% | 14.56% | |

B. IDBI Bank: Total Provision for Tax for the Bank is given below:

| Particulars | For the year ended March 31, 2021* | |
|--|------------------------------------|--|
| Charged to Consolidated Revenue Account | 111688.69 | |
| Effective Tax Rates applicable for IDBI Bank | 25.17% | |

^{*} For the nine months ended December 31 2020 being the period for which IDBI Bank was consolidated as Subsidiary in Fiscal 2021.

36. Provision for free-look period of LICI:

Provision for free-look period as at year end March 31, 2022 and March 31, 2021 has been made on the basis of actual premium refunded during the month of April 2022 and April 2021 respectively. The provision is made with an assumption that all refund of premium during the month of April 2022 and April 2021 pertained to the policies completed on or before March 31, 2022 and March 31, 2021 respectively.

37. Progress of implementation of Ind AS for LICI: -

As per the initial roadmap given by Ministry of Corporate Affairs (MCA), insurance companies were required to implement Ind AS from April 2018. Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI) deferred the implementation of Ind AS since International Accounting Standard Board (IASB) had taken a considered view to amend IFRS 17. The IASB has amended IFRS 17 and made it effective from annual reporting periods beginning on or after 1st January 2023. Exposure Draft of amendments to Ind AS 117 (Insurance Contracts), consistent with IFRS 17 was issued by the Accounting Standard Board (ASB) of ICAI on 24th December, 2020. On finalization, Ind AS 117 will be notified by MCA.

Core teams to ascertain and evaluate the requirements of new Accounting Standards, for implementation of Ind AS are formed in concerned departments. An integral Actuarial software system "prophet" capable of performing actuarial calculations required under IFRS 17 (Ind AS 117) was purchased in March 2021. All the products have been integrated into prophet software system required for valuation as at 31st March, 2022.

We await guidelines from IRDAI and other professional bodies on implementation of these standards. Appropriate changes in the system and processes will be carried out once these guidelines are in place.





38. वेतन संशोधन (एलआईसीआई):

निगम के कर्मचारियों का वेतन संशोधन हर पांच साल में किया जाता है और अंतिम वेतन संशोधन जो 01 अगस्त, 2017 को देय हो गया था, जिसे चालु वर्ष 2021-22 में सेटल्ड किया गया था। उसी के लिए प्रावधान 31 मार्च, 2021 को अनुमानित आधार पर किया गया है।

39. **COVID-**19

11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित COVID-19 चल रही एक वैश्विक महामारी है। भारत सहित दुनिया भर में इसके फैलने से वैश्विक और भारत के आर्थिक वातावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। महामारी की शुरुआत के बाद से निगम ने मृत्यु के दावों में वृद्धि का अनुभव किया है, जिसमें COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न होने वाले दावे भी शामिल हैं। तदनुसार, COVID-19 महामारी के कारण अतिरिक्त मृत्यु तनाव और पॉलिसी देनदारियों और सॉल्वेंसी पर इसके प्रभाव की बारीकी से निगरानी की जाती है और इसे आरक्षित करने पर विचार किया जाता है। सार्वजिनक डोमेन में उपलब्ध जानकारी निर्णायक रूप से COVID-19 के कारण अपेक्षित भविष्य की मृत्यु दर में किसी भी दीर्घकालिक परिवर्तन की आवश्यकता का सुझाव नहीं देती है। हालांकि, यह विवेकपूर्ण माना जाता है कि एक अलग रिजर्व को COVID-19 रिजर्व के रूप में लंबे समय तक बदलने की आवश्यकता के बिना रखा जाता है। भारतीय जनसंख्या पर भारत सरकार के सांख्यिकीय स्रोतों से उपलब्ध राष्ट्रीय आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, निगम के डेटा और अनुभव पर विधिवत समायोजित और लागू किया गया और विवेक के लिए मार्जिन जोड़ने के बाद, COVID-19 से संबंधित मौतों के लिए एक अलग रिजर्व का अनुमान लगाया गया है और दोनों व्यक्तिगत एवं समुह बीमा लाइनों के तहत प्रदान किया गया है।

यह COVID-19 रिजर्व पॉलिसी देनदारियों का निर्धारण और प्रदान करते समय प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाने वाली दीर्घकालिक मृत्यु दर के अतिरिक्त है।

40. कमाई का प्रतिधारण (एलआईसीआई):

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार के अधिशेष (258.18 लाख के सीआरएसी व्यवसाय के अधिशेष सहित) की राशि 290314.86 लाख को भारत सरकार और आईआरडीएआई से अनुमोदन के अनुसार आरक्षित के रूप में रखा गया है।

41. 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन (एलआईसीआई):

(₹ लाख में)

| विवरण | वर्ष के दौरान | वर्ष के दौरान | वर्ष के दौरान दैनिक | 31 मार्च 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| विपरण | न्यूनतम बकाया | अधिकतम बकाया | औसत बकाया | तक बकाया |
| रेपो (REPO) के तहत बेची गई प्रतिभूतियां | | | | |
| 1. सरकारी प्रतिभूतियां | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | | | | |
| रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां | | | | |
| 1. सरकारी प्रतिभूतियां वित्तीय वर्ष 2022 | 106335 | 2050783 | 630554 | 1277987 |
| वित्तीय वर्ष 2021 | 53440 | 1988861 | 743487 | 741825 |
| 2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

42. स्थानीय कानूनों के तहत की गई जमाराशियां:

एलआईसीआई ने स्थानीय कानूनों के तहत कोई जमा नहीं किया है। तथापि, विदेशी संस्थाओं द्वारा की गई जमाराशियों का विवरण इस प्रकार है: (₹ लाख में)

| विदेशी सहायक/ शाखाओं का नाम | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी बहरीन | 1414.85 | 1356.06 |
| एलआईसी बांग्लादेश लिमिटेड | 131.82 | 129.47 |
| कुल | 1546.67 | 1485.53 |





38. Wage Revision of LICI:

Wage revision of the employees of the Corporation is done every five years and the last wage revision, which was Settled in Current Financial year 2021–22 However, Provision for the Same have been made on the estimated cue during all relevant financial year. due on August 01 2017.

39. COVID-19

The COVID-19 is an ongoing global pandemic as declared by World Health Organization on March 11 2020. Its spread across the globe including India has resulted in significant impact on global and India's economic environment. The Corporation since the onset of pandemic has experienced increase in death claims including claims arising due to COVID 19 pandemic. Accordingly, the additional death strain on account of COVID 19 pandemic and its impact on the policy liabilities and solvency is closely monitored and considered in reserving. Available information in public domain does not conclusively suggest need for any long term change in the expected future mortality experience on account of COVID 19. It is however, considered prudent that a separate reserve is kept as COVID-19 reserve without need for changing long term mortality assumptions. Considering the national statistics as available from Government of India statistical sources on Indian Population, duly adjusted and applied on the Corporation's data and experience and after adding margin for prudence, a separate reserve for COVID 19 related deaths has been estimated and provided for under both individual and group insurance lines of businesses.

This COVID 19 reserve is in addition to the long term mortality reserve provided each year while determining and providing for the policy liabilities

40. Retention of earnings of LICI:

Government's share of surplus (including surplus of CRAC business of $\stackrel{?}{\stackrel{?}{$}}$ 258.18 lakhs) for the F.Y. 2020-21 amounting to $\stackrel{?}{\stackrel{?}{$}}$ 290314.86 lakhs have been retained as reserves, in accordance with approval from Government of India and IRDAI.

41. Repo/Reverse Repo transactions for the year of LICI:

(₹ in Lakhs)

| | Minimum outstanding during the year | Maximum outstanding during the year | Daily average outstanding during the year | Outstanding as at Year end |
|--|---|---|---|----------------------------|
| Securities sold under REPO 1. Government Securities 2. Corporate Debt securities | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Securities Purchased under reversed Repo: 1. Government Securities | | | | |
| Financial Year 2022 | 106335 | 2050782 | 630554 | 1277987 |
| Financial Year 2021 | 53440 | 1988861 | 743487 | 741825 |
| 2. Corporate Debt securities | NIL | NIL | NIL | NIL |

42. Deposits made under the local laws:

LICI has no deposits made under local laws. However, for deposits made by foreign entities, details are as under:

(₹ in Lakhs)

| Name Of The Foreign Subsidiary/Branches | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
|---|------------|------------|
| LIC (International) Bsc Bahrain | 1414.85 | 1356.06 |
| LIC Bangladesh Ltd. | 131.82 | 129.47 |
| Total | 1546.67 | 1485.53 |





43. पुनर्समूहन या पुनर्वर्गीकरणः

चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है। पुनर्समूहन का विवरण इस प्रकार है:—

| अनु. | के लिए पुनर्समूहित | से पुनर्समूहित | राशि (₹ लाख में) | कारण |
|------|--|--|---------------------|---|
| 1. | अनुसूची संख्या 8ए (जीवन) A. लंबी अविध के निवेश 3. अन्य स्वीकृत निवेश (f) सहायक/ सहयोगी/ संयुक्त उद्यम | अनुसूची संख्या 8ए (जीवन) A.लंबी अवधि के निवेश 5. स्वीकृत निवेश के अलावा अन्य | 30.00 | आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड को सहयोगी कंपनी माना जाता है |
| 2. | अनुसूची संख्या 3. 13 अन्य: विनिमय | राजस्व खाता अन्य व्ययः विनिमय | 79.45 | जैसा कि सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक द्वारा सुझाया गया है। |

४४. अनुपात

क. एलआईसीआई:

| अनुक्रमांक | विवरण | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए |
|------------|--|--|--|
| 1 | नई व्यवसाय प्रीमियम वृद्धि दर (सेगमेंट के अनुसार) | | |
| | (i) लिंक्ड बिजनेस: | | |
| | a) जीवन | 226.42% | 714.71% |
| | b) पेंशन | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| | c) स्वास्थ्य | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| | d) परिवर्तनीय बीमा | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| | (ii) गैर–लिंक्ड व्यवसाय: | | |
| | भागीदारी युक्तः | | |
| | a) जीवन | 10.00% | -1.78% |
| | b) वार्षिकी | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| | c) पेंशन | -98.53% | -87.68% |
| | d) स्वास्थ्य | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| | e) परिवर्तनीय बीमा | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| | गैर–भागीदारी युक्तः | | |
| | a) जीवन | 12.80% | 26.81% |
| | b) वार्षिकी | -35.02% | 33.17% |
| | c) पेंशन | 12.79% | -6.30% |
| | d) स्वास्थ्य | -7.46% | -2.52% |
| | e) परिवर्तनीय बीमा | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| 2 | एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) से कुल नए व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) का प्रतिशत | 41.71% | 51.06% |
| 3 | कुल नए व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) से लिंक किए गए नए व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) का प्रतिशत | 1.25% | 0.41% |
| 4 | शुद्ध प्रतिधारण अनुपात | 99.86% | 99.89₹ |
| 5 | संरक्षण अनुपात (खंड वार) | | |
| | (i) लिंक्ड बिजनेस: | | |
| | a) जीवन (व्यक्तिगत और समूह) | 106.17% | 93.59% |
| | b) पेंशन | 78.97% | 75.69% |
| | c) स्वास्थ्य | 86.66% | 98.11% |
| | d) परिवर्तनीय बीमा | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| | (ii) गैर-लिंक्ड व्यवसाय: | | |
| | भागीदारी युक्तः | | |





43) Regroupings or reclassification:

Figures of the previous year have been re-grouped whenever necessary, to confirm to current year's classification. The details for regrouping are as follows:-

| Sr. No. | Regrouped to | Regrouped from | Amount (₹ in Lakhs) | Reason |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| 1. | Schedule No. 8A (Life) | Schedule No. 8A (Life) | | IDBI Trusteeship |
| | A. long Term Investments | A. long Term Investments | 70.00 | Services Ltd. |
| | 3. Other Approved Investments | 5. Other Than Approved | 30.00 | considered as |
| | (f) Subsidiaries/Asso/Joint Ventures | Investments | | associate company |
| 2. | Schedule No. 3. | Revenue Account | | As suggested by |
| | 13 Others: | Other Expenses: Exchange | 79.45 | Statutory Central |
| | Exchange | | | Auditor. |

44. Ratios

A. LICI:

| SI. | Particular | For the year ended/ | For the year ended/ |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|
| No. | 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | As at 31st March 2022 | As at 31st March 2021 |
| 1 | New Business Premium Growth Rate (Segment wise) | | |
| | (i) Linked Business: | | |
| | a) Life | 226.42% | 714.71% |
| | b) Pension | NA | NA |
| | c) Health | NA | NA |
| | d) Variable Insurance | NA | NA |
| | (ii) Non-Linked Business: | | |
| | Participating: | | |
| | a) Life | 10.00% | -1.78% |
| | b) Annuity | NA | NA |
| | c) Pension | -98.53% | -87.68% |
| | d) Health | NA | NA |
| | e) Variable Insurance | NA | NA |
| | Non Participating: | | |
| | a) Life | 12.80% | 26.81% |
| | b) Annuity | -35.02% | 33.17% |
| | c) Pension | 12.79% | -6.30% |
| | d) Health | -7.46% | -2.52% |
| | e) Variable Insurance | NA | NA |
| 2 | Percentage of Single Premium (Individual Business) to Total New Business Premium (Individual Business) | 41.71% | 51.06% |
| 3 | Percentage of Linked New Business Premium (Individual Business) to Total New Business Premium (Individual Business) | 1.25% | 0.41% |
| 4 | Net Retention Ratio | 99.86% | 99.89% |
| 5 | Conservation Ratio (Segment wise) | | |
| | (i) Linked Business: | | |
| | a) Life (Individual and Group) | 106.17% | 93.59% |
| | b) Pension | 78.97% | 75.69% |
| | c) Health | 86.66% | 98.11% |
| | d) Variable Insurance | NA | NA |
| | (ii) Non-Linked Business: | | |
| | Participating: | | |





| अनुक्रमांक | विवरण | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए |
|------------|--|--|--|
| | a) जीवन | 92.76% | 94.65% |
| | b) वार्षिकी | 82.89% | 78.08% |
| | c) पेंशन | 35.33% | 89.79% |
| | d) स्वास्थ्य | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| | e) परिवर्तनीय बीमा | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| | गैर–भागीदारी युक्तः: | | |
| | a) जीवन (व्यक्तिगत और समूह) | 88.12% | 86.26% |
| | b) वार्षिकी | 58.98% | 102.26% |
| | c) पेंशन (व्यक्तिगत और समूह) | 28.19% | 8.48% |
| | d) स्वास्थ्य | 80.18% | 74.99% |
| | e) परिवर्तनीय बीमा | 54.41% | 55.42% |
| 6 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात में प्रबंधन का व्यय | 14.50% | 14.17% |
| 7 | कमीशन अनुपात (सकल प्रीमियम का भुगतान किया गया सकल कमीशन और पुरस्कार) | 5.41% | 5.50% |
| 8 | व्यापार विकास और बिक्री संवर्धन व्यय नए व्यापार प्रीमियम के लिए | | |
| 9 | न्यू बिजनेस प्रीमियम के लिए ब्रांड/ट्रेड मार्क उपयोग शुल्क/शुल्क | | |
| 10 | पॉलिसीधारकों के फंड का शेयरधारकों के फंड से अनुपात | 398.59 | 585.24 |
| 11 | निवल संपत्ति में परिवर्तन (राशि लाख रुपये में) | 404844.67 | 562116.53 |
| 12 | नेटवर्थ में वृद्धि | 71.64% | 760.10% |
| 13 | पॉलिसीधारकों के फंड में अधिशेष का अनुपात | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| 14 | कर पश्चात लाभ/कुल आय | 0.56% | 0.43% |
| 15 | (कुल अचल संपत्ति + ऋण)/(नकद और निवेशित संपत्ति) | 3.20% | 3.52% |
| 16 | कुल निवेश/(पूंजी+आरक्षित और अधिशेष) | 389.24 | 572.57 |
| 17 | कुल संबद्ध निवेश/(पूंजी+ आरक्षित और अधिशेष) | 5.01 | 7.78 |
| 18 | निवेश प्रतिफल–(सकल और निवल)–फंड वार और प्राप्त लाभ के साथ/बिना ★ | | |
| | अ अप्राप्त लाभ के बिना | | |
| | पॉलिसीधारक का फंडः नॉन लिंक्ड पार | 8.89% | 8.82% |
| | गैर पार | 7.56% | 8.23% |
| | जुड़े हुए | 13.11% | 10.12% |
| | कुल | 8.55% | 8.69% |
| | शेयरधारक का फंड | 3.00% | 3.35% |
| | बी अवास्तविक लाभ के साथ | | |
| | पॉलिसीधारक का फंड: नॉन लिंक्ड पार | 13.11% | 21.90% |
| | नॉन पार | 45.23% | 9.02% |
| | जुड़े हुए | 30.87% | 30.08% |
| | कुल | 21.84% | 18.52% |
| | शेयरधारक का फंड | 3.64% | 8.78% |
| 19 | दृढ़ता अनुपात – प्रीमियम आधार (व्यक्तिगत श्रेणी के तहत नियमित प्रीमियम/ सीमित प्रीमियम भुगतान) ** | | |
| | 13वें महीने के लिए | 75.59% | 78.78% |
| | 25वें महीने के लिए | 73.47% | 70.02% |
| | 37वें महीने के लिए | 66.58% | 66.93% |
| | 49वें महीने के लिए | 63.85% | 63.11% |
| | 61वें महीने के लिए | 61.00% | 58.79% |
| | दृढ़ता अनुपात – प्रीमियम आधार (एकल प्रीमियम/व्यक्तिगत श्रेणी के तहत पूरी तरह से भुगतान किया गया) | | |



| SI. | Particular | For the year ended/ | For the year ended/ |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|
| No. | | As at 31st March 2022 | As at 31st March 2021 |
| | a) Life | 92.76% | 94.65% |
| | b) Annuity | 82.89% | 78.08% |
| | c) Pension | 35.33% | 89.79% |
| | d) Health | NA | NA |
| | e) Variable Insurance | NA | NA |
| | Non Participating: | | |
| | a) Life (Individual and Group) | 88.12% | 86.26% |
| | b) Annuity | 58.98% | 102.26% |
| | c) Pension (Individual and Group) | 28.19% | 8.48% |
| | d) Health | 80.18% | 74.99% |
| | e) Variable Insurance | 54.41% | 55.42% |
| 6 | Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio | 14.50% | 14.17% |
| 7 | Commission Ratio (Gross commission and Rewards paid to Gross Premium) | 5.41% | 5.50% |
| 8 | Business Development and Sales Promotion Expenses to New Business Premium | | |
| 9 | Brand/Trade Mark usage fee/charges to New Business Premium | | |
| 10 | Ratio of Policyholders' Fund to Shareholders' funds | 398.59 | 585.24 |
| 11 | Change in net worth (Amount in Rs. Lakhs) | 404844.67 | 562116.53 |
| 12 | Growth in Networth | 71.64% | 760.10% |
| 13 | Ratio of Surplus to Policyholders' Fund | NA | NA |
| 14 | Profit after tax / Total Income | 0.56% | 0.43% |
| 15 | (Total Real Estate + Loans)/(Cash & Invested Assets) | 3.20% | 3.52% |
| 16 | Total Investments/(Capital + Reserves and Surplus) | 389.24 | 572.57 |
| 17 | Total Affiliated Investments/(Capital+ Reserves and Surplus) | 5.01 | 7.78 |
| 18 | Investment Yield - (Gross and Net) -Fund wise and With/ Without realised gain * | | |
| | A Without unrealized gain | | |
| | Policyholder's Fund:Non linked Par | 8.89% | 8.82% |
| | Non Par | 7.56% | 8.23% |
| | Linked | 13.11% | 10.12% |
| | Total | 8.55% | 8.69% |
| | Shareholder's Fund | 3.00% | 3.35% |
| | B With unrealised gain | 0.0070 | 0.007 |
| | Policyholder's Fund:Non linked Par | 13.11% | 21.90% |
| | Non Par | 45.23% | 9.02% |
| | Linked | 30.87% | 30.08% |
| | Total | 21.84% | 18.52% |
| | Shareholder's Fund | 3.64% | 8.78% |
| 19 | Persistency Ratio - Premium Basis (Regular Premium/Limited Premium Payment under Individual category) ** | 3.0470 | 0.7070 |
| | For 13th month | 75.59% | 78.78% |
| | For 25th month | 73.47% | 70.02% |
| | For 37th month | 66.58% | 66.93% |
| | | | |
| | For 49th Month | 63.85% | 63.11% |
| | for 61st month | 61.00% | 58.79% |
| | Persistency Ratio - Premium Basis (Single Premium/Fully paid-up under Individual category) | | |





| अनुक्रमांक | विवरण | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए |
|------------|--|--|--|
| | 13वें महीने के लिए | 99.62% | 99.55% |
| | 25वें महीने के लिए | 98.73% | 98.81% |
| | 37वें महीने के लिए | 97.44% | 97.98% |
| | 49वें महीने के लिए | 96.39% | 97.28% |
| | 61वें महीने के लिए | 95.93% | 95.42% |
| | दृढ़ता अनुपात – पॉलिसी आधार की संख्या (व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत नियमित प्रीमियम/सीमित प्रीमियम भुगतान) | | |
| | 13वें महीने के लिए | 63.45% | 67.46% |
| | 25वें महीने के लिए | 60.70% | 57.91% |
| | 37वें महीने के लिए | 54.09% | 55.05% |
| | 49वें महीने के लिए | 51.90% | 52.06% |
| | 61वें महीने के लिए | 49.86% | 47.93% |
| | दृढ़ता अनुपात – पॉलिसी आधार की संख्या (एकल प्रीमियम/व्यक्तिगत श्रेणी के तहत पूरी तरह से भुगतान किया गया) | | |
| | 13वें महीने के लिए | 99.52% | 99.37% |
| | 25वें महीने के लिए | 98.41% | 98.61% |
| | 37वें महीने के लिए | 97.23% | 97.47% |
| | 49वें महीने के लिए | 95.92% | 96.09% |
| | 61वें महीने के लिए | 94.71% | 94.63% |
| 20 | एनपीए अनुपात | | |
| | पॉलिसीधारकों की निधि | | |
| | नॉन लिंक्ड पार सकल एनपीए अनुपात | 6.53% | 7.95% |
| | शुद्ध एनपीए अनुपात | 0.06% | 0.06% |
| | नॉन लिंक्ड नॉन पार ग्रॉस एनपीए रेश्यो | 4.31% | 7.19% |
| | शुद्ध एनपीए अनुपात | 0.00% | 0.00% |
| | जुड़ा हुआ सकल एनपीए अनुपात | 13.48% | 10.21% |
| | शुद्ध एनपीए अनुपात | 0.04% | 0.05% |
| | अंशधारी निधि | | |
| | सकल एनपीए अनुपात | 0 | 0 |
| | शुद्ध एनपीए अनुपात | 0 | 0 |
| 21 | सम्पन्नता अनुपात | 1.85 | 1.76 |
| 22 | ऋण इक्विटी अनुपात | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| 23 | कर्ज सेवा कवरेज अनुपात | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| 24 | ब्याज सेवा कवरेज अनुपात | प्रयोजनीय नहीं | प्रयोजनीय नहीं |
| 25 | औसत टिकट आकार रु. – व्यक्तिगत प्रीमियम (गैर–एकल) | 14491.25 | 13856.52 |

पिछली अवधि के अनुपातों को पुनर्समूहित आंकड़ों पर निकाला जाता है।

एनएः उपलब्ध नहीं। * यील्ड की गणना औसत (मीन) पॉलिसीहोल्डर्स निधि पर की जाती है।

- ** दृढता अनुपात की गणना संशोधित आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है
- नोटः नीचे बताए गए अनुपातों को छोड़कर सभी अनुपात प्रतिशत के रूप में हैं।
- क) कुल निवेश/(पूंजी+अधिशेष)
- ख) कुल संबद्ध निवेश/(पूंजी+अधिशेष)
- ग) नेट वर्थ में परिवर्तन लाख रुपये में है।
- घ) औसत टिकट आकार रुपये में व्यक्तिगत प्रीमियम (गैर–एकल)
- ङ) पॉलिसीधारकों के फंड में अधिशेष का अनुपात



| SI. No. | Particular | For the year ended/ As at 31st March 2022 | For the year ended/ As at 31st March 2021 |
|------------|--|--|--|
| | For 13th month | 99.62% | 99.55% |
| | For 25th month | 98.73% | 98.81% |
| | For 37th month | 97.44% | 97.98% |
| | For 49th Month | 96.39% | 97.28% |
| | for 61st month | 95.93% | 95.42% |
| | Persistency Ratio - Number of Policy Basis (Regular Premium/ Limited Premium Payment under Individual category) | | |
| | For 13th month | 63.45% | 67.46% |
| | For 25th month | 60.70% | 57.91% |
| | For 37th month | 54.09% | 55.05% |
| | For 49th Month | 51.90% | 52.06% |
| | for 61st month | 49.86% | 47.93% |
| | Persistency Ratio - Number of Policy Basis (Single Premium/Fully paid-up under Individual category) | | |
| | For 13th month | 99.52% | 99.37% |
| | For 25th month | 98.41% | 98.61% |
| | For 37th month | 97.23% | 97.47% |
| | For 49th Month | 95.92% | 96.09% |
| | for 61st month | 94.71% | 94.63% |
| 20 | NPA Ratio | | |
| | Policyholders' Funds | | |
| | Non linked Par Gross NPA Ratio | 6.53% | 7.95% |
| | Net NPA Ratio | 0.06% | 0.06% |
| | Non linked Non Par Gross NPA Ratio | 4.31% | 7.19% |
| | Net NPA Ratio | 0.00% | 0.00% |
| | Linked Gross NPA Ratio | 13.48% | 10.21% |
| | Net NPA Ratio | 0.04% | 0.05% |
| | Shareholders' Funds | | |
| | Gross NPA Ratio | 0 | 0 |
| | Net NPA Ratio | 0 | 0 |
| 21 | Solvency Ratio | 1.85 | 1.76 |
| 22 | Debt Equity Ratio | NA | NA |
| 23 | Debt Service Coverage Ratio | NA | NA |
| 24 | Interest Service Coverage Ratio | NA | NA |
| 25 | Average ticket size in Rs Individual premium (Non-Single) | 14491.25 | 13856.52 |

Previous Period's Ratios are worked out on regrouped figures

Note: All Ratios are in percentage form except the ratios stated below

- a) Total Investments/(Capital+Surplus)
- b) Total affiliated Investments/(Capital+Surplus)
- c) Change in Net Worth is in Rs. Lakhs
- d) Average ticket size in Rs. Individual premium (Non-Single)
- e) Ratio of Surplus to Policyholders Fund

^{**} Persistency Ratios have been calculated as per revised IRDAI guidelines





45. कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं (एलआईसीआई):

i) जोखिम प्रबंधन संरचना का विवरण:

जोखिम प्रबंधन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके तहत निगम अपने प्रबंधन के तहत निगम की वित्तीय परिसंपत्तियों से जुड़े निवेश जोखिमों को पहचानने, मापने और ऐसे जोखिमों को कम करने के द्वारा संबोधित करता है। जोखिम प्रबंधन में सभी कारकों की समझ शामिल है और वे किस हद तक सफलता के लिए खतरा हो सकते हैं। यह प्रक्रिया संगठन में जोखिम संस्कृति लाने का भी प्रयास करेगी ताकि कर्मचारी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के महत्व को महसूस करें और प्रत्येक कर्मचारी संबंधित जोखिमों को उचित रूप से संबोधित करने में स्वयं को शामिल करे।

निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन कार्य पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करता है; जिसमें वार्षिक आधार पर प्रमुख जोखिमों और उपायों पर आवश्यक निरीक्षण प्रदान करना, जोखिम प्रबंधन नीति का अनुमोदन, जोखिम प्रवृत्ति विवरण, एएलएम नीति और निगम की व्यावसायिक निरंतरता योजना शामिल है।

आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुरूप, निगम ने बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन किया है। आरएमसीबी जोखिम प्रबंधन शासन संरचना की देखभाल करता है, जोखिम प्रबंधन ढांचे की समीक्षा करता है, जोखिम की प्रवृत्ति और महत्वपूर्ण जोखिमों के लिए जोखिम शमन योजनाओं की समीक्षा करता है, कारोबारी माहौल और विनियमों में परिवर्तन से उत्पन्न रणनीतिक जोखिमों की पहचान करता है, नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी करता है, इससे संबंधित सभी मामले परिसंपत्ति देयता प्रबंधन, वार्षिक आधार पर निवेश कार्यों के लिए आईटी सुरक्षा नीति, निगम की व्यवसाय निरंतरता योजना, निगम की शोधन क्षमता की स्थिति, धोखाधड़ी की निगरानी आदि के अनुरूप व्यापार निरंतरता पर नियमित अपडेट की नियमित आधार पर समीक्षा करता है। इसके अलावा, सभी महत्वपूर्ण मामले, जिन्हें आरएमसीबी की दृष्टि में, बोर्ड से आगे रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, को समय—समय पर इसकी बैठक में इसकी जानकारी में लाया जाता है।

एक आंतरिक स्वतंत्र समिति, जिसे जोखिम प्रबंधन पर कार्यकारी समिति (सीईआरएम) के रूप में नामित किया गया है, का गठन किया गया है, जिसमें निवेश विभाग के सभी तीन वर्गों यानी फ्रंट ऑफिस (सीआईओ), मिड—ऑफिस (सीआरओ), बैक ऑफिस और बीमांकिक विभाग के प्रमुख शामिल हैं। सीईआरएम निवेश विभाग के लिए जोखिम प्रबंधन नीति और एएलएम नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

इसके अलावा, सीईआरएम कुछ प्रमुख कार्यों का पर्यवेक्षण करके आरएमसीबी का समर्थन करता है, जैसे जोखिम प्रबंधन नीतियां स्थापित करना, निवेश विभागों पर लागू जोखिम रिपोर्टिंग/ जोखिम नियंत्रण के लिए एमआईएस, जोखिम प्रबंधन के लिए जवाबदेही और प्राधिकरण तैयार करना, प्रमुख के बारे में बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट करना, रणनीतिक पहलों और कारोबारी माहौल या विनियमों में बदलाव से उत्पन्न जोखिम, महत्वपूर्ण जोखिमों और जोखिम शमन योजनाओं को उजागर करने वाली जोखिम मूल्यांकन समीक्षा रिपोर्ट प्रदान करना, निगम की व्यवसाय निरंतरता योजना के अनुरूप व्यवसाय निरंतरता योजना सहित परिचालन जोखिम वातावरण की समीक्षा करना, नियमित आधार पर निगम की सॉल्वेंसी स्थिति की समीक्षा करना, आईटी सुरक्षा से संबंधित जोखिम की समीक्षा करना और आईटी से संबंधित किसी भी अन्य मुद्दे की समीक्षा करना और धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट की समीक्षा करना।

सीईआरएम की सिफारिशें आरएमसीबी को सूचित की जाती हैं। जोखिम प्रबंधन पर कार्यकारी सिमित द्वारा चर्चा किए गए विभिन्न मुद्दों पर एक समेकित रिपोर्ट और बैठक की आवृत्ति के साथ उन पर की गई कार्रवाई को तिमाही आधार पर आरएमसीबी को सूचित किया जाता है। निवेश—संचालन (फ्रंट ऑफिस), मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग (बैक—ऑफिस) और जोखिम प्रबंधन (मिड—ऑफिस) के प्रमुख, ध्विन जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, जो उनके कामकाज के संबंधित क्षेत्रों के साथ—साथ लागू हो सकते हैं। अन्य वर्गों के साथ समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगे। वे आंतरिक नियंत्रण की एक सुदृढ़ प्रणाली को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार हैं जो निगम की निवेश नीति में उल्लिखित उद्देश्यों और नीतियों की उपलब्धि का समर्थन करता है।

नीतियों और प्रक्रियाओं, प्रणालियों और संगठन के माध्यम से जोखिम नियंत्रण ढांचा निर्दिष्ट, निगरानी और नियंत्रित किया जाता है।

प्रत्येक विभाग एक जोखिम रजिस्टर रखता है, जहां सभी संभावित जोखिम क्षेत्रों और नियंत्रण ढांचे को सूचीबद्ध किया जाता है। निवेश जोखिम प्रबंधन (आईएनवीआर) विभाग के उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) प्रकोष्ठ द्वारा छमाही आधार पर सभी विभागों के जोखिम रजिस्टरों की समीक्षा की जाती है।

एलआईसी में सूचना सुरक्षा संचालन समिति (आईएसएससी) है जिसमें प्रबंध निदेशक, केंद्रीय कार्यालय के कुछ विभाग प्रमुख और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) शामिल हैं। यह सभी सूचनाओं और साइबर सुरक्षा संबंधी नीतियों और प्रक्रियाओं की देखरेख करता है। आईएसएससी की बैठकों के कार्यवृत्त सूचना के लिए जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के सामने रखे जाते हैं। वर्तमान में, केंद्रीय कार्यालय में निम्नलिखित विभागों के प्रमुख ISSC में प्रतिनिधित्व करते हैं: CRM, इंजीनियरिंग, IT-SD (मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में भी नामित), IT-BPR, RMR (मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में भी नामित)।

डेटा सुरक्षा प्रणालियाँ मौजूद हैं और धोखाधड़ी को रोकने के लिए उनकी प्रायः समीक्षा की जाती है।





45. Disclosure requirements as per Corporate Governance Guidelines (LICI)

i) A description of the risk management architecture:

Risk management is defined as the process under which Corporation addresses Investment risks associated with the corporation's financial assets under its management by identifying, measuring and mitigating such risks. Risk Management encompasses understanding of all the factors and the extent to which they can be threats to success. The process will also endeavor to bring about the Risk culture in the organization so that the employees feel the importance of putting Risk management system in place and each employee involves himself in appropriately addressing the concerned risks.

Board of Directors provide the overall guidance on Risk Management function; which includes providing necessary oversight on key risks and measures, approving the Risk Management Policy, Risk Appetite statement, ALM Policy and Business Continuity Plan of the Corporation on an annual basis.

In line with the IRDAI Guidelines, Corporation has constituted the Risk Management Committee of the Board (RMCB). The RMCB looks after the risk management governance structure, reviews the risk management framework, risk appetite and the risk mitigation plans for significant risks, identifies strategic risks emanating from changes in business environment and regulations, oversees the compliance to regulatory requirements, all matters related to Asset Liability Management, IT Security policy for investment functions on annual basis, reviews regular updates on business continuity in line with the Corporation's Business Continuity Plan, solvency position of the Corporation, fraud monitoring, etc. on regular basis. Further, all important matters which, in the view of the RMCB, require further strategic intervention from the Board are brought to its knowledge in its meeting on a periodic basis.

An internal independent Committee, named as Committee of Executives on Risk Management (CERM) has been constituted consisting of Heads from all the three sections of Investment Department i.e. Front office (CIO), Mid-office (CRO), Back office and Actuarial Department. CERM monitors the implementation of Risk Management policy and ALM policy for the Investment Department.

Besides, CERM supports the RMCB by supervising some major functions, like, establishing Risk Management Policies, MIS for risk reporting/risk control applicable to Investment Departments, frame accountability and authority for risk management, report to the Risk Management Committee of the Board about key risks arising from strategic initiatives and changes in business environment or regulations, provide risk assessment review reports highlighting significant risks and risk mitigation plans thereof, review of operating risk environment including Business Continuity Plan in line with Corporation's Business Continuity Plan, review the solvency position of the Corporation on a regular basis, review of risk related to IT security and any other issues related to IT and reviews the Fraud Monitoring Report.

Recommendations of the CERM are reported to the RMCB. A consolidated report on various issues discussed by the Committee of Executives on Risk Management and action taken thereon along with frequency of the meeting are reported to the RMCB on quarterly basis.

Heads of Investment-Operations (Front office), Monitoring & Accounting (Back-Office) and Risk Management (Mid-Office) functions are responsible for implementation of the sound Risk Management System as may be applicable to their respective areas of functioning as well as be responsible for coordinating with the other sections. They are also responsible for maintaining a sound system of internal control that supports the achievement of the objectives and policies as enumerated in the Corporation's Investment Policy.

The risk control framework is specified, monitored and controlled though Policies and procedures, Systems and Organization.

Every Department maintains a risk register, where all the potential risk areas and control framework are listed. The risk registers for all the departments are reviewed on a half yearly basis by the Enterprise Risk Management (ERM) Cell of the Investment Risk Management (INVR) Department.

LIC has Information Security Steering Committee (ISSC) consisting of Managing Director, some heads of departments at central office and Chief Information Security Officer (CISO). It oversees all information and cyber security related policies and procedures. Minutes of the ISSC meetings are put up to Risk Management Committee (RMC) for information. At present, heads of following departments at central office are represented in ISSC: CRM, Engineering, IT-SD (also designated as Chief Information Officer), IT-BPR, RMR (also designated as Chief Risk Officer), P&GS, E&OS, M&A and F&A (also designated as Chief Finance Officer).

The data security systems are in place and are reviewed frequently to prevent frauds.





i) व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए अवधि के विवरण के साथ सूचित, निपटाए गए और लंबित मृत्यु दावों की संख्या का विवरणः

(₹ लाख में)

| Δ | 31.03. | 2022 तक | 31.03.2021 तक | | |
|--|-----------------|------------|-----------------|------------|--|
| विवरण | दावों की संख्या | लाख में | दावों की संख्या | लाख में | |
| वर्ष की शुरुआत में बकाया दावों की संख्या | 1725 | 29242.00 | 5875 | 34969.00 | |
| जोड़ें: | | | | | |
| वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए दावों की संख्या | 1365379 | 2929344.85 | 941101 | 1875565.00 | |
| घटाएं: | | | | | |
| वर्ष के दौरान निपटाए गए दावों की संख्या | 1349865 | 2840837.28 | 933889 | 1829558.00 | |
| वर्ष के दौरान अस्वीकृत दावों की संख्या | 8713 | 34718.94 | 6531 | 27693.00 | |
| वर्ष के दौरान खारिज किए गए दावों की संख्या | 3619 | 849.75 | 2934 | 392.00 | |
| वापस लिखे गए दावों की संख्या | 2625 | 46165.62 | 1897 | 23649.00 | |
| अवधि के अंत में बकाया दावों की संख्या | 2282 | 36015.26 | 1725 | 29242.00 | |
| बकाया दावों की अवधि का विवरण | | | | | |
| 3 महीने से कम | 1211 | 20754.03 | 792 | 13426.00 | |
| 3 महीने से 6 महीने | 1071 | 15261.23 | 933 | 15816.00 | |
| 6 महीने से 1 साल | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 वर्ष और उससे अधिक | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| कुल | 2282 | 36015.26 | 1725 | 29242.00 | |

निगम दावों के निपटान के लिए विभिन्न आईआरडीएआई दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है और दावों की समय पर रिकॉर्डिंग और निपटान के लिए दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में सुधार करने की प्रक्रिया में है।

iii) पॉलिसीधारक निधि से समूह संस्थाओं को किया गया भुगतानः

समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणियों के अंतर्गत संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एलआईसीआई) पर नोट 23 देखें।

iv) लेखापरीक्षकों को दिए गए अतिरिक्त कार्यों पर प्रकटीकरण

आईआरडीएआई द्वारा 18 मई 2016 को जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के खंड 7.1 के अनुसार, लेखा परीक्षकों को दिए गए अतिरिक्त कार्य (सांविधिक/ आंतरिक लेखा परीक्षा के अलावा) और शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) नीचे दिए गए हैं:

(₹ लाख में)

| | 31.03.20 |)22 तक | 31.03.2021 तक | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| लेखा परीक्षक का नाम | जीएसटी प्रमाणन / लेखा परीक्षा शुल्क | अन्य प्रमाणन शुल्क | जीएसटी प्रमाणन / लेखा परीक्षा शुल्क | अन्य प्रमाणन शुल्क | |
| खंडेलवाल जैन एंड कंपनी | - | 1.81 | 0.20 | 0.75 | |
| बटलीबोई और पुरोहित | - | 2.15 | 0.40 | - | |
| एस.एल. छाजेद एंड कंपनी एलएलपी | - | - | 0.80 | 0.00 | |
| एस.के. कपूर एंड कंपनी | - | - | 0.80 | 0.00 | |
| टोडी तुलस्यान एंड कंपनी | - | - | 0.40 | 0.00 | |
| आर.जी.एन. मूल्य और कंपनी | - | - | 0.40 | 0.00 | |
| एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी | - | - | 1.80 | 0.00 | |
| उमामहेश्वर राव एंड कंपनी | - | - | 0.40 | 0.00 | |
| ए आर एंड कंपनी | - | - | 0.40 | 0.00 | |
| डी के छाजेर एंड कंपनी | - | - | 1.15 | 0.00 | |
| बी गुप्ता एंड कंपनी | - | - | 0.40 | 0.00 | |





ii Details of number of Death claims intimated, disposed off and pending with details of duration for Individual Business:

(₹in Lakhs)

| Postforder: | As at 31. | 03.2022 | As at 31.03.2021 | | |
|--|---------------|------------|------------------|------------|--|
| Particulars | No. of claims | ₹ In Lakhs | No. of claims | ₹ In Lakhs | |
| No. of claims outstanding at the beginning of the year | 1725 | 29242.00 | 5875 | 34969.00 | |
| Add: | | | | | |
| No. of claims reported during the year | 1365379 | 2929344.85 | 941101 | 1875565.00 | |
| Less: | | | | | |
| No. of claims settled during the year | 1349865 | 2840837.28 | 933889 | 1829558.00 | |
| No. of claims repudiated during the year | 8713 | 34718.94 | 6531 | 27693.00 | |
| No. of Claims rejected during the year | 3619 | 849.75 | 2934 | 392.00 | |
| No. of claims written back | 2625 | 46165.62 | 1897 | 23649.00 | |
| No. of claims outstanding at the end of the period | 2282 | 36015.26 | 1725 | 29242.00 | |
| | | | | | |
| Details of duration of outstanding claims | | | | | |
| Less than 3 months | 1211 | 20754.03 | 792 | 13426.00 | |
| 3 months to 6 months | 1071 | 15261.23 | 933 | 15816.00 | |
| 6 months to 1 year | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 year and above | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Total | 2282 | 36015.26 | 1725 | 29242.00 | |

The Corporation is adhering to various IRDAI guidelines for settlement of claims and is in the process of improving the claim submission process for timely recording and settlement of claims.

iii. Payments made to group entities from Policyholders Funds:

Refer Note 23 on Related Party Disclosure (LICI) under Notes to the Consolidated Financial statement

iv. Disclosure on additional works given to auditors

Pursuant to clause 7.1 of Corporate Governance guidelines issued by IRDAI dated May 18 2016 the additional works (other than statutory/ internal audit) given to the auditors and the fees (excluding GST) are detailed below:

(₹ in Lakhs)

| | As at 31 | .03.2022 | As at 31.03.2021 | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| Name of Auditor | GST Certification/ Audit Fees | Other Certification Fees | GST Certification/ Audit Fees | Other Certification Fees | |
| Khandelwal Jain & Co. | - | 1.81 | 0.20 | 0.75 | |
| Batliboi & Purohit | - | 2.15 | 0.40 | - | |
| S.L. Chhajed & Co. LLP | - | - | 0.80 | 0.00 | |
| S.K. Kapoor & Co. | - | 1 | 0.80 | 0.00 | |
| Todi Tulsyan & Co. | - | - | 0.40 | 0.00 | |
| R.G.N. Price & Co. | - | - | 0.40 | 0.00 | |
| abm & associates LLP | - | - | 1.80 | 0.00 | |
| Umamaheswara Rao & Co. | - | - | 0.40 | 0.00 | |
| AR&Co. | - | - | 0.40 | 0.00 | |
| D K Chhajer & Co. | - | - | 1.15 | 0.00 | |
| B. Gupta & Co. | - | - | 0.40 | 0.00 | |
| A S A & Associates LLP | - | - | 0.40 | 0.00 | |
| V. Singhi & Associates | - | - | 1.15 | 0.00 | |





| | 31.03.20 |)22 तक | 31.03.2021 तक | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| लेखा परीक्षक का नाम | जीएसटी प्रमाणन / लेखा परीक्षा शुल्क | अन्य प्रमाणन शुल्क | जीएसटी प्रमाणन / लेखा परीक्षा शुल्क | अन्य प्रमाणन शुल्क | |
| ए एस ए एंड एसोसिएट्स एलएलपी | - | - | 0.40 | 0.00 | |
| वी. सिंघी एंड एसोसिएट्स | - | - | 1.15 | 0.00 | |
| पी.के. बर्मन एंड कंपनी | 0.50 | - | 0.00 | 0.00 | |
| आर एम लाल एंड कंपनी | 0.20 | - | 0.00 | 0.00 | |
| डी.के. छाजेर एंड कंपनी | 0.95 | - | 0.00 | 0.00 | |
| पीवीएआर एंड एसोसिएट्स | 0.50 | - | 0.00 | 0.00 | |
| सन्सवीजी एंड एसोसिएट्स | 0.30* | - | 0.00 | 0.00 | |
| एल.एस. नलवाया | 0.24* | - | 0.00 | 0.00 | |
| छाजेद और दोशियो | 0.59* | - | 0.00 | 0.00 | |
| अखिलेश पांडे एंड कंपनी | 0.24* | - | 0.00 | 0.00 | |
| कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी | 0.83* | - | 0.00 | 0.00 | |
| गर्ग अशोक एंड कंपनी | 0.24* | - | 0.00 | 0.00 | |
| ग्रोवर दिनेश एंड एसोसिएट्स | 0.59* | - | 0.00 | 0.00 | |
| कु ल | 5.18 | 3.96 | 8.70 | 0.75 | |

^{*} जीएसटी सहित

46. एकल/एकीकृत पॉलिसी धारक निधि को सहभागी पॉलिसीहोल्डर्स फंड और गैर-सहभागी पॉलिसीहोल्डर्स फंड मे विभाजनः

वित्त विधेयक 2021 ने एलआईसी अधिनियम, 1956 ('अधिनियम') में विभिन्न संशोधनों का प्रस्ताव रखा। ये संशोधन 30 जून, 2021 से राजपत्र अधिसूचना संदर्भ एसओ 2616 (ई) दिनांक 29 जून, 2021 के तहत लागू हुए। संशोधित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24 के तहत दिए गए आदेश का प्रयोग करते हुए और इस आदेश के निर्वहन में, बोर्ड ने 24.08.2021 को आयोजित अपनी बैठक में, 30 सितंबर, 2021 से पॉलिसी धारक की उचित अपेक्षाओं (PRE) को बनाए रखने सिहत विभिन्न हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एकल/एकीकृत पॉलिसी धारक निधि को सहभागी पॉलिसीहोल्डर्स फंड और गैर-सहभागी पॉलिसीहोल्डर्स फंड मे विभाजित किया (अधिनियम के अनुसार प्रयोज्यता 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी है)

पॉलिसी देयता को 30.09.2021 को व्यवसाय वार बीमांकिक रूप से निर्धारित देयता (जीवन के साथ—साथ पी एंड जीएस सहित सहभागी और गैर सहभागी) के साथ संरेखित किया गया है। बोर्ड ने 31 मार्च, 2021 तक उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन और संबंधित परिसंपत्तियों को गैर सहभागी फंड में रखने का निर्णय लिया है जो निगम के सभी पॉलिसीधारकों की सॉल्वेंसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपलब्ध होगा।

सभी हितधारकों की सॉल्वेंसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, निगम ने परिसंपत्तियों के पुनर्सरेखण के लिए तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाया है और उन परिसंपत्तियों पर विचार किया है जो आसानी से विपणन योग्य हैं, जिनका बाजार मूल्य अच्छा है और उनके बुक वैल्यू और लंबी अविध की प्रकृति में तरलता और जोखिम कम है।

47. खंडीय रिपोर्टिंग की प्रस्तुति पर प्रकटीकरण:

कंपनी अधिनियम 2013 और नियमों की धारा 133 के तहत अधिसूचित "सेगमेंटल रिपोर्टिंग" पर लेखा मानक 17 के साथ पिठत आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियम 2002 ('विनियम') के तहत पहचाने गए प्राथमिक खंडों के आधार पर और नियम इसके तहत, निगम ने शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के लिए अलग—अलग खंडीय जानकारी को वर्गीकृत और प्रकट किया है। तदनुसार, निगम ने प्राथमिक व्यवसाय खंडों के लिए राजस्व खाता और बैलेंस शीट तैयार की है, जैसे कि भाग लेने वाला जीवन व्यक्ति, भाग लेने वाला पेंशन व्यक्ति, भाग लेने वाला वार्षिकी व्यक्ति, गैर—भागीदार जीवन (व्यक्तिगत और समूह), गैर—भागीदारी पंशन (व्यक्तिगत, गैर—भागीदारी परिवर्तनीय व्यक्तिगत, गैर—भागीदारी स्वास्थ्य व्यक्तिगत, गैर—भागीदारी यूनिट लिंक्ड और पूंजी मोचन और वार्षिकी निश्चित (सीआरएसी) व्यवसाय। निगम विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य करता है। (अनुबंध—। खंडीय रिपोर्टिंग पर)



| | As at 31 | .03.2022 | As at 31.03.2021 | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Name of Auditor | GST Certification/ Audit Fees | Other Certification Fees | GST Certification/ Audit Fees | Other Certification Fees |
| P.K. Barman & Co. | 0.50 | - | 0.00 | 0.00 |
| R M Lall & Co. | 0.20 | - | 0.00 | 0.00 |
| D.K. Chhajer & Co. | 0.95 | - | 0.00 | 0.00 |
| PVAR & Associates | 0.50 | - | 0.00 | 0.00 |
| SUNSVG & Associates | 0.30* | - | 0.00 | 0.00 |
| L.S. Nalwaya | 0.24* | - | 0.00 | 0.00 |
| Chhajed & Doshi | 0.59* | - | 0.00 | 0.00 |
| Akilesh Pandey & Co. | 0.24* | - | 0.00 | 0.00 |
| Kumar Vijay Gupta & Co. | 0.83* | - | 0.00 | 0.00 |
| Garg Ashok & Co. | 0.24* | - | 0.00 | 0.00 |
| Grover Dinesh & Associates | 0.59* | - | 0.00 | 0.00 |
| Total | 5.18 | 3.96 | 8.70 | 0.75 |

^{*}inclusive of GST

46. Bifurcation of the Single Fund into Participating and Non-Participating Funds:

The Finance Bill 2021 proposed various amendments to the LIC Act, 1956 ("the Act"). These amendments came into effect from June 30 2021 vide Gazette Notification ref. S. O. 2616(e) dated June 29 2021. In exercise of the mandate given under section 24 of the Act and in discharge of this mandate, the board of directors of the Corporation approved in principle, in its meeting held on August 24 2021 bifurcation of the Single/Unified Policyholder fund into Participating Policyholders' fund and Non-Participating Policyholders' fund with effect from September 30 2021 taking into account the interest of the various stakeholders, including maintaining Policy Holder Reasonable Expectations.

The policy liability has been aligned with the line of business wise actuarially assessed liability (Life as well as P&GS, including Participating and Non-participating) as at September 30 2021. The board of directors of the Corporation decided to keep the available solvency margin as at March 31, 2021 and the corresponding assets in the non-participating fund, which would be available to meet the solvency requirement of all the policyholders of the Corporation.

In order to meet the solvency requirement of all the stakeholders, the Corporation has adopted rational approach for realignment of assets and considered those assets which are easily marketable, have good market value and appreciation over their book value and long term in nature with liquidity and lower risk.

47. Disclosure on presentation of segmental reporting:-

Based on the primary segments identified under IRDA (preparation of Financial statements and auditors' report of insurance Companies) regulations 2002 ('the regulations') read with Accounting Standard 17 on "segmental reporting" notified under section 133 of the Companies act 2013 and rules there under, the corporation has classified and disclosed segmental information separately for shareholders and policyholders. Accordingly the Corporation has prepared the Revenue Account and the Balance Sheet for the primary business segments namely Participating Life Individual, Participating Pension Individual, Participating Annuity Individual, Non Participating Life (Individual & Group), Non Participating Pension (Individual & Group), Non Participating Annuity Individual, Non Participating individual Variable, Non Participating individual Health, Non Participating Unit Linked and Capital Redemption and Annuity Certain Business (CRAC). The Corporation operates in various geographical segments. Consolidated Statement of Segmental Reporting is given in form of Annexure -I.





अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 20.09.1956

31 मार्च, 2022 तक की समेकित संपत्ति एवं दायित्व का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

| | | | गैर−संबद्ध Non-Linked | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| विवरण Particulars | জী व न হ Life Bu | | पेन्शन व Pension I | | वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business | | परिवर्तनीय Variable Business |
| | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | गैर–सहभागी Non- Participating |
| निधियों का स्त्रोत SOURCES OF FUNDS | | | | | | | |
| शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS: | | | | | | | |
| शेयर पूँजी SHARE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| आरक्षितनिधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अल्पसंख्यक हित (शेयरधारक) MINORITY INTEREST (Shareholders) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उप-योग / Sub-Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उधारी BORROWINGS | 128.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS: | | | | | | | |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | 9306321.66 | 30088379.04 | 0.00 | 622812.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES | 249796451.42 | 45485611.71 | 4177616.86 | 60338526.26 | 525708.74 | 12376832.10 | 12550.35 |
| अल्पसंख्यक हित (पॉलिसीधारक) MINORITY INTEREST (Policyholders) | (127.90) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES | | | | | | | |
| प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना Discontinued on account of non payment of premium | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य others | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बीमा आरक्षितनिधि INSURANCE RESERVES | 1709610.35 | (363.91) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (26.34) | 0.00 |
| संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उप−योग / Sub-Total | 260812384.38 | 75573626.84 | 4177616.86 | 60961338.94 | 525708.74 | 12376805.76 | 12550.35 |
| भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS | 451561.91 | 0.00 | (287470.08) | 0.00 | 18433.52 | 0.00 | 0.00 |
| कुल/ TOTAL | 261263946.29 | 75573626.84 | 3890146.78 | 60961338.94 | 544142.26 | 12376805.76 | 12550.35 |
| निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS | | | | | | | |
| निवेश / INVESTMENTS | | | | | | | |
| शेयरधारकों के / Shareholders' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पॉलिसीधारकों के /Policyholders' | 240023953.49 | 75551766.63 | 3809651.31 | 59372479.12 | 547631.23 | 11423575.91 | 15455.01 |
| संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पतियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





Annexure - I

FORM A-BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No.: 512 Dated 20.09.1956

CONSOLIDATED STATEMENT ON SEGEMNTAL DISCLOSURE ASSET AND LIABILITIES AS AT MARCH, 31 2022 (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| | ौर-संबद्ध व्यवसाय n-Linked Busine | | संबद्ध व्यवसाय कल (चाल वर्ष) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------|
| स्वास्थ्य व्यवसाय Health Business | गैर–संब Non-Link | द्ध कुल ced Total | Linked Business | Т | कुल (चालू वर्ष) otal (Current Yea | ır) | CRAC पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) | Unallocated Fund अनाबंटित निधि | कुल Total |
| गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non- Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds | व्यवसाय | ।नाव | |
| | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632499.77 | 0.00 | 0.00 | 632499.77 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491760.59 | 293.42 | 0.00 | 492054.01 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9278.85 | 0.00 | 0.00 | 9278.85 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12034.30 | 0.00 | 0.00 | 12034.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1145573.51 | 293.42 | 0.00 | 1145866.93 |
| 0.00 | 128.85 | 0.00 | 0.00 | 128.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.85 |
| 0.00 | 9306321.66 | 30711191.72 | 9934.00 | 9306321.66 | 30721125.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40027447.38 |
| 31293.60 | 254499777.02 | 118244814.02 | 23209.62 | 254499777.02 | 118268023.64 | 0.00 | 20699.60 | 0.00 | 372788500.26 |
| 0.00 | (127.90) | 0.00 | 0.00 | (127.90) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (127.90) |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6633.53 | 0.00 | 6633.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6633.53 |
| | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1601.02 | 0.00 | 1601.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1601.02 |
| 0.00 | 1709610.35 | (390.25) | 27.06 | 1709610.35 | (363.19) | 0.00 | 35.56 | 0.00 | 1709282.72 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2390861.68 | 0.00 | 2390861.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2390861.68 |
| 31293.60 | 265515709.98 | 148955615.49 | 2432266.91 | 265515709.98 | 151387882.40 | 0.00 | 20735.16 | 0.00 | 416924327.54 |
| 0.00 | 182525.35 | 0.00 | 917.95 | 182525.35 | 917.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183443.30 |
| 31293.60 | 265698235.33 | 148955615.49 | 2433184.86 | 265698235.33 | 151388800.35 | 1145573.51 | 21028.58 | 0.00 | 418253637.77 |
| | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522905.84 | 0.00 | 0.00 | 522905.84 |
| 49911.25 | 244381236.03 | 146413187.92 | 324693.60 | 244381236.03 | 146737881.52 | 0.00 | 23157.01 | 0.00 | 391142274.56 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2395871.74 | 0.00 | 2395871.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2395871.74 |





फार्म ए-बीएस 31 मार्च, 2022 तक की समेकित संपत्ति एवं दायित्व का खंडीय प्रकटीकरण (कुल व्यवसाय के संबंध में)

| | | | गैर–संबद्ध Non-Linked | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| विवरण Particulars | जीवन व्यवसाय Life Business | | पेन्शन व्यवसाय Pension Business | | वार्षिकी Annuity | परिवर्तनीय Variable Business | |
| | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | गैर–सहभागी Non- Participating |
| ऋण / LOANS | 11065264.38 | 13434.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23829.13 | 412.04 |
| अचल परिसम्पत्तियाँ FIXED ASSETS | 350408.86 | 6635.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| चालू परिसम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS | | | | | | | |
| रोकड़ एवं बैंक में अतिशेष Cash and Bank Balances | 3096559.93 | 847590.29 | 169.12 | 491460.83 | 1.31 | 14289.39 | 0.00 |
| अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ Advances and Other Assets | 8005147.32 | 2724211.34 | 71575.12 | 1092338.48 | 4708.05 | 261545.89 | 554.17 |
| उप–योग (क) Sub-Total (A) | 11101707.25 | 3571801.63 | 71744.24 | 1583799.31 | 4709.36 | 275835.28 | 554.17 |
| चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES | 4044581.78 | 1853561.69 | (9684.23) | (472973.70) | 8192.67 | 178238.57 | (596.44) |
| प्रावधान PROVISIONS | 501.29 | 1494305.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उप-योग (ख)/Sub-Total (B) | 4045083.07 | 3347867.29 | (9684.23) | (472973.70) | 8192.67 | 178238.57 | (596.44) |
| शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क - ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B) | 7056624.18 | 223934.34 | 81428.47 | 2056773.01 | (3483.31) | 97596.71 | 1150.61 |
| विविध व्यय (जो बट्टे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल / Total | 258496250.91 | 75795770.64 | 3891079.78 | 61429252.13 | 544147.92 | 11545001.75 | 17017.66 |

नोट: लेखा मानक 17 के अनुसार- कर संपत्ति आवंटित नहीं की जा सकती है। हालांकि, भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में, निधि को 31.12.2021 को अलग किए जाने तक एकीकृत किया गया था और एकीकृत निधि के तहत कर व्यय के साथ-साथ संपत्ति को जीवन सहभागी से संबंधित माना गया था।

Note: As per Accounting Standard 17- Tax assets cannot be allocated. However, in case of LIC, fund was unified till it was segregated on 31.12.2021 and tax expenditure as well as assets under Unified Fund were deemed pertaining to Life Par.





FORM A- BS CONSOLIDATED STATEMENT ON SEGEMNTAL DISCLOSURE ASSET AND LIABILITIES AS AT MARCH, 31 2022 (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

| | ौर-संबद्ध व्यवसाय n-Linked Busine | | संबद्ध व्यवसाय | | कुल (चालू वर्ष) | | CDAC | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--------------|
| स्वास्थ्य व्यवसाय Health Business | गैर–संब Non-Link | ব্ধ কুল ked Total | Linked Business | То | Total (Current Year) | | CRAC पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) | Unallocated Fund अनाबंटित निधि | कुल Total |
| गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds | व्यवसाय | । ना ध | |
| 0.00 | 11065264.38 | 37675.24 | 448.10 | 11065264.38 | 38123.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11103387.72 |
| 0.00 | 350408.86 | 6635.60 | 0.00 | 350408.86 | 6635.60 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 357067.95 |
| | | | | | | | | | |
| 455.80 | 3096730.36 | 1353796.31 | 1651.40 | 3096730.36 | 1355447.71 | 20256.42 | 0.00 | 0.00 | 4472434.49 |
| 3994.24 | 8081430.49 | 4082644.12 | 8982.83 | 8081430.49 | 4091626.95 | 8098.12 | 469.33 | 3230326.20 | 15411951.09 |
| 4450.04 | 11178160.85 | 5436440.43 | 10634.23 | 11178160.85 | 5447074.66 | 28354.54 | 469.33 | 3230326.20 | 19884385.58 |
| (77552.86) | 4043090.22 | 1480677.26 | 128989.52 | 4043090.22 | 1609666.78 | 2093.97 | 2597.76 | 0.00 | 5657448.73 |
| 0.00 | 501.29 | 1494305.60 | 0.00 | 501.29 | 1494305.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1494806.89 |
| (77552.86) | 4043591.51 | 2974982.86 | 128989.52 | 4043591.51 | 3103972.38 | 2093.97 | 2597.76 | 0.00 | 7152255.62 |
| 82002.90 | 7134569.34 | 2461457.57 | (118355.29) | 7134569.34 | 2343102.28 | 26260.57 | (2128.43) | 3230326.20 | 12732129.96 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131914.15 | 262931478.61 | 148918956.33 | 2602658.15 | 262931478.61 | 151521614.48 | 549189.90 | 21028.58 | 3230326.20 | 418253637.77 |





31 मार्च, 2021 तक की समेकित संपत्ति एवं दायित्व का खंडीय प्रकटीकरण (कुल व्यवसाय के संबंध में)

CONSOLIDATED STATEMENT ON SEGEMNTAL DISCLOSURE ASSET AND LIABILITIES AS AT MARCH, 31 2021 (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| | | | | | (₹ in lakhs |
|---|--|-----------------------------------|--|--|--------------|
| विवरण Particulars | गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Business | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds | CRAC पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय | कुल Total |
| निधियों का स्त्रोत SOURCES OF FUNDS | | | | | |
| शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS: | | | | | |
| शेयर पूँजी SHARE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 |
| आरक्षितनिधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS | 0.00 | 0.00 | 670547.04 | 0.00 | 670547.04 |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | 0.00 | 0.00 | 7849.74 | 0.00 | 7849.74 |
| अल्पसंख्यक हित (शेयरधारक) MINORITY INTEREST (Shareholders) | 0.00 | 0.00 | 9927.61 | 0.00 | 9927.61 |
| उप–योग / Sub-Total | 0.00 | 0.00 | 698324.39 | 0.00 | 698324.39 |
| उधारी BORROWINGS | 366.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.50 |
| पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS: | | | | | |
| जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | 26890421.22 | 404077.63 | 0.00 | 0.00 | 27294498.85 |
| पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES | 338189719.29 | 3863172.43 | 0.00 | 19808.56 | 342072700.28 |
| अल्पसंख्यक हित (पॉलिसीधारक) MINORITY INTEREST (Policyholders) | 2094.86 | | 0.00 | 0.00 | 2094.86 |
| बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES | | | | | |
| प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना Discontinued on account of non payment of premium | 0.00 | 3366.00 | 0.00 | 0.00 | 3366.00 |
| अन्य others | 0.00 | 1699.74 | 0.00 | 0.00 | 1699.74 |
| बीमा आरक्षितनिधि INSURANCE RESERVES | 1271083.27 | 26.58 | 0.00 | 35.56 | 1271145.41 |
| संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES | 0.00 | 3295916.81 | 0.00 | 0.00 | 3295916.81 |
| उप-योग / Sub-Total | 366353685.14 | 7568259.19 | 0.00 | 19844.12 | 373941788.45 |
| भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS | 0.00 | 333.99 | 0.00 | 0.00 | 333.99 |
| कुल/ TOTAL | 366353685.14 | 7568593.18 | 698324.39 | 19844.12 | 374640446.83 |
| निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS | | | | | |
| निवेश / INVESTMENTS | | | | | |
| शेयरधारकों के / Shareholders' | 0.00 | 0.00 | 42640.32 | 0.00 | 42640.32 |
| पॉलिसीधारकों के /Policyholders' | 345428890.53 | 4393329.10 | 0.00 | 21854.05 | 349844073.68 |
| संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पतियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES | 0.00 | 3297495.68 | 0.00 | 0.00 | 3297495.68 |
| ऋण / LOANS | 10875540.98 | 825.54 | 0.00 | 0.00 | 10876366.52 |
| अचल परिसम्पत्तियाँ FIXED ASSETS | 347374.20 | 0.00 | 28.39 | 0.00 | 347402.59 |
| चालू परिसम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS | | | | | |
| रोकड़ एवं बैंक में अतिशेष Cash and Bank Balances | 3597873.90 | 3158.22 | 6799.74 | 0.00 | 3607831.86 |
| अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ Advances and Other Assets | 14864031.84 | 70401.16 | 1754.68 | 422.33 | 14936610.01 |



| विवरण Particulars | गैर–संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Business | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds | CRAC पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय | कुल Total |
|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------|
| उप–योग (क) Sub-Total (A) | 18461905.74 | 73559.38 | 8554.42 | 422.33 | 18544441.87 |
| चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES | 6614696.89 | 196791.64 | 3224.75 | 2432.26 | 6817145.54 |
| प्रावधान PROVISIONS | 1494828.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1494828.29 |
| उप-योग (ख)/Sub-Total (B) | 8109525.18 | 196791.64 | 3224.75 | 2432.26 | 8311973.83 |
| शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क - ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B) | 10352380.56 | (123232.26) | 5329.67 | (2009.93) | 10232468.04 |
| विविध व्यय (जो बट्टे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| लाभ–हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल / Total | 367004186.27 | 7568418.06 | 47998.38 | 19844.12 | 374640446.83 |





फॉर्म ए-आरए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 20.09.1956
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित राजस्व खाता का खंडीय प्रकटीकरण पॉलिसिधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा) (कुल व्यवसाय के संबंध में)

| | गैर−संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Business | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| विवरण Particulars | जीवन व Life Bu | त्यवसाय ısiness | पेन्शन ठ Pension E | | वार्षिकी Annuity I | व्यवसाय Business | | | |
| Particulars | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | | | |
| अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net | | | | | | | | | |
| (क) प्रीमियम | | | | | | | | | |
| (a) Premium | 25998208.31 | 4548104.89 | 52591.26 | 10731832.86 | 290.62 | 1318816.90 | | | |
| (ख) पुनर्बीमा अंतरण | | | | | | | | | |
| (b) Reinsurance ceded | (11720.47) | (41465.93) | (12.82) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| (ग) पुनर्बीमा स्वीकार | | | | | | | | | |
| (c) Reinsurance accepted | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| उप–योग / Sub-Total | 25986487.84 | 4506638.96 | 52578.44 | 10731832.86 | 290.62 | 1318816.90 | | | |
| निवेश से आय/ Income from Investments | | | | | | | | | |
| (क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, कुल | | | | | | | | | |
| (a) Interest, Dividends & Rent - Gross | 17385105.08 | 2555183.67 | 244899.65 | 4143637.92 | 11803.84 | 757250.45 | | | |
| (ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ | | | | | | | | | |
| (b) Profit on sale/redemption of investments | 4198815.53 | 192278.02 | 538.45 | 317947.50 | 1857.37 | 29.19 | | | |
| (ग) (निवेश की विक्री / मोचन पर हानि) | | | | | | | | | |
| (c) (Loss on sale/redemption of investments) | (488619.86) | (158067.46) | (9538.78) | (183987.43) | (2241.41) | (59221.45) | | | |
| (घ) पुनर्मूल्याकंन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* | | | | | | | | | |
| (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value* | 3742.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| (ङ) अन्य आय (e) Other Income | | | | | | | | | |
| (i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back | 697.05 | (0.64) | 0.00 | (0.55) | 0.00 | 0.00 | | | |
| (iv) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts | 18807.19 | 45319.61 | (0.06) | 16305.63 | (1.88) | 0.22 | | | |
| (v) अंशधारकों के खाते से दूसरों के प्रति योगदान' | | | | | | | | | |
| Contribution from Shareholders' Account towards others" | 942.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| कुल (क) TOTAL (A) | 47105977.64 | 7141352.16 | 288477.70 | 15025735.93 | 11708.54 | 2016875.31 | | | |
| कमीशन Commission | 2264805.73 | 18742.78 | 1247.40 | 8.15 | 6.73 | 32213.02 | | | |
| बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business | 3676397.62 | 116791.88 | 6719.90 | 27671.97 | 600.48 | 28833.79 | | | |





FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No.: 512 Dated 20.09.1956

CONSOLIDATED STATEMENT ON SEGMENTAL DISCLOSURE -REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022 IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| | गैर−संबद्ध व्य Non-Linked B | | | Linked Business | कुल (ग)= | (क)+(ख) | CRAC | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business | स्वास्थ्य व्यवसाय Health Business | गैर–संबद्ध ट Non-Linke | व्यवसाय कुल ed Total (A) | (B) | Total (C) | =(A)+(B) | पूँजी मोचन (निर्धारित | कुल Total |
| गैर−सहभागी Non-Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non- Participating | गैर−सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non- Participating | वार्षिकी सहित) व्यवसाय | (C) + (D) |
| 1135.45 | 36568.40 | 26051090.19 | 16636458.50 | 323945.92 | 26051090.19 | 16960404.42 | 186.11 | 43011680.72 |
| 0.00 | (7138.05) | (11733.29) | (48603.98) | (1266.85) | (11733.29) | (49870.83) | 0.00 | (61604.12) |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1135.45 | 29430.35 | 26039356.90 | 16587854.52 | 322679.07 | 26039356.90 | 16910533.59 | 186.11 | 42950076.60 |
| 2836.73 | 4876.33 | 17641808.57 | 7463785.10 | 259777.22 | 17641808.57 | 7723562.32 | 1808.57 | 25367179.46 |
| 561.31 | 0.53 | 4201211.35 | 510816.55 | 298505.50 | 4201211.35 | 809322.05 | 0.00 | 5010533.40 |
| (542.77) | (1119.88) | (500400.05) | (402938.99) | (43622.88) | (500400.05) | (446561.87) | (70.35) | (947032.27) |
| 0.00 | 0.00 | 3742.36 | 0.00 | (23870.98) | 3742.36 | (23870.98) | 0.00 | (20128.62) |
| 0.00 (35.46) | 0.00 (0.09) | 697.05 18805.25 | (1.19) 61589.91 | 0.00 (125.83) | 697.05 18805.25 | (1.19) 61464.08 | 0.00 0.92 | 695.86 80270.25 |
| 0.00 | 0.00 | 942.45 | 0.00 | 0.00 | 942.45 | 0.00 | 0.00 | 942.45 |
| 3955.26 | 33187.24 | 47406163.88 | 24221105.90 | 813342.10 | 47406163.88 | 25034448.00 | 1925.25 | 72442537.13 |
| 32.60 | 4832.79 | 2266059.86 | 55829.34 | 8688.61 | 2266059.86 | 64517.95 | 2.01 | 2330579.82 |
| 25.15 | 18327.42 | 3683718.00 | 191650.21 | 26538.45 | 3683718.00 | 218188.66 | 111.89 | 3902018.55 |





फॉर्म ए-आरए 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022 कुल व्यवसाय के संबंध में / IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS

| | | | गैर–संबद्ध Non-Linked | | | |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| विवरण | | व्यवसाय usiness | | त्र्यवसाय Business | | व्यवसाय Business |
| Particulars | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating |
| निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर | | | | | | |
| GST on Fund Management charges & other charges | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | | | | | | |
| Provisions for Doubtful debts | (131185.23) | 21.17 | 0.00 | (1.03) | 0.00 | 1293.47 |
| कराधान के लिए प्रावधान Provisions for taxation | 775158.03 | 6749.68 | 0.00 | 7955.60 | 2569.32 | 0.00 |
| प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation) | | | | | | |
| (क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए | | | | | | |
| (a) For diminution in the value of investments (Net) | (68563.12) | (129506.81) | 0.00 | (100020.09) | 0.00 | 0.00 |
| (ख) अन्य (b) Others | (399219.84) | 60.01 | (8421.05) | 0.00 | (11.90) | (94463.72) |
| कुल (ख)/ TOTAL (B) | 6117393.19 | 12858.71 | (453.75) | (64385.40) | 3164.63 | (32123.44) |
| अदा किया गया लाभ (शृद्ध) | | | | | | |
| Benefits paid (Net) | 22103714.47 | 4324052.57 | 232522.93 | 7387281.00 | 41626.65 | 709312.98 |
| अदा किया गया अंतरिम बोनस | | | | | | |
| Interim Bonuses Paid | 402639.51 | 0.00 | 91.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन | | | | | | |
| Change in valuation of liability in respect of life policies | | | | | | |
| (ক) কুল** (a) Gross** | 17775975.62 | 2582297.08 | 342854.57 | 7234927.14 | (51521.92) | 2171489.78 |
| (ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि | | | | | (======) | |
| (b) Amount ceded in Reinsurance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (घ) सबंद्ध लिंक्ड पॉलिसियों के लिए आरक्षित निधि | | | | | | |
| (d) Fund Reserve for Linked Policies | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ङ) बंद पॉलिसियों के लिए निधि (e) Fund for Discountinued Policies | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल (ग)/TOTAL (C) | 40282329.60 | 6906349.65 | 575468.54 | 14622208.14 | (9895.27) | 2880802.76 |
| अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग) | | | | | | |
| SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C) | 706254.85 | 222143.80 | (286537.09) | 467913.19 | 18439.18 | (831804.01) |
| जोड़ें: सहयोगी संस्थाओं में लाभ का हिस्सा Add: Share of Profit in Associates | 420257.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (घटाएं)/जोड़ें: अल्पसंख्यक हित (Less)/Add: Minority Interest | (618.81) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल अधिशेष/(घाटा) (ड) TOTAL SURPLUS/(DEFICIT) (E) | 1125893.52 | 222143.80 | (286537.09) | 467913.19 | 18439.18 | (831804.01) |
| विनियोजन/APPROPRIATIONS | | | | | | |
| शेयरधारकों के लेखा में अंतरण Transfer to Shareholders' Account | 254065.74 | 222143.80 | 933.00 | 467913.19 | 5.66 | (831804.01) |
| अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves | 420265.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Future Appropriations | 451561.92 | 0.00 | (287470.09) | 0.00 | 18433.52 | 0.00 |
| कुल (ड)/TOTAL (D) | 1125893.52 | 222143.80 | (286537.09) | 467913.19 | 18439.18 | (831804.01) |
| | | | | | | |





FORM A- RA पॉलिसिधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा) Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ लाखों में) (₹ in lakhs)

| (₹ in lakh | | | | | | | - | |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------|--|---------------------------------|
| कुल | CRAC पूँजी मोचन | | कुल (ग)=(Total (C)= | संबद्ध व्यवसाय Linked Business (B) | यवसाय कुल | usiness | गैर-संबद्ध व्य Non-Linked Bu स्वास्थ्य व्यवसाय | परिवर्तनीय व्यवसाय |
| कुल Total (C) + (D) | (निर्धारित वार्षिकी सहित) | गैर-सहभागी | सहभागी | गैर-सहभागी | d Total (A) गैर-सहभागी | Non-Linke सहभागी | Health Business गैर–सहभागी | Variable Business गैर-सहभागी |
| | व्यवसाय | Non- Participating | Participating | Non- Participating | Non- Participating | Participating | Non- Participating | Non-Participating |
| 9076.4 | 0.00 | 9076.44 | 0.00 | 9076.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (129895.21 | 0.00 | 1290.02 | (131185.23) | (26.00) | 1316.02 | (131185.23) | 2.41 | 0.00 |
| 797329.7 | 157.61 | 19444.83 | 777727.35 | 2952.81 | 16492.02 | 777727.35 | 1710.78 | 75.96 |
| (303822.64 | 0.00 | (235259.52) | (68563.12) | (5732.62) | (229526.90) | (68563.12) | 0.00 | 0.00 |
| (503023.51 | 0.00 | (95370.72) | (407652.79) | 0.00 | (95370.72) | (407652.79) | 33.20 | (1000.21) |
| 6102263.2 | 271.51 | (18112.34) | 6120104.07 | 41497.69 | (59610.03) | 6120104.07 | 24906.60 | (866.50) |
| 35548634.6 | 469.28 | 13170301.31 | 22377864.05 | 737492.67 | 12432808.64 | 22377864.05 | 2687.31 | 9474.78 |
| 402730.5 | 0.00 | 0.00 | 402730.55 | 0.00 | 0.00 | 402730.55 | 0.00 | 0.00 |
| 30717875.5 | 891.04 | 12649676.19 | 18067308.27 | 765109.74 | 11884566.45 | 18067308.27 | (95027.22) | (9120.33) |
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (904613.08 | 0.00 | (904613.08) | 0.00 | (904613.08) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3526.9 | 0.00 | 3526.95 | 0.00 | 3526.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65768154.5 | 1360.32 | 24918891.37 | 40847902.87 | 601516.28 | 24317375.09 | 40847902.87 | (92339.91) | 354.45 |
| 572119.3 | 293.42 | 133668.97 | 438156.94 | 170328.13 | (36659.16) | 438156.94 | 100620.55 | 4467.31 |
| 420257.4 | 0.00 | 0.00 | 420257.48 | 0.00 | 0.00 | 420257.48 | 0.00 | 0.00 |
| (618.81 | 0.00 | 0.00 | (618.81) | 0.00 | 0.00 | (618.81) | 0.00 | 0.00 |
| 991758.0 | 293.42 | 133668.97 | 857795.61 | 170328.13 | (36659.16) | 857795.61 | 100620.55 | 4467.31 |
| 388382.8 | 293.42 | 133085.00 | 255004.40 | 169744.16 | (36659.16) | 255004.40 | 100620.55 | 4467.31 |
| 420265.8 | 0.00 | 0.00 | 420265.86 | 0.00 | 0.00 | 420265.86 | 0.00 | 0.00 |
| 183109.3 | 0.00 | 583.97 | 182525.35 | 583.97 | 0.00 | 182525.35 | 0.00 | 0.00 |
| 991758.0 | 293.42 | 133668.97 | 857795.61 | 170328.13 | (36659.16) | 857795.61 | 100620.55 | 4467.31 |





The Breakup of Total Surplus during the period:

| | गैर–संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Business | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| विवरण Particulars | | ा व्यवसाय Business | | व्यवसाय n Business | वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business | | | | |
| | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | | | |
| (क) अंतरिम बोनस | | | | | | | | | |
| (a) Interim Bonus | 402639.51 | 0.00 | 91.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| (ख) पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन# | | | | | | | | | |
| (b) Allocation of Bonus to Policyholders # | 4809229.84 | 0.00 | 17727.00 | 0.00 | 107.59 | 0.00 | | | |
| (ग) राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष | | | | | | | | | |
| (c) Surplus shown in the Revenue accounts | 1125893.52 | 222143.80 | (286537.09) | 467913.19 | 18439.18 | (831804.01) | | | |
| (घ) कूल अधिशेष (क+ख+ग) (d) Total Surplus [a+b+c] | 6337762.87 | 222143.80 | (268719.05) | 467913.19 | 18546.77 | (831804.01) | | | |

^{*} प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डो के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।

#पॉलिसीधारकों को बोनस के आवंटन का विवरण केवल एलआईसीआई से संबंधित है और इसमें विदेशी सहायक बीमा कंपनियों का विवरण शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें अपने स्थानीय कानूनों या विनियमों के अनुसार इस तरह के विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

^{**} बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।





अवधि के दौरान कुल अधिशेष का विवरण:

| | गैर-संबद्ध व Non-Linked B | | | संबद्ध व्यवसाय Linked Business | कुल (ग)= | (क)+(ख) | CRAC | |
|---|---------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------|---------------------------|--------------|
| परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business | | | गैर-संबद्ध व्यवसाय कुल Non-Linked Total (A) | | Total (C) | =(A)+(B) | पूँजी मोचन (निर्धारित | কুল Total |
| गैर−सहभागी Non-Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी गैर-सहभागी Participating Non- Participating | | वार्षिकी सहित) व्यवसाय | (C) + (D) |
| 0.00 | 0.00 | 402730.55 | 0.00 | 0.00 | 402730.55 | 0.00 | 0.00 | 402730.55 |
| 0.00 | 0.00 | 4827064.43 | 0.00 | 0.00 | 4827064.43 | 0.00 | 0.00 | 4827064.43 |
| 4467.31 | 100620.55 | 857795.61 | (36659.16) | 170328.13 | 857795.61 | 133668.97 | 293.42 | 991758.00 |
| 4467.31 | 100620.55 | 6087590.59 | (36659.16) | 170328.13 | 6087590.59 | 133668.97 | 293.42 | 6221552.98 |

^{*} Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.

^{**} Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

[#]The details of Allocation of Bonus to policyholders pertains only to LICI and does not include the details of the foreign subsidiary insurance companies as they are not required to provide such details as per their local laws or regulations.





फॉर्म ए-आरए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 20.09.1956

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाता का खंडीय प्रकटीकरण पॉलिसिधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा) (कुल व्यवसाय के संबंध में)

| | गैर–संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Business | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| विवरण | जीवन व Life Bu | | पेन्शन व् Pension E | यवसाय | वार्षिकी Annuity I | | | | |
| Particulars | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non- Participating | | | |
| अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net | | | | | | | | | |
| (क) प्रीमियम | | | | | | | | | |
| (a) Premium | 24675770.41 | 4072191.25 | 58060.16 | 9572357.27 | 350.63 | 2029532.01 | | | |
| (ख) पुनर्बीमा अंतरण | | | | | | | | | |
| (b) Reinsurance ceded | (11120.47) | (26759.44) | (13.82) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| (ग) पुनर्बीमा स्वीकार | | | | | | | | | |
| (c) Reinsurance accepted | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| उप–योग / Sub-Total | 24664649.94 | 4045431.81 | 58046.34 | 9572357.27 | 350.63 | 2029532.01 | | | |
| निवेश से आय/ Income from Investments | | | | | | | | | |
| (क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, कुल | | | | | | | | | |
| (a) Interest, Dividends & Rent - Gross | 16928805.64 | 2009617.75 | 226813.12 | 3694930.53 | 13658.84 | 636727.51 | | | |
| (ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ | | | | | | | | | |
| (b) Profit on sale/redemption of investments | 3684152.54 | 200704.51 | 78.98 | 425536.78 | 2047.63 | 46.40 | | | |
| (ग) (निवेश की विक्री / मोचन पर हानि) | | | | | | | | | |
| (c) (Loss on sale/redemption of investments) | (220479.82) | (100846.85) | (1819.04) | (169919.48) | (945.82) | (4976.82) | | | |
| (घ) पुनर्मूल्याकंन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ [*] | | | | | | | | | |
| (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value* | 28668.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| (ङ) अन्य आय (e) Other Income | | | | | | | | | |
| (i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back | 28553.28 | (0.15) | (3.22) | (1.24) | 0.00 | 0.00 | | | |
| (ii) अर्जित ब्याय Interest Earned | 1020003.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| (iii) कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज Commission, exchange and brokerage | 129509.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| (iv) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts | 36449.62 | 49318.68 | 0.02 | 12404.95 | 5.88 | 0.04 | | | |
| (v) अंशधारकों के खाते से दूसरों के प्रति योगदान' | | | | | | | | | |
| Contribution from Shareholders' Account towards others" | 475.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| कुल (क) TOTAL (A) | 46300788.60 | 6204225.75 | 283116.20 | 13535308.81 | 15117.16 | 2661329.14 | | | |
| कमीशन Commission | 2168218.40 | 11809.23 | 887.55 | 17.08 | 8.69 | 45593.51 | | | |
| बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च | | | | | | | | | |
| Operating Expenses related to Insurance Business | 4661089.57 | 89651.00 | 6476.87 | 24531.32 | 570.08 | 42832.85 | | | |





FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. : 512 Dated 20.09.1956

CONSOLIDATED STATEMENT ON SEGMENTAL DISCLOSURE -REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021 IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS Policyholders' Account (Technical Account)

| | गैर-संबद्ध व Non-Linked B | | | संबद्ध व्यवसाय | कुल (च | ाल वर्ष) | CRAC | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|
| परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business | स्वास्थ्य व्यवसाय Health Business | | व्यवसाय कुल ed Total (A) | Linked Business (B) | Total (C)=(A)+(B) | | पूँजी मोचन (निर्धारित | कुल Total |
| गैर−सहभागी Non-Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | वार्षिकी सहित) व्यवसाय | (C) + (D) |
| | | | | | | | | |
| 2086.73 | 33823.76 | 24734181.20 | 15709991.02 | 140715.81 | 24734181.20 | 15850706.83 | 192.12 | 40585080.15 |
| 0.00 | (6004.49) | (11134.29) | (32763.93) | (1332.16) | (11134.29) | (34096.09) | 0.00 | (45230.38) |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2086.73 | 27819.27 | 24723046.91 | 15677227.09 | 139383.65 | 24723046.91 | 15816610.74 | 192.12 | 40539849.77 |
| 4707.61 | 4049.65 | 17169277.60 | 6350033.05 | 434917.02 | 17169277.60 | 6784950.07 | 1767.57 | 23955995.24 |
| 1390.50 | 0.58 | 3686279.15 | 627678.77 | 304715.30 | 3686279.15 | 932394.07 | 0.00 | 4618673.22 |
| (55.17) | (27.47) | (223244.68) | (275825.79) | (138571.16) | (223244.68) | (414396.95) | (70.39) | (637712.02) |
| 0.00 | 0.00 | 28668.16 | 0.00 | 585908.75 | 28668.16 | 585908.75 | 0.00 | 614576.91 |
| 0.00 | 0.00 | 28550.06 | (1.39) | 0.00 | 28550.06 | (1.39) | 0.00 | 28548.67 |
| 0.00 | 0.00 | 1020003.66 | 0.00 | 0.00 | 1020003.66 | 0.00 | 0.00 | 1020003.66 |
| 0.00 | 0.00 | 129509.61 | 0.00 | 0.00 | 129509.61 | 0.00 | 0.00 | 129509.61 |
| (78.30) | 0.81 | 36455.52 | 61646.18 | (115.60) | 36455.52 | 61530.58 | 0.72 | 97986.82 |
| 0.00 | 0.00 | 475.97 | 0.00 | 0.00 | 475.97 | 0.00 | 0.00 | 475.97 |
| 8051.37 | 31842.84 | 46599021.96 | 22440757.91 | 1326237.96 | 46599021.96 | 23766995.87 | 1890.02 | 70367907.85 |
| 61.95 | 5151.02 | 2169114.64 | 62632.79 | 4066.72 | 2169114.64 | 66699.51 | 1.90 | 2235816.05 |
| 50.93 | 17062.54 | 4668136.52 | 174128.64 | 17314.41 | 4668136.52 | 191443.05 | 104.56 | 4859684.13 |





फॉर्म ए-आरए 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाता का खंडीय प्रकटीकरण पॉलिसिधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा) (कुल व्यवसाय के संबंध में)

| | गैर−संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Business | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| विवरण Portionless | | ञ्यवसाय usiness | | व्यवसाय Business | | व्यवसाय Business | | | |
| Particulars | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | | | |
| निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर | | | | | | | | | |
| GST on Fund Management charges & other charges | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | | | | | | | | | |
| Provisions for Doubtful debts | 1012740.38 | (3.51) | 0.00 | (1.43) | (75.00) | 0.00 | | | |
| कराधान के लिए प्रावधान Provisions for taxation | 916654.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation) | | | | | | | | | |
| (क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए | | | | | | | | | |
| (a) For diminution in the value of investments (Net) | 571013.02 | 331.87 | 0.00 | 458.10 | 0.00 | 0.00 | | | |
| (평) अन्य (b) Others | (915568.86) | 57110.62 | (683.70) | 6084.04 | (1127.33) | 1033.25 | | | |
| कुल (ख)/ TOTAL (B) | 8414147.30 | 158899.21 | 6680.72 | 31089.11 | (623.56) | 89459.61 | | | |
| अदा किया गया लाभ (शुद्ध) | | | | 31007.11 | (023.30) | 0,10,01 | | | |
| Benefits paid (Net) | 17337167.45 | 3901415.17 | 220271.23 | 5826293.28 | 37728.79 | 570161.04 | | | |
| अदा किया गया अंतरिम बोनस | | | | | | | | | |
| Interim Bonuses Paid | 222847.18 | 0.00 | 60.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies | | | | | | | | | |
| (ক) কুল** (a) Gross** | 19941349.82 | 2143911.37 | 56104.11 | 7677926.42 | (21988.07) | 2001708.49 | | | |
| (ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि | | | | | | | | | |
| (b) Amount ceded in Reinsurance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| (ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि | | | | | | | | | |
| (c) Amount accepted in Reinsurance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| (घ) संबद्ध लिंक्ड पॉलिसियों के लिए आरक्षित निधि (d) Fund Reserve for Linked Policies | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| (ङ) बंद पॉलिसियों के लिए निधि | | | | | | | | | |
| (e) Fund for Discountinued Policies | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| कुल (ग)/TOTAL (C) | 37501364.45 | 6045326.54 | 276435.48 | 13504219.70 | 15740.72 | 2571869.53 | | | |
| अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग) SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C) | 385276.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| जोड़ें: सहयोगी संस्थाओं में लाभ का हिस्सा | | | | | | | | | |
| Add: Share of Profit in Associates | 116335.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| (घटाएं) /जोड़ें: अल्पसंख्यक हित (Less)/Add: Minority Interest | (| | | | | | | | |
| | (44652.53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| कुल अधिशेष/(घाटा) (ड) TOTAL SURPLUS/(DEFICIT) (E) | 456959.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| विनियोजन/APPROPRIATIONS | | | | | | | | | |
| शेयरधारकों के लेखा में अंतरण | | | | | | | | | |
| Transfer to Shareholders' Account | 295353.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण | | | | | | | | | |
| Transfer to Other Reserves | 161606.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Future Appropriations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |





FORM A-RA

CONSOLIDATED STATEMENT ON SEGMENTAL DISCLOSURE -REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021 IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS Policyholders' Account (Technical Account)

| | CRAC | लू वर्ष) | कुल (चा | संबद्ध-व्यवसाय Linked Business | | गैर–संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Business | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--|--|
| কুল Total | पूँजी मोचन (निर्धारित | :(Å)+(É) | Total (C)= | (B) | यवसाय कुल d Total (A) | गैर–संबद्ध ठ Non-Linke | स्वास्थ्य व्यवसाय Health Business | परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business | | | |
| (C) + (D) | वार्षिकी सहित) व्यवसाय | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | गैर−सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | | | |
| 9322.2 | 0.00 | 9322.22 | 0.00 | 9322.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1018190.9 | (5.60) | 5531.17 | 1012665.38 | 5536.11 | (4.94) | 1012665.38 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 916816.3 | 138.68 | 22.92 | 916654.79 | 22.92 | 0.00 | 916654.79 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 566203.6 | 0.00 | (4809.42) | 571013.02 | (5599.39) | 789.97 | 571013.02 | 0.00 | 0.00 | | | |
| (853165.42 | 0.00 | 64214.47 | (917379.89) | 0.00 | 64214.47 | (917379.89) | 4.56 | (18.00) | | | |
| 8752867.9 | 239.54 | 332423.92 | 8420204.46 | 30662.99 | 301760.93 | 8420204.46 | 22218.12 | 94.88 | | | |
| 28848905.0 | 779.45 | 11252958.17 | 17595167.47 | 929385.22 | 10323572.95 | 17595167.47 | 1913.10 | 23790.36 | | | |
| 222907.3 | 0.00 | 0.00 | 222907.32 | 0.00 | 0.00 | 222907.32 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 32113404.8 | 612.86 | 12137326.09 | 19975465.86 | 321902.06 | 11815424.03 | 19975465.86 | 7711.62 | (15833.87) | | | |
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 43431.0 | 0.00 | 43431.01 | 0.00 | 43431.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 544.1 | 0.00 | 544.13 | 0.00 | 544.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 61229192.3 | 1392.31 | 23434259.40 | 37793540.65 | 1295262.42 | 22138996.98 | 37793540.65 | 9624.72 | 7956.49 | | | |
| 385847.5 | 258.17 | 312.55 | 385276.85 | 312.55 | 0.00 | 385276.85 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 116335.3 | 0.00 | 0.00 | 116335.36 | 0.00 | 0.00 | 116335.36 | 0.00 | 0.00 | | | |
| (44652.53 | 0.00 | 0.00 | (44652.53) | 0.00 | 0.00 | (44652.53) | 0.00 | 0.00 | | | |
| 457530.4 | 258.17 | 312.55 | 456959.68 | 312.55 | 0.00 | 456959.68 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 295611.4 | 258.17 | 0.00 | 295353.28 | 0.00 | 0.00 | 295353.28 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 161606.4 | 0.00 | 0.00 | 161606.40 | 0.00 | 0.00 | 161606.40 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 312.5 | 0.00 | 312.55 | 0.00 | 312.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 457530.4 | 258.17 | 312.55 | 456959.68 | 312.55 | 0.00 | 456959.68 | 0.00 | 0.00 | | | |





The Breakup of Total Surplus during the period:

| | | गैर−संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Business | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| विवरण Particulars | | ा व्यवसाय Business | | व्यवसाय n Business | वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business | | | | |
| | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | सहभागी Participating | गैर−सहभागी Non-Participating | | | |
| (क) अंतरिम बोनस | | | | | | | | | |
| (a) Interim Bonus | 222847.18 | 0.00 | 60.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| (ख) पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन# | | | | | | | | | |
| (b) Allocation of Bonus to Policyholders # | 5470881.51 | 0.00 | 18120.66 | 0.00 | 116.99 | 0.00 | | | |
| (ग) राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष | | | | | | | | | |
| (c) Surplus shown in the Revenue accounts | 456959.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| (घ) कुल अधिशेष (क+ख+ग) | | | | | | | | | |
| (d) Total Surplus [a+b+c] | 6150688.37 | 0.00 | 18180.80 | 0.00 | 116.99 | 0.00 | | | |

^{*} प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डो के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।

पॉलिसीधारकों को बोनस के आवंटन का विवरण केवल एलआईसीआई से संबंधित है और इसमें विदेशी सहायक बीमा कंपनियों का विवरण शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें अपने स्थानीय कानूनों या विनियमों के अनुसार इस तरह के विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

^{**} बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।





अवधि के दौरान कुल अधिशेष का विवरण:

| | गैर-संबद्ध ट Non-Linked I | | | संबद्ध व्यवसाय Linked | कुल (ग)= | (क)+(ख) | CRAC | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|---------------------------|--------------|
| परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business | स्वास्थ्य व्यवसाय Health Business | | व्यवसाय कुल ed Total (A) | Business (B) | Total (C) | =(A)+(B) | पूँजी मोचन (निर्धारित | कुल Total |
| गैर–सहभागी Non-Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | गैर–सहभागी Non- Participating | सहभागी गैर-सहभागी Participating Non- Participating | | वार्षिकी सहित) व्यवसाय | (C) + (D) |
| 0.00 | 0.00 | 222907.32 | 0.00 | 0.00 | 222907.32 | 0.00 | 0.00 | 222907.32 |
| 0.00 | 0.00 | 5489119.16 | 0.00 | 0.00 | 5489119.16 | 0.00 | 0.00 | 5489119.16 |
| 0.00 | 0.00 | 456959.68 | 0.00 | 312.55 | 456959.68 | 312.55 | 258.17 | 457530.40 |
| 0.00 | 0.00 | 6168986.16 | 0.00 | 312.55 | 6168986.16 | 312.55 | 258.17 | 6169556.88 |

^{*} Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.

^{**} Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

[#]The details of Allocation of Bonus to policyholders pertains only to LICI and does not include the details of the foreign subsidiary insurance companies as they are not required to provide such details as per their local laws or regulations.







11 July 2022

The Board of Directors
Life Insurance Corporation of India
Yogakshema
Jeevan Bima Marg
Nariman Point
Mumbai – 400021

Milliman Advisors LLP B/712, 215 ATRIUM Chakala, Andheri-Kurla Road Andheri (E), Mumbai 400 059 Tel + 91 (22) 6784 8484 Fax + 91 (22) 6784 8401 milliman.com

LLPIN: AAF-5603

Results of Embedded Value of the Life Insurance Corporation of India as at 31 March 2022

Dear Sir

1. Introduction

- 1.1 Pursuant to the engagement letter dated 31 May 2022 ("EL"), Milliman Advisors LLP ("Milliman", "we", "us", "our") has been engaged by the Life Insurance Corporation of India ("LIC", "the Corporation") to prepare this letter ("Letter"), which sets out the components of economic value of the Corporation, viz. Embedded Value ("EV") as at 31 March 2022 and the value of new business ("VNB") for new business sold during the twelve months ending 31 March 2022, as well as sensitivity analyses in respect of the EV as at 31 March 2022 and the VNB for new business sold during the twelve months ending 31 March 2022 and an analysis of the movement in EV during the twelve months ending 31 March 2022 (the "Results").
- 1.2 The Results have been prepared using a methodology and assumptions consistent with the framework set out in Actuarial Practice Standard 10, Version 1.02 ("APS10") issued by the Institute of Actuaries of India ("IAI"). However, we have not included all disclosures as required by APS10 in this Letter. Consequently, this Letter should not be considered an APS10 disclosure. Moreover, this Letter should be read in its entirety, including the reliances and limitations, as individual sections, if considered in isolation, may be misleading.
- 1.3 This Letter is subject to the terms and conditions specified in the EL, and to the reliances and limitations set out in Section 7.

2. Methodology

- 2.1 The Results have been prepared using a methodology consistent with that adopted as at 30 September 2021, and detailed in our Supplementary Report which was included by LIC as part of the Prospectus, dated 12 May 2022, for the Corporation's recent initial public offering, with the following changes:
 - a. **Covered business:** LIC has now implemented actuarial cash-flow models for all 262 of its products, and the Results include the value attributable to shareholders from business in respect of all of these products.
 - b. **Cost of Residual Non-Hedgeable Risks ("CRNHR"):** The CRNHR is calculated using the projected values of various risk drivers as at 31 March 2022, with the risk drivers selected for each risk, and the factors applied to these risk drivers to determine the projected capital, derived as at 31 March 2022.





3. Assumptions

- 3.1 The assumptions used to derive the Results are the same as the assumptions detailed in Section 5 of the report on the report on the embedded value as at 31 March 2021 ("APS10 Report"), included in the Prospectus, with the following adjustments:
 - a. Reference rates: The reference rates used for the calculation of the Results are set out in Table 3.1.

Table 3.1: Reference rates (one-year forward rates) in percentage (%)

| | For | | For VNB in respect of new business sold during the month of | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|------------|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Year | VIF as at 31 March 2022 | Apr- 21 | May- 21 | Jun- 21 | July- 21 | Aug- 21 | Sep- 21 | Oct- 21 | Nov- 21 | Dec- 21 | Jan- 22 | Feb- 22 | Mar- 22 |
| 1 | 4.34 | 3.95 | 3.85 | 3.87 | 3.87 | 3.85 | 3.90 | 3.95 | 3.93 | 3.87 | 4.04 | 4.19 | 4.23 |
| 2 | 5.65 | 5.31 | 5.23 | 5.32 | 5.40 | 5.31 | 5.21 | 5.17 | 5.29 | 5.22 | 5.42 | 5.41 | 5.56 |
| 3 | 6.70 | 6.27 | 6.12 | 6.16 | 6.39 | 6.31 | 6.08 | 6.02 | 6.20 | 6.12 | 6.29 | 6.47 | 6.59 |
| 5 | 7.90 | 7.42 | 7.23 | 7.22 | 7.43 | 7.45 | 7.26 | 7.17 | 7.39 | 7.27 | 7.41 | 7.73 | 7.73 |
| 10 | 8.36 | 7.97 | 7.95 | 7.95 | 7.99 | 8.20 | 8.26 | 8.19 | 8.34 | 8.20 | 8.26 | 8.54 | 8.29 |
| 15 | 7.97 | 7.52 | 7.62 | 7.67 | 7.72 | 7.98 | 8.17 | 8.10 | 8.17 | 8.03 | 8.03 | 8.22 | 7.91 |
| 20 | 7.57 | 7.06 | 7.17 | 7.25 | 7.43 | 7.68 | 7.87 | 7.78 | 7.80 | 7.64 | 7.62 | 7.74 | 7.49 |
| 25 | 7.27 | 6.76 | 6.82 | 6.92 | 7.25 | 7.47 | 7.61 | 7.49 | 7.50 | 7.31 | 7.28 | 7.36 | 7.22 |
| 30 | 7.08 | 6.59 | 6.60 | 6.70 | 7.15 | 7.34 | 7.43 | 7.28 | 7.29 | 7.07 | 7.05 | 7.11 | 7.06 |
| 35 | 6.97 | 6.50 | 6.48 | 6.58 | 7.11 | 7.28 | 7.32 | 7.15 | 7.16 | 6.93 | 6.90 | 6.95 | 6.98 |
| 40 | 6.90 | 6.46 | 6.41 | 6.50 | 7.08 | 7.25 | 7.26 | 7.07 | 7.09 | 6.84 | 6.82 | 6.86 | 6.94 |

- **b. Stochastic asset model:** The stochastic model was calibrated to the reference rates, short-term implied volatilities and asset mix as at 30 September 2021.
- **c. Expenses:** Expense assumptions as at 31 March 2022 have been recomputed based on the actual experience of the Corporation in the twelve months to 31 March 2022.
- **d. Crediting rates:** For group funds-management business, where an explicit fund-management charge is not specified in the policy documents, future crediting rates have been based on the Board-approved crediting-rate framework dated 30 March 2022.

4. Model checks and reliances

- 4.1 We have relied on the policy data and other information provided by the Corporation as outlined in the reliances and limitations at the end of this Letter. No external review of the policy data used in the calculation of the Results has been performed.
- 4.2 The Results were prepared using actuarial models developed by the Corporation. The scope of our engagement requires Milliman to independently check the actuarial models used to develop the Results for plans that represent a significant and material proportion of the total value of the in-force and new business portfolios.
- 4.3 Milliman has performed independent checking of the PVFP in respect of both in-force business as at 31 March 2022 and the new business sold during the twelve months ending 31 March 2022 at a sample model point level, for 94 products, representing 91% of the reserves as at 31 March 2022 and 91% of the annualised premium equivalent ("APE") for new business sold during the twelve months to 31 March 2022. Other checks performed are consistent with those set out in the APS10 Report.
- 4.4 Based on the results of the independent checking process, we are satisfied that the models used to derive the Results follow the methodology and assumptions set out in this Letter. No errors or issues identified in our checking process, which have a material impact on the Results, remain unresolved at the time of preparation of this Letter.





5. Results

5.1 The EV of LIC as at 31 March 2022 is set out in Table 5.1, calculated in accordance with the methodology and assumptions described above.

Table 5.1: Embedded value

| Components of EV | As at 31 March 2022 |
|--|---------------------|
| Free surplus (FS) (A) | 10,527 |
| Required capital (RC) (B) | - |
| Adjusted net worth (ANW) (C = A + B) | 10,527 |
| Present value of future profits (PVFP) (D) (1) | 547,724 |
| Time value of financial options and guarantees (TVFOG) (E) | (2,076) |
| Frictional cost of required capital (FC) (F) | - |
| Cost of residual non-hedgeable risks (CRNHR) (G | (14,682) |
| Value of in-force business (VIF) (H = D + E + F + G) | 530,966 |
| Embedded value (EV) (I = C + H) | 541,492 |

Notes: Amounts in INR crores; Figures may not add up due to rounding.

- (1) The PVFP includes the shareholders' interest in the assets backing the statutory liabilities, provisions for solvency margin and non-participating global reserves residing in the non-participating funds.
- 5.2 The VNB and VNB Margin as at 31 March 2022, in respect of new business sold during the twelve months ending 31 March 2022, are set out in Table 5.2.

Table 5.2: Value of new business

| | For new business sold during the twelve months ending 31 March 2022 |
|---|---|
| VNB before TVFOG, FC and CRNHR (A) | 9,920 |
| Individual participating | 4,477 |
| Individual non-participating | 2,624 |
| Group (1) | 2,819 |
| TVFOG in respect of new business (B) | (470) |
| FC in respect of new business (C) | - |
| CRNHR in respect of new business (D) | (1,831) |
| Value of new business (VNB) (E = A + B + C + D) | 7,619 |
| New business annualised premium equivalent ("APE"(2)) (F) | 50,390 |
| Individual participating | 33,040 |
| Individual non-participating | 2,532 |
| Group(1) | 14,818 |
| VNB Margin (G = E / F) | 15.1% |

Notes: Amounts in INR crores; Figures may not add up due to rounding.

- (1) 'Group' includes group annuities, group funds management and group term
- (2) APE is calculated as 100% of annualised premium for regular and limited premium plans and 10% of single premium for business sold during the twelve months ending 31 March 2022





5.3 The sensitivity analysis in respect of the EV as at 31 March 2022 is set out in Table 5.3.

Table 5.3: EV sensitivity analysis

| | Sensitivity | EV | % Change in EV as compared to the base |
|----|---|---------|--|
| | Base | 541,492 | |
| 1 | Reference rates and assets | | |
| 1a | An increase of 100 bps in the reference rates(1) | 539,329 | (0.4%) |
| 1b | A decrease of 100 bps in the reference rates(1) | 540,109 | (0.3%) |
| 1c | Equity values decrease by 10% | 506,371 | (6.5%) |
| 2 | Expenses | | |
| 2a | 10% increase in maintenance expenses | 539,130 | (0.4%) |
| 2b | 10% decrease in maintenance expenses | 543,859 | 0.4% |
| 3 | Policy / premium discontinuance rates and partial withdrawal rates (proportionate) | | |
| 3a | 10% increase (multiplicative) in the policy/premium discontinuance rates and partial withdrawal rates | 540,393 | (0.2%) |
| 3b | 10% decrease (multiplicative) in the policy/premium discontinuance rates and partial withdrawal rates | 542,660 | 0.2% |
| 4 | Insurance risks | | |
| 4a | An increase of 5% (multiplicative) in mortality/morbidity rates | 541,389 | (0.0%) |
| 4b | A decrease of 5% (multiplicative) in mortality/morbidity rates | 541,577 | 0.0% |
| 5 | Taxation | | |
| 5a | Assumed tax rate increased to 34.94% | 410,168 | (24.3%) |

Notes: Amounts in INR crores; Figures may not add up due to rounding;

- (1) Interest rate sensitivities both result in a decrease in EV due to the asymmetric impact of the sensitivities on the participating TVFOG.
- 5.4 The sensitivity analysis in respect of the VNB for business sold during the twelve months ending 31 March 2022 is set out in Table 5.4.

Table 5.4: VNB sensitivity analysis

| | Sensitivity | VNB | % Change in VNB | VNB margin | Change in VNB margin |
|----|---|-------|--------------------|---------------|----------------------------|
| | Base | 7,619 | | 15.1% | |
| 1 | Reference rates and assets | | | | |
| 1a | An increase of 100 bps in the reference rates | 8,550 | 12.2% | 17.0% | 1.8% |
| 1b | A decrease of 100 bps in the reference rates | 5,244 | (31.2%) | 10.4% | (4.7%) |
| 1c | Equity values decrease by 10% | 7,410 | (2.7%) | 14.7% | (0.4%) |
| 2 | Expenses | | | | |
| 2a | 10% increase in maintenance expenses | 7,341 | (3.6%) | 14.6% | (0.6%) |
| 2b | 10% decrease in maintenance expenses | 7,895 | 3.6% | 15.7% | 0.5% |
| 2c | 10% increase in acquisition expenses | 7,447 | (2.3%) | 14.8% | (0.3%) |
| 2d | 10% decrease in acquisition expenses | 7,791 | 2.3% | 15.5% | 0.3% |





| | Sensitivity | VNB | % Change in VNB | VNB margin | Change in VNB margin |
|----|---|-------|--------------------|---------------|----------------------------|
| 3 | Policy / premium discontinuance rates and partial withdrawal rates (proportionate) | | | | |
| 3a | 10% increase (multiplicative) in the policy/premium discontinuance rates and partial withdrawal rates | 7,383 | (3.1%) | 14.7% | (0.5%) |
| 3b | 10% decrease (multiplicative) in the policy/premium discontinuance rates and partial withdrawal rates | 7,862 | 3.2% | 15.6% | 0.5% |
| 4 | Insurance risks | | | | |
| 4a | An increase of 5% (multiplicative) in mortality /morbidity rates | 7,586 | (0.4%) | 15.1% | (0.1%) |
| 4b | A decrease of 5% (multiplicative) in mortality /morbidity rates | 7,651 | 0.4% | 15.2% | 0.1% |
| 5 | Taxation | | | | |
| 5a | Assumed tax rate increased to 34.94% | 5,188 | (31.9%) | 10.3% | (4.8%) |

Notes: Amounts in INR crores; Figures may not add up due to rounding.

5.5 The movement analysis in respect of the twelve months ending 31 March 2022 is set out in Table 5.5.

Table 5.5: Analysis of movement

| Components | EV |
|--|---------|
| Opening EV as at 31 March 2021 (A) | 95,605 |
| Bifurcation impact (B) | 374,172 |
| VNB added during the year (C) | 7,619 |
| Expected return on existing business | |
| At reference rate (D) | 4,742 |
| At expected excess 'real-world' return over reference rate (E) | 17,977 |
| Variance in operating experience | |
| Persistency (F) | 146 |
| Mortality (G) | (527) |
| Expenses (H) | 195 |
| Newly modelled plans (I) | 14,299 |
| Others (J) | 16,571 |
| Change in operating assumptions (K) | (5,243) |
| EV operating earnings (L = C + D + E + F + G + H + I + J + K) | 55,779 |
| Economic variances (M) | 5,734 |
| Change in economic assumptions (N) | 10,202 |
| EV total earnings (O = L + M + N) | 71,715 |
| Capital contributions / (dividends paid out) (P) | - |
| Closing EV as at 31 March 2022 (Q = A + B + O + P) | 541,492 |

- 5.6 The 'bifurcation impact' shown in row (B) above has been assessed as at 31 March 2022, and is less than the impact assessed as at 30 September 2021 of INR 414,919 crores. This reflects the fall in market value of assets of the Corporation in the six months to 31 March 2022.
- 5.7 'Others' (row (J)) encompasses items that have not been explicitly allocated to other sources, and includes the impact of unmodelled sources of surplus in the group annuity business and the one-off positive impact of a reconciliation of the unit-linked liabilities.





6. Conclusion and opinion

- 6.1 Based on the work carried out and subject to the reliances and limitations set out in this Letter, I am of the opinion that:
 - the methodology used to develop the Results is reasonable;
 - the assumptions used to develop the Results are reasonable;
 - the Results have been prepared materially in accordance with the methodology and assumptions described in this Letter; and
 - the Results have been prepared materially in accordance with the requirements of APS10.

7. Reliances and Limitations

Reliances

- 7.1 The scope of our work covers the following:
 - a. to review the methodology and assumptions adopted by the Corporation; and
 - b. to review the EV as at 31 March 2022 and the VNB for the twelve months ending 31 March 2022 and to conduct independent checking of the Corporation's actuarial models for plans that represent a significant proportion of the total value of the in-force and new business portfolios.
- 7.2 Although this Letter provides the Results following the framework as set out in APS10, we have not included all disclosures required by APS10 in this Letter. Consequently, this Letter should not be considered to be an APS10 disclosure.
- 7.3 This Letter has been prepared solely for use by LIC for inclusion in its disclosures for the year ending 31 March 2022. It should not be relied upon for any other purpose.
- 7.4 In order to fully comprehend this Letter, any user should be advised by an actuary with a substantial level of expertise in areas relevant to this analysis to appreciate the significance of the underlying assumptions and the impact of those assumptions on the Results. This Letter must be considered in its entirety as individual sections, if considered in isolation, may be misleading.
- 7.5 In carrying out the work and producing this Letter, we have relied on information supplied by the management and staff of LIC. Reliance was placed on, but not limited to, the general accuracy of all the information provided to us.
- 7.6 In particular we have relied on:
 - a. the Prophet actuarial model and other models developed by the Corporation to derive the various Results. However, we have applied various checks on the models of the Corporation as set out in Section 4;
 - b. the accuracy and completeness of the policy data covering in-force and new business policies, the intervaluation movements of policy statuses and the various checks applied thereon;
 - c. details of product features, policy terms and conditions including surrender and cash value bases as set out in the plan features documents and other information provided to us by the Corporation for each of the products included in our review of the models;
 - d. information on reinsurance arrangements and terms and conditions as provided to us by the Corporation;
 - e. experience investigations relating to current and historical operating experience of the Corporation;
 - f. information on expense experience analyses performed by the Corporation;
 - g. audited financial statements for the twelve months ending 31 March 2022 as provided to us by the Corporation;
 - h. the Appointed Actuary's statutory liability valuation of the Corporation as at 31 March 2022 and confirmation by the Corporation of the methodology / assumptions adopted in the statutory valuation of liabilities as at that date:
 - i. the appropriateness and completeness of the governance arrangements surrounding the bifurcation of the single policyholders' fund into separate participating and non-participating funds;





- j. asset valuations (book and market value) for investments of the Corporation as set out in the audited financial statements at 31 March 2022, and the market value adjustments as provided to us by the Corporation;
- k. the Board approved crediting rate framework for group funds business;
- I. information on the Corporation's practices in determining bonuses on participating business;
- m. the Board approved surplus distribution policy adopted by the Corporation; and
- n. the taxation framework adopted by the Corporation.
- 7.7 We have obtained a management representation letter from LIC, stating that the data and information provided to us is accurate and complete and that there are no material inaccuracies and omissions therein and as represented in this Letter.
- 7.8 This Letter is based on the data and information available to Milliman up to 11 July 2022 and takes no account of the data, information and clarifications received after that date. We are under no obligation to update or correct inaccuracies which may become apparent in this Letter as a consequence of this.

Limitations

- 7.9 Unless explicitly stated, we have performed no audit or independent verification of the information furnished to us. To the extent that there are any material errors in the information provided to us, the Results may be affected as well.
- 7.10 An embedded value disclosure necessarily requires assumptions to be made about future operating experience and for these to be reflected in the determination of the components of economic value.
- 7.11 An actuarial assessment of the components of economic value of a life insurance company will not necessarily be consistent with the value of a life insurance company or a portfolio in the open market and should not be interpreted in that manner. Rather, it is derived from a projection of future earnings and, therefore, reflects the value of the earnings potential of a block of in-force or new business under a specific set of assumptions. The value of any business enterprise is a matter of informed judgment. Different parties will arrive at different values depending upon their outlook, their assessment of the future operating assumptions, and upon the opportunities they see for the enterprise in the future.
- 7.12 The Results are based on a series of assumptions as to the future operating experience of the Corporation. It should be recognised that actual results will differ from those shown in this Letter, on account of changes in the operating and economic environment and natural variations in experience. To the extent actual experience is different from the assumptions underlying this Letter, the future projected profits from which the Results are derived will also differ. This Letter includes various sensitivity analyses to illustrate how vulnerable the various results are to changes in assumptions for the key risks. The Results shown are presented at 31 March 2022 and no warranty is given by Milliman that future experience after this date will be in line with the assumptions made.
- 7.13 The projections and values presented in this Letter have been determined on a 'going concern' basis, and assume a stable economic, legal and regulatory environment going forward. The reader of this Letter should be aware that any change in the general operating environment would add a high degree of uncertainty to the Results presented. In particular, there is continuing uncertainty regarding the longer-term impact of COVID-19 on the economic, regulatory and business environment in India, and the level and nature of business activity of the Corporation, which could materially impact future non-economic experience and economic parameters.
- 7.14 Unless explicitly stated, the Results do not consider any external (including regulatory and taxation) developments after 31 March 2022.
- 7.15 None of the values or projections set out in this Letter include any allowance for withholding or other taxes that may apply to the payment of future shareholder dividends or on remittances out of India.
- 7.16 The allowance for taxation reflected in the Results is based on the Corporation's interpretation of the applicable taxation laws in India. It may be noted that neither Milliman nor its consultants are experts in taxation matters. Given this, we do not make any representation on the appropriateness or otherwise of the approach adopted in allowing for taxation in the Results.





7.17 In the Results, no allowance is made for any claims against LIC other than those made by policyholders under the normal terms of life insurance business and reflected in the Corporation's audited financial statements.

Distribution

| 7.18 | LIC may publicly disclose the final version of this Letter in its entirety. Milliman does not intend to benefit or create | a |
|------|---|---|
| | legal duty to any third party recipient of its work. | |

Yours sincerely

Heerak Basu FIAI Partner





Glossary of Terms

| | • | | | |
|-------------|---|--------|--|--|
| AAUM | Average Assets under Management | CRNHR | Cost of Residual Non-Hedgeable Risks | |
| AES | Advanced Economies | CSR | Corporate Social Responsibility | |
| AGM | Annual General Meeting | СТС | Computer Training Centres | |
| Al | Artificial Intelligence | DCMC | Deposit Collection & Management | |
| AIF | Alternative Investment Fund | DD11D | Centre | |
| ALM | Asset Liability Management | DRHP | Draft Red herring Prospectus | |
| AMT | Asset Management Tool | EBPP | Electronic Bill Presentation and Payment | |
| ANANDA | Atma Nirbhar Agents New Business Digital Application | ECLGS | Emergency Credit Line Guarantee Scheme | |
| ANF | Automated Non Forfeiture | EDMS | Enterprise Document Management | |
| APA | Annuity Per Annum | | System | |
| APE | Annualised Premium Equivalent | IEM | Independent External Monitors | |
| APPS | Auto Premium Payment System | EMDEs | Emerging Market and Developing | |
| APS10 | Actuarial Practice Standard 10 | | Economies | |
| AUM | Assets Under Management | E-NACH | Electronic National Automated Clearing House | |
| BAC | Building Advisory Committee | ERM | Enterprise Risk Management | |
| ВСМ | Business Continuity Measures | ETC | Employee Training Centre | |
| BE | Budget Estimate | ETCF | Exchange Traded Currency Future | |
| BG | Bank Guarantee | ETF | Exchange Traded Fund | |
| BHIM | Bharat Interface for Money | EV | Embedded Value | |
| BoD | Board of Directors | FCT | Free Commercial Time | |
| BRSR | Business Responsibility & Sustainability | FDI | Foreign Direct Investment | |
| | Report | | • | |
| CERM | Committee of Executives on Risk Management | FEDAI | Foreign Exchange Dealers Association of India | |
| CIBT | Critical Illness Base Table | FIMMDA | Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India | |
| CIN | Corporate Identity Number | FPI | Foreign Portfolio Investors | |
| CISO | Chief Information Security Officer | FYP | First Year Premium | |
| CO | Central Office | FYPI | First Year Premium Income | |
| COVID-19 | Coronavirus Disease 2019 | GAAP | Generally Accepted Accounting | |
| CPGRAMS | Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System | OAAI | Principles | |
| СРІ | Consumer Price Index | GDP | Gross Domestic Product | |
| CPSC or CSC | Common Public Service Centre | GDS | Global Depository Shares | |
| CRAC | | GJF | Golden Jubilee Foundation | |
| CRAC | Capital Redemption and Annuity Certain Business | GOI | Government of India | |
| CRM | Customer Relationship Management | GRO | Grievance Redressal Officer | |





| HCI | Hyper Converged Infrastructure | LMS | Learning Management System |
|-----------|---|---------|---|
| HOD | Head of the Department | LODR | Listing Obligations & Disclosures |
| IAI | Institute of Actuaries of India | | Requirement |
| IASB | International Accounting Standard | MAT | Minimum Alternate Tax |
| | Board | MCA | Ministry of Corporate Affairs |
| IBLNPS | IDBI Bank Ltd. New Pension Scheme | MD&A | Management Discussion and Analysis |
| ICAI | Institute of Chartered Accountants of | MDC | Management Development Centre |
| | India | MF | Mutual Fund |
| ICDS | Income Computation and Disclosure Standards | MOF | Ministry of Finance |
| ICMS | Integrated Complaint Management System | MPLS | Multiprotocol Label Switching |
| 10110 | | MSB | Major Surgical Benefit |
| IEV | Indian Embedded Value | MSF | Marginal Standby Facility |
| IFRS | International Financial Reporting Standards | MSMED | Micro, Small and Medium Enterprises Development |
| IGL | IDBI Gilts Limited | MSP | Medical Service Provider |
| IGMS | Integrated Grievance Management | NBV | Net Book Value |
| | System | NCH | National Consumer Helpline |
| IHFL | IDBI Home Finance Limited | NCO | Notional Cash Option |
| IMF | International Monetary Fund | NEFT | National Electronic Fund Transfer |
| IMFs | Insurance Marketing Firms | NRC | Nomination & Remuneration |
| INGRAM | Integrated Grievance Redress | | Committee |
| 10 | Mechanism | NSO | National Statistical Office |
| IO | International Operations | OLI | Official Language Implementation |
| IPP | Individual Pension Plan | P&GS | Pension & Group Schemes |
| IRDAI | Insurance Regulatory and Development Authority of India | PAN | Permanent Account Number |
| ISO | International Organization for | PAT | Profit After Tax |
| | Standardization | PE | Provisional Estimates |
| ISSC | Information Security Steering Committee | PIDPI | Public Interest Disclosure and Protection of Informers |
| IT SD | information reclinology – sortware | PLI | Production Linked Incentives |
| | | PMJDY | Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana |
| LAF | Liquidity Adjustment Facility | PMJJBY | Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima |
| LC | Letter of Credit | | Yojana |
| LCA | Life Cycle Perspective / Assessments | PMKMDY | Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana |
| LDB | Land Development Bank | PMLVMDY | Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan |
| LIC CSL | LIC Cards Services Ltd. | THEVHOT | Dhan Yojana |
| LICI | Life Insurance Corporation of India | PMSYM | Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan |
| LICMF BAF | LIC MF Balanced Advantage Fund | PMVVY | Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana |





| PPC | Policyholders' Protection Committee | SRs | Security Receipts |
|---------|---|-------|------------------------------------|
| PRAGATI | Performance Review Application, Growth And Trend Indicator | SSS | Salary Saving Scheme |
| | | STF | State Financial Corporation |
| PTC | Pass Through Certificate | TAT | Turn Around Time |
| PTR | Port Turst | TLTRO | Targeted Long-Term Repo Operations |
| RBI | Reserve Bank of India | UCS | Ulip Centralization System |
| RCs | Reconstruction Companies | UPI | Unified Payments Interface |
| RE | Revised Estimates | USD | United States Dollar |
| RMCB | Risk Management Committee of the Board | VAW | Vigilance Awareness Week |
| RTI | Right to Information | VNB | Value of New Business |
| SA | Sum Assured | VRRR | Variable Rate Reverse Repo |
| SAE | Second Advance Estimates | WFH | Work From Home |
| SASF | Stressed Assets Stabilisation Fund | WPC | With Profit Committee |
| | | WPI | Wholesale Price Index |
| SCs | Securitisation Companies | WRP | Weighted Received Premium |
| SCWF | Senior Citizen Welfare Fund | WSB | Water State Board |
| SEBI | Securities and Exchange Board of India | YTM | Yield to Maturity |
| SIA | Social Impact Assessments | ZMRs | Zonal Medical Referees |
| SIEM | Security Information & Event | ZTC | Zonal Training Centre |
| CDC | Management | ZUS | Zonal Underwriting Section |
| SRC | Stakeholders Relationship Committee | 203 | Zonai onderwriting Section |



Awards & Accolades 2021-2022







Economics Times BFSI BEST BRANDS 2022 One of the Best Brands – 2022



Readers Digest Trusted Brand Category Insurance (Life)



Outlook money Awards 2021 Most Trusted Brand in Insurance Gold Award



CFBP Jamna lal Bajaj Award for Fair Business Practices



Dun and Bradstreet PSU Awards 2021 Best PSU Award in Life insurance Sector





India Most Trusted **Insurance** Brand Award By Insurance alertss



FICCI Insurance Industry Awards 2021 Best Insurance Campaign-Life Category



FICCI Insurance Industry Award Special Jury Award



IAA Award for Marketer of the year insurance



India Insurance Summit & Award 2022 Excellence in Digital Transformation







Marksmen Daily 50 Most Trusted BFSI Brands 2021



Digital PSU Summit
WARROS 2021
We felicitate



LIC INDIA



National Award for Excellence in **BFSI** Claim Service Leader (Large)



National Award for Excellence in BFSI Customer Service Excellence Award





National Award for Excellence in **BFSI** Digital Marketing Digital Advertising Award



National Award for Excellence in BFSI Insurance Company of the Year



ACEF Award for Television Promotion for Pehle **LIC**



Ashirwad Award **Ashirwad Rajbhasha** Puraskar 2021



World **BFSI Congress & Awards Insurance Company** of the Year















कॉर्पोरेट कार्यालयः भारतीय जीवन बीमा निगम, 'योगक्षेम', जी. बी. मार्ग, मुंबई-400 021 की ओर से श्री सत्यव्रत नायक. कार्यकारी निदेशक (सी.जी./जी.जे.एफ./आर.सी) और सीसीओ द्वारा प्रकाशित.

वेबसाइटः www.licindia.in

मुद्रक ओंलूकर प्रैस, 16, साससून डॉक, कुलाबा,

मुंबई- 400 005.

दूरभाष : 022 22187499

Published Shri Satyabrata Nayak by Executive Director (CG/GJF/RC) & CCO on behalf of Corporate Office: LIC of India, 'Yogakshema', Jeevan Marg,

Mumbai - 400 021.

Website: www.licindia.in

Printed by Onlooker Press, 16, Sassoon Dock, Colaba,

Mumbai - 400 005. Tel: 022 22187499









